



आर्थिक समीक्षा

2020-21

खण्ड-2





आर्थिक समीक्षा 2020-21

खण्ड 2

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

ई-मेल: cordecndn-dea@nic.in
जनवरी, 2021

विषय सूची

अध्याय सं.	पृष्ठ सं.	अध्याय का नाम
1		2020-21 अर्थव्यवस्था की स्थिति: एक वृहद दृष्टिकोण
	4	महामारी का प्रसार
	6	भारत में महामारी का प्रसार
	8	परीक्षण में तेजी लाना
	10	नीति दुविधा अंतर्निहित कोविड-19
	18	महामारी द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था का विघटन
	22	एक वी आकार के सुदृढ़ प्रक्षेपवक्र पर भारतीय अर्थव्यवस्था
	36	कोविड -19 को नीति प्रतिक्रिया
	45	V आकार की अर्थिक पुनः प्राप्ति
	50	आउटलुक
2		राजकोषीय विकास
	55	परिचय
	55	कोविड-19 महामारी के लिए राजकोषीय स्थिति और प्रतिक्रिया
	65	कर प्रशासन में सुधार
	70	सरकारी वित्त में प्रवृत्तियां: केंद्र, राज्य और सामान्य सरकार
	85	आउटलुक
3		वैदेशिक क्षेत्र
	95	वैश्विक आर्थिक परिवेश
	97	भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) में विकास की संभावनाएं
	120	निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार का अभिक्रम
	124	भारत का विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ संबंध
	126	भावी परिदृश्य
4		मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता
	130	2020-21 के दौरान मौद्रिक विकास
	134	नकदी की स्थितियां और नकदी प्रबंधन
	136	जी-सेक (सरकारी क्षेत्र) के बाजारों में विकास
	138	बैंकिंग क्षेत्र
	146	सहकारी बैंक
	147	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
	150	पूंजी बाजार में प्रगति
	152	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश
	153	भारतीय बेंचमार्क सूचकांक की प्रवृत्ति
	154	बीमा क्षेत्र
	157	पेंशन क्षेत्र
	158	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता

5	कीमतेँ और महँगाई
170	परिचय
171	मुद्रास्फीति में मौजूदा रूझान
177	मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति: गति और आधार प्रभाव
180	मुद्रास्फीति के उत्प्रेरक: खाद्य मुद्रास्फीति का विलक्षण प्रभाव
187	राज्यों में मुद्रास्फीति
190	वर्ष 2020-21 में मुद्रास्फीति के किन उपायों ने आर्थिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से दर्शाया है?
193	मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ
194	वैश्विक वस्तुओं की कीमतेँ
197	दवा की कीमतों का विनियमन
197	एनएचबी रेसिडेक्स
198	मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम
202	निष्कर्ष
6	सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन
214	प्रस्तावना
214	भारत और सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)
217	जलवायु परिवर्तन
224	जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय वार्ता
226	स्थिरता के साथ वित्त संरेखित करना
232	अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पहल
233	निष्कर्ष और भावी परिदृश्य
7	कृषि एवं खाद्य प्रबंधन
241	परिचय
242	कृषि क्षेत्र का सिंहावलोकन
250	फसल बीमा
250	संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन
252	पशुओं की आबादी तथा उत्पादन
254	मत्स्यपालन
255	कृषि अनुसंधान और शिक्षा
256	खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर
258	खाद्य प्रबंधन
265	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020
268	भावी योजना
8	उद्योग और आधारभूत संरचना
272	प्रस्तावना
276	औद्योगिक क्षेत्र में प्रवृत्ति
293	क्षेत्रवार मुद्दे और पहल
300	अवसंरचना
315	भावी परिदृश्य

9

सेवाएं

- 317 भारत में सेवा क्षेत्र का निष्पादन-सिंहावलोकन
325 प्रमुख सेवाएं: सबसेक्टरवार प्रदर्शन और नव नीतियां

10

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

- 339 परिचय
339 सामाजिक क्षेत्र के खर्च में रुझान
341 मानव विकास
342 सभी के लिए गुणवत्ता पूर्ण श्रेष्ठ शिक्षा
349 कौशल विकास
351 रोजगार की स्थिति
362 रोजगार का लैंगिक आयाम
366 स्वास्थ्य
371 जल और स्वच्छता
372 ग्रामीण विकास
375 निष्कर्ष

आभारोक्ति

आर्थिक सर्वेक्षण टीम वर्क और सहयोग का एक परिणाम है। आर्थिक सर्वेक्षण में योगदान देने वालों में शामिल हैं: संजीव सान्याल, राजीव मिश्रा, ए श्रीजा, चांदनी रैना, सुरभि जैन, अभिषेक आचार्य, जितेन्द्र सिंह, अविनाश दाश, टी. गोपीनाथ, कपिल पाटीदार, रजनी रंजन, प्रेरणा जोशी, धर्मेन्द्र कुमार, आकांक्षा अरोड़ा, एम. राहुल, हरीश कुमार कललेगा, तुलसीप्रिया राजकुमारी, गुरविंदर कौर, नेहा सिंह, संजना कादयान, अमित श्योराण, श्रेया बजाज, मनोज कुमार मिश्रा, दीक्षा सुपयाल बिष्ट, सुभाष चंद, रियाज अहमद खान, मो. आफताब आलम, प्रद्युत कुमार पायने, नरेंद्र जेना, मृत्युंजय कुमार, राजेश शर्मा, अमित कुमार केसरवानी, शोबिन्द्र अक्काई, महिमा, नवीन बाली, लविशा अरोरा, सोनाली चौधरी, तनीषा अग्रवाल।

सर्वेक्षण में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और श्री तरुण बजाज, सचिव आर्थिक कार्य विभाग की बहुमूल्य टिप्पणियों और अंतर्दृष्टि से लाभ हुआ है।

सर्वेक्षण में जिन विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में कार्यरत अधिकारियों की टिप्पणियों और इनपुटों का लाभ उठाया गया उनमें विशेष रूप से, अनूप वधावन, सचिव, वाणिज्य विभाग, पवन कुमार अग्रवाल, विशेष सचिव (रसद), वाणिज्य विभाग, महानिदेशक, अमित यादव विदेश व्यापार (डीजीएफटी), बिद्युत बिहारी स्वैन, अपर सचिव और निदेशक जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (डीजीटीआर), अमिताभ प्रधान, महानिदेशक, वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता, अरुण कुमार झा, महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव (रसद), वाणिज्य विभाग, प्रवीण महतो, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य विभाग, रेणु लता, निदेशक, वाणिज्य विभाग, श्रुति शुक्ला, संयुक्त निदेशक, डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता, प्रत्यूष कुमार, रसायन और उर्वरक मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव (एपीएस), तुहिना दास, उप निदेशक, वाणिज्य विभाग, रिषिका चोरारिया, सहायक निदेशक, वाणिज्य, विभाग शुभांकर प्रमाणिक, सहायक निदेशक, डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता, लव गोगिया, सलाहकार, वाणिज्य विभाग, अर्पित भार्गव, सलाहकार, वाणिज्य विभाग; बालदेव पुरुषार्थ, संयुक्त सचिव, आईपीएफ डिवीजन, आर्थिक कार्य विभाग; सहायक आयुक्त, एनसीटीएफ सचिवालय, राजस्व विभाग, डॉ. मृदुल के सागर, कार्यकारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निदेशक, देबा प्रसाद रथ, प्रभारी अधिकारी, आरबीआई, राजीव जैन, निदेशक, आरबीआई, जॉन गुरिया, सहायक सलाहकार, आरबीआई, सौमश्री तिवारी, सहायक सलाहकार, आरबीआई, रंजीव, सहायक सलाहकार, सांख्यिकी विभाग और सूचना प्रबंधन, आरबीआई, जितेन्द्र सोकल, प्रबंधक, अजीत रत्नाकर जोशी, प्रभारी अधिकारी, डीएसआईएम, रजत सिन्हा, निदेशक, सीएसडी, आनंद प्रकाश, निदेशक, एमपीडी, आरबीआई; सुखबीर सिंह, सहायता नियंत्रक, लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग (सीएए), डीईए, वित्त मंत्रालय, जेपी सिंह, सहायता, लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग, डीईए, वित्त मंत्रालय; तीर्थकर मंडल, दीपक श्रीराम कृष्णन, विश्व संसाधन संस्थान, लाबनी प्रकाश जेना, जलवायु नीति पहल से पमली डेका और नम्रता गिनोया; रजत सच्चर, प्रधान सलाहकार, डीपीआईआईटी; पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उषा सुरेश, सीनियर एडवाइजर, सुश्री इंद्राणी कौशल, सलाहकार, श्री गौरव कटियार, उपनिदेशक, श्री अरुण कुमार, आर्थिक सलाहकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, राज पाल, वरिष्ठ सलाहकार, बिजली मंत्रालय, वंदना अग्रवाल, वरिष्ठ सलाहकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दिनेश कपिला, आर्थिक सलाहकार, शहरी कार्य मंत्रालय, अरविंद चौधरी, आर्थिक सलाहकार मॉप और डब्ल्यू, अग्रिम कौशल, आर्थिक सलाहकार, डीपीई, अनिमेष भारती, आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय, अंशुमान मोहंती, आर्थिक सलाहकार, एमओआरटी एंड एच; संतनु मित्रा, एडीसी, कार्यालय विकास आयुक्त, एमएसएमई, अश्विनी लाल, निदेशक, एमएसएमई, दीपक राव, जेडीसी, एमएसएमई, आलोक चंद्रा, आर्थिक सलाहकार, खान मंत्रालय, प्रीति नाथ, आर्थिक सलाहकार, दूरसंचार विभाग, अवधेश कुमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार, इस्पात मंत्रालय, गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार, कपड़ा मंत्रालय, कुसुम मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, रेल मंत्रालय; एसवी रमना मूर्ति, डीडीजी, और सुश्री आर। सावित्री, डीडीजी, एमओएसपी।

उपरोक्त के अलावा, विभिन्न मंत्रालय, विभाग और भारत सरकार जैसे संगठन और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी), केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कराधान (सीबीडीटी), डाक विभाग, रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), लेखा महानियंत्रक (सीजीए), निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभाग और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी), रक्षा मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, एनपीपीए, राष्ट्रीय आवास बैंक, पर्यटन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, बंदरगाह मंत्रालय, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, डीएफएस, आरबीआई। आईबीबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए, नेस्क्रॉम, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय कार्यान्वयन (एमओएसपीआई), श्रम ब्यूरो। कई मंत्रालयों ने अपने इनपुट प्रदान करने के लिए प्रस्तुतियों के माध्यम से सीधे मेरे साथ बातचीत की। आर्थिक सर्वेक्षण उनके मूल्यवान समय, सगाई और योगदान के लिए आभारी है। समर्थ प्रशासनिक सहयोग के राजारमन, मीरा स्वरूप, रविन्दर कुमार, जसबीर सिंह, अमित कुमार, संजय कुमार पंडिता; सुनील दत्त, रोहित; सुशील शर्मा, मनीष पंवार, मीनाक्षी गुप्ता, सुरेश कुमार अरोड़ा, मुन्ना साह, जोध सिंह, अजबीर सिंह; एस। रामकृष्णन, सत्येंद्र किशोर, सीईए के कार्यालय में कुलदीप मेहरा और अन्य स्टाफ सदस्य आर्थिक विभाजन। सर्वे के लिए कवर पेज को इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत सरकार मुद्रणालय से श्री शशीपाल सिंह रावत, श्रीमति मीना पंत, श्रीमति आशा भट्टी, श्रीमति कमलेश,

श्रीमति रूपा गुप्ता से हिंदी मुद्रण का सहयोग किया। एलिगेंट पब्लिशिंग (पी) लिमिटेड से इज्जुर रहमान, एनपी शर्मा, दीपक कुमार, गौतम हलदर और रघुवंश प्रसाद द्विवेदी ने अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की पृष्ठ सेटिंग की।

आर्थिक सर्वेक्षण के हिंदी संस्करण में श्रीमती सोनम कालरा, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंस्टिट्यूट नोएडा, संयुक्त निदेशक (रा.भा) श्रीमती नीहारिका सिंह, उप-निदेशक डॉ. पूरन सिंह, उप-निदेशक-किरण घिल्डियाल, सुश्री बबीता गुज्याल, श्री सुभाष चंद्र अवस्थी, श्रीमती अर्चना सिंह, श्रीमती अनीता कुमार, श्री अंकुर भटनागर, श्री वीरेंद्र कुमार चंदोरिया, श्री जितेंद्र कुमार शर्मा, श्री हरिशचंद्र सिंह, प्रविन्द्र कुमार, लेखराज सिंह, प्रदीप कुमार, श्रीमती वीणा, रेखा रानी, आदि का विशेष योगदान रहा। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक श्री मोहन लाल वाधवानी और उनकी टीम के प्रति हम आभारी हैं जिनमें श्रीमती लेखा सरीन, श्री विजय कुमार शर्मा, श्रीमती कुसुम शर्मा झा, श्री ध्रुव नारायण आजाद, श्री अजय कुमार चौधरी, श्री रंजीत कुमार साव, श्री सचिन कुमार गुप्ता शामिल हैं।

अंत में, आर्थिक समीक्षा कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों के परिवार जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस कार्य के दौरान असीम धैर्य और उदारता का परिचय तो दिया ही, साथ ही इस समीक्षा को तैयार करने में अपना निरंतर भावनात्मक सहयोग एवं प्रोत्साहन भी प्रदान किया। आर्थिक समीक्षा में समर्पित सहयोगियों के लिए निस्संदेह उनके परिवार शक्ति के मूक स्तंभ रहे हैं।

कृष्णमूर्ति वी सुब्रमणियन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

संकेताक्षर

सी.पी.एस.यू.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	ए.एस.ई.ए.एन. (आसियान)	दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र
ई.सी.आई.एस.	निर्यात उधार बीमा योजना	ए.एस.एच.ए.	प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कामगार (आशा)
ई.एम.डी.ई	उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	ए.एस.आई.	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण
एफ.बी.आई.एल.	वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड	ए.यू.एम.	प्रबंधाधीन परिसंपत्तियां
एन.डी.टी.एल.	निवल मांग और मियादी देयताएं	ए.वाई.यू.एस.एच.	आयुर्वेद, योग यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा
एन.एफ.सी.	नॉन फूड क्रेडिट	बी2बी	व्यवसाय से व्यवसाय
ए.ए.	अग्रिम स्वीकृति	बी2सी	उपभोक्ता तक व्यवसाय
ए.ए.जी.आर.	औसत वार्षिक वृद्धि दर	बी.सी.डी.	बुनियादी सीमा शुल्क
ए.ए.आई.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	बी.सी.एम.	बिलियन क्यूबिक मीटर
ए.ए.वाई.	अंत्योदय अन्न योजना	बी.ई.	बजट आकलन
ए.बी.-एच.डब्ल्यू.सी.एस.	आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र	बी.एच.एल.जी.	द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह
ए.आर.आर.	वार्षिक व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग	बी.ओ.पी.	भुगतान कोष
ए.ई.	अग्रिम प्राक्कलन	बी.पी.सी.एल.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
ए.ई.	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं या अग्रिम प्राक्कलन	बी.पी.एल.	गरीबी रेखा से नीचे
ए.ई.एम.	आसियान अर्थ मंत्री	बी.पी.एस.	आधार अंक
ए.एफ.बी.	अभिग्रहण निधि बोर्ड	बी.आर.आई.सी.एस.	ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका
ए.एफ.डी.	फ्रेंच डिवेलपमेंट एजेंसी	बी.आर.टी.	त्वरित बस पारगमन प्रणाली
ए.जी.बी.	जमीन के ऊपर बाँयोमॉस	बी.एस.ई.	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज
ए.एच.एफ.	किफायती आवास निधि	बी.एस.एन.एल.	भारत संचार निगम लिमिटेड
ए.आई.एफ.	वैकल्पिक निवेश निधि	बी.टी.आई.ए.	द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौता
ए.आई.आई.एम.एस.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	बी.टी.पी.	जैव-प्रौद्योगिकी पार्क
ए.आई.टी.आई.जी.ए.	आसियान राष्ट्र एवं भारत के मध्य वस्तु व्यापार समझौता	बी.टी.एस.	आधार ट्रांससीवर स्टेशन
ए.एम.एफ.एफ.आर.आई.	कृषि विपणन एवं कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक	बी.यू.आर.	द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट
ए.एन.एम.	सहायक नर्स दार्ई	सी. एंड डी.	विनिर्माण एवं विध्वंस
ए.पी.एल.	गरीबी रेखा से ऊपर	सी.ए.डी.	चालू खाता घाटा
ए.पी.एम.सी.	कृषि उत्पाद विपणन समिति	सी.ए.जी.आर.	कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (घातांकी वार्षिक वृद्धि दर)
ए.पी.टी.ए.	एशिया पैसिफिक व्यापार समझौता	सी.ए.पी.	कवर एंड प्लिंथ
ए.आर.पी.आइ.टी. (अर्पित)	अध्ययन में वार्षिक पुनश्चर्या पाठक्रम	सी.ए.पी.ई.एक्स. (केपैक्स)	पूँजीगत व्यय
ए.आर.पी.यू.	प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व	सी.ए.पी.एस.	साइबर कृषि भौतिक प्रणाली
ए.आर.टी.आई.एस.	भारतीय उद्योग एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए व्यापार में उपचार के लिए आवेदन	सी.बी.आई.सी.	केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

सी.बी.आर.	केन्द्रीय राजस्व बोर्ड	सी.पी.आई.-सी.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त-
सी.सी.ए.पी.	जलवायु परिवर्तन पहल कार्यक्रम	सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक
सी.सी.ई.ए.	आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडलीय समिति	सी.पी.आई.-आर.एल.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण मजदूर
सी.सी.आई.एल.	भारतीय निकासी कार्पोरेशन	सी.पी.एस.ई.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग
सी.सी.पी.	केन्द्रीय काउंटर पार्टी	सी.पी.एस.यू.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सी.डी.आर.	अपरिष्कृत मृत्यु दर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
सी.डी.आर.आई.	आपदा लोच आधारिक संरचना के लिए परिसंघ	सी.आर.ए.आर.	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में आस्ति अनुपात
सी.डी.एस.	उधार अदला-बदली में चूक	सी.एस.सी.	सामान्य सेवा केन्द्र
सी.ई.सी.ए.	व्यापक आर्थिक सहकारी समझौता	सी.एस.ओ.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सी.ई.सी.पी.ए.	व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता	सी.एस.एस.	केन्द्रीय प्रायोजित योजना
सी.ई.पी.ए.	व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता/व्यापक आर्थिक नीति समझौता	सी.टी.सी.एन.	जलवायु प्रौद्योगिकी केन्द्र एवं नेटवर्क
सी.ई.पी.आई.	शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक	सी.वी.डी.	प्रतिकारी शुल्क
सी.एफ.पी.आई.	उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक	सी.डब्ल्यू.सी.	केन्द्रीय भंडारण निगम
सी.जी.ए.	लेखा महानियंत्रक	डी.ए.सी. एण्ड एफ.डब्ल्यू.	कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग
सी.जी.डब्ल्यू.ए.	केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण	डी.ए.आर.ई.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
सी.एच.सी.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.	दीनदयाल अन्तोदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
सी.एच.सी.	सीमा शुल्क किराया केन्द्र	डी.बी.	डुइंग बिजनेस
सी.आई.सी.	प्रचलित मुद्रा	डी.बी.टी.	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
सी.आई.पी.	केन्द्रीय निर्गम मूल्य	डी.सी.आई.एल.	भारतीय तल कर्षण कार्पोरेशन लिमिटेड
सी.आई.आर.पी.	कारपोरेट इंसेलवेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया	डी.सी.पी.	विकेन्द्रीकृत प्रापण
सी.आई.एस.एफ.	सामुदायिक निवेश सहायता निधि	डी.सी.	नामित उपभोक्ता
सी.आई.टी.	कारपोरेट आयकर	डी.डी.यू.-जी.के.वाई.	पं दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
सी.एम.आई.ई.	भारतीय अर्थव्यवस्था मॉनीटरिंग केन्द्र	डी.डी.डब्ल्यू.एस.	पेयजल और स्वच्छता विभाग
सी.एन.ए.	केन्द्रीय नोडल एजेंसी	डी.ई.ए.	आर्थिक कार्य विभाग
सी.एन.एस.ए.	चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन	डी.एफ.आई.ए.	शुल्क मुक्त/निःशुल्क आयात प्राधिकार
सी.ओ.सी.	लेनदारों की समिति	डी.एफ.पी.डी.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
सी.ओ.एन.सी.ओ.आर.	भारतीय कंटेनर निगम	डी.जी., डब्ल्यू.टी.ओ.	महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन
सी.ओ.पी.	पक्षों का सम्मेलन	डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.	वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय
सी.पी.एफ.आई.	केन्द्रीय लोक वित्तीय संस्थान	डी.जी.एफ.टी.	विदेशी मुद्रा महानिदेशालय
सी.पी.आई.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	डी.जी.टी.आर.	व्यापार उपचार महानिदेशालय
सी.पी.आई.-ए.एल.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूर		

डी.एच.	जिला अस्पताल	ई.पी.एम.ओ.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
डी.आई.डी.एफ.	डेरी संसाधन एवं आधारभूत संरचना विकास निधि	ई.क्यू.यू.आई.पी. (इक्यूयूप)	शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशक कार्यक्रम
डी.आई.पी.ए.एम.	निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग	ई.एस.जी.	पर्यावरण, सामाजिक एवं अधिशासन
डी.एम.आर.सी.	दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन	ई.एम.आई.सी.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
डी.ओ.ई.	व्यय विभाग	ई.टी.सी.ए.	आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग करार
डी.ओ.एस.	डिपो ऑन लाइन सिस्टम	ई.टी.एफ.	विनिमय व्यापारित निधि
डी.पी.सी.ओ.	औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश	ई.यू.	यूरोपीय संघ
डी.पी.डी.	प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी	ई.यू.एस.	रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण
डी.पी.ई.	प्रत्यक्ष पत्तन प्रवेश	ई.वी.	विद्युत वाहन
डी.पी.आई.आई.टी.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	ई.एक्स.आई.एम.	निर्यात एवं आयात
डी.टी.ए.	घरेलू टैरिफ क्षेत्र	एफ.ए.ओ.	खाद्य एवं कृषि संगठन
डी.डब्ल्यू.टी.	कुल भार टनों में	एफ.सी.	वित्तीय ऋणदाता (क्रेडिटर)
ई.बी.आर.	बाह्य बजट संसाधन	एफ.सी.आई.	भारतीय खाद्य निगम
ई.सी.बी.सी.	ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता	एफ.डी.	राजकोषीय घाटा
ई.सी.बी.	बाहरी वाणिज्यिक ऋण	एफ.डी.आई.	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
ई.सी.जी.सी.	निर्यात उधार गारंटी कार्पोरेशन	एफ.एफ.सी.	चौदहवां वित्त आयोग
ई.सी.ओ.डब्ल्यू.ए.एस.	परिचमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय	एफ.एफ.ओ.	अगला निधि प्रस्ताव
ई.डी.ए.	उभरता एवं विकासशील एशिया	एफ.आई.डी.एफ.	मत्स्य एवं मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि
ई.डी.पी.	उद्यमिता विकास कार्यक्रम	एफ.आई.आई.	विदेशी संस्थागत निवेशक
ई.ई.	पात्र प्रतिष्ठान	एफ.एल.एफ.पी.आर.	महिला श्रमिक बल सहभागिता दर
ई.ई.जैड.	विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र	एफ.एम.सी.जी.	शीघ्र खप जाने वाली उपभोक्ता वस्तुएं
ई.एफ.टी.ए.	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ	एफ.एम.डी.	मुंह एवं खुर संबंधी बीमारी
ई.जी.सी.ए.	विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान	एफ.ओ.बी.	जहाज पर्यत निः शुल्क
ई.एच.एस.	अर्ली हारवेस्ट स्कीम (शीघ्र लाभ योजना)	एफ.पी.आई.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
ई.एच.टी.पी.	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क	एफ.पी.ओ.	अगला सार्वजनिक प्रस्ताव
ई.के.टी.ए.	एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीकी आयाम	एफ.आर.ए.	वैश्विक वन संसाधन निर्धारण
ई.एम.ई. (एकता)	उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएं	एफ.आर.बी.एम.	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
ई.एम.ओ.सी.	आपातकालीन प्रसूति देखभाल	एफ.एस.बी.	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
ई.-एन.ए.एम.	इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार	एफ.टी.ए.	मुक्त व्यापार समझौता
ई.ओ.यू.	निर्यातपरक इकाई	एफ.टी.पी.	विदेश व्यापार नीति
ई.पी.	अंतिम अवधि	एफ.वी.सी.आई.	विदेशी उद्यम पूंजी निवेश
ई.पी.सी.जी.	नियति संवर्धन पूंजीगत माल	एफ.डब्ल्यू.पी.आर.	महिला कामगार जनसंख्या अनुपात
		एफ.वाई.	वित्त वर्ष

जी.बी.	गिगाबाइट	एच.ई.एम.एम.	हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी
जी.सी.ए.	सकल फसल क्षेत्र	एच.एफ.सी.	आवास वित्त कंपनी
जी.सी.सी.	गल्फ सहकारी परिषद	एच.पी.सी.एल.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.
जी.सी.एफ.	सकल पूंजी निर्माण	एच.एस.	हार्मोनाइज्ड सिस्टम
जी.सी.एफ.	हरित जलवायु निधि	एच.एस.सी.सी.	अस्पताल सेवा परामर्श कार्पोरेशन
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद	आई. एण्ड एफ.सी.	सिंचाई एवं बाद नियंत्रण
जी.ई.एम.	सरकारी ई-मार्केट प्लेस	आई.बी.ए.	भारतीय बैंक संघ
जी.एफ.एस.आई.	वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक	आई.बी.बी.आई.	भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड
जी.जी.	गीगा ग्राम	आई.बी.सी.	दिवाला और शोधन अक्षमता कोड
जी.एच.जी.	ग्रीन हाउस गैस	आई.सी.	जीवन बीमा कंपनी
जी.आई.ए.एन.	शैक्षिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल	आई.सी.ए.	इंटर क्रेडिट करार
जी.आई.पी.	ग्रेजुएट इनसॉलवेंसी प्रोग्राम	आई.सी.ए.आर.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
जी.एन.आई.	सकल राष्ट्रीय आय	आई.सी.सी.	आंतरिक परिवार समिति
जी.एन.आई.ई.	सरकार ने अन्यत्र शामिल नहीं किया है।	आई.सी.डी.एस.	समेकित बाल विकास सेवाएं
जी.एन.पी.ए.	सकल अनर्जक परिसंपत्तियां	आई.सी.ई.डी.ए.एस.एच.	इंडियन कस्टम इज ऑफ डुइंग बिजनेस डेशबोर्ड
जी.पी.	ग्राम पंचायत	आई.सी.टी.	सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी
जी.एस.ए.	ग्राम स्वराज अभियान	आई.सी.बी.	आंतरिक दहन वाहन
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	आई.ई.बी.आर.	आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन
जी-सैक	सरकारी प्रतिभूतियां	आई.ई.एस.	ब्याज समकरण योजना
जी.एस.एम.	वैश्विक मोबाइल प्रणाली	आई.एफ.पी.आर.आई.	अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान
जी.एस.टी.	वस्तु एवं सेवा कर	आई.जी.एस.टी.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
जी.एस.टी.आई.एन.	वस्तु एवं सेवा कर संख्या	आई.आई.सी.ए.	भारतीय कोर्पोरेट कार्य संस्थान
जी.एस.टी.पी.	वैश्विक व्यापार अधिमान प्रणाली	आई.आई.पी.	औद्योगिक उत्पाद सूचकांक
जी.एस.टी.आर.	वस्तु एवं सेवा कर प्रतिलाभ	आई.एल.एफ.एस.	अवसंरचना लिजिंग एवं वित्तीय सेवाएं
जी.एस.वी.ए.	सकल राज्य मूल्य वर्धन	आई.एल.ओ.	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
जी.टी.	सकल टन भार	आई.एम.एफ.	अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष
जी.टी.आर.	सकल कर राजस्व	आई.एम.जी.	अंतर-मंत्रालय समूह
जी.वी.ए.	सकल मूल्य वर्धन	आई.एम.आर.	शिशु मृत्यु दर
जी.डब्ल्यू.	गीगावाट	आई.पी.सी.सी.	अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नामिका
एच.ए.	हेक्टेयर	आई.पी.ओ.	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
एच.डी.आई.	मानव विकास सूचकांक	आई.पी.आर.	बौद्धिक संपदा अधिकार
एच.डी.आर.	मानव विकास रिपोर्ट	आई.पी.एस.एफ.	संधारणीय वित्त संबंधी अंतरराष्ट्रीय मंच
एच.ई.एफ.ए.	उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी		

आई.पी.वी.	अक्रिय पोलियो वैक्सीन	एल.पी.आई.	संभरण निष्पादन सूचकांक
आई.आर.	भारतीय रेल	एल.एस.ए.एस.	जीवन रक्षा संवेदना हरण कौशल
आई.आर.सी.टी.सी.	भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन कार्पोरेशन	एल.यू.एल.यू.सी.एफ.	लैंडयूज, लैंड यूज चेंज एवं फरिस्ट्री
आई.आर.ई.डी.ए.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	एल.डब्ल्यू.ई.	चरमपंथ वामपंथी
आई.आर.एफ.	इंपल्स रेसपॉस फंक्शन	एम0	आरक्षित राशि
आई.आर.एफ.सी.	भारतीय रेल वित्त निगम	एम1	संकीर्ण मुद्रा
आई.आर.एम.	प्रारंभिक संसाधन जुटाना	एम.बी.	मेगाबाइट
आई.आर.एस.डी.सी.	भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम	एम.सी.	मंत्रालयी सम्मेलन
आई.एस.ए.	अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहसंबंध	एम.सी.आई.	भारतीय चिकित्सा परिषद
आई.एस.आर.ओ.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन	एम.सी.एल.आर.	निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत
आई.टी.बी.पी.एम.	सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन	एम.डी.बी.	बहुपक्षीय विकास बैंक
आई.टी.सी.	इनपुट कर ऋण	एम.डी.एफ.	सामान्य सघन वन
आई.टी.आई.	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	एम.डी.एम.	मध्याह्न योजना
आई.टी.आर.	आयकर विवरणी	एम.ई.आई.एम.	भारतीय से व्यापार निर्यात योजना
जे.ए.सी.	संयुक्त प्रशासनिक समिति	एम.ई.पी.	न्यूनतम निर्यात मूल्य
जे.एफ.एस.जी.	संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन समूह	एम.एफ.आई.एस.	सूक्ष्म वित्त संस्थाएं
जी.आई.पी.एम.ई.आर.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
जे.एस.ए.	जल शक्ति अभियान	एम.आई.डी.एच.	समाकलित बागवानी विकास मिशन
के.ए.एल.आई.ए.	आजीविका एवं आय के लिए कृषक सहायता	एम.आई.एफ.	सूक्ष्म सिंचाई निधि
के.सी.सी.	किसान क्रेडिट कार्ड	एम.एम.आर.	अधिकतम सीमांत दर
के.आई.ओ.सी.एल.	कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लि.	एम.एम.आर.	मातृ मृत्यु अनुपात
के.एम.एस.	खरीफ विपणन सत्र	एम.एम.टी.	मिलियन मीट्रिक टन
के.एस.टी.ए.	सूचना सहायता एवं तकनीकी सहायता	एम.एम.टी.पी.ए.	मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष
के.टी.आई.	कुन्टिज ट्राइपसिन इनहेबीटर	एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
के.वी.के.	कृषि विज्ञान केंद्र	एम.ओ.एच.यू.ए.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
के.डब्ल्यू.	किलोवाट	एम.ओ.एम.	माह-दर-माह
एल.ए.एफ.	तरलता समायोजन सुविधा	एम.ओ.पी.	म्यूरिट ऑफ पोटाश
एल.सी.सी.	स्थानीय शिकायत समिति	एम.ओ.आर.टी.एच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
एल.सी.आर.	नकदी कवरेज अनुपात	जेड.बी.एन.एफ.	शून्य बजट प्राकृतिक कृषि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एल.ई.डी.	लाइट इमिटिंग डायोड	एम.ओ.एस.पी.आई.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
एल.एफ.पी.आर.	श्रम भागीदारी दर	एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर.	उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रंखला विकास मिशन
एल.एच.एस.	बाई ओर		
एल.एम.टी.	लाख मीट्रिक टन		

सी.पी.सी.	मुद्रा नीति समिति	एन.सी.आई.पी.	राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल
एम.आर.	खसरा-जर्मन खसरा	एन.सी.एल.टी.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण
एम.आर.ओ.	अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल	एन.सी.टी.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एम.आर.पी.	अधिकतम खुदरा मूल्य	एन.सी.टी.एफ.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद
एम.एस.डी.ई.	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	एम.सी.टी.एम.	राष्ट्रीय व्यापार सुगमता समिति
एम.एस.ई.	सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम	एम.डी.ए.	निवल घरेलू परिसंपत्तियां
एम.एस.एम.	सीमांत स्थायी सुविधा	एन.डी.सी.	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम	एन.ई.ए.टी.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शैक्षिक सहयोग
एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य	एन.ई.ई.पी.सी.ओ.	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एम.एस.एस.	बाजार स्थायीकरण योजना	एन.ई.ई.टी.	राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
एम.टी.	मिलियन टन	एन.ई.एम.एम.पी.	राष्ट्रीय विद्युत संरचना मिशन योजना
एम.टी.	मीट्रिक टन	एन.ई.आर.	निवल प्रवेश अनुपात
एम.टी.एफ.पी.	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति	एन.ई.आर.	नामिक विनिमय दर
एम.टी.एम.	बाजार-से-बाजार	एन.एफ.ए.	निवल विदेशी परिसंपत्तियां
एम.टी.एन.एल.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	एन.एफ.एस.एम.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एम.टी.ओई.	तेल समानक के मिलियन टन	एन.एफ.एस.ए.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एम.टी.पी.ए.	मिलियन टन प्रति वर्ष	एन.एफ.ई.ई.	सकल विदेशी विनिमय आय
एम.यू.डी.आर.ए.	सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त पोषण एजेंसी लि.	एन.जी.टी.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण
एम.डब्ल्यू.	मेगावाट	एन.एच.	राष्ट्रीय राजमार्ग
एन. ए. बी.ए.आर. डी.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण अनुकूलन निधि	एन.एच.ए.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा
एन.ए.एफ.सी.सी.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	एन.एच.ए.आई.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एन.ए.एफ.ई.डी.	भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ	एन.एच.बी.	राष्ट्रीय आवासन बैंक
एन.ए.एफ.टी.ए.	उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता	एन.एच.एम.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एन.ए.पी.सी.सी.	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना	एन.आई.एफ.ए.पी.	राष्ट्रीय देशीय मत्स्य ग्रहण और जल-कृषि नीति
एन.ए.एस.ए.	राष्ट्रीय विमानन एवं अंतरिक्ष प्रशासन	एन.आई.आई.पी.	निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति
एन.ए.एस.सी.ओ.एम.	राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ	एन.आई.एम.एच.	राष्ट्रीय शिशु स्वास्थ्य संस्थान
एन.बी.एफ.सी.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	एन.आई.एन.एल.	नीलांचल इस्पात निगम लि.
एन.सी.सी.एफ.	राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ	एन.आई.ओ.एस.एच.	राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय संस्थान
एन.सी.डी.सी.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	एन.आई.पी.	राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
एन.सी.डी.	असंक्रमणीय रोग	एन.आई.एस.एच.टी.एच.ए.	विद्यालय प्रमुखों एवं अध्यापकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल
एन.सी.ई.यू.एस.	असंगठित क्षेत्र में उपक्रमों के लिए राष्ट्रीय आयोग	एन.एल.ई.	नोडल ऋण प्रतिष्ठान
		एन.एल.ई.एम.	अनिवार्य दवाईयों की राष्ट्रीय सूची

एन.एम.ई.ई.ई.	राष्ट्रीय विस्तारित ऊर्जा दक्षता मिशन	पी. ई.	अर्नातिम प्राक्कलन
एन.एम.ओ.ओ.पी.	राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम तेल मिशन	पी.ई.	निजी इक्विटी
एन.एम.एस.ए.	संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन	पी.ई.जी.	निजी उद्यमिता गारंटी
एन.पी.ए.	अनर्जक आस्तियां	पी.एच.सी.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
एन.पी.सी.सी.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	पी.के.वी.वाई.	परंपरागत कृषि विकास योजना
एन.पी.पी.ए.	राष्ट्रीय औषधि कीमत निर्धारण प्राधिकरण	पी.एल.	व्यक्तिगत ऋण
एन.पी.एस.	राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था	पी.एल.एफ.एस.	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
एन.आर.सी.	राष्ट्रीय संसाधन केंद्र	पी.एम.किसान	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
एन.आर.आई.	अनिवासी भारतीय	पी.एम. 10	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर
एन.एस.डी.एल.	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड	पी.एम. 2.5	फाइन पार्टिकुलेट मेटर
एन.एस.ओ.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय	पी.एम.ए.वाई.	प्रधानमंत्री आवास योजना
एन.एस.एस.एफ.	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	पी.एम.ए.वाई.जी.	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
एन.एस.एम.एफ.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	पी.एम.ए.वाई.एस.	प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
एन.एस.एस.ओ.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय	पी.एम.ए.वाई.यू.	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण शहरी
एन.एस.एस.ओ.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	पी.एम.सी.	परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता
एन.टी.एफ.ए.पी.	राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना	पी.एम.एफ.वी.वाई.	प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यालय
एन.टी.टी.	व्यापार की निवल शर्तें	पी.एम.ई.जी.पी.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
एन.यू.एच.एफ.	राष्ट्रीय शहरी आवास निधि	पी.एम.आई.	क्रय प्रबंधकों की सूची
एन.यू.आई.एच.	राष्ट्रीय शहरी नवाचार हब	पी.एम.-किसान	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
एन.जी.वी.	राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गदर्शी सिद्धांत	पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
ओ.डी.एफ.	खुले में शौच मुक्त	पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
ओ.डी.एम.एम.	ऑनलाइन डिपो प्रबंधन व्यवस्था	पी.एम.के.एस.वाई.- पीडीएमसी	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल
ओ.ई.सी.डी.	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन	पी.एम.के.वी.वाई.	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
ओ.एफ.	अनावृत वन	पी.एम.एम.एम.एन.- एम.टी.टी.	पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापन और अध्ययन मिशन
ओ.एफ.एस.	बिक्री प्रस्ताव	पी.एम.एम.एस.वाई.	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
ओ.एच.एस.	व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं,	पी.एम.एम.वाई.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
ओ.एम.ओ.	खुला बाजार परिचालन	पी.एम.यू.वाई.	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
ओ.एम.एस.एस.	खुला बाजार बिक्री योजना	पी.ओ.एल.	पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक
ओ.ओ.पी.ई.	आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर	पी.ओ.एस.	बिक्री केन्द्र
ओ.एस.सी.	वन स्टॉप सेटर	पी.पी.ए.सी.	पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ
पी.	अर्नातिम		
पी.ए.	अर्नातिम वास्तविक		
पी.सी.वी.	न्यूमोकोकल कांग्जुगेट वैक्सीन		

पी.पी.पी.	सरकारी निजी भागीदारी	आर.वी.एन.एल.	रेल विकास निगम लिमिटेड
पी.एस.	मुख्य स्थिति	आर.वी.वी.	रोटा वाइरस वैक्सिन
पी.एस.	प्राथमिक स्थिति	आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना
पी.एस.बी.	सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक	एस.एंड.टी.	वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय
पी.एस.बी.	सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक	एस.ए.	अग्रिम तनाव
पी.एस.ई.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	एस.ए.ए.आर.सी.	दक्षिणी एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन
पी.एस.एफ.	मूल्य स्थिरीकरण कोष	एस.ए.सी.यू.	दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	एस.ए.एफ.टी.ए.	दक्षिण एशियायी मुक्त व्यापार क्षेत्र
पी.टी.ए.	तरजीही व्यापार समझौता	एस.ए.पी.टी.ए.	सार्क विशेष व्यापार समझौता
पी.वी.बी.	निजी क्षेत्र बैंक	एस.ए.यू.बी.एच.ए.जी.वाई.ए.	सहज बिजली हर घर योजना
क्यू. ई.	त्वरित अनुमान	एस.बी.एम.	स्वच्छ भारत मिशन
क्यू. आई. पी.	सर्शत संस्थागत नियोजन	एस.बी.एम.-जी.	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण
क्यू.टी.एल.	क्विंटल	एस.सी.	अनुसूचित जाति
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक	एस.सी.बी.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
आर. डी.	राजस्व घाटा	एस.सी.आई.	भारतीय जहाजरानी निगम
आर.ई.	संशोधित प्रॉक्कलन	एस.सी.एम.	स्मार्ट सिटी मिशन
आर.ई.सी.	ग्रामीण विद्युतिकरण निगम लिमिटेड	एस.डी.जी.	संधारणीय जहाज रानी निगम
आर.ई.ई.आर.	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर	एस.सी.एम.	स्मार्ट सिटी मिशन
आर.ई.एम.एस.	राष्ट्रीय ई मार्केट सेवाएं	एस.डी.जी.	संधारणीय विकास लक्ष्य
आर.एफ.आई.डी.	रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन	एस.डी.एच.	उप जिला अस्पताल
आर.जी.एम.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	एस.डी.एम.एस.	कौशल विकास प्रबंध प्रणाली
आर.एच.एस.	दाहिने ओर	एस.डी.आर.	विशेष आहरण अधिकार
आर.आई.टी.ई.एस.	रेलवे अवसंरचना तकनीकी एवं आर्थिक सेवाएं	एस.ई.बी.आई.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
आर.के.वी.वाई.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	एस.ई.आई.एस.	इंडिया स्कीम से सेवा निर्यात
आर.एम.के.	राष्ट्रीय महिला कोष	एस.एच.सी.	उप-स्वास्थ्य केंद्र
आर.एम.एस.ए.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	एस.एच.जी.	स्व सहायता समूह
आर.ओ.ए.	आस्तियों पर परिलाभ	एस.आई.डी.बी.आई.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
आर.ओ.डी.टी.ई.पी.	निर्यात उत्पाद पर शुल्कों का विप्रेषण या कर	एस.आई.ओ.एन.	मानक आगत निर्गत मानदंड
आर.ओ.ई.	इक्विटी पर लाभांश	एस.एल.ए.सी.	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति
आर.पी.एल.	पूर्व सिखलाई की मान्यता	एस.एल.आर.	सांविधिक नकदी अनुपात
आर.आर.आर.	रिवर्स रेपो रेट	एस.एल.एस.एम.सी.	राज्यस्तरीय स्वीकृति और मानिटरन समिति
आर.एस.ए.	पुनर्गठित मानक अग्रिम	एस.एम.ए.एम.	कृषि मशीनीकरण उपमिशन
आर.टी.ई.	शिक्षा का अधिकार	एस.आर.आई.	चावल गहनीकरण प्रणाली
आर.यू.एस.ए.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	एस.एस.	सहायक स्थिति

एस.एस.	गौण स्थिति	यू.5एम.आर.	5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर
एस.एस.ए.	सर्व शिक्षा अभियान	यू.ए.ई.	संयुक्त अरब अमीरात
एस.एस.सी.	सेक्टर कौशल परिषद	यू.डी.ए.एन.	उड़े देश का आम नागरिक
एस.टी.	अनुसूचित जनजाति	यू.डी.ए.वाई.	उज्ज्वल डिसकोम आश्वासन योजना
एस.टी.पी.	सोफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क	यू.डी.आई.एस.ई.	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना व्यवस्था
एस.टी.टी.	प्रतिभूमि लेनदेन कर	यू.ई.डी.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क
एस.टी.टी.	अल्पकालीन प्रशिक्षण	यू.जे.ए.एल.ए.	सभी के लिए किफायती एलईडी एवं उपकरणों द्वारा उन्नत जीवन
एस.डब्ल्यू.सी.	राज्य भंडारण निगम	यू.एन.	संयुक्त राष्ट्रसंघ
एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी.	व्यापार सुविधा के लिए एकल खिड़की इंटरफेस	यू.एन.सी.सी.डी.	संयुक्त राष्ट्र मरूस्थली रोधन सम्मेलन
टी.बी.	राजकोष बिल	यू.एन.सी.टी.ए.डी.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
टी.सी.आई.एल.	टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड	यू.एन.डी.ई.ए.स.ए.	संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग
टी.सी./टी.पी.	प्रशिक्षण केंद्र/प्रशिक्षण प्रदाता	यू.एन.ई.एस.सी.ए.पी.	एशिया और पेरिफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (कमिशन)
टी.डी.जी.वी.ए.	पर्यटन प्रत्यक्ष सकल मूल्यवर्धन	यू.एन.एफ.सी.सी.सी.	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन
टी.डी.एस.	स्रोत पर कर की कटौती	यू.एस.ए.	संयुक्त राज्य अमेरिका
टी.ई.	अध्यापक शिक्षण	यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
टी.ई.सी.	प्रौद्योगिकी कार्यकारी समिति	वी.ए.आर.	वैक्टर आटोरिगेशन
टी.ई.पी.ए.	व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता	वी.डी.एफ.	अति सघन वन
टी.ई.व्यू.आई.पी.	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	वी.आई.आई.आर.एस.	विजिबल इंफ्रारैड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट
टी.एफ.ए.	व्यापार सुविधा समझौता	डब्ल्यू.ए.एल.आर.	भारित औसत ऋण दर
टी.एफ.आर.	सकल उर्वरता दर	डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस.	जल और विद्युत परामर्शी सेवाएं
टी.एच.डी.सी.आई.एल.	टिहरी जल विद्युत विकास निगम	डब्ल्यू.ई.एफ.	विश्व आर्थिक फॉरम
टी.आई.ई.एस.	निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसररचना	डब्ल्यू.ई.ओ.	विश्व आर्थिक परिदृश्य
टी.एम.ए.	परिवहन और विपणन सहायता	डब्ल्यू.एच.एल.	महिला सहायता योजना
टी.एम.आर.	व्यापार अंतराल युक्तिकरण	डब्ल्यू.आई.एम.	वारसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र
टी.ओ.आई.	निगम कर के अलावा आय पर कर	डब्ल्यू.पी.आई.	थोक मूल्य सूचकांक
टी.ओ.टी.	व्यापार की शर्तें	डब्ल्यू.टी.ओ.	विश्व व्यापार संगठन
टी.पी.डी.	टन प्रतिदिन	वाई.ओ.वाई.	वर्ष दर वर्ष
टी.पी.डी.एस.	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	जेड.बी.एन.एफ.	शून्य बजट प्राकृतिक कृषि
टी.पी.आर.यू.	कर नीति अनुसंधान एकक		
टी.आर.ई.डी.एस.	व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक बट्टा प्रणाली		
टी.एस.पी.	दूरसंचार सेवा प्रदाता		

2020-21 अर्थव्यवस्था की स्थिति: एक वृहद दृष्टिकोण

பருவத்தோ டொட்ட வெழுக்கல் திருவினைத்
தீராமையாக்குங் கயிறு

“सही समय पर सही काम करना ऐसी आदत है जिससे व्यक्ति
जीवन में असीमित सफलता प्राप्त कर सकता है।”

-तिरूकुरल, अध्याय-49, श्लोक 482

नोवल कोविड-19 वायरस ने वर्ष 2020 में दुनिया को अव्यवस्था में डालकर सभी के लिए भय का माहौल सृजित करके उनके आवागमन, सुरक्षा और सामान्य जीवन को प्रभावित किया। इसने, भारत और दुनिया के लिए एक सदी में सबसे विकट आर्थिक चुनौती पेश की। इलाज या वैक्सिन के बिना, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति इस व्यापक संकट से निपटने के लिए केंद्रीय बन गई। रोग के वक्र को समतल करने की अनिवार्यता को आसन्न मंदी की आजीविका लागत के साथ जोड़ा गया था, जो महामारी को रोकने के लिए आवश्यक लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में प्रतिबंधों से निकला था। इस अंतर्निहित व्यापार-बंद ने 'जीवन बनाम आजीविका' की नीति दुविधा को जन्म दिया।

दुनिया भर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने के लिए नीतिगत उपकरणों की एक श्रृंखला तैनात की जैसे कि प्रमुख नीतिगत दरों को कम करना, मात्रात्मक सहजता के उपाय, ऋण की गारंटी, नकद हस्तांतरण और राजकोषीय प्रोत्साहन के उपाय। भारत ने महामारी के विघटनकारी प्रभाव को पहचान लिया और देश में प्रसार के कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अपनी विशाल पथ, उच्च जनसंख्या घनत्व और स्वास्थ्य अवसंरचना पर अत्यधिक भार को देखते हुए अपने स्वयं के अनूठे पथ के अनुमानों के चार्ट बनाए।

जैसा कि खंड 1 के अध्याय 1 में दिखाया गया है, महामारी की शुरुआत में लागू तीव्र लॉकडाउन-जब भारत में केवल 100 पुष्टि की गई मामले थे-कई मायनों में भारत की अनूठी प्रतिक्रिया की विशेषता। सबसे पहले, नीति प्रतिक्रिया महामारी विज्ञान और आर्थिक अनुसंधान दोनों के निष्कर्षों से प्रेरित थी। विशेष रूप से, महामारी के संभावित प्रसार के बारे में भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, नीति ने Hansen और Sargent (2001) के नोबेल-पुरस्कार विजेता अनुसंधान को लागू किया है जो सबसे खराब स्थिति में नुकसान को कम करने पर केंद्रित नीति की सिफारिश करता है। एक अभूतपूर्व महामारी के साथ सामना, सैकड़ों मानव जीवन की हानि ने इस सबसे खराब स्थिति को पकड़ लिया। इसके अलावा, महामारी विज्ञान अनुसंधान ने एक ऐसे देश में विशेष रूप से एक प्रारंभिक, कड़े लॉकडाउन के

महत्व पर प्रकाश डाला, जहां उच्च जनसंख्या घनत्व ने सामाजिक दूरी के संबंध में कठिनाइयों का सामना किया। इसलिए, भारत की नीति मानवीय प्रतिक्रिया जिसने मानव जीवन को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया, ने स्वीकार किया कि प्रारंभिक, कड़े लॉकडाउन के अल्पकालिक कठिनाई ने बचाये जीवन में और आर्थिक सुधार की गति में दीर्घकालिक लाभ होगा। सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा चुकी हैं और वी-आकार की आर्थिक रिकवरी देखी जा रही है-जो प्रारंभिक लॉकडाउन के प्रभाव के कारण है-दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक कठिनाई लेने में भारत के साहस की गवाही है।

दूसरा, भारत ने माना कि महामारी अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग दोनों को प्रभावित करती है। सुधारों का मोड़-सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच फिर से अद्वितीय-यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि लॉक-डाउन के दौरान आपूर्ति-संबंधी व्यवधान, जो अपरिहार्य थे, मध्यम से दीर्घावधि में कम से कम हो। मांग पक्ष की नीति ने इस समझ को प्रतिबिंबित किया कि समग्र मांग, विशेष रूप से गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए, बचत करने के लिए निवारक उद्देश्यों को दर्शाती है, जो समग्र अनिश्चितता अधिक होने पर अनिवार्य रूप से उच्च रहता है। इसलिए, महामारी के शुरुआती महीनों के दौरान जब अनिश्चितता अधिक थी और लॉकडाउन ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, भारत ने विवेकाधीन खपत को बढ़ाने की कोशिश में कीमती वित्तीय संसाधनों को बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय, नीति ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है, जिसमें कमजोर वर्गों के लिए प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण और 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम शामिल है। भारत सरकार ने भी रोजगार को बनाए रखने और देनदारियों को पूरा करने में मदद करके तनावग्रस्त क्षेत्रों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू की।

अनलॉक चरण के दौरान, जब अनिश्चितता में गिरावट आई और एक तरफ सब्सिडी बचत करने के लिए एहतियाती मकसद था, एक ओर आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, दूसरी ओर, भारत ने अपने राजकोषीय खर्च में वृद्धि की। एक अनुकूल मौद्रिक नीति ने मौद्रिक नीति संचरण को करते हुए अस्थायी नैतिकता के माध्यम से देनदारों को प्रचुर मात्रा में तरलता और तत्काल राहत सुनिश्चित की। इस प्रकार, भारत की मांग-पक्ष नीति इस विचार को रेखांकित करती है कि त्वरक पर दबाव डालते समय ब्रेक को दबाया जाता है, जिसमें केवल अपशिष्ट ईंधन होता है।

भारत सितंबर के मध्य में अपने मामले में, महामारी विज्ञान वक्र को समतल करने के लिए प्रबंधन किया दूसरी लहर से बचने में सक्षम रहा है। जैसा कि खंड 1 के अध्याय 1 में दिखाया गया है, प्रारंभिक कठोर लॉकडाउन जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण था और V के आकार की आर्थिक प्राप्ति हुई। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट और भाग्यवादियों ने भारत के आगे और पीछे की नीतिगत प्रतिक्रियाओं के सिंसिफस भाग्य से बच निकलने को जारी रखा, जिससे अर्थव्यवस्था का लगातार अनलॉक हो रहा है। जैसा कि अनुमान था, जबकि लॉकडाउन में Q1 में जीडीपी में 23 प्रतिशत का संकुचन हुआ, रिकवरी में V के आकार का है, जो कि क्यू 2 में 7.5: की गिरावट और सभी प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार के रूप में देखा गया है। जुलाई से, एक लचीली V के आकार

की रिकवरी शुरू हो रही है, जैसा कि Q1 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में रिकवरी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, Q1 में तेज गिरावट के बाद, उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे बिजली की मांग, ई-वे बिल, जीएसटी संग्रह, स्टील में निरंतर पुनरुत्थान, खपत, आदि का शासनकाल अंतर्राज्यीय आंदोलन और रिकॉर्ड-उच्च मासिक जीएसटी संग्रह ने औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के अनलॉक होने को चिह्नित किया है। वाणिज्यिक पत्र जारी करने में तेज वृद्धि, पैदावार में आसानी, और MSMEs के लिए मजबूत ऋण वृद्धि ने उद्यमों के जीवित रहने और बढ़ने के लिए ऋण प्रवाह में सुधार किया। निर्यात की तुलना में आयात अधिक तेजी से हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार 18 महीने के आयात को कवर करता है। मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से खाद्य कीमतों से प्रेरित, वर्ष के अधिकांश के लिए 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रही; दिसंबर में नरमी से आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करने में आसानी हुई।

वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 7.7 प्रतिशत की कमी का अनुमान है, पहली छमाही में 15.7 प्रतिशत की गिरावट और दूसरी छमाही में मामूली 0.1 प्रतिशत की गिरावट। सेक्टर-वार, कृषि चांदी के अस्तर के रूप में बनी हुई है, जबकि संपर्क-आधारित सेवाएं, विनिर्माण, निर्माण सबसे कठिन थे, और लगातार ठीक हो रहे हैं। सरकारी खपत और शुद्ध निर्यात ने विकास को नीचे गिरा दिया है।

V आकार के आर्थिक सुधार को एक मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ सेवा क्षेत्र में एक मजबूत वसूली की उम्मीद है। साथ में, उपभोग और निवेश में मजबूत वृद्धि की संभावनाओं को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास के साथ 11 प्रतिशत पर फिर से शुरू किया गया है। भारत की इस संकट के लिए “सदी में एक बार” परिपक्व नीति प्रतिक्रिया इस प्रकार मायोपिक नीति से बचने के लिए लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है और दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करने के महत्वपूर्ण लाभों को प्रदर्शित करती है।


1.1 वर्ष 2020 में नए कोविड-19 वायरस और एक सदी में आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरती हुई महामारी के साथ बेजोड़ उथल-पुथल देखी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 30 जनवरी, 2020 को कोविड-19 को ‘अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल’ (PHEIC) घोषित किया और सलाह दी कि सभी देशों को नियंत्रण के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें सक्रिय निगरानी, शीघ्र पहचान, अलगाव और मामले प्रबंधन, संपर्क अनुरेखण और आगे की प्रसार की रोकथाम शामिल हैं। दैनिक मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि ने WHO को 11 मार्च, 2020 को इस प्रकोप को ‘सर्वव्यापी महामारी’ शीर्षक देने के लिए मजबूर किया - इसके उद्भव के तीन महीने की अवधि के भीतर दुनिया भर में 10 करोड़ से अधिक पुष्ट मामलों और 2 लाख से अधिक मौतों के साथ संसर्ग अभी भी फैल रहा है। आगामी झटके अपने आकार और अनिश्चितता के संदर्भ में बेहद अपरंपरागत रहे हैं, इसके प्रभाव से लॉकडाउन की तीव्रता, आपूर्ति श्रृंखला की सीमा और वित्तीय बाजार में बाधाएं जैसे संबद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के साथ अप्रत्याशित प्रभाव पर निर्भर हैं। अर्थव्यवस्था और समाज के लगभग हर वर्ग पर इसके व्यापक प्रभावों में महामारी अद्वितीय रही है।

महामारी का प्रसार

वैश्विक प्रसार

1.2 वुहान, चीन में इसके पहले प्रकोप के बाद से, कोविड-19 ने अंटार्कटिका (दिसंबर, 2020 में) और 220 से अधिक देशों सहित सभी महाद्वीपों को संक्रमित किया है। स्वास्थ्य का झटका, हालांकि वैश्विक है, कुल संक्रमण, मृत्यु दर और वसूलियों के मामले में देशों में विभिन्न प्रक्षेप पथ के माध्यम से प्रेषित किया गया है। महामारी के प्रारंभिक चरणों में, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम यूरोपीय क्षेत्र की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (AE) कुल मामलों और कुल मौतों (चित्र 1) के 70 प्रतिशत से अधिक के साथ असंगत रूप से प्रभावित थीं। ब्राजील, भारत, मैक्सिको, रूस और तुर्की जैसे उभरते बाजार और कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में भी महामारी तेजी से बढ़ी है, जो अब कुल मामलों और कुल मौतों का लगभग 50 प्रतिशत है। हाल के महीनों में, एक दोहराने की लहर के बीच AEs-विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरो क्षेत्र के देशों ने मामलों की बढ़ती हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार है; EMDEs में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्रों में इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। यह स्पष्ट है कि महामारी से AEs प्रभावित हुए हैं।



चित्र 1: कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रसार में रुझान



स्रोत: WHO, सर्वेक्षण गणना

1.3 महामारी का प्रसार तरंगों में हुआ है जैसा कि चित्र 2 में स्पष्ट है। AEs अपनी तीसरी तरंगों का अनुभव कर रहे थे, दोनों मामलों और मौतों के मामले में, वर्ष के अंत में जबकि EMDEs (चीन और भारत को छोड़कर) अपनी दूसरी लहरों का सामना कर रहे थे। चीन ने फरवरी, 2020 में मामलों की पहली लहर का अनुभव किया जिसके बाद वह प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम हुआ। भारत ने सितंबर, 2020 तक अपनी पहली लहर का अनुभव किया, जिसके बाद वह प्रभावी रूप से प्रसार का प्रबंधन करने में सक्षम हो गया-अब तक दूसरी लहर से बचा है।

चित्र 2: कोविड-19 संक्रमण तरंगें




स्रोत: WHO से डेटा का उपयोग करके सर्वेक्षण गणना

नोट: डेटा 31 दिसंबर, 2020 तक है।

1.4 EMDEs (चित्र 3) की तुलना में AEs प्रति व्यक्ति आधार पर उच्च पुष्टि वाले मामलों और मौतों का गवाह है। AEs में तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में 5.3 गुना से अधिक होने के साथ अधिक घातक साबित हुई है और दिसंबर में ही पहली लहर के दौरान के स्तर को पार कर गई है।

चित्र 3: देशों में प्रति व्यक्ति कोविड-19 केस लोड




स्रोत: WHO से डेटा का उपयोग करके सर्वेक्षण गणना

नोट: डेटा 31 दिसंबर, 2020 तक है।

भारत में महामारी का प्रसार

1.5 भारत ने मार्च-अप्रैल-, 2020 में महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान एक कठोर राष्ट्रव्यापी तालाबंदी लागू की, जिसके बाद क्रमिक उपायों को शामिल किया गया और रोकथाम उपायों को चरणबद्ध किया गया। भारत ने 17 सितंबर, 2020 को 11.12 लाख सक्रिय मामलों के साथ सितंबर के मध्य में अपनी चोटी को पार किया और 16 सितंबर, 2020 (चित्र 4 (क)) पर 97,860 दैनिक नए मामले। इसके बाद, त्योहारी सीजन और सर्दियों के मौसम की शुरुआत के बावजूद जनवरी, 2021 में नए मामले घटकर 16,000 से भी कम हो गए हैं। भारत में पुष्टि किए गए मामलों ने 1.06 करोड़ से अधिक को छू लिया है, जो दुनिया के कुल मामले के लगभग 11 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व स्तर पर नए मामलों में भारत का हिस्सा सितंबर, 2020 में 31 प्रतिशत से घटकर दिसंबर, 2020 में 4 प्रतिशत हो गया है। मई, 2020 में 12 दिनों से दिसंबर, 2020 तक 249 दिनों तक बढ़ रहे मामलों के दोगुने समय के साथ प्रसार की गति को नियंत्रित किया गया है, (चित्र 4 बी)।



चित्र 4: भारत में कोविड-19 का प्रसार



स्रोत: <https://www.covid19india.org/> ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH & FW) से एक्सेस किया गया डेटा नोट: दुगने होने के दर को $\ln 2 / \text{सद} (1 + r)$ के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां r संचयी मामलों में वृद्धि के पिछले सात दिनों का औसत है।

1.6 महामारी का प्रारंभिक प्रसार प्रमुख रूप से देश के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र तक सीमित था, जिसमें क्रमशः 42 और 22 प्रतिशत का योगदान था (चित्र 5)। दूसरी ओर, जुलाई, 2020 के बाद से दक्षिणी क्षेत्र की हिस्सेदारी में तेज वृद्धि देखी गई, इस क्षेत्र में औसतन प्रति माह नए मामलों का एक तिहाई से अधिक हिस्सा होता है। पूर्वी और मध्य क्षेत्र प्रत्येक वर्ष के दौरान क्रमशः कुल मामलों का 10 प्रतिशत का गठन किया। सभी क्षेत्रों, उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर, दिसंबर (चित्र 5 ख) तक संक्रमण की एक एकल लहर का अनुभव किया। अक्टूबर और नवंबर के दौरान त्योहारी सीजन के कारण उत्तरी क्षेत्र में संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। प्रति व्यक्ति शर्तों के अनुसार, दक्षिणी क्षेत्र में प्रति लाख 1226 मामलों में अधिकतम केस लोड था, इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में 1124 मामले प्रति लाख थे; पूर्वी क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2020 (चित्र 5 सी) के अनुसार प्रति लाख 342 मामलों में सबसे कम केस लोड था।

चित्र 5: भारत में क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार में रुझान





स्रोत: <https://www.Covid19india.org/>, MoH और FW से डेटा एक्सेस किया गया

नोट: डेटा 31 दिसंबर, 2020 तक है। ज़ोन को ज़ोनल काउंसिल के अनुसार परिभाषित किया गया है।

1.7 भारत में 31 दिसंबर, 2020 तक कुल मृत्यु 1.48 लाख थी, जिसमें देश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में होने वाले 50 प्रतिशत से अधिक घातक परिणाम थे। महामारी के दौरान, महाराष्ट्र भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य रहा है (चित्र 6 ए)। उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में मृत्यु (चित्र 6 ब) के संदर्भ में एकल लहर का अनुभव हुआ। उत्तरी क्षेत्र में तीन मौत की लहरें देखी गईं, दूसरी लहर सबसे घातक साबित हुई क्योंकि पहली लहर के दौरान मौतें 1.7 गुना अधिक थीं। प्रति व्यक्ति की दृष्टि से, पश्चिमी क्षेत्र 27 लाख प्रति लाख मौतों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रहा है, इसके बाद उत्तरी क्षेत्र में 13 मौतें प्रति लाख (चित्र 6ब) हैं। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जोन में प्रति व्यक्ति मृत्यु दर क्रमशः 6 और 4 प्रति लाख मौतों में कम रही है।

चित्र 6: भारत के क्षेत्रों में कोविड-19 की मौतों के रुझान



स्रोत: <https://www.Covid19india.org/>, MoH और FW से डेटा एक्सेस किया गया


नोट: डेटा 31 दिसंबर, 2020 तक है

ज़ोन को ज़ोनल कार्डसिल के अनुसार परिभाषित किया गया है।

परीक्षण में तेजी लाना

1.8 समय पर पहचान, शीघ्र अलगाव और प्रभावी उपचार की दिशा में पहले कदम के रूप में, प्रभावी परीक्षण को संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में पहचाना गया था। महामारी की एक विशेषता है, जो अपने डाह को बढ़ाती है, असिमटोमैटिक लोगों द्वारा इसका संभावित संचरण था। इसलिए, बड़े पैमाने पर परीक्षण मामलों की त्वरित पहचान के लिए जरूरी था, प्रसार और समय पर उपचार को रोकने के लिए तत्काल अलगाव। यह प्रभावी संपर्क अनुरेखण और भावी मामलों के समय पर अलगाव में भी मदद करेगा। परीक्षण नीति लगातार विकसित हो रही है क्योंकि देशों के साथ महामारी की शुरुआत तेजी से फैलने की गति (चित्र 7) को रोकने के लिए परीक्षण क्षमता बढ़ा रही है।

चित्र 7: पूरी दुनिया में परीक्षण की तीव्रता




स्रोत: WHO

नोट: “सार्वजनिक परीक्षण खोलें” आक्रामक परीक्षण है; “परीक्षण यदि लक्षण” किसी को भी जो कोविड-19 लक्षण दिखाता है, परीक्षण करने के लिए संदर्भित करता है; “सीमित परीक्षण” तब होता है जब कोई व्यक्ति लक्षण दिखा रहा हो और चिकित्सा कार्यकर्ता, विदेश यात्रा आदि जैसे निर्धारित मानदंडों को पूरा करता हो।

1.9 प्रति लाख और कुल मामलों के प्रति परीक्षण के विश्लेषण से पता चलता है कि यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, जर्मनी, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और पेरू जैसे देशों को और अधिक परीक्षण करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रति लाख मामले परीक्षण किए गए परीक्षणों के सापेक्ष उच्चतर हैं। (8)। अमेरिका एक बहिर्मुखी है क्योंकि 31 दिसंबर, 2020 तक इसका प्रति लाख और उच्च केस लोड प्रति लाख, दोनों उच्च परीक्षण है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे खराब प्रभावित देश होने के बावजूद वैश्विक औसत मामलों में नीचे है।

चित्र 8: कुल टेस्ट बनाम पुष्टि मामले प्रति लाख




स्रोत: WHO

नोट: डेटा 31 दिसंबर 2020 तक है

1.10 भारत ने तेजी से अपनी क्षमता बढ़ाई। जनवरी 2020 में, भारत में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोविड-19 के लिए केवल एक प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया था। आज देश भर में 2300 से अधिक प्रयोगशालाएँ हैं, जो इसके निदान के लिए आणविक परीक्षण करती हैं—भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है। भारत ने परीक्षण आधारीक संरचना के विस्तार पर एक समर्पित जोर के साथ दैनिक परीक्षणों के संचालन में जबरदस्त प्रगति दिखाई है। “टेस्ट, ट्रेक एंड ट्रीट” रणनीति पर ध्यान देते हुए, भारत ने 31 दिसंबर, 2020 तक संचयी टैस्ट पॉजिटिव दर के साथ लगभग 18.5 करोड़ संचयी कोविड-19 नमूनों का परीक्षण किया है।

चित्र 9: भारत में परीक्षण की शुरूआत



स्रोत: MoH&FW

1.11 कोविड-19 के संचरण और घातकता की अभूतपूर्व गति ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट को जन्म दिया, जिसके कारण 10 करोड़ से अधिक पुष्ट मामलों और 21 लाख से अधिक मृत्यु दर के एक विशाल मानव हताहत का सामना करना पड़ा। शक्तिशाली इलाज और निवारक वैक्सिन की अनुपलब्धता को देखते हुए, यह जरूरी था कि विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करके प्रसार को समाहित किया जाए। हालाँकि, इसने दुनिया भर की सरकारों के समक्ष महत्वपूर्ण नीतिगत दुविधाएँ प्रस्तुत कीं।

नीति दुविधा अंतर्निहित कोविड-19


‘जीवन बनाम आजीविका’

1.12 महामारी के तेजी से प्रसार को देखते हुए, तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की प्राथमिकता थी, ‘महामारी विज्ञान वक्र को फैलाने’ के प्रभाव को कम करने के लिए (अध्याय 1, खंड -1, आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21 में बॉक्स 1 का संदर्भ लें)। “वक्र को समतल करने” के उद्देश्य वायरस के संचरण को धीमा करना, वक्र के शिखर को धक्का देना और समय के साथ मामलों के वितरण को फैलाना। देशों ने, तदनुसार, दुनिया भर में विभिन्न गैर-फार्मास्युटिकल हस्तक्षेप (NPIs) को अपनाया, जैसे कार्य और स्कूल बंद होने, यात्रा पर प्रतिबंध, सार्वजनिक घटनाओं को रद्द करना और आंतरिक आंदोलन के प्रतिबंधों के माध्यम से सामाजिक अलगाव के उपायों जैसे कि संक्रमित लोगों को बाहर निकालना, आबादी, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क और उन्नत परीक्षण का पता लगाना। रोकथाम के उपायों ने स्वास्थ्य और परीक्षण के बुनियादी ढांचे में गड़बड़ी की अनुमति दी, वायरस के प्रसार को गिरफ्तार किया और ‘लोगों की जान’ बचाई। अध्याय 1, सर्वेक्षण का आयतन बताता है कि जिन देशों ने प्रभावी रूप से महामारी की शुरुआत में प्रभावी NPIs लगाए हैं, वे अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से

महामारी के प्रसार का प्रबंधन कर सकते हैं।

1.13 भले ही कोई रोकथाम के उपाय लागू नहीं किए गए थे, तो महामारी से निपटने के लिए अनिश्चितता का सामना करने वाले परिवारों और फर्मों के एहतियाती और/या आतंक व्यवहार से मंदी का सामना करना पड़ता जिसका कोई इलाज नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिवारों ने स्वेच्छा से सावधानी बरती, जिससे मांग प्रभावित हुई, विशेषकर गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए। लॉकडाउन ने महामारी के लिए इस प्रतिक्रिया को मजबूत किया। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, प्रसार को शामिल करने के लिए अपनाया, बड़े पैमाने पर तत्काल आर्थिक लागतों का अनुमान लगाया क्योंकि उन्होंने आर्थिक गतिविधि, घुमावदार खपत और निवेश के लगभग पूर्ण निलंबन का नेतृत्व किया, साथ ही साथ प्रतिबंधित श्रम आपूर्ति और उत्पादन भी। कोविड-19, इसलिए दुनिया को 'वक्र' या 'आजीविका' बचाने की भविष्यवाणी करने के लिए ले गया क्योंकि संक्रमण वक्र को समतल करने के लिए उठाए गए कदमों ने वृहद आर्थिक मंदी की अवस्था (चित्र 10) को बढ़ा दिया।

चित्र 10: समतल कोविड-19 संक्रमण वक्र के बीच व्यापार-बंद और मंदी की अवस्था का सामना




स्रोत: Gourinchas, P-O (2020) से अनुकूलित

मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष की चुनौतियाँ

1.14 महामारी को एक अनोखा आर्थिक झटका लगा है जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं (चित्र 11) में एक साथ आपूर्ति और मांग के दोनों झटके शुरू कर दिए हैं। अनिश्चितता, कम आत्मविश्वास, आय में कमी, कमजोर विकास की संभावना, संसर्ग की आशंका, सभी संपर्क-संवेदनशील गतिविधियों को बंद करने के कारण खर्च करने के विकल्प को कम करना और वित्तीय और तंग वित्तीय और ऋण की स्थिति एहतियाती बचत को ट्रिगर करती है, व्यवसायों और परिणामी गिरावट के बीच जोखिम का बढ़ना। खपत और निवेश में-पहले

ऑर्डर की मांग को झटका। आर्थिक गतिविधि को बंद करने और पहले के आदेश की आपूर्ति के झटके के लिए श्रम नेतृत्व के प्रतिबंधित आंदोलन के कारण आपूर्ति श्रृंखला का व्यवधान।

चित्र 11: वैश्विक महामारी से दुगुने आर्थिक झटके



स्रोत: Estupinan, Xavier and Sharma, Mohit and Gupta, Sargam and Birla, Bharti (2020) से अनुकूलित

1.15 पहले आदेश की आपूर्ति के पक्ष में व्यवधान अर्थव्यवस्था की मांग और आपूर्ति पक्ष दोनों पर अनुक्रमिक दूसरे दौर का प्रभाव हो सकता है। प्रारंभिक आपूर्ति के झटके, जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी और आय में कमी हुई, कुल मांग में दूसरी गिरावट आ सकती है और उत्पादक क्षमता की हानि हो सकती है, जिससे दूसरे ऑर्डर की आपूर्ति को झटका लग सकता है। इन प्रभावों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय संबंधों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया, वैश्विक गतिविधि को कम करने और कमोडिटी की कीमतों को नीचे धकेलने के लिए मांग और आपूर्ति के फीडबैक लूप में हिस्टैरिसिस प्रभाव पैदा करने की क्षमता है—जब घर कम मांगते हैं, तो फर्मों को कम राजस्व मिलता है, जो फर्मों द्वारा कम गतिविधि में फीड होता है, और इस प्रकार घरेलू आय में कमी आती है।


1.16 'महामारी विज्ञान वक्र' को 'समतल करने के लिए नीतियों, इसलिए, डिजाइन की गई आर्थिक नीतियों के साथ-साथ आर्थिक प्रणाली के परिणामस्वरूप होने वाले झटके को कम करने और मंदी की अवस्था को समतल करने के लिए लक्षित होना चाहिए। हालाँकि, महामारी के संभावित प्रसार के बारे में अभूतपूर्व अनिश्चितता थी। इसलिए महामारी में नीति निर्माताओं के आगे अभूतपूर्व दुविधाएं पैदा हुईं—आजीविका बनाम जीवन और महामारी के जुड़वां घटनों को समतल करना और परिणामी आर्थिक मंदी।

बॉक्स 1: भारत में कोविड-19 का क्षेत्रीय प्रभाव: सर्वव्यापी मगर अनियमित

कोविड-19 प्रेरित जुड़वां आर्थिक आघात के प्रसार और तीव्रता को आउटपुट/सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) और रोजगार पर प्रभाव के माध्यम से मोटे तौर पर कब्जा किया जा सकता है। GVA सदमे के संदर्भ में, गैर-आवश्यक गतिविधियों को उनके संबंधित GVA योगदान के लिए आनुपातिक रूप से एक संयुक्त झटका सहन करने की संभावना है, यह देखते हुए कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान संचालित करने की अनुमति नहीं थी। आवश्यक गतिविधियां मुख्यतः गैर-आवश्यक क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियों के अप्रत्यक्ष प्रभाव से उत्पन्न होने वाले झटके से गुजरने की संभावना है। रोजगार के झटके के संदर्भ में, व्यापार, होटल, परिवहन, पर्यटन आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में संपर्क

से संबंधित व्यवसायों को संबंधित रोजगार हिस्सेदारी के लिए आनुपातिक से गुजरना पड़ता है, अनौपचारिक श्रमिकों के लिए बड़ा खामियाजा उठाने की संभावना होती है (चित्र बी 1)। निर्माण और खनन क्षेत्र, जो अनौपचारिक श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा नियोजित करते हैं, महामारी से प्रभावित ताले से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

Figure B1: Sectoral Distribution by GVA Share and Share of Casual Workers




स्रोत: MoSPI, PLFS 2018-19


महामारी और संबद्ध स्वास्थ्य उपायों का प्रभाव अद्वितीय रहा है क्योंकि इसने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। भारत में कृषि को बड़े पैमाने पर लॉकडाउन से रोधित किया गया था क्योंकि कोविड-प्रेरित लॉकडाउन से सेक्टर में समय पर और सक्रिय छूट के कारण रबी फसलों की निर्बाध कटाई और खरीफ फसलों की बुवाई की सुविधा थी। हालांकि, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों ने उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और कुछ प्रमुख कृषि निर्यातों पर प्रतिकूल प्रारंभिक प्रभाव के कारण कृषि वस्तुओं के प्रवाह को प्रभावित किया। विनिर्माण क्षेत्र को पहली तिमाही में कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन तब से उठा है, हालांकि खनन अभी भी पिछड़ा हुआ है। निर्माण और सेवा क्षेत्र पर सामाजिक अंतर और व्यक्तिगत परस्पर क्रिया को कम करने की महामारी से प्रेरित आवश्यकताओं के कारण सबसे कठिन आघात हुआ था।

चित्र B2: भारत में कोविड-19 का क्षेत्रीय प्रभाव कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ


कृषि आयात




कृषि निर्यात



सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति




CPI के घटक- खाद्य मुद्रास्फीति




खनन एवं उत्खनन

खनन अभी भी पूर्व-महामारी स्तरों के नीचे




खनिज मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई है




विनिर्माण


वस्त्र और कपड़ा




कंप्यूटर हार्डवेयर और परिधीय




उपभोक्ता वस्तुएं




उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों की लाभप्रदता अनुपात




मशीनरी क्षेत्र




फार्मास्यूटिकल्स




निर्माण




सेवाएं




वायु टरबाइन ईंधन की कीमतें: भारत




शिपिंग भाड़ा दर (बाल्टिक सूखा सूचकांक)




वित्तीय सेवाएं




बैंक ऋण वृद्धि (YoY)




एसेट फाइनेंसिंग सर्विसेज




प्रबंधन के तहत औसत शुद्ध संपत्ति (म्यूचुअल फंड)




संचार सेवाएं




दूरसंचार ग्राहक आधार




रियल एस्टेट सेवाएं




आवास की कीमतें



औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कंपनियां



औद्योगिक और ढांचागत निर्माण कंपनियों के सकल आदेश बैकलॉग



होटल और पर्यटन, थोक और खुदरा व्यापार




स्रोत: विभिन्न स्रोतों से संकलित

महामारी द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था का विघटन

1.17 जैसा कि पहले खंड से स्पष्ट था, महामारी ने वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व स्वास्थ्य चुनौतियों को उठाया और अद्वितीय नीतिगत दुविधाएं पैदा कीं। 2018 के बाद से, वैश्विक उत्पादन में वृद्धि की गति कमजोर पड़ने के कारण व्यापार तनाव, राजनीतिक अस्थिरता, धीमी मांग और औद्योगिक गतिविधि में कमी जैसे विभिन्न कारणों के कारण थी। कोविड-19 महामारी ने गंभीर मांग और आपूर्ति में विच्छेद पैदा करके मंदी को बढ़ा दिया है। आधिकारिक गतिविधियों और निजी निर्णयों दोनों के कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी आई है। महामारी के बाद की आर्थिक संभावनाओं और नीतियों के बारे में अनिश्चितता ने निवेश की गति को रोक दिया है; शिक्षा में व्यवधानों ने मानव पूंजी संचय को कम कर दिया है; और वैश्विक मूल्य श्रृंखला और महामारी के मार्ग की व्यवहार्यता के बारे में चिंताओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन पर तौला है।

1.18 अप्रैल 2020 का महीना “ग्लोबल लॉकडाउन” का महीना बन गया, जिसमें विश्व आर्थिक गतिविधि एक ठहराव पर आ गई—2020 की दूसरी तिमाही के दौरान उत्पादन में भारी गिरावट आई। वैश्विक उत्पादन में एक सदी में सबसे तेज संकुचन देखने की उम्मीद है, जिसमें अनुबंध किया जा रहा है। विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा क्रमशः प्रदान किए गए अनुमानों (चित्र 12) के अनुसार 2020 में 3.5–4.3 प्रतिशत की श्रेणी में संकुचन देखा गया है। 2020 और 2021 में वैश्विक GDP का संचयी नुकसान लगभग 9 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर आंका गया है—जापान और जर्मनी की संयुक्त अर्थव्यवस्थाओं से अधिक। चीन को छोड़कर, EMDEs की तुलना में 5.4 प्रतिशत पर आउटपुट का नुकसान AEs में अधिक गंभीर होने का अनुमान है, जो वर्ष 2020 (चित्र 12) के लिए 5.0 प्रतिशत पर था। यह EMDEs की तुलना में AEs में फैली महामारी के अधिक गंभीर प्रभाव के साथ संरेखित है जैसा कि अध्याय के शुरुआती भाग में देखा गया था। वर्ष के जुलाई–सितंबर तिमाही में लॉकडाउन को आसान बनाने और आर्थिक गतिविधि में पुनरुत्थान के साथ वैश्विक विकास के अनुमानों को वर्ष के माध्यम से ऊपर की ओर संशोधित किया गया था। AEs में कोविड-19 संक्रमण दर में पुनरुत्थान के कारण वैश्विक गतिविधि में पलटाव, हालांकि, असमान और वश में किया गया है, जो वर्ष की दूसरी छमाही की शुरुआत से ही है।

चित्र 12: वैश्विक विकास में प्रवृत्ति




स्रोत: आईएमएफ

टिप्पणी: ई आकलन है, एफ पूर्वानुमान है।

1.19 महामारी से प्रेरित सीमा बंद होने और आपूर्ति बाधित होने से वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान में बाधा उत्पन्न हुई। वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) जुलाई, 2020 (चित्र 13) से पहले पांच महीने के लिए संकुचन में था। वैश्विक व्यापार को 2020 में 9.2 प्रतिशत तक अनुबंधित करने का अनुमान है—2009 की वैश्विक मंदी के दौरान गिरावट के साथ तुलनात्मक रूप से लेकिन अर्थव्यवस्थाओं की एक बड़ी हिस्सेदारी (चित्र 14) को प्रभावित किया है। व्यापार ने महामारी का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे देशों को जीवनप्रद भोजन और चिकित्सा आपूर्ति तक सुरक्षित पहुंच मिल सकती है।

1.20 2020 के मध्य से अधिकांश कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि सख्त तालाबंदी को धीरे-धीरे हटा लिया गया और मांग दृढ़ हो गई विशेषकर चीन से (चित्र 15)। तेल की मांग पर महामारी के स्थायी प्रभाव पर चिंता के बीच तेल की कीमतों में वसूली अधिक मामूली थी। दिसंबर, 2019 की तुलना में नवंबर, 2020 में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ महामारी की कीमतों की पृष्ठभूमि में सोना एक सुरक्षित


ठिकाने के निवेश के रूप में उभरा। कमजोर मांग और कम ऊर्जा की कीमतों के परिणामस्वरूप, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मुद्रास्फीति में कमी आई है, प्रमुख AEs में अपस्फीति का दबाव उत्पन्न हुआ। EMDEs में मुद्रास्फीति में गिरावट AEs की तुलना में कम व्यापक थी, कुछ देशों में तेज मुद्रा मूल्यहास के प्रभाव के साथ-साथ घरेलू खाद्य कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है (चित्र 16)।



स्रोत: IHS

स्रोत: WTO

Note: World Trade in 2015 Indexed at 100




स्रोत: IMF

स्रोत: WEO अक्टूबर 2020 डेटाबेस, IMF

नोट: *नवंबर 2020 तक का डेटा

1.21 वैश्विक वित्तीय स्थिति केंद्रीय बैंकों द्वारा अभूतपूर्व तेजी से हस्तक्षेप (चित्र 17) द्वारा निरंतर नीति समर्थन के पीछे बनी हुई है। मातहत गतिविधि और अत्यधिक अनिश्चित दृष्टिकोण के बावजूद, वैश्विक इक्विटी बाजारों ने मार्च कम से तेज गति से पलटाव किया है, हालांकि वायरस के प्रसार, नीति समर्थन और क्षेत्रीय संरचना के आधार पर, देशों में उल्लेखनीय भेदभाव के साथ। जोखिम परिसंपत्तियों की कीमतों में व्यापक प्रतिक्षेप के पीछे क्षेत्रों में भेदभाव के स्पष्ट संकेत हैं। कुछ क्षेत्र (जैसे एयरलाइंस, होटल, ऊर्जा और वित्तीय) लॉकडाउन और सामाजिक गड़बड़ी से अधिक प्रभावित हुए हैं, जबकि वे जो कम संपर्क-गहन (सूचना प्रौद्योगिकी, संचार)

बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स सबसे अधिक जी-10 मुद्राओं की तुलना में साल दर साल आधार पर 7.4 प्रतिशत तक कमजोर हो गया है, जिसमें विभिन्न देशों ने अपनी विनिमय दरों पर दबाव कम करने के लिए विभिन्न नीतियों को अपनाया है। (चित्र 18)।



स्रोत: IMF


स्रोत: Thomson Reuters

नोट: ग्राफ इंडेक्स के माध्य से मानक विचलन को दर्शाता है—एक कम मूल्य समायोजन रुख को दर्शाता

नोट: यूएस डॉलर इंडेक्स यूएस ट्रेड पार्टनर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्राओं की भारित टोकरी के मुकाबले

1.22 महामारी ने वैश्विक ऋण संचय की एक दशक लंबी लहर के साथ जुड़े जोखिमों को बढ़ा दिया है। बड़े पैमाने पर विवेकाधीन समर्थन, आउटपुट में तेज संकुचन और राजस्व में भारी गिरावट के कारण सरकारी ऋण और घाटे में वृद्धि हुई है। ऋण बोझ बढ़ गया है क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने तेजी से कम बिक्री की अवधि का सामना किया है और संप्रभु लोगों ने बड़े प्रोत्साहन पैकेजों को वित्तपोषित किया है। ऋण का स्तर ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेष रूप से वित्तीय बाजार तनाव (चित्र 19) के प्रति कमजोर हो गई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य सरकारी ऋण 2020 की दूसरी तिमाही (चित्र 20) के दौरान बढ़ा। ऋण में और वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि सरकारें और वित्तीय प्रणालियां पूंजी, श्रम, कौशल और नवाचार के बाद के आर्थिक माहौल में बदलाव की सुविधा देकर वसूली को वित्त प्रदान करती हैं।

1.22 महामारी ने वैश्विक ऋण संचय की एक दशक लंबी लहर के साथ जुड़े जोखिमों को बढ़ा दिया है। बड़े पैमाने पर विवेकाधीन समर्थन, आउटपुट में तेज संकुचन और राजस्व में भारी गिरावट के कारण सरकारी ऋण और घाटे में वृद्धि हुई है। ऋण बोझ बढ़ गया है क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने तेजी से कम बिक्री की अवधि का सामना किया है और संप्रभु लोगों ने बड़े प्रोत्साहन पैकेजों को वित्तपोषित किया है। ऋण का स्तर ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेष रूप से वित्तीय बाजार तनाव (चित्र 19) के प्रति कमजोर हो गई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य सरकारी ऋण 2020 की दूसरी तिमाही (चित्र 20) के दौरान बढ़ा। ऋण में और वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि सरकारें और वित्तीय प्रणालियां पूंजी, श्रम, कौशल और नवाचार के बाद के आर्थिक माहौल में बदलाव की सुविधा देकर वसूली को वित्त प्रदान करती हैं।



स्रोत: विश्व बैंक, 2020 का डेटा अनुमान है

स्रोत: OECD

1.23 आगे बढ़ते हुए, प्रभावी टीकाकरण अभियान, उपभोक्ता और व्यवसाय के विश्वास की बहाली के साथ-साथ निरंतर मौद्रिक और राजकोषीय समर्थन से 2021 में वैश्विक उत्पादन 4.5 से 5.5 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। इस पूर्वानुमान में नकारात्मक जोखिमों में उत्परिवर्ती उपभेदों की संभावना, देरी शामिल हैं। टीके की खरीद और वितरण, महामारी से संभावित उत्पादन पर विघटनकारी प्रभाव, और उच्च ऋण स्तर और कमजोर विकास के कारण वित्तीय तनाव।

एक वी आकार के सुदृढ़ प्रक्षेपवक्र पर भारतीय अर्थव्यवस्था


1.24 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2019 में मातहत वृद्धि के बाद, जनवरी 2020 से फिर से गति प्राप्त करना शुरू कर दिया था, केवल एक बार की सदी के काले हंस कोविड-19 के प्रकोप से रुकी हुई थी। मार्च-अप्रैल, 2020 के दौरान लगाए गए कड़े लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही -21 और 7.5 प्रतिशत 7.5 Q2% FY 2020 में तेज संकुचन देखा गया था। तब से, कई उच्च आवृत्ति संकेतक ने क्षेत्रों में एक वी-आकार की वसूली का प्रदर्शन किया क्षेत्रों में एक असमानता, अंतर और प्रेरक शक्ति के साथ। अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत बने हुए हैं, क्योंकि धीरे-धीरे लॉकडाउन की गति कम होती जा रही है और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत मिशन ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवन के रास्ते पर मजबूती से रखा है।

1.25 सरकार और RBI द्वारा प्रदान की गई असाधारण मौद्रिक और राजकोषीय सहायता के पीछे वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के कोविड-19 महामारी प्रेरित अभूतपूर्व चढ़ाव से भारत की आर्थिक गतिविधि में तेजी से सुधार हुआ है। क्यू 1, क्यू 2 और क्यू 3 से अधिक उच्च आवृत्ति संकेतकों के समग्र आंदोलन ने क्यू 2 में तेजी से पिकअप और क्यू 3 में पूर्व महामारी के स्तर तक बढ़ते अभिसरण का संकेत दिया। जैसे-जैसे भारत की गतिशीलता और महामारी के रुझान में सुधार हुआ है और, ई-वे बिल, रेल भाड़ा, जीएसटी संग्रह और बिजली की खपत जैसे संकेतक न केवल महामारी के स्तर तक पहुंच गए, बल्कि पिछले वर्ष के स्तरों से भी आगे निकल गए। इस साल विनिर्माण क्षेत्र में भी तेजी देखी गई, बढ़ती डिजिटल बिक्री में ग्रामीण मांग में उछाल और डिजिटल लेनदेन में संरचनात्मक खपत में बदलाव हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था पर महामारी का पूर्ण प्रभाव अभी भी अप्रभावित है और भविष्य

में विकास की संभावनाएं इस नीति की गति पर निर्भर होंगी जो आवश्यक नीतिगत धुरी की आवश्यकता को बढ़ाते हुए घरेलू मुद्रास्फीति के दबाव के जोखिम के साथ है।

चित्र 21: उच्च आवृत्ति संकेतक का आंदोलन

Figure 21: Movement of High Frequency Indicators




स्रोत: विभिन्न स्रोत से संकलित

नोट: लाल रंग नकारात्मक YoY और QoQ वृद्धि को इंगित करता है; भूरा रंग सकारात्मक YoY या QoQ विकास को इंगित करता है और हरा रंग सकारात्मक YoY और QoQ वृद्धि को इंगित करता है। सीपीआई और जी सेल जैसे सूचक के लिए उपज में ह्रास सकारात्मक रूप में माना जाता है अर्थात् हरा और इसके विपरीत।

सेक्टरल ट्रेड

1.26 कृषि को 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के झटके को झेलने के लिए सेट किया गया है, Q1 और Q2 दोनों में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ। यह एकमात्र क्षेत्र है जिसने 2020-21 के दोनों तिमाहियों में समग्र सकल मूल्य वर्धित (GVA) में सकारात्मक योगदान दिया है। यह इंगित करता है कि रबी की कटाई और खरीफ बुवाई के लिए कृषि गतिविधियां कोविड-प्रेरित तालाबंदी से अप्रभावित थीं। भरपूर खरीफ फसल की उम्मीद को देखते हुए, खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 2020-21 फसल वर्ष के लिए 301 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जो 2019-20 (चित्र 22) में प्राप्त रिकॉर्ड उत्पादन से 1.5 प्रतिशत अधिक है। वर्ष भर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, बफर्स को मजबूती प्रदान करने और आपूर्ति को चैनलाइज

करने में निरंतर वृद्धि करते हुए बुआई स्वस्थ बनी रही (चित्र 23)।




स्रोत: कृषि मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नोट: 2020-21 के लिए उत्पादन के आंकड़े अनुमान हैं।

2020-21 के लिए चावल की खरीद का लक्ष्य 495.37 लाख टन है


1.27 ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि और आधारिक संरचना में सुधार के गुलदस्ते के माध्यम से पिछले वर्षों में ग्रामीण मांग सरकार के जोर से लचीली बनी हुई है। छोटे गांवों, ग्रामीण आवास और स्वच्छता, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आधारिक संरचना का प्रावधान और MGNREGS के माध्यम से टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण से ग्रामीण सड़कों पर पिछले छह वर्षों में फिर से सक्रिय ध्यान केंद्रित किया गया है। इन उपायों को ग्रामीण डिजिटाइजेशन और वित्तीय समावेशन ड्राइव द्वारा प्रबलित किया गया है, जो कोविड-19 के दौरान मांग धक्का उपायों के सुचारू कार्यान्वयन में सहायता करता है।

1.28 औद्योगिक उत्पादन में एक उल्लेखनीय वी-आकार की वसूली वर्ष में देखी गई थी। विनिर्माण प्रतिक्षेप और औद्योगिक मूल्य सामान्य करने के लिए शुरू कर दिया। हालांकि, हेडविंड पर टिका हुआ है। आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक, जो सूचकांक का लगभग 40 प्रतिशत बनाते हैं, ने नवंबर, 2020 में (-) 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि नवंबर, 2019 में 0.7 प्रतिशत और (-) 0.9 प्रतिशत की वृद्धि अक्टूबर, 2020 (चित्र 24)। नतीजतन, IIP, अक्टूबर 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के बाद नवंबर, 2020 (चित्र 25) में संकुचन क्षेत्र में वापस फिसल गया। हालांकि, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर 2020 में विस्तार क्षेत्र में जारी रहा। निर्माण क्षेत्र में स्टील की खपत को फिर से तेज करने के लिए, अर्थव्यवस्था को खुला रखते हुए रोजगार को बढ़ावा दिया। इस्पात की खपत के लिए एक प्रमुख फॉरवर्ड लिंकेज सेक्टर हाउसिंग मार्केट ने अपने Q1: 2020-21 गत से क्रमिक पुनरुत्थान को देखा। सितंबर, 2020 से बिजली की खपत में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए विद्युत क्षेत्र ने अपनी गति बरकरार रखी।



स्रोत: MoSPI, DPIIT


1.29 औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में निरंतर तेजी के साथ पुनर्जीवित अंतर और अंतर-राज्य आंदोलन ने अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति में लौटने की शुरुआत की। ई-वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, रेल भाड़ा और पोर्ट कार्गो यातायात न केवल बरामद हुए बल्कि पिछले वर्ष के स्तर को तीसरी तिमाही: 2020-21 में पार कर गए, जबकि रेल यात्री आय और घरेलू विमानन में लगातार गिरावट देखी गई (आंकड़े 26 और 27)। भारतीय सेवा क्षेत्र ने दिसंबर में तीसरे सीधे महीने के लिए पीएमआई सेवा उत्पादन और नए कारोबार के बढ़ने के साथ महामारी से प्रेरित गिरावट से अपनी वसूली को बनाए रखा।



स्रोत: Ministry of Road, Transport and Highways; GSTN

बॉक्स 2: ई-वे बिल


ई-वे बिल राजस्व संकलन, आपूर्ति श्रृंखला सुधार और रसद वृद्धि का एक मजबूत अग्रणी संकेतक है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के साथ, कुल ई-वे बिल ने अप्रैल 2020 में 74 प्रतिशत (YoY) का तीव्र संकुचन देखा। अंतर राज्य का परिमाण और अंतर राज्य व्यापार 89% तक गिर गया। पिछले वर्ष के स्तरों की तुलना में अप्रैल 2020 में क्रमशः 80 प्रतिशत। जबकि अप्रैल 2020 में सभी दूरी श्रेणियों के लिए ई-वे बिल तेजी से अनुबंधित हुए, 1000 किमी से अधिक की दूरी वाले ई-वे बिलों में अधिकतम गिरावट देखी गई (चित्र बी 3)। प्रति व्यक्ति ई-वे बिल के मूल्य में समान गिरावट (चित्र बी 4) देखी गई।




स्रोत: GSTN

नोट: सभी मूल्य जनवरी 2020 में 100 तक सामान्य हो गए।

प्रतिबंधों के क्रमिक रियायत के साथ, ई-वे बिल कुल मूल्यांकन योग्य मूल्य के संदर्भ में उत्पन्न हुए हैं और प्रति व्यक्ति प्राप्त होने वाले मूल्य में तेजी आई है और सितंबर 2020 (चित्र B5) में पिछले वर्ष के स्तर को पार करने में लगातार सुधार हुआ है। व्यापार की आयतन, दोनों इंटर और इंट्रा भी सितंबर 2020 तक पिछले वर्ष के स्तर पर वापस आ गए। उत्पन्न कुल ई-वे बिल के आयतन और मूल्य दोनों ने क्रमशः दिसंबर 2020 में 12.3 प्रतिशत और 17.5 प्रतिशत की दोहरे अंकों की वृद्धि के साथ मजबूत गति प्राप्त की है।





युगल-वार राज्य व्यापार डेटा का उपयोग करके एक प्रतिगमन विश्लेषण का अनुमान है कि अंतर-राज्य व्यापार में लॉकडाउन के दौरान औसतन 36-39 प्रतिशत की गिरावट आई थी और सितंबर 2020 में पूरी तरह से ठीक हो गई। विश्लेषण से पता चलता है कि अंतर-राज्य की सीमाओं का व्यापार पर कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। अंतर-राज्य की सीमाएं लॉकडाउन के प्रारंभिक चरण के दौरान एक बाधा हो सकती हैं, लेकिन बाद की अवधि में नहीं।

$$\log(\text{trade})_{ij,t} = a + b1 * \log(\text{distance}) + b2 * D(\text{Border}) + b3 * D(\text{COVID})_t + e_{ij,t}$$


Log (Pairwise inter-state trade)			
	(1)	(2)	(3)
Log (distance)	-1.436*** (0.014)	-1.407*** (0.016)	-1.402*** (0.021)
D(Border)	0.333*** (0.026)	0.352*** (0.029)	0.361*** (0.038)
D(COVID)		-0.360*** (0.014)	-0.389*** (0.019)
Period	Jan 2019-Mar 2020	Nov 2019-Nov 2020	Dec 2019- Jun 2020
Observations	13020	12090	7440
R-Squared	0.929	0.916	0.908

D(COVID)=1 for March-August 2020 ***p<0.01


D(Border): Dummy variable which takes the value 1 if the pair of States shares borders

The V-shaped recovery in revenue collections was quite quick in states (Figure B6) such as Telangana and Andhra Pradesh with value of E-way bills per person reaching previous year levels in June. On the other hand, states like Haryana and Gujarat witnessed recovery a month later in July while Maharashtra, a key COVID-19 hotspot and the biggest contributor to India’s GDP witnessed a recovery August onwards.

Figure B6: State-wise Value of Goods Traded Per Person




Source: Data from GSTN curated from public platform Indiapulse@ISB



Source: Data from GSTN curated from public platform Indiapulse@ISB

1.30 उच्च खाद्य कीमतें 2020 में मुद्रास्फीति का एक प्रमुख चालक बनी रहीं। हालांकि, दिसंबर, 2020 में मुद्रास्फीति RBI की लक्ष्य सीमा में 4 ± 2 प्रतिशत तक गिरकर 6.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष पर 4.6 प्रतिशत तक पहुंच गई। नवंबर में (चित्र 28)। यह खाद्य कीमतों में भारी गिरावट से प्रेरित था, विशेष रूप से सब्जियों, अनाज और प्रोटीन उत्पादों और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण। Q1: 2020-21 के बाद से लगातार छह महीने तक बढ़त के बाद हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर में क्रमिक रूप से कम हो गई। हालांकि, ईंधन की मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण चिपचिपी रही। मुख्य मुद्रास्फीति सालाना आधार पर बढ़ी लेकिन पिछले महीने की तुलना में कम रही।


चित्र 28: मुद्रास्फीति



स्रोत: MOSPI

1.31 जोखिम से बचने और मौन ऋण जोखिम (चित्र 29) के बीच वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक ऋण की स्थिति बनी रही। अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान थोक बैंक ऋण की रूपरेखा ने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों दोनों में इस प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया। जबकि समग्र बैंक ऋण वृद्धि और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए ऋण धीरे-धीरे अपने अप्रैल के चढ़ाव से क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत तक पहुंच गया, क्रमशः 1 जनवरी को, यह पिछले वर्ष के स्तरों की तुलना में सुस्त बना रहा। अक्टूबर 2020 में कृषि के क्षेत्र में तैनाती, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वृद्धि में अक्टूबर 2019 में 7.1 प्रतिशत से 7.4 प्रतिशत की तेजी आई है। अक्टूबर 2020 में निर्माण, व्यापार और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में लचीला ऋण प्रवाह देखा गया, जबकि बैंक मौन रहे। विनिर्माण क्षेत्र के लिए। अक्टूबर 2019 में अक्टूबर 2019 में 5.5 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर 2019 में 6.5 फीसदी की रफ्तार से सर्विस सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ हुई। जबकि पर्सनल लोन में अक्टूबर 2020 में 9.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले 1 चमतण² फीसदी ग्रोथ के साथ वाहन लोन जारी रहा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, अक्टूबर 2020 में 8.4 प्रतिशत की त्वरित वृद्धि दर्ज करते हुए अक्टूबर 2019 में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चित्र 29: थोक बैंक ऋण में वृद्धि




स्रोत: RBI

नोट: * सितंबर 2020 तक विकास

1.32 गैर-बैंक वित्तपोषण पक्ष पर, म्यूचुअल फंडों के प्रबंधन (AUM) के तहत संपत्ति अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 17.73 प्रतिशत बढ़ी। इन फंडों ने ऋण बाजारों में तरलता की कमी के बीच वर्ष की पहली तिमाही के दौरान आक्रामक मोचन दबावों का सामना किया। हालांकि, म्यूचुअल फंड के लिए RBI की विशेष तरलता खिड़की ने उन्हें बनाए रखने में मदद की। RBI के तरलता बढ़ाने के उपायों ने वाणिज्यिक पत्र (CP) जारी करने और फैंले हुए ढील को बढ़ावा दिया। दिसंबर 2020 में, CP जारी करने में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो नवंबर 2020 में लाख 1.21 लाख करोड़ की तुलना में 1.88 लाख करोड़ तक पहुंच गई। CP के प्रभावी भारत औसत यील्ड दिसंबर 2020 में 3.6 प्रतिशत तक पहुंचने में आसानी रही। म्यूचुअल फंड NBFCs की हिस्सेदारी, IL & FS प्रकरण को काफी हद तक कम करने के बाद, नवंबर 2020 में मार्च 2020 से लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।


1.33 राजकोषीय अंकगणित सरकारी राजस्व और उच्च व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित हुआ, क्योंकि सरकार ने अनलॉक चरण के दौरान खर्च बढ़ाया। अप्रैल-दिसंबर 2020 (फ्लैश अनुमान) के दौरान, केंद्र सरकार की कुल गैर-ऋण प्राप्तियों में 4.7 प्रतिशत की कमी आई। हालांकि, सकल जीएसटी संकलन (केंद्र प्लस राज्यों) ने अक्टूबर के बाद से 3 महीने के लिए 1 लाख करोड़ का आंकड़ा लगातार पार किया, जिससे सरकार की राजस्व स्थिति (चित्र 30) के लिए बहुत आवश्यक सहायता मिली। हालांकि, राज्यों के अग्रभाग पर, अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां, 13.7 प्रतिशत से संकुचित हैं। केंद्र सरकार के कुल व्यय में अप्रैल-दिसंबर 2020 (फ्लैश अनुमान) के दौरान 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें पूंजीगत व्यय में 24.1 प्रतिशत और राजस्व व्यय में साल दर साल 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, राज्यों ने अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान साल-दर-साल 4.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल व्यय में कमी देखी। राज्यों के राजस्व व्यय में इस अवधि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई, लेकिन राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय में अक्टूबर 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई लगातार गिरावट के आठ महीने बाद।

चित्र 30: 2020-21 के दौरान जीएसटी संकलन में रुझान



स्रोत: राजस्व विभाग

1.34 इस वर्ष में देखी गई महामारी के नेतृत्व वाली रसीद-व्यय कील को मुख्य रूप से अतिरिक्त बाजार उधार के माध्यम से दिया गया है, जैसा कि केंद्र द्वारा घोषित संशोधित उधार कैलेंडर में प्रदर्शित किया गया है और राज्यों को दी गई उच्च बाजार उधार सीमाएं हैं। 8 जनवरी 2021 को, केंद्र सरकार का सकल बाजार वित्त वर्ष 2015-21 के लिए उधार लेने से 10.72 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जबकि राज्य सरकारों ने 5.71 लाख करोड़ जुटाए हैं। जबकि केंद्र का उधार पिछले वर्ष की इसी अवधि में जुटाई गई राशि से 65 प्रतिशत अधिक है, राज्य सरकारों ने 41 प्रतिशत (चित्र 31) का एक कदम देखा है। चूंकि कोविड-19 के प्रकोप ने विकास और राजस्व को प्रभावित किया है, उधार का एक महत्वपूर्ण पैमाना अर्थव्यवस्था में उच्च सार्वजनिक व्यय स्तर को बनाए रखने के माध्यम से निरंतर राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा प्रदर्शन है।




स्रोत: RBI

1.35 सरकार और आरबीआई ने तरलता समर्थन उपायों, तरीकों और साधनों की सीमा में वृद्धि और समेकित

सिंकिंग फंड (CSF) से निकासी को नियंत्रित करने वाले नियमों में ढील दी और बांड बाजारों को सरकारी उधारों के बढ़ते दबाव को अवशोषित करने में सक्षम बनाया और अपनी उछाल में जोड़ा। अधिशेष प्रणालीगत तरलता 10 साल के जी-सेक उपज में नरमी और AAA कॉर्पोरेट बांड पैदावार (चित्र 32) के साथ प्रसार को कम करना सुनिश्चित करती है। AAA के 3 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड का औसत प्रसार मई 2020 में 171 बीपीएस से घटकर दिसंबर 2020 में 22 बीपीएस हो गया। एए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड पर फैलता है इसी अवधि के दौरान 131 बीपीएस (243 bps से 113 bps तक) के दौरान काफी मध्यम बीपीएस) और 60 बीपीएस (क्रमशः 177 bps से 117 bps तक) प्रत्येक 3-वर्ष और 5- वर्ष के बांड के लिए क्रमशः।

1.36 बाहरी क्षेत्र ने इन अनिश्चित समय में भारत को एक प्रभावी गुंजाइश प्रदान की। घरेलू और वैश्विक मांग और आपूर्ति में रुकावट के कारण, भारत का व्यापारिक निर्यात 2020-21 की पहली छमाही में 21.2 प्रतिशत घट गया, जबकि संकुचन 39.7 प्रतिशत आयात के लिए अधिक गंभीर था। हालांकि, निर्यात धीरे-धीरे पुनर्जीवित हो गई क्योंकि संकुचन की दर Q3: 2020-21 में 4.6 प्रतिशत तक घट गई, गैर-तेल निर्यात में तिमाही के दौरान 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था के क्रमिक अनलॉकिंग के साथ, आयात में गिरावट भी Q3: 2020-21 के दौरान 5.6 प्रतिशत हो गई है। जबकि व्यापार घाटा अप्रैल-सितंबर 2020-21 में 24.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक सीमित हो गया, जो एक साल पहले 88.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, यह इस वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान यूएस \$ 34.3 बिलियन रहा, जो इसी तिमाही में यूएस \$ 37.1 बिलियन से कम था। पिछले साल भारत ने चालू वर्ष की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत का अधिशेष दर्ज किया जो मोटे तौर पर मजबूत सेवाओं के निर्यात (चित्र 33) द्वारा समर्थित है। जबकि बाहरी मांग के सामान्यीकरण की संभावनाएं चल रही हैं, इसकी गति वैश्विक कोविड-19 के दृष्टिकोण और दुनिया भर में टीकाकरण के सफल रोलआउट पर आकस्मिक है।

चित्र 33: भारत के चालू खाते की शेष राशि की संरचना




स्रोत: RBI

1.37 भारत वित्त वर्ष 2020-21 में पसंदीदा निवेश गंतव्य बना रहा। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी और तेजी से रिक्वरी की संभावनाओं के बीच वैश्विक परिसंपत्ति बदलावों के बीच FDI ने डाला। मार्च 2020 में एक बेजोड़ वैश्विक पोर्टफोलियो निवेशक सेलऑफ के बाद, FPI प्रवाह की वृद्धि दर जून में देखी गई थी, जिसमें वैश्विक मौद्रिक सहजता और राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों के बीच जोखिम भूख की वापसी, पैदावार के लिए

नए सिरे से खोज और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के संकेत थे। नेट FPI इनफ्लो ने नवंबर 2020 में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मासिक उच्च स्तर दर्ज किया। अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान इक्विटी में 30.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रवाह देखा गया, जो पिछले वर्ष के मूल्य से पांच गुना था-भारत उभरते बाजारों में एकमात्र देश था। 2020 में इक्विटी FII प्रवाह प्राप्त करें (चित्र 34)। इन इनफ्लो के परिणामस्वरूप, बंबई सेंसेक्स और निफ्टी ने भारत के बाजार-पूँजीकरण के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात को अक्टूबर 2010 के बाद पहली बार 100 प्रतिशत के पार कर दिया। हालांकि, यह वित्तीय बाजारों और वास्तविक क्षेत्र के बीच के संबंध में चिंताओं को बढ़ाता है।

चित्र 34: भारत में FIIs से इक्विटी इनफ्लो


चित्र 34: भारत में थ्ये से इक्विटी इनफ्लो



स्रोत: Bloomberg

1.38 मजबूत पूंजी के साथ-साथ जून 2020 के अंत से भारतीय रुपये की सराहना करते हुए कमजोर डॉलर का प्रवाह बढ़ा। हालांकि, विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के विवेकपूर्ण हस्तक्षेप की सराहना सीमित है (चित्र 35) की तुलना में सराहना की प्रवृत्ति को सीमित कर दिया। सोने के भंडार और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में वृद्धि के साथ संयुक्त, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 18 जनवरी से अधिक आयात को कवर करते हुए 8 जनवरी, 2020 तक 586.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्च स्तर पर चढ़ गया। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात, जिसमें मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के बाहरी ऋण शामिल हैं, सितंबर -2020 के अंत में मार्च 2010 के अंत में 20.6 प्रतिशत की तुलना में 21.6 प्रतिशत हो गया। हालांकि, कुल और अल्पकालिक ऋण (मूल और अवशिष्ट) में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात बेहतर हुआ भंडार (चित्र 36) में बड़े आकार के अभिवृद्धि के कारण। हालांकि, कम वर्तमान प्राप्तियों, ऋण सेवा अनुपात (मूल पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान) को दर्शाते हुए, अंत में सितंबर 2020 तक 9.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ-साथ मार्च 2020 के अंत में 6.5 प्रतिशत तक बढ़ गया।

चित्र 35: रुपये में आंदोलन



Source: RBI

1.39 कुल मिलाकर, भारत पूर्व-महामारी स्तरों तक वी-आकार की वसूली के लिए रास्ते पर है। अर्थव्यवस्था को रणनीतिक रूप से विकसित मैक्रो-आर्थिक नीतियों और मजबूत बुनियादी बातों द्वारा समर्थित किया गया था। स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों मोर्चे पर समन्वित नीति प्रतिक्रिया ने भारत को लचीलापन के साथ झटके का सामना करने में मदद की।

बॉक्स 3: GVA, श्रम बाजार और राजकोषीय स्थिति पर कोविड-19 का प्रभाव: एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य

कोविड-19 स्वास्थ्य सदमे का भौगोलिक फैलाव राज्यों की पहले से मौजूद आर्थिक कमजोरियों के साथ जुड़ा हुआ है। इस भंगुरता की व्याख्या तीन मोर्चों पर की जा सकती है- जीविए की भंगुरता, श्रम बाजार की भंगुरता और राजकोषीय भंगुरता। उच्चतम उत्पादन में योगदान देने वाला राज्य और देश का कोविड-19 उपरिकेंद्र यानी महाराष्ट्र संपर्क-संवेदनशील सेवा क्षेत्र के झटके से जूझ रहा है (इसका 56% उत्पादन उस क्षेत्र से आ रहा है) और श्रम बाजार के तनाव ने देश के स्तर पर MSMEs के उच्च प्रतिशत में हिस्सेदारी दी। जबकि तमिलनाडु और केरल निर्माण क्षेत्र के झटके के लिए सबसे अधिक भंगुर हैं, एक विनिर्माण मंदी गुजरात और जम्मू और कश्मीर की आर्थिक वसूली के लिए जोखिम देती है। हालांकि, पंजाब अपेक्ष. कृत लचीले कृषि क्षेत्र से घिरा हुआ है, लेकिन सेवा क्षेत्र में गंभीर अनौपचारिक श्रम झटके महसूस होने की उम्मीद है। अनौपचारिक क्षेत्र के झटके वाली सेवाएं दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्यों को भी असुरक्षित बनाती हैं। हालांकि, दिल्ली की आरामदायक राजकोषीय स्थिति, जो प्रमुख कोविड-19 हॉटस्पॉट में से एक है, स्वास्थ्य को झटका देने के लिए कुशन प्रदान करती है। देश के एक अग्रणी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माण संबंधी अनौपचारिक क्षेत्र के झटकों की सर्वव्यापकता सबसे गंभीर है। जबकि बिहार की आर्थिक नाजुकता इसकी चुनौतीपूर्ण राजकोषीय स्थिति के कारण है, इस प्रमुख आउट-माइग्रेशन राज्य की पुनर्प्राप्ति संभावनाएं कोविड-19 से प्रेरित रिवर्स माइग्रेशन से उभरती हुई ग्रामीण मांग को धक्का देती हैं।

टेबल बी1: कोविड-19 के प्रभाव में अंतर-राज्य विविधता की तीव्रता

	GVA झटका तीव्रता (Measured as share in GSVA)					रोजगार झटका तीव्रता	MSMEs का प्रतिशत हिस्सा	Fiscal shock Intensity	कोविड-19	
	कृषि	खनन	विनिर्माण	निर्माण	सेवाओं	गैर-कृषि क्षेत्र में अनौपचारिक श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा		सकल राजकोषीय घाटा GDP के %	मामलों की पुष्टि (लाख)	मौतें ('000)
	FY 2019-20					FY 2018-19		FY 2015-16	FY 2019-20 (RE)	Jan
आंध्र प्रदेश	30.9	3.5	10.8	8.5	43.5	50.5	5.3	4.2	8.9	7.1
असम	16.6	14.0	16.3	9.7	41.1	31.1	1.9	3.1	2.2	1.1
बिहार	18.7	0.9	8.7	10.0	60.2	17.0	5.4	9.5	2.6	1.4
छत्तीसगढ़	16.8	11.7	15.3	10.1	37.0	38.3	1.3	6.4	2.9	3.5
गुजरात	12.6	4.5	38.0	5.6	35.9	42.4	5.2	2.1	2.5	4.4
हरियाणा	16.6	0.2	23.8	7.7	50.6	46.9	1.5	2.8	2.7	3.0
हिमाचल प्रदेश	12.6	0.4	30.9	8.5	40.5	29.7	0.6	6.4	0.6	1.0
जम्मू और कश्मीर	15.0	0.2	9.4	8.3	57.1	35.8	1.1		1.2	1.9
झारखंड	12.6	8.9	22.5	8.8	45.8	38.7	2.5	2.4	1.2	1.0
कर्नाटक	8.7	0.7	18.7	6.1	64.4	28.0	6.0	2.3	9.3	12.2
केरल	8.8	0.5	13.2	13.7	62.6	33.4	3.8	3.0	8.4	3.4
मध्य प्रदेश	31.8	3.1	11.7	8.6	41.0	45.2	4.2	3.6	2.5	3.7
महाराष्ट्र	9.4	3.7	23.0	5.7	55.9	29.7	7.5	2.1	19.8	50.3
ओडिशा	14.1	11.8	22.3	7.5	41.1	40.1	3.1	3.4	3.3	2.0
पंजाब	24.3	0.4	14.5	6.3	50.7	61.9	2.3	3.0	1.7	5.5
राजस्थान	25.2	9.0	12.2	7.7	44.1	53.7	4.2	3.2	3.1	2.7
तमिलनाडु	10.9	0.5	25.1	11.5	51.1	33.8	7.8	3.0	8.3	12.3
तेलंगाना	12.9	3.1	13.0	4.4	65.3	49.5	4.1	2.3	2.9	1.6
उत्तर प्रदेश	20.9	1.7	16.4	10.8	48.7	44.4	14.2	2.8	6.0	8.6
उत्तराखंड	7.9	1.9	40.3	7.9	38.4	31.1	0.7	2.2	0.9	1.6
पश्चिम बंगाल	19.9	1.2	14.6	8.9	53.3	39.6	14.0		5.6	10.0
अरुणाचल प्रदेश	27.7	3.3	4.1	11.5	44.3	14.3	0.0	4.1	0.2	0.1
चंडीगढ़	0.4	0.0	3.6	4.7	87.9	36.9	0.1		0.2	0.3
दिल्ली	0.4	1.6	5.5	4.6	84.5	52.0	1.5	-0.1	6.3	10.7
गोवा	4.5	2.8	50.8	3.2	31.4	16.2	0.1	5.6	0.5	0.8
मणिपुर	21.2	0.0	2.9	9.1	63.3	7.0	0.3	11.1	0.3	0.4
मेघालय	15.5	3.6	11.1	7.0	60.7	27.0	0.2	3.6	0.1	0.1

मिजोरम	22.8	0.3	0.7	10.3	51.3	2.4	0.1	8.7	0.0	0.0
नागालैंड	25.8	0.2	1.7	7.8	61.7	13.9	0.1	4.9	0.1	0.1
पुदुचेरी	4.1	2.3	28.0	16.9	47.2	27.2	0.2	0.8	0.4	0.6
सिक्किम	7.7	0.1	46.7	4.2	27.6	23.7	0.0	3.7	0.1	0.1
त्रिपुरा	22.1	11.6	4.0	7.6	50.0	14.2	0.3	6.5	0.3	0.4
अखिल भारत	14.6	2.7	17.4	7.8	55.2	39.2	100.0	3.2	105.4	152.1

स्रोत: MOSPI, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19, राज्य के बजट दस्तावेज, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 73 वें दौर 2015-16

नोट: * गैर-कृषि क्षेत्र में अनौपचारिक श्रमिकों को नियमित मजदूरी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सामान्य नौकरी (पीएस + एस) में गैर-कृषि क्षेत्र में बिना लिखित नौकरी के अनुबंध के बिना, प्रत्येक राज्य के लिए किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ के बिना, भुगतान छुट्टी के योग्य नहीं है। केन्द्र शासित प्रदेशों जहां वित्त वर्ष 2019-20 के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है, वित्त वर्ष 2018-19 के आंकड़ों को निरूपित किया गया है।


कोविड -19 को नीति प्रतिक्रिया

वैश्विक

1.40 वायरस के प्रसार को कम करने में मदद करने के लिए, कई देशों ने आवश्यक उपायों को लागू किया। इनमें स्कूल बंद करना, गैर-व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध, सार्वजनिक परिवहन को निलंबित करना, आंदोलन पर प्रतिबंध, सीमा बंद करना और यात्रा प्रतिबंध शामिल हैं। कोविड-19 के घरेलू प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए, कई देशों ने सार्वजनिक सूचना अभियानों, व्यापक-आधारित परीक्षण और संभावित रूप से ज्ञात मामलों से अवगत कराए गए व्यक्तियों के संपर्क ट्रेसिंग के साथ इन सामाजिक गड़बड़ी के उपायों को पूरक बनाया है। लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण आपूर्ति-पक्ष बाधाओं को लागू किया, जो कि आमतौर पर व्यापार चक्र में उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से गैर-व्यापार सेवाओं के लिए प्रतिरोधी क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार को कम करते हैं।

1.41 अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र और समाज के हर पहलू पर महामारी के बेजोड़ प्रभाव ने अधि कारियों से समान अद्वितीय नीति प्रतिक्रिया व्यक्त की। दुनिया भर में सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने तरलता समर्थन और नियामक परिवर्तनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपायों को तैनात किया है। वैश्विक स्तर पर 11.7 ट्रिलियन डॉलर या वैश्विक जीडीपी के 12 प्रतिशत के करीब (11 सितंबर, 2020 तक) अभूतपूर्व वित्तीय प्रतिक्रिया ने कमजोर घरों और फर्मों को जीवनदान दिया है। इन उपायों में शामिल हैं, अस्थायी कर कटौती, नकदी और तरह-तरह के स्थानान्तरण, बेरोजगारी लाभ, मजदूरी सब्सिडी, और तरलता समर्थन शामिल हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र (चित्र 37) द्वारा ऋण, गारंटी और इक्विटी इंजेक्शन शामिल हैं।

चित्र 37: दुनिया भर में राजकोषीय सहायता के प्रकार




स्रोत: IMF

EMMIEs = उभरते बाजार और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं; जी 20 = बीस का समूह; LIDCs = कम आय वाले विकासशील देश

1.42 दुनिया भर में मौद्रिक अधिकारियों ने गतिविधि का समर्थन करने के लिए अल्पकालिक नीति दरों और आरक्षित आवश्यकताओं में व्यापक-आधारित कटौती के साथ मौद्रिक स्थितियों को आसान बनाया है और वित्तीय बाजारों (चित्र 38) को स्थिर करने के लिए आपातकालीन तरलता सहायता प्रदान की है। दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंक दीर्घकालिक परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम (कई EMDEs में पहली बार) के रूप में अपरंपरागत मौद्रिक नीति हस्तक्षेपों में लगे हुए हैं, सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, परिसंपत्ति प्रावधान की आवश्यकताओं में छूट और उधारकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए ऋण प्रावधान का समर्थन कर रहे हैं। बैंकिंग प्रणाली में आरक्षित धन के संबंधित इंजेक्शन बांड बाजारों को स्थिर करने, बांड की पैदावार को कम करने, विनिमय दरों पर दबाव डाले बिना इक्विटी की कीमतों को बढ़ाने में प्रभावी रहे हैं।

चित्र 38: वैश्विक नीति दर में रुझान



स्रोत: विश्व बैंक

1.43 कई देशों में गहरे आर्थिक संकुचन और महामारी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बारे में अनिश्चितताओं को बढ़ाते हुए, दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं को वापस ला सकते हैं। इसलिए, महामारी ने दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के लिए एक लंबा रास्ता तय किया है।

भारत की सामरिक बहु-प्रचारित नीति प्रतिक्रिया

1.44 भारत ने महामारी के विघटनकारी प्रभाव को पहचान लिया और देश में प्रसार के निराशाजनक अनुमानों के बीच अपने स्वयं के अनूठे पथ का चार्ट बनाया। यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में मई, 2020 (Klein et al., 2020) के अंत तक 30 करोड़ मामले और कई हजार मौतें होंगी। तेजी से बदलाव और बढ़ती अनिश्चितता के समय, 'जान है तो जहान है' का स्पष्ट उद्देश्य और 'प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने' से सरकार को 'जीवन बनाम आजीविका' की दुविधा का सामना करने में मदद मिली, नीतिगत बदलावों के क्रम को गति दी गयी और विकसित स्थिति के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को अनुकूलित किया। भारत ने (i) रोकथाम उपायों से युक्त एक चार-तरफा रिक्तिपूर्व, और सक्रिय रणनीति को अपनाया, जिसमें शामिल हैं (i) रोकथाम के उपाय, (ii) लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वित्तीय सहायता और अनलॉक चरण के दौरान मांग के धक्के पर कैलिब्रेटेड राजकोषीय समर्थन, (iii) वित्तीय उपाय और (iv) कोविड-19 (अध्याय 1, खंड I, आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21 का संदर्भ लें) का मुकाबला करने के लिए संरचनात्मक सुधार। नीति की प्रतिक्रिया महामारी के विभिन्न चरणों के अनुरूप थी, लोगों को सफलता प्रदान करने, मांग का समर्थन करने, पूर्व-महामारी के स्तर को ठीक करने और वित्तीय और ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विकासशील आवश्यकताओं को अपनाना। एक क्रमिक, सुचारु परिवर्तन को 'जान है तो जहान है' से 'जान भी और जहान भी' के लिए तैयार किया गया था।

1.45 24 मार्च, 2020 को 21 दिनों के लिए एक राष्ट्रव्यापी 'कड़े' लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और बाद में इसे 31 मई, 2020 तक बढ़ाया गया था। ऑक्सफोर्ड सरकार के प्रतिसाद ट्रैकर के अनुसार, भारत सबसे पहले एक सख्त लॉकडाउन (100 के साथ सूचकांक) लागू करने वालों में से था, लॉकडाउन लगाने के समय कुछ मामले होने के बावजूद। लॉकडाउन ने स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रिया को मजबूत करने, परीक्षण को रैंप करने और सामाजिक दूरी के अभ्यास के प्रति सार्वजनिक जुड़ाव/जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक समय प्रदान किया। महामारी की शुरुआत में, भारत लगभग पूरी तरह से आयातित वेंटिलेटर, पीपीई किट और एन-95 मास्क पर निर्भर था। केंद्र सरकार ने महामारी की प्रारंभिक अवस्था में उत्पन्न चुनौतियों को पहचान लिया और देश भर में आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति से अधिक सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया। कोविड-19 मामलों के उचित प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की त्रि-स्तरीय व्यवस्था बनाई गई थी, (i) हल्के या पूर्व-लक्षण वाले मामलों के लिए अलगाव बेड के साथ कोविड केयर सेंटर; (ii) मध्यम मामलों के लिए ऑक्सीजन समर्थित आइसोलेशन बेड के साथ समर्पित कोविड हेल्थ सेंटर (DCHC) और (iii) गंभीर मामलों के लिए ICU बेड के साथ समर्पित कोविड अस्पताल (DCH) को लागू किया गया है। 29 दिसंबर 2020 तक कुल 2,70,710 ऑक्सीजन समर्थित अलगाव बेड, 81,113 आईसीयू बेड (40,627 वेंटिलेटर बेड सहित) और 5,91,496 बेड वाले 12,669 संगरोध केंद्र बनाए गए थे। टेक्सटाइल उद्योग ने पीपीई किट और एन 95 मास्क के उत्पादन को बढ़ा-चढ़ा कर और महामारी को पीपीई किट के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरने और एन 95 मास्क के 32 लाख टुकड़ों के दैनिक उत्पादन तक पहुँचने की महामारी की चुनौती को जन्म दिया।

1.46 भारत सरकार और RBI ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और महामारी की वजह से उत्पन्न होने वाली माँग और आपूर्ति दोनों को कम करने के लिए आवश्यक नियामक सहायता प्रदान करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं। प्रदान किए गए नीति समर्थन ने दोनों व्यक्तियों और फर्मों पर लॉकडाउन-प्रेरित संकट के कारण

अपेक्षित गिरावट को कम करने में मदद की। महामारी के लिए भारत सरकार की राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अन्य देशों से अलग थी, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों और व्यवसायिक क्षेत्रों के लिए एक तकिया प्रदान करने के उपायों पर पूर्व में ध्यान केंद्रित करने की मांग को चरणबद्ध तरीके से पेश किया गया था। (विशेषकर एमएसएमई)। इसमें दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम, 42 करोड़ व्यक्तियों को सीधे नकद हस्तांतरण, 20 करोड़ से अधिक महिला जन धन खातों, भवन निर्माण और निर्माण श्रमिकों को नकद सहायता, ARD 30,000 करोड़ अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए, अतिरिक्त शामिल थे। पेंशन भुगतान, मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए प्रावधान, MGNREGS के तहत अतिरिक्त आवंटन, साथ ही क्रेडिट के लिए सरकार की गारंटी, वित्तीय समय सीमा को स्थगित करना आदि। जिस गति से भारत महामारी के दौरान गरीब और निशक्त लोगों को वित्तीय सहायता के प्रौद्योगिकी संबंधी हस्तांतरण पर हस्तक्षेप कर सकता है, वह जे.ए.एम. (जनधन, आधार और मोबाइल) के सावधानीपूर्वक निर्मित सामाजिक संस्थान से इसकी सफलता प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से, देश महामारी के समय बटन के एक क्लिक के माध्यम से करोड़ों खातों में धन हस्तांतरित कर सकता है। इसके अलावा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान (GKRA) 20 जून, 2020 को 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों की अवधि के लिए शुरू किया गया था, ताकि वे अपने गाँवों में लौट आए और मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित नागरिकों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दे सकें। कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार ने भी रोजगार को बनाए रखने और देनदारियों को पूरा करने में मदद करके तनावग्रस्त क्षेत्रों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS 1.0) की शुरुआत की। तनावग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बैंकों और NBFC द्वारा ऋण के लिए आवश्यक क्रेडिट गारंटी की पेशकश करने के लिए योजना (ECLGS 2.0) का दूसरा संस्करण भी लॉन्च किया गया था।

1.47 RBI ने अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिति के प्रबंधन के लिए कई पारंपरिक और अपरंपरागत तरलता बढ़ाने के उपाय किए। इन उपायों में, अन्य बातों के अलावा, 6 फरवरी से 4 दिसंबर, 2020 के बीच ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) खरीद के माध्यम से ₹2.7 लाख करोड़ से अधिक की टिकाऊ तरलता का इंजेक्शन, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में दो खरीद नीलामी ओएमओ के माध्यम से 20,000 करोड़, तीन साल तक के टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस (TLTROs) के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये, फरवरी-मार्च 2020 में लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस (LTROs) के माध्यम से 1.25 लाख करोड़ रुपये, कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में कमी 28 मार्च, 2020 से निवल मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) के 4 प्रतिशत से बैंकों की आवश्यकता, बैंकिंग प्रणाली में प्राथमिक तरलता में लगभग 1.37 लाख करोड़ की वृद्धि, सीमांत के तहत रातोंरात उधार लेने के लिए बैंकों की सीमा बढ़ा दी। स्थायी सुविधा (MSF), म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ की विशेष तरलता सुविधा और सभी भारत के वित्तीय संस्थानों यानी नाबार्ड, NHB, SIDBI और EXIM बैंक के लिए 75,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा दी। RBI और भारत सरकार द्वारा H1: 2020-21 के दौरान NBFC द्वारा सामना की गई तरलता की बाधाओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय, योग्य NBFC/HFC से अल्पकालिक कागजात खरीदने के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) की स्थापना करना था, जो फिर अपनी मौजूदा देनदारियों को बुझाने के लिए आय का उपयोग करें।

1.48 कॉर्पोरेट तनाव में सुधार लाने के लिए, सरकार ने 25 मार्च, 2020 से 25 मार्च 2021 तक या उसके बाद उत्पन्न होने वाली चूक के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की धारा 7, 9 और 10 के तहत नई इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने को निलंबित कर दिया। RBI ने भी 1 मार्च से लोन स्थगन की घोषणा की। 2020 से 31 अगस्त 2020 तक एक परिसंपत्ति वर्गीकरण वितरण और कोविड-19 संबंधित

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए विशेष संकल्प ढांचे के किये। उपरोक्त विंडो के तहत लागू की जा सकने वाली रिजॉल्यूशन योजनाओं के तहत, उधारदाताओं को दो साल तक की अतिरिक्त मोहलत देने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, MSME खातों को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया, जहां 1 मार्च, 2020 तक बैंकों और NBFCs के कुल जोखिम ₹25 करोड़ या उससे कम थे, कुछ शर्तों के अधीन, परिसंपत्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना पुनर्गठन की अनुमति दी गई थी।

1.49 भारत की प्रतिक्रिया यह मानने में अद्वितीय रही है कि महामारी का उत्पादक क्षमता पर दीर्घकालिक विघटनकारी प्रभाव पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन, तदनुसार, व्यक्तियों और फर्मों के अल्पकालिक संकट को दूर करने के लिए कल्याणकारी उपायों के साथ घोषित एक समग्र पैकेज था; और अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक संकट को कम करने के लिए संरचनात्मक सुधार। अर्थव्यवस्था के क्रमिक अनलॉकिंग के साथ, प्रोत्साहन उपायों का फोकस उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन, पूंजी व्यय और बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में निवेश जैसे पुनरुद्धार उपायों की ओर बढ़ा। महामारी की आवश्यकताओं के अनुसार नीति में बारीक अनुकूलन केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों के बीच निरंतर संवाद और समन्वय पर आधारित था। इसलिए, समग्र नीति प्रतिक्रिया का उद्देश्य कोविड के बाद की दुनिया के अवसरों और समस्याओं (तालिका 1) से निपटने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक मुलायम और लचीला बनाना है।

तालिका 1: कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत में नीति पैकेज

उपाय	स्वरूप	नीति उपकरण
रोकथाम के उपाय	<ul style="list-style-type: none"> • रोकथाम और बंद करने की नीति • संचरण की रोकथाम 	<ul style="list-style-type: none"> • स्कूल बंद करना • 21 दिनों के लिए पूरा राष्ट्र-व्यापी लॉक-डाउन • यात्रा प्रतिबंध/रोक • सार्वजनिक स्थानों को बंद करना/सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द करना • गैर-जरूरी आर्थिक गतिविधियों की कटौती • रेड जोन (हॉट स्पॉट), ऑरेंज और ग्रीन जोन में जिलों की जोखिम रूपरेखा • सामाजिक भेद मानदंड • मास्क का अनिवार्य उपयोग
राजकोषीय नीति के उपाय	<ul style="list-style-type: none"> • स्वास्थ्य • कल्याण • कर उपाय • मांग धक्का • निवेश धक्का 	<ul style="list-style-type: none"> • आपातकालीन स्वास्थ्य कोष (₹. 150 बिलियन) • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना - वित्तीय सहायता और खाद्य सुरक्षा • MGNREGS के तहत दैनिक वेतन में वृद्धि • गरीब कल्याण रोजगार अभियान - ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका निर्माण • कर और योगदान नीति में परिवर्तन • राज्यों को सहायता, उधार को सुधारों से जोड़ना <p>आत्म निर्भर भारत पैकेज 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • MSMEs के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) • MSMEs के लिए निधियों के माध्यम से स्ट्रेस्टेड एमएसएमई और इक्विटी इन्फैक्शन के लिए अधीनस्थ ऋण

उपाय	स्वरूप	नीति उपकरण
		<ul style="list-style-type: none"> • NBFCs और MFIs की सहायता के लिए आंशिक गारंटी योजना का विस्तार • स्ट्रीट वेंडर्स को विशेष क्रेडिट सुविधा • DISCOMs के लिए तरलता इंजेक्शन • एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए विशेष तरलता योजना • MUDRA शिशु ऋण के लिए ब्याज सबमिशन • हाउसिंग क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजना - MIG • नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी • KCC के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट • एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का निर्माण, पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड • हर्बल खेती को बढ़ावा • मधुमक्खी पालन की पहल • सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधि योजना <p>आत्म निर्भर भारत पैकेज 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना • LTC वाउचर योजना • त्यौहार अग्रिम <p>आत्म निर्भर भारत पैकेज 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • आत्म निर्भर विनिर्माण के लिए बूस्ट - उत्पादन जुड़े प्रोत्साहन • ग्रामीण रोजगार के लिए बूस्ट • कोविड सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान - भारतीय टीका विकास • आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना • औद्योगिक बुनियादी ढांचा, औद्योगिक प्रोत्साहन और घरेलू रक्षा उपकरण • कृषि के लिए समर्थन - उर्वरक सब्सिडी • सभी के लिए आवास - PMAY-U • NIIIF डेट PF में इन्फ्रास्ट्रक्चर-इक्विटी जलसेक के लिए बूस्ट • परियोजना निर्यात के लिए बूस्ट - EXIM बैंक के लिए सहायता
मौद्रिक उपाय	<ul style="list-style-type: none"> • पॉलिसी की दरें • लिक्विडिटी • संपत्ति खरीद • ऋण अधिस्थगन 	<ul style="list-style-type: none"> • रेपो और रिवर्स रेपो दर को क्रमशः 115 और 155 बीपीएस से कम करना। • ओपन मार्केट ऑपरेशन (वडव) के माध्यम से टिकाऊ तरलता का इंजेक्शन • तीन वर्षों तक के दीर्घकालिक रेपो परिचालन (जस्ज्ते) लक्षित

उपाय	स्वरूप	नीति उपकरण
		<ul style="list-style-type: none"> बैंकों की सीआरआर आवश्यकता में कमी बैंक की उधारी की सीमा को बढ़ाया कार्यशील पूंजी समर्थन-अवधि ऋण अधिस्थगन, ब्याज का आवर्तन और वित्तपोषण आवश्यकताओं में ढील संवर्धित WMA उधार सीमा और सीएसएफ निकासी नियमों में छूट तनावग्रस्त परिसंपत्ति के अनुपालन में आसानी विचलन, पूंजी बफर और तरलता कवरेज आवश्यकताओं में ढील स्वैच्छिक अवधारण मार्ग (VRR) के तहत एफपीआई के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को जानें
मौद्रिक उपाय	<ul style="list-style-type: none"> पॉलिसी की दरें लिक्विडिटी संपत्ति खरीद ऋण अधिस्थगन 	<ul style="list-style-type: none"> रेपो और रिवर्स रेपो दर को क्रमशः 115 और 155 बीपीएस से कम करना। ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के माध्यम से टिकाऊ तरलता का इंजेक्शन तीन वर्षों तक के दीर्घकालिक रेपो परिचालन (TLTROs) लक्षित बैंकों की सीआरआर आवश्यकता में कमी बैंक की उधारी की सीमा को बढ़ाया कार्यशील पूंजी समर्थन-अवधि ऋण अधिस्थगन, ब्याज का आवर्तन और वित्तपोषण आवश्यकताओं में ढील संवर्धित WMA उधार सीमा और सीएसएफ निकासी नियमों में छूट तनावग्रस्त परिसंपत्ति के अनुपालन में आसानी विचलन, पूंजी बफर और तरलता कवरेज आवश्यकताओं में ढील स्वैच्छिक अवधारण मार्ग (VRR) के तहत एफपीआई के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को जानें
संरचनात्मक सुधार	<ul style="list-style-type: none"> कृषि एमएसएमई श्रम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) बिजली सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण खनिज क्षेत्र उद्योग अंतरिक्ष रक्षा 	<p>कृषि</p> <ul style="list-style-type: none"> किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम, 2020 का किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 <p>MSMEs</p> <ul style="list-style-type: none"> नई MSME परिभाषा MSMEs को आकार में बढ़ने और रोजगार पैदा करने में सक्षम बनाने वाली सभी कंपनियों के लगभग 99% को कवर करती है

- निर्माण और सेवा डैडले के बीच कृत्रिम अलगाव को हटाना **श्रम**
- चार श्रम कोडों का अधिनियमन, मजदूरी कोड, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर संहिता
- 'एक श्रम रिटर्न, एक लाइसेंस और एक पंजीकरण'
- ओपन

बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO)

- दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा प्रदाता (ऍच) दिशानिर्देशों का सरलीकरण। कई आवश्यकताएं, जिन्होंने कंपनियों को 'वर्क फ्रॉम होम' और 'वर्क फ्रॉम एनीवेयर' नीतियों को अपनाने से रोका।

बिजली

- टैरिफ नीति सुधार: उपभोक्ताओं को बोझ न करने की अक्षमता, क्रॉस सब्सिडी में प्रगतिशील कमी, खुली पहुंच का समयबद्ध अनुदान आदि।
- संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण

सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण

- केवल रणनीतिक क्षेत्रों में PSUs
- गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण

खनिज क्षेत्र

- कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन
- एक सहज समग्र अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन शासन का परिचय।

उद्योग

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (ऍप्) योजना

अंतरिक्ष

- उपग्रह, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को प्रदान किया जाने वाला स्तरीय खेल का मैदान
- तकनीक-उद्यमियों को दूरस्थ-संवेदी डेटा प्रदान करने के लिए उदार भू-स्थानिक डेटा नीति
- तकनीक

रक्षा

- आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण
- ऑटोमैटिक रूट के तहत डिफेंस मैनुफैक्चरिंग में एफडीआई की सीमा 49: से बढ़ाकर 7 की जाएगी 4%

		<ul style="list-style-type: none"> निर्माण और सेवा डैडले के बीच कृत्रिम अलगाव को हटाना <p>श्रम</p> <ul style="list-style-type: none"> चार श्रम कोडों का अधिनियमन, मजदूरी कोड, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर संहिता ‘एक श्रम रिटर्न, एक लाइसेंस और एक पंजीकरण’ ओपन <p>बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO)</p> <ul style="list-style-type: none"> दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा प्रदाता (ऍच) दिशानिर्देशों का सरलीकरण। कई आवश्यकताएं, जिन्होंने कंपनियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ और ‘वर्क फ्रॉम एनीवेयर’ नीतियों को अपनाने से रोका। <p>बिजली</p> <ul style="list-style-type: none"> टैरिफ नीति सुधार: उपभोक्ताओं को बोझ न करने की अक्षमता, क्रॉस सब्सिडी में प्रगतिशील कमी, खुली पहुंच का समयबद्ध अनुदान आदि। संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण <p>सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> केवल रणनीतिक क्षेत्रों में PSUs गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण <p>खनिज क्षेत्र</p> <ul style="list-style-type: none"> कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन एक सहज समग्र अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन शासन का परिचय। <p>उद्योग</p> <ul style="list-style-type: none"> उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (ऍस्प) योजना <p>अंतरिक्ष</p> <ul style="list-style-type: none"> उपग्रह, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को प्रदान किया जाने वाला स्तरीय खेल का मैदान तकनीक-उद्यमियों को दूरस्थ-संवेदी डेटा प्रदान करने के लिए उदार भू-स्थानिक डेटा नीति तकनीक <p>रक्षा</p> <ul style="list-style-type: none"> आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण ऑटोमैटिक रूट के तहत डिफेंस मैनुफैक्चरिंग में एफडीआई की सीमा 49: से बढ़ाकर 7 की जाएगी 4%
--	--	--


स्रोत: विभिन्न संसाधनों से संकलित और प्रमुख नीतिगत उपायों को शामिल किया गया।

V आकार की अर्थिक पुनः प्राप्ति

1.50 भारत का GDP का Q1 में Q1 प्रतिशत: वित्त वर्ष 2020-21 और Q2 में 7.5 प्रतिशत: वित्त वर्ष 2020-21 तिमाही में कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रभाव और महामारी को नियंत्रित करने के लिए किए गए रोकथाम उपायों को दर्शाता है। संकुचन भारत के सबसे कड़े लॉकडाउन में से एक के प्रवर्तन के अनुरूप था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मापे गए सरकारी रिस्पांस स्ट्रिजेंसी इंडेक्स में परिलक्षित होता था। अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत बने रहे क्योंकि धीरे-धीरे तालाबंदी का दौर जारी रहा, साथ ही आत्मानवीर भारत मिशन के आश्चर्यजनक समर्थन ने अर्थव्यवस्था को रिकवरी के रास्ते पर मजबूती से खड़ा कर दिया।

1.51 NSO ने 2019-20 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2020-21 में वास्तविक GDP के 7.7 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया है। यह पिछले चार दशकों में पहला वार्षिक संकुचन और स्वतंत्रता के बाद से सबसे कठिन (चित्र 39) को चिह्नित करता है। 1965-66 और 1971-72 में संकुचन युद्धों और सूखे के साथ हुआ, जबकि 1979-80 का वर्ष एक गंभीर सूखे और राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ा था। इन सभी वर्षों में एक सामान्य कारक कृषि उत्पादन में गिरावट थी। वर्ष 2019-20, इसके विपरीत, प्रचुर मात्रा में मॉनसून के साथ कृषि क्षेत्र अग्रणी रहा है, जो अर्थव्यवस्था के चांदी के रूप में उभर रहा है। इस वर्ष में संकुचन 'एक बार एक सदी के संकट' के प्रभाव को इंगित करता है जो महामारी और संबद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों द्वारा फैलाया गया है।


चित्र 39: भारत की वास्तविक GDP वृद्धि में रुझान



स्रोत: NSO

1.52 सरकारी उपभोग और शुद्ध निर्यात ने सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन को कम कर दिया है जबकि सकल पूंजी निर्माण (GCF) और निजी उपभोग ने 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन में योगदान दिया है (चित्र 40)। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय ने 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बरकरार रखा है, जबकि 2019-20 (चित्र 41) में इसका हिस्सा 12.0 प्रतिशत से बढ़कर 14.0 प्रतिशत हो गया है। निजी खपत का हिस्सा लगभग समान ही रहा है जो संपर्क-संवेदनशील क्षेत्रों में महामारी और संयमित व्यक्तिगत खपत के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। सकल निवेश ने 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन में सबसे अधिक योगदान दिया है, जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 26.7 प्रतिशत है, जो कि 2000 के दशक में सबसे कम

है। नेट एक्सपोर्ट्स ने 2020-21 में जीडीपी में गिरावट को मुख्य रूप से निर्यात के मुकाबले आयात में तेज संकुचन के कारण कुशन किया है।




स्रोत: NSO

1.53 वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम अनुमान: NSO द्वारा जारी किया गया है जिससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था को H 2: 2020-21 में एक लचीला V-आकार की वसूली के चरण की उम्मीद है। NSO द्वारा जारी तिमाही अनुमानों के अनुसार, अर्थव्यवस्था ने H1: वित्त वर्ष 2020-21 तक 15.7 प्रतिशत की गिरावट दिखाई है। पूरे वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी में 7.7 प्रतिशत की गिरावट: 2020-21 में वर्ष की दूसरी छमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.1 प्रतिशत की मामूली गिरावट का संकेत मिलता है। यह H 2: वित्त वर्ष 2020-21 में H 1: वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 23.9 प्रतिशत की वृद्धि का भी संकेत देता है। धीरे-धीरे प्रतिबंध, उच्च उत्सव और मांग और नीति समर्थन की क्रमिक उठाने के बीच व्यावसायिक गतिविधियों का तेजी से सामान्यीकरण दूसरी छमाही में तेजी से प्रत्याशित आर्थिक सुधार में अनुवाद होने की उम्मीद है। यह Q3: वित्त वर्ष 2020-21 में कई उच्च आवृत्ति संकेतकों में देखा गया एक मजबूत रिबाउंड द्वारा समर्थित है।


1.54 मांग पक्ष पर, वसूली दूसरी छमाही (चित्र 42) में व्यापक-आधारित होने की उम्मीद है। सबसे बड़ी वृद्धि चालक सरकारी उपभोग की संभावना है जो दूसरी छमाही में मजबूत 17 प्रतिशत YoY के बढ़ने की उम्मीद है, जबकि पहली छमाही में 3.9 प्रतिशत संकुचन के खिलाफ। निजी खपत भी 0.6 प्रतिशत के हल्के संकुचन के साथ काफी बेहतर होने की उम्मीद है, जबकि पहली छमाही में 18.9 प्रतिशत के संकुचन के खिलाफ था। सकल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (GFCF) द्वारा मापा गया निवेश एच 1 FY 21 में 29 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ दूसरी छमाही में 0.8 प्रतिशत के हल्के संकुचन के साथ काफी हद तक ठीक होने की उम्मीद है। शुद्ध निर्यात (निर्यात - आयात) 10.7 प्रतिशत के निर्यात में संकुचन की तुलना में 29.1 प्रतिशत के आयात में बड़े संकुचन के साथ वर्ष की पहली छमाही में सकारात्मक निकला। धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ, आयात और निर्यात दोनों में तेजी आई है और दूसरी छमाही में शुद्ध निर्यात फिर से नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने की उम्मीद है। निर्यात में 5.8 प्रतिशत की गिरावट और वर्ष की दूसरी छमाही में 11.3 प्रतिशत आयात की उम्मीद है।

चित्र 42: GDP के घटकों की वृद्धि में अर्धवार्षिक रुझान



स्रोत: NSO


1.55 आपूर्ति पक्ष पर, सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि 2020-21 में -7.2 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में 3.9 प्रतिशत थी। केवल कृषि ने सकारात्मक विकास में योगदान दिया जबकि सेवा और उद्योग ने सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन में योगदान दिया (चित्र 43)। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2020-21 में कोविड-19 महामारी के झटके को झेलने के लिए 3.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निर्धारित किया गया है-जिसके परिणामस्वरूप जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 19-21 प्रतिशत से 19.9 प्रतिशत बढ़कर 17.8 प्रतिशत हो गई है। 2019-20 (चित्र 44)। यह इंगित करता है कि रबी की कटाई और खरीफ बुवाई के लिए कृषि गतिविधियां कोविड-प्रेरित तालाबंदी से अप्रभावित थीं। वर्ष के दौरान उद्योग और सेवाओं का अनुबंध 9.6 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत अनुमानित है। उद्योग के भीतर, खनन का अनुमान 12.4 प्रतिशत, विनिर्माण का 9.4 प्रतिशत और निर्माण का 12.6 प्रतिशत है। यूलिटीज सेक्टर ने एक तेज रिकवरी दिखाई है और 2020-21 में 2.7 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है। सेवा क्षेत्र के भीतर, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार 21.4 प्रतिशत तक अनुबंधित होने का अनुमान है।



स्रोत: NSO

1.56 दूसरी छमाही में अधिकांश क्षेत्रों के मूल्यवर्धन में सकारात्मक वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्साहजनक संकेत है (चित्र 45)। यह दूसरी छमाही में मामूली 0.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सूचित करता है, जबकि 2020-21 की पहली छमाही में 14.9 प्रतिशत संकुचन होता है। 2020-21 के दोनों हिस्सों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत पर स्थिर है। उद्योग क्षेत्र ने दूसरी छमाही में 1.1 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के साथ एक मजबूत रिकवरी का मंचन किया है, जबकि पहली छमाही में 20.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ विनिर्माण क्षेत्र में तेज उछाल के साथ दूसरी छमाही में 0.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 19.4 के संकुचन के खिलाफ है। पहली छमाही में बिजली और निर्माण क्षेत्रों का भी अनुमान है कि दूसरी छमाही में क्रमशः 7.1 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वी-आकार की वसूली दर्ज की जाएगी। महामारी का सबसे बड़ा खामियाजा संपर्क-संवेदनशील सेवा क्षेत्र ने उठाया है, जो पहली छमाही में 15.5 प्रतिशत की दर से अनुबंधित है और दूसरी छमाही में 1.1 प्रतिशत तक अनुबंध का अनुमान है। व्यापार, होटल, परिवहन और संचार, कुल सेवाओं में से एक तिहाई का गठन, पहली छमाही में 31.5 प्रतिशत द्वारा अनुबंधित और दूसरी छमाही में 12.0 प्रतिशत तक अनुबंध का अनुमान है।

चित्र 45: G2 को गठन करने वाले अधिकांश क्षेत्रों में H2: FY 2020-21 में वी-आकार की रिकवरी




स्रोत: NSO

1.57 यह उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था पर, जैसा कि अपेक्षित था, 2020-21 की पहली तिमाही में महामारी के कारण हुए अभूतपूर्व संकट से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्रमिक अनलॉकिंग और मैक्रो-आर्थिक नीतियों के सक्षम समर्थन के साथ, अर्थव्यवस्था ने पूर्व-महामारी के स्तर पर लगातार पलटाव किया है और उच्च-आवृत्ति वाले संकेतकों पर डेटा पिछले वर्ष के गतिविधि स्तरों के साथ बढ़ते अभिसरण का सुझाव देता है। वर्ष की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था के तेज संकुचन को वर्ष की दूसरी छमाही में व्यापक आधारित पुनरुत्थान वृद्धि द्वारा कवर किए जाने की उम्मीद है।

1.58 लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को संबोधित करने के लिए कई उपभोक्ताओं और उत्पादकों द्वारा आर्थिक गतिविधि में सहज कटौती के साथ, वैश्विक आर्थिक गतिविधि के प्रतिकूल झटके का एक अभूतपूर्व संयोजन का गठन किया है। इसके अल्पकालिक प्रभाव के अलावा, महामारी से उत्पन्न होने वाली गहरी मंदी के कारण “सुपर-हिस्टैरिसिस” के लिए जोखिम होता है—न केवल उत्पादन स्तर का एक स्थायी नुकसान बल्कि संभावित उत्पादन में वृद्धि में एक स्थायी मंदी का जोखिम। इसके अल्पकालिक प्रभाव से परे, महामारी से उत्पन्न गहरी मंदी से हिस्टैरिसिस होने का खतरा होता है। जबकि कई सेमिनल सुधार हिस्टैरिसिस की संभावना को कम करने में मदद करेंगे, वसूली को हिस्टैरिसिस से बचने के रूप में माना जाएगा जब अर्थव्यवस्था पूर्व-कोविड आउटपुट पथ को वापस ले लेती है और संभावित विकास के अपने प्रक्षेपवक्र (कोविड नहीं रहेगा ऐसा मानकर) पर वापस आ जाती है।

1.59 वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत सहित, महामारी से प्रेरित संकट से समय में पीछे सेट की गई है। 2020-21 से पहले के पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी। वर्ष 2021-22 में, कम आधार प्रभाव और अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित शक्तियों के आधार पर 10-12 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि की तीव्र वसूली की उम्मीद है। यह माना जाता है कि अर्थव्यवस्था 2022-23 में अपनी विकास दर 6.5 प्रतिशत और 2023-24 में 7.0 प्रतिशत संरचनात्मक सुधारों से सहायता प्राप्त करती है। यदि 12 प्रतिशत वृद्धि के दो परिदृश्य और 2021-22 में 10 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना की गई है, तो भारत 2023-24 (चित्र 46) द्वारा क्रमशः उत्पादन स्तर की प्रवृत्ति के स्तर से 91.5 प्रतिशत और 90 प्रतिशत नीचे होगा।

चित्र 46: क्या भारत की जीडीपी अपने ट्रेंड ग्रोथ में लौट सकती है



स्रोत: NSO से डेटा का उपयोग करके सर्वेक्षण की गणना


नोट: 200:-0 2007 और 2019-20 में रियल जीडीपी को 100 तक अनुक्रमित किया गया है
2020-21 से आगे विकास की प्रवृत्ति की दर 6.5 प्रतिशत मानी गई है

1.60 सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामारी के इस संभावित प्रभाव को मान्यता दी और इसलिए, एक व्यापक सुधार कार्यक्रम शुरू किया है। आत्म निर्भर भारत मिशन के तहत संरचनात्मक सुधारों और नीतिगत धक्का का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को मजबूत करना है—जो अर्थव्यवस्था को महामारी के झटके से उबारने के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूत विकास पथ पर ले जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था को इसकी संभावित वृद्धि तक पहुँचने के लिए निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। नीतिगत जोर सार्वजनिक निवेश के विस्तार पर भी है जो निजी निवेश में भीड़ लाएगा। क्षेत्रों के विचलन और उदारीकरण के प्रयासों का उद्देश्य उद्यमशीलता की ऊर्जा को अनलॉक करने और निजी निवेशकों की जोखिम की भूख को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक वातावरण में सुधार करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामारी के विघटनकारी प्रभाव को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को सरकार की भागीदारी करने की आवश्यकता है।

आउटलुक

1.61 2020-21 में अनुमानित 7.7 प्रतिशत महामारी-चालित संकुचन के बाद, भारत की वास्तविक जीडीपी 2021-22 में 11.0 प्रतिशत और मामूली जीडीपी 15.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। ये रूढ़िवादी अनुमान विलोम संभाव्यता को प्रदर्शित करता है जो आर्थिक गतिविधियों में निरंतर विमुद्रीकरण के कारण प्रकट हो सकते हैं क्योंकि कोविड-19 टीकों के रोलआउट से कर्षण इकट्ठा होता है। इससे सुधारों और आपूर्ति नियमों में शिथिलता, ढांचागत निवेशों को बढ़ावा देने, उत्पादकता से जुड़ी विनिर्माण योजनाओं को बढ़ावा देने, सेवा क्षेत्र के लिए पेंट-अप मांग में सुधार, रोल के बाद विवेकाधीन उपभोग में वृद्धि के कारण आपूर्ति पक्ष द्वारा समर्थन किया जाएगा। वैकसीन और क्रेडिट में लेने से पर्याप्त तरलता और कम ब्याज दर मिलती है। यह रास्ता 2019-20 के पूर्ण स्तर पर 2.4 प्रतिशत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज करेगा—जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था को पूर्व-महामारी स्तर (चित्र 47) तक पहुँचने और जाने में दो साल लगेंगे। ये अनुमान भारत के लिए 2021-22 में 11.5% वास्तविक जीडीपी वृद्धि और 2022-23 में 6.8% आईएमएफ के अनुमान के अनुरूप हैं। भारत को आईएमएफ के अनुसार अगले दो वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की उम्मीद है।

चित्र 47: 2021-21 के लिए वास्तविक GDP के अनुमान



स्रोत: NSO और सर्वेक्षण गणना

1.62 नया साल लंबे समय से प्रतीक्षित कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी और विभिन्न देशों में टीकाकरण ड्राइव की शुरुआत के साथ शुरू हुआ है। आपातकालीन उपयोग के लिए स्वदेश निर्मित दो टीकों की मंजूरी के साथ, भारत ने 16 जनवरी, 2020 को मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क एक डिजिटल प्रणाली (विन-को) टीके स्टॉक की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है—प्लेटफॉर्म, भंडारण तापमान और वास्तविक समय के आधार पर वैक्सीन के लाभार्थियों की व्यक्तिगत ट्रैकिंग।

1.63 भारत छह दिनों के भीतर 10 लाख वैक्सीन रोल-आउट करने वाला सबसे तेज देश बन गया। भारत 22 जनवरी, 2021 को ब्राजील और मोरक्को को निर्यात शुरू करने के साथ विभिन्न देशों के लिए वैक्सीन के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। वैक्सीन के तेजी से रोल आउट से स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चों पर आशावाद को बल मिलता है - आशाएं सेवा क्षेत्र, निजी उपभोग और निवेश में एक मजबूत रिकवरी।

अध्याय एक नजर में

<p>➤ वर्ष 2020 को वैश्विक आर्थिक संकट के बाद से भारत और दुनिया के लिए सबसे विकट आर्थिक चुनौती पेश करते हुए कोविड-19 महामारी की भविष्यवाणी की गई थी।</p>
<p>➤ वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 2020 में 4.4 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, एक सदी में सबसे तेज संकुचन। इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमी की तुलना में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को जीवन और आर्थिक उत्पादन के मामले में कठिन रूप से प्रभावित किया गया।</p>
<p>➤ एक इलाज या वैक्सीन के बिना, इस सभी व्यापक संकट से निपटने ने सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति को महत्वपूर्ण बना दिया, जबकि नीति नियंत्रकों को “जीवन बनाम आजीविका” की एक दुविधा का सामना करना पड़ा, यानी, बीमारी की चपेट में आने से मंदी की अवस्था का सामना करना पड़ सकता है।</p>
<p>➤ दुनिया भर में, सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने प्रमुख नीतिगत दरों को कम करने, मात्रात्मक सहजता के उपायों, ऋण की गारंटी और राजकोषीय उत्तेजना जैसे कई नीतिगत टूल तैनात किए। हालांकि, बड़े राजकोषीय उत्तेजनाओं के फ्लिप पक्ष में ऋण स्थिरता के मुद्दे और वित्तीय तनाव का जोखिम है।</p>
<p>➤ भारत लगातार अनलॉक करने के बावजूद दूसरी लहर से बचने में कामयाब रहा। यह महामारी विज्ञान वक्र को समतल करने में कामयाब रहा है, सितंबर के मध्य में केस लोड चरम पर है और इसके बाद दैनिक मामलों और भाग्य में लगातार गिरावट आ रही है।</p>
<p>➤ कोविड-19 ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर आपातकालीन ब्रेक लगाया जो वर्ष 2020 की शुरुआत में बढ़ रही थी। वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में वृद्धि (-) 7.7%, H1 में 15.7% की गिरावट और मामूली गिरावट से बनी है। -) दूसरी छमाही में 0.1% की गिरावट।</p>
<p>➤ कृषि क्षेत्र में चांदी की परत बनी हुई है, जबकि संपर्क-आधारित सेवाएं, विनिर्माण, निर्माण सबसे कठिन थे। जुलाई से शुरू, एक लचीली वी-आकार की वसूली अच्छी तरह से चल रही है, जैसा कि उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे बिजली की मांग, ई-वे बिल, GST संकलन, स्टील की खपत, आदि में निरंतर पुनरुत्थान द्वारा दर्शाया गया है।</p>
<p>➤ मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से खाद्य कीमतों से प्रेरित है, आपूर्ति की गड़बड़ी को देखते हुए, वर्ष के अधिकांश के लिए 6 प्रतिशत से ऊपर रहा।</p>

<p>➤ कमजोर मांग के कारण निर्यात की तुलना में आयात में तेज संकुचन हुआ, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार आयात के 18 महीने के लिए बढ़ गया।</p>
<p>➤ वाणिज्यिक पत्र जारी करने में तीव्र वृद्धि, पैदावार में आसानी, और MSMEs के लिए मजबूत ऋण वृद्धि, उद्यमों के जीवित रहने और बढ़ने के लिए एक संशोधित क्रेडिट प्रवाह तंत्र को दर्शाती है।</p>
<p>➤ भारत की चार-स्तंभ की रणनीति के हिस्से के रूप में, कैलिब्रेटेड राजकोषीय और मौद्रिक सहायता को विकसित आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ था, लॉकडाउन में कमजोर को कुशनिंग और अनलॉक करते समय खपत और निवेश को बढ़ावा देता है। कृषि, खनन, श्रम आदि में लंबे समय से लंबित संरचनात्मक सुधार अर्थव्यवस्था के लिए संभावित विकास पथ पर लौटने के लिए समवर्ती रूप से किए गए थे, जो सुपर-हिस्टैरिसिस को वाड़ी में रखते हैं। वित्त वर्ष 2022 के लिए 11 प्रतिशत पर अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि आजादी के बाद सबसे अधिक है।</p>
<p>➤ एक सामान्य टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ अर्थव्यवस्था की घर वापसी सामान्य होने के साथ, सेवा क्षेत्र, उपभोग और निवेश में एक मजबूत सुधार की उम्मीद फिर से जागृत हुई है। मध्यम से लंबे समय तक चलने वाले लेंस से, सुधार के एजेंडे को बनाए रखने का कार्य समय की आवश्यकता है।</p>

REFERENCES

- Gourinchas, P-O (2020), “*Flattening the Pandemic and Recession Curves*”, VoxEU.org, 3 June.
- Hansen, Lars Peter. and Thomas J. Sargent. 2001. “Robust control and model uncertainty”. *American Economic Review* 91(2), 60–66.
- International Monetary Fund. “*World Economic Outlook*” Various issues
- Schueller Emily, Eili Klein, Katie Tseng, Geetanjali Kapoor, Jyoti Joshi, Aditi Sriram, Arindam Nandi, Ramanan Laxminarayan. “*COVID-19 for India Updates*” March 24, 2020. <https://cddep.org/wpcontent/uploads/2020/03/covid19.indiasim.March23-2-eK.pdf>
- World Bank. “*Global Economic Prospects*” June 2020
- World Bank. “*Global Economic Prospects*” July 2021
- Xavier Estupinan & Mohit Sharma & Sargam Gupta & Bharti Birla, 2020. “*Impact of COVID-19 Pandemic on Labour Supply and Gross Value Added in India*” Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai Working Papers 2020-022.

Table 0.1 : Key Indicators					
Data categories	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
GDP and Related Indicators					
GDP at current market prices	₹ lakh Crore	171.0	189.7	203.4 ^a	194.8 ^b
GDP at constant market prices	₹ lakh Crore	131.8	139.8	145.7 ^a	134.4 ^b
Growth Rate	(per cent)	7.0	6.1	4.2 ^a	-7.7 ^b
GVA at current basic prices	₹ lakh Crore	155.1	171.4	183.4 ^a	175.8 ^b
GVA at constant basic prices	₹ lakh Crore	120.7	128.0	133.0 ^a	123.4 ^b
Growth Rate	(per cent)	6.6	6.0	3.9 ^a	-7.2 ^b
Gross Savings	% of GDP	32.4	30.1	na	na
Gross Capital Formation	% of GDP	34.2	32.2	na	na
Per Capita Net National Income (at current prices)	₹	1,15,293	1,26,521	1,34,226 ^a	1,26,968 ^b
Production					
Food grains	Million tonnes	285.0	285.2	296.7 ^c	144.5 ^c
Index of Industrial Production (growth)	(per cent)	4.4	3.8	-0.8	-15.5 ^d
Electricity Generation (growth)	(percent)	5.4	5.2	1.0	-4.6 ^d
Prices					
WPI inflation (average)	(per cent)	3.0	4.3	1.7	-0.1 ^e
CPI (Combined) inflation (average)	(per cent)	3.6	3.4	4.8	6.6 ^e
External Sector					
Merchandise export growth (in US\$ term)	(per cent)	10.0	8.8	-5.1	-15.7 ^e
Merchandise import growth (in US\$ term)	(per cent)	21.1	10.4	-7.7	-29.1 ^e
Current Account Balance	% of GDP	-1.8	-2.1	-0.9	3.1 ^f
Foreign Exchange Reserves (end of year)	US\$ Billion	424.4	411.9	475.6	586.1 ^k
Average Exchange Rate	₹ /US\$	64.45	69.92	70.90	74.64 ^j
Money and Credit					
Broad Money (M3) growth (annual)	(per cent)	7.8	10.2	10.1	12.4 ^g
Scheduled Commercial Bank Credit (growth)	(per cent)	10	13.3	6.1	6.1 ^g
Fiscal Indicators (Centre)					
Gross Fiscal Deficit	% of GDP	3.5	3.4	4.6 ^h	3.5 ⁱ
Revenue Deficit	% of GDP	2.6	2.4	3.3 ^h	2.7 ⁱ
Primary Deficit	% of GDP	0.4	0.4	1.6 ^h	0.4 ⁱ
Notes: na: not available					
a: Provisional estimates, b: First advance estimate, c: Fourth AE for 2019-20 and first AE for 2020-21, d: (April-November) 2020, e: (April-December) 2020, f: (April-September) 2020, g: as on December 18, 2020, h: Provisional Actuals, i: Budget Estimates, j: End of December 2020, k: As on 8 th January 2021.					

“सटीकता ऊर्जा को तथा समय गति को नियंत्रित करती है”

- कोनर में मेकग्रेनर द्वारा

एक अभूतपूर्व संकटकाल की पृष्ठभूमि में, वर्ष 2020-21 राजकोषीय मोर्चे पर एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। आर्थिक गतिविधि में रुकावट के कारण राजस्व संग्रह में कमी, कमजोर लोगों, छोटे व्यवसायों, और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था पर महामारी के नतीजों को कम करने के लिए अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं ने उपलब्ध सीमित राजकोषीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बनाया। संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के ग्राँस मार्केट बारोविंग के लक्ष्य को 7.8 लाख करोड़ रुपये के बजट आकलन से संशोधित कर 12 लाख करोड़ कर दिया गया।

इसलिए, भारत ने कई देशों द्वारा अपनाए गए फ्रंट-लोडेड बड़े प्रोत्साहन पैकेज के विपरीत अर्थव्यवस्था की उभरती स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त एक अंशांकित दृष्टिकोण अपनाया। भारत की राजकोषीय नीति ने इस समझ को प्रतिबिंबित किया कि कुल/ऐग्रिगेट मांग, विशेष रूप से गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए, बचत करने के लिए एहतियाती उद्देश्यों को दर्शाती है, जो समग्र अनिश्चितता अधिक होने पर अनिवार्य रूप से ज्यादा होता है। इसलिए, महामारी के शुरुआती महीनों के दौरान जब अनिश्चितता अधिक थी और लॉकडाउन ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, भारत ने विवेकाधीन खपत/उपभोग को बढ़ाने की कोशिश में कीमती वित्तीय संसाधनों को बर्बाद नहीं किया। इसके बदले, नीति ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया कि सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, जिसमें कमजोर वर्गों के लिए प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण/ट्रान्सफर, छोटे व्यवसायों के लिए आपातकालीन ऋण और 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम शामिल था। अनलॉक चरण के दौरान, जब अनिश्चितता में गिरावट आई और एक तरफ उप-बचत करने के लिए एहतियाती मकसद था, और दूसरी ओर आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, भारत ने समग्र माँग पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजकोषीय खर्च में वृद्धि की। इस प्रकार, भारत की मांग-नीति, इस विचार को रेखांकित करती है कि ऐक्सेलरैटर पर दबाव डालते समय ब्रेक को दबाना केवल अपशिष्ट ईंधन बर्बाद करना है।

पिछले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था की वसूली के कारण, मासिक राजस्व संग्रह में सुधार हुआ है। मासिक जीएसटी संग्रह ने पिछले 3 महीनों के लिए लगातार 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जो दिसंबर 2020 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कर प्रशासन/टैक्स ऐडमिनिस्ट्रेशन में सुधारों ने गति में पारदर्शिता, जवाबदेही की प्रक्रिया निर्धारित की है और इससे भी महत्वपूर्ण बात की, कर प्राधिकरण के साथ एक ईमानदार करदाता के अनुभव को बढ़ाता है, इस प्रकार कर अनुपालन को प्रोत्साहित करता है। 2020-21 के लिए व्यय नीति आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय घटक पर जोर देने के साथ व्यय के पुनः प्राथमिकताकरण पर केंद्रित थी। राजस्व में कमी और वर्ष के दौरान उच्च व्यय की मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार को 2020-21 में वित्तीय चूक दर्ज करने की उम्मीद है। हालांकि राजकोषीय समेकन के मार्ग से यह विचलन क्षणिक हो सकता है क्योंकि राजकोषीय संकेतक अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ प्रतिक्षेप करते हैं। इस प्रकार, मध्यावधि में एक स्थायी राजकोषीय मार्ग को सक्षम करने के लिए जीडीपी की वृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना निर्णायक होगा

परिचय

2.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2020 में एक अभूतपूर्व संकट का अनुभव किया। कोविड-19 महामारी ने देशों को लॉकडाउन का सहारा लेने के लिए मजबूर किया जिसका आर्थिक गतिविधि, वित्तीय बाजारों और समाज के कमजोर वर्गों के अस्तित्व पर अचानक और तीव्र प्रभाव पड़ा। सदमे और अनिश्चितता के इस चरण के बीच बड़े पैमाने पर राजकोषीय उपायों, वैश्विक जीडीपी के 12 प्रतिशत की राशि, महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर उठाए गए थे। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति उपायों के संयोजन में, संकट के समय में एक प्रभावी नीति उपकरण के रूप में उभरी।

2.2 महामारी के लिए भारत सरकार की राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अन्य देशों से अलग थी। कई अन्य देशों के विपरीत, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के पुनः प्रवर्तन के लिए एक फ्रंट-लोडेड भव्य प्रोत्साहन पैकेज चुना, भारत सरकार ने एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण अपनाया। शुरुआत में दृष्टिकोण था की लॉकडाउन के प्रारंभिक चरण में समाज के गरीब और कमजोर लोगों और विशेष रूप से व्यापार क्षेत्र (विशेषकर एमएसएमई) के लिए एक कुशन प्रदान करना था। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा भोजन कार्यक्रम, जन धन खातों में सीधे ट्रांसफर, साथ ही साथ क्रेडिट के लिए सरकार की गारंटी, वित्तीय समय सीमा का स्थगन आदि शामिल थे। अर्थव्यवस्था की क्रमिक अन-लॉकिंग के साथ, राजकोषीय प्रोत्साहन का ध्यान घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए किए गए विभिन्न उपायों से बढ़ाया गया है जैसे कि पूंजीगत व्यय, उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन और खपत बढ़ाने की मांग को पुनर्जीवित करने के लिए अन्य योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

2.3. यह अध्याय महामारी के प्रकोप से पहले और बाद में भारत में राजकोषीय विकास की समीक्षा करता है। यह चालू वित्त वर्ष में महामारी के लिए राजकोषीय प्रदर्शन और नीतिगत प्रतिक्रिया की चर्चा के साथ शुरू होता है, इसके बाद 2020-21 में कर प्रशासन में पेश किए गए प्रमुख सुधारों पर खंड है। अध्याय/चैप्टर तब केंद्र, राज्य और सामान्य सरकार के वित्त में मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों का एक विस्तृत विश्लेषण देता है, और 2020-21 के लिए दृष्टिकोण के स्नैपशॉट के साथ समाप्त होता है।

कोविड-19 महामारी के लिए राजकोषीय स्थिति और प्रतिक्रिया


2.4 वर्ष 2020-21 की महामारी ने अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय चुनौतियों को आवश्यक बना दिया है, जो अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं की विशेषता थी, जो कमजोर लोगों के लिए जीविका और आजीविका के बुनियादी साधन सुनिश्चित करने, एमएसएमई क्षेत्र के लिए राहत के उपाय, अतिरिक्त स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं से निपटने के लिए कोविड-19 से लड़ने और मांग को बढ़ावा देने के उपायों के लिए निर्देशित थे। इस अवधि के दौरान, सरकार ने व्यय के प्रबंधन में सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड रणनीति का पालन किया।

2.5 वित्त वर्ष 2020-21 की पहली दो तिमाहियों के दौरान, मंत्रालयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। श्रेणी शर्ष में मंत्रिमंडल/मंत्रालय जनता को राहत या कल्याण प्रदान कर रहे थे। इन मंत्रालयों/मंत्रिमंडलों पर कोई व्यय प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और वास्तव में बढ़ा हुआ आवंटन उन्हें उपलब्ध कराया गया था। अन्य मंत्रालय/मंत्रिमंडल जो सीधे तौर पर महामारी में शामिल नहीं थे, उन्हें 'बी' श्रेणी में रखा गया और प्रति तिमाही उनके बजट का 20% खर्च करने की अनुमति दी गई। महामारी की स्थिति में कम प्राथमिकता वाले मंत्रालयों/मंत्रिमंडलों को 'सी' श्रेणी में रखा गया था और पहली दो तिमाहियों में अपने बजट का 15% खर्च करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, श्रेणी बी और सी मंत्रालयों/मंत्रिमंडलों में भी, घरेलू पूंजीगत व्यय पर खर्च की अनुमति इन उच्चतम सीमा से परे की थी। इस वर्गीकरण ने सरकार को यह सुनिश्चित करने में सक्षम किया कि राजस्व प्राप्तियों में तीव्र संकुचन के बावजूद आवश्यक गतिविधियों के लिए धनराशि पूरी तरह से उपलब्ध कराई गई थी, और पुनः प्राथमिकता के लिए दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण किया गया था।

2.6 तीसरी तिमाही के प्रभाव से, व्यय की उच्चतम सीमा को संशोधित पूर्ण वर्ष के आवंटन के आधार को ढीला/रिलैक्स कर दिया गया था। संशोधित आवंटन से अर्थव्यवस्था पर सबसे सकारात्मक प्रभाव या तो फिर से विकास या तो कल्याण की जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में उन क्षेत्रों में व्यय का एक बड़ा पुनः प्राथमिकताकरण हुआ। संशोधित आवंटन के भीतर मंत्रालयों को व्यय का समय तय करने की अनुमति दी गई थी। पूंजीगत व्यय पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति के बावजूद, पहले दो तिमाहियों में पूंजीगत व्यय की गति को प्रतिबंध क्षेत्रों/कंटेनमेंट जोन में गतिविधि प्रतिबंधों के कारण रोका गया था, और ठेकेदारों और श्रमिकों की अक्षमता या अक्षमता के कारण कार्यों को पूरा करने के लिए।

2.7 तीसरी तिमाही में गति और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ, सरकारी व्यय की गति में तेजी आई है। महामारी से राहत के लिए दूसरा, सरकार ने उत्पादक घरेलू पूंजीगत व्यय पर अधिकतम प्राथमिकता दी है जिसका अर्थव्यवस्था पर उच्च गुणक प्रभाव पड़ता है। अप्रैल से दिसंबर 2020(फ्लैश)2 तक का पूंजीगत व्यय 3.17 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय से 24% अधिक था। कुल व्यय में भी 11% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई, जो अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान 21.11 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल से दिसंबर 2020(फ्लैश) के दौरान 23.4 लाख करोड़ रुपये हो गई। मासिक व्यय के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2020 के अंतिम तीन महीनों के दौरान पिछले वर्ष के समान महीनों की तुलना में अक्टूबर में कुल 9.5 प्रतिशत, नवंबर में 48.3 प्रतिशत और दिसंबर(फ्लैश) में 50.2 प्रतिशत की कुल व्यय में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2020 के आखिरी तीन महीनों के दौरान पूंजीगत व्यय अक्टूबर में 129.5 प्रतिशत, नवंबर में 248.5 प्रतिशत और दिसंबर(फ्लैश) में 81.9 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष के समान महीनों की तुलना में था (चित्र 1)। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि समय-समय पर व्यय के संकट, विशेष रूप से पूंजीगत व्यय, स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिबंधों में रुकावट के बाद, राजकोषीय मृग के लिए विकास “bang” को अधिकतमीकृत किया गया है।

चित्र 1: 2019-20 के अनुरूप महीनों में वित्त वर्ष 2020-21 की मासिक व्यय में वृद्धि




स्रोत: व्यय विभाग

2.8 राजस्व मोर्चे पर भी वसूली स्पष्ट है, क्योंकि मासिक सकल जीएसटी संग्रह ने पिछले 3 महीनों (चित्र 2) से लगातार 1 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर लिया है। दिसंबर 2019 (चित्र 3) से अधिक जीएसटी राजस्व में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के बाद, दिसंबर 2020 के महीने के लिए मासिक जीएसटी राजस्व 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा। जीएसटी लागू होने के बाद से यह सबसे अधिक मासिक जीएसटी संग्रह है। जीएसटी संग्रह में रिकवरी तेजी से आर्थिक सुधार पोस्ट महामारी और जीएसटी चोरों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी


अभियान और हाल ही में शुरू किए गए कई व्यवस्थागत बदलावों के साथ नकली बिल के कारण हुई है, जिसके कारण अनुपालन में सुधार हुआ है।

चित्र 2: 2020-21 के दौरान जीएसटी संग्रह में वसूली



स्रोत: राजस्व विभाग

चित्र 3: 2020-21 के दौरान जीएसटी संग्रह में प्रवृत्ति



स्रोत: राजस्व विभाग

2.9 शेष खंड अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि के लिए राजकोषीय संकेतकों और उनके घटकों के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी अप्रैल से नवंबर 2020-21 के लिए सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2020 के अंत में केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा 114.8 प्रतिशत 2019-2020 में इसी अवधि के दौरान की तुलना में बीई का 135.1 प्रतिशत रहा (तालिका 1). महामारी से उत्पन्न स्थितियों

की भयावहता को देखते हुए, भारत सहित अधिकांश देशों में आर्थिक दृष्टि से तनाव हो रहा है, घाटा आंकड़ों में परिलक्षित हो रहा है। सरकार द्वारा आवश्यक संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के सकल बाजार उधार का लक्ष्य बजट अनुमान 7.8 लाख करोड़ रुपये से 12 लाख करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया था।

तालिका 1: 2020-21 के लिए अनंतिम परिणाम (नवंबर 2020 तक)

	2020-21 बीई	लाख करोड़ रुपये में		संबंधित बीई का प्रतिशत		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)		
		2019-20 (अप्रैल - नवंबर)	2020-21 (अप्रैल - नवंबर)	2019-20 (अप्रैल - नवंबर)	2020-21 (अप्रैल - नवंबर)	2019-20 (अप्रैल - नवंबर)	2020-21 (अप्रैल - नवंबर)	
1	राजस्व प्राप्तियां	20.21	9.83	8.13	50.1	40.2	13.0	- 17.3
2	सकल कर राजस्व	24.23	11.74	10.26	47.7	42.4	0.8	- 12.6
3	राज्यों को सौंपा गया	7.84	4.22	3.34	52.1	42.6	- 2.3	- 20.7
4	कर राजस्व (नेट केंद्र के लिए)	16.36	7.51	6.88	45.5	42.1	2.6	- 8.3
5	गैर कर राजस्व	3.85	2.33	1.24	74.3	32.3	67.8	- 46.6
6	गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	2.25	0.29	0.18	24.2	8.1	10.4	- 37.5
7	गैर ऋण प्राप्तियां	22.46	10.12	8.31	48.6	37.0	12.9	- 17.9
8	कुल व्यय	30.42	18.20	19.06	65.3	62.7	12.8	4.7
9	राजस्व व्यय	26.30	16.06	16.65	65.6	63.3	13.0	3.7
10	पूंजीगत व्यय	4.12	2.14	2.41	63.2	58.5	11.7	12.8
11	राजस्व घाटा	6.09	6.23	8.52	128.4	139.9	13.0	36.8
12	राजकोषीय घाटा	7.96	8.08	10.76	114.8	135.1	12.7	33.1
13	प्राथमिक घाटा	0.88	4.66	6.92	1076.5	785.3	26.5	48.5


स्रोत: सीजीए मासिक लेखा; बीई: बजट एस्टीमेट/अनुमान

चित्र 4: 2020-21 में राजकोषीय संकेतकों की वृद्धि दर (नवंबर 2020 तक)

स्रोत: सीजीए मासिक लेखा

2.10 महामारी के प्रकोप के बाद गैर-ऋण प्राप्तियां आर्थिक गतिविधियों में मंदी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं। अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान, गैर-ऋण प्राप्तियों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि (चित्र 4) के सापेक्ष -17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इस कमी को गैर-ऋण प्राप्तियों के सभी घटकों यानि की शुद्ध कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। नवंबर 2020 तक गैर-कर राजस्व संग्रह में पिछले वर्ष की इसी अवधि के सापेक्ष 46.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। यह अप्रैल से नवंबर 2019 तक लाभांश/डिविडेन्ड और मुनाफे में 0.88 लाख करोड़ रुपये की कमी के कारण हुआ, जो बीई का 45.4 प्रतिशत था।

चित्र 4:(नवम्बर 2020) तक में राजकोषीय संकेतकों को वृद्धि दर



स्रोत: सीजीए मासिक लेखें

2.11 2020-21 के पहले आठ महीनों के दौरान सकल कर राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.26 लाख करोड़ रुपये, बीई का 42%, 12.6 प्रतिशत कम था। यह गिरावट उत्पाद शुल्क को छोड़कर सभी प्रत्यक्ष करों और प्रमुख अप्रत्यक्ष करों में नकारात्मक वृद्धि के कारण थी। विशेष रूप से, प्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी ने सकल कर राजस्व में 92 प्रतिशत की कमी का योगदान दिया। पिछले वर्ष की इसी अवधि के सापेक्ष 1.48 लाख करोड़ रुपये के जीटीआर में हुई कमी में से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी को निगम करों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, व्यक्तिगत आय करों के कारण 0.3 लाख करोड़ रुपये की कमी हुई और अप्रत्यक्ष करों के कारण रुपये 0.14 लाख करोड़। नवंबर 2020 तक की अवधि के लिए कॉर्पोरेशन टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स बीई के 27.3 प्रतिशत और बीई के 36.8 प्रतिशत थे।

2.12 अप्रैल से नवम्बर 2020 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में गिरावट केंद्र के लिए सीमा शुल्क और जी एस टी वसूली में कमी के कारण थी। अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान केंद्र के लिए सीमाशुल्क राजस्व बना आकलन का 45.71% और जी एस टी की वसूली बजट आकलन का 48% हुई थी। यह कमी उत्पाद शुल्क के माध्यम से राजस्व संग्रह से आंशिक रूप से ऑफसेट थी, जो पिछले साल की समान अवधि के सापेक्ष राजकोष के पहले आठ महीनों के दौरान 48 प्रतिशत बढ़ी। कम वैश्विक तेल की कीमतों का लाभ उठाने और म्यूटेड राजस्व संग्रह के लिए कुछ कुशन बनाने के लिए 2020-21 के दौरान पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क लगाया गया था। कोविड-19 के मद्देनजर वर्ष 2020-21 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए किए गए उपायों की एक श्रृंखला अनुबंध में प्रस्तुत की गई है। अनुपालन और वैधानिक कार्यों के लिए समय सीमा के विस्तार द्वारा सेवाओं और व्यक्तियों का समर्थन करने पर केंद्रित ये उपाय, उद्योग / व्यापार के साथ कार्यशील पूंजी / नकदी की उपलब्धता में सुधार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग या व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित करना ताकि कर दाता और विभाग के बीच भौतिक इंटरफेस को कम किया जा सके, दवाओं / दवाओं की शीघ्र निकासी हो सके /कोविड-19 उपचार / रोकथाम के लिए आवश्यक सुरक्षा और चिकित्सा उपकरण।

2.13 कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल बाजार स्थितियों ने विनिवेश प्राप्तियों के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जो गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का एक प्रमुख घटक है। बजट 2020-21 में चालू वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश आय से 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने की परिकल्पना की गई थी, जिसमें वित्तीय संस्थानों में विनिवेश के लिए 90,000 करोड़ रुपये की परिकल्पना की गई थी। 20 जनवरी, 2021 को, सरकार 15,220 करोड़ रुपये जुटाने में सफल रही, जिसमें से 443 करोड़ रुपये इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) (मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल)) के माध्यम

से जुटाए गए और 10,169 रुपये की पेशकश ऑफर फॉर सेल (रुपये 4924 करोड़ - हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) (एचएएल), रुपये 771 करोड़ - भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) और रुपये 4474 करोड़ - भारतीय रेलवे सफाई और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के माध्यम से की गई थी, रुपये 2770 बायबैक (करोड़ 156 करोड़ रुपए - केआईओसी, रुपए 1065 करोड़-एनटीपीसीलिमिटेड, रुपए 173 करोड़ -आरआईटीईएस लिमिटेड) और रुपये 1376 करोड़ - एनएमडीसी लि.), और अन्य लेनदेन से रु 1838 करोड़ लिए गए हैं। वर्ष के दौरान, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जो वाणिज्यिक उद्यमों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी की मांग करता है। सरकार सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में खोलने की आवश्यकता को स्वीकार करती है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम परिभाषित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार का ध्यान सीपीएसईयों के एक महत्वपूर्ण निजीकरण अभ्यास पर जोर देना है और एयर इंडिया, बीपीसीएल, सीओएनसीओआर और एससीआई जैसे बड़े सीपीएसईयों के बड़े-टिकट रणनीतिक बिक्री / निजीकरण को गति देना है।

2.14 वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय नीति ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित व्यय मांगों को पूरा करने के लिए व्यय के पुनर्गठन और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित किया है। अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान कुल सरकारी व्यय बजट अनुमान के 62.7 प्रतिशत पर रुका था, जबकि अप्रैल से नवंबर 2019 में यह 65.3 प्रतिशत था। 2019-20 में इसी अवधि की तुलना में 2020-21 के पहले आठ महीनों के दौरान राजस्व व्यय में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्योंकि नवंबर 2020 तक के लेखा आकड़े यह दर्शाते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 के प्रथम आठ महीनों के दौरान सब्सिडी में 14% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई (तालिका 2 देखें) चालू वर्ष के दौरान संशोधित आकालनों में सब्सिडी व्यय पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वैश्विक पेट्रोलियम कीमतों में गिरावट ने 2020-21 के दौरान एक महत्वपूर्ण राजकोषीय शॉक अक्टूबर के रूप में काम किया, क्योंकि इससे पेट्रोलियम सब्सिडी में गिरावट आई और उत्पाद शुल्क से राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई (पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण)।

तालिका 2: प्रमुख सब्सिडीयों पर व्यय

आइटम	बजट अनुमान (रुपए लाख करोड़ में)		अप्रैल से नवंबर (रुपए लाख करोड़ में)		पिछले वर्ष की इसी अवधि में वृद्धि की दर (अप्रैल -नवम्बर)		
	2020-21	2018	2019	2020	2018	2019	2020
कुल प्रमुख सब्सिडी	2.28	2.19	2.35	2.02	6.3	7.3	-14.0
खाद्य सब्सिडी	1.16	1.42	1.32	1.16	5.3	-7.2	-12.0
पोषक तत्वों पर आधारित उर्वरक सब्सिडी	0.24	0.20	0.22	0.16	14.9	11.3	-29.6
यूरिया सब्सिडी	0.48	0.33	0.51	0.50	4.6	52.7	-1.8
पेट्रोलियम	0.41	0.23	0.30	0.20	8.1	27.7	-31.9

स्रोत: सीजीए मासिक लेखा

2.15 लॉग टर्म एसेट और अवसंरचना के निर्माण का समर्थन करने के लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 25,000 करोड़ रुपये से सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू रूप से उत्पादित पूंजी उपकरण पर पूंजीगत व्यय के लिए बजट प्रावधान को बढ़ाया था। यह बजट 2020-21 में अनुमानित रूप से 4.12 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त है। अप्रैल से नवंबर 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय 2019-20 में इसी अवधि में 12.8 प्रतिशत बढ़ा है।

2.16 पिछले महीनों के दौरान, राजस्व संग्रह में वसूली के सकारात्मक संकेत मासिक जीएसटी संग्रह में सकारात्मक वृद्धि और अक्टूबर 2020 और नवंबर 2020 के महीने के लिए राजस्व प्राप्तियों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ 2019 के संबंधित महीनों के सापेक्ष देखे गए हैं। हालाँकि, आर्थिक गतिविधियों पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, विशेष रूप से व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट आय में गिरावट, वस्तुओं और सेवाओं की खपत और वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आई है, यह उम्मीद की जाती है कि 2020-21 के दौरान कर राजस्व बजट अनुमान से कम हो सकता है। इसलिए महामारी और प्रत्याशित राजस्व की कमी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष के दौरान घोषित प्रोत्साहन पैकेजों से संबंधित व्यय की समवर्ती मांग को ध्यान में रखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बजट अनुमान को पार कर सकता है। कोविड-19 के प्रतिक्रिया में सरकार द्वारा घोषित राजकोषीय नीति प्रोत्साहन पैकेज का विवरण बॉक्स 2 में देखा जा सकता है।

2.17 कोविड-19 से प्रेरित राजकोषीय प्रणाली पर इस आघात को ध्यान में रखते हुये, इसलिए महत्वपूर्ण चिंता यह है कि क्या मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति की रणनीति को विकास या राजकोषीय नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। सर्वेक्षण के खंड I में अध्याय 2 इस पर विस्तार से चर्चा करता है। संकटों के समय में विरुद्ध आवर्ती विस्तारवादी राजकोषीय नीति को अपनाना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निजी उपभोग व्यय और निजी निवेश पर गुणक प्रभावों के माध्यम से जीडीपी में वृद्धि को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इस तरह उच्च जीडीपी वृद्धि से मध्यम अवधि में आय के संग्रह में आसानी होगी, और इससे एक स्थायी राजकोषीय मार्ग संभव होगा।

बॉक्स 1: दुनिया भर में कोविड-19 के लिए राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया


मांग को बढ़ावा देने और लॉकडाउन चरण के बाद अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के लिए, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं ने कोविड-19 महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव के खिलाफ जीवन और आजीविका की रक्षा के उद्देश्य से राजकोषीय नीति के उपायों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। अपनाए गए राजकोषीय उपायों में विविधता थी, जिसमें सीमा उपायों के ऊपर, सीमा उपायों के नीचे और आकस्मिक देयताएँ (गारंटी, अर्ध-राजकोषीय संचालन) शामिल थी।

‘लाइन-से-ऊपर’ उपायों में वे शामिल हैं जिनके लिए राजकोषीय घाटे, सरकारी ऋण, और अल्पावधि में बढ़ती हुई जरूरतों की पूरी लागत परिलक्षित होती है। इन उपायों में अतिरिक्त खर्च (उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं और बेरोजगारी लाभ) शामिल हैं; पूंजी वृत्ति और लक्षित स्थानान्तरण (उदाहरण के लिए, मजदूरी सब्सिडी या प्रत्यक्ष स्थानान्तरण); या कर उपाय (उदाहरण के लिए, कर कटौती या अन्य राहत) मानक बजट चैनलों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। ‘लाइन-से नीचे’ उपायों को आम तौर पर परिसंपत्तियों के निर्माण में शामिल माना जाता है, जैसे कि इक्विटी इंजेक्शन, ऋण, संपत्ति की खरीद आदि, जिसका राजकोषीय घाटे पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन वे ऋण को बढ़ा सकते हैं या नकदी (आईएमएफ राजकोषीय मॉनिटर अप्रैल 2020) को कम कर सकते हैं।

सितंबर, 2020 तक कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में सरकारों द्वारा घोषित विभिन्न लाइन-से-ऊपर उपायों और अन्य नकदी/लिक्विडिटी समर्थन उपायों की संरचना, चित्र 5 और तालिका 3 में देखी जा सकती है। आईएमएफ के इन अनुमानों से पता चलता है कि भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद के 2.2 प्रतिशत के बराबर लाइन उपायों की घोषणा की और अन्य तरलता सितंबर, 2020 तक जीडीपी के लगभग 5.3 प्रतिशत के उपायों का समर्थन किया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जीडीपी के 1.7 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राजकोषीय उपायों को भारत सरकार ने अक्टूबर और नवंबर 2020 में पेश किया था (देखें बॉक्स 2)। हालाँकि भारत के उपाय अन्य

विकसित देशों की तुलना में छोटे थे, लेकिन वे अर्थव्यवस्था में सुधार की सुविधा के लिए पर्याप्त थे। यह भारत को भविष्य में राजकोषीय संसाधनों को तैनात करने के लिए अधिक बड़ा एल्बो रूम छोड़ देता है।

चित्र 5: रेखा/लाइन उपायों से ऊपर (जीडीपी के एक प्रतिशत के रूप में) -सितंबर तक



स्रोत: आईएमएफ फिस्कल आउटलुक, अक्टूबर 2020।

11 सितंबर, 2020 तक कोविड-19 महामारी के लिए सरकार की प्रतिक्रिया द्वारा घोषित प्रमुख वित्तीय उपाय शामिल हैं

तालिका 3: नकदी /लिक्विडिटी सहायता उपाय (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) -सितंबर तक

	लाइन/रेखा उपायों के नीचे: नकदी /इक्विटी इंजेक्शन, ऋण, परिसंपत्ति खरीद या ऋण धारणाएं।	आकस्मिक देयताएँ-गारंटी	आकस्मिक देयताएँ-क्वासी-राजकोषीय संचालन
संयुक्त राज्य अमेरिका	0.3	2.2	
यूनाइटेड किंगडम	0.0	16.5	
कनाडा	0.2	4.0	
जापान		3.0	20.7
फ्रांस	0.9	14.8	
जर्मनी	6.0	24.8	
ब्राजिल	1.0		5.3
चीन		0.4	0.9
भारत	0.3	4.5	0.5
इंडोनेशिया	0.2	0.9	
मेक्सिका	0.2		0.3
रूस	0.1	0.5	0.5
दक्षिण अफ्रीका		4.1	0.1

स्रोत: आईएमएफ राजकोषीय आउटलुक अक्टूबर 2020

बॉक्स 2: भारत के सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन


कोविड-19 महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था की एक लचीली वसूली की सुविधा और लॉकडाउन के चलते, भारत सरकार और आरबीआई ने कुल मिलाकर 29.87 लाख करोड़ रुपये की कुल प्रोत्साहन राशि की घोषणा की, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 15% है। इसमें से 9% सकल घरेलू उत्पाद का प्रोत्साहन आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रोत्साहन को निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रदान किया गया था:

- विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज, 13-17 मई 2020 से घोषित किया गया।
- 12 अक्टूबर 2020 को घोषित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के उपाय।
- 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत उपायों की घोषणा की गई।


इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि कुछ अन्य देशों द्वारा अपनाए गए राजकोषीय नीति दृष्टिकोण के विपरीत, जिसमें एक ही बार में बड़ी मांग प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई थी, भारत सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन चरणबद्ध तरीके से पेश किया गया था। मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों और छोटे व्यवसायों के लिए एक तकिया प्रदान करने के उपायों पर केंद्रित लॉकडाउन के शुरुआती चरण में विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की गई। इसमें गरीबों और कमजोर, आजीविका कार्यक्रमों, गारंटियों और नकदी /लिविबिलिटी बढ़ाने वाले उपायों के लिए सीधे खाद्य हस्तांतरण शामिल थे। इसके बाद, लॉकडाउन और प्रतिबंधों को स्थिर खोलने के साथ, उपभोग की मांग को फिर से बढ़ाने के लिए मांगने वाले पक्ष को प्रोत्साहन दिया गया था। जब लॉकडाउन के हटने के बाद आर्थिक सुधार शुरू हुआ, तो उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन/इन्सेन्टिव जैसे निवेश बढ़ाने के उपायों, पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के कदमों पर प्रोत्साहन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रोत्साहन के उपायों के मिश्रण में यह परिवर्तन, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़े में दिखाया गया है, यह दर्शाता है कि राजकोषीय नीति में एक लचीली वसूली को सक्षम करने के लिए एक उभरती हुई स्थिति के लिए अनुकूलन करने का लचीलापन था।

चित्र 6: कोविड-19 की प्रतिक्रिया में घोषित प्रोत्साहन उपायों का मिश्रण


मार्च 2020 (1,92,800 करोड़ रुपये)




मई - जून 2020 (11,85,561 करोड़ रुपये)



अक्टूबर 2020 (73,000 करोड़ रुपये)



नवंबर 2020 (2,65,080 करोड़ रुपये)



सरकार द्वारा दी गई राजकोषीय प्रोत्साहन की अनुक्रमणिका नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है:

तालिका 4: राजकोषीय प्रोत्साहन- आत्मनिर्भर भारत पैकेज

उपायों की अनुक्रमणिका	राशि (करोड़ रुपए)	जीडीपी' के % के रूप में
मार्च 2020		
कुल प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा	1716441	8.8
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज	170000	0.87
स्वास्थ्य उपायों के बारे में प्रधान मंत्री की घोषणा	15000	0.08
22.03.2020 से घोषित कर उपायों के कारण हुई राजस्व की हानि	7800	0.04
मई 2020		
प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	20000	0.10
अतिरिक्त एमजीएनआरईजीएस आवंटन	40000	0.21
व्यापार और श्रमिकों के लिए ईपीएफ समर्थन	2800	0.01
ईपीएफ दरों में कमी	6750	0.03
डीआईएससीओएम के लिए नकदी इंजेक्शन	90000	0.46
टीडीएस / टीसीएस दरों में कमी	50000	0.26
2 महीने के लिए प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति	3500	0.02
एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए आपातकालीन डबल्यू /सी सुविधा	300000	1.54
तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण	20000	0.10
एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से इक्विटी इन्फ्यूजन	50000	0.26
एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए विशेष नकदी योजना	30000	0.15
एनबीएफसी / एमएफआई की देयताओं के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0	45000	0.23
मुद्रा शिशु ऋण के लिए ब्याज आर्थिक सहायता	1500	0.01
स्ट्रीट वेंडर्स को विशेष क्रेडिट सुविधा	5000	0.03
हाउसिंग सीएलएसएस-एमआईजी	70000	0.36
नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी	30000	0.15
केसीसी के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट	200000	1.03

खाद्य माइक्रो उद्यम	10000	0.05
उपर से कुल: ऑपरेशन ग्रीन्स	500	0.00
एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड	100000	0.51
पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड	15000	0.08
हर्बल खेती को बढ़ावा	4000	0.02
मधुमक्खी पालन पहल	500	0.00
सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना	8100	0.04
जून 2020		
जुलाई से नवंबर (5 महीने) तक पीएमजीके अन्न योजना का विस्तार	82911	0.43
अक्टूबर 2020		
बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर	37000	0.19
एलटीसी वाउचर योजना	28000	0.14
फेस्टिवल एडवांस	8000	0.04
नवम्बर 2020		
आत्मनिर्भर विनिर्माण के लिए बढ़ावा - उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन	145980	0.75
आत्मनिर्भर 3.0 के तहत ग्रामीण रोजगार के लिए बढ़ावा	10000	0.05
कोविड सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान - भारतीय टीका विकास	900	0.00
आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (समग्र रूप से 36,000 करोड़ रुपये)	6000	0.03
औद्योगिक अवसंरचना, औद्योगिक प्रोत्साहन और घरेलू रक्षा उपकरण	10200	0.05
कृषि के लिए समर्थन - उर्वरक सब्सिडी	65000	0.33
सभी के लिए आवास - पीएमएवाई-यू	18000	0.09
अवसंरचना के लिए बढ़ावा - एनआईआईएफ ऋण में पीएफ इक्विटी इन्फ्यूजन	6000	0.03
परियोजना निर्यात के लिए बढ़ावा - एक्जिम बैंक के लिए सहायता	3000	0.02

'जीडीपी के लिए 2020-21 के लिए पहले उन्नत अनुमानों यानी 1,94,81,975 रुपये का उपयोग किया गया है।

कर प्रशासन में सुधार


2.18 सरकार ने अधिक पारदर्शी, कुशल और कर-दाता अनुकूल कर प्रशासन के दीर्घकालिक लाभों के उद्देश्य से लगातार सुधार उपायों को अपनाया है। इस दिशा में एक बड़ा कदम 'ऑनरिंग द ऑनरेस्ट' प्लेटफॉर्म की शुरुआत है। 'ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन- ऑनरिंग द ऑनरेस्ट' का प्लेटफॉर्म अगस्त 2020 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करना और करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच भौतिक इंटरफेस को समाप्त करना था। प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं (i) प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और एआई का उपयोग और (ii) राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में करदाताओं को पहचानना। प्लेटफॉर्म टैक्स प्रशासन सुधारों के 3 स्तंभों पर खड़ा है, यानि कि फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर। प्लेटफॉर्म को डेटा एनालिटिक्स और एआई, डायनेमिक ज्यूरिस्टिक्शन, मामलों के स्वचालित अनियमित आवंटन, टीम आधारित मूल्यांकन / समीक्षा, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर / समीक्षा के प्रावधान का उपयोग करके सिस्टम के माध्यम से यादृच्छिक चयन जैसे निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है और विभिन्न शहरों में आदेश को अंतिम रूप देना और करदाताओं और आईटी विभाग के बीच भौतिक इंटरफेस को कोर्ड आवश्यकता नहीं है।

फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2020

2.19 फेसलेस असेसमेंट योजना, 2019 (जिसे पहले ई-असेसमेंट योजना कहा जाता था और अगस्त 2020 में इसका नाम बदल दिया गया था) इस विचार पर आधारित थी कि आईटी टीमों के मामलों का रैंडम आवंटन और आयकर अधिकारियों और करदाता के बीच आमने-सामने के संपर्क को समाप्त करने से कार्यकुशलता, गैर-विवेकाधीन, असेसमेंट की निष्पक्ष एकल खिड़की प्रणाली का नेतृत्व कर सकती है। 2020 में, फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 के दायरे को योजना के विस्तार में देश भर में लंबित सभी असेसमेंट मामलों को लाकर विस्तृत किया गया और घोषणा की कि योजना के बाहर पारित कोई भी आदेश अमान्य होगा।

2.20 इस योजना ने दिल्ली में एक नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएफएसी) स्थापना की, विभाग और करदाता के बीच संपर्क का एकमात्र बिंदु के रूप में जिसकी अगुवाई प्रिंसिपल चीफ कमीशनर ऑफ इंकम टैक्स ने की। करदाता और विभाग से मूल्यांकन/असेसमेंट प्रक्रिया से संबंधित सभी नोटिस या संचार एफएसी के माध्यम से कराई जाती हैं। असेसमेंट की प्रक्रिया को और सुगम बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए, विभिन्न रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर हैं जो आकलन करने की शक्ति के साथ निहित हैं। चित्र 7 में फेसलेस असेसमेंट प्रक्रिया का एक योजनाबद्ध आरेख देखा जा सकता है।

चित्र 7: फेसलेस असेसमेंट प्रक्रिया



स्रोत: राजस्व विभाग के इनपुट के आधार पर सर्वेक्षण संकलन।


नोट: एफएसी: फेसलेस असेसमेंट सेंटर, एयू: असेसमेंट यूनिट, टीयू: टेक्निकल यूनिट, वीयू: वेरिफिकेशन यूनिट, आरयू: रिव्यू यूनिट, डीएओ: ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर।

फेसलेस अपील योजना 2020

2.21 फेसलेस अपील स्कीम, 2020 के तहत, गंभीर धोखाधड़ी, प्रमुख कर चोरी, संवेदनशील और खोज मामलों, अंतर्राष्ट्रीय कर और काले धन अधिनियम से संबंधित अपीलों के अपवाद के साथ सभी आयकर अपील को फेसलेस इकोसिस्टम के तहत एक फेसलेस तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा।

2.22 यह योजना केंद्रीय स्तर पर ई-अपील की कार्यवाही के संचालन के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में एक नेशनल/राष्ट्रीय फेसलेस अपील सेंटर (एनएफएपीसी) की स्थापना करती है। एनएफएपीसी के तहत ई-अपील की कार्यवाही को सरल बनाने के लिए रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर(एनएफएपीसी) हैं। अपील यूनिट, जिनकी अध्यक्षता एक या अधिक आयुक्त (अपील) करते हैं और उन्हें आरएफएपीसी के अंतर्गत रखा जाता है। एनएफएपीसी करदाता और अंतर्निहित अपील यूनिट्स के बीच संपर्क का एकमात्र बिंदु होगा; और अपील यूनिट्स और नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर /असेसमेंट अधिकारी। सभी आंतरिक और बाह्य संचार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होते और एसेसि या एसेसिंग ऑफिसर को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होती है। फेसलेस अपील प्रक्रिया का एक योजनाबद्ध आरेख नीचे दिए गए आंकड़े में देखा जा सकता है।

चित्र 8: फेसलेस अपील प्रक्रिया



स्रोत: राजस्व विभाग के इनपुट के आधार पर सर्वेक्षण संकलन।

नोट: एनएफएपीसी: नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, एपीयू: अपील यूनिट, डीएपीओ: ड्राफ्ट अपील ऑर्डर

टैक्सपेयर चार्टर

2.23 'ऑनरिंग द ऑनेस्ट' प्लेटफॉर्म बनाने का तीसरा स्तंभ टैक्सपेयर चार्टर की शुरुवात है। भारत के लिए टैक्सपेयर चार्टर में आयकर विभाग द्वारा प्रतिबद्धताओं और करदाताओं के दायित्व शामिल हैं। टैक्सपेयर चार्टर पर एक विस्तृत चर्चा बॉक्स 2 में देखी जा सकती है।

बॉक्स 2: टैक्सपेयर चार्टर का प्रस्तुतीकरण

परंपरागत रूप से कर प्रशासनों ने कर कानूनों के नियामक और प्रवर्तक के कार्यों को करते हुए करदाता सेवा पर सीमित ध्यान दिया। हालाँकि, कर दाताओं को बेहतर सेवाओं की बढ़ती माँग के कारण, औपचारिक रूप से 'टैक्सपेयर चार्टर्स' प्रकाशित करने या राजस्व निकाय के 'मिशन स्टेटमेंट' में अधिकारियों से अपेक्षित व्यवहार सहित, कर दाताओं के अधिकारों की विश्वव्यापी मान्यता रही है। उदाहरण के लिए, टैक्सपेयरस बिल ऑफ राइट्स(करदाताओं के अधिकार विधेयक) अवधारणा पहली बार 1988 में अमेरिका में पेश की गई थी और करदाताओं के अधिकार विधेयक, जिसने कर कोड में मौजूदा अधिकारों को दस स्पष्ट रूप से परिभाषित मौलिक अधिकारों में वर्गीकृत किया और सभी करदाताओं के लिए लागू किया गया था, को 2014 में राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनाया गया था। इसी तरह, कनाडाई करदाताओं के अधिकार विधेयक कनाडा के राजस्व एजेंसी की करदाताओं के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए मई 2007 में 16 करदाताओं के अधिकारों को परिभाषित किया गया था और कर अधिकारियों के बीच जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए और राजस्व अधिकारियों से निपटने के दौरान उनके निवारण के बारे में जानकारी को बढ़ाने के लिए। यूके सरकार ने 1986 में राजस्व अधिकारियों के साथ करदाता बातचीत से संबंधित अपना पहला चार्टर प्रकाशित किया, और नए प्रकाशन श्योर चार्टर 'को अपनाया, जो स्पष्ट रूप से 2009 में करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है (बाद में 2016 में रिफ्रेश किया गया)।

भारत सरकार द्वारा टैक्सपेयर चार्टर का परिचय 'ऑनरिंग द ऑनरेस्ट' प्लेटफॉर्म के एक भाग के रूप में किया गया है, इस प्रकार, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह करदाता के लिए उचित, विनम्र और उचित उपचार के महत्व पर जोर देता है। टैक्सपेयर चार्टर में आईटी विभाग की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. करदाताओं के लिए विनम्र, निष्पक्ष और उचित व्यवहार।
2. करदाताओं का साथ ईमानदारी का व्यवहार जब तक विभाग के पास अन्यथा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
3. न्यायोचित और निष्पक्ष अपील प्रक्रिया और रिव्यू प्रक्रिया।
4. कानून के तहत कर अनुपालन दायित्वों को पूरा करने के लिए सटीक और पूरी जानकारी।
5. हर आयकर कार्यवाही में समयबद्ध निर्णय (कानून के तहत निर्धारित समय के अंदर)।
6. कानून के अनुसार देय कर की सही राशि का संग्रह।
7. विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन करके करदाता की गोपनीयता का सम्मान, और आवश्यक पूछताछ, परीक्षण या प्रवर्तन कार्रवाई की तुलना में अधिक दखल सुनिश्चित नहीं करता है।
8. जब तक कानून द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, तब तक करदाता द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी का खुलासा न करके गोपनीयता बनाए रखें।
9. कर अधिकारियों के कार्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना।
10. करदाता को अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देने का प्रावधान।

11. शिकायत दर्ज करने और इसके शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया का प्रावधान।
12. न्यायोचित और निष्पक्ष प्रणाली और समयबद्ध तरीके से कर मामलों को हल करना
13. विभाग द्वारा सेवा मानकों को प्रकाशित करना और समय-समय पर कर रिपोर्ट करना।
14. अनुपालन की लागत कम करने के लिए प्रावधान, क्योंकि विधिवत् कर कानून का पालन करते समय अनुपालन की लागत को ध्यान में रखना चाहिए।

चार्टर के तहत निर्दिष्ट करदाताओं के दायित्व हैं:

1. करदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी जानकारी का ईमानदारी से खुलासा करे और अपने अनुपालन दायित्वों को पूरा करे।
2. करदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह कर कानून के तहत अपने अनुपालन दायित्वों से अवगत हो और जरूरत पड़ने पर विभाग की मदद ले।
3. करदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के अनुसार आवश्यक रिकॉर्ड एकदम सही रखे।
4. करदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कौन सी जानकारी और सबमिशन/प्रस्तुतियाँ दी गयी है।
5. करदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह समयबद्ध तरीके से कर कानून के अनुसार सबमिशन/प्रस्तुतियाँ करें।
6. करदाता को समय के अनुसार कानून के अनुसार देय राशि का भुगतान करने की उम्मीद है।

करदाताओं के अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए - एक स्वतंत्र लोकप्रहरी/ओम्बुड्समैन की आवश्यकता करदाताओं के अधिकारों को स्पष्ट रूप से पहचानने के अलावा, करदाताओं के दृष्टिकोण से मुद्दों को उठाने के उद्देश्य से एक समर्पित संस्थान की उपस्थिति प्रणाली में करदाताओं के विश्वास को विकसित करने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करता है कि करदाता अपने अधिकारों को समझें और उनके साथ उचित व्यवहार हो। इस प्रकार अगला कदम अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है।

टैक्स ओम्बुड्समैन के साथ भारत का अनुभव

- में अप्रत्यक्ष कर ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी अस्तित्व में आया। कर अधिकारी के कामकाज के खिलाफ अन्याय / शिकायतों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी की नियुक्ति सेवारत अधिकारियों से की जाती थी।
- चूंकि ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी का कामकाज दिशानिर्देशों (आयकर ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी दिशानिर्देश 2010 और अप्रत्यक्ष कर ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी दिशानिर्देश 2011) द्वारा नियंत्रित किया गया था, और विभिन्न कार्यों के साथ लोकपाल को सशक्त बनाने वाला कोई कानून नहीं था, लोकपाल की संस्था अप्रभावी थी क्योंकि लोकपाल के निर्णय प्रकृति में परामर्शी थे। ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी शिकायतकर्ता और कर विभाग के बीच सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से या एक पुरस्कार पारित करके, शिकायतकर्ता द्वारा 5,000 रुपये से अधिक नहीं होने वाले नुकसान के लिए टोकन मुआवजा के साथ शिकायतों का निपटान कर सकता है।
- इसलिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी की संस्थाएं फरवरी 2019 में खत्म कर दी गईं। वर्तमान कर शिकायत निवारण प्रणाली में विभाग के अधिकारियों / आयकर सेवा केंद्रों (एसके), ई-निवारण पोर्टल के नेतृत्व में शिकायत कोशिकाएं शामिल हैं, जो आयकर व्यापार आवेदन और सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) में शिकायत निवारण के लिए एक अलग और समर्पित विंडो है।

स्वतंत्र कर ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी के साथ वैश्विक अनुभव

- वैश्विक अनुभव बताता है कि एक स्वतंत्र कर ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी वाले देशों ने करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच बेहतर विश्वास के माध्यम से कर प्रशासन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन दिखाया है, और जीडीपी अनुपात में एक उच्च औसत कर और कर फाइल करने के लिए कम समय (ओईसीडी 2017) का प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका में ओम्बुड्समैन/लोकप्रहरी जैसे समर्पित निकाय और बेल्जियम और फ्रांस में कर मध्यस्थ कई देशों में कर संबंधी शिकायतों को देखते हैं। ये निकाय कर प्रशासन से स्वतंत्र हैं।
- उदाहरण के लिए, यूएस के पास आईआरएस के भीतर एक स्वतंत्र संगठन है जिसे करदाताओं के अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए करदाता अधिवक्ता सेवा/टैक्सपेयर अड्वाकेट सर्विस(टीएसएस) कहा जाता है। यह करदाता अधिकारों की रक्षा करता है और आईआरएस की अखंडता और जवाबदेही में करदाता विश्वास को बढ़ावा देता है; और महत्वपूर्ण स्वतंत्र शक्तियां हैं और सीधे मंत्री को रिपोर्ट करता है। यह राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता के नेतृत्व में है और स्थानीय करदाता अधिवक्ता और निम्न-आय करदाता क्लीनिक के माध्यम से एक स्थानीय उपस्थिति और पहुंच है।
- इसी तरह कनाडा में 2007 में स्थापित टैक्स ओम्बुड्समैन ऑफिस (ओटीओ) को सीआरए द्वारा करदाता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करने और उन्हें संबोधित करने के लिए अनिवार्य है, इस प्रकार, सेवा से संबंधित शिकायतों और प्रणालीगत मुद्दों की स्वतंत्र और उद्देश्य समीक्षाओं के माध्यम से, करदाताओं के लिए अपनी सेवा में सीआरए जवाबदेही और उपचार के लिए काम करना।
- कनाडा, यूएस और यूके के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर, टैक्स ओम्बुड एक्ट (टीएए) के माध्यम से एक स्वतंत्र कर ओम्बुड सिस्टम वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था। टैक्सओम्बुड नियुक्त किया जाता है और सीधे वित्त मंत्री को रिपोर्ट करता है, किसी अधिनियम के प्रावधानों के आवेदन से उत्पन्न किसी सेवा, प्रक्रियात्मक या प्रशासनिक मामले के बारे में किसी करदाता शिकायत की समीक्षा और पता करने के लिए।

आगे का रास्ता


- अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दर्शाता है कि करदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लोकपाल पद्धति आवश्यक है। हालांकि भारत को अनुभव यह है कि संस्थान प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाया और इसलिए इसे हटा दिया गया। इसका एक कारण यह हो सकता है कि कर विभाग से समुचित स्वतंत्रता नहीं पई है। इसलिए भारत में शिकायत निवारण की प्रणालियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और करदाता अधिकारों की रक्षा के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण को शामिल करना है। इस तरह के मामले में हितों के टकराव से बचने के लिए, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करें और फलस्वरूप करदाताओं और संबंधित कर प्राधिकरण के बीच विश्वास का निर्माण करें, यह जरूरी है कि निवारण संगठन के पास पर्याप्त अधिकार हों और कर विभाग से स्वतंत्र हो। इस तरह की एक संस्था कर प्रशासन प्रणाली में जवाबदेही और विश्वास सुनिश्चित करके शॉनरिंग द ऑनरेस्ट 'प्लेटफार्म' को और अधिक सफल बनाएगी।

सरकारी वित्त में प्रवृत्तियां: केंद्र, राज्य और सामान्य सरकार

केन्द्र सरकार वित्त

2.24 वर्ष 2019-20 के दौरान, आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए संरचनात्मक सुधारों का अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय प्रभाव था। परिणामस्वरूप 2019-20 के लिए फिस्कल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.6 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो 2019-20 आरई में परिकल्पित राजकोषीय घाटे की तुलना में 0.8 प्रतिशत अधिक था, और 2018-19 में राजकोषीय घाटे की तुलना में 1.2 प्रतिशत अधिक था। प्रभावी राजस्व घाटा, जो वर्तमान व्यय पर वर्तमान प्राप्तियों में कमी को पकड़ता है, 2018-19 के सापेक्ष 2019-20 पीए में जीडीपी का 1 प्रतिशत बढ़कर जीडीपी का 2.4 प्रतिशत तक पहुंच गया है(चित्र 9)।

चित्र 9: घाटे में प्रवृत्तियां



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट एस्टिमेट, पीए: प्रोविशनल ऐक्चुअल्स

एफडी: फिसिकल डेफिसिट; आरडी: रेविन्यू डेफिसिट; प्राथमिक घाटा

2.25 वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार द्वारा अपनाए गए सुधारों के वित्तीय प्रभाव के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करने के बाद, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) बजट 2020-21 के साथ प्रस्तुत किए गए वक्तव्य ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 3.5% पर आंका। केंद्र सरकार के प्रमुख राजकोषीय संकेतक और उनकी विकास दर क्रमशः तालिका 5 और तालिका 6 में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 5: केंद्र सरकार के राजकोषीय पैरामीटर

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 PA	2020-21 BE
(लाख करोड़ रुपये में; कोष्टक में आंकड़े जीडीपी के एक प्रतिशत के रूप में हैं)							
राजस्व प्राप्तियां	11.01	11.95	13.74	14.35	15.53	16.82	20.21
	(8.8)	(8.7)	(8.9)	(8.4)	(8.2)	(8.3)	(9)
सकल कर राजस्व	12.45	14.56	17.16	19.19	20.80	20.10	24.23
	(10)	(10.6)	(11.2)	(11.2)	(11)	(9.9)	(10.8)
शुद्ध कर राजस्व	9.04	9.44	11.01	12.42	13.17	13.56	16.36
	(7.2)	(6.9)	(7.2)	(7.3)	(6.9)	(6.7)	(7.3)
गैर-कर राजस्व	1.98	2.51	2.73	1.93	2.36	3.26	3.85
	(1.6)	(1.8)	(1.8)	(1.1)	(1.2)	(1.6)	(1.7)
गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	0.51	0.63	0.65	1.16	1.13	0.69	2.25
	(0.4)	(0.5)	(0.4)	(0.7)	(0.6)	(0.3)	(1)
गैर-ऋण प्राप्तियां	11.53	12.58	14.4	15.51	16.66	17.51	22.46
	(9.2)	(9.1)	(9.4)	(9.1)	(8.8)	(8.6)	(10)
कुल व्यय	16.64	17.91	19.75	21.42	23.15	26.86	30.42

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 PA	2020-21 BE
	(13.3)	(13.0)	(12.9)	(12.5)	(12.2)	(13.2)	(13.5)
राजस्व व्यय	14.67	15.38	16.91	18.79	20.07	23.50	26.30
	(11.8)	(11.2)	(11.0)	(11.0)	(10.6)	(11.6)	(11.7)
पूँजीगत व्यय	1.97	2.53	2.85	2.63	3.08	3.37	4.12
	(1.6)	(1.8)	(1.9)	(1.5)	(1.6)	(1.7)	(1.8)
राजकोषीय घाटा	5.11	5.33	5.36	5.91	6.49	9.36	7.96
	(4.1)	(3.9)	(3.5)	(3.5)	(3.4)	(4.6)	(3.5)
राजस्व घाटा	3.66	3.43	3.16	4.44	4.54	6.68	6.09
	(2.9)	(2.5)	(2.1)	(2.6)	(2.4)	(3.3)	(2.7)
प्राथमिक घाटा	1.08	0.91	0.55	0.62	0.67	3.25	0.88
	(0.9)	(0.7)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(1.6)	(0.4)
मेमो आइटम							
बाजार के मूल्य पर जी.डी.पी.	124.68	137.72	153.62	170.95	189.71	203.40	224.89

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट एस्टिमेंट, पीए: प्रोविशनल ऐक्चुअल

*विनिवेश से प्राप्त आय शामिल है

तालिका 6: केंद्र सरकार के राजकोषीय संकेतक की विकास दर (प्रतिशत में)

आइटम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 PA*	2020-21 BE^
राजस्व प्राप्तियां	8.5	15.0	4.4	8.2	8.3	20.1
सकल कर राजस्व	16.9	17.9	11.8	8.4	-3.4	20.6
शुद्ध कर राजस्व	4.4	16.7	12.8	6.0	2.9	20.7
गैर-कर राजस्व	27.0	8.6	-29.4	22.3	38.4	18.0
गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियां	22.3	3.8	77.0	-2.5	-39.2	227.8
कुल गैर ऋण रसीद	9.1	14.4	7.7	7.4	5.1	28.3
कुल व्यय	7.6	10.3	8.4	8.1	16.0	13.2
राजस्व व्यय	4.8	9.9	11.1	6.8	17.0	11.9
पूँजीगत व्यय	28.6	12.5	-7.5	16.9	9.4	22.4

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट एस्टिमेंट, पीए: प्रोविशनल ऐक्चुअल

*वास्तविक विकास दर की दर 2018-19

^विकास दर की दर 2019-20 पीए

रु इसमें विनिवेश आय शामिल है


प्राप्तियों में प्रवृत्ति

2.26 केंद्र सरकार की प्राप्तियों को मोटे तौर पर गैर-ऋण और ऋण प्राप्तियों में विभाजित किया जा सकता है। गैर-ऋण प्राप्तियों में कर और गैर-कर राजस्व शामिल हैं, और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां जैसे ऋणों की वसूली और विनिवेश रसीदें। ऋण प्राप्तियों में ज्यादातर बाजार उधार और अन्य देनदारियां शामिल हैं, जिन्हें सरकार भविष्य में चुकाने के लिए बाध्य है।

कर राजस्व

2.27 बजट 2020-21 में सकल कर राजस्व/ग्रास तक्ष रेविन्यू (जीटीआर) 24.23 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो जीडीपी का 10.8 प्रतिशत है। यह 2019-20 के संशोधित अनुमानों/रेवाइस्ड एस्टीमेट (आरई) पर 12 प्रतिशत और 2019-20 पीए पर 20.6 प्रतिशत की वृद्धि करता है। प्रत्यक्ष कर, जिसमें मुख्य रूप से कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर शामिल हैं, जीटीआर का लगभग 55 प्रतिशत गठन करता हैं। इन्हें 2019-20 के सापेक्ष 12.7 प्रतिशत और 2019-20 पीए के सापेक्ष 27.2 प्रतिशत बढ़ने की परिकल्पना की गई थी। दूसरी तरफ, अप्रत्यक्ष कर 2019-20 पीए के मुकाबले 11.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2019-20 आरई और 15 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद थी। जीटीआर में विभिन्न करों के योगदान के रूप में परिकल्पित 2020-21 बीई को चित्र 10 में दिखाया गया है।

चित्र 10: 2019-20 बीई में सकल कर राजस्व में करों की संरचना




स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

जीटीआर : सकल कर राजस्व/ग्रास तक्न, सीआईटी: निगम कर/कार्पोरेशन टैक्स, टीओएल: निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (एसटीटी सहित),सी: सीमा शुल्क/कस्टम्स, यूईडी: केंद्रीय उत्पाद शुल्क/यूनियन एक्साइस ड्यूटिस, जीएसटी: माल और सेवा कर/गूड्स अँड सर्विस टैक्स

2.28 चित्र 11 में प्रदर्शित जीडीपी के संबंध में प्रमुख करों में प्रवृत्ति दर्शाते हैं कि पिछले वर्षों में देखे गए सुधार के प्रवृत्ति की तुलना में 2019-20 पीए में कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर से प्राप्तियां कम हुई हैं। यह 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि में संतुलन और कॉर्पोरेट टैक्स दर में कटौती जैसे संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन के कारण है। केंद्र के लिए नेट टैक्स रेवेन्यू के लिए 2020-21 बीई के 16.36 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले, नवंबर 2020 तक वास्तविक प्राप्ति 6.88 लाख करोड़ रुपये है, जो बीई का 42.1 प्रतिशत है।

चित्र 11- जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेट, पीए: अनंतिम वास्तविक/प्रोविशनल ऐक्चुअलस, सीआईटी: निगम कर/कार्पोरेशन टैक्स, टीओआई: निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (एसटीटी सहित), यूईडी: केंद्रीय उत्पाद शुल्क/यूनियन एक्साइस ड्यूटिस, जीएसटी: माल और सेवा कर/गूड्स अँड सर्विस टैक्स

गैर-कर राजस्व

2.29 गैर-कर राजस्व में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ऋणों पर मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियां, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिशेष सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश और लाभ भारत सरकार को हस्तांतरित, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्तियां और बाहरी अनुदान शामिल हैं। बजट 2020-21 में गैर-कर राजस्व के रूप में 3.85 लाख करोड़ रुपये, जीडीपी का 1.7 प्रतिशत, 2019-20 पीए की तुलना में 0.1 प्रतिशत अंक बढ़ाने का लक्ष्य था। गैर कर राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत लाभांश और लाभ (तालिका 7 का संदर्भ) से उठाया जाने की परिकल्पना की गई है। गैर-कर राजस्व के लिए 2020-21 बीई के रूप में 3.85 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले, नवंबर 2020 तक वास्तविक प्राप्ति बीई का 32.3 प्रतिशत रही है।

तालिका 7: केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व में प्रवृत्तियाँ

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 पीए	2020-21 बीई
	(लाख करोड़ रुपए में)					
ब्याज प्राप्तियां	0.25	0.16	0.14	0.12	0.12	0.11
लाभांश और लाभ	1.12	1.23	0.91	1.13	1.86	1.55
बाहरी अनुदान	0.02	0.01	0.04	0.01	0.00	0.01
अन्य	1.12	1.32	0.84	1.07	1.28	2.15
गैर-कर राजस्व	2.51	2.73	1.93	2.36	3.26	3.85

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए


बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेट, पीए: अनंतिम वास्तविक/प्रोविशनल ऐक्चुअलस

गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां

2.30 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋण और अग्रिमों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण प्राप्तियों के कुल पूल में गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का योगदान 2018-19 में 6.8 प्रतिशत से घटकर 3.9

प्रतिशत 2019-20 पीए हो गया है, मुख्य रूप से कमी निर्विवाद आय के कारण (चित्र 12)। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों 2.3 लाख करोड़ रुपये आंकी गई हैं जो कि 2020-21 बीई में जीडीपी का 1 प्रतिशत है। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का प्रमुख घटक विनिवेश प्राप्तियां हैं जो सरकार द्वारा स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री पर सरकार को प्राप्त होती हैं (रणनीतिक परिसंपत्तियों की बिक्री सहित)। सरकार ने 2020-21 के अनुसार विनिवेश आय के आधार पर 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने की परिकल्पना की। केंद्र के लिए गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के लिए 2020-21 बीई के मुकाबले 2.3 लाख करोड़ रुपये, नवंबर 2020 तक वास्तविक प्राप्ति 0.18 लाख करोड़ रुपये रही है।

चित्र 12: केंद्र सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियों की संरचना



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेंट, पीए: अनंतिम वास्तविक/प्रोविशनल ऐक्चुअल्स

व्यय में प्रवृत्तियाँ

2.31 व्यय के मोर्चे पर, बजट 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपये का कुल व्यय अनुमानित है, जिसमें 26.3 लाख करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 4.12 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है, जो क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 11.7 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 2019-20 पीए पर 2020-21 बीई में कुल व्यय की प्रत्याशित वृद्धि जीडीपी का 0.3 प्रतिशत है, जो राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में जीडीपी के 0.15 प्रतिशत के बराबर है।

2.32 राजस्व व्यय, जो कि कुल व्यय का 87 प्रतिशत है, को 2020-21 बीई में 2019-20 पीए पर 11.9 प्रतिशत बढ़ने की परिकल्पना की गई थी। यह 2018-19 में 2019-20 पीए में राजस्व व्यय की 17 प्रतिशत वृद्धि के सापेक्ष मामूली वृद्धि दर है। ब्याज भुगतान (26 प्रतिशत), रक्षा राजस्व व्यय (9 प्रतिशत), प्रमुख सब्सिडी (10 प्रतिशत), राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान (22 प्रतिशत) और पेंशन (8 प्रतिशत) प्रमुख वस्तुएं हैं राजस्व व्यय जो कुल मिलाकर 2019-20 पीए (तालिका 8) के अनुसार कुल व्यय का लगभग 65% था। रक्षा व्यय के उपयोग और दक्षता में सुधार, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कई पहल अनुलग्नक 3 में देखी जा सकती हैं।

तालिका 8: राजस्व व्यय की प्रमुख वस्तुएँ/ आइटम

आइटम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 च	2020-21 ट
	(लाख करोड़ रुपए में)					
राजस्व व्यय जिनमें से	15.38	16.91	18.79	20.07	23.50	26.30
	(4.8)	(9.9)	(11.1)	(6.8)	(17.0)	(11.9)
a. वेतन (वेतन और भत्ते)	1.45	1.77	1.94	2.11	2.38	2.48
	(7.9)	(22.6)	(9.2)	(9.0)	(12.7)	(4.0)
b. पेंशन	0.97	1.31	1.46	1.60	1.84	2.12
	(3.4)	(35.8)	(10.9)	(9.9)	(14.6)	(15.3)
c. ब्याज भुगतान	4.42	4.81	5.29	5.83	6.11	7.08
	(9.7)	(8.8)	(10.0)	(10.2)	(4.9)	(15.9)
d. प्रमुख सब्सिडी	2.42	2.04	1.91	1.97	2.23	2.28
	(-2.9)	(-15.6)	(-6.3)	(2.9)	(13.4)	(2.1)
e. रक्षा सेवाएँ	1.46	1.65	1.86	1.96	2.08	2.09
	(3.9)	(13.3)	(12.5)	(5.1)	(6.1)	(0.9)

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेट, पीए: अनंतिम वास्तविक/प्रोविजनल ऐक्चुअलस कोष्ठक में संख्या वृद्धि दर है


*2019-20 के लिए वेतन (वेतन और भत्ते) का आंकड़ा संशोधित अनुमान/रेवाइस्ड एस्टिमेट (आरई) है।

2.33 राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण अनुपात जैसे वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय, गुण में व्यापक रूप से प्रतिबद्ध है। इसलिए व्यय पुनर्गठन और प्रबंधन उपायों का ध्यान गैर-प्रतिबद्ध घटक जैसे सब्सिडी पर लक्षित है। 2016 में, लगभग 66 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 28 अम्ब्रेला स्कीम में युक्तिसंगत बनाया गया था। इन योजनाओं के चक्र को वित्त आयोग चक्र के साथ को-टर्मिनस भी बनाया गया था, ताकि वित्त आयोग के चक्र पर केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए उपलब्ध संसाधनों के प्रवाह पर अधिक स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके।

2.34 प्रमुख सब्सिडी पर खर्च जो कि जीडीपी का 2020-21 बीई में 1.0 प्रतिशत था, 2019-20 पीए पर 2.1 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। 2019-20 पीए में, सरकार के सब्सिडी बिल में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी क्रमशः 7.3 प्रतिशत, 14.9 प्रतिशत और 34.5 प्रतिशत बढ़ी, जो 2018-19 के सापेक्ष थी।

2.35 जीडीपी अनुपात के कम कर के साथ, केंद्र सरकार को राजकोषीय विवेक के दायरे में रहते हुए निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पर्याप्त धन प्रदान करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसलिए, व्यय की संरचना और गुणवत्ता में सुधार महत्व को मानता है। पिछले कुछ वर्षों में, कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी के संदर्भ में मापा गया व्यय की गुणवत्ता औसत स्तर (चित्र 13) पर स्थिर है। यह 2019-20 पीए के मुकाबले 2020-21 बीई में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि से अनुमानित है, जो 2019-20 पीए से अधिक पूंजीगत व्यय में 22.4 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। रक्षा सेवाओं से अलग प्रमुख क्षेत्र, 2020-21 बीई में पूंजीगत व्यय आवंटन के थोक में उद्योग और खनिज, सड़कों और पुलों का निर्माण, संचार सेवाएं और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

चित्र 13: कुल व्यय के घटकों में प्रवृत्तियाँ



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेट, पीए: अर्न्तम वास्तविक/प्रोविशनल ऐक्चुअल्स, आरई: राजस्व व्यय, केई: पूंजीगत व्यय, टीई: कुल व्यय

2.36 बजटीय खर्च के अलावा, अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) 2016-17 से बुनियादी ढाँचे के निवेश के लिए जुटाए गए हैं। ईबीआर वे वित्तीय देनदारियां/ऋण हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाए जाते हैं, जिसके लिए पूरे मूलधन/प्रिन्सपल और ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के बजट से की जाती है। सरकार ने 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान 1.35 लाख करोड़ रुपये का ईबीआर जुटाया है। यह 2020-21 बीई में 49,500 करोड़ रुपये के ईबीआर को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है जो कि जीडीपी का 0.22 प्रतिशत है। फिस्कल डेफिसिट/राजकोषीय घाटे की गणना करते समय इन ईबीआर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि, उन्हें सरकारी ऋण की गणना में माना जाता है।

राज्यों का हस्तांतरण

2.37 केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में पंद्रहवें वित्त आयोग (FC-XV) द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया है, जो पोस्ट डिवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, स्थानीय निकायों को अनुदान और वित्तीय वर्ष 2020 के लिए आपदा प्रबंधन अनुदान से संबंधित है। FC-XV ने ग्रांट-इन-एड को 2020-21 के दौरान राज्यों को हस्तांतरण के लिए 1.99 लाख करोड़ रुपये पोस्ट डिवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए की सिफारिश की, स्थानीय निकायों और डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स को अनुदान जो कि पुरस्कार वर्ष 2019-20 (तालिका 9) के लिए FC-XIV द्वारा अनुशंसित लगभग 50% अधिक है।

2.38 वर्ष 2020-21 में स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के रूप में आवंटित 90,000 करोड़ रुपये के कोष में से, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 32.5 प्रतिशत और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए शेष की सिफारिश की गई है। थ्रू-गुट ने अनुदानों की सिफारिश के विपरीत, स्थानीय निकायों के मामले में वर्ष 2020-21 के दौरान स्थानीय निकायों के अनुदान को पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्र के साथ-साथ मंडल / तहसील और जिला / जिलापंचायतों को भी आवंटित किया गया था इसके अलावा पहली बार, दस लाख से ज्यादा शहरों / शहरी समूहों में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से वित्त आयोग अनुदान भी आवंटित किया गया था।

तालिका 9: FC-XIV (केवल वर्ष 2019-20 के लिए) और FC-XV के दौरान वर्ष 2020-21 के लिए अनुशंसित घटक-अनुदान (रुपये करोड़ में)

क्रमांक	घटक	वर्ष 2019-20 के लिए आवंटित राशि (FC-XIV अवार्ड अवधि)	वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित राशि (FC-XV अवार्ड अवधि)
(1)	(2)	(3)	(4)
i	पोस्ट डिवाइल्यूएशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट	34,206	74,340
ii	स्थानीय निकाय अनुदान	87,352	90,000
iii	आपदा प्रबंधन अनुदान (संघ साझा)	12,120	34,574
	कुल	1, 33, 678	1, 98,914

2.39 2019-20 के दौरान सकल कर राजस्व संग्रह में गिरावट के कारण, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी में 2018-19 (तालिका 10) के सापेक्ष 2019-20 आरई में गिरावट देखी गई है। बजट 2020 - 21 ने राज्यों को कुल हस्तांतरणों में 2019-20 आरई में 5.7 प्रतिशत सेजीडीपी में 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत तक प्रतिक्षेप की परिकल्पना की।

तालिका 10: राज्यों को हस्तांतरित (लाख करोड़ रुपयों में)

ब्यौरा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 आरई	2020-21 बीई
करों में राज्यों की हिस्सेदारी का हस्तांतरण	5.06	6.08	6.73	7.61	6.56	7.84
वित्त आयोग अनुदान	0.85	0.96	0.92	0.94	1.24	1.50
सीएसएस और अन्य हस्तांतरण	2.39	2.77	3.16	3.32	3.80	4.09
राज्यों को कुल हस्तांतरण	8.29	9.81	10.81	11.87	11.60	13.43

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज

बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेट, आरई: संशोधित आकलन

नोट: राज्यों में सभी राज्य शामिल हैं।

केन्द्र सरकार ऋण

2.40 केंद्र सरकार की कुल देनदारियों/लाइअबिलिटीज में भारत के समेकित कोष के खिलाफ अनुबंधित ऋण शामिल हैं, जिसे तकनीकी रूप से सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, साथ ही साथ सार्वजनिक खाते में देयताएं भी शामिल हैं। इन देनदारियों/लाइअबिलिटीज में मौजूदा विनिमय दर पर बाहरी ऋण (वित्तीय वर्ष का अंत) शामिल है, लेकिन एनएसएसएफ से राज्यों की उधारी की सीमा तक एनएसएसएफ की देनदारियों का हिस्सा और एनएसएसएफ से बाहर की सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश, जो केंद्र सरकार के घाटे का वित्तपोषण नहीं करते हैं। मार्च 2020 के अंत में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां 95.07 लाख करोड़ रुपये (तालिका 11 का संदर्भ) थी। इनमें से 90 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण था और शेष 10 प्रतिशत सार्वजनिक खाते की देनदारियों के लिए थे, जिनमें राष्ट्रीय लघु बचत कोष, राज्य भविष्य निधि, आरक्षित निधि और जमा और अन्य खाते शामिल थे।


तालिका 11: केंद्र सरकार की ऋण स्थिति (लाख करोड़ रुपयों में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20पी
A. सार्वजनिक ऋण (A1 + A2)	51.05	57.11	61.50	68.84	75.88	86.05
A1. आंतरिक ऋण (a + b)	47.38	53.05	57.42	64.01	70.75	80.20
a. विपणन योग्य प्रतिभूति	43.09	47.28	50.49	55.10	59.69	65.60
b. गैर-विपणन योग्य प्रतिभूति	4.29	5.77	6.93	8.91	11.06	14.60
A2. विदेशी ऋण'	3.66	4.07	4.08	4.83	5.13	5.85
B. लोक लेखा - अन्य देयताएं	7.62	8.16	8.57	9.15	9.96	9.89
C. अतिरिक्त-बजटीय संसाधन	0.00	0.00	0.09	0.24	0.88	1.10
D. कुल देयताएं (A + B + C)	58.66	65.27	70.16	78.23	86.72	95.07

स्रोत: सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर के विभिन्न मुद्दे और सार्वजनिक ऋण पर त्रैमासिक रिपोर्ट; पी: प्रोविशनल

2.41 चित्र 14 से पता चलता है कि केंद्र सरकार की कुल देनदारियां, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के तुरंत बाद तेजी से गिरावट आई और पिछले दशक के दौरान एक ही स्तर पर कायम रही है।

चित्र 14: केंद्र की ऋण-जीडीपी अनुपात में प्रवृत्ति




स्रोत: सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर के विभिन्न मुद्दे; पीए: प्रोविशनल/अंतिम

2.42 केंद्र सरकार के ऋण को कम मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की विशेषता है। यह ऋण पोर्टफोलियो में वेदेशी ऋण की कम हिस्सेदारी के कारण है और आधिकारिक स्रोतों से लगभग पूरे बाह्य उधार हैं। इसके अलावा, अधिकांश सार्वजनिक ऋण को भारत के ऋण स्टॉक को ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से अछूता बनाते हुए अनुबंधित ब्याज दर निर्धारित किया गया है। यह ब्याज भुगतान के मामले में बजट के लिए निश्चितता और स्थिरता देता है।

2.43 अन्य मुख्य विशेषता केंद्र सरकार के ऋण की मेचूरिटी प्रोफाइल का क्रमिक विस्तार है (संदर्भ 15 देखें) जो कम रोलओवर जोखिमों को कम करती है। पांच साल से कम समय में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों के अनुपात में हाल के वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई है। भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता मार्च 2010 के अंत में 9.7 वर्ष से बढ़कर मार्च 2020 के अंत में 10.7 वर्ष हो गई है।

चित्र 15: केंद्र सरकार के प्रतिभूतियों की बकाया राशि की परिपक्वता प्रोफाइल (कुल का प्रतिशत)




स्रोत: सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर; सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट; पी: अनंतिम/प्रोविशनल

राज्य वित्त

2.44 राज्यों ने 2020-21 बीई में जीडीपी के समेकित सकल राजकोषीय घाटा 2.8 प्रतिशत के लिए बजट किया था। कोविड-19 के प्रकोप से पहले अपने बजट पेश करने वाले राज्यों के लिए सकल राजकोषीय घाटा बजट अनुमान जीएसडीपी का 2.4 प्रतिशत था, जबकि पोस्ट-लॉकडाउन प्रस्तुत किए गए बजट का औसत 4.6 प्रतिशत जीएसडीपी (स्टेट फाइनेंस पर आरबीआई का अध्ययन) था। चित्र 16 में पिछले 3 वर्षों में सम्मिलित राज्य के लिए राजकोषीय समेकन की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है, जिसमें जीडीपी का औसत सकल घरेलू उत्पाद 2.46 प्रतिशत है। राज्यों के लिए सकल राजकोषीय घाटा 2020-21 के दौरान अनुमानित बजट अनुमान के सापेक्ष जल्द बढ़ने की उम्मीद है।

चित्र 16: राज्यों के प्रमुख घाटे और ऋण संकेतक



स्रोत: आरबीआई का राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन; पीए: प्रोविशनल एक्जुयल्ट्स; बीई: बजट अनुमान/बजट एस्टिमेंट

नोट: राज्यों में विधानसभाओं के साथ 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

*सभी राज्यों के लिए आरबीआई द्वारा 2019-20 (पीए) के लिए जीडीएफ और राजस्व घाटे के आंकड़ों का अनुमान है कि शेष 7 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीएजी और 2019-20 बीई के आंकड़ों के साथ उपलब्ध 24 राज्यों के खातों के आंकड़ों का उपयोग करके। डेफ्ट -टू-जीडीपी के लिए 2019-20 के लिए डेटा संशोधित अनुमान/रेवाइस्ड एस्टिमेंट है।

2.45 राज्य सरकारों के 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार, राज्यों के संयुक्त कर राजस्व और स्वयं के गैर-कर राजस्व को 2019-20 आरई से अधिक 11.8 प्रतिशत और 12.1 प्रतिशत के आधार पर 2019-20 में बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, जो 2019 में प्रदर्शित विकास से अधिक है। व्यय पक्ष पर, 2020-21 बीई में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्रमशः 8.2 प्रतिशत 11.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ क्रमशः 2019-20 आरई (तालिका 12 का संदर्भ) में परिकल्पित किया गया।

2.46 स्टेट फाइनेंस पर आरबीआई अध्ययन पिछले 3 वर्षों (2017-18 वास्तविक, 2018-19 वास्तविक और 2019-20पीए) के लिए राज्यों में बीई के सापेक्ष वास्तविक पूंजी खर्च में गिरावट को उजागर करता है। पूंजीगत व्यय के उच्च राजकोषीय गुणक प्रभाव को देखते हुए आर्थिक विकास की गति और गुणवत्ता के लिए इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। वास्तव में, चालू वर्ष में, जब राज्य एक विवश राजकोषीय स्थान के साथ महामारी से निपट रहे हैं, तो पूंजीगत व्यय वसूली प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पूंजीगत व्यय पर राज्यों की राजकोषीय नीति का ध्यान केंद्रित करने के लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना की घोषणा की है, जिसकी चर्चा बॉक्स 7 में की गई है।

तालिका 12: राज्यों के राजकोषीय संकेतक

आइटम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 आरई	2020-21 बीई
	(लाख करोड़ रुपयों में)					
खुद का कर राजस्व	8.5	9.46	11.3	12.2	13.4	15.0
	(9.0)	(11.3)	(19.5)	(7.5)	(10.3)	(11.8)
खुद का गैर-कर राजस्व	1.5	1.7	1.8	2.2	2.4	2.7
	(7.1)	(14.0)	(5.3)	(21.7)	(9.1)	(12.1)
राजस्व व्यय	18.4	21.22	23.4	26.4	30.8	33.3
	(12.2)	(15.3)	(10.3)	(12.7)	(16.6)	(8.2)
पूंजीगत व्यय	4.2	5.17	4.3	4.9	5.8	6.5
	(40.0)	(23.1)	(-16.6)	(13.0)	(18.7)	(11.8)

स्रोत: आरबीआई राज्य वित्त: 2020-21 के लिए बजट का अध्ययन,

आरई: रेवाइसड एस्टिमेट; बीई: बजट अनुमान/एस्टिमेट; कोष्ठक में संख्या वृद्धि दर है

नोट: राज्यों में 2017-18 से 2 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली और पुदुचेरी) भी शामिल हैं

2.47 2019-19 में प्रचलित वृहत आर्थिक परिदृश्य और कम कर संग्रह के मद्देनजर वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य की पात्रता से परे, वर्ष 2019-20 के लिए अतिरिक्त उधार राशि 0.59 करोड़ रुपये की अनुमति देकर राज्यों को एक बार विशेष छूट दी गई थी।

2.48 वर्ष 2020-21 के लिए 28 राज्यों की नेट उधार लेने की सीमा 6.41 लाख करोड़ रुपये तय की गई थी, जो कि संबंधित राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को FC-XV द्वारा अनुशंसित 3 प्रतिशत है। हालाँकि, वर्ष 2020-21 के लिए, अभूतपूर्व कोविड-19 को देखते हुए, राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई थी, जिनमें से 1% राज्य स्तरीय सुधार कार्यान्वयन पर सशर्त था। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी को तेजी से आर्थिक सुधार करने की दिशा में राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए उठाए गए कई कदम बॉक्स 3 में देखे जा सकते हैं।

बॉक्स 3: केंद्र द्वारा कोविड-19 के समय में राज्यों का समर्थन करने के लिए किए गए उपाय

महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में राकेंद्र सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं केंद्र सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं ये उपाय इस प्रकार हैं:

1. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उधार की बढ़ी हुई सीमा

• आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई थी, जो कि 4.27 लाख करोड़ रुपये के बराबर थी। राज्यों को अतिरिक्त 2% उधार की अनुमति दी गई, 0.5% उधार की पहली किस्त सभी राज्यों के लिए खुला था। जीएसडीपी का 1% की दूसरी राशि चार विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन थी, जहां प्रत्येक सुधार का भार जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत था: -

- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन;
- व्यापार सुधार करने में आसानी;
- शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार; और
- पावर सेक्टर में सुधार

उपर्युक्त सुधारों में से कम से कम 3 को अंतिम रूप देने पर अंतिम 0.5% उधार सशर्त था।

30 दिसंबर 2020 तक, 10 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली लागू की है, 7 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निर्धारित सुधारों को पूरा किया है, और 2 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए हैं। कुल अतिरिक्त उधार अनुमति उन राज्यों को जारी की गई है जिन्होंने सुधार किए हैं, जो 51,682 करोड़ रुपये है।

2. जीएसटी राजस्व में नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा

• वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित एक विशेष विंडो के तहत ऋण के मुद्दे के माध्यम से जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को उधार लेने का एक विकल्प दिया था जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया था (विकल्प 1), या बाजार ऋण (विकल्प 2) के मुद्दे के माध्यम से पूरी कमी को उठाए। सभी 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश विधायिका के साथ विकल्प 1 के लिए जाने का निर्णय लिया, जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित बैंक-टू-बैंक उधार शामिल है, और जीएसटी मुआवजे के तहत प्रवाह के समान संसाधनों का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करेगा। 23 अक्टूबर, 2020 से 1.1 लाख करोड़ रुपये की विशेष विंडो का परिचालन किया गया है और भारत सरकार ने पहले ही पांच किस्तों में राज्यों की ओर से 54,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ली है और इसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पारित किया है।

• विकल्प 1 की शर्तों के तहत, राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमत 2% अतिरिक्त उधारी में से जीएसडीपी की 0.5 प्रतिशत की अंतिम किस्त उधार लेने की बिना शर्त अनुमति प्राप्त करने का भी अधिकार है। यह जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक विशेष विंडो से बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त जुटाने की राशि है।

• इसके अतिरिक्त, विकल्प 1 का चयन करने वाले राज्य अगले वित्त वर्ष के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमत अतिरिक्त उधार की छत को आगे ले जाने में सक्षम होंगे, जिससे प्रत्येक की पहली और अंतिम किस्तों को 0.5 प्रतिशत बिना शर्त के आगे बढ़ाया जा सके; यदि राज्यों द्वारा इस वर्ष पहले से निर्धारित तारीखों के भीतर सुधार मानदंड पूरा करते हैं तो सुधार से जुड़े अंशों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

- उच्च उधारी लागत से राज्यों को बचाने की दृष्टि से, केंद्र विशेष उधारी खिड़की के लिए लागत को सरकारी सिक्योरिटी(जी-सेक) उपज के करीब या उसके नजदीक रखने का प्रयास करेगा, और लागत अधिक होने की स्थिति में, यह सब्सिडी के माध्यम से, सरकारी सिक्योरिटी(जी-सेक) और औसतन 50 बीपीएस तक के राज्य विकास ऋण पैदावार के बीच का अंतर वहन करेगा। विशेष विंडो के तहत उधार पर ब्याज का भुगतान क्षतिपूर्ति उपकर/सैस के रूप में और जब यह संक्रमण की अवधि के अंत तक उठता है। संक्रमण अवधि के बाद, मूलधन और ब्याज का भुगतान उपकर/सैस की आय से भी किया जाएगा, जो कि आवश्यक अवधि के लिए संक्रमण अवधि से परे उपकर/सैस बढ़ाकर किया जा सकता है। राज्य को ऋण की व्यवस्था करने या किसी अन्य स्रोत से इसे चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना

- वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कर राजस्व में कमी के कारण राज्य सरकारों द्वारा सामना किए गए राजकोषीय वातावरण को देखते हुए, श्रृंखलागत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसमें राज्य सरकारों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है, जो कुल मिलाकर 12,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
- इस योजना में आठ उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 1600 करोड़ रुपये (प्रत्येक के लिए 200 करोड़) का ऋण शामिल है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए 900 करोड़ रुपये का ऋण (प्रत्येक के लिए 450 करोड़ रुपये), शेष राज्यों के लिए 7,500 करोड़ रुपये (15 वें वित्त आयोग विचलन के अनुसार), और उन राज्यों के लिए 2,000 करोड़ रुपये, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उधार प्रावधान के तहत उल्लिखित 4 सुधारों में से कम से कम 3 को पूरा करते हैं। ऋण राशि का उपयोग नई या चल रही पूंजी परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है, जिन्हें इस तरह की परियोजनाओं पर धन और / या ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का निपटान करना चाहिए।
- 12 दिसंबर 2020 तक, 27 राज्यों के लिए 9,879.61 करोड़ रुपये की पूंजी व्यय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 4,939.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

4. एसडीआरएफ

- एसडीआरएफ के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बार के विशेष वितरण के माध्यम से कोविड -19 को एक अधिसूचित आपदा के रूप में माना था। महामारी से निपटने के लिए राज्यों को मजबूत करने के लिए, केंद्र ने अप्रैल 2020 में राज्य सरकारों को 11,092 करोड़ रुपये की एसडीआरएफ की पहली किस्त जारी की थी। सितंबर 2020 में, एसडीआरएफ को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान खर्च करने की राज्यों की सीमा 50% तक बढ़ाई गई थी, ताकि उन्हें कोविड-19 के नियंत्रण उपायों में समर्थन देने के लिए, क्वारंटाइन, संपल संग्रह और स्क्रीनिंग के उपायों सहित; और कोविड -19 की प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक उपकरणों/प्रयोगशालाओं की खरीद।

स्रोत: पीआईबी

सामान्य सरकारी वित्त

2.49 सामान्य सरकार के वित्त पूरे क्षेत्र के रूप में सरकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति का अवलोकन देते हैं। चित्र 13 सामान्य सरकारी ऋणों और पिछले कुछ वर्षों में घाटे को दर्शाता है। जीडीपी के अनुपात में सामान्य सरकार की देनदारियां पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती प्रवृत्ति का प्रदर्शन करती हैं। 2020-21 बीई में, सामान्य सरकार ने 2019-20 आरई से अधिक घाटे में कमी के लिए बजट दिया था। हालांकि वैश्विक महामारी के प्रकोप के मद्देनजर, सामान्य सरकार (केंद्र के साथ राज्य) को राजस्व में कमी और उच्च व्यय आवश्यकताओं के कारण वित्तीय घाटा दर्ज करने की उम्मीद है। जैसा कि केंद्र और राज्यों दोनों के लिए 2020-21 के लिए बढ़ाए गए उधार प्रावधानों से संकेत मिलता है, सामान्य सरकार की देनदारियों में वृद्धि की उम्मीद है। राजकोषीय समेकन के मार्ग से यह विचलन हालांकि क्षणिक हो सकता है क्योंकि राजकोषीय संकेतक अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ पलटाव कर सकते हैं। सरकारी ऋण का मध्यम और दीर्घकालिक प्रक्षेपवक्र ऋण स्थिरता गणना पर निर्भर करेगा। एक अधिक नकारात्मक ब्याज दर वृद्धि अंतर जीडीपी के अनुपात के रूप में सामान्य सरकार के ऋण की आधारशिला रखता है (तालिका 13)। ऋण स्थिरता की गतिशीलता पर विस्तृत चर्चा वॉल्यूम 1 के अध्याय 2 में देखी जा सकती है।


तालिका 13: ब्याज दर-विकास अंतर/ग्रोथ डिफरेंशियल और सामान्य सरकार ऋण-से-सकल घरेलू उत्पाद में प्रवृत्ति

वर्ष	नाममात्र ब्याज दर (i)	नाममात्र की विकास दर (γ)	ब्याज दर-वृद्धि अंतर ($i-\gamma$)	सामान्य सरकारी ऋण-से-जीडीपी
2011-12	8.52	15.74	-7.2	67.4
2012-13	8.36	13.82	-5.5	66.7
2013-14	8.45	12.97	-4.5	67.1
2014-15	8.51	10.99	-2.5	66.6
2015-16	7.89	10.46	-2.6	68.5
2016-17	7.16	11.76	-4.6	68.9
2017-18	6.97	11.09	-4.1	69.8
2018-19	7.78	10.95	-3.2	70.5
2019-20	6.85	7.21	-0.4	73.8

स्रोत: आरबीआई, एमओ एसपीआई/सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नोट: नाममात्र ब्याज दर केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों पर भारित औसत ब्याज दर है

चित्र 17: सामान्य सरकारी ऋण और घाटे में प्रवृत्ति (सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत के रूप में)



स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सांख्यिकी पुस्तिका;

बीई: बजट अनुमान/एस्टिमेट; आरई: रेवाइसड एस्टिमेट

2019-20 आरई, 2019-20 के लिए जीडीपी का प्रोविजनल एस्टिमेट यानी 20339849 रुपये का उपयोग किया गया है

आउटलुक

2.50 वर्ष 2020-21 राजकोषीय दृष्टिकोण से एक कठिन वर्ष रहा है। अप्रैल से नवंबर 2020 के लिए उपलब्ध प्रवृत्तियों के आधार पर, वर्ष के दौरान वित्तीय गिरावट होने की संभावना है। सरकार की राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया मांग और आपूर्ति पक्ष की नीतियों का एक संयोजन है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के दायरे में महामारी के झटके के खिलाफ कुशन है और बाद में आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया गया है। आगे बढ़ते हुए, कुल मांग में सुधार को बनाए रखने के लिए, यह उम्मीद की जाती है कि सरकार को विस्तारक राजकोषीय रुख के साथ जारी रखना पड़ सकता है। वर्ष के दौरान पेश किए गए विभिन्न प्रमुख सुधारों के साथ-साथ व्यय समर्थन से मध्यम अवधि के विकास के लिए आवश्यक गति प्रदान करने की संभावना है। भारत द्वारा अपनाए गए कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण से यदि आवश्यक हो तो राजकोषीय आवेग को बनाए रखने के लिए जगह मिलती है। वृद्धि की वसूली मध्यम अवधि में आय के संग्रह को आसान बनाएगी, और इस तरह एक स्थायी राजकोषीय मार्ग को सक्षम बनाएगी। इसके अलावा आने वाले महीनों में पन्द्रहवे वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी करने से केंद्र और राज्य दोनों के संबंधों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय नीति की रणनीति का रोडमैप तैयार होगा।

अध्याय एक नजर में

- कोविड-19 महामारी के प्रभाव से सुगम अर्थव्यवस्था सुधार की सुविधा के लिए भारत सरकार ने कई देशों द्वारा अपनाई गई फ्रंड-लोडेड प्रोत्साहन पैकेज के विपरीत परिस्थितियों के लिए एक अनुकूलतम दृष्टिकोण अपनाया।
- 2020-21 में व्यय नीति उभरती हुई जरूरतों की परिस्थितियों के अनुसार बदली है। आरंभ में इसका उद्देश्य वंचित समूहों की सहायता करना था परंतु जब लॉकडाउन लगाया गया तो यह पूंजीगत खर्चों के माध्यम से समग्र मांग को फिर से मजबूत करने के लिए उन्मुख हुआ।
- पिछले कुछ माह में अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण मासिक राजस्व संग्रह में तेजी देखी गई है। मासिक जीएसटी संग्रह ने पिछले तीन माह में लगातार एक लाख करोड़ रुपये का आँकड़ा पार किया है, जो दिसंबर 2020 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।
- कर व्यवस्था में सुधार ने पारदर्शी प्रक्रिया, जबावदेही तथा महत्वपूर्ण रूप से करदाता का कर प्राधिकरण से अच्छे अनुभव को निर्धारित किया है जिसके परिणामस्वरूप कर अनुपालना को प्रोत्साहन मिला है। वैश्विक महामारी प्रकोप मद्देनजर सरकार को राजस्व में कमी तथा उच्च व्यय आवश्यकताओं के कारण (केंद्रीय/राज्य) वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय कमी का अनुमान है।
- हालाँकि, दीर्घावधि स्थिरता, शासकीय ऋण की ब्याज लागत के सापेक्ष विकास को पुनर्जीवित करने पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1: 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के लिए सीबीडीटी की प्रतिक्रिया

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप के कारण क्षेत्रों में वैधानिक और विनियामक अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में करदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर, भारत सरकार ने व्यवसायों और व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपाय किए हैं:

- (i) कराधान और अन्य कानून (रियायत और कुछ प्रावधानों के संशोधन) अधिनियम, 2020 को अधिनियमित किया गया है जिसके तहत:
 - (a) कराधान कानूनों के तहत अनुपालन और वैधानिक कार्यों के लिए विभिन्न समय सीमाएं, अन्य संबंधित कानून और इन अधिनियमों के तहत निर्धारित / जारी किए गए नियमों या अधिसूचनाओं को बढ़ाया गया है;
 - (b) 20.03.2020 से 29.06.2020 तक के भुगतान के लिए आयकर (उदाहरण के लिए अग्रिम कर, TDS, TCS), समान लेन-देन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी), कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (सीटीटी) के भुगतान में देरी के लिए ब्याज दर 9% प्रति वर्ष से कम (0.75% प्रति माह) लिया जाएगा, यदि भुगतान 30.06.2020 द्वारा भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, इन गैर-भुगतानों के लिए कोई जुर्माना / अभियोग शुरू नहीं किया जाएगा।
 - (c) अतिरिक्त कर के भुगतान के बिना 31.03.2020 से 31.12.2020 तक डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि के आवेदन की तिथि का विस्तार [अधिनियम से संबंधित लंबित विवादों के समाधान के लिए अधिनियमित]। इसके अलावा, अतिरिक्त राशि के बिना कर के भुगतान की नियत तिथि 31.03.2021 तक बढ़ा दी गई है;
 - (d) अधिनियम के 100% कटौती यू / एस 80 जी के लिए पात्र होने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) को किया गया दान। उक्त कोष की आय को भी छूट दी गई है।
 - (e) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल और साथ ही रिवाइज्ड इंकम रिटर्न दर्ज करने का समय (अय 2019-20 से प्रासंगिक) 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है;
 - (f) वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21 के लिए प्रासंगिक) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2020 और 31 जनवरी, 2021 तक कंपनियों आदि के लिए विस्तारित की गई। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख भी मौजूदा 30 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई है;
 - (g) करदाताओं के मामले में सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की तिथि, जिसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स देयता रुपये 1 लाख तक है, को 31 दिसंबर, 2020 (नॉन-ऑडिट योग्य मामलों के लिए) और 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया है
 - (h) अधिनियम के अध्याय टप-ठ के तहत कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश / भुगतान करने की तारीख को भी 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है;
 - (i) अधिनियम की धारा 54 से 54जीबी के तहत पूंजीगत लाभ के संबंध में निवेश / निर्माण / खरीद / कटौती करने की तारीख को 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है;
 - (j) अधिनियम की धारा 10 एए के तहत कटौती का दावा करने वाली सेज इकाइयों के लिए परिचालन शुरू करने की तारीख को भी 30 मार्च, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिन्हें 31 मार्च, 2020 तक आवश्यक मंजूरी मिल गई है;
 - (k) वित्त वर्ष 2019-20 के संबंध में टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट प्रस्तुत करने और टीडीएस / टीसीएस प्रमाणपत्र जारी करने की समय सीमा क्रमशः 31 जुलाई, 2020 और 15 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दी गई है;

- (1) अधिकारियों द्वारा नोटिस देने या आदेश जारी करने की तिथि और विभिन्न प्रत्यक्ष करों और बेनामी कानून के तहत विभिन्न अनुपालनों को पारित करने की आवश्यकता है जिन्हें 31 दिसंबर, 2020 तक पारित / जारी / किया जाना आवश्यक है, इसे 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
- (m) आधार को पैन से जोड़ने की तारीख को भी 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दि गयी है;
- (n) 20 मार्च, 2020 से 30 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान आने वाले विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत अनुपालन की तारीखों को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
- (o) भारत में एक आवासी के मामले में अधिनियम की धारा 207 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट, नियत तारीख (विस्तार से पहले) के तहत अधिनियम की धारा 140I के तहत उसके द्वारा भुगतान किए गए करों को अग्रिम कर माना जाएगा।
- (p) अधिनियम की धारा 10 (23C), 12II, 35 और 80जी के तहत कुछ संस्थाओं के अनुमोदन / पंजीकरण / अधिसूचना के लिए नई प्रक्रिया का कार्यान्वयन 01.06.2020 से 01.04.2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
- (q) आवासी को निर्दिष्ट गैर-वेतन भुगतान के लिए टीडीएस दर और निर्दिष्ट टीसीएस दरों को 14.05.2020 से 31.03.2021 तक निर्दिष्ट दरों के 25 प्रतिशत से कम किया जाना है। इस उपाय से 50,000 करोड़ रुपये की नकदी मिलेगी।
- (ii) आयकर नियमावली, 1962 के फॉर्म 3सीडी में जीएएआर अनुपालन और जीएसटी की रिपोर्टिंग के संबंध में 2020 के दिनांक 24.04.2020 के परिपत्र संख्या 10 के माध्यम से, खंड 30 सी और खंड 44 की प्रयोज्यता को 31.03.2021 तक बढ़ाया गया है।
- (iii) 2020 के सर्कुलर नंबर 11 दिनांक 8/5/2020 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अधिनियम की धारा 6 के तहत भारत (कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के कारण भारत में रुकना लंबे समय तक रहा) की यात्रा पर एक व्यक्ति के निवास के निर्धारण के लिए, इतनी लंबी अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा, एक प्रेस रिलीस भी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रेजिडेंसी के निर्धारण के लिए अवधि के बहिष्करण के लिए परिपत्र को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के सामान्यीकरण/ बहाली के आधार पर नियत समय में जारी किया जाएगा।
- (iv) नियोक्ता / डीडीओ के प्रमाण पत्र के आधार पर नियोक्ता / डीडीओ के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रथम नमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) को किए गए दान के लिए कटौती के दावे के लिए सरल प्रक्रिया।
- (v) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दायर कम / शून्य टीडीएस / टीसीएस के लिए लंबित आवेदन के निपटान के लिए उदार और सरलीकृत प्रक्रिया।
- (vi) एलटीसी के लिए यात्रा के बदले में निर्दिष्ट खर्च के लिए कर छूट की घोषणा की गई है।
- (vii) रियल-एस्टेट डेवलपर द्वारा निर्दिष्ट आवासीय इकाइयों के हस्तांतरण के लिए स्टॉप ड्यूटी मूल्य के विश्वास /डीमिंग के लिए थ्रेसहोल्ड को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।

अनुलग्नक 2: 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के लिए सीबीआईसी की प्रतिक्रिया

2020-21 के दौरान कोविड-19 के जवाब में सीबीआईसी द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

सीमाशुल्क

- i. 24*7 सीमा शुल्क निकासी/क्लियरेंस सुविधा किसी भी आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान से बचने के लिए सभी कस्टम संरचनाओं पर लागू की गई है

- ii. एक्सिम ट्रेड के लिए नोवेल कोरोनावायरस हेल्प डेस्क- एक्सिम व्यापार के लिए एक समर्पित सिंगल विंडो कोविड-19 हेल्पडेस्क सीबीआईसी वेबसाइट पर बनाया गया है ताकि आयातक / निर्यातक द्वारा जारी किए गए मुद्दे के त्वरित समाधान की सुविधा मिल सके।
- iii. कोविड-16 संकट के बीच सीमा शुल्क मंजूरी की सुविधा के लिए भारत के प्रत्येक सीमा शुल्क क्षेत्र में नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है।
- iv. अखिल भारतीय आधार पर स्वचालित क्लियरेंस का कार्यान्वयन - मानव इंटरफेस को कम करने और सामाजिक दूरी को बढ़ाने के लिए, ओओसी (आउट ऑफ चार्ज) काम, अब तक एक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसे ईडीआई प्रणाली को सौंपा गया है। आयात खेपों की मशीन-आधारित स्वचालित रिलीज को पूरे भारत में 05.03.2020 को लॉन्च किया गया है।
- v. लॉक-डाउन अवधि के दौरान स्टैम्प पेपर की अनुपलब्धता के कारण आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए, विभिन्न प्रकार के सीमा शुल्क बॉन्ड की आवश्यकता को दूर कर दिया गया है। व्यापारी बांड के बदले सादे कागज पर उपक्रम जमा कर सकते हैं।
- vi. कोविड-19 से लड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण सामानों की जैसे कि चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल्स, टेस्टिंग/परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण /पीपीई(पर्सनल प्रोटेक्टिव किट) प्राथमिकता वाली निकासी सुनिश्चित की जाती है। इन वस्तुओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों- वेंटिलेटर, मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, परीक्षण किट और इनपुट के लिए बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकरण से छूट दी गई है।
- vii. मूल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना, अधिमान्य उपचार का विस्तार करते हुए भारत के व्यापार समझौतों के तहत माल की अंतिम निकासी।
- viii. पेपरलेस कस्टम्स/सीमाशुल्क - कस्टम ब्रोकर्स / आयातकों के लिए पीडीएफ आधारित गेट-पास और ओओसी कॉपी ऑफ बिल एंट्री का इलेक्ट्रॉनिक संचार। आयातकों के इलेक्ट्रॉनिक संचार को सक्षम करना, प्रवेश का बिल और आयातकों / कस्टम ब्रोकर्स को गेट-पास करना।
- ix. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत किसी भी कार्यवाही के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और भौतिक उपस्थिति को कम करने के लिए आयोजित की जा सकती है।
 - a. विशेष वापसी और ड्रॉबैक निपटान ड्राइव। व्यावसायिक संस्थाओं, विशेषकर एमएसएमई को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सभी लंबित सीमा शुल्क वापसी और कमियों के दावों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए ड्राइव।
 - b. आईजीएसटी एसबी005 वैकल्पिक तंत्र में निर्यात-विस्तार पर रिफंड करता है। 31.12.2019 तक की तारीख के साथ शिपिंग बिल के लिए सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली में एसबी005 त्रुटि सुधार की सुविधा का विस्तार।
 - c. लोकडाउन के दौरान आईसीडी / सीएफएस / पोर्ट्स / टर्मिनल ऑपरेटर्स द्वारा लगाए गए डिमर्ज/ विलम्बन शुल्क पर छूट। जोनल कस्टम्स के मुख्य आयुक्तों ने स्थानीय संरक्षकों (इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों) को लोकडाउन अवधि के दौरान डिमर्ज शुल्क से छूट देने के लिए कहा है।
 - d. कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में छूट प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश है या वहाँ से जुड़े मामलों के लिए या आकस्मिक रूप से अपील दायर करने के लिए समय सीमा, रिटर्न प्रस्तुत करने, या सीमा शुल्क अधिनियम या सीमा शुल्क अधिनियम के तहत किसी भी अन्य अनुपालन, जो 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 तक समाप्त हो रहे थे, को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
- x. महामारी से जूझ रहे अन्य देशों के लिए एक राहत उपाय के रूप में, महत्वपूर्ण दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) आदि के विशिष्ट निर्यात शिपमेंट्स को सीमाओं पर

कस्टम्स द्वारा सक्रिय रूप से सुविधाजनक बनाया गया है। इनमें से कुछ शिपमेंट भारत सरकार से दान हैं।

- xi. ईमेल के जरिये मांग के आधार पर, लॉकडाउन अवधि के दौरान घर से काम की सुविधा के लिए कस्टम्स द्वारा भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के कर्मचारियों के निवास स्थान से कस्टम्स द्वारा द्वारा हस्तांतरित किए जाने के लिए कंप्यूटर और संबंधित सामान की अनुमति दी गई है।
- xii. सीबीआईसी ने अन्य मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय किया कि कस्टम्स को लॉकडाउन अवधि के दौरान एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किया गया है, जिसने सभी कस्टम्स स्टेशनों पर सुचारू संचालन की अनुमति दी है। उपर्युक्त के अनुरूप, आगे के निर्देशों को सीमा शुल्क दलालों और ट्रांसपोर्टर्स की आवाजाही की अनुमति जारी की गई, और लॉक डाउन अवधि के दौरान गोदामों के कामकाज की अनुमति दी गई।
- xiii. सीबीआईसी ने अन्य मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय किया कि सीमा शुल्क को लॉक डाउन अवधि के दौरान एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किया गया है, जिसने सभी सीमा शुल्क स्टेशनों पर सुचारू संचालन की अनुमति दी है। उपरोक्त के अनुरूप, आगे के निर्देशों को कस्टम्स दलालों और ट्रांसपोर्टर्स की आवाजाही की अनुमति जारी की गई, और लॉक डाउन पीरियड 1 के दौरान गोदामों के कामकाज की अनुमति दी गई। सभी कस्टम संरचनाओं को प्रभावित क्षेत्रों से कार्गो से निपटने में अधिक संवेदनशीलता दिखाने के लिए कहा गया है, आयात घोषणाओं को दर्ज करने में देरी की निंदा करें और वास्तविक मामलों में देर से फाइलिंग शुल्क माफ करें।
- xiv. प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की निकासी में विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसे यात्रियों के लिए हवाई अड्डों, बंदरगाह टर्मिनलों और भूमि कस्टम स्टेशनों पर अलग-अलग चौकल बनाए गए थे। सीमा शुल्क अधिकारियों ने मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के निर्देशों का सख्ती से पालन किया।
- xv. सीबीआईसी ने बंदरगाह और हवाई अड्डे के अधिकारियों और अन्य संरक्षकों के साथ समन्वय किया है ताकि यह देखा जा सके कि सीमा शुल्क क्षेत्र में एक्सिम कार्गो के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

B. जीएसटी

- i. कोविड-19 महामारी के कारण करदाताओं को राहत देने के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं
 - a) अपील दायर करने, रिटर्न प्रस्तुत करने या जीएसटी अधिनियम के तहत किसी अन्य अनुपालन के लिए समय सीमा अध्यादेश के अनुसार बढ़ा दी गई है।
 - b) मई 2020 में महीने में आपूर्ति के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख का विस्तार।
 - c) अनुपालन की नियत तारीख का विस्तार जो "20.03.2020 से 29.06.2020" की अवधि के दौरान 30.06.2020 तक और ई-वे बिल की वैधता का विस्तार करने के लिए होता है।
 - d) मार्च, 2020 तक समाप्त तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 प्रस्तुत करने की नियत तारीख का विस्तार, 07.07.2020 तक और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-4 को दाखिल करने का समय 15.07.2020 तक है।
 - e) फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहरी विवरण प्रस्तुत करने में देरी के लिए देर से शुल्क की सशर्त माफी।
 - f) फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न देने में देरी के लिए विलंब शुल्क की सशर्त माफी।
 - g) फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधि के लिए ब्याज दर में कमी

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 30.06.2020 तक कंपोजीशन स्कीम चुनने की अनुमति देने के लिए सीजीएसटी नियम (चौथा संशोधन) में संशोधन और नियम 36 (4) में संचयी आवेदन की अनुमति देने के लिए

- ii. विशेष जीएसटी रिफंड डिस्पोजल ड्राइव - लंबित जीएसटी और आईजीएसटी रिफंड के दावों में तेजी लाने के लिए निर्णय का कार्यान्वयन
- iii. सीमा शुल्क/कस्टम अधिनियम, 1962 के तहत किसी भी कार्यवाही के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई का आयोजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक दूरियां सुनिश्चित करने और भौतिक उपस्थिति को कम करने के लिए।

अनुलग्नक 3: रक्षा व्यय के उपयोग और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल।

बजट प्रदर्शन

2020-21 के लिए सिविल एस्टिमेट और पेंशन सहित रक्षा बजट का आवंटन 4,71,378.00 करोड़ रुपये है, जो कि बीई 2019-20 से अधिक 40,367.71 करोड़ रुपये है। पिछले कुछ वर्षों में निरपेक्ष मामले से पूंजीगत व्यय बढ़ा है। 2016-17 के बाद से आवंटित पूंजी बजट का पूरी तरह से उपयोग किया गया है, जो धन के आत्मसमर्पण के पिछले रुझानों को उलट रहा है। रक्षा बजट के उपयोग के चलन को वित्त वर्ष 2016-17 से भी उलट दिया गया है।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) -2020:

- रक्षा मंत्रालय ने 28 सितंबर, 2020 को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) -2020 का अनावरण किया। डीएपी-2020 को सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से भारतीय घरेलू उद्योग को सशक्त बनाने के साथ गठबंधन किया गया है, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के अंतिम उद्देश्य के साथ है। नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की घोषणा के साथ, डीएपी 2020 में भारतीय घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करते हुए आयात प्रतिस्थापन और निर्यात दोनों के लिए विनिर्माण हब स्थापित करने के लिए एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान शामिल हैं।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान में कुछ प्रतिपादित विशिष्ट सुधार, निम्नानुसार हैं:
 - a) आयात पर प्रतिबंध के लिए हथियारों/प्लेटफार्मों की एक सूची को सूचित करें। डीएपी में प्रासंगिक समावेशन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सूची में उल्लिखित कोई उपकरण पूर्व आयात पोस्ट की समयसीमा को अधिसूचित नहीं किया गया है।
 - b) आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण:
 - i. सूचना के लिए अनुरोध (आरएफआई) - आरएफआई चरण संभावित विदेशी विक्रेताओं की निर्माण और प्रगतिशील / स्वदेशी इको सिस्टम को पुर्जों / उप घटक स्तर पर उत्तरोत्तर विकसित करने की इच्छा का पता लगाएगा।
 - ii. खरीद की नई श्रेणी (भारत में वैश्विक निर्माण) - नई श्रेणी में भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से उपकरणों के पूरे / हिस्से या पुर्जों / असंबली / सब-असंबली / रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा का निर्माण शामिल है।
 - iii. आईजीए (इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट) के माध्यम से सह-उत्पादन - यह आईजीए आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से सह-उत्पादन सुविधाओं की स्थापना और जीवन चक्र लागत को कम करने में सक्षम बनाता है।
 - iv. संविदात्मक सक्षमता। स्वदेशी इको सिस्टम के माध्यम से जीवन चक्र समर्थन लागत और सिस्टम संवर्द्धन को अनुकूलित करने के लिए क्रेता का अधिकार शामिल है।

- c) रक्षा विनिर्माण में एफडीआई: नई एफडीआई नीति की घोषणा के साथ, विदेशी ओईएम को भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से 'विनिर्माण/खरखाव संस्थाओं' की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किए गए नए वर्ग 'खरीद (वैश्विक - भारत में निर्माण)' जैसे उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया गया है, घरेलू उद्योग के लिए आवश्यक सुरक्षा को सक्षम करते हुए।
- d) समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया और तेजी से निर्णय लेना: आत्मनिर्भर अभियान में घोषित रक्षा सुधार के एक भाग के रूप में, अनुबंध प्रबंधन का समर्थन करने के लिए एक पीएमयू की स्थापना अनिवार्य है। पीएमयू अधिग्रहण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में सलाहकार और परामर्श सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: समीक्षा के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में सरलीकरण, प्रतिनिधिमंडल पर जोर देने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करना और प्रक्रिया उद्योग को कुछ विशिष्ट प्रावधानों के साथ अनुकूल बनाना था, जैसे समय को कम करने के लिए 500 करोड़ रुपये तक के सभी मामलों में एकल चरण समझौते।
 - मेक अँड इनोवेशन:
 - a) मेक आई (70% तक की सरकारी राशि) - 250 करोड़ रुपये/ डीए की कैप और बोली मानदंडों के आधार पर डीए का चयन।
 - b) मेक II (उद्योग वित्त पोषित) स्वदेश निर्मित और विकसित हथियार / उपकरण / प्रणालियों / उप घटकों / विधानसभाओं के साथ साथ प्लेटफार्मों के उत्पादन के लिए।
 - c) मेक III (स्वदेशी रूप से निर्मित) श्रेणी के निर्माण के लिए उपकरण / प्लेटफार्मों या पुर्जों / असेंबली / उप-असेंबली को बढ़ाने के लिए सक्षम करने के लिए।
 - d) आइडेक्स, प्रौद्योगिकी विकास कोष और आंतरिक सेवा संगठनों जैसी विभिन्न पहलों के तहत इनोवेशन के माध्यम से विकसित प्रोटोटाइप की खरीद की सुविधा दी गई है।
 - ऑफसेट: ऑफसेट दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है, जिसमें घटकों पर पूर्ण रक्षा उत्पादों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी और ऑफसेट के निर्वहन में प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न गुणक जोड़े गए हैं।

रक्षा उत्पादन में सेल्फ-रिलायंस:

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता/सेल्फ-रिलायंस हासिल करने और भारत को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र (ओएफएस), रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) और निजी उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक हब बनाने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है और उत्पाद रेंज को चौड़ा किया है। आर एंड डी पहल के माध्यम से और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रमुख उत्पादों को विकसित किया गया है। एक नीति के रूप में, डीपीएसयू और ओएफओं अपनी आवश्यकता के कई आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उत्पादन के मूल्य के संदर्भ में आउटसोर्सिंग का मूल्य 41.70% है। इन वर्षों में एक विस्तृत विक्रेता आधार विकसित किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में मध्यम और लघु उद्योग और बड़े पैमाने पर उद्योग शामिल हैं। इसके अलावा, डीपीएसयू और ओएफएस उपकरण और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों में स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। 31.03.2020 को स्वदेशी सामग्री (स्वदेशीकरण की डिग्री) 74.56% थी।

नीति की पहल

सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) ऑर्डर 2017 के नवीनतम पसंद के तहत, रक्षा उत्पादन विभाग ने 46 वस्तुओं की सूची को अधिसूचित किया है, जिसके लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतियोगिता है और इस प्रकार, इन वस्तुओं की खरीद केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से की जाएगी, चाहे खरीद मूल्य कुछ भी हो

रक्षा के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) को 2018 में लॉन्च किया, जिसमें एमएसएमई, स्टार्ट-अप, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, आरएंडडी इंस्टीट्यूट्स और एकेडमिया सहित उद्योगों को शामिल करने और उन्हें अनुदान / धन उपलब्ध कराने का इरादा है और आरएंडडी को आगे बढ़ाने के लिए अन्य सहायता, जिसमें भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस जरूरतों के लिए भविष्य में अपनाने की क्षमता है। डीडीपी के तहत जनवरी 2018 से डिफेंस इन्वेस्टर सेल कार्यात्मक अपने प्रश्न / शिकायतों के बारे में रक्षा उद्यमियों को सुविधा और मार्गदर्शक की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने देश भर से ऐसे 1000 से अधिक प्रश्नों / मामलों को संबोधित किया है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

मई 2001 में, रक्षा उद्योग क्षेत्र, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब तक आरक्षित था, को 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के साथ भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए 100 प्रतिशत तक खोला गया था, दोनों लाइसेंसिंग के अधीन थे। एफडीआई नीति को आगे प्रेस नोट नंबर 4 (2020 सीरीज) दिनांक 17.09.2020 से उदारीकृत किया गया और स्वचालित मार्ग के तहत 74% और 74% से ऊपर सरकारी मार्ग के माध्यम से अनुमति दी गई है जहाँ भी आधुनिक प्रौद्योगिकी या इसके लिए उपयोग करने की संभावना है दर्ज किए जाने के अन्य कारण है। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश राष्ट्र सुरक्षा के आधार पर जांच के अधीन होगा और सरकार के पास रक्षा क्षेत्र में किसी भी विदेशी निवेश की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित या प्रभावित कर सकता है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए रक्षा उद्योग क्षेत्र खोलने के बाद, अब तक सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में 44 एफडीआई प्रस्तावों / संयुक्त उपक्रमों को मंजूरी दी गई है। डीपीआईआईटी ने रक्षा वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण के लिए सितंबर 2020 तक निजी कंपनियों को 496 औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) जारी किए हैं।

निर्यात प्रोत्साहन

वित्त वर्ष में आयुध निर्माणी बोर्ड/ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी), डीपीएसयू और निजी क्षेत्र (डीडीपी द्वारा जारी प्राधिकरण के आधार पर) का निर्यात वित्त वर्ष 2017-18 में 4,682 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 9116 करोड़ रुपये हो गया है।

रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, 'मेक' प्रोसीजर को और अधिक सरलीकृत किया गया है और इसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 w-e-f 01.10.2020 के अध्याय -3 के रूप में शामिल किया गया है। "मेक-I और मेक-II 'श्रेणियों के अलावा, एक नई श्रेणी' मेक-III 'को एक उद्देश्य के साथ पेश किया गया है ताकि देश में निर्मित सेवा की सूची में पहले से ही रक्षा वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, भले ही भारत में डिजाइन और विकास नहीं किया गया हो। आयुध कारखानों/ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में 'मेक-II' प्रक्रिया को लागू करने की रूपरेखा भी फरवरी 2019 में जारी की गई थी, जिससे उन्हें भारतीय निजी उद्योग के माध्यम से विशेष रूप से आयात प्रतिस्थापन प्रकृति की वस्तुओं का स्वदेशीकरण करने में सक्षम बनाया गया था।

वित्त वर्ष में आयुध निर्माणी बोर्ड/ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी), डीपीएसयू और निजी क्षेत्र (डीडीपी द्वारा जारी प्राधिकरण के आधार पर) का निर्यात वित्त वर्ष 2017-18 में 4,682 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 9116 करोड़ रुपये हो गया है।

रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास/डेवलपमेंट और निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, 'मेक' प्रोसीजर को और अधिक सरलीकृत किया गया है और इसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020

w-e-f 01.10.2020 के अध्याय-3 के रूप में शामिल किया गया है। “मेक-आई और मेक-II ‘श्रेणियों के अलावा, एक नई श्रेणी ‘मेक-III’ को एक उद्देश्य के साथ पेश किया गया है ताकि अगर भारत में डिजाइन और विकास नहीं किया गया हो भी देश में निर्मित सेवा की सूची में पहले से ही रक्षा वस्तुओं को प्राप्त किया जा सके। फरवरी 2019 में आयुध कारखानों और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में ‘मेक-II’ प्रक्रिया को लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई, जिससे वे विशेष रूप से भारतीय निजी उद्योग के माध्यम से वस्तुओं के स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे सकें, विशेष रूप से आयात प्रतिस्थापन प्रकृति।

वनानि दहतो वहेः सखा भवति मारुतः।
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यस्ति सौहृदम्॥

एक छोटे से दीप को बुझा देने वाली हवा भी दावानल की दोस्त बन जाती है।
शक्तिशाली का सभी समर्थन करते हैं।
- सुभाशिता


कोविड-19 महामारी ने 2020 महामंदी (ग्रेट डिप्रेशन) के बाद से सबसे बुरी वैश्विक मंदी को जन्म दिया है; हालांकि, शुरू में जिस प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव की आशंका थी उसकी तुलना में कम नुकसान होने की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई है, वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं और संकुचित बाहरी वित्तपोषण की स्थिति में चालू खाता शेष और विभिन्न देशों की मुद्राओं पर अलग-अलग दुष्प्रभाव पड़े हैं। वैश्विक व्यापारिक व्यवसाय 2020 में 9.2 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है। कम आयात की वजह से चीन और अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। भारत के वैश्विक व्यापार की बदलती प्रकृति रत्न और गहने, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में कमी और दवाओं और फार्मा, सॉफ्टवेयर और कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में सुधार के रूप में प्रकट हुई है। विशेष रूप से, फार्मा निर्यात ने इस अवसर का उपयोग भारत के कुल निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किया और भारत को दुनिया की फार्मेसी होने की संभावना को इंगित किया। समायोज्य (रिज़िलिएंट) सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातों के समर्थन से भारत को चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू खाते में 17 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से अधिशेष देखने की उम्मीद है। दूसरी ओर, पूंजी खाता शेष, मजबूत एफडीआई और एफपीआई प्रवाह से मजबूत हुआ है। इन परिवर्तनों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, जो 08 जनवरी, 2021 तक 586.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के उच्च स्तर तक पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई का हस्तक्षेप अस्थिरता और रुपये के एकतरफा अधिमूल्यन को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहा है। हालांकि इस हेडलाइन मुद्रास्फीति के उच्च स्तर ने आरबीआई के समक्ष शास्त्रीय ट्राइलेमा (त्रिधापाश) की स्थिति उत्पन्न की है, जिससे एक ओर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाली संकुचित मौद्रिक नीति एवं वृद्धि के प्रोत्साहन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखा जा सके। इस पृष्ठभूमि से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए जिसमें शामिल हैं-उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी), व्यापार लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल प्रयास निर्यात को सुगम बनाने में अधिक सहायक होंगे।

3.1 कोविड-19 ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की बढ़ती परस्परता द्वारा उत्प्रेरित प्रसार के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। परिणामी संकट ने वैश्विक व्यापार में तीव्र गिरावट, कमोडिटी/माल की कीमतों में गिरावट, बाहरी वित्तपोषण की खराब स्थिति और चालू खाता शेष और मुद्राओं के लिए अलग-अलग प्रभाव के साथ एक तीव्र आघात किया है। 2020 के पहले पांच महीनों में माल व्यापार (गुड्स ट्रेड) की वैश्विक मात्रा 2019 की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम थी - जो वैश्विक संकट के पहले पांच महीनों में अप्रत्याशित अधिक संकुचन वाली स्थिति रही।

वैश्विक आर्थिक परिवेश

3.2 महामारी के प्रसार के कारण आर्थिक गतिविधियों से जुड़े निलंबन, आपूर्ति, श्रृंखला में व्यवधान, यात्रा प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कीमतों में अस्थिरता पैदा हुई। नतीजतन, वैश्विक उत्पादन वृद्धि और व्यापार की मात्रा में गिरावट की लहर थी। व्यापार में गिरावट की तुलना में जीडीपी में संकुचन वर्तमान मंदी में बहुत अधिक मजबूत हुआ है जो अधिक मध्यम रहा है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने अप्रैल 2020 में, विश्व व्यापार के व्यवसाय में 2020 में 13-32 प्रतिशत की गिरावट की भविष्यवाणी की। हालांकि, लॉकडाउन में ढील/छूट दिए जाने और आर्थिक गतिविधियों में तेजी को कम करने के साथ, जून और जुलाई के महीनों में व्यापार में वृद्धि दर्ज की गई। तदनुसार, डब्ल्यूटीओ ने अक्टूबर 2020 में अपने अनुमानों को संशोधित किया है जिसके अनुसार 2020 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 9.2 प्रतिशत की गिरावट आई है, इसके बाद 2021 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है (चित्र 1)। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अक्टूबर 2020 संस्करण में, आईएमएफ ने 2020 में विश्व उत्पादन में 4.4 प्रतिशत की तेज गिरावट की उम्मीद की थी, लेकिन 2020 के विश्व व्यापार की मात्रा में अप्रैल 2020 में की गई भविष्यवाणी अर्थात क्रमशः 3.0% तथा 11.0% (चित्र 1) की तुलना में 10.4 प्रतिशत संकुचन दर्ज किया गया था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, जीडीपी के साथ-साथ व्यापार की मात्रा के संकुचन को उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) की तुलना में अधिक गंभीर संकुचन होने का अनुमान है।

चित्र 1 : वर्ल्ड आउटपुट और ट्रेड वॉल्यूम की वृद्धि में रुझान




स्रोत : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन

नोट : 2020 और 2021 के आंकड़े अनुमानित हिस्से के रूप में दर्शाए गए हैं।

3.3 विश्व व्यापार संगठन से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वैश्विक व्यापार में, वैश्विक स्तर पर 2020 की दूसरी तिमाही में अब तक सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उक्त तिमाही के लिए डब्ल्यूटीओ का माल व्यापार बैरोमीटर सूचकांक 84.5-2007 के बाद से अब तक रिकॉर्ड पर सबसे कम था यानि, सूचकांक के लिए बेसलाइन वैल्यू 100 के 15.5 अंक के नीचे और पिछले साल की समान अवधि से 18.6 अंक नीचे है।

3.4 हालांकि, व्यापार पर प्रभाव क्षेत्रों में काफी भिन्नता है। 2020 में (क्यू 3 तक), आईएस को निर्यात में 12.9 प्रतिशत और आयात में 10.8 प्रतिशत की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जबकि ईएमडीई ने निर्यात में कम संकुचन 7.6 प्रतिशत और आयात में 10.1 प्रतिशत की कमी देखी। ईएमडीई के बीच, दक्षिण पूर्व एशियाई निर्यात उन्मुख देशों में अभी भी निर्यात में 2.4 प्रतिशत की कमी और आयात में 9.6 प्रतिशत की कमी देखी गई है।

चित्र 2 : वर्ल्ड मर्चेन्डाइज ट्रेड में रुझान : विकास दर (वाई-ऑन-वाई/वर्ष दर वर्ष)



स्रोत: विश्व व्यापार संगठन

3.5 विभिन्न प्रकार के सामानों में व्यापार पर प्रभाव भी काफी भिन्न होता है। जबकि कृषि उत्पादों का व्यापार दूसरी तिमाही (-5 प्रतिशत बनाम -21 प्रतिशत) में दुनिया के औसत से कम हो गया, यह ईंधन और खनन उत्पादों के मामलों में तेजी से गिर गया (38 प्रतिशत) क्योंकि कीमतें गिर गईं। इसके अलावा, मोटर वाहन उत्पादों के व्यापार में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, हालांकि, दूरसंचार उपकरण (जिसमें स्मार्टफोन भी शामिल हैं), इलेक्ट्रॉनिक्स (घर से काम करने की सुविधा के लिए) और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में व्यापार की वृद्धि हुई।

3.6 आईएमएफ की अक्टूबर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 के अनुसार, अर्थव्यवस्था के लिए ऋण के प्रवाह को बनाए रखने और प्रतिकूल मैक्रो-फाइनेंशियल फीडबैक लूप से बचने के लिए अभूतपूर्व और समय पर नीतिगत प्रतिक्रियाओं के कारण निकटवर्ती वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिम अभी के लिए निहित हैं, जिसमें सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में कमजोरियां बढ़ी हैं, क्योंकि फर्मों ने नकदी की कमी और संप्रभु क्षेत्र में सामना करने के लिए अधिक कर्ज लिया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए राजकोषीय घाटे ने विस्तार किया है। ईएमडीई मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा आय के लिए उत्पाद निर्यात, परदेसी वित्तपोषण और पर्यटन पर निर्भर करते हैं, जिसमें महामारी की से काफी कमी आई है। हालांकि,

1 डब्ल्यूटीओ का माल व्यापार बैरोमीटर इंडेक्स का एक प्रमुख संकेतक है जो विश्व व्यापार वृद्धि के व्यापार की मात्रा के आंकड़ों से दो से तीन महीने पहले विश्व व्यापार विकास में व्यापार विकास में परिवर्तन का संकेत देता है। इसका आधारभूत मूल्य 100 है, 100 से अधिक का मान ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति की वृद्धि को दर्शाता है जबकि 100 के नीचे का मान अधोमुखी प्रवृत्ति के विकास को इंगित करता है।

अभी तक ईएमडीई पर इसका प्रभाव छह देशों-अरजेंटीना, इक्वाडोर, बेलीज, लेबनान, सूरीनाम और जाम्बिया-की अपेक्षा कम रहा है जिन्होंने अपने सॉवरेन ऋण पर चूक की है और केवल पहले दो ने अपने ऋणों का पुनर्गठन किया है। 2021 में संभावित ऋण चूक हो सकती है क्योंकि उस वर्ष चुकोती के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी ऋण का अनुमान है। भविष्य के मार्ग की कमियों को नीतिगत समर्थन की सीमा और पुनर्प्राप्ति (वसूली) की गति से तय किया जाएगा, जो कि अलग-अलग क्षेत्रों और देशों में असमान होने की उम्मीद है।


3.7 संक्षेप में कहा जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी अभूतपूर्व कोविड-19 के आघात के प्रभाव में ही है। इस अनिश्चित और अस्थिर वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच, भारत का वैदेशिक क्षेत्र तन्यता के लिए एक प्रमुख प्रशामक के रूप में उभरा है। भारत की आश्वासक वैदेशिक संतुलन स्थिति को लगातार तीन तिमाहियों में अधिशेष चालू खाता शेष, पोर्टफोलियो कैपिटल इनफ्लो की फिर से शुरुआत, मजबूत एफओआई इनफ्लो और विदेशी मुद्रा रिजर्व के निरंतर निर्माण द्वारा समर्थित किया गया है।

भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) में विकास की संभावनाएं

(मर्चेडाइज ट्रेड) व्यापारिक माल का व्यापार

3.8 वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान, भारत के निर्यात और आयात में वैश्विक व्यापार में संकुचन के अनुरूप ही तीव्र संकुचन देखा गया। आयात में गिरावट से निर्यात में कमी आई है-जिसके कारण पिछले साल की पहली तिमाही के दौरान यूएस \$ 49.2 बिलियन की तुलना में \$ 9.8 बिलियन के छोटे व्यापार घाटे के रूप में भारत ने 18 वर्षों के अंतराल के बाद जून, 2020 के महीने में व्यापार अधिशेष दर्ज किया। जून से अर्थव्यवस्था के अनलॉक होने के साथ, भारत के मर्चेडाइज व्यापार में एक क्रमिक पुनरुद्धार हुआ (चित्र 3) । अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान व्यापार घाटा पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 125.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में मात्र 57.5 बिलियन अमरिकी डालर था।

चित्र 3 : मर्चेडाइज ट्रेड बेलेंस (व्यापारिक माल व्यवसाय संतुलन), निर्यात और आयात की वृद्धि दर



स्रोत : वाणिज्य विभाग

3.9 प्रमुख वस्तुओं का विवरण जिसमें भारत में 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) की तुलना में 2020-21 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार संतुलन रहा जो क्रमशः तालिका 1 और तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका-1: उत्पाद जिनमें भारत का मर्चेन्डाइज्ड व्यापार संतुलन अनुकूल है।

(यूएस \$ बिलियन में मूल्य)

क्रम सं.	उत्पाद	निर्यात		आयात		व्यापार संतुलन	
		अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर
		2019-20 (सं.)	2020-21 (अनं.)	2019-20 (सं.)	2020-21 (अनं.)	2019-20 (सं.)	2020-21 (अनं.)
1	औषधि फॉर्मूलेशन, जैविक	10.6	12.4	1.5	1.7	9.0	10.7
2	समुद्री उत्पाद	4.8	4.0	0.1	0.1	4.7	3.8
3	सोना तथा अन्य कीमती धातु से बने आभूषण	9.6	4.0	0.5	0.2	9.1	3.8
4	आरएमजी कॉटन और ऐस्सेसरी	5.6	3.9	0.4	0.2	5.2	3.7
5	सूती कपड़े और परिधान	4.0	3.5	0.4	0.2	3.6	3.3
6	लोहा एवं इस्पात	6.4	7.7	8.0	4.7	-1.6	3.0
7	लौह अयस्क	1.7	2.8	0.1	0.1	1.6	2.7
8	बासमती चावल	2.5	2.7	0.0	0.0	2.5	2.7
9	(बासमती के अलावा) चावल	1.3	2.6	0.0	0.0	1.3	2.6
10	पेट्रोलियम उत्पाद	28.5	15.4	18.0	13.1	10.6	2.3

स्रोत: डीओसी

नोट: आर: संशोधित, पी: अनंतिम

तालिका-2: उत्पाद जिनमें भारत का मर्चेन्डाइज्ड व्यापार प्रतिकूल है।

(यूएस \$ बिलियन में मूल्य)

क्रम सं.	उत्पाद	निर्यात		आयात		व्यापार संतुलन	
		अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर	अप्रैल नवंबर
		2019-20 (सं.)	2020-21 (अनं.)	2019-20 (सं.)	2020-21 (अनं.)	2019-20 (सं.)	2020-21 (अनं.)
1	कच्चा तेल	0.0	0.0	68.0	31.2	-68.0	-31.2
2	सोना	1.2	0.6	20.6	12.3	-19.4	-11.7
3	कोयला, कोक और ब्रिक्केट्स आदि	0.1	0.0	15.6	9.7	-15.5	-9.7
4	टेलीकॉम उपकरण	3.1	2.2	10.3	9.8	-7.2	-7.6
5	इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे	1.7	1.5	11.7	8.7	-10.0	-7.2
6	वनस्पति तेल	0.1	0.3	6.4	6.8	-6.3	-6.5
7	कम्प्यूटर हार्डवेयर और सहायक उपकरण	0.2	0.2	6.5	6.6	-6.3	-6.4
8	निर्मित उर्वरक	0.1	0.1	5.0	5.5	-5.0	-5.4
9	कच्चा प्लास्टिक पदार्थ	2.4	2.3	7.2	5.2	-4.8	-2.9
10	एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और पुर्जे	0.9	0.8	7.0	3.6	-6.0	-2.8

स्रोत: डीओसी

नोट: आर: संशोधित, पी: अनंतिम

3.10 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) की तुलना में 2020-21 (अप्रैल-नवंबर) की अवधि के लिए प्रमुख देशों के लिए भारत का व्यापारिक व्यवसाय संतुलन तालिका 3 में यह दर्शाता है कि भारत का यू एस ए के साथ-साथ बांग्लादेश और नेपाल से अधिक अनुकूल व्यापार संतुलन है। अप्रैल, 2020-21 और अप्रैल-नवंबर, 2019-20 के दौरान सबसे अधिक व्यापार घाटा चीन के बाद ईराक और सऊदी अरब के साथ हुआ है।

तालिका 3: भारत का प्रमुख देशों के साथ मर्चेन्डाइज्ड व्यापार संतुलन							
अमेरिकी डॉलर बिलियन में कीमत							
क्रम संख्या	देश	निर्यात		आयात		व्यापार संतुलन	
		अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)	अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)	अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)
1	यूएसए	35.6	31.3	25.1	16.3	10.5	15.0
2	बांग्लादेश	5.3	5.0	0.8	0.6	4.5	4.4
3	नेपाल	4.8	3.4	0.5	0.4	4.3	3.0
4	यूके	5.7	4.6	4.5	2.6	1.2	2.0
5	नीदरलैंड	5.7	3.8	2.4	1.9	3.4	1.9
6	श्रीलंका	2.6	2.1	0.6	0.4	2.0	1.7
7	तुर्की	3.4	2.3	1.5	0.9	1.9	1.4
8	कतर	0.8	0.8	6.0	4.6	-5.3	-3.8
9	दक्षिण कोरिया	3.1	2.9	10.9	7.1	-7.8	-4.2
10	इंडोनेशिया	2.5	2.7	9.6	7.3	-7.0	-4.6
11	स्विट्ज़रलैंड	0.8	0.9	12.8	5.8	-12.0	-4.9
12	सऊदी अरब	3.8	3.6	18.2	9.2	-14.4	-5.6
13	इराक	1.3	1.0	15.4	7.6	-14.1	-6.6
14	चीन	11.5	13.6	46.9	38.8	-35.4	-25.2

स्रोत: डीओसी


नोट: आर संशोधित, पी: (अनंतिम)

मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट

3.11 अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान कुल निर्यात यूएस \$ 200.8 बिलियन हुआ। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान (-) 2.4 प्रतिशत की तुलना में (-) 15.7 प्रतिशत का संकुचन हुआ है। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) निर्यात का समीक्षाधीन अवधि के दौरान निर्यात प्रदर्शन में नकारात्मक योगदान रहा है जबकि ये कुल निर्यात का लगभग 10-15 प्रतिशत है। पीओएल निर्यात में गिरावट काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से आई है, जो पिछले साल की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान (-) 54.0 प्रतिशत की गिरावट के साथ तथा वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही तक (-) 28.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ बनी रही। दूसरी ओर, गैर-पीओएल निर्यात, जिसने 2020-21 के प्रथम तिमाही में निर्यात के संकुचन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, सकारात्मक रूप से बदल गया और तीसरी तिमाही (चित्र 4) में निर्यात निष्पादन में सुधार करने में मदद की। गैर-पीओएल निर्यातों के भीतर, कृषि और संबद्ध


उत्पादों, दवाओं और दवा और अयस्कों और खनिजों में लचीला और अभिलिखित विस्तार साबित हुआ। हालांकि, प्रमुख वस्तुएं जैसे कि कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ा और संबद्ध उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न और आभूषण ने निर्यात वृद्धि को नीचे खींच लिया (चित्र 5)।

चित्र 4 : निर्यात वृद्धि में सापेक्ष योगदान



स्रोत : वाणिज्य विभाग और विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण परिकलन


चित्र 5 : 2020-21 (अप्रैल-नवंबर) (पी) में गैर-पीओएल निर्यात वृद्धि में सापेक्ष योगदान



स्रोत : वाणिज्य विभाग के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण परिकलन

3.12 दवा (ड्रग) फार्मूलेशन, जैविक उत्पादों में लगातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है और हाल के महीनों में इनमें निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। इसके कारण अप्रैल-नवंबर 2020 में इसकी हिस्सेदारी अप्रैल-नवंबर 2019 के 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गई, जिससे यह शीर्ष 10 निर्यात वस्तुओं (चित्र 6) के बीच दूसरी सबसे बड़ी निर्यात की गई वस्तु बन गई। इससे यह साबित हो रहा है कि भारत में 'दुनिया की फार्मेसी' बनने की क्षमता है (बॉक्स 1)। आयरन एंड स्टील एक अन्य कमोडिटी है जिसका शेयर उक्त अवधि में 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, महामारी से संबंधित व्यवधानों ने मोटर वाहन/कारों के निर्यात में तीव्र गिरावट का नेतृत्व किया, क्योंकि अब यह क्षेत्र अप्रैल 2020 में निर्यातित शीर्ष 10 वस्तुओं में से एक नहीं रह गया है।

चित्र 6 : अप्रैल-नवंबर 2020 और अप्रैल-नवंबर 2019 में टॉप 10 एक्सपोर्ट कमोडिटीज [प्रतिशत में शेयर]




स्रोत: वाणिज्य विभाग

बॉक्स I: भारत की वैश्विक फार्मेसी बनने की सम्भावनाएं

भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया में तीसरे स्थान पर है; यह मात्रा के मामले में, चीन और इटली के बाद आता है और मूल्य के मामले में 14वीं सबसे बड़ा उद्योग है। भारत ने विश्व फार्मा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को दस वर्ष की अवधि के दौरान 2010 में 1.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2019 में 2.6 प्रतिशत कर लिया है। 2019 में विश्व फार्मा निर्यात में हिस्सेदारी के मामले में भारत 11 वे स्थान पर था और जर्मनी, स्वीटज़रलैण्ड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष तीन स्थानों पर थे।

भारत 2009 से अपने फार्मास्यूटिकल स्थिति में सतत एवम् दीर्घ आवधिक रिवील्ड कम्परेटिव (आर सी ए) का लाभ ले रहा है। हालांकि, क्रास-कंट्री परिप्रेक्ष्य में, भारत का रिवील्ड कम्परेटिव (आर सी ए) 12वें स्थान पर था (चित्र- बी1) इसके अतिरिक्त, भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का व्यापार विशेषज्ञता गुणांक (टी एस सी) का मूल्य उच्च स्तर पर है। यह 2014-15 से लगातार एक के आसपास है। टी एस सी के मूल्य -1 और 1 के बीच है, और उच्च टीएससी का मूल्य देश की सदृण निर्यात प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।

चित्र - बी 1.1 15 बड़े फार्मा निर्यातकों के लिए आर सी ए (2019 तक)



स्रोत- व्यापार मानचित्र आंकड़ों पर आधारित

वैश्विक फार्मास्युटिकल बाजार 2023 तक 1.5 ट्रिलियन यू.एस. डालर से आगे निकल जाएगा। इस पृष्ठभूमि में, भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग का वर्तमान मूल्य 41 बिलियन यू एस डालर है तथा 2024 तक इसमें यूएस \$65 बिलियन तथा 2030 तक लगभग यूए \$120-130 बिलियन तक की वृद्धि की संभावना है। प्रमुख कच्चे माल का बेस और कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता ने भारत को जेनेरिक दवाओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा भारत एक मात्र ऐसा देश है, जिसकी यूएसए के बाहर यूएस-एफ डी ए कम्प्लेंट फार्मा प्लांट (एपीआई सहित 262 से अधिक) की एक बड़ी संख्या है।

कोविड-19 ने भारत को “दुनिया की फार्मसी” के रूप में उभरने के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों मौहया कराएं हैं। अप्रैल-अक्टूबर, 2020 के दौरान भारत का फार्मास्युटिकल निर्यात कुल 11.1 बिलियन यू एस डालर है जिसमें 18.0 प्रतिशत थी। शानदान वृद्धि दर्ज की गई हैं, जबकि यह एक वर्ष पहले यह 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इससे अप्रैल-अक्टूबर में भारत के कुल निर्यात में फार्मास्युटिकल निर्यात की हिस्सेदारी 5.1 प्रतिशत से अप्रैल अक्टूबर-20 में 7.3 प्रतिशत तक बढ़ गई है। जिससे यह अब तीसरी सबसे निर्यात वस्तु बन गई है। कोविड-19 वेक्सीन की दूसरे देशों को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता ने भारत को वैक्सिन के निर्माण का एक केंद्र बना दिया है। यूएस-एफ डी ए से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारतीय फार्मा कम्पनियों का पिछले नौ महीनों में सभी एब्रीवेटेड नए दवा आवेदन (एडीएनए) के लगभग 45% को मंजूरी दी है जो आने वाले वर्षों में निर्यात वृद्धि में मदद करेगी। हालांकि, महामारी ने ऐक्टिव फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) तथा “की स्ट्राटिंग सामग्री” (केएसएस) के स्रोत के लिए भारतीय दवा उद्योग के लिए चीन पर आवधिक निर्भरता को उजागर किया है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका और जैनेरिक पर भारतीय दवा निर्यात की असंगत निर्भरता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन (पीएल आई) योजना शुरू कराने के लिए फार्मास्युटिकल दवाओं को दस प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है। यह थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए पहले से अधिसूचित पीएलआई योजनाओं के आलेख है, जिसका उद्देश्य क्रिटीकल के एस एम/ड्रग सामग्री (डीआई), एपीआई तथा चिकित्सा उपकरणों के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इन दोनों योजनाओं को फार्मास्युटिकल के साथ-साथ आस्थे (Asthe) चिकित्सा उपकरण उद्योग से अत्यधिक सराहनीय प्रतिक्रियाएं मिली हैं। इसके अतिरिक्त, ड्रग पार्क तथा मेडिकल डिवाइस पार्क को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की भी घोषणा की गई है।

भारतीय फार्मा को महामारी से उत्पन्न हुए सुनहरे अवसर को भुनाने और “दुनिया की फार्मसी” के रूप में उभरने की आवश्यकता है। उद्योगों के व्यापक विकास के लिए एक अच्छी रणनीति में निम्नलिखित घटकों को समाहित करने की आवश्यकता है।

(i) बाजार के सन्दर्भ में व्यापक आधार के साथ-साथ उत्पाद वर्ग के रूप में: बायोसीमीलर जीन थैरेपी, तथा विशेषीकृत दवाएं एवम जापान, चीन, आफ्रिका, इन्डोनेशिया, रूस/सी आई एस देश में निर्यात बढ़ाना। ब्राजील तथा लेटिन अमेरिका जैसे बड़े तथा परम्परागत रूप से कमजोर बाजार भारतीय फार्मा उद्योग के लिए आगे पांव पसारने की एक शुरुआत हो सकते हैं।


(ii) वर्तमान विनियामक तंत्र का पुनर्गठन और विभिन्न राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में (एन आई पी ई आर) में क्षमताओं का उन्नयन और निर्माण करना।

(iii) ग्रेटर आर एवं डी व्यय नोवल केमिकल एनटाईटीज (NCEs) से जेनेरिक में मूल्य क्षुंखला को आगे बढ़ाना।

संदर्भ भल्ला एस.एस. (2019) रिपोर्ट आफ द हाई लेवल एडवाइजरी गुपावाणिज्य विभाग भा.स.
इन्वेस्ट इंडिया से लिया गया: <https://www.inrestindia.gov.in/sectorpharmaceutical> में, महाजन वरूण, डी. के. नौरियल, एस. पी. सिंह, “ट्रैड परफॉरमेंस एण्ड रिसेल्वेड कम्पेरिटिव एडवांटेज ऑफ इंडियन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज इन न्यू रीजिम” आईपीआर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल एण्ड हेल्थकेयर मार्केटिंग 2015, <https://www.ipa-india.org/> डब्लू पी-कन्टेनट/अपलोड/2020/10/इंडियन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री-वे-फारवर्ड.पीडीएफ से लिया गया। “द इंडियन फार्मास्युटिकल उद्योग द वे फारवर्ड”, इंडियन फार्मास्युटिकल अलायेंस, जून 2019.

3.13 जहां तक शीर्ष निर्यात देशों का सम्बन्ध है, संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल-नवम्बर, 2020 में भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात बाजार के रूप से बना हुआ है, जबकि चीन अप्रैल-नवम्बर 2019 में तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। अप्रैल-नवम्बर 2019 में 5.4 प्रतिशत तथा अप्रैल 2020 में लगभग 7.8 प्रतिशत निर्यात चीन को किया गया। (चित्र-7) अंतिम वर्ष की तुलना में, शीर्ष के दस निर्यात देशों में मलेशिया नया जुड़ा है, जबकि शीर्ष के दस देशों में नेपाल का कोई भी स्थान है।

चित्र 7: अप्रैल-नवम्बर 2020 तथा अप्रैल-नवम्बर 2019 में शीर्ष दस निर्यात गंतव्य (प्रतिशत में हिस्सा)




स्रोत- डीओसी

उत्पाद व्यापार आयात


3.14 विगत वर्ष इसी अवधि के दौरान (-) 7.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2020 के दौरान (-) 29.1 प्रतिशत के संकुचन के साथ 258.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल आयात था। पी ओ एल आयात में स्पष्ट गिरावट है जो कुल माल के आयात के एक चौथाई के लगभग है और ये सभी प्रकार की निर्यात वृद्धि में गिरावट लाती है। (चित्र. 8)। इस अवधि के दौरान, पीओएल आयातों का मूल्य 53.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से (-) 44.5 प्रतिशत तक घटी है, जो (-) 16.7 प्रतिशत तक पी ओ एल आयात की मात्रा में कमी लाती है, तथा कच्चे तेल के मूल्य में (भारतीय बाजार) (-) 30.2 प्रतिशत की कमी लाती है। जबकि 2020-21 की पहली तिमाही (Q 1) में कुल व्यापार आयात (-) 52.9 प्रतिशत तक अनुबन्धित था, और दूसरी व तीसरी तिमाही (Q 2 व Q3) में संकुचन ढील की गति क्रमशः (-) 23.2 प्रतिशत तथा (-) 8.3 प्रतिशत रहा है। आयातों में यह सुधार सोने और चांदी के आयात में सकारात्मक वृद्धि और पी ओ एल गैर सोना और चांदी के संकुचन को कम करके योगदान दिया गया था। सोने और चांदी का आयात, भारतीय आयातों के लगभग 7-9 प्रतिशत की औसत का अनुबन्धन, 10.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2020-21 की (Q3) तीसरी तिमाही में 33.0 प्रतिशत की गतिशिल वृद्धि का साक्षी है। यह मुख्यरूप से अन्तर्राष्ट्रीय सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ है। उर्वरक, वनस्पति तेल, दवा एवं फार्मास्युटिकल और कम्प्यूटर हाइवेयर, सहायक उपकरणों ने गैर-पीओएल, गैर-साने, चांदी आयातों की वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया है जबकि पूंजीगत वस्तुओं ने इनकी कमियों में योगदान दिया है (चित्र-9)

चित्र-8: आयात वृद्धि में सापेक्ष योगदान



स्रोत: वाणिज्य विभाग एवं डब्ल्यू टी ओ के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण


चित्र-9 2020-21 में गैर-पीओएल तथा गैर सोना एवं चांदी आयात की वृद्धि में प्रमुख वस्तुओं का सापेक्ष योगदान



स्रोत: वाणिज्य विभाग के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण

3.15 कच्चा पेट्रोलियम अप्रैल-नवम्बर 2020 में सबसे ज्यादा आयात की जाने वाली वस्तु बनी हुई है, जिसकी हिस्सेदारी 14.3 प्रतिशत है तथा साथ ही साथ अप्रैल नवम्बर 2019 (चित्र) में 21.0 प्रतिशत थी। सोने के आयात की हिस्सेदारी अप्रैल-नवम्बर 2020 में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.3 प्रतिशत से घटकर 5.6 प्रतिशत हो गई है, जिससे यह दूसरे स्थान से खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गया है। अप्रैल-नवम्बर 2020 में शीर्ष 10 आयात वस्तुओं की सूची में कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा पेरिफेरल नई वस्तु जुड़ी है। यह अब अधिक लोगों के घर से काम करने के कारण बढ़ी मांग से कुल आयातित वस्तुओं का 3.0 प्रतिशत है।


चित्र 10: अप्रैल-नवम्बर 2020 तथा अप्रैल-नवम्बर 2019 में दस शीर्ष आयातित वस्तुएं (हिस्सेदारी प्रतिशत में)



स्रोत: वाणिज्य विभाग

3.16 अप्रैल-नवम्बर 2020 में भारत के लिए सबसे बड़े आयात स्रोत के लिए मूल आयात करने वाले 10 शीर्ष देशों में, चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत बना। आयात की भागीदारी अप्रैल-नवंबर 2019 में 14.5 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-नवम्बर 2020 में 17.7 प्रतिशत हो गई। चित्र (11), जबकि स्वीटजरलैण्ड शीर्ष 10 आयात स्रोतों में शामिल नहीं है, जर्मनी 3.7 प्रतिशत कि कुल हिस्सेदारी के साथ सूची में नया जुड़ाव है।

चित्र 11: अप्रैल-नवम्बर 2020 तथा अप्रैल-नवम्बर 2019 में शीर्ष 10 आयात स्रोत (हिस्सेदारी प्रतिशत में)




स्रोत: वाणिज्य विभाग

बॉक्स-2 भारत बनाम बांग्लादेश के निर्यात निष्पदान की तुलना

बांग्लादेश एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर रहा है क्योंकि इसकी 2011-19 के दौरान प्रभावशाली मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर 8.6 रही है। जो भारत की तुलना में 0.9 प्रतिशत, तथा विश्व की तुलना में 0.4 प्रतिशत अधिक है। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की विश्व निर्यात में हिस्सेदारी 2011 में 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 0.3 प्रतिशत हो गई है।

शीर्ष पांच निर्यात वस्तुओं का निर्यात 2015 के बाद से बांग्लादेश के कुल निर्यात के 90 प्रतिशत से अधिक रहा। ये पांचों वस्तुएं मुख्य रूप से वस्त्र परिधान और फुटवियर उद्योग से सम्बन्धित है, यह अत्यधिक श्रम-गहन है और अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं (चित्र) 32.1) दूसरी और, निर्यात के मामले में, भारत का व्यापार अधिक व्यापक है, क्योंकि शीर्ष पांच वस्तुएं संयुक्त रूप से कुल निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत योगदान करती है (चित्र बी 2.2) और ये वस्तुएं पूंजी और प्रौद्योगिकी गहन है।


चित्र B 2.1 बांग्लादेश में शीर्ष पांच निर्यात वस्तुएं (हिस्सेदारी के रूप में)



स्रोत: ट्रेड मैप आंकड़ों पर आधारित

नोट: बांग्लादेश निर्यात टाईम श्रृंखला की अनुपलब्धता के कारण, मिरर टाईम श्रृंखला का प्रयोग हुआ


चित्रा B 2.2 भारत में शीर्ष पांच निर्यात वस्तुएं (हिस्सेदारी के रूप में)



स्रोत: ट्रेड मैप डाटा के आधार पर

वर्ष 2017 से 2019 तक पिछले तीन वर्षों के लिए औसत गणना के बाद शीर्ष 10 निर्यात वस्तुएं, जिनमें बांग्लादेश का सबसे अधिक आरसीए (RCA) था चित्र बी 2.3 में दर्शाया गया है। बांग्लादेश की शीर्ष पांच निर्यात वस्तुओं में यह चार वस्तुएं भी शीर्ष पर हैं (हिस्सेदारी एवं मूल्य के सम्बन्ध में)। यह रेखांकित करता है कि बांग्लादेश उन वस्तुओं का निर्यात करता है, जिनमें उसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अधिक है।


चित्र B 2.3: सबसे अधिक RCA शीर्ष निर्यात वस्तुएं तथा बांग्लादेश के निर्यात की हिस्सेदारी (2017-2019 का औसत)



स्रोत: ट्रेड अप डाटा पर आधारित

हालांकि, शीर्ष निर्यात वस्तुओं में से कोई भी वह नहीं है जिसमें भारत का शीर्ष आर सी ए है (चित्र B 2.4)। भारत की शीर्ष आर सी ए निर्यात वस्तुएं मुख्य रूप से श्रम-गहन हैं, जैसे कपास, कालीन, और अन्य वस्त्र आदि। (दूसरा क्वार्टेंट) जबकि भारत पेट्रोलियम उत्पादों, मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों जैसे पूंजी उत्पादों का अधिक निर्यात करता है। (चौथा क्वार्टेंट)

चित्र-B 2.4 भारत से सबसे अधिक आरसीए तथा निर्यात हिस्सेदारी वाली शीर्ष निर्यात वस्तुएं (2017-19 का औसत)



स्रोत: ट्रेड मैप डाटा पर आधारित


नोट: 5% (प्रतिशत) से अधिक हिस्सेदारी वाले निर्यात को बेंचमार्क के रूप में लिया गया है जबकि तीसरी सर्वाधिक निर्यात वस्तु की हिस्सेदारी 6% है।

उपर्युक्त साक्ष्य हमें ऐसे उत्पादों का निर्माण करने के लिए सबक देते हैं, जिनमें हम प्रतिस्पर्धी हैं। इस पैटर्न को आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अध्याय पांच में भी जांचा गया था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि कम विशेषज्ञता के साथ उच्च विविधकरण का अर्थ है कि भारत कई उत्पादों और भागीदारों पर अपने निर्यात का फौलाव बारिकी से कर रहा है।


अदृश्य (इनविजिबल)

3.17 महामारी की शुरुआत और संक्रमण में गिरावट के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवजाही पर लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण यात्रियों के आने में तेज संकुचन के बावजूद, अप्रैल से सितंबर 2020 तक नेट सेवाओं की प्राप्तियां एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 40.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 41.7 बिलियन अमेरिकी डालर पर स्थिर रहीं (चित्र 12क)। सेवा क्षेत्र प्रमुख रूप से सॉफ्टवेयर आधारित सेवाओं को दे रहा था, जो कुल सेवाओं के निर्यात का 49 प्रतिशत (चित्र 12ख) था।

चित्र 12क: निवल सेवा व्यापार



चित्र-12ख: निवल सेवा निर्यात के संरचना




स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.18 निवल निजी हस्तांतरण प्राप्तियां, विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा मुख्य रूप से प्रेषण का प्रतिनिधित्व करते हुए, वित्त वर्ष 2020-21 के एच-1: में कुल 35.8 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले 6.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार विदेश में रह रहे प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या भारत की है (17.5 मिलियन) और भारत 2019 में 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता था। हालांकि विश्व बैंक के अनुसार, 2020 में कम से और मध्यम आय वाले देशों (LMICS) में प्रेषण के घटने के अनुमान 7.2 प्रतिशत है। भारत के लिये, 2020 में लगभग 8.9 प्रतिशत तक के 76 बिलियन डॉलर के कम होने का अनुमान है। वित्तीय और अन्य गैर उत्पादित परिसंपत्तियों के उत्पादन और स्वामित्व से जुड़े सीमापार के भुगतान के कारण नेट आउट गो, जो 2011-12 के बाद से ऊपर की बढ़ रहा था, 2010-20 में इसमें गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2020-21 में यूएसएस की प्राथमिक आय का शुद्ध बहिर्वाह 16.8 बिलियन था, जबकि एक वर्ष पहले यह इसी अवधि में 14.7 बिलियन अमेरिकी डालर था।

भुगतान शेष का चालू खाता

3.19 भारत का चालू खाता घाटा गत 10 वर्षों में औसतन सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रतिशत रहा है। इस चलन को उलटते हुए, वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में निचले व्यापार घाटे और शुद्ध अदृश्य प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि जैसे अन्य घटकों के कारण चालू खाता शेष में अधिशेष था (सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत) । वित्तीय वर्ष 2006-07 की चौथी तिमाही के बाद, 13 वर्षों के अंतराल के बाद यह तिमाही अधिशेष दर्ज किया गया। इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में सिलसिलेवार चालू खाता अधिशेष द्वारा जारी रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में, उत्पाद आयात में अत्यधिक संकुचन और यात्रा सेवाओं के लिए कम व्यय के कारण चालू प्राप्तियों (15.1 प्रतिशत) की तुलना में चालू 34.7 भुगतानों (30.8 प्रतिशत से) में तेज गिरावट हुई परिणामस्वरूप 34.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का चालू खाता अधिशेष (सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत) (चित्र) प्राप्त हुआ। माल और सेवाओं के आयातों में प्राप्त रूझानों से यह अपेक्षित है कि 17 वर्षों की अवधि के बाद भारत वार्षिक चालू खाता अधिशेष, जो सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2 प्रतिशत है, का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।

चित्र 13: भारत की चालू खाता शेष का संयोजन




स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

भुगतान शेष का पूंजीगत/वित्तीय खाता

3.20 विदेशी वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) की शुद्ध अदायगी और बैंकिंग पूंजी में कमी के कारण शुद्ध पूंजी प्रवाह वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में 40.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विपरीत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सामान्य रहा। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में 31.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शुद्ध विदेशी निवेश में वृद्धि देखी गई जो एक वर्ष पूर्व इसकी तुलना में 28.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

3.21 अप्रैल-अक्टूबर, 2020 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया जो 2019-20 के पहले सात महीनों की तुलना में 14.8 प्रतिशत अधिक रहा, जो वैश्विक निवेशकों के बीच पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति का समर्थन करता है (चित्र 14)। जहां तक सेक्टर-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संबंध है, अप्रैल-सितम्बर 2019 में 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने अप्रैल-सितम्बर 2020 में 17.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह को आकर्षित किया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह के मामले में सिंगापुर सर्वाधिक निवेश करने वाला देश बना हुआ है, जबकि संयुक्त राज्य अमरीका ने एक साल पहले इसी अवधि में चौथे स्थान की तुलना में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

चित्र 14: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)




स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: अक्टूबर 2020 में निवल एफडीआई इन्फ्लो 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था।

3.22 मार्च 2020 में अभूतपूर्व बिकवाली के बाद, महामारी की शुरुआत में वैश्विक निवेशकों के बीच मंदी की आशंका को दर्शाते हुए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में विशेष रूप से इक्विटी अंतर्वाह में मजबूत बदलाव देखा, पिछले वर्ष, अप्रैल-दिसंबर, 2020 में 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में गत वर्ष इस अवधि में शुद्ध एफपीआई 28.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई। भारतीय इक्विटी को प्रचुर मात्रा में वैश्विक नकदी द्वारा समर्थित किया गया है, बाद की तिमाहियों में बेहतर कॉर्पोरेट आय और कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन ने आर्थिक सुधार की संभावनाओं को फिर से प्रज्वलित किया है। मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) वैश्विक मानक सूचकांक में भारतीय शेयरों की वृद्धि से विदेशी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने में मदद मिली है।

चित्र 15: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)



स्रोत: नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)

नोट: कुल शुद्ध एफपीआई, ऋण, इक्विटी, हाइब्रिड और वीआरआर का योग है, हालांकि, उपरोक्त चार्ट में केवल ऋण और इक्विटी को दर्शाया गया है क्योंकि वे कुल शुद्ध एफपीआई के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं।



3.23 पूंजी प्रवाह के अन्य रूपों में, बैंकिंग पूंजी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में 8.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया, जो 2019-20 की पहली छमाही के 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध बहिर्वाह से अधिक था। पुनर्भुगतान से बढ़े सकल संवितरणों के कारण और नए संवितरण से अधिक भुगतान के साथ, ईसीबी पर शुद्ध बहिर्वाह अप्रैल-सितंबर, 2020 में 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया। अनिवासी लोगों द्वारा जमा के कारण शुद्ध प्रवाह अप्रैल-सितंबर 2019 में 5.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

विदेशी कर्ज

3.24 सितंबर 2020 के अंत में, भारत का विदेशी कर्ज 556.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया, जो कि मार्च 2020 के अंत के स्तर से 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (0.4 प्रतिशत) कम दर्ज किया गया। प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर के मूल्यहास के कारण हुए वैल्यूएशन लॉस को छोड़कर, विदेशी कर्ज में कमी 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही होती। विदेशी कर्ज के सबसे बड़े घटक के रूप में ईसीबी, सितंबर 2020 अंत में 207 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ मार्च 2020 अंत के स्तर से 5.8 प्रतिशत संकुचित रहा (बॉक्स 3)। जबकि दूसरे सबसे बड़े घटक के रूप में अनिवासी जमा का स्टॉक मार्च 2020 अंत के स्तर की तुलना में 5.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ 137.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, व्यापार ऋण (आयात-वित्तपोषित) 2.0 प्रतिशत की कमी के साथ 99.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर तीसरा सबसे बड़ा घटक रहा। सरकारी कर्ज मार्च 2020 अंत में 100.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ कर 103.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

बॉक्स 3: ईसीबी-नीति की क्रमिक सुगमता

ईसीबी बकाया, मार्च 2020 अंत के 164.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में सितंबर 2020 अंत में 163.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ कम था। अधिकांश ईसीबी वाणिज्यिक ऋण और प्रतिभूति उधारों (91.2 प्रतिशत) (चित्र बी 3.1) के रूप में था जो मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर (77.2 प्रतिशत) में था और गैर-वित्तीय निगमों की पहुंच में था (74.5 प्रतिशत)। ईसीबी की औसत परिपक्वता 6 वर्ष थी, अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान पंजीकृत ऋणों के लिए संदर्भ दर पर मासिक भारित औसत मार्जिन के औसत से मापी गई ईसीबी की लागत, 1.9 प्रतिशत थी जो हाल के वर्षों की तुलना में अधिक थी (चित्र बी 3.2)।



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

साहित्य (आचार्य V, अन्य, 2015; वर्मा और प्रकाश, 2011 तथा रे, अन्य, 2017) भारतीय संदर्भ ईसीबी के उत्प्रेरकों के रूप में देश-विशिष्ट अज्ञात (पुश) कारकों के साथ-साथ जेनेरिक और वैश्विक (पुल) कारकों की पहचान करता है। देश-विशिष्ट कारकों में घरेलू वास्तविक आर्थिक कार्यकलापों, विनिमय दर, ब्याज दर तथा मुद्रास्फीति, घरेलू कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की स्थिति, पूंजी खाते के संदर्भ में खुलेपन की डिग्री और नियामक ढांचा शामिल है। वैश्विक वित्तीय स्थितियां जिनमें ब्याज दरें, वैश्विक विकास और मुद्रास्फीति

शामिल हैं, पुल कारकों में से हैं। तदनुसार 2020-21 की पहली छमाही के दौरान आर्थिक कार्यकलापों में मंदी, ईसीबी के लिए भारत सतत, इच्छा को कम करने का कारण हो सकता है। चालू कोविड-19 महामारी से विदेशी वाणिज्यिक उधारकर्ता की निर्यात आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस तरह की आमदनी के कमजोर पड़ने पर, उनकी पुर्नभुगतान क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे संभावित संवेदनशीलता का स्रोत आगे बढ़ेगा।

बड़े निवेश की आवश्यकताओं के साथ पूंजी की कमी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, यह भारत की दीर्घकालिक नीति है कि पूंजी अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए ऐसी घरेलू बचत को बढ़ाया जाए जिसका झुकाव उन प्रवाहों की ओर हो जो स्थिर, दीर्घकालिक हो और जो अचानक ठहराव तथा परिवर्तन से कम से कम प्रभावित हो। तदनुसार, अन्य विषयों के साथ अभिप्रेरण अंतिम उपयोग के विनियमन के साथ जीडीपी युग्मित अनुपात के रूप में एक सक्रिय सीमा निर्धारण द्वारा प्रतिष्ठानों को विदेशी कर्ज लेने में सक्षम बनाते हुए औसत न्यूनतम परिपक्वता को निर्धारित कर अनिवार्य बचाव व्यवस्था और रोल ओवर रिस्क द्वारा मुद्रा जोखिम को कम से कम करता है। यह व्यापक प्रतिमान व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्षों में विकसित हुआ है। इस व्यापक प्रयास के एक अभिन्न अंग के रूप में, उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के आधार को विस्तृत करते हुए और सभी पात्र उधारकर्ताओं को समान अवसर प्रदान करने तथा मध्यस्थता के दायरे का हटाकर एक नई और सरल ईसीबी नीति को मार्च 2019 में अस्तित्व में लाया गया। इसके अलावा, विदेशी वाणिज्यिक उधारकर्ताओं को उनकी रूचि और पूंजीगत जोखिम को कम करने में सक्षम करने के लिए भारत में वित्तीय बाजारों के विकास को उचित महत्व दिया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत कारपोरेट-उधारकर्ता संवेदनशीलता से उत्पन्न अन्य हितधारकों के लिए संभावित प्रणाली स्थिरता जोखिम को कम करने के लिए वृद्धिशील विदेशी पूंजी देयता वाले प्रतिष्ठानों के लिए बैंकों के एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील प्रावधान और पूंजी आवश्यकताओं के लिए विनियामक सहायता ली गई है।

भारत के विदेशी ऋण 2019-20 की स्थिति पर रिपोर्ट में दस्तावेज के रूप में व्यापार करने के मामले में सुधार के दृष्टिकोण से ईसीबी के अंतिम उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक प्रगतिशील युक्तिकरण और उदारीकरण किया गया है। 16 जनवरी, 2019 से प्रभावी मौजूदा नीति के अनुसार, ईसीबी से संबंधित अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं, सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और रुपये के ऋण के पुनः भुगतान के लिए विशिष्ट पात्र उधारकर्ताओं के लिए छूट दी गई है। पुनर्वित्त की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब मूल ऋण की बकाया परिपक्वता (आर्थिक ऋणों के मामले में भारित परिपक्वता) को कम नहीं किया जाता है और नई ईसीबी की सभी लागत वर्तमान ईसीबी की सभी लागत (अधिक ऋणों के मामले में भारित औसत लागत) से कम होती है। इसके अलावा, केवल उच्च रेटेड कारपोरेट्स (एएए) और महारत्न/नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मौजूदा ईसीबी के पुनर्वित्त में भाग लेने की अनुमति है।

आईसीई बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन (आईबीए), जो एलआईबीओआर को संकलित और इसकी देखरेख करता है, का मानना है कि 2021 के अंत में एक सप्ताह और दो महीने की अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर सेंटिंग समाप्त हो जाएगी तथा शेष अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर पैन्ल योजना के 18 महीनों बाद, जून 2023 अंत में बंद हो जाएगी। प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि सितंबर 2020 के अंत में एलआईबीओआर-लिंकड ईसीबी/एफसीसीबी अनावरण मुद्राओं (यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, सीएचएफ और ईयूआर) में अमेरिकी डॉलर 81.8 अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जिसमें से लगभग 57.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ईसीबी/एफसीसीबी के रूप में ऋण अनुबंध दिसम्बर 2021 अंत तक समाप्त हो जाएंगे। जैसाकि वैश्विक स्तर पर वित्तीय अनुबंध में एलआईबीओआर-ऋण और व्युत्पन्न अनुबंध दोनों, का उल्लेख है, वह लागू रहेगा; उचित फॉलबैक भाषा को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए समाप्ति पर पुनर्विचार करना आवश्यक होगा।

संदर्भ

Acharya V, Cecchetti, S., Gregorio, J., Kalemli - Ozcan, S., Lane, P., & Panizza, U. (2015). *Corporate Debt in emerging economies: A Threat to Financial Stability*. Retrieved from <https://www.cigionline.org/sites/default/files/ciepr2015towe.pdf>

John Hawkins and Philip Turner. (2000). *Managing foreign debt and liquidity risks in emerging economies: an overview*. BIS.

Ministry of Finance. (2020). *India's External Debt - A Status Report: 2019-2020*.

RBI. (2020). *LIBOR: The Rise and the Fall*. Bulletin, November.

Verma, R., & Prakash, A. (2011). Sensitivity of Capital Flows to Interest Rate Differentials: An Empirical Assessment for India. *RBI Working Paper Series No. 7*. Retrieved 06 15, 2018, from <https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=13364>

3.25 सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण मार्च 2020 अंत में 20.6 प्रतिशत से सितंबर 2020 अंत में 21.6 प्रतिशत के साथ थोड़ा बढ़ा (तालिका 4)। हालांकि, रिजर्व्स² में अधिक वृद्धि के कारण कुल विदेशी मुद्रा भण्डार का अनुपात और अल्पकालिक ऋण (मूल और बचत) में सुधार हुआ। विदेशी ऋण के कुल स्टॉक में अल्पकालिक ऋण मूल परिपक्वता का हिस्सा, जो संभावित ऋण सुभेद्यता का विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है, में भी सुधार हुआ है। हालांकि चालू प्राप्तियों को दर्शाते हुए, ऋण सेवा अनुपात (मूल पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान), मार्च 2020 अंत में 6.5 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2020 अंत में बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गया।

तालिका 4: बाह्य ऋण सुभेद्यता सूचक (प्रतिशत जब तक अन्यथा संकेत न दिया जाए)

सूचक	मार्च अंत				सितंबर अंत
	2013	2018	2019	2020 (सं.)	2020 (अनं.)
कुल विदेशी कर्ज (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	409.4	529.3	543.1	558.2	556.2
जीडी का विदेशी ऋण	22.4	20.1	19.8	20.6	21.6
कुल ऋण का अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता)	23.6	19.3	20	19.1	18.5
कुल ऋण का अल्पकालिक ऋण (बचत परिपक्वता)	42.1	42.0	43.4	42.4	44.6
कुल ऋण का रियायती ऋण	11.1	9.1	8.7	8.8	9.0
कुल ऋण का रिजर्व	71.3	80.2	76	85.2	97.4
रिजर्व का अल्पकालिक ऋण का अनुपात	33.1	24.1	26.3	22.5	19.0
रिजर्व का अल्पकालिक (बचत परिपक्वता)	59	52.3	57	49.5	45.5
ऋण सेवा अनुपात	5.9	7.5	6.4	6.5	9.7

स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय

नोट: आर: संशोधित, पी: अर्न्तम

बाक्स 4 : इंडियाज़ एक्सटर्नल डेब्ट: स्टॉक-टेकिंग एण्ड द वे फारवर्ड

जून 2020 अंत में दुनिया का कुल विदेशी ऋण 89 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था जो एक तिमाही पहले (2.2 प्रतिशत) की तुलना में मार्च 2020 अंत के स्तर से 1.0 प्रतिशत की कम दर से बढ़ा है। कुल विदेशी ऋण स्टॉक के 23.9 प्रतिशत के साथ अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक ऋणग्रस्त देश है। जून 2020 अंत तक 554.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित स्टॉक के साथ भारत को वैश्विक रूप से 23वें स्थान पर रखा गया है। विशेष डाटा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) की रिपोर्ट तैयार करने वाले देशों के बीच, जून 2020 अंत तक भारत के विदेशी ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल का विश्लेषण यह रेखांकित करता है कि भारत का अल्पकालिक ऋण अंश, 18.9 प्रतिशत है जो न केवल 24.2 प्रतिशत के औसत अंश से कम है, अपितु किसी भी शीर्ष 20 ऋणी देशों से भी कम है। इसके अलावा, एसडीडीएस और सामान्य डेटा प्रसार मानक (जीडीडीएस) देशों के मध्य, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी सेक्टर की हिस्सेदारी जून 2020 अंत में 18 प्रतिशत थी जो साधारण है और औसत हिस्सेदारी, 29.7 प्रतिशत से कम है।

सैद्धांतिक साहित्य, विदेशी ऋण और विकास के बीच “लाफ़र कर्व” संबंध का सुझाव देता है, जिसमें विदेशी ऋण के निवेश और विकास पर एक निश्चित सीमा स्तर तक साकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हालांकि इस स्तर के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव हो जाता है। इस गैर रेखीय संबंध में अनिश्चितता के एक तत्व को दर्शाते हुए, ऋण को अधिकतम या विकास के अधिकतम स्तर की एक श्रेणी की पहचान की जाती है। कोहेन (1997) ने पाया कि अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए, जीडीपी को विदेशी ऋण का 50 प्रतिशत और निर्यात को ऋण का 200 प्रतिशत वह परिवर्तन बिंदु हो सकता है जहां गैर-रेखिकता प्रभावी हो। विकासशील और मध्यम-आय वाले देशों के आधार पर पेटिलो, अन्य (2002, 2011), का तर्क है कि विदेशी ऋण का औसत प्रभाव निर्यात के लगभग 160-170 प्रतिशत या सकल घरेलू उत्पाद के 35-40 प्रतिशत पर नकारात्मक हो जाता है। दूसरी ओर, बेनेडिक्ट, अन्य (2003) ने पाया कि कम आय वाले देशों के लिए सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30-37 प्रतिशत का शुरुआती स्तर और निर्यात का लगभग 115-120 प्रतिशत इष्टतम है। साहित्य की एक अन्य धारा इस बात पर प्रकाश डालती है कि अच्छी नीतियों और मजबूत संस्थानों वाली देशों में उच्च थ्रेसहोल्ड होते हैं और खराब तथा कमजोर नीतियों और संस्थानों वाले देशों में कम थ्रेसहोल्ड होते हैं (कॉर्डेला, अन्य, 2010)। सबसे प्रसिद्ध धारा जिसे साहित्य में महत्व दिया गया है तथाकथित डेब्ट आवरहेडिंग है इसके द्वारा विदेशी ऋण, विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, देशों की पुनर्भुगतान क्षमता से भविष्य के विदेशी ऋण अधिक हाने की संभावना होने पर अपेक्षित ऋण सेवा देश के उत्पादन स्तर को तेजी से रोक देगी, जिससे निवेश पर लाभ कम होगा, जिससे नए घरेलू और विदेशी निवेश हतोत्साहित होंगे और निवेश की गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी।


पिछले कुछ वर्षों में जीडीपी अनुपात में भारत का विदेशी ऋण इष्टतम जोन से कम रहा है, जैसा कि मार्च 1992 अंत के 38.7 प्रतिशत से यह मार्च 2006 अंत में 17.1 प्रतिशत कम आ गया (चित्र बी 4.1)⁴। 2010 के दशक की शुरुआत में यह 23 प्रतिशत के आसपास सीमित रहा। (चित्र बी 4.2) यह मार्च 2020 अंत तक 20.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। चीन को छोड़कर, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भारत की तुलना में अधिक अनुपात है।

निर्यात अनुपात के प्रति भारत का विदेशी ऋण संकट वर्ष 1992 के बाद से निरंतर नीचे गया है, हालांकि यह हाल के वर्षों में ऊपर चढ़ा है और अब इष्टतम जोन के आस-पास है। यह याद रखने की आवश्यकता है कि इष्टतम जोन विकास को इंगित करता है जो स्थिर शासन द्वारा प्रदत्त दीर्घकालिक रूपरेखा से संभव है।

3 विशेष डेटा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) और सामान्य डेटा प्रसार मानकों के तहत प्रतिवेदित देशों सहित (जी डी डी एस)

4 इस संदर्भ में माना गया इष्टतम जोन, पेटिलो, अन्य, 2002 और 2011 से है जो विकासशील देशों से संबंधित है।

चित्र बी 4.1: भारत और चयनित विकासशील देशों में जीडीपी की ओर विदेशी ऋण का अनुपात: इष्टतम सीमा[@] बनाम वास्तविक




*भारत के अलावा देशों के लिए यह सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) अनुपात की ओर विदेशी ऋण है

@ पैटिलो, अन्य, 2002 और 2011 से

स्रोत: भारत के विदेशी ऋण और अंतरराष्ट्रीय ऋण आंकड़ों पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट: विभिन्न संस्करण

चित्र बी 4.2: भारत और चयनित विकासशील देशों में निर्यात की ओर विदेशी ऋण का अनुपात: इष्टतम सीमा[@] बनाम वास्तविक



@ पैटिलो, अन्य, 2002 और 2011

स्रोत: भारत के विदेशी ऋण और अंतरराष्ट्रीय ऋण आंकड़ों पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट: विभिन्न संस्करण

संदर्भ

हॉकिन्स जॉन और फिलिप टर्नर, “मैनेजिंग फॉरान डेब्ट एण्ड लिक्विडिटी रिस्क इन इमर्जिंग इकानमिज़: एन आवरव्यू”, बीआईएस, 2000।


कॉर्डेला, टी., टिक्की, एल और रूइज़-अराज़ एम. “डेब्ट ओवरहेड ऑर डेब्ट इर्रेलेवेन्स? रिविजिटिंग द डेब्ट ग्रोथ लिंक”, स्टाफ पेपर्स, वॉल्यूम 57, आईएमएफ, वाशिंगटन डीसी, 2010

कोहेन, डैनियल, “ग्रोथ एण्ड एक्सटर्नल डेब्ट: ए न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द अफ्रीकन एण्ड लैटिन अमेरिकन ट्रेजिडिज़”, सेन्टर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च डिस्कशन पेपर, नम्बर 1753, 1997

कुल भुगतान शेष

3.26 भारत, एक विकासशील और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था होने के नाते, आमतौर पर चालू खाते पर घाटे को चलाता है ताकि उच्च निवेश के लिए विदेशी बचत के साथ घरेलू बचत को पूरक बनाया जा सके। चालू खाता घाटा आमतौर पर एक पूंजी खाता अधिशेष द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के बाद से, भारत चालू खाता अधिशेष का अनुभव कर रहा है और मजबूत पूंजी प्रवाह के साथ भुगतान शेष की स्थिति की ओर बढ़ रहा है (चित्र 16)।

चित्र 16: भारत के भुगतान शेष के रूझान



स्रोत: आरबीआई

विवरण संलग्नक में उपलब्ध

भारतीय रुपया (₹) विनिमय दर


3.27 2019-20 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में 1.4 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ (वर्ष दर वर्ष आधार)। अक्टूबर 2019 अंत और मार्च 2020 अंत के मध्य रुपया 1.9 प्रतिशत मजबूत हुआ। हालांकि मलेशिया रिंगिट, थाई बाट, फिलीपाईन पिसो, चीनी युआन, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, मैक्सिकन पिसो, इंडोनेशियाई रुपैया जैसी उभरती बाजार मुद्राओं की तुलना में यह मजबूती सामान्य थी। हालांकि अमेरिकी डॉलर की तुलना में यह मजबूत था, अक्टूबर 2019 अंत और मार्च 2020 अंत के मध्य यह अन्य मुख्य मुद्राओं की तुलना में कमजोर रहा। यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और येन के प्रति इसका मूल्यह्रास क्रमशः 4.5 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत रहा।

3.28 16 अप्रैल 2020 को अपने न्यूनतम स्तर 76.86 रुपये के स्तर पर मूल्यह्रास के बाद, घरेलू इक्विटी बाज़ार में एफ.पी.आई. प्रवाह और अमेरिकी डालर में कमजोरी के कारण, रुपये में पुनः सुधार हो गया। 36 मुद्रा NEER के संदर्भ में मार्च 2020 से दिसम्बर 2020 के बीच रुपये में 2.9 प्रतिशत का ह्रास हुआ हुई REER के संदर्भ में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

6-मुद्रा नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (एन.ई.ई.आर.) (व्यापार आधारित भार) के संदर्भ में अक्टूबर 2020 से मार्च 2020 की अवधि में रुपया 2.0% तक ह्रासित हुआ और यह वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आर.ई.ई.आर.) के संदर्भ में 4.1 प्रतिशत सुधार है, हालांकि, आर.ई.ई.आर. के संदर्भ में इसमें 2.1% सुधार हुआ।

नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (एन.ई.ई.आर.) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आर.ई.ई.आर.) 6-मुद्रा सूचकांक और


चित्र 17: 36-मुद्रा सूचकांक (व्यापार आधारित भार) (एन.ई.ई.आर. और आर.ई.ई.आर. का अलग अक्ष पर आलेख) सूचकांक आधार वर्ष 2004-05=100



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

3.29 रुपये के विनिमय दर पर RBI के नीति बाजार के ताकतों के द्वारा निर्धारण इसे किसी पूर्व-निर्धारित लक्ष्य स्तर अथवा बैंड के बिना, विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता से व्यवस्थित रूप से बाज़ार की स्थिति बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करने दी जाये। इस देशांतरगामी महामारी के कारण जनवरी-फरवरी 2020 में US \$1.42 बिलियन डालर प्रवाह के बाद मार्च 2020 में 15.92 अमेरिकी डालर प्रवाह हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई परंपरागत और अपरंपरागत साधन अपनाए जिससे वित्तीय बाज़ारों में वित्तीय स्थिरता और नियंत्रित स्थितियों को सुनिश्चित किया जा सके और यह रुपये की अस्थिरता (उतार-चढ़ाव) को नियंत्रित करने में बहुत हद तक सफल रहा है (चित्र 18 देखें)। उन्त अर्थव्यवस्थाओं में सेंट्रल बैंकों द्वारा दिए गए बड़े प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप भारत जैसे उभरते बाज़ारों में पूंजी प्रवाह बढ़ गया है, जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो गई है और स्थानीय मुद्रा भी मजबूत हो गई है। विदेशी मुद्रा बाज़ार में विवेकपूर्ण हस्तक्षेप रुपये में एकतरफा चढ़ाव को रोकने के लिए अपेक्षित हुआ है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया है (चित्र 18)

चित्र 18: विदेशी विनिमय बाज़ार में भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप का प्रभाव




स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा भंडार

3.30 2020-21 की प्रथम छमाही में आरक्षित निधियों में सुधार के लिए चालू खाता बैलेंस में सुधार एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, मज़बूत पूंजी प्रवाह, विशेषकर अनुवर्ती माह में, एफ.डी.आई. और एफ.जी.आई. 18 दिसंबर, 2020 तक 586.1 बिलियन अमेरिकी डालर, विदेशी मुद्रा भंडार को उच्चतर स्तर पर ले गया और इसमें 16 माह तक के आयात को सम्मिलित कर लिया। सितंबर 2020 की समाप्ति तक चीन, जापान, स्विटजरलैंड और रूस के बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। मार्च 2020 की समाप्ति तक 229.7% की तुलना में सितंबर 2020 की समाप्ति तक भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय देयताएं विदेशी मुद्रा भंडार 210.7% है।

चित्र 19: विदेशी विनिमय आरक्षित निधियों और इम्पोर्ट कवर के स्रोत



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.)

नोट: ऊपर सूचित की गई विदेशी विनिमय आरक्षित निधियां तिमाही/माह की अंतिम की तारीख की हैं।

3.31 मौद्रिक नीति की अपरिहार्य उलझनों के बिना जहां तक मुद्रास्फीति सुसाध्य थी वहां इस विदेशी विनिमय आरक्षित निधि की अभिवृद्धि ने देशी चल-निधि के सहगामी निर्गमन को अपरिहार्य बना दिया और यह बड़े पैमाने के सरकारी-ऋण में सहायक बना। हालांकि जब मुद्रास्फीति 4+/-2% के मौद्रिक नीति-स्तर के ऊपर चले जाने के कारण सुर्खियों में आई तब भारतीय रिज़र्व बैंक को मुंडेल-फ्लेमिंग त्रिलम्मा अथवा इंपॉसिबल ट्रिनिटी समस्या जोकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की चिरसम्मत समस्या है, का सामना करना पड़ा कि क्या-वह ओपन कैपिटल अकाउंट को बनाए रखे या-अपनी विनिमय दर को स्थिर करे या-अभी भी स्वतंत्र मुद्रा नीति को अपनाए रखे। भुगतान संतुलन के एक बड़े अधिशेष का सामना करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक को दो विकल्पों का सामना करना पड़ा है: या तो अधिशेष को अवशोषित कर ले और अधिक विदेशी विनिमय आरक्षित निधि को जमा कर ले या रुपए की मूल्यवृद्धि होने दे। मुख्यतया आपूर्ति भंग के कारण हुई मुद्रास्फीति और इसमें स्थिरता आने की आशा को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप करने, निधियों का संचय करने, रुपए की एकतरफा मूल्य वृद्धि को रोकने और विस्तार वादी मौद्रिक नीति को बढ़ावा देने का चयन किया। तथापि सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति के बढ़े हुए स्तर की पुष्टि के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक को एक ओर मौद्रिक नीति को कठोर बनाना जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और दूसरी ओर विकास को प्रोत्साहित करना।

3.32 भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी विनिमय आरक्षित निधियों (मुद्रा भंडार) में वृद्धि मोटे तौर पर चालू खाते के अधिशेष के कारण हुई है, जिसका आधार, निर्यात की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के स्थान पर आयात में होने वाला संकुचन है। चालू खाता अधिशेष, अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि में, राष्ट्रीय बचत-निवेश संतुलन का पर्याय है। चालू खाता अधिशेष का तात्पर्य निवेश के सापेक्ष उच्च स्तर की राष्ट्रीय बचत से है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अन्य देशों के बांडों/प्रतिभूतियों में निवेश को भी निरूपित करती है, वस्तुतः विदेशों में निवेश करने को। भारत जैसे विकासशील देश को अपनी वृद्धि को बढ़ाने के लिए घरेलू निवेश पर खर्च करने की आवश्यकता है, जिसे विदेशी बचत द्वारा वित्तपोषित किया जा सकता है। इसलिए, वित्त वर्ष 2021-22 निवेश पर में इस अधिशेष का खर्च निवेश पर पर्याप्त रूप से किया जा सकता है।

3.33 एक स्वस्थ विदेशी क्षेत्र के संतुलन का स्थायी उपाय निर्यात के माध्यम से उपार्जन को बढ़ाना है जिससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए, व्यापार को सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें व्यापार की लेन-देन और समय संबंधी लागत को कम करके, भारतीय निर्यात को अधिक स्पर्धात्मक बनाया जाता है।

निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार का अभिक्रम

3.34 भारत स्वीकार करता है कि आज की परस्पर संबद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था में, व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, तेज और समन्वित करने के प्रयास व्यापार के विस्तार को बढ़ावा देंगे और विश्व-स्तरीय उत्पादन प्रणाली के द्वारा उत्पादन करने में सहायक होंगे। विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, अर्थात् 31 मार्च, 2021 तक जिससे वर्तमान योजनाएं सतत् रूप से जारी रहें।

व्यापार की सुविधा

3.35 अक्षम और अत्यधिक बोझिल नियामक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण व्यापार रोधों को कम करने के उद्देश्य से, विश्व-व्यापार संगठन की बैठक में व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) हुए, और इनको 22 'फरवरी 2017 से लागू किया गया। तदनुसार, भारत में राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ), अगस्त 2016 में गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव थे। इसमें वर्ष 2017-2020 की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) को तैयार किया गया था जिसमें वे विशिष्ट गतिविधियां सम्मिलित थीं जिससे व्यापार की अतिरिक्त बाधाओं को दूर किया जा सकता था। वर्ष 2020 से 2023 की अवधि के लिए, एक नई राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) को तैयार किया जा रहा है, जिससे अतिरिक्त सुधारों को लाया जाए और व्यापार सुविधा प्रयासों को सहारा दिया जाए तथा दक्ष, पारदर्शी, जोखिम आधारित, समन्वित, डिजिटल, परिपूर्ण व प्रौद्योगिकी संचारित प्रक्रियाओं के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर क्लियरेंस इकोसिस्टम को बदला जा सके।

3.36 भारत एनसीटीएफ के मार्गदर्शन में टीएफए कार्यान्वयन में पहले से ही बड़े प्रयास कर रहा है। कई प्रतिबद्धताओं जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना (अनुच्छेद 10.4), माल की निकासी के लिए जोखिम प्रबंधन (अनुच्छेद 7.4) आदि को, जो कि नियत वर्ष 2022 तक नहीं तो अनिवार्य हो जाते, पहले ही कार्यान्वित कर विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता अधिसूचना जिनमें आयात निर्यात प्रक्रियाओं, (इनक्वारी प्वाइंटों) पूछताछ स्थानों, सिंगल विंडो आदि से संबंधित सूचना सम्मिलित है, को अप्रैल 2019 में अधिसूचित कर दिया गया है जिससे पारदर्शिता और खुलेपन पर आधारित भारत का व्यापार को सुविधाजनक बनाए जाने का संकल्प निरूपित होता है। इसके आगे कोविड-19 के दौरान व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न विनियामक उपाय किए गए और छूट को बढ़ाया गया, जिसमें 24x7 क्लियरेंस, समर्पित सिंगलविंडो, आयात घोषणाओं में विलंब के लिए क्षमादान, देर से दाखिल शुल्क जमा करने की छूट,

बांड के बजाय वचन पत्र आदि शामिल हैं। व्यापार में भावी निर्णायक स्थिति प्राप्त करने और ट्रेड ऑटोमेशन के लक्ष्य के लिए उठाए जाने वाले कदमों में भारत सबसे आगे रहा है, और सतत रूप से इस दिशा में सुधार कर रहा है, जिसका उल्लेख यूनाइटेड नेशन के डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड पर किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में मिलता है।

निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट

3.37 भारत की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं जिसमें मर्चेडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) शामिल है, को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2018 के शुरुआत में विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी गई थी। डब्ल्यूटीओ पैनल की अंतिम रिपोर्ट में कहा गया है कि MEIS एक “निषिद्ध-सब्सिडी” है और इसे वापस ले लेना चाहिए, भारत सरकार ने इसके खिलाफ अपील दायर की है। उद्योग का समर्थन जारी रखने और निर्यात समुदाय के बीच किसी भी अनिश्चितता को खत्म करने के लिए, सरकार ने सभी निर्यात वस्तुओं के लिए 1 जनवरी 2021 से प्रभावी विश्व व्यापार संगठन के नियमों का अनुपालन करने वाली एक नई योजना, जिसका नाम निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट है, आरंभ कर दी है।

3.38 इस योजना के अंतर्गत केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर लगाए जाने वाले शुल्क और करों जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, परिवहन के लिए उपयोग किए गए ईंधन पर लगने वाला मूल्य वर्धित कर जिनके लिए किसी अन्य वर्तमान प्रणाली के अधीन न तो छूट दी जाती है अथवा न ही धन की वापसी होती है, उन से संबंधित राशि को निर्यातकों के सीमा-शुल्क के बही खाते में वापस कर दिया जाएगा। क्रेडिट का उपयोग आयातित वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है या इसे अन्य आयातकों को हस्तांतरित किया जा सकता है, जिससे निर्यात के लिए लेनदेन में आसानी होती है। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट की दरों को वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

3.39 घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, 1.46 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन-से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। पीएलआई योजना के तहत दस-पहचाने गए चैंपियन क्षेत्र इस प्रकार हैं—एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी (पांच साल की अवधि के लिए स्वीकृत वित्तीय परिव्यय 18,100 करोड़

रुपये), इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद (रुपये 5,000 करोड़ रुपये), ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स (57042 करोड़ रुपये), फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स (15,000 करोड़ रुपये), दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद (12,195 करोड़ रुपये) कपड़ा उत्पाद (10,683 करोड़ रुपये), खाद्य उत्पाद (10,900 करोड़ रुपये), उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल (4,500 करोड़ रुपये), घरेलू-वस्तुएं (एसी और एलईडी) (6,238 करोड़ रु.) और स्पेशलिटी स्टील (6,322 करोड़ रु.)। ये मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (40,951 करोड़ रु.), क्रिटिकल की-स्टार्टिंग मैटीरिअल/ड्रग इंटर-मीडियारिज़ और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रीडीएन्ट (6,940 करोड़ रु.) और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण (7420 करोड़ रु.) के लिए पहले से अधिसूचित पीएलआई योजनाओं से अतिरिक्त हैं।

3.40 इस योजना से विश्व स्तर पर भारतीय निर्माता को इन दस क्षेत्रों में प्रतियोगी बनाने की उम्मीद जागेगी, मूल-योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित होगा; दक्षता सुनिश्चित होगी; बड़े पैमाने की क्वायतें होंगी; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उत्पादन-पूर्व सुविधाएं मिलेंगी; निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। यह योजना वैश्विक पूंजी-बहुल कंपनियों


के भारत में उत्पादन आरंभ करने के लिए भी उत्प्रेरित करती है। उत्पादन में विकास और औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात से भारतीय उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा और विचारों का अनुभव प्राप्त होगा जिससे उसकी क्षमताओं में और अधिक नवोन्मेष लाकर सुधार करने में सहायता मिलेगी। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा और विनिर्माण संबंधी नियमों के अनुकूल बनाए जाने से न केवल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ने में सहायता मिलेगी अपितु देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र को उत्पादन पूर्व सुविधाएं भी मिल सकेंगी। इससे अर्थव्यवस्था का व्यापक विकास होगा और रोजगार के विशाल अवसर उत्पन्न होंगे।

व्यापार संबंधित संभार-तंत्र

3.41 कोविड-19 (लॉजिस्टिक) महामारी ने एक मजबूत संभार-तंत्र क्षेत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया है इसका उपयोग आपातकाल और आपूर्ति श्रृंखला भंग की परिस्थिति में किया जा सकता है। कुछ संरचनात्मक कमजोरियों जैसे कि अत्यंत खंडित स्वामित्व का होना, कुछ ही बड़े व्यापारियों की उपस्थिति, व्यापार संचिकाओं के समेकन में कमी, अन्य माल वाहकों/साधनों का इष्टतम स्तर से कम उपयोग किया जाना और सड़क के माध्यम से ही अधिकांश माल/वस्तुओं का परिवहन किया जाना, यूजर सेक्टर (अनेक मंत्रालय और एजेंसियां) द्वारा संपूर्ण रूप से क्षेत्र विशेष के कौशल तथा कंप्यूटर-शिक्षा को व्यावहारिकता में नहीं लाया जाना, संगत नीतियां और विनियम का नहीं होना आदि, इन सभी के बावजूद भारत में व्यापार संबंधी संभार-तंत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

3.42 सीमा-पार के व्यापार संबंधी पैरामीटरों को सुधारने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2018 के 146वें स्थान से सुधर कर वर्ष 2020 में 68वें स्थान पर पहुंच गया है। यह पैरामीटर माल के निर्यात और आयात की संभार-तंत्र आधारित प्रक्रिया से जुड़े समय और लागत का आकलन करता है। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस से जुड़े समय और लागत का आकलन करता है। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) देशों के संभार-तंत्र की सापेक्ष दक्षता का आकलन करता है। इस सूचकांक में, 160 देशों में वर्ष 2014 के 54वें स्थान की तुलना में भारत वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर था। वर्ष 2018 में एलपीआई द्वारा किए गए 24 देशों के विश्लेषण में भारत दस लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र वाले 9 देशों में से है और इसका स्कोर 3 से अधिक है। विकास स्तर को नियंत्रित करने के बाद भारत का निष्पादन औसत से अधिक रहा है और यह उसके ब्रिक्स समूह के सहयोगी देशों में से कुछ से अच्छा है (चित्र 20)।

चित्र 20: विकास स्तर के लिए एलपीआई स्कोर को नियंत्रित करना



स्रोत: विश्व बैंक डेटासेट पर आधारित

3.43 राष्ट्रीय संभार तंत्र प्रणाली ऐसे चरण में है जिसका अनावरण निकट भविष्य में किया जाना है जिसमें एक ऐसे आधुनिक, दक्ष और समुत्थानशील संभार-तंत्र को विकसित करने का दृष्टिकोण समाहित किया गया है, जिससे डायनामिक लॉजिस्टिक प्रोसेस, प्रौद्योगिकी और प्रौफेशनल इस क्षेत्र का आधार बन सकेंगे और यह सभी परिवहन के विभिन्न माध्यमों और स्टॉक(मॉल)-प्रबंधन से निर्बाध रूप से जुड़ सकेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि अधिक विश्वसनीय, किफायती, पर्यावरण अनुकूल, सुरक्षित और साम्यिक सुविधाओं को देने वाला संभार-तंत्र सभी को मिल सकेगा।

3.44 प्रक्रिया संबंधी कुछ ऐसे सुधार जिनसे संभार-तंत्र में सुधार होने लगा है, इस प्रकार हैं- जीएसटी के कारण अंतर-राज्य सीमा पार जाने के लिए प्रतीक्षा समय को घटाया गया है, वहन क्षमता को बेहतर बनाए जाने के लिए भारी वाहनों के लिए एक्सएल-भार-नियम में संशोधन किया गया है, ई-संचित के माध्यम से कागज रहित आयात-निर्यात व्यापार प्रक्रिया का आरंभ किया गया है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा तुरंत सीमा शुल्क के माध्यम से फेसलेस मूल्यांकन किया जाने लगा है, मुख्य पत्तनों पर स्कैनरों का अधिष्ठापन किया गया है, सभी महत्वपूर्ण पत्तनों पर पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम का कार्यान्वयन किया गया है, सभी आयात-निर्यात कंटेनरों की मार्ग में पहचान करने और खोज करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) का लेबल लगाया जा रहा है, टोल प्लाजा आदि पर समय की हानि को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम फ़ास्ट-टैग को अनिवार्य किया गया है।

3.45 कुछ आधारभूत संबंधित पहले जो क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं, वे निम्न प्रकार हैं:-

- क) *भारतमाला परियोजना* राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नया अम्ब्रेला-कार्यक्रम है जिसमें लगभग 107 बिलियन डॉलर के निवेश के द्वारा 80,000 किमी से अधिक की सड़कों, राजमार्गों, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पुलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- ख) *सागरमाला कार्यक्रम* का लक्ष्य पत्तन आधुनिकीकरण और नए पत्तनों का विकास, पत्तन संयोजकता संवर्धन, पत्तन संबंधी औद्योगीकरण, तटीय-समुदाय विकास (कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट) और तटीय-पोत परिवहन (कोस्टल शिपिंग) को प्रोत्साहन देना है। 508 परियोजनाओं की पहचान की गई है और 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य चल रहा है।
- ग) *मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क-संचलन* के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो माल एकत्र करने, वितरण और बहुल माध्यम परिवहन को सक्षम बनाएगा। इनके द्वारा आधुनिक यंत्रचालित मालगोदाम क्षेत्र उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ बॉन्डेड स्टोरेज यार्ड में रखे हुए माल की सीमा-शुल्क-निकासी, मालगोदाम प्रबंधन सेवाओं (वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज) जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी।
- घ) *समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी)* का उद्देश्य परिवहन के प्रति यूनिट खर्च में बचत करना है जिसमें मालगाड़ियों की गति को बढ़ाया जाएगा और रेल-वैगन की दो क्रमिक लोडिंग के बीच समय के अंतराल को कम किया जाएगा। लगभग 70 प्रतिशत माल की डीएफसी में स्थानांतरित होने की उम्मीद की जा रही है, जिससे भारतीय रेल की क्षमता का उपयोग अन्यत्र किया जा सकेगा।
- ङ) *एक्सपोर्ट स्कीम के लिए ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर (टीआईईएस)* का उद्देश्य राज्यों से निर्यात की वृद्धि के लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचे के निर्माण में सहायता करना है।

3.46 कुछ डिजिटल/तकनीकी पहल जिनका विकास किया जा रहा है।

- क) लॉजिस्टिक्स प्लानिंग एंड परफॉरमेंस मॉनिटरिंग टूल (एलपीपीटी) विभिन्न संभार-तंत्र आधार भूत संरचनाएं जैसे, पत्तन, विमानपत्तन, राष्ट्रीय और राजमार्गों से जुड़े विभिन्न कॉरिडोर, इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी, इत्यादि) के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन और आस्तियों के उपयोग का समसामयिक मोनीटरन करता है।
- ख) भारत लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म (आईएलओजी)-सरकार द्वारा वर्षों से अनेक सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग किया जा रहा है जैसे कि भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई गेटवे (आईसीईगेट) और व्यापार सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफ़ेस फॉर ट्रेड (एसडब्ल्यूआईएफटी); समुद्रपत्तनों में कार्गो हैंडलिंग के लिए पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस); भारतीय रेल द्वारा माल संचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा “वाहन” (राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण प्रणाली)। हालांकि, प्रत्येक प्रणाली के स्वामी ने महत्वपूर्ण अंतरालों को छोड़ते हुए।
- ग) घटक प्रणालियां जिनका विकास भारतीय लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के साथ-साथ किया जा रहा है और जिनको सार्वजनिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) के माध्यम से भारतीय लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया जाएगा वे इस प्रकार हैं-सिक्योरिटी लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज (आधार एंड ब्लॉकचेन बेस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल); ट्रक विजिबिलिटी एंड पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म (ई-बिल तथा वाहन के साथ एकीकृत); नेशनल ई-रजिस्टर ऑफ वेयरहाउसिंग; डिजिटल ट्रेकिंग; लॉजिस्टिक अकाउंट नंबर (एलएएन); डिजिटल ग्रीन कॉरिडोर; डिजिटल पोर्ट डीकॉनजेशन एंड कंटेनर ट्रेकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम।

3.47 यह अनुमान किया जा रहा है कि संभार-तंत्र क्षेत्र में 12 मिलियन कामगारों को रोजगार मिलेगा जिसमें मुख्यता भू-परिवहन, मालगोदाम (भंडारण और पैकेजिंग) आपूर्ति श्रृंखला और कोरियर व तत्काल कोरियर सेवाएं सम्मिलित होंगी। उन्हें समुचित कौशल प्रदान करने के लिए, स्कूल स्तर पर कक्षा 9 और 10 के लिए लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला पर पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीआई), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और राज्य कौशल मिशन के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटैक्निक में शुरू किया जाएगा।

भारत का विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ संबंध

3.48 विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य भारत है, जिसने प्रमुख व्यापार नीतियों के प्रभावी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संरक्षणवाद में वृद्धि, विवाद समाधान के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्यों की अपर्याप्तता, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) आदि की बढ़ती संख्या के परिणामस्वरूप विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों ने इसकी प्रभावकारिता पर सवाल उठाया है क्योंकि यह संस्था मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करने और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। डब्ल्यूटीओ सुधार पर चल रही चर्चाओं में भारत का प्रस्ताव विकास और समावेशी विकास के महत्व की पुनः पुष्टि करता है। भारत के प्रस्ताव के व्यापक तत्वों में शामिल हैं :

(i) बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के मुख्य मूल्यों का संरक्षण; (ii) विवाद निपटान प्रणाली में गतिरोध का समाधान करना; (iii) विकास संबंधी विषयों की सुरक्षा करना; और (iv) पारदर्शिता और अधिसूचनाएं।

3.49 15-16 अक्टूबर, 2020 को आयोजित डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स काउंसिल की बैठक के दौरान भारत और दक्षिण अफ्रीका ने सीमित समय अवधि के लिए कोविड-19 के उपचार और नियंत्रण, रोकथाम के लिए टीआरआईपीएस समझौते के कुछ प्रावधानों से छूट देने का प्रस्ताव दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बौद्धिक संपदा अधिकार कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके एवं चिकित्सा उत्पादों में शामिल टीके और चिकित्सा विधान को आसानी से प्राप्त करने में अवरोधक न बने। इस प्रस्ताव को व्यापक रूप से कई डब्ल्यूटीओ सदस्य, सिविल सोसाइटी और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से समर्थन प्राप्त हुआ है।

3.50 डब्ल्यू टी ओ की अपीलीय निकाय (एबी) एक स्थायी निकाय है जिसका उद्देश्य विवाद निपटान समाधान (डीएसयू) द्वारा निधि से सम्बन्धित मामलों का निपटान करना है। यह सात सदस्यों से बनी चार वर्ष की अवधि के लिए होती है तथा इन सात सदस्यों की सिर्फ एक बार पुनर्नियुक्ति होने की संभावना रहती है। जुलाई, 2017 से संयुक्त राज्य ने ए बी नियुक्तियों को इसलिए रोक कर रखा है क्योंकि यह डी एस यू मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है जो 'अपीलीय संस्था में व्याप्त संकट' को दर्शाता है। 10 दिसम्बर, 2019 से अपील की सुनवाई हेतु तीन सदस्यों से भी कम सदस्यों के रह जाने पर, ए बी, डी एस यू के मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है। इस संकट के परिणामस्वरूप 23 डब्ल्यू टी ओ सदस्यों ने मल्टीपार्टी अंतरिम मध्यस्थता तंत्र का गठन किया है जो एबी के अन्तर्गत अपीलीय समीक्षा के प्रक्रियागत एवं महत्वपूर्ण पहलू को समीप से दर्शाता है। एम पी आई ए के मुख्य सदस्यों में चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैन्ड है। अभी तक भारत एम पी आई ए का सदस्य नहीं बना है। भारत दो चरणों के बाध्यकारी डब्ल्यू टी ओ विवाद निपटान तंत्र के सामान्य कामकाज की बहाली और संरक्षण का समर्थन करता है।

3.51 कृषि के क्षेत्र में, भारत के साथ अन्य विकासशील देश खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक स्टॉकधारी के विषय पर स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। यह महामारी के समय और भी प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि सरकार को जनता की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक खाद्यान्न कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न के संचितरण को आगे बढ़ाना पड़ा। भारत कृषि पर मौजूदा समझौते (ए आए) में असंतुलन और विषमता और विकासशील देशों पर पड़ते उनके प्रभाव का मुद्दा भी उठा रहा है। दिसम्बर 2017 के ब्युनस आयर्स मंत्रिस्तरीय निर्णय (एम सी 11) के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के सदस्य वर्ष 2020 में अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एम सी 12) द्वारा मत्स्य सप्लाइ पर संगठन बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं। डब्ल्यू टी ओ में नियमों पर चल रही है और ये मासिक कलस्टर के रूप में संचालित की जा रही है।

3.52 विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने 1998 में इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क लगाने पर सहमति नहीं दी और तब से मंत्रिस्तरीय बैठकों में समय-समय पर मोरोटोरियम (स्थगन) बढ़ा दिया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ई-कॉमर्स पर वर्क प्रोग्राम के तहत मार्च 2020 में - 'द ई-कॉमर्स मोरोटोरियम: कार्य और इसके प्रभाव' को संयुक्त रूप में प्रस्तुत किया, जो अन्य बातों के साथ यह तर्क देता है कि विकासशील देशों के लिए अपनी डिजिटल उन्नति के लिए अधिस्थगन पर पुनर्विचार करना महत्वपूर्ण है। ई-कॉमर्स में नियम

बनाने के लिए बहुपक्षीय जनादेश प्राप्त करने में विफलता के जवाब में, जनवरी, 2019 में, ई-कॉमर्स पर एक संयुक्त बयान डब्ल्यू टी ओ के नियम बनाने वाले छिहत्तर (76) सदस्यों की ओर से जारी किया गया था। भारत उक्त बहुपक्षीय पहल में शामिल नहीं हुआ है। भारत का मानना है कि विकासशील देशों को घरेलू भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार, सहायक नीति और विनियामक ढांचे को बनाने और डिजिटल विभाजन को पार करने, डिजिटलीकरण के साझा लाभों तथा डिजिटल क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

3.53 भारत के घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के आधार पर तथा माल के डंपिंग/सब्सिडी देना, घरेलू उद्योग को हुई हानि, डंपिंग/सब्सिडी और घरेलू उद्योग को हुई हानि के मध्य अनौपचारिक लिंक के प्रथम दृष्टि पर अधारित साक्ष्य के आधार पर एंटी डंपिंग, एंटी सब्सिडी की सुरक्षा जांच करेगा। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने एक ऑनलाइन पोर्टल पेश किया है- ए आर टी आई एस (भारतीय उद्योग और अन्य हितधारकों के लिए व्यापार में उपचार के लिए आवेदन) जिसने एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे विभिन्न व्यापार उपचारों हेतु ऑनलाइन याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। 1.4.2020 से 30.10.2020 की अवधि के आधार पर डी जी टी आर ने 43 एंटी डंपिंग जांच, 4 काउंटरवेलिंग जांच और सेफगार्ड जांच शुरू की है।

भावी परिदृश्य

3.54 कोविड-19 महामारी ने विभिन्न देशों कि विकसित अर्थव्यवस्थाएँ के लिए अलग-अलग बाहरी क्षेत्रों उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ को प्रभावित किया है। हांलांकि निर्यात और आयात में संकुचन के कारण ए ई को बड़े संकुचन और ई एम डी ई को कम संकुचन का सामना करना पड़ा। भारत में, लॉकडाउन प्रतिबंधों की कैलिब्रेटेड सहजता ने निर्यात और आयात दोनों में संकुचन को कम कर दिया और आयात में तेजी के साथ सुधार हुआ, जिससे वर्तमान वर्ष की तिमाही में व्यापारिक व्यापार घाटे के प्रगतिशील विस्तार को बढ़ावा मिला। भारत के व्यापारिक व्यापार में सुधार की प्रवृत्ति इक्विटी कैपिटल प्रवाह मजबूत एफडीआई प्रवाह और विदेशी मुद्रा भंडार के निरंतर निर्मित होने से आगे बढ़ी है। सुविधाजनक विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़े हुए घरेलू निवेश के लिए बहुत जरूरी है। कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक उत्पादन मूल्य श्रृंखलाओं का विघटन भारत के लिए श्रृंखला के प्रमुख नोडस में से एक बनाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। उपरोक्त के रूप में प्रलेखित विभिन्न निर्यात पहलुओं और आर बी आई एवं सरकार द्वारा लिए गए कदम से भारत में सतत निर्यात प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त होगा।

अध्याय एक नजर में

- कोविड 19 महामारी के कारण वैश्विक व्यापार में पतन, कमोडिटी की कीमतों में गिरावट और बाहरी वित्तीय परिस्थितियों में तंगी के साथ चालू खाता शेष एवं विभिन्न देशों की मुद्राओं में कई प्रकार के दुष्प्रभाव हुए।
- आयात के धीमा होने से चीन और यूएस के मध्य व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है।
- हांलांकि रत्न और गहने, इंजीनियरिंग के सामान, कपड़ा और संबद्ध उत्पादों का निर्यात कम हुआ है। दवाओं और फार्मा, सॉफ्टवेयर और कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में सुधार हुआ। विशेष रूप से फार्मा निर्यात “विश्व की फॉर्मेसी” बनने की क्षमता रखता है।

- कुल मिलाकर 17 वर्षों के अंतराल के बाद, चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत को चालू खाता अधिशेष की उम्मीद है।
- 8 जनवरी, 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 586.1 बिलियन यू एस डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- पूंजी खाते का शेष मजबूत एफडीआई और एफपीआई प्रवाह से मजबूत रही।
- विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के हस्तक्षेप ने वित्तीय स्थिरता एवं व्यवस्थित स्थिति को सुनिश्चित किया और साथ ही रुपये के एकतरफा अधिमूल्यन को भी बहुत हद तक नियंत्रित किया।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए विभिन्न कदमों में शामिल उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल पहल, बाहरी क्षेत्र को मजबूत करने और विशेष रूप से निर्यात करने में अत्यधिक सहायक होंगे।

अनुलग्नक 1: भुगतान शेष की राशि

		(यूएस डॉलर बिलियन में)									
		2018-19				2019-20				2020-21(पी)	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	माल का निर्यात (कस्टम के आधार) (1क+1ख)	82.1	81.4	80.6	86.0	80.9	78.3	79.1	75.1	51.4	74.2
1क	पीओएल निर्यात	11.8	11.8	13.0	9.9	11.1	10.1	10.9	9.1	4.9	7.3
1ख	गैर-पीओएल निर्यात	70.2	69.6	67.6	76.1	69.8	68.1	68.2	65.9	46.5	66.9
2	माल का आयात (कस्टम के आधार) (2क+2ख)	128.7	132.9	130.7	121.8	130.1	118.0	116.1	110.5	61.3	90.6
2क	पीओएल आयात	34.8	35.3	38.4	32.4	35.4	29.8	31.5	33.8	13.2	18.8
2ख	गैर-पोल आयात (2ख (i)+2ख (ii))	93.9	97.7	92.3	89.3	94.7	88.1	84.6	76.7	48.1	71.8
2ख(i)	सोना और चांदी आयात	9.7	9.8	8.3	8.8	12.5	5.3	7.5	5.6	1.3	6.2
2ख(ii)	गैर-पीओएल, गैर सोना और चांदी	84.2	87.9	84.0	80.5	82.2	82.8	77.0	71.1	46.8	65.5
3	व्यापार संतुलन (कस्टम आधार) (1-2)	-46.6	-51.5	-50.1	-35.8	-49.2	-39.7	-37.0	-35.4	-9.8	-16.4
4	मर्केनडाइज व्यापार संतुलन (बीओपी आधार)	-45.8	-50.0	-49.3	-35.2	-46.2	-38.1	-34.6	-35.0	-10.8	-14.8
5	अदृश्य (निवल (6+7+8))	29.9	31.0	31.5	30.6	31.8	31.8	33.2	35.6	30.0	30.3
6	सेवा (निवल)	18.7	20.3	21.7	21.3	20.0	20.4	21.9	22.0	20.5	21.2
7	अन्तरण (निवल)	17.0	19.3	17.4	16.2	18.0	20.0	18.7	18.4	17.0	18.4
8	आय (निवल)	-5.8	-8.6	-7.6	-6.9	-6.1	-8.6	-7.4	-4.8	-7.5	-9.3
9	चालू खाता (निवल) (4+5)	-15.8	-19.1	-17.8	-4.6	-14.3	-6.3	-1.4	0.6	19.2	15.5
10	विदेशी निवेश (निवल) (11+12)	1.4	7.6	5.2	15.9	18.7	9.9	17.8	-1.8	-0.2	31.6
11	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (निवल)	9.6	7.4	7.3	6.4	13.9	7.4	10.0	12.0	-0.8	24.6
12	एफ पी आई (निवल)	-8.1	0.2	-2.1	9.4	4.8	2.5	8.1	-13.7	0.6	7.0
13	विदेशी सहायता (निवल)	0.5	0.0	1.7	1.3	1.5	0.4	1.3	0.6	4.1	1.9
14	वाणिज्यिक उधार (एमटी और एलटी) (निवल)	-1.3	2.2	2.0	7.5	6.4	3.4	3.2	10.3	-1.4	-4.3
15	बैंकिंग पूंजी (निवल)	10.1	0.5	4.9	-8.1	-3.9	-1.8	-2.3	-4.6	2.2	-11.2
16	रुपया ऋण सेवा (निवल)	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0
17	अल्पावधि ऋण (निवल)	-3.5	4.8	-0.7	1.5	2.0	-0.6	-1.4	-1.0	-0.2	-1.8
18	अन्य पूंजी (निवल)	-2.4	1.5	0.7	1.2	3.2	0.8	3.7	13.8	-3.5	-0.7
19	पूंजी खाता (निवल) (10+13+14+15+16+17+18)	4.8	16.6	13.8	19.2	27.9	12.1	22.4	17.4	1.0	15.4
20	त्रुटी और चूक (निवल)	-0.3	0.6	-0.3	-0.4	0.4	-0.7	0.7	0.9	-0.4	0.6
21	समग्र संतुलन (निवल) (9+19+20)	-11.3	-1.9	-4.3	14.2	14.0	5.1	21.6	18.8	19.8	31.6
22	विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि/कमी (गिरावट)+) (निवल)	11.3	1.9	4.3	-14.2	-14.0	-5.1	-21.6	-18.8	-19.8	-31.6

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और डी जी सी आइ एण्ड एस

नोट : पी: अनतिम

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व झटके के कारण, मौद्रिक नीति को मार्च 2020 से बहुत सरल बना दिया गया था। मार्च 2020 से रेपो दर में 115 बेसिक प्वाइंट्स (बीपीएस/bps) की कटौती की गई है। इसमें मार्च 2020 में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की हुई पहली बैठक में 75 बेसिक प्वाइंट्स (बीपीएस/ bps) और मई 2020 में समिति की हुई दूसरी बैठक में 40 बेसिक प्वाइंट्स (बीपीएस/ bps) की कटौती की गई थी। आगे की बैठकों में पॉलिसी की दरों को अपरिवर्तित रखा गया था लेकिन नकदी सहयोग (लिक्विडिटी सपोर्ट) में बहुत वृद्धि की गई थी। 2020-21 में अब तक प्रणालीगत भुगतान साधन (सिस्टेमिक लिक्विडिटी) अधिक बने रहे। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में नकदी की स्थिति के प्रबंधन हेतु ओएमओ, दीर्घावधि रेपो परिचालन, लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन आदि जैसे परंपरागत और गैरपरंपरागत उपायों को अपनाया। हालांकि अर्थव्यवस्था में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों, दोनों ही के द्वारा ऋण वृद्धि को कम करने के कारण वित्तीय प्रवाह बाधित रहा। उच्च आरक्षित धन वृद्धि कम (समायोजित) धन गुणक के कारण पूरी तरह से आनुपातिक धन में परिवर्तित नहीं हुई, रिवर्स रेपो के तहत बैंकों को आरबीआई में बड़ी मात्रा में धनराशि जमा करनी पड़ी। 1 जनवरी 2021 तक बैंकों की ऋण वृद्धि कम हो कर 6.7 प्रतिशत रह गई थी। बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट ऑफ़टेक में बड़े पैमाने पर 2020-21 में मंदी देखी गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2020 के अंत में 8.21 प्रतिशत थी जो सितंबर 2020 के अंत में कम हो कर 7.49 प्रतिशत रह गया। हालांकि, इसे महामारी के कारण उधारकर्ताओं को दी जाने वाली संपत्ति वर्गीकरण राहत के साथ देखा जाना चाहिए। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात, सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्रों के बैंकों में हुए सुधार के कारण मार्च 2020 और सितंबर 2020 के बीच 14.7 प्रतिशत से बढ़ कर 15.8 प्रतिशत हो गया। इस वर्ष जमा और उधार दरों में पॉलिसी रेपो दरों के हस्तांतरण में भी सुधार देखा गया और नए रुपये ऋण (फ्रेश रूपी लोन) और बकाया रुपये ऋण (आउटस्टैंडिंग रूपी लोन) पर भारित औसत ऋण दर में क्रमशः 94 बेसिक प्वाइंट्स और 67 बेसिक प्वाइंट्स की कमी आई। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर में 81 बेसिक प्वाइंट्स की कमी हुई। 2020-21 के दौरान 20-01-2020 को निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स का रिकॉर्ड उंचे स्तर पर पहुँचा और क्रमशः 14,644.7 तथा 49,792.12 पर बंद हुआ। अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आईबीसी के माध्यम से रिकवरी दर 45% से अधिक रही है (आईबीसी की स्थापना से)। कोविड-19 महामारी देखते हुए 6 माह की अवधि के लिए 25 मार्च 2020 को या इसके उपरांत किसी भी चूक के लिए कार्पोरेट इनसावेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) को निलंबित कर दिया गया। इसे 24 सितंबर 2020 तथा 22 दिसंबर 2020 को दो बार तीन-तीन माह के लिए विस्तारित किया गया निलंबन और निरंतर क्लीयरेंस की वजह से ऐसे कुल मामलों में मामूली कमी आई।

2020-21 के दौरान मौद्रिक विकास

4.1 रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) मार्च 2020 के बाद से पांच बार बैठक कर चुकी है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी ने 2020-21 में होने वाली अपनी पहली दो बैठकों को समय से पहले आयोजित किया। अप्रैल के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक मार्च के आखिरी सप्ताह में और जून के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक 20 मई से 22 मई तक आयोजित की गई। अगस्त और दिसंबर 2020 में होने वाली बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं। एमपीसी में एक नए बाहरी सदस्य के शामिल होने के कारण अक्टूबर में होने वाली बैठक को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। 27 मार्च 2020 से, पॉलिसी रेपो रेट को 115 बेसिक प्वाइंट्स से घटाकर 5.15 प्रतिशत से 4.00 प्रतिशत कर दिया गया है (तालिका 1)। कोविड-19 के कारण पैदा हुई असाधारण स्थिति की वजह से वर्ष 2020-21 के दौरान मौद्रिक नीति से संबंधित उठाए गए कदम आवश्यक थे।

तालिका 1: पॉलिसी दरों में संशोधन

लागू होने की तिथि	रेपो दर (प्रतिशत)	रिवर्स रेपो दर (प्रतिशत)	नकदी आरक्षित अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)	वैधानिक तरलता अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)	बैंक दर/एमएसएफ दर (प्रतिशत)
06-02-2020	5.15	4.90	4.00	18.25	5.40
27-03-2020	4.40	4.00	4.00	18.25	4.65
28-03-2020	4.40	4.00	3.00	18.25	4.65
17-04-2020	4.40	3.75	3.00	18.00	4.65
22-05-2020	4.00	3.35	3.00	18.00	4.25

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: एनडीटीएल: निवल मांग और मियादी देयताएं

4.2 एमपीसी ने 27 मार्च 2020 को अपने पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति कथन में पॉलिसी रेपो रेट को 75 बेसिक प्वाइंट्स से कम कर 5.15 प्रतिशत से 4.40 प्रतिशत करने का फैसला किया था। इसके अलावा, रिवर्स रेपो दर को 90 बेसिक प्वाइंट्स कम कर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया था, इस प्रकार रिजर्व बैंक में निष्क्रिय रूप में धन जमा करने के लिए बैंकों के लिए विषम परस्थिति बनाई गई और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण देने के लिए उन्हें अपनी निधियों का उपयोग करने को विवश किया गया। अर्थव्यवस्था पर पड़े कोविड-19 के प्रभावों को कम करने और विकास को वापस पटरी पर लाने के लिए एमपीसी ने समायोजन का यही रूख बनाए रखने का फैसला किया है। मई 2020 में दूसरी बैठक में एमपीसी ने शुरुआती अनुमानों के मुकाबले महामारी का व्यापक आर्थिक प्रभाव बहुत गंभीर बताने वाले आकलन के आधार पर पॉलिसी रेपो दरों में 40 बेसिक प्वाइंट्स की कटौती कर उसे 4.0 प्रतिशत कर दिया।

4.3 अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 2020 में हुई बैठकों में एमपीसी ने पॉलिसी दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। हालांकि मुद्रास्फीति की दर कुछ महीनों के लिए हाशिए से उपर थी, समिति का विचार था कि मुद्रास्फीति को बनाए रखने वाले अंतर्निहित कारकों को झटका लगा है लेकिन अर्थव्यवस्था के अनलॉक होते ही समय के साथ वे वापस पटरी पर लौटेंगे, आपूर्ति श्रृंखला बहाल होगी और गतिविधियां सामान्य होने लगेंगी। आरबीआई ने हाल ही में हुई अपनी एमपीसी की बैठक में अनुमानित जीडीपी विकास दर में संशोधन किया और 2020-21 के लिए इसे (-) 9.5 प्रतिशत की बजाए (-) 7.5 प्रतिशत कर दिया।

4.4 वर्ष 2020-21 के दौरान, अर्थव्यवस्था में अधिक नकदी (लिव्विडिटी) के कारण पिछले कुछ वर्षों की तुलना में मौद्रिक समष्टियों में अधिक वृद्धि देखी गई। वर्ष 2020-21 में अब तक, 15 जनवरी 2021 तक, रिजर्व मनी (M0) में, साल-दर-साल (YoY) विकास में एक वर्ष पहले के 11.4 प्रतिशत की तुलना में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, सीआरआर (CRR) में किए गए बदलावों के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित रिजर्व मनी (M0) में कहीं अधिक वृद्धि (YoY) दर्ज की गई और यह एक वर्ष पूर्व के 11.0 प्रतिशत की तुलना में 19.2 प्रतिशत रही (चित्र 1)। 2020-21 में अब तक रिजर्व मनी (M0) में विस्तार घटक पक्ष की ओर से परिसंचरण में मुद्रा (करेंसी इन सर्कुलेशन/ CIC) द्वारा संचालित था, जिसमें कोविड-19 की महामारी के बाद की अवधि में तेजी देखी गई। 15 जनवरी, 2021 तक CIC में YoY वृद्धि पिछले वर्ष की 11.6 प्रतिशत की तुलना में 21.9 प्रतिशत की थी (तालिका 2)।

तालिका 2: मौद्रिक समष्टियों में वृद्धि (YoY) (प्रतिशत में)

मद	2015-16	2016-17**	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
परिसंचरण में मुद्रा (CIC)	14.9	-19.7	37.0	16.8	14.5	21.9#
बैंकों के पास नकद	6.6	4.2	-2.1	21.4	15.4	2.1
लोगों के पास नकद	15.2	-20.8	39.2	16.6	14.5	23.1
बैंकों का आरबीआई में जमा	7.8	8.4	3.9	6.4	-9.6	-11.7#
मांग जमा	11.0	18.4	6.2	9.6	6.8	12.8
समय जमा	9.2	10.2	5.8	9.6	8.1	10.5
रिजर्व मनी (M0)	13.1	-12.9	27.3	14.5	9.4	15.2#
संकीर्ण मुद्रा/(नैरो मनी) (M1)	13.5	-3.9	21.8	13.6	11.2	19.0
व्यापक मुद्रा/(ब्रॉड मनी) (M3)	10.1	6.9	9.2	10.5	8.9	12.5


स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: *1 जिनवरी 2021

** : 1 अप्रैल 2016 के मुकाबले 31 मार्च 2017, रिजर्व मनी (M0), परिसंचरण में मुद्रा (CIC) और बैंकों का आरबीआई में जमा को छोड़ कर

: 15 जनवरी 2021 को

चित्र 1: एमओ (M0), सीआरआर, समायोजित एमओ (M0) और CIC वृद्धि (YoY)




स्रोत: आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक)

4.5 रिजर्व मनी (M0) के स्रोतों में-शुद्ध घरेलू संपत्तियों (एनडीए/ NDA) [सरकार, बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए शुद्ध रिजर्व बैंक क्रेडिट] और शुद्ध विदेशी संपत्तियां (एनएफए/ NFA) आती हैं-2020-21 के दौरान रिजर्व मनी (M0) के बढ़ने का मुख्य कारण थी, और रिजर्व बैंक ने इनकी वजह से ही अधिकृत व्यापारियों (एडी/ Ads) से शुद्ध खरीद की। आरबीआई में केंद्र सरकार के उच्च नकद शेष के कारण वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष की इसी अवधि के तुलना में सरकार के शुद्ध रिजर्व बैंक क्रेडिट में कमी आई। एनडीए/NDA के अन्य घटकों में से बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र (मुख्य रूप से प्राइमरी डीलर) पर शुद्ध रिजर्व बैंक दावे काफी हद तक नकारात्मक बने रहे, जो प्रणाली में अधिक तरलता का होना बताता है (इस बारे में अधिक जानकारी आगे के खंडों में दी गई है)।

4.6 वर्ष 2020-21 में अब तक (1 जनवरी 2021 तक), व्यापक मुद्रा (M3) की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर 12.5 प्रतिशत रही, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह 10.1 प्रतिशत थी (चित्र 2)। आरक्षित मुद्रा में हुई अभिप्रायपूर्ण वृद्धि मुद्रा की आपूर्ति में नहीं बदल सकी क्योंकि मुद्रा गुणक (money multiplier) मुद्रा-जमा अनुपात में तेजी से वृद्धि के कारण उदासीन बने रहे और इसके अलावा बड़ी मात्रा में धनराशि रखी गई।


चित्र 2: साल-दर-साल (YoY) हुई व्यापक मुद्रा वृद्धि



स्रोत: आरबीआई

4.7 घटक पक्ष से, सबसे बड़े घटक कुल जमा ने अब तक वर्ष के दौरान M3 के विस्तार में सबसे अधिक योगदान दिया है (चित्र 3)। स्रोतों में, वर्ष के दौरान M3 में वृद्धि के लिए सरकार को बैंक क्रेडिट ने प्रमुख योगदान किया था। बैंकों का, अर्थव्यवस्था में ऋण मांग में आई कमी की स्थितियों के कारण, नकदी एवं जोखिम-मुक्त संपत्तियों जैसे एसएलआर प्रतिभूतियों और सरकारी क्षेत्रों (G-secs) में अधिक निवेश की वजह से सरकार का बैंक क्रेडिट बढ़ा। वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक क्रेडिट (ऋण) ने स्रोत पक्ष से M3 के विस्तार में सहयोग किया। एससीबी की साल.दर.साल क्रेडिट विकास दर (SCBs' YoY), एक वर्ष पूर्व इसी समय के दौरान 7.5 प्रतिशत थी जो 1 जनवरी 2021 को 6.7 प्रतिशत रह गई।


चित्र 3: जमा वृद्धि (साल-दर-साल)



स्रोत: आरबीआई

4.8 मुद्रा गुणक (Money multiplier), जिसे $M3/M0$ के अनुपात में मापा जाता है, 1980 से लेकर 2016-17 तक इसमें ज्यादातर वृद्धि ही देखी गई थी, लेकिन उसके बाद से इसमें कमी दर्ज की जा रही है। 31 मार्च 2020 को, मुद्रा गुणक (Money multiplier) 5.5 था, एक वर्ष पहले के 5.6 की तुलना में यह थोड़ा कम है। हालांकि, रिवर्स रेपो के लिए समायोजित-केंद्रीय बैंक के साथ बैंक जमा के लिए विश्लेषणात्मक रूप से-मार्च 2020 के आखिर तक मुद्रा गुणक (Money multiplier) 4.8 रह गया। मुद्रा गुणक (Money multiplier) अक्टूबर 2018 के 5.8 से 1 जनवरी 2021 को, कम हो कर 5.5 रह गया। (चित्र-4) हालांकि, इसी अवधि के दौरान रिवर्स रेपो के लिए समायोजित मुद्रा गुणक (Money multiplier) में बहुत अधिक गिरावट दर्ज की गई और यह 5.7 से 4.5 हो गया। इससे पता चलता है कि मुद्रा आपूर्ति ने आरक्षित धन वृद्धि में केवल आंशिक रूप से योगदान किया है और अर्थव्यवस्था में नकदी का परिसंचरण बिगड़ा हुआ है। मुद्रा गुणक (Money multiplier) और समायोजित धन (adjusted money) के बीच का अंतर बताता है कि आरबीआई के रिवर्स रेपो विंडो के तहत बैंकों का बहुत अधिक धन आरबीआई में जमा है।

चित्र 4: मुद्रा गुणक



स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: रेपो के लिए समायोजित मुद्रा गुणक का अर्थ है प्रक्रिया में प्रयोग किए गए आरक्षित धन में रिवर्स रेपो के तहत आरबीआई में बैंकों की जमा राशि भी आती है।

नकदी की स्थितियां और नकदी प्रबंधन


4.9 2020-21 में अब तक प्रणालीगत नकदी (सिस्टेमिक लिक्विडिटी) लगातार बचत में बनी हुई है जिससे रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न बाधाओं के मद्देनजर नकदी स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए जाने का पता चलता है। 2020-21 के दौरान तरलता के मुख्य संचालक रहे परिसंचरण में मुद्रा (सीआईसी/ CIC), सरकार का नकदी शेष और रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा संबंधी संचलन। हालांकि सीआईसी निकासी और सरकार के नकदी शेष के अधिक होने के कारण बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी आई लेकिन रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा प्रबंध ने प्रणालीगत चल निधि को बढ़ाया।

4.10 रिजर्व बैंक ने फरवरी 2020 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रबंधन हेतु कई परंपरागत और गैर-परंपरागत उपायों को लागू किया। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. 6 फरवरी से 4 दिसंबर 2020 तक खुले बाजार परिचालन (ओएमओ/ OMO) खरीद के माध्यम से 2.7 लाख करोड़ रुपयों से अधिक की नकदी की व्यवस्था करना।
- ii. वर्तमान वित्त वर्ष में विशेष मामले के रूप में राज्य विकास ऋणों (एसडीएल/SDL) में ओएमओ (OMO) को भी शामिल किया गया। ओएमओ (OMO) को एसडीएल (SDL) के बास्केट के रूप में लाया गया था जिसमें राज्यों द्वारा जारी प्रतिभूतियां थीं। इस सुविधा के तहत तीन ओएमओ (OMO) खरीद नीलामियों (22 अक्टूबर 2020 और 5 नवंबर 2020 तथा 23 दिसंबर 2020) के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपयों की कुल नकदी की व्यवस्था की गई थी।
- iii. फरवरी से मार्च 2020 में आयोजित दीर्घावधि रेपो परिचालन (LTRO) के माध्यम से 1.25 लाख करोड़ रुपयों की व्यवस्था के अलावा तीन साल तक के लिए, कॉरपोरेट बॉन्डों, वाणिज्यिक पत्रों और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश हेतु 1.13 लाख करोड़ रुपयों तक के कुल निवेश हेतु लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (TLTRO)।
- iv. बैंकों के सीआरआर आवश्यकता में शुद्ध मांग एवं समय देनदारियां (एनडीटीएल) को 4 प्रतिशत से कम कर 3 किया गया, यह 28 मार्च 2020 से प्रभावी हुआ, इससे बैंकिंग प्रणाली की प्राथमिक चल निधि में करीब 1.37 लाख करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई।
- v. बैंकों का वैधानिक नकदी अनुपात (एसएलआर) को एनडीटीएल के 3 प्रतिशत से कम कर 2 प्रतिशत कर बैंकों द्वारा रातोंरात उधार लेने की सीमा को एमएसएफ के तहत बढ़ाया गया और बैंकिंग प्रणाली को 1.37 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त तरलता प्राप्त करने की सुविधा दी।
- vi. 50,000 करोड़ रु. के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष नकदी सुविधा; और
- vii. सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों जैसे नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्विजम बैंक के लिए 75,000 करोड़ रु. मूल्य की पुनर्वित्त सुविधा।

4.11 वर्ष 2020 की शुरुआत में ही जोखिम से बचाने और सुरक्षा के लिए बिकवाली को देखते हुए, आरबीआई ने 16 मार्च और 23 मार्च 2020 को 6-माह के अमेरिकी डॉलर/ भारतीय मुद्रा बिक्री/ खरीद अदला-बदली की दो नीलामी कराई और 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नकदी की व्यवस्था की ताकि विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। उपर सूचीबद्ध उपायों के साथ विदेशी मुद्रा खरीद ने अतिरिक्त नकदी का विस्तार किया, और यह तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ/ LAF) के तहत औसत दैनिक शुद्ध तरलता अवशोषण में दिखाई भी देती है, जो जनवरी 2020 के आखिर में 3.43 लाख करोड़ रु. से बढ़ कर 15 जनवरी, 2021 को 5.47 लाख करोड़ रु. हो गया (चित्र 5)।

चित्र 5. चल निधि प्रबंधन



स्रोत: आरबीआई


टिप्पणी: नकारात्मक संकेत तरलता में अधिशेष को दर्शाता है।

4.12 अप्रैल-मई 2020 के दौरान सरकार के बढ़े हुए खर्चों को भी नकदी अधिशेष में जोड़ा गया। हालांकि, सरकार का नकदी शेष जून 2020 में अधिशेष में बदल गया। 2020 की दूसरी तिमाही में सीआईसी विस्तार मध्यम रहा और सरकार का नकदी शेष अधिशेष बना रहा। हालांकि, 2020 की दूसरी तिमाही में अधिशेष नकदी की स्थिति बनी रही, लेकिन पहली तिमाही की तुलना में संतुलन था। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण जुलाई 2020 में कम हो कर 3.95 लाख करोड़ रु. हो गया क्योंकि औसत सरकारी नकदी अधिशेष बढ़कर 95,942 करोड़ रु. हो गया था। इसके बाद, अगस्त 2020 में औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण बढ़ा और यह 4.03 लाख करोड़ रु. हो गया, जो सितंबर 2020 में एक बार फिर कम हो कर 3.68 लाख करोड़ रु. रह गया। बैंकों को समय-सीमा पूर्ण होने से पहले ही एलटीआरओ (LTRO) सुविधा के तहत लिए गए धन को वापस करने के विकल्प के तहत 1.24 लाख करोड़ रु. आए और संतुलन में बैंकिंग क्षेत्र की तरलता ने योगदान किया। हालांकि तरलता अवशोषण में संतुलन के बाद आने वाले महीनों में स्थिति विपरीत हो गई क्योंकि एलएएफ (LAF) के तहत औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण में एक बार फिर वृद्धि हुई और यह 4.47 लाख करोड़ रु. हो गया। अक्टूबर और नवंबर 2020 के महीनों में यह 5.64 लाख करोड़ रु. था। यह सरकारी खरीद को फिर से शुरू करने को आंशिक रूप से प्रतिबिंबित करता है।

4.13 टेनरों में तरलता के अधिक एक समान रूप में वितरण के माध्यम से बेहतर मौद्रिक संरचना सुनिश्चित करने के लिए एक ही समय पर, 14 बिक्री-खरीद ओएमओ, प्रत्येक की अधिसूचित राशि 10,000 करोड़ रुपए, नीलामी की घोषणा की गई और यह नीलामी वित्त वर्ष 2020-21 में की गई।

4.14 इसके अलावा, अवधि के दौरान भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर/ WACR) में तरलता की सहज स्थिति परिलक्षित हुई। सामान्य रूप से डब्ल्यूएसीआर (WACR) पॉलिसी कॉरिडोर (नीति गलियारे) में बना रहा हालांकि इसमें स्पष्ट कमी के साथ कारोबार हुआ, जिससे पर्याप्त तरलता और सहज वित्तीय स्थितियों का पता चलता है (चित्र 6)। हालांकि प्रणाली में उपलब्ध तरलता (नकदी) ने अक्टूबर के आखिर से जनवरी की शुरुआत तक कॉरिडोर के बाहर डब्ल्यूएसीआर/ WACR को कम किया। अल्प और दीर्घ तरलता के बीच का अंतर यील्ड कर्व पर दिख रहा है (इस पर अगले भाग में चर्चा की गई है)।

चित्र 6: पॉलिसी कॉरिडोर और डब्ल्यूएसीआर




स्रोत: आरबीआई

जी-सेक (सरकारी क्षेत्र) के बाजारों में विकास

4.15 2020-21 की पहली छमाही के दौरान, 10-वर्ष के बेंचमार्क वाले जी-सेक यील्ड में कारोबार मंदा रहा (चित्र 7), नीति दरों, कच्चे तेल की कीमतों और अधिशेष नकदी पर नजर रखी गई। 10-वर्ष के बेंचमार्क वाले जी-सेक यील्ड जो अप्रैल 2020 में करीब 6.4-6.5 प्रतिशत थे, मई 2020 के मध्य तक 5.73 प्रतिशत के स्तर पर आ गए।

चित्र 7: भारत 10-वर्ष के बेंचमार्क वाले जी-सेक यील्ड




स्रोत: ब्लूमबर्ग

4.16 2020-21 की पहली तिमाही में, जी-सेक के दस वर्षीय उत्पादन के न्यूनतम मानदंड में गिरावट देखी गई। अप्रैल 2020 के पहले पखवाड़े के दौरान यील्ड में मजबूती आई, यह देश भर में लगाए गए लॉकडाउन और बाजार के काम करने के घंटों में कमी के कारण कारोबार की मात्रा में हुई कमी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) द्वारा बिक्री दबाव के साथ अमेरिकी राजकोषीय यील्ड्स के अधिक होने के कारण हुआ। हालांकि माह के दूसरे पखवाड़े में यील्ड में नरमी आई, जो कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (एफओएमसी/ FOMC) द्वारा फेड फंड दरों के लक्षित रेंज को 0-0.25 प्रतिशत पर बनाए रखने और फरवरी 2020 की तुलना में मार्च 2020 के लिए सीपीआई (CPI) रीडिंग को कम रखने के प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। 10-वर्ष बेंचमार्क प्रतिभूति पर यील्ड 3 अप्रैल 2020 को 6.20 प्रतिशत पर खुले और 30 जून 2020 को 5.89 प्रतिशत पर बंद हुए।

4.17 यील्ड में वृद्धि जारी रही, जुलाई 2020 के लिए अपेक्षित सीपीआई प्रिंट की तुलना में अधिक स्तर पर रही और एमपीसी द्वारा दरों में कटौती से इसमें रूकावट आई। इसके बाद, रिजर्व बैंक द्वारा विशेष ओएमओ और प्रत्यक्ष ओएमओ की श्रृंखला लाए जाने के बाद बेंचमार्क यील्ड में थोड़ा सुधार हुआ। इसके अलावा, एसडीएल में ओएमओ, ओएमओ राशि में 20,000 करोड़ रु. की वृद्धि और 31 मार्च 2022 यानि एक और वर्ष के लिए एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए हेल्ड-टू-मेच्युरिटी लाभ के विस्तार ने बॉन्ड बाजार को मदद दी। इसके बाद, नए 10-वर्ष बेंचमार्क यील्ड तीन महीने के सबसे नीचले स्तर पर आ गया और 26 अक्टूबर 2020 को यह 5.79 प्रतिशत था। हालांकि, यील्ड ऑन बेंचमार्क बॉन्ड में एक बार फिर उछाल आया और 20 जनवरी, 2021 को यह 5.92 रहा।

4.18 दूसरी तरफ, 2020-21 में अब तक अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों के यील्ड पर जबरदस्त कमी आई है (चित्र 8)। इसे यील्ड कर्व के आकार में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसमें कर्व के अंतिम सिरे पर अंतर अधिक है। 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष के सरकारी बॉन्डों पर यील्ड को मार्च 2020 से 23 दिसंबर 2020 के बीच क्रमशः 195 बीपीएस, 180 बीपीएस और 150 बीपीएस, 120 बीपीएस और 76 बीपीएस से कम किया गया था। यील्ड कर्व में सुधार लाने के लिए आरबीआई ने कई उपाय किए जिसमें पिछले वर्ष एक साथ बिक्री-खरीद ओएमओ नीलामी का कई बार किया जाना भी शामिल है।

चित्र 8: भारत सरकार के बॉन्ड का यील्ड कर्व



स्रोत: ब्लूमबर्ग

4.19 वर्ष 2020-21 में, 1 अप्रैल 2020 से घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ विशेष श्रेणियों को बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी प्रतिभूतियों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया था। तदनुसार, एक अलग मार्ग जैसे, भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु पूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर/ FAR) को अधिसूचित किया गया। एक बार 'निर्दिष्ट प्रतिभूति' घोषित किए जाने के बाद, ऐसी प्रतिभूतियां समय-सीमा पूरी होने तक एफएआर के तहत निवेश के योग्य रहेंगी। 1 अप्रैल 2020 से वर्तमान प्रतिभूतियों की सूची को एफएआर में रखा गया था और इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 से 5-वर्ष, 10-वर्ष और 30-वर्ष की अवधि के जारी की जाने वाली सभी नई सरकारी प्रतिभूतियां एफएआर के तहत 'निर्दिष्ट प्रतिभूतियां' की पात्र होंगी। वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में भारत को शामिल करने की दिशा में इस कदम को उठाया जाना आवश्यक है।

बैंकिंग क्षेत्र

4.20 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए/ GNPA) अनुपात (यानि सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए) में कमी आई और यह मार्च 2020 के आखिर में 8.2 प्रतिशत के मुकाबले सितंबर 2020 के आखिर में 7.5 रह गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी/ SCBs) का पुनर्गठित मानक अग्रिम (आरएसए/ RSA) अनुपात इसी अवधि के दौरान 0.36 प्रतिशत से बढ़ कर 0.41 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर, एससीबी के स्ट्रेस्ड एडवांसेस अनुपात में गिरावट दर्ज की गई और मार्च 2020 के आखिर में जहां से 8.6 प्रतिशत था वहीं सितंबर 2020 के आखिर में 7.9 प्रतिशत रह गया।

4.21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 के आखिर में 10.25 प्रतिशत था जो सितंबर 2020 के आखिर में कम हो कर 9.4 प्रतिशत रह गया और स्ट्रेस्ड एडवांसेस रेश्यो मार्च 2020 के आखिर के 10.75 प्रतिशत के मुकाबले सितंबर 2020 के आखिर में 9.96 प्रतिशत रह गया। इस अवधि के दौरान, शुद्ध एनपीए रेश्यो में भी कमी दर्ज की गई और यह सितंबर 2020 के आखिर में एससीबी के लिए 2.1 प्रतिशत और पीएसबी के लिए 2.85 प्रतिशत पर रही।

4.22 सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र के बैंकों के पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (Capital to risk-weighted asset ratio, सीआरएआर/ CRAR) में सुधार के कारण मार्च 2020 और एससीबी के पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में वृद्धि हुई और सितंबर 2020 के दौरान यह 14.7 से बढ़ कर 15.8 प्रतिशत हो गई। एससीबी की वार्षिक निवेश पर आय (आरओए/ RoA) में 2020-21 की पहली छमाही (एच 1) के दौरान थोड़ा सुधार हुआ और यह 0.07 प्रतिशत से 0.64 प्रतिशत हो गया, हालांकि उनका इक्विटी पर आय (आरओई/ RoE) में भी सुधार हुआ और इसी अवधि के दौरान यह 0.78 प्रतिशत से 7.68 प्रतिशत हो गया। मुख्य रूप से कोविड-19 राहत उपायों के तहत दी गई छूट के कारण मार्च 2016 से मार्च 2020 तक नकारात्मक लाभप्रदता अनुपात दर्ज करने के बाद, पीएसबी के लिए आरओए (RoA) और आरओई (RoE) जून 2020 में सकारात्मक बनी और सितंबर 2020 में समाप्त हुई तिमाही तक सकारात्मक बनी रही। (तालिका 3) यह मुख्यतः उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए अधिस्थगन तथा परिसंपत्ति वर्गीकरण पर लगाई गई रोक के कारण हुआ है।

तालिका 3: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के एनपीए, सीआरएआर आर ओ ई, आर ओ ए (राशि करोड़ रुपए में : दर तथा अनुपात प्रतिशत में)

Reporting Date	Public Sector Banks				Private Sector Banks			
	Gross NPAs	Capital Ratio (CRAR)	Return on Equity	Return on Total Assets	Gross NPAs	Capital Ratio (CRAR)	Return on Equity	Return on Total Assets
Mar-17	6,84,732	12.14	-1.92	-0.12	91,915	15.53	11.79	1.27
Mar-18	8,95,601	11.66	-14.01	-0.87	1,25,863	16.43	9.98	1.09
Mar-19	7,39,541	12.20	-10.97	-0.66	1,80,872	16.07	5.49	0.60
Mar-20	6,78,317	12.85	-3.92	-0.25	2,05,848	16.55	3.20	0.35
Sep-20	6,09,129	13.51	4.33	0.26	1,88,191	18.21	10.04	1.10

स्रोत: ऑफ साइट रिटर्न एवं ग्लोबल ऑपरेशन्स: आर बी आई

4.23 मार्च 2020 के आखिर में पीएसबी के शुद्ध लाभ (कर अदायगी के बाद के लाभ) में वृद्धि हुई और यह सितंबर 2020 के आखिर में (-) 25,941 करोड़ रुपयों से बढ़कर 14,688 करोड़ रु. हो गया। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ (कर अदायगी के बाद) भी बढ़ा और यह मार्च 2020 के आखिर के 19,113 करोड़ रु. से बढ़कर सितंबर 2020 के आखिर में 32,762 करोड़ रु. हो गया। कुल मिलाकर, एससीबी के लिए, शुद्ध लाभ (कर अदायगी के बाद) में इजाफा हुआ और यह मार्च 2020 के आखिर के 11,322 करोड़ रु. के मुकाबले सितंबर 2020 के आखिर में 59,426 करोड़ रु. हो गया।

4.24 कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण दबावयुक्त संपत्तियां (स्ट्रेस्ड असेट्स) के समाधान पर ध्यान नहीं दिया गया। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7, 9 और 10 के तहत सरकार ने 25 मार्च 2020 से 25 मार्च 2021 को या उसके बाद से सामने आने वाले डिफॉल्ट मामलों पर 25 दिसंबर 2020 तक नई दिवाला प्रक्रियाओं को शुरू करने पर रोक लगा दिया था। रिजर्व बैंक ने 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक ऋण स्थगन, परिसंपत्ति वर्गीकरण व्यवस्था और कोविड-19 से संबंधित दबावयुक्त संपत्तियों के लिए विशेष समाधान रूपरेखा की घोषणा की। जिन उधारकर्ताओं को ऋण स्थगन की सुविधा दी गई थी, उनके लिए, जिस अवधि के लिए ऐसी सुविधाएं दी गई थीं, उस अवधि को, संपत्ति वर्गीकरण या अनियमित स्थिति, जैसा मामला हो, के उद्देश्य हेतु बीत चुके देय दिनों की गणना में से निकाल दिए जाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान रूपरेखा की घोषणा की ताकि स्वामित्व में बिना कोई परिवर्तन किए योग्य कॉर्पोरेट ऋण जोखिम के संदर्भ में समाधान योजना को लागू करने में उधारदाता सक्षम हो सकें, और व्यक्तिगत ऋण (पर्सनल लोन), मानक के रूप में ऐसे ऋण जोखिमों का वर्गीकरण करते समय कुछ शर्तों के अधीन रखे गए। उपरोक्त विंडो के तहत लागू की जा सकने वाली समाधान योजनाओं के तहत उधारदाताओं को अतिरिक्त दो वर्षों की मोहलत देने की अनुमति है। आरबीआई ने समाधान योजनाओं में शामिल किए जाने वाले आवश्यक वित्तीय मानदंडों पर अनुशांसा करने के लिए के.वी. कामथ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इसके अलावा, 1 मार्च 2020 तक जहां बैंकों और एनबीएफसी का कुल ऋण जोखिम 25 करोड़ रु. या उससे कम हो वहां एमएसएमई खातों को मानक (स्टैंडर्ड) माना गया, और उन्हें संपत्ति वर्गीकरण में किसी भी प्रकार की कमी किए बिना पुनर्गठन की अनुमति दी गई, इसे कुछ शर्तों के अधीन रखा गया। विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर 2020 को कुछ विशेष आदेश जारी किए जिसमें कहा कि, “31.08.2020 तक एनपीए घोषित नहीं किए गए खातों को अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा।”

4.25 उपरोक्त उपाय, जो उधारकर्ताओं को परिसंपत्ति वर्गीकरण राहत प्रदान करते हैं, उधारकर्ता के खातों पर वित्तीय दबाव की वास्तविक मान्यता को प्रभावित करेगा। हालांकि, माहामारी के मद्देनजर वित्तीय स्थिरता का बड़ा उद्देश्य बुद्धिमत्तापूर्ण धैर्य की मांग करता है जिसे उपरोक्त राहत पैकेज में स्पष्ट सीमाओं और दंडात्मक कार्यवाही के माध्यम से पूरा किया गया था। इसके अलावा, जोखिम मान्यता को पूरी तरह से निलंबित नहीं किया गया क्योंकि उधारदाताओं को उपरोक्त राहत पैकेज के तहत संपत्ति वर्गीकरण का लाभ लेने वाले खातों के संबंध में न्यूनतम 10 प्रतिशत का प्रावधान करना आवश्यक है।

मौद्रिक नीति संचरण

4.26 क्रेडिट (जमा धन) की मात्रा पर नीति रेपो दरों में परिवर्तनों का संचरण कमजोर रहा है। हालांकि, दर संरचना (रेट स्ट्रक्चर) और सावधि संरचना (टर्म स्ट्रक्चर) पर संचरण में सुधार हुआ है। फरवरी 2019 (वर्तमान ईजिंग साइकिल) से अब तक आरबीआई रेपो दरों में 250 बेसिक प्वाइंट्स की कमी कर चुका है।

(क) दर संरचना (रेट स्ट्रक्चर)

4.27 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जमा और उधार दरों के लिए मार्च 2020 के बाद से नीतिगत रेपो दरों में सुधार हुआ है जो नीतिगत दरों में कमी, समायोजित नीति के साथ बड़ी मात्रा में नगदी अधिशेष और ऋणों के लिए बाहरी बेंचमार्क आधारित मूल्य निर्धारण के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। और नकदी की सुविधापूर्ण स्थितियों के कारण फ्रेश रूपया ऋण (ऋणों) पर भारित औसत उधार दर (वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट/ डब्ल्यूएएलआर/WALR) मार्च 2020 और अक्टूबर 2020 के दौरान 94 बेसिक प्वाइंट्स की तुलना में नीतिगत रेपो दरों में 115 बेसिक प्वाइंट्स कमी आई। सहजता के वर्तमान चरण में (फरवरी 2019 से नवंबर 2020), आउटस्टैंडिंग रुपी लोन्स (बकाया रुपये ऋण) पर डब्ल्यूएएलआर में बदलाव ने मार्च 2020 से महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। फरवरी 2019 से नवंबर 2020 की अवधि के दौरान आउटस्टैंडिंग रुपी लोन्स (बकाया रुपये ऋण) पर डब्ल्यूएएलआर में 83 बेसिक प्वाइंट्स की कमी में से 67 बेसिक प्वाइंट्स की कमी मार्च 2020 से दर्ज की गई थी। जारी राहत अवधि के दौरान आउटस्टैंडिंग रुपया लोन्स (बकाया रुपये ऋण) पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर/WADTDR) में 127 बेसिक प्वाइंट्स की कमी आई। मध्यम सावधि जमा दर में मार्च से दिसंबर 2020 के दौरान 146 बेसिक प्वाइंट्स की भारी गिरावट दर्ज की गई (तालिका 4)। ऋण वृद्धि (क्रेडिट स्प्रेड) (आउटस्टैंडिंग ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर और रेपो दरों का अंतर) जो 2018 से लगातार बढ़ रहा था, में, 2020-21 में कमी आनी शुरू हुई हालांकि यह अभी भी बहुत अधिक है। आउटस्टैंडिंग ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर अभी भी रेपो दर के मुकाबले 544 बेसिक प्वाइंट अधिक है (चित्र 9)।

तालिका 4: बैंक जमा और उधार दरों के लिए रेपो दरों में परिवर्तन (बेसिक प्वाइंट्स)


अवधि	रेपो दर	सावधि जमा दर		उधार दर		
		मेडियन टर्म डिपॉजिट रेट	डब्ल्यूएडी. टीडीआर/WADTDR	1 वर्ष का मेडियन एमसीएलआर/MCLR	डब्ल्यूएएलआर/WALR - आउटस्टैंडिंग रुपी लोन	डब्ल्यूएएलआर/WALR - फ्रेश रुपी लोन
फरवरी 19-सितंबर 19	-110	-9	-7	-30	2	-40
अक्टूबर 19-नवंबर 20'	-140	-167	-118	-115	-77	-119
मार्च 20-नवंबर 20'	-115	-143	-79	-90	-59	-88
फरवरी 19-नवंबर 20'	-250	-207	-125	-145	-75	-159

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर-डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर; एमसीएलआर: मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड-बेस्ड लेंडिंग रेट।

* डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर पर नवीनतम आंकड़े नवंबर 2020 के हैं।

चित्र 9: रेपो दरों और डब्ल्यूएलआर (आउटस्टैंडिंग लोन्स पर) के बीच प्रसार



स्रोत: आरबीआई

4.28 बैंक समूहों में निजी क्षेत्र के बैंकों ने नए ऋणों को बांटने में बेहतर प्रदर्शन किया है जबकि सरकारी बैंकों की समग्र रियायत अवधि के दौरान आरबीआई द्वारा सहजता चक्र के शुरुआती चरण में, निजी क्षेत्र के बैंकों की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में नए ऋणों और जमाओं पर उधार दरों में अधिक कमी के संदर्भ दर कम थी। हालांकि, समय के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी सुधार होना शुरू हुआ और उन्होंने वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक निजी क्षेत्र की बैंकों की तुलना में आउटस्टैंडिंग रुपी लोन्स और नए रुपी लोन्स पर डब्ल्यूएलआर के संदर्भ में अधिकता दिखाई है। हालांकि, निजी क्षेत्र के बैंकों ने 2020-21 में अब तक डब्ल्यूएडीटीडीआर में अधिकता दिखाई है (तालिका 5) काया ऋण की वसूली में अधिक रूझान दिखा है। निजी क्षेत्र के बैंकों ने सरकारी बैंकों की तुलना में जमा दरों में अधिक कमी की है (डब्ल्यूएडीटीडीआर द्वारा मापा गया)।

तालिका 5: सहजता चक्र के दौरान बैंक समूहों के बीच संचरण (बेसिक प्वाइंट्स)

	फरवरी 2019 से अक्टूबर 2020			अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020		
	डब्ल्यूएलआर/ WALR-आउ. स्टैंडिंग लोन	डब्ल्यूएलआर/ WALR - नए लोन	डब्ल्यूएडी. टीडीआर/ WADTDR	डब्ल्यूएलआर/ WALR-आउ. स्टैंडिंग लोन	डब्ल्यूएलआर/ WALR - नए लोन	डब्ल्यूएडी. टीडीआर/ WADTDR
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	-83	-149	-107	-48	-66	-65
निजी क्षेत्र के बैंक	-56	-167	-145	-45	-27	-75
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकर	-75	-159	-125	-48	-44	-72

स्रोत: आरबीआई


टिप्पणी: #: इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक आते हैं।

4.29 सावधि जमा दरों में कमी के अलावा कई बैंकों ने वर्तमान सहजता चक्र के दौरान अपने बचत जमा दरों को भी कम कर दिया। पांच प्रमुख बैंकों की बचत जमा दरें, जो बाहरी मानदंड को लागू किए जाने (सितंबर 2019 के आखिर में) से पहले 3.25-3.5 प्रतिशत की रेंज में थे, 15 जनवरी 2021 में 2.7-3.0 प्रतिशत के बीच रहे। बचत जमा दरों का लचीला समायोजन उधार दरों के मौद्रिक संचरण हेतु अच्छा रहा।

(ख) ऋण वृद्धि

4.30 संचयी रूप से, फरवरी 2019 के बाद से, नीतिगत दरों में 250 बेसिक प्वाइंट्स की कमी की गई, फिर भी तब से ऋण वृद्धि में कमी ही आई है। फरवरी 2019 में ऋण वृद्धि (साल-दर-साल/YoY) 14.8 प्रतिशत थी और 18 दिसंबर 2020 को यह कम हो कर 6.1 प्रतिशत रह गई (चित्र 10)। एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान यह 7.1 प्रतिशत था।

चित्र 10: बैंक ऋण में वृद्धि (साल-दर-साल) (प्रतिशत में)




स्रोत: आरबीआई

4.31 अक्टूबर 2019 में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अक्टूबर 2020 में गैर-खाद्य ऋण वृद्धि (साल-दर-साल/YoY) नवंबर 2020 में 6 प्रतिशत थी (केवल नवंबर तक का विवरण उपलब्ध है)। 2020-21 में लगभग सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि में संतुलन देखा गया, सेवा क्षेत्र को छोड़ कर (चित्र 11)। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वृद्धि 2019-20 की पहली तिमाही में कम हुई लेकिन सितंबर और अक्टूबर में जबरदस्त तेजी के साथ नवंबर 2020 में यह बढ़ कर 8.5 प्रतिशत हो गई (चित्र 11)। उद्योग जगत में ऋण वृद्धि में लगातार कमी हुई और वास्तव में अक्टूबर 2020 में इसमें 1.7 और नवंबर 2020 में 0.7 प्रतिशत की कमी आई। सेवा क्षेत्र ने गिरावट की इस परंपरा को तोड़ा और अक्टूबर 2020 में जहां इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि 9.5 प्रतिशत पर थी वह नवंबर 2020 में बढ़ कर 8.8 प्रतिशत हो गई। इस क्षेत्र में, 'कारोबार' के लिए ऋण में दो अंकों में वृद्धि दर्ज की गई और नवंबर 2020 में यह 14.7 प्रतिशत पर रही, एक वर्ष पूर्व इसी अवधि के दौरान यह 4.6 प्रतिशत थी। हालांकि, सेवा क्षेत्र में, 2020-21 में 'व्यावसायिक अचल संपत्ति' और 'एनबीएफसी' के लिए ऋण वृद्धि में कमी आई। पर्सनल लोन वृद्धि में भी कमी आई और यह नवंबर 2019 के 16.4 प्रतिशत के मुकाबला नवंबर 2020 में 10 प्रतिशत रहा। पर्सनल लोन खंड में, दो मुख्य घटक होते

हैं। वाहन ऋण और आवास ऋण। हालांकि वाहन ऋण वृद्धि में वृद्धि हुई और यह अक्टूबर 2020 में 10 प्रतिशत पर पहुंच गया, एक वर्ष पूर्व इसी अवधि के दौरान यह 4.7 प्रतिशत था, लेकिन आवास ऋण वृद्धि में कमी आई और यह नवंबर 2020 में कम हो कर 8.5 प्रतिशत रह गया, एक वर्ष पूर्व इसी अवधि के लिए यह 18.3 प्रतिशत था (तालिका 6)।

चित्र 11: सेक्टरल बैंक के ऋण में वृद्धि (साल-दर-साल/YoY)



स्रोत: आरबीआई

तालिका 6: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा उद्योग-वार बैंक ऋण में वृद्धि देना (साल-दर-साल, प्रतिशत)

क्षेत्र	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20	अक्टू-19	अक्टू-20
उद्योग	-1.9	0.7	6.9	0.7	3.4	-1.7
लघु और सूक्ष्म	-0.5	0.9	0.7	1.7	-1.4	0.7
मध्यम	-8.7	-1.1	2.6	-0.7	1.2	16.7
बड़े	-1.7	0.8	8.2	0.6	4.2	-2.9
सेवा	16.9	13.8	17.8	7.4	6.5	9.5
व्यापार	12.3	9.1	13.1	4.6	5.2	14.0
व्यावसायिक अचल संपत्ति	4.5	0.1	8.9	13.6	17.9	3.5
एनबीएफसी	10.9	26.9	29.2	25.9	26.8	9.2
पर्सनल लोन	16.4	17.8	16.4	15.0	17.2	9.3
आवास	15.2	13.3	19.0	15.4	19.4	8.2
वाहन ऋण	11.5	11.3	6.5	9.1	5.0	8.4

स्रोत: आरबीआई


टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं। उन चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 90 प्रतिशत को कवर करते हैं;

(ग) सावधि संरचना (टर्म स्ट्रक्चर)

4.32 नीतिगत दरों में कमी और अधिशेष तरलता ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों ही दरों को कम करने में मदद की। हालांकि, दीर्घकालिक ब्याज दरों पर प्रभाव बहुत कम रहा। इस वित्त वर्ष की शुरुआत से ही, 364 दिन के टी-बिल (T-bill) पर ब्याज 10(दस) वर्षों के सरकारी क्षेत्र (G-Secs) की तुलना

में बहुत अधिक कम हो गया। अप्रैल 2020 से 7 दिसंबर 2020 तक यील्ड में 157 बेसिक प्वाइंट्स की कमी हुई जबकि इसी अवधि के दौरान पिछले वित्त वर्ष में 10(दस) वर्षों के सरकारी क्षेत्र (G-Secs) के यील्ड में केवल 24 बेसिक प्वाइंट्स की गिरावट हुई थी (चित्र 12)। इस वर्ष दो यील्ड्स के बीच का अंतर बढ़ा है।


चित्र 12: भारत में सरकारी बॉन्ड यील्ड (प्रतिशत)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

4.33 कम नीतिगत दरें कॉरपोरेट बॉन्ड तक पहुँची जहां यील्ड मार्च 2020 से बहुत कम हो गया था (चित्र 13 (क) और चित्र 13 (ख))। एए और एएए रेट किए गए सभी बॉन्ड के लिए दरों में कमी आई। जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष वाले एएए कॉरपोरेट बॉन्ड पर यील्ड में क्रमशः


चित्र 13 (क): एए रेट वाले कॉरपोरेट बॉन्ड के यील्ड



स्रोत: सीएमआईई

238 बेसिक प्वाइंट्स, 237 बेसिक प्वाइंट्स, 155 बेसिक प्वाइंट्स, 112 बेसिक प्वाइंट्स की गिरावट हुई है। यदि पूरी ईजिंग साइकिल (2020 के आरंभ से) में गिरावट पर विचार किया जाए तो इसमें क्रमशः 430 बीपीएस, 326 बीपीए, 271 बीपीएस और 212 बीपीएस की गिरावट पाई गई।

चित्र 13 (ख): एएए रेट वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड के यील्ड



स्रोत: सीएमआईई

बॉक्स 1: बैंकिंग क्षेत्र में नियामक उपाय

वाणिज्यिक बैंक

- क. पीएसबी का विलय:** एंकर बैंक के रूप में पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के साथ अन्य 10 पीएसबी का एकीकरण, यह 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया है।
- ख. एमएसएमई ऋणों का पुनर्गठन:** एमएसएमई के ऐसे ऋण जो डिफॉल्ट थे लेकिन 1 जनवरी, 2019 को 'मानक/स्टैंडर्ड' थे, को, कुछ शर्तों के तहत संपत्ति वर्गीकरण के दर्जे में कमी किए बिना, एक बार पुनर्गठन की अनुमति थी, जैसे 1 जनवरी, 2019 तक उधारकर्ताओं पर बैंकों और एनबीएफसी का कुल जोखिम (गैर-निधि आधारित सुविधाओं समेत) 25 करोड़ रुपयों से अधिक न हो। उधार लेने वाली संस्था को जीएसटी पंजीकृत होना चाहिए। हालांकि, यह शर्त उन एमएसएमई पर लागू नहीं होगा जिन्हें जीएसटी-पंजीकरण से छूट दी गई है। कोविड-19 के कारण होने वाली गिरावट को देखते हुए व्यवहार्य एमएसएमई इकाईयों को सहयोग प्रदान करने के लिए 1 जनवरी 2019 की कट-ऑफ तिथि को 1 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया था। बैंकों को 31 मार्च 2021 तक पुनर्गठन लागू करना होगा।
- ग. लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क:** संबंधित प्रतिपक्षों के समूह के लिए लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत बैंक के एक्सपोजर में वृद्धि की गई और इसे बैंक के ग्राह्य पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया। बढ़ाई गई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।
- घ. निर्यात ऋण:** 31 जुलाई 2020 तक किए जाने वाले संवितरण हेतु बैंकों द्वारा स्वीकृत प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट निर्यात ऋण हेतु अधिकतम स्वीकार्य सीमा में एक वर्ष से लेकर 15 महीने तक की वृद्धि की गई थी। यह वृद्धि भारत के निर्यात आय की प्राप्ति और प्रत्यवर्तन की अवधि में दी गई छूट के अनुसार की गई थी।

ड. मौद्रिक नीति परिसंरचण-ऋणों के बाहरी मानदंड निर्धारित करना: आरबीआई ने एससीबी (आरआरबी को छोड़ कर) द्वारा लिए गए अग्रिमों पर ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त कर दिया। हालांकि बैंकों को निर्धारित या फ्लोटिंग ब्याज दरों पर सभी श्रेणियों के अग्रिम देने की सुविधा दी गई, नियमों के अनुसार ऐसी दरों को उचित और पारदर्शी होना चाहिए और इन्हें आंतरिक या बाह्य मानदंड दरों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति के परिसंरचण को मजबूत बनाने के लिए बैंकों के लिए सभी नए फ्लोटिंग रेट वाले पर्सनल या रिटेल ऋणों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था और एमएसएमई को भी फ्लोटिंग रेट ऋण बाहरी मानदंडों जैसे रेपो रेट, ट्रेजरी बिल रेट और फाइनेंशल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमि (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित किसी भी दूसरे बाहरी मानदंड तक देने की सुविधा दी गई। बैंक इस प्रकार के बाहरी मानदंडों से जुड़े ऋणों को अन्य प्रकार के उधारकर्ताओं को भी दे सकते हैं। पारदर्शिता, मानकीकरण और उधारकर्ताओं द्वारा ऋण उत्पादों का आसानी से समझना सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को एक ऋण श्रेणी में एकसमान बाहरी मानदंड को अपनाने की सलाह दी गई थी। बाहरी मानदंड प्रणाली के तहत, ऋण के लिए ब्याज रीसेट अवधि को भी तीन महीने कम कर दिया गया था। ऐसा करने का उद्देश्य उधारकर्ताओं को नीतिगत रेपो दरों में कमी का अधिक बार लाभ देना था। इसके अलावा, वर्तमान उधारकर्ताओं को बाहरी मानदंड से जुड़े ब्याज दर का लाभ उपलब्ध कराने के लिए (बेस रेट/एमसीएलआर), बैंकों को आपसी सहमति वाली शर्तों पर ऐसे उधारकर्ताओं को स्वचालित का विकल्प देने की सलाह दी गई थी।

सहकारी बैंक

क. प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण लक्ष्य में संशोधन: वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए समग्र ऋण लक्ष्य को एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी/ANBC) या क्रेडिट इक्विवलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर (सीईओबीसीई/CEOBSE), जो भी अधिक हो, को वर्तमान 40 प्रतिशत के स्तर से बढ़ा कर 31 मार्च 2024 तक एएनबीसी या सीईओबीएससी, जो भी अधिक हो, का 75 प्रतिशत कर दिया गया है।

ख. एमएसएमई के लिए इंटरैस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत सहकारी बैंकों को योग्य सदस्य ऋण दाता संस्था के रूप में समावेश करना-दिशानिर्देश जारी करना: सभी सहकारी बैंकों को सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए 2018 में बनाई गई “इंटरैस्ट सबवेंशन स्कीम (आईएसएस)” के तहत योग्य ऋणदाता संस्था के रूप में शामिल किए जाने की सलाह दी गई है। यह योजना योग्य एमएसएमई को उनके बकाया, नए/वृद्धिशील सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी पर, उनकी वैधता अवधि के दौरान, ब्याज में प्रति वर्ष दो प्रतिशत की राहत प्रदान करती है।

ग. सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) को बड़े जोखिमों से अवगत कराना: यूसीबी में ऑफ साइट पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने और वित्तीय संकट का समय से पता लगाने के लिए 500 करोड़ रुपयों और उससे अधिक की संपत्ति वाले यूसीबी को सीआरआईएलसी (CRILC) रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अधीन लाने का फैसला किया गया था। तदनुसार, यूसीबी को क्रेडिट की जानकारी देनी होगी। इसमें यूसीबी किसी खाते को स्पेशल मेशन अकाउंट (एसएमए) बनाने के साथ-साथ ऐसे सभी उधारकर्ताओं की जानकारी देगा जिनका कुल ऋण जोखिम 5 करोड़ रुपयों या उससे अधिक का है। कुल ऋण जोखिम में उधारकर्ता पर निवेश जोखिम समेत सभी कोष-आधारित और गैर-कोष आधारित जोखिम शामिल किए जाएंगे।

घ. एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए जोखिम सीमा और बड़े ऋण जोखिम: यूएसबी के बीच क्रेडिट कान्सन्ट्रेशन रिस्क (ऋण संकेंद्रण जोखिम) को कम करने के लिए, एकल उधारकर्ता और उधारकर्ताओं के समूह के लिए ऋण जोखिम मानकों में क्रमशः यूसीबी की पूंजीगत निधि का 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत एवं यूसीबी के टीयर-I पूंजी को 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया था। संशोधित ऋण जोखिम सीमाएं यूसीबी द्वारा लिए जाने वाले सभी प्रकार के नए ऋणों पर लागू होगा और 31 मार्च 2023 तक उन्हें संशोधित सीमा से अधिक अपने वर्तमान ऋण जोखिमों को उल्लिखित संशोधित सीमाओं के भीतर लाना होगा। इसके अलावा, यूसीबी के पास उनके कुल ऋणों और अग्रिमों का न्यूनतम 50 प्रतिशत हो, इसमें 25 लाख रुपयों

से कम वाले ऋण या उनके टीयर 1 पूंजी के 0.2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, रहे, यह प्रति उधारकर्ता अधिकतम 1 करोड़ रुपयों के विषयाधीन है। यूसीबी जो वर्तमान में निर्धारित सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं, को, 31 मार्च 2024 तक इन शर्तों को पूरा करने की सलाह दी गई है।

ड. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पढ़ी जाए) के तहत रिटर्न जमा करना-समय सीमा में विस्तार: कोविड-19 महामारी के जारी रहने के कारण यूसीबी को होने वाली परेशानियों को देखते हुए, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भेजने की समय-सीमा को पहले तीन महीनों के लिए यानि 30 सितंबर 2020 तक, बढ़ाया गया था तथा इसके बाद, समय सीमा को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया।

च. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन: बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020: बैंकिंग विनियमन अधिनियम को बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अनुसार यूसीबी के नियामक शासन में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं-


- रिजर्व बैंक को यूसीबी के प्रबंधन का अधिकार दिया गया जिसकी वजह से अब वह यूसीबी के प्रबंधन संबंधी निर्देश जारी कर सकता है। इसमें चेयरमैन/ एमडी/ सीईओ की नियुक्ति की मंजूरी, एमडी/ सीईओ को हटाने और उनके वेतन की मंजूरी भी शामिल है। इसके अलावा, यूसीबी के बोर्ड में विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान/व्यवहारिक अनुभव वाले 51 प्रतिशत सदस्य होने ही चाहिए।
- निदेशक-संबंधी ऋणों/ अग्रिमों को अनुमति देने पर वैधानिक प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है और संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंकों में एक ही निदेशक पद रखे जाने पर रोक लगा दी गई है।
- रिजर्व बैंक को यूसीबी के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति/ पद से हटाने को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।
- संशोधित अधिनियम के प्रावधान यूसीबी को इक्विटी/ प्रेफरेंस/ स्पेशल शेयरों और डिबेंचरों/ बॉन्ड्स/ प्रतिभूतियों को जारी कर पूंजी में बढ़ोतरी करने में सक्षम बनाएंगे। ये सभी इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी शर्तों के अधीन होंगे।
- रिजर्व बैंक को यूसीबी के निदेशक मंडल का अधिक्रमण बर्खास्त करने का अधिकार होगा, हालांकि एक ही राज्य में काम करने वाले यूसीबी के मामले में, रिजर्व बैंक अपने इस अधिकार का प्रयोग संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से करेगी।
- रिजर्व बैंक को स्वैच्छिक/ अनिवार्य एकीकरण को मंजूरी देने और केंद्र सरकार की अनुमति के साथ यूसीबी के पुनर्गठन योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है।

संशोधित अधिनियम, रिजर्व बैंक के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा यूसीबी को बंद किए जाने की अनुमति देता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

4.35 एन.बी.एफ.सी. के क्रेडिट ग्रोथ में निरंतर मंदी जारी है। एनबीएफसी सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ (जमा धन में वृद्धि, साल-दर-साल/YoY) जून 2020 में 3 प्रतिशत के आस-पास था। सितंबर 2020 में क्रेडिट ग्रोथ में वर्ष-दर-वर्ष -6.6 प्रतिशत संकुंचन हुआ। इस क्षेत्र का क्रेडिट ग्रोथ मार्च 2019 के 23.16 लाख करोड़ रु. से बढ़कर मार्च 2020 में 23.8 लाख करोड़ रु. हो गया जो 2.72 प्रतिशत था लेकिन पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान क्रेडिट ग्रोथ 17.7 प्रतिशत था (चित्र 14)।

चित्र 14: एनबीएफसी के ऋण और अग्रिम में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत: आरबीआई


स्रोत: मार्च 2020, जून 2020 तथा सितंबर 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।

4.36 वर्ष 2019-20 में एनबीएफसी¹ में बड़े पैमाने पर मंदी आई, इसकी मुख्य वजह थी कुछ बड़े एनबीएफसी में ऋण की अलग-अलग स्थितियां, धन प्राप्त करने संबंधी चुनौतियां। एनबीएफसी के कुल संपत्ति में वृद्धि हुई और यह मार्च 2018 के 23.41 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2019 में 29.23 लाख करोड़ रुपये हो गया, मार्च 2020 में यह 33.91 लाख करोड़ रुपये तक हो चुका था, इसकी वजह से 2018-19 में 24.86 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 के दौरान इसमें 16.01 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बैंकों ने अपने ऋण विस्तार के माध्यम से एनबीएफसी को सहयोग देना जारी रखा और अक्टूबर 2020 तक 9.2 प्रतिशत (साल-दर-साल/ YoY) की दर से ऋण उपलब्ध कराया, यह समग्र बैंक क्रेडिट ग्रोथ (ऋण वृद्धि) से अधिक था। इस क्षेत्र को महामारी के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा तरलता लाने के लिए किए गए उपायों से भी लाभ हुआ जिसमें एनबीएफसी क्षेत्र को कवर करने वाले लक्षित दीर्घकालिक सावधि रेपो (टीएलटीआरओ/TLTRO) संचालन भी शामिल थे।

4.37 वर्ष 2019-20 में एनबीएफसी क्षेत्र में निधिकरण (फंडिंग) के स्रोतों में कुछ बदलाव किया गया था। बैंकों का एनबीएफसी पर कुल ऋण जोखिम मार्च 2019 के 7.01 लाख करोड़ रुपयों से बढ़कर मार्च 2020 में 8.04 लाख करोड़ रुपये हो गया था और इसका बढ़ना जारी रहा और जून 2020 में 8.17 लाख करोड़ रुपये हो गया। जून 2020 में एनबीएफसी क्षेत्र के लिए बैंक क्रेडिट 7.05 लाख करोड़ रु. था, जो कुल बैंकिंग क्रेडिट का लगभग 6.6 प्रतिशत है। हालांकि, 2020-21 में भी एनबीएफसी को म्यूचुअल फंड्स के बदले ऋण देने में गिरावट जारी रही। (चित्र 15)

1 यह क्षेत्र जून 2020 अपनी परिसंपत्तियों के आधार पर शीर्ष 250 एन.बी.एफ.सी. दर्शाता है।

चित्र 15: एनबीएफसी को म्यूचुअल फंड ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत: सेबी


4.38 जून 2020 में सुरक्षित और असुरक्षित उधार और सार्वजनिक जमा के रूप में एनबीएफसी की बाहरी देनदारियों में साल-दर-साल (YoY) आधार पर 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण में भी बढ़ोतरी हुई और मार्च 2020 में जहां 69,965 करोड़ रु. था वहीं जून 2020 में 1,11,841 करोड़ रुपये हो गया, इस वजह से लगभग 226 प्रतिशत की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, कमर्शियल पेपर (वाणिज्यिक पत्र/ सीपी) में भी वृद्धि हुई और यह मार्च 2020 के 71,734 करोड़ रु. से बढ़कर जून 2020 में 95,439 करोड़ रु. हो गया।

4.39 गैर-परिवर्तनीय ऋण पत्र (नन- कंवर्टिबल डिबेंचर्स/ एनसीडी) को छोड़ दें तो मार्च 2020 या जून 2019 की तुलना में जून 2020 में एनबीएफसी द्वारा लिए गए सभी प्रकार के ऋण लागत में मामूली गिरावट आई। एनबीएफसी के धन के मुख्य स्रोत में योगदान करने वाले एनसीडी की लागत में मामूली सुधार हुआ और यह मार्च 2020 के 8.1 प्रतिशत से जून 2020 में 8.2 प्रतिशत हो गया। दूसरी तरफ, सीपी की लागत में कमी आई और इसी अवधि के दौरान यह 7.0 प्रतिशत से कम होकर 5.9 प्रतिशत हो गया।

4.40 15 प्रतिशत विनियामक आवश्यकता के अनुसार, एनबीएफसी क्षेत्र¹ के लिए सीआरएआर जून 2020 के आखिर में 22.05 प्रतिशत था, मार्च 2020 के 20.62 प्रतिशत के मुकाबले यह थोड़ा अच्छा था। जून 2020 के आखिर में 6.44 प्रतिशत के जीएनपीए अनुपात के साथ एनबीएफसी की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में थोड़ी कमी आई क्योंकि मार्च 2020 के आखिर में यह 6.30 प्रतिशत और मार्च 2019 के आखिर में यह 5.60 प्रतिशत थी। हालांकि, शुद्ध एनपीए अनुपात में मामूली सुधार हुआ और यह मार्च 2020 के अंत में जहां 3.09 प्रतिशत था वहीं जून 2020 के आखिर में 2.99 प्रतिशत हो गया। एनबीएफसी क्षेत्र के लिए निवेश पर आय (RoA) जून 2019 के 0.6 प्रतिशत की तुलना में जून 2020 में 0.4 प्रतिशत था जबकि इक्विटी पर आय (RoE) जून 2019 के 2.6 प्रतिशत की तुलना में जून 2020 में 1.7 प्रतिशत था।

बॉक्स 2: डिजीटल भुगतान

पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय लेनदेन में अधिक वृद्धि देखी गई है। इस वित्त वर्ष के दौरान दोनो खंडों में एवं सभी श्रेणियों के डिजीटल भुगतानों के मान में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2020-21 में (अक्टूबर तक) यूपीआई के माध्यम से 19.35 लाख करोड़ रुपये और रुपये कार्ड से 1.02 लाख करोड़ रुपये का समग्र लेन देन हुआ है।



स्रोत: एनपीसीआई

देश में हो रहे डिजीटल भुगतान के विस्तारित रूप को देखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने समग्र डिजीटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण किया है। आरबीआई-डीपीआई 5 बड़े मापदण्डों पर आधारित है, जो विभिन्न समय अवधियों के दौरान देश में हुए डिजीटल भुगतानों के विस्तार एवं व्यापकता को मापने में सक्षम बनाता है। ये मापदण्ड हैं (i) भुगतान करने वाला (मान 25%), (ii) भुगतान का बुनियादी ढांचा-मांग पक्ष कारक (10%), (iii) भुगतान का बुनियादी ढांचा-आपूर्ति पक्ष कारक (15%), (iv) भुगतान निष्पादन (45%) और (v) उपभोक्ता केंद्रितता (5%)। मार्च 2018 की आधार अवधि के साथ आरबीआई - डीपीआई का निर्माण हुआ है, जो कि मार्च 2018 के लिए डीपीआई स्कोर 100 निर्धारित हैं। मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए डीपीआई क्रमशः 153.47 और 207.84 निर्धारित है, जो उन वर्षों में अधिक वृद्धि को इंगित करता है। 2 वर्षों के दौरान सूचकांक में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

पूंजी बाजार में प्रगति

1. प्राथमिक बाजार (इक्विटी)

अ. पब्लिक इश्यू

4.41 वर्ष 2020-21² (दिसंबर तक) में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान पब्लिक इश्यू (सार्वजनिक निर्गम) के माध्यम से संसाधन जुटाने में वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान, हालांकि पब्लिक इश्यू के जरिए पैसा बनाने वाली कंपनियों की संख्या, पिछले वर्ष इसी अवधि में, 49 से घट कर 33 हो गई, फिर भी पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान जुटाए गए 10950 करोड़ रुपयों की तुलना में इस अवधि के दौरान 31086.64 करोड़ रुपये जुटाए गए, जो इस अवधि में संसाधन जुटाने में 183.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार, 2020-21 (दिसंबर तक) के दौरान राइट्स इश्यू के माध्यम से संसाधन जुटाना में वृद्धि दर्ज की गई, 16 राइट्स इश्यू से 60906.90 करोड़ रु. जुटाए गए थे जबकि अप्रैल-दिसंबर में 13 इश्यू से 51865.86 करोड़ रु. जुटाए जा सके थे। (तालिका 7)

2 2020-21 के लिए तारीख अनंतिम है।

तालिका 7: पब्लिक और राइट्स इश्यू के माध्यम से प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना

इश्यू के प्रकार	2019-20 (दिसंबर तक)		2020-21 (दिसंबर तक)	
	इश्यू की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)	इश्यू की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)
पब्लिक इश्यू (इक्विटी)	49	10949.99	27	31,086.64
राइट्स इश्यू (इक्विटी)	13	51,865.86	14	60,906.90
कुल पब्लिक इश्यू	62	62,815.85	41	91,993.54

स्रोत: बीएसई, एनएसई और सेबी

ख. प्राइवेट प्लेसमेंट

4.42 वर्ष 2020-21 (दिसंबर तक) में इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए संसाधन में कमी देखी गई हालांकि इश्यू की संख्या में इजाफा हुआ था। अप्रैल-दिसंबर 2020 में, 183 इश्यू थे और प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से 91631.33 करोड़ रु. जुटाए गए हालांकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 229 इश्यू के माध्यम से 179443.86 करोड़ रु. जुटाए गए थे (तालिका 9)।

तालिका 8: प्राइवेट प्लेसमेंट्स के माध्यम से प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना

इश्यू के प्रकार	2019-20 (दिसंबर तक)		2020-21 (दिसंबर तक)	
	इश्यू की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)	इश्यू की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)
क्यूआईपी (QIPs) आवंटन (इक्विटी)	9	34,028.55	21	64,148.50
अधिमान्य आवंटन (इक्विटी)	220	1,45,415.31	162	27,482.83
कुल निजी आवंटन	229	1,79,443.86	183	91,631.33

स्रोत: बीएसई, एनएसई और सेबी

4.43 वर्ष 2019-20 (दिसंबर तक) में क्वालिफायड इस्टीमेशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए जुटाए गए संसाधन की तुलना में अधिमान्य आवंटन मार्ग से जुटाए गए संसाधन काफी अधिक थे। हालांकि, अप्रैल-दिसंबर 2020 में इसमें उलटफेर हुआ। इस अवधि के दौरान, 21 क्यूआईपी (QIPs) और 162 अधिमान्य आवंटन किए गए जिससे क्रमशः 64,148.50 करोड़ रु. और 27,482.83 करोड़ रु. जुटाए गए। पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि के दौरान 9 क्यूआईपी (QIPs) और 220 अधिमान्य आवंटन के जरिए क्रमशः 34,028.55 करोड़ रु. और 145415.3 करोड़ रु. ही जुटाए जा सके थे।

2. प्राथमिक बाजार (ऋण)

4.44 प्राथमिक बाजार में 2020-21 (दिसंबर तक) के दौरान कुल ऋण जारी करने में 29.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 5.99 लाख करोड़ रुपये के ऋण जारी किए गए जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 4.63 लाख करोड़ रुपये का ऋण जारी किया गया था। अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान, प्राइवेट प्लेसमेंट ऋण के माध्यम से जुटाई गई धनराशि में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान जुटाए गए धन से 32.2 प्रतिशत अधिक होकर 5.95 लाख करोड़ रुपये हो गया। दूसरी तरफ, इसी अवधि के दौरान, सार्वजनिक ऋण इश्यू के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि में 67 प्रतिशत की कमी आई और 3871.7 करोड़ रु. ही जुटाए जा सके (तालिका 10)।

तालिका 9: ऋण इश्यू के माध्यम से प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना

इश्यू के प्रकार	2019-20 (दिसंबर तक)		2020-21 (दिसंबर तक)	
	इश्यू की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)	इश्यू की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)
पब्लिक इश्यू (ऋण)	27	11,746.11	10	3,871.70
प्राइवेट प्लेसमेंट (ऋण)	1295	4,49,939.71	1540	5,95,044.66
कुल ऋण इश्यू	1322	4,61,685.82	1550	5,98,916.36

स्रोत: बीएसई, एनएसई और सेबी

4.45 अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक को पारित कर दिया गया और 1 अक्टूबर 2020 से यह लागू हो गया है। इस विधेयक से पहले, भारत में द्विपक्षीय नेटिंग के लिए कोई कानूनी रूपरेखा नहीं थी। नेटिंग, किसी द्विपक्षीय वित्तीय अनुबंध के दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ दावों की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम बनाता है ताकि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर बकाया एकल शुद्ध देनदारी दायित्व का निर्धारण किया जा सके। वित्तीय बाजारों की स्थिरता का समर्थन करने के अलावा, द्विपक्षीय नेटिंग भारत में कॉर्पोरेट ऋण बाजार के विकास और प्रणाली में पूंजी लाने में मदद करेगा।

3. म्यूचुअल फंड गतिविधियां

4.46 2020-21 (दिसंबर तक) के दौरान म्यूचुअल फंड उद्योग में 2.76 लाख करोड़ रु. का शुद्ध प्रवाह था जबकि पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान शुद्ध प्रवाह 1.82 लाख करोड़ रु. का था। सभी म्यूचुअल फंड के प्रबंधन के तहत शुद्ध संपत्ति में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और 31 दिसंबर 2020 के समाप्त होने पर यह 31.02 लाख करोड़ रु. था; जबकि 31 दिसंबर 2019 को यह 26.54 लाख करोड़ रु. ही था। (तालिका 11)

तालिका 10: म्यूचुअल फंड के माध्यम से धन जुटाना (धनराशि लाख करोड़ रु. में)

अवधि	फोलियो की सं. (करोड़)	कुल जमा	छूट	निवल आमद	अवधि समाप्त होने पर शुद्ध एयूएम (AUM)
2019-20#	8.71	154.67	152.85	1.82	26.54
2020-21#	9.43	65.47	62.71	2.76	31.02

स्रोत: सेबी

टिप्पणी: # संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर तक

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश

4.47 2020-21 (दिसंबर तक) भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के माध्यम से 2.1 लाख करोड़ रुपयों का निवल आमद हुई थी, 2019-20 में इसी अवधि के दौरान निवल आमद 0.81 लाख करोड़ रुपयों की थी। एफपीआई (अधिग्रहण लागत पर) द्वारा कुल संचयी निवेश में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि आई और यह 31 दिसंबर 2019 में 259.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 31 दिसंबर 2020 को 273.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।

तालिका 11: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश

वर्ष/ माह	कुल खरीद	कुल बिक्री	शुद्ध निवेश	शुद्ध निवेश	संचयी शुद्ध निवेश
	(करोड़ रु. में)		(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)		
2019-20#	13,79,888	12,99,141	80,746	11,465	2,59,581
2020-21#	16,65,483	14,54,050	2,11,433	28,543	2,73,618


स्रोत: एनएसडीएल

नोट/टिप्पणी: संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर तक

भारतीय बेंचमार्क सूचकांक की प्रवृत्ति

4.48 भारतीय बेंचमार्क सूचकांक, निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई 20 जनवरी 21 को क्रमशः 14644.7 तथा 49792.1 पर पहुंच गया। इस वित्त वर्ष की शुरुआत में कोविड-19 की वजह से अनिश्चितता के कारण कुछ महत्वपूर्ण सुधार हुए हालांकि निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स दोनों ही सूचकांक इसके बाद बहुत मजबूत हुए। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का बेंचमार्क इंडेक्स 31 मार्च 2020 को 29,468 था, इसमें 68.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 20 जनवरी 2021 को यह 49792.1 हो गया। इसी अवधि के यानि 31 मार्च से 20 जनवरी 2021 तक में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी 50 इंडेक्स/ सूचकांक में 70.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चित्र 16 (क))। एनएसई द्वारा परिचालित इंडेक्स/सूचकांक-इंडिया VIX, जो अगले 30 दिनों में सक्रिए व्यापारियों द्वारा निफ्टी 50 में होने वाले अनुमानित उतार-चढ़ाव का संकेत देता है, में भी मार्च 2020 से बहुत अधिक गिरावट आई, इससे शेयर बाजार में अस्थिरता का पता चलता है।

चित्र 16 (क): भारतीय बेंचमार्क सूचकांक की प्रवृत्ति



स्रोत: बीएसई और एनएसई

चित्र 16 (ख): इंडिया VIX



स्रोत: एनएसई

4.49 कोविड-19 महामारी को देखते हुए, सेबी द्वारा कई उपाए किए गए। आरबीआई द्वारा ऋण स्थगन अवधि में, यदि सीआरए का यह विचार है कि ब्याज/ मूलधन के भुगतान में होने वाली देरी केवल लॉकडाउन के कारण हुई है, तो सीआरए इसे डिफॉल्ट मानने पर विचार कर सकती है और/ या डिफॉल्ट मान सकती है। इसके अलावा, प्रेस विज्ञप्तियों और वेबसाइट पर प्रकटीकरण के लिए समय-सीमा में विस्तार भी दिया गया था। सीआरए को रेटिंग को डिफॉल्ट से नॉन-इन्वेंस्टमेंट ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए 90 दिनों के क्युरिंग पीरियड (संसाधन अवधि) से बचने का विकल्प दिया गया था। सेबी (SEBI) ने एफपीआई से संबंधित दस्तावेजों के प्रसंस्करण में, नामित अमानतदार (डिपॉजिटरी) प्रतिभागियों/ निधिपालकों को पंजीकरण हेतु अनुरोध(धों) की प्रक्रिया शुरू करने/ निरंतरता/ केवाईसी/ केवाई समीक्षा और निर्धारित ईमेल आईडी से मिले हस्ताक्षरित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों (मूल प्रति की बजाए) और अप्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियों के आधार पर किसी प्रमुख बदलाव को करने से अस्थायी रूप से छूट दी। इसके अलावा, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों, गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय तरजीही शेयर और वाणिज्यिक पत्रों के सूचीबद्ध जारीकर्ताओं के लिए मालगुजारी से संबंधित अनुपालन के प्री-लिस्टिंग और पोस्ट-लिस्टिंग की शर्तों में भी छूट दी गई थी।

बीमा क्षेत्र

4.50 बीमा क्षेत्र के प्रदर्शन और क्षमता का आकलन दो संकेतकों पर किया जाता है-इंश्योरेंस पेनेट्रेशन (बीमा पैठ) और इंश्योरेंस डेंसिटी (बीमा घनत्व)। इंश्योरेंस पेनेट्रेशन की गणना जीडीपी के बीमा प्रीमियम प्रतिशत के रूप में की जाती है और इंश्योरेंस डेंसिटी की गणना आबादी के बीमा प्रीमियम के अनुपात के रूप में की जाती है।

4.51 भारत में, जहां 2001 में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन 2.71 प्रतिशत थी, में लगातार वृद्धि हुई और 2019 में यह 3.76 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, एशिया यानि मलेशिया, थाईलैंड और चीन में 2019 में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन क्रमशः 4.72, 4.99 और 4.30 प्रतिशत था। वर्ष 2019 में, भारत में जीवन बीमा के लिए पेनेट्रेशन 2.82 प्रतिशत था जबकि गैर-जीवन बीमा इससे कहीं कम, 0.94 प्रतिशत था (तालिका 13 और 14)। विश्व में, 2019 में, जीवन बीमा के क्षेत्र में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन 3.35 प्रतिशत और गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में 3.88 प्रतिशत

था। हालांकि भारत में दोनों ही क्षेत्रों में पेनेट्रेशन कम है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में गैर-जीवन बीमा के क्षेत्र में यह विशेष रूप से कम है (चित्र 17)

4.52 भारत में इश्योरेंस डेंसिटी जो 2001 में 11.5 अमेरिकी डॉलर था, 2019 में यह करीब 78 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2019 में तुलनात्मक रूप से मलेशिया, थाईलैंड और चीन के आकड़े कहीं अधिक थे। इन देशों के लिए यह क्रमशः 536 अमेरिकी डॉलर, 389 अमेरिकी डॉलर और 430 अमेरिकी डॉलर था। भारत में 2019 में जीवन बीमा घनत्व (डेंसिटी) 58 अमेरिकी डॉलर और गैर जीवन बीमा तो बहुत ही कम 19 अमेरिकी डॉलर थी (तालिका 12 और 13)। वर्ष 2019 में जीवन बीमा के क्षेत्र के लिए विश्व में बीमा घनत्व (डेंसिटी) 379 अमेरिकी डॉलर और गैर-जीवन बीमा क्षेत्र के लिए 439 अमेरिकी डॉलर था। संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर-जीवन श्रेणी में बीमा घनत्व विशेष रूप से अधिक है। वैश्विक औसत और अन्य तुलनीय देशों के मुकाबले भारत में इश्योरेंस पेनेट्रेशन बहुत कम है (चित्र 18)।

तालिका 12: जीवन बीमा में पैठ और घनत्व (पेनेट्रेशन और डेंसिटी)

विवरण	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
इश्योरेंस पेनेट्रेशन (प्रतिशत में)	3.10	2.60	2.72	2.72	2.76	2.74	2.82
इश्योरेंस डेंसिटी (अमेरिकी डॉलर में)	41.0	44.0	43.2	46.5	55.0	55.0	58.0


स्रोत: स्विसरे, सिग्मा के विभिन्न अंक

तालिका 13: गैर. जीवन बीमा में पैठ और घनत्व (पेनेट्रेशन और डेंसिटी)

विवरण	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
इश्योरेंस पेनेट्रेशन (प्रतिशत में)	0.80	0.70	0.72	0.77	0.93	0.97	0.94
इश्योरेंस डेंसिटी (अमेरिकी डॉलर में)	11.0	11.0	12.0	13.2	18.0	19.0	19.0

स्रोत: स्विसरे, सिग्मा के विभिन्न अंक


चित्र 17: 2019 में बीमा पैठ (प्रतिशत)



स्रोत: स्विसरे, सिग्मा के विभिन्न अंक

टिप्पणी: #आंकड़े वित्त वर्ष से संबंधित हैं।

चित्र 18: 2019 में बीमा घनत्व/ इंश्योरेंस डेंसिटी (अमेरिकी डॉलर में)



स्रोत: स्विसरे, सिग्मा के विभिन्न अंक

टिप्पणी: #आंकड़े वित्त वर्ष से संबंधित हैं।

4.53 वर्ष 2018-19 में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं से मिलने वाला सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 1.69 लाख करोड़ रुपये था जिसमें 2019-20 के दौरान 11.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1.89 लाख करोड़ रुपये हो गया। गैर-जीवन श्रेणी में इस वृद्धि में सबसे प्रमुख योगदानकर्ता-मोटर और स्वास्थ्य क्षेत्र रहे। जीवन-बीमा उद्योग ने 2019-20 में, पिछले वित्त वर्ष में 5.08 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 5.73 लाख करोड़ रु. के प्रीमियम आय की और 12.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हालांकि जीवन बीमा कराने वालों से मिलने वाला नवीकरण प्रीमियम कुल प्रीमियम का 54.75 प्रतिशत है, बाकी का 45.25 प्रतिशत नए कारोबार से आया।

4.54 कोविड-19 के कारण किए गए कुछ महत्वपूर्ण नियामक उपाय इस प्रकार हैं:

- केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया गया और 54 बीमा कंपनियों को यूआईडीएआई की आधार प्रमाणन सेवाओं के माध्यम से कागजरहित केवाईसी प्रक्रिया करने की अनुमति दी गई।
- कोविड-19 बीमारी के लिए कवरेज देने के साथ अल्पकालिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए, ये निर्देश 31/3/2021 तक मान्य हैं। दिशानिर्देश के अनुसार 1) जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा करने वाली सभी कंपनियों को कोविड-19 विशिष्ट अल्पकालिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी देने की अनुमति दी गई। 2) पॉलिसी न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 11 माह की होगी 3) जीवन बीमा करने वालों को केवल लाभ-आधारित पॉलिसी देने की अनुमति है, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा करने वाले क्षतिपूर्ति आधारित और लाभ आधारित, दोनों प्रकार का बीमा कर सकते हैं, 4) बीमा कर्ता, 2016 एचआई (HI) नियमों में निर्धारित मूल्य मानदंडों और इसके तहत जारी किए गए निर्देशों का पालन करेंगे, 5) प्रतीक्षा अवधि 15 दिनों से अधिक की नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के अलग से कुछ जोड़े जाने की अनुमति नहीं है। आजीवन नवीकरण, माइग्रेशन और पोर्टबिलिटी लागू नहीं है।

- मानक लाभ-आधारित पॉलिसी. कोरोना रक्षक पॉलिसी और मानक स्वास्थ्य पॉलिसी- कोरोना कवच पॉलिसी, के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन्हें क्षतिपूर्ति आधार पर दिया जाएगा और बीमाकर्ताओं को इन उत्पादों को 10 जुलाई 2020 से उपलब्ध कराने को कहा गया था।

पेंशन क्षेत्र

4.55 एनपीएस के तहत कुल योगदान में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। सभी नागरिक मॉडल/यूओएस द्वारा दर्ज अधिकतम वृद्धि (52.3 प्रतिशत) थी, इसके बाद एपीवाई (46.1 प्रतिशत), कॉरपोरेट क्षेत्र (34.8 प्रतिशत) और राज्य सरकार क्षेत्र (30.7 प्रतिशत) आते हैं। 30 सितंबर 2020 को एनपीएस के प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां (असेट अंडर मैनेजमेंट/ एयूएम) 4,94,930 करोड़ रु. थीं। सितंबर 2019 के आखिर में यह एयूएम 3,71,393 करोड़ रु. था, इस प्रकार इसमें कुल 33.3 प्रतिशत (साल-दर-साल/ YoY) की वृद्धि दर्ज की गई (तालिका 15)। वर्ष के दौरान एपीवाई के तहत अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई-49.2 प्रतिशत, इसके बाद ऑल-सिटिजन्स/ यूओएस (45.8 प्रतिशत), कॉरपोरेट क्षेत्र (39.6 प्रतिशत) और राज्य सरकार क्षेत्र (33.9 प्रतिशत) आते हैं।

तालिका 14: एनपीएस की स्थिति (30 सितंबर 2020 तक की स्थिति)

	सदस्यों की सं.		साल- दर-साल वृद्धि	योगदान		साल- दर-साल वृद्धि	एयूएम		साल- दर-साल वृद्धि
	सितं-19	सितं-20	%	सितं-19	सितं-20	%	सितं-19	सितं-20	%
				(करोड़ रु. में)			(करोड़ रु. में)		
सीजी/CG	20.26	21.3	5.1	88300	111293	26	124703	160606	28.8
एसजी/SG	45.51	48.97	7.6	143816	188000	30.7	186849	250260	33.9
कॉरपोरेट	8.77	10.46	19.3	28031	37788	34.8	36340	50730	39.6
यूओएस/ UOS#	10.24	13.58	32.6	11344	17282	52.3	11127	16224	45.8
एनपीएस लाइट	43.4	43.17	-0.5	2624	2776	5.8	3631	4068	12
एपीवाई	178.21	236.85	32.9	7927	11585	46.1	8743	13042	49.2
कुल	306.39	374.32	22.2	282042	368725	30.7	371393	494930	33.3

स्रोत: पीएफआरडीए

टिप्पणी: सीजी-केंद्र सरकार, एसजी. राज्य सरकार, #UoS- सभी सिटिजन मॉडल, एपीवाई- अटल पेंशन योजना

4.56 कोविड-19 के मद्देनजर, निम्नलिखित समेत कई नियामक उपाय किए गए थे।

- पेंशन निधि और निधिपाल (कस्टोडियन) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों को जमा करने की समय-सीमा में विस्तार हेतु एडवाइजरी जारी की गई।

- कोविड-19 के कारण, सभी पेंशन निधियों, निधिपाल (कस्टोडियन) और एनपीएस ट्रस्ट के लिए वार्षिक लेवा और अन्य वार्षिक एमआईएस को जमा करने की समय-सीमा को एक माह यानि (30.06.2020 तक) के लिए बढ़ाए जाने के संबंध में परिपत्र जारी किया गया।
- कोविड-19 के इलाज के लिए एनपीएस से कम मात्रा में धन निकालने की अनुमति दी गई।
- आधार संख्या-आधारित ऑफलाइन कागजमुक्त केवाईसी सत्यापन के माध्यम से एनपीएस ऑन-बोर्डिंग पर ऑनलाइन कार्य
- बैंक के वेब-पोर्टल के माध्यम से, उनके बचत बैंक उपभोक्ताओं द्वारा नेट-बैंकिंग का उपयोग किए बिना, एपीवाई सब्सक्राइबर्स का ऑनलाइन पंजीकरण।
- एनपीएस के लिए वीडियो आधारित उपभोक्ता पहचान प्रक्रिया की अनुमति।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता


4.57 दिसंबर 2016 से संहिता बनाए जाने के बाद से, 31 दिसंबर 2020 तक 4,117 आवेदन स्वीकार किए गए हैं (चित्र 19)। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजल्यूशन प्रॉसेस/ सीआईआरपी) के लागू होने से पहले ही लगभग 23 प्रतिशत मामलों को सुलझाया या बंद किया जा चुका था। 1420 मामलों, जिनके लिए सीआईआरपी (CIRP) प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, नतीजे के रूप में समाधान के करीब 3.6 गुणा परिशोधन हुआ है। हालांकि इससे संहिता के प्रदर्शन की वास्तविक तस्वीर नहीं मिलती। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिशोधन की प्रक्रिया के 73 प्रतिशत (799 मामले) मामले और समाधान की प्रक्रिया के 33 प्रतिशत (101 मामले) मामलों को पूर्व के औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) से लाया गया था। आईबीसी, बीआईएफआर परंपरा वाले 101 मामलों को पुनर्जीवित करने में सक्षम है। इनमें से ज्यादातर मामलों को अधिकांश निवल मूल्य समाप्त हो चुका डेड कॉर्पस (निष्क्रिय राशि) माना जाता है। ऐसे 91 मामलों को पुनर्जीवित करने में सक्षम होना, अपने-आप में उपलब्धि है। गैर-बीआईएफआर परंपरा के लिए सीआईआरपी ने अब तक 195 का समाधान और 288 का परिशोधन किया है। इसका यह भी अर्थ है कि बीआईएफआर मामलों से तुलना करने पर गैर-बीआईएफआर संपत्ती मामलों के लिए समाधान दर तीन गुना अधिक, 40 प्रतिशत, है। (चित्र 20)

चित्र 19: सीआईआरपी की शुरुआत के बाद से स्थिति (दिसंबर 2020 तक)

Admitted	•CIRPS AT THE BEGINNING OF PERIOD - 4,117
Closure by	<ul style="list-style-type: none"> •APPEAL/REVIEW SETTLED - 549 •WITHDRAWAL UNDER SECTION 12 A - 348 •APPROVAL OF RESOLUTION PLAN - 308 •COMMENCEMENT OF LIQUIDATION - 1,112
Ongoing	•CIRPS AT THE END OF PERIOD - 1,800

स्रोत: आईबीबीआई


चित्र 20: बीआईएफआर और गैर-बीआईएफआर वर्गीकरण के आधार पर सीआईआरपी के नतीजे



स्रोत: आईबीबीआई

4.58 मार्च 2020 के अंत में ऑनगोईंग सीआईआरपी 1966 (चित्र 21) रहा है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, 'दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अध्यादेश, 2020' को 5 जून 2020 से लागू किया गया था, जिसने 25 मार्च 2020 को या उसके बाद उत्पन्न हुए किसी चूक के लिए कॉरपोरेट ऋणकर्ता (सीडी) पर सीआईआरपी चलाने पर रोक लगा दी थी इसकी वजह से नए मामलों को दर्ज करने के संदर्भ धारा 7, 9 तथा धारा 10 के तहत। इसके अलावा, सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण संकट में आई कंपनियों को राहत देने के लिए इस संहिता के निलंबन को तीन महीनों के लिए दो बार-24 सितंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020, तक बढ़ाया। सतत समाधान के साथ-साथ इस छूट के कारण जुलाई 2020 से मामलों में निरंतर कमी आई है।


चित्र 21: विभिन्न अवधियों में सीआईआरपी संचयीकरण



स्रोत: आईबीबीआई

4.59 विनिर्माण क्षेत्र, रियल स्टेट और निर्माण क्षेत्र चल रहे सीआईआरपी में उन शीर्ष तीन क्षेत्रों में हैं जिनका सीआईआरपी क्रमशः 39 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 11 प्रतिशत है (चित्र 22)।


चित्र 22: क्षेत्र-वार सीआईआरपी की स्थिति (दिसंबर 2020 तक)



स्रोत: आईबीबीआई

4.60 समाधान: संहिता ने योजनाओं के माध्यम से दिसंबर 2020 तक 308 कॉर्पोरेट ऋणकर्ताओं (सीडी) को बचाया है। इन्होंने ऋणदाताओं से 4.99 लाख करोड़ रुपये ले रखे थे। हालांकि, जब उन्होंने सीआईआरपी में प्रवेश किया तब उनके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य, मात्र 1.03 लाख करोड़ रुपये था।

चित्र 23: विभिन्न चैनलों के माध्यम से एससीबी की एनपीए वसूली



स्रोत: ऑफ.साइट रिटर्न्स, आरबीआई और आईबीबीआई

टिप्पणी: P- अर्न्तम

संहिता के तहत, ऋणदाताओं ने 1.99 लाख करोड़ रुपयों की वसूली की जो इन ऋणकर्ताओं (सीडी) के वास्तविक मूल्य का करीब 193 प्रतिशत से अधिक था। संहिता के तहत वसूली आकस्मिक है, फिर भी वित्तीय ऋणदाताओं (एफसी) के लिए वसूली, उनके दावों की तुलना में, संहिता के लागू होने के वर्षों के बाद से 43 प्रतिशत से अधिक रही। यह ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों, जैसे लोक अदालत, डीआरटी और सरफेसी में से अधिक है। संहिता ने बैंकों द्वारा एनपीए की वसूली की सुविधा दी। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि दावों के प्रतिशत के रूप में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईबीसी के माध्यम से फंसे हुए धन का 45.5 प्रतिशत धन वसूलने में सक्षम रहे, यह अन्य तरीकों और कानूनों के तहत की जाने वाली वसूली की तुलना में सबसे अधिक है (चित्र 23)। इसके अलावा, आईबीसी के तहत एससीबी द्वारा वसूली गई धनराशि 1.73 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2019-20 के लिए संयुक्त रूप से सभी अन्य वैकल्पिक उपायों द्वारा वसूली गई कुल रकम की तुलना में अधिक है।

बॉक्स 2. बारह बड़े खातों की स्थिति

चूंकि कुछ मामलों में समाधान प्रक्रिया (रेजलूशन प्रॉसेस) में बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि शामिल है, इसलिए बैंकों द्वारा आरबीआई के निर्देशों के अनुसार जून 2017 में 12 बड़े खातों की समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी। परिशोधन मूल्य 73,220 करोड़ रु. के खिलाफ उनके कुल अदत्त दावे (आउटस्टैंडिंग क्लेम) 3.45 लाख करोड़ रु. के थे। इनमें से आठ सीडी के संबंध में समाधान योजना (रेजलूशन प्लान) को मंजूरी दे दी गई है और दो सीडी के परिशोधन के आदेश को पारित कर दिया गया है। इसलिए दो कंपनियों के लिए सीआईआरपी और दो कंपनियों के संबंध में परिशोधन प्रक्रिया जारी है और प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में है। 12 बड़े खातों की स्थिति तालिका 'अ' में दी गई है।

तालिका अ: 12 बड़े खातों की स्थिति (करोड़ रु. में)

सीडी का नाम	समाधान के तहत निपटाए जाने हेतु एफसी के दावे			परिसमापन मूल्य के प्रतिशत के रूप में सभी दावेदारों द्वारा की गई वसूली	सफल समाधान आवेदक
	स्वीकृत धनराशि	वसूली गई धनराशि	% दावों की वसूली		
पूर्ण					
इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड	13175	5320	40.38	183.45	वेदांता लिमि.
भूषण स्टील लिमिटेड	56022	35571	63.50	252.88	बमनीपाल स्टील लिमि.
मोनेट इस्पात और एनर्जी लिमिटेड	11015	2892	26.26	123.35	जेएसडब्ल्यू और एआईओएन इन्वेस्टमेंट प्रा. लिमि. सहायता संघ
एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड	49473	41018	82.91	266.65	आर्सेलर मित्तल इंडिया प्रा. लिमि.
आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	29523	5052	17.11	115.39	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमि. जेएमएफएआरसी-मार्च 2018 ट्रस्ट
ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड	7365	3691	50.12	387.44	श्री शरद संधी नीत एचएनआई का समूह

सीडी का नाम	समाधान के तहत निपटाए जाने हेतु एफसी के दावे			परिसमापन मूल्य के प्रतिशत के रूप में सभी दावेदारों द्वारा की गई वसूली	सफल समाधान आवेदक
	स्वीकृत धनराशि	वसूली गई धनराशि	% दावों की वसूली		
भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	47158	19350	41.03	209.12	जेएसडब्ल्यू समूह
जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड	23176	23223	100.20	130.82	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
एमटेक ऑटो लिमिटेड	12641	2615	20.68	169.65	डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स एल. पी. और डीवीआई पीई (मॉरिशस) लिमिटेड
प्रक्रिया के अधीन					
एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड				सीआईआरपी के अधीन	
लैंचो इंफ्राटेक लिमिटेड				परिशोधन के अधीन	
एबीजी शिपयाड लिमिटेड				परिशोधन के अधीन	

स्रोत: आईबीबीआई

4.61 **परिशोधन:** हालांकि-संहिता ने 308 सीडी को जीनवदान दिया है, फिर भी 1112 सीडी का परिशोधन करना पड़ा। हालांकि यहां इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि लगभग 74 प्रतिशत परिशोधित सीआईआरपी (जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) पहले बीआईएफआर के साथ और/या निष्क्रिय हो चुके थे। बचाए गए सीडी की परिसंपत्तियों का मूल्य 1.03 लाख करोड़ रु. है जबकि परिशोधन के लिए संदर्भित सीडी (जिसका आंकड़ा उपलब्ध है) के परिसंपत्तियों का मूल्य जब उन्होंने सीआईआरपी में प्रवेश किया तब 0.43 लाख करोड़ रुपये था। इसलिए, मूल्य के संदर्भ में लगभग तीन चौथाई संकटग्रस्त संपत्तियों को बचा लिया गया था। 31 दिसंबर 2020 तक, 181 सीडी का पूरी तरह से परिशोधन किया जा चुका था। ऐसे कई सीडी थे जिनके पास आईबीसी प्रक्रिया शुरू होने के समय कोई काम या संपत्ति नहीं थी। इनका कुल मिलाकर 26251 करोड़ रुपयों के अदत्त दावे (आउटस्टैंडिंग क्लेम) थे लेकिन परिसंपत्तियों का मूल्य 598 करोड़ रु. था। इन कंपनियों के परिशोधन के माध्यम से 607 करोड़ रुपयों की प्राप्ति हुई।

4.62 **समय**-308 सीआईआरपी, जो दिसंबर 2020 के अंत तक समाधान योजना प्राप्त कर चुके थे, को प्रक्रिया को समाप्त करने में औसत 441 दिनों का समय लगा। इसी प्रकार, 1112 सीआईआरपी, जिनके लिए अंततः परिशोधन के आदेश दिए गए, इस प्रक्रिया को समाप्त करने में औसत 328 दिन लगे। इसके अलावा, 181 परिशोधन प्रक्रियाएं, जिन्हें 31-12-2020 तक अंतिम रिपोर्ट जमा कर बंद कर दिया गया था, को बंद करने में औसत 380 दिनों का समय लगा। इसी प्रकार, 352 स्वैच्छिक परिशोधन प्रक्रियाएं, जिन्हें अंतिम रिपोर्ट जमा कर पूरा कर लिया गया था, को, प्रक्रिया समाप्त करने में औसत 370 दिन लगे।

4.63 **लागत**-दिसंबर 2020 तक, कुल 308 सीआईआरपी ने समाधान योजना स्वीकार कर ली थी। 260 सीआईआरपी के लिए लागत विवरण उपलब्ध है। लागत, परिशोधन मूल्य का औसत 0.79 प्रतिशत और समाधान मूल्य का 0.42 प्रतिशत है।

व्यवहारिक परिवर्तन

4.64 संहिता ने ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं के बीच व्यवहार संबंधी महत्वपूर्ण बदलाव किए। समाधान प्रक्रिया के अपरिहार्य परिणाम (कंपनी का नियंत्रण और प्रबंधन वर्तमान प्रमोटरों और प्रबंधकों से दूर हुआ, लगभग, हमेशा के लिए) कंपनी के प्रबंधन और प्रमोटर को न्यूनतम दक्षता स्तर से कम पर संचालन करने से रोकता है और डिफॉल्ट से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने को प्रेरित करता है। इसके अलावा, यह ऋणकर्ताओं को जितनी जल्द हो सके ऋणदाताओं के साथ तेजी से चूक निपटाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, अधिमानतः संहिता के बाहर। ऐसे कई मामले हैं जिनमें ऋणकर्ताओं ने अपने स्तर पर अपने ऋणों का निपटान कर रहे हैं या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में आवेदन कर उनके स्वीकृत किए जाने से पहले निपटान कर रहे हैं। इसलिए संहिता ने महत्वपूर्ण व्यवहारिक परिवर्तन किए हैं और ऋणदाताओं - ऋणकर्ताओं के संबंध को पुनर्परिभाषित किया है। यहां इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि 2016 में संहिता के लागू होने के बाद से जिन 18,892 आवेदनों पर विचार किया जा रहा था, उनमें से 14,884 मामलों में 5.15 लाख करोड़ रु. का डिफॉल्ट था, इन मामलों को एए द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले सितंबर 2020 तक एनसीएलटी (NCLT) की विभिन्न पीठों से वापस ले लिया गया था और 897 प्रक्रियाओं की बीच में ही दिसंबर 2020 तक बंद कर दिया गया था। ये आंकड़े बताते हैं कि करीब 83 प्रतिशत सीडी का निपटान, दोषी (चूककर्ताओं) ऋणकर्ताओं में व्यवहार परिवर्तन के कारण संहिता के तहत सीआईआरपी के आधिकारिक रूप से शुरू करने से पहले, ही हो जाता है। केवल 7 प्रतिशत सीडी पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं जो समाधान या परिशोधन में से किसी एक को स्वीकार करते हैं। बाकी के 10 प्रतिशत सीडी अभी भी प्रक्रिया के अधीन हैं (तालिका 15 और 16)

तालिका 16: संहिता के परिणाम: किए गए आवेदनों की स्थिति (दिसंबर 2020 तक)

विवरण	कॉर्पोरेट्स की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)	
किए गए आवेदन	28,441	लागू नहीं	
विचार किए जाने के लिए लंबित आवेदन	9,549	लागू नहीं	
निपटाए गए आवेदन	18,892	परिशोधन मान	वसूली मान
स्वीकार किए जाने से पहले आवेदन वापस लेना'	14,884*	लागू नहीं*	5,15,170*
शुरू की गई प्रक्रिया	4,117	लागू नहीं	लागू नहीं
बीच में बंद कर दी गई प्रक्रिया	897	लागू नहीं	लागू नहीं
समाधान योजना द्वारा बंद प्रक्रिया	308	1,03,270	1,99,511
परिशोधन के लिए बंद प्रक्रिया	1,112	42,362	लागू नहीं
जारी प्रक्रिया	1,800	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत: आईबीबीआई

टिप्पणी: * स्वीकार किए जाने से पहले आवेदन वापस लेने के आंकड़े एमसीए (MCA) तैयार करता है (ये आंकड़े सितंबर 2020 के हैं)

तालिका 16: संकटग्रस्त संपत्तियों का बचाव (दिसंबर 2020 तक)

विवरण	बचाई गई कंपनियां	परिशोधन का आदेश प्राप्त करने वाली कंपनियां
कंपनियों की संख्या	308	1,112
कुल दावे	4,99,928	6,04,574
कुल परिशोधन मूल्य	1,03,270	43,048
उपलब्ध संपत्ति, कुल दावों का %	20.65	7.12
समाधान मान	1,99,511	लागू नहीं
समाधान मान, परिशोधन मान का %	193.19	लागू नहीं
समाधान मान, कुल दावों का %	39.91	लागू नहीं
प्रक्रिया में लगा औसत समय	441 दिन	328 दिन
समाधान मान का % लागत	0.42	लागू नहीं

स्रोत: आईबीबीआई और एमसीए/ IBBI and MCA

4.65 कोविड-19 को देखते हुए, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए थे:

- सरकार ने दिवालिया प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक चूक राशि की सीमा को, मार्च 2020 के अंत में, बढ़ाकर 1 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये कर दिया था।
- दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अध्यादेश, 2020, में धारा 10ए को शामिल किया गया ताकि धारा 7, 9 और 10 के तहत कॉर्पोरेट ऋणकर्ता (सीडी) पर, 25 मार्च 2020 को या उसके बाद, होने वाली किसी भी चूक के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू न कि जा सके। इसे 3 महीने के लिए 25 सितंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 तक और बढ़ा दिया गया था।

4.66 इसके अलावा, न्यायपालिका और नियामक द्वारा कई उपाय किए गए थे, इनमें शामिल हैं:

- आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार सीआईआरपी में पहले से वर्तमान मामलों के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी कर सभी मामलों के लिए सीमा अवधि को बढ़ा दिया, यह 15 मार्च 2020 से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक प्रभावी बना रहेगा।
- एनसीएलएटी/ NCLAT ने, 30 मार्च 2020 को जारी आदेश में, ने निर्णय दिया कि संहिता की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को समाधान प्रक्रिया के अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा, और यह आदेश उन सभी मामलों पर लागू होगा जिनमें सीआईआरपी शुरू की जा चुकी है और एनसीएलटी की किसी पीठ के समक्ष लंबित है या एनसीएलएटी में अपील की गई है। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि एनसीएलएटी द्वारा संहिता के तहत किसी भी एक या अन्य अपील के तहत पारित कोई भी अनंतिम आदेश/स्थगन आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा।
- आईबीबीआई ने उपरोक्त नियमों में संशोधन किया ताकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को ऐसी किसी भी गतिविधि की समय-सीमा में न गिना जाए जिसे लॉकडाउन के कारण पूरा न किया जा सकता हो, सीआईआरपी और परिशोधन प्रक्रिया के संबंध में, यह संहिता में प्रदत्त कुल समय-सीमा के अधीन है।

अध्याय एक नज़र में

➤ मौद्रिक नीति 2020 में उदार बनी रही।
➤ मार्च 2020 से अब तक रेपो दर में 115 बेसिक प्वाइंट्स की कमी की गई।
➤ वर्ष 2020-21 में प्रणालीगत तरलता (सिस्टेमिक लिक्विडिटी) अधिशेष बनी हुई है। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रबंध हेतु ओएमओ, दीर्घकालिक रेपो परिचालन, लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन आदि जैसे कई परंपरागत और गैर-परंपरागत उपाय किए।
➤ मुद्रा आपूर्ति वृद्धि के लिए उच्च आरक्षित धन वृद्धि का संरक्षण केवल आंशिक था, इससे तरलता संरक्षण में अव्यवस्था का पता चलता है क्योंकि बैंकों को रिवर्स रेपो के तहत आरबीआई में अधिक पैसा जमा रखना पड़ रहा था।
➤ बैंकों की ऋण वृद्धि में 1 जनवरी 2021 को 6.7 प्रतिशत पर आ गई। बैंकिंग क्षेत्र से ऋण लिए जाने में कमी व्यापक मंदी की साक्षी है।
➤ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2020 के आखिर में 8.21 प्रतिशत था जो सितंबर 2020 के आखिर में 7.49 प्रतिशत रह गया। हालांकि इसे महामारी के कारण ऋणकर्ताओं को दी गई संपत्ति वर्गीकरण राहत के साथ देखा जाना चाहिए।
➤ इस वर्ष जमा और उधार देने की दरों में कम नीति दरों के मौद्रिक संचरण में सुधार हुआ।
➤ 20 जनवरी 2021 को निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा और क्रमशः 14644.7 तथा 49792.12 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।
➤ आईबीसी के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको की बसूली दा (इसकी स्थापना से) 45 प्रतिशत से अधिक रही है।
➤ कोविड-19 महामारी के मददेनजर कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी रिसॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) की शुरूआत को 25 मार्च 2020 को या उसके पश्चात उत्पन्न किसी भी प्रकार की चूक के लिए 6 माह तक निलंबित कर दिया गया था। इस निलंबन को 24 सितंबर 2020 तथा 22 दिसंबर 2020 को दो वार तीन-2 माह के लिए विस्तारित किया गया था। सतत समाधान के साथ-साथ इस छूट के कारण कुल मामलों में मामूली कमी आई।

अनुलग्नक 1:

कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए बैंकों के संदर्भ में विनियामक नीतिगत उपाय

घोषणा की तिथि	घोषित उपाय
27 मार्च 2020	<p>i) कोविड-19 विनियामक पैकेज की घोषणा की गई; जिसमें ऋण देने वाली संस्थाओं को 1 मार्च 2020 को, बकाया पर कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट के रूप में मंजूर किए गए सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी की किस्तों के संदर्भ में तीन महीने यानि 01 मार्च 2020 से 31 मई 2020, के लिए ऋण स्थगन और ब्याज पर न लेने की अनुमति दी गई थी;</p> <p>ii) 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाले एनएसएफआर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को 27 मार्च 2020 को छह महीने यानी 1 अक्टूबर 2020, के लिए टाल दिया गया था;</p> <p>iii) पूंजी संरक्षण बफर (कैपिटल कंजर्वेशन बफर-सीसीबी/ CCB) की 0.625 प्रतिशत की अंतिम किस्त के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक टाल दिया गया।</p>
01 अप्रैल 2020	<p>प्रतिचक्रीय पूंजी बफर योजना (काउंटर सिक्लिकल कैपिटल बफर- सीसीवाईबी/ CCyB) को लागू करने में एक वर्ष या उससे कम समय के लिए टालने का फैसला, जैसा आवश्यक हो, सीसीवाईबी संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर किया गया।</p>
17 अप्रैल 2020	<p>i) संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के संबंध में समीक्षा अवधि के लिए 01 मार्च 2020 को क्रमशः समय-सीमा में विस्तार, समीक्षा अवधि में खातों के लिए समाधान अवधि और बिना किसी अतिरिक्त प्रावधानों के समाधान के रूप में अस्थायी राहत दी गई थी;</p> <p>ii) 27 मार्च 2020 को जारी परिपत्र के अनुसार जिन खातों के लिए संपत्ति वर्गीकरण स्थगन की अनुमति दी गई थी, को मंजूर कर कुछ राहत प्रदान की गई जबकि बैंकों को किसी भी संभावित चूक को दूर करने में पूरी तरह से समक्ष बनाना सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं को समान रूप से सख्त बनाया गया;</p> <p>iii) सभी बैंक 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में अगले आदेश दिए जाने तक वित्त वर्ष के दौरान हुए लाभ के लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे;</p> <p>iv) विवेकपूर्ण तरलता आवश्यकताओं के संबंध में की गई घोषणाएं:</p> <p>क. बैंकों द्वारा धारित सभी एसएलआर-योग्य संपत्तियां को, एलसीआर को पूरा करने के लिए एचक्यूएलए माने जाने की अनुमति दी गई।</p> <p>ख. बैंकों के नकद प्रवाह के बोझ को समायोजित करने के लिए, बैंकों को निम्नानुसार एलसीआर बनाए रखने की अनुमति दी गई है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • परिपत्र की तिथि से 30 सितंबर 2020 - 80 प्रतिशत • 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 - 90 प्रतिशत; • 1 अप्रैल 2021 के बाद - 100 प्रतिशत

घोषणा की तिथि	घोषित उपाय
29 अप्रैल 2020	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, पेमेंट बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, एआईएफआर और सहकारी बैंकों द्वारा विनियमन विभाग को जमा किए जाने वाले सभी विनियामक रिटर्न्स को भेजने की समय-सीमा में ढील दी गई और ये सभी संस्थाएं निर्धारित तिथि के बाद 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न्स भर सकते हैं। समय-सीमा में दी गई यह छूट 30 जून 2020 तक जमा किए जाने वाले नियामक रिटर्न्स पर लागू थी।
23 मई 2020	<p>i) कुछ उपायों में ढील दी गई थी। ऋण देने वाली संस्थाओं को और तीन महीने यानी 1 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक ऋण चुकाने में छूट देने की अनुमति दी गई। ऋण दाता संस्थानों को, उनके विवेकानुसार, सीसी/ओडी के मामले में संचयी ब्याज को, 31 अगस्त 2020 तक स्थगन अवधि के लिए, फंडेड इंटररेस्ट टर्म लोन (एफआईटीएल/ FITL) में बदलने की अनुमति दी गई, जिनका भुगतान 31 मार्च 2021 तक कर दिया जाना होगा। महामारी के कारण संकट से जूझ रही सी/ओडी सुविधाओं के संबंध में ऋण दाता संस्थानों को 31 अगस्त 2020 तक एक बार के उपाय के रूप में मुनाफे को कम कर अर्हण क्षमता की पुनर्गणना इस प्रकार करने की अनुमति दी गई थी कि 31 मार्च 2021 तक मुनाफा प्राप्त कर लिया जाए और/या कार्यशील पूंजी चक्र के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर 31 मार्च 2021 तक कार्यशील पूंजी की स्वीकृत सीमाओं की जांच करें।</p> <p>ii) एक बार के उपाय के रूप में बैंक के योग्य पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक जुड़े समकक्षों के समूह के लिए बैंक का जोखिम बढ़ाया गया। बढ़ाई गई यह सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।</p> <p>iii) बैंकों की प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण मंजूरी की अधिकतम स्वीकार्य सीमा में, 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण हेतु एक वर्ष से 15 माह की वृद्धि;</p> <p>iv) 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 की अवधि को छोड़ कर, 01 मार्च 2020 तक क्रमशः समीक्षा अवधि की गणना और समीक्षा अवधि में खातों के समाधान और बिना अतिरिक्त प्रावधानों के समाधान की समय-सीमा में विस्तार।</p>
21 जून 2020	ऋण दाता संस्थानों द्वारा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत दी जाने वाली ऋण सुविधाएं (गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन) गारंटी कवरेज की सीमा तक शून्य जोखिम भार पर देने की अनुमति दी गई।
01 जुलाई 2020	<p>i) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से एनबीएफसी/ एचएफसी की तरलता स्थिति में सुधार के लिए योजना के तहत एनबीएफसी/ एचएफसी के लिए पात्रता मानदंड जारी किया।</p> <p>ii) बैंकों को ऋण के माध्यम से प्रमोटर्स द्वारा अपने एमएसएमई इकाईयों में लगाए गए धन को पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी, ये ऋण संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत लिए गए थे जिन्हें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) द्वारा ऋण-इक्विटी गणना के लिए प्रमोटर्स से इक्विटी/ क्वासी इक्विटी के रूप में जारी किया गया था।</p>

घोषणा की तिथि	घोषित उपाय
06 अगस्त 2020	<p>i) प्रूडेंशल फ्रेमवर्क के तहत स्वामित्व में बदलाव किए बिना और पर्सनल लोन के लिए योग्य कॉरपोरेट ऋण जोखिम के संबंध में समाधान योजना को लागू करने में ऋणदाताओं को सक्षम बनाने के लिए एक विंडो दिया जाता है जबकि ऐसे ऋण जोखिमों को मानक माना जाता है और ये निर्धारित शर्तों के अधीन होते हैं;</p> <p>ii) गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए सोने के गहनों और जेवरों पर लोन-टू-वैल्यू रेश्यो (एलटीवी/ LTV) को 75 प्रतिशत से बढ़ा कर 90 प्रतिशत कर दिया;</p> <p>iii) 01 मार्च 2020 को 'स्टैंडर्ड/ मानक' के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एमएसएमई अग्रिमों के एक बार पुनर्गठन की सुविधा और इसे 25 करोड़ रु. से अधिक नहीं होना चाहिए।</p>
07 सितंबर 2020	<p>विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, ऋण दाता संस्थानों को समाधानीयोजना के संबंध में वित्तीय अनुमान तैयार करते समय पांच मुख्य अनुपातों-कुल बकाया देनदारियां/समायोजित वास्तविक निवल मूल्य (टीओएल/एटीएनडब्ल्यू), कुल ऋण/ ईबीआईटीडीए, वर्तमान अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर), औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (एडीएससीआर), के क्षेत्र विशेष समय-सीमा पर विचार करना होगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशासित 26 क्षेत्रों की सीमा को अधिसूचित किया गया था जबकि ऋण दाता संस्थानों को अन्य क्षेत्रों के संबंध में स्वयं आंतरिक मूल्यांकन करने की सलाह दी गई थी।</p>
29 सितंबर 2020	<p>पूंजी संरक्षण बफर (कैपिटल कंजर्वेशन बफर-सीसीबी/ CCB) की 0.625 प्रतिशत की अंतिम किश्त के कार्यान्वयन को 30 सितंबर 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक टाल दिया गया एनएसएफआर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, जिसे 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाना था, को छह और माह के लिए टाल दिया गया था। अब ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगे।</p>
16 अक्टूबर 2020	<p>16 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद से 31 मार्च 2022 तक बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए आवास ऋणों के लिए एलटीवी अनुपात की सीमा बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी गई।</p>
26 अक्टूबर 2020	<p>रिजर्व बैंक ने 23 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का अनुरोध के आधार पर किए जाने वाले भुगतान को विशेष ऋण खातों में (1.3.2020 से 31.8.2020) ('योजना') मंजूर करने के लिए घोषित योजना के बारे में ऋणदाता संस्थानों को सलाह दी।</p>

कीमतें और महँगाई

वर्ष 2013-14 के बाद से सीपीआई-सी मुद्रास्फीति कम हो गई है हालाँकि, 2020 में मुद्रास्फीति की गति में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति कोविड-19 की वजह से लागू किये गये लॉकडाउन अवधि के दौरान सबसे अधिक रही और बाद में आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण यह उच्चतर स्थिति बनी रही। मुद्रास्फीति की दर बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों का आसमान छूना है, जिसमें वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 9.1% की वृद्धि हुई। कोविड-19 की वजह से उत्पन्न व्यवधानों की वजह से, कीमतों की गति में समग्र वृद्धि देखने को मिली, जिसकी वजह से अप्रैल 2020 से ही मुद्रास्फीति की गति तीव्र बनी रही, जबकि सकारात्मक आधार प्रभाव एक मध्यम कारक रहा है। ग्रामीण-शहरी सीपीआई मुद्रास्फीति जो वर्ष 2019 में अधिक थी, उसमें नवंबर 2019 से गिरावट देखी गई जो 2020 में जारी रही। वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर) में पिछले वर्ष की इसी अवधि में (-) 0.3 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत की तुलना में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति 3.2 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच रही। सर्वेक्षण से पता चला है कि *CPI-C* मुद्रास्फीति पर एकमात्र फोकस चार कारणों से उपयुक्त नहीं हो सकता है। पहला, खाद्य मुद्रास्फीति, जिसका *CPI-C* में महत्वपूर्ण योगदान है, प्राथमिक रूप से आपूर्ति-पक्ष कारकों द्वारा नियोजित है। दूसरा, मौद्रिक नीति के लिए मुख्य लक्ष्य के रूप में इसकी भूमिका को देखते हुए, *CPI-C* में परिवर्तन मुद्रास्फीति संभावनाओं को नियंत्रित करते हैं। यह आपूर्ति पक्ष कारकों द्वारा नियोजित किए जाने वाले *CPI-C* में मुद्रास्फीति के बावजूद होता है जो खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित करता है। तीसरा, खाद्य मुद्रास्फीति के अनेक घटक खाद्य और पेय समूह में विस्तृत अंतर सहित पारगमनीय है। अंततः सूचक में खाद्य मदों के सापेक्षित उच्च भार के कारण, खाद्य मुद्रास्फीति व्यापक *CPI-C* मुद्रास्फीति को संचालित करती रही है। जबकि 2011-12 से जो *CPI* का आधार वर्ष है, पिछले दशक में खाद्य आदतों में बदलाव आये हैं, यह अभी तक सूचक में नजर नहीं आया है। इसलिए *CPI* के आधार वर्ष में संशोधन की आवश्यकता है ताकि माप त्रुटि दूर की जा सके जो खाद्य आदतों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही, ई-कॉमर्स लेन-देन में महत्वपूर्ण वृद्धि को देखते हुए, मूल्य सूचकांकों के निर्माण में ई-कॉमर्स लेन-देन रखने वाले मूल्य आंकड़ों के नए स्रोतों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। वर्ष के दौरान सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जैसे कोविड-19 उपचार हेतु निर्णायक दवाओं को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना, संवेदनशील खाद्य मदों के मूल्य स्थिर बनाना जैसे प्याज के निर्यात पर रोक, प्याज की भंडारण सीमा निर्धारित करना, दालों के आयात पर प्रतिबंधों का आसान करना आदि। हालाँकि, दालों और खाद्य तेलों की आयात नीति में बार-बार परिवर्तन के कारण भ्रम और विलम्ब उत्पन्न होता है इसलिए संवेदनशील खाद्य मदों की आयात नीति में एकरूपता की आवश्यकता है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए बफर स्टॉक नीति की समीक्षा आवश्यक है। आपूर्ति पक्ष रुकावटों से बचने के लिए, जो सब्जियों, खाद्य *CPI-C* में मौसमी मुद्रास्फीति लाती है, एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि बरबादी कम की जा सके और समयबद्ध रूप से भंडारण जारी किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थालियों के लिए मूल्य दिसंबर, 2020 में कम होने से पूर्व अप्रैल नवंबर तक तेजी से कम होने से पहले जनवरी-मार्च 2020 में काफी कम हो गए थे। *CPI-C* में कमी से थाली के बढ़ते मूल्यों में कमी आने की संभावना

परिचय

5.1 कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न वैश्विक सामाजिक संकट द्वारा वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने की वजह से वर्ष 2020 अभूतपूर्व था। घरेलू मोर्चे पर, दो विपरीत शक्तियाँ कार्य कर रही थी। एक तरफ, तो निम्न आर्थिक गतिविधियों के कारण मांग की दर कम हो गई थी। दूसरी तरफ, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न होने की वजह से, खाद्य मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई जो अर्थव्यवस्था के खुलने के दौरान भी जारी रही, हालाँकि हाल के महीनों में इसका प्रभाव मंद हुआ है। कुल मिलाकर, लॉकडाउन अवधि के दौरान और बाद में भी हैडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति की दर अधिकतम बनी रही, और इसका कारण आपूर्ति के पक्ष में व्यवधान उत्पन्न होना था (तालिका 1)। कोविड-19 के प्रकोप और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे तेल की कीमतों में और तेज गिरावट के परिणामस्वरूप सुस्त आर्थिक गतिविधियों की वजह से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति का स्वरूप कमजोर बना रहा। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में, कमजोर आर्थिक गतिविधियों के कारण मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट आई, हालाँकि मुद्रास्फीति के पिछले वर्ष (आईएमएफ, 2020) (चित्र 1) के समान स्तर पर समाप्त होते हुए भी कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में तेजी आई है।

तालिका 1: विभिन्न मूल्य सूचकांकों के आधार पर सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	2013.14	2014.15	2015.16	2016.17	2017.18	2018.19	2019.20	2020.21 ¹
डब्ल्यूपीआई	5.2	1.2	-3.7	1.7	3.0	4.3	1.7	-0.1 (P)
सीपीआई-सी	9.4	5.9	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8	6.6 (P)^
सीपीआई-आईडब्ल्यू	9.8	6.4	5.6	4.2	2.9	5.6	7.3	5.5 [#]
सीपीआई-एएल	11.6	6.6	4.4	4.2	2.2	2.1	8.0	7.0
सीपीआई-आरएल	11.5	6.9	4.6	4.2	2.3	2.2	7.7	6.8


स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, थोक मूल्य सूचकांक के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) प्रोत्साहन विभाग, सीपीआई-सी के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और सीपीआई-आईडब्ल्यू, सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल के लिए लेबर ब्यूरो।

नोट: 2020-21 के लिए रु सीपीआई-आईडब्ल्यू मुद्रास्फीति नई श्रृंखला 2016=100 पर आधारित है; (पी) -अस्थायी; सी-का तात्पर्य कंबाईड अर्थात् संयुक्त, आईडब्ल्यू-का तात्पर्य औद्योगिक श्रमिक, एएल-का तात्पर्य मजदूर और आरएल-का तात्पर्य ग्रामीण मजदूरों से है।

¹डब्ल्यूपीआई, सीपीआई-सी अप्रैल से दिसंबर 2020 और अन्य के लिए अप्रैल से नवंबर 2020।

[#]अप्रैल-मई 2020 के लिए सीपीआई-सी मुद्रास्फीति को अध्यारोपित किया जाता है, जो कोविड-19 महामारी के कारण टिप्पणियों के सीमित समूह पर आधारित हैं।

चित्र 1: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और ईएमडीई में वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति



स्रोत: विश्व आर्थिक आउटलुक, अक्टूबर 2020 अपडेट, आईएमएफ


नोट: 'आईएमएफ द्वारा 2020 के लिए आकड़ों का अनुमान लगाया गया है

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 16 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं और आईएमएफ वर्गीकरण के अनुसार ईएमडीई में 156 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं

मुद्रास्फीति में मौजूदा रुझान

5.2 वर्ष 2014 से 2018 के दौरान, सीपीआई-कंबाईंड (सीपीआई-सी) पर आधारित हेडलाइन इन्फ्लेशन (मुद्रास्फीति) कम होने के मार्ग पर अग्रसर थी। हालाँकि वर्ष 2019 से, इसमें एक बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई, और आज-कल मुद्रास्फीति में संतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है (चित्र 2)। वर्ष 2014-15 में औसत सीपीआई-सी मुद्रास्फीति 5.9 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2018-19 में लगातार गिरकर 3.4 प्रतिशत पर आ गई और वर्ष 2019-20 में 4.8 प्रतिशत दर्ज की गई। यह वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में औसतन 6.6 प्रतिशत रही और दिसंबर 2020 में 15 महीने के निचले स्तर 4.6 प्रतिशत पर पहुँच गई। सीपीआई-सी के विभिन्न समूहों के भीतर, चालू वर्ष में मुद्रास्फीति में वृद्धि व्यापक थी और मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि द्वारा उत्प्रेरित थी, जो कि वर्ष 2018-19 में 0.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 6.7 प्रतिशत हो गई और आगे वर्ष 2020-21 में प्रतिशत (अप्रैल-दिसंबर) 9.1 हो गई और मुद्रास्फीति में वृद्धि का मुख्य कारण सब्जी की कीमतों में वृद्धि होना रहा। हालाँकि, सरकार द्वारा किये गए तेज उपायों की वजह से अक्टूबर 2020 में खाद्य मुद्रास्फीति 11 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर दिसंबर 2020 में 3.4 प्रतिशत पर रह गई। सीपीआई कोर (गैर-खाद्य गैर-ईंधन) मुद्रास्फीति 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2019-20 में 4.0 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 में औसतन 5.4 प्रतिशत (अप्रैल-दिसंबर) (तालिका 2) पर रही गई। मौजूदा वर्ष में मुख्य मुद्रास्फीति में वृद्धि सेवाओं वाले विविध समूह के वजह से हुई। विविध समूह में परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति की वृद्धि अधिकतम रही, जो वर्ष 2019-20 में 2.4 प्रतिशत की तुलना में मौजूदा वर्ष में बढ़ कर 9.4 प्रतिशत तक पहुँच गई। इसके अतिरिक्त, सोने और चाँदी की कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव ने मुख्य मुद्रास्फीति दर को बढ़ाने में महती भूमिका निभाई। यद्यपि, सीपीआई-सी के मुख्य समूह स्तर पर, आवास मुद्रास्फीति वर्ष 2018-19 में 6.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 में 4.5 प्रतिशत पर पहुँच गई और वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में और कम होकर 3.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई।

चित्र 2: सीपीआई-सी हेडलाइन, कोर और खाद्य मुद्रास्फीति में रुझान



स्रोत: एनएसओ।

तालिका 2: सीपीआई-सी आधार 2012 के चयनित समूहों में मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

विवरण	वजन	2018-19	2019-20	2020-21रु	जुलाई-20	अगस्त -20	सितंबर-20	अक्टूबर -20	नवंबर -20	दिसंबर -20 (P)
सभी समूह	100	3.4	4.8	6.6	6.7	6.7	7.3	7.6	6.9	4.6
सीएफपीआई*	39.06	0.1	6.7	9.1	9.3	9.1	10.7	11.0	9.5	3.4
खाद्य और पेय	45.86	0.7	6.0	8.4	8.5	8.3	9.8	10.1	8.9	3.9
अनाज और उत्पाद	9.67	2.1	2.8	5.2	6.9	5.9	4.7	3.5	2.5	1.0
मांस और मछली	3.61	4.0	9.3	16.3	17.3	16.5	17.5	18.6	17.0	15.2
अंडे	0.43	2.3	4.5	13.4	7.7	10.1	15.6	21.7	20.4	16.1
दूध और उत्पाद	6.61	1.8	2.9	6.4	6.5	6.2	5.6	5.2	5.0	4.0
तेल और वसा	3.56	2.1	2.9	14.0	12.2	12.4	13.4	15.2	17.9	20.0
फल	2.89	2.3	0.7	1.4	0.1	1.0	3.1	0.3	0.2	2.7
सब्जियाँ	6.04	-5.2	21.3	11.0	11.1	11.5	20.8	22.1	15.5	-10.4
दाल और उत्पाद	2.38	-8.3	9.9	17.6	15.7	14.4	14.7	18.3	18.1	16.0
चीनी और कन्फेक्शनरी	1.36	-7.0	0.8	3.5	3.6	3.9	2.7	1.5	1.0	0.5
फ्यूल और लाइट	6.84	5.7	1.3	2.3	2.7	3.2	2.8	2.1	1.6	3.0
भोजन और ईंधन समूह को छोड़कर सीपीआई (कोर)	47.3	5.8	4.0	5.4	5.6	5.6	5.4	5.9	5.7	5.5

स्रोत: एनएसओ।

नोट: अस्थायी, * उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, # अप्रैल से दिसंबर 2020

5.3 डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2018-19 में 4.3 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019-20 में 1.7 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 0.1 प्रतिशत पर आ गई। यह अप्रैल से जुलाई 2020 तक नकारात्मक स्थिति में रही और दिसंबर 2020 (चित्र 3) में 1.2 प्रतिशत पर पहुँच गई। मौजूदा वर्ष में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में कमी मुख्य रूप से ईंधन और विद्युत की दरों में गिरावट आने की वजह से आई है। वर्ष के दौरान संपूर्ण विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार अस्थिरता के कारण प्रमुख ईंधन उत्पादों की मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई। डब्ल्यूपीआई ईंधन और विद्युत मुद्रास्फीति वर्ष 2018-19 में 11.6 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2020-21 में (-) 1.8 प्रतिशत पर आ गई तथा इसमें और आगे (अप्रैल-दिसंबर) में (-) 12.2 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गई। डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष 2019-20 में 6.9 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.2 प्रतिशत और डब्ल्यूपीआई कोर मुद्रास्फीति बढ़कर वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में (-) 0.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 में 0.8 प्रतिशत पर पहुँच (तालिका 3) गई।

तालिका 3: डब्ल्यूपीआई-आधार 2011-12 के चयनित समूहों में मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)


विवरण	वजन	2018-19	2019-20	2020-21रु	जुलाई-20	अगस्त -20	सितंबर -20	अक्टूबर -20	नवंबर -20 (पी)	दिसंबर -20 (पी)
सभी वस्तुओं	100.0	4.3	1.7	-0.1	-0.2	0.4	1.3	1.3	1.6	1.2
खाद्य सूचकांक	24.4	0.6	6.9	4.2	4.7	4.8	7.2	6.2	4.3	0.9
खाद्य लेख	15.3	0.3	8.4	3.9	4.5	4.4	8.4	7.1	3.9	-1.1
अनाज	2.8	5.5	7.5	-1.4	0.7	-1.6	-3.7	-5.2	-5.5	-6.5

विवरण	वजन	2018-19	2019-20	2020-21रु	जुलाई-20	अगस्त -20	सितंबर -20	अक्टूबर -20	नवंबर -20 (पी)	दिसंबर -20 (पी)
दलहन	0.6	-9.4	15.9	12.1	10.2	9.9	12.5	16.1	13.0	9.7
सब्जियां	1.9	-8.4	31.2	7.1	8.2	7.2	38.1	26.7	12.2	-13.2
फल	1.6	-1.7	3.2	-1.3	-3.0	-0.3	-4.6	-4.3	-3.8	1.4
दूध	4.4	2.4	2.5	5.1	4.7	4.4	5.6	5.7	5.5	3.9
अंडा, मांस और मछली	2.4	1.7	6.5	3.4	5.3	6.2	4.1	4.2	0.6	1.4
खाद्य उत्पाद	9.1	0.9	4.1	5.0	5.0	5.5	4.9	4.4	4.9	4.9
वनस्पति और पशु तेल और वसा	2.6	7.5	1.4	17.3	15.9	17.7	18.7	20.6	23.2	21.8
चीनी	1.1	-10.7	3.9	0.1	3.3	0.5	-0.8	-1.5	-0.8	-0.3
फ्यूल और पॉवर	13.2	11.6	-1.8	-12.2	-9.8	-9.1	-8.6	-11.1	-9.9	-8.7
गैर-खाद्य निर्मित उत्पाद (कोर)	55.1	4.2	-0.4	0.8	-0.2	0.6	1.3	1.8	2.6	4.1

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी

नोट: पी: अस्थायी, # अप्रैल से दिसंबर 2020.

चित्र 3: डब्ल्यूपीआई, सभी वस्तुओं, कोर और खाद्य मुद्रास्फीति में रुझान




स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी

5.4 सीपीआई मुद्रास्फीति में ग्रामीण-शहरी अंतर, जो वर्ष 2019 में उच्च स्तर पर थी, उसमें वर्ष 2020 में कमी आई। जुलाई 2018 से दिसंबर 2019 तक, सीपीआई शहरी मुद्रास्फीति लगातार सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति से अधिक रही, जिसका मुख्य कारण इस अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में


विभेदक दरों की वजह से उत्पन्न खाद्य मुद्रास्फीति थी। यद्यपि, मौजूदा वर्ष में सीपीआई शहरी मुद्रास्फीति सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति के साथ कदमताल कर रही है (चित्र 4)। हालाँकि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति लगभग अब (चित्र 5) बराबर स्थिति में परिवर्तित हो गई है, तथापि ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति में विचलन सीपीआई (चित्र 6) के अन्य घटकों में देखा जा सकता है। मौजूदा वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में सीपीआई के गैर-खाद्य घटकों में मुद्रास्फीति की दर अधिक है। जबकि ईंधन और हल्की मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्रों में (-) 0.1 प्रतिशत है, वहीं शहरी क्षेत्र में 6.7 प्रतिशत है। आवास मुद्रास्फीति जिसकी गणना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं की गई है, उसे छोड़कर अन्य घटकों में ग्रामीण-शहरी अंतर 1.6 से 2.3 प्रतिशत अंकों की सीमा में है।

चित्र 4: सीपीआई ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति




स्रोत: एनएसओ।

चित्र 5: ग्रामीण और शहरी सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति



स्रोत: एनएसओ।

चित्र 6: 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में घटक-वार ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति



स्रोत: एनएसओ।

5.5 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक: (सीपीआई-आईडब्ल्यू) श्रम ब्यूरो द्वारा जारी मूल्य सूचकांक है जिसे कुछ चुनिंदा उद्योगों में कार्यरत श्रमिक वर्ग के परिवार जीवन यापन की लागत पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को मापने के लिए जारी किया गया है। सीपीआई-आईडब्ल्यू के आधार वर्ष को इसके पहले के 2001 से संशोधित करके इसे वर्ष 2016 के सबसे नवीनतम आधार (बॉक्स 1) में बदल दिया गया है।

बॉक्स 1: औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार संशोधन (सीपीआई-आईडब्ल्यू)

श्रम-कार्यालय द्वारा प्रति माह सीपीआई-आईडब्ल्यू को संकलित और प्रसारित किया जाता है। यह एक औसत कामकाजी वर्ग के परिवार द्वारा उपभोग की जा रही निश्चित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। नीति निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के अलावा, इन सूचकांक संख्याओं का उपयोग वेतन निर्धारण/संशोधन, बड़ी संख्या में मैनुअल श्रमिकों और केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के निर्धारण करने के लिए किया जाता है। कामकाजी वर्ग के परिवार द्वारा उपभोग किए जा रहे रुझान की वास्तविक प्रवृत्ति को मापने के लिए, श्रम-कार्यालय ने मौजूदा सीपीआई-आईडब्ल्यू सीरीज 2001=100 को एक नवीनतम आधार वर्ष 2016=100 पर संशोधित किया है।

नवीनतम सीपीआई-आईडब्ल्यू श्रृंखला मौजूदा सात सेक्टरों के औद्योगिक श्रमिकों को कवर करता है, जिसमें कारखानों, खान, वृक्षारोपण, रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन उपक्रम, विद्युत उत्पादन और वितरण करने वाले प्रतिष्ठानों और बंदरगाहों और डॉक्स शामिल है। नई श्रृंखला में नमूना आकार, केंद्रों, बाजारों/दुकानों, वस्तुओं आदि की संख्या के संदर्भ में व्यापक कवरेज शामिल है। नई श्रृंखला के मुख्य बदलावों को नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में उल्लेख किया गया है।

सीपीआई-आईडब्ल्यू आधार अपडेशन 2016 में परिशोधन

	पुरानी श्रृंखला	नई श्रृंखला
आधार	2001=100	2016=100
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कवरेज	25	28
केंद्रों का कवरेज	78	88
बाजारों का कवरेज	289	317
आधार वर्ष सर्वेक्षण में शामिल किया गया श्रमिक वर्ग के परिवार	41040	48384
वस्तुओं की संख्या	392	463
सूचकांकों का संकलन	मूल्य सापेक्षों का अंकगणित माध्य	मूल्य सापेक्षों का ज्यामितीय माध्य

रहन-सहन की लागत कीमतों (एसपीसीएल पर टीएसी) के सांख्यिकी पर तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसाओं के आलोक में, श्रम-कार्यालय ने सीपीआई-आईडब्ल्यू में वस्तुओं के वर्गीकरण को आगे विभिन्न समूहों और उप-समूहों में संशोधित किया है जो एनएसओ के उद्देश्य द्वारा व्यक्तिगत उपभोग (सीओआईसीओपी) के वर्गीकरण के अनुरूप है। सीओआईसीओपी वर्गीकरण के आधार पर संशोधित छह समूह और विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए उनके संबंधित वजन नीचे दी गई तालिका में हैं।

सीपीआई-आईडब्ल्यू की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए अखिल भारतीय समूह वजन वितरण

समूह	वजन (%)		
	1982	2001	2016
खाद्य और पेय पदार्थ*	57.0	46.2	39.17
पान, सुपारी, तम्बाकू और नशीले पदार्थ	3.15	2.27	2.07
ईंधन और लाइट	6.28	6.43	5.5
आवास	8.67	15.27	16.87
कपड़ा और जूता **	8.54	6.57	6.08
विविध	16.36	23.26	30.31
सामान्य सूचकांक	100.00	100.00	100.00

* पिछली श्रृंखला के दौरान खाद्य और पेय खाद्य समूह में था।

** कपड़ा और जूता पिछली श्रृंखला के दौरान वस्त्र, बिस्तर और जूते समूह में था।

खाद्य और पेय समूह तथा विविध समूह को आगे विभिन्न उप-समूहों में विभाजित किया गया है। सूचकांक संख्याओं के संकलन के उद्देश्य से वजन को औसत मासिक पारिवारिक व्यय के आधार पर ज्ञात किया गया है। एक परिवार के बजट से व्युत्पन्न औसत बजट में व्यय के उन सभी मदों से संबंधित सूचनाओं को शामिल किया गया था, जिसके बारे में श्रमिक वर्ग परिवार आय एवं व्यय सर्वेक्षण (डब्ल्यूसीएफआई-ईएस), 2016 में सर्वे किए गये परिवारों द्वारा जानकारी दी गई थी। पहले के श्रृंखलाओं की तुलना में वर्ष 2016 श्रृंखला में खाद्य और पेय का वजन कम हुआ है जबकि विविध समूहों (मुख्य रूप से सेवाओं) का वजन पर्याप्त रूप से बढ़ा है। दो श्रृंखलाओं के बीच श्रृंखला घटक 2.88 है। श्रृंखला घटक हमें मूल्य सूचकांक पर समय श्रृंखला के आकड़ों में निरंतरता बनाए रखने की अनुमति देता है। यह नई श्रृंखला का पुरानी श्रृंखला के साथ तुलना करने में मददगार साबित होगा। 12 महीनों की अवधि (सितंबर 2019 से अगस्त 2020 तक) के लिए पुरानी श्रृंखला के मासिक सूचकांकों के औसत के अनुपात को नई श्रृंखला में ले जाकर श्रृंखला घटक प्राप्त किया गया है।

मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति: गति और आधार प्रभाव


5.6 मौसमी उतार-चढ़ाव के प्रभाव को निर्मूल करने के उद्देश्य से सामान्य तौर पर सूचकांक में बारह महीने के दौरान होने वाले परिवर्तनों का उपयोग करके मुद्रास्फीति के रुझान की व्याख्या की जाती है। हालांकि, मुद्रास्फीति में साल-दर-साल (वाई-ओ-वाई) परिवर्तन का उपयोग करने के साथ एक चुनौती यह है कि यह हाल के मूल्य परिवर्तन और एक वर्ष पहले मूल्य के परिवर्तन के बीच अंतर नहीं करता है। जब आधार महीने में सीपीआई में परिवर्तन का वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, तो इसे आधार प्रभाव कहते हैं। इसलिए आधार अवधि में सीपीआई में असामान्य परिवर्तनों से मापे गए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में परिवर्तन के योगदान आधार प्रभाव है। इसलिए हमें अंतर करने की जरूरत है कि क्या मुद्रास्फीति में परिवर्तन मौजूदा माह में कीमतों में हुए बदलाव की वजह से हैं या आधार अवधि में कीमतों में हुए बहुत अधिक बदलाव की वजह से (आइसलैंड केंद्रीय बैंक, 2007)।

5.7 अंकगणितीय रूप से, π_{t-1} ($t-1$ अवधि में $y-o-y$ मुद्रास्फीति) क्यों π_t (t अवधि में $y-o-y$ मुद्रास्फीति) में चला गया, इसकी व्याख्या में दो भाग शामिल हैं:


- 1) गति: π_{t-1} क्यों π_t (कीमत सूचकांक में माह दर माह परिवर्तन) में चला गया। यह कीमतों में हालिया बदलावों को कैप्चर करता है।
- 2) आधार प्रभाव: π_{t-12} क्यों π_{t-13} से चला गया। यह कीमतों में एक वर्ष पहले हुए बदलावों को कैप्चर करता है।

5.8 इस प्रकार, बाद के दो महीनों में वार्षिक मुद्रास्फीति दरों के बीच का अंतर लगभग चालू माह में महीने दर महीने और पहले के बारह माह के दौरान महीने दर महीने के अंतर के बराबर है (यूरोपीय सेंट्रल बैंक, 2005)।

$$\pi_t - \pi_{t-1} = [(\ln(p_t) - \ln(p_{t-1})) - (\ln(p_{t-12}) - \ln(p_{t-13}))] * 100$$



चित्र 7: सीपीआई-सी और कोर मुद्रास्फीति









स्रोत: एनएसओ

5.9 अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच सीपीआई हैडलाइन और सीपीआई कोर मुद्रास्फीति मुख्य रूप से मूल्य गति में पर्याप्त वृद्धि से प्रेरित था, जैसे हालिया मूल्य सूचकांक में वृद्धि की वजह से मुद्रास्फीति प्रत्येक महीने बढ़ती जा रही थी (चित्र 7)। दोनों ही मामलों में, सकारात्मक आधार प्रभाव ने मुद्रास्फीति की

दर को कम करने में योगदान दिया। अप्रैल 2020 के आसपास मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि देखने को मिली, मार्च 2020 में मुद्रास्फीति की दर 5.8 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल 2020 में 7.2 प्रतिशत हो गई और फिर मई 2020 में घटकर 6.3 प्रतिशत रह गई। मुद्रास्फीति में यह वृद्धि अप्रैल 2020 में मुद्रास्फीति की दर में अत्यधिक तीव्र वृद्धि की वजह से हुई, संभवतः इसका मुख्य कारण कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हुआ शुरुआती व्यवधान रहा है। नवंबर 2020 तक, मूल्य की गति में पर्याप्त कमी देखने को मिली और सकारात्मक आधार प्रभाव के साथ इसने मुद्रास्फीति को कम करने में योगदान दिया।

चित्र 8: सीपीआई खाद्य और पेय और इसके उपसमूह की मुद्रास्फीति







Source: NSO

स्रोत: एनएसओ

5.10 खाद्य तथा पेय समूह के मामले में मुद्रास्फीति का जो प्रारूप देखने को मिला, वही प्रारूप भी सीपीआई हैडलाइन तथा सीपीआई कोर मुद्रास्फीति पर भी देखने को मिला। नवंबर 2020 में, कीमतों की गति के मंद होने साथ उच्च आधार प्रभाव ने खाद्य मुद्रास्फीति (चित्र 8) को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खाद्य तथा पेय समूह के विभिन्न उप-समूहों के बीच विभिन्न प्रकार का प्रतिमान उभरा। उदाहरण के लिए, अनाजों के मामले में नकारात्मक मूल्य वृद्धि और सकारात्मक आधार प्रभाव की वजह से जुलाई 2020 से वाई-ओ-वाई मुद्रास्फीति में कमी आई। तेल और वसा के मामले में, उच्च मुद्रास्फीति अधिकांश मूल्य गति में पर्याप्त उछाल से प्रेरित रही है; जबकि इस मामले में आधार प्रभाव मध्यम रहा है। सब्जियों के मामले में, जुलाई 2020 के बाद से मुद्रास्फीति अधिकांशतः मूल्य गति में बहुत अधिक वृद्धि से प्रेरित रही है।

चित्र 9: सीपीआई विविध समूह और उसके उप-समूह की मुद्रास्फीति






स्रोत: एनएसओ

5.11 परिवहन तथा संचार और पर्सनल केयर व प्रभावों के मामले में, अप्रैल 2020 के बाद से मुद्रास्फीति में वृद्धि कीमतों की दरों में आई अचानक उछाल रही (चित्र 9) है। हालाँकि, परिवहन तथा संचार के मामले में अगस्त 2020 से कीमतें पर्याप्त स्थिर हुई है जबकि पर्सनल केयर व प्रभावों के मामले में कीमतों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। कुल मिलकर, कीमतों में वृद्धि वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में परिवर्तन पर हावी रही है। इसलिए, मुद्रास्फीति विशेष रूप से सब्जियों की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल उचित था।

मुद्रास्फीति के उत्प्रेरक: खाद्य मुद्रास्फीति का विलक्षण प्रभाव

5.12 खाद्य और पेय समूह वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के साथ-साथ 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, सीपीआई-सी मुद्रास्फीति का प्रमुख उत्प्रेरक था, हालाँकि वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के 53.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में इसका योगदान बढ़कर 59.0 प्रतिशत हो गया। विविध समूह मुद्रास्फीति में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता समूह था, जिसने समग्र मुद्रास्फीति (26 चित्र) में 26.8 प्रतिशत का योगदान दिया। विविध समूहों के बीच में उप-समूहों में परिवहन और संचार तथा पर्सनल केयर और प्रभावों ने सबसे अधिक योगदान दिया।


चित्र 10: वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) और वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में समूहों का योगदान प्रतिशत में



स्रोत: एनएसओ

5.13 सीएफपीआई पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति, जो अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 तक नकारात्मक अवस्था में रही, ने 2019 की दूसरी छमाही में तीव्र वृद्धि दर्ज की, जिसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में वृद्धि होना रहा है, हालाँकि, इसके बाद हाल के महीनों में कीमतों में कमी आई। मार्च 2020 के बाद से खाद्य मुद्रास्फीति की ऊँची दर कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हुए आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधानों की ओर संकेत करता है। सीएफपीआई में खाद्य उप-समूहों का योगदान यह प्रदर्शित करता है कि सब्जियाँ, 'मांस-मछली', 'तेल-वसा', तथा 'दाल-उत्पाद' मौजूदा वर्ष में खाद्य मुद्रास्फीति में प्रमुख योगदान-कर्ता थे (चित्र 11)। सब्जियों के कीमतों में तीव्र गिरावट की वजह से दिसंबर 2020 में सब्जी का योगदान नकारात्मक हो गया। जिन अनाजों ने जून 2018 में अधिक योगदान दिया, बाद में उनका योगदान धीरे-धीरे कम होता गया।

चित्र 11: सीएफपीआई में खाद्य उप-समूहों का योगदान




स्रोत: एनएसओ।

5.14 सितंबर 2019 से अप्रैल 2020 की अवधि के दौरान सब्जियों की मुद्रास्फीति दर बढ़ती रही। जून 2020 में यह घटकर 4 प्रतिशत रह गई और जुलाई से नवंबर 2020 तक दो अंकों में बनी रही। सब्जियों की बढ़ती मुद्रास्फीति दर मुख्य रूप से कम मांग वाले मौसम में आलू और प्याज की कीमतों में वृद्धि के कारण थी। प्याज के मामले में, अप्रैल 2020 में आवक में 74 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जबकि आलू के मामले में अगस्त 2020 में 62 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यद्यपि, सरकार द्वारा इन वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए तत्काल कदम उठाए गए, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2020 में सब्जियों की मुद्रास्फीति में (-) 10.4 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की गई।

5.15 सब्जियों के अलावा, कुछ प्रोटीन समृद्ध वस्तुओं जैसे अंडे, मांस और मछली और दालों तथा अन्य उत्पादों की मुद्रास्फीति दर मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान तीव्र बनी रही, जिसने खाद्य मुद्रास्फीति में पर्याप्त योगदान दिया। दूध और उत्पादों की मुद्रास्फीति एकमात्र अपवाद थी, जो अप्रैल 2020 में 9.4 से घटकर दिसंबर 2020 में 4.0 प्रतिशत रह गया। वर्तमान में चिकन और मटन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण 'मांस और मछली' की मुद्रास्फीति दर चालू वर्ष के अधिकांश भाग में दो अंकों में बनी रही। अप्रैल 2020 में चरम स्थिति पर पहुंचने के बाद, अक्टूबर 2020 में दालों और उत्पादों की महंगाई दर घटकर 18.3 प्रतिशत हो गई और फिर दिसंबर

2020 में घटकर 16.0 प्रतिशत रह गई। हालांकि, इन सभी वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर में हाल के समय में कमी दर्ज की गई है (चित्र 12)।


चित्र 12: प्रोटीन से समृद्ध वस्तुओं के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति



स्रोत: एनएसओ

5.16 इसके अतिरिक्त, तेल और वसा और मसालों की मुद्रास्फीति ने चालू वर्ष में बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज की है। हालांकि, अप्रैल 2020 के बाद से प्रमुख खाद्य समूहों के मुद्रास्फीति में भारी गिरावट दर्ज की गई, जैसे अनाज और उत्पादों की मुद्रास्फीति, जो अप्रैल 2020 में 7.8 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2020 में 1.0 प्रतिशत रह गया और चीनी जो अप्रैल 2020 में 10.3 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2020 में 0.5 प्रतिशत रह गया (चित्र 13)।

चित्र 13: अन्य प्रमुख खाद्य समूहों में सीपीआई




स्रोत: एनएसओ

5.17 जून 2019 के बाद से दलहनों की मुद्रास्फीति दर 5 प्रतिशत से अधिक रही है और तब से यह ऊपर की ओर बढ़ती रही है। अप्रैल 2020 में अचानक तेजी देखी गई और कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों की वजह से उत्पन्न व्यवधान के कारण मुद्रास्फीति में 22.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में कुल दालों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन एक मद के स्तर पर उड़द का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में काफी कम रहा। वर्ष 2019-20 में मूंग का उत्पादन स्थिर रहा। वर्ष 2019-20 में मसूर दाल का उत्पादन भी कम था। इसके अलावा, वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में दालों का अनुमानित उत्पादन लक्ष्य से कम रहा है। मदों के स्तर पर, दिसंबर 2020 में ग्राम-विभाजन को छोड़कर सभी दालों में दो अंकों में सीपीआई मुद्रास्फीति दर्ज की गई। हालांकि, पिछले महीने की तुलना में दिसंबर 2020 में मटर और अन्य दालों को छोड़कर सभी दालों की मुद्रास्फीति में गिरावट आई है।

5.18 घरेलू आपूर्ति में कमी के कारण आयात किसी भी वस्तु की उपलब्धता और कीमतों में मध्यम श्रेणी की वृद्धि कर सकता है। दालों के मामले में, यह देखा गया है कि आयात उत्पादन (चित्र 14) के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध है। जिस वर्ष उत्पादन कम होता है, उस वर्ष आयात में वृद्धि होती है और बंपर फसल के वर्ष में आयात में गिरावट आती है। प्रत्येक वर्ष आयात नीति को उत्पादन के स्तर के अनुसार बदल दिया जाता है। यद्यपि, आयात नीति में इस तरह के लगातार बदलाव से उत्पन्न नीतिगत अनिश्चितता की वजह से बाजार के प्रतिभागियों में भ्रम की स्थिति बढ़ जाती है।


चित्र 14: उत्पादन, आयात और आयात उत्पादन अनुपात



स्रोत: सीएमआईई

5.19 अगस्त 2019 के बाद से तेल और वसा की सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है और यह दिसंबर 2020 में बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई है। दिसंबर 2020 में सरसों के तेल, मूंगफली के तेल और रिफाइंड तेल (सूरजमुखी, सोयाबीन आदि) की मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत से अधिक रही जबकि नारियल तेल की मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत से अधिक रही। भारत विश्व में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत में खाद्य तेलों की मांग बढ़ती जा रही है जबकि घरेलू उत्पादन की गति लगभग स्थिर है। इस कारण से पिछले कुछ वर्षों में खाद्य तेलों के आयात पर भारत की निर्भरता बढ़ी है (चित्र 15)। यह जोखिम भरा है क्योंकि विश्व बाजार की समस्याएं घरेलू बाजार पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के प्रभावी उपाय किए जाने जरूरी हैं (CACP, 2020)। मलेशिया और इंडोनेशिया ने रिफाइंड पाम तेल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कच्चे पाम तेल पर निर्यात शुल्क आरोपित किया जिसकी वजह से वर्ष 2020 में रिफाइंड पाम तेल का आयात प्रभावित हुआ। इससे पाम तेल की घरेलू कीमतें जनवरी-जून 2020 से प्रभावित हुईं।

चित्र 15: खाद्य तेल का आयात



*सितंबर तक

स्रोत: सोलवेन्ट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया


5.20 कोविड-19 के उपरांत रिवर्स प्रवासीकरण, कारखानों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने और उत्पादन तथा वितरण नेटवर्क में अन्य लेनदेन की लागत बढ़ने की वजह से थोक कीमतों में उछाल देखने को मिली। यद्यपि कुल तिलहन का उत्पादन क्रमशः वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है, लेकिन वर्ष 2019-20 में सोयाबीन के उत्पादन में बहुत अधिक गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के लिए सूरजमुखी के खरीफ उत्पादन में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया है। सूरजमुखी का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से लगातार घट रहा है और वर्ष 2019-20 में इसमें मामूली वृद्धि देखी गई। वर्ष 2019-20 में भी सरसों का उत्पादन कम हो गया है।

5.21 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को आम आदमी के घरों के खाद्य बजट पर प्रभाव द्वारा अनुभव किया जा सकता है। इस संबंध में भोजन की प्लेट की लागत का आकलन करने का एक प्रयास थैलिनोमिक्स (बॉक्स 2) के रूप में खंड- I, आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20 में किया गया था।

बॉक्स 2: थैलिनोमिक्स: वर्ष 2020-21 में भोजन के एक प्लेट की लागत

आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20 संस्करण-I ने “थैलिनोमिक्स”: भारत में एक प्लेट भोजन का अर्थशास्त्र शीर्षक अध्याय में एक थाली की एक अद्वितीय संकल्पना पेश की है। अध्याय में वर्णित इस क्रियाविधि की मदद से और एक भारी काम करने वाले एक भारतीय वयस्क पुरुष श्रमिक (NIN, 2011) के लिए निर्धारित आहार दिशानिर्देशों के आधार पर अनाज, दालों/मांस, सब्जी, मसाले, खाद्य तेल और ईंधन के अनुशंसित आहार भत्तों का उपयोग करते हुए और एनएसओ द्वारा सीपीआई-सी के लिए संग्रह किए गए आकड़ों का उपयोग करते हुए एनएसओ ने थाली सूचकांक का संकलन किया है। उपभोक्ता सर्वेक्षण के 68वें चक्रिय आकड़ों (2011-12) के आधार पर राज्य-वार अनाजों, दालों आदि के हिस्से का निर्धारण किया जाता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए पीडीएस की कीमतें और शहरी क्षेत्रों में समृद्ध बाजारों के संबंध में मदों की कीमतों को बाहर रखा गया है। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि पीडीएस की खपत को छोड़ने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। थाली की लागत घर में पकाए गए भोजन की लागत का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु जब यह पीडीएस की खपत को छोड़कर पूरी तरह से थली के उक्त घटकों के लेन-देन की कीमतों के आधार पर होगा, तो यह सच हो सकता है कि घर के लिए वास्तविक लागत यहाँ परिकल्पित किए गए लागत से भिन्न हो सकती है और यह एक राज्य में पीडीएस प्रणाली की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। कदाचित, यही कारण है कि अनेक राज्यों में, ग्रामीण थाली की कीमत इसके शहरी समकक्ष से थोड़ी अधिक है। निम्न तालिका अप्रैल 2019 से शाकाहारी और मांसाहारी थैलियों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर थाली की कीमत के प्रवृत्ति को दर्शाती है। यद्यपि जून 2020 से नवंबर 2020 के बीच थाली की लागत में वृद्धि देखी गई है, तथापि दिसंबर के महीने में इसमें गिरावट देखी गई है, जो अनेक कई आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है।

अखिल भारतीय थाली की लागत





स्रोत: एनएसओ



कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप पर्याप्त आकड़े उपलब्ध नहीं होने की वजह से अप्रैल 2020 और मई 2020 के महीनों के लिए थाली के लागत का डेटा संकलित नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्यों के मध्य थाली की लागत में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर 2020) में, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक महंगी शाकाहारी थाली अंडमान और निकोबार द्व

ीपसमूह (₹38.7) में थी जबकि सबसे सस्ती थाली (₹23.1) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में थी। उसी अवधि के दौरान मांसाहारी थाली के सम्बन्ध में देखा जाएँ, तो सबसे महँगी मांसाहारी थाली अरुणाचल प्रदेश (₹48.5) के ग्रामीण क्षेत्र में थी जबकि सबसे सस्ती मांसाहारी थाली चंडीगढ़ (₹29.9) के ग्रामीण क्षेत्र में थी। वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर 2020) में, शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक महँगी शाकाहारी थाली अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (₹40.0) में थी जबकि सबसे सस्ती थाली (₹24.0) मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में थी। उसी अवधि के दौरान मांसाहारी थाली के सम्बन्ध में देखा जाएँ, तो सबसे महँगी मांसाहारी थाली मिजोरम प्रदेश (₹52.4) के ग्रामीण क्षेत्र में थी जबकि सबसे सस्ती मांसाहारी थाली हरियाणा (₹28.0) के ग्रामीण क्षेत्र में थी।

राज्य स्तर पर थाली की लागत





स्रोत: एनएसओ

स्रोत: एनएसओ

नोट: * अप्रैल-दिसंबर, 2019


\$ अरुणाचल प्रदेश के लिए शहरी क्षेत्रों के डेटा को एनएसओ द्वारा संकलित नहीं किया गया है

कोविड-19 महामारी के वजह से लगाए गए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप पर्याप्त आकड़े उपलब्ध नहीं होने की वजह से अप्रैल 2020 और मई 2020 के महीनों के लिए थाली के लागत का डेटा संकलित नहीं किया गया है और इन कारणों से 2020-21 जून-दिसंबर, 2020 से मिलती है।

राज्यों में मुद्रास्फीति

5.22 चालू वर्ष के दौरान अधिकांश राज्यों में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई है। हालाँकि क्षेत्रीय विभिन्नता मौजूद है। वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर) में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति की दर 3.2 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच रही जो उसी अवधि के दौरान गत वर्ष (-0.3 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत थी। 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में, समग्र मुद्रास्फीति मौजूदा वित्त-वर्ष में अखिल भारतीय औसत से कम है और दिल्ली में सबसे निम्न मुद्रास्फीति है, उसके बाद दादर और नगर हवेली (चित्र 16) में सबसे कमतर मुद्रास्फीति है।

चित्र 16: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए (प्रतिशत में) सीपीआई-संयुक्त मुद्रास्फीति




स्रोत: एनएसओ

नोट: 1. राज्य स्तरीय सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल और मई 2020 के लिए उपलब्ध नहीं है।

2. अरुणाचल प्रदेश को सीपीआई-सी के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि इसका प्रकाशन इस राज्य के लिए नियमित रूप से नहीं किया जाता है।

5.23 मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की वजह से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मौजूदा वर्ष में ग्रामीण मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक शहरी मुद्रास्फीति देखी गई है (भिन्नता 17)।

चित्र 17क: 2020-21 (जून-दिसंबर) में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ग्रामीण और शहरी सीपीआई मुद्रास्फीति




स्रोत: एनएसओ

नोट: 1. राज्य स्तरीय सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल और मई 2020 के लिए उपलब्ध नहीं है।


2. अरुणाचल प्रदेश को सीपीआई-सी के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि इसका प्रकाशन इस राज्य के लिए नियमित रूप से नहीं किया जाता है।

5.24 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ-साथ पूर्व के राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक मुद्रास्फीति देखने को मिली है। इन राज्यों ने उच्च शहरी मुद्रास्फीति (चित्र 17 ख और ग) को देखा है।

17 ख. 2020-21 (जून-दिसंबर) में सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति



17 ग. 2020-21 (जून-दिसंबर) में सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति




स्रोत: एनएसओ

नोट: अरुणाचल प्रदेश को सीपीआई-सी के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि इसका प्रकाशन इस राज्य के लिए नियमित रूप से नहीं किया जाता है।

5.25 सीपीआई-सी में 71.2 प्रतिशत वजन वाले शीर्ष दस राज्यों (वजन के अनुसार) ने 71.2 प्रतिशत का योगदान दिया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 72.7 प्रतिशत (चित्र 18) था।

चित्र 18: समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति में शीर्ष 10 राज्यों का योगदान (वजन के अनुसार)




स्रोत: एनएसओ

नोट: राज्य स्तर के सीपीआई सूचकांक अप्रैल और मई 2020 की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वजन का मान उस ऊंचाई पर है जिस पर बुलबुला खड़ा रहता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के लिए, यह 13.2% है जबकि केरल के लिए, यह 4.6% है।

वर्ष 2020-21 में मुद्रास्फीति के किन उपायों ने आर्थिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से दर्शाया है?

5.26 पूर्ववर्ती दो खंड आपूर्ति पक्ष की बाधाओं की भूमिका का संकेत करता है, विशेष रूप से खराब होने वाली सब्जियों के मामले में जो मुद्रास्फीति के बढ़ने में महती भूमिका निभाता है। फरवरी 2017 से, सीपीआई-सी मुद्रास्फीति और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2019-20 के शुरुआत तक कमोवेश एकसाथ मिलकर आगे बढ़ते रही है, उसके बाद उसके बीच में एक अंतराल देखने को मिली है, जो धीरे-धीरे बढ़ते जा रही है (चित्र 19)। अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में रही है जबकि सीपीआई-सी मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से अधिक रही है। इस चौड़ी होती हुई खाई की मुख्य विशेषता यह है कि ऐसा अधिकतम खाद्य मुद्रास्फीति की अवधि में हुआ है (चित्र 19 में छायांकित क्षेत्र उस अवधि को दर्शाता है जिसके दौरान सीएफपीआई मुद्रास्फीति गैर-खाद्य मुद्रास्फीति से अधिक रही है)। हाल के महीनों में कोविड-19 महामारी के वजह से सीपीआई-सी मुद्रास्फीति की गति अर्थव्यवस्था में प्रचलित कमजोर मांग स्थितियों के बिल्कुल विपरीत है। सीपीआई-सी सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का बड़ा वजन लगभग 39 प्रतिशत है। इसका तात्पर्य है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों के झटके का सीपीआई-सी मुद्रास्फीति पर गहन प्रभाव पड़ सकता है।

चित्र 19: सीपीआई-सी और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति



स्रोत: एनएसओ और ओईए, डीपीआईआईटी

नोट: ग्राफ में छायांकित क्षेत्र उस अवधि को दर्शाता है जब उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति गैर-खाद्य मुद्रास्फीति से अधिक रही है

5.27 अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 की अवधि के लिए, सीपीआई-सी कमजोरी से आईआईपी विकास से संबंधित है जबकि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई-सी कोर मुद्रास्फीति सकारात्मक और मजबूती से आईआईपी विकास से संबंधित रहा है, और इसी वजह से, कोर सीपीआई-सी मुद्रास्फीति और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में मांग की स्थितियों के साथ अधिक तालमेल वाला रहा है। अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 की अवधि में,

आईआईपी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के बीच सहसंबंध गुणांक लगभग 0.8 रहा जबकि सीपीआई-सी कोर मुद्रास्फीति और आईआईपी वृद्धि के बीच सहसंबंध गुणांक 0.9 रहा है। इसी अवधि में, आईआईपी वृद्धि और सीपीआई मुद्रास्फीति के बीच सहसंबंध 0.2 रही। इसी प्रकार, हम भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन और मांग के अन्य मैट्रिक्स के साथ सीपीआई कोर मुद्रास्फीति और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के गहन सहसंबंध को देख सकते हैं (तालिका 5)।

तालिका 5: वर्ष 2020-21 में सीपीआई-सी, कोर और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के साथ उत्पादन/मांग मैट्रिक्स का सहसंबंध#

	सीपीआई-सी मुद्रास्फीति	सीपीआई-सी गैर-खाद्य गैर-ईंधन (कोर)	डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति
ट्रैक्टर उत्पादन में वृद्धि *	-0.34	0.87	0.68
वाहन पंजीकरण में वृद्धि *	-0.27	0.78	0.89
आठ कोर इंडस्ट्रीज की कुल वृद्धि	0.20	0.90	0.75
कोयले के उत्पादन में वृद्धि	0.65	0.62	0.86
कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि	0.11	0.57	0.56
प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि	0.19	0.97	0.77
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का विकास	-0.06	0.61	0.51
उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि	-0.43	0.42	-0.10
स्टील के उत्पादन में वृद्धि	0.14	0.89	0.71
सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि	-0.08	0.79	0.45
बिजली के उत्पादन में बढ़ना	0.48	0.91	0.85
आईआईपी वृद्धि	0.23	0.92	0.77

नोट: # अप्रैल-नवंबर, 2020

* अप्रैल-दिसंबर, 2020


लाल रंग में छायांकित क्षेत्र 0.60 से अधिक सहसंबंध गुणांक का संकेत करता है

स्रोत: ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन, वीएचएन डैशबोर्ड, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी और एनएसओ

5.28 अत्यधिक मांग की वजह से बढ़ती तेज मुद्रास्फीति की गति पर लगाने में एक सख्त मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यद्यपि, मौजूदा परिदृश्य एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल की वजह से सीपीआई मुद्रास्फीति में मौजूदा तेजी मुख्य रूप से आपूर्ति-पक्ष से संबंधित घटना है। इसका मूल्यांकन इस तथ्य से किया जा सकता है कि कृषि वस्तुओं जैसे प्याज,

टमाटर और आलू की बाजार में आवक-जिनकी कीमतों में हाल के समय में उछाल देखने को मिला है-गत वर्ष की तुलना में बहुत कम रही है (चित्र 20)। इसके अतिरिक्त, सीपीआई-सी में सभी वस्तुओं का वजन एनएसओ घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2011-12 पर आधारित है। वर्ष 2011-12 के बाद के दशक में, सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के वजन में शायद महत्वपूर्ण कमी आई होगी। सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के संशोधित वजन को कैप्चर करने की जरूरत है ताकि देश में मुद्रास्फीति की सही तस्वीर पेश की जा सके। इसके अतिरिक्त, खुदरा ई-कॉमर्स लेनदेन के बढ़ते संदर्भ में, निर्माण मूल्य सूचकांकों के लिए मूल्य डेटा के ऐसे नए स्रोतों को शामिल करना आवश्यक है।

चित्र 20: प्याज, टमाटर और आलू का बाजार में आवक



स्रोत: सीएमआईई

बॉक्स 3: मौद्रिक नीति के लक्ष्य के रूप में हेडलाइन मुद्रास्फीति या कोर मुद्रास्फीति


अनेक विशेषज्ञ कोर मुद्रास्फीति (खाद्य, ईंधन और अन्य संवेदनशील घटकों को छोड़कर) को मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति के बेहतर मापक के रूप में देखते हैं। इसका कारण यह है कि खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में उछाल अल्पकालिक और मुख्य रूप से आपूर्ति की कमी से उत्पन्न होती है और इसलिए यह एक अस्थायी स्थिति होती है। इस क्षेत्र में सैद्धांतिक कार्यों में मूल्य और/या वेतन स्थिरता वाले मॉडल का उपयोग कर यह दिखाया गया है कि कोर मुद्रास्फीति पर लगाम कसने से कल्याणकारी स्थिति को अधिकतम करने में सहायता मिलती है। जब कीमतें अस्थिर रहती हैं, तब मूल्य-वृद्धि में उतार-चढ़ाव होता है और इस कारण से सापेक्ष कीमतों में विकृति आती है। इन सभी मॉडलों में, लचीली कीमत के संतुलन को केंद्रीय बैंकों द्वारा बहाल किया जाता है ताकि अस्थिर कीमतों को लक्षित करके इन उतार-चढ़ाव को कम किया जा सके। अधिकांश साहित्यों में यह मान लिया जाता है कि बाजारों पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। यद्यपि, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, इन मान्यताओं में दो विचलनों को देखा जा सकता है: 1) अपने जीवनकाल की खपत को सुचारू करने में एजेंटों की असमर्थता और 2) अन्य संरचनात्मक अंतर जैसे कि घरेलू खपत व्यय में खाद्य पदार्थों का बड़ा हिस्सा (आनंद और अन्य, 2015)। यद्यपि आनंद और अन्य, 2015 ने विरोध किया कि पूर्ण बाजारों के अंतर्गत, सख्त कोर मुद्रास्फीति को लक्षित करने का विकल्प सर्वश्रेष्ठ नीति है, तथापि अपूर्ण बाजारों में, कोर मुद्रास्फीति लक्ष्य-निर्धारण के सापेक्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कल्याणकारी सुधार है। हालाँकि, आनंद और अन्य, 2015 के समान व्यवस्था का उपयोग करके, पोर्टिल्लो और अन्य (2016) ने पता लगाया कि कोर (गैर-खाद्य) मुद्रास्फीति का स्थिरीकरण क्रेडिट की कमी वाले उपभोक्ताओं वाले अर्थव्यवस्था के मामले में भी अनुकूलतम स्थिति के बहुत निकट है। अपने मॉडल के आधार पर, पोर्टिल्लो और अन्य (2016) ने पता लगाया कि लक्ष्यीकरण के लिए मुद्रास्फीति के अनुकूलतम माप में खाद्य मुद्रास्फीति का बहुत कम वजन (महत्त्व) होता है। हेडलाइन सीपीआई में खाद्य के वजन (महत्त्व) की तुलना में यह वजन (महत्त्व) बहुत ही कम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा एकत्र आंकड़ों का हाल ही में आरबीआई के एक कार्यकारी पत्र (नाधानैल, 2020) ने भारत में 45 खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर साप्ताहिक आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इस शोध पत्र के अनुसार खाद्य उत्पादों के बीच मूल्य अस्थिरता की सीमा में विविधता देखने को मिलती है। खाद्य पदार्थों की कीमतें औसतन 1.29 महीनों में बदलते रहती हैं। सब्जियों की कीमतें अन्य खाद्य-वस्तुओं के कीमतों की तुलना में बार-बार बदलती हैं (औसतन महीने में दो बार), जबकि दालों की कीमत लगभग प्रत्येक 2 महीने में तीन बार बदलती है, वही दूध की कीमतें पांच महीने में एक बार बदलती हैं। इसी तरह, अंडे, मांस और मछली की कीमतें औसतन महीने में एक बार बदलती हैं जबकि अनाज की कीमतें लगभग प्रत्येक साढ़े तीन महीने में एक बार बदलती हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता से संबंधित व्यापक परिवर्तन के इस खोज को ध्यान में रखते हुए, यह शोध पत्र सुझाव देता है कि हमें कोर मुद्रास्फीति के अलावा खाद्य मुद्रास्फीति के अस्थिर घटकों पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए।

मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ

5.29 मौजूदा वर्ष के दौरान सीपीआई-सी मुद्रास्फीति के लिए एक वर्ष आगे के मुद्रास्फीति के अनुमानों में वृद्धि हुई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद के व्यावसायिक मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के

सर्वेक्षण के अनुसार, सीपीआई-सी मुद्रास्फीति के लिए एक वर्ष आगे की मुद्रास्फीति का अनुमान फरवरी 2020 में 4.0 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर अक्टूबर 2020 में 4.4 प्रतिशत हो गई। घरों के मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के सर्वेक्षण, जिसका आयोजन आरबीआई ने किया, के अनुसार मार्च 2020 के 9.1 प्रतिशत मुद्रास्फीति की तुलना में नवंबर 2020 में 9.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, हालाँकि सितंबर 2020 की तुलना में यह कम थी। मुद्रास्फीति अनुमानों की गति कमोवेश सीपीआई-सी द्वारा मापे गए मौजूदा मुद्रास्फीति की गति की दिशा में रही है (चित्र 21)। सीपीआई-सी के मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण घटक होने की वजह से इसका एक महत्वपूर्ण निहितार्थ है। कीमतों में बदलाव का एक मीट्रिक होने की वजह से, जो घरों से संबंधित हो सकते हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्षित करके मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है।

चित्र 21: एक वर्ष का अग्रिम मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ और मौजूदा मुद्रास्फीति




वैश्विक वस्तुओं की कीमतें

5.30 वर्ष 2019 के दौरान संपूर्ण विश्व में जिंसों की मांग कमजोर रहने और उसके बाद कोविड-19 महामारी की वजह से संपूर्ण विश्व में आरोपित प्रतिबंधों की वजह से इन वस्तुओं की मांग में परिणामी कमी के कारण कीमतों धातुओं और उर्वरकों की कीमतों को छोड़कर वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में दिसंबर 2019 के स्तर से जनवरी से अप्रैल 2020 के बीच गिरावट देखने को मिली। कोविड-19 का सबसे अधिक प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने की वजह से ऊर्जा की कीमतों पर पड़ा। हालाँकि, महामारी के बाद ओपेक+देशों (विश्व बैंक) द्वारा उत्पादन में कटौती की वजह से ऊर्जा की कीमतों में सुधार देखने को मिला है, हालाँकि उनका गत वर्ष के स्तर से अभी भी नीचे बना हुआ है। महामारी की वजह से आरोपित प्रतिबंधों की अवधि के दौरान कृषि वस्तुओं की कीमतें कमोवेश स्थिर बनी रही। इसे अन्य वस्तुओं की तुलना में इन वस्तुओं के लिए मांग की कम आय के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है (विश्व बैंक, 2020ए)। कृषि वस्तुओं,

धातुओं और खनिजों और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि अब सकारात्मक स्थिति में लौट आई है (चित्र 22)। खाद्य तेल की कीमतें कृषि वस्तुओं की कीमतों को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख दबाव कारक के रूप में डाल रही थी। चीन में अधिक औद्योगिक मांग की वजह से धातुओं की कीमतें बढ़ी हैं (विश्व बैंक, 2020बी)। वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के (-) 14.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में ऊर्जा सूचकांक में वृद्धि औसत (-) 35.1 प्रतिशत रही। दूसरी ओर, वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के (-) 3.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में कृषि सूचकांक में वृद्धि औसत 5.2 प्रतिशत रही। वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के 12.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में कीमती धातुओं में 28.9 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली।

चित्र 22: अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में रुझान (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि)



नोट: (1) कोविड-19 के पहला मानव से मानव संचरण की पुष्टि जनवरी, 2020 में की गई


(2) मार्च, 2020 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा

(3) प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिबंध हटने लगे।

स्रोत: विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ; <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-timeline-idUSKBN23Z0UW>

5.31 वर्ष 2020 के दौरान सोने की कीमतों में जबर्दस्त वृद्धि देखने को मिली। कोविड-19 की वजह से उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए निवेशकों ने सोने में निवेश करना शुरू दिया, जिसकी वजह से सोने की कीमते आसमान छूने लगी (चित्र 23)। समाचार पत्रों के लेखों की जानकारी और नीति संबंधी प्रतिनिधिक आर्थिक अनिश्चितता के आधार पर वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता (जीईपीयू) सूचकांक का निर्माण किया जाता है। (बेकर और अन्य, 2016)। जनवरी 2020 से, जीईपीयू में अत्यधिक वृद्धि होने की वजह से सोने की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी है। वास्तविकता यह है कि अन्य आस्तियों की तुलना में, वर्ष के दौरान सोने ने तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिलाभ दिया है (चित्र 24)।


चित्र 23: वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता (जीईपीयू) और सोने की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन



स्रोत: Baker, Scott R., Bloom, Nick and Davis, Stephen J., Global Economic Policy Uncertainty Index: Current Price Adjusted GDP [GEPUCURRENT,] retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; <https://fred.stlouisfed.org/series/GEPUCURRENT>. Gold prices from World Bank

नोट: वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक 20 देशों के लिए राष्ट्रीय ईपीयू सूचकांकों का जीडीपी-भारित औसत है: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, भारत, आयरलैंड, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, रूस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

चित्र 24: सोने और अन्य आस्तियों पर चालू वर्ष की 1 जनवरी से आज तक प्रतिलाभ



स्रोत: विश्व स्वर्ण परिषद

नोट: 31 दिसंबर 2020

दवा की कीमतों का विनियमन

5.32 भारत में दवाओं की कीमतों को विनियमित किया जाता है ताकि लोगों की इन जीवन-रक्षक दवाओं तक बेहतर पहुँच के साथ सस्ती दरों पर इनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निधिरण प्राधिकरण (एनपीपीए) जो दवाओं के मूल्य निर्धारण और सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था के रूप में कार्य करती है, ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में एक सक्रिय भूमिका निभाई है और संपूर्ण देश में जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। सर्वसाधारण के हित में इसने असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीति हेपरिन और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जीवन रक्षक दवाओं तक सर्वसाधारण की पहुँच बढ़े। एनपीपीए हेपरिन की अधिकतम कीमत को छह महीने के लिए संशोधित किया है ताकि महामारी के दौरान इसकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। हेपरिन को एक आवश्यक कोविड-19 प्लस दवा माना जाता है और व्यापक रूप से कोविड-19 के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक हित में एनपीपीए ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) और ऑक्सीजन इन्हेलेशन (मेडिसिनल गैस) की कीमतों पर छह महीने के लिए नियंत्रण लगाया है। एनपीपीए द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने से संपूर्ण देश में, विशेष रूप से सुदूर और दूरस्थ क्षेत्रों में, मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता बेहतर हुई है। देश में सस्ती कीमत पर एन95 मास्कों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, एनपीपीए ने एन95 मास्कों के निर्माताओं/आयातकों/आपूर्तिकर्ताओं को गैर-सरकारी खरीद के लिए कीमतों में समानता बनाए रखना और उचित मूल्य पर समान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। एनपीपीए द्वारा ऐसी सलाह मिलने के बाद, प्रमुख निर्माताओं/आयातकों/आपूर्तिकर्ताओं ने एन95 मास्कों की कीमतों को 67 प्रतिशत तक कम किया है। कोविड-19 के दौरान निर्माताओं/विपणन-कर्ताओं द्वारा लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए एनपीपीई ने जनता के हित में अपने हस्तक्षेपों में सुधार किया। हालाँकि, इस रणनीति का एक अन्य लाभ यह रहा कि उद्योग के लिए घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए गुणवत्ता वाले मानक चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाया।

5.33 महामारी अवधि के दौरान, सरकार ने अंतर-मंत्रालयी अधिकार-प्राप्त समिति का गठन विदेशी सरकारों द्वारा अनुरोध किए गए दवाओं विशेष रूप से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन (एचसीक्यू) और पैरासिटामोल के निर्यात के लिए अनुशंसा करने के उद्देश्य से किया गया। एनपीपीई ने इन दवाओं के निर्माताओं के साथ सहयोग कर एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का निर्माण किया ताकि इन दवाओं का उत्पादन और आपूर्ति निर्बाध रूप से की जा सके। अंतर मंत्रालयी अधिकार-प्राप्त समिति की अनुशंसाओं के आलोक में, फार्मास्युटिकल्स विभाग/एनपीपीई ने अनुशंसा/आदेश जारी किए, जिसने एमईए/डीजीएफटी को एचसीक्यू के संबंध में 114 देशों और पैरासिटामोल के संबंध में 24 देशों के प्रति विभिन्न निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया, जिसमें सार्क देश भी शामिल हैं। अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा हस्तक्षेप करने पर, मार्च-मई के दौरान हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की निर्माण इकाइयों की संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई, देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की उत्पादन क्षमता तीन गुना बढ़ गई है, अर्थात् लगभग 10 करोड़ टैबलेट प्रति माह से बढ़कर लगभग 30 करोड़ टैबलेट प्रति माह हो गई है। मौजूदा समय में, भारत में अपनी घरेलू आवश्यकताओं से अधिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन गोलियों का उत्पादन हो रहा है।

एनएचबी रेसिडेक्स

5.34 आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) एक भौगोलिक सीमा के भीतर आवासीय संपत्ति की कीमतों में उतार-चढ़ाव का एक व्यापक माप है। त्रैमासिक अपडेशन वाले 50 शहरों के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आध

र पर नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) रेसिडेक्स एचपीआई @ असेसमेंट प्राइस और एचपीआई/मार्केट प्राइस-विनिर्माण के अधीन परिसंपत्तियों के दो आवास मूल्य सूचकांक को कैप्चर करता है। कम्पोजिट एचपीआई @ असेसमेंट प्राइस, जो जून 2013 में 83 पर थी, मार्च 2020 में समाप्त हुए तिमाही में 111 पर पहुँच गई है। इन वर्षों के दौरान, यह सूचकांक 4.4 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर से बढ़ी है। निर्माणाधीन परिसंपत्तियों के लिए कम्पोजिट एचपीआई @ असेसमेंट प्राइस, जो जून 2013 में 85 पर थी, मार्च 2020 में समाप्त हुए तिमाही में 104 पर पहुँच गई है। इन वर्षों के दौरान, यह सूचकांक 3.0 प्रतिशत के सीएजीआर की दर से बढ़ी है। त्रिमाही-दर-त्रिमाही आधार पर 20 मार्च से 20 जून तक एचपीआई @ असेसमेंट प्राइस के लिए लेनदेन की कुल संख्या में 71 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जबकि 19 जून से 20 जून तक वर्ष-दर-वर्ष के आधार लेनदेन में 67 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो यह दर्शाता है कि कोविड-19 संकट ने आवासीय अचल संपत्ति बाजार को काफी प्रभावित किया है। नई लिस्टिंग में बहुत कमी आई है और खरीदारों ने घर खरीदना भी कम कर दिया है।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

5.35 सरकार नियमित रूप से कीमतों की स्थिति की समीक्षा करती है और इसने खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए समय-समय विभिन्न उपाय किए हैं। दालों, प्याज, और आलू के बढ़ते कीमतों के मद्देनजर, इन जिनसों की उपलब्धता में सुधार करने और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में i. दिनांक 14.09.2020 के प्रभाव से प्याज के निर्यात को प्रतिबंधित करना, जिसे 1.01.2021 से निरस्त कर दिया गया, ii. ईसी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 23.10.2020 के प्रभाव से प्याज के स्टॉक को सीमित करने का आदेश लागू करना ताकि जमाखोरी को रोका जा सकें, यह आदेश 31.12.2020 को कालातीत हो गया, iii. आयात पर प्रतिबंधों को आसान बनाना, एकीकृत चेक-पोस्ट पर आयात की सुविधा देना, आयात के लिए लाइसेंस जारी करना और आयात शुल्क में कमी करना, शामिल है। इन उपायों के परिणामस्वरूप देश में प्याज, अरहर की दाल और मसूर दाल का आयात बढ़ा और इसके परिणामस्वरूप कीमतों में गिरावट आई।

अनुचित मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के अन्य उपायों में शामिल हैं:

1. मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना को कुशलतापूर्वक लागू किया जा रहा है और यह योजना दालों की कीमतों को स्थिर करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है और इसने सभी हितधारकों को महत्वपूर्ण लाभ दिया है। वर्ष 2016 में सरकार ने उचित बाजार हस्तक्षेप के लिए 20 लाख टन दालों के एक अद्वितीय बफर के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएफईडी) और लघु किसान कृषि व्यवसायी परिसंघ (एसएफएसी) द्वारा नवंबर 2015 से जुलाई 2017 के दौरान 16.71 लाख टन की घरेलू खरीद के माध्यम से 20.50 लाख टन दाल का बफर स्टॉक तैयार किया गया था जबकि धातु और खनिज व्यापार निगम और भारतीय स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने 3.79 लाख टन का आयात किया था। वर्ष 2015-16 और 2016-17 खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) तथा वर्ष 2016-17 और 2017-18 रवि विपणन सत्र (केएमएस) के दौरान किसानों तथा किसान संघटनों से बफर स्टॉक की घरेलू खरीद की गई थी, जिससे लगभग 8.5 लाख किसान लाभान्वित हुए। अंतिम बार आयात नवंबर 2016 में अनुबंधित किया गया था, अर्थात्, उस अवधि तक के लिए जब वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के दौरान घरेलू उपलब्धता कम थी।
2. सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी मंत्रालय/विभाग, जो पोषण से संबंधित योजनाओं को संचालित करते हैं, या भोजन/कैटरिंग/आतिथ्य सेवा उपलब्ध कराते हैं, वे सभी केंद्रीय बफर से दाल लेकर


इस्तेमाल करेंगे। बफर स्टॉक से दाल लेकर उसका उपयोग पीडीएस वितरण, मध्याह्न भोजन योजना और आईसीडीएस योजना में किया जा रहा है। साथ ही, सेना और केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बफर स्टॉक से दालों का इस्तेमाल किया जाता है। शैल्फ लाइफ, कुशल बफर प्रबंधन, बाजार मूल्य आदि जैसे गुणों के आधार पर शेष स्टॉक को बाजार में बेच दिया जाता है।

3. दालों के बफर स्टॉक का निर्माण करने से दालों के कीमतों को कम करने में बड़ी सहायता मिली है। दालों की कम कीमतों ने उपभोक्ताओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया। निर्मित बफर की खरीद से किसानों को पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त हुए क्योंकि बफर की खरीद किसानों से एमएसपी या उनसे उच्च दर पर की गई थी। इसने उत्पादन को प्रोत्साहित किया जिसकी वजह से दो लगातार वर्षों में बंपर उत्पादन हुआ और देश आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप आयात पर निर्भरता कम हुई जबकि विदेशी मुद्रा में सहवर्ती बचत में वृद्धि हुई।
4. तदुपरांत, सरकार ने निर्णय लिया कि एमएसपी पर खरीद कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की मूल्य समर्थन योजना के अधीन की जाएगी और पीएसएफ के अधीन खरीद जरूरी नहीं होने की दशा में उपयुक्त बफर निर्माण की आवश्यकता को पीएसएस स्टॉक से पूरा किया जाएगा। चूँकि रबी-17 के बाद से खरीद पीएसएस के एमएसपी परिचालन के अधीन की गई थी, कृषि और सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग के मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अधीन खरीदी गई दालों को तब से पीएसएफ को बफर आवश्यकताओं को पूरा करने की सीमा तक चौनलाइज किया गया। अप्रैल 2019 से, पीएसएफ के अधीन बफर को फिर से भरने के लिए पीएसएस से पीएसएफ में लगभग 20.07 लाख टन मीट्रिक टन स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों से प्राप्त अनुरोध और डीएसीएफडब्ल्यू द्वारा समर्थन के आधार पर, केएमएस 2019-20 के दौरान एमएसपी के अधीन पीएसएफ पर 1.86 लाख मीट्रिक टन तूर की खरीदी गई। इसके अलावा, पीएसएफ के अधीन आरएमएस 2020 के दौरान बाजार मूल्य पर लगभग 93 एमटी मसूर की खरीद की गई थी।
5. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भी अपने राज्य स्तर पर पीएसएफ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और असम को वित्तीय सहायता दी गई है।
6. भारत सरकार ने मोजाम्बिक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है ताकि भारत में दालों (तूर और अन्य दालों) की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। एमओयू 2020-21 के दौरान 2 एलएमटी दालों के आयात की कल्पना की गई है।
7. पीएमजीकेवाई और एएनबी पैकेज के अधीन मुफ्त आपूर्ति के लिए पीएसएफ बफर से दालों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली है।
8. भारत सरकार बाजार मूल्य को स्थिर करने के लिए पीएसएफ के अधीन प्याज के बफर स्टॉक को बनाए रखती है। कीमतों और उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए कमजोर मौसम/अवधि के दौरान बफर स्टॉक से प्याज खुदरा एजेंसियों/राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को खुदरा हस्तक्षेप और खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से एक अंशांकित तरीके से जारी किया जाता है। सितंबर 2020 से प्याज की मध्यम कीमतों को कम करने के लिए, रबी 20 सत्र में प्याज का लगभग 1 एलएमटी का बफर स्टॉक अंशांकित तरीके से जारी किया गया है। सरकार ने खरीफ 2020-21 के दौरान 1 एलएमटी प्याज की खरीद के लिए स्वीकृति दी है। प्याज के मूल्य का मौसमी विश्लेषण व प्रभावी नीतिगत उपायों को बाक्स 4 में चर्चा की गई है।

बॉक्स 4: प्याज की कीमतें और बफर स्टॉक की नीति

वर्षों के दौरान, यह देखा गया है कि अगस्त-सितंबर की अवधि में प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। खुदरा कीमतों में वृद्धि होने की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा बफर स्टॉक का निर्माण करने के बावजूद ऐसा होता है, जो भारत में सब्जियों की कीमतों में स्थिरता के लिए समुचित नीति के आभाव को रेखांकित करता है।

प्याज की खुदरा कीमतें (2015-2020)



स्रोत: पीएमसी, डीसीए

कीमतें अगस्त से नवंबर के दौरान क्यों आसमान छूने लगती हैं?

रबी फसल की कटाई अधिकांश राज्यों में मार्च और मई के महीने में होती है और फसल को जून-जुलाई अवधि में बेचा जाता है। खरीफ फसल की कटाई अधिकांश राज्यों में अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है और बाजार में फसल रबी फसल आने तक उपलब्ध रहती है। इन दोनों के बीच की अवधि अगस्त से नवंबर के बीच में होती है जब हम देखते हैं कि प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं।


सरकार द्वारा किए गए नवीनतम नीतिगत उपाय:

सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए अनेक सक्रिय उपाय किए हैं। 23.10.2020 को, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 (थोक विक्रेताओं के लिए 25 एमटी और खुदरा विक्रेताओं के लिए 2 एमटी) के अंतर्गत 31.12.2020 की अवधि के लिए प्याज के भंडारण की सीमा नियत कर दी गई। प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए, सरकार ने प्याज के निर्यात पर 14.09.2020 को प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर एक अग्रिम कदम उठाया। यह उपाय खरीफ प्याज के अपेक्षित आगमन से पहले सस्ती कीमतों पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2020 के रबी प्याज की फसल के 1 एलएमटी स्टॉक को बेचने की प्रक्रिया तेज कर दी, जो कि पिछले वर्ष की मात्रा से दोगुना था। इसके अतिरिक्त, प्याज को खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से बेचा जा रहा है। साथ ही, सरकार ने निजी कंपनियों के माध्यम से आयात को बढ़ावा दिया है, यह भी निर्णय लिया गया है कि मांग और आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए एमएमटीसी लाल प्याज का आयात शुरू करेगा।

सरकार के उपायों की प्रभावशीलता

वर्ष 2019 में, एनएफआई ने लगभग 58288 टन के बफर स्टॉक का निर्माण किया, जिसमें से 18808 टन प्याज क्षतिग्रस्त हो गया, घटिया गुणवत्ता के होने की वजह से 33313 टन को स्थानीय बाजार में बेच दिया गया और केवल 6167 टन का वितरण राज्यों के मध्य किया गया। इस बार, स्थिति थोड़ी बढ़िया है। एनएफआई ने लगभग 99000 टन के बफर स्टॉक का निर्माण किया है, जिसमें से केवल 25,000 टन के क्षतिग्रस्त होने का अनुमान लगाया गया है, हालाँकि, राज्यों के मध्य वितरित 11653 टन स्टॉक अभी भी (नवंबर 2020 तक) कम था।


प्याज के स्टॉक की स्थिति



स्रोत: एनएएफईडी

* राज्य सरकार और स्थानीय बाजार के लिए स्टॉक को भेजने का कार्य प्रगति में है

प्याज के स्टॉक का वितरण



स्रोत: एनएएफईडी

* राज्य सरकार और स्थानीय बाजार के लिए स्टॉक को भेजने का कार्य प्रगति में है

एनएएफईडी प्याज के अपने बफर स्टॉक का निर्माण शीत भंडारण के विपरीत परंपरागत विधियों से करता है, जिसकी वजह से बर्बादी में वृद्धि होती है। आकड़ों के अनुसार, लगभग 100 प्रतिशत खरीदा गया स्टॉक परंपरागत और पारंपरिक रूप से डिजाइन की गई भंडारण सुविधाओं में स्टोर किया जाता है। वर्ष 2020 में, लगभग 15 प्रतिशत स्टॉक को एनएचआरडीएफ द्वारा लोकप्रिय बनाएं गए आधुनिक और सुसज्जित सुविधाओं में भंडारित किया गया है। असामयिक वर्षा तथा अधिक नमी जैसी मौसम की प्रतिकूल स्थितियों की वजह से, अपशिष्ट की स्थिति और आगे गंभीर हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, एनएएफईडी प्याज का भंडारण मुख्य रूप से तीन राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में करता है। केवल तीन राज्यों में स्टॉक के सकेन्द्रीकरण से यह प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। सबसे बढ़कर, यह जरूरत होने पर तुरंत कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देती है, बजाए इसमें विलंब करती है। समुचित निगरानी के साथ खरीद और भंडारण की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था संपूर्ण प्रणाली को सशक्त बना सकती है।

सुझाव

1. एनएएफईडी ने जुलाई 2020 में एक सकारात्मक कदम उठाया, इसने राज्य सरकारों से कमजोर महीने में अपनी जरूरतों को अग्रिम में भेजने का अनुरोध किया ताकि भंडारित प्याज के स्टॉक नियोजित तरीके से समय पर निकला जा सके ताकि खुदरा कीमतों पर एक हितकर प्रभाव पड़े, जो अगस्त के अंत से नवंबर तक की अवधि में अधिक हो जाता है। हालांकि, इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए पहले से और अच्छी तरह से किया जा सकता है।
2. एक पारदर्शी ऑनलाइन प्लेटफार्म होना चाहिए, जहाँ राज्यों की आवश्यकताओं का विवरण, राज्य-वार और महीना-वार की गई खरीद, राज्य-वार, एजेंसी-वार, महीने-वार वितरित राशि को बेहतर योजना निर्माण और निर्णय लेने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
3. महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्याजों का व्यापक पैमाने पर भंडारण पारंपरिक रूप से डिजाइन की गई संरचनाओं में किया जाता है। अन्य राज्यों में, भंडारण का कार्य लघु स्तर पर किया जाता है लेकिन अब लेकिन अब कटाई के बाद की बढ़ती तकनीक और बेहतर भंडारण संरचनाओं को दिखाते हुए एनएचआरडीएफ द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। भंडारण की परंपरागत तकनीक से भंडारित प्याज की बहुत अधिक क्षति होती थी, इसलिए, बेहतर भंडारण संरचनाओं के उपयोग के साथ-साथ भंडारित करने के लिए बेहतर किस्मों, उर्वरकों के विवेकशील इस्तेमाल, समय पर सिंचाई और पोस्ट-हार्वेस्ट तकनीक भंडारित प्याज में नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक है। (ऑपरेशन ग्रीन्स पोर्टल)।
4. ईवीआईएन के समान ट्रेकिंग तकनीक विकसित करना: ईवीआईएन (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) का लक्ष्य भारत में नए प्रतिजनों के लिए वैक्सीन वितरण, खरीद और योजना में सुधार नीति-निर्माण के लिए साक्ष्य आधार को मजबूत करना है। प्याज की आपूर्ति के लिए हमें ऐसी जटिल प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ईवीआईएन के सिद्धांतों के आधार पर एक सरल ट्रेकिंग प्रणाली का निर्माण पर्याप्त हो सकता है। यह प्याज के स्टॉक, भंडारण तापमान की निगरानी और नमी के स्तर पर वास्तविक समय की जानकारी देने और किसी भी मानदंड के उल्लंघन पर अधिकारियों को सचेत करने में मदद कर सकता है।
5. बफर स्टॉक के लिए लंबे समय तक शैल्फ जीवन वाले निर्जलित प्याज का उपयोग किया जाना चाहिए। नमीयुक्त किस्म को जल्दी बेचा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

5.37 वर्ष 2020-21 के दौरान, खुदरा और थोक मुद्रास्फीति में विपरीत दिशा में गतिशीलता देखने को मिली। जबकि गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी देखने को मिली, डब्ल्यू.पी.आई मुद्रास्फीति की गति मंद ही रही। कोविड-19 महामारी की वजह से आपूर्ति-पक्ष के चरमराने से खाद्य वस्तुओं से संबंधित खुदरा मुद्रास्फीति बुरी तरह से प्रभावित हुआ और इसने मुद्रास्फीति के समग्र रूप से बढ़ने में योगदान दिया। वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने और आवश्यक वस्तुओं के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए

सरकार द्वारा किए गए हस्तक्षेप से महामारी के प्रभाव के कम होने की संभावना है। खाद्य मुद्रास्फीति पहले ही दिसंबर में कमजोर हुई है जिससे समग्र मुद्रास्फीतिकारी दबाव में कमी आई। आगे बढ़ते हुए, खाद्य मुद्रास्फीति के कम होने पर, समग्र मुद्रास्फीति के और कम होने की संभावना है। दूसरी ओर, मांग की बढ़ती स्थितियों के वजह से निर्माताओं के लिए मूल्य निर्धारण शक्ति में सुधार के साथ डब्ल्यूपीआई के सकारात्मक क्षेत्र में बने रहने की संभावना है।

अध्याय पर एक नजर

<p>➤ हैडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 6.6 प्रतिशत के औसत पर रही जबकि दिसंबर 2020 में 4.6 प्रतिशत के स्तर पर रही। ऐसा मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ने की वजह से हुआ, जो वर्ष 2019-20 के 9.1 प्रतिशत से वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में बढ़कर 9.1 हो गया और ऐसा होने का मुख्य कारण सब्जी की कीमतों में वृद्धि होना रहा है।</p>
<p>➤ वैश्विक स्तर पर, कोविड-19 के फैलने तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से सुस्त आर्थिक गतिविधियों के कारण मुद्रास्फीति का स्वरूप कमजोर बना रहा।</p>
<p>➤ सीपीआई मुद्रास्फीति में ग्रामीण-शहरी अंतर, जो वर्ष 2019 में ऊँचे स्तर पर थी, उसमें वर्ष 2020 में गिरावट देखने को मिली। नवंबर 2019 के बाद से, सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति ने सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास किया है। खाद्य मुद्रास्फीति अब लगभग एक ओर झुक गई है, हालाँकि, ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति में विचलन को सीपीआई के अन्य घटकों जैसे ईंधन और विद्युत, वस्त्र और फूटवियर, विविध आदि में देखा जा सकता है।</p>
<p>➤ अप्रैल-अक्टूबर 2020 के बीच, सीपीआई हैडलाइन और इसके अधिकांश उप-समूहों की मुद्रास्फीति नवंबर 2020 तक, अधिकांश उप-समूहों के लिए कीमत की गति में पर्याप्त वृद्धि से प्रेरित था, संभवतया कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हुए शुरुआती व्यवधानों की वजह से ऐसा हुआ। नवंबर 2020 तक, अधिकांश उप-समूहों के लिए कीमतों की गति में पर्याप्त सुधार हुआ और सकारात्मक आधार प्रभाव के साथ इसने मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में योगदान दिया।</p>
<p>➤ वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के साथ-साथ वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में, सीपीआई-सी मुद्रास्फीति का मुख्य उत्प्रेरक खाद्य और पेय समूह था। इसका योगदान वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के 53.7 से बढ़कर वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 59 प्रतिशत हो गया।</p>
<p>➤ जून 2020 और नवम्बर 2020 के थाली की लागत में वृद्धि हुई है। जबकि दिसम्बर में इसमें कमी आई है, जो दर्शाता है की बहुत सी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में कमी आयी है।</p>

<p>➤ राज्य-वार रूझानों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चालू वर्ष के दौरान अधिकांश राज्यों में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है। यद्यपि, क्षेत्रीय भिन्नता मौजूद रही है। मुद्रास्फीति वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर) में सभी राज्यों में 3.2 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच रही जो कि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान (-) 0.3 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत के बीच रही थी।</p>
<p>➤ मौद्रिक नीति के लिए एकल मानदंड के रूप में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति पर ध्यान देना उचित निर्णय नहीं हो सकता है। कोर मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के लिए के बढ़िया मुद्रास्फीति का मापक हो सकती है। ऐसा इसलिए कि खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि अल्पकालिक होती है और मुख्य रूप से आपूर्ति द्वारा प्रभावित होती है और इसलिए यह एक मौद्रिक घटना नहीं है।</p>
<p>➤ कीमतों में स्थिरता लाने के लिए बहुत सारे कदम उठाये गये हैं जैसे की प्याज के निर्यात में रोक, प्याज की जमाखोरी पर रोक और दाल के आयात के प्रतिबंधों पर ढिलाई।</p>
<p>➤ सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के अपेक्षाकृत अधिक वजन के कारण खाद्य मुद्रास्फीति समग्र सीपीआई-सी मुद्रास्फीति को आगे बढ़ा रही थी। हालाँकि, वर्ष 2011-12, (सीपीआई के लिए आधार वर्ष) के बाद के दशक में खाद्य की आदतों में व्यापक परिवर्तन हुआ है, इसलिए सीपीआई के आधार वर्ष में संशोधन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, ई-कॉमर्स लेनदेन के बढ़ते संदर्भ में, मूल्य सूचकांक के निर्माण के लिए मूल्य के आकड़ों के ऐसे स्रोत को शामिल करना जरूरी है।</p>
<p>➤ कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए अल्पावधि उपायों के अलावा, हमें मध्यम से दीर्घावधि उपायों में निवेश करने की आवश्यकता है, जैसे विकेन्द्रीकृत शीत भंडारण की सुविधाओं के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के भंडारक को उत्पादन केन्द्रों पर उपलब्ध कराना, उर्वरकों का विवेकशील इस्तेमाल करना, समय पर सिंचाई करना और पोस्ट-हार्वेस्ट तकनीक आदि भंडारित प्याज (ऑपरेशन ग्रीन्स पोर्टल) की हानि को रोकने के लिए जरूरी है। प्याज के बफर स्टॉक नीति की समीक्षा भी जरूरी है। नुकसान को कम करने, कुशल प्रबंधन और समय पर बाजार में भेजना सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विकसित करना जरूरी है।</p>
<p>➤ आयात नीति में एकरूपता पर ध्यान देने की जरूरत है। खाद्य तेलों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता आयात की कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव का जोखिम पेश करती है और आयात घरेलू खाद्य तेल बाजार के उत्पादन और कीमतों को भी प्रभावित करती है। इसके साथ ही खाद्य तेलों के आयात से संबंधित नीति में बार-बार बदलाव होने से किसानों/उत्पादकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और आयात में विलंब होता है।</p>
<p>➤ कोविड-19 द्वारा उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितताओं ने निवेशकों को सोने में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया और इसकी वजह से सोने की कीमतों में जोरदार वृद्धि हुई। अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में, सोने ने वर्ष के दौरान अधिक लाभ दिया है।</p>

REFERENCES

CACP. 2020. Price Policy for Kharif Crops: The Marketing Season 2020-21. Commission for Agricultural Costs and Prices.

Central Bank of Iceland. 2007. "Monetary Bulletin".

European Central Bank. 2005. "Monthly Bulletin", January, 2005.

Anand] Rahul, Eswar S. Prasad, and Boyang hZang. 2015. What measure of inflation should a developing country central bank target?". *Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) Discussion Paper No. 9219*.

Portillo, Rafael, Luis-Felipe Zanna, Stephen O' Connell, and Richard Peck. 2016. Implications of Food Subsistence for Monetary Policy and Inflation". *IMF Working Paper WP 16/70*, March, 2016.

Nadhanael, G V. 2020. "Are Food Prices Really Fleñible\ Evidence from India". *RBI WPS (DEPR): 10/2020*, September, 2020.

World Bank. 2020a. "A Shock Like No Other: The impact of COVID&19 on Commodity Markets, April" 2020.

World Bank. 2020b. "Commodity Markets Outlook", October, 2020.

Baker, Scott R., Nicholas Bloom and Steven J. Davis, 2016. Measuring Economic Policy Uncertainty". *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 131, Issue 4, November, 2016.

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

पृष्ठभूमि

आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु अधिनियम की आपूर्तियों की देखभाल अधिनियम, 1980 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन “आवश्यक वस्तुओं” को धारा 2 ए में अनुसूची के अधीन अनिवार्य वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है। मौजूदा समय में सात जिसों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया है। (1) दवाएँ; (2) उर्वरक, चाहे अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित; (3) खाद्य तेल, खाद्य तिलहन और तेल सहित; (4) रुई से पूर्ण रूप से बना हुआ सूत; (5) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; (6) कच्चा जूट और जूट वस्त्र; (7) (i) खाद्य फसलों के बीज और फल और सब्जियों के बीज; (ii) पशुओं के चारे का बीज; (iii) जूट बीज; (iv) कपास का बीज। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सरकार को आवश्यक वस्तुओं को विनियमित करने का अधिकार देता है। यह कार्य विनियमन, लाइसेंस, परमिट, खरीदने या बेचने के कीमतों पर नियंत्रण के माध्यम से, बिक्री को प्रतिबंधित कर/रोक लगा कर, किसी भी जानकारी/आंकड़ों के संग्रह, बहियों और खातों का निरीक्षण आदि के मध्यम से सरकार वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने तथा उचित मूल्य पर उनके समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए करती है।

दिनांक 29.09.2016 को जारी किए गए आदेश से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता, स्टॉक को सीमित करने और पहचान किए गए खाद्य पदार्थों के आवागमन पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है, जब तक ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से आदेश नहीं दिया जाता है। सक्षम करने के आदेशों के अधीन कोई राज्य लाइसेंस, परमिट और अन्य नियंत्रण उपायों को लागू कर सकता है। अधिनियम के अधीन ‘खाद्य पदार्थों’ के संबंध में केंद्र सरकार की अधिकांश शक्तियों को राज्य सरकारों को 09.06.1978 के आदेश के मध्यम से सौंप दिया गया है जबकि खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए केंद्र सरकार की अधिकांश शक्तियों को राज्य सरकारों को दिनांक 9 30.11.1974 के आदेश से सौंप दिया गया है जिसका वे उपयोग करेंगे। अधिनियम के अधीन विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण आदि को विनियमित करने और आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के व्यापार के लिए नियंत्रण आदेश जारी किए हैं।

ईसी अधिनियम में संशोधन

हाल ही में, भारत सरकार ने 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है और आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम, 1955 की धारा 3 में एक नया उप-खंड (1क) जोड़ा है।

धारा 3 (1क) (क) में अब इस तथ्य का उल्लेख किया गया है अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तेल के बीज और तेल सहित खाद्य पदार्थों को केवल असामान्य परिस्थितियों में विनियमित किया जाएगा जिसमें युद्ध, अकाल, अतिरिक्त असाधारण मूल्य वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा शामिल हो सकती हैं।

धारा 3 (1क) (ख) के अनुसार स्टॉक सीमा को लागू करने पर कोई भी कार्रवाई कीमतों में तीव्र वृद्धि पर आधारित होगी और यह नियम बारह महीने से पहले या पिछले पाँच वर्षों के औसत खुदरा मूल्य में से जो भी कम हो बागवानी उत्पादों के खुदरा मूल्य में सौ प्रतिशत वृद्धि और खराब नहीं होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में पचास प्रतिशत की वृद्धि होने पर लागू होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ किसी भी कृषि उपज के निर्यातकों, प्रसंस्करण-कर्ताओं और मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों के लिए उपयुक्त नियम से

छूट दी गई है।

संशोधन में उन सभी संस्थाओं को शामिल करने वाले मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों की एक परिभाषा शामिल है जो उत्पादन से लेकर उपभोग तक प्रत्येक चरण में मूल्य जोड़ते हैं। यह एक दूरदर्शी कदम है, जो सामान्य रूप से किसानों की आय और विकास की संभावनाओं में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा और संपूर्ण कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

संशोधन की आवश्यकता

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 भारतीय कृषि में बदलाव लाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा परामर्श और विचार-विमर्श की एक लम्बी श्रृंखला की परिणति थी, जिसमें जिसमें कृषि और किसान कल्याण विभाग, नीति आयोग, और पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस क्षेत्र से संबंधित कई समस्याओं पर विचार-विमर्श किया था और विशेष रूप से कृषि उपज के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन सहित प्रमुख अनुशासणों की थीं।

जब सारा देश कोविड-19 महामारी की पीड़ा से कराह रहा था, वैसी नाजुक स्थिति में भी लचीले कृषि उद्योग ने आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण योगदान-कर्ता के रूप में अपनी क्षमता दिखाई। निवेश और विकास की गति तेज करने के लिए सुधारों को लागू करना तत्कालीन समय की मांग थी। व्यापार करने में आसानी के आधार पर एक सक्षम माहौल का निर्माण और इसी अधिनियम के अधीन निरंतर वैधानिक नियंत्रणों के डर को दूर करना आवश्यक था और यह एक ऐसा सुधारात्मक कदम था जिसके बारे में उपरोक्त-वर्णित उच्चाधिकार समिति पहले से ही सुझाव दे चुकी थी।

संशोधन सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करता है: इसी आयोग अधिनियम में संशोधन “अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप” के डर को दूर करके किसानों, निर्यातकों, प्रसंस्करण-कर्ताओं, मूल्य श्रृंखला के अन्य प्रतिभागियों और उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के हित को संतुलित करता है। इसके साथ ही, कुछ असाधारण परिस्थितियों में विनियमन के लिए सरकार के पास शक्ति बरकरार रखी गई है।

यह संशोधन न केवल निर्यातकों, प्रसंस्करण-कर्ताओं और अन्य मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों को इसी अधिनियम के तहत स्टॉक सीमा के दायरे से बाहर ले जाता है, बल्कि इन सीमाओं को लागू करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र भी उपलब्ध कराता है। अब मूल्य ट्रिगर्स को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है—अर्थात् खराब होने वाले खाद्य-पदार्थों के लिए 100 प्रतिशत और खराब नहीं होने वाले खाद्य पदार्थों के कीमतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि।

यह किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनेक विकल्प देता है: इसी अधिनियम में संशोधन के साथ-साथ अन्य अध्यादेशों ने किसानों को अधिसूचित बाजार यार्ड के बाहर कृषि उपज की बिक्री और खरीद, अनुबंध खेती की सुविधा और किसानों को प्रत्यक्ष विपणन से जुड़ने की सुविधा दी है। यह किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगा और उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत पाने में मदद करेगा। अब इसी अधिनियम के अधीन बहुत अधिक विनियमन और स्टॉक करने के डर के बिना बाजार के प्रतिभागी सीधे किसानों से कृषि उपज खरीद सकते हैं। इससे उपज का अधिकतम मूल्य पाने के किसानों की मोलजोल अर्थात् सौदेबाजी की शक्ति बढ़ेगी।

निजी निवेश को आकर्षित करने में सहायक होगा: इसी अधिनियम के अधीन “अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप” विशेष रूप से कटाई के बाद के कार्यों में कृषि क्षेत्र में निवेश के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा था।

जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए कोल्ड चेन और भंडारण सुविधाओं में निवेश करने में निजी क्षेत्र झिझक रहा था क्योंकि इनमें से अधिकांश वस्तुएं इसी अधिनियम के दायरे में आती थीं और उन पर स्टॉक करने की सीमाएं अचानक लागू होती थीं। अब इसी अधिनियम के अधीन निर्यातकों, प्रसंस्करण-कर्ताओं और अन्य मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों पर कोई भी सीमा लागू नहीं होगी। यह कदम अब निजी निवेश को आकर्षित करने में मददगार होगा। परिणामतः किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर भंडारण और बढ़िया कीमतें मिलेंगी।

मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों को बढ़ावा देकर खेती के दौरान कृषि उपज के बर्बादी को कम करेगा: एमओएफपीआई की वार्षिक रिपोर्ट (2018-19) में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीएचईटी) के एक अध्ययन के आकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि फसल की कटाई और कटाई के बाद मुख्य कृषि उत्पादों के होने वाले वार्षिक हानि का अनुमान 92,651 करोड़ रूपए लगाया गया है और यह अनुमान वर्ष 2014 के थोक कीमतों पर वर्ष 2012-13 के आकड़ों का उपयोग करते हुए लगाया गया है। फलों और सब्जियों को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ता है। खराब होने वाली कृषि उपजों की जबर्दस्त पैदावार होने के बावजूद भी किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं की मदद से इस नुकसान को न्यूनतम किया जा सकता है और यह उपाय किसानों के लिए उत्पादकों के मूल्य को कम करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इसी अधिनियम में संशोधन से मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों को एक बहुत आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि इन वस्तुओं में स्टॉक सीमा के अचानक नियमन के डर को पर्याप्त कम किया जाएगा।

कीमतों को स्थिर करने में सहायता करता है: बाजार के प्रतिभागियों के इस क्षेत्र में पदार्पण मौजूदा समय की मांग है ताकि वे अपने निवेश से किसानों को स्थिर मूल्य उपलब्ध करा सकें। इसी अधिनियम के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों से कृषि-खाद्य वस्तुओं को मुक्त करना संगठित व्यापार, बहुत जरूरी मूल्य स्थिरीकरण, शीत भंडारण और लोजिस्टिक में निवेश और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण के लिए निवेश को आकर्षित करेगी। यह निवेशकों की इसी अधिनियम से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप के अंतर्निहित आशंकाओं को भी दूर करेगा। उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से व्यापक पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का दोहन होगा, जो निजी क्षेत्र/कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होगा।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा: सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विनियामक माहौल को उदार बनाते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भी सुनिश्चित किया है। संशोधन में उल्लेख किया गया है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में ऐसे कृषि खाद्य पदार्थों के कीमतों को विनियमित किया जा सकता है। जब कभी कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होगी, तो स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए प्रावधान किया गया है कि इस मूल्य वृद्धि को स्टॉक पर सीमाएं आरोपित करने के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। पहले के वर्ष के दौरान उस वस्तु की कीमत की तुलना पूर्ववर्ती पांच वर्षों में औसत कीमतों के साथ की जाएगी; दोनों संख्याओं में से नीचे का आधार आंकड़ा होगा और यदि खराब होने वाली वस्तु के लिए उस उपज की मौजूदा कीमत 100 प्रतिशत से अधिक होने या खराब नहीं होने वाली वस्तु के लिए उसकी कीमत के 50 प्रतिशत अधिक होने के मामले में, स्टॉक को सीमित करने की लक्ष्मण रेखा होगी। यद्यपि, एक मूल्य श्रृंखला प्रतिभागी की स्थापित क्षमता और एक निर्यातक की निर्यात मांग को इस तरह की अधिरोपित स्टॉक सीमा से छूट रहेगी।

सरकार के पास अब अनेक साधन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग वह उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कर सकती है। इन उपायों में विभिन्न आवश्यक खाद्य पदार्थों (अनाज, दाल और प्याज) के बफर और निर्यात

पर प्रतिबंध और आयात उदारीकरण जैसे उचित व्यापार नीति का इस्तेमाल शामिल हैं। कीमतों के प्रबंधन के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से हस्तक्षेप कर सकती है।

वैसी परिस्थितियाँ जब स्टॉक सीमा लागू की जा सकती हैं।

संशोधन ऐसे कृषि खाद्य वस्तुओं के स्टॉक पर सीमा आरोपित करने के निर्णय लेने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड उपलब्ध कराता है। आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 में वैसी स्थितियों का उल्लेख किया गया है जब अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेलों सहित कृषि खाद्य सामग्री की आपूर्ति को विनियमित किया जाएगा। उन स्थितियों में युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा शामिल हैं। कृषि उपज की स्टॉक सीमा को लागू करने और नियमन के लिए शर्त है एक वर्ष से पहले की कीमत पर या पिछले 5 वर्षों के औसत खुदरा मूल्य की तुलना में बागवानी उपज के खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि; या गैर-कृषि योग्य कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि, जो भी कम हो।

21 अक्टूबर 2015 को रु. 55.6 प्रति किलोग्राम की तुलना में प्याज के मूल्य के वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर 21 अक्टूबर 2019 को रु. 45.53 प्रति किलोग्राम की कीमत और पिछले पाँच वर्षों के औसत खुदरा मूल्यों के आधार पर रु. 25.86 प्रति किलोग्राम को ध्यान में रखते हुए, जमावोरी की जाँच के लिए स्टॉक सीमा लगाकर प्याज की बिक्री को विनियमित करने का निर्णय लिया गया। 23 अक्टूबर 2020 को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई थी। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए 2 मीट्रिक टन तय की गई है।

संशोधन के बाद राज्य सरकार की शक्ति

आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक सीमा लागू करने या जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर कार्रवाई करने की राज्य सरकारों की शक्तियों को आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 सीमित नहीं करता है। राज्यों के पास अभी भी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, आपूर्ति, आवागमन, परिवहन आदि को विनियमित करने के लिए परमिट, लाइसेंस आदि जारी करने सहित अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। 29 अक्टूबर, 2020 को जारी परामर्श से यह स्पष्ट है कि सभी राज्यों को मंडियों से प्याज खरीदने के तीन दिन बाद पैकिंग, ग्रेडिंग आदि की अनुमति दी जाए, इससे पहले कि स्टॉक सीमा अधिरोपित करने के आदेश पर कोई कार्रवाई की जाए।

बौद्धिक विकास आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 का कालानुक्रम

क्रम सं.	आयोग/समिति/रिपोर्ट का नाम	वर्ष	अध्यक्ष/संगठन	अनुशास्ये
1	विपणन अवसंरचना विपणन सुधार पर विशेषज्ञ समिति	2001	श्री. शंकरलाल गुरु	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को स्वाभाविक मुक्त बाजारव्यवस्था से निरस्त करने की आवश्यकता है
2	रोजगार के अवसरों पर टास्क फोर्स	2001	श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया	कृषि को विनियंत्रण का लाभ देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए
3	खाद्य प्रबंधन और कृषि निर्यात मुख्यमंत्रियों की स्थायी समिति	6 जुलाई, 2001 को आहूत समिति की बैठक	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन नियंत्रणों का पर केंद्रीय मंत्रियों और प्रगतिशील विखण्डन	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन नियंत्रणों का प्रगतिशील विखण्डन
4	खाद्य प्रबंधन और कृषि निर्यात पर केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की स्थायी समिति	23 मार्च, 2002 को आहूत समिति की बैठक		भारत सरकार द्वारा गेहूं, धान, चावल, मोटे अनाज, चीनी तिलहन और खाद्य तेलों के भंडारण, परिवहन और वितरण पर प्रतिबंध हटाने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, समिति ने दालों से संबंधित समान प्रतिबंधों को भी हटाने की आवश्यकता पर जोर दिया और राज्यों द्वारा अन्य वस्तुओं के संबंध में जारी किए गए विभिन्न नियंत्रण आदेशों को आगे समीक्षा की अनुशासा की।
5	किसानों पर राष्ट्रीय आयोग: तीसरी रिपोर्ट	2005	प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन	यह बेहतर होगा यदि ईसीए, 1955 को निलंबित कर दिया जाए और सरकारी अधिसूचना द्वारा पुनर्जीवित किया जाए, यदि किसी विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट वस्तु के लिए सीमित समय के लिए कोई भी आपातकालीन स्थिति विकसित होती है। कुछ वर्षों तक देखने और संतुष्ट होने के बाद कि बदले हुए वातावरण के अधीन, बाजार के संचालन के साथ आपातकालीन स्थितियों से निपटना संभव है, तब अधिनियम को एक बार में ही निरस्त किया जा सकता है।
6	किसानों पर राष्ट्रीय आयोग: चौथी रिपोर्ट	2006	प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन	इस रिपोर्ट के मुताबिक कृषि उत्पाद के विपणन, भंडारण और प्रसंस्करण से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम और राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियमों सहित अन्य विधिक उपकरणों की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में आधुनिक कृषि जरूरतों को पूरा करने और निजी पूंजी को आकर्षित करने में मदद मिल सकें।

क्रम सं.	आयोग/समिति/रिपोर्ट का नाम	वर्ष	अध्यक्ष/संगठन	अनुशंसाये
7	सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्रियों की समिति, कृषि विपणन प्रभारी	2013	श्री हर्षवर्धन पाटिल	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन किसानों को निवेश और बेहतर सेवा वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए वास्तविक सेवा प्रदाताओं और काला बाजारों/जमाखोरों के बीच अंतर करने की जरूरत है। एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कृषि उपज के भंडारण और परिवहन पर एक स्थिर और दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि अनुबंध कृषि प्रायोजकों और प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंसधारियों को व्यापार के हित में उनकी आवश्यकता के छह महीने तक की स्टॉक सीमा से छूट दी जाए और दीर्घकालिक निवेश की सुविधा दी जाए।
8	आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 खंड 2	2017	-	ईसीए 1955 के अधीन अधिरोपित स्टॉक की सीमा खेत की उपज और इनकी कीमतों की घटती मांग को समाप्त करती है। ईसीए 1955 के साथ स्टॉक होल्डिंग सीमा को समाप्त करना आदर्श स्थिति होगी, जैसा कि लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों के आदेश 2016 में आवागमन पर प्रतिबंधों को हटाने की परिकल्पना की गई है, जिसके अनुसार परमिट/लाइसेंस की जरूरतों, स्टॉक सीमा और आवागमन पर सभी प्रतिबंधों को हटाया जाना था।
9	कृषि पर स्थायी समिति (सत्रहवीं लोकसभा, 2018-19): कृषि विपणन और साप्ताहिक ग्रामीण हाटों की भूमिका	2019	श्री हुकमदेव	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन किसानों को निवेश नारायण यादव और बेहतर सेवा का लाभ लेने के लिए वास्तविक सेवा प्रदाताओं और काला बाजारों/जमाखोरों के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। प्रायोजकों और प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंसधारियों को व्यापार के हित में उनकी आवश्यकता के छह महीने तक की स्टॉक सीमा से छूट दी जा सकती है और लंबी अवधि के निवेश की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

क्रम सं.	आयोग/समिति/रिपोर्ट का नाम	वर्ष	अध्यक्ष/संगठन	अनुशंसाये
10	महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की उच्चधिकार प्राप्त समिति	2019	नीति आयोग	<ol style="list-style-type: none"> 1. वस्तुओं को दो प्राथमिक श्रेणियों में वर्गीकृत करें 2. पहली प्राथमिकता (1)-नियंत्रित वस्तुएं <ol style="list-style-type: none"> a. दवाएँ-पुरानी बीमारियों, दुर्लभ बीमारी और आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक b. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद-के आयात पर बहुत अधिक निर्भरता, मानवीय व्यापार के लिए सभी व्यापार और तत्काल आवश्यकता को प्रभावित करती है, c. उर्वरक, चाहे अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित। 3. द्वितीय प्राथमिकता (2)-वस्तुओं को विनियंत्रित रखना, नियंत्रण केवल युद्ध की स्थिति, रक्षा बलों के सुरक्षित संचालन, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित असाधारण उदाहरण या आपदा के समय और अनियंत्रित मूल्य बढ़ने या आपूर्ति की कमियों को दूर करने के लिए रखा जा सकता है। <ol style="list-style-type: none"> a. खाद्य वस्तुएं b. कृषि उपज के बीज
11	आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 खंड 1	2020	-	अधिनियम कालदोष-युक्त है क्योंकि यह 1955 में लागू किया गया था जब भारत अकाल और कमी से चिंतित था; यह आज के भारत में अप्रासंगिक है और इसे समाप्त कर देना चाहिए।
12	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020	2020	-	अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल सहित ऐसे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केंद्र सरकार के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि, गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा में विनियमित किया जा सकता है।

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत्॥

सभी खुश रहें; सभी स्वस्थ रहें; सभी का कल्याण हो;
किसी को किसी भी प्रकार का दुख न हो।

—(बृहदारण्यक उपनिषद् 1.4.14)

17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) और 169 संबद्ध लक्ष्यों के साथ सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा में एक व्यापक विकासात्मक एजेंडा भी शामिल हैं जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को समाहित करता है। सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में SDG को मुख्यधारा में लाने के लिए राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर कई पहल की गई हैं। भारत आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं और न्यायसंगत सिद्धांतों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कई सक्रिय जलवायु कार्रवाई कर रहा है। जैसा कि UNFCCC और इसके पेरिस समझौते में अनिवार्य है, विकासशील देशों की जलवायु संबंधी क्रियाओं को विकसित से विकासशील देशों को वित्त प्रवाह द्वारा समर्थित किया जाना होगा। सतत विकास और जलवायु परिवर्तन देश द्वारा प्रस्तुत 'राष्ट्रीय स्तरीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) देश की विकासात्मक अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और यह "सर्वोत्तम प्रयास" के दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत ने अपने एनडीसी में वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में उत्सर्जन की मात्रा को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने की; वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने की तथा वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन का. बर्न डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्मित करने के लिए वन एवं वृक्ष क्षेत्र को बढ़ाने की इच्छा की है। हमें राष्ट्रों के बीच और एक राष्ट्र में सर्वत्र तथा भावी पीढ़ियों के मध्य अनिवार्यतः समानता के प्रयास करने की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी और परिणामी लॉकडाउन का अविश्वसनीय प्रभाव इस तथ्य को दोहराता है कि सतत विकास ही एकमात्र आगे का रास्ता है।

प्रस्तावना

6.1 चिरस्थायी विकास लक्ष्यों (SDG) की आधिकारिक अंगीकार के रूप में अपनी चौथी वर्षगांठ पर पहुंचते ही, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड-19) के प्रकोप को 30 जनवरी 2020 को घोषित किया। परिणामी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, जिसे बाद में एक महामारी के रूप में घोषित किया था, इसने मानव और आर्थिक लागतों को अपने विकास लक्ष्यों पर वापस लाने और SDG की प्राप्ति के लिए गंभीर बाधाएं पैदा करने के लिए प्रेरित किया है।

6.2 वर्ष 2020 के विषय में ऐसा माना जाता था कि इस में वर्ष विकसित देश की पार्टियां जलवायु वित्त के लिए संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य पूरा करने के लिए विकसित देशों द्वारा किए गए प्रतिबद्धताओं का एक अनिवार्य घटक थीं, जो मायावी बनी हुई है। COP26 का 2021 तक का स्थगन भी 2025 के पश्चात के लक्ष्य को सूचित करने के लिए बातचीत और अन्य साक्ष्य-आधारित कार्यों के लिए कम समय देता है।


6.3 भारत महामारी द्वारा उत्पन्न किए गए अभूतपूर्व संकट का अपवाद नहीं है। यह महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने, आजीविका के नुकसान का पता लगाने और आर्थिक सुधारों को प्रारंभ करने तथा व्यापक रूप से लागू करने और परिचित कराने की आवश्यकता से उभर रही उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालाँकि, निरंतर विकास की आवश्यकता देश की विकास रणनीति के मूल में बनी हुई है।

भारत और सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)

6.4 भारत ने सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में SDG को मुख्यधारा में लाने के लिए राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर कई सक्रिय कदम उठाए हैं। 2020 में, भारत की SDG पहलों का मुख्य आकर्षण स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) है, जिसमें सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम (HLPF) को प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वावधान में SDG की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय मंच है। समीक्षाएँ स्वैच्छिक और देश के नेतृत्व वाली हैं और उनका उद्देश्य सफल होने वाली चुनौतियों, सफलताएँ और सबक सहित अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना है। जुलाई 2020 में नीति आयोग ने HLPF में भारत का दूसरा VNR प्रस्तुत किया, जिसने देश की उपलब्धियों और SDGs को प्राप्त करने की दिशा में इसके आगे बढ़ने के तरीके पर प्रकाश डाला। विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त प्रगति के अलावा, VNR रिपोर्ट ने SDG स्थानीयकरण के भारतीय मॉडल, विभिन्न हितधारक परामर्शों से दृष्टिकोण, SDG के कार्यान्वयन के साथ व्यवसायों को एकीकृत करने की रणनीति और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करने के तरीके भी प्रस्तुत किए।

6.5 1000 से अधिक सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) के साथ परामर्श VNR रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया की आधारशिला रही है। परामर्श में चौदह विशिष्ट समूह (चित्र 1) शामिल थे। परामर्श का फोकस “किसी को पीछे नहीं छोड़ना” का सिद्धांत था, जो SDG के दिल में स्थित है।

चित्र 1: हितधारक परामर्श प्रक्रिया



स्रोत: नीति आयोग

6.6 इन हितधारकों के परामर्श ने कार्य और एसडीजी की ओर भारत की प्रगति पर प्रतिक्रिया के लिए एक मंच प्रदान किया। संस्थागत संवाद के लिए इस मंच को व्यापक रूप से प्रतिभागियों के बीच स्वीकार किया गया था। इन चुनौतियों की असंख्य अभिव्यक्तियों को बनाए रखने के लिए राज्य और बाजार की कार्रवाई के लिए, कार्य की प्रकृति को अनुकूली, पुनरावृत्ति और प्रतिक्रिया पर आधारित होना होगा, जो संस्थागत संवाद प्रदान कर सकता है।

6.7 VNR की तैयारी ने SDGs पर निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव को मजबूत करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया। हाल के दिनों में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी) (CSR) पहल के तहत निजी क्षेत्र का वर्च SDG के ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक प्रमुख आय है। VNR प्रक्रिया ने व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता के ढांचे को अपनाने में तेजी को बढ़ाया और उद्योग के नेताओं के बीच अधिक चेतना पैदा की। इस 'व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्टिंग समिति की रिपोर्ट में प्रतिध्वनित किया गया है जिसे 2020 में जारी किया गया था। व्यावसायिक रिपोर्ट और स्थिरता रिपोर्ट (BRSR) इस रिपोर्ट में उल्लिखित रूपरेखाएं जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण (NGRBC) पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों से निकलता हैं जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और मानव अधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांतों (NGRBC) से जुड़ी हैं। BRSR प्रारूप में वार्षिक वित्तीय खुलासों के साथ गैर-वित्तीय प्रकटीकरणों की बढ़ती प्रवृत्ति को शामिल किया गया है, जो पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियों की मान्यता प्रदान करता है।

SDG का स्थानीयकरण


6.8 2030 एजेंडा के तहत लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से SDG का स्थानीयकरण किसी भी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। अनिवार्य रूप से, स्थानीयकरण वाले SDG में प्रासंगिक संस्थानों और हितधारकों द्वारा SDGs को राष्ट्रीय से स्थानीय स्तर पर लागू करने, नियोजन, निगरानी और परिपालन की प्रक्रिया शामिल है। संस्थाओं के जुड़ाव और सहयोग के मामले में, यह परिणामी है कि राष्ट्रीय स्तर पर SDG को प्राप्त करने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें कैसे एक साथ काम करती हैं; और SDG कैसे स्थानीय स्तर पर SDG लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उप-व्यावसायिक और स्थानीय नीति, योजना और कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान

करते हैं। एसडीजी सफलताओं में तेजी लाने के लिए, देश ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का दृष्टिकोण अपनाया है जो विभिन्न विकास परिणामों में राज्यों के बीच राष्ट्र निर्माण और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में केंद्र-राज्य सहयोग पर आधारित है। SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड, जिसे नीति आयोग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर SDG प्रदर्शन को मापने और निगरानी करने का प्रमुख उपकरण है। केंद्र सरकार और संबद्ध संस्थानों के सहयोग से SDG प्राप्त करने के लिए राज्यों को संस्थागत रूप से सशक्त और तैनात किया जाता है। इसलिए, केंद्र सरकार के साथ SDG के स्थानीयकरण की प्रक्रिया में राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

चित्र 2: SDG स्थानीयकरण



स्रोत: नीति आयोग



स्रोत: नीति आयोग

6.9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने स्वयं के विशिष्ट संदर्भों में SDG के कार्यान्वयन के लिए असतत् संस्थागत संरचनाएं बनाई हैं। कई राज्यों ने समन्वय, अभिसरण और डेटा प्रबंधन को अधिक सटीक और पूर्वानुमेय करने के लिए प्रत्येक विभाग के भीतर और जिला स्तरों पर नोडल तंत्र भी बनाया है। चित्र 2(क और ख) SDG के स्थानीयकरण के लिए स्थापित संस्था-संबंधी सैटअप (ढांचा) दिखाता है।

महामारी के दौरान केंद्र सरकार का SDG से संबंधित हस्तक्षेप

6.10 कोविड-19 महामारी ने, आगे किसी भी विकास रणनीति के मूल में स्थायी विकास को बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। महामारी ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को चुनौती दी है, इससे आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और देश में भोजन और पोषण उपलब्धता में असमानता बढ़ गई है। इसने ऐसे संस्थानों और तंत्रों के महत्व को दोहराया जो देश को बाहरी झटके को दृढ़ता से झेलने में सक्षम बनाने में सहायक हो सकते हैं। महामारी की अवधि ने केंद्र और राज्य सरकारों के संरक्षण और आजीविका के सृजन के समन्वित प्रयासों को देखा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भोजन और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और रोग-संचार से पैदा हुए दबाव का सामना करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाता है। कारगर पहलों के कारण देश ने कोविड-19 महामारी के तात्कालिक प्रभाव को झेल लिया और देश इस मुश्किल की घड़ी में भी अपने सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की ओर आगे बढ़ते रहने में सक्षम बना। इसके अलावा कृषि श्रम बल तथा एमएसएमई सेक्टर जैसे क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे सुधारात्मक उपाय किए गए हैं जिनका एसडीजी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा। राज्य सरकारों ने भी इस महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न कारगर पहल करके तथा राहत कार्यक्रमों के जरिए महामारी की मार झेल रहे लोगों को मदद देने के उपाय किए हैं।

जलवायु परिवर्तन

6.11 भारत आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं और इक्विटी के सिद्धांतों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कई सक्रिय जलवायु कार्रवाई कर रहा है। देश द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) देश की विकासात्मक अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और यह 'सर्वोत्तम प्रयास' है, अपने NDC में, भारत ने वर्ष 2030 तक 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत कम करने की मांग की है; 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत प्राप्त करना; और 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए वन और पेड़ का आच्छादन बढ़ाएं। अन्य लक्ष्य संरक्षण और मॉडरेशन के पारंपरिक मूल्यों, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन, और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी, आदि स्वच्छ आर्थिक विकास के आधार पर स्थायी जीवन शैली अपनाने से संबंधित हैं।

शमन और अनुकूलन कार्यों और उनकी प्रगति पर सरकार की प्रमुख पहल

6.12 जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) 2008 में शुरू की गई थी। इसने देश के जलवायु परिवर्तन से संबंधित उद्देश्यों और अनुकूलन और जलवायु जोखिमों पर तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए 8 राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने पेरिस समझौते के तहत भारत द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुरूप NAPCC को संशोधित करने का फैसला किया है ताकि इसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संदर्भ में और अधिक व्यापक बनाया जा सके। NAPCC के तहत प्रमुख घटनाक्रम नीचे तालिका 1 में कैप्चर किए गए हैं।

तालिका 1: NAPCC के तहत राष्ट्रीय मिशन

मिशन प्रमुख	उद्देश्य/लक्ष्य	प्रगति
1 राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM)	2014-15 से शुरू होने वाले सात वर्षों में 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा की प्राप्ति।	सितंबर 2020 तक 36.9 गीगावॉट की संचयी क्षमता का गठन किया गया था। लगभग 36 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना के अधीन है, और अतिरिक्त 19 गीगावॉट क्षमता प्रस्तुत की गयी है।
2 राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन (NMEEE)	<ul style="list-style-type: none"> पारिस्थितिक स्थिरता के साथ विकास प्राप्त करना। बड़ी ऊर्जा खपत करने वाले उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी लाना, PPP के लिए मांग-पक्ष प्रबंधन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए वित्त पोषण करना। ऊर्जा-प्रोत्साहन, ऊर्जा-कुशल उपकरणों पर कम करों सहित। 	<ul style="list-style-type: none"> परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड (प्रदर्शन, हासिल और व्यापार) (PAT) स्कीम NMEEE के तहत एक पहल है, और इसे मार्च 2012 में शुरू किया गया था। PAT साइकिल I (2012-2015) ने लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिससे लगभग 31 मिलियन टन CO₂ (MtCO₂) की बचत हुई। PAT साइकिल II (2016-17 से 2018-19) - 61.34 MtCO₂ की उत्सर्जन में कमी हासिल की गई। PAT साइकिल III (2017-18 से 2019-20) 31 मार्च 2020 को संपन्न हुई, इस चक्र के परिणाम प्रतीक्षित हैं। वर्तमान में PAT साइकिल IV कार्यान्वयन के अधीन है।
3 ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन (GIM)	5 मीटर प्रति हेक्टर वन/वृक्षों के आच्छादन को बढ़ाकर और दूसरे 5 मीटर हेक्टर (कुल 10 मीटर हेक्टर) पर वन आच्छादन की गुणवत्ता में सुधार करके पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार।	1.42 लाख हेक्टर के क्षेत्र में वनीकरण गतिविधियों के लिए 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान 13 राज्यों को 343.08 करोड़ ₹. की राशि जारी की गई है।
4 स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन (NMSH)	<ul style="list-style-type: none"> स्थायी निवास मानकों का विकास। मौजूदा ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC) का विस्तार करके शहरी नियोजन के मुख्य घटक के रूप में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। मोटर वाहन ईंधन अर्थव्यवस्था मानकों के प्रवर्तन को मजबूत करना, और किफायती वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए मूल्य आधारित उपायों का प्रयोग करना लोक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 	<ul style="list-style-type: none"> मिशन को तीन कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्त किया जा रहा है: कायाकल्प पर अटल मिशन और शहरी परिवर्तन, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटीज मिशन। ECBC के तहत, अक्टूबर 2020 तक, 335 प्रदर्शन भवनों को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अनुपालन के लिए तकनीकी सहायता का समर्थन किया गया है। 0.16 बिलियन एम² का संचयी निर्मित क्षेत्र 0.17 BU की अनुमानित ऊर्जा बचत सुनिश्चित करता है।

			<ul style="list-style-type: none"> • स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत 1987 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं, जबकि 4375 परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए जरूरी है कि शहरों में कम से कम 10% ऊर्जा सौर से आए और कम से कम 80% इमारतों को ऊर्जा कुशल और ग्रीन होना चाहिए। • शहरी परिवहन मॉडल शिफ्ट: जून 2020 तक 18 प्रमुख शहरों में 700 किलोमीटर मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था और देश में 11 शहरों में लगभग 450 किलोमीटर का बस स्टैड ट्रांजिट (बीआरटी) नेटवर्क का परिचालन किया गया था जिसकी क्षमता प्रतिदिन 10 मिलियन यात्रियों की थी। • स्मार्ट स्टीज मिशन: जून 2020 तक निविदागत स्मार्ट स्टीज परियोजनाओं का मूल्य 1,66,000 करोड़ रुपए से अधिक था जिसमें जारी किए गए वर्क ऑर्डर का मूल्य 125,000 करोड़ रुपए और पूरी की गई परियोजनाओं का मूल्य 27,000 करोड़ रुपए था। • इस मिशन के तहत स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट सोलर, स्मार्ट वाटर पीपीपी, आकर्षक (वाइब्रन्ट) सार्वजनिक स्थल परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। • स्वच्छ मिशन: दिस. 2020 में मिशन के 5.8 मिलियन लक्ष्य के तहत 6.2 मिलियन शौचालय, मिशन के 0.50 मिलियन लक्ष्य के तहत 0.59 मिलियन सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। मिशन के तहत 83 हजार से भी अधिक वॉर्डों में घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया। • देश में कुल 4372 शहरों में से 4340 (99%) शहरों को खुले में शौच से मुक्त शहर घोषित किया गया है।
5	राष्ट्रीय जल मिशन (NWM)	<ul style="list-style-type: none"> • वर्तमान में भूजल, जलभृत मैपिंग, क्षमता निर्माण, जल गुणवत्ता निगरानी और अन्य आधारभूत अध्ययनों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> • नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी 16 चयनित राज्यों के लिए जल हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजना (एसएसएपी) के कार्यान्वयन के लिए मुख्य एजेंसी है। 5 राज्यों ने एसएसएपी के पहले चरण का कार्य पूरा कर लिया है।

		<ul style="list-style-type: none"> जल संरक्षण, संवर्द्धन और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना। अति शोषित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। बेसिन-स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। 	<ul style="list-style-type: none"> 6376 नए भूमिगत जल मॉनीटरिंग तेल का निर्माण किया गया।
6	सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन	कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, पारिश्रमिक और जलवायु को लचीला बनाकर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना।	<ul style="list-style-type: none"> फसल अवशेष जलाने को कम करने के लिए 2018-19 में 7960 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः अलग-अलग एकीकृत कृषि प्रणाली दृष्टिकोण के तहत लगभग 74,175.41 हेक्टर और 55,902.92 हेक्टर का क्षेत्र लाया गया था। 2018-19 और 2019-20 के दौरान, 4.14 लाख हेक्टर का एक क्षेत्र जैविक खेती के तहत कवर किया गया था।
7	हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन	<ul style="list-style-type: none"> प्रमुख उपलब्धियों में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और स्टेट क्लाइमेट चेंज सेंटरों में ग्लेशियोलॉजी केंद्र स्थापित करना शामिल है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की स्वास्थ्य स्थिति का लगातार आकलन करना और नीति निर्माण कार्यों में नीति निकायों की सुविधा प्रदान करना। हिमालयी राज्यों में मौजूदा संस्थानों में जलवायु परिवर्तन के लिए प्रासंगिक नए केंद्रों की स्थापना। ग्लेशियोलॉजी में पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग। 	<ul style="list-style-type: none"> हिमालयन क्रायोस्फीयर पर एक राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम जिसमें अनुसंधान अध्ययन शामिल हैं, को भी लॉन्च किया गया है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए मानव और संस्थागत क्षमता निर्माण (HICAB) नामक एक मेगा कार्यक्रम वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान लॉन्च किया गया है और छह राज्य स्तरीय ज्ञान नेटवर्क को यूटी के जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश और राज्यों के लिए समर्थन किया गया है हिमालयी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर। इस कार्यक्रम के तहत, 18 परियोजनाएं और 7 प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा, मिशन के तहत तीन उत्कृष्टता के केंद्र, - कश्मीर यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी और तेजपुर यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया गया है।
8	जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (NMSKCC)	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु विज्ञान की बेहतर समझ हासिल करना, अनुसंधान और विकास में लगे मौजूदा ज्ञान संस्थानों के बीच ज्ञान नेटवर्क का गठन। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रमुख उपलब्धियों में 12 उत्कृष्टता केंद्र और 10 राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित करना शामिल हैं।

	<ul style="list-style-type: none"> देश के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय प्रभाव के मॉडलिंग के लिए राष्ट्रीय क्षमता का विकास। 	<ul style="list-style-type: none"> अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, अग्रिम कोयला प्रौद्योगिकी, उन्नत ऊर्जा दक्षता, हरित वन, सतत आवास, जल, सतत कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में 8 वैश्विक प्रौद्योगिकी समूह (GTWG) स्थापित किए गए हैं।
--	---	--

स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

6.13 सरकार ने (i) 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा को 3 चरणों में उपलब्ध कराने (ii) 2022 तक 20 मिलियन सोलर लाइट सहित 2,000 मेगावाट की ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग और (iii) 20 मिलियन वर्ग मीटर सौर तापीय कलेक्टर क्षेत्र के उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM) का शुभारंभ किया, उपरोक्त लक्ष्यों को नीचे दिए गए तालिका-2 के अनुसार चरणबद्ध रूप से विभाजित किया गया है।


तालिका 2: JNNSM के तहत लक्ष्य का चरण वार वितरण

क्रम संख्या	अनुप्रयोग खंड	चरण 1 के लिए संचयी लक्ष्य (2010-13)	रण 2 के लिए संचयी लक्ष्य (2013-17)	चरण 3 के लिए संचयी लक्ष्य (2017-22)
1	सौर संग्राहक	7 मिलियन वर्ग मीटर	15 मिलियन वर्ग मीटर	20 मिलियन वर्ग मीटर
2	ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोग	200 मेगावाट	1000 मेगावाट	2000 मेगावाट
3	उपयोगिता ग्रिड शक्ति, छत सहित	1,000-2000 मेगावाट	4000-10,000 मेगावाट	20000 मेगावाट

स्रोत: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

6.14 इसके बाद, सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2021-22 तक ग्रिड 20000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लक्ष्य को 2021-22 से 100,000 मेगावाट तक बढ़ा दिया है और इसे 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। चित्र 3 और 4 NSM के तहत ऑफ-ग्रिड सोलर प्रोग्राम और ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स के तहत लक्ष्य और उपलब्धि पर प्रकाश डालते हैं।


चित्र 3: ऑफ-ग्रिड सौर कार्यक्रम के तहत लक्ष्य और उपलब्धियां



स्रोत: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

6.15 ग्रीन इंडिया (GIM) के लिए राष्ट्रीय मिशन भी पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के वन आच्छादन को संरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना, बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देना है। यह हरियाली के एक समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है और सह-लाभ के रूप में कार्बन अनुक्रम और उत्सर्जन में कमी के साथ-साथ कई पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। मिशन की शुरुआत वन/गैर-वन भूमि पर 5 मिलियन हेक्टर (m ha) पर वन/वन आच्छादन बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी और अन्य 5 मिलियन हेक्टर भूमि क्षेत्र पर वन आच्छादन की गुणवत्ता में सुधार किया गया था। मिशन ने जैव विविधता,


चित्र 4: NSM के तहत ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजनाओं का भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि



स्रोत: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

जल विज्ञान सेवाओं और कार्बन सीक्वैस्ट्रेशन सहित पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के सुधार को लक्षित किया, विभिन्न वनीकरण गतिविधियों जिसमें केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 2015-16 से 2019-20 तक 8.49 मिलियन m ha क्षेत्र को वृक्षारोपण किया गया, इस मिशन के अन्तर्गत विशेष रूप से राज्य योजनायें स्किम में NGO द्वारा किया गया वृक्षारोपण सिविल सोसाइटी तथा कार्पोरेट हाऊस द्वारा बारह बिंदु कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.42 लाख हेक्टेयर किया गया। नीचे दिया गया चित्र 5 बनीकरण के लक्ष्य और उसकी उपलब्धियों को दर्शाता है।

चित्र 5: ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वनीकरण लक्ष्य और इसकी उपलब्धि।



स्रोत: ग्रीन इंडिया मिशन निदेशालय

6.16 जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (CCAP) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे देश में जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक क्षमता के निर्माण और समर्थन के लिए जनवरी 2014 में

मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण करना और उपयुक्त संस्थागत ढांचा स्थापित करना और पांच साल की अवधि के लिए 290 करोड़ रू. की कुल लागत पर जलवायु क्रियाओं को लागू करना था। CCAP योजना के दो महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय कार्बोनेशियस एयरोसोल कार्यक्रम (NCAP) और दीर्घकालिक पारिस्थितिक वेधशालाएँ (LTEO) हैं। NCAP एक बहु-संस्थागत कार्यक्रम है जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के नेतृत्व में 17 संस्थानों के संघ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन वर्ष 2017-18 में किया गया था और यह पांच साल की अवधि की परियोजना है। LTEO CCAP योजना के तहत 5 साल की अवधि के लिए एक और परियोजना है और वर्ष 2019-2020 में शुरू की गई थी। CCAP की अवधि शुरू में 2017-18 से 2019-20 तक थी और बाद में इसे 218.43 करोड़ रू. के बजट परिव्यय के साथ 2020-21 तक बढ़ा दिया गया था।

6.17 उपरोक्त के अलावा, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (नाबार्ड) के रूप में राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई 2015-16 में 350 करोड़ रू. के बजट आवंटन के साथ 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए संचालित किया गया था। यह योजना 364 करोड़ रू. के वित्तीय निहितार्थ के साथ 31 मार्च 2020 तक 12 वीं पंचवर्षीय योजना से आगे बढ़ती रही है। NAPCC का उद्देश्य ठोस अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करना है जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय सरकारों की योजनाओं के माध्यम से चल रही गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। सितंबर 2020 तक, NAFCC द्वारा 8,47.5 करोड़ रू. की लागत वाली 30 परियोजनाओं (दो बहु राज्य क्षेत्रीय परियोजनाओं सहित) को मंजूरी दे दी गई है और ये परियोजनाएँ कृषि, जल, वानिकी, शहरी, तटीय क्षेत्रों, प्रबंधन, समुद्री प्रणाली, पर्यटन और मानव स्वास्थ्य आपदा में 27 राज्यों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

6.18 सरकार विश्वसनीय, सस्ते और सक्षम इलेक्ट्रिक¹ और हाइब्रिड वाहनों को बाजार में लाने को प्रोत्साहित करने हेतु 1 अप्रैल 2015 से भारत में (हाइब्रिड) और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से भंगीकार करने और विनिर्मित करने की (एफएएमई भारत) स्कीम लागू कर रही है। इस योजना के पहले चरण का विस्तार समय-समय पर होता रहा है और 31 मार्च 2019 तक योजना को अंतिम रूप देने की तारीख निर्धारित की गई थी। FAME भारत योजना के पहले चरण के अनुभव एवं निष्कर्ष को देखते हुए सभी शेरधारकों के साथ उद्योग एवं उद्योग संघों से परामर्श करने के पश्चात् FAME योजना का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से ₹ 1000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ लागू किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-3 व्हीलर, 55000 ई-4 व्हीलर (पैसेंजर कार मजबूत हाइब्रिड) और 10 लाख ई-2 व्हीलर का समर्थन करके मांग उत्पन्न करना है। योजना का पहला चरण समय समय पर विस्तारित किया। तथा अंतिम विस्तार 31.3.2019 तक दिया गया था।

भारत की NDC और इसकी आगामी चुनौतियाँ

6.19 भारत ने माना है कि उसके विकास का मार्ग एक होना चाहिए जो सतत विकास के सभी तीन स्तंभों, अर्थात्, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर पर्याप्त जोर देता है। वर्तमान पीढ़ी द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित जलवायु क्रियाओं के संबंध में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी पर भी बहुत अधिक दबाव डाला जा रहा है। हालांकि, इंटर-जेनरेशनल इक्विटी की अनिवार्यता, यानी गरीबी उन्मूलन और न्यायसंगत सामाजिक और आर्थिक विकास को एक तरफ नहीं रखा जा सकता है। जलवायु लक्ष्यों का कार्यान्वयन वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य के साथ जुड़ा हुआ है।

6.20 राष्ट्रीय परिस्थितियों की मांग है कि अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाओं के कारण अत्यधिक संवेदनशील देश होने के नाते भारत के लिए पहली प्राथमिकता अनुकूलन है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण कार्बन स्टॉक

¹<https://fame2.heavyindustry.gov.in/>

बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव समय बीतने के साथ बिगड़ने की आशंका है। इसलिए, भारत के अनुकूलन के प्रयासों को और तेज करना होगा और इसके साथ ही अनुकूलन लागत में वृद्धि होगी। मिशन मोड पर अनुकूलन और शमन कार्रवाई को लागू करने के लिए देश घरेलू संसाधनों पर निर्भर है। इसलिए, विशेष रूप से देश के लक्ष्यों को काफी हद तक पूरा करने के लिए वित्तपोषण के विचार महत्वपूर्ण रहेंगे। कोविड-19 महामारी के साथ, देश का प्राथमिक ध्यान जीवन और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। यहां तक कि जलवायु कार्रवाई भी एक प्राथमिकता है।

6.21 एनडीसी का कार्यान्वयन 01.01.2021 को प्रभावी ढंग से शुरू हुआ। भारत की NDC स्पष्ट रूप से बताती है कि वित्त जलवायु परिवर्तन कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। NDC दस्तावेज में प्रारंभिक वित्तीय अनुमान बताता है कि भारत को कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, बुनियादी ढाँचे, जल संसाधन और पारिस्थितिक तंत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अनुकूलन कार्यों को लागू करने के लिए 2015 से 2030 के बीच लगभग 206 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2014-15 की कीमतों पर) की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, लचीलापन और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी। NDC भारत के जलवायु परिवर्तन कार्यों को 2030 तक पूरा करने के लिए प्रारंभिक कुल अनुमान प्रदान करता है जो यूएस डॉलर + 2.5 ट्रिलियन (2014-15 की कीमतों पर) है। इस संदर्भ में, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को लागू करने के लिए वित्तीय आवश्यकता का स्पष्ट मूल्यांकन होना महत्वपूर्ण है, ताकि भारत की प्रतिबद्धताओं और संसाधनों के प्रतिस्पर्धात्मक उपयोगों को देखते हुए संसाधनों का आवंटन उचित और कुशल हो सके। इसलिए, NDC को लागू करने के लिए लागत संबंधी आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक अनुमान और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संभावित संसाधन एक अनिवार्य पूर्व-आवश्यक चीज़ है।

6.22 संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यकताओं के बीच एक विशाल अंतर के साथ, व्यापक स्तर के NDC लक्ष्यों को लागू करना एक बड़ी चुनौती है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर लगातार कार्रवाई की है और 2005-2014 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 21 प्रतिशत की कमी आई है (BUR) के रिपोर्ट के अनुसार। भारत ने इस प्रवृत्ति को बनाए रखा है और 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2016 में तीव्रता को 24 प्रतिशत तक कम कर दिया है। हालांकि, समय पर ढंग से हमारे NDC को पूरी तरह से लागू करने के लिए, देश को नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। पेरिस समझौते के तहत विकसित देश विकासशील देश को नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे लागू करने की आवश्यकता है।


6.23 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एकीकृत दृष्टिकोण अपेक्षित है ताकि आवश्यक संसाधनों को जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए आवश्यक बनाया जा सके। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकसित देशों को वर्तमान में जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्ध स्तर को हासिल करने के लिए जितना कार्य करना है, उससे कहीं अधिक करने की आवश्यकता है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त का वर्तमान दायरा, पैमाना और गति, अपर्याप्त है, क्योंकि जलवायु वित्त संबंधी आवश्यकताओं के लिए अरबों डॉलर की आवश्यकता होती है, जो विकसित देशों द्वारा 2020 तक प्रत्येक वर्ष 100 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता है, जो बहुत मामूली दायित्व है लेकिन जो यह अभी तक साधित/प्राप्त नहीं हुआ है।

जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय वार्ता

6.24 1992 में रियो सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC-कन्वेंशन) को अपनाते के बाद से, जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय तंत्र विकसित हुआ है और समस्या को संबोधित कर वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए कई जलवायु परिवर्तन के समझौतों और निर्णयों को

अपनाया गया है। नवीनतम संधि – पेरिस समझौते को कन्वेंशन के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए दिसंबर 2015 में UNFCCC के तहत अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना है, जो इस सदी के पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए विकसित देशों से विकासशील देशों को समर्थन मिला। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन से वर्तमान में किए गए समझौतों और लिए गए फैसलों के संक्षिप्त इतिहास को चित्र 6 में दर्शाया गया है।

चित्र 6: रियो सम्मेलन 1992 से 24 वें सत्र के लिए पार्टियों का सम्मेलन (सीओपी 24) - लिए गए निर्णयों का संक्षिप्त इतिहास



स्रोत: COP संबंधी विभिन्न निर्णय; जीसीएफ: ग्रीन क्लाइमेट फंड

पार्टियों के सम्मेलन का 25 वां सत्र (COP 25)

दलों के सम्मेलन का 25 वां सत्र (COP 25)

6.25 COP 25 निर्णय पाठ, जिसका शीर्षक 'चिली मैट्रिट टाइम फॉर एक्शन' है, में उन अनवरत चुनौतियों पर जोर दिया गया है, जो विकासशील देश वित्तीय, प्रौद्योगिकी और क्षमता-निर्माण समर्थन तक पहुंचने में सामना करते हैं। इसने विकासशील राष्ट्रों को सहायता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को मान्यता दी, ताकि वे अपने राष्ट्रीय अनुकूलन और शमन प्रयासों को मजबूत कर सकें। इस निर्णय ने विकासशील देश पार्टियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2020 तक संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष जुटाने के लक्ष्य के लिए विकसित देश की पार्टियों द्वारा की गई प्रतिबद्धता को भी याद किया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षा के मुद्दे पर, न केवल जलवायु परिवर्तन शमन के प्रयास परंतु विकासशील देशों के दलों से लेकर विकसित देशों के दलों से 'अनुकूलन और कार्यान्वयन' के साधन की सहायता सहित संतुलित एवं विकसित विचार के लिए उपलब्ध स्वीकार्य निर्णय शामिल है।

पार्टी के सम्मेलन का 26 वां सत्र (COP 26) और 2020 के बाद के मुद्दे

6.26 कोविड-19 महामारी के कारण, COP26 और पूर्ववर्ती UNFCCC सहायक निकायों के सत्रों को अब 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। COP26 से पारदर्शिता तंत्र अनुच्छेद 6 (बाजार और गैर-बाजार तंत्र); राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान के लिए सामान्य समय सीमा; दीर्घकालीन जलवायु वित्त आदि पर निर्णय लेने की उम्मीद है। COP 26 के लिए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हैं- नुकसान और हानि के लिए वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का अभिशासन, 2020 से पूर्व के कार्यान्वयन पर काम जारी रखना और कन्वेंशन के तहत दीर्घकालिक वैश्विक लक्ष्य की दूसरी आवधिक समीक्षा और इसे प्राप्त करने की दिशा में समग्र प्रगति। वित्त मामलों पर, जलवायु वित्त की परिभाषा और जलवायु वित्त के मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण के लिए एक सामान्य लेखांकन पद्धति पर आम सहमति पर पहुंचना आवश्यक है। विकासशील देशों की आवश्यकताओं के आधार पर जलवायु वित्त, 2020 के बाद के नए सामूहिक लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है।

स्थिरता के साथ वित्त सरेखित करना

सतत विकास के लिए वित्त संवर्धित करना

6.27 सतत विकास के लिए वित्तपोषण बढ़ाने के लिए यह एक सुसंगत कदम है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए आकांक्षात्मक दृष्टि के अनुरूप सरकार की विकास प्राथमिकताओं और लोगों के कल्याण के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई उपाय किए जा चुके हैं और आगे भी कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- i) जिम्मेदार वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय स्वैच्छिक² दिशानिर्देशों को 2015 में अंतिम रूप दिया गया था। ये वित्तीय क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को जोड़ते हैं और अनुकूल बनाते हैं। दिशानिर्देश एक स्वैच्छिक साधन हैं और अनुपालन से परे वित्तीय संस्थानों के आचरण लिए मानदंड प्रस्तुत करते हैं। इन दिशानिर्देशों में 8 सिद्धांत दिए गए हैं, जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) की जिम्मेदारियों के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं ताकि व्यावसायिक कार्रवाई को सूचित किया जा सके।
- ii) 2015 में, RBI ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लक्ष्यों³ के भीतर सामाजिक बुनियादी ढाँचे और छोटी नवीकरण गीय ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण देना शामिल किया। सितंबर 2020 में, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा 30 करोड़ रु. से दुगुना की गई। और घरों के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा ऋण सीमा 10 लाख प्रति उधारकर्ता थी।⁴
- iii) 2009 में 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश'⁵ जारी किए गए थे, जो व्यावसायिक जिम्मेदारी की अवधारणा को मुख्यधारा में शामिल करते थे। दिशानिर्देश भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और प्राथमिकताओं के साथ-साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर विकसित किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), व्यापार और मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों (UNGPs), जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते आदि शामिल हैं। संशोधित दिशानिर्देशों⁶ को मार्च 2019 में जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण⁵ पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (NGRBC) के रूप में जारी

²<https://www.cafral.org.in/sfControl/content/LearningTakeaWays/1213201764617PMNationalVoluntaryGuidelinesforResponsibleFinancing.pdf>

³<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10497&Mode=0>

⁴<https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Mode=0&Id=11959>

⁵<http://www.mca.gov.in/SearchableActs/Section135.htm>

⁶https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/NationalGuideline_15032019.pdf

क्रिया गया था। NGBRC को जिम्मेदार आचरण के सिद्धांत को अपनाने के लिए व्यवसायों में सहयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है।

- iv) व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्टिंग (BRR) की रूपरेखा में NGBRC सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने के लिए, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के साथ-साथ BRR प्रारूपों की समीक्षा और अद्यतन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। मई 2020 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट⁷ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, समिति ने ऊपर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के साथ-साथ सूचीबद्ध कंपनियों, दोनों, द्वारा गैर-वित्तीय मापदंडों पर रिपोर्टिंग के इरादे और गुंजाइश टर्नओवर और/या पेड-अप कैपिटल की ऊपर निर्दिष्ट सीमा को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए 'व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट (BRSR)' नामक एक नए रिपोर्टिंग ढांचे की सिफारिश की। समिति का मानना है कि BRSR फाइलिंग के माध्यम से ज्ञात है जानकारी का उपयोग कंपनियों के लिए एक व्यावसायिक जिम्मेदारी-स्थिरता सूचकांक विकसित करने के लिए किया जाता है।
- v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने 2012 में अपने 'लिस्टिंग विनियमों' के माध्यम से पर्यावरण, सामाजिक और शासन के परिदृश्य से व्यावसायिक जिम्मेदार रिपोर्ट (BRR) प्रारूप⁸ का उपयोग करते हुए NVG के खिलाफ अपने निष्पादन का खुलासा करने के लिए बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं को अधिकार पत्र दिया। इसे वित्त वर्ष 2015-16 में शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए बढ़ाया गया था। दिसंबर 2019 में, सेबी ने वित्त वर्ष 2019-20⁹ से बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए BRR की आवश्यकता को बढ़ा दिया। सेबी ने 2017 में एक परिपत्र भी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एकीकृत रिपोर्टिंग¹⁰ को वित्तीय वर्ष 2017-18 से शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा स्वैच्छिक आधार पर अपनाया जा सकता है, जिनके लिए BRR तैयार करना अपेक्षित है।
- vi) ग्रीन बॉन्ड्स या सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स जैसे नवीन स्थिरता-आधारित पूंजी बाजार के उत्पादों से आगे बढ़कर, भारत सामाजिक उद्यम द्वारा पूंजी जुटाने के लिए सेबी के विनियामक दायरे में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए सामाजिक उद्यम एक सामाजिक कल्याण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। SEBI ने सितंबर 2019¹¹ में सोशल स्टॉक एक्सचेंजों पर एक कार्यकारी समूह (WG) का गठन किया। कार्यकारी समूह ने 1 जून 2020 को रिपोर्ट¹² सौंपी। वर्किंग ग्रुप ने अपने विजन को रेखांकित किया है और सिफारिशों की हैं, जिसमें एसएसई विषय पर गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) और फॉर-प्रॉफिट एंटरप्राइजेज (FPEs) की भागीदारी न्यूनतम रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, WG ने SSE पर NPOs द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकीकरण की भी सिफारिश की है। WG की सिफारिशों के संदर्भ में, SSE पर ऑन-बोर्डिंग NPOs और FPEs के लिए एक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें लाभकारी सामाजिक निवेश उद्यमों को परिभाषित करना शामिल है, वित्तीय, शासन, निष्पादन आदि से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्धारित करना और सामाजिक प्रभाव, सामाजिक लेखापरीक्षक और सूचना भंडार

⁷http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/BRR_11082020.pdf

⁸https://www.sebi.gov.in/sebi_data/attachdocs/1344915990072.pdf

⁹<http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/214955.pdf>

¹⁰https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/feb-2017/integrated-reporting-by-listed-entities_34136.html

¹¹https://www.sebi.gov.in/media/press-releases/sep-2019/sebi-constitutes-working-group-on-social-stock-exchangessse-_44311.html


¹²https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/jun-2020/report-of-the-working-group-on-social-stock-exchange_46751.html

आदि से संबंधित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है। सितंबर 2020 में, सेबी ने इन पहलुओं¹³ पर सिफारिशें तैयार करने और देने के लिए एक तकनीकी समूह का गठन किया है।

- vii) ग्रीन बॉन्ड किसी इकाई द्वारा निवेशकों से धन जुटाने के लिए जारी किए गए ऋण लिखित हैं और ग्रीन बॉन्ड की आय का उपयोग 'ग्रीन' परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। भारत सरकार के निवेशकों के पर्यावरण लक्ष्यों और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड एक प्रभावी साधन है।¹⁴ 2017 में, भारत में ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए प्रेरणा देने के लिए, सेबी ने ग्रीन बॉन्ड पर दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर ग्रीन बॉन्ड की सूची शामिल थी। S & P BSE CARBONEX (2012 में), MSCI ESG इंडिया (2013 में), और S & P BSE 100 ESG सूचकांक (2017 में) जैसे ग्रीन सूचकांकों की शुरुआत निष्क्रिय और खुदरा निवेशकों को 'ग्रीन' कंपनियों में निवेश करने की अनुमति देती है। 24 दिसंबर, 2020 तक, भारत में आठ ESG म्यूचुअल फंड लॉन्च किए गए हैं।

6.28 वैश्विक ग्रीन बॉन्ड्स का संचयी निर्गमन 2020 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। वैश्विक बॉन्ड बाजारों में समग्र विकास के बावजूद, 2020 की पहली छमाही में ग्रीन बॉन्ड जारी करना निर्गमन 2019 से धीमा हो गया। ग्रीन बॉन्ड वॉल्यूम सभी विषयों पर सबसे अधिक (नकारात्मक रूप से प्रभावित) थे, लेकिन बाजार में सकारात्मक संकेत थे जो बढ़ती मांग और ग्रीन बनाम वेनिला ऋण लिखतों¹⁵ (चित्र 7) के बेहतर प्रदर्शन की ओर इशारा करते हैं। चीन (चित्र 8) के बाद उभरते बाजारों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड बाजार है।

चित्र 7: एच 1 2020 में सतत ऋण बाजार का विषयगत विभाजन




स्रोत: जलवायु बॉन्ड पहल; बाजार की सतत ऋण वैश्विक स्थिति H1 2020

¹³https://www.sebi.gov.in/media/press-releases/sep-2020/sebi-constitutes-technical-group-on-social-stock-exchange_47607.html

¹⁴https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/may-2017/disclosure-requirements-for-issuance-and-listing-of-green-debtsecurities_34988.html

¹⁵<https://www.climatebonds.net/system/tdf/reports/cbi-sustainable-debt-global-sotm-h12020.pdf?file=1&-type=node&id=54589&force=0>

चित्र 8: ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू 2012-19 के लिए प्रमुख उभरते बाजार (यूएस \$ मिलियन)



स्रोत: उभरता बाजार ग्रीन बॉन्ड्स रिपोर्ट 2019

टिप्पणी: 'चीन के लिए, इस कॉलम में उपस्थित अवरोध इस स्केल की अपेक्षा अत्यधिक संख्या को दर्शाता है।

6.29 स्थायी वित्त में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत अक्टूबर 2019 में यूरोपीय आयोग के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस (सतत वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय मंच) (IPSF) में संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में शामिल हो गया। 16-सदस्यीय क्षेत्राधिकार प्लेटफॉर्म में विश्व की 50 प्रतिशत आबादी, लगभग 50 प्रतिशत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और लगभग 55 प्रतिशत वैश्विक GHG उत्सर्जन है। मंच को एक सदस्य संचालित अनौपचारिक और समावेशी इकाई के रूप में डिजाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म स्वीकार करता है कि वित्तीय बाजारों की वैश्विक प्रकृति में वित्तपोषण की वैश्विक संसाधनों की जरूरतों को वित्तपोषण से जोड़कर एक ग्रीन, निम्न-कार्बन और जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था में संक्रमण को वित्त देने में मदद करने की बड़ी क्षमता है। यह प्लेटफॉर्म एक्सचेंजों की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा और जहाँ उपयुक्त होगा, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संदर्भों में मतभेदों को स्वीकार करते हुए, विशेष रूप से टैक्सोनोमी, प्रकटीकरण, मानकों और लेबल के क्षेत्रों में पहल और पर्यावरणीय वित्त के दृष्टिकोण पर समन्वय का प्रयास करता है।

6.30 सतत वित्त पर यूके और भारत के बीच गहरे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय सतत वित्त फोरम की स्थापना के लिए 28 अक्टूबर 2020 को आयोजित 10 वीं भारत-यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान भारत और ब्रिटेन सहमत हुए हैं। फोरम दोनों पक्षों के वित्त मंत्रालयों/ट्रेजरी और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों से सदस्यों को आकर्षित करेगा।

सतत विकास के लचीलापन में निवेश करना

6.31 वैश्विक जलवायु जोविम सूचकांक के अनुसार, 2018 में, भारत ने पूर्वी तट पर बाढ़ और भूस्खलन जैसे चक्रवात के कारण 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान उठाया, जहां केरल में लगभग एक चौथाई मिलियन लोग विस्थापित हुए, 20,000 घर और 80 बांध नष्ट हो गए। 1998-2017 के दौरान ये नुकसान 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (Eckstein, et al. 2019) तक हो गया है। दूसरी तरफ, 2019 में, 42 प्रतिशत भूमि को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिससे कृषि संकट (कपिल 2019) खड़ा हो गया। चेन्नई में 12 घंटे (2015) में रिकॉर्ड तोड़ 272 मिमी बारिश से 10 हजार से अधिक MSME से प्रभावित हुई और कथित तौर पर 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ (Idicheria, et al. 2016)। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत 2030 तक गर्मी से अपने काम के घंटे का 5.8 प्रतिशत वो देगा। इसके अलावा, इसकी बड़ी आबादी के कारण, भारत पूरी तरह से गर्मी के तनाव के

परिणामस्वरूप 2030 में 34 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर खोने की उम्मीद कर रहा है। यद्यपि भारत में सबसे अधिक प्रभाव कृषि क्षेत्र में महसूस किया पड़ेगा, जहां अधिक से अधिक काम के घंटे निर्माण-क्षेत्र में चले जाने की संभावना है, जहां गर्मी से पुरुष और महिला श्रमिकों दोनों को प्रभावित करेगी। ये नुकसान उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के निर्माण के माध्यम से लचीलापन बनाने और नीतियों को मुख्यधारा में लाने के लिए नीतियों को अपनाने में निवेश की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, जिसमें सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता का प्रावधान भी शामिल है जो श्रमिकों और उनके परिवारों को गर्मी के तनाव के परिणामों के अनुकूल बनाने में मदद कर सकता है (ILO 2019) है।

जलवायु जोखिम बीमा

6.32 जलवायु जोखिम बीमा आजीविका के नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने और आपदाओं से संभावित संपत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण औजार है। कृषिविदों के सामने मूल जोखिम मौसम परिवर्तनशीलता और फसल की उपज की अनिश्चितता है। इसकी तीव्रता और परिमाण भारत में विशेष रूप से अधिक है, यह देखते हुए बहुसंख्या किसान कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर करते हैं, उनके पास फसल की विफलता के विनाशकारी परिणामों से निपटने के लिए बेहद सीमित साधन और संसाधन हैं। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए, “जलवायु परिवर्तन” को समाप्त करके, फसल बीमा देश के अधिकांश किसानों के साथ जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एक आवश्यकता बन जाता है। कृषि के लिए मौसम सूचकांक बीमा को (2003 में), जटिल प्रक्रियाओं, नैतिक जोखिम, प्रतिकूल चयन और संस्थागत ऋण के लिए कम प्रवेश से जटिल प्रक्रियाओं से ग्रस्त होने के कारण बहुत सफलता नहीं मिली। भारतीय कृषि में बीमा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि - बड़ी संख्या में छोटे और बिखरे हुए भू-भाग, बदलती जलवायु और मिट्टी की स्थिति, बुनियादी आंकड़ों की कमी और कृषि प्रथाओं की विविधता की वजह से इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसके अलावा, किसानों के बीच फसल बीमा का स्वरूप और कार्यों के बारे में ज्ञान की व्यापक कमी है, जिनमें से अधिकांश अनपढ़ और गरीब हैं।

6.33 अध्ययन में पैरामीट्रिक बीमा की ओर बढ़ने का सुझाव दिया गया है जो केवल एक जलवायु घटना के प्रसंग पर भुगतान करने के लिए सहमत है, जिसके लिए डाटा आसानी से सुलभ है। इसके अलावा, जलवायु सूचना सेवाओं का उपयोग भी उपयोगी हो सकता है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के वरुण मित्र का उदाहरण, जिसने न केवल 3.5 लाख किसानों को अपने मौसम सलाह के माध्यम से लाभान्वित किया है, बल्कि किसानों को पे-आउट में सुधार करने के लिए पंचायत स्तर पर बीमाकर्ताओं को डाटा भी प्रदान करता है (मंजूनाथ 2018) यह भी एक महत्वपूर्ण बात है।

6.34 कृषि और विकास (पदमा 2018) द्वारा संचालित गौण वनों में प्राकृतिक/प्राथमिक वनों के बढ़ते रूपांतरण के साथ नई संक्रामक बीमारियों का खतरा अधिक है; महामारी बीमा को शामिल करने के लिए जलवायु जोखिम बीमा की आवश्यकता होती है। विमंडन टेनिस टूर्नामेंट ने 2003 में SARS प्रकोप के बाद महामारी संबंधी बीमा की खरीद की, इस प्रकार 2020 में 142 मिलियन डॉलर का बीमा भुगतान प्राप्त किया, जिसका उपयोग पुरस्कार राशि और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए किया गया था (बीमा जर्नल 2020)।


विकासात्मक योजनाएँ और पर्यावरण संरक्षण - अभिसरण की आवश्यकता

6.35 कई केंद्रीय और राज्य स्तर की प्रोत्साहन योजनाएँ (विशेषतः कुसुम (किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान और राज्य सौर नीतियाँ) कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रही हैं, जैसे कि बारिश के क्षेत्रों में ग्रामीण सुधार के लिए सामुदायिक पैमाने पर पानी की आपूर्ति और सिंचाई के लिए विकेंद्रीकृत सौर प्रणाली। कुछ जलापूर्ति योजनाएँ सौर आधारित पंपिंग प्रतिष्ठानों को मंजूरी देने से पहले भूजल आकलन को अनिवार्य बनाती

हैं। हालांकि, ये आकलन क्षेत्र के जलवायु अनुमानों पर विचार नहीं करते हैं। इसी तरह, पूरे देश में सौर सिंचाई पंपों को बिना किसी प्रोत्साहन के किसानों को भूमिगत जल का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। शुष्क अवधि के दौरान उत्पादन घाटे को कम करने में इस तरह की योजनाओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है; लेकिन भूजल के निरंतर निष्कर्षण का कारण भी हो सकता है। इन प्रोत्साहन योजनाओं को फसल पद्धति, स्थानीय पर्यावरण और जलवायु अनुमानों पर विचार करके डिजाइन करने की आवश्यकता है, और किसानों को जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरह के अभिसरण न केवल कम कार्बन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करते समय स्थानीय सुधार करेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में बहुत आवश्यक तकनीकी उन्नति का समर्थन करने के लिए दिशानिर्देश विकसित करने में क्रेडिट बाजार को भी प्रभावित करेगा।

6.36 वैश्विक अनुकूलन आयोग (GCA) (चित्र 9) ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि पांच क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर 1.8 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करना यानी शुरुआती चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना, नए अभिविन्यो सुधार करना, शुष्क कृषि उत्पादन में सुधार, मैंग्रोव की रक्षा करना और जल संसाधन प्रबंधन को अधिक लचीला बनाना। 2020 से 2030 तक कुल शुद्ध लाभों में US \$ 7.1 ट्रिलियन उत्पन्न कर सकता है क्योंकि इस तरह के निवेश पर रिटर्न की कुल दर लाभ-लागत अनुपात 2: 1 से 10: 1 और इसे अधिक है। नुकसान से बचने के अलावा, भविष्य में निवेश करने से अब आर्थिक लाभ मिल सकता है, जोखिम को कम करके, उत्पादकता में वृद्धि और नवाचार को चलाते हुए आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। हालांकि, ऐसा न करने से संभावित विकास और समृद्धि (GCA 2019) कम होगी।

चित्र 9: अनुकूलन में उदाहरणात्मक निवेश के लाभ और लागत



स्रोत: (GCA 2019)¹⁶ T: ट्रिलियन के लिए

¹⁶यह ग्राफ अनुकूलन दृष्टिकोण की एक सीमा में निवेश के लिए व्यापक आर्थिक मामले को चित्रित करने के लिए है। शुद्ध लाभ पांच क्षेत्रों में 1.8 ट्रिलियन डॉलर के कुल निवेश से 2030 तक प्राप्त होने वाले अनुमानित वैश्विक शुद्ध लाभों का वर्णन करता है (पूर्ण के कारण कुल पंक्तियों के योग के बराबर नहीं है)। वास्तविक रिटर्न कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आर्थिक विकास और मांग, नीतिगत संदर्भ, संस्थागत क्षमता और संपत्ति की स्थिति। इसके अलावा, ये निवेश न तो उन सभी क्षेत्रों को संबोधित करते हैं जिनकी आवश्यकता सेक्टरों के भीतर हो सकती है (उदाहरण के लिए, कृषि क्षेत्र में अनुकूलन, सूखे की फसल उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक होगा) और न ही सभी क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता है) शामिल हैं। डेटा और पद्धतिगत सीमाओं के कारण, यह ग्राफ पूरे सेक्टर या देशों में निवेश की पूरी तुलना नहीं करता है। (GCA 2019)

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पहल

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

6.37 अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने हाल ही में वैश्विक आयात के दो नए पहल - विश्व सौर बैंक और 'एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड पहल' शुरू किया है - जो वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रस्तावित विश्व सौर बैंक ISA के सदस्यों के बीच सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समर्पित वित्तपोषण विंडो की आवश्यकता को पूरा करेगा। यह सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुकूल शर्तों पर कम-लागत वित्तपोषण प्रदान करने के साथ-साथ अन्य बहुपक्षीय/द्विपक्षीय विकास वित्तीय संस्थानों के साथ सह-वित्तपोषण में संलग्न होने की उम्मीद है। 'एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड पहल' की दृष्टि भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ISA की पहली सभा में रखी गई थी। इस पहल का उद्देश्य एक अंतर-जुड़ा हुआ ग्रीन ग्रिड बनाना है जो उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उत्पादन को सक्षम करेगा और मांग केंद्रों को इसकी निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। सोलर रूफटॉप प्रोग्राम में ISA की प्रगति समान रूप से उल्लेखनीय रही है, जिसमें सदस्य देशों से 1 GW से अधिक की मांग है। इसने स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि और टीकों के लिए कोल्ड स्टोरेज चैन और सौर ऊर्जा के अन्य नवीन अनुप्रयोगों पर अपने प्रोग्रामेटिक फोकस को विविधता प्रदान की है।

6.38 ISA के प्रेमवर्क समझौते में सार्वजनिक और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी को स्थायी, स्वच्छ और सस्ती सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ अपनी साझेदारी को संस्थागत बनाने के लिए, ISA सचिवालय ने हाल ही में वैश्विक सार्वजनिक और निजी निगमों के साथ 'स्थायी जलवायु क्रिया गठबंधन' शुरू किया है। इस गठबंधन के तहत सहयोगी संगठनों को नेटवर्क और ISA द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म से लाभ होगा और यह वैश्विक स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देने में उनकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करेगा।

6.39 ISA ने सितंबर 2020 में प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (WSTS) का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को अत्याधुनिक और अगली पीढ़ी की सौर प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन कराना है। शिखर सम्मेलन ने सस्ती लागत पर नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने में आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान किया।

आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन

6.40 संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में सितंबर 2019 में डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (आपदा लचीलापन संरचना) (CDRI) के लिए गठबंधन की शुरुआत के बाद से, कोविड 19 महामारी द्वारा मानवीय गतिविधि के सभी पहलुओं में आपदा लचीलापन की आवश्यकता को उजागर किया गया है। CDRI भारत की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सभी भागीदारों के साथ काम करने की प्रतिबद्धता की एक अन्य अभिव्यक्ति है। यह गठबंधन एक समावेशी बहु-हितधारक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसका नेतृत्व और प्रबंधन राष्ट्रीय सरकारें करती हैं, जहां बुनियादी ढांचे के आपदा लचीलापन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध कर, इसका आदान-प्रदान होता है। दिसंबर 2020 तक, 19 देश और 4 बहुपक्षीय संगठन गठबंधन के सदस्य बन गए हैं। CDRI पर भारत और ब्रिटेन की सह-अध्यक्षता है।

6.41 बिजली क्षेत्र में, CDRI ओडिशा राज्य में बिजली क्षेत्र की लचीलापन को बढ़ाने पर काम कर रहा है, जो मई 2019 में भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात फानी द्वारा प्रभावित हुआ था। परिवहन क्षेत्र में, CDRI ने हवाई अड्डों की आपदा लचीलापन। एक वैश्विक अध्ययन शुरू किया है, अध्ययन उन हवाई अड्डों को देवेगा जो

आपदाओं से प्रभावित थे लेकिन चरम घटनाओं का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर चुके हैं। CDRI ने बेहतर निर्णय लेने और नीति विकास का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के जोखिम और बुनियादी ढांचे के लचीलेपन मूल्यांकन को आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू की है और इस प्रकार बुनियादी ढांचे के निवेश आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से बचाते हैं। पहले चरण में, CDRI आधार के रूप में भारतीय परिवहन बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए जोखिम और लचीलापन आकलन के लिए एक रूपरेखा विकसित करेगा। इसके बाद, आपदाओं के कारण होने वाले प्रभाव के स्तर को समझने के लिए गहन विश्लेषण किया जाना है। भारत में परिवहन अवसंरचना, प्रणालियों, सेवाओं और संचालन से संबंधित तत्वों का विस्तृत भेद्यता मूल्यांकन किया जाएगा।

6.42 CDRI सभी महाद्वीपों से विकास और जोखिम के विभिन्न स्तरों पर शामिल देशों को शामिल करने के लिए अपनी सदस्यता के विस्तार पर काम कर रहा है। भविष्य की पहल का उद्देश्य सदस्य देशों को आपदाओं से सीखने में मदद करना है, जिससे रिकवरी और पुनर्निर्माण का समर्थन किया जा सके, शासन को बेहतर बनाया जा सके और लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए शासन और वित्तपोषण में सुधार किया जा सके।

निष्कर्ष और भावी परिदृश्य

6.43 एक बढ़ती हुई मान्यता है कि स्थायी व्यापक आर्थिक विकास के लिए जलवायु और आर्थिक नीतियों के संरेखण को संभव सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए। भारत का प्रयास एक मजबूत विकास और सतत विकास पथ सुनिश्चित करना है जिसमें सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर जलवायु परिवर्तन जोखिमों का मुकाबला करना शामिल है। भारत ने शमन और अनुकूलन दोनों रणनीतियों पर कई पहल की हैं, जिसमें स्वच्छ और कुशल ऊर्जा प्रणाली पर जोर दिया गया है; लचीला शहरी बुनियादी ढांचा; जल परिरक्षण और संरक्षण; सुरक्षित, स्मार्ट और टिकाऊ हरित परिवहन नेटवर्क; योजनाबद्ध वनीकरण, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, वानिकी, तटीय और निम्न-क्षेत्रीय प्रणाली और आपदा प्रबंधन का समर्थन करना भी शामिल है। ISA और CDRI अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की महत्वपूर्ण कार्यवाही के प्रमाण हैं।

6.44 देश GHG उत्सर्जन से अपने आर्थिक विकास को सफलतापूर्वक अलग करने की राह पर है। 2018 में यूएनएफसीसीसीसी को प्रस्तुत दूसरी बीयूआर के अनुसार भारत की GDP की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 2014 में 21 प्रतिशत कम हो गई। स्वच्छ ऑटोमोबाइल ईंधन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छ ऑटोमोबाइल ईंधन के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने 2024 में अपना देने की प्रारंभिक तिथि से पहले, 1 अप्रैल, 2020 को BS-IV से BS-VI उत्सर्जन मानदंड से भी छलांग लगा दी है। सौर ऊर्जा क्रांति में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रयास उल्लेखनीय है और इसने भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित 'एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड' को लागू किया है।

6.45 भारत की सक्रिय जलवायु क्रियाएं मुख्य रूप से घरेलू बजटीय संसाधनों पर निर्भर करती हैं। भारत द्वारा समय पर प्रस्तुत NDC लक्ष्यों के निष्पादन को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त महत्वपूर्ण है। जलवायु वित्त विकसित देशों की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में एक दायित्व है क्योंकि वे औद्योगिक क्रांति के बाद से जमा हुए वातावरण में GHG के स्टॉक के लिए प्रमुख योगदानकर्ता हैं। हालाँकि, विकसित देश के साझेदारों ने 2020 तक जलवायु वित्त के रूप में प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विकासशील देशों को वादा किया हुआ समर्थन पूरा नहीं किया है। विकसित देशों से जलवायु वित्त के दायरे, पैमाने और गति में अपेक्षित गति की कमी पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में चल रही जलवायु क्रियाओं को मजबूत करने के लिए नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण में सहायता जुटाना और वितरित करना चाहिए।

अध्याय एक नजर में

- कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व संकट के कारण कई चुनौतियों के बावजूद सतत विकास भारत की विकास रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है।
- महामारी ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को चुनौती दी है, इससे आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और देश में भोजन और पोषण उपलब्धता में असमानता बढ़ गई है। इसने उन संस्थानों और तंत्रों के महत्व को फिर से परिभाषित किया है जो देश को बाहरी झटकों को अच्छी तरह से अवशोषित करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
- भारत आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं और इक्विटी के सिद्धांतों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कई सक्रिय जलवायु कार्रवाई कर रहा है। भारत के लिए पहली प्राथमिकता अनुकूलन है क्योंकि देश अत्यधिक मौसमी घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
- देश द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) देश की विकासात्मक अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और यह 'सर्वोत्तम प्रयास' है, अपने NDC में, भारत ने वर्ष 2030 तक 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत कम करने की मांग की है; 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत प्राप्त करना; और 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए वन और पेड़ का आच्छादन बढ़ाएं।
- देश GHG उत्सर्जन से अपने आर्थिक विकास को सफलतापूर्वक अलग करने की राह पर है। वर्ष 2018 में प्रस्तुत की गई दूसरी बीयूआर के अनुसार GDP की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 2014 में 21 प्रतिशत कम हो गई है।
- देश मिशन मोड पर अनुकूलन और शमन कार्रवाई को लागू करने के लिए घरेलू संसाधनों पर निर्भर है। इसलिए, विशेष रूप से देश के लक्ष्यों को काफी हद तक पूरा करने के लिए वित्तपोषण के विचार महत्वपूर्ण रहेंगे।
- NDC का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यकताओं के बीच एक बड़ा अंतर है, NDC के व्यापक लक्ष्यों को लागू करना एक बड़ी चुनौती है।
- कोविड-19 महामारी के कारण, COP26 और पूर्ववर्ती UNFCCC सहायक निकायों के सत्रों को अब 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। COP26 से पारदर्शिता तंत्र पर निर्णय लेने की उम्मीद है; अनुच्छेद 6 (बाजार और गैर-बाजार तंत्र); राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान के लिए सामान्य समय सीमा; दीर्घकालीन जलवायु वित्त आदि वित्त मामलों पर, जलवायु वित्त की परिभाषा और जलवायु वित्त के मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण के लिए एक सामान्य लेखांकन पद्धति पर आम सहमति पर पहुंचना आवश्यक है।
- 2017 में, भारत में ग्रीन बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करने के लिए, सेबी ने ग्रीन बॉन्ड पर दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग शामिल थी। भारतीय कॉरपोरेट्स और वित्तीय मध्यस्थों ने 2010-19 के दौरान 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। वैश्विक ग्रीन बॉन्ड्स का संचयी जारीकरण 2020 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया।

- जलवायु जोखिम बीमा; आजीविका के नुकसान के विलाफ सुरक्षा प्रदान करने और आपदाओं के परिणामस्वरूप संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को देवते हुए, 'जलवायु पतन' को समाप्त करके, फसल बीमा देश के अधिकांश किसानों के साथ जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एक आवश्यकता बन जाता है।
- ISA ने सितंबर 2020 में प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (WSTS) का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को अत्याधुनिक और अगली पीढ़ी की सौर प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन है।
- CDRI भारत की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सभी भागीदारों के साथ काम करने की प्रतिबद्धता की एक और अभिव्यक्ति है। गठबंधन एक समावेशी बहु-हितधारक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसका नेतृत्व और प्रबंधन राष्ट्रीय सरकारें करती हैं, जहां बुनियादी ढांचे के आपदा लचीलापन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान उत्पन्न होता है और इसका आदान-प्रदान होता है। दिसंबर 2020 तक, 19 देश और 04 बहुपक्षीय संगठन गठबंधन के सदस्य बन गए हैं।

संदर्भ

बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट (BIS)। 2020. "जलवायु परिवर्तन के युग में ग्रीन स्वान सेंट्रल बैंकिंग और वित्तीय स्थिरता।" <https://www-bis-org/publ/othp31-pdf>

Barbiroglio, Emanuela 2020. ग्रीन बॉन्ड मार्केट जर्मन नए इश्यू के साथ \$ 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। 2 सितंबर, 5 नवंबर, 2020 तक पहुंचा। <https://www.forbes-com/sites/emanuelabarbiroglio/2020/09/02/green-bond-market-will-reach-1-trillion-with-german-new-issuance/?sh=54172e382e97>

Bennett, Vanora 2019-US \$ 700m दुनिया का पहला समर्पित जलवायु लचीलापन बांड, EBRD द्वारा जारी किया गया है। 20 सितंबर। 5 नवंबर, 2020 तक पहुंचा। <https://bit.ly/315MCIT>

Buchner, B-K., P. Oliver, X. Wang, C. Carswell, C. Meattle and F. Mazza- 2019. 'ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2019।' जलवायु नीति की पहल। <https://Climatepolicyinitiative-org/wp/content/uploads/2019/11/2019-Global-Landscape-of-Climate-Finance-pdf>

जलवायु बांड पहल। 2020. 'सस्टेनेबल डेट ग्लोबल स्टेट ऑफ द मार्केट H1 2020'। <https://www.climatebonds.net/system/tdf/reports/cbi-sistentable-debt-global-sotm-h12020-pdf?File = 1 & type = node & id = 54589 & force=0>

जलवायु नीति पहल (CPI)। 2020. भारत में लैंडस्केप ऑफ ग्रीन फाइनेंस। <https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/landscape-of-green-finance/>

जलवायु नीति की पहल और हरित वित्त की परिभाषा पर सहमति बनाना cKineticsA 2019-

Eckstein, David, Vera Künzel, Laura Schäfer, and MaikWinges. 2019. ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020: एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? 2018 और 1999 से 2018 में मौसम से संबंधित नुकसान की घटनाएं। बॉन: german watch https://germanwatch.org/sites/germanwatc.org/files/20-2-01e%20Global%20Climate%20Risk%20Index%202020_10.pdf

ईपीडब्ल्यू, वॉल्यूम। 45, अंक संख्या 06, 06 फरवरी, 2010, भारत में फसल बीमा: परिवर्तन और चुनौतियां; <https://www.epw.in/ournal/2010/06/commentary/crop-insurance-india-changes-and-challenges.html>

यूरोपीय आयोग। 2017. ग्रीन फाइनेंस के संदर्भ में 'ग्रीन' को परिभाषित करना।

https://ec.europa.eu/environment/enveco/sistentable_finance/pdf/studies/Defining%20Green%20in%20green%20finance%20%20free%20report%20published2020%20eu%20website.pdf

जीसीए। 2019. जलवायु लचीलापन पर नेतृत्व के लिए एक वैश्विक कॉल। अनुकूलन पर वैश्विक आयोग। https://cdn.gca.org/assets/2019-09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf

Gianpiero T- 2009. सार्वजनिक बुनियादी ढांचा: परिभाषा, वर्गीकरण और माप संबंधी मुद्दे। Munich Personal RePEc Archive. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/12990/1/MPRA_paper_12990.pdf

Idicheria, C, A Neelakantan, A Graft, A Banerjee, K Kumar, Jessica Seddon, Eric Vaughan, और Samasundaram L. 2016. ट्रांसफॉर्मिंग चेन्नई: जल से संबंधित पर्यावरण परिवर्तन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम लचीलापन निर्माण। Chennai: Mercy Corps.

https://www.mercycorps.org/sites/default/files/2020-01/Transforming_Chennai_Okapi_Mercy_Corps.pdf

आईएफसी। 2020. इमर्जिंग मार्केट ग्रीन बॉन्ड्स रिपोर्ट 2019। वाशिंगटन डीसी: अमुंडी एसेट मैनेजमेंट (अमुंडी) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी)।

<https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a64560ef-b074-4a53-8173-f678ccb4f9cd/202005-EM-Green-Bonds-Reff-2019-pdf?MJ=ESJPERES&CVID=n7Gtahg>

ILO और ADB, 2020, 'एशिया और प्रशांत में कोविड-19 युवा रोजगार संकट से निपटने', <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/626046/covid-19-youth-बेरोजगारी-संकट-asia-pacific.pdf>

ILO, 2019. एक गर्म ग्रह पर काम करना: श्रम उत्पादकता और निर्णय कार्य पर हीट तनाव का प्रभाव। जिनेवा: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_711919.pdf

Inderst, G., Kaminker, ChI, Stewart, F. (2012), "ग्रीन इन्वेस्टमेंट को परिभाषित करना और मापना: संस्थागत निवेशकों एसेट आवंटन के लिए निहितार्थ", वित्त, बीमा और निजी पेंशन पर OECD वर्किंग पेपर्स, No.24, OECD पब्लिशिंग। https://www.oecd.org/finance/WP_24_Defining_and_Measuring_Green_Investments.pdf

इंडियन बैंक एसोसिएशन। 'राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश जिम्मेदार वित्तपोषण के लिए'। https://www.cafral.org.in/sfControl/content_LearningTakeaWays/1213201764617PMNational_VoluntaryGuidelines_forResponsibleFinancing.pdf

बीमा जर्नल। 2020. विंबलडन दिवाता है कि कैसे महामारी बीमा वेल, अन्य घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। 13. अप्रैल 5 नवंबर, 2020 तक पहुँचा। <https://www.insurancejournal.com/news/international/2020/04/13/564598.htm>

Jena L. Meattle. C and Srimali. G. 2018. “भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करना - संस्थागत निवेश के लिए एक व्यावसायिक मामला”। <https://climatepolicyinitiative.org/wpcontent/uploads/2018/03/Getting-to-Indias-Renewable-Energy-Targets-A-Business-Case-for-Investment-pdf>

कपिल, शगुन। 2019. सूखा घड़ी: भारत का 44% से अधिक हिस्सा अब पीड़ित है। 17 जून। 4 नवंबर 2020 तक पहुँचा। <https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/drought-watch-more-than-44-of-india-now-suffers-65127>

Larsen, Gaia, Giulia Christianson, and Niranjali Amerasinghe. 2019. सो अब तक, ग्रीन बांड्स लचीलापन के लिए बहुत अधिक धन जुटाने में विफल रहे। जलवायु लचीलापन सिद्धांत को बदलने का उद्देश्य है। 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 2020 तक पहुँचा। <https://www.wri.org/blog/2019/10/so-far-green-bonds-fal-raise-much-money-resilience-climate-resilience-principles-aim>

Manjunatha, A. V. 2018। कृषि पर वरुण मित्र का आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन - कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र का एक 24X7 इंटरएक्टिव हेल्प डेस्क। बेंगलुरु: सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए संस्थान

MCA। “135। कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी”। <http://www.mca.gov.in/SearchableActs/Section135.htm>

MCA। 2011. व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश”। https://www.mca.gov.in/Ministry/latestnews/National_VoluntaryGuidelines_2017_12jul2011.pdf

MCA। 2019. “जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश”। https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/NationalGuideline_15032019.pdf

MCA। 2020. “व्यावसायिक जवाबदेही समिति की रिपोर्ट की रिपोर्ट”। http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/BRR_11082020.pdf

McKinsey & Company. 2019. मूल्यों से अधिक: मूल्य-आधारित स्थिरता रिपोर्टिंग जो निवेशक चाहते हैं। <https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/more-than-values-the-value-based-sustainability-reporting-that-investorswant#>

Mercer. 2015. जलवायु परिवर्तन के समय में निवेश। <https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/global/investments/mercer-climate-change-report-2015.pdf>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)। भारत सरकार। 2015 प्रेस सूचना ब्यूरो, <https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=128403>

MoF. 2015 MSME क्षेत्र की वित्तीय वास्तुकला की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय

वित्तीय प्रणाली को ग्रीन करने के लिए नेटवर्क (एनजीएफएस)। 2019. “एक्शन के लिए एक कॉल वित्तीय जोखिम के स्रोत के रूप में जलवायु परिवर्तन। https://www.banque-france-fr/sites/default/files/media/2019/04/17/synthese_ngfs-2019_-7042019_0.pdf

OECD, 2020, शिक्षा के दृष्टि से कोविड-19 का प्रभाव शिक्षा पर दृष्टि 2020, <https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-a-sight-2020.pdf>

Padma, TV. 2018. “रिपोर्ट कहती है कि वन कवर घटते जा रहे हैं, सरकारी दावों के विपरीत है।”

<https://india.mongabay.com/2018/05/reports-say-forest-cover-decontateath-to-government-claims/>

RBI 2007. “कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, सतत विकास और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग - बैंकों की भूमिका”। <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/82186.pdf>

RBI 2019. “मास्टर निर्देशन - प्राथमिकता क्षेत्र ऋण - लक्ष्य और वर्गीकरण” <https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10497> और मोड = 0?

RBI 2020. “मास्टर दिशाएँ - प्राथमिकता क्षेत्र उधार (PSL) - लक्ष्य और वर्गीकरण”। <https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Mode=0&Id=11959>

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)। 2019. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2018-2019। <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/ORTP241219FL760D9F69321B47988DE44D68D9217A7E.PDF>

SEBI 2012. “व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट”। https://www.sebi.gov.in/sebi_data/attachdocs/1344915990072.pdf

SEBI 2017. “ग्रीन डेट सिक्क्योरिटीज के जारी करने और लिस्टिंग के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएँ”। https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/may-2017/disclosure-requirements-for-issuance-and-listing-of-green-debt-Securities_34988.html

SEBI 2017. “सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा एकीकृत रिपोर्टिंग”। https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/feb-2017/integrated-reporting-by-listed-entities_34136.html

SEBI 2019. “SEBI सोशल स्टॉक एक्सचेंज” (SSE) पर काम करने वाले समूह का गठन करती है। https://www.sebi.gov.in/media/press-releases/sep-2019/sebi-constrates-group-on-सोशल-स्टॉक-एक्सचेंज-एससी-_44311.html

SEBI 2020. “सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर कार्यदल की रिपोर्ट” https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/jun-2020/report-of-the-working-group-on-social-stock-exchange_46751.html

SEBI 2020. “SEBI ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज में तकनीकी समूह का गठन किया”। https://www.sebi.gov.in/media/press-releases/sep-2020/sebi-constitutes-technical-group-on-social-stock-exchange_47607.html

आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (इंडिया), सामाजिक प्रगति के लिए कार्रवाई, ग्रामीण सहारा, आई-सक्शम,, प्रदान, SAATHI-UP, SeSTA, सेवामंदिर और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन, 2020, आंतरिक इलाके अनलॉक कैसे हो रहा है? सर्वेक्षण के दूसरे दौर से खोज” https://villagesquare.in/webinar/wp-content/uploads/2020/08/VAF-CSO-Covid-19-survey-round-2-3-8-20-webinar-slides_Kiran-Limaye.pdf

भारत का राजपत्र। 2019. <http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/214955.pdf>

Tirole J. 2017. “आम अच्छे के लिए अर्थशास्त्र।” प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस। अध्याय 5- PP122

Trucost. 2015. “भारत में वित्तीय क्षेत्र का प्राकृतिक पूंजीगत जोविम एक्सपोजर। <http://www.emergingmarketsdialogue.org/wp-content/uploads/2018/02/re-source-s.pdf>

UNEP पूछताछ। 2015 वित्तीय प्रणाली हमें चाहिए: सतत विकास के साथ वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2015/11/The_Financial_System_We_Need_EN.pdf

UNEP पूछताछ। 2016- ग्रीन बॉन्ड: देश के अनुभव, बाधाएं और विकल्प। http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/6_Green_Bonds_Country_Experiences_Barriers_and_Options.pdf

यूनेस्को, 2020, शिक्षा डेटा पर कोविड-19 प्रभाव, <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>

Volz U., Bohnke J., Eidt V., Knierim L., Richert K., Roeber GMA (2015) हरित परिवर्तन का वित्तपोषण – बाजार की विफलताएं, सरकारी विफलताएं और राज्य की भूमिका। में: हरित परिवर्तन का वित्तपोषण। पालग्रेव मैकमिलन, लंदन

பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க் காண்பர்
அலகுடை நீழ லவர்

कृषक बिन निज स्वार्थ से, लोक का भरण करता है
और इस सम्पूर्ण जगत के जीवों को, अपनी इस सत्ता के आश्रय में ले आता है।

—तिरुवल्लुवर

भारत के कृषि क्षेत्र की लचीलता इस तथ्य से स्पष्ट है कि कोविड-19 महामारी फैलने के बावजूद उत्पादन के मामले में इसका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। एक अनुमान (वर्ष 2011 की जनगणना) के मुताबिक, आज भी देश का लगभग 54.6 प्रतिशत कार्यबल कृषि कार्य और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है, जो देश के सकल योजित मूल्य (जीवीए) वर्ष 2019-20 (मौजूदा कीमतों पर) के लगभग 17.8 प्रतिशत के बराबर है। कोविड की वजह से लागू लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों ने गैर-कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया, तथापि वर्ष 2020-21 (प्रथम अग्रिम अनुमान) के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र ने 3.4 प्रतिशत की दमदार विकास दर हासिल किया। आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किए गए विभिन्न उपायों जैसे ऋण, बाजार में सुधार और खाद्य प्रसंस्करण से इस उद्योग में नवीन स्फूर्ति आई। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन सहित संबद्ध क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संबद्ध क्षेत्रों की क्षमता का दोहन करने के इसके संकल्प को प्रदर्शित करते हैं जो अंततोगत्वा कृषि क्षेत्र के कल्याण व खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। खाद्य पदार्थों की उत्पादकता और विपणन को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करने के अलावे, सरकार खाद्य सब्सिडी के संदर्भ में महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ के साथ एक विशाल खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम भी संचालित करती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अधीन, 80.96 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था, अर्थात् एनएफएसए द्वारा अनुमोदित आवश्यकता से अधिक। इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की दर से नवंबर 2020 तक मुफ्त में उपलब्ध कराया गया था। लगभग 200 एलएमटी खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था जिसपर सरकार को 7500 करोड़ रूपए से अधिक खर्च करने पड़े। साथ ही, आत्म-निर्भर पैकेज के अंतर्गत, प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की दर से चार महीनों (मई से अगस्त) तक वितरित किया गया था। इस योजना का लाभ लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मिला जो एनएफएसए या राज्य राशन कार्ड के अधीन लाभार्थी नहीं थे। सरकार ने इस योजना पर सब्सिडी के रूप में लगभग 3109 करोड़ रूपए खर्च किए।

परिचय

7.1 कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने संपूर्ण विश्व में लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। कृषि कार्यों और किसानों को भी इस वैश्विक महामारी का दंश झेलना पड़ा क्योंकि कोविड की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने कृषि मशीनरी सहित कृषि आदानों के एक-स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन को प्रभावित किया। रबी फसल के कटाई के मौसम के शुरू होने के साथ ही राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को और अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कृषि श्रमिकों के उनके मूल निवास स्थान पर वापस लौटने की वजह से कृषि क्षेत्र को श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ा। हालाँकि भारतीय कृषि प्रणाली ने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलता दिखाई। अन्य क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के मध्य वर्ष 2020-21 के दौरान सतत कीमतों पर 3.4 प्रतिशत के विकास दर के साथ कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र एकमात्र उज्वल स्थान थी। कोविड-19 महामारी के कारण सभी प्रतिकूल स्थितियों के साथ, कृषि वस्तुओं, विशेष रूप से चावल, गेहूँ, दाल और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति की वजह से खाद्य सुरक्षा बनी रही। कृषि क्षेत्र को आगे सशक्त बनाने तथा सहयोग करने के लिए, भारत सरकार ने आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं (बॉक्स 1)।

बॉक्स 1: आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि तथा खाद्य प्रबंधन के लिए मुख्य घोषणाएँ

घोषणाएँ	उद्देश्य
₹ 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि	फार्म-गेट और संग्रहण बिंदु पर कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के साथ-साथ कटाई के बाद वित्तीय रूप से व्यवहार्य प्रबंधन अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए ₹ 10,000 करोड़ की योजना (एमएफई)	एफएसएसएआई खाद्य मानकों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी उन्नयन, ब्रांड का निर्माण करने और विपणन में सहयोग देने के लिए एमएफई को 2 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुआरों के लिए ₹ 20,000 करोड़।	इसका उद्देश्य मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह, कोल्ड चैन, बाजार इत्यादि जैसे अवसंरचनाओं को विकसित करके समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यपालन का एकीकृत, सतत् और समावेशी विकास करना है।
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	इसका लक्ष्य मवेशियों, भैंस, बकरी तथा सूअरों का 100 टीकाकरण सुनिश्चित करते हुए पैर और मुँह की बीमारी (एफएमडी) और ब्रसेलोसिस को नियंत्रित करना है।
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि - ₹ 15,000 करोड़।	यह डेयरी प्रसंस्करण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है, जिसका लक्ष्य मूल्य जोड़ने के साथ मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था के लिए अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
‘टॉप’ से टोटल तक	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा परिचालित ऑपरेशन्स ग्रीन्स” को टमाटर, प्याज और आलू से सभी फलों तथा सब्जियों तक प्रसारित करना।
आवश्यक वस्तु अधिनियम, कृषि विपणन और कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता आश्वासन में सुधार।	विधायिका का सुधार कृषि जिंसों जैसे अनाजों, दालों, तिलहनों आदि को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से अलग करना चाहती है, जिसका लक्ष्य कृषि विपणन में सुधार करना तथा अनुबंध विपणन को प्रोत्साहित करना है।

घोषणाएँ	उद्देश्य
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	इस योजना का उद्देश्य लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड-धारकों की खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जो कोविड द्वारा प्रेरित लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हो गया था।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना	इस योजना का लक्ष्य प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवार के सदस्यों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस लाभ दिलवाना है।

कृषि क्षेत्र का सिंहावलोकन

कृषि क्षेत्र में जोड़ा गया सकल मूल्य

7.2 सीएसओ द्वारा 29 मई को जारी किए गए राष्ट्रीय आय के अस्थायी अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए मौजूदा कीमतों पर देश के सकल योजित मूल्य (जीवीए) में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 17.8 प्रतिशत है। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का जीवीए तथा विगत छ वर्षों के दौरान देश के सकल जीवीए में मौजूदा कीमतों पर गत छः वर्षों के दौरान कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के हिस्सेदारी का उल्लेख तालिका 1 में किया गया है।

तालिका 1: देश के सकल जीवीए में मौजूदा दरों पर कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के हिस्सेदारी

मद	वर्ष					
	2014-15	2015-16	2016-17*	2017-18#	2018-19@	2019-20**
सकल अर्थव्यवस्था के जीवीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के हिस्सेदारी (प्रतिशत)	18.2	17.7	18.0	18.0	17.1	17.8
फसलों की हिस्सेदारी	11.2	10.6	10.6	10.4	9.4	NA
पशुपालन की हिस्सेदारी	4.4	4.6	4.8	5.1	5.1	NA
वानिकी और लॉगिंग की हिस्सेदारी	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	NA
मछली पकड़ने तथा मत्स्यपालन की हिस्सेदारी	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	NA


स्रोत: कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी-एफडब्ल्यू)।

नोट: **दिनांक 29 मई 2020 को सीएसओ द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय आय 2019-20 के लिए जारी किए गए अस्थायी आकड़ों के अनुसार। @ 31 जनवरी 2020 को जारी किए गए वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार। #दूसरा संशोधित अनुमान। *तीसरा संशोधित अनुमान।

NA डाटा उपलब्ध नहीं है।

7.3 देश के जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में केवल 17.8 प्रतिशत रह गया (चित्र 1) जो एक ऐसी विकास प्रक्रिया का अपरिहार्य परिणाम है जिसमें गैर-कृषि क्षेत्रों का सापेक्ष प्रदर्शन अधिक प्रभावी हो जाता है। कृषि क्षेत्र के भीतर, फसलों तथा वानिकी का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 11.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में केवल 9.4 प्रतिशत रह गया। पशुपालन तथा मत्स्यपालन उद्योग के हिस्सेदारी में वृद्धि ने फसल क्षेत्र के हिस्से में कमी की क्षतिपूर्ति की है।

चित्र 1: मौजूदा कीमतों पर देश के सकल जीवीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का योगदान (प्रतिशत में)*




स्रोत: तालिका 1 के आकड़ों से तैयार की गई है।

*आलेख में वर्षों के साथ संलग्न सभी संकेत तालिका 1 में दिए गए आकड़ों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं।

कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में विकास

7.4 समय बीतने के साथ कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का जीवीए के विकास दर में उतार-चढ़ाव आता रहा है (चित्र 2)। हालाँकि, वर्ष 2020-21 के दौरान यद्यपि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए जीवीए 7.2 प्रतिशत की दर से सिकुड़ गया; तथापि कृषि क्षेत्र के लिए जीवीए के विकास ने 3.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर बनाए रखी।

चित्र 2: स्थाई (2011-12) मूल्यों (प्रतिशत में) पर अर्थव्यवस्था तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जीवीए का विकास



स्रोत: डीएससी और एफडब्ल्यू से प्राप्त आकड़ों के आधार पर।


नोट: **दिनांक 29 मई 2020 को सीएसओ द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय आय 2019-20 के लिए जारी किए गए अस्थायी आकड़ों के अनुसार। @ 31 जनवरी 2020 को जारी किए गए वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार। # दूसरा संशोधित अनुमान। * तीसरा संशोधित अनुमान।

*** राष्ट्रीय आय के लिए 7 जनवरी 2021 को जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार।

सकल पूंजी निर्माण

7.5 इस सेक्टर में जीवीए के सापेक्ष कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता रहा है, जो वर्ष 2013-14 में 17.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 16.4 प्रतिशत और वर्ष 2015-16 में और घटकर 14.7 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीवीए के कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीसीएफ का वर्ष 2011-12 की आधार कीमतों में हिस्सेदारी को चित्र 3 में दिखाया गया है।

चित्र 3: कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीवीए के प्रतिशत के रूप में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जीसीएफ (वर्ष 2011-12 के आधारभूत कीमतों पर)




स्रोत: डीएसी और एफडब्ल्यू से प्राप्त आकड़ों के आधार पर।

@31 जनवरी 2020 को जारी किए गए वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार। # दूसरा संशोधित अनुमान। * तीसरा संशोधित अनुमान।

फसलों का उत्पादन

7.6 वर्ष 2019-20 में (चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक), देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा जो वर्ष 2018-19 के 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पादन विगत पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के दौरान हुए 269.78 मिलियन टन औसत उत्पादन से 26.87 मिलियन टन अधिक था। विगत पांच वर्षों के दौरान प्रमुख फसलों के उत्पादन में एक आरेवीय प्रवृत्ति चित्र 4 और चित्र 5 में दिखाई गई है।


चित्र 4: चावल और गेहूँ फसलों के उत्पादन की प्रवृत्ति (मात्रा मिलियन टन में)



स्रोत: दिनांक 22.09.2020 को जारी किए गए पहला अग्रिम अनुमानों के आकड़ों से निर्मित

* चौथा अग्रिम अनुमान।

चित्र 5: अन्य मुख्य फसलों के उत्पादन की प्रवृत्ति (मिलियन टन में मात्रा)



स्रोत: दिनांक 22.09.2020 को जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों के आकड़ों से निर्मित


* चौथा अग्रिम अनुमान। @ @ कपास का उत्पादन मिलियन गांठों में है।

कृषि साख

7.7 भारत में बड़ी संख्या में छोटे सीमांत किसानों को संसाधनों की कमी से जूझते हुए देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि खेती-बाड़ी की सफलता के लिए समय पर पर्याप्त साख की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। वर्ष 2019-20 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए साख प्रवाह का लक्ष्य ₹ 13,50,000 करोड़ निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 13,92,469.81 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया गया। वही वर्ष 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए साख प्रवाह के लिए ₹ 15,00,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 30 नवम्बर 2020 तक 9,73,517.80 करोड़ रुपये वितरित किया गया था। आत्म-निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में घोषित किए गए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि क्षेत्र के लिए और अधिक साख अर्तवाह बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी (बॉक्स 2)। हालाँकि, एग्रीकल्चर साख का क्षेत्रीय वितरण दक्षिणी क्षेत्र के पक्ष में अधिक झुका रहा है। उत्तरी-पूर्वी राज्यों का हिस्सा बहुत कम रहा है (चित्र 1)।


7.8 वर्ष 2020-21 के दौरान, 30 नवम्बर 2020 तक एग्रीकल्चर क्रेडिट का कुल वितरण में, एग्रीकल्चर साख में दक्षिणी क्षेत्रकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक थी जबकि उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए यह 2 प्रतिशत से भी कम था। एनईआर में कृषि ऋण का इतनी कम हिस्सेदारी होने की वजह देश के कुल जीसीए में उत्तर पूर्वी राज्यों के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का देश के कुल जीसीए में लगभग 2.74 प्रतिशत योगदान है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश उत्तरी-पूर्वी राज्यों में भूमि का सामुदायिक मालिकाना हद मौजूद है। ये दो कारक हैं, जो एनईआर में किसान साख कार्ड (केसीसी) ऋणों के संवितरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये ऋण खेत के दस्तावेजों को बंधक रखकर दिए जाते हैं। कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण वास्तव में सकल फसली क्षेत्र से संबंधित है, जैसा कि चित्र 6 में दिखाया गया है।

मानचित्र 1: भारत में एग्रीकल्चर क्रेडिट का क्षेत्रीय वितरण



स्रोत: डीएसी-एफडब्ल्यू से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

चित्र 6: ऋण का संवितरण और सकल फसली क्षेत्र धनात्मक रूप से एक-दूसरे से संबंधित हैं



स्रोत: डीएसी एंड एफडब्ल्यू से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

बॉक्स 2: एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

कृषकों के लिए फार्म-गेट अवसंरचना के निर्माण के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने दिनांक 15.05.2020 को ₹ 1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना निधि की घोषणा की। तदनुसार, कृषि अवसंरचना निधि के अधीन वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना औपचारिक रूप से भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 09.08.2020 को शुरू की गई।

यह योजना वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2029-30 तक जारी रहेगी। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण संबंधी वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस योजना के अंतर्गत, प्राथमिक कृषि साव समितियों (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), कृषकों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना, आदि को बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में ₹ 1 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

इस वित्तपोषण योजना के अंतर्गत सभी ऋणों पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज में अनुदान दी जाएगी, हालाँकि, इस ऋण की अधिकतम सीमा ₹ 2 करोड़ रुपये तक है। यह अनुदान अधिकतम 7 वर्षों के लिए देय होगी। साख गारंटी निधि के अधीन सूक्ष्म तथा लघु उद्योग (सीजीटीएमएसई) योजना साख गारंटी निधि के लिए ₹ 2 करोड़ तक ऋण के लिए इस वित्तपोषण सुविधा से योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा।

सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 11 निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ डीएसी एंड एफडब्ल्यू ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया गया है। आकड़ों के अनुसार, 15.1.2021 तक, योजना के अंतर्गत 3055 पैक्स को नाबार्ड द्वारा सैद्धान्तिक रूप से 2991 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। लगभग 2741 करोड़ रुपये के ऋण राशि के लिए पैक्स ने 3774 अधिक आवेदन जमा किए हैं। पैक्स को छोड़कर अन्य संस्थाओं द्वारा पोर्टल के माध्यम से 1695 आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से ₹ 934 करोड़ के ऋण की मांग करते हुए 964 आवेदन प्रथम दृष्टया योग्य पाए गए और उन्हें संबंधित बैंकों को भेज दिया गया है। बैंकों ने 964 आवेदनों में से 230 आवेदन को ₹ 235 करोड़ की ऋण राशि के लिए स्वीकृति दी है।


कृषि वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

7.9 वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत ने लगभग ₹ 252 हजार करोड़ के कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात किया। भारत ने जिन देशों को मुख्य रूप से निर्यात किया, उनमें यूएसए, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल तथा बांग्लादेश शामिल हैं। भारत से मुख्य रूप से निर्यात किए गए कृषि तथा संबंधित उत्पादों में समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसालें, गैर-बासमती चावल, कच्चा कपास, खली, चीनी, अरंडी का तेल और चाय शामिल हैं। यद्यपि भारत उपरोक्त वर्णित कृषि-उत्पादों के व्यापार में प्रमुख स्थान रखता है तथापि वैश्विक कृषि व्यापार में इसके कृषि उत्पादों का हिस्सा 2.5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।

7.10 भारत में वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के सूत्रपात के बाद से, भारत कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने 2.52 लाख करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों का निर्यात किया जबकि 1.47 लाख करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों का आयात किया। कृषि निर्यात के कुल मूल्य में प्रमुख दस कृषि वस्तुओं की हिस्सेदारी के पिछले छह वर्षों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कृषि-निर्यात की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं (चित्र 7)। कृषि उत्पादों के कुल निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों की हिस्सेदारी इस अवधि के दौरान सबसे अधिक रही है। कृषि उत्पादों के कुल निर्यात मूल्य में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 के 14.5

प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में लगभग 19 प्रतिशत तक पहुँच गई। कुल कृषि निर्यात मूल्य में बासमती चावल की हिस्सेदारी भी इस अवधि के दौरान बढ़ती रही है। इस अवधि में अन्य जिन वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, उनमें गैर-बासमती चावल, मसालें तथा चीनी शामिल हैं। यद्यपि, इस अवधि के दौरान कुल कृषि निर्यात मूल्य में भैंस के मांस और कच्चे कपास जैसी वस्तुओं के हिस्सेदारी में कमी आई है। इस अवधि में अरंडी के तेल और चाय जैसे वस्तुओं की हिस्सेदारी कमोबेश स्थिर रही हैं।

चित्र 7: कृषि-निर्यात के कुल मूल्य में कृषि उत्पादों की हिस्सेदारी की प्रवृत्ति (प्रतिशत)



स्रोत: डीएसी एंड एफडब्ल्यू से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

* नवंबर 2020 तक।


न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

7.11 सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि एमएसपी को उत्पादन की लागत के 1.5 गुना के स्तर पर रखा जाएगा। उपरोक्त उल्लिखित सिद्धांत के आधार पर, सरकार ने हाल ही में 2020-21 सत्र के लिए सभी अनिवार्य खरीफ तथा रबी फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की है।

खरीफ फसल की एमएसपी

7.12 विपणन सत्र 2020-21 के लिए, सरकार ने 1 जून 2020 को खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की। एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी नाइजर सीड (₹ 755 प्रति क्विंटल) में की गई, उसके बाद तिल (₹ 370 प्रति क्विंटल), फिर उड़द (₹ 300 प्रति क्विंटल) और कपास (लंबा अनाज) (₹ 275 प्रति क्विंटल) में की गई। किसानों के लिए उत्पादन की लागत पर सबसे अधिक लाभ प्राप्त होने का अनुमान बाजरे (83 प्रतिशत) पर लगाया गया और उसके बाद क्रमशः उड़द (64 प्रतिशत), तुर (58 प्रतिशत) और मक्के (53 प्रतिशत) पर लाभ प्राप्त होने का अनुमान व्यक्त किया गया। शेष फसलों के लिए, किसानों के लिए उत्पादन की लागत पर लाभ के लगभग कम से कम 50 प्रतिशत तक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है (चित्र 8)।

चित्र 8: 2020-21 वर्ष के खरीफ फसल की लागत, एमएसपी और प्रतिलाभ




स्रोत: डीएसी एंड एफडब्ल्यू

* इसमें सभी भुगतान किया गया लागत जैसे मजदूरों की भर्ती का खर्च, बैल चलने वाले मजदूर/मशीन पर काम करने वाले मजदूर, पट्टे पर लिए गए खेत के किराए का भुगतान, आदानों जैसे बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई व्यय, औजार और कृषि भवनों का मूल्यहास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेटों आदि के परिचालन के लिए डीजल/बिजली व्यय, विविध वर्च और पारिवारिक श्रम का मूल्य शामिल है।

रबी फसल का एमएसपी

7.13 विपणन सत्र 2020-21 के लिए, सरकार ने 1 सितंबर 2020 को सभी अनुशंसित रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की। एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी मसूर की दाल (₹ 300 प्रति क्विंटल) के लिए की गई, उसके बाद चना, सफेद सरसों और पीली सरसों (₹ 255 प्रति क्विंटल), फिर कुसुम (₹

चित्र 9: 2020-21 वर्ष के रबी फसल की लागत, एमएसपी और प्रतिलाभ



स्रोत: डीएसी एंड एफडब्ल्यू

* इसमें सभी भुगतान किए गए लागत जैसे मजदूरों की भर्ती का खर्च, बैल चलने वाले मजदूर/मशीन पर काम करने वाले मजदूर, पट्टे पर लिए गए खेत के किराए का भुगतान, आदानों जैसे बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई व्यय, औजार और कृषि भवनों का मूल्यहास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेटों आदि के परिचालन के लिए डीजल/बिजली व्यय, विविध वर्च और पारिवारिक श्रम का मूल्य शामिल है।

112 प्रति क्विंटल) का स्थान रहा। बाजरे और गेहूँ के लिए, क्रमशः 75 रुपये प्रति क्विंटल तथा 50 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई। किसानों के लिए उत्पादन की लागत पर सबसे अधिक लाभ प्राप्त होने का अनुमान गेहूँ (106 प्रतिशत) पर लगाया गया और उसके बाद क्रमशः सफेद सरसों तथा पीली सरसों (93 प्रतिशत), चना और मसूर की दाल (78 प्रतिशत) पर लाभ प्राप्त होने का अनुमान व्यक्त किया गया। बाजरे के संबंध में, किसानों के लिए उत्पादन की लागत पर 65 प्रतिशत लाभ, कुसुम के लिए 50 प्रतिशत लाभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है (चित्र 9)। अलग-अलग पारिश्रमिक का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।

फसल बीमा

7.14 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एक दूरदर्शी अभियान है और इसका लक्ष्य संपूर्ण देश में किसानों को न्यूनतम समान प्रीमियम पर समग्र जोखिम समाधान उपलब्ध कराना है। किसानों के लिए जोखिम के समग्र समाधान की प्रक्रिया के रूप में, यह योजना बुआई से पहले, कटाई के बाद-बुआई रूकने से होने वाली हानि और बीच मौसम के प्रतिकूलताओं सहित-संपूर्ण फसल चक्र के दौरान कवरेज उपलब्ध कराती है। जोखिमों जैसे जल-प्लावन, बादल के फटने और प्राकृतिक आग लगने जैसे स्थानीय आपदाओं की वजह से व्यक्तिगत खेत के स्तर पर हानियों तथा कटाई के बाद हानियों को भी कवर किया जाता है। पूर्व-पीएमएफबीवाई के दौरान बीमा कवरेज 15100 रूपए प्रति हेक्टेयर से बढ़कर पीएमएफबीवाई में 40700 रूपए प्रति हेक्टेयर हो गई है। दिनांक 13 जनवरी 2021 को इस योजना ने सफल निष्पादन के पांच वर्ष पूरे किए।

7.15 निरंतर उन्नत बनाने के लिए, फरवरी में इसके जीर्णोद्धार के बाद सभी किसानों के लिए योजना को स्वैच्छिक बनाया गया। इसके साथ ही, राज्य भी बीमित राशि को न्यायपूर्ण बनाने के लिए लचीलता प्रदान कर रहे हैं ताकि किसानों द्वारा पर्याप्त लाभ प्राप्त किया जा सकें। प्रति वर्ष इस योजना के अंतर्गत 5.5 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। 12 जनवरी 2021 तक, 900000 करोड़ का भुगतान दावे के रूप में पहले ही किया जा चुका है। आधार को जोड़ने से दावे के निपटान में तेजी आई है और दावे का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 70 लाख किसान लाभान्वित हुए और दावा लगभग 8741.30 का भुगतान लाभार्थियों को किया गया।

पीएम-किसान

7.16 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना वर्ष 2019 में की गई और इसका लक्ष्य कृषि योग्य भूमि रखने वाले देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों के आय में सहयोग करना था, हालाँकि इसके अधीन कुछ अपवर्जन भी शामिल था। इस योजना के अंतर्गत, 6000 रूपए का भुगतान प्रति वर्ष 2000 रूपए के तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता था। जब से यह योजना 25 दिसम्बर 2020 से शुरू हुई है, किसानों के खातों में 1.10 लाख करोड़ रुपये जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय लाभों की 7वीं किस्त दिसम्बर 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये की राशि जमा की जा चुकी है।


संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन

7.17 पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, इस सेक्टर ने 8.24 प्रतिशत की सीएजीआर दर से विकास किया। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रवार सकल मूल्य संवर्धन के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएस) 2020 के अनुमानों के अनुसार, कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुपालन का योगदान जीवीए में (निरंतर कीमत पर) 24.32 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 28.63 प्रतिशत (2018-19) हो गया है। पशुपालन उद्योग ने वर्ष 2018-19 में कुल जीवीए में 4.2 प्रतिशत का योगदान दिया।

दूध

7.18 दूध उत्पादन के मामले में भारत संपूर्ण विश्व में पहले स्थान पर है। पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाए किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश में दूध का उत्पादन वर्ष 2014-15 के 146.3 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 198.4 मिलियन टन हो गया* (चित्र 10)। वर्ष 2014-15 के दौरान दूध उत्पादन का वार्षिक विकास दर 6.27 प्रतिशत था, उसके बाद इसमें स्थिर वृद्धि होना जारी रहा। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20* के दौरान दूध उत्पादन में 5.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20* में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 407 ग्राम प्रतिदिन थी। वर्ष 2019-20 के दौरान दूध उत्पादन और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में अंतर-राज्यी अंतर को चित्र 10 और 11 में दिखाया गया है।


चित्र 10: भारत में दूध उत्पादन का रूझान (मिलियन टन)



स्रोत: राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और डीएएचडी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

* आकड़ें अस्थायी हैं।

चित्र 11: वर्ष (2019-20*) के दौरान दूध के उत्पादन में अंतर-राज्यी भिन्नता और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता।



स्रोत: डीएएचडी और एनडीडीबी वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।


#इसमें तेलंगाना में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता का चित्र भी शामिल है।

7.19 दूध की मांग के बारे में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2030 तक अखिल भारतीय स्तर पर दूध तथा दूध उत्पादों के मांग का 266.5 मिलियन टन रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस उपभोग में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा 57 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यहाँ तक कि वर्ष 2030 के अनुमानों के अनुसार, दूध की प्रति व्यक्ति खपत ग्रामीण क्षेत्र (404 मिलीमीटर) की तुलना में शहरी (592 मिलीमीटर) क्षेत्र में निरंतर अधिक होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

पशुओं की आबादी तथा उत्पादन

7.20 एफएओएसटीएटी के उत्पादन आकड़ों (2018) के अनुसार, संपूर्ण विश्व में अण्डों के उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। देश में अण्डों का उत्पादन 78.48 बिलियन (2014-15) से बढ़कर 114.38 बिलियन (2019-20*) हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान, अण्डों के उत्पादन का विकास दर 4.99 प्रतिशत था, और उसके बाद उत्पादन में बहुत सुधार हुआ और वर्ष 2019-20* के दौरान इसने 10.19 प्रतिशत का विकास दर्ज किया। वर्ष 2019-20* के दौरान, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अण्डों की उपलब्धता 86 रही। विगत चार दशकों में पोल्टरी उद्योग ने अभूतपूर्व प्रगति की है। गैर-वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन की विधि का परित्याग कर, वर्तमान में पोल्टरी उद्योग ने अत्याधुनिक तकनीक से वाणिज्यिक उत्पादन की विधि को अपना लिया है। चित्र 12 में प्रति व्यक्ति दूध तथा अण्डों की उपलब्धता को प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 12: दूध तथा अण्डों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता



स्रोत: डीएचडी के आकड़ों के आधार पर

* आकड़े अस्थायी हैं

7.21 एफएओएसटीएटी उत्पादन आकड़ों (2019) के अनुसार, संपूर्ण विश्व में मांस के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। देश में मांस का उत्पादन 6.7 मिलियन टन (2014-15) से बढ़कर 8.6 मिलियन टन (2019-20*) हो गया। वर्ष 2019-20* में, मांस के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 5.98 प्रतिशत थी।

पशुपालन क्षेत्र में हालिया पहलें:

7.22 कोविड-19 की वजह से पशुपालन से संबंधित उत्पादों को बेचने वाले दुकानों के बंद रहने से, ऐसे उत्पादों के मांग में बहुत कमी आई। मिठाई के दुकानों तथा चाय के दुकानों के बंद रहने के कारण, अनेक निजी डेयरी प्रभावित हुए और उन्होंने किसानों से दूध खरीदना बंद कर दिया। इसके परिणामस्वरूप किसान अपना दूध सहकारी संगठनों को बेचने लगे। इसके परिणामस्वरूप, सहकारी संगठनों में दूध की खरीद बढ़ गई

क्योंकि वे अपने वादे के अनुसार दूध की खरीद से इंकार नहीं कर सकते हैं। अधिक मात्रा में दूध खरीदने तथा उसे अधिक से अधिक मात्रा में मिल्क पाउडर तथा व्हाईट बटर में परिवर्तित करने से सहकारी संगठनों को नकदी यानि पैसे की कमी से जूझना पड़ा।

7.23 दूध की स्थिति की गहन निगरानी के लिए आवश्यक उपाय किए गए तथा लॉकडाउन के दौरान दूध और दूध उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फॉरवर्ड तथा बैकवार्ड लिंकेज से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया गया। एक बार की सहायता के रूप में, जारी योजना राज्य डेयरी सहकारी और किसान उत्पादक संगठन (एसडीसीएफपीओ) के अधीन वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज में छूट देने के लिए एक उप-योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य प्रति वर्ष ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट देना था और इसके अंतर्गत वित्तीय रूप से कठिनाई झेल रहे दूध संघों के लिए शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान करने पर उन्हें ब्याज पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ दिया गया। फरवरी 2020 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन क्षेत्र को शामिल करने की घोषणा के बाद, मिल्क कोआपरेटिव और मिल्क उत्पादक कंपनियों के लगभग 1.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अधीन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लाभ दिया गया।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

7.24 आत्म-निर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में, सरकार ने ₹ 15000 करोड़ रुपये का एक पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) गठित किया है। एएचआईडीएफ (i) डेयरी प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने, (ii) मांस के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने, (iii) पशुओं के लिए चारा उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेश करने वाले निजी उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित एमएसएमई को प्रोत्साहित करेगी।

7.25 योग्य लाभार्थियों को भारत सरकार ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देगी। ऋण के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए अधिस्थगन और उसके बाद 6 वर्ष की अदायगी अवधि दी जाएगी। किए गए दावों के आधार, सरकार प्रति वर्ष बैंकों को ब्याज में छूट देगी। भारत सरकार ₹ 750 करोड़ की क्रेडिट गारंटी फंड भी स्थापित करेगी, जिसका प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। क्रेडिट की गारंटी उन स्वीकृत परियोजनाओं को प्रदान की जाएगी जो एमएसएमई की परिभाषा के दायरे में आते हैं। इस योजना के अंतर्गत, उधारकर्ता की क्रेडिट सुविधा के 25 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, एसआईडीबीआई द्वारा विकसित की गई एक ऑनलाइन पोर्टल 'ahidf-udyamimtra-in' उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से इस योजना के अंतर्गत लोन पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

*आकड़ें अस्थायी हैं।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)

7.26 सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य सभी मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों को पैर और मुंह के रोग (एफएमडी) और ब्रुसेल्लोसिस से बचाव के लिए उन्हें एफएमडी का टीका देना शामिल है। इस योजना के अंतर्गत ब्रुसेल्लोसिस से बचाव के लिए 4-8 माह के सभी दुधारू पशुओं को एफएमडी का टीका दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के सफल निष्पादन के लिए पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान कुल ₹ 13,343 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

मत्स्यपालन

7.27 मछली उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है और वैश्विक उत्पादन में इसका योगदान 7.58 प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 में भारत में अभी तक सबसे अधिक मछली उत्पादन 14.16 मिलियन टन दर्ज किया गया। साथ ही, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यपालन उद्योग कुल राष्ट्रीय जीवीए के 1.24 प्रतिशत तथा कृषि जीवीए के 7.28 के बराबर योगदान देती है। वर्ष 2019-20 के दौरान 12.9 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया, जिनकी कीमत 46,662 करोड़ रुपये थी। इस क्षेत्र ने जीविकोपार्जन का बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराया है और इसकी वजह से भारत में 28 मिलियन से भी अधिक लोग, विशेष रूप से वंचित और कमजोर समुदाय के लोग, निरंतर आय प्राप्त करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही, इस उद्योग ने सार्थक सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है।

7.28 भारत सरकार ने इस स्केटर के असीम संभावनाओं का दोहन करने के लिए अनेक योजनायें शुरू की हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना - ब्लू रेवोलुशन अर्थात नीली क्रांति (सीएसएस-बीआर) वर्ष 2015-16 में 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने ₹ 3000 करोड़ का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया था ताकि मत्स्य पालन क्षेत्र का एकीकृत, जिम्मेदार और समग्र विकास और प्रबंधन का सबसे अधिक लाभ उठाया जाए। यह योजना मार्च 2020 में समाप्त हुई। भारत सरकार ने अक्टूबर 2018 में ₹ 7522 करोड़ के एक समर्पित मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) के गठन की स्वीकृति प्रदान की। एफआईडीएफ के अंतर्गत, नवंबर 2020 के अंत तक, 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ₹ 3467 करोड़ से अधिक के कुल परिव्यय वाली परियोजना के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मध्य जनवरी 2021 तक, मछुआरों और मत्स्यपालन करने वाले मछुआरों तथा कृषकों को कुल 44,673 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए हैं और मछुआरों और मत्स्यपालन करने वाले कृषकों के अतिरिक्त 4.04 लाख आवेदन बैंकों के पास कार्ड जारी करने के विभिन्न चरणों में लंबित हैं।

7.29 मत्स्यपालन उद्योग की असीम संभावनाओं, क्षमताओं तथा महत्त्व को समझते हुए, मई 2020 में एक नवीन महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू की गई। यह योजना भारत सरकार के आत्म-निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में की गई है और सरकार ने इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 की कुल पांच वर्षों की अवधि के लिए ₹ 20,050 करोड़ निवेश करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें केंद्र सरकार ₹ 9407 करोड़ का योगदान देगी, राज्य सरकारों का योगदान 4880 करोड़ रुपये का होगा जबकि लाभार्थियों द्वारा 5763 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) औसतन 9 प्रतिशत वार्षिक विकास दर को प्राप्त करते हुए वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को 220 लाख मीट्रिक टन करना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सफल निष्पादन के परिणामस्वरूप निर्यात आय दुगुनी अर्थात ₹ 1,00,000 करोड़ हो जाएगी और इससे मत्स्यपालन उद्योग में अगले पांच वर्षों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त, पीएमएमएसवाई ने जलीय कृषि उत्पादकता को 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने (3 टन प्रति हेक्टेयर के राष्ट्रीय औसत से अधिक), घरेलू बाजार में मछली की खपत बढ़ाने और अन्य स्रोतों से मत्स्यपालन उद्योग में निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत पहली बार मछली पकड़ने में इस्तेमाल किए जाने वाले नावों व जहाजों को बीमा कवरेज देने की योजना शुरू की जा रही है। जनवरी 2021 के मध्य तक, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से ₹ 6567.20 करोड़ परिव्यय का प्रस्ताव दिया जा चुका था, जिसमें से ₹ 2309.08 करोड़ परिव्यय के विभिन्न प्रस्तावों को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा

7.30 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एक मुख्य अनुसंधान संगठन है, जो संपूर्ण देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि अनुसंधान और शिक्षा में समन्वय, मार्गदर्शन तथा प्रबंधन में मदद देती है। मौजूदा वर्ष में, अक्टूबर 2020 तक खेत की कुल 172 नवीन/संकर प्रजातियों के फसलों, तथा 75 प्रकार के बागवानी फसलों के बारे में अधिसूचना/सूचना जारी की गई थी। आईसीएआर के नेतृत्व में, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने मई 2014 से खेत की विभिन्न फसलों के 1406 प्रजातियों के बारे में अधिसूचना जारी किया और उपलब्ध कराया है। परिषद ने 27.11.2020 तक वर्ष 2020-21 के दौरान प्राकृतिक खाद्य प्रणाली के माध्यम से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खेत और बागवानी फसलों की 17 जैव-विविधता वाली किस्मों का विकास किया है, जिससे जैव-विविधता वाली किस्मों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है।

7.31 परिषद ने डीएसीएंडएफडब्ल्यू खेत की 51 प्रकार के फसलों की 1330 प्रजातियों के 115707 क्विंटल उत्पादक बीजों का उत्पादन किया है। आधार और प्रमाणित बीजों के वंश-वृद्धि के लिए इसे विभिन्न सार्वजनिक और निजी बीज उत्पादन एजेंसियों को उपलब्ध कराया गया। किसानों के लिए वानस्पतिक रूप से प्रसारित खेत की फसलों, फलों, सब्जियों और वृक्षारोपण फसलों के मामले में, 169 लाख रोपण सामग्री और 8.0 लाख टिशू कल्चर के पौधे भी तैयार किए गए।

प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन तथा एकीकृत कृषि

7.32 किसानों की भागीदारी में, परिषद ने स्थान विशिष्ट, किफायती, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से स्वीकार्य बहु-उद्यम के 60 एकीकृत खेती प्रणाली विकसित किया है ताकि कृषि कार्य में जोखिमों को कम किया जा सकें और खेती की उत्पादकता/लाभप्रदता तथा संसाधनों से निर्धन छोटे और सीमांत कृषकों के आजीविका को बेहतर किया जा सकें। संबंधित राज्यों के लिए, विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए उच्च उत्पादकता सक्षम जैव गहन फसल प्रणाली को फसल उत्पादन मार्गदर्शिका/अभ्यास प्रणाली में शामिल किया गया है।

7.33 परिषद ने कृषि-वोल्टीय प्रणाली विकसित की है ताकि फसलों के बीच के स्थान का इस्तेमाल कर विद्युत उत्पादन किया जा सकें और फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल के उपरी सतह से वर्षा जल को संचित किया जा सकें। यह देश में 100,000 मेगावाट सौर पीवी आधारित सौर विद्युत उत्पादन क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जलवायु के प्रति लचीले तकनीकों का प्रदर्शन और उन्नयन

7.34 देश में जलवायु के प्रति लचीले तकनीकों का प्रदर्शन 446 गाँवों में किया जा रहा है जबकि लगभग 300 गाँवों के समूह में इनकी संख्या बढ़ाई गई है। वर्ष 2020-21 (27.11.2020 तक) में, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) मॉड्यूल के अंतर्गत 16355 प्रदर्शनों के अधीन 12453.93 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया; फसल उत्पादन तकनीकों के 25325 प्रदर्शनों के अधीन 9061.34 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया जबकि पशुधन और मत्स्य पालन टीकाकरण, चारे के अनुपूरण पर प्रदर्शन, आदि के अंतर्गत 48846 खेती के मवेशियों को कवर किया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) ने 42655 किसानों को शामिल करते हुए जलवायु लचीले कृषि के लिए 1644 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। सफल जलवायु लचीला प्रथाओं और तकनीकों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कुल 4367 विस्तार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 80684 किसान लाभान्वित हुए।

7.35 इसके अतिरिक्त, खराब मौसम और प्रतिकूल जलवायुविय परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर राज्य कृषि विभागों द्वारा विभिन्न उपायों और वास्तविक समय में उनके कार्यान्वयन के लिए 651 आकस्मिक योजनाएं तैयार की गई हैं।

मशीनीकरण और फसल अवशेष का प्रबंधन

7.36 छोटे और सीमांत कृषकों को भाड़े पर खेती के लिए जरूरी उपकरण/मशीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 9970, 2866, और 4170 कस्टम हायरिंग सेंटर क्रमशः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए। फसलों के अवशेषों के प्रबंधन के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिसमें (i) विगत दो वर्षों और माजूदा वर्ष में इन राज्यों के किसानों के मध्य 1,52,579 मशीनों का वितरण, (ii) फसल के अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए जागरूकता फैलाना (विगत दो वर्षों और माजूदा वर्ष में 1,817 जागरूकता कार्यक्रम, 28,247 प्रदर्शन, 696 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 130 किसान मेला आयोजित किए गए), (iii) लंबी अवधि में तैयार होने वाले किस्मों के स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली धान की किस्मों का उपयोग करना। लंबी अवधि में तैयार होने वाले किस्मों के लिए क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 के 8.30 लाख हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2020-21 में 4.82 लाख हेक्टेयर रह गया। और (iv) फसल विविधीकरण (धान के क्षेत्रफल में कमी आई) शामिल है। इसके परिणामस्वरूप, इन राज्यों में फसलों को जलाने की घटनाएँ वर्ष 2016 में 127774 से घटकर वर्ष 2019 में 61332 रह गईं।


उन्नत तकनीकों के साथ कृषकों और युवाओं तक पहुँचना

7.37 लगभग 3.37 लाख कॉमन सर्विस सेंटर को 721 केवीके के साथ जोड़ने से इन केवीके की पहुँच बहुत व्यापक हो गई है और ये किसानों के मांग के अनुसार सेवाएँ और सूचनाएँ उपलब्ध कराते हैं। केवीके द्वारा खेतों में किए गए 34432 परीक्षणों तथा 2.44 लाख फ्रंटलाइन प्रदर्शनों के माध्यम से उन्नत तकनीक किसानों के खेतों तक पहुँचने लगी है। खेती की फसलों के लिए 2.01 लाख क्विंटल बीज, बागवानी के फसलों के लिए 348.01 लाख रोपने की सामग्रियाँ तथा 409.06 लाख पशुओं के उपभेदों और मछली की किस्में नाममात्र की कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर

7.38 वर्ष 2018-19 को समाप्त हुए विगत 5 वर्षों के दौरान, 2011-12 के कीमतों पर कृषि उद्योग के 3.12 तथा विनिर्माण उद्योग के 8.25 प्रतिशत की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) ने औसतन 9.99 प्रतिशत वार्षिक दर से विकास किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जीडीपी, रोजगार और निवेश में अपने योगदान के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भी उभरा है। वर्ष 2011-12 के कीमतों पर, इस उद्योग का वर्ष 2018-19 के लिए विनिर्माण उद्योग में सकल मूल्य वर्धित योगदान 8.98 प्रतिशत रहा है। चित्र 13 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तुलनात्मक प्रदर्शन को दिखाया गया है।

चित्र 13: विभिन्न उद्योगों में जीवीए का विकास



स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवीन पहल

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का औपचारिकरण

7.39 आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने केंद्र प्रायोजित एक योजना शुरू की है, जिसका नामकरण प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण की योजना (पीएम-एफएमई) रखा गया है और इस योजना के अंतर्गत 2020-2025 के बीच ₹ 10,000 खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्रेडिट लिंकड सब्सिडी के माध्यम से इस योजना से लगभग 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लाभान्वित होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आदानों की खरीद, आम सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में बड़े स्तर पर लाभ प्राप्त करने के लिए यह योजना एक मंडल एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण पर कार्य करती है। राज्य को मौजूदा समूहों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक मंडल के लिए खाद्य उत्पाद की पहचान करनी की जरूरत है। ओडीओपी उत्पादों के लिए सामान्य अवसंरचना और ब्रांडिंग और विपणन की सुविधा देंगे। यह योजना अपशिष्ट से बेहतरीन उत्पादों, लघु वन उत्पाद और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट¹ पर ध्यान देती है।

7.40 अपने इकाई का आधुनिकीकरण करवाने के इच्छुक मौजूदा एकल सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ अपनी योग्य परियोजना लागत के 35 प्रतिशत तक क्रेडिट-लिंकड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं, हालाँकि इसके लिए प्रति यूनिट ₹ 10 लाख की अधिकतम सीमा तय की गई है। प्रति एसएचजी सदस्य को ₹ 40,000 की दर से प्रारंभिक पूँजी छोटे उपकरणों की खरीद तथा कार्यशील पूँजी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वैल्यू चेन के साथ पूँजी निवेश के लिए, एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक सहकारी संगठनों को 35 प्रतिशत का क्रेडिट लिंकड अनुदान दिया जाएगा। एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों या राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों या निजी उद्यम के माध्यम से समूह में सूक्ष्म इकाइयों के उपयोग के लिए सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और इन्क्यूबेशन सेंटर सहित सामान्य अवसंरचना ढांचे के विकास के लिए 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंकड अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर 50 प्रतिशत अनुदान के साथ सूक्ष्म इकाइयों और समूहों को ब्रांड विकसित करने के लिए विपणन और ब्रांडिंग की सहायता दी जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में सूक्ष्म इकाइयाँ लाभान्वित होंगी। 35 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के 703 मंडलों में 137 अद्वितीय उत्पादों के लिए ओडीओपी की अनुशंसा की गई है। 34 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के 650 मंडलों में ओडीओपी की अनुशंसा की गई है।

हरित क्रांति (ऑपरेशन ग्रीन्स)

7.41 एमओएफपीआई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना हरित क्रांति (ऑपरेशन ग्रीन्स) - टमाटर, प्याज और आलू के मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए एक योजना-निष्पादित कर रही है ताकि कृषि उत्पादों की कीमत कम होने पर कृषकों की मदद की जा सकें। इस योजना का उद्देश्य कीमत बढ़ने के दौरान बाजार में हस्तक्षेप करना नहीं है। इस योजना के अधीन लघु-अवधि में कीमतों को स्थिर करने के उपायों में अत्यधिक आपूर्ति के दौरान उत्पादन क्षेत्र से खपत केंद्र तक अतिरिक्त उत्पादों के परिवहन और भंडारण लागत में 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करना शामिल है। नवंबर 2020 तक, 5 स्वीकृत परियोजनाएँ (आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में टमाटर के लिए 2, गुजरात और महाराष्ट्र में प्याज के लिए 2 और गुजरात में आलू के लिए 1) निष्पादित की जा रही हैं।

7.42 आत्म-निर्भर भारत के अंतर्गत, इस योजना को टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) की फसलों से आगे अन्य अधिसूचित बागवानी फसलों (कुल) के लिए छः महीने के लिए बढ़ाया गया है। भारतीय रेल द्वारा संचालित रेल के माध्यम से फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

1 नीति आयोग ने देश में 112 सबसे पिछड़े मंडलों की पहचान एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में की है।

उत्पादन-लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना

7.43 नवंबर 2020 में सरकार ने उत्पादन-लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को 10 मुख्य क्षेत्रों के लिए लागू करने के लिए अपनी स्वीकृति दी, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण शामिल है। इस योजना का लक्ष्य भारत के निर्माण क्षमताओं को बेहतर बनाना तथा निर्यात में सुधार करना है। खाद्य प्रसंस्करण में पीएलआई योजना के लिए ₹ 10900 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। चिन्हित किए गए खाद्य क्षेत्रों में खाने के लिए तैयार/ पकाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, मरीन उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, मोज्जरेल्ला पनीर और एसएमई का नवीनतम/ कार्बनिक उत्पाद शामिल है। यह योजना विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग को भी सहारा देगी।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)

7.44 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एकछत्र योजना के अंतर्गत, मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों को परियोजना के घटक के रूप में लागू कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) मेगा फूड पार्क, (ii) इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, (iii) एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, (iv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (v) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार, और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स शामिल है। तालिका 2 में 31.12. 2020 तक स्वीकृत और पूर्ण हुए परियोजनाओं/प्रगति के अधीन परियोजनाओं की स्थिति को देखा जा सकता है।

तालिका 2: पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं और पूर्ण/प्रगतिशील परियोजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण हुए परियोजनाओं/प्रगति के अधीन परियोजनाओं की संख्या
1	मेगा फूड पार्क	37	21
2	कोल्ड चेन	327	210
3	एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर	55	0
4	यूनिट स्कीम	287	44
5	बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज	62	21
6	ऑपरेशन ग्रीन्स	5	0
	कुल	773	296

स्रोत: एमओएफपीआई

खाद्य प्रबंधन


7.45 खाद्यान्न भंडार के विवेकपूर्ण प्रबंधन के लिए और केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, गेहूं और चावल की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- I. किसानों के हितों की रक्षा के लिए गेहूं और धान का एमएसपी बढ़ा दिया गया है
- II. राज्य सरकारें, विशेष रूप से विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति करने वाले उपक्रमों को राज्य एजेंसियों द्वारा गेहूं और चावल की अधिकतम खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- III. मौजूदा बफर मानदंडों से 5 मिलियन टन अधिक खाद्यान्न के सामरिक भंडार को बनाए रखा गया है ताकि उनका उपयोग प्रतिकूल परिस्थितियों में किया जा सके।
- IV. बाजार में भोजन की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए खुली बाजार बिक्री योजना के माध्यम से गेहूं और चावल की बिक्री की जाती है।

खाद्यानों की खरीद

7.46 खरीफ के विपणन सत्र (केएमएस) 2019-20 के दौरान, अनुमानित लक्ष्य 529.05 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के विरुद्ध 519.97 एलएमटी धान की खरीद की गई थी। आगामी केएमएस 2020-21 में, 374.93 एलएमटी चावल की खरीद दिनांक 15.1.2021 तक की गई थी। रबी के विपणन सत्र (आरएमएस) 2020-21 के दौरान 389.92 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई थी जबकि आरएमएस 2019-20 के दौरान 347.89 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई थी। इस प्रकार, खरीफ के विपणन सत्र 2020-21 के दौरान 18.01.2021 तक कुल 4.78 एलएमटी मोटे अनाज की खरीद की गई थी। चित्र 14 तथा 15 विगत पांच वर्षों के दौरान खाद्यानों के खरीद की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।


चित्र 14: विगत पांच वर्षों के दौरान चावल और गेहूं की खरीद (लाख टन)



स्रोत: भारतीय खाद्य निगम और डीएफपीडी की वेबसाइट से प्राप्त आकड़ों के आधार पर।

* 15.01.2021 तक।

चित्र 15: विगत पांच वर्षों के दौरान मोटे अनाज की खरीद (हजार टन)



स्रोत: भारतीय खाद्य निगम और डीएफपीडी की वेबसाइट से प्राप्त आकड़ों के आधार पर।

* 18.01.2021 तक।

खाद्यान्नों का आवंटन


7.47 वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, खाद्यान्नों का आवंटन दो चौनलों के माध्यम से किया गया है- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेवाई) योजना। वर्तमान समय में, एनएफएसए को सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है और वे एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों का मासिक आवंटन प्राप्त कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान (18.10.2021 तक), खाद्यान्नों की अंतर-राज्यीय परिवहन तथा उचित मूल्य दुकान के डीलर के लाभ के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में ₹ 3679.82 करोड़ का अनुदान राज्य सरकारों को दिया गया।

7.48 कोविड-19 से निपटने के लिए आर्थिक प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अधीन निर्धन लोगों के लिए की गई घोषणा के आलोक में, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेवाई) उन सभी लाभार्थियों के लिए शुरू की जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) (एवाई और पीएचएच) के अधीन कवर किया गया है, जिसमें वे लाभार्थी भी शामिल हैं, जिन्हें 3 महीने यानी अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के अधीन कवर किया गया है। इस योजना के अंतर्गत टीपीडीएस से मिलने वाले खाद्यान्न के अलावे, लाभार्थी केंद्रीय पूल से मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज अतिरिक्त प्राप्त करेंगे। तदनुसार, लगभग 121 एलएमटी वाद्यान्न लगभग 80.96 करोड़ लाभार्थियों को आवंटित किया गया, जिस पर सब्सिडी के रूप में लगभग 46061 करोड़ रुपये खर्च हुए। पीएम-जीकेवाई योजना को आगे 5 महीनों के लिए यानि जुलाई-नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तदनुसार, लगभग 201 एलएमटी खाद्यान्न मुफ्त में वितरण के लिए आवंटित किया गया है जिस पर सब्सिडी के रूप में लगभग 76062.11 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

7.49 इसके अतिरिक्त, आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत, भारत सरकार ने 5 किलोग्राम प्रति महीना प्रति व्यक्ति की दर से दो महीने (मई और जून 2020) के लिए मुफ्त में खाद्यान्न (गेहूं और चावल) आवंटित किया था, जिससे लगभग 8 करोड़ वैसे प्रवासी/फसे हुए प्रवासी मजदूर लाभान्वित हुए जो एनएफएसए या राज्य राशन कार्ड के अंतर्गत कवर नहीं किए गए थे। इस योजना पर सरकार ने सब्सिडी के रूप में लगभग 3109 करोड़ रुपये खर्च किए। पहले से ही उठाए गए खाद्यान्न (25.06.2020 तक) के प्रवासियों के मध्य वितरण की अवधि को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया था। एएनबीपी के अंतर्गत, औसतन मई और जून 2020 के लिए प्रति महीना के दर से लगभग 2.74 करोड़ लोगों को शामिल किया गया। इस प्रकार, लगभग 5.48 करोड़ लोगों को लगभग 2 एलएमटी चावल तथा 0.74 एलएमटी गेहूँ दिया गया, जिसपर कुल व्यय 989.30 करोड़ रूपए हुए।

7.50 वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार ने अभी तक (दिसंबर 2020 के अंत तक) 943.53 लाख टन खाद्यान्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित किए हैं, जिसका विवरण नीचे चित्र 13 में दिया गया है।

चित्र 16: विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटन का बंटवारा
(प्रतिशत में हिस्सेदारी और लाख टन में मात्रा)



स्रोत: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

चावल को पोषणयुक्त बनाना तथा इसका वितरण करना

7.51 एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या से निपटने और देश में पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2019-20 में ₹ 174.64 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 3 वर्षों की अवधि के लिए “सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल को पोषणयुक्त बनाने और इसके वितरण” के लिए एक केंद्र प्रायोजित पायलट योजना स्वीकृत की गई थी। भारत सरकार द्वारा पायलट योजना को उत्तर पूर्वी, पहाड़ी और द्वीपीय राज्यों के संबंध में 90:10 के अनुपात में और बाकी राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में वित्त पोषित किया जा रहा है।

7.52 निष्पादन के शुरूआती चरण में पायलट योजना 15 मंडलों में लागू की जाएगी, मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य के एक मंडल में निम्नलिखित राज्य सरकारों, यानि, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने अपनी सहमति दी है और पायलट योजना के लिए संबंधित मंडलों की पहचान की है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने योजना के अंतर्गत पहले ही अपने चयनित मंडलों में पोषणयुक्त चावल का वितरण शुरू कर दिया है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड


7.53 सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस)” नाम की एक योजना लागू कर रहा है, जिसकी वैधता अवधि 31.03.2022 तक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत देश भर में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को शुरू करना है। यह राशन कार्ड धारकों को मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग कर देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। वर्तमान समय में, राशन कार्ड की राष्ट्रीय/अंतर्राज्यी पोर्टेबिलिटी 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है जिससे 69 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं (जो कुल एनएफएसए आबादी का 86 प्रतिशत हैं)। इस प्रणाली के अंतर्गत चंडीगढ़ और पुदुचेरी में छूट पर खाद्यान्न के बदले खाद्यान्न के बराबर डीबीटी (नगद स्थानांतरण) उपलब्ध कराया जा रहा है।

खुले बाजार में बेचने की योजना (घरेलू)

7.54 खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाएं रखने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्लूएस) के प्रावधानों को पूरा करने के लिए, सरकार के निर्देश पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) केंद्रीय पूल से अतिरिक्त स्टॉक को खुले बाजार में बिक्री की योजना (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] के अंतर्गत समय-समय पर पहले से निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार में बेचती है। वर्ष 2020-21 में, एफसीआई ने केंद्रीय पूल से ओएमएसएस (डी) योजना के अंतर्गत खुले बाजार में 150 लाख एमटी गेहूं की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 में, एफसीआई ने केंद्रीय पूल से ओएमएसएस (डी) योजना के अंतर्गत खुले बाजार में 50 लाख एमटी चावल की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया है। विगत 4 वर्षों के दौरान तथा वर्ष 2020-21 में ओएमएसएस (डी) योजना के अंतर्गत खुले बाजार में बेचे गए गेहूं और चावल की मात्राओं को चित्र 17 में प्रदर्शित किया गया है।

7.55 मौजूद लॉकडाउन की परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों/कमजोर समूहों के लिए बचाव/सामुदायिक रसोई संचालित करने वाले परोपकारी/गैर-सरकारी संगठनों आदि को खाद्यानों की आपूर्ति करने के लिए, दिनांक 8 अप्रैल 2020 से एक विशेष वितरण योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत, 21 रुपये प्रति किलोग्राम के समरूप कीमत पर गेहूं तथा 22 रुपये प्रति किलोग्राम के समरूप कीमत पर चावल परोपकारी संस्थाओं/एनजीओ को उपलब्ध कराया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसी भी एफसीआई डिपो से प्रत्येक संगठन को खाद्यानों के आवंटन पर कोई उपरी सीमा लागू नहीं थी। यह विशेष वितरण योजना शुरू में जून 2020 तक के लिए लागू थी; हालाँकि, इसे उसी दर, नियमों व शर्तों के आधार पर शेष 2020-21 के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत, 12.01.2020 तक, 229 परोपकारी संस्थाओं/एनजीओ द्वारा क्रमशः कुल 1246 एमटी गेहूं और 10418 एमटी चावल की खरीद की गई है।

चित्र 17: ओएफएसएस (डी) योजना के अंतर्गत बेचे गए गेहूं और चावल की मात्रा (मात्रा लाख एमटी में)




स्रोत: डीएफपीडी से प्राप्त आकड़ों के आधार पर

* दूसरा टेंडर जनवरी 2020 तक।

खाद्य सब्सिडी

7.56 प्रति क्विंटल आर्थिक लागत तथा प्रति क्विंटल केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) के बीच अंतर प्रति क्विंटल खाद्य सब्सिडी के परिमाण के बारे में सूचित करता है। कमजोर लोगों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार एनएफएसए के अंतर्गत छूटयुक्त कीमतों पर खाद्यानों की आपूर्ति जारी रखे हुए है। एनएफएसए लाभार्थियों के लिए गेहूं और चावल की सीआईपी का पुनरीक्षण वर्ष 2013 में इस अधिनियम के प्रारंभ से संशोधित नहीं किया गया है जो कि गेहूं के मामले में ₹ 200 प्रति क्विंटल और चावल के मामले में ₹ 300 प्रति क्विंटल थी। दूसरी ओर, एफसीआई के लिए गेहूं की आर्थिक लागत वर्ष 2013-14 के ₹ 1908.32 प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 2683.84 प्रति क्विंटल हो गई। उसी तरह से, चावल की आर्थिक लागत वर्ष 2013-14 के ₹ 2615.51 प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 3723.76 प्रति क्विंटल हो गई है। सबसे बढ़कर, एनएफएसए पूर्ववर्ती टीपीडीएस की तुलना में अधिक व्यापक कवरेज प्रदान करती है। इन सभी कारकों की वजह से फूड सब्सिडी निरंतर बढ़ती रही है (चित्र 18)।

चित्र 18: वर्ष 2009-10 से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए खाद्य सब्सिडी की प्रवृत्ति



स्रोत: डीएफपीडी से प्राप्त आकड़ों के आधार पर

नोट: वित्त वर्ष 2020-21 में जारी किए गए कुल खाद्यान्न में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) योजना के अंतर्गत जारी किया गया ₹ 8347.86 करोड़ रूपया शामिल हैं।

*इसमें राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा एफसीआई को दिया गया ₹ 25000 करोड़ का ऋण शामिल है। **इसमें एनएसएसएफ द्वारा एफसीआई को दिया गया ₹ 40000 करोड़ का ऋण शामिल है। ***इसमें एनएसएसएफ द्वारा एफसीआई को दिया गया ₹ 70000 करोड़ का ऋण शामिल है और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान वित्त मंत्री के निर्देश पर मार्च 2020 में एमओएफ के निर्देशों के आलोक में एफसीआई को स्वीकृत किए गए अप्रयुक्त एनएसएसएफ ऋण में 11436 करोड़ रूपये का पुनर्भुगतान 30.11.2020 तक # डीसीपी राज्यों को किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में डीसीपी मद के अंतर्गत बजटीय आवंटन से एफसीआई को ₹ 11436 करोड़ में से ₹ 10000 करोड़ वापस कर दिया गया है।

भंडारण

7.57 खाद्यान्नों के भंडारण के लिए, 31.12.2020 तक एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास कुल 819.19 एलएमटी की भंडारण क्षमता उपलब्ध थी, जिसमें 669.10 एलएमटी क्षमता वाला ढंका हुआ गोदाम और 150.09 एलएमटी क्षमता की कवर्ड तथा प्लिंथ (सीएपी) सुविधा शामिल है। कुल उपलब्ध 819.19 एलएमटी की भंडारण क्षमता में से, एफसीआई के पास 407.76 एलएमटी की भंडारण क्षमता है जबकि राज्य एजेंसियों के पास 411.43 एलएमटी की भंडारण क्षमता है। केंद्रीय पूल में चावल और गेहूँ का भंडार 1.1.2021 तक 529.59 एलएमटी था।

7.58 निजी क्षेत्र के साथ-साथ केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) के माध्यम से निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना के अंतर्गत 24 राज्यों में पीपीपी मोड में गोदामों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 30.11.2020 तक, ऐसे निर्मित गोदामों की कुल क्षमता 144.06 एलएमटी है। इसके अलावे, एफसीआई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों, केरल, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में गोदामों का निर्माण कर रही है। देश में भंडारण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और भंडारित खाद्यान्नों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से 100 एलएमटी की क्षमता के स्टील सिलोस बनाने की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के संगत, 31.12.2020 तक, कुल 8.25 एलएमटी क्षमता के सिलो का निर्माण किया गया था।

केंद्रीय भंडारण निगम

7.59 देश भर में सीडब्ल्यूसी के पास 423 गोदाम हैं। सीसीआई के कपास गांठों के प्रबंधन भंडारण क्षमता सहित जिनकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 117 लाख एमटी है। दिसंबर 2020 में, कुल क्षमता का 86 प्रतिशत उपयोग किए जाने की संभावना है। वित्त वर्ष 2019-20 वित्त वर्ष 2020-21 के छह महीने (अप्रैल से सितंबर) के दौरान औसत अधिभोग प्रतिशत वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि के दौरान 86 प्रतिशत की तुलना में 89 प्रतिशत था। मौजूदा वित्त वर्ष में, सीडब्ल्यूसी ने पीईजी के अंतर्गत भदोही (उत्तर प्रदेश) में 10000 एमटी क्षमता वाले गोदाम का निर्माण किया है।

इथेनॉल

7.60 सरकार ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल में एथेनॉल को मिश्रित करने का लक्ष्य 10% निर्धारित किया है और वर्ष 2030 तक मिश्रित करने का लक्ष्य 20% निर्धारित किया गया है। मिश्रित करने के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार चीनी मीलों और मोलासेस-आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरी को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता देकर उनके विलयन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) प्रोग्राम के अधीन एथेनॉल की आपूर्ति, जो वर्ष 2013-14 के दौरान मात्र 38 करोड़ लीटर थी, वह एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2018-19 के दौरान बढ़कर 189 करोड़ लीटर हो गई और यह ईएसवाई 2019-20 के दौरान 173 करोड़ लीटर थी। ईएसवाई 2020-21 के दौरान, लगभग 325 करोड़ लीटर एथेनॉल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ताकि ईएसवाई 2020-21 में 8.5 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। वही ईएसवाई 2021-22 के दौरान लगभग 400 करोड़ लीटर एथेनॉल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ताकि ईएसवाई 2021-22 में 10 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सरकार ने एफसीआई के पास उपलब्ध अतिरिक्त चावल और मक्के को एथेनॉल में बदलने की अनुमति प्रदान की है ताकि मिश्रण करने के इन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके।

हाल ही में कृषि सुधार: एक उपचार, एक व्याधि नहीं

7.61 भारत के राष्ट्रपति ने 27 सितंबर 2020 को तीन कृषि संबंधित क्षेत्र सुधारों-किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम-को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इन सुधारों के बड़े प्रावधानों का उल्लेख नीचे किया गया है।

किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020

7.62 इसका उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जहाँ किसान तथा व्यापारी अपने कृषि उत्पादों के खरीद और बिक्री अपनी इच्छा से कर सकें। यह सुधार किसानों और खरीदारों को कृषि उत्पादों को, यहां तक कि एपीएमसी मंडियों के बाहर भी, बेचने की अनुमति देता है। इस प्रकार, यह कुशल विधेयक पारदर्शी और परेशानी-रहित अंतर-राज्यीय और राज्यान्तर्गत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसानों को एक प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है।

मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020

7.63 इसका लक्ष्य अनुबंध कृषि के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे का निर्माण करना है। यह सुधार किसानों की सुरक्षा और सशक्तीकरण सुनिश्चित करते हुए उन्हें कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों, प्रसंस्करण-कर्ताओं, थोक व्यापारियों, निर्यातकों या कृषि सेवाओं के बड़े खुदरा विक्रेताओं से जुड़ने में सक्षम बनाता है ताकि वे भविष्य

की खेती की बिक्री के लिए एक उचित और पारदर्शी व आपसी सहमति पर आधारित पारिश्रमिक मूल्य पर उत्पादन करने में सक्षम हो सकें।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

7.64 इसका उद्देश्य जिसों जैसे अनाजों, दालों तिलहनों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से निकालना है। यह सुधार असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर बार-बार थोपे जाने वाले स्टॉक करने की सीमा को समाप्त करना चाहता है।

कृषि सुधारों से लाभ

7.65 भारत में किसानों को लंबे समय से अपने उत्पादों को बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा है। किसानों द्वारा अधिसूचित एपीएमसी मार्केट यार्ड से बाहर कृषि-उत्पादों को बेचने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा, किसानों को राज्य सरकार के पंजीकृत लाइसेंसधारकों को छोड़कर किसी अन्य से कृषि-उत्पादों को बेचने की मनाही है। राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विभिन्न प्रकार के एपीएमसी कानूनों की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि उत्पादों के परेशानी-रहित परिवहन में अनेक बाधाएं आती हैं।

7.66 वास्तविकता यह है कि एपीएमसी कानूनों की वजह से कृषकों को विभिन्न प्रकार की अकुशलताओं और हानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली और बड़ी अकुशलता किसानों तथा अंतिम उपभोक्ताओं के बीच असंख्य बिचौलियों की मौजूदगी है, जिससे वे अपने उत्पाद की कम से कम कीमत प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ ही, एपीएमसी किसानों से विभिन्न प्रकार के कर और उपकार वसूलती है जिससे किसानों को अपने उत्पाद की उचित कीमत प्राप्त करने में परेशानी होती है और किसानों से वसूल किए गए करों के बहुत कम हिस्से का उपयोग मंडी के अवसंरचना के विकास पर खर्च किया जाता है। मंडी में खराब अवसंरचना की वजह से किसानों को उचित कीमत प्राप्त करने की समस्या कई गुना बढ़ जाती है। हाथों से तौलने की समस्या, एकल खिड़की का अभाव और आधुनिक ग्रेडिंग और सॉर्टिंग प्रक्रियाओं की कमी से बहुत विलंब और माप से संबंधित गलतियाँ उत्पन्न होती हैं, जो विक्रेता के विरुद्ध पक्षपाती हो जाती हैं। अक्सर चिलचिलाती धूप में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे किसानों की लंबी कतार और अन्य मंडियों में कीमत अधिक होने के बावजूद किसानों को अपनी उपज को बेचने की सीमित क्षमता एपीएमसी मंडियों की एक विशेषता है। इस विलंब की वजह से कटाई के बाद अनाज और दालों में 4-6 प्रतिशत, सब्जियों में 7-12 प्रतिशत और फलों में 6-18 प्रतिशत का नुकसान होता है। 2009 के थोक कीमतों पर, कटाई के बाद कुल 44,000 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान व्यक्त किया गया है²।

7.67 मौजूदा बाजार विनियमों की सीमाओं को समझते हुए, विभिन्न समितियों ने कृषि जिसों के विपणन के लिए अनेक सुझावों की अनुशंसा की है। कृषि बाजार में सुधारों की कुछ अनुशंसा का उदाहरण बॉक्स 3 में दिया गया है।

7.68 मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 किसानों को प्रसंस्करण-कर्ताओं, थोक-विक्रेताओं, एग्रीगेटर, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों के साथ व्यवसाय करने में पहले से बेहतर तरीके सक्षम बनाएगी और उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए एकसमान अवसर प्राप्त होगा। यह बाजार की अस्थिरता के जोखिम को किसानों से प्रायोजकों पर स्थानांतरित कर देगी और किसानों को नवीन तकनीकों और बेहतर आदानों का उपयोग करने में समर्थ बनाएगी। यह अधिनियम किसानों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। किसानों के खेत की बिक्री, पट्टे पर देना या बंधक रखना पूरी तरह से

2 राज्य मंत्रियों की समिति, कृषि विपणन सुधारों के प्रभारी मंत्रालय, भारत सरकार, 2013 की अंतिम रिपोर्ट।

प्रतिबंधित रहेगा तथा किसी प्रकार की रिकवरी के विरुद्ध किसानों के खेत की सुरक्षा की जाएगी। किसानों के पास समझौते में अपने पसंदीदा उत्पाद की कीमत तय करने का पूरा अधिकार होगा। उन्हें अधिकतम 3 दिनों में भुगतान प्राप्त होगा। संपूर्ण देश में लगभग 10000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया जा रहा है। ये एफपीओ छोटे किसानों को एकसाथ लाने और खेत में पैदा होने वाले फसलों की उचित कीमत दिलाना सुनिश्चित करेंगे। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, किसानों को व्यापार करने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। खरीद करने वाला उपभोक्ता सीधे खेत से ही उत्पाद ले जाएगा।

7.69 आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 का उद्देश्य जिसमें जैसे अनाजों, दालों तिलहनों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से निकालना है ताकि व्यावसायिक कार्यों में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप के निजी निवेशकों के डर को दूर किया जा सकें। उत्पादन करने, भंडारण करने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, वितरण और आपूर्ति करने की स्वतंत्रता वृहद पैमाने पर अर्थव्यवस्था के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी और निजी क्षेत्र/विदेशी निवेश को कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित करेगी। यह कानून कोल्ड स्टोरेज और वाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में निवेश को प्रोत्साहित करेगी।

7.70 कृषि सुधारों से संबंधित तीन कानूनों का निर्माण और उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है, जिनकी कुल संख्या 85 प्रतिशत के आस-पास है और जो प्रतिगामी एपीएमसी नियंत्रित बाजार का सबसे बड़ा पीड़ित है। हाल ही में पेश किया गया कृषि कानून किसानों को स्वतंत्र समावेशी बाजार में पदार्पण के नए युग की शुरुआत है और यह भारत में खेती-बारी में सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

बॉक्स 3: कृषि बाजार सुधार और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की अनुशंसा करने वाली रिपोर्ट के कुछ उदाहरण

1. **कृषि विपणन के सुदृढीकरण और विकास पर विशेषज्ञ समिति - अध्यक्ष: श्री शंकरलाल गुरु (जून 2001)**
समिति ने मौजूदा नीतियों, विनियमों और विधिक प्रावधानों में व्यापक आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत पर जोर दिया, जो एक मुक्त विपणन प्रणाली के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्यक्ष विपणन वैकल्पिक विपणन संरचना में से एक है जिसे बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है और निजी क्षेत्र की भूमिका को एपीएमसी के दायरे से बाहर प्रोत्साहित किया जा सकता है। गुणवत्ता आश्वासन, ग्रेडिंग के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अवसंरचना के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसने आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त करने की अनुशंसा की ताकि बाजार की ताकतों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकें।
2. **रोजगार के अवसरों पर कार्यबल की रिपोर्ट - अध्यक्ष: श्री मोटेक सिंह अहलूवालिया (जुलाई 2001)**
टास्क फोर्स की अनुशंसा के अनुसार विनियंत्रण का लाभ कृषि को दिया जाना चाहिए और आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि एपीएमसी के माध्यम से कृषि उपज के विपणन पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे एक राष्ट्रीय बाजार के विकास में बाधक हैं।
3. **विपणन सुधार पर अंतर-मंत्रालयी कार्यबल - अध्यक्ष: श्री आर.सी.ए. जैन (जुलाई 2001)**
टास्क फोर्स ने अनुशंसा की है कि राज्य सरकारों को एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करना चाहिए ताकि निजी क्षेत्र को वैकल्पिक विपणन अवसंरचना और समर्थन सेवाओं को विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अनुशंसा के अनुसार कृषि उत्पादों के भंडारण पर प्रतिबंध को हटाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए है ताकि निजी क्षेत्र में पर्याप्त भंडारण क्षमता विकसित की जा सके।

4. कृषि विपणन पर मॉडल अधिनियम - (सितंबर 2003)

मॉडल अधिनियम के अधीन, कानूनी व्यक्तियों, उत्पादकों और स्थानीय अधिकारियों को मौजूदा प्रावधानों जो केवल राज्य सरकारों की पहल पर बाजार स्थापित करने की अनुमति देते हैं, के विरुद्ध किसी भी क्षेत्र में कृषि उपज के लिए नए बाजारों की स्थापना के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। नतीजतन, एक बाजार क्षेत्र में, निजी व्यक्तियों, किसानों और उपभोक्ताओं द्वारा एक से अधिक बाजार स्थापित किए जा सकते हैं। एपीएमसी द्वारा नियंत्रित मौजूदा बाजारों के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिए उत्पादकों पर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए।

5. किसानों की सेवा करना और कृषि कार्य की सुरक्षा करना - किसानों पर राष्ट्रीय आयोग-की पहली रिपोर्ट - अध्यक्ष: डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (2004)

इस रिपोर्ट में फसल कटाई के बाद के प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अंगूर उत्पादक संघ, एनडीडीबी, आदि द्वारा सफलतापूर्वक पैकिंग हाउस” की प्रसिद्ध अवधारणा को अपनाने वाले प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र के लिए कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे की योजना बनाई जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रणाली को विकेन्द्रीकृत करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा एपीएमसी अधिनियम में तत्काल संशोधन करना जरूरी है और उत्पादकों को बेहतर लक्ष्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता वाले उत्पादों को प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य हितधारकों को विपणन के लिए अनुमति देना जरूरी है।

6. किसानों की सेवा करना और कृषि कार्य को सुरक्षित रखना - संकट से लेकर आत्मविश्वास तक - किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की - दूसरी रिपोर्ट - अध्यक्ष: डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (2005)

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि एपीएमसी और राज्य कृषि बोर्डों की भूमिका को स्थानीय उत्पादों और बेहतर विपणन प्रथाओं के लिए बाजारों के विकास और संवर्धन से विनियमन तक परिवर्तन की जरूरत है।

7. किसानों की सेवा और खेती की बचत 2006: कृषि नवीकरण का वर्ष - तीसरी रिपोर्ट - किसानों पर राष्ट्रीय आयोग - अध्यक्ष: डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (2005)

सरकार को प्राथमिक कृषि वस्तुओं पर बाजार शुल्क को पूरी तरह से समाप्त करना और विभिन्न सेवाओं जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, एपीएमसी यार्ड में वजन और बाजार अवसंरचना के उपयोग के लिए एक समेकित सेवा शुल्क वसूल करने की जरूरत है। यह कहा गया कि निजी मंडियों की स्थापना के लिए सहकारी समितियों सहित निजी कंपनियों को अनुमति देना किसानों को एक विकल्प उपलब्ध कराने और उच्चतर रिटर्न देने के लिए एक बड़ा कदम होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम को निलंबित स्थिति में रखा जा सकता है और आपातकालीन स्थिति में केवल सरकारी अधिसूचना द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। रिपोर्ट में इस तथ्य की भी अनुशंसा की गई है कि कुछ वर्षों के लिए निलंबित स्थिति में रखने के प्रभाव को देवने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त किया जा सकता है।

8. किसानों की सेवा करना और कृषि कार्य को बचाना जय किसान: किसानों के लिए एक मसौदा राष्ट्रीय नीति - किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की - चौथी रिपोर्ट - अध्यक्ष: डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (2006)

निजी क्षेत्र या सहकारी समितियों को बाजार स्थापित करने, विपणन अवसंरचना और समर्थन सेवाओं का विकास करने, शुल्क वसूल, एपीएमसी/ लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों की मदद के बिना विपणन की अनुमति देने आदि के लिए राज्य एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करना समय की मांग है। इसके अलावा रिपोर्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

9. किसानों की सेवा करना और कृषि कार्य को बचाना - पांचवीं रिपोर्ट संस्करण I और II - किसानों पर राष्ट्रीय आयोग - अध्यक्ष: डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (2006)

पूर्ववर्ती रिपोर्ट के समान यह रिपोर्ट विशेष रूप से एपीएमसी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संदर्भ में कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत को रेखांकित करती है।

10. राज्य कृषि विपणन (विकास और विनियमन) नियम, 2007 का मसौदा

ड्राफ्ट मॉडल एपीएमसी नियम, 2007 अन्य बातों के साथ-साथ बाजार समितियों के कार्यपद्धति का विवरण देता है।

11. सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्रियों की समिति, कृषि विपणन के प्रभारी की अंतिम रिपोर्ट

राज्य मंत्रियों ने एपीएमसी अधिनियम में संशोधन और खुले और पारदर्शी मानदंडों के साथ पंजीकरण की प्रगतिशील प्रणाली के साथ व्यापारियों/कमीशन एजेंटों के लाइसेंस की प्रणाली को बदलने की अनुशंसा की थी। रिपोर्ट में निजी क्षेत्र को बाजारों की स्थापना करने, संचालित करने और प्रबंधित करने की अनुमति देने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।

12. बजट 2017-2018

यह अनुशंसा की गई थी कि बाजार में सुधार किए जाएंगे और राज्यों से खराब होने वाले वस्तुओं को एपीएमसी से निकालने के लिए कहा जाएगा ताकि किसानों अपनी उपज को एपीएमसी से बाहर बेच सकें और बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें।

13. कृषि पर स्थायी समिति, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग): कृषि विपणन और साप्ताहिक ग्रामीण हाट की भूमिका (2018-19)

समिति ने पाया कि विभिन्न कारणों जैसे एपीएमसी बाजारों में व्यापारियों की सीमित संख्या की वजह से प्रतिस्पर्धा की कमी, व्यापारियों की आपस में सांठ-गांठ, बाजार शुल्क, कमीशन शुल्क के नाम पर अनुचित कटौती, आदि की वजह से देश भर में एपीएमसी बाजार किसानों के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। समिति का यह मत था कि उत्पादन केंद्र के पास कृषि उपज के विपणन के लिए वैकल्पिक मंच के निर्माण की जरूरत है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य मिल प्राप्त हो सके। ये विपणन मंच उन्हें किसानों को कृषि विस्तार सेवाएं भी दे सकती हैं जो खेती के लिए इनपुट लागत को कम करने में मददगार साबित होगी।

14. कई आर्थिक सर्वेक्षणों ने एपीएमसी के क्रियाकलाप और इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की है कि वे एकाधिकार को बढ़ावा देते हैं। विशेष रूप से, वर्ष 2011-12, 2012-12, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण इस संदर्भ में सुधारों पर केंद्रित था। कृषि वस्तुओं का अवरोध मुक्त भंडारण और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए, कृषि उपज के विपणन के सुझावों में किसानों को अपने उत्पादों को सीधे एक प्रसंस्करण कारवाने या निजी क्षेत्र को बेचने, कृषि विपणन अवसंरचना के विकास, राज्य एपीएमसी अधिनियमों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को शामिल करने की आवश्यकता शामिल है।**15. संसद तीन अधिनियम पारित किये हैं, जिसका उद्देश्य कृषि सुधारों का सूत्रपात करना है**

- किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020
- मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण)
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

भावी योजना

7.71 ग्रामीण क्षेत्र - जो पूरी तरह से कृषि पर आश्रित है-के विकास के बिना भारत के समेकित विकास के स्वप्न को साकार नहीं किया जा सकता है। भारत की लगभग आधी श्रमशक्ति कृषि तथा संबद्ध कार्यों में संलग्न है जो देश के सकल योजित कीमत में 18 प्रतिशत का योगदान देती है। इस प्रकार, कृषि के क्षेत्र में विकास (वानिकी और मत्स्य-पालन सहित) का भारत में सबसे बड़े निम्न आय वर्ग के भाग्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

7.72 हम कृषि को ग्रामीण आजीविका के जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर कृषि को एक आधुनिक व्यवसायिक उद्यम के रूप में देखने की जरूरत है। इस संदर्भ में, कृषि में उत्पादन और

उत्पादन के बाद पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि उद्यम की स्थिरता और निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जा सकें। सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, संकर और उच्च पैदावार वाली बीजों का उपयोग, विभिन्न किस्मों को बदलने का अनुपात और बीजों के जाँच की सुविधा में कम तेजी से उत्पादकता की समस्या के समाधान में मदद करेगी। कृषि उत्पादों के लिए पर्याप्त भंडारण की सुविधा तथा उचित कीमत उत्पादन के बाद प्रबंधन का मुख्य बिंदु होना चाहिए। अनाजों को पोषणयुक्त बनाकर पोषण परिणामों को कृषि के साथ एकीकृत करना आवश्यक है।

7.73 उत्पादन के बाद के मोर्चे पर, निम्नलिखित उपायों जैसे गाँव स्तर पर खरीद केंद्र, उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच जुड़ाव, ग्रामीण बाजारों का विकास, एपीएमसी बाजारों के बाहर बेचने का विकल्प - किसानों के पसंद से कहीं भी, गदामों का जीर्णोद्धार और रेल के माल ढुलाई को बेहतर बनाकर, समर्पित फ्रेट कोरिडोर की आवश्यकता है और इसलिए इन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन उपायों की मदद से न केवल उत्पादन के बाद होने वाली हानियों को रोका जा सकेगा बल्कि किसानों के आय को दुगुना करने का लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।

7.74 सभी व्यवसायिक उद्यमों को ज्ञान और सामग्री दोनों को अनुकूलित करने की जरूरत है। इसलिए, किसानों को एक उत्पादक से एक उद्यमी के रूप में परिवर्तित होने के लिए उन्हें आधारभूत शिक्षा और प्रशिक्षण देना जरूरी है। इस संदर्भ में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण कृषि स्कूलों की स्थापना के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। पशुपालन, मत्स्यपालन और डेयरी सहित संबद्ध क्षेत्र धीरे-धीरे कृषि आय और रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत बनते जा रहे हैं। संबद्ध क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने के साथ उनके उत्पादन के विपणन के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए। दूसरा क्षेत्र कृषि विस्तार सेवाएं हैं, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों को बेहतर कृषि प्रथाओं के बारे में तकनीकी जानकारी, आदानों के उपयोग और अपने उत्पादन में मदद के लिए अन्य सेवाओं के उपयोग के बारे में मार्गदर्शन देता है।

7.75 खाद्य सब्सिडी बिल दिन-प्रतिदिन अनियंत्रित रूप से बढ़ता ही जा रहा है। यद्यपि खाद्य सुरक्षा के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को देखते हुए खाद्य प्रबंधन की आर्थिक लागत को घटाना कठिन है, तथापि बढ़ती खाद्य सब्सिडी बिल पर अंकुश लगाने के लिए सीआईपी के संशोधन पर विचार करना जरूरी है।

अध्याय एक दृष्टि में

- कोविड की वजह से उत्पन्न हुए लॉकडाउन में भारतीय कृषि क्षेत्र ने अपनी लचीलता दिखाई। अन्य क्षेत्रों के निराशाजनक जीडीपी प्रदर्शन के मध्य निरंतर कीमतों पर वर्ष 2020-21 (पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार) के दौरान 3.4 प्रतिशत के विकास दर के साथ कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र एकमात्र उज्वल स्थान थी।
- सीएसओ द्वारा 29 मई 2020 को जारी किए गए राष्ट्रीय आय के अस्थायी अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए, मौजूद कीमतों पर देश के सकल योजित मूल्य (जीवीए) में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 17.8 प्रतिशत है।
- इस सेक्टर में जीवीए के सापेक्ष कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता रहा है, जो वर्ष 2013-14 में 17.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 16.4 प्रतिशत और वर्ष 2015-16 में और घट कर 14.7 प्रतिशत रह गया।

<p>➤ कृषि वर्ष 2019-20 में (चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक), देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा जो वर्ष 2018-19 के 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक था।</p>
<p>➤ वर्ष 2019-20 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए क्रेडिट प्रवाह का लक्ष्य ₹ 13,50,000 करोड़ निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 13,92,469.81 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया गया। वही वर्ष 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए क्रेडिट प्रवाह के लिए ₹ 15,00,000 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 30 नवंबर 2020 तक 973517.80 करोड़ रूपया वितरित किया गया था।</p>
<p>➤ फरवरी 2020 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन क्षेत्र को शामिल करने की घोषणा के बाद, मिल्क कोआपरेटिव और मिल्क उत्पादक कंपनियों के लगभग 1.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अधीन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लाभ दिया गया।</p>
<p>➤ मध्य जनवरी 2021 तक, मछुआरों और मत्स्यपालन करने वाले मछुआरों तथा कृषकों को कुल 44,673 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए हैं और मछुआरों और मत्स्यपालन करने वाले कृषकों के अतिरिक्त 4.04 लाख आवेदन बैंकों के पास कार्ड जारी करने के विभिन्न चरणों में लंबित हैं।</p>
<p>➤ प्रति वर्ष पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत 5.5 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 12 जनवरी 2021 तक, 900000 करोड़ का भुगतान दावे के रूप में पहले ही किया जा चुका है। आधार को जोड़ने से दावे के निपटान में तेजी आई है और दावे का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोविड -19 महामारी के दौरान लगभग 70 लाख किसान लाभान्वित हुए और दावा लगभग 8741.30 का भुगतान लाभार्थियों को किया गया।</p>
<p>➤ पीएम-किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ के 7वें किस्त के रूप में दिसंबर 2020 में देश के 9 करोड़ परिवारों के बैंक खातों में 180000 करोड़ रूपए जमा कराए गए हैं।</p>
<p>➤ वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, पशुपालन उद्योग ने 8.24 प्रतिशत की सीएजीआर दर से विकास किया। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रवार सकल मूल्य संवर्धन के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) 2020 के अनुमानों के अनुसार, कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुपालन का योगदान जीवीए में (निरंतर कीमत पर) 24.32 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 28.63 प्रतिशत (2018-19) हो गया है। पशुपालन क्षेत्र ने वर्ष 2018-19 में कुल जीवीए में 4.19 प्रतिशत का योगदान दिया।</p>
<p>➤ वर्ष 2019-20 में भारत में अभी तक सबसे अधिक मछली उत्पादन 14.16 मिलियन टन दर्ज किया गया। साथ ही, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यपालन उद्योग द्वारा योजित सकल मूल्य (जीवीए) ₹ 2,12,915 करोड़ है, जो कुल राष्ट्रीय जीवीए का 1.24 प्रतिशत तथा कृषि जीवीए के 7.28 के बराबर है।</p>
<p>➤ वर्ष 2018-19 को समाप्त हुए विगत पांच वर्षों के दौरान, 2011-12 के कीमतों पर कृषि उद्योग के 3.12 प्रतिशत तथा विनिर्माण उद्योग के 8.25 प्रतिशत की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) औसतन 9.99 प्रतिशत वार्षिक दर से विकास करता रहा हैं।</p>

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अधीन, 80.96 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था, अर्थात् एनएफएसए द्वारा अनुमोदित आवश्यकता से अधिक। इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की दर से नवंबर 2020 तक मुफ्त में उपलब्ध कराया गया था। लगभग 200 एलएमटी खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था जिसपर सरकार को 7500 करोड़ रूपए से अधिक खर्च करने पड़े। साथ ही, आत्म-निर्भर पैकेज के अंतर्गत, प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की दर से पांच महीनों (मई से अगस्त) तक वितरित किया गया था। इस योजना का लाभ लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मिला जो एनएफएसए या राज्य राशन कार्ड के अधीन लाभार्थी नहीं थे। सरकार ने इस योजना पर सब्सिडी के रूप में लगभग 3109 करोड़ रूपए खर्च किए।

उद्योग और आधारभूत संरचना

“हर संकट के बीच महान अवसर निहित है।

अल्बर्ट आइनस्टाइन

कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को “सदी में एक बार संकट का सामना करना पड़ा। जिसके फलस्वरूप अरबों लोगों की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। उद्योग क्षेत्र भी इस झटके से बच नहीं सका है। लॉकडाऊन के दौरान इसमें भी तेज़ गिरावट का देखी गई। तथापि, जैसे ही अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई वैसे ही आर्थिक गतिविधियां ठीक होने लगीं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) तथा आठ कोर सूचकांक के विभिन्न उप-घटकों में संकटपूर्व स्तरों की तरफ सतत संचलन के साथ T आकार का सुधार हुआ। औद्योगिक गतिविधियों का शीघ्र ठीक हो जाना और मज़बूत आधार बनना मुख्यतः उपचारात्मक उपायों, सुधारों तथा भारत सरकार द्वारा आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विशाल प्रोत्साहन पैकेज घोषित करने की वजह से ही संभव हो पाई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर औद्योगिक गतिविधियां अप्रैल 2020 में -57.3% की गिरावट से सुधारकर नवंबर 2020 में 1.9% तक संकुचित गई हैं। सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि किए जाने, जिसे राजकोषीय नीति अध्याय में रेखांकित किया गया है, टीकाकरण अभियान चलाए जाने तथा लंबे समय से अपेक्षित सुधार उपायों को दृढ़ता से लागू किए जाने से औद्योगिक गतिविधियों में और तेजी एवं दृढ़ता आने की उम्मीद है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि हमारा देश विश्व की उन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिन्होंने सबसे व्यापक सुधार किए हैं।

प्रस्तावना

8.1 वैश्विक महामारी के बीच वित्त वर्ष 2020-21 (थ्रू 21) की शुरुआत हुई। इस महामारी से निपटने के लिए देशों ने अभूतपूर्व उपाय अपनाए जिनसे अर्थव्यवस्था अचानक रूक गई। लाकडाऊन में केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को छोड़कर अन्य सभी लोगों व वस्तुओं के स्थानीय व वैश्विक आवाजाही पर लगने वाले प्रतिबंध एक प्रकार के बाह्य झटके जैसा था जिसने अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दीं तथा अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर दी इसी कारण से लोगों को आजीविका की भी भारी हानि हुई जिसके परिणामस्वरूप लोग विस्थापित होने लगे। हालांकि चरणबद्ध ढंग से किए जाने वाला अनलॉक अर्थव्यवस्था के संभलने में सहायक सिद्ध हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः सशक्त बनाया जाना व्यापार को महत्व देने वाले तथा आजीविकाओं को उत्पन्न करने वाले विभिन्न सुधारक उपायों पर निर्भर करता है। भारत

में ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं जहां लेन-देन की लागतों को घटाया जा रहा है, सूक्ष्म मध्यम उद्यमों को सहायता दी जा रही है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस स्थिति को बनाए रखा जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन इसलिए महत्व रखता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र इसके साथ अनेक प्रकार से जुड़े हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सशक्त औद्योगिक क्षेत्र का होना अपरिहार्य शर्त है। कोई भी पहल जिसका लक्ष्य तेजी से किए जाने वाला सुधार है, उसमें औद्योगिक मामले उसके केंद्र बिंदु होने चाहिए।

8.2 29.87 लाख करोड़ रुपये अथवा भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 15% के समकक्ष आकर्षक-उपाय अर्थव्यवस्था को राहत व सहायता देने के लिए समाविष्ट किए गए हैं। इन उपायों के तदनंतर ऐसे प्रयास किए गए जिनसे अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होती है। उद्योग और आधारभूत संरचना क्षेत्र से संबंधित प्रोत्साहन पैकेज (सहायता) का विवरण बाक्स-1 में दिया गया है।

बाक्स-1: आत्मनिर्भर भारत अभियान

आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत को एक आत्म-निर्भर राष्ट्र बनाने की भारत सरकार की दूरदर्शिता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत धोषणाएं तीन अलग-अलग चरणों में की गई थीं। उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

आत्मनिर्भर भारत 1.0

I कोविड-19 का सामना करने के लिए एम.एस.एम.ई. को राहत और क्रेडिट सहायता

1. व्यवसाय, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सम्मिलित हैं, को 3 लाख करोड़ का बिना किसी जमानत के आटोमैटिक ऋण:

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ई.सी.एल.जी.एस.) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राहत देने के लिए बनाई गई जिसमें उनको 3 लाख करोड़ रूपयों तक की अतिरिक्त निधि पूर्णतः गारंटी (प्रत्याभूत) आपातकाल क्रेडिट लाइन के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है।

25 करोड़ रूपयों तक के बकाया और 100 करोड़ रूपयों के पण्यवर्त वाले उधारकर्ता इसके पात्र होंगे। यह योजना मूलधन और ब्याज पर बैंकों और एन.बी.एफ.सी. को 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें किसी प्रकार के गारंटी शुल्क और नई जमानत की आवश्यकता नहीं है।

2. दबाव ग्रस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 20,000 करोड़ रूपयों का गौण-ऋण:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जो कि अनर्जक परिसंपत्तियां हैं अथवा दबावग्रस्त हैं, के लिए 20,000 करोड़ रूपयों के गौण ऋण का प्रावधान किया गया। सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए 4000 करोड़ रूपए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को दिए गए। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रवर्तकों को, यूनिट में मौजूदा स्टेक के 15: के बराबर है, किंतु अधिकतम 75 लाख रूपए तक गौण-ऋण उपलब्ध करवाएं।

3. एम.एस.एम.ई. फंड आफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रूपए का इक्विटी इनफ्यूजन

सरकार ने 10,000 करोड़ रूपए की राशि फंड ऑफ फंड्स के लिए निर्धारित की है जिसके द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सामान्य शेयर निधिकरण (ईक्विटी फंडिंग) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। फंड ऑफ फंड्स का प्रचालन पोषक निधि (मदर फंड) और कुछ अनुजात निधियों (डॉटर फंड) के माध्यम से किया जाएगा। यह व्यवहार्य एम.एस.एम.ई. को सामान्य शेयर निधिकरण (ईक्विटी फंडिंग) उपलब्ध करवाएगा। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपने आकार व क्षमता का विस्तार करने में सहायता करेगी तथा इसके साथ ही शेयर बाजार की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

4. एम.एस.एम.ई. की नई परिभाषा-

एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में निम्न प्रारंभिक सीमा (श्रेण्ड होल्ड) ने एम.एस.एम.ई. में यह भय उत्पन्न कर दिया था कि अब उनको लाभ मिलने समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में निवेश सीमा को बढ़ाकर संशोधन कर दिया। टर्नओवर का एक अतिरिक्त मानदंड जोड़ा गया है और विनिर्माण तथा सर्विस सेक्टर के मध्य भिन्नता दर्शाने वाले आधार को हटा दिया गया है। तालिका-9 में एम.एस.एम.ई. के संशोधित वर्गीकरण को दर्शाया गया है।

5. 200 करोड़ रूपयों तक की वैश्विक निविदाओं को स्वीकृति नहीं देना

सरकार के सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) में संशोधन किया गया है जिसमें 200 करोड़ रूपयों से कम मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद में वैश्विक निविदाओं के मंगाए जाने को अस्वीकार कर दिया गया है। यह मेक-इन-इंडिया को सहायता देने वाला एक कदम है और इससे एम.एस.एम.ई. के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

6. एम.एस.एम.ई. के लिए अन्य सुधारक उपाय

एम.एस.एम.ई. के लिए ई-मार्केट लिंकेज, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का स्थान लेंगी, सरकार और सी.पी.एस.ई. से एम.एस.एम.ई. को प्राप्य होने वाली राशियों का भुगतान 45 दिनों के अंदर किया जाएगा। इससे एम.एस.एम.ई. की विपणन और नकदी की समस्याओं का निपटान हो जाएगा।

7. आयकर धन वापसी-

लगभग 8.2 लाख छोटे व्यवसायों को आयकर धन वापसी के रूप में कुल 5204 करोड़ रूपये जारी किए गए, जिसका प्रयोजन एम.एस.एम.ई. की सहायता करना है, जिससे वे इस कठिन समय में वेतन कटौतियों और अस्थायी छंटनी किए बिना व्यापारिक गतिविधियां कर सकें।

8. मुद्रा शिशु ऋण के लिए 1500 करोड़ रूपये की राहत

भारत सरकार द्वारा उद्यत आदाताओं को ब्याज दर 2% की सरकारी सहायता 12 माह की अवधि के लिए दी गई है। इससे 'मुद्रा' के अंतर्गत छोटे व्यवसायों को लाभ मिलेगा।

9. व्यवसायों के लिए ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस जिसमें एम.एस.एम.ई. सम्मिलित हैं

सरकार ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंक क्रप्टसी कोड (आई.बी.सी.) संबंधित उपायों के माध्यम से ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस अर्थात् व्यापार करने में सरलता को और भी अधिक सुविधाजनक बनाया। इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है-

- (क) दिवालियापन कार्रवाई शुरू किए जाने की न्यूनतम श्रेण्डहोल्ड को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये किया गया (जिससे बड़े पैमाने पर एम.एस.एम.ई. का बचाव हो जाएगा।)
- (ख) कोड के सेक्शन 240क के अधीन एम.एस.एम.ई. के लिए विशेष दिवालियापन समाधान संरचना
- (ग) वैश्विक महामारी की परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि तक के लिए दिवालियापन संबंधी नई कार्रवाई के आरंभ को निलंबित करना
- (घ) केंद्र सरकार को सशक्त करना कि वह कोविड-19 संबंधी ऋण को कोड के अधीन व्यतिक्रम की परिभाषा से निकाल सके, जिससे दिवालियापन संबंधी कार्रवाई शुरू ही न हो।

II. पावर सेक्टर के लिए सहायता- डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रूपयों की आर्थिक सहायता (लिक्विडिटी इंजेक्शन)

III. रियल एस्टेट (स्थावर संपदा)– रेरा के अंतर्गत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और समापन तिथि का विस्तार। निम्नलिखित के संबंध में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रशासित प्रदेशों और उनके नियामक प्राधिकरणों को परामर्श देना–

1. रेरा के अधीन कोविड-19 को अप्रत्याशित घटना माना जाए।
2. व्यक्तिगत आवेदनों के बिना लिए जरूरत के 25 मार्च 2020 को या इसके बाद समाप्त होने वाली सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण तथा समापन तिथि अपनी ओर से 6 महीने बढ़ाएं।
3. नियामक प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझता है तो, इसे 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा सकता है।
4. संशोधित समय सीमाओं के साथ स्वतः नए सिरे से परियोजना पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करें।
5. रेरा के अधीन विभिन्न वैधानिक अनुपालन के लिए समय-सीमा का विस्तार करने की सहमति।

ये उपाय रियल एस्टेट डेवलपर्स को तनाव मुक्त करेंगे और परियोजनाओं को पूरा करने को सुनिश्चित करेंगे जिससे घर खरीदने वालों को नई समय-सीमा के अंदर उनके द्वारा बुक कराए गए घर मिल सकेंगे।

IV. नए आत्म निर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति

- सरकार की नई सुसंगत नीति की घोषणा–जहां सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खुले हैं, जबकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम परिभाषित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
- जन हित में उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूची को अधिसूचित किया जाएगा जहां सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को अनिवार्य समझा जाता है।
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, कम से कम एक उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन रहेगा जबकि निजी क्षेत्र को भी अनुमत किया जाएगा।
- अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा (संभाव्यता के आधार पर समय का निर्धारण किया जाएगा)
- व्यर्थ के प्रशासनिक खर्च को कम करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या सामान्य रूप से 1 से 4 तक ही रखी जाएगी अन्य क्षेत्रों का निजीकरण/विलय किया जाएगा अथवा इनको होल्डिंग कंपनियों के अधीन रखा जाएगा।

आत्म निर्भर भारत 2.0 (उपायों की द्वितीय श्रृंखला) के अंतर्गत सड़क परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को 25,000 करोड़ रूपयों का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय बजट दिया गया है।


आत्मनिर्भर भारत 3.0 (उपायों की तीसरी श्रृंखला) के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो सहायता दी गई है वह इस प्रकार है–

- 10 विजेता क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन के रूप में आत्मनिर्भर विनिर्माण उत्पादन हेतु 1.4 लाख करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि (विवरण बॉक्स 4 में है)
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, के लिए 18,000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त परिव्यय
- निर्माण और आधारभूत संरचना के लिए सहायता- अग्रिम जमा राशि में राहत और सरकारी निविदाओं पर निष्पादन प्रतिभूति।
- आधारभूत संरचना कर्ज वित्तपोषण के लिए 1.10 लाख करोड़ रूपये का प्लेटफार्म- नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (एन.आई.आई.एफ.) कर्ज प्लेटफार्म में 6000 करोड़ रूपये का ईक्विटी इनफ्यूजन, घरेलू रक्षा उपकरणों, औद्योगिक प्रोत्साहनों, औद्योगिक आधारभूत संरचना और हरित ऊर्जा के पूंजीगत व औद्योगिक खर्च के लिए 10,200 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बजट परिव्यय उपलब्ध करवाया गया है।

8.3 सकल मूल्यवर्धन (जी.वी.ए.) के अद्यतन अनुमानों के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में 9.6% की वृद्धि का अनुमान है जिसका वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 21) में जी.वी.ए. में समग्र अंशदान 25.8% है। औद्योगिक क्षेत्र के अंशदान में वर्ष 2011-12 से लगातार गिरावट होती जा रही है (चित्र-1)।

जी.वी.ए. में विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का शेयर वित्त वर्ष 12 में 2.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में 2.7% हो गया जबकि अन्य सभी औद्योगिक क्षेत्रों में गिरावट हुई है। औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न घटक जैसे कि विनिर्माण, खनन, खुली खान, विद्युत और निर्माण के कार्य-निष्पादन को तालिका-1 में दिखाया गया है।

चित्र 1: जी.वी.ए. (वर्तमान मूल्य, प्रतिशत) में उद्योग और उनके घटकों का अंश



* विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं

स्रोत- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डाटा पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

तालिका 1: उद्योग में जी.वी.ए. की वृद्धि दर और उसके घटक

	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21
उद्योग	3.3	3.8	7.0	9.6	7.7	6.3	4.9	0.9	-9.6
खनन	0.6	0.2	9.7	10.1	9.8	4.9	-5.8	3.1	-12.4
विनिर्माण	5.5	5.0	7.9	13.1	7.9	6.6	5.7	0.0	-9.4
विद्युत*	2.7	4.2	7.2	4.7	10.0	11.2	8.2	4.1	2.7
निर्माण	0.3	2.7	4.3	3.6	5.9	5.0	6.1	1.3	-12.6

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डाटा पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

* विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं

औद्योगिक क्षेत्र में प्रवृत्ति

आठ-प्रमुख उद्योगों का सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन (आई.आई.पी.) का सूचकांक (जनवरी में अद्यतन किया जाएगा)


8.4 24 मार्च 2020 को 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाया था तब यह अपेक्षा की जा रही थी कि कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी।

लॉकडाउन के तुरंत बाद आई.आई.पी. में गिरावट होने लगी और अप्रैल 2020 में यह ऐतिहासिक रूप से निम्नतर स्तर पर आ चुका था। लॉकडाउन के बाद चरण-बद्ध रूप में की गई अनलॉक की प्रक्रिया से आर्थिक गतिविधियां पुनः चालू होने लगीं और इसका प्रभाव पहली बार सितंबर 2020 के आई.आई.पी. सूचकांक में घनात्मक वृद्धि के रूप में दिखा। बाद के महीनों में संगत सुधार देखा गया और आई.आई.पी. के उप-घटक धीरे-धीरे अपने कोविड पूर्व स्तर की ओर आगे बढ़ गए जोकि अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की शुरुआत का प्रतिबिंब था। आई.आई.पी. के प्रमुख और गैर प्रमुख घटकों दोनों में सुधार देखा गया है इसमें केवल कुछ अपवाद हैं जैसे कि प्रमुख समूह के पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी सामान्य स्तर से नीचे हैं।

8.5 कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरकों इस्पात, सीमेंट और विद्युत जैसी अवसंरचनाओं को संबल देने वाले आठ प्रमुख उद्योग, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में कुल भार 40 प्रतिशत रखते हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (अप्रैल-2020) के परिणामस्वरूप इन आठ महत्वपूर्ण सूचकांकों ने सबसे कम वृद्धि(-) 37.9 दर्ज की। वृद्धि और सूचकांक में गिरावट, सूचकांक बहाली की भांति ही अपेक्षित थी। नवम्बर, 2019 में 0.7 प्रतिशत और अक्टूबर, 2020 (चित्र-2) में (-) 0.9 प्रतिशत की तुलना में आठ महत्वपूर्ण उद्योगों में नवम्बर, 2019 में (-) 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-नवम्बर, 2019 के दौरान 0.3 प्रतिशत की तुलना में महत्वपूर्ण उद्योगों की संचित वृद्धि अप्रैल-नवम्बर 2020 के दौरान (-) 11.4 प्रतिशत थी।


8.6 वर्ष दर वर्ष वृद्धि के अलावा सूचकांक स्तर पर नजर रखना हमें अर्थिक कार्यकलापों की बहाली को बेहतर समझने में सक्षम बनाता है। मई, 2020 के बाद से आठ-महत्वपूर्ण सूचकांको के प्रक्षेपवक्र में सुधार हो रहा है और वित्तीय वर्ष 2021 के बचे महीनों में अधिक बहाली/विस्तार अपेक्षित है। मौसमानुसार समायोजित आठ-महत्वपूर्ण सूचकांकों का वर्तमान स्तर (नवम्बर, 2020), फरवरी, 2020 (चित्र-3) में लॉकडाउन पूर्व के स्तरों से अभी भी 6 प्रतिशत कम है वित्तीय वर्ष 2021में आठ-महत्वपूर्ण उद्योगों के निष्पादन की प्रमुखताएं तालिका-2 में प्रस्तुत की गई हैं और संबंधित सूचकांक का प्रक्षेपवक्र चित्र 4 में है। आठ महत्वपूर्ण सूचकांकों के सभी उप-घटक कोविड पूर्व के स्तरों तक ऊपर उठ रहे हैं (चित्र 5)।

चित्र 2: जनवरी-19 से नवंबर-20 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और आठ-महत्वपूर्ण वृद्धि (प्रतिशत)



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और आर्थिक सलाहकार कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 3: जनवरी-19 से नवंबर-20 में आईआईपी और आठ-महत्वपूर्ण सूचकांक




स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और आर्थिक सलाहकार कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

तालिका 2: आठ-महत्वपूर्ण सूचकांक और उनके घटकों की मासिक वृद्धि (प्रतिशत)

	प्राकृतिक गैस	सीमेंट	कच्चा तेल	रिफाइनरी उत्पाद	इस्पात	उर्वरक	विद्युत	कोयला	कुल सूचकांक
भार	6.9	5.4	9.0	28.0	17.9	2.6	19.9	10.3	100.0
नवम्बर-19	-6.4	4.3	-6.0	3.1	7.0	13.6	-4.9	-3.5	0.7
दिसम्बर-19	-9.2	5.5	-7.4	3.0	8.7	10.2	0.0	6.1	3.1
जनवरी-20	-9.0	5.1	-5.3	1.9	1.6	-0.1	3.2	8.0	2.2
फरवरी-20	-9.6	7.8	-6.4	7.4	2.9	2.9	11.5	11.3	6.4
मार्च-20	-15.1	-25.1	-5.5	-0.5	-21.9	-11.9	-8.2	4.0	-8.6
अप्रैल-20	-19.9	-85.2	-6.4	-24.2	-82.8	-4.5	-22.9	-15.5	-37.9
मई-20	-16.8	-21.4	-7.1	-21.3	-40.4	7.5	-14.8	-14.0	-21.4
जून-20	-12.0	-6.8	-6.0	-8.9	-23.2	4.2	-10.0	-15.5	-12.4
जुलाई-20	-10.2	-13.5	-4.9	-13.9	-6.5	6.9	-2.4	-5.7	-7.6
अगस्त-20	-9.5	-14.5	-6.3	-19.1	0.5	7.3	-1.8	3.6	-6.9
सितम्बर-20	-10.6	-3.5	-6.0	-9.5	2.8	-0.3	4.8	21.2	-0.1
अक्टूबर-20	-8.6	3.2	-6.2	-17.0	4.0	6.3	11.2	11.7	-0.9
नवम्बर-20	-9.3	-7.1	-4.9	-4.8	-4.4	1.6	2.2	2.9	-2.6
वर्ष-वार प्रदर्शन अप्रैल-नवम्बर									
2019-20	-3.1	0.01	-5.9	-1.1	6.7	4.0	0.8	-5.4	0.3
2020-21	-12.1	-19.5	-6.0	-14.9	-19.4	3.8	-4.7	-2.6	-11.4


स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 4: आठ-महत्वपूर्ण सूचकांकों के विभिन्न घटकों के सूचकांक की गति (प्रतिशत)



स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 5: लॉकडाउन पूर्व के स्तर (फरवरी-2020) के प्रतिशत के अनुसार नवम्बर-2020 माह में मौसमानुसार समायोजित सूचकांक का मूल्य



स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

8.7 कुल औद्योगिक उत्पाद सूचकांक मोटे तौर पर आठ-महत्वपूर्ण सूचकांक का अनुसरण करता है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक ने नवंबर 2019 में 2.1 प्रतिशत की तुलना में नवंबर-2020 में (-)1.9 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की है। (तालिका 3 और चित्र 2)। अप्रैल-नवंबर 2019 के 0.3 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि के लिए औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की संचित वृद्धि (-)15.5 प्रतिशत है। आठ-महत्वपूर्ण सूचकांक और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, मौसमानुसार समायोजित आधार पर (चित्र 3) दोनों सूचकांक लॉकडाउन पूर्व (फरवरी-2020) के स्तर से क्रमशः 9 प्रतिशत और 3 प्रतिशत कम है।

8.8 अगस्त 2020 तक, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक मुख्यतः एक या दो सैक्टरों द्वारा संचालित होता था। नवंबर 2020 के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि कुछ सेक्टर जो पहले सुस्त थे, ने महत्वपूर्ण सुधार के प्रारंभिक संकेत दर्शाने प्रारंभ कर दिये हैं। व्यापक सेक्टर आधारित वर्गीकरण के आधार पर, नवंबर, 2019 में 1.9 प्रतिशत संकुचन कके विपरित खनन में नवंबर-2020 में संकुचन 1.5 था। नवंबर-2019 में 3.0 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में नवंबर 2019 में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी जो कि नवंबर 2020 में (-) 1.7 प्रतिशत हो गई, और विद्युत सेक्टर में नवंबर-2019 में 5.0 प्रतिशत के विपरित नवंबर-2020 में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (तालिका 3)

8.9 खनन सेक्टर के अतिरिक्त, जो अभी भी लॉकडाउन पूर्व के स्तरों की तुलना में बहुत निचले स्तर पर है, सभी सेक्टरों में औद्योगिक कार्यकलाप तेजी से बहाल हुए हैं (चित्र 6)। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अंतर्गत दर्ज किए गए सभी प्रमुख सूचकांकों में एक समान स्वरूप देखा गया है (चित्र 7)। हालांकि, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में अपने समकक्षों की तुलना में प्राथमिक माल क्षेत्र का निष्पादन, जिसका भार 34.05 प्रतिशत है, थोड़ा सुस्त था।

8.10 निम्नलिखित भाग में, आईआईपी सूचकांक का विश्लेषण व्यापक मदों के स्तरों पर किया गया है। आईआईपी में 407 मदें हैं (5-अंकीय एनआईसी वर्गीकरण), जिनमें से 171 मदों में नवंबर 2020 में वृद्धि दर्ज की गई है, जो अप्रैल-2020 में 28 मदों की तुलना में बहुत अधिक था (चित्र 8 और तालिका 4)। पूर्व में, कोविड पूर्व समय में मासिक वृद्धि दर्ज करने वाली मदों की संख्या (अप्रैल 12 से फरवरी 20 का औसत) 217 थी। विशेष रूप से, नवंबर-2019 और नवंबर-2018 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाली मदों की संख्या क्रमशः 210 और 162 थी।

8.11 वृद्धि की बहाली पर एक और दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए आईआईपी को उन मदों के भार के आधार पर आगे बढ़ाया गया है, जिन्होंने वृद्धि दर्ज की है। नवंबर 2020 में 46.05 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने वाली मदों का भार अप्रैल-2020 के माह में 5.87 प्रतिशत से बहुत अधिक है (चित्र 9 और तालिका 5)। पूर्व में (अप्रैल-12 से फरवरी-20 तक), कोविड-19 पूर्व काल में मासिक वृद्धि दर्ज कीने वाली मदों की संख्या का औसत भार 61.6 प्रतिशत था। नवंबर-2019 और नवंबर 2018 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज कराने वाली मदों का भार क्रमशः 56.22 प्रतिशत और 52.40 प्रतिशत था। इसने इस तथ्य को फिर से स्पष्ट कर दिया कि उद्योगों

में वृद्धि में स्पष्ट विकास हुआ है। तालिका 6 और तालिका 7 उन मदों की संख्या प्रस्तुत करती है जो विभिन्न वृद्धि श्रेणियों कि अंतर्गत आते हैं और उन वृद्धि श्रेणियों में अनुरूप भार होते हैं।


तालिका 3: जनवरी-20 से सितम्बर-20 तक आईआईपी के विभिन्न घटकों की वृद्धि दर

	भार	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
सेक्टर द्वारा												
खनन	14.4	4.4	9.6	-1.3	-26.9	-20.4	-19.5	-12.7	-8.7	1.4	-1.3	-7.3
विनिर्माण	77.6	1.8	3.8	-22.8	-66.6	-37.8	-17.0	-11.4	-7.6	-0.2	4.1	-1.7
विद्युत	8	3.1	11.5	-8.2	-22.9	-14.9	-10.0	-2.5	-1.8	4.9	11.2	3.5
सामान्य	100	2.2	5.2	-18.7	-57.3	-33.4	-16.6	-10.5	-7.1	0.5	4.2	-1.9
उपयोग आधारित वर्गीकरण द्वारा												
प्राथमिक माल	34	1.8	8.2	-4.0	-26.6	-19.6	-14.5	-10.8	-10.7	-1.5	-3.2	-2.6
पुंजीगत माल	8.2	-4.4	-9.6	-38.8	-92.7	-65.9	-37.4	-22.8	-14.4	-1.3	3.5	-7.1
अर्धनिर्मित माल	17.2	15.6	23.0	-18.6	-63.9	-39.7	-20.7	-10.7	-4.8	-1.0	2.1	-3.0
अवसंरचना/निर्माण	12.3	-0.3	2.8	-24.3	-85.0	-39.0	-18.3	-8.2	0.0	2.5	9.9	0.7
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	12.8	-3.7	-6.2	-36.8	-95.7	-70.3	-34.8	-23.7	-10.2	3.4	18.0	-0.7
गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	15.3	-0.6	-0.3	-22.3	-48.1	-9.7	6.9	1.8	-3.0	2.4	7.1	-0.7
उपभोक्ता माल (56)	28.2	-1.8	-2.7	-28.3	-68.6	-35.6	-10.7	-9.1	-6.0	2.8	11.6	-0.7
विनियोजित माल	20.6	-1.7	-1.4	-29.2	-87.5	-47.7	-24.5	-12.6	-4.5	1.3	7.9	-1.7

नोट: लॉकडाउन के तुरंत बाद आईआईपी विकास दर की तुलना पूर्व लॉकडाउन अवधि से नहीं की जा सकती।


स्रोत: सर्वेक्षण अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित।

चित्र 6: अक्टूबर-19 से अक्टूबर-20 तक आईआईपी सूचकांक के आईआईपी और सेक्टर आधारित घटक



स्रोत: सर्वेक्षण अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित घटक

चित्र 7: सितम्बर-19 से सितम्बर-20 तक उपयोग के आधार पर वर्गीकरण द्वारा आईआईपी के घटक




स्रोत: एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 8: (जनवरी-19 से नवंबर-20) में वस्तुओं की संख्या वृद्धि दर्ज की गई



स्रोत: एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 9: जनवरी-19 से नवंबर-20 तक वस्तुओं में वृद्धि दर्ज की गई



स्रोत: एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

तालिका 4: उपयोग आधारित वर्गीकरण द्वारा वर्ष 2020 में उन वस्तुओं की संख्या जिनमें वृद्धि दर्ज की गई

मद समूह	भार	कुल											
		मदें	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
प्राथमिक (माल)	34.05	15	6	11	3	1	3	5	3	4	7	6	7
पूँजीगत सामान	8.22	67	27	23	4	1	4	9	14	16	30	38	26
मध्यवर्ती सामान	17.22	110	55	64	9	9	9	24	29	34	58	72	56
आधारभूत संरचना/वस्तुएं	12.34	29	14	16	0	0	3	4	7	11	15	22	13
उपभोक्ता उपयोग की वस्तुएं	12.84	86	39	42	2	0	2	14	21	24	43	52	39
गैर उपभोक्ता उपभोग वस्तुएं	15.33	100	51	57	17	17	30	49	41	40	43	59	30
कुल	100.00	407	192	213	35	28	51	105	115	129	196	249	171

स्रोत: एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

8.11 To provide another perspective on the revival of growth, the IIP was further analysed by the weight of items that have recorded growth. The weight of the items that recorded growth was 46.05 per cent in November-2020, which was significantly higher than 5.87 per cent in the month of April-2020 (Figure 9 and Table 5). In the past (from Apr-12 to Feb-20), the number of items that recorded a monthly growth in the pre-COVID-19 regime had an average weight of 61.6 per cent. The weight of the items recording positive growth in November-2019 and November-2018 were 56.22 per cent and 52.40 per cent, respectively. Table 6 and Table 7 present the number of items that fall under different growth categories and corresponding weights in those growth categories.

तालिका 5: उपयोग आधारित वर्गीकरण द्वारा वर्ष 2020 उन वस्तुओं का वजन जिनमें वृद्धि दर्ज की गई।

	भार	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
प्राथमिक सामान	34.0	28.77	32.80	1.52	0.56	0.98	1.42	0.98	1.06	25.11	9.64	16.98
पूँजीगत सामान	8.2	2.12	2.74	0.79	0.08	0.27	0.98	1.45	2.32	5.07	5.28	3.61
मध्यवर्ती सामान	17.2	10.01	12.16	3.27	2.57	0.87	3.19	3.09	5.26	8.35	10.19	6.97
आधारभूत संरचना/निर्माण	12.3	6.91	6.93	0.00	0.00	0.48	1.05	3.10	5.42	6.06	11.37	5.82
उपभोक्ता उपयोग की वस्तुएं	12.8	4.07	3.62	0.25	0.00	0.04	0.80	1.31	2.39	8.13	9.85	8.08
गैर उपभोक्ता उपभोग वस्तुएं	15.3	7.32	8.63	2.94	2.65	6.25	9.03	7.69	6.63	8.00	9.89	4.59
कुल	100.0	59.20	66.88	8.77	5.87	8.88	16.48	17.62	23.07	60.71	56.22	46.05

स्रोत: एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

तालिका 6: विभिन्न वृद्धि कोष्ठक (ब्रैकेट) में मदों की संख्या

वृद्धि दर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
>10%	107	112	18	22	34	68	66	77	122	173	102
5-10%	34	43	10	1	9	15	17	28	37	32	26
3-5%	22	30	2	3	0	7	7	4	12	18	16
0-3%	29	28	5	2	8	15	25	20	25	26	27
-3 to 0%	32	29	15	2	2	16	18	34	19	21	28
-5 to -3 %	20	15	8	3	7	7	10	13	16	14	24
-10 to -5%	41	37	25	10	9	33	42	38	36	17	33
<= -10%	122	112	323	364	336	244	220	191	138	103	150

एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

तालिका 7: विभिन्न वृद्धि कोष्ठक (ब्रैकेट) में मदों का वजन


वृद्धि दर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
>10%	15.3	30.0	3.7	3.5	5.7	11.0	8.0	14.0	20.0	36.1	12.3
5-10%	5.9	20.7	2.2	1.2	1.8	2.9	2.5	4.6	7.4	8.8	5.4
3-5%	27.4	13.0	0.8	1.2	0.0	1.3	2.7	0.5	11.9	7.3	15.0
0-3%	10.6	3.2	2.1	0.1	1.4	1.3	4.5	4.0	21.3	4.1	13.3
-3 to 0%	9.0	5.2	22.9	1.4	0.1	3.5	12.3	15.1	5.1	16.9	4.9
-5 to -3 %	2.1	3.8	1.0	0.2	1.8	1.8	2.3	3.1	5.1	2.4	5.4
-10 to -5%	9.9	8.1	11.3	1.0	3.0	11.9	8.8	22.4	11.6	3.4	21.8
<= -10%	19.8	16.1	56.0	91.6	86.1	66.3	59.0	36.2	17.5	21.1	21.8

स्रोत: एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान


औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी विन्यास

8.12 उद्योग में सकल पूंजी विन्यास (जीसीएफ) की वृद्धि दर में वित्त वर्ष 18 में 1.2 प्रतिशत से वित्त वर्ष 19 में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह पता चलता है कि जीसीएफ क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। वर्ष 2018-19 में खनन और उत्खनन, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोग संबंधी सेवाओं और निर्माण में वित्त वर्ष 19 में क्रमशः) 14.9 प्रतिशत, 15.9 प्रतिशत, 15.3 प्रतिशत और 24.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र के जीसीएफ शेयर में वित्त वर्ष 12 में 38.2 प्रतिशत से जीडीपी घट कर वित्त वर्ष 18 में जीडीपी का 30.2 प्रतिशत हो गया तथा वित्त वर्ष 19 की अवधि में बढ़ोतरी के बाद (31.9 प्रतिशत) दर्ज की गई (10क और 10ख)।

चित्र 10:क उद्योग में जीएफसीएफ की वृद्धि और कुल जीएफसीएफ (प्रतिशत) में इसकी हिस्सेदारी



चित्र 10:ख उद्योग के कुल जीएफसीएफ में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी



*विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं

स्रोत: एम ओ एस पी आई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्रेडिट

8.13 वर्ष प्रति वर्ष आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में अक्टूबर 2020 में सकल बैंक क्रेडिट में (-) 1.7 की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि इसकी तुलना में अक्टूबर, 2019 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। निर्माण क्षेत्र सहित कुछ उद्योगों में नाममात्र क्रेडिट वृद्धि दर्ज की गई है। कांच और सभी इंजीनियरिंग, 'सीमेंट और सीमेंट उत्पाद' एवं 'मूलधातु और धातु उत्पाद' समूह में धीमी वृद्धि के कारण अक्टूबर 2020 (तालिका 8) में वर्ष दर वर्ष ऋणात्मक (माइनस) वृद्धि दर्ज की गई है। बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के क्रेडिट में वृद्धि की लंबी श्रंखला (नाममात्र और वास्तविक वृद्धि दोनों) चित्र 11 में प्रस्तुत की गई है। तथा गैर-खाद्यान्न ऋण में औद्योगिक ऋण का भार क्रमशः चित्र. 11 (क) और 11 (ख) में प्रस्तुत किया गया है।

सकल बैंक क्रेडिट (वर्ष दर वर्ष बदलाव, प्रतिशत में) का उद्योग वार आबंटन)

उद्योग	मार्च-19	अक्टूबर-19	मार्च-20	अक्टूबर-20
खनन और उत्खनन (कोयला शामिल है)	1.1	-4.1	5.2	4.3
खाद्य संसाधान	1.1	0.1	-1.9	3.2
Beverage & Tobacco	-5.9	8.5	12.7	0.8
कपड़ा उद्योग	-3.0	-4.6	-5.5	-1.0
चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	-2.1	-1.8	0.2	2.9
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	10.2	6.2	2.2	6.6
पेपर और पेपर उत्पाद	-1.0	1.3	2.1	8.7
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	-3.1	4.0	20.1	16.6
रसायन और रसायन उत्पाद	17.5	3.8	6.0	-2.6
रबर प्लास्टिक और इनके उत्पाद	8.1	7.6	10.1	1.4
कांच और कांच से बने पदार्थ	17.0	-15.3	-11.2	0.7
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	5.9	18.2	5.4	-4.6
मूल धातू ओर धातू उत्पाद	-10.7	-7.1	-5.7	-3.8
सभी इंजीनियरिंग	8.6	5.9	-6.7	-17.7
वाहन ओर वाहन पुर्जे और परिवहन उपकरण	1.4	6.3	3.4	7.1
Gems & Jewellery	-0.9	-9.4	-17.4	-8.6
विनिर्माण	10.4	8.0	4.8	5.1
आधारभूत संरचना	18.5	6.8	-0.2	-2.0
अन्य उद्योग	6.8	13.6	18.5	0.4
उद्योग	6.9	3.4	0.7	-1.7

टिप्पणी: डाटा अनंतिम है और चुनिंदा बैंकों से संबंधित है जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा बढ़ाए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 90 प्रतिशत कवर करते हैं।

चित्र 11क: वर्ष-दर-वर्ष में उद्योग के लिए ऋण की वास्तविक और नाममात्र वृद्धि (प्रतिशत) (अद्यतन)





Figure 11b: Share of Industry in total Non-food Credit (Per cent)



स्रोत: आरबीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निष्पादन (सीपीएसई)

8.14 नवंबर 2020, में सरकार द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग नीति आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भरता की अपनी नीति की तुलना में पेरटाईम में संपूर्ण परिवर्तन का मंत्र है, जो 1956 में महालानोएस योजना का आधार बना था। हालांकि पीएसई में कम उत्पादकता, उच्च लागत संरचना तथा विकृत सार्वजनिक वित्त का नेतृत्व कर रही निहित अक्षमताओं ने भारत सरकार को 1991 के बाद सांजनविक उपकरणों के निजीकरण के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार, देश में निजीकरण। विनिदेश की यात्रा शुरू हुई।

8.15 सरकार ने जब से स्टॉक मार्केट रूट और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से वाणिज्यिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, तब से इस नीति को वापिस लेने के लिए, यह आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चा का विषय रहा है, जो इस मामले पर सरकार में (विशेष रूप से 2000-01, 2001-2003) विचार-विमर्श को दर्शाता है।

8.16 आत्मनिर्भर भारत मिशन के तत्वाधान में, सरकार ने व्यवसायिक गतिविधियों में सीपीएसई की भागीदारी को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह तर्क दिया गया है कि सीपीएसई का आस्तित्व केवल “सामरिक महत्व के क्षेत्रों” में होना चाहिए। तदनुसार सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पीएसई की संख्या आदर्श रूप में चार तक ही सीमित होगी तथा दूसरों का या तो विलय या निजीकरण किया जाएगा या नियंत्रक कंपनियों के तहत लाया जाएगा। इसके अलावा गैर सामरिक-महत्व के क्षेत्रों में सीपीएसई को जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार निजीकरण किया जाएगा। इस पहल से सामरिक क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाने की उम्मीद है और यह सरकार को ‘सामरिक महत्व के क्षेत्रों’ पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करेगा।

8.17 सीपीएसई के विनिवेश और युक्तिकरण की योजना बनाई जा रही है, ऐसे में पहले से कार्य कर रहे सीपीएसई को भी मजबूती से बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि सरकार की उपेक्षाओं को पूरी तरह से पूरा किया जा सके। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उनकी संरचनाओं को पूर्णगठित करने के लिए सीपीएसई के बोर्डों को पूरी तरह से संशोधित करना होगा, तथा अधिक पारदर्शिता के लिए स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने सहित मजबूत कार्पोरेट प्रशासन मानदंडों के साथ मिलकर उनकी परिचालन स्वायत्तता को बढ़ाना होगा। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सीपीएसई के निष्पादन निगरानी प्रणाली में संशोधन करने के लिए अलग से पहल की है ताकि इसे क्षेत्रीय सूचकांक/बेंचमार्क के आधार पर अधिक अग्रगामी बनाया जा सके तथा बीमार एवं घाटे में चल रही सीपीएसई के पुनर्गठन एवं परिसंपत्ति के निपटान की दिशा में कुछ सुधार भी किया जा सके।


8.18 इस वर्ष कोविड-19 कंपनी कार्य मंत्रालय ने सीपीएसई सहित सभी कंपनियों के मामले में एजीएम के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है, इसलिए महामारी के कारण सीपीएसई के वार्षिक लेखापरीक्षा करने वित्तीय और विवरण तैयार करने में विलम्ब होगा। 15 जनवरी 2019 को लोक उद्यम विभाग से मिली अनंतिम सूचना के अनुसार 2020 तक 366 सीपीएसई हैं। इनमें से 256 सीपीएसई परिचालन में हैं, परन्तु केवल 17 सीपीएसई ने वित्त वर्ष दौरान लाभ अर्जित किया है। लाभ कमा रही सीपीएसई का कुल लाभ वित्त वर्ष 20 में 1.38 लाख करोड़ रुपए है, जबकि घाटे में चल रही उद्यमों का समेकित घाटा 44,816 करोड़ रुपये है। सीपीएसई में कुल निवल लाभ वित्त वर्ष 19 में 34.6 प्रतिशत की गिरावट के साथ वित्त वर्ष 19 में 1.43 लाख करोड़ से वित्त 20 में 93,295 लाख करोड़ पहुंच गया। सीपीएसई का परिचालन 4 क्षेत्रों में हो रहा है-कृषि, खनन और खोज, विनिर्माण एवं सेवाएं।

कार्पोरेट क्षेत्र का निष्पादन

8.19 कार्पोरेट निष्पादन पर आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में, मांग की स्थिति महामारी के परिणाम स्वरूप, देश व्यापी लॉकडाउन के कारण, पूर्व-वर्ती तिमाही में 41.1% के संकुचन के बाद दूसरी

तिमाही 2020-21 के लिए नाममात्र की बिक्री में 4.3: (वर्ष दर वर्ष) के हल्के संकुचन के साथ वसूली के पथ पर अग्रसर है। (चित्र-12क और 12ख)

चित्र 12 क: बिक्री और व्यय वर्ष-दर-वर्ष निजी कार्पोरेट क्षेत्र (प्रतिशत में) में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों ख. निवल लाभ के विभिन्न सूचकों में हुई वृद्धि



स्रोत: आरबीआई डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)

8.20 भारत सरकार देश में व्यापार अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कि आर्थिक क्रियाकलापों और विनिर्माण के क्षेत्र में देश को वैश्विक केन्द्र बनाया जा सके। वर्षों पुराने विद्यमान नियमों और विनियम को सरल और युक्तिसंगत बनाने हेतु बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा व्यवसाय के वातावरण को बेहतर बनाने हेतु शासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की शुरुआत करना उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदमों में से एक हैं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (2020) के अनुसार भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) सूचकांक में भारत 190 देशों में से वर्ष 2018 में 77वें स्थान से वर्ष 2019 में 63वें स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 10 मापदंडों में से 7 में बेहतर किया है तथा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के करीब समीप पहुंच गया है डीबीआर ने वर्ष 2020 में स्वीकार किया है कि भारत लगातार तीसरी बार मुख्य 10 सुधारवादी देशों में से एक है तथा भारत ने तीन वर्षों में तीसरी बार सुधार के साथ 67वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2009 से ईओडीबी रैंक में भारत प्रगति और डीबीआर 2020 के मुख्य समूह की तुलना में भारत की स्थिति चित्र 13(क और ख) और चित्र 14 में दर्शाई गई है। वर्ष 2011 से यह किसी भी बड़े देश के द्वारा सबसे ऊंची छलांग है।

8.21 भारत के ईओडीबी सूचकांक के अंतर्गत पाई गई तीसरी बार सुधार के साथ 67वें स्थान पर पहुंच गया है। कमियों को चित्र 15 (2019 के लिए क्रॉस सेक्शन विश्लेषण) और चित्र 16 (2015-2019 के लिए इंटरटेम्पोरेल विश्लेषण) में प्रस्तुत किया गया है। डीबीआर 2020 रिपोर्ट के अनुसार ईओडीबी के लीड सबकम्पोनेंट को बिजली मिल रही थी और सीमा पार व्यापार एवं अन्य कार्य (चित्र 15 में जो हरे रंग का बार है) हो रहा था, तथापि मुख्य कमियां 'अनुबंध लागू करना', 'संपत्ति पंजीकृत करना', 'दिवालियापन रद्द करना' और 'कर का भुगतान' है (चित्र 15 में जो लाल रंग का बार है)

8.22 ईओडीबी के सब कम्पोनेंट की तुलना करने पर सूचकांक में पाई गई कमियों का चित्र के माध्यम से

उल्लेख कर पाना संभव नहीं है क्योंकि यह पूर्व के रिफॉर्म और नीतियों को संरक्षित नहीं करता है। इसलिए सब कम्पोनेंट का अंतर-अस्थायी विश्लेषण करना अधिक ठोस होगा। चित्र 16 क ईओडीबी की सूचकांक के विभिन्न उप कम्पोनेंट के स्कोर की प्रवृत्ति को दर्शाता है। चित्र 16 क से यह रूपष्ट है कि ईओडीबी-2019 में कमियां इन क्षेत्रों में भी हैं यथा 'कर का भुगतान करना' और 'दिवालियापन का समाधान' करने में अग्रसर रहा है परंतु अतिरिक्त प्रयास और नीति के समर्थन की आवश्यकता है अग्रगामी बने रहने के लिए इस सूचक के विपरीत जैसे 'अल्पसंख्यक निवेशक' की रक्षा करना और बिजली प्राप्त करना इंटरटेम्पोरेल विश्लेषण में कमी जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में सीमांत के बहुत समीप है (चित्र 16ख)। चिंता का मुख्य कारण सब कम्पोनेंट है जो क्रॉस-सेक्शन और अंतर-अस्थायी विश्लेषण, जैसे 'संपत्ति का पंजीकरण' और 'अनुबंधों को लागू करने', दोनों, में पिछड़े हुए हैं।

चित्र 13: व्यवसाय अनुकूल वातावरण (इज ऑफ डुइंग बिजनेस) में भारत का स्थान






Figure 13b: India's Score in Ease of Doing Business (DB17-20 methodology)




स्रोत: ईओडीबी डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 14: साथी कंपनियों की तुलना में व्यवसाय अनुकूल माहौल बनाने में भारत का रैंक और संपूर्ण स्कोर




स्रोत: ईओडीबी डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 15: इज ऑफ डुइंग बिजनेस (ईओडीबी 2019) की समग्र रैंकिंग और स्कोर में उतार-चढ़ाव।




स्रोत: ईओडीबी डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 16क: ईओडीबी सूचकांक और इसके सब कम्पोनेंट (इंटर-टेंपोरल) में उतार-चढ़ाव



चित्र 16ख: अग्रगामी के साथ सब कम्पोनेंट और ईओडीबी सूचकांक की निकटता (इंटर-टैपोरल)



टिप्पणी: निकटता को संबंधित समूह में उच्चतम स्कोर 100 के अनुपात में भारत के स्कोर के रूप में परिभाषित किया गया है।

- ईओडीबी
- .- व्यवसाय शुरू करना
- ◆— निर्माण की अनुमति
- बिजली प्राप्त करना
- .- संपत्ति की रजिस्ट्री करना
- .- क्रेडिट प्राप्त करना
- .- अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा करना
- ▲— कर का भुगतान करना
- सीमा पार व्यापार
- .- अनुबंध लागू करना
- दिवालियापन का समाधान

स्रोत: ईओडीबी डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

स्टार्ट-अप-इंडिया

8.23 स्टार्ट-अप उद्यमियों के लिए एक मंच है जिनके पास खुली-सोच है तथा ऐसे उत्पादों को विकसित करने की क्षमता है जो तेजी से बदलते विश्व में खुद की जगह बना सकते हैं। स्टार्ट-अप मध्यम से लंबी-दूरी तक विकास के बाह्य होने की क्षमता रखते हैं। स्टार्ट-अप के विकास को सुकर बनाने के लिए, भारत सरकार ने स्टार्ट-अप इंडिया स्टैण्ड अप इंडिया पहल की घोषणा की। कार्रवाई-योजना/एक्शन प्लान तीन स्तंभों पर आधारित है। “सरलीकरण और सहयोग/हैडहॉल्लिंग” “निधियन रुपए एवं प्रोत्साहन; तथा “इंडस्ट्री एकेडिकिया भागीदारी तथा इन्व्यूवेशन”। 23/12/2020 को भारत सरकार ने 41,061 स्टार्ट-अप की पहचान की तथा 39,000 स्टार्ट-अप द्वारा 4,70,000 रोजगार दिए जाने की सूचना दी भारत ने स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन करने के लिए कई पहल की हैं। (बॉक्स 2)

बॉक्स 2. भारत सरकार द्वारा भारत के स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान करने के लिए की गई पहल

1. स्टार्ट-अप इन्टेलैक्चयुल प्रोपर्टी प्रोटेक्शन (एस.आई.पी.पी.) योजना, किसी भी स्टार्ट-अप को अपना आवेदन फाईल करने के लिए किसी सूचीबद्ध फ़ैसिलैटर (सहायक) की मदद लेने में सक्षम बनाती है। यह समन्वयक, कार्यालय; महानियंत्रक (पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क्स) (सी.जी.पी.डी.टी.एम.) से निर्धारित प्रारूप में प्रमाणगत प्रस्तुत करने पर स्टार्ट-अप को प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान का दावा कर सकता है।

जून 2020 तक स्टार्ट-अप को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए 510 पेटेंट समन्वयक, 392 ट्रेडमार्क समन्वयक नामिकामित किए जा चुके हैं। बॉक्स में दिए गए आंकड़े स्टार्ट-अप पेटेंट फाईल करने और दिए जाने (चित्र 2.1) तथा ट्रेडमार्क आवेदन फाईल करने तथा उनका पंजीकरण करने संबंधी सूचना (चित्र 2.2) प्रदान करते हैं।

बॉक्स/चित्र 2.1: प्रस्तुत किए गए तथा प्रदान किए गए पेटेंट आवेदन।

General

Fiscal Year	Filed	Granted
FY11	~40,000	~8,000
FY12	~43,000	~5,000
FY13	~44,000	~5,000
FY14	~43,000	~5,000
FY15	~43,000	~6,000
FY16	~47,000	~7,000
FY17	~45,000	~10,000
FY18	~48,000	~13,000
FY19	~51,000	~15,000
FY20	~56,000	~25,000
FY21*	~38,000	~18,000

* For Apr-Nov 2020

Startups


Fiscal Year	Filed	Granted
FY17	~200	~50
FY18	~700	~150
FY19	~950	~180
FY20	~1,850	~100
FY21*	~1,100	~50

* For Apr-Oct 2020

2. कार्यान्वयन की प्रगति पर आधारित 14वें तथा 15वें वित्त आयोग के चक्र तक फैले अंशदान के साथ 10,000 करोड़ रुपए की कुल पूंजी के साथ स्टार्ट-अपस के लिए निधि नाम से फंड (एफ एफ एस) की स्थापना की गई। दिसंबर 2020 को सिडबी ने 60 सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को 4326.95 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इन निधियों से 31598 करोड़ रुपए की कोष निधि जुटाई गई एफ एफ एस से 1270.46 करोड़ रुपए आहरित किए गए तथा 384 स्टार्ट-अपस में 4509.16 करोड़ रुपए निवेश किए गए।

- अब तक 319 स्टार्ट-अप को नवंबर 2020 तक कर में छूट दी गई है।
- स्टार्ट-अप यात्रा ने यह पहल भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों की यात्रा करती है जो दिन भर चलने वाले बूट मैप का संचालन करके प्रतिभावान उद्यमियों की खोज करने के लिए है। 23 राज्यों के 207 जिलों के 78346 आकांक्षी उद्यमियों का ध्यान आकर्षित किया है। इस पहल के परिणाम स्वरूप 1,424 इन्क्यूबेशन ऑफर स्टार्ट-अप को दिए गए हैं।
- इसके अलावा, इस क्षेत्र में नवाचार के बढ़ावा देने और युवाओं को प्रौद्योगिकी और उनके द्वारा विकसित उत्पादों पर उनके अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट-अप को पेटेंट फाइलिंग फीस में 80 प्रतिशत की छूट और ट्रेड मार्क दाखिल करने की फीस पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त पेटेंट देने में लगने वाले समय को करने के लिए पेटेंट आवेदनों की शीघ्र परीक्षा की सुविधा भी स्टार्ट-अप के लिए उपलब्ध है। जून-2020 की स्थिति के अनुसार, 3618 आवेदनों की फाइलिंग फीस में 80 प्रतिशत 6832 ट्रेडमार्क आवेदनों पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई।

Box Figure 2.2: Trademark Applications filed and granted




Survey calculations based on DPIIT data.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश


8.24 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) निवेश और निवेश वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है जो देश में आर्थिक विकास को गति देता है। एफडीआई प्रवाह देश में उत्पादकता कौशल और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ाने के साथ भी जुड़ा हुआ है। सक्रिय नीतिगत उपायों और देश में व्यापार करने में आसानी एवं किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप एफडीआई प्रवाह में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ। एफडीआई इक्विटी प्रवाह वित्त वर्ष 13 से लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 20 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह 49.98 बिलियन यूएस डॉलर था जबकि वित्त वर्ष 19 के दौरान 44.37 बिलियन यूएस डॉलर था इसी तरह से वित्त वर्ष 21 के लिए (सितम्बर 2020 तक) 30.0 बिलियन यूएस डॉलर था। एफडीआई इक्विटी प्रवाह का बड़ा हिस्सा गैर विनिर्माण क्षेत्र में है, जिससे एफडीआई प्रवाह (चित्र 17) का विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से में कमी आई है। विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, धातु, गैर पारंपरिक ऊर्जा, रसायन (उर्वरक के अलावा), खाद्य प्रसंस्करण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को एफडीआई इक्विटी प्रवाह अधिक मात्रा में मिलता है। वित्त वर्ष 2020 (चित्र 18) में विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों में हुए एफडीआई इक्विटी प्रवाह का लगभग 67 प्रतिशत भाग था।

चित्र 17: विनिर्माण एवं गैर-विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह



स्रोत: डीपीआईआईटी डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 18: 2019-20 में कुल विनिर्माण एफडीआई इक्विटी प्रवाह में विशिष्ट विनिर्माण उद्योगों की हिस्सेदारी



स्रोत: डीपीआईआईटी डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

क्षेत्रवार मुद्दे और पहल


स्टील

8.25 स्टील उद्योगों, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के महत्वपूर्ण आदानों में से एक हैं। आर्थिक विकास के इन महत्वपूर्ण स्तंभों में इस महत्वपूर्ण इनपुट की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 (एनएसपी-17) ने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होते हुए भी उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण विस्तार पर जोर दिया है।

एन.एस.पी. 17 का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 158 कि.ग्रा. प्रतिव्यक्ति उपभोग सहित 300 मिलियन टन (एम.टी.) की अपरिष्कृत इस्पात (क्रूड स्टील) क्षमता तथा 230 एम.टी. तैयार इस्पात (फिनिशड स्टील) क्षमता प्राप्त करना है (चित्र 19)।


8.26 चीन के बाद भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। हालांकि वर्ष 2019-20 के दौरान इसकी प्रतिव्यक्ति कुल फिनिशड इस्पात उपयोगिता 229 कि.ग्राम की वैश्विक औसत के प्रति 74.7 कि.ग्रा. के आसपास थी। इसके अतिरिक्त क्रूड स्टील प्लांट्स (कच्चे इस्पात के संयंत्रों) में क्षमता-उपभोग (खपत) कम ही बनी रही। (चित्र: 20)

चित्र 19: तैयार इस्पात का उत्पादन और खपत (मिलियन टन)



स्रोत: इस्पात मंत्रालय के डाटा पर आधारित सर्वेक्षण प्राक्कलन

चित्र 20: क्षमता उपभोग इस्पात संयंत्र



स्रोत: इस्पात मंत्रालय के डाटा पर आधारित सर्वेक्षण प्राक्कलन

8.27 हाल ही में भारत सरकार ने इस्पात के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत विभिन्न प्रयास किए हैं जैसे:- प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पी.एस.आई.) के तहत प्रोत्साहन के लिए चार विभिन्न उत्पाद श्रेणियों को शामिल करते हुए (स्पेशलिटी स्टील) का समावेशन; ऐसे एम.एस.एम. ई. को डी.जी.एफ.टी. की ड्यूटी ड्रा बैक स्कीम के तहत निर्यात समता कीमत पर स्टील ऑफर करना जो अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्य हैं; सरकारी खरीद में, जहां 25 करोड़ से अधिक लौह एवं इस्पात उत्पादों का अनुमान हो, वहां घरेलू निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के उपाय; उद्योग (इंडस्ट्री) को अनुचित व्यापार से बचाने के लिए उपयुक्त उपचारी उपाय करना जिसमें ऐसे उत्पादों पर अनुचित एन्टी डंपिंग ड्यूटी तथा प्रतिकारी शुल्क लगाना भी शामिल है जिन पर अन्य देशों द्वारा अनुचित व्यापार पद्धतियां अपनाई गई थीं।


कोयला

8.28 भारत में कोयला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों को 55: की पूर्ति करता है। कोयला न केवल देश में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वरन् इसका उपयोग स्टील, स्पंज आयरन, सीमेंट, कागज ईट के भट्टे आदि जैसे कई उद्योग-धंधों में भी किया जाता है।


8.29 वित्त वर्ष 2020 में भारत में कच्चे कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम अर्थात् 0.05

प्रतिशत वृद्धि के साथ 729.1 मिलियन टन था। (चित्र-21)। वित्त वर्ष-21 में (अप्रैल-अक्टूबर) अखिल भारतीय कोयला उतपादन 337.52 मिलियन टन था अर्थात् इसमें 3.3 प्रतिशत की कमी आई। इस कमी की वजह कोविड-19 ही है। भारत कोयले का आयातक भी है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष से अधिक 5.7 प्रतिशत वृद्धि दर से वित्त वर्ष में 248.54 एम.टी. कोयला आयात किया। भारत में बिजली-आपूर्ति काफी हद तक कोयले पर ही निर्भर करती है। चूँकि कोयले को पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता फिर भी भारत सरकार ने ऊर्जा की आवश्यकताओं तथा पर्यावरण अनुकूलता के बीच सामांजस्य स्थापित करने के लिए कई उपाय किए हैं। (बॉक्स 3)

चित्र 21क भारत में कोयले का उत्पादन (मिलियन टन)



चित्र 21ख: कोयले की मांग एवं आपूर्ति (मिलियन टन)



स्रोत: कोयला मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण प्राक्कलन

बॉक्स : 3 भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में किए गए उपाय

क) स्वच्छ कोयला (क्लीन कोल):

- कार्बन सिंक क्रिएट करना: 132 मिलियन वृक्षारोपण द्वारा लगभग 54500 हैक्टेयर भूमि को ग्रीनकवर के तहत लाया गया है अर्थात् 2.7 लाख टन कार्बन डाईआक्साईड के समान प्रतिवर्ष अनुमानित कार्बन सिंक का निर्माण किया गया। 2030 तक लगभग 50 मिलियन वृक्षारोपण द्वारा 20000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को इसमें लाने की योजना है।
- कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले दो कोल बैंड मीथेन (सी.ए.एम.) परियोजनाएं पाईपलाइन में हैं।
- कार्बन उत्सर्जन के साथ सर्फेस कोल गैसीकरण परियोजनाएं (वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन (एम टी) प्रेषण कोयला)
- फर्स्ट माईल कनेक्टिविटी परियोजना: खदान से प्रेषण स्थल तक कोयले का परिवहन।

ख) नियमों एवं अधिनियम में संशोधन तथा अन्य उपाय:

- दनांक 13.03.2020 को प्रदत्त खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम 2020 के कोयला खदान (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम, 2015 में कई संशोधन किए गए।
- खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) (एम.एस.डी.आर.) अधिनियम के तहत 11 कोल ब्लॉक (कोयला ब्लॉकों) का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त कोयले की विक्री के लिए नीलामी द्वारा 25 कोयला ब्लॉकों में आवंटन हेतु नामित प्राधिकारी को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
- वाणिज्यिक खनन के लिए 10 जून 2020 में 38 कोयला खानों की नीलामी में से 19 सफलतापूर्वक आवंटित की गई इनका सफलता प्रतिशत पूर्व की 30% की तुलना में 50% (50 प्रतिशत) रहा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.)

8.30 भारत सरकार ने एम.एस.एम.ई. को मौजूदा संकट से उबारने के लिए सशक्त बनाने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का वाहक बनाने की दिशा में कई प्रयास किए हैं। 6 करोड़ से भी अधिक एम.एस.एम.ई. के साथ यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है तथा रोजगार सृजन तथा जी.डी.पी. में योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक लोग नियोजित हैं। यह जी.डी.पी. का लगभग 30 प्रतिशत है तथा सुदृढ़ तथा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में देश के आयात का आधे हिस्से में इसका योगदान है।

8.31 राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान एम.एस.एम.ई. क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। इस क्षेत्र को वापस पटरी पर लाने के लिए कई सुधारात्मक एवं सहायक उपाय किए गए हैं। इनमें से सर्वप्रथम एम.एस.एम.ई. परिभाषा (तालिका-9 एवं बॉक्स 4) आवश्यकता में निवेश मानदंड का संशोधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 खंड 1 में परिवर्तन की उस आवश्यकता पर विचार किया गया है जो छोटे फर्मों को प्रगति करने के लिए प्रोत्साहन देती है और जिनके द्वारा वे लागत संबंधी बड़े पैमाने की किफायत लाभ उठाती है। (बॉक्स 5) 1 जुलाई 2020 को उद्यम (Udyam) Registration Portal) प्रारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य उद्यमियों के लिए लेन-देन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है तथा बिजनेस करने की कारोबारी प्रक्रिया का सुगम बनाना है। (अध्याय - 3 : नॉरिशिंग डबार्फ टू बिकम जियान्ट्स : एम.एस.एम.ई. के विकास के लिए नीतियों को पुनः प्रस्तुत किया गया है।) निवेश मानदंड में इस ऊर्ध्वमुखी संशोधन से आशा है कि देश में एम.एस.एम.ई. का सुदृढ़ विस्तार करने में सुविधा होगी तथा वे वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनेंगे। इससे एम.एस.एम.ई. यूनिट के लाभों से वंचित हुए बिना उत्पादन में लागत संबंधी लाभ प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में कुछ किए गए महत्वपूर्ण उपायों पर बॉक्स I में प्रकाश डाला गया है।

इसके अतिरिक्त चैंपियन पोर्टल जैसे कई अन्य उपाय भी किए गए हैं।

तालिका : 9 - एम.एस.एम.ई. सेक्टर की परिभाषा**पूर्ववर्ती एम.एस.एम.ई. वर्गीकरण**

मानदंड : संयंत्र एवं मशीनरी तथा उपकरण में निवेश			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण	25 लाख रु. से कम निवेश	25 लाख रु. से अधिक और 5 करोड़ रु. से कम निवेश	5 करोड़ रु. से अधिक और 10 करोड़ रु. से कम निवेश
सेवा	10 लाख रु. से कम निवेश	10 लाख रु. से अधिक और 2 करोड़ रु. से कम निवेश	2 करोड़ रु. से अधिक और 5 करोड़ रु. से कम निवेश

Revised MSME Classification

समय मापदंड: निवेश और वार्षिक कुल बिक्री (टर्न ओवर)			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण एवं सेवाएं	करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ रु. से कम	कुल बिक्री निवेश करोड़ रु. से अधिक और 10 करोड़ रु. से कम तथा कुल बिक्री 5 करोड़ रु. अधिक और 50 करोड़ रु. से कम	निवेश 10 करोड़ रु. से अधिक और 20 करोड़ रु. से कम तथा कुल बिक्री 50 करोड़ रु. से अधिक तथा 100 करोड़ रु. से कम

स्रोत: एम.एस.एम.ई.

बॉक्स 4: एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन का औचित्य: एमएसएमई को प्रभावित करने वालों मुद्दों पर किए गए विचारविमर्श का विवरण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एसएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में एमएसएमई को संयंत्र एवं मशीनरी या उपस्कर में निवेश के आधार पर परिभाषित किया गया था। यह निवेश उनकी वास्तविक कीमत से परिकलित किया गया था। इससे इस सेक्टर को ये नुकसान पहुंचा कि इसने निवेश को हतोत्साहित किया तथा एमएसएमई को बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ उठाने तथा रोजगार सृजन में अधिक सार्थक तरीके से योगदान करने से रोका। जून, 2020 में भारत सरकार ने निवेश की सीमाओं में संशोधन करके उसे बढ़ा दिया तथा एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए उद्यम के वार्षिक कारोबार को भी अतिरिक्त मानदंड के रूप में शामिल कर दिया। ऐसे निवेश के परिकलन को अब आयकर अधिनियम के तहत फाइल की जाने वाली आयकर विवरणी के साथ लिंक किया जाएगा जिससे वार्षिक मूल्यहास को दर्शाया जा सकेगा। इसके कारण बड़ी संख्या में मुकदमें होने का डर भी रहेगा।

एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन की आवश्यकता पर बहुत गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया और इसके बारे में हितधारकों से परामर्श करने के बाद तथा एमएसएमई डी एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुरूप यथोचित आकलन करने के बाद घोषणा की गई।

आर्थिक सर्वेक्षण (2012-13) और (2018-19) में एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी चिंताओं और मुद्दों पर तथा एमएसएमई संबंधी परिवेश को सुधारने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। भारत सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 तथा 2018 में एमएसएमई एक्ट में संशोधन करने का प्रयास भी किया था। 2015 के विधेयक में निवेश की उच्चतम सीमाओं में ऊपरी परिशोधन का प्रस्ताव रखा गया था जबकि 2018 के विधेयक में निवेश मापदंड की जगह कारोबार मापदंड को लाने तथा विनिर्माण एवं सेवाओं की बीच के अंतर को समाप्त करने का प्रयास किया गया था।

उद्योगों पर विभाग संबंधी स्थायी संसदीय समिति (डीआरपीएससी) (2015) ने 268वीं रिपोर्ट को अपनाया जिसमें इस विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के अपनाए जाने की सिफारिश की गई है। समिति ने अपनी 245वीं रिपोर्ट में एमएसएमई डी एक्ट 2006 के कार्यान्वयन की गहनता से जांच की थी और मूल अधिनियम के अध्याय IV और V के संबंध में सिफारिश की थी। समिति ने सामान्य रूप से मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई सेक्टर के वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमाओं को बढ़ाए जाने पर सहमति थी। ये पाया गया कि “मुद्रास्फीति एवं बाजार की गतिशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति की राय है कि अधिनियम में दी गई एमएसएमई की परिभाषा को हर 5 वर्ष में परिशोधित किया जाए।”

सचिव समिति ने 11.11.2016 को आयोजित बैठक में “कारोबार” और/या “रोजगार” को एमएसएमई की परिभाषा के मानदंड के रूप में शामिल किए जाने की सिफारिश की। विचार विमर्श के बाद 2015 के विधेयक को वापस ले लिया गया और 2018 के विधेयक को दिनांक 23.07.2018 को पेश किया गया।

उद्योग पर डीआरपीएससी (2018) ने 2018 के विधेयक का गहनता से मूल्यांकन किया और अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि “संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश पर आधारित वर्गीकरण के कई नुकसान हैं जैसे यह एमएसएमई को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने से रोकता है, उत्पादकता को आधुनिक उच्चस्तरीय, उन्नत बनाने के लिए निवेश को अवरूद्ध करता है और निवेश की सीमाओं को सख्त किए जाने के कारण प्रौद्योगिकी उन्नयन पर रोक लगा देते हैं।

डीआरपीएससी रिपोर्ट (2018) में आगे उल्लेख किया गया है कि ‘.....2006 में एमएसएमई के लिए निर्धारित की गई वित्तीय सीमाएं, मुद्रास्फीति के असर को देखते हुए अब प्रासंगिक नहीं है। इसलिए अधिकांश उद्योग संघों और हितधारकों ने संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के वर्तमान मापदंड को बदलकर एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए वार्षिक कारोबार को मापदंड बनाए जाने की आवश्यकता व्यक्त की है।’

डीआरपीएससी रिपोर्ट (2018) में यह भी उल्लेख किया गया है कि ‘.....भारतीय संदर्भ में रोजगार का मापदंड निर्धारित करने में जो समस्याएं सामने आती हैं वे सेक्टर संबंधी विश्वसनीय/सत्यापन योग्य डाटा न मिल पाना तथा श्रमबल की उपलब्धता में मौसम के साथ बदलाव हो जाता। रोजगार प्रणाली के संबंध में यदि विचार किया

जाए तो जाँच बढ़ाने की आवश्यकता होगी जिसमें बहुत बड़ी लागत लगानी होगी और विभिन्न सेक्टरों के उद्यमों द्वारा दिए गए आंकड़ों की सत्यता पर प्रश्न उठने की आशंका रहेगी। 25.5.2019 को 16वीं लोकसभा भंग होने के कारण 2018 का ये विधेयक लंबित हो गया।

सरकार के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विशेषज्ञ समिति (2018) गठित की। इस समिति ने भी निवेश की बजाय वार्षिक कारोबार को मापदण्ड बनाए जाने की सिफारिश की। इस समिति ने रोजगार आधारित परिभाषा की विशेषताओं पर चर्चा की और ये माना कि बेशक यह कुछ देशों द्वारा प्राथमिकता से अपनाई जाने वाली विशेषता है लेकिन यह परिभाषा कार्यान्वित किए जाने पर कई चुनौतियां पेश आएंगी।

डीआरपीएससी के नवीनतम आवलोकनों तथा हितधारकों के परामर्शों के आधार पर मापदण्ड में बदलाव कर दिया गया तथा दिनांक 26 जून, 2020 को उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।

बॉक्स : 5 चैंपियंस: एमएसएम ई के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म

- भारत सरकार ने 09 मई 2020 को एक बड़ी पहल करते हुए एम.एस.एम.ई. की सहायता के लिए “चैंपियन्स ऑनलाइन प्लेटफार्म” की शुरुआत की। “चैंपियंस” का अर्थ है:-
उत्पादन और राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग। यह एक आई.सी.टी. आधारित प्रौद्योगिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य छोटी ईकाईयों की समस्याएं दूर करके, प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान करते हुए पूरी व्यापार चक्र प्रक्रिया के दौरान हैंड हॉल्लिंग/मार्गदर्शन द्वारा बड़ी ईकाईयों में परिवर्तित करना है। यह प्लेटफार्म एम.एस.एम.ई. की समस्त आवश्यकताओं के लिए एकल विन्डो समाधान उपलब्ध कराता है।
- यह एक प्रौद्योगिकी समर्थित नियंत्रण कक्ष सह-प्रबंधन सूचना प्रणाली है। टेलीफोन, इन्टरनेट तथा वीडियो-कॉन्फ्रेंस जैसे आई.सी.टी. टूल्स के अतिरिक्त, इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस डाटा एनेलिटिक्स तथा मशीन लर्निंग भी है।
यह भारत सरकार के मुख्य शिकायत पोर्टल सीपी ग्राम्स तथा एम.एस.एम.ई. मंत्रालय के अन्य बैंक आधारित प्रणालियों के साथ वास्तविक समय के आधार पर पूर्णरूपेण एकीकृत हैं।
- प्रणाली के एक भाग के रूप में हब एवं स्पॉक मॉडल में 70 नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। यह हब, नई दिल्ली स्थित सचिव, एम.एस.एम.ई. कार्यालय में हैं। स्पोक्स राज्यों में स्थित मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों तथा संस्थानों में होंगे।
- भारत सरकार ने बिल सुविधाओं/चैंपियंस प्लेटफार्म के माध्यम से विस्तारित समर्थन प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर भी भरोसा जताया है।

कपड़ा और परिधान

8.32 कपड़ा और परिधान उद्योग देश के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कपड़ा और वस्तु उद्योग का समग्र जी.डी.पी. में 2 प्रतिशत तथा 20 में जी.वी.ए. में कुल उत्पादन में 11 प्रतिशत योगदान रहा है जिससे लगभग 10.5 करोड़ लोगों को कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। यह क्षेत्र देश में कृषि के पश्चात् सबसे बड़ा नियोजक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों में एक बड़ा भाग महिलाओं का है तथा यह महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इस प्रकार देश में समग्र सामाजिक विकास में भी योगदान करता है। भारत सरकार इन क्षेत्रों में कई योजनाएं लागू करती है जैसे कि संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए.टी.यू.एफ.एस.) एकीकृत कपड़ा पार्क (एस.आई.टी.पी.) तथा समर्थ योजना। ए.टी.यू.एफ.एस., टी.यू.एफ.एस. का ही एक संशोधित संस्करण है तथा इसका उद्देश्य भारतीय कपड़ा उद्योग की प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाना तथा अपग्रेड करना है।

एस.आई.टी.पी. विश्वस्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है। एस.आई.टी.पी. के तहत एकीकृत किए गए 56 कपड़ा पार्कों में से अब तक 23 ही पूरे हुए हैं। समर्थ का ध्यान कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर है। इसके अतिरिक्त सिल्क, जूट, वूल (ऊन) हथकरघा और हस्तशिल्प सेक्टर से संबंधित अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

8.33 भारत का स्थान कपड़ा और वस्त्र उत्पादों के निर्यातक के तौर पर चीन, जर्मनी, बांग्ला देश, वियतनाम तथा इटली के बाद छठे स्थान पर आता है। भारत सूती धागे, फैशन गार्मेन्ट्स, हैंडमेड कार्पेट आदि समेत कई उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में सुप्रसिद्ध है। इस उद्योग की डिजाईन क्षमता का विश्व में काफी सम्मान है जिसकी वजह से देश को औद्योगिक पावरहाउस की छवि बनाने में सहायता मिली। हालांकि यह क्षेत्र कई आंतरिक तथा बाहरी आर्थिक चुनौतियों के प्रति अतिसंवेदनशील है जो इसकी समग्र क्षमता को प्रभावित करते हैं।

बॉक्स : 6 उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

आत्म निर्भर भारत ने विनिर्माण को केंद्र में ला दिया है और भारत के विकास में तथा रोजगार सृजन में इसके महत्व को रेखांकित किया है। एक सुदृढ़ उत्साही तथा गतिशील विनिर्माण क्षेत्र प्रगति का पथ प्रदर्शक होगा। विश्वभर के वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। विनिर्माण तथा निर्यात प्रेरित प्रगति पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं। यह इस आवश्यकता की ओर संकेत करता है कि निवेश को आकर्षित करने के लिए दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ उठाने के लिए तथा भारतीय विनिर्माण कंपनियों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए एक सुनियोजित कार्य नीति तैयार की जानी चाहिए।

भारत की उत्पादन क्षमता तथा निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पी.एम.आई. स्कीम) की शुरुआत की। जिसमें सेक्टर विशिष्ट वित्त सीमाओं के साथ 1.46 लाख करोड़ रुपये का कुल व्यय होने का अनुमान है।

यह योजना भारतीय उत्पादकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगी और अग्रणी प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करेगी; दक्षता सुनिश्चित करेगी, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, निर्यात में वृद्धि करेगी तथा हितकर निर्माण परिवेश उपलब्ध कराते हुए भारत को विशेष तौर पर इस क्षेत्र के तहत आने वाले 10 चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बना देगी। इसके अतिरिक्त यह योजना देश में एम.एस.एम.ई. केंद्रों के साथ बैकवर्ड लिन्केज भी स्थापित करेगी जिससे समग्र विकास होगा तथा व्यापक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।


सेक्टर इन पी.एम.आई.	अनुमानित व्यय (करोड़ों में)
एडवांस सैल कैमिस्ट्री बैटरी	18,100
इलैक्ट्रॉनिक/तकनीकी उत्पाद	5,000
ऑटोमोबाईल एवं ऑटो घटक	57,042
फार्मा औषधियां	15,000
टेलीकोम एवं नेटवर्किंग उत्पाद	12,195
टैक्सटाइल उत्पाद	10,683
खाद्य उत्पाद	10,900
उच्च क्षमता नामे सौर पी.जी. व एन.ई.)	4,500
व्हाईट गुड्स (ए.सी. व एन.ई.डी.)	6,238
विशेष इस्पात/स्टील	6,322
कुल	1,45,980

अवसंरचना

8.34 देश में बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थिति, विकास का आधार हैं। पर्याप्त अवसंरचना के अभाव में, अर्थव्यवस्था एक सब ऑप्टिमम स्तर पर रहती है तथा अपनी संभावी व अग्रणी विकास इंडस्ट्री से दूर ही रहती है। बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र के बावजूद बैकवार्ड – फॉरवार्ड लिंकेज सुस्थापित हैं तथा इसीलिए अवसंरचना में निवेश किया जाना एक त्वरित तथा समग्र आर्थिक विकास के लिए नितांत आवश्यक है।

8.35 भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2025 के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा ड्राईव करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाईपलाइन (एन.आई.पी.) शुरू की है। इसका वित्तपोषण केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र (चित्र 22 और 24) निधि के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है (चित्र 22) एन.आई.पी. में 2020-2025 के दौरान 111 लाख करोड़ (1.5 ट्रिलियन) के कुल अवसंरचनात्मक निवेश की परिकल्पना की गई है। एन.आई.पी. में ऊर्जा, सड़क, शहरी अवसंरचना, रेलवे का मुख्य शेर है।(चित्र 23)


चित्र : 22 वार्षिक निवेश तथा निधियन शेर (साठ करोड़ रु.)



अचरणबद्ध : इसका मतलब है ये 2025 से आगे फ़ैला हुआ है। चूँकि एन आई पी 2025 तक ही है इसलिए इस भाग को एक साथ मिला दिया गया और वर्षवार प्रस्तुत नहीं किया गया है।


स्रोत: एन.आई.पी. डाटा पर आधारित सर्वेक्षण प्राक्कलन

चित्र : 23 क्षेत्रों द्वारा एन.आई.पी. परियोजना



स्रोत: एन आई पी डाटा के आधार पर समीक्षा अनुभाग

चित्र : 24 एन.आई.पी. के तहत निधियन



स्रोत: एन.आई.पी. डाटा के आधार पर समीक्षा अनुभाग

8.36 भारत में अवसंरचना में निवेश मुख्यतः सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पी.पी.पी.) के रूप में ही आया। पिछले दशक में भारत में अवसंरचना निवेश के एक तिहाई से अधिक निजी-क्षेत्र से आया। पी.पी.पी., अवसंरचना गैप को दूर करने के साथ-साथ अवसंरचना सेवा सुपुर्दगी में दक्षता सुधार में सहायता करती है।

8.37 भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र में पी.पी.पी. परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक, निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पी.पी.पी.ए.सी.) का गठन किया। वित्त वर्ष 2020 के दौरान, पी.पी.ए.सी. ने 4321 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत के साथ 5 परियोजनाओं की सिफारिश की। वित्त वर्ष 21 में पी.पी.पी. ए.सी. ने कुल 66,600.59 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय वाली 7 परियोजनाएं की सिफारिश की थी। इन सात परियोजनाओं में से एक टेलीकॉम सेक्टर, 3 रेलवे सेक्टर (2 स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं तथा एक यात्री ट्रेन परियोजना), 2 एम एच ए सेक्टर परियोजनाएं (इको-पर्यटन परियोजनाएं) तथा एक पत्तन क्षेत्र परियोजना है। इन 5 परियोजनाओं में से 04 रेलवे सेक्टर की कैम्प परियोजनाएं हैं (यात्री ट्रेन परियोजना है) एक परियोजना तथा पत्तन क्षेत्र की हैं।

8.38 वित्त वर्ष 21 में भारत सरकार ने रिवैम्पड इन्फ्रास्ट्रक्चर वायाबिलिटी गैप निधियन (बीजीएफ) योजना को 2024-25 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रस्तावित वी.जी.एफ. स्कीम और अधिक पी.पी.जी. परियोजनाओं को आकर्षित करेगी तथा सामाजिक क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा, अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति आदि) में निजी निवेश को सुगम बनाएगी। नई योजना मुख्यतः सामाजिक अवसंरचना में निजी भागीदारी को मुख्यधारा में लाने के लिए दो उप-योजनाओं की शुरूआत से संबंधित है। (बॉक्स 7)

बॉक्स 7: व्यावहार्यता अंतर वित्तपोषण (वी.जी.एफ) में स्कीम

सब स्कीम 1 सामाजिक क्षेत्रों, जैसे:- अपशिष्ट जलोपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र इत्यादि, की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। इस श्रेणी के तहत सात परियोजनाओं में कम से कम शत-प्रतिशत परिचालन संबंधी लागत वसूली होनी चाहिए। केंद्र सरकार कुल परियोजना लागत (टी.पी.सी.) का अधिकतम 30% उपलब्ध कराएगी क्योंकि वी.जी.एफ. तथा राज्य सरकार/प्रायोजक केंद्रीय मंत्रालय/सांविधिक संस्था, टी.जी.सी. की 30% तक अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करा सकते हैं।

सब स्कीम 2 निदर्शन/प्रायोगिक सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के सहयोग के लिए है। ये परियोजनाएं ऐसी स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं में से हो सकती हैं जिनसे कम से कम 50% परिचालन लागत वसूली हो। ऐसी परियोजनाओं में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें पहले पांच वर्षों तक मिलकर कुल ऐसी पूंजी व्यय का 80% तथा प्रचालन एवं रखरखाव (ओ. एंड एम.) लागत का 50% उपलब्ध कराएंगी। केंद्र सरकार, परियोजना की टी. जी.सी. का अधिकतम 40% उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त यह वाणिज्यिक ऑपरेशन के प्रथम पांच वर्षों में परियोजना की संचालन संबंधी लागत का अधिकतम 25% उपलब्ध करा सकती है।


सड़क क्षेत्र

8.39 भारत सड़कों पर दौड़ता है, चाहे वह यात्री परिवहन हो या माल की आवाजाही, सड़क परिवहन देश में यातायात का प्रमुख साधन है। जी.वी.ए. में वित्त वर्ष 19 के दौरान परिवहन क्षेत्र का शेयर, लगभग 4.6% था जिसमें से सड़क परिवहन की भागीदारी लगभग 67% थी। (चित्र-25)।

8.40 भारत में सड़क परिवहन, यातायात प्रणाली का आधार है तथा यह परिवहन के मल्टी-मॉडल सिस्टम के साथ अच्छी तरह से एकीकृत है, जो कि हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों, पत्तनों तथा अन्य लॉजिस्टिक हब्स के साथ महत्वपूर्ण लिंक उपलब्ध कराता है। भारत 63.86 लाख कि.मी. शहरी ग्रामीण सड़कों तथा राष्ट्रीय-राज्यीय राजमार्गों के साथ अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है जिसका सड़कों का नेटवर्क 66.45 लाख कि.मी. है। इस क्षेत्र में सक्रिय नीतिगत प्रयासों के साथ, देश में सड़क नेटवर्क में निरंतर वृद्धि हो रही है। (चित्र 26 एवं चित्र 27)


8.41 वित्त वर्ष-19 को समाप्त दशक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों में 7.25% सी.ए.जी.आर. दर्ज किया गया जिसके बाद ग्रामीण सड़कों (6.25%) तथा शहरी सड़कों (4.27%) का स्थान आता है। जिस रफ्तार से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उसमें 2014-15 की 12 कि.मी. प्रतिदिन से वर्ष 2018-19 में 30 कि.मी. प्रतिदिन की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा 2019-20 में यह औसत रही है। 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण में आई तीव्र कमी की मुख्य वजह कोविड-19 ही रही है (चित्र-28) अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने के साथ ही सड़कों के निर्माण का कार्य कोविड-19 से पूर्व की तीव्र गति पर लौटने का अनुमान है।

चित्र 25: कुल परिवहन जी.वी.ए. में सड़क परिवहन का शेयर




स्रोत: एम.ओ.आर.टी.एच. डाटा पर आधारित सर्वेक्षण (अनुमान)

चित्र 26: भारत में रोड नेटवर्क (लाख किलोमीटर)




स्रोत: एम.ओ.आर.टी.एच. डाटा पर आधारित सर्वेक्षण (अनुमान)

चित्र 27: राष्ट्रीय राजमार्ग/सड़क परियोजनाओं का आवंटन और निर्माण



स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय डाटा पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान।

चित्र 28: प्रतिदिन किलोमीटर में सड़क निर्माण।



स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय डाटा पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान।

8.42 सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र में कुल निवेश वित्त वर्ष 15 से 2020 (तालिका 10) तक की 6 वर्ष की अवधि में तीन गुणा से अधिक बढ़ा है जिसकी वजह से राज्यों में सड़कों का जाल भी बढ़ा है। (चित्र-29)


तालिका 10: भारत में सड़क निर्माण पर कुल निवेश के विवरण (करोड़ रु.)

Heads	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21*
कुल बजटीय सहायता	29359	45949	49172	59636	76137	75853	45508
आई.ई.बी.आर.	3343	23281	33118	50533	61217	74988	17128
निजी क्षेत्र निवेश	19232	29770	16029	16501	21605	21926	6029
कुल निवेश	51935	99000	98319	126670	158959	172767	68665

*सितंबर 2020 तक।

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

चित्र 29: राज्यों द्वारा प्रति हजार वर्ग कि.मी. पर सड़क घनत्व (मार्च 2018 को)



स्रोत: एम.ओ.आर.टी.एच. डाटा पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान।


नागर विमानन (सिविल एविएशन)

8.43 भारत का उड्डयन बाजार विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। भारत के घरेलू ट्रैफिक (यातायात) में दोहरी/दोगुनी वृद्धि हुई है तथा यह 2013-14 में 61 मिलियन के आसपास था जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में लगभग 137 मिलियन हो गया है अर्थात इसमें 14% प्रतिवर्ष से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 तक उम्मीद है कि यह तृतीय सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार से बढ़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा समग्र बाजार (घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक सहित) बन जाएगा। नागर विमानन क्षेत्र के निष्पादन सूचक चार्ट-30ए से 30डी तक दर्शाए गए हैं।


8.44 कोविड-19 के कारण उपजी गंभीर चुनौतियों के बावजूद, भारतीय उड्डयन उद्योग संकट से उबरने का प्रयत्न करता रहा है और इस उद्योग से दीर्घकालिक लचीलेपन तथा पूर्ण सेवा भाव का प्रदर्शन किया है। वंदे भारत मिशन को 7 मई 2020 को विश्व में फंसे हुए भारतीय को वापिस लाने के लिए शुरु किया गया था। इसके द्वारा 13 दिसम्बर, 2020 तक लगभग 30 लाख यात्रियों का आगमन हुआ है, इसमें से लगभग 27 लाख

को चार्टर्ड उड़ानों तथा एयर इंडिया समूह की सहायता से, मानव इतिहास में सबसे बड़े बचाव मिशन के जरिए, सहायता दी गई। (चित्र-31)। लाईफ लाइन उड़ान पहल के तहत भारत के सूदूर क्षेत्रों को जीवन-रक्षक सामग्री की आपूर्ति के परिवहन में एयर कार्गो ने नेतृत्व किया तथा आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं के आयात की भी देखभाल की। चित्र 31बी दर्शाता है कि ए आर कार्य सम्भल रहा है तथा आर्थिक गतिविधियों के चालू होने से सामान्य स्तर की ओर बढ़ रहा है।


चित्र 30ए: भारत के कुल हवाईजहाजों (फ्लीट) की संख्या (अंकों में)




चित्र 30बी: भारतीय हवाई अड्डों द्वारा हैंडलड कार्गो (ढोया जाने वाला माल) (हजार टनों में)



चित्र 30 सी: अनुसूचित सेवाओं का एएसके (अरब में)




चित्र 30डी- अनुसूचित सेवाओं के द्वारा कि.मी. में यात्रियों द्वारा यात्रा (अरब में)




स्रोत: सर्वेक्षण डीसीसीए के आंकड़ों पर आधारित है (एएसके: उपलब्धा सीट कि.मी.)

Figure 31a: Vande Bharat Mission- Arrivals in lakhs (As on December 13, 2020)



स्रोत: डीसीसीए आधारित सर्वेक्षण अनुमान

Figure 31b: All-India Air Cargo (lakh tonnages)



8.45 सरकार (बाक्स 8) द्वारा किए गए निर्णायक एवं तीव्र हस्तक्षेपों तथा प्रभावी उपायों के परिणाम स्वरूप हवाई यात्रीयों की यात्रा एवं हवाई जहाजों के परिचालन 2021 के आरंभ में पूर्व-कोविड स्तर तक पहुंचने की संभावना है। सरकार ने 23 देशों के साथ इन संबंधित देशों तथा भारत के बीच यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एयर-लिंक अथवा एयर बबल की शुरुआत भी कर दी है।

बॉक्स 8: कोविड लॉकडाउन के दौरान कार्गो के सुगम एवं प्रभावी प्रचालन को सुनिश्चित करने की पहल

उपयुक्त चिकित्सा सुरक्षा उपायों के साथ कार्गो टर्मिनल सुविधाओं के 24x7 परिचालन को सुनिश्चित करना।

- आवश्यक शिपमेंट के लिए रास्ते को खाली रखने के लिए हवाई अड्डों पर हवाई कार्गो वेयर हाउस की शीघ्र निकासी को प्रोत्साहन देना।
- हवाई माल वाहक जहाजों में 6 से 20 समर्पित हवाई माल वाहक जहाजों तक संख्या में वृद्धि।
- कार्गो-ऑन-सीट उड़ानों के रूप में तैनात लगभग 150 यात्री विमानों के साथ हवाई मालवाहकों की क्षमता में बढ़ोतरी।
- दिल्ली हवाई अड्डे पर आयात कार्गो चिकित्सा आपूर्तियों के भण्डारण एवं वितरण के लिए रिकार्ड 6 दिनों में 3800 वर्ग मीटर की समर्पित सुविधाओं का सृजन।
- दिल्ली हवाई अड्डों पर अस्थायी गोदामों की सुविधाओं का सृजन।
- अन्य हवाई अड्डों पर अस्थायी गोदामों की सुविधाओं का सृजन।
- प्रोजेक्ट-पहुंच-यात्रियों के कार्गो को खाली करने के लिए उनको डिलीवरी एवं सहायता के लिए लगातार आधार पर ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एक समर्पित टीम।
- जुलाई 2020 में कागजातों के इलेक्ट्रॉनिक जमा के लिए हवाई अड्डों पर ई-डिलीवरी तथा ई-गेट पास का आरंभ।
- वैश्विक एवं घरेलू आपूर्ति चेन एवं उत्पादन लाइनों के व्यवधानों के कारण भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं (अस्पताल, लेबोरेट्री), सहायता ऑपरेशन में लगी एनजीओ) तथा विनिर्माण क्षेत्रों के सन्मुख आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए दी गई विभिन्न प्रकृति (परिधान, विनियमक तथा लॉजिस्टिक) के रियल-टाइम समाधान।
- अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा एवम् पीपीई आवश्यकताओं की उपलब्धता:- सिंगापुर/चीन से भारत तक 2817 मी.ट. के साथ 121 मालवाहक सह-पी2सी के जरिये 158,000 पैकेट लाए गए।
- कार्गो टर्मिनल पर आयात कार्गो भण्डार के लिए ई.टी.वी. के प्रभावी उपयोग, चयनित स्थानों पर आयात कार्गो के रुकने के लिए कस्टम एवम् सीआईएसएफ के रूप में टाई अप

- बेली-होल्ड कार्गो क्षमता में कमी को पूरा करने कि लिए हवाई माल वाहक प्रचालन की मांग में हुई बढ़ोतरी में सहयोग।
- सभी तापमान-नियंत्रित कार्गो के लिए त्वरित-कनेक्ट को सुनिश्चित करने हेतु एक समर्पित टीम।

बंदरगाह और नौवाहन

8.46 पत्तन एवं नौपरिवहन का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन के लिए एक मजबूत साधन है। ये न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की लागत तथा बंदरगाह पर प्रतीक्षा अवधि को भी कम करता है। भारत में, नौ परिवहन द्वारा किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुल मात्रा (मूल्य) लगभग 95 प्रतिशत (68 प्रतिशत) है।

8.47 भारत में 7500 किलामीटर की समृद्ध तटीय रेखा है तथा अंतर्राष्ट्रीय समृद्ध व्यापार मार्गों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थान है। नौपरिवहन जल मार्ग का संभावित लाभ लेने के लिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने देश में बंदरगाह-लिंक वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए और व्यापार की लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए महत्वकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम का आरंभ किया है।


8.48 सागरमाला कार्यक्रम ने चार स्तंभ के अंतर्गत 500+ परियोजनाओं की पहचान की है- 211 बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजनाएं, 200 बंदरगाह कनेक्टीविटी परियोजनाएं, 32 बंदरगाह-लिंक औद्योगिकीकरण परियोजनाएं, तथा 62 तटीय सामुदायिक विकास परियोजनाएं, जो बंदरगाह-विकास के लिए अवसरों को खोज सकती हैं तथा इससे 3.59 लाख करोड़ रुपये से अधिक बुनियादी निवेश करने का अनुमान है। जूलाई 2019 से अक्टूबर 2020 के बीच 8461 करोड़ रुपये की 37 सागरमाला परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जिनमें 2721 करोड़ की लागत वाली 17 बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजनाएं, 5372 करोड़ की लागत वाली 14 बंदरगाह कनेक्टीविटी परियोजनाएं, तथा 368 करोड़ वाली 6 तटीय सामुदायिक विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

8.49 भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संस्थापित क्षमता मार्च, 2014 में 871.52 एमटीपीए की तुलना में, मार्च, 2020 में बढ़कर 1534.91 एमटीपीए हो गई है। 2018-19 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों ने 704.92 एमटी कार्गो (Traffic) को संचालित (हैंडल) किया गया है। भारत सरकार मशीनीकरण, डिजिटलीकरण और प्रक्रिया सरलीकरण के माध्यम से प्रमुख बंदरगाहों की परिचालन क्षमता में सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है। औसत टर्नअराऊंड समय में, 2010-11 में 107.23 घंटे तथा 2014-15 में 96 घंटे की तुलना में (चित्र-32) 2019-20 में सुधार कर 62.11 घंटे हो गया है। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में “औसत आइटपुट प्रति शिप-बर्थ-दिवस’ 15,333 टन से बढ़कर 16,541 टन हो गया है (चित्र 33) पूर्वधारणा के विपरीत, बंदरगाह जो कुल ट्रेफिक में अधिक योगदान देना हैं वह उच्च टर्नओवर टाइम है, साक्ष्य सुझाने है कि औसत टर्नओवर टाइम बंदरगाह द्वारा हैंडल किए गए ट्रेफिक की मात्रा से महत्वपूर्ण रूप से सम्बन्धित नहीं हैं। (चित्र-33)। कुल ट्रेफिक के होते हुए भी कुछेक बड़े बंदरगाह हैं ऐसे भी हैं जो टर्नअराण्ड के संदर्भ में भी समक्षम है।

रेल


8.50 सिंगल प्रबंधन के तहत भारतीय रेल (आई.आर.) 67,580 कि॰मी॰ से भी अधिक रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। वित्त वर्ष 20 के दौरान, भारतीय रेल ने 1.2 बिलियन टन माल और 8.1 बिलियन यात्रियों का वहन किया है जो इसे विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक और विश्व का चौथा सबसे बड़ा माल वाहक बनाता है। आत्मनिर्भर भारत मिशन को ध्यान में रखकर और स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के मानक को बरकरार रखकर भारतीय रेल ट्रेन के टकराव को टालने के लिए और ट्रेनों के वास्तविक समय प्रबंधन को समर्थ करने के लिए सिग्नल प्रणाली में विशिष्ट देशी प्रणालियों के विकास को शामिल कर प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को अंगीकृत करते हुए परिवहन संबंधी सुरक्षा, क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक साधन उपलब्ध करने का प्रयास करती है।

चित्र 32 भारत प्रमुख पोत-पत्तनों के ट्रेफिक एवम् टर्नओवर समय



स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 33 ट्रेफिक की मात्रा तथा टर्नओवर टाइम के बीच सम्बधता




स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

8.51 वित्त वर्ष 2020 में भारतीय रेल द्वारा माल लदान से अर्जित होने वाला राजस्व वित्त वर्ष 2019 से 1.1 प्रतिशत की कमी के साथ 12,084 लाख टन से प्राप्त हुआ था। वित्त वर्ष 2019 की तुलना में (-) 4.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2020 में यात्री संबंधी यातायात 80,857 लाख था (चित्र 34 और 35)।


8.52 भारतीय रेल ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए एक अनवरत आधार पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई उपाय किया है। इसके परिणामस्वरूप, उसी अवधि के दौरान भारतीय रेल द्वारा वहन किए गए यातायात परिणाम में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद आनुषंगिक रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वित्त वर्ष 2017 में 104 से वित्त वर्ष 2020 में 55 तक की कमी आई है (तालिका 11)।

चित्र 34: यातायात (लाख टन) से उत्पन्न होने वाली माल लदान संबंधी राजस्व आय (कोकण रेल द्वारा लदान को छोड़कर)



स्रोत: रेल मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण/परिकलन।

चित्र 35: उदभूत यात्री (लाख में) और यात्री से उत्पन्न आय (करोड़ ₹) (मेट्रो रेल/कोलकाता सहित)



8.53 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारतीय रेल ने एक विशेष स्वच्छता अभियान आरम्भ किया। स्वच्छता अभियान के तहत, सभी यात्री कोच में बायो-टॉयलेट्स लगाया है। स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत के तहत किए गए विकास को तालिका 12 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 11: रेल दुर्घटनाएं होने की दर

	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21*
Collisions	5	3	0	5	1
Derailments	78	54	46	40	7
Manned Level Crossing	0	3	3	1	1
Unmanned Level Crossing	20	10	3	0	0
Fire	1	3	6	8	1
Miscellaneous	0	0	1	1	0
Total	104	73	59	55	10

* 24 नवम्बर, 2020 तक

स्रोत: रेल मंत्रालय।

तालिका 12: स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत की प्रगति

Activity	Progress As on		
	Mar-15	Mar-20	Oct-20
Bio-toilets in passenger coaches (number)	19746	245400	ALL
Mechanized cleaning contracts (at stations)	584	953	950
Plastic bottle crushing machines (number)	Nil	315	503
Plastic bottle crushing machines (at stations)	Nil	229	370
CCTV monitoring (at stations)	250	585	630
On board housekeeping service (pairs of trains)	525	1060	1100
Environment Management System (ISO: 14001) certification to Railway Stations	Nil	250	590
Funds allocated for station sanitation (₹ crores)	294	778	424

स्रोत: रेल मंत्रालय

8.54 भारत सरकार ने “नया भारत नई रेल” संबंधी नई पहल के तहत निर्मित पी.पी.पी. के जरिए रेल में परिचालन के लिए निजी खिलाड़ियों को अनुमति दी है। इस पहल से निजी क्षेत्र से लगभग 30,000 करोड़ ₹ के निवेश को संचित करने की आशा की जाती है। रेल मंत्रालय ने निजी साझेदारी से 151 आधुनिक ट्रेन के सेट्स या रेक्स का सूत्रपात करने के लिए 150 जोड़ी से अधिक ट्रेन सेवाओं का अभिनिर्धारण किया है। निजी सत्वों पर इन ट्रेनों को वित्त पोषित करने, खरीद करने, परिचालित करने और इनका रख रखाव करने की जिम्मेदारी होगी और उनके पास इनके यात्रियों से वसूले जाने वाले भाड़े (किराए) पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। जो निजी सत्व इस परियोजना को शुरू करेंगे, उन्हें दो-चरण वाली बोली लगाने की प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा। बोली लगाने वाली इस प्रक्रिया को मई 2021 तक पूरा किए जाने की आशा की जाती है और इन निजी ट्रेनों को 2023-24 में शुरू किए जाने की संभावना की जाती है।

8.55 दूध, मांस और मछली सहित खराब होने वाले और कृषि उत्पाद का वहन करके बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध

करने के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में किसान रेल सेवाओं को संचालित करने की घोषणा की गई है। किसान रेल सेवा को आरम्भ करने के लिए कृषि मंत्रालय, राज्य सरकार, और स्थानीय निकाय सहित रेल ने विभिन्न पणधारियों का सक्रियता से अनुशीलन किया है। रेल ने अब तक तेरह रुटों में किसान रेल सेवा परिचालित किया है। 8 जनवरी 2021 तक, 34,000 टन से अधिक माल का वहन करते हुए, किसान रेल के कुल 120 दौरा परिचालित किया है।

8.56 कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान, सभी यात्रियों का वहन करने वाली ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया था, जिससे उन आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को पूर्णतः रोक दिया गया था, जिन्हें पार्सल सेवाओं द्वारा स्थानान्तरित किए जाते थे। पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेल ने समय-तालिका वाली पार्सल विशेष ट्रेन सहित पार्सल विशेष ट्रेन सेवाएं शुरू की हैं। 31 मार्च 2020 को भारतीय रेल ने समय-तालिका वाली पहली पार्सल विशेष ट्रेन शुरू की थी।

8.57 यद्यपि यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू की गई है, फिर भी इन समय तालिका वाली विशेष ट्रेन सेवाओं को जारी रखा गया। 25 दिसम्बर, 2020 तक, भारतीय रेल ने 7,267 पार्सल विशेष ट्रेनों का परिचालन किया है, जिनमें से 7,014 समय-तालिका संबंधी-सेवाएं थीं। इन सेवाओं के माध्यम से, लगभग 6.6 लाख टन माल की ढुलाई की गई थी।

8.58 अवसंरचना और रोलिंग स्टॉक दोनों की मांग से अधिक क्षमता विकसित करने के लिए, रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल योजना (एन.आर.पी.) को विकसित किया है। यह 2050 तक परियोजित यातायात संबंधी मांग को पूरा करने के लिए 2030 तक पर्याप्त रेल अवसंरचना को विकसित करने का लक्ष्य रखता है। एन.आर.पी. ने एक सामान्य प्लेटफार्म पर इस देश की समस्त परिवहन अवसंरचना की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसने सभी तरीकों से वहन किए गए मौजूदा यात्रियों और माल का मूल्यांकन कर 2030 से 2050 की अवधि के लिए वृद्धि का आंकलन भी किया है, उसके बाद रेल की महत्वपूर्ण मॉडल शिफ्ट की रणनीति तैयार किया है। माल संबंधी रेल के मॉडल शेयर में 27 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक वर्तमान स्तर में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। प्राथमिकता वाली इन परियोजनाओं को फंड प्रदान करने के लिए नवोन्मेषी वित्तीय प्रणाली का यत्न किया गया है। भारतीय रेल वित्त निगम (आई.आर.एफ.सी.) पर्याप्त अधिस्थगन अवधि के साथ संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और इन परियोजनाओं को इस अधिस्थगन अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। प्राथमिकता वाली इन परियोजनाओं को इस प्रकार नियोजित किया जा रहा है, जिससे कि ये इस सेवा के लिए पर्याप्त रिटर्न दे सके।

दूरसंचार क्षेत्र


8.59 दूरसंचार क्षेत्र जेएएम-ट्रीनिटी (जनधन आधार मोबाइल) आधारित सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं और सरकार की अन्य विकास-समर्थक पहलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र को दुनियाभर में विकास और गरीबी को कम करने के शक्तिशाली उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है। भारत सरकार ने अपने डिजिटल इंडिया अभियान के एक भाग के रूप में “सभी के लिए ब्रॉडबैंड पर काफी जोर दिया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक तक समावेशी इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाकर डिजिटल-डीवाइड को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उपयोगकर्ताओं तथा उनका सम्पूर्ण विवरण चित्र-34 में सक्षेपित किया गया है। सभी प्रकार के उपभोक्ताओं पर वायरलेस टेलीफोनी की हिस्सेदारी 98.29 प्रतिशत है जबकि लैंडलाइन टेलीफोन अब केवल 1.71 प्रतिशत ही रह गया है। भारत में कुल टेलीघनत्व अक्टूबर 2020 के अंत तक 86.37 प्रतिशत पर थी, जबकि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टेलीघनत्व क्रमशः 58.85 प्रतिशत तथा 138.97 प्रतिशत था।

8.60 इंटरनेट और ब्रॉडबैंड ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तीव्र गति से प्रवेश किया है। इंटरनेट उपभागताओं की संख्या (ब्रॉडबैंड तथा नेरोबैंड दोनों) की संख्या मार्च-2019 में 636.73 मिलीयन की तुलना में सितम्बर,

2020 के अंत तक 776.45 मिलीयन पर पहुंच गई है। वायरलेस डाटा का उपयोग केलेण्डर वर्ष 2019 के दौरान घातीय दर से बढ़ा ओर 76.47 एक्साबाईट्स पर था। जनवरी-सितम्बर 2020 के दौरान ही यह पहले से ही 75.21 एक्साबाईट पर पहुंच गया (चित्र-35)। प्रतिग्राहक प्रति माह औसत वायरलेस डेटा की खपत मार्च 2019 में 9.1 जीबी से बढ़कर जून-2020 में 12.2 जीबी हो गई (चित्र 38)। डाटा की लागत को तीव्र गति पर सस्ते इंटरनेट की पहुंच को उपलब्ध करा कर कम किया जा सकता है। जून 2020 की स्थिति के अनुसार, वायरलेस डेटा की लागत 10.55 प्रति जीबी पर थी।


8.61 भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत नेट सहित विभिन्न पहल की है। इस परियोजना के तहत नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थानों को गैर-विपणनकारी आधार पर ब्राडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ब्रॉडबैंड हाईवे के नेटवर्क ढांचे की स्थापना राज्य तथा निजी क्षेत्र की साझेदारी के साथ की जा रही है। 15.01.2020 की स्थिति के अनुसार 1.63 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में लगभग 4.87 लाख किलोमीटर की ओएससी (ओप्टिकलफाइबर केबल) विछायी गई है तथा लगभग 1.51 लाख ग्राम पंचायतों में सेवाएं तैयार हो गई है।

**चित्र-36: टेलीफोन तथा वायरलेस कनेक्शन की संख्या व उनका विवरणों (मिलियन में)
(सर्वेक्षण टीआरएआई के आंकड़ों पर निर्धारित है।)**




Source: Survey calculations based on DoT data.

**Figure 37: Wireless Data Usage
(In Exa Byte)**



स्रोत: टी आर ए आई डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान।

**Figure 38: Average Wireless Data usage
Per Subscriber per Month (in GBs)**




स्रोत: टी आर ए आई डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान।

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस:

8.62 भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। भारतीय ऊर्जा खपत बासकेट में, विश्व की प्राथमिक ऊर्जा खपत में 5.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ कोयले और कच्चे तेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। कच्चे तेल का उत्पादन वित्त वर्ष -20 में घटकर 32.17 मिलियन मीट्रीक टन (एमएमटी) हो गया है, जबकि यह वित्त वर्ष-19 में कुल कच्चे तेल का 34.20 मिलियन टन तथा ओएनजीसी से धनीभूत उत्पादन 64.1 प्रतिशत, ओआईएल से 9.7 प्रतिशत तथा उत्पादन शैयर अनुबंध (PSC) रिजीन से 26.2 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 21 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान, तेल उत्पादन में वित्त वर्ष 20 की तदनु रूप अवधि की तुलना में 5.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। यह गिरावट मुख्य रूप से कोविड-19 के प्रसार के कारण है। (चित्र 39) अतएव, अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ उत्पादन के सामान्य स्तर पर पहुंचने का अनुमान है।


8.63 वर्ष 2019-20 के दौरान प्रकृतिक गैस का उत्पादन 31.18 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) था, जबकि 2018-19 में यह 32.87 बीसीएम था (चित्र 40)। प्राकृतिक गैस के कुल उत्पादन में, ओएनजीसी का 76.1 प्रतिशत, ओआईएल का 8.6 प्रतिशत तथा पीएससी रिजिम से 15.3 प्रतिशत था। अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान गैस उत्पादन 21.13 बीसीएम था जोकि इस को अनुगामी वर्ष 20 की तुलना में 11.3 प्रतिशत कम था।

चित्र 39: कच्चे तेल का मासिक उत्पादन (एम एम टी)



स्रोत: सर्वेक्षण एमओपीएमजी आंकड़ों पर आधारित है।

चित्र 40: प्राकृतिक गैस का मासिक उत्पादन (बीसीएम)



स्रोत: सर्वेक्षण एमओपीएमजी आंकड़ों पर आधारित है।

8.64 संसाधित कच्चे तेल वर्ष 2020 में 254.39 एमएमटी पर था जो कि वर्ष 2019 में 257.20 एमएमटी पर था। यह 1.1 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। 2020 के दौरान, गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकतर शोधनशालाओं को बंद रखने की योजना थी। कच्चे तेल की प्रसंस्करण अप्रैल-दिसंबर, 2020 के दौरान 16.36 एमएमटी था जो कि अप्रैल-दिसंबर, 2019 के दौरान कच्चे तेल के प्रसंस्करण से 15.8 प्रतिशत कम है। तथा सरकार ने निर्धन परिवारों को 14 करोड़ निःशुल्क एलपीजी सलेंडर वितरित करने बहु प्रतिक्षित सहायता प्रदान की तथा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी देशभर निर्बोध निरंतर ईंधन आपूर्ति जारी रखी


ऊर्जा

8.65 विद्युत आर्थिक गतिविधि के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है तथा विद्युत की आवश्यकता फर्सत के समय में भी है। ऊर्जा क्षेत्र मांग (सार्वभेमिक विद्युतीकरण) तथा आपूर्ति-पक्ष (हरित ऊर्जा के आगमन) दोनों के पर्याप्त परिवर्तन का साक्षी है। भारत में बिजली उत्पादन और उसके प्रसारण में सरहानीय प्रगति हुई है। कुल स्थापित क्षमता मार्च 2019 में 356100 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2020 में 370106 मेगावाट हो गई है। इसके अलावा, अक्टूबर 2020 में उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,73436 मेगावाट हो गई और इसमें 231321 मेगावाट थर्मल,

45699 मेगावाट हाइड्रो, 6780 मेगावाट परमाणु, और 89636 मेगावाट नवीकरणीय और अन्य शामिल है। वर्ष 2019-20 में बिजली क्षमता में हुई वृद्धि मुख्य रूप से सरकार द्वारा किए गए सहयोग के कारण थी। (चित्र 41) 8.66 भारत में बिजली की कमी को ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी तथा ऊर्जा तीव्रता में सुधार कर पूरा किया जा सकता है। ऊर्जा तीव्रता को आउटपुट की इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए विद्युत की तीव्रता को कम करना बेहतर है। भारत में विद्युत तीव्रता (2011-12 की कीमतों में) 2011-12 में 65.6 टोस प्रति करोड़ रुपये से घटकर 2018-19 में 55.43 टोस प्रति करोड़ हो गई (चित्र-42) प्रति व्यक्ति खपत 2011-12 के 0.47 टोस से बढ़कर 2018-19 में 0.58 टोस हो गई।


8.67 2014 में, भारत सरकार ने 32.612 करोड़ रु. के मूल परिव्यय के साथ शहरी क्षेत्रों ने गुणवत्ता और विश्वसनीय 24x7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य उपयोगिता को सुविधाजनक बनाने के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS) को मंजूरी दी है। अब तक राज्य में 30,991 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और वितरण सुदृढीकरण सितम्बर 2020 के अब तक 442/546 सर्किलों में पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, 6 ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में देश पहले ही दो प्रमुख लक्ष्यों को पूरा कर चुका है:- (1) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 100% ग्रामीण विद्युतीकरण (ii) प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण।

चित्र-41:- उर्जा में क्षमता बढ़ोतरी (एम डब्ल्यू में)



स्रोत: सर्वेक्षण विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित है।

चित्र-42:- उर्जा तीव्रता एवं प्रतिव्यक्ति उपयोग का विवरण (2011-2019)




स्रोत:- सर्वेक्षण अनुमान ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित है।

8.68 टी एंड डी हानियों में 2001-02 से लगातार कमी हो रही है परंतु अभी भी उनकी मात्रा काफी है (चित्र 44)। सहयोगी देशों की टी एंड डी हानियों की तुलना में भारत की टी एंड डी काफी उच्च हैं (चित्र 43)

खनन क्षेत्र


8.69 खनिज मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं जो परिमित और गैर-नवीकरणीय है और ये समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनन क्षेत्र अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज (कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस) 5 परमाणु (इल्मेनाइट, रुटाईल, जिर्कोन, यूरेनियम एवं मोनाजाइट), 10 धात्विक, 21 गैर-धात्विक एवं 55 छोटे खनिज शामिल है। 2019-20 में खनन और उत्खनन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) 393102 करोड़ (वर्तमान कीमत पर) था जो 2019-20 के दौरान कुल जीवीए का लगभग 2.14 प्रतिशत है। 2019-20 में प्रमुख खनिजों का उत्पादन 2018-19 में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2.3 प्रतिशत अधिक था। खनन के क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर अन्वेषण और उपयोग हुआ है। (बॉक्स-7)

Figure 43: T&D Loss of India vis-à-vis other countries



Source: Survey calculations based on CEA report.

Figure 44: T&D Loss of India Since Independence



Source: Survey calculations based on CEA report.

बॉक्स-9: खनन के क्षेत्र में नीतिगत पहल

2015 में खनन एवं उत्खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर एक्ट) संशोधन के साथ इस क्षेत्र में बेड सुधारों की शुरुआत हुई। पहले आओ पहले पाओ की पुरानी पद्धति के विपरीत नीलामी के माध्यम से खनिज रियायत की मंजूरी देने की विधि से खनिज रियायत की मंजूरी देने में विवेकाधिकार को हटाया तथा पारदर्शिता आई। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की स्थापना; 50 वर्षों की समान लीज अवधि; केन्द्र सरकार द्वारा परमाणु खनिजों, कोयला तथा लिग्नाइट के अलावा खनिज रियायतों के अनुदान के लिए दी गई पिछली मंजूरी की आवश्यकताओं का वितरण; जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना लोगों के भले तथा खनन से प्रभावित क्षेत्रों के अन्वेषण को प्रोत्साहन देने के लिए की गई।

हाल ही में, भारत सरकार के निम्नलिखित विधायिका एवं नीतिगत सुधार उपाय किए हैं।

एम एम डी आर अधिनियम में संशोधन जनवरी 2020 में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी ब्राउनफिल्ड खानों के लिए दो वर्ष की अवधि तक नए पट्टेदारों को पुरानी लीज के साथ सभी वैध-वैधानिक निकासी के हस्तांतरण के लिए किया गया था। ताकि उद्योग में उत्पादन व कच्चे माल की आपूर्ति के वितरण में कोई व्यवधान न हो।

- राज्यों को नीलामी से पहले मंजूरी की जरूरत होगी। इसके परिणामस्वरूप, उत्पादन बिना किसी विलम्ब के शुरू हो सकता है। इस विचार के क्रियान्वयन के लिए, खान मंत्रालय ने (एम ओ ई एवं सी सी) तथा राज्यों के साथ परामर्श के साथ 3.6.2020 को पूर्व-सांविधिक वैधानिक मंजूरी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, भारत सरकार ने 16.5.2020 को अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख पहलों की घोषणा की है जिसमें शामिल हैं— (1) एक सहज समग्र अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन प्रक्रिया की शुरुआत (2) खुली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से 500 खदान ब्लॉकों की नीलामी (3) बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त नीलामी (4) केन्द्रीय एवं गैर-केन्द्रीय खदानों की बीच के अंतर को खतम करना तथा (5) विभिन्न खनिजों के लिए मिनरल इंडेक्स और स्टाम्प ड्यूटी की वसूली।
- इन संरचनात्मक सुधारों का उद्देश्यों सामान्य रूप से अभिवृद्धि, रोजगार तथा खनन क्षेत्र में स्टेट ऑर्ट तकनीक को लाना तथा विशिष्ट रूप से अन्वेषण को बढ़ावा देना है।
- भारत सरकार देश में एल्युमिनियम और कॉपर के आयात की निगरानी के लिए “एल्यूमीनियम आयात निगरानी प्रणाली (AIMS) तथा कॉपर आयात निगरानी प्रणाली (CIMS) को स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

- एआईएमएस (एम्स) और सीआईएमएस (सीम्स) का उद्देश्य एल्यूमीनियम और कॉपर के आयात के बारे में पर्याप्त जानकारी होना है जिससे कि एक उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप को देश के भीतर समय से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत क्षमता निर्माण के लिए तैयार किया जा सके।
- पहली बार, भारत सरकार ने, 1.4.2020 से प्रभावी एनएफईटी से वित्तपोषित अन्वेषण परियोजनाओं के लिए लागू अनुसूचित/प्रभार (शुल्क)(SOC)को अनुमोदित किया है।

आवास एवं शहरी अवसंरचना

8.70 भारत विश्व में सबसे त्वरित गति से शहरीकरण की ओर बढ़ने वाले देशों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरों की जनसंख्या 37.7 करोड़ थी, जिसका 2030 तक लगभग 60 करोड़ होने का अनुमान है। भारत में शहरीकरण महत्वपूर्ण एवं अपरिवर्तनीय बन गया है और यह राष्ट्रीय आर्थिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। हालांकि शहर विकास के वाहक हैं तेजी हो रहे शहरीकरण के मार्ग में आधारभूत अवसंरचना सेवाएं जैसे कि पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन तथा गन्दे पानी का प्रबंधन प्रमुख चुनौतियां हैं।

8.71 भारत सरकार शहरी गरीबों की सामाजिक और व्यावसायिक कमियों को दूर करने के लिए सभी वैधानिक शहरों में दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन क्रियान्वित कर रही है। मिशन के अंतर्गत, शहरी गरीबों को स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है और रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान कराकर स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने में सहायता दी जाती है। मिशन शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करता है और फेरी लगाने वाले विक्रेताओं (जैतममज टमदकमत) के लिये अवसंरचना भी प्रदान करता है। 31 अक्टूबर 2020 तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 3,378 करोड़ रु. जारी किए गए हैं और 9.9 लाख लाभार्थियों को कौशल और प्रशिक्षण दिया गया है और उनकी रोजगार क्षमता के लिए इन्हें प्रमाणित किया गया है। इसमें से 5.3 लाख कौशल-प्रशिक्षितों को स्वरोजगार और वेतन आधारित रोजगार दिया गया है।

8.72 प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पी एन एस वी ए निधि) को आत्म निर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में, कोविड-19 लॉकडाउन के पश्चात् स्ट्रीट वेंडर को उनके व्यावसाय को पुनः आरंभ करने के लिए माईक्रो क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आरंभ किया गया था। यह योजना उन 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभाविक्त करने का लक्ष्य रखती है, जो 24 मार्च 2020 से पहले, शहरी क्षेत्रों सहित अर्ध-शहरी/ग्रामिण क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे थे। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर 10,000 तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जो एक वर्ष की मासिक किश्तों में चुकाना होता है। ऋण का समय पर/शीघ्र चुकौती पर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रत्येक तिमाही में से लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना 01 जून, 2020 को शुरू की गई थी और 2 जुलाई, 2020 से इसका संचालन शुरू किया गया था। 9 नवम्बर 2020 तक 26.48 लाख ऋण आवेदनों में से 13.70 लाख से अधिक स्वीकृत किए गए और 6.30 लाख से अधिक ऋण वितरित किया गया। स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तैयार करने और विभिन्न केन्द्रीय कल्याण योजनाओं के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए उनकी योग्यता का आंकलन करने का काम प्रक्रियाधीन है ताकि इन योजनाओं तक उनको जोड़ा जा सके।

8.73 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) 2022 तक हाउसहोल्ड को पक्का घर प्रदान करने के लिए एक विजन प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक इसमें 109 लाख घरों को मंजूरी दी चुकी है जिनमें से 70 लाख घरों का निर्माण हो चुका है।

भारत सरकार ने बजटीय आबंटन तथा आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के तहत ईबीआर (EBR) के माध्यम से वर्ष 2020-21 में 18000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय किया है और आत्मनिर्भर भारत 3.9 के तहत स्कीम के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन भी जुटाने का लक्ष्य है इसके अतिरिक्त पी एम ए वाई के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्स (एआरएचसी) उप स्कीम प्रवासी मजदूरों के कार्य के स्थान के निकट अफोर्डेबल किराए का घर उपलब्ध करवाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभ की गई।

8.74 आवासन निर्माण के लिए नवोन्मेष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जनवरी 2021 को लाईट हाउस परियोजनाओं (एल.एच.पी.) की आधारशिला रखी। 1 जनवरी 2021 को इस परियोजना के अंतर्गत 790.57 करोड़ ₹ की लागत से 6,360 मकानों के निर्माण हेतु छः एल.एच.पी., 6 स्थानों पर लखनऊ, इंदौर, राजकोट, चैन्नई, रांची तथा अगरतला में “ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलोजी चैलेंज इंडिया के माध्यम से पहचानी गई नवप्रवर्तनशील प्रौद्योगिकियों को उपयोग करते हुए लागू किया जा रहा है। ये एल.एच.पी. समस्त हितधारकों भारतीय संदर्भ में इन वैश्विक प्रौद्योगिकियों की मुख्यधारा में लाने के लिए लाईव लैबोरेट्री के तौर पर कार्य करेगी।

भावी परिदृश्य

8.75 कोविड-19 ने घरेलू तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रवाह डाला है। सभी क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों का अचानक स्थगित करना पड़ा था जिसके चलते अरबों लोगों को अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना पड़ा था। इस संकट प्रबंधन रणनीति में सभी हित धारकों, विशेष रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों को शामिल किया गया। इस अभूतपूर्व संकट की प्राकृति और पैमाने ने सरकार के कई सुधारवादी कार्यों में बाधा पहुंचायी, इन कार्यों में छोटी अवधी के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से संरचनात्मक सुधारों के उद्देश्य वाले सुधार भी शामिल हैं। उच्च आपूर्ति विकास संकेतकों में अचानक आई गिरावट के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से हुए सुधार को समय पर, सार्थक एवं उचित नीतिगत उपायों के माध्यम से ही देखा जा सकता है।

8.76 संकट के बाद के समय में वित्त वर्ष-22 (थ्रू 22) को आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए निरंतर तथा सेलिब्रेटिड उपायों की आवश्यकता होगी। तथा इसका दीर्घ-कालिक कालानुक्रमिक विकास अर्थव्यवस्था को पुनः पहले जैसा करेगा। औद्योगिक और अवसंरचना क्षेत्र का पुनरूद्धार आर्थिक विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

8.77 वित्त वर्ष 21 को सेंट फ्रांसिस अजिसी की इन पक्तियों में सारगर्भित किया जा सकता है “जो जरूरी है उसे करना आरंभ करें और फिर वो करें जो संभव हों, आप यकायक पाएंगे की आप वो कर रहे हैं जो असंभव था।” (जंम तिवउ म्दहसपी) क्योंकि जैसा कि अलवर्ट आइंस्टाइन ने कहा है: संकट में ही समाधान का मूल है।

अध्याय एक नज़र में

- आर्थिक गतिविधि का सुदृढ़ वी-शेपड सुधार की पुष्टि अक्टूबर आईआईपी में की गई/आईआईपी एवं आठ-कोर इण्डेक्स पूर्व कोविड स्तरों पर आया है।
- आई आई पी में व्यापक आधार पर सुधार के कारण नवंबर 19 में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि और अप्रैल-20 में (-) 57.3 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में नवम्बर 20 में (-) 1.9 प्रतिशत दर्ज गई है।
- सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि किए जाने, जिसे राजकोषीय नीति अध्याय में रेखांकित किया गया है, टीकाकरण अभियान चलाए जाने तथा लंबे समय से अपेक्षित सुधार उपायों को दृढ़ता से लागू किए जाने से औद्योगिक गतिविधियों में और तेजी एवं दृढ़ता आने की उम्मीद है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि हमारा देश विश्व की उन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिन्होंने सबसे व्यापक सुधार किए हैं।
- भारत सरकार ने एक उपचारात्मक पैकेज की घोषणा (आत्मनिर्भर भारत अभियान) की जिसमें भारत का सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत तक के पैकेज का प्रोत्साहन शामिल है।
- डूईंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर), 2020 में वर्ष 2019 के ईज ऑफ डूईंग बिजनेस सूचकांक के अनुसार 190 देशों में भारत के स्थान सुधर कर 63वां हो गया है। जो वर्ष 2018 में 77वां था। भारत ने 10 में से 7 संकेतकों में अपनी स्थिति में सुधार किया है और अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट पद्धतियों को अपनाने की ओर अग्रसर है।
- वित्त वर्ष 2019 के दौरान 44.37 बिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में वित्त वर्ष 2020 के दौरान कुल एफ डी आई अंतर्वाह 49.98 बिलियन अमेरिकी डालर था। वित्त वर्ष 2021 के लिए (सितंबर 2020 तक) यह आंकड़ा 30.0 बिलियन अमेरिकी डालर था। एफ डी आई ईक्विटी प्रवाह का बड़ा हिस्सा गैर-विनिर्माण क्षेत्र में आता है जिससे एफ डी आई प्रवाह में विनिर्माण का हिस्सा घट गया है। विनिर्माण क्षेत्र में ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, धातुकर्मीय, गैर पारंपरिक ऊर्जा, रसायन (उर्वरकों के अलावा), खाद्य प्रसंस्करण, और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जैसे उद्योग एफ डी आई ईक्विटी का बड़ा हिस्सा पाते हैं।
- भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यातों में आत्मनिर्भर भारत के तत्वाधान में 10 प्रमुख सेक्टरों में भारत सरकार ने वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पी एल आई) स्कीम प्रारंभ की है। इस स्कीम को संबंधित मंत्रालय कार्यान्वित करेंगे और इसमें सेक्टर विशेष के लिए निर्धारित की गई वित्तीय सीमाओं के साथ 1.46 लाख करोड़ रुपये का कुल व्यय होने का अनुमान है। डी बी आर 2020 के अनुसार भारत तीन वर्षों में 67 रैंक के सुधार के साथ भारत लगातार तीसरी बार शीर्षस्थ सुधारकों में से एक है।

कोविड-19 महामारी के बाद किए गए लॉक डाउन तथा सामाजिक दूरी के उपायों का संपर्क गहन सेवा क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र लगभग 16% तक संकुचित हो गया। मार्च 2020 में पहली बार लॉक-डाउन की घोषणा होते ही हवाई यात्री यातायात, रेल माल यातायात, बंदरगाह यातायात, विदेशी पर्यटकों के आवागमन, तथा विदेशी मुद्रा से होने वाली आय में बहुत तेज गिरावट देखी गई। अनलॉक चरण के बाद अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे पटरी पर आने से इनमें से अधिकांश संकेतकों में सुधार होता दिख रहा है। 'सेवा क्रय प्रबंधन' सूचकांक, रेल माल यातायात तथा बंदरगाह यातायात में आ रही गिरावट अब थम गई है और इनमें धीरे-धीरे होती वृद्धि V-आकार में सुधार दर्शा रही है। घरेलू हवाई यात्री यातायात में भी धीरे-धीरे मासिक आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में यात्रा मंद है। इसके अलावा वैश्विक पटल पर उभरी बाधाओं के बावजूद सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) अंतर्वाह काफी मजबूत हुआ है तथा पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-सितम्बर 2020 में हुई वर्ष दर वर्ष 34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 23.61 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 में कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार हुए। अंतरिक्ष क्षेत्र खोल दिया गया था आई-टी-बीपीओ क्षेत्र से दूरसंचार संबंधी विनियमन हटा दिए गए थे, और ई-कॉमर्स के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियमों की पेश किया गया था।

भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्व बरकरार है, इस समय समग्र अर्थव्यवस्था तक सकल संवर्द्धन मूल्यवर्धन (जीवीए) में इसका हिस्सा 54% से अधिक है तो भारत में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में चार बटे पांचवा हिस्सा 54% है। तथापि वर्ष 2010-11 में बंदरगाहों पर (शिपिंग टर्नअराऊंड टाइम) 4.67 दिन था जो वर्ष 2019-20 में घटकर 2.62 दिन लगभग आधा रह गया है। भारत 38 यूनीकॉर्न (स्टार्ट-अप) का घर है तथा उल्लेखनीय है कि इनमें से रिकार्ड 12 स्टार्ट-अप पिछले वर्ष ही यूनीकॉर्न सूची में जुड़े हैं।

भारत में सेवा क्षेत्र का निष्पादन-सिंहावलोकन

9.1 सेवा क्षेत्र पर कोविड-19 का असर कोविड-19 महामारी और उसके कारण देशभर में तथा विश्वभर में मार्च 2020 से लगाए गए लॉक डाउन ने वर्ष 2020 को एक असामान्य वर्ष बना डाला। संपर्क-गहन सेवा क्षेत्र विशेषकर पर्यटन, उड्डयन एवं आतिथ्य जैसे उप-क्षेत्र इससे बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के पूर्वाद्ध में सेवा क्षेत्र लगभग 16% वर्ष दर वर्ष तक संकुचित हो गया (तालिका 1) जिसका कारण सभी उप-क्षेत्रों विशेषकर 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधित सेवाओं में तेजी से आई गिरावट थी जो पूर्वाद्ध वित्त-वर्ष 2020-21 में 31.5 प्रतिशत दर्ज की गई। प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में 2020-21 में 8.8 प्रतिशत तक संकुचन का अनुमान लगाया गया है जबकि 2019-20 (तालिका-1) में इनमें 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। उप-क्षेत्र 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं', 'वित्तीय,

रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं', तथा लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं' में क्रमशः 21.41 प्रतिशत, 3.68 प्रतिशत तथा 0.82 प्रतिशत का संकुचन होने का अनुमान है। यह उल्लेखनीय है कि जहां वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही (Q1) में 20 प्रतिशत से अधिक का संकुचन हुआ वही दूसरी तिमाही (Q2) यह कम होकर 11.4% हो गया। अनुमान से तेज गति से हुआ यह सुधार मौटे तौर पर उच्च आवृत्ति संकेतकों की पुष्टि करता है तो जून 2020 में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित तरीके से खोले जाने के बाद अर्थव्यवस्था की गति में आई तेजी से इंगित करते हैं।

तालिका 1: भारत के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का निष्पादन

क्षेत्र	सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा		वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)			
	2020.21 (AE)	2018-19 (1st RE)	2019-20 (PE)	2020-21 (AE)	2020-21	
					(H1)	2020-21 Q1 Q2
कुल सेवाएं (निर्माण कार्य के अलावा)	54.3	7.7	5.5	-8.8	-15.9	-20.6 -11.4
व्यापार, होटल पविहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं	15.4	7.7	3.6	-21.41	-31.5	-47.0 -15.6
वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	22.2	6.8	4.6	-0.82	-6.8	-5.3 -8.1
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	16.7	9.4	10.0	-3.68	-11.3	-10.3 -12.2

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

टिप्पणी: हिस्सा वर्तमान मूल्य पर है और वृद्धि-स्थिर 2011-12 मूल्य पर है; आरई संशोधित अनुमान; पीई अंतिम अनुमान; एई अग्रिम अनुमान

9.2 भारत की सेवा क्षेत्र गतिविधि जो मांग पर कोविड-19 महामारी के आघात के कारण मार्च माह से लगातार पांच माह तक मंद पड़ी रही, सितम्बर 2020 से स्फूर्ति में आई है। IHS मार्किट इंडिया सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, जिसे सेवा क्रय प्रबंधन सूचकांक (पीएमआई) के तौर पर भी जाना जाता है, फरवरी 2020 में 57.5 था जो 85 महीनों के उच्च स्तर पर था लेकिन अप्रैल 2020 (चित्र 1(क)) में 5.4 के निम्नतम स्तर पर लुढ़क गया था। गतिशीलता पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिए जाने तथा कारोबार फिर से शुरू होने पर सेवा पी एम आई में तेजी से सुधार हुआ और अक्टूबर 2020 तक यह बढ़कर 54.1 हो गया। हालांकि दिसम्बर 2020 में सूचकांक में नरमी आई, यद्यपि 50 के ऊपर मुद्रण का अर्थ वृद्धि से संबंधित है।


9.3 इसी प्रकार रेल माल यातायात वृद्धि सितम्बर 202 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 15.5 प्रतिशत की तीव्र गति पकड़ने से पहले अप्रैल 2020 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में (-)35.3 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष तक कम हो गई थी (चित्र 1(ख)) वृद्धि में यह गति दिसम्बर 2020 तक बनी रही है। भारतीय रेलवे माल लदाई दिसम्बर 2020 में 118.13 मिलियन टन थी जो पिछले वर्ष समान अवधि में की गई माल लदाई (108.84 मिलियन टन) की तुलना में 8.54 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि रेलवे में माल यातायात को बहुत आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे में विभिन्न रियायतें/छूट प्रदान की जा रही हैं।

9.4 मार्च और मई के बीच लगभग दो माह तक इंडियन एयरलाइन्स पूर्णतः अवरूद्ध रही क्योंकि सरकार ने महामारी को फैलने से रोक के लिए यात्राओं को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। परिणाम स्वरूप अप्रैल 2020 में हवाई यात्री यातायात में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली (चित्र 1 (ग))। एयरलाइन्स को मई माह में नियंत्रित तरीके से घरेलू प्रचालन आरंभ करने की अनुमति दे दी गई। घरेलू हवाई यात्री यातायात में अगस्त


माह से मासिक आधार पर धीरे-धीरे सुधार होता दिख रहा है हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में यात्रा मांग मंद बनी हुई है। महानिदेशक, नागरिक विमानन (डी जी सी ए) के अनुसार नवम्बर माह तक 63.54 लाख घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की थी जो अक्टूबर माह में हवाई यात्रा करने वाले 52.71 लाख यात्रियों से 20.54 प्रतिशत अधिक थे। हालांकि नवम्बर 2020 में घरेलू वायु यातायात नवम्बर 2019 की तुलना में 50.93 प्रतिशत कम रहा। नवम्बर 2019 में 1.3 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की थी।

9.5 सितम्बर 2018 और दिसम्बर 2019 के बीच सेवा क्षेत्र में बैंक ऋण वृद्धि में काफी मजबूती आई हालांकि एक वर्ष पहले के 4.84 प्रतिशत की तुलना में नवम्बर 2020 की समाप्ति पर वर्ष दर वर्ष 8.76 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इन सेवा क्षेत्रों की क्रेडिट वृद्धि में 2020 में मजबूती आई थी (चित्र 1(घ))। इसे पर्यटन, होटल और रेस्त्रां, 'परिवहन परिचालकों' और 'अन्य सेवाओं' मापक उपक्षेत्रों में वृद्धि द्वारा इसे परिचालित किया गया था। हालांकि "पेशेवर सेवाओं" और "नौपरिवहन" की बैंक क्रेडिट की वृद्धि में क्रमशः 24.66 प्रतिशत और 20.51 प्रतिशत तक वर्ष दर वर्ष संकुचन आया (तालिका 2)।

चित्र 1(क): सेवाओं का पीएमआई सूचकांक



चित्र 1 (ख) रेल माल यातायात में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)




स्रोत: एचआइएस मार्केट इकोनॉमिक्स, नागर विमानन महानिदेशालय

चित्र 1(ग): हवाई यात्री यातायात में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



चित्र 1(घ): सेवा क्षेत्र में बैंक ऋण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रेलवे

तालिका 2: सेवा उप-क्षेत्रों में बैंक ऋण में वृद्धि

	नवम्बर 2020	नवम्बर 2019
सेवाएं	8.76	4.84
ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर	10.73	8.14
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.36	-0.39
पर्यटन, होटल और रेस्टोरेंट	18.04	13.09
जहाजरानी	-20.51	5.13
पेशेवर सेवाएं	-24.66	1.30
वाणिज्यिक अचल संपदा	5.69	6.04
एन बी एफ सी	5.65	17.60
खुदरा व्यापार	7.84	29.06
थोक व्यापार (खाद्य अधिप्राप्ति को छोड़कर)	15.81	-19.53
अन्य सेवाएं	-3.5	11.3

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर सेवा क्षेत्र का हिस्सा

9.6 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 में सकल राज्य मूल्य संबद्धन (जीएसवीए) में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50 प्रतिशत से ज्यादा है (तालिका 3)। 8 राज्यों में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संबद्धन में योगदान 60 प्रतिशत से अधिक है। चंडीगढ़ और दिल्ली में यह हिस्सेदारी 85 प्रतिशत से अधिक है। जबकि सिक्किम का हिस्सा 27.02 प्रतिशत से सबसे कम बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि सकल राज्य मूल्य संबद्धन में सेवाओं की अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी वाले राज्यों जैसे त्रिपुरा, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश झारखंड, ओडिशा तथा अरुणाचल प्रदेश में भी हाल के वर्षों में सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है।

तालिका 3: राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

राज्य	2019-20 में सकल मूल्य संबद्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	सेवा क्षेत्र में 5 वर्षों की औसत वृद्धि (प्रतिशत में, वर्ष-दर-वर्ष)
चंडीगढ़*	88.29	6.48
दिल्ली	85.16	7.79
अंडमान और निकोबार*	68.12	8.62
कर्नाटक	66.19	9.93
तेलंगाणा	65.19	10.25
केरल*	63.73	6.91
मणिपुर*	62.64	5.85
जम्मू और कश्मीर*	60.08	6.00
महाराष्ट्र*	59.75	8.04
बिहार	59.45	8.97
मेघालय	58.48	8.90
नागालैंड*	56.39	5.97

राज्य	2019-20 में सकल मूल्य संवर्द्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	सेवा क्षेत्र में 5 वर्षों की औसत वृद्धि (प्रतिशत में, वर्ष-दर-वर्ष)
पश्चिम बंगाल	55.97	6.94
तमिलनाडु	53.67	6.29
हरियाणा	50.44	8.98
पुडुचेरी	49.67	6.22
उत्तर प्रदेश*	48.95	7.05
मिजोरम*	47.60	7.09
पंजाब	46.71	6.90
त्रिपुरा	46.71	10.50
राजस्थान	46.63	7.51
असम*	46.57	5.68
झारखंड	45.28	7.69
हिमाचल प्रदेश	43.88	7.01
अरुणाचल प्रदेश*	43.23	8.22
उत्तराखंड	43.23	9.47
आंध्रप्रदेश	41.80	7.56
ओडिशा	40.84	7.20
गोवा*	38.53	6.01
छत्तीसागढ़	36.86	7.02
मध्यप्रदेश	36.77	8.01
गुजरात*	35.62	8.66
सिक्किम	27.02	6.22

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

टिप्पणी: *2018-19 के आंकड़ों के आधार पर; **2015-16 से 2019-20 तक का औसत, या जहां 2019-20 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां 2014-15 से 2018-19 तक का औसत।

सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई)

9.7 व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू एन सी टी ए डी) द्वारा जारी की गई नवीनतम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सबसे बड़े एफ डी आई प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत का स्थान वर्ष 2019 सुधर कर 9वां हो गया जो 2018 में 12वां था। अप्रैल-सितम्बर 2020 के दौरान वैश्विक मंदी, कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन से जुड़े उपायों तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं के अवरूद्ध होने के बावजूद भारत में एफ डी आई में पिछली वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र में, जो भारत में एफ डी आई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, अप्रैल-सितम्बर 2020 के दौरान मजबूत वृद्धि देखने को मिली। सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाहों (पुनः निदेशित आय को छोड़कर) में अप्रैल-सितम्बर 2020 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप

1. वित्तीय सेवाओं, कारोबारी सेवाओं, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी परीक्षण एवं विश्लेषण, कूरियर, दूरसंचार, व्यापार, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, होटल एवं पर्यटन, अस्पताल एवं निदान केंद्र, परामर्श सेवाएं, समुद्री परिवहन, सूचना एवं प्रसारण, खुदरा व्यापार, कृषि सेवाएं, शिक्षा तथा हवाई परिवहन में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह के रूप में अनुमानित है।

यह 23.61 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह इस अवधि में भारत में कुल सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह का लगभग चार बटा पांचवां हिस्सा है। (तालिका 4)। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह में इस उछाल का कारण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर' उपक्षेत्र में मजबूत अंतर्वाह होना था जहां एफ डी आई अंतर्वाह बढ़कर 17.55 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 336 प्रतिशत से भी अधिक है। 'खुदरा व्यापार', 'कृषि सेवाओं' तथा 'शिक्षा' जैसे उप-क्षेत्रों में भी एफ डी आई अंतर्वाह में उच्च वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 4: सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह

सेवा उप क्षेत्र	2019-20 में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह में हिस्सेदारी**	सकल प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर)			
		2018-19	2019-20	अप्रैल-सितं 2019	अप्रैल-सितं 2020
वित्त, व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, तकनीकी जांच एवं विश्लेषण	9.54	9,158	7,854	4,455	2,252
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	74.34	6,415	7,673	4,025	17,554
व्यापार (आंकड़े मूल से देखे)	4.02	4,462	4,574	2,143	949
दूरसंचार	0.03	2,668	4,445	4,280	7
सूचना एवं प्रसारण	0.68	1,252	823	196	161
होटल एवं पर्यटन	1.20	1,076	2,938	859	283
अस्पताल एवं निदान केंद्र	0.69	1,045	635	376	163
शिक्षा	2.56	777	3,245	216	604
खुदरा व्यापार	5.21	443	472	243	1,230
परामर्श सेवाएं	0.46	411	1,047	473	110
समुद्री परिवहन	0.61	279	199	173	144
हवाई परिवहन	0.41	191	918	114	97
कृषि सेवाएं	0.25	88	46	23	60
सेवा क्षेत्र में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)		28,265	34,868	17,577	23,612
पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (प्रतिशत वर्ष-दर वर्ष)		-2.4	23.4	33.1	34.3
भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)		44,366	49,977	26,096	30,004
सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)		63.7	69.8	67.4	78.7

स्रोत: उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग (डी वी आई आई टी)

टिप्पणी: *पुनः निवेशित आय को छोड़कर।

सेवा क्षेत्र में व्यापार

9.8 वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी ने सेवाओं संबंधी वैश्विक व्यापार पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डाला उसके परिणाम स्वरूप विश्वभर में आपूर्ति श्रृंखलाएं भंग हो गईं। जहां विश्व व्यापार संगठन ने वर्ष 2020 में वैश्विक वाणिज्य-वस्तु व्यापार वृद्धि में 9.2 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान लगाया है वहीं आई एम एफ ने वैश्विक माल एवं सेवा व्यापार में वर्ष 2020 में 10.4 प्रतिशत तक संकुचन होने की आशंका जताई है विश्व व्यापार संगठन सेवा व्यापार गतिविधि सूचकांक ने वाणिज्यिक सेवाओं में विश्व व्यापार में 2020 के पहले तीन महीनों में 4.3 प्रतिशत की कमी आने का संकेत देकर कोविड-19 के प्रसार के प्रतिकूल प्रभावों को आंशिक रूप से दर्शाया था। 2020 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 30 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गई क्योंकि कई देशों ने लॉकडाउन तथा परिवहन संबंधी प्रतिबंध लगा दिए थे जिनमें सीमा-पार (क्रॉस बॉर्डर) उपाय भी शामिल थे।

9.9 सेवा क्षेत्र निर्यात में भारत की पकड़ बहुत मजबूत है। वर्ष 2019 में यह वाणिज्यिक सेवा में दस शीर्ष देशों में शामिल था तथा विश्व सेवा निर्यात क्षेत्र में इसकी भागीदारी 3.5% थी।

महामारी से हुए नुकसान के बावजूद के माल व्यापार की तुलना में भारत सेवा क्षेत्र में अपेक्षाकृत लचीलापन बना रहा। कुछ उप-क्षेत्रों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बावजूद इस क्षेत्र से वर्तमान आय का प्रवाह स्थिर बना रहा। वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में निवल सेवा निर्यात आय पिछले वर्ष के 40.47 बिलियन यू.एस. डॉलर की तुलना में 41.67 यू.एस. डॉलर थी।

9.10 भारत के सेवा निर्यात में वर्ष 2019-20 वर्ष 2018-19 के 6.6 प्रतिशत की तुलना में 2.5 प्रतिशत की नरमी दर्ज की गई क्योंकि मुख्यतः परिवहन, बीमा तथा संचार सेवाओं से होने वाली आय में कमी आई। वैश्विक मांग में गिरावट तथा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन संबंधी उपाय किए जाने के चलते वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि में हुई 6.39 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7.87 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई (तालिका 5)।

तालिका 5: उप-क्षेत्रवार सेवा व्यापार प्रदर्शन

वस्तु समूह	हिस्सा (प्रतिशत में)		मूल्य (अरब अमेरिकी डॉलर में)			वृद्धि (प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष)		
	2009-10	2019-20	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रैल-जून)	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रैल-जून)
कुल सेवा निर्यात	100	100	208.00	213.19	96.71	6.60	2.50	-7.87
यात्रा	12.3	14.10	28.44	30.00	3.87	0.30	5.50	-73.49
परिवहन	11.6	9.80	19.46	20.99	10.28	11.60	7.80	-2.34
बीमा	1.7	1.10	2.66	2.43	1.15	6.20	-8.70	-2.99
जी एन आई ई*	0.5	0.30	0.61	0.66	0.29	-8.10	8.00	-8.81
सॉफ्टवेयर सेवाएं	51.8	43.70	83.47	93.10	47.69	7.90	11.50	3.55
कारोबारी सेवाएं	11.8	18.80	39.11	45.72	22.91	4.70	16.90	2.48
वित्तीय सेवाएं	3.8	2.30	4.86	4.73	2.01	-5.90	-2.60	-20.35
संचार	1.3	1.20	2.56	2.72	1.37	22.10	6.30	2.44
कुल आयात सेवा	100	100.00	126.06	128.27	55.04	7.30	1.80	-13.95

यात्रा	15.6	17.20	21.70	22.01	5.49	11.20	1.40	-55.09
परिवहन	19.9	18.90	20.53	24.28	8.98	16.60	18.30	-25.90
बीमा	2.1	1.40	1.79	1.74	0.92	5.30	-2.90	19.44
जी एन आई ई*	0.9	0.90	1.11	1.11	0.52	40.30	-0.70	-13.95
सॉफ्टवेयर सेवाएं	2.4	6.60	5.81	8.46	4.62	13.10	45.50	15.60
कारोबारी सेवा	30.1	36.50	40.41	46.88	23.69	10.30	16.00	4.22
वित्तीय सेवा	7.7	2.30	3.49	2.92	2.17	-37.00	-16.30	94.80
संचार	2.3	1.00	1.13	1.30	0.66	18.40	14.70	3.24
सेवा व्यापार शेष			81.94	84.92	41.67			
माल व्यापार शेष			-180.28	-157.51	-25.55			

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त डाटा के आधार पर परिकलित

टिप्पणी: जी एन आई ई-सरकार को अन्यत्र शामिल नहीं है वृद्धि दर अमेरिकी डॉलर में दर्ज मूल्यों पर आधारित है।

9.11 विश्वभर में आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आने के कारण 2020-21 की प्रथम तिमाही में यात्रा से आय में 73.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई जिसमें पिछले वर्ष समान अवधि के दौरान 8.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई थी। व्यापार गतिविधि में मंदी आने तथा आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही परिवहन से होने वाली आय 2.34 प्रतिशत घट गई जबकि वित्त वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में इसमें 10.77 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि सॉफ्टवेयर निर्यात, जिसकी कुल सेवा निर्यात में 49.3% हिस्सेदारी है, महामारी से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजिटल सहायता, क्लाउड सेवाओं तथा अवसंरचना के आधुनिकीकरण की उच्च मांग के कारण इस कठिन परिस्थिति से उबरने में सक्षम रहा। वास्तव में अधिकांश सॉफ्टवेयर कंपनियों ने, जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में ऋणात्मक राजस्व वृद्धि होने की रिपोर्ट दी थी, दूसरी तिमाही में वृद्धि होने की रिपोर्ट दी थी, सकारात्मक तेजी आने के संकत दिए हैं क्योंकि उनकी वित्तीय, बैंकिंग एवं बीमा, खुदरा, जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल यूनिटों से प्राप्त होने वाले राजस्व में बढ़ोतरी हुई है।

9.12 जैसा कि गार्टनर का अनुमान था (अक्टूबर 2020), हालांकि वर्ष 2020 में वैश्विक आई टी खर्च में 5.4 प्रतिशत की कमी संभावित है पर वर्ष 2021 में चरणबद्ध सुधारों की शुरुआत के बाद इसमें उछाल आएगा। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में, व्यवसाय सेवा निर्यात में 2020-21 के पहली छमाही में 2.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

9.13 वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही में सेवा निर्यातों की तुलना में सेवा आयातों में 13.95 प्रतिशत की तेज गिरावट देखी गई। सभी प्रमुख सेवाओं के आयात के लिए भुगतान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कम हो गए। प्रमुख सेक्टरों के बीच, भारत से विदेश यात्रा प्रतिबंधों के कारण समुद्रपार यात्रा के भुगतान में 55.9 प्रतिशत की कमी आई। साल-दर-साल आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में परिवहन सेवाओं के भुगतान (कुल सेवा आयात में 16 प्रतिशत की हिस्सेदारी) में 25.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। व्यापार सेवा जो कुल सेवा आयात का 43.41 प्रतिशत थी, के आयात के भुगतान में वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 4.22 प्रतिशत की कमी देखी गई। व्यापार सेवा भुगतानों में कमी के प्राथमिक कारण व्यवसायी, प्रबंधन और परामर्श सेवाओं का निम्न आयात भुगतान था (तालिका 5)।

9.14 निर्यात की तुलना में सेवा आयात में तीव्र कमी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में शुद्ध सेवा प्राप्तियों को 2.1 प्रतिशत बढ़ा दिया। वाणिज्य वस्तु व्यापार घाटा में तीव्र संकुचन और स्थिर शुद्ध सेवा प्राप्तियों के कारण 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी का 3.9 प्रतिशत, चालू खाता अधिशेष था। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, हालांकि 2020² (जनवरी-मार्च) की पहली तिमाही में वैश्विक सेवा व्यापार में 4.3 प्रतिशत (साल-दर-साल की कमी आई है, लेकिन प्रमुख सेक्टरों में उछाल के संकेत दिखाई देने लगे हैं। 2020-21 की दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र में भारतीय व्यापार पर अनंतिम डेटा, बहाली के संकेत दे रहे हैं, जिसमें निर्यात में 8.45 प्रतिशत की त्रैमासिक वृद्धि और आयात में 13.2 प्रतिशत की त्रैमासिक वृद्धि के परिणामस्वरूप शुद्ध सेवा निर्यात में 2.3 प्रतिशत का त्रैमासिक सुधार हुआ है। भले ही माल और सेवाओं के वैश्विक व्यापार पैमाने का अनुमान वर्ष 2021 के लिए आशावादी हो, लेकिन वैश्विक महामारी की रोकथाम और इसकी अवधि तथा अर्थव्यवस्था बहाली के लिए सरकारी नीति की प्रभावशीलता, वे महत्वपूर्ण कारक हैं जो भारतीय सेवा व्यापार को आकार देंगे।

प्रमुख सेवाएं: सबसेक्टरवार प्रदर्शन और नव नीतियां

9.15 कोविड-19 महामारी के महेनजर 2020-21 के दौरान सेवा सेक्टर के अधिकांश सबसेक्टर्स के विकास में संकुचन देखा गया (तालिका 6)। 2020 में विमानन और पर्यटन में तेजी से गिरावाट आई। गत वर्ष जनवरी-जून के दौरान 5.29 मिलियन की तुलना में 2020, जनवरी-जून के दौरान केवल 2.46 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत में आए। नतीजन, पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 2020 की पहली छमाही के दौरान 6.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक घट गई, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में यह 14.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। घरेलू यात्री यातायात भी अप्रैल-नवंबर, 2020 में घटकर 22.77 मिलियन रह गया जो गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 95.7 मिलियन था। बंदरगाहों के क्षेत्र में, बंदरगाहों पर कार्गो यातायात अप्रैल-नवंबर, 2019 में 864.32 मीट्रिक टन की तुलना में अप्रैल-नवंबर की चालू घाटा अवधि के दौरान 10.09 प्रतिशत की कमी के साथ, 777.04 मिलियन टन (एमटी) रह गया। इस खंड में सेवा सेक्टर के कुछ महत्वपूर्ण सब-सेक्टरों में विकास पर विस्तृत चर्चा की गई है।

तालिका 6: भारतीय सेवा सेक्टर में महत्वपूर्ण सब-सेक्टरों का प्रदर्शन

नई मबजवत	पदकपबंजवत	न्दपज	ल्मंत				
			2016.17	2017.18	2018.19	2019.20	2020.21
आईटी-बीपीएम*	आईटी-बीपीएम सेवा राजस्व	यूएस मिलियन	139.9	151.4	161.8	174.53 (E)	-
	निर्यात	यूएस\$ मिलियन	116.1	125.1	135.5	146.6 (E)	-
	घरेलू	यूएस\$ बिलियन	23.8	26.3	26.3	28 (E)	-
उडडयन**	वायु यान यात्री	मिलियन	158.4	183.9	204.2	202 (P)	-
	घरेलू	मिलियन	103.7	123.3	140.3	141.6	22.77#
	अंतरराष्ट्रीय	मिलियन	54.7	60.6	63.9	60.4	-
दूरसंचार	बेतार फोन अभिदान	मिलियन	1,170.2	1,183.4	1,161.8	1,157.8	1,151.81##
	वायरलेस इंटरनेट अभिदान	मिलियन	400.6	472.7	582.8	720.7	-

2. सेवा व्यापार गतिविधि सूचकांक, वर्ल्ड ट्रेड बैरोमीटर डब्ल्यू टी ओ, सितंबर 17, 2020

पर्यटन	विदेशी यात्री आगमन	मिलियन	8.8	10.0	10.6	10.9 (P)	2.46 ^{###}
	पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय	यूएस\$ मिलियन	22.9	27.3	28.6	30.1 (P)	6.16 ^{###}
जहाजरानी	जहाजरानी की सकल टनभार	मिलियन	11.6	12.6	12.8	12.68 [^]	12.75 [@]
	जहाज की संख्या	मिलियन	1,316	1,384	1,405	1,431 [^]	1,453 ^{^^}
पोर्ट	पोर्ट ट्रैफिक	मिलियन टन	1,133.7	1,208.6	1,276.8	1307.2	777.04 [#]
	कार्गो क्षमता	मिलियन टन	2,147.6	2,307.4	2,405.9	2,522.9	2,529.1(P)

स्रोत: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई), दूरसंचार विभाग, पर्यटन मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नॉस्कोम।

नोट: हार्डवेयर सहित और ई-कॉमर्स को छोड़कर; *निर्धारित घरेलू सेवाओं पर निर्धारित भारतीय विमान वाहकों द्वारा घरेलू यात्रियों की यात्रा और भारत से आने तथा जाने के लिए निर्धारित भारतीय और विदेशी विमान वाहकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की यात्रा; क: निश्चित वित्तीय वर्ष में मार्च से; ख: कैलेंडर वर्ष के आधार पर; #अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि के दौरान ##अक्टूबर 2020 तक ###जनवरी से जून 2020 @ जून 2020 को ^ मार्च 2020 तक ^^ नवंबर 2020 तक p अनंतिम E प्रत्याशित

पर्यटन सेक्टर

9.16 जीडीपी, विदेशी मुद्रा अर्जन और रोजगार के रूप में पर्यटन सेक्टर, आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन है जो महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि, भारत सहित विश्व यात्रा और पर्यटन पर कोविड-19 महामारी का दुर्बल प्रभाव पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व पर्यटन संगठन (दिसंबर, 2020 संस्करण) के विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार यात्रा पर प्रतिबंधों, अल्प उपभोक्ता विश्वास और कोविड वायरस नियंत्रण में वैश्विक संघर्ष के कारण, 2020 के प्रथम दस माह में अंतर्राष्ट्रीय आगमन वैश्विक रूप में 72 प्रतिशत गिरा, कुल मिलाकर यह पर्यटन इतिहास में रिकार्ड सबसे खराब वर्ष रहा। जनवरी-अक्टूबर 2019 की तुलना में इस वर्ष जनवरी-अक्टूबर में विश्व पर्यटन स्थलों पर 900 मिलियन कम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक पहुंचें, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्त निर्यात राजस्व में 935 बिलियन अमेरिकी डालर का घाटा हुआ। ध्यान दें कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए), 2019 में कुल 1.5 बिलियन तक पहुंच गया।

9.17 वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, भारतीय हवाई क्षेत्र नियामक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मार्च 2020 में सभी व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक दिया था। इस प्रतिबंध को जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है। कोविड-19 महामारी के फैलाव और इसके परिणामस्वरूप विश्व भर में लगाए गए लॉकडाउन के बाद विदेशों में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए, मई की शुरुआत में वंदे भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। इस मिशन, जो अभी अपने नौवें चरण में है, के तहत सरकार ने अपने नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए अन्य देशों के साथ ट्रांसपोर्ट बबल्स³ स्थापित किए हैं। वर्तमान में भारत 24 देशों के साथ सक्रिय एयर बबल्स रखा है। वंदे भारत मिशन के शुभारंभ से 5 जनवरी, 2021 तक विभिन्न एयरलाइनों द्वारा 4.49 मिलियन से अधिक लोगों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का लाभ प्राप्त हुआ।

9.18 2017 में, 10.04 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) में 14 प्रतिशत वृद्धि और 27.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा अर्जन (एफईई) में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत में पर्यटन सेक्टर

3. "ट्रांसपोर्ट बबल्स" या "हवाई यात्रा व्यवस्थाएं", व्यापारिक यात्री सेवाओं को पुनः प्रारंभ करने के उद्देश्य से दो देशों के मध्य अस्थायी व्यवस्थाएं हैं जबकि कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक है। ये पारस्परिक प्रकृति के होते हैं, जिसका अर्थ है दोनों देशों की एयरलाइनों को समान लाभ प्राप्त होंगे।

ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, 2020 में तीव्र गिरावट से पूर्व, 2018 और 2019 में सेक्टर मंदी से गुजर रहा था (चित्र 2 (क और ख))। 2018 में 10.56 मिलियन की तुलना में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए), 2019 में 10.93 मिलियन था। विकास के संदर्भ में, एफटीए की वृद्धि दर, 2017 में 14 प्रतिशत के 2018 में 5.2 प्रतिशत और बाद में 2019 में 3.5 प्रतिशत हो गई। पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन (एफईई), 2018 में 28.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2019 में 30.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। विकास के संदर्भ में, एफईई, 2017 में 19.1 प्रतिशत के 2018 में 4.7 प्रतिशत गिरा और 2019 में 5.1 प्रतिशत के साथ थोड़ा सा सुधार हुआ।

9.19 2018 में 22वें स्थान से थोड़ा सा गिरकर, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन के संदर्भ में भारत दुनिया में 23वां स्थान पर रहा। देश, दुनिया के 1.23 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन और एशिया एवं प्रशांत के 4.97 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन पर नियंत्रण रखता है (तालिका 7)। भारत पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जन के संदर्भ में दुनिया में 12वां और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में 7वां स्थान रखता है, जो दुनिया के पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जन का 2 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका 7: भारत और विश्व में विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन तथा पर्यटन प्राप्तियां


चूंमजमत	2015	2016	2017	2018	2019
भारत में विदेशी पर्यटन आगमन (एफटीए) (मिलियन)	8.03	8.80	10.04	10.56	10.93
भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन (आईटीए) (मिलियन)*	13.76	15.03	16.81	17.42	17.91
विश्व के आसपास अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन (आईटीए) (मिलियन)	1,195	1,241	1,333	1,408	1,460
विश्व आईटीए में भारत का शेयर (प्रतिशत)	1.15	1.21	1.26	1.24	1.23
विश्व आईटीए में भारत का रैंक	24 th	26 th	26 th	2 nd	23 rd
एशिया और प्रशांत में आईटीए (मिलियन)	284.1	306.6	324.1	347.7	360.1
एशिया प्रशांत महासागरीय में भारत का शेयर (प्रतिशत)	4.84	4.90	5.19	5.01	4.97
एशिया प्रशांत महासागरीय में भारत का रैंक	7 th	8 th	7 th	7 th	7 th
विश्व पर्यटन प्रप्तियाँ में भारत का शेयर (प्रतिशत)	1.73	1.84	2.02	1.97#	2.03#
पर्यटन के माध्यम विदेशी मुद्रा अर्जन (यूएस \$ मिलियन)	21.01	22.92	27.31	28.59	30.06
विश्व पर्यटन प्राप्तियाँ से भारत का रैंक	14 th	13 th	13 th	13 ^{th#}	12 ^{th#}
एशिया प्रशांत महासागरीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत का शेयर (प्रतिशत)	5.91	6.18	6.89	6.55#	6.57#
एशिया प्रशांत महासागरीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत का रैंक	7 th	7 th	7 th	7 ^{th#}	6 ^{th#}

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय।

टिप्पणी: सभी आंकड़ें कैलेंडर वर्षवार हैं।

* अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन इस देश में विदेशी पर्यटन आगमन और एन.आर.आई. आगमन का कुल योग, #अनंतिम

चित्र: 2(क): भारत के विदेशी पर्यटन आगमन में वृद्धि (वर्ष वार वर्ष) चित्र: 2(ख): पर्यटन विदेशी विनिमय अर्जन में वृद्धि (वर्ष वार वर्ष)



स्रोत: पर्यटन मंत्रालय।

टिप्पणी: 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं

मार्च, 2020 से सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों को स्थगित कर दिया गया है।

9.20 भारत में घूमने के लिए आने वाले शीर्षस्थ 10 देशों से आए विदेशी पर्यटक बांग्लादेश, यू.एस.ए., यू.के., आस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, मलेशिया, श्रीलंका, जर्मनी और रूस से हैं। 2019 में भारत में कुल विदेशी पर्यटक आगमन 67 प्रतिशत था। विदेशी पर्यटकों में से 57% प्रतिशत पर्यटक आराम करने, छुटियाँ बिताने और मनोरंजन के लिए घूमने आए थे, 14.7% प्रतिशत व्यवसाय के उद्देश्य से यहां आए थे। और 12.7 प्रतिशत भारतीय डायसपोरा थे।

9.21 राज्य के स्तर पर पर्यटन संबंधी रूझानों के देखने पर, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष पांच राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं, जो वर्ष 2019 में इस देश में घूमने आने वाले कुल घरेलू पर्यटक का लगभग 71 प्रतिशत था। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष पाँच राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल हैं।, जिनकी संख्या वर्ष 2019 में इस देश में घूमने वाले कुल विदेशी पर्यटकों का 69.4 प्रतिशत थी।

9.22 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को सहयोग देने के लिए, भारत ने 46 देशों के लिए सितम्बर 2014 में ई.-टूरिस्ट विजा पद्धति प्रारम्भ किया है। इस योजना को आरम्भ करने से पहले, केवल 12 देशों के लिए ही ई.-विजा की सुविधा उपलब्ध थी। सरकार ने आगे 2016 में विजा पद्धति का 'ई.-टूरिस्ट विजा' 'ई.-बिजनेस विजा' 'ई.-मेडिकल विजा' 'ई.-कॉफ्रेंस विजा' और 'ई.-मेडिकल अटेंडेंट विजा' जैसे पाँच उप-वर्गों वाले ई.-विजा योजना का पुनः नामकरण करते हुए, इसे उदार बनाया। ई.-विजा योजना 28 नामोदिष्ट हवाई अड्डों और 5 नामोदिष्ट समुद्र पत्तन के जरिए वैध प्रविष्टि के साथ 169 देशों के लिए उपलब्ध है। इसके साथ, ई.-विसा पर भारत में विदेशी पर्यटक के आगमन में 2015 में 4.45 लाख से 2019 में 29.28 लाख की वृद्धि हुई, और जो जनवरी-मार्च 2020 में 8.37 लाख तक बरकरार रही थी।

9.23 भारत 2013 में अपने 65वें स्थान से उल्लेखनीय रूप से सुधार करते हुए, यात्रा और पर्यटन प्रतियोगितात्मकता सूचकांक में 34वां स्थान प्राप्त किया है। पर्यटन ने 2018-19 में भारत की कुल जी.डी.पी. का 5 प्रतिशत शेयर का योगदान दिया है। यह भारत में कुल रोजगार का लगभग 13 प्रतिशत की सहायता भी प्रदान करता है।

आई.टी.-बी.पी.एम. सेवा

9.24 भारतीय आई.टी.-बी.पी.एम. उद्योग अंतिम वर्षों से भारत के निर्यात का ध्वज-वाहक रहा है। जबकि 1999-2000 से 2009-10 वृद्धि का दशक था, इसका अंतिम दशक, इसके एकीकरण और उद्योग को राजस्व और कर्मचारी वृद्धि को अलग करने में फल रहा है। गत दशक से, इस उद्योग में 2019-20 में राजस्व का 190.5 यू.एस.+बिलियन डॉलर के आकार तक पहुँच कर 102 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इसमें गत 10 वर्षों से 70 प्रतिशत तक वृद्धि कर 1.8 मिलियन कर्मचारियों को शामिल भी किया गया है हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन आया है। चार्ट 1 में गत दो दशकों से आई.टी. और आई.टी. समर्थकृत सेवाओं के लिए व्यवसाय संबंधी मॉडल के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत है।


चार्ट 1:-आई.टी.-आई.टी.ई.एस. के लिए व्यवसाय के मॉडल का विकास

Dimensions	Customer Centric			Customer + Collaboration
	1990	2000	2010-2015	2016-2020
Services	One client, one solution	Enterprise Services	Enterprise Solutions	Digital Enterprise products & solutions
Service Delivery	Custom, People Driven	Industrialised capacity & Method-driven	Capacity & IP driven	Platforms & Automation
Technology	Mainframe to Client Server	Y2K, dotcom enablement	Cloud, virtualisation, Mobile computing	Digital Tech (AI, ML/NLP, IoT, Blockchain)
Pricing	Input-based, Fixed Costs	Output-based, Fixed Costs or Gain share	Pay-per-use	Outcome-based
Deal structure	Deals relating to CAD/M & Maintenance	Multiple vendors, Large size, Long duration	Small deal wins, Short duration, End-to-end	Structured deals, Internet focused transactions
Resources	Staff-augmentation	Fixed Capacity	Non-linear	Humans+Machines, Domains & Tech Experts
Time to Deploy	Years	Months	Weeks or Days	Continuous Releases

स्रोत: एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम. (नेस्कॉम)

9.25 गत छह वर्षों से, आई.टी. संबंधी सेवाओं ने 2019-20 में लगभग 97 विलियन यू.एस. डॉलर के राजस्व के साथ, आई.टी.-बी.पी.एम. से सेक्टर (चित्र 3) का बहुतायत शेर (50 प्रतिशत से अधिक) बरकरार रखा है। साफ्टवेयर व इंजिनियरी सेवाएं 2019-20 में इस क्षेत्र में 21 प्रतिशत का शेर और 40.2 बिलियन यू.एस. डॉलर का राजस्व संघटित कर प्रत्येक वर्ष एक अनवरत वृद्धि का साक्ष्य रही हैं। जी.पी.एम. सेवाओं ने 19.8 प्रतिशत अपना शेर बरकरार रखा है, जबकि हार्डवेयर सेवाओं में प्रत्येक वर्ष के शेर में कमी रही है लेकिन इसने राजस्व में वृद्धि बरकरार रखा है।

चित्र 3: 2014-15 से 2019-20 में आई.टी.-बी.पी.एम. क्षेत्र का उप-क्षेत्रों का अलग-अलग आंकड़ें।



स्रोत:- एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम. नैस्कॉम) टिप्पणी: ई.: प्राक्कलन

9.26 आई.टी.-बी.पी.एम. उद्योग (हार्डवेयर और ई.-कॉमर्स को छोड़कर) का महत्वपूर्ण भाग (लगभग 84 प्रतिशत) 2019-20 में 146 बिलियन यू.एस. डॉलर से अधिक निर्यात राजस्व के साथ (तालिका 8) इसे निर्यात चालित रखना कायम रहता है। 2019-20 के दौरान, आई.टी.-बी.पी.एम. सेक्टर (हार्डवेयर और ई.-कॉमर्स को छोड़कर) के लिए राजस्व वृद्धि के लिए (वर्षवार) 2018-19 में 6.8 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए वसूली की गई थी। घरेलू राजस्व वृद्धि में (2018-19) में -0.3 प्रतिशत से 2019-20 में 6.6 प्रतिशत तक) एक महत्वपूर्ण उछाल द्वारा इसे मुख्य रूप से चालित किया गया था।


तालिका 8: भारतीय आई.टी.-बी.पी.एम. उद्योग -हार्डवेयर और ई.-कॉमर्स को छोड़कर) के निर्यात और बाज़ार का आकार

Year	USD billion			Per cent (YoY)		
	Domestic	Exports	Total	Domestic	Exports	Total
2015-16	21.58	107.83	129.41	3.2	10.3	9.1
2016-17	23.84	116.06	139.90	10.4	7.6	8.1
2017-18	26.33	125.08	151.40	10.4	7.8	8.2
2018-19	26.25	135.51	161.76	-0.3	8.3	6.8
2019-20E	27.99	146.55	174.53	6.6	8.1	7.9

स्रोत:-नैस्कॉम। टिप्पणी: ई.: प्राक्कलन।

9.27 वर्ष 2019-20 में आई.टी.-बी.पी.एम. सेक्टर के निर्यात में कुल 146.55 बिलियन यू.एस. डॉलर में से आई.टी. सेवाओं ने 54 प्रतिशत निर्यात का हिस्सा लगाते हुए 79.1 बिलियन यू.एस. डॉलर का योगदान दिया है। (चित्र-4) बी.पी.एम. और सॉफ्टवेयर उत्पादों व इंजिनियरी सेवाओं को लगभग 23 प्रतिशत के करीब समान (बराबर) शेयर के लिए प्रत्येक लेखाकरण के साथ बचे हुए 46 प्रतिशत हिस्सा में लिया गया है। सभी तीनों उप-क्षेत्रों ने आई.टी. सेवाओं में 6.9 प्रतिशत तक, बी.पी.एम. सेवाओं में 8.4 प्रतिशत तक और सॉफ्टवेयर उत्पादों व इंजिनियरी सेवाओं में 10.7 प्रतिशत के साथ वर्षवार 2019-20 के निर्यात संबंधी राजस्व में वृद्धि का साक्ष्य प्रस्तुत किया है।


चित्र 4: आई.टी.-बी.पी.एम. संबंधी निर्यात (यू.एस. बिलियन डॉलर) के उपक्षेत्र का विघटन (हार्डवेयर और ई.-कॉमर्स को छोड़कर)



स्रोत: नैस्कॉम। टिप्पणी: ई.: प्राक्कलन।

9.28 निर्यात संबंधी राजस्व के वितरण को देश-वार देखने पर, 91 बिलियन यू.एस. डॉलर के कुल योग के साथ यू.एस.ए. निर्यात का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना रहा है (चित्र 5), जिसका 2019-20 में कुल आई.टी.-बी.पी.एम. निर्यात (हार्डवेयर को छोड़कर) का 62 प्रतिशत हिस्सा लगाया गया है। इसके बाद यू.के. के आता है, जो 24.7 बिलियन यू.एस. डॉलर लेकिन लगभग 17 प्रतिशत कुछ कम शेयर के साथ आई.टी.-बी.पी.एम. सेवाओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। यूरोप (यू.के. को छोड़कर) और एशिया प्रशांत महासागरीय के लिए क्रमशः भारत के निर्यात संबंधी उपार्जन का 11.4 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत का हिस्सा लगाया गया है।

चित्र 5: भारत के आई.टी.-बी.पी.एम. संबंधी निर्यात (बिलियन यू.एस. डॉलर) (हार्डवेयर और ई.-कॉमर्स को छोड़कर) का भौगोलिक विश्लेषणात्मक विवरण



स्रोत: नैस्कॉम। टिप्पणी: ई.: प्राक्कलन।

9.29 2021 में, ओ.एस.पी. की शर्तों में और उपभोक्ता संरक्षण (ई.-कॉमर्स) नियम, 2020, में रियायत के साथ आई.टी.-बी.पी.एम. सेक्टर में नवप्रवर्तन, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और दक्षता को चालित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। इससे प्रतिभा में प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण तरीके से प्रसार, जॉब सर्जन में वृद्धि, भारत को एक वैश्विक केंद्र (हब) बनाने और इस क्षेत्र को वृद्धि और नवप्रवर्तन के अगले स्तर तक शिला प्रक्षेप करने में सहायता मिलेगी। अधिक विवरण के लिए बॉक्स 1 देखें।

9.30 कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के बावजूद, भारतीय स्टार्ट-अप परितंत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। इस परितंत्र ने विश्वव्यापी महामारी के आक्रमण (चढ़ाई) के अनगिनत) के अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हुए, विषमताओं का सामना किया और 12 ऐसे स्टार्ट-अप्स का रिकॉर्ड बनाया, जो यूनिर्कॉर्न स्टेटस पर पहुँचे हैं। नैस्कॉम टेक स्टार्ट-अप रिपोर्ट 2021 के अनुसार, फिलहाल (वर्तमान में) यह देश 38 यूनिर्कॉर्न का ठिकाना (केंद्र) है। यू.एस. और चीन के पास क्रमशः 243 और 227 यूनिर्कॉर्न्स हैं।

बॉक्स 1:-आई.टी.-बी.पी.एम. सेक्टर की नीति संबंधी प्रमुख पहलकदमियाँ और सुधार

ओ.एस.पी. की शर्तों में रियायत: आई.टी. उद्योग विशेषकर व्यवसाय प्रक्रिया के लिए बाहरी स्रोत से सेवाएं प्राप्त करने (बी.पी.ओ.) और आई.टी. द्वारा समर्थकृत सेवाओं से संबंधित व्यवसाय को करने की सुगमता में सुधार करने के लक्ष्य के साथ, नवम्बर, 2020 में, सरकार ने दूरसंचार विभाग को अन्य सेवा प्रदाता (ओ.एस.पी.) के दिशा-निर्देशों को सरल किया है। नए दिशा-निर्देशों ने बी.पी.ओ. उद्योग के अनुपालन संबंधी भार में पर्याप्त रूप से कमी की है और जिसके द्वारा 'वर्क फ्रॉम होम' को समर्थ किया गया है।

वस्तुतः, अन्य सेवा प्रदाताओं (ओ.एस.पी.) पंजीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था, और डेटा संबंधी परिचालनों में नियुक्त व्यवसाय प्रक्रिया संबंधी आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.) को ओ.एस.पी. की परिधि से बाहर लाया गया है। इसके अलावा, बैंक प्रत्याभूति जमा, अपरिवर्ती आई.पी. की आवश्यकता, रिपोर्टिंग संबंधी नियमित वाध्यता, नेटवर्क आरेख का प्रकाशन, दंड संबंधी उपबंध आदि जैसी अन्य आवश्यकताओं को दूर भी किया जाएगा। ये परिवर्तन आई.टी.-बी.पी.एम. कम्पनियों को 'वर्क फ्रॉम होम' तथा 'वर्क फ्रॉम एनिव्हेयर' को समर्थ करेंगे। इस उद्योग के लचीलेपन में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। यह नया ढांचा भारत के उद्योग को दृढ़ आवेग प्रदान कर भारत को विश्व में सबसे प्रतिस्पर्धात्मक आई.टी. अधि कार-क्षेत्र में से एक बनाएगा।

उपभोक्ता संरक्षण-अधिनियम, 2019: यह अधिनियम उपभोक्ताओं के समर्थ बनाते हुए 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है और यह उन उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता विवाद सुधार आयोग, मध्यस्थता, उत्पाद देयता और मिलावट/अवैध माल बाले उत्पाद के विनिर्माण या उनकी बिक्री की सज़ा जैसे इनके भिन्न-भिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों को संरक्षित करने में सहायता करता है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और इन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सी.सी.पी.ए.) की स्थापना करना सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ई.-कॉमर्स सत्व से उत्पादन देश सहित वापसी, रिफंड, विनिमय, वारंटी और गारंटी, सुपुर्दगी, भुगतान का तरीका, शिकायत निवारण प्रणाली, भुगतान, चार्ज बैक विकल्प, आदि से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है, जो कि उपभोक्ता को इसके प्लेटफॉर्म के क्रय से पहले के चरण पर सूचित निर्णय लेने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, यह नया अधिनियम उत्पाद देयता के सिद्धांत का परिचय देकर अपने क्षेत्र के भीतर भरपाई हेतु किसी भी दावे के लिए उत्पाद विनिर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को लाता है। उपभोक्ता कार्य विभाग (डी.ओ.सी.ए.) ने जुलाई 2020 में उपभोक्ता संरक्षण (ई.-कॉमर्स) नियम, 2020 प्रकाशित किया।


बंदरगाह, नौपरिवहन और जलमार्ग सेवाएँ:-

9.31 बंदरगाह यात्र के अनुसार भारत में लगभग 90 प्रतिशत निर्यात-आयात की खेप और मूल्यानुसार 70 प्रतिशत खेप को सम्भालते हैं। जिन प्रमुख बंदरगाहों की कुल कार्गो क्षमता मार्च 2014 के अंत तक 871.52 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.) थी, उसमें मार्च 2020 के अंत तक 1,534.91 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है, इन बंदरगाहों ने 2019-20 के दौरान 704.92 एम.टी. की ट्रैफिक को सम्भाला है। दीनदयाल (कोडला), पारादीप, जे.एन.पी.टी., विशाखापटनम और चेन्नई सहित इन बंदरगाहों में मार्च 2020 की स्थिति


के अनुसार सर्वाधिक कार्गो क्षमता थी। जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के पास विश्व पोतावली में एक प्रतिशत का शेयर है। भारतीय कम्पनियों द्वारा खरीदे गए जहाजों की कुल संख्या 2014-15 में 1210 से 2019-20 में 1431 तक रहा।

9.32 2015-16 और 2018-19 के बीच बंदरगाह संबंधी सम्पूर्ण ट्रैफिक में लगभग 6 प्रतिशत की अनवरत वृद्धि बरकरार थी। कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के आने से लॉकडाउन के कारण 2020 में तेज़ी से गिरने से पहले, यह 2019-20 में 1.98 प्रतिशत तक की मंदी आई। कार्गो ट्रैफिक की वृद्धि अप्रैल से जून 2020 के बीच पर्याप्त संकुचित हुई है, हालांकि जिसमें सुधार के संकेत दिख रहे हैं। वस्तुतः, सितम्बर 2020 से कार्गो ट्रैफिक की वृद्धि में सकारात्मक मोड़ आया है।

(चित्र 6 (क): पोर्ट ट्रैफिक में वार्षिक वृद्धि (वर्षवार)



(चित्र 6 (ख): पोर्ट ट्रैफिक में मासिक वृद्धि (वर्षवार)



स्रोत: बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

9.33 जहाजों का टर्न अराउंड (मोड़ का) समय, जो पत्तन क्षेत्र की क्षमता का एक महत्वपूर्ण सूचक है, उसमें 2014-15 में 4 दिनों से 2020-21 (अप्रैल-सितम्बर) में 2.62 दिनों तक की कमी आई है। पोत-परिवहन के टर्न अराउंड समय में सभी मुख्य बंदरगाहों में कमी आई है, जोकि कोचीन बंदरगाह पर सबसे कम और मोरमुगाओं बंदरगाह में सबसे अधिक है (तालिका 9)। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी प्रमुख बंदरगाहों में से पारादीप बंदरगाह ने 2014-15 में 7 दिनों से अधिक दिन से 2020-21 (अप्रैल-सितम्बर) में 3 दिनों से कम तक के जहाज के औसतन टर्न अराउंड समय में कमी के साथ अत्यधिक सुधार दर्शाया है। यू.एन.सी.टी.ए.डी. के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विश्व में जहाज का मध्यिका टर्न अराउंड समय 0.97 दिन है, जो यह सुझाव प्रस्तुत करता है कि भारत के पास बंदरगाहों की क्षमता में और भी अधिक सुधार करने की जगह है।

तालिका 9: प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर जहाज का औसत टर्न अराउंड समय (दिनों में)

बंदरगाह	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रैल-सितम्बर)
कोलकाता	4.18	3.98	4.73	4.11	3.84	4.21	3.09
हल्दिया	3.37	3.27	3.45	3.76	3.04	3.62	3.07

च्छ	2014.15	2015.16	2016.17	2017.18	2018.19	2019.20	2020.21 (चित्त. मचज)
पारादीप	7.01	4.50	4.99	3.31	2.51	2.98	2.76
विशाखापट्टनम	5.67	3.84	3.75	2.58	2.51	2.48	2.67
कामाराजर (एन्नोर)	4.32	6.53	2.70	2.20	1.97	1.85	1.90
चैन्नई	2.54	2.53	2.51	2.21	1.98	2.00	2.22
वी.ओ. चिदम्बरनर	3.55	3.73	4.40	2.69	1.96	2.01	2.14
कोचीन	1.69	2.18	1.99	1.54	1.47	1.51	1.66
न्यू मंगलोर	2.46	2.63	2.35	2.04	1.93	1.91	2.05
मोरमुगाओ	4.15	3.65	4.51	2.63	2.63	2.69	3.94
मुम्बई	5.28	4.61	3.27	3.72	2.52	2.56	2.96
जे.एन.पी.टी.	2.24	2.44	2.01	2.24	2.13	2.00	2.12
दीनदयाल (कांडला)	5.38	4.66	4.40	2.51	3.01	2.94	3.27
सभी प्रमुख बंदरगाह	4.00	3.64	3.43	2.68	2.48	2.59	2.62

स्रोत:-बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

9.34 14,500 किलोमीटर की अंतर्निहित नौ-गम्य तटरेखा और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती व्यापार मार्गों के कारोबार-स्थानों को उपयोग में लाने के लिए सरकार ने उच्चाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिससे देश में पत्तन सृजन और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस कार्यक्रम की विलक्षणता यह है कि आयात-निर्यात तथा घरेलू व्यापार की संभार-तंत्र संबंधी लागत को आधारभूत संरचना में न्यूनतम निवेश के साथ घटाया जाए। इसमें घरेलू कार्गो (पोत-भार) की लागत का कम किया जाना; तट के निकट भावी औद्योगिक क्षमताओं के निर्धारण द्वारा थोक पण्यपदार्थ की संभार-तंत्र संबंधी लागत का कम किया जाना; पत्तन समीपस्थ विभिन्न परिष्कृत उत्पादों के सृजन और संयोजन के क्षेत्र के विकास द्वारा निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना आदि सम्मिलित हैं। सागरमाला कार्यक्रम में कुल 504 परियोजनाओं की पहचान चार स्तंभों के अंतर्गत की गई है, जोकि इस प्रकार हैं - 211 पत्तन आधुनिकीकरण परियोजनाएं-199 पत्तन संयोजन परियोजनाएं-32 पत्तन सृजन और विकास आधारित औद्योगिकीकरण परियोजनाएं तथा 62 तटीय संप्रदाय विकास परियोजनाएं, जिनके द्वारा पत्तन सृजन और विकास संभावनाएं प्रकट हो जाएंगी और ऐसा अपेक्षित है कि 3.57 लाख करोड़ से अधिक का आधारभूत संरचना निवेश जुटाया जा सकेगा। जुलाई 2019 से अक्टूबर 2020 की अवधि में 4,543 करोड़ रुपए की 20 सागरमाला परियोजनाएं संपूर्ण हो चुकी हैं जिनमें 1405 करोड़ रुपए की पत्तन-आधुनिकीकरण की 9 परियोजनाएं, 2799 करोड़ रुपए की पत्तन संयोजन की 7 परियोजनाएं तथा 339 करोड़ रुपए की तटीय समुदाय विकास की 4 परियोजनाएं समाविष्ट हैं।

अंतरिक्ष क्षेत्र


9.35 पिछले छह दशकों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में चरघातांकी वृद्धि हो चुकी है जिनमें 1960 के दशक की सामान्य स्पेस-मैपिंग सेवाओं से लेकर अब तक अनेक प्रकार के विविध उपयोग किए जा रहे हैं जिनमें प्रेक्षण यानों की अभिकल्पना और विकास की श्रृंखला तैयार करना तथा संबंधित प्रौद्योगिकी, भू-प्रेक्षण के लिए उपग्रह और संबंधित प्रौद्योगिकियां, दूरसंचार और ब्रॉड-बैंड, दिक्चालन, मौसम-विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान और विकास और सबसे निकटवर्ती समय में ग्रहीय-गवेषण सम्मिलित हैं।

9.36 वर्ष 2019-2020 में भारत ने लगभग 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का व्यय अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर किया था, तथापि हमारा देश अभी भी इस क्षेत्र में बड़े देशों से पीछे है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिसने भारत

से लगभग 10 गुना अधिक धन का व्यय वर्ष 2019-2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में किया है (चित्र-7), और चीन जिसने भारत से लगभग 6 गुना अधिक का व्यय किया है।

9.37 भारत ने हाल के वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 5 से 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। दूसरी ओर यूएसए, रूस और चीन ने वर्ष 2019 में क्रमशः 19, 25 और 34 उपग्रहों को छोड़कर उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के क्षेत्र में अभी भी बढ़त बना रखी है। (तालिका 10)

चित्र-7: व्यय (वर्ष 2019-2020 में, बिलियन यूएस डॉलर में)



स्रोत: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

तालिका 10: देश द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या

देश	2015	2016	2017	2018	2019
यूएसए	20	22	29	31	19
रूस	29	19	20	20	25
चीन	19	22	18	39	34
यूरोपियाई अन्तरिक्ष एजेंसी	9	9	9	8	6
भारत	5	7	5	7	6
जापान	4	4	7	6	2
अन्य	3	2	2	3	10
कुल	89	85	90	114	102

स्रोत: भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

बॉक्स 2: अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यवसायीकरण और निजी निवेश को आकर्षित करने की संभावनाएं

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया में सुविकसित कार्यक्रमों में से एक है और इसने अपने राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के माध्यम से कई सफलताएं प्राप्त की हैं, जो भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों को चलाने के लिए जिम्मेदार है। देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ, जून 2020 में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोल दिया, जिससे भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियां अंतरिक्ष गतिविधियों के समग्र क्षेत्र में भागीदार बन सकें। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रौद्योगिकियों की जानकारी का अन्यत्र उपयोग करने और भारतीय उद्योग को उच्च-प्रौद्योगिकियों विनिर्माण आधार को प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बनाया गया है। भारत सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की भी स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, इसरो अपनी स्पिन-ऑफ नीतियों के आधार पर उत्पादन के लिए आधारभूत-संरचना को साझा करेगा, और प्रौद्योगिकी की जानकारी देगा। इन उपायों से भारत को अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का विनिर्माण केंद्र बनने में सहायता प्राप्त होगी।

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, भारत में अंतरिक्ष और उपग्रह परियोजनाओं में पूंजी, कार्मिक-दल और आधारभूत-संरचना तीनों के साथ 40 से अधिक नव-उद्यम (स्टार्ट-अप) काम कर रहे हैं, जो सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं। आने वाले वर्षों में इस संख्या के बढ़ने की संभावना है जिसमें प्रौद्योगिकी एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में भारत की अंतरिक्ष क्षमता को खोलने के लिए किए गए सुधारों की घोषणा भारत की अंतरिक्ष यात्रा में निजी उद्योग को सह-यात्री बनाने में सक्षम बनाने की आवश्यकता पर बल देती है।

सैटेलाइट इंडस्ट्री एसोसिएशन की रिपोर्ट (2020) के अनुसार, 2019 में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 366 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी, जो वर्ष 2018 से लगभग 1.7 प्रतिशत बढ़ चुकी थी। वैश्विक अंतरिक्ष व्यवसाय का लगभग 75 प्रतिशत भाग वाणिज्यिक उपग्रह उद्योग है। प्रौद्योगिकी संबंधी नवीनताएं और बढ़ती मांग, उच्च बैंडविड्थ क्षमता, थ्रूपुटस्पीड, बेहतर ऑप्टिकल, रडार और थर्मल इमेजिंग की आवश्यकता को प्रबल बना देती है। पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मान 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जोकि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2 प्रतिशत है।

अध्याय एक नजर में

- भारत का सेवा क्षेत्र कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के लिए अनिवार्य लॉकडाउन के दौरान एक महत्वपूर्ण नुकसान का साक्ष्य रहा है। इसकी संपर्क-गहनता प्रकृति के कारण, इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान करीबन 16 प्रतिशत का संकुचन आया है।
- मार्च 2020 में जैसे ही पहला लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, एयर पैसेंजर परिवहन, रेल फ्रेट ट्राफिक, बंदरगाह ट्राफिक, विदेशी पर्यटक आगमन, और विदेशी विनिमय इन सभी में तेजी से संकुचन आया है। हालांकि, अब इनमें तीव्र सुधार के संकेत दिख रहे हैं।
- वैश्विक रूप से देखे जा रहे इन विधियों के बावजूद, भारत के सेवा क्षेत्र के एफ.डी.आई. के अंतर्वाह में अप्रैल-सितम्बर 2020 के दौरान दर वर्ष 23.6 बिलियन यू.एस. डॉलर के 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2020-21 कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार का साक्ष्य रहा है। आई.टी.-बी.पी.ओ. सेक्टर से टेलीकॉम संबंधित विनियमों को हटाकर ई. कॉमर्स के लिए उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की शुरुआत की गई थी।
- बंदरगाहों के शिपिंग टर्न अराउंड समय को 2010-11 में 4.67 दिनों से 2019-20 में 2.62 दिन तक लगभग आधा कर दिया गया। अंकटाड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वैश्विक तौर पर जहाज का मध्य टर्न अराउंड समय 0.97 है; जो यह सुझाव प्रस्तुत करता है कि भारत के पास बंदरगाहों की दक्षता में और भी सुधार करने की संभावना है।

- कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय स्टार्ट-अप परितंत्र में काफी विकास हुआ है। भारत गत वर्ष युनिकॉर्न सूची में 12 स्टार्ट-अप्स की रिकॉर्ड संख्या के साथ 38 युनिकॉर्न्स का आवास स्थान है।
- गत छह दशकों में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में चार घातांक तरीके से वृद्धि हुई है। भारत ने 2019-20 में अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों में लगभग 1.8 बिलियन यू.एस. डॉलर खर्च किया है। हालांकि, यह देश अब भी इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों जैसे कि यू.एस.ए. चीन और रूस से पिछड़ा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष परितंत्र निजी खिलाड़ियों को नियोजित करने और नवोन्मेषों व निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत सुधार कर रहा है।

वर्ष 2020 की शुरुआत सदी में विरले ही होने वाली महामारी से हुई, जिसके दौरान हमने देखा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वायरस से मानव जीवन को बचाने में सबसे आगे रहकर अनवरत काम किया। हालांकि इस महामारी ने अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र को हिलाकर रख दिया परंतु फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने समय पर हस्तक्षेप करते हुए महामारी को नियंत्रित करने के उपाय किए। भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर सबसे कम 1.5 प्रतिशत है। जैसाकि आर्थिक सर्वेक्षण के खंड-1 के अध्याय 1 भी दर्शाया गया है, भारत ने अपनी कारगर नीति को लागू करके लाखों की जिंदगी बचाई है। महामारी के कारण होने वाले कष्टों को कम करने और लॉकडाउन के कारण आजीविका के नुकसान को कम करने के लिए सामाजिक क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय को 2020-21 में बढ़ाया गया था।

लॉकडाउन के दौरान, ऑनलाइन स्कूली शिक्षा बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हुई और सरकार ने सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सुलभ बनाने के लिए कई उपाय किए। इसी तरह लॉकडाउन अवधि में भी गिग अर्थव्यवस्था की वृद्धि हुई और संगठित क्षेत्र में घर से काम (डब्ल्यूएफएच) करने की बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई। पीएलएफएस रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार 2017-18 के दौरान 47.14 मिलियन की तुलना में, 2018-19 के दौरान कार्यबल में कुल 48.78 करोड़ की वृद्धि हुई। कार्यबल की संख्या में लगभग 1.64 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें से 1.22 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के और 0.42 करोड़ शहरी क्षेत्र के थे। इनमें 0.92 महिलाएं और 0.72 करोड़ पुरुष थे। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बीच बेरोजगारी की संख्या लगभग 0.79 करोड़ कम हुई, इनमें अधिकतर महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे। महिला श्रम बल की भागीदारी दर 2017-18 में 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 18.6 प्रतिशत हो गई। इन आंकड़ों से यह पता चला है कि रोजगार सृजन की दृष्टि से 2018-19 का वर्ष अच्छा रहा। 20 दिसंबर 2020 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निवल वेतन पत्रक डाटा से पता चला है कि ईपीएफओ में नए अभिदाताओं की संख्या 2018-19 में 61.1 लाख की तुलना में 2019-20 में 78.58 लाख हो गई। तिमाही पीएलएफएस, जिसमें शहरी क्षेत्र शामिल है, दर्शाता है कि वर्ष 2019 की चौथी तिमाही की तुलना में वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ। रोजगार की स्थिति में पुरुष कार्यबल (15 वर्ष और उससे अधिक) के अनुपात पर विचार करते हुए अनियत मजदूरों का अनुपात 1 प्रतिशत प्वाइंट नीचे गिर गया और स्वनियोजित तथा वेतनभोगी कामगारों का अनुपात क्रमशः 0.6 प्रतिशत प्वाइंट और 0.4 प्रतिशत प्वाइंट बढ़ गया। इसी तरह, महिला कार्यबल (15 वर्ष और उससे अधिक) के मामले में स्वनियोजित महिलाओं का प्रतिशत 2 प्वाइंट तक बढ़ गया, नियमित/वेतनभोगी कामगारों का अनुपात 0.7 प्रतिशत प्वाइंट गिर गया और अनियत मजदूरों

का अनुपात 1.4 प्रतिशत प्वाइंट नीचे गिर गया। दि टाइम यूज सर्वे, 2019 की रिपोर्ट है कि महिलाएं प्रतिदिन रोजगार से संबंधित कार्यों (5.7 घंटे की तुलना में घर के कामकाज और घर के सदस्यों की देखभाल संबंधी कार्यों (7.5 घंटे) में अधिक समय लगाती हैं। यह श्रम बाजार में महिला भागीदारी कम होने के मुख्य कारणों में से एक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य की आधार भूत सेवाओं को मजबूत बनाने और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में दक्षता एनएचएस-5 के परिणामों में प्रदर्शित हो रही थी। जिसमें एन एफ एच एस-4 की तुलना में एन एफ एच एस-5 में अधिकांश चयनित राज्यों में शिशु मृत्यु-दर और पांच वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट आई। जैसा कि खंड I के अध्याय 9 में दर्शाया गया है, यह गिरावट प्रधान मंत्री जन औषधि योजना को आयुष्मान भारत के अन्तर्गत लाघु करने के परिणामस्वरूप आई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवश्यक दवाओं, हैंड सेनिटाइजर, मास्क सहित सुरक्षात्मक उपकरण, पीपीई किट, वेंटिलेटर ओर पर्याप्त परीक्षण और उपचार सुविधाओं के साथ-साथ आबादी का टीकाकरण करने के लिए कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक आवंटन किया गया है। 2020-21 के दौरान आजीविका के नुकसान पर कोविड-19 प्रेरित प्रतिबंधों के प्रभावों को कम करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे कि आत्म निर्भर योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देना, मनरेगा के लिए उच्चतर आवंटन, गंतव्य राज्य में प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान और अर्थव्यवस्था क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए पथप्रवर्तक सुधारों को लागू किया गया है।

परिचय

10.1 कोविड-19 ने महामारी का सामना करने वाले समाजों, राज्यों और देशों की कमजोरियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भारत ने 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिसने कोविड-19 की वजह से मौतों की संख्या को कम करने में मदद की और साथ ही बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए और इससे भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाने में मदद मिली। लेकिन लॉकडाउन की संवेदनशील और अनौपचारिक क्षेत्र, शिक्षा प्रणाली और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा। सरकार ने मार्च, 2020 में “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना” के तहत ₹ 1.70 लाख करोड़ के प्रथम राहत पैकेज और मई, 2020 में ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत ₹ 20 लाख करोड़ के व्यापक प्रोत्साहन-सह-राहत पैकेज की घोषणा की। इन राहत उपायों के साथ ही वर्षों से सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप से जूझने के लिए देशों को समर्थ बनाया और अर्थव्यवस्था में V आकार का सुधार हुआ।

सामाजिक क्षेत्र के खर्च में रुझान

10.2 केंद्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों) पर व्यय 2014-15 से 2020-21 (बी.ई.) की अवधि के दौरान 6.2 से बढ़कर 8.8 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि सभी सामाजिक क्षेत्रों में देखी गई। शिक्षा के क्षेत्र में यह 2014-15 के 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 3.5 प्रतिशत और इसी अवधि के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 1.5 प्रतिशत रही। सरकारी बजट में सामाजिक सेवाओं का सापेक्ष महत्व भी, जैसा कि कुल बजटीय खर्चों में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय के हिस्से के रूप में मापा जाता है, 2014-15 के 23.4 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 (बीई) में 26.5 प्रतिशत हो गया है (तालिका-1)

तालिका 1: सरकार द्वारा समाज सेवा क्षेत्र व्यय में रुझान (केंद्र और राज्यों का संयुक्त रूप से)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 आरई	2020-21 बीई
(लाख करोड़ ₹ में)							
कुल बजट व्यय	32.85	37.61	42.66	45.16	50.41	58.76	64.70
समाज सेवा पर खर्च	7.68	9.16	10.41	11.40	12.78	15.31	17.16
<i>जिसमें से:</i>							
i) शिक्षा	3.54	3.92	4.35	4.83	5.26	6.13	6.75
ii) स्वास्थ्य	1.49	1.75	2.13	2.43	2.66	3.12	3.51
iii) अन्य	2.65	3.48	3.93	4.13	4.86	6.06	6.90
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में							
समाज सेवा पर खर्च	6.2	6.6	6.8	6.7	6.7	7.5	8.8
<i>जिसमें से:</i>							
i) शिक्षा	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.5
ii) स्वास्थ्य	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.8
iii) अन्य	2.1	2.5	2.6	2.4	2.6	3.0	3.5
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में							
समाज सेवा पर खर्च	23.4	24.3	24.4	25.2	25.4	26.1	26.5
<i>जिसमें से:</i>							
i) शिक्षा	10.8	10.4	10.2	10.7	10.4	10.4	10.4
ii) स्वास्थ्य	4.5	4.7	5.0	5.4	5.3	5.3	5.4
iii) अन्य	8.1	9.3	9.2	9.1	9.6	10.3	10.7
सामाजिक सेवा के प्रतिशत के रूप में							
i) शिक्षा	46.1	42.8	41.8	42.4	41.2	40.0	39.3
ii) स्वास्थ्य	19.4	19.1	20.5	21.4	20.8	20.4	20.5
iii) अन्य	34.6	38.0	37.7	36.2	38.0	39.6	40.2

स्रोत: संघ और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज, भारतीय रिज़र्व बैंक और सर्वेक्षण गणना

टिप्पणी:

- सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति; चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण; पानी की आपूर्ति और स्वच्छता; आवास; शहरी विकास; एस सी, एस टी और ओबीसी का कल्याण, श्रम और श्रम कल्याण; सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से प्रभावितों को राहत प्रदान करना आदि शामिल हैं
- 'शिक्षा' पर व्यय, 'शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति' पर व्यय से संबंधित है।
- 'स्वास्थ्य' पर व्यय में 'चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य', 'परिवार कल्याण' और 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' पर व्यय शामिल है।
- 2021-21 बीई + एनबी में सामाजिक क्षेत्र (पीएमजीकेवाई सहित), आवास और स्वास्थ्य पर एक विशेष आर्थिक पैकेज, आत्मनिर्भर भारत (एनबी) अभियान का निधि आवंटन शामिल है।
- बाजार की मौजूदा कीमतों पर जीडीपी में अनुपात 2011-12 पर आधारित है।
- 2016-17 तक के आंकड़े सभी राज्यों से संबंधित हैं। 2017-18 से आगे, यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

10.3 अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और महामारी को समाप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी। मई 2020 में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत के बराबर ₹ 20 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज की घोषणा की गई थी। बाद में नवंबर 2020 तक कुल ₹ 29.88 लाख करोड़ की अतिरिक्त सहायता की घोषणाएं की गईं। इसमें से, ₹ 4.31 लाख करोड़ का प्रावधान सामाजिक क्षेत्र के लिए किया गया था जिसमें (कोविड-19 सुरक्षा के लिए आर एंड डी अनुदान सहित), कामगारों और नियोक्ताओं, पटरी पर सामान बेचने वालों, मनरेगा के कामगार और एबीआरवाई आदि शामिल हैं।

मानव विकास

10.4 यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)¹ में वर्ष 2018 के 129वें रैंक की तुलना में वर्ष 2019 में भारत का रैंक 131 था। उल्लेखनीय है कि एचडीआई रैंकिंग में वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में आई 2 प्वाइंट की गिरावट अन्य देशों के सापेक्ष है। एचडीआई संकेतकों के उप-घटक-कर प्रदर्शन को देखते हुए भारत का प्रति व्यक्ति जीएनआई (2017 पीपीपी\$) 2018 में 6442 अमरीकी \$ से बढ़कर 2019 में 6681 अमरीकी \$ हो गया है तथा “जन्म के समय जीवन प्रत्याशा” 2018 में 69.4 वर्ष से सुधरकर वर्ष 2019 में 69.7 वर्ष हो गई है। हालांकि वर्ष 2018 की तुलना में स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों और अनुमानित वर्षों में 2019 में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि एचडीआई समायोजित प्लेनिटरी प्रैशर (पीएचडीआई)² के मान को ध्यान में रखते हुए भारत 8वें रैंक पर था जो एचडीआई रैंक से बेहतर थी। यदि कोई देश हमारे ग्रह पर करेई दबाव नहीं डालता तो इसका पीएचडीआई और एचडीआई समान होगा। लेकिन दबाव की मात्रा में वृद्धि के साथ पीएचडीआई, एचडीआई से नीचे आ जाता है। 0.7 या उससे कम की एचडीआई मान वाले देशों के लिए पीएचडीआई मान, एचडीआई मानों के बहुत निकट होती है। (तालिका 2)

तालिका 2: भारत के एचडीआई मान और उसके उप-घटकों का रूझान

वर्ष	1990	2000	2005	2010	2015	2017	2018	2019
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	57.9	62.5	64.5	66.7	68.6	69.2	69.4	69.7
स्कूली शिक्षा के अनुमानित वर्ष ^b	7.6	8.3	9.7	10.8	12.0	12.3	12.2	12.2
स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष ^b	3.0	4.4	4.8	5.4	6.2	6.5	6.5	6.5
प्रति व्यक्ति जी एन आई ^a	1,787	2,548	3,217	4,182	5,391	6,119	6,427	6,681
एचडीआई मान	0.429	0.495	0.536	0.579	0.624	0.640	0.642	0.645

*पृष्ठ सं. 2 से लें।

स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट, 2020, यूएनडीपी।

टिप्पणी: (a) सकल राष्ट्रीय आय 2017 डॉलर क्रय शक्ति समता (पीपीपी) पर आधारित है, (b) डाटा 2019 या सबसे हाल ही के उपलब्ध वर्ष से संबंधित है।


10.5 भारत के लिए एचडीआई का मूल्य 2010 में 0.579 से बढ़कर 2019 में 0.645 हो गया है। 2010-2019 के दौरान औसत वार्षिक एचडीआई वृद्धि, 2000-2010 की अवधि के दौरान 1.58 प्रतिशत की तुलना में 1.21 प्रतिशत थी। औसत वार्षिक एचडीआई वृद्धि के क्रॉस कंट्री तुलना से पता चलता है कि भारत ब्रिक्स

1 The Human Development Report (HDR) published by the United Nations Development Programme (UNDP) estimates the human development index (HDI) in terms of three basic parameters: to live a long and healthy life, to be educated and knowledgeable, and to enjoy a decent economic standard of living.

2 The adjustment factor for PHDI is calculated as the arithmetic mean of indices measuring carbon dioxide emissions per capita and material footprint per capita.

(चित्र 1) से आगे है। इस गति को बनाए रखने के लिए और मानव विकास पर कोविड-19 के संभावित घाटे से उबरने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है।

चित्र 1: औसत वार्षिक एचडीआई वृद्धि दर (प्रतिशत) (2010-2019)



स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट, 2020, यूएनडीपी

सभी के लिए गुणवत्ता पूर्ण श्रेष्ठ शिक्षा

10.6 भारत में अगले दशक में दुनिया में सबसे अधिक युवा लोगों की आबादी होगी, और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसर प्रदान करने की हमारी क्षमता हमारे देश के भविष्य का निर्धारण करेगी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)। सभी स्तरों पर स्कूल और उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सकल नामांकन में प्रगति तालिका 3 में दी गई है। यू-डीआईएसई + 2018-19³, के अनुसार, 9.72 लाख से अधिक सरकारी प्रारंभिक स्कूल के प्रत्यक्ष आधारभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है। इनमें से 90.2 प्रतिशत बालिकाओं के लिए शौचालय और 93.7 प्रतिशत बालकों के लिए शौचालय शामिल हैं। 95.9 प्रतिशत पेयजल की सुविधा है। 88 प्रतिशत विद्यालय में हाथ धोने की सुविधा है, 82.1 प्रतिशत में धोने की (पीने का पानी, शौचालय और हैंड वॉश/(हस्त प्रक्षालन) सुविधा है, 84.2 प्रतिशत के पास मेडिकल चेक-अप (स्वास्थ्य जांच) की सुविधा है, 20.7 प्रतिशत के पास कंप्यूटर है और 67.4 प्रतिशत के पास बिजली का कनेक्शन है, 74.2 प्रतिशत के पास रैंप की सुविधा है, 56.5 प्रतिशत की बाउंड्री वॉल है, 69.3 प्रतिशत के पास खेल का मैदान है, 83.8 प्रतिशत के पास पुस्तकालय है, 21.5 प्रतिशत में किचन गार्डन और 13.9 प्रतिशत में वर्षा जल संचयन संरचना मौजूद है, 23.6 प्रतिशत के पास पानी की जांच करने की सुविधा है और 14.8 प्रतिशत के पास इनसिनीरेटर है।

तालिका 3: मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे के संख्या में वृद्धि

वर्ष	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय (लाखों में)	माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लाखों में)	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय
2011-12	11.93	2.12	34852	642
2018-19	12.37	2.76	39931	993

स्रोत: शिक्षा संबंधी आंकड़े एक नजर में, 2018 और यू-डी आईएसई + रिपोर्ट और एआईएसएचई रिपोर्ट 2018-19, शिक्षा मंत्रालय

3 द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यू-डीआईएसई +) स्कूली शिक्षा पर विभिन्न सूचकों पर डाटा संग्रहण करता है। इस रिपोर्ट के लिए प्राथमिक या प्राइमरी कक्षाओं के संचालन करने वाले विद्यालयों को “एलीमेंट्री स्कूल” स्कूल” माना गया है।

10.7 हालांकि भारत ने प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लगभग 96 प्रतिशत साक्षरता स्तर प्राप्त किया है, फिर भी हम 100 प्रतिशत साक्षरता हासिल करने में पीछे हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की साक्षरता पर 77.7 प्रतिशत थी, लेकिन सामाजिक-धार्मिक समूहों के बीच साक्षरता दर में अंतर के साथ-साथ लिंग भेद अभी भी कायम है (तालिका-4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, हिंदू वाद और इस्लाम/मुस्लिम के बीच महिला साक्षरता दर, राष्ट्रीय औसत से नीचे रही।

तालिका 4: 2017-18 में सामाजिक/धार्मिक समूह के अनुसार साक्षरों का प्रतिशत (आयु 7 वर्ष और अधिक)

श्रेणी सामाजिक समूह	ग्रामीण + शहरी		श्रेणी धार्मिक समूह	ग्रामीण + शहरी	
	पुरुष	महिला		पुरुष	महिला
अनुसूचित जनजाति	77.5	61.3	हिन्दू	85.1	70.0
अनुसूचित जाति	80.3	63.9	इस्लाम	80.6	68.8
अन्य पिछड़ा वर्ग	84.4	68.9	ईसाई	88.2	82.2
अन्य	90.8	80.6	सिक्ख	87.3	75.9
सभी	84.7	70.3	समस्त^	84.7	70.3

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट 585: भारत में शिक्षा पर हाउसहोल्ड सामाजिक उपभोग, 2017-18

नोट: ^ सभी में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और अन्य धर्म शामिल हैं।

10.8 आयु विशिष्ट उपस्थिति अनुपात (एएसएआर) एक विशेष आयु वर्ग के बच्चों के अनुपात को इंगित करता है जो वास्तव में स्कूल या कॉलेज में उस स्तर या कक्षा से संबंधित होते हैं जिसमें वे पढ़ रहे हैं। 6-13 वर्ष की आयु के बच्चों ने सभी राज्यों (तालिका 5) में लगभग 95 प्रतिशत और उससे अधिक उपस्थिति दर्ज की है। लेकिन संबंधित राज्यों की शिक्षा की स्थिति में बेहतर उपलब्धि के बावजूद प्रारंभिक बाल शिक्षा में उपस्थिति दर, जिस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में विशेष तौर पर कम जोर दिया गया है, बहुत कम होने के साथ-साथ भिन्न भी है। जहां एक ओर पंजाब में 3-5 वर्ष के बच्चों की (अर्थात प्रारंभिक शिक्षा) उपस्थिति दर 61.6 प्रतिशत दर्शाई गई है, वहीं कर्नाटक में न्यूनतम उपस्थिति दर केवल 18.3 प्रतिशत ही रही है। 14-17 वर्ष की आयु वर्ग में जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर को कवर करता है, उपस्थिति दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है, खासकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, गुजरात और राजस्थान में। 18-23 वर्ष के आयु वर्ग में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की उपस्थिति दर केरल और पहाड़ी राज्यों में शेष भारत की तुलना में उच्च रही है।

तालिका 5: विभिन्न आयु समूहों (2017-18) के लिए राज्य-वार आयु विशिष्ट उपस्थिति अनुपात (प्रतिशत)

राज्य	3-5 वर्ष	6-10 वर्ष	11-13 वर्ष	14-17 वर्ष	18-23 वर्ष
आंध्र प्रदेश	37.9	97.5	96.7	83.0	27.2
असम	35.2	97.5	96.9	74.7	21.9
बिहार	22.0	91.0	95.4	79.5	24.5
छत्तीसगढ़	25.3	96.6	95.5	81.9	22.7

राज्य	3-5 वर्ष	6-10 वर्ष	11-13 वर्ष	14-17 वर्ष	18-23 वर्ष
दिल्ली	48.1	99.0	89.6	90.4	31.6
गुजरात	31.4	97.5	93.7	74.8	20.5
हरियाणा	46.7	98.3	94.7	83.8	31.5
हिमाचल प्रदेश	54.8	99.9	99.3	94.7	42.2
जम्मू कश्मीर	28.2	97.9	97.2	87.6	46.4
झारखंड	35.0	97.1	95.7	79.2	22.8
कर्नाटक	18.3	97.4	98.1	83.6	30.3
केरल	58.3	100.0	100.0	98.3	47.4
मध्य प्रदेश	24.7	92.9	93.6	69.4	23.5
महाराष्ट्र	39.1	98.0	97.0	86.2	36.2
उड़ीसा	20.5	98.2	94.2	68.6	18.0
पंजाब	61.6	96.9	98.6	86.3	31.8
राजस्थान	35.8	93.1	93.0	75.9	34.8
तमिलनाडु	53.9	99.6	99.5	89.8	35.0
तेलंगाना	56.1	99.5	98.4	94.0	30.9
उत्तराखंड	28.7	99.1	97.8	92.5	43.9
उत्तर प्रदेश	26.4	90.6	89.4	68.0	27.6
पश्चिम बंगाल	40.0	97.8	92.9	79.6	24.9
अखिल भारत	33.1	95.0	94.5	78.5	28.8

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट 585: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग

10.9 सरकारी स्कूलों और सरकारी संस्थानों में सस्ती और प्रतिस्पर्धी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने शिक्षा पर 1986 की 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति की जगह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की घोषणा की। नई नीति का उद्देश्य देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है (बॉक्स 2)। इसका उद्देश्य सभी छात्रों को उनके निवास स्थान की परवाह किए बिना, हाशिए पर पड़े, वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान देने के साथ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है।

बॉक्स 1: 2020-21 के दौरान स्कूली शिक्षा के लिए कार्यक्रम और योजनाएँ

समग्र शिक्षा स्कूलिंग के समान अवसरों और समान अधिगम परिणामों के संदर्भ में स्कूल प्रभावी उपायों में सुधार के विस्तृत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समग्र शिक्षा, एक अति महत्वपूर्ण को स्कूल शिक्षा सेक्टर में प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक कार्यान्वित किया गया है। योजना की परिकल्पना, शिक्षा के लिए एसडीजी के साथ प्री-स्कूल से उच्च माध्यमिक स्तर पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना है। योजना के मुख्य परिणामों में व्यवसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को मजबूत करने को शामिल करते हुए वैश्विक पहुंच, समानता और गुणवत्ता पर विचार करना है। योजना को 2018-19 में, निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं के साथ प्रारंभ किया गया था:

शिक्षा में समग्रतात्मक दृष्टिकोण: पहली बार उच्च माध्यमिक स्तर और प्री-स्कूल स्तर पर सहायता को शामिल करते हुए प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक एक सांतव्यक के रूप में स्कूली शिक्षा के साथ समग्रतात्मक बर्ताव।

शिक्षा की गुणवत्ता पर बल:

- दो टी-टीचर और टेक्नालाजी, पर बल देते हुए, शिक्षा की गुणवत्ता और अधिनियम परिणाम में सुधार पर अधिक बल।
- शिक्षकों और स्कूली प्रमुखों, बीआरसी, सीआरसी की क्षमता निर्माण को बढ़ाना।
- शिक्षा प्रणाली में भावी शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु एससीईआरटी और डीआईटी जैसे शिक्षक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने पर बल देना।
- पुस्तकालयों को मजबूत बनाने के लिए प्रति स्कूल वार्षिक अनुदान: पुस्तकालय अनुदान ₹ 5000 से बढ़कर ₹ 20,000 ।
- विज्ञान और गणित अधिगम के प्रसार हेतु राष्ट्रीय अविष्कार अभियान को समर्थन।

डिजिट शिक्षा को बढ़ावा देना:

- स्कूलों में उच्च प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल बोर्ड तथा डीटीएच चैनलों तथा आईसीटी अवसंरचना के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ाना।
- “दिक्षा” नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को समर्थन देना, जो शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को विद्यालय संबंधी विनिर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

विद्यालयों को मजबूती प्रदान करना:

- सरकारी विद्यालयों में अवसंरचना की गुणवत्ता में सभी स्तरों पर सुधार करना।
- विद्यालयों में सार्वभौमिक प्रवेश के लिए कक्षा I से लेकर VIII तक के बच्चों को वर्धित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना।
- मिश्रित विद्यालय अनुदान को ₹ 14,500-50,000 से ₹ 25,000-1 लाख तक की वृद्धि की गई और जिसे स्वच्छ क्रियाकलाप जो ‘स्वच्छ विद्यालय’ को समर्थन प्रदान करता है, उसे कम से कम 10 प्रतिशत आवंटन के साथ विद्यालय नामांकन के आधार पर आवंटित किया जाना है।

बालिका शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना:

- कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 तक कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) का उन्नयन।
- प्राथमिक से ऊपर वाले कक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक के चरण वाले कक्षाओं में मौजूद बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना।
- कक्षा I से XII-केवल प्रारम्भिक IX से XII के सी.डब्ल्यू.एस.एन. की बालिकाओं को स्टाइपेंड दिया जाना है।
- ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ को वर्धित प्रतिबद्धता प्रदान करना।

समावेश पर ध्यान केंद्रित करना:

- प्रति वर्ष ₹ 400 से बढ़ाकर ₹ 600 प्रति बच्चे के लिए आर.टी.ई. अधिनियम के तहत यूनिफार्म्स का आवंटन करना।
- प्रति वर्ष ₹ 150/250 से बढ़ाकर ₹ 250/400 तक प्रति बच्चे के लिए आर.टी.ई. अधिनियम के तहत पाठ्य-पुस्तकों का आवंटन करना। अतः इसमें क्यू.आर. कोड वाले पाठ्य-पुस्तकों की शुरुआत की गई।
- प्रति वर्ष ₹ 3000 से बढ़ाकर ₹ 3500 तक प्रति बच्चे के लिए चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) का आवंटन करना। कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जरूरतमंद बालिकाओं को ₹ 200 प्रति माह छात्रवृत्ति देना।
- प्रारम्भिक स्तर पर विद्यालय के बच्चों के अलावा विद्यालय से बाहरी बच्चों को उपयुक्त आयु में दाखिला कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण देना।

कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना:

- कक्षा 9-12 के लिए इस पाठ्यक्रम में समन्वित व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्थित कर इसे अत्यधिक व्यावहारिक व उद्योग उन्मुख बनाया जाना चाहिए।

खेल और शारीरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना:

- खेल शिक्षा इस पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए और प्रत्येक विद्यालय खेल के औचित्य को समझकर इसके महत्व पर बल देने के लिए ₹ 5,000 से लेकर ₹ 25,000 तक की लागत पर खेल उपकरण प्राप्त करेगा।

क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना:

- संतुलित शिक्षा विकास को बढ़ावा देना
- शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखंडों (ई.बी.बी.), एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित जिले, विशेष केंद्रित जिले (एस.एफ.डी.), सीमा क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा अभिनिर्धारित 115 आकांक्षापूर्ण जिलों को वरीयता देना।
- निष्ठा (नेशनल इनीसिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलीस्टिक एडवांसमेंट) नामक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए प्राथमिक स्तर पर अध्ययन परिणाम में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन, समग्र शिक्षा योजना के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षण और अध्ययन की आवश्यकताओं को प्रासंगिक बनाकर इसे 100 प्रतिशत ऑनलाइन किया गया।
- पढ़ना-लिखना अभियान वित्त वर्ष 2020-21 में 57 लाख शिक्षार्थियों को साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ ₹ 142.6 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ एक वयस्क शिक्षा योजना शुरू की गई थी।
- वर्ष 2019-20 के दौरान स्कूलों में मिड-डे मील (एमडीएम) प्रोग्राम में 11.34 लाख पात्र स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं (I से VIII) में नामांकित 11.59 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया। कोविड-19 के दौरान स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां के दौरान पात्र बच्चों को एकबारगी उपाय पर विशेष भोजन के रूप में खाद्यान्न और दालें, तेल आदि (खाना पकाने की लागत के बराबर) प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

बॉक्स 2 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020


- वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के साथ प्राग्विद्यालय (प्री.स्कूल) से माध्यमिक स्तर तक सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना।
- सभी तक शिक्षा की पहुंच को सुगम बनाकर तथा मुक्त विद्यालय (ओपन स्कूल) प्रणाली में विस्तार करके स्कूल जाने वाले बच्चों में से लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने का लक्ष्य है।
- वर्तमान 10+2 की प्रणाली के स्थान पर 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः 5+3+3+4 वर्ष की नई पाठ्यक्रम संरचना को प्रतिस्थापित किया जाना है।
- 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को सरल बनाया जाएगा जिससे उनमें केवल याद किए गए तथ्यों की ही जांच नहीं बल्कि विद्यार्थियों की आंतरिक दक्षता का मूल्यांकन भी किया जा सकेगा।
- सरकारी और निजी दोनों तरह के विद्यालयों के लिए सार्वजनिक डॉमेन में ऑनलाइन घोषणा पर आधारित नया मानक फ्रेमवर्क लाकर स्कूल प्रशासन के स्वरूप को बदलने की तैयारी है।
- आधारभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान पर बल दिया जाएगा, तथा स्कूलों में शैक्षिक शाखा, पाठेयतर गतिविधियों तथा व्यावसायिक शाखा के बीच कोई कड़ा विभाजन नहीं किया जाएगा।
- व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ की जाएगी और साथ में इंटर्नशिप भी करायी जाएगी।
- जहां तक संभव हो सकेगा कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। किसी भी छात्र को किसी भाषा को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

- 360-डिग्री समग्र प्रगति कार्ड (हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड) के जरिए मूल्यांकन पद्धति में सुधार किया जाएगा जिससे विद्यार्थी के सीखने की गति पर नजर रखी जा सकेगी।
- स्कूली शिक्षा, बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, शिक्षकों के शिक्षण एवं वयस्क शिक्षा के लिए नई और व्यापक पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई है।
- वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री न्यूनतम डिग्री योग्यता निर्धारित होगी।

स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव


10.10मार्च 2020 से ज्यादातर स्कूल कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के चलते बंद पड़े हैं तथा बच्चों को घर पर उपलब्ध साधनों का उपयोग करके उनके घर में ही ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान दूरस्थ-अधिगम एवं दूरस्थ स्थानों से कार्य के मद्देनजर डाटा नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक-उपकरणों-कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि की उपलब्धता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। अक्टूबर 2020 में जारी की गई

चित्र 2: कंप्यूटर चलाने और इंटरनेट का उपयोग कर सकने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों (आयु 5-14 वर्ष तथा 15-29 वर्ष) की प्रतिशतता, वर्ष 2017-18



स्रोत: एन एस एस रिपोर्ट संख्या 585- भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक खपत (कंजम्पशन), 2017-18

चित्र 3: सामान्य मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के प्रत्येक पंचमक वर्ग के लिए कंप्यूटर तथा इंटरनेट सुविधा वाले घरों की प्रतिशतता, 2017-18



स्रोत: एन एस एस रिपोर्ट संख्या 585 - भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक खपत (कंजम्पशन) , 2017-18

वार्षिक शैक्षिक स्थिति रिपोर्ट (ए एस ई आर) 2020 वेव-1 (ग्रामीण क्षेत्र) के अनुसार ग्रामीण भारत में सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित ऐसे बच्चों की संख्या, जिनके पास स्मार्टफोन हैं, वर्ष 2018 में 36.5 प्रतिशत थी जिसकी तुलना में वर्ष 2020 में यह भारी बढ़ोतरी के साथ 61.8 प्रतिशत हो गयी है। परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, महिलाओं और पुरुषों, विभिन्न आयु समूहों, विभिन्न आयु वर्गों के बीच डिजिटल विभाजन की विषमता में जो कमी आई है, यदि इस स्थिति का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो शैक्षिक परिणामों में पाई जाने वाली विषमता को कम किया जा सकता है (चित्र 2 व 3)। इस प्रक्रिया को सुगम करने के लिए सरकार इस महामारी के समय में बच्चों को शिक्षा सुलभ कराने के लिए कई उपाय लागू कर रही है। (बॉक्स 3)

बॉक्स 3: कोविड-19 महामारी के समय में स्कूल के छात्रों के लिए की गई पहल

1. **पी एम ई विद्या:** इस पहल की घोषणा मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए की गई थी। यह छात्रों और शिक्षकों तक शिक्षा को बहु-पद्धति से और न्यायसंगत रूप से पहुंचाने को सुगम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने की एक व्यापक पहल है। स्कूली शिक्षा के चार पी एम ई - विद्या घटक इस प्रकार हैं:
 - (क) **एक राष्ट्र, एक डिजिटल शैक्षिक बुनियादी ढांचा:** इस घटक के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एकल डिजिटल बुनियादी ढांचे अर्थात 'दीक्षा' (DIKSHA) के लिए निःशुल्क एक्सेस प्रदान की गई है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, अत्यधिक अनुकूलनीय है तथा इसे वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। यह पाठ्यक्रम से संबंधित व्यापक ई-सामग्री के लिए विभिन्न यूज केसों तथा समाधानों जैसे क्यू आर कोडित सक्रिय पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी), शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रमों, प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से पहुंच प्रदान करता है। लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से 'दीक्षा' को 800 करोड़ से अधिक बार देखा (हिट किया) गया है। अप्रैल 2020 में विद्यादान पोर्टल को दीक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्य सामग्री योगदान कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था जिसने दीक्षा प्लेटफॉर्म को तथा शैक्षिक निकायों, निजी निकायों और अलग-अलग विशेषज्ञों से स्कूली शिक्षा के लिए ई-लर्निंग संसाधनों के लिए योगदान/दान किए जाने की मांग करने तथा अनुमति दिए जाने के साधनों को सशक्त बनाया है।
 - (ख) **एक कक्षा, स्वयं प्रभा टी.वी. चैनलों के माध्यम से एक टी.वी. चैनल:** स्वयं प्रभा डी टी एच चैनल उन लोगों की सहायता एवं उपयोग के लिए प्रारंभ किए गए हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 12 चैनल स्कूली शिक्षा से जुड़े उच्च स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए नियत कर दिए गए हैं। इनका पायलट/बीटा संस्करण अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया है।
 - (ग) **रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग:** दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले उन बच्चों के लिए रेडियो प्रसारण का उपयोग किया जा रहा है जो ऑनलाइन नहीं है। सी आई ई टी एन सी ई आर टी ने 303 खंडों में पाठ्यक्रम आधारित रेडियो कार्यक्रम (कक्षा 1-8 तक के लिए) तैयार किए हैं जिन्हें 12 ज्ञानवाणी एफ एम रेडियो स्टेशनों, 60 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, iRadio तथा Jio सावन मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रसारित किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के लिए एन आई ओ एस के लिए पाठ्य सामग्री प्रसारित करने के लिए 289 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का उपयोग किया गया है। सी बी एस ई के 'शिक्षा वाणी' नाम के पॉडकास्ट को कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षार्थियों द्वारा कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के सभी विषयों से संबंधित श्रव्य पाठ्य सामग्री 430 से अधिक खंडों में शामिल की गई है।

(घ) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था: एक डी टी एच चैनल विशेष रूप से बधिर विद्यार्थियों के लिए सांकेतिक भाषा में चलाया जा रहा है। दृष्टिबाधित और बधिर छात्रों के लिए डिजिटल रूप से सुगम्य सूचना प्रणाली (DAISY) और सांकेतिक भाषा में अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। उक्त दोनों तरह की सामग्री एन आई ओ एस वेबसाइट/यू-ट्यूब पर उपलब्ध है। 25 एन सी ई आर टी पाठ्य पुस्तकों को भी DAISY प्रारूप में परिवर्तित किया गया है।

2. मुक्त विद्यालयों एवं पूर्व-सेवा शिक्षा के लिए स्वयं एम ओ ओ सी (मैसिव ओपन ऑन लाइन कोर्स): एन आई ओ एस (कक्षा 9 से 12 तक मुक्त विद्यालय शिक्षा के लिए) से जुड़े एम ओ ओ सी स्वयं (SWAYAM) पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। लगभग 92 पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए हैं तथा स्वयं एम ओ ओ सी के तहत 1.5 करोड़ विद्यार्थियों को नामांकित किया गया है।
3. डिजिटल पहल के लिए वित्तीय सहायता: कोविड-19 के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को डिजिटल पहलों के जरिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 818.17 करोड़ रूपए तथा समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को ऑन लाइन प्रशिक्षण देने के लिए 267.86 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं।
4. मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार (एन आर ओ ई आर): एन आर ओ ई आर ई-पाठ्य सामग्री का मुक्त ज्ञान भंडार है। यहां सभी कक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों पर लगभग 17,500 खंडों में ई-पाठ्य सामग्री उपलब्ध है।
5. डिजिटल शिक्षा संबंधी प्रज्ञता दिशानिर्देश: ये दिशानिर्देश ऑनलाइन/संयुक्त/डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए थे जो वर्तमान परिस्थितियों में स्कूल बंद होने के कारण घर पर ही रहकर पढ़ रहे हैं।
6. मनोदर्पण: आत्मनिर्भर भारत अभियान में 'मनोदर्पण' पहल को मनोसामाजिक सहयोग देने के लिए शामिल किया गया है। यह शिक्षा क्षेत्र में सुधारों तथा पहलों के माध्यम से उत्पादकता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए मानव पूंजी को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों का एक हिस्सा है।

कौशल विकास

10.11 ग्रामीण, शहरी और लिंग आधारित वर्गीकरण में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी एल एफ एस) के वार्षिक चक्र में कुशल लोगों के अनुपात में सुधार हुआ है (तालिका 6)। हालांकि कौशल अर्जन का स्तर

तालिका 6: 15-29 वर्ष एवं 15-59 वर्ष की आयु वाले उन लोगों की प्रतिशतता जिन्होंने वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया था

आयु समूह	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र			अखिल भारत		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2017-18									
15-29 वर्ष	2.0	1.3	1.7	4.6	4.2	4.4	2.8	2.2	2.5
15-59 वर्ष	1.5	0.9	1.2	4.0	3.3	3.7	2.3	1.7	2.0
2018-19									
15-29 वर्ष	2.4	1.5	2.0	4.8	4.6	4.7	3.2	2.5	2.8
15-59 वर्ष	1.8	1.1	1.5	4.9	3.9	4.4	2.8	2.0	2.4

स्रोत: पी एल एफ एस वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19

कम रहा क्योंकि 15-59 वर्ष आयु वर्ग के केवल 2.4 प्रतिशत कार्यबल ने औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इसके अलावा अन्य 8.9 प्रतिशत कार्यबल ने अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 8.9 प्रतिशत कार्यबल में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने काम करते हुए (ऑन-द-जॉब) प्रशिक्षण (3.3 प्रतिशत) प्राप्त किया है उसके बाद अपने प्रयासों से सीखने वाले लोग (2.5 प्रतिशत) तथा वंशानुगत स्रोतों (2.1 प्रतिशत) और अन्य स्रोतों से सीखने वाले लोग 1 प्रतिशत आते हैं।

10.12 उन लोगों में से जिन्होंने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, पुरुष और महिला दोनों ने अधिकांशतः आईटी-आईटीईएस का प्रशिक्षण कोर्स का चयन किया है, उसके बाद पुरुषों के लिए इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूंजीगत-माल-सामरिक विनिर्माण, ऑटोमोटिव, कार्यालय और व्यवसाय सम्बद्ध कार्यों का चुनाव किया गया जबकि महिलाओं के लिए कपड़ा हथकरघा परिधान, कार्यालय और व्यवसाय सम्बद्ध कार्य, स्वास्थ्य देखभाल, जीव विज्ञान और शिशु देखभाल-पोषण-स्कूल पूर्व और क्रेच से सम्बद्ध कार्यों को चुना था। सरकार विविध कौशल विकास पहलुओं के प्रति भारत के भौगोलिक लाभ के सभी उपायों को करने के लिए कटिबद्ध है (बॉक्स 4)।

बॉक्स 4: कौशल विकास पहलों के तहत नीतिगत सुधार

- एकीकृत कौशल नियामक का संचालन करना:** कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक गतिशील और विश्वसनीय बनाने के लिए एकीकृत कौशल नियामक नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनसीवीईटी) के संचालन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अधिक विश्वसनीय प्रमाणन और निर्धारण के लिए प्रथम प्रयास के रूप में, अक्टूबर 2020 में अवार्ड/मूल्यांकन निकाय दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए। नए नियामक द्वारा विशिष्ट संख्यात्मक प्रमाणन भी अनुमोदित किया गया। नियामक क्षमता अंतरराष्ट्रीय मानक के समतुल्य नियामक संस्था बनाने के उद्देश्य से विविध मानकीकरण प्रक्रिया, नियामक प्रणाली, मानव संसाधन, एलएमआईएस और अनुसंधान क्षमताओं का अधिसूचना के माध्यम से निरंतर रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 3.0):** पीएमकेवीवाई 3.0 का प्रथम चरण 2020-21 में प्रारंभ किया गया था, जिसमें प्रवासियों सहित 8 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रदान करने का एक अस्थायी लक्ष्य रखा गया। कार्य भूमिका की पहचान और रूपरेखा तैयार करने के लिए रणनीतिक कार्यान्वयन नीति में प्रतिमान विस्थापन द्वारा सबसे निचले स्तर को उठाने की मांग चालित सतही दृष्टिकोण अपनाया गया। पीएमकेवीवाई डीएससी 3.0 में राज्य कौशल विकास मिशन के नेतृत्व के तहत जिला कौशल समिति (डीएससी) को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जिला कौशल समिति (डीएससी) पीएमकेवीवाई 3.0 के कार्यान्वयन का केंद्र बिंदु होगा और जिला स्तर योजना, संघटन और अभ्यर्थियों को परामर्श, प्रशिक्षण बैचों की संरचना, गुणता आश्वासन की मॉनीटरिंग और प्रशिक्षण पश्च सहायता तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के साथ समन्वय में स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की चरण-वार शुरुआत की जाएगी। यह घटक कौशल विकास के मार्ग को खोलने के लिए कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए कार्यान्वित किया जाएगा।
- गुणता संवर्धन:** दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणता संवर्धन तथा संस्थान के बारे में विद्यार्थियों को विकल्प प्रदान करने के लिए, आईटीआई की ग्रेडिंग उनकी गुणता सुधार और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया था। 11,000 आईटीआई का ड्राफ्ट ग्रेडिंग पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। वृहत्तर औद्योगिक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, प्रशिक्षण का द्वैध प्रणाली का नया मॉडल और फ्लेक्सी एमओयू कार्यान्वित की गई है जिसके अंतर्गत उद्यमों के साथ से अधिक 950 एमओयू पहले ही हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं।
- स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में व्यावसायिक और औपचारिक एकीकरण:** स्कूल तथा उच्च शिक्षा में व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा दोनों का एकीकरण सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) के एकीकरण के प्रयास से एनईपी, 2020 को काफी प्रोत्साहन मिला, जिससे स्कूल और उच्चतर शिक्षा

के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले 5 वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर मिला है। व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण एकीकरण के कुछ मुख्य घटकों में स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्तानक स्तर पर अध्ययन तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश में समान महत्व शामिल है। व्यावसायिक से सामान्य और सामान्य से व्यावसायिक में जाने के लिए हर प्रकार का ड्राफ्ट क्रेडिट फ़्रेमवर्क, विकसित किया गया। स्कूलों में वीडियो के प्रारंभिक शुरुआत के संकल्पनात्मक ढांचा के साथ 3 राज्यों में 'हब-एन-स्पोक' 'hub-n-spoke' मॉडल भी विकसित किया जा रहा है और आस-पास के 5-7 स्कूलों के विद्यार्थियों को वीडियो से सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें जानकारी देने के लिए आईटीआई 'हब' बनता जा रहा है। यह आशा की जाती है कि शिक्षा प्रणाली का औपचारिक और व्यावसायिक कृत्रिम पृथक्करण का शिक्षा में इससे अंत होगा ऐसे ढांचागत निर्बाध एकीकरण को समाप्त कर देगा।

रोजगार की स्थिति

10.13 पीएलएफ आंकलनों के आधार पर वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, प्रधान स्तर (पीएस)+गौण स्तर पर (एसएस)⁴ ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के लिए सभी आयु-वर्ग के लिए (तालिका 7) पुरुष-महिला के संबंध में कुल श्रम बल, रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े ज्ञात किए गए हैं।

तालिका 7: वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए श्रमिक बल, रोजगार और बेरोजगारी का अनुमान (सभी आयु; पी एस + एस एस, करोड़ में)

श्रेणी	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2017-18									
श्रमिक बल	25.48	8.67	34.15	13.25	3.57	16.82	38.73	12.24	50.97
रोजगार	23.91	7.70	31.61	12.39	3.15	15.53	36.29	10.85	47.14
बेरोजगारी	1.57	0.97	2.54	0.86	0.42	1.29	2.44	1.39	3.83
2018-19									
श्रमिक बल	25.77	8.77	34.54	13.60	3.68	17.28	39.37	12.45	51.82
रोजगार	24.37	8.46	32.83	12.64	3.31	15.96	37.01	11.77	48.78
बेरोजगारी	1.40	0.31	1.71	0.96	0.37	1.33	2.36	0.68	3.04

स्रोत: पीएलएफएस 2017-18 और 2018-19 सर्वेक्षण के अनुमानित अनुमान निकटतम हैं।

टिप्पणी 1: 1 जनवरी, 2018 को अनुमानित जनसंख्या 135 करोड़ थी जिसे एनएसओइयूएस (2011-12) सूत्र $A=A1[1*(82/100)]$ का उपयोग करते हुए पता लगाया गया और 1 जनवरी 2019 के अनुसार अनुमानित जनसंख्या 137 करोड़ थी जिसे सूत्र $A=A1*[R/100]$ (94/120) का उपयोग करते हुए पता लगाया गया, जहां 11, 1 मार्च 2011 के अनुसार जनगणना जनसंख्या है, आए जनगणना 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या में प्रतिशतता दशकीय परिवर्तन है और 1 क्रमशः 1 जनवरी, 2018 और 1 जनवरी 2019 के अनुसार अनुमानित जनसंख्या है।

टिप्पणी 2: 1 मुख्य स्थिति (ps) गतिविधि का मापन करता है जिसमें व्यक्ति ने संदर्भ वर्ष (मुख्य समय मानदण्ड) में अपेक्षाकृत लंबा समय व्यतीत किया है जबकि गौण स्थिति मापन करता है जिसने कार्यबल में से अधिकांश दिवस व्यतीत किया है, किंतु समय (30 दिन से अधिक) की अल्प अवधि के लिए कार्य किया है

4 सामान्य स्थिति (PS+SS) में कामगारों को सामान्य प्रधान स्थिति (PS) तथा गौण स्थिति (SS) को मिलाकर शामिल किया जाता है। सामान्य स्थिति (PS+SS) वाले कामगारों में ये शामिल है। '(क)' वे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों में से सापेक्षतः लंबी अवधि तक काम किया था। (ख) शेष जनसंख्या में से वे व्यक्ति जिन्होंने सर्वे की तारीख से पहले 365 दिन की संदर्भ अवधि के दौरान कम से कम 30 दिनों तक कार्य किया था।

10.14 2018-19 में लगभग 51.8 करोड़ श्रमिक थे; जिसमें से 48.8 करोड़ नियोजित और 3.0 करोड़ बेरोजगार थे। 2017-18 और 2018-19 के बीच लगभग 0.85 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति देश के श्रम बल में शामिल हुए। इनमें से शहरी क्षेत्र से 0.46 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र से 0.39 करोड़ थे। इन में लगभग 0.64 करोड़ पुरुष और 0.21 करोड़ महिलाएं थीं, कार्यबल में लगभग 1.64 करोड़ व्यक्ति और शामिल हुए जिसमें से 1.22 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र और 0.42 करोड़ शहरी क्षेत्र से थे। इन में 0.92 करोड़ महिलाएं और 0.72 करोड़ पुरुष थे। 2017-18 और 2018-19 के बीच नियोजित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि और अनियोजित व्यक्तियों की संख्या में कमी देखी गई जो लगभग 0.79 करोड़ थी, महिलाओं की अधिकतर संख्या ग्रामीण क्षेत्र से थी। महिला श्रमिक बल सहभागिता दर 2017-18 में 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 18.6 प्रतिशत हो गया। ये तथ्य दर्शाता है कि रोजगार की दृष्टि से 2018-19 वर्ष अच्छा रहा।

सारणी 8: श्रमिकों की संख्या (पीएस. एस एस), सेक्टर, लिंग और रोजगार की स्थिति द्वारा सभी आयु (करोड़ में)

2018-19	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्व-नियोजित	13.99	5.05	19.04	4.89	1.14	6.04	18.88	6.19	25.07
स्वयं खाता कर्मी और नियोक्ता	11.75	1.84	13.59	4.37	0.83	5.20	16.12	2.67	18.79
घरेलू उद्यम में हेल्पर	2.24	3.21	5.45	0.52	0.32	0.84	2.76	3.52	6.28
नियमित मजदूरी/वेतन	3.46	0.93	4.39	5.97	1.81	7.78	9.43	2.74	12.17
नैमित्तिक मजदूर	6.90	2.48	9.37	1.80	0.35	2.15	8.69	2.83	11.52
कुल	24.37	8.46	32.83	12.64	3.31	15.96	37.01	11.77	48.78

स्रोत: पीएलएफएस 2018-19 सर्वेक्षणों का उपयोग कर अनुमानित/आंकड़े अनुमानित हैं।

10.15 कार्यरत कर्मचारियों के उद्योगवार अनुमानों से पता चलता है कि सबसे बड़े, लगभग 21.5 करोड़ व्यक्ति कृषि में कार्यरत हैं, जो अभी भी 42.5 प्रतिशत कार्यबल वाले सबसे बड़े नियोक्ता हैं, अगला महत्वपूर्ण उद्योग 'अन्य सेवाएं' हैं जहां लगभग 6.4 करोड़ व्यक्ति (13.8 प्रतिशत) लगे हुए हैं। विनिर्माण और 'व्यापार, होटल और रेस्तरां' ने 12.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ लगभग 5.9 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, जबकि 'निर्माण' उद्योग ने 2018-19 में लगभग 5.7 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। कृषि, विनिर्माण परिवहन भंडारण और संचार एवं अन्य सेवाओं (संलग्नक 1) में नियोजित व्यक्तियों की वृद्धि हुई।

10.16 कुल नियोजित व्यक्तियों में लगभग 25 करोड़ स्वनियोजित हैं। 12.2 करोड़ नियमित मजदूरी/वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं तथा 11.5 करोड़ अनियत कामगार हैं। स्वनियोजन अभी भी नियोजन का बड़ा स्रोत है लगभग 52 प्रतिशत श्रम बल स्वनियोजित पाया गया है। नियमित मजदूरी वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अनुपात ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में पुरुष तथा महिलाओं दोनों में वृद्धि देखी गई। शहरी महिलाओं में यह वृद्धि अधिक थी जो 2017-18 में 52.1 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 54.7 प्रतिशत बढ़ गई। यह नियोजन की गुणवत्ता की सुधार को इंगित करता है। इसके साथ ही अनियत मजदूरी के अनुपात में गिरावट दिखाई दी जो शहरी महिलाओं के मामले में अधिक थी। 2017-18 में शहरी महिलाओं को इसका 13.1 प्रतिशत थी जबकि 2018-19 में यह दर 10.7 प्रतिशत था। इसकी तुलना में 2017-18 में पुरुषों के लिए 15.1 प्रतिशत था जो वर्ष 2018-19 में

14.2 प्रतिशत हो गया। त्रैमासिक पीएलएफएस में केवल शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है और यह देखा जा सकता है कि नियमित मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों के रूप में नियोजित पुरुषों का अनुपात जनवरी-मार्च 2020 से जनवरी-मार्च, 2019 की तुलना में बढ़ गया है जबकि इसी अवधि के दौरान अनियत श्रमिकों की श्रेणी में आने वाले पुरुष और महिला दोनों की संख्या में गिरावट देखी गई। (तालिका 8)

तालिका 9: शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति के अनुसार नियोजित व्यक्तियों का वितरण प्रतिशत (आयु: 15 वर्ष और उससे अधिक, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार)

श्रेणी बंध रोजगार की स्थिति	जनवरी-मार्च 2019 (Q4)		अप्रैल-जून 2019 (Q1)		जुलाई-सितम्बर 2019 (Q2)		अक्टूबर-दिसम्बर 2019 (Q3)		जनवरी-मार्च 2020 (Q4)	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
स्व-रोजगार	38.9	32.8	38.7	33.3	39.4	34.0	39.0	34.4	39.3	34.8
नियमित-मजदूरी/वेतन-कर्मचारी	47.9	58.2	48.0	58.3	47.5	57.4	48.0	57.3	48.5	57.5
नैमित्तिक मजदूर	13.2	9.1	13.3	8.4	13.1	8.6	13.1	8.4	12.2	7.7


स्रोत: त्रैमासिक बुलेटिन, पीएलएफएस, जनवरी-मार्च, 2020

Note: CWS-Current Weekly Status of a person, is the activity status obtaining for a person during a reference period of 7 days preceding the date of survey.

औपचारिक रोजगार

10.17 20 दिसंबर, 2020 तक ईपीएफओ का शुद्ध वेतनपत्रक (पेरोल) डेटा वर्ष 2018-19 के 61.1 लाख की तुलना में वर्ष 2019-20 में 78.58 लाख था जो कि ईपीएफओ में नए अभिदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्शाता है। ये अनुमान ईपीएफओ के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष के दौरान नए नामांकित, निकाले गए और फिर से शामिल होने वाले सदस्यों के निवल आंकड़े हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, शुद्ध नए ईपीएफ अभिदाता आंकड़े सभी आयु समूहों में वृद्धि को दिखाते हैं और सितंबर, 2020 में यह 13.2 लाख अभिदाताओं के साथ चरम बिंदु तक पहुंच गया था (चित्र 4)

चित्र 4: निवल नए ईपीएफ अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) का वेतन-पत्रक डेटा, अप्रैल-अक्टूबर, 2020 की अवधि के लिए आयु-वर्ग वार (हजारों में)




स्रोत: ईपीएफओ

टिप्पणी: डेटा अनंतिम है क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड को अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और अनुवर्ती माह में अद्यतन हो जाता है।

बेरोजगारी

10.18 सामान्य स्थिति के अनुसार, सभी आयु के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर, वर्ष 2018-19 में मामूली रूप से घटकर 5.8 प्रतिशत रही जो कि वर्ष 2017-18 में 6.1 प्रतिशत थी। चित्र 5 में वर्ष 2018-19 और वर्ष 2017-18 में विभिन्न श्रेणियों जैसे ग्रामीण, शहरी, युवा, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए बेरोजगारी दर की तुलना की गई है। अधिकांश श्रेणियां या तो लाल रेखा पर 45-डिग्री पर हैं या रेखा के नीचे हैं, जो बताती हैं कि 2017-18 की तुलना में 2018-19 में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है या स्थिर बनी रही।

चित्र 5: वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के मध्य बेरोजगारी दर का स्तर और इसमें परिवर्तन




स्रोत: पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, 2017-18 और 2018-19

टिप्पणी: बेरोजगारी दर प्रायिक स्थिति पर आधारित है। तकनीकी 15-59 वर्ष आयु वर्ग को दिखाता है जिन्होंने ब्रॉड एक्टिविटी स्टेटस (व्यापक गतिविधि स्थिति) (औपचारिक, नियोजित, बेरोजगार और श्रम बल के अतिरिक्त) द्वारा औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। युवा 15 से 29 वर्ष के बीच के व्यक्ति को दिखाता है। शिक्षित: 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को, जिनकी शैक्षिक प्राप्ति भिन्न है, दर्शाता है।

10.19 बेरोजगारी दर में गिरावट सभी श्रेणियों में व्यापक से देखी गई। उन लोगों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है, जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। शहरी युवाओं (उम्र 15-29 वर्ष) में बेरोजगारी का स्तर उच्चतम 20.2 प्रतिशत दर्ज किया गया है, और यह 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जिनका शैक्षिक स्तर विभिन्न प्रकार का है के उप-वर्ग निरक्षर के लिए सबसे कम है 1.1 प्रतिशत है।

10.20 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 2018-19 की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की युवा बेरोजगारी को चित्र 6 में दर्शाया गया है। भारत के राज्यों में युवा बेरोजगारी दर में व्यापक भिन्नता है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर और बिहार जैसे राज्यों में यह सबसे अधिक है जबकि गुजरात, कर्नाटक, पं. बंगाल और सिक्किम जैसे राज्यों में कम है। जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश रेड लाइन या उसके आस-पास हैं जैसे बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र दर्शाते हैं कि उनकी शहरी-युवा बेरोजगारी दर ग्रामीण बेरोजगारी दर के लगभग बराबर है। और लाइन के ऊपर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश दर्शाते हैं कि गांवों की अपेक्षा शहरों में युवा बेरोजगारी अधिक है। यह काफी स्पष्ट है कि अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामों की तुलना शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बहुत अधिक है।

चित्र 6: राज्यों में ग्रामीण और शहरी रोजगारी दर (2018-19)



स्रोत: पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19

श्रमिक सुधार

10.21 वर्ष 2019 और वर्ष 2020 श्रम सुधारों के इतिहास में ऐतिहासिक वर्ष रहे हैं, जब देश ने लगभग 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों और व्यावसायिक सुरक्षा पर चार श्रम संहिताओं में समहित, तर्कसंगत और सरलीकृत किया जा रहा है, यथा (i) मजदूरी संहिता, 2019, (ii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, (iii) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यचालन परिस्थितियों संहिता 2020 और (iv) सामाजिक सुरक्षा 2020, बदलते श्रम बाजार के रुझान के अनुरूप और एक ही समय में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी आवश्यकता और कल्याण आवश्यकताओं को समायोजित करते हुए, स्वरोजगार और प्रवासी श्रमिकों सहित, कानून के ढांचे के भीतर ये सुधार लगभग तीन दशकों से खिंचती चली आ रही प्रक्रिया थी जैसा कि बॉक्स-5 में देखा जा सकता है। प्रत्येक श्रम संहिता के मुख्य अंश अनुबंध-II में दिए गए हैं।

बॉक्स-5: वर्ष 1991 के बाद श्रमिक सुधार का कालक्रम				
क्र. सं.	आयोग/समिति/ रिपोर्ट का नाम	वर्ष	अध्यक्ष/संगठन	सिफारिश
1.	ग्रामीण श्रम राष्ट्रीय आयोग	1991	प्रोफ. सी एच अनुमंथा राव	श्रमिकों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए सिफारिशें, सभी प्रवासियों को सम्मिलित करने के लिए प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा, 1990 की कीमतों पर प्रति दिन ₹ 20 की न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश की।
2.	सरलीकरण, युक्तिकरण और श्रम कानूनों का समेकन	1994	नेशनल लेबर लॉ एसोसिएशन	भारतीय श्रम संहिता 1994 की सिफारिश की। इस कोड को श्रमिक पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर उद्भूत किया गया था।
3.	नौवीं पंचवर्षीय योजना खंड-2, मानव और सामाजिक विकास	1997-2002	योजना आयोग	वर्तमान श्रम कानून कार्यबल के एक छोटे से हिस्से को सुरक्षित करते हैं। नौवीं योजना का उद्देश्य कानूनों की संख्या को कम करना है, इस उद्देश्य के साथ कि कम संख्या के कानून पूरे कार्यबल को सुरक्षित करे

4.	मित्रा समिति	1997	श्री मित्रा	औद्योगिक संबंध अधिनियम में प्रमुख सिफारिशों, काम करने वाले की परिभाषा का श्रमिकों मजदूरी के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए और सभी श्रम कानूनों को एक समान बनाया जाना चाहिए।
5.	प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा पर आयोग, वॉल्यूम-I और II	1998	श्री पी. सी. जैन, भारत सरकार के सचिव (सेवानिवृत्त)	मित्रा समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। विवादों से ध्यान हटाने तथा सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर ध्यान लाने के लिए औद्योगिक संबंध अधिनियम को रोजगार संबंध अधिनियम के रूप में बदल दिया गया। सभी परिधीय और मौसमी गतिविधियों में ठेका श्रम की भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए ठेका-श्रम अधिनियम में संशोधन किए गए।
6.	रोजगार के अवसरों पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट	2001	डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया	कुल रोजगार समस्या में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए श्रम कानूनों पर ध्यान देने की जरूरत। औद्योगिक विवाद अधिनियम का अध्याय V-8 का विलोपन। अल्कालिक रोजगार ठेकों का आरंभ जहां श्रमिकों को एक आकर्षक वेतन का भुगतान करके ठेके के आधार पर रखा जा सकता है। “स्ट्राइक बैलट” -स्ट्राइक को केव तभी किया जा सकता है जबकि श्रमिकों के एक योग्य बहुमत द्वारा इसका समर्थन किया गया हो। औद्योगिक विवाद दायर करने के लिए तीन साल की समयबद्धता। ठेका-श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम में संशोधन, जिससे विशेष फर्मों से गौण गतिविधियों के लिए आउटसोर्सिंग की अनुमति दी जा सके
7.	दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए श्रम और रोजगार पर संचालन समिति की रिपोर्ट (2002-07)	2001	डॉ. एस. पी. गुप्ता सदस्या, योजना आयोग	श्रम कानूनों को आधुनिक बनाया जाना तथा इसे और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाना। राज्य सरकारें संभवतः श्रमिकों की सुरक्षा अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, ओर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार श्रम कानूनों में संशोधन करने की अनुमति दे सकती हैं। असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन और बेरोजगारी लाभ पर विचार किया जाना शेष है।
8.	प्रति वर्ष 10 मिलियन रोजगार के अवसरों को लक्षित करने वाला विशेष समूह	2002	डॉ. एस. पी. गुप्ता, अध्यक्ष, योजना आयोग	राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार श्रम कानूनों में संशोधन करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन श्रमिकों की सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन और बेरोजगारी लाभ पर अभी विचार किया जाना शेष है। छोटे पैमाने की इकाइयों पर अनुपातहीन नियामक बोझ से बचें। इकाइयों द्वारा स्व-प्रमाणन और यादृच्छिक निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है।

9.	दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग	2002	श्री रविन्द्र वर्मा	<p>केंद्रीय श्रम कानूनों के वर्तमान समूह को औद्योगिक संबंधों, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा और कल्याण और कामकाजी परिस्थितियों आदि से संबंधित चार या पांच व्यापक समूहों में बांटा जाना चाहिए। आयोग ने राय दी कि, “श्रम कानूनों को तर्कसंगत व युक्तिसंगत बनाने के प्रयास में हम सहूलियत के साथ विद्यमान श्रम कानूनों को सर्वमान्य प्रकार्य-समूहों में समूहित कर सकते हैं। जहां अंतिम उद्देश्य ऐसे सभी प्रावधानों को एक व्यापक संहिता में सम्मिलित करना होगा, इसलिए ऐसे संहिताकरण को चरण-बद्ध रूप में किया जाना है और जिसका प्रस्ताव किया गया है, हम आशा करते हैं कि यह इस क्रम में पहला कदम होगा लेबर कोड को मूल श्रम अधिकारों या मानकों जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, काम के अधिकतम घंटे, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के न्यूनतम मानक आदि जैसे बुनियादी कानून को एक समान रखना चाहिए जो सभी श्रमिकों पर लागू होगा। सभी रोजगारों पर लागू नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज की आवश्यकता। राज्य एनएफएलएमडब्ल्यू से ऊपर न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे।</p>
10.	दसवीं पंचवर्षीय योजना, वॉल्यूम-I और II, श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा,	2002-2007	श्री के. सी. पंत, उप-निदेशक अध्यक्ष, योजना आयोग,	<p>संगठित क्षेत्र पर लागू कठोर श्रम कानून उद्यमी को जरूरत पड़ने पर पूंजीगत परिसंपत्तियों के निपटान की तुलना में श्रम को युक्तिसंगत बनाना कठिन बनाते हैं। उद्यमी के लिए श्रमिक की प्रभावी लागत मामूली वेतन बिल से कई गुना अधिक हो सकती है। श्रम कानूनों को सुधारे। श्रम कानूनों की कठोरता से लघु उद्योग को छूट दी जाए कानूनों के अनुपालन के स्थान पर स्व-प्रमाणीकरण और यादृच्छिक निरीक्षण को आरम्भ किया जाए। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार श्रम कानूनों में संशोधन करने के लिए अधिकृत हैं। औद्योगिक विवादों को कम करने के लिए सामाजिक संवाद को प्रोत्साहित करें। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिए विधायी और प्रशासनिक ढांचा बनाया जाए। अंतर-राज्य विविधताओं को कम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी पर एक राष्ट्रीय नीति विकसित की जाए सर्वेक्षण द्वारा, श्रम प्रवास के लिए एक विश्वसनीय सूचना प्रणाली का निर्माण किया जाए।</p>

11.	असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग	2009	डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता,	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग से कानून और श्रमिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने की सिफारिश की गयी
12.	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना खंड-I, समावेशी विकास,	2007-12	डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष योजना आयोग,	श्रम कानूनों में लचीलेपन की कमी, जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अध्याय V-B और ठेका-श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, जो नौकरी की सुरक्षा पर केंद्रित रहता है, एक बड़े कार्यबल के साथ नए उद्यमों की स्थापना के विरुद्ध उद्यमियों के लिए एक मनोवैज्ञानिक अवरोध बना हुआ है। उद्योग में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के परिणामस्वरूप बाहरी बाजारों से मौसमी आपूर्ति के अवसरों को जाने देते हैं। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में, निर्माताओं को प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जो अधिक लचीलेपन का आनंद लेते हैं इसलिए इन कानूनों के साथ बनाई गई समस्याओं के लिए व्यावहारिक समाधान खोजना आवश्यक है। कॉरपोरेट सेक्टर को अधिक श्रम प्रधान क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विद्यमान कानूनों और विनियमों की समीक्षा की जाए और रोजगार के विस्तार और असंगठित उद्यमों के उत्पादन को सरल बनाया जाए जोकि श्रम-गहन क्षेत्रों में परिचालित होते हैं।
13.	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए श्रम कानूनों और अन्य विनियमों पर कार्य समूह की रिपोर्ट (2012-17),	2007-12	श्री पी. सी. चतुर्वेदी, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय,	कानूनों की बहुलता को कम करने और बेहतर प्रवर्तन और प्रभावी अनुपालन के लिए श्रम कानूनों का समेकन, सरलीकरण और युक्तिकरण। इससे आम मुद्दों पर समान श्रम नीति को व्यावहारिक बनाने में सहायता मिलेगी। समूह ने समेकन के लिए चार संज्ञानात्मक वर्गों के बनाए जाने की सिफारिश की है; अर्थात (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम को सम्मिलित करने के लिए औद्योगिक संबंधों को नियंत्रित करने वाला कानून। (ख) समान पारिश्रमिक अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और मजदूरी भुगतान अधिनियम को सम्मिलित करने के लिए मजदूरी नियंत्रक कानून। (ग) सामाजिक सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला कानून कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,

				कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधि नियम और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम को सम्मिलित करेगा (घ) काम करने की स्थिति और कल्याण को नियंत्रित करने वाले कानून में कारखाना अधिनियम, 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, ठेका-श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम और अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधि नियम सम्मिलित होंगे। और (ङ) कल्याण उपकर कानून-सभी उपकर अधिनियम और कल्याण निधि अधिनियम को मिलाकर एक अधिनियम में मिला दिया जाए।
14.	बारहवीं पंचवर्षीय योजना Vol.- II, रोजगार और कौशल विकास	2012-17	डॉ. मांटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग	श्रम कानूनों की बहुलता कारखाने क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। श्रम कानूनों को सरल बनाने की जरूरत है। श्रम कानूनों की समीक्षा करें जो अल्पकालिक प्रशिक्षु और प्रशिक्षार्थियों को काम पर रखने से रोकते हैं।
15.	आर्थिक सर्वेक्षण, खंड-II, अध्याय-10	2014-15	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	श्रम कानूनों की बहुलता और उनके अनुपालन में कठिनाई औद्योगिक विकास के लिए एक बाधा है। कानून का अनुपालन करने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा एक बड़ी पहल के रूप में, श्रम सुधार उपायों का एक समूह सामने रखा गया है। राष्ट्रपति की सहमति ने राजस्थान में श्रम सुधारों को सुसाध्य बना दिया है जोकि राज्यों द्वारा अतिरिक्त सुधार आरंभ करने के लिए एक उदाहरण बन चुका है।
16.	आर्थिक सर्वेक्षण, खंड-I	2018-19	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	अनम्य राज्यों के श्रम कानूनों में कठोरता नियोक्ताओं को श्रमिकों के स्थान पर पूंजी में निवेश करने को अधिमान बना देती है। अपने श्रम कानूनों की कठोरता के कारण अनम्य राज्य को सभी दिशाओं से हानि होती है क्योंकि वे पर्याप्त रोजगार उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, अपने राज्यों में पर्याप्त पूंजी को आकर्षित नहीं कर पाते हैं और उनके राज्य में मजदूरी भी कम मिलती है क्योंकि उनकी उत्पादकता कम होती है। सर्वेक्षण में सिफारिश की गई थी कि श्रम कानून प्रतिबंधों के अविनियमन से काफी हद तक रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं।
17.	श्रम संहिता-वर्तमान स्थिति	2020	श्रम और रोजगार मंत्रालय	मजदूरी बिल पर कोड पहली बार वर्ष 2017 में संसद में पेश किया गया और 2018 में संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) द्वारा इसकी जांच की गई और वर्ष 2019 में इसे अधिनियमित किया गया।

			<p>औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक का ड्राफ्ट वर्ष 2015 में पहली बार तैयार किया गया, पीएससी द्वारा आठ बार इसकी जांच की गई, और आखिरकार सितंबर 2020 में इसे अधिनियमित किया गया। संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) द्वारा 9 बार जांच किए जाने के पश्चात् सामाजिक सुरक्षा पर कोड को अंततः सितंबर 2020 में अधिनियमित किया गया। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता की वर्ष 2019 में संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) द्वारा चार बार जांच की गई और सितंबर 2020 में इसे अधिनियमित किया गया।</p>
--	--	--	---

स्रोत: सरकारी वेबसाइटों से सर्वेक्षण संकलन

काम की प्रकृति में बदलाव: गिग और प्लेटफार्म श्रमिक

10.22 तकनीक में बदलाव, नई आर्थिक गतिविधियों के विकास, संगठन संरचनाओं में नवीनता और व्यावसायिक मॉडल विकसित करने के साथ काम की प्रकृति बदल रही है। बिचौलियों की अनुपस्थिति में नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों की आसानी से खोज करने की शक्ति के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म रोजगार सृजन के लिए प्रवर्तक बन गए हैं। पारंपरिक ताकतों के अलावा, इन नई ताकतों ने उपभोक्ता और सेवा प्रदाता के लिए अभिनव तरीकों से बातचात करने के बड़े पैमाने पर अवसर पैदा किए हैं। डिजिटल तकनीक दो तरफा बाजारों को सक्षम बनाती है जिसमें ई-कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेलिंग प्लेटफॉर्मों जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, अर्बन क्लैप, जोमैटो, स्विगी आदि का उदय देखा गया। विश्व में भारत फ्लेक्सी-स्टाफिंग के लिए एक सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है।

10.23 कोविड-19 के कारण हुई तालाबंदी के दौरान, आन लाईन व्यापार की महत्वपूर्ण वृद्धि गिग अर्थव्यवस्था की बढ़ती भूमिका की साक्षी है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों को 'घर से काम' करने की प्राथमिकता दी, कर्मचारियों की संख्या में कटौती और ओवरहैड लागत को कम करने के साथ-साथ सिक्लड सेवाओं को किराए पर लेने के लिए फ्री लांसर या कार्यों के लिए आउट सोर्सिंग को शामिल किया गया। फलस्वरूप, जबकि गिग अर्थव्यवस्था भारत में ब्लू-कॉलर श्रमिकों में लोकप्रिय रही है। उबर/ओला, स्विगी, बिग-बास्केट, पिज्जाहट जैसे प्लेटफॉर्मों में लगे डिलीवरी बाँय और टैक्सी ड्राइवर, अब व्हाईट-कॉलर श्रमिकों के लिए संभावित उद्योगों के साथ-साथ हायर प्रोजेक्ट में इनकी भी विशिष्ट सलाहकार, लोगों एवं कंटेन्ट डिजाईनर, बेवडिजाइनर आदि के लिए उद्योगों में मांग बढ़ रही है। गिग अर्थव्यवस्था का लाभ यह है कि यह सेवा साधक और सेवा प्रदाता दोनों के लिए नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध में लचीलापन देती है।

10.24 गिग श्रमिक के लिए नौकरी अनुबंध की प्रकृति नियोक्ता और कर्मचारी/श्रमिक के बीच होने वाले अनुबंध से अलग होती है। उनका श्रम-अनुबंध आमतौर पर कम या निर्धारित कार्य या सेवा या नौकरी के लिए अधिक विशिष्ट होता है। उनके रोजगार की प्रवृत्ति निश्चित रूप से नियमित के बजाय अस्थायी या संविदात्मक हो सकती है। काम के भुगतान की प्रवृत्ति पीस दर, नेगोशिएबल होती है, जो, वेतन के रूप में या आंशिक रूप से लाभ या इनाम के रूप में हो सकती है। नियोक्ता द्वारा उनके काम पर नियंत्रण मात्रात्मक रूप से भिन्न

5 दो-तरफा बाजार वह है जिसमें मैं i) एजेंटों के दो समूह एक मध्यस्थ या प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारस्परिक क्रिया करते हैं, और ii) एजेंटों के प्रत्येक समूह के निर्णय एजेंटों के दूसरे समूह के परिणामों को प्रभावित करते हैं, आमतौर पर एक बाह्यता के माध्यम से होता है, (टू-साइडेड ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस एंड द फ्यूचर ऑफ रिटेलिंग, 31 मार्च 2015 Rysman, 2009)

होता है, लेकिन किसी भी मामले में पूर्ण नहीं होता है। काम करने के लिए, काम कब, कहाँ करना है, आदि के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकांश श्रमिक स्वतंत्र होते हैं।

10.25 हाल ही में गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिक मुख्य रूप से अपने मूल अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से वंचित थे, क्योंकि उन्हें देश के श्रम कानूनों में कर्मचारी की परिभाषा के तहत न तो कर्मचारी माना जाता था और न ही श्रमिक कानूनों के तहत वे कानूनी सुरक्षा के हकदार थे। पहली बार श्रमिकों के इन वर्गों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को प्रस्तुत कर, इसके माध्यम से इन्हें असंगठित कामगार की श्रेणी में परिभाषित कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। (अनुलग्नक II)

श्रम बाजार पर कोविड-19 का प्रभाव

10.26 कोविड-19 ने शहरी अनौपचारिक श्रमिकों की भेद्यता को उजागर किया है। (पीएलएफएस, जनवरी-मार्च, 2020 के अनुसार शहरी कार्यक्षमता का 11.2 प्रतिशत); उनका यह महत्वपूर्ण अनुपात प्रवासियों का होना माना जाता है वे लॉकलाउन से प्रभावित होने वाले पहले लोगों में से एक थे। कम विकल्पों की वजह से लगभग 63.19 लाख प्रवासी कामगारों ने मई-अगस्त 2020 तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा की थी। अनौपचारिक क्षेत्रों में अंतर-राज्य प्रशासन और रोजगार पर सीमित आंकड़ों की उपलब्धता की वजह से, उन प्रवासियों की संख्या का पता लगाना कठिन है जो महामारी के दौरान नौकरी और आवास खो चुके हैं, और घर लौट आए हैं। भारत सरकार ने संकट को कम करने के लिये लॉकडाउन से पूर्व एवं बाद की अवधि के दौरान मई महत्वपूर्ण पहल की हैं। (बॉक्स 6)


बॉक्स 6: रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए कार्यक्रम और योजनाएं

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना: नवम्बर 2020 में आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के एक घटक की घोषणा की गई थी। इस योजना की कुल अनुमानित राशि यानि मजदूरी माह 31 मई, 2023 तक की अवधि के लिए ₹ 22.810 करोड़ है।

- इस योजना में अक्टूबर 2020 से जून 2021 के दौरान, 1000 कर्मचारियों (यूएन के साथ इपीएफ सदस्यों का अंशदान) तक को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए पात्र कर्मचारियों के इपीएफ वेतन कर्मचारियों और नियोक्ताओं का कुल 24 प्रतिशत, (स्थापना पर लागू प्रत्येक या वैधानिक दर से कर्मचारियों के इ.पी.एफ. का 12 प्रतिशत) का भुगतान करने का तथा कोविड-19 के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को फिर से बहाल करने का भी प्रस्ताव है।
- इस योजना में अक्टूबर, 2020 से जून, 2021 के दौरान 1000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों की मजदूरी में केवल कर्मचारियों के इपीएफ अंशदान का हिस्सा (12 प्रतिशत) और कोविड-19 के कारण अपनी मजदूरी गंवाने वाले कर्मचारियों को फिर से बहाल करने का भी प्रस्ताव है।

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई): पीएमआरपीवाई की घोषणा 9 अगस्त, 2016 को की गई थी। जिसमें नए रोजगार के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ताओं के अंशदान के 8.33 प्रतिशत तथा रूपए 15000 प्रतिमाह तक की मजदूरी वाले गारमेंट एवं मेड-अप में लगे नए श्रमिकों के नियोक्ताओं को अतिरिक्त 3.67 प्रतिशत अंशदान का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। जिसे बाद में सभी क्षेत्रों के लिए बढ़ाकर दिया गया है और नए कामगारों को तीन वर्षों के लिए कामगारों का पूरा 12 प्रतिशत भुगतान सरकार कर रही है। स्कीम के दायरे को 01.04.2018 से बढ़ा दिया गया था ताकि नियोक्ताओं के अंशदान के पूर्ण 12 प्रतिशत हिस्से का लाभ सभी सेक्टरों को प्रदान किया जा सके। स्कीम के तहत 1.52 लाख स्थापनाओं के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ दिया गया। स्थापनाओं के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की टर्मिनल तारीख 31 मार्च 2019 थी। पात्र उद्यमों में श्रमिकों की औसत (हिस्सेदारी 62.6 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गई है और पात्र उद्यमों के भीतर इपीएफ के लिये पात्र श्रमिकों की हिस्सेदारी 32.5 प्रतिशत से बढ़कर 37.5 प्रतिशत हो गई है (चित्र 7)। ये अन्य इस विचार का समर्थन करते हैं कि पीएमपीआरवाई योजना के तहत प्रोत्साहन के साथ पात्र उद्देश्यों में श्रमिकों की औपचारिकता में सुधार हुआ है।

चित्र-7: पीएमपीआरवाई के औपचारीकरण के प्रभाव (श्रमिकों का हिस्सा प्रतिशत में)



स्रोत: इकाई स्तत पीएलएफएस तिमाही आंकड़े

नोट: नियमित मजदूरी/वेतन ले रहे श्रमिक

अन्य उपाय


- संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को राहत देने के लिए, सरकार द्वारा 28 मार्च 2020 को जारी की गई अधिसूचना में बकाया शेष के 75 प्रतिशत के वापिस न करने योग्य अग्रिम या तीन माह से मजदूरी, जो भी कम हो, का प्रावधान ईपीएफओ के सदस्यों के लिए किया गया है। 01 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार, ईपीएफओ 53.62 लाख सदस्यों ने ₹ 13587.33 करोड़ की राशि के ऑनलाईन निकासी की सुविधा का लाभ लिया है।
- ईपीएफ एवं एफपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत सभी वर्गों के लिए, मई-जून और जुलाई 2020 के लिए 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक के अंशदान की वैधानिक दर में कमी की गई है। ईपीएफ अंशदान की दर में कमी करके कुछ हद तक तात्कालिक तरलता संकट से निपटने के लिए 6.5 लाख प्रतिष्ठानों में 4.3 करोड़ कर्मचारियों और नियोक्ताओं को लाभान्वित करने का इरादा है।
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के अंतर्गत भवन और निर्माण श्रमिकों (Bocw) को वित्तीय सहायता दी गई थी, जिसमें व्यापक रूप से बीओसीडब्ल्यू के उपकरण के अंतर्गत संगठित निधियों से प्रवासी श्रमिक शामिल थे। 31 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने नकद लाभ की घोषणा की है, जोकि प्रतिमाह 1000 से 6000 तक, लगभग 2.0 करोड़ श्रमिकों के लिए कुल 4973.65 करोड़ रुपए है।
- श्रमिक स्पेशल रेल:** भारतीय रेल ने 1 मई 2020 से फंसे हुए प्रवासी यात्रियों की सुविधा के लिए, राज्यों सरकारों के अनुसरण के अनुरूप विशेष रेलों का संचालन किया। इन रेलगाड़ियों ने लगभग 63.19 प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए यात्रियों को 1 मई 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा प्रदान की।

रोजगार का लैंगिक आयाम

10.27 2018-19 में उत्पादक आयु (15-59 वर्ष) में महिलाओं की एलएफपीआर पुरुषों (शहरी + ग्रामीण) की 80.3 प्रतिशत की तुलना में, 26.5 प्रतिशत थी। जबकि 54.7 प्रतिशत शहरी महिलाओं को नियमित वेतन और वेतन भोगी श्रेणी में नियुक्त किया गया था। लगभग 59.6 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं न केवल स्वरोजगार थी, बल्कि उनमें से 37.9 प्रतिशत घरेलू उद्यमों में सहायक थीं। कम महिला एलएफपीआर, घरेलू कर्तव्यों (एनसीओ, 2004 का एक्टिविटी कोड 92 व 93) में महिलाओं (15 वर्ष और अधिक आयु वाली) की उच्च भागीदारी, 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में 55.7 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 59.1 प्रतिशत को इसके लिए जिम्मेदार बनाता है।


10.28 एनएसओ ने जनवरी-दिसंबर, 2019 के दौरान अपनी तरह का पहला टाइम यूज सर्वे (टीयूएस) आयोजित किया जो अन्य बातों के साथ-साथ, इस पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि 24 घंटे की समयावधि के दौरान विभिन्न गतिविधियों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुरुष एवं महिलाएं अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। यह देखा गया कि एक महिला द्वारा अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर, और घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल सेवाओं पर खर्च किया जाने वाला समय पुरुषों से अधिक है। (चित्र-8) महिला सदस्यों द्वारा रोजगार से सम्बन्धित गतिविधियों पर खर्च किया जाने वाला समय पुरुषों की तुलना में 127 मिनट कम है। घर के सदस्यों की अवैतनिक देखभाल सेवाओं में, महिलाओं ने बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक समय खर्च किया है। (चित्र-9) इसी प्रकार, घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं में, महिलाओं ने भोजन, आहार प्रबंधन और तैयारी के अधिकांश समय बिताया। (चित्र-10)

चित्र 8: विभिन्न गतिविधियों में प्रतिदिन प्रति-भागीदार द्वारा बिताया गया औसत समझा (आयु वर्ग 15-59 वर्ष)




स्रोत: टाइम यूज सर्वेक्षण, 2019

चित्र-9 घर के सदस्यों के लिए (15-59 आयु वर्ष) अवैतनिक देखभाल सेवाओं में प्रति-भागीदार का एक दिन का औसत समय।



स्रोत: टाइम यूज सर्वे, 2019

चित्र-10 घर के सदस्य (15-59 आयु वर्ष) के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं में प्रति भागीदार के लिए औसत समय (मिनट में)



स्रोत: टाइम यूज सर्वे, 2019

तालिका 10: विभिन्न स्तरों तक शिक्षित महिला भागीदारों द्वारा एक दिन में बिताया गया औसत समय (मिनट में)

शिक्षा का स्तर	घर के सदस्यों की अवैतनिक सेवा में	घर के सदस्यों की अवैतनिक देखभाल में
अनपढ़	296	126
प्राथमिक से कम	301	126
प्राथमिक	304	131
प्राथमिक से अधिक/माध्यमिक	308	131
उच्चतर और उससे अधिक	295	146


स्रोत: टाइम यूज सर्वे, 2019

10.29 महिलाओं द्वारा घरेलू एवं देखभाल संबंधी अवैतनिक सेवाएं देने में उनके शैक्षिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि तालिका 10 में दर्शाया गया है, महिलाओं द्वारा दी गई अवैतनिक सेवाएं उनके शैक्षणिक स्तर से प्रभावित नहीं होती है, यहां तक कि “माध्यमिक और उससे उपर के शैक्षणिक स्तर वाली महिलाएं भी, घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं में 295 मिनट तथा घर के सदस्यों के लिए देखभाल सेवाओं में 146 मिनट बिताती हैं।

10.30 अर्थव्यवस्था में सहयोग के सम्बन्ध में, उत्पादक आयु वर्ग की महिलाओं ने अवैतनिक गैर-एसएनए गतिविधि⁶ में 337 मिनट बिताए, जबकि पुरुषों में यह केवल 41 मिनट ही था। इसी प्रकार, वैतनिक गतिविधियों में 305 मिनट बिताए जबकि यह महिलाओं में केवल 68 मिनट था (चित्र 11)

6 अवैतनिक गतिविधियों में घर में बच्चों एवं बुजुर्गों की देखभाल करना, अपने उपभोग के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की व्यवस्था करना शामिल है जबकि वैतनिक गतिविधियों में स्व-रोजगार, नियमित मजदूरी/वेतन वाली नौकरियां तथा अनियत कार्य शामिल हैं। एस एन ए उत्पादन गतिविधियों में रोजगार वस्तुओं के उत्पादन के लिए या मार्केट/गैर-मार्केट यूनितों के लिए वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन के लिए अन्य घरों के लिए अवैतनिक प्रत्यक्ष स्वैच्छिक कार्य, वस्तुओं के उत्पादन या मार्केट/गैर-मार्केट यूनितों के लिए वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन के लिए अवैतनिक समुदाय एवं संगठन आधारित स्वैच्छिक कार्य आदि शामिल हैं तथा गैर-एसएनए उत्पादन में घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाएं, घर के सदस्यों की देखभाल, अन्य घरों के लिए सेवाओं की व्यवस्था के लिए अन्य घरों के लिए अवैतनिक प्रत्यक्ष स्वैच्छिक कार्य तथा घरों के लिए सेवाओं की व्यवस्था के लिए अवैतनिक समुदाय और संगठन आधारित स्वैच्छिक कार्य शामिल हैं। (स्रोत: टीयूएस, 2019)

चित्र 11: प्रतिव्यक्ति (15-59 वर्ष आयु वर्ग के) प्रतिदिन वैतनिक एवं अवैतनिक गतिविधियों में बिताया गया औसत समय (मिनट में)



स्रोत: टाइम यूज सर्वे, 2019 (तालिका 42, परिशिष्ट क)

10.31 अवैतनिक और देखभाल सेवाओं में दिए गए समय के मामले में भी इसी प्रकार, पुरुषों की तुलना में, कार्य दल में महिलाएं उच्चतम स्थान पर हैं, (340 मिनट अथवा 5.6 घंटे) परन्तु अपेक्षाकृत कम महिलाएं श्रमिक दल से बाहर हैं। (457 मिनट अथवा 7.60 घंटे) (तालिका 11) दूसरे शब्दों में, कार्य बल में घरेलू क्रियाकलापों की जिम्मेदारियों तथा साथ ही साथ वैतनिक कार्य दोनों ही महिलाओं के कंधों पर हैं। जो उन्हें रोजगार सम्बन्धित क्रियाकलापों पर दिए जाने वाले समय से कम प्रदान करता है।

10.32 अवैतनिक गैर-एसएनए क्रियाकलापों पर व्यतीत किए गए समय के सम्बन्ध में, समाजिक समूहों के बीच कोई अंतर नहीं था, जो कि एस सी (286 मिनट) द्वारा व्यतीत किए गए समय 'अन्य' समूह से उच्च था। एस टी महिलाओं द्वारा वैतनिक क्रियाकलापों पर दिया गया समय अधिक था। देखा जा सकता है कि एस टी समाजिक समूह की महिलाएं वैतनिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध, अन्य समाजिक समूहों की तुलना में भी प्रकार से व्यवस्थित हैं। (तालिका 12)

तालिका 11: विभिन्न व्यापक सामान्य प्रधान गतिविधियों में प्रतिव्यक्ति द्वारा प्रतिदिन बिताए गए औसत समय (मिनट में) की स्थिति

गतिविधि स्थिति	रोजगार एवं संबंधित गतिविधियां		घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाएं		घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल सेवाएं	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
कामगार	472	382	93	237	71	103
बेरोजगार	245	233	112	222	102	157
श्रम बल	470	381	93	237	72	105
श्रम बल में शामिल नहीं हैं	170	182	112	317	100	140

स्रोत: टाइम यूज सर्वे 2019

तालिका 12: विभिन्न सामाजिक समूहों में वैतनिक एवं अवैतनिक गतिविधियों में प्रति व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन बिताया गया औसत समय (मिनट में)

गतिविधियां	अनु० जन जा०		अनु०जाति		अ०पि० वर्ग		अन्य	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
अवैतनिक एस एन ए गतिविधियां	51	48	27	23	29	23	24	18
अवैतनिक गैर-एस एम ए गतिविधियां	42	266	38	285	37	279	37	286
समग्र अवैतनिक गतिविधियां	94	313	65	307	66	303	61	304
वैतनिक गतिविधियां	218	75	247	60	238	56	247	45

स्रोत: टाइम यूज सर्वे, 2019 (तालिका 44, परिशिष्ट क)

10.33 श्रम शक्ति में अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के क्रम में, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल सुविधाओं के लिए संस्थागत सहायता में निवेश, वैतनिक पितृत्व अवकाश, परिवार के अनुकूल कार्य परिवेश तथा बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्थन की आवश्यकता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर गैर-अलगाववादी प्रथाओं को बढ़ावा देना जैसे समान वेतन एवं वृत्तिक प्रगति, कार्य प्रोत्साहन में सुधार, जिसमें महिला कामगारों के लिए अन्य चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ भी शामिल हैं।

स्वास्थ्य

10.34 कोविड-19 ने दिखाया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश और सुदृढ़ता का कितना महत्व है। भारत ने पिछले दो दशकों में पोलियो, गुनिया कृमि रोग, पोर्स तथा मातृ और नवजात टेटनिस का उन्मूलन करके अपने स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वास्थ्य संकेतक बताते हैं कि कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 1991 में 3.6 से घटकर 2018 में 2.2 हो गई है। 2016-2018 की अवधि के लिए मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 113 पर था और 2018 में अंडर फाईव मृत्यु दर (U5MR) प्रति 1000 जन्म पर 36 थी। परन्तु 2020 में यह कोविड-19 महामारी ही थी जिसने भारत के स्वास्थ्य अवसंरचना को जांचने के लिए और चिकित्सा बिरादरी की अंतर्निहित शक्तियों को प्रभावी ढंग से महामारी के प्रसार के प्रभावी प्रबन्धन के लिए सामने रखा। भारत में ठीक होने की 95 प्रतिशत से अधिक दर के साथ 1 करोड़ से अधिक कोविड मामले दर्ज हैं। हालांकि, महामारी के कारण देश में 1.52 लाख लोगों की जान चली गई।⁷ सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को, विकसित होते हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, आगे बढ़कर एवं चरणबद्ध तरीके से किया गया था। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15000 करोड़ के आपातकालीन और स्वास्थ्य-पूर्व तैयारी प्रणाली पैकेज की घोषणा की गई और इसे आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली क्षमता निर्माण प्रयासों को संयोजित करने के उद्देश्य से लागू किया गया। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए उसकी रोकथाम, नियंत्रण एवं शमन के लिए सरकार ने कई उपाय किए जिनमें विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शामिल है (बॉक्स 7)

7 12.01.2021 के अनुसार (Source: www.covid19india.org).

बॉक्स-7: कोविड-19 महामारी के विरूध लड़ाई की उपलब्धियां

- * सरकार ने आवश्यक दवाओं, हैंड सैनिटाइज़र के साथ-साथ मास्क, पीपीई किट सहित सुरक्षात्मक उपकरणों का आकलन किया है और उपलब्धता को सुनिश्चित किया है।
- * कोविड-19 के लिए टीके सहित नैदानिक परीक्षणों और नई दवा के अनुप्रयोगों की प्रक्रिया में तेजी लाना।
- * केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने 03.04.2020 को कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण मानव टीकों की सुचारू आपूर्ति के लिए लॉट रिलीज़ को आसान बनाने के लिए एक परिपत्र जारी किया और 1.5.2020 को कोविड-19 स्थिति के आलोक में डब्ल्यूएचओ, जीएनपी/सीओपीपी प्रमाणपत्र की बढ़ी हुई वैधता पर नोटिस प्रकाशित किया।
- * सीडीएससीओ ने राज्य औषध नियंत्रकों को एक पत्र जारी कर, एजिथ्रो माईसिन, पेरासीटामोल और हाईड्रोओक्सी कोलोरो क्यूईन जैसे योगिकों की उपलब्धता पर नियमित सर्वेक्षण का अनुरोध किया। सरकार ने 18 मई, 2020 को अधिसूचना जारी की ताकि निर्माता कोविड-19 के लिए किसी भी टीके का भण्डारण और निर्माण कर सकें। सीडीएसओ द्वारा नैदानिक परीक्षण पूरा करने और विनिर्माण अनुमोदन के बाद बिक्री वितरण के लिए नैदानिक परीक्षण के तहत है।
- * आपातकालीन और अपूर्ण चिकित्सीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सीडीएससीओ ने कोविड-19 संक्रमण के उपचार के लिए देश में प्रतिबंधित तीन दवाओं के आपातकालीन उपयोग और विपणन के लिए अनुमोदित किया है।
 - कोविड-19 संक्रमण के गंभीर रोगियों के उपचार के लिए रेनडेडिवीयर इंजेक्टेबल योगिकों के आयात और विपणन के लिए 1 जून, 2020 को, और उसके बाद तीन स्वदेशी निर्माताओं को इसी दवा के निर्माण एवं विपणन के लिए।
 - कोविड-19 के हल्के और मध्यम संक्रमण के लिए फवीपीराबीर गोलियों के निर्माण तक विपणन की 1 जून 2020 की अनुमति।
 - कोविड-19 के मारण गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम (एआरडीएस) के रोगियों के इलाज के लिए साइटोकिन रिलीज़ इटोलिजुआव इंजेक्शन के लिए 10.7.20 को विपणन की अनुमति।
- * सीडीएसओ, 4 दिसंबर 2020 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 25 से अधिक विषय विशेषज्ञ समिति की बैठकों रखे गए प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श के बाद कोविड से संबंधित नई औषधियों और नैदानिक परीक्षण अनुप्रयोगों के 150 से अधिक आवेदकों को संसाधित करने में समर्थ हुआ है।
- * सीडीएससीओ ने फास्ट-ट्रैक आधार पर कोविड-19 के लिए कुल 242 जांच किटों को मंजूरी दी है जिनमें 4 दिसंबर 2020 तक 124 आरटीपीसीआर किट और 118 रैपिड एंटीबॉडी किट शामिल हैं।
- * आयुष मंत्रालय ने स्व-देखभाल दिशानिर्देशों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए निवारक स्वास्थ्य उपायों के विषय में एक सलाह जारी की है। मंत्रालय ने “रोग प्रतिरोधकता के लिए आयुष” पर तीन महीने का अभियान शुरू किया।
- * फ्रंटलाइन-स्वास्थ्य कर्मियों में गैर-संचारी रोगों की जांच और शीघ्र पता लगाने में समर्थ बनाने के लिए आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों पर एक स्वस्थ-कर्मि अभियान शुरू किया गया। इस अभियान ने 1 दिसंबर 2020 तक 502 जिलों में 12 लाख से अधिक कर्मियों की जांच को संभव बनाया, ताकि उन्हें निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक उपाय करने में सक्षम बनाया जा सके और कोविड-19 के प्रति उनके जोखिम वर्गीकरण के लिए भी सावधान किया जा सके, क्योंकि ये फ्रंटलाइन कर्मि (एफएलडब्लू) न केवल इन केन्द्रों में आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने में शामिल थे, बल्कि समुदाय आधारित निगरानी और समुदाय में महामारी फैलाव प्रबंधन संबंधी कार्यकलापों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।

- * कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना' की घोषणा 30 मार्च 2020 को की गई थी। इस योजना में सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए 50 लाख रुपए का बीमा शामिल है, जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल के अंतर्गत रहना पड़ सकता है और इस वजह से उन्हें संक्रमण होने का खतरा है।
- * **कोविड-19 वैक्सीन:** कोविशिल्ड और कोवैक्सीन जैसे दो स्वदेश में विनिर्मित टीके के माध्यम से 16 जनवरी 2021 को विश्व का सबसे बड़ा प्रतिरक्षात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया। संक्रमित होने के अधिकतम जोखिम वाले लोगों के लिए मानव सिद्धांत के आधार पर, 3 करोड़ लोगों, मुख्यतः फंडलाइन स्वास्थ्य कर्मियों, को पहले चरण में वैक्सीन दी गई, जबकि बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को दूसरे चरण में टीका लगाया जाएगा। 24 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार, 16.13 लाख लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया था (पी.आई.बी. द्वारा जारी विज्ञप्ति तारीख 24 जनवरी, 2021)। टीकाकरण के कार्य को लोगों की भागीदारी (जन भागीदारी), निर्वाचन के प्रयोग संबंधी अनुभव (बूथ संबंधी रणनीति) और सार्वभौमिक प्रतिरक्षात्मक कार्यक्रम (यू.आई.पी.) के सिद्धांतों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं विशेषकर वैज्ञानिक और विनियामक मानदंडों, अन्य एस.ओ.पी. पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और स्वास्थ्य संबंधी देखरेख पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। वैक्सीन के स्टोक्स, इनके भंडारण तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लाभार्थियों को ट्रैक करने से संबंधित वास्तविक समय सूचना के लिए सरकार द्वारा को-विन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे परिचालित किया जा चुका है।

10.35 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कर्मी (आशा): कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए देश की प्रतिक्रिया के रूप में आशा कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महामारी के दौरान, कोविड-19 से संबंधित कार्यों के अलावा, आशा कर्मियों ने प्रसव पूर्व देखभाल (एएनसी), टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव और दीर्घकालिक रोगों के उपचार के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय सदस्यों तक पहुंचाने का कार्य जारी रखा। सभी आशा कर्मियों और आशा समन्वयकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया (बॉक्स 7)। उन्हें देय प्रोत्साहन राशि को रूपे 2000 प्रतिमाह बढ़ा दिया गया है।

बाल स्वास्थ्य परिणाम


10.36 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5⁸ (एनएफएचएस-5), के पहले चरण में पता चला है कि केरल को छोड़कर विश्लेषण के तहत सभी 10 राज्यों में बच्चों के लिए टीकाकरण में वृद्धि हुई। जननी सुरक्षा योजना (जीवाईएस) के तहत गर्भवती महिलाओं और आशा कर्मियों को संस्थागत प्रसव के लिए नकद प्रोत्साहन देने और प्रधानमंत्री मातृवृंदन योजना (पीएमएमवाईवाई) के तहत सशर्त नकद हस्तांतरण करने का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, भारतीय राज्यों में संस्थागत जन्म में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है (चित्र 12 क)। एन एफ एच एस-5 के तहत उन राज्यों में टीकाकरण और संस्थागत जन्म पर अंतरराज्यीय अंतर कम हुआ है जिन्होंने एन एफ एच एस 4 में टीकाकरण और संस्थागत जन्म में निम्न स्तर दर्शाया था। (चित्र 12 ख)

10.37 एनएफएचएस-4 की तुलना में एनएफएचएस-5 में अधिकांश चुने हुए राज्यों में शिशु मृत्यु दर और अंडर फाईव मृत्यु दर में गिरावट आई है (चित्र 13)। हालांकि, मृत्यु दर में अंतरराज्यीय अंतर काफी बड़ा रहा। निष्कर्ष, मंद विकास, कुपोषण और रक्ताल्पता ग्रस्त बच्चों की मिश्रित तस्वीर दर्शाते हैं। एनएफएचएस-4

8 एन एफ एच एस-5, 2019-20, चरण-I में अगस्त-दिसम्बर 2019 के लिए 17 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। एन एफ एच एस-4 और एन एफ एच एस-5 के दौरान जिलों की सीमाओं में बदलाव कर दिए जाने के कारण 342 जिलों में से केवल 236 के आंकड़ों की ही तुलना की जा सकी थी। अतः एन एफ एच एस-5 के प्वाइंट अनुमानों की एन एच एस-4 (2015-16) के इंटरवेल अनुमानों के साथ तुलना किए जाने की जरूरत है।

की तुलना में, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और कर्नाटक में अल्पविकसित बच्चों की संख्या कम हुई है। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक ने कम वजन वाले बच्चों की संख्या में सुधार के लिए बेहतर काम किया है। एनएचएस-5 के दौरान आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में वेस्टिंग में भी कमी आई है (चित्र-14)। हालांकि, विश्लेषण के तहत दस प्रमुख राज्यों में से अन्य राज्यों में अल्प विकास, कुपोषण और कम वजन वाले बच्चों पर स्थिति या तो स्थिर थी या फिर बिगड़ गई। देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए, आंगनवाड़ी सेवाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) जैसी व्यापक योजना के तहत किशोरियों के लिए योजना बनाना, सरकार के कुछ लक्षित कार्यक्रम हैं। मिशन-मोड में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए, 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान आरंभ किया गया।


चित्र 12 क बाल स्वास्थ्य संकेतक 'टीकाकरण एवं संस्थागत जन्म'



स्रोत: एनएचएस-5 (2019-20)

टिप्पणी: जिन्हें टीके लगाए गए: 12-23 माह की आयु वाले बच्चों को उनके टीकाकरण कार्ड या उनकी मां से प्राप्त जानकारी के आधार पर पूर्ण टीकाकरण।


चित्र 12 ख बच्चों के टीकाकरण और संस्थागत जन्म में विभिन्न राज्यों के बीच पाया गया अंतर




स्रोत: एनएचएस-5 (2019-20)

टिप्पणी: जिन्हें टीके लगाए गए: 12-23 माह की आयु वाले बच्चों को उनके टीकाकरण कार्ड या उनकी मां से प्राप्त जानकारी के आधार पर पूर्ण टीकाकरण।

चित्र 13 बाल स्वास्थ्य संकेतक, आई एम आर और यू 5 एम आर



चित्र 14 बाल स्वास्थ्य संकेतक, रक्ताल्पता ग्रस्त बच्चे, कुपोषित, अत्यधिक कुपोषित, अल्पविकसित और कम वजन वाले बच्चे।



स्रोत: एनएफएस-5 (2019-20)

टिप्पणी: आई एम आर शिशु मृत्यु दर: यू 5 एम आर: 5 वर्ष से कम आयु के अल्पविकसित बच्चे 5 मृत्यु दर, अल्पविकसित: (हाइट फॉर एज), कुपोषित: 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कुपोषित हैं (लंबाई के अनुसार वजन), अत्यधिक कुपोषित बच्चे) लंबाई के अनुसार वजन: कम वजन वाले बच्चे: 5 वर्ष से कम आयु के अत्यधिक कम वजन वाले बच्चे: (आयु के अनुसार वजन); रक्ताल्पता ग्रस्त (<11.0 g/dl) हैं।

10.38 **आयुष:** राष्ट्रीय आयुष अभियान के माध्यम से 12,500 HWC तैयार किया जाएंगे। ये आयुष HWC मौजूदा, आयुष औषधालयों (10,000) तथा उप स्वास्थ्य केंद्र (2500) में सुधार करके तैयार किए जाएंगे। इनके द्वारा सामान्य जनता को आयुष चिकित्सा पद्धति पर ध्यान केंद्रित हुए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4061 सुविधाओं का आयुष HWC के तौर पर उन्नयन किए जाने का अनुमोदन किया गया है।

जल और स्वच्छता

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी)

10.39 स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में, 2014 से अब तक 10 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण के साथ, 2014 में 39 प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि से लेकर 2019 में 100 प्रतिशत अविश्वसनीय छलांग लगाकर लक्ष्य प्राप्ति की है। 'ग्रामीण भारत में महिलाओं की, शौचालय और सुरक्षा, सुविधा और स्वाभिमान तक पहुंच' फरवरी, 2020' विषय पर यूनीसेफ के अध्ययन में कहा गया है कि 91 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि शौचालयों के निर्माण के बाद से वे एक घंटे का समय बचा पा रही हैं और उन्हें शौच के लिए एक किलोमीटर तक की यात्रा नहीं करनी पड़ रही। पिछले पांच वर्षों में कार्यक्रम के तहत हासिल किए गए लाभों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पीछे नहीं रह जाए तथा गांवों में समग्र स्वच्छता हासिल करने के लिए, 2020-21 से 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण को ₹ 1,40,881 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, जो वित्त पोषण के विभिन्न वर्टिकल्स और केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं जैसे स्थानीय निकायों, मनरेगा, कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) निधियों आदि के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदानों के बीच अभिसरण द्वारा खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) पर केन्द्रित हैं। इसके अलावा, कोविड-19 के दौरान बेहतर, सुरक्षित स्वच्छता और साफ-सफाई के उपायों के लिए स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एएनबी पैकेज के तहत जून, 2020 में पीएम जीकेआरए को भी प्रारंभ किया गया था। पीएमजीकेआरए के तहत, अब तक 29,695 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है।


जल जीवन मिशन (जेजेएम)

10.40 सरकार ने 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा करके, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों के "जीवन गुणवत्ता सुधार" और "जीवन जीने में सुविधा" को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है (बॉक्स-8)। अगस्त 2019 में योजना के शुभारंभ के समय, कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण घरों में से लगभग 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) घरों में नल के जल की आपूर्ति थी। शेष 15.70 करोड़ (83 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में 2024 तक क्रियात्मक नल जल कनेक्शन (एफटीडब्ल्यूसी) उपलब्ध किए जाने हैं (चित्र 16)।

बॉक्स 8: जल जीवन मिशन (जेजेएम)

- जेजेएम का उद्देश्य क्रियात्मक नल जल कनेक्शन द्वारा दीर्घकालिक आधार पर नियमित तौर पर 55 लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर पर पाइपलाइन द्वारा पेय जल की आपूर्ति प्रत्येक ग्रामीण घर तक सुनिश्चित करना है।
- राज्यों के साथ साझेदारी में कुल 3.60 लाख करोड़ के व्यय के साथ, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को एफटीडब्ल्यूसी उपलब्ध करवाना।
- जेजेएम एक विकेन्द्रीकृत, मांग द्वारा संचालित और समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम है जो ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूसी)/पानी समिति/उपभोक्ता समूहों आदि के साथ पेयजल आपूर्ति प्रणाली के नियोजन, कार्यान्वय, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- जेजेएम देश में दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए जल जनापयोगी सेवाओं के रूप में कार्यरत रहने के लिए जल आपूर्ति विभाग और स्थानीय समुदायों को सशक्त कर रहा है।

चित्र 15: ग्रामीण आवासों में एफटीडब्ल्यूसी कवरेज तक की पहुंच संचयी प्रगति (लाख में)



स्रोत: पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (18.01.2021 तक)

10.41 “नो वन इज़ ऑउट” के सिद्धांत के साथ, देश भर के 18 जिले, गुजरात(5), तेलंगाना(5), हिमाचल प्रदेश(1), जम्मू और कश्मीर(2), गोवा(2) और पंजाब (3), ‘हर घर जल जिले’ बन गए हैं। इस तरह, 402 ब्लॉक, 31,848 ग्राम पंचायतें, 57,935 ग्राम क्रमशः ‘हर घर जल ब्लॉक’, ‘हर घर जल पंचायत’, और ‘हर घर जल गांव’ बन गए हैं। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जहां नल जल कनेक्शन वाले 100 प्रतिशत घर हैं अर्थात् ‘हर घर जल राज्य’। मिशन के शुभारंभ से अब तक लगभग 3.2 करोड़ ग्रामीण घरों को एफटीडब्ल्यूसी प्रदान किया गया है।

ग्रामीण विकास

10.42 भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण लोकडाउन की अवधि के दौरान प्रतिलोम प्रवास की घटना देखी गई, जिसमें प्रवासियों को परिवहन के सभी संभावित साधनों का लाभ मिला था यहां तक की घरों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। लेकिन इन प्रवासियों की महानगरों में वापसी, कोविड-19 संबंधित कड़ाइयों के सामान्य होने पर ही हो पाएगी। ऐसी प्रतिकूलताओं के बावजूद, कोविड-19 संबंधित संकट से निपटने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लचीलापन एक अच्छे फसल के मौसम और सरकारी प्रोत्साहन पैकेज द्वारा संभव था।

10.43 मार्च, 2020 में पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित किए गए पहले उपायों में, सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत मौजूदा वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए ₹ 500 की दो किस्तों में ₹ 1000 का हस्तांतरण शामिल है। 2.82 करोड़ एनएसएपी लाभार्थियों को ₹ 2814.50 करोड़ की राशि जारी की गई। पीएम जन धन योजना में प्रति महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में तीन माह तक डिजिटल रूप से 500 रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया, जो लगभग ₹ 20.64 करोड़ है। तीन महीने के लिए लगभग 8 करोड़ परिवारों की गैस सिलेंडर का मुफ्त वितरण। 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए जमानत मुफ्त ऋण सीमा ₹ 10 लाख से बढ़ाकर ₹ 20 लाख की गई, जिससे 6.85 करोड़ परिवारों को सहायता मिलेगी।

10.44 एएनबी अभियान के तहत घोषित प्रोत्साहन उपायों की दूसरी किश्त में, महात्मा गांधी नरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों की वापसी और साथ ही साथ मानसून के मौसम में अधिक कार्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए लगभग 300 करोड़ मानव दिवस सर्जन में सहायता मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में 2020-21 की स्थिति के अनुसार, अब तक कुल 311.92 करोड़

मानव-दिवसों का सर्जन किया गया है और कुल 65.09 लाख व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य और 3.28 लाख जल संरक्षण संबंधित कार्य पूर्ण किए गए। मनरेगा के तहत मजदूरी को 1 अप्रैल, 2020 से 20 रुपए बढ़ाकर, 182 रुपए से 202 रुपए कर दिया गया है तो एक श्रमिक को सालाना 2000 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा। योजना के मुख्य तत्व और उल्लेखनीय उपलब्धियां बॉक्स 9 में दी गई हैं:

बॉक्स 9: मनरेगा के प्रमुख तत्व और उल्लेखनीय उपलब्धियां

- मनरेगा को परस्पर मजबूत करने में शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएफएमएस), आधार का उपयोग, संपत्ति की जियो टैगिंग और सोशल ऑडिट सिस्टम को मजबूत करना, रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग कर अनुमानित गणना के लिए सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन (एसईसीयूआरई), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएम) आधारित योजना, कार्य आकलन की क्षमता बढ़ाने के लिए समय और गमन अध्ययन (टीएमएस), जन-मनरेगा-अ मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम, ई-सक्षम-डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, खराब कार्यान्वयन क्षमता के साथ चयनित ब्लॉकों में सभी स्तरों पर विषयगत विशेषज्ञों की स्थिति के लिए क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट (सीएफपी) और लाभार्थियों के कौशल विकास के लिए प्रोजेक्ट उन्नति।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 (21.01.2021 तक), 311.92 करोड़ मानव-दिवस उत्पन्न किए गए जो अब तक का सबसे उच्च है। कुल मानव-दिवसों में से, महिलाओं के लिए मानव-दिवस 52.69 प्रतिशत, एससी के लिए 19.9 प्रतिशत और एसटी के लिए 17.8 प्रतिशत है, जो मानदंडों से काफी ऊपर हैं।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 (21.01.2021 तक) के दौरान किए गए कुल कार्यों का लगभग 61 प्रतिशत व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं से संबंधित है और कुल व्यय का 68.3 प्रतिशत कृषि और संबद्ध कार्यों पर है।
- 4.24 करोड़ मनरेगा आस्तियां जियो-टैग की गईं और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराई गईं।
- 2020-21 के दौरान मनरेगा श्रमिकों के खातों में 99 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान किया गया, जबकि 2013-14 के दौरान यह 37.17 प्रतिशत था।

दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएआई-एनएलएम)

10.45 डी ए वाई-एन आर एल एम गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करती है। इस मिशन का उद्देश्य एस एच जी एस में लगभग 9 से 10 करोड़ को गतिशील करके तथा उन्हें वित्त के औपचारिक स्रोत, सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के अधिकारों और सेवाओं तक समर्थ बनाकर तथा उनके कौशलों का निर्माण करके सतत आजीविका अवसरों तक उनसे पहुंच बनाकर मिशन से जोड़ना है। संचयी प्रगति (दिसंबर 2020 तक) दर्शाती है कि लगभग 7.62 लाख परिवारों को 66.03 लाख एस एच जी में जोड़ा गया है पूंजीगत सहायता के संदर्भ में एस एच जी को मिशन के माध्यम से रिवाल्विंग निधि तथा सामुदायिक निवेश के रूप में ₹ 12195 करोड़ अधिक उपलब्ध कराए गए हैं। क्षमता निर्माण एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में मिशन ने 3 लाख सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षित एवं तैनात किया है। डी ए वाई- एन आर एल एम ने बैंक तथा कॉपन सेवा केंद्र की सहायता से बैंकिंग कारस्पोंडेंट सखी (बी सी सखी) के रूप में एस एच जी महिलाओं के विकास तथा डिजिटल वित्त के प्रोत्साहन के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंचाने में भी संलग्न है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जे एस वार्ड)

10.46 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ 25 दिसंबर 2020 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों को निर्दिष्ट जनसंख्या आकार (मैदानी क्षेत्रों में 500 +, उत्तर पूर्व तथा हिमालयी राज्यों 250+) के सभी अर्हक अनगिनत आवासों को सभी मौसमों में जोड़ने वाली एक सड़क उपलब्ध कराना है। पी एम जी एस वार्ड ने दो चरण को समाप्त कर लिया है तथा तीसरे चरण को 125 लाख कि. मी. की सभी मौसमों में जोड़ने

वाली सड़क के लक्ष्य आबंटन के साथ आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 6.44 लाख कि. मी. से अधिक लंबी सड़क का निर्माण किया जा चुका है। यह योजना मूलभूत सेवाओं तक पहुंच को उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण लोगों को आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग करती है।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान (GKRA)

10.47 जी के आर ए को 6 राज्यों 25 कार्यों पर फोकस के साथ 125 दिन की अवधि के लिए आरंभ किया गया था। यह अभियान 12 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच एक अभिसरण प्रयास है लौटते प्रवासियों तथा ऐसे ही प्रभावित ग्रामीण नागरिकों की आजीविका अवसरों का प्रावधान, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से गांवों को मुक्त करना और सड़क, आवास, आंगनवाड़ियों, पंचायत भवन, विभिन्न आजीविका संपत्तियों और सामुदायिक परिसरों के निर्माण द्वारा आजीविका के अवसरों को विकसित करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। यह आजीविका अवसरों को बढ़ाना है। लौटते हुए प्रतिलोम प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या की कठिनाइयों को संबोधित करने के लिए 25,000 तथा उससे ज्यादा की संख्या वाले प्रतिलोम प्रवासी श्रमिकों के जिलों को चिह्नित किया गया है। जून, 2020 से 22 अक्टूबर 2020 तक 40.34 करोड़ व्यक्ति दिवस के रोजगार अनुमानित सृजन के साथ ₹ 50,000 करोड़ के स्रोत सहायता के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 6 राज्यों के चयनित 116 जिलों में आजीविका अवसरों के साथ गांव वालों के सशक्तीकरण में सहायता कर रहा है। यह जिले हैं:- बिहार (32 जिले), झारखण्ड (3 जिले) मध्यप्रदेश (24 जिले), ओडीसा (4 जिलों राजस्थान (22 जिले) तथा उत्तरप्रदेश (31 जिले)। यह अभियान ₹ 39293 करोड़ के कुल व्यय खर्च के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस के रोजगार सृजन को प्राप्त कर लिया है। अभियान के उद्देश्यों के अनुसरण में सृजित आस्तियां (बॉक्स 10) में ब्यौरेवार दी गई।

बॉक्स 10: जी.के.आर.ए. के तहत निर्मित सरकारी अवसंरचना और परिसम्पत्तियां

- 1,59,697 जल संरक्षण-संरचनाएं, 45,071 कैटल शेड, 4,848 कृमि खाद की इकाइयां, 2,854 मुर्गीपालन शेड्स, 34,005 कृषि-भूमि के लिए तालाब, 16,399 कुओं से संबंधित संरचना।
- 23,010 सामुदायिक आरोग्य कर कॉम्प्लैक्स
- 73,307 वृक्षारोपण (सी.ए.एम.पी.ए. फंड के जरिए, इसे सम्मिलित करते हुए)
- 4,713 पी.एम.-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कार्य
- पी.एम.-ग्रामीण सड़क योजना के तहत कुल 1402 किलोमीटर सड़क बनाई गई
- 4,81,210 ग्रामीण घर, 3,607 आंगनवाड़ी केन्द्र
- ठोस और द्रव अवशेष के प्रबंधन से संबंधित 25,645 निर्माण कार्य
- जल जीवन मिशन के तहत 17,240 निर्माण कार्य
- ₹ 5810.97 करोड़ के वित्त आयोग के फंड के तहत निर्माण कार्य
- ₹ 327.10 करोड़ की पी.एम. ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत निर्माण कार्य
- कुल 7069 किलोमीटर सड़क की संरचना और रख-रखाव को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत स्वीकार किया गया था।
- इस अभियान के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के) के माध्यम से 68,136 अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया था।
- भारत नेट के तहत 92,158 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल का बिछाया जाना।
- ₹ 1042.82 करोड़ के जिला खनिज पदार्थ फंड से कार्य शुरू किए गए।

निष्कर्ष

10.48 भारत के आर्थिक विकास में सामाजिक अवसंरचना में निवेश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सरकार सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों में पूरी तरह से सुधार लाने के लिए रोजगार अवसर, हाउसिंग, स्वच्छता आदि उपलब्ध कराकर और एस.डी.जी. प्राप्त कर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास जैसे सामाजिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के बावजूद, सामाजिक क्षेत्र में सरकारी व्यय में 2020-21 में वृद्धि हुई है और जिसके लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, एम.जी.एन.आर. ई.जी.एस. के तहत उच्चतर आवंटन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान और पथप्रवर्तक-श्रम सुधार आदि के जरिए प्रयास जारी रहा था। सामाजिक पूंजी में निवेश करने में अर्थ-व्यवस्था की ओर भारत का विकास सुदृढ़ है।

अध्यायों की एक झलक

- संयुक्त (केंद्र और राज्य) सामाजिक क्षेत्र व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। यह बढ़ोतरी बजटीय व्यय के अनुपात के रूप में भी प्रकट हुई है।
- एचडीई 2019 में कुल 189 देशों में से भारत की रैंक 2018 में 129 के मुकाबले 131 दर्ज की गई थी। एचडीआई सूचकांकों में उप घटक वार अवलोकन द्वारा भारत का “जीएनआई प्रतिव्यक्ति आय (2017 पीपीपी \$)” 2019 में 6681 अमेरिकी डॉलर हुई है 2018 में 6427 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर तथा जन्म पर “जीवन प्रत्याशा” क्रमशः 69.4 से सुधर कर 69.7 वर्ष हो गई। स्कूलिंग के औसत और अनुमानित वर्षों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है।
- ऑनलाइन स्कूलिंग को कोविड-19 महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर ग्रहण किया गया है। डाटा नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप आदि तक पहुंच का महत्व ऑनलाइन अधिगम तथा रिमोट वर्किंग के कारण बढ़ गया। ऑनलाइन/डिजिटल स्कूलिंग को समाज के सभी वर्गों तक लाने के लिए नवोन्मेषी उपायों को अपनाया गया है।
- औपचारिक कौशल प्रशिक्षण में ग्रामीण, शहरी एवं जेंडर वर्गीकरण सहित सभी सामाजिक, आर्थिक वर्गीकरणों के लिए पीएलएफएस के वार्षिक चक्र में सुधार देखा गया है।
- वर्ष 2018-19 रोजगार सृजन के लिए एक अच्छा वर्ष रहा है। इस अवधि के दौरान सृजित कुल लगभग 1.64 करोड़ अतिरिक्त रोजगार में से, 1.22 करोड़ रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में और 0.42 करोड़ रोजगार शहरी क्षेत्र में दिए गए थे। महिला, एलएफपीआर 2017-18 में 17.6 प्रतिशत से 2018-19 में 18.6 प्रतिशत तक बढ़ा है।
- शहरी क्षेत्रों के लिए पीएलएफएस का तिमाही सर्वेक्षण जनवरी 2019 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान नियमित मजदूरी/वेतनभोगी के रूप में लगे हुए कार्यबल के बड़े भाग को दर्शाता है।
- सरकार ने आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिए हैं। वर्तमान केंद्रीय श्रमिक कानूनों का बदलते श्रम बाजार रुझानों के साथ ताल-मेल बिठाने के लिए इन कानूनों को 4 श्रमिक संहिताओं में तर्क संगत एवं सरलीकृत किया गया है। यह हैं (i) मजदूरी संहिता, 2019 (ii) अंतर्राष्ट्रीय संबंध संहिता, 2020, (iii) वृत्तिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य करने की परिस्थिति संहिता 2020 (iv) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020।

- टाइम सर्वे 2019 दर्शाता है कि घरेलू कामकाज तथा परिवार के सदस्यों की देखभाल में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय व्यतीत करती हैं यह भारत में महिला (एफएफपीआर) में अपेक्षाकृत कम स्तर के कारण की व्याख्या करता है। कार्यस्थलों पर महिला कार्यकर्ताओं के लिए अन्य चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित वेतन तथा वृत्तिक प्रगति, कार्य प्रोत्साहनों में सुधार जैसे गैर-विभेदकारी कार्यों को बढ़ावा देने की जरूरत है।
- कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में लॉकडाउन, सामाजिक दूरी, यात्रा संबंधी ऐडवाइजरी, नियमित रूप से हाथ धोने, मास्क पहनने जैसे प्रारंभिक उपायों से इस बीमारी के प्रसार में कमी आई है। हमारे देश ने आवश्यक दवाओं हैंड सैनिटाइजर, मास्क, पी.पी.ई. किट, वैटिलेटर्स जैसे संरक्षी उपकरण कोविड-19 की जांच और उपचार संबंधी सुविधाओं से आत्मविश्वासनीयता भी अर्जित की है। दो स्वदेशी विनिर्मित टीके के माध्यम से, 16 जनवरी, 2021 को विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया।
- एनएफएचएस-5, (फेज 1) के परिणाम ने जिन अधिकांश राज्यों में फेज-1 के परिणाम जारी किए गए हैं, वहां बच्चों के लिए प्रतिरक्षण कवरेज, संस्थागत प्रसव, शिशु मृत्युदर और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में सुधार को दर्शाता है।
- मार्च, 2020 में पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित किए गए पहले उपायों में, सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत मौजूदा वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए ₹ 500 की दो किस्तों में ₹ 1000 का हस्तांतरण शामिल है। 2.82 करोड़ एनएसएपी लाभार्थियों को ₹ 2814.50 करोड़ की राशि जारी की गई। पीएम जन धन योजना में प्रति महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में तीन माह तक डिजिटल रूप से 500 रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया, जो लगभग ₹ 20.64 करोड़ है। तीन महीने के लिए लगभग 8 करोड़ परिवारों की गैस सिलेंडर का मुफ्त वितरण। 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए जमानत मुफ्त ऋण सीमा ₹ 10 लाख से बढ़ाकर ₹ 20 लाख की गई, जिससे 6.85 करोड़ परिवारों को सहायता मिलेगी।
- वर्ष 2020-21 की स्थिति के अनुसार अब तक कुल 311.92 करोड़ श्रम-दिवस का सृजन किया गया है और कुल 65.09 लाख व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य और 3.2 लाख जल संरक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किए गए। महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी को 1 अप्रैल 2020 से ₹ 20 बढ़ाकर ₹ 182 से ₹ 202 तक कर दिया गया है जो कि एक श्रमिक को सालाना ₹ 2000 की अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा।

अनुलग्नक I

**तालिका- उद्योग, जेंडर तथा क्षेत्रों वार श्रमिकों (पीएस+SS, सभी आयु वर्ग) की संख्या
(करोड़ में)**

क्षेत्र	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
पी.एल.एफ.एस. 2017-18									
कृषि	12.72	5.47	18.27	0.61	0.25	0.85	13.9	6	20.03
खनन और उत्खनन	0.1	0.02	0.13	0.07	0.01	0.08	0.18	0.02	0.19
विनिर्माण	1.75	0.69	2.47	2.71	0.77	3.48	4.28	1.39	5.7
विद्युत, जल आदि	0.1	0.02	0.09	0.15	0.02	0.17	0.25	0.02	0.28
कंस्ट्रक्शन (निर्माण कार्य)	3.68	0.46	4.11	1.44	0.13	1.55	5.15	0.6	5.7
व्यापार, होटल और रेस्त्रां	2.34	0.33	2.66	3.12	0.43	3.54	5.26	0.73	5.94
परिवहन भंडारण और संचार	1.29	0.02	1.3	1.51	0.11	1.63	2.72	0.11	2.78
अन्य सेवाएं	1.91	0.7	2.62	2.76	1.44	4.21	4.5	1.97	6.51
सभी	23.91	7.7	31.61	12.39	3.15	15.53	36.29	10.85	47.14
पी.एल.एफ.एस. 2018-19									
कृषि	13.4	6.19	19.5	0.68	0.3	0.97	14.88	6.71	21.51
खनन और उत्खनन	0.12	0.02	0.13	0.08	0.01	0.08	0.19	0.02	0.2
विनिर्माण	1.88	0.69	2.56	2.83	0.83	3.67	4.44	1.47	5.9
विद्युत, जल आदि	0.12	0	0.13	0.01	0.02	0.19	0.26	0.02	0.29
कंस्ट्रक्शन (निर्माण कार्य)	3.53	0.45	4.04	1.48	0.14	1.63	5.07	0.59	5.71
व्यापार, होटल और रेस्त्रां	2.24	0.34	2.59	3.1	0.43	3.53	5.07	0.74	5.85
परिवहन भंडारण और संचार	1.27	0.03	1.31	1.61	0.11	1.72	2.74	0.13	2.88
अन्य सेवाएं	1.85	0.75	2.59	2.72	1.47	4.18	4.33	2.1	6.44
सभी	24.37	8.46	32.83	12.64	3.31	15.96	37.01	11.77	48.78

स्रोत: पी.एल.एफ.एस. की वार्षिक रिपोर्टों से प्राक्कलित

श्रम संबंधी चार संहिताओं की विशिष्टताएं

सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानून/अधिनियम को चार नियमावलियों, अर्थात् (i) मेहनताना संहिता, 2019 (ii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (iii) पेशा संबंधी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की परिस्थितियों (ओ.एस. एच.) संहिता, 2020 (iv) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सरलीकृत, पुनर्गठित कर समममेलित किया गया है। व्यवसाय संबंधी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति, औद्योगिक संबंध और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित तीन संहिताओं को 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया था, जबकि मेहनताना संहिता को 08.08.2019 को अधिसूचित किया गया था। श्रम संबंधी इन संहिताओं के जरिए, ट्रेड यूनियनों (मजदूर संघों), नियोक्ताओं, केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों और श्रम क्षेत्र के विशेषज्ञों, हितधारक परामर्शदाताओं से वर्षों तक परामर्श करने के बाद अत्यधिक आवश्यक श्रम कल्याण सुधार किए गए हैं। जनता और हितधारकों से टीका-टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र में मसौदा नियम प्रकाशित किए गए हैं। इन संहिताओं की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

मेहनताना संहिता, 2019: इसमें मेहनताना और भुगतान संबंधी 4 श्रम कानून जैसे कि; मेहनताना का भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मेहनताना अधिनियम, 1948, बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 सम्मिलित हैं। मेहनताना संबंधी संहिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- (i) संगठित या असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को न्यूनतम मेहनताना और मेहनताना का सामयिक भुगतान करने के लिए संवैधानिक अधिकार बनाया गया है। यह वर्तमान में, 30 प्रतिशत कार्यबल के मुकाबले इस देश में सभी कामगारों को न्यूनतम मेहनताना की हकदारी देता है। वर्तमान में, खनन क्षेत्र, वृक्षारोपण, बंदरगाह (डॉक) के कामगार, इमारत और निर्माण-कार्य संबंधी कामगार, पहरा और निगरानी, सफाई और विनिर्माण क्षेत्र आदि को मुख्यतः कवर करने वाले रोजगार के लिए न्यूनतम मेहनताना निर्धारित किया जाता है। सम्पूर्ण सेवा क्षेत्र में (आई.टी., आतिथ्य, परिवहन आदि) घरेलू कामगारों, असंगठित कामगारों, शिक्षकों आदि को शामिल किया जाएगा।
- (ii) न्यूनतम मेहनताना की दरों के स्थिरीकरण के तरीकों को सरल किया गया है। ध्यान में रखे जाने वाले घटक, रोजगार के अनुसार निर्धारित किए जा रहे मेहनताना की वर्तमान प्रणाली के मुताबिक कौशल के प्रकार और भौगोलिक स्थिति से संबंधित हैं।
- (iii) वर्तमान में, 10000 के मुकाबले समस्त देश में न्यूनतम मेहनताना दर की संख्या लगभग 200 होगी।
- (iv) केंद्रीय क्षेत्र में, 542 के मुकाबले केवल 12 न्यूनतम मेहनताना दरें होंगी।
- (v) प्रत्येक 5 वर्षों में न्यूनतम मेहनताना में संशोधन।
- (vi) 'फ्लोर वेज' की एक संवैधानिक अवधारणा का सूत्रपात किया गया है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: (i) मजदूर संघ अधिनियम, 1926; (ii) औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 और (iii) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के संबंधित प्रावधानों सम्मिलित, सरलीकृत कर पुनर्गठित करने के बाद औद्योगिक संबंध संहिता (आई.आर.कोड) को तैयार किया गया है। इस नियमावली की प्रमुख विशेषताओं में यह शामिल है:

- (i) शिकायत निवारण के लिए कामगारों के रूप में 'पर्यवेक्षक' के कार्यक्षेत्र व्याप्ति के प्रयोजन से मेहनताना की उच्चतम सीमा में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मौजूदा। ₹ 10000/- प्रति माह से ₹ 18000/- प्रति माह की वृद्धि की गई है।

- (ii) निश्चित अवधि वाले रोजगार (एफ.टी.ई.) के सिद्धांत की शुरुआत की गई है, जो कि एक फायदे का सौदा है जहां कोई कर्मचारी किसी स्थाई कर्मचारी के सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करता है और नियोक्ता कामगार को सविदा में व्यवधान के बिना नियुक्त कर सकता है। एफ.टी.ई. श्रमिक स्थाई कामगार के समान सभी प्रकार के लाभ का हकदार होगा। इसके अलावा, यद्यपि यह सविदा एक वर्ष की अवधि के लिए है, एफ.टी.ई. को अनुपाती उपदान के लाभ प्राप्त करने की भी अनुमति दी गई है।
- (iii) छँटनी किए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण देने के लिए छँटनी किए गए प्रत्येक कामगार को 15 दिनों की मेहनताना की राशि के बराबर किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा किए गए अंशदान से “री-स्कलिंग फंड” प्रस्तावित किया गया है यह फंड छँटनी की प्रतिपूर्ति के अलावा मिलता है। इस राशि को 45 दिनों के भीतर कामगारों के खाते में जमा किया जाएगा।
- (iv) केंद्रीय और राज्य सरकारों ने छँटनी संबंधी प्रतिपूर्ति में सुधार के लचीलापन प्रदान किया है जो वर्तमान में (फिलहाल) कितने भी दिनों के लिए प्रत्येक वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए 15 दिनों के बराबर होगी।
- (v) “वार्ता संघ” के सिद्धांत को शामिल करते हुए मजदूर संघों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए उनके दीर्घकालीन लंबित मांग पर विचार किया गया है। यह नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच वार्ता में सहयोग प्रदान करेगा। यदि कोई भी मजदूर संघ मस्टर रोल के 51 प्रतिशत से अधिक कामगारों की सदस्यता का लाभ उठाता है, तो इसे नियोक्ता के साथ वार्ता करने के लिए संघ के रूप में मान्यता दी जाएगी। यदि किसी भी एक मजदूर संघ को 51 प्रतिशत से अधिक कामगारों का समर्थन प्राप्त नहीं है, तो वार्ता के लिए किसी स्थापना में वार्ता परिषद का गठन किया जाएगा। 20 प्रतिशत या उससे अधिक की सदस्यता वाला प्रत्येक मजदूर संघ ‘वार्ता परिषद’ में एक सीट का पात्र होगा।
- (vi) इसी प्रकार, केंद्र और राज्य के स्तर पर मजदूर संघों, मजदूर संघ फेडरेशन को मान्यता देने के लिए एक प्रावधान किया गया है।
- (vii) इस कार्य को सुगम बनाने के लिए, 300 से कम कामगार वाले किसी कारखाने, खनन और वृक्षारोपण में बरखास्तगी, छँटनी और बंदी के लिए, यह संहिता-उपयुक्त सरकार के पूर्व-अनुमति की आवश्यकता को दूर करती है। नोटिस अवधि, छँटनी प्रति पूर्ति और वेतन के एवज में भुगतान संबंधी लाभ को बरकरार रखा गया है।
- (viii) अपराध शमन की शुरुआत की गई है। हालांकि, किसी भी अपराध के लिए तीन वर्षों में केवल एक बार ही शमन का लाभ उपलब्ध होगा। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के कल्याण के लिए शमन से संग्रहित राशि का उपयोग किया जाएगा।
- (ix) श्रम संबंधी विवाद के शीघ्र निपटान में दो-सदस्यों वाला औद्योगिक न्यायाधिकरण सहायता करेगा।
- (x) कामगारों के अधिकारों को निश्चित रूप देने में सहयोग करने के लिए और साथ ही साथ कार्य करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, जिन मॉडल स्थाई आदेशों में कार्य के घंटों, पारियों, छुट्टियों, अनुशासनिक कार्यवाही और सेवा संबंधी अन्य शर्तों से संबंधित मानवीकृत प्रावधान होंगे, उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार का दी गई है।
- (xi) कामगारों के अधिकारों के साथ समझौता न करने और इसमें सुगमता, स्पष्टता और उत्तरदायी अनुपालन उपलब्ध कराने के लिए सावधानी बरती गई है। इन परिभाषाओं में कमी और परिमेयकरण से अभियोग में कमी आएगी, और जिससे इसकी स्पष्टता व जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता, 2020: 13 केंद्रीय श्रम अधिनियमों जैसे कि कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बागवानी श्रम अधिनियम, 1951, गोदी (डॉक) कामगार

(सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970, अंतर्राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979, कार्यरत पत्रकार व अन्य समाचार-पत्र कर्मचारियों (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, सेल्स प्रमोशन कर्मचारी अधिनियम (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 बीड़ी व सिगार कर्मकार (रोजगार शर्त) अधिनियम, 1966 और सिने-वर्कर्स और सिनेमा थिएटर कर्मकार (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 1981 के संबंधित उपबंधों को एकीकृत, सरलीकृत कर परिमेयकरण करने के बाद इस संहिता का मसौदा तैयार किया गया है। इस संहिता की प्रमुख विशेषताओं में निम्न बातें शामिल हैं:-

- (i) स्थापनाओं के इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए, 10 कर्मचारियों की एक अपरिवर्तनशील सीमा रेखा निधिरित की गई है। इन अधिनियमों में 6 पंजीकरणों के स्थान पर किसी भी स्थापना के लिए एक पंजीकरण पर विचार किया गया है। यह केंद्रीकृत डेटाबेस निर्मित कर कार्य करने की सुगमता को बढ़ावा देगा।
- (ii) यद्यपि, खतरनाक या जीवन को जोखिम में डालने वाले पेशे को संचालित करने में, 10 से कम कर्मचारी हों, तो इसके लिए एक समर्थकारी प्रावधान निर्मित किया गया है कि केंद्र सरकार किसी भी स्थापना के लिए इस संहिता की प्रयोज्यता में विस्तार कर सकती है।
- (iii) इस संहिता से इन स्थापनाओं के लिए एक लाइसेंस, एक पंजीकरण और एक विवरणी के साथ अनुपालन मकैनैनिज्म का परिमेयकरण होता है।
- (iv) ओ.एस.एच. संहिता प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 में प्रवासी कर्मकार के लिए दी गई प्रारम्भिक परिभाषा में विस्तार करती है। वर्तमान ओ.एस.एच. संहिता में वे कामगार सम्मिलित हैं, जो संविदाकार के अलावा नियोजक द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा, इसे भी सम्भव किया गया है कि जो प्रवासी व्यक्ति अपनी मर्जी से गन्तव्य राज्य में आएगा, वह आधार के साथ संलग्न स्व-घोषणा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पंजीकृत करके स्वयं को प्रवासी कामगार घोषित बनाया गया है और इसके लिए आधार के अलावा किसी भी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
- (v) प्रवासी कामगारों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध न हो पाने का एक मुख्य कारण यह था कि अंतर राज्य प्रवासी कामगारों की परिभाषा सीमित थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए उपाय किए हैं ताकि असंगठित कामगारों को, जिनमें प्रवासी कामगार भी शामिल हैं, नामांकित किया जा सके। इससे अन्य बातों के साथ-साथ प्रवासी कामगारों को काम उपलब्ध करवाने, उनके कौशल का सही इस्तेमाल करने तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्रदान करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर इससे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकेंगी।
- (vi) प्रवासी कामगार राशन और भवन एवं अन्य निर्माण उपकरण निधि से प्राप्त होने वाले लाभों के संबंध में नियोक्ता में परिवर्तन होने के बावजूद (पोर्टेबिलिटी) इन सुविधाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।
- (vii) सभी या कुछ विशेष प्रकार की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को एक विशिष्ट आयु के बाद नियोक्ता द्वारा वार्षिक स्वास्थ्य जांच की निःशुल्क सुविधा प्रदान करनी होगी।
- (viii) इस संहिता (कोड) की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है इससे नियोजन के औपचारिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- (ix) संहिता में सभी प्रकार के कार्यों से जुड़ी सभी प्रकार की स्थापनाओं में महिलाओं को नियोजित किए जाने की संभावना पर विचार किया गया है महिलाओं को अब रात्रि के समय के लिए नियोजित किया जा सकेगा जिसके पहले उनकी सहमति ली जाएगी तथा सुरक्षा, छुट्टी, कार्य के नियत घंटों या संगत

सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इससे स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।

- (x) 'नियोजित पत्रकारों' और 'सिने कार्यकर्ताओं' की परिभाषा की परिधि में संशोधन किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एचं सभी प्रकार के दृश्य-श्रव्य निर्माण कार्य से जुड़े कामगारों को भी इसमें शामिल किया जा सके।
- (xi) न्यायालयों ने आदेश दिया है कि यदि कोई नियोक्ता अपने कर्तव्यों से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करता है और उसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचती है तो इस स्थिति में नियोक्ता पर लगाए गए जुर्माने की राशि का एक हिस्सा पीड़ित व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिया जाए।
- (xii) वर्तमान में दिए जाने वाले कार्य आदेश आधारित लाइसेंस के बजाय इस संहिता में ठेकेदारों को पांच वर्ष के लिए अखिल भारतीय लाइसेंस दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
- (xiii) किसी स्थापना में कार्य करने के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर परिवेश के निर्माण के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा किसी भी श्रेणी की स्थापना में द्विपक्षीय सुरक्षा समिति गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके पहले यह व्यवस्था केवल जोखिमपूर्ण व्यवसायों वाली स्थापनाओं के लिए ही लागू थी।
- (xiv) पांच श्रम अधिनियम के तहत कई समितियों को एक राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो त्रिपक्षीय प्रकृति का है और व्यापार संघों, नियोक्ता संघों और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व है।

समाज सुरक्षा संहिता 2020: समाज सुरक्षा संहिता ने मौजूदा नौ सामाजिक सुरक्षा अधिनियम शामिल है जैसे; कर्मचारियों का मुआवजा अधिनियम, राजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम का भुगतान, सिने श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, और संगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। संहिता की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- (i) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के कवरेज को पैन-इंडिया को अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों के मुकाबले 10 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों में विस्तारित किया गया है। हालांकि, ईएसआईसी द्वारा जमीनीस्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर नियोक्ताओं और कर्मचारियों से योगदान को अधिसूचित तिथि से एकत्र किया जाएगा। ईएसआईसी के तहत उपलब्धा लाभों में चिकित्सा, बीमारी, मातृत्व, आश्रितों और विकलांगता के लिए पेंशन आदि शामिल हैं।
- (ii) संहिता में स्वैच्छिक आधार पर 10 से कम कर्मचारियों के साथ प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य आधार पर लाभों के विस्तार की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा ईएसआईसी कवरेज को नियोक्ता द्वारा प्रयोग किए गए विकल्पों तक भी बढ़ाया जा सकता है।
- (iii) योजनाओं के नियमन के माध्यम से ईपीएफओ ओर ईएसआईसी के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज में स्व-नियोजित और किसी भी अन्य व्यक्ति को शामिल करने के लिए एक सक्षम प्रावधान किया गया है।
- (iv) ईपीएफ और एमपी अधिनियम के तहत, वर्तमान में, भविष्य निधि देय राशि के भुगतान के मामलों का आकलन करने के लिए जांच शुरू करने में कोई सीमा अवधि मौजूद नहीं है। किसी भी कार्यवाही को शुरू करने के लिए 5 साल की सीमा अवधि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि

संगठन के अधिकारियों द्वारा मामलों के मूल्यांकन की एक पारदर्शी ओर पूर्वानुमानित प्रणाली शुरू की गई है।

- (v) ईएसआईसी और ईपीएफओ द्वारा एक जांच को पूरा करने के लिए 2 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे केवल एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह अनुपालन बढ़ाएगा और मामलों के निपटान में अनुशासन लाएगा।
- (vi) भवन और अन्य निर्माण कार्य के संबंध में देय उपकर के मूल्यांकन के लिए नियोक्ता द्वारा स्व-प्रमाणन/मूल्यांकन शुरू किया गया है।
- (vii) कर्मचारी वर्ग के लिए ईएफ के तहत उनके योगदान के अंतर दरों को अधिसूचित करने के लिए एक सक्षम प्रावधान किया गया है, ताकि एक निश्चित अवधि के लिए उच्चतर वेतन दी जा सके। हालांकि, नियोक्ताओं का योगदान अपरिवर्तित रहेगा।
- (viii) रोजगार के नए रूपों को पूरा करने के लिए, एग्रीगेटर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर जैसी नई परिभाषाएं पेश की गई हैं। एग्रीगेटर के लिए एक से दो प्रतिशत के बीच का एक छोटा सा योगदान है तथा गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए देय पांच प्रतिशत की सीमा को प्रस्तुत किया गया है।
- (ix) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जर्मनी की राशि भी सामाजिक सुरक्षा कोष का हिस्सा बन जाएगी। सामाजिक सुरक्षा कोष के इस समर्पित खाते के माध्यम से, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर इन श्रमिकों के जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था लाभ, आदि पर उनके कल्याण से संबंधित लाभ के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी।
- (x) एफ टी ई में लगे व्यक्तियों के लिए, ग्रेच्युटी के लिए न्यूनतम 5 साल की सेवा की आवश्यकता के बिना सेवा के आनुपातिक लाभ बढ़ाया गया है। एफ टी ई के तहत एक वर्ष के लिए अनुबंध रखने वाला व्यक्ति भी ग्रेच्युटी के रूप में 15 दिनों के वेतन के लिए पात्र होगा।
- (xi) ईपीएफ और ईएसआईसी के योगदान की गणना के उद्देश्य से “मजदूरी” की परिभाषा में और अधिक स्पष्टता लाने के लिए मजदूरी की परिभाषा को संशोधित किया गया है।
- (xii) बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए, “आश्रितों” की परिभाषा में नाना नानी को शामिल करते हुए विस्तारित किया गया है।
- (xiii) किसी भी आई आर दी ए विनियमित बीमा कंपनी से ग्रेच्युटी के लिए कॉरपस/फंड में अनिवार्य बीमा की खरीद के लिए नियोक्ताओं को लचीलापन प्रदान किया गया है, जैसा कि आज केवल एलआईसी में है।
- (xiv) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम का लाभ अब उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो निवास और कार्यस्थल के बीच यात्रा करते समय दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं।
- (xv) इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर को प्रवर्तन अधिकारी, इंस्पेक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आदि के स्थान पर संहिता में पेश किया गया है। उनकी जिम्मेदारियों में अन्य बातों के अलावा, नियोक्ताओं और श्रमिकों को दिए गए सलाह का प्रभावी अनुपालन सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के तहत करना होगा।
- (xvi) केंद्रीकृत कंप्यूटर प्रणाली द्वारा याच्छक निरीक्षणों को आवंटित करने के लिए एक वेब-आधारित निरीक्षण योजना शुरू की गई है। निरीक्षण योजना में प्रत्येक निरीक्षक को जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान को प्रत्येक निरीक्षक को अद्वितीय संख्या प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

- (xvii) कोड नियोक्ता द्वारा एकल रिटर्न और एकल पंजीकरण दाखिल करने की परिकल्पना करता है जो इलेक्ट्रॉनिक या कुछ अन्य हो सकता है।
- (xviii) वर्तमान में विलंबित भुगतान पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत है। अर्थव्यवस्था में बदलती ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, संहिता में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर ब्याज की दर की परिकल्पना की गई हैं
- (xix) मौद्रिक जुर्माना को युक्तिसंगत बनाया गया है। मौद्रिक जुर्माने को युक्तिसंगत बनाते हुए अपराधों की कम्पाउंडिंग का प्रावधान पेश किया गया है। अब अभियोजना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले नियोक्ता को इस संहिता के प्रावधान का अनुपालन करने का एक पूर्व अवसर दिया जाएगा।

आर्थिक समीक्षा 2020-21
सांख्यिकीय परिशिष्ट

आर्थिक समीक्षा 2020-21 सांख्यिकीय परिशिष्ट

तालिका		पृष्ठ संख्या
1	राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन	
1.1	सकल राष्ट्रीय आय तथा निवल राष्ट्रीय आय.....	A1-A2
1.2	सकल राष्ट्रीय आय तथा निवल राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दरें.....	A3-A4
1.3 क	मूल उद्योग के अनुसार उत्पादन लागत पर वास्तविक सकल मूल्यवर्द्धन.....	A5-A6
1.3 ख	मूल उद्योग के अनुसार मूल कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्यवर्द्धन.....	A7
1.4 क	मूल उद्योग के अनुसार उत्पादन लागत पर अंकित सकल मूल्यवर्द्धन.....	A8-A9
1.4 ख	मूल उद्योग के अनुसार मूल कीमतों पर अंकित सकल मूल्यवर्द्धन.....	A10
1.5 क	मूल उद्योग के अनुसार उत्पादन लागत पर वास्तविक सकल मूल्यवर्द्धन की वार्षिक वृद्धि दरें.....	A11-A12
1.5 ख	मूल उद्योग के अनुसार मूल कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्यवर्द्धन की वार्षिक दरें.....	A13
1.6	वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद संबंधी संघटक.....	A14-A15
1.7	स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के संघटक.....	A16-A18
1.8	सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (वर्तमान कीमतों पर).....	A19-A22
1.9	सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में).....	A23-A26
1.10 क	वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12) श्रृंखला.....	A27
1.10 ख	वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (2011-12 श्रृंखला).....	A28
1.11 क	वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला).....	A29
1.11 ख	वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (2011-12 श्रृंखला).....	A30
1.12	कृषि उपज के सूचकांक.....	A31
1.13	प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का सूचकांक.....	A32
1.14	प्रमुख फसलों की पैदावार का सूचकांक.....	A33
1.15	प्रमुख फसलों का उत्पादन.....	A34
1.16	प्रमुख फसलों के अंतर्गत सकल क्षेत्र.....	A35
1.17	प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार.....	A36
1.18	वर्ष 2018-19 में तीन सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन.....	A37
1.19	खाद्य व दालों की प्रति व्यक्ति, निवल उपलब्ध मात्रा (अर्नातिम).....	A38
1.20	तालिका खाद्यान्नों की निवल उपलब्ध मात्रा, अभिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण.....	A39
1.21	उपभोग की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा.....	A40
1.22	उर्वरकों का उत्पादन, आयात तथा उपभोग.....	A41
1.23	मुख्य पशुधन उत्पादों और मछली का उत्पादन.....	A42
1.24	कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन.....	A43
1.25	बिजली आपूर्ति की प्रगति (जनोपयोगी और गैर-जनोपयोगी). (क) स्थापित संयंत्र क्षमता.....	A44
	(ख) उत्पादित ऊर्जा.....	A45
1.26	भारतीय रेलों का प्रचालन.....	A46
1.27	भारतीय रेलवे का राजस्व उपायार्जक माल यातायात..... (क) प्रारम्भिक यातायात.....	A47
	(ख) ढोया गया माल.....	A48
1.28	सड़क परिवहन प्रचालन.....	A49
1.29	नागर विमानन में वृद्धि.....	A50-A51
1.30	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का वस्तु शेष	A52
1.31	औद्योगिक उत्पादन का दो अंकस्तनीय सूचकांक (आधार: 2011-12)	A53
1.32	एम सी डी आर अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रमुख खनिजों का उत्पादन	A54
2	बजटीय लेन-देन	
2.1	केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के बजटीय लेन-देन इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आयोजनाओं के लिए उनके आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधन शामिल हैं.....	A55
2.2	केन्द्र सरकार का कुल व्यय.....	A56
2.3	भारतीय रेल का वित्तीय निष्पादन.....	A57
2.4	डाक विभाग का वित्तीय कार्य-निष्पादन.....	A58
2.5	केन्द्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय (₹ करोड़ में).....	A59
2.6	केन्द्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में).....	A60
2.7	केन्द्र सरकार की बकाया देनदारियां.....	A61

आर्थिक समीक्षा 2020-21 सांख्यिकीय परिशिष्ट

तालिका		पृष्ठ संख्या
3.0	रोजगार	
3.1	पिछले 10 वर्षों के दौरान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन	A62
4.0	मौद्रिक प्रवृत्तियाँ	
4.1	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक: निधियों का मौसमी प्रवाह.....	A63
4.2	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक: चुनिन्दा मदों में परिवर्तन.....	A64
4.3	वाणिज्यिक बैंकों की कार्यशील शाखाओं की संख्या बैंक समूह-वार.....	A65
4.4	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अग्रिम.....	A66-A67
4.5	राज्यवार सूचना देने वाले बैंक-कार्यालयों की संख्या, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि और उनके द्वारा दिए गए ऋण तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त सेक्टरों को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशतता भाग.....	A68
5.0	मूल्य	
5.1	थोक मूल्यों के सूचकांक.....	A69-A71
5.2	थोक मूल्यों के सूचकांक-चुनिन्दा वस्तुएं और वस्तु समूह.....	A72-A74
5.3	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक.....	A75-A76
5.4	थोक मूल्यों के सूचकांक-विनिर्मित उत्पादों और कृषि उत्पादों की सापेक्ष कीमतें.....	A77
5.5	फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य/ प्रापण मूल्य.....	A78-A79
6.0	भुगतान शेष	
6.1क	विदेशी मुद्रा भंडार (रु० करोड़).....	A80-A82
6.1ख	विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डालर).....	A83-A84
6.2	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान शेष मैनुअल 5 के अनुसार भुगतान शेष.....	A85-A86
6.3क	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान शेष मैनुअल 6 के अनुसार भुगतान शेष (रु० करोड़).....	A87-A88
6.3ख	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान शेष मैनुअल 6 के अनुसार भुगतान शेष (मिलियन अमरीकी डालर).....	A89-A90
6.4	विश्व की चुनिन्दा मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर.....	A91-A92
6.5	रुपये की अंकित और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर की प्रवृत्तियाँ	A93
7.0	विदेशी व्यापार	
7.1क	निर्यात, आयात और व्यापार शेष (रु० करोड़).....	A94-A95
7.1ख	निर्यात, आयात और व्यापार शेष (मिलियन अमरीकी डालर).....	A96-A97
7.2क	मुख्य आयात.....	A98-A100
7.2ख	मुख्य आयातों का हिस्सा और प्रतिशतता परिवर्तन.....	A101
7.3क	मुख्य निर्यात.....	A102-A104
7.3ख	मुख्य निर्यातों का हिस्सा और प्रतिशतता परिवर्तन.....	A105
7.4क	आयातों की दिशा: क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात.....	A106-A116
7.4ख	निर्यातों की दिशा: क्षेत्रों और देशों द्वारा निर्यात.....	A117-A127
7.5	वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा (मिलियन अमरीकी डालर).....	A128-A132
7.6	विदेश व्यापार के सूचकांक.....	A133
8.0	विदेश सहायता	
8.1क	समग्र विदेशी सहायता (रु० करोड़).....	A134-A135
8.1ख	समग्र विदेशी सहायता (मिलियन अमरीकी डालर).....	A136-A137
8.2क	स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण (रु० करोड़).....	A138-140
8.2ख	स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण (मिलियन अमरीकी डालर).....	A141-143
8.3क	स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग (रु० करोड़).....	A144-146
8.3ख	स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग (मिलियन अमरीकी डालर).....	A147-149
8.4क	भारत का बकाया विदेशी ऋण (रु० करोड़).....	A150-A152
8.4ख	भारत का बकाया विदेशी ऋण (मिलियन अमरीकी डालर).....	A153-A156
9.0	मानव विकास संकेतक	
9.1	प्रमुख राज्यों के लिए मानव विकास के चुनिन्दा संकेतक.....	A157
9.2	कुल नामांकन अनुपात: 2016-17 (अंतिम).....	A158
9.3	भारत में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की कुल संख्या	A159-A160
9.4	राज्य-वार साक्षरता दर (1951-2011).....	A161
9.5	भारत में परिवारों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता.....	A162
9.6	भारत की जनसंख्या (1951-2011).....	A163
9.7	वर्ष 2001 और 2011 में विभिन्न आयु वर्ग तथा बालक बालिका अनुपात के अन्तर्गत जनसंख्या.....	A166-A165
9.8	सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल और भारत के प्रमुख चयनित राज्यों की अन्तर-राज्य तुलना.....	A166-A169

तालिका 1.1. सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय

वर्ष	सकल राष्ट्रीय आय (₹ करोड़)		निवल राष्ट्रीय आय (₹ करोड़)		निवल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति (₹)	
	वर्तमान कीमतें	सतत कीमतें	वर्तमान कीमतें	सतत कीमतें	वर्तमान कीमतें	सतत कीमतें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 शृंखला						
1950-51	10360	292996	9829	269724	274	7513
1951-52	11019	302010	10443	279256	286	7651
1952-53	10825	310068	10241	287818	275	7737
1953-54	11791	329250	11235	307397	296	8111
1954-55	11141	344902	10635	326057	276	8447
1955-56	11361	356460	10819	337156	275	8579
1956-57	13530	376234	12944	356008	323	8878
1957-58	13931	374503	13277	353525	325	8644
1958-59	15516	402020	14802	379855	354	9087
1959-60	16327	412031	15564	389080	365	9133
1960-61	17870	434497	17062	411519	393	9482
1961-62	18912	450212	18016	426103	406	9597
1962-63	20321	463161	19350	437686	426	9641
1963-64	23350	491049	22266	464130	480	10003
1964-65	27222	527153	25982	498287	548	10512
1965-66	28693	512985	27300	482480	563	9948
1966-67	32439	512781	30806	480102	622	9699
1967-68	38003	552429	36136	517516	714	10228
1968-69	40257	571460	38259	534677	739	10322
1969-70	44334	608809	42035	569591	795	10767
1970-71	47354	640275	44550	596470	823	11025
1971-72	50708	650938	47630	605211	860	10924
1972-73	55912	647647	52487	600195	926	10585
1973-74	68095	669444	63983	619883	1103	10688
1974-75	80479	678151	75182	625455	1268	10547
1975-76	86452	740806	80189	685230	1321	11289
1976-77	93189	753348	86382	694149	1393	11196
1977-78	105615	808500	98287	746719	1550	11778
1978-79	114491	854867	106380	790566	1642	12200
1979-80	125882	811357	115995	743925	1747	11204
1980-81	149987	866338	138565	795193	2041	11711
1981-82	175845	917272	161924	842429	2340	12174
1982-83	196010	946491	179895	867337	2541	12251
1983-84	228077	1015342	210108	932241	2906	12894
1984-85	255187	1052643	234211	963767	3169	13041
1985-86	288095	1108266	262958	1013410	3483	13423
1986-87	322144	1160809	293806	1060195	3811	13751

तालिका 1.1. सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय

वर्ष	सकल राष्ट्रीय आय (₹ करोड़)		निवल राष्ट्रीय आय (₹ करोड़)		निवल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति (₹)	
	वर्तमान कीमतें	सतत कीमतें	वर्तमान कीमतें	सतत कीमतें	वर्तमान कीमतें	सतत कीमतें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1987-88	365592	1204856	332400	1097111	4218	13923
1988-89	432397	1317940	393546	1204380	4889	14961
1989-90	496197	1396154	450949	1275833	5486	15521
1990-91	578667	1470766	526017	1342031	6270	15996
1991-92	663798	1485707	599171	1348043	7000	15748
1992-93	762900	1567944	688762	1422097	7899	16308
1993-94	879275	1644886	796418	1492864	8928	16736
1994-95	1032507	1755272	935759	1592980	10283	17505
1995-96	1213241	1888228	1100655	1715639	11861	18487
1996-97	1406195	2032837	1276347	1849226	13492	19548
1997-98	1559189	2118975	1411922	1920927	14646	19927
1998-99	1788410	2250012	1624669	2038124	16528	20734
1999-00	2007699	2448654	1821227	2220003	18194	22178
2000-01	2154680	2535911	1947788	2291795	19115	22491
2001-02	2335777	2661819	2106928	2401875	20259	23095
2002-03	2519637	2766298	2273456	2492931	21529	23607
2003-04	2820795	2983497	2548640	2692470	23775	25116
2004-05	3219835	3219835	2899944	2899944	26629	26629
2005-06	3667253	3518348	3303532	3167455	29869	28639
2006-07	4261472	3841974	3842743	3456274	34249	30805
2007-08	4966578	4233768	4481882	3806140	39384	33446
2008-09	5597140	4390966	5031943	3922062	43604	33987
2009-10	6439827	4763090	5780028	4241183	49402	36249
2010-11	7702308	5227739	6942089	4657438	58534	39270
2011-12	8932892	5586683	8052996	4958849	66997	41255
2011-12 शृंखला						
2011-12	8659505	8659505	7742330	7742330	63462	63462
2012-13	9827250	9104662	8766345	8094001	70983	65538
2013-14	11093638	9679027	9897663	8578417	79118	68572
2014-15	12320529	10402987	10978238	9224343	86647	72805
2015-16	13612095	11234571	12162398	9963681	94797	77659
2016-17	15215269	12163619	13623937	10782092	104880	83003
2017-18 (द्वितीय स.अ.)	16913491	13029307	15149545	11540556	115293	87828
2018-19 (प्रथम अ.अ.)	18768912	13829068	16789288	12219693	126521	92085
2019-20 (अ.अ.)	20118353	14405339	17999754	12733366	134226	94954
2020-21 (प्रथम अग्र.अनु.)	19239492	13269436	17209409	11718380	126968	86456

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी :

अ.अ. : अनंतिम अनुमान, स.अ. : संशोधित अनुमान, अग्र.अनु. : अग्रिम अनुमान

तालिका 1.2 : सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

वर्ष	सकल राष्ट्रीय आय		निवल राष्ट्रीय आय		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय	
	वर्तमान कीमते	सतत कीमते	वर्तमान कीमते	सतत कीमते	वर्तमान कीमते	सतत कीमते
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 शृंखला						
1951-52	6.4	3.1	6.2	3.5	4.5	1.8
1952-53	-1.8	2.7	-1.9	3.1	-3.8	1.1
1953-54	8.9	6.2	9.7	6.8	7.7	4.8
1954-55	-5.5	4.8	-5.3	6.1	-7.1	4.1
1955-56	2.0	3.4	1.7	3.4	-0.1	1.6
1956-57	19.1	5.5	19.6	5.6	17.3	3.5
1957-58	3.0	-0.5	2.6	-0.7	0.6	-2.6
1958-59	11.4	7.3	11.5	7.4	9.1	5.1
1959-60	5.2	2.5	5.1	2.4	3.2	0.5
1960-61	9.5	5.5	9.6	5.8	7.6	3.8
1961-62	5.8	3.6	5.6	3.5	3.2	1.2
1962-63	7.5	2.9	7.4	2.7	5.0	0.5
1963-64	14.9	6.0	15.1	6.0	12.6	3.8
1964-65	16.6	7.4	16.7	7.4	14.2	5.1
1965-66	5.4	-2.7	5.1	-3.2	2.7	-5.4
1966-67	13.1	0.0	12.8	-0.5	10.6	-2.5
1967-68	17.2	7.7	17.3	7.8	14.8	5.4
1968-69	5.9	3.4	5.9	3.3	3.4	0.9
1969-70	10.1	6.5	9.9	6.5	7.6	4.3
1970-71	6.8	5.2	6.0	4.7	3.6	2.4
1971-72	7.1	1.7	6.9	1.5	4.4	-0.9
1972-73	10.3	-0.5	10.2	-0.8	7.7	-3.1
1973-74	21.8	3.4	21.9	3.3	19.2	1.0
1974-75	18.2	1.3	17.5	0.9	14.9	-1.3
1975-76	7.4	9.2	6.7	9.6	4.2	7.0
1976-77	7.8	1.7	7.7	1.3	5.5	-0.8
1977-78	13.3	7.3	13.8	7.6	11.3	5.2
1978-79	8.4	5.7	8.2	5.9	5.9	3.6
1979-80	9.9	-5.1	9.0	-5.9	6.4	-8.2
1980-81	19.1	6.8	19.5	6.9	16.8	4.5
1981-82	17.2	5.9	16.9	5.9	14.7	3.9
1982-83	11.5	3.2	11.1	3.0	8.6	0.6
1983-84	16.4	7.3	16.8	7.5	14.4	5.3
1984-85	11.9	3.7	11.5	3.4	9.1	1.1
1985-86	12.9	5.3	12.3	5.2	9.9	2.9
1986-87	11.8	4.7	11.7	4.6	9.4	2.4
1987-88	13.5	3.8	13.1	3.5	10.7	1.2

जारी...

तालिका 1.2 : सकल राष्ट्रीय आय और निवल राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

वर्ष	सकल राष्ट्रीय आय		निवल राष्ट्रीय आय		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय	
	वर्तमान कीमते	सतत कीमते	वर्तमान कीमते	सतत कीमते	वर्तमान कीमते	सतत कीमते
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1988-89	18.3	9.4	18.4	9.8	15.9	7.5
2004-05 शृंखला						
1989-90	14.8	5.9	14.6	5.9	12.2	3.7
1990-91	16.6	5.3	16.6	5.2	14.3	3.1
1991-92	14.7	1.0	13.9	0.4	11.6	-1.5
1992-93	14.9	5.5	15.0	5.5	12.8	3.6
1993-94	15.3	4.9	15.6	5.0	13.0	2.6
1994-95	17.4	6.7	17.5	6.7	15.2	4.6
1995-96	17.5	7.6	17.6	7.7	15.3	5.6
1996-97	15.9	7.7	16.0	7.8	13.8	5.7
1997-98	10.9	4.2	10.6	3.9	8.6	1.9
1998-99	14.7	6.2	15.1	6.1	12.8	4.1
1999-00	12.3	8.8	12.1	8.9	10.1	7.0
2000-01	7.3	3.6	6.9	3.2	5.1	1.4
2001-02	8.4	5.0	8.2	4.8	6.0	2.7
2002-03	7.9	3.9	7.9	3.8	6.3	2.2
2003-04	12.0	7.9	12.1	8.0	10.4	6.4
2004-05	14.1	7.9	13.8	7.7	12.0	6.0
2005-06	13.9	9.3	13.9	9.2	12.2	7.5
2006-07	16.2	9.2	16.3	9.1	14.7	7.6
2007-08	16.5	10.2	16.6	10.1	15.0	8.6
2008-09	12.7	3.7	12.3	3.0	10.7	1.6
2009-10	15.1	8.5	14.9	8.1	13.3	6.7
2010-11	19.6	9.8	20.1	9.8	18.5	8.3
2011-12	16.0	6.9	16.0	6.5	14.5	5.1
2011-12 शृंखला						
2012-13	13.5	5.1	13.2	4.5	11.9	3.3
2013-14	12.9	6.3	12.9	6.0	11.5	4.6
2014-15	11.1	7.5	10.9	7.5	9.5	6.2
2015-16	10.5	8.0	10.8	8.0	9.4	6.7
2016-17	11.8	8.3	10.9	8.2	10.6	6.9
2017-18 (द्वितीय स.अ.)	11.2	7.1	12.3	7.0	9.9	5.8
2018-19 (प्रथम स.अ.)	11.0	6.1	10.8	5.9	9.7	4.8
2019-20 (अ.अ.)	7.2	4.2	7.2	4.2	6.1	3.1
2020-21 (प्रथम अग्र.अनु.)	-4.4	-7.9	-4.4	-8.0	-5.4	-8.9

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी :

अ.अ. : अनंतिम अनुमान, स.अ. : संशोधित अनुमान, अग्र.अनु. : अग्रिम अनुमान

तालिका 1.3 क : मूल उद्योग के अनुसार उत्पादन लागत पर सकल मूल्यवर्धन

(₹ करोड़)

वर्ष	सतत मूल्य पर						उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)
	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2004-05 शृंखला							
1950-51	150191	40138	30792	23325	28474	279618	
1951-52	152987	41996	31608	23863	29329	286147	
1952-53	157764	41834	32641	24863	29934	294267	
1953-54	169547	44416	33861	25219	30860	312177	
1954-55	174611	48325	36065	26140	31967	325431	
1955-56	173255	53962	38700	27190	32955	333766	
1956-57	182651	58809	41537	27635	34219	352766	
1957-58	175180	57737	42831	28679	35765	348500	
1958-59	192337	62009	44965	29492	37233	374948	
1959-60	190851	66378	47779	30619	38834	383153	
1960-61	204340	73555	51879	31252	40741	410279	
1961-62	205014	78638	55259	32596	42656	423011	
1962-63	202234	83517	58503	33693	45686	431960	
1963-64	207030	92432	62650	34735	48684	453829	
1964-65	225287	99250	66890	35688	51894	488247	
1965-66	202906	102475	68079	36766	53950	470402	
1966-67	200481	106304	69862	37412	56438	475190	
1967-68	228813	109856	72852	38431	58659	513860	
1968-69	228836	115422	76155	40305	61272	527270	
1969-70	243347	124372	80275	41980	64655	561630	
1970-71	258665	126356	84205	43735	68218	589787	
1971-72	254395	129506	86121	45989	71264	595741	
1972-73	243082	133917	87991	47767	73594	593843	
1973-74	259751	134649	91686	48936	75541	620872	
1974-75	256719	136045	97176	48779	79120	628079	
1975-76	289695	144928	105980	52142	81914	684634	
1976-77	274522	158354	110697	56277	84190	693191	
1977-78	300873	170123	118084	59032	86450	744972	
1978-79	307874	182590	127772	63203	90186	785965	
1979-80	271096	176035	126751	63818	96779	745083	
1980-81	305906	183970	133906	65041	101666	798506	
1981-82	321876	197519	142057	70326	103842	843426	
1982-83	323862	197833	149903	77029	111849	868092	

जारी..

तालिका 1.3 क : मूल उद्योग के अनुसार उत्पादन लागत पर सकल मूल्यवर्धन

(₹ करोड़)

वर्ष	सतत मूल्य पर					
	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 शृंखला						
1983-84	354720	214737	157545	84585	116027	936270
1984-85	360230	224284	165037	90907	124065	973357
1985-86	362783	233818	178195	99783	131184	1013866
1986-87	364989	245385	188888	110295	141043	1057612
1987-88	360949	259641	198578	118383	151240	1094993
1988-89	417581	280863	210405	129934	160385	1206243
1989-90	425075	304461	226074	146088	173022	1280228
1990-91	444880	325450	237736	155165	180564	1347889
1991-92	438685	325150	243178	171956	185232	1367171
1992-93	465084	336716	256897	181320	196332	1440504
1993-94	479592	357237	274682	201568	205101	1522344
1994-95	504477	389903	301997	209401	209742	1619694
1995-96	504527	436863	342536	226348	225157	1737741
1996-97	549202	468146	370200	240354	243288	1876319
1997-98	542313	483585	398109	268495	263486	1957032
1998-99	574374	504485	428613	289440	289085	2087828
1999-00	590696	535730	477605	327111	323800	2254942
2000-01	592227	570571	508299	338661	338723	2348481
2001-02	624923	585971	552118	359684	352267	2474962
2002-03	594280	627374	597896	385661	365724	2570935
2003-04	643183	676833	664637	406098	384998	2775749
2004-05	650454	744755	727720	437174	411361	2971464
2005-06	680628	824272	815407	492340	440426	3253073
2006-07	711768	928626	910084	561063	452823	3564364
2007-08	751077	1023998	1009520	628124	483917	3896636
2008-09	753744	1071681	1085125	703629	544497	4158676
2009-10	764817	1173089	1197891	771905	608369	4516071
2010-11	828431	1262722	1344024	849189	634167	4918533
2011-12	864557	1369932	1402261	945534	665246	5247530

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी:

- 1999-2000 से पूर्व के वर्षों के संबंध में कॉलम 7 के तहत जोड़ प्रत्येक उद्योग के स्तर पर पृथक-पृथक रूप से अपनाई गई स्प्लाइसिंग तकनीक के कारण कॉलम 2 से कॉलम 6 के तहत प्रत्येक मद के जोड़ से संभवतः मेल न खाए।
- वर्ष 2011-12 से आगे के पूर्वानुमान (2011-12 के आधार पर) कम आधार मूल्यों पर ही उपलब्ध है और तालिका 1.3ख में दिए गए हैं।

तालिका 1.3 ख : मूल उद्योग के अनुसार आधार मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन

(₹ करोड़)

सतत मूल्य पर						
वर्ष	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	आधार मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011-12 series						
2011-12	1762983	2373988	1413116	1530877	1025982	8106946
2012-13	1786897	2458558	1551143	1680031	1069646	8546275
2013-14	1872305	2561081	1652062	1867407	1110794	9063649
2014-15	1894401	2733213	1807689	2073714	1203115	9712133
2015-16	1934120	2993343	1992825	2294787	1276797	10491870
2016-17	2075252	3217705	2146379	2492967	1395982	11328285
2017-18 (द्वितीय स.अ.)	2194824	3426904	2309860	2609016	1533809	12074413
2018-19 (प्रथम अ.अ.)	2217408	3633517	2488049	2786855	1677298	12803128
2019-20 (अ.अ.)	2303790	3659389	2577945	2915680	1844316	13301120
2020-21 (प्रथम अग्र.अनु.)	2325548	3319280	2026128	2891811	1776408	12339175

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी :

अ.अ. : अन्तिम अनुमान, स.अ. : संशोधित अनुमान, अग्र.अनु. : अग्रिम अनुमान

तालिका 1.4 क : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर सांकेतिक सकल मूल्यवर्धन

(₹ करोड़)

(वर्तमान मूल्यों पर)						
वर्ष	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	उपादान लागत पर सांकेतिक सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 शृंखला						
1950-51	5274	1346	968	1254	1115	10036
1951-52	5453	1505	1048	1349	1162	10596
1952-53	5316	1416	1055	1425	1201	10449
1953-54	5850	1559	1121	1537	1250	11378
1954-55	4993	1640	1151	1647	1283	10689
1955-56	4847	1760	1192	1768	1361	10861
1956-57	6152	2071	1378	1917	1430	12965
1957-58	6045	2148	1525	2054	1503	13255
1958-59	7002	2334	1667	2203	1597	14827
1959-60	7043	2616	1801	2364	1760	15574
1960-61	7434	3113	1985	2547	1989	17049
1961-62	7704	3398	2145	2602	2154	17992
1962-63	7899	3740	2348	2987	2343	19238
1963-64	9274	4274	2628	3231	2599	21986
1964-65	11291	4788	3084	3512	2945	25686
1965-66	11301	5199	3345	3796	3276	26895
1966-67	13123	5819	3890	4063	3665	30613
1967-68	16393	6380	4445	4458	4105	35976
1968-69	16912	6940	4732	4772	4422	37938
1969-70	18505	7944	5107	5120	4822	41722
1970-71	19086	8622	5627	5579	5315	44382
1971-72	19510	9538	6102	6117	5901	47221
1972-73	21448	10534	6730	6694	6456	51943
1973-74	28171	12230	8057	7465	7261	63658
1974-75	31062	15232	10642	8390	9142	74930
1975-76	31028	16571	12067	9511	10290	79582
1976-77	31833	18811	13066	10579	11311	85545
1977-78	37592	21270	14702	11540	12296	97633
1978-79	38717	23951	16119	12448	13529	104930
1979-80	40373	26774	18604	13576	15149	114500
1980-81	50760	30900	21968	15120	17537	136838
1981-82	58745	36090	26946	17835	19927	160214
1982-83	63985	39953	30749	20453	23134	178985

जारी..

तालिका 1.4 क : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर सांकेतिक सकल मूल्यवर्धन

(₹ करोड़)

(वर्तमान मूल्यों पर)						
वर्ष	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	उपादान लागत पर सांकेतिक सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 शृंखला						
1983-84	75982	47053	35716	23388	26345	209356
1984-85	82204	53656	41125	26907	30311	235113
1985-86	88083	60593	48022	30819	34284	262717
1986-87	95182	67754	54272	35337	39428	292924
1987-88	105358	77630	61963	40387	45700	332068
1988-89	130731	91163	73159	46926	52994	396295
1989-90	144461	108908	85630	55297	60741	456540
1990-91	168166	127079	100318	64598	70019	531814
1991-92	195454	140700	115570	78904	81366	613528
1992-93	219680	163887	136250	87495	94507	703723
1993-94	254876	188251	160990	105686	106090	817961
1994-95	293013	229365	192142	119442	118663	955386
1995-96	319243	280971	231175	143791	140190	1118586
1996-97	381142	318260	273135	158637	166469	1301788
1997-98	408521	348543	313093	180642	193188	1447613
1998-99	466446	393491	358538	210593	236123	1668739
1999-00	497027	426993	400650	260522	273013	1858205
2000-01	506476	474323	443169	282316	294459	2000743
2001-02	546674	497578	491952	321543	317513	2175260
2002-03	548062	550421	543691	360194	341496	2343864
2003-04	608788	618840	624394	402510	371288	2625819
2004-05	650454	744755	727720	437174	411361	2971464
2005-06	732234	859410	846606	493102	459151	3390503
2006-07	829771	1033410	998379	586595	505121	3953276
2007-08	961330	1205458	1150044	691464	573790	4582086
2008-09	1083032	1360426	1310845	845369	703895	5303567
2009-10	1242818	1536492	1481623	964937	883033	6108903
2010-11	1524552	1763584	1779630	1165243	1015850	7248860
2011-12	1721814	2061650	2072272	1381524	1154431	8391691

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी:

- 1999-2000 से पूर्व के वर्षों के संबंध में कॉलम 7 के तहत जोड़ प्रत्येक उद्योग के स्तर पर और कुल के स्तर पर पृथक-पृथक रूप से अपनाई गई स्लाइसिंग तकनीक के कारण कॉलम 2 से कॉलम 6 के तहत प्रत्येक मद के जोड़ से संभवतः मेल न खाएं।
- वर्ष 2011-12 के आगे के पूर्वानुमान (2011-12 के आधार पर) आधार मूल्यों पर भी उपलब्ध है और तालिका 1.4 ख में दिए गए हैं।

तालिका 1.4 ख : मूल उद्योग के अनुसार आधार मूल्यों पर सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद

(₹ करोड़)

(वर्तमान मूल्यों पर)						
वर्ष	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	आधार मूल्यों पर सांकेतिक सकल मूल्यवर्धन (2 से 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011-12 शृंखला						
2011-12	1762983	2373988	1413116	1530877	1025982	8106946
2012-13	1960949	2637551	1663986	1776632	1163574	9202692
2013-14	2222166	2895076	1874467	2069508	1301935	10363153
2014-15	2402088	3139713	2107597	2363347	1491536	11504279
2015-16	2521544	3472237	2294513	2626138	1660067	12574499
2016-17	2845470	3770300	2539156	2911437	1898837	13965200
2017-18 (द्वितीय स.अ.)	3154696	4169639	2812706	3206559	2169522	15513122
2018-19 (प्रथम स.अ.)	3312168	4567459	3142620	3622130	2495584	17139962
2019-20 (अ.अ.)	3650545	4646998	3316653	3842524	2886517	18343237
2020-21 (प्रथम अग्र.अनु.)	3789072	4244536	2711124	3896395	2935715	17576842

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी :

अ.अ. : अन्ततिम अनुमान, स.अ. : संशोधित अनुमान, अग्र.अनु. : अग्रिम अनुमान

तालिका 1.5 क : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर वास्तविक सकल मूल्यवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

वर्ष	वर्तमान मूल्य पर						उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन
	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामूहिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2004-05 शृंखला							
1951-52	1.9	4.6	2.6	2.3	3.0	2.3	
1952-53	3.1	-0.4	3.3	4.2	2.1	2.8	
1953-54	7.5	6.2	3.7	1.4	3.1	6.1	
1954-55	3.0	8.8	6.5	3.7	3.6	4.2	
1955-56	-0.8	11.7	7.3	4.0	3.1	2.6	
1956-57	5.4	9.0	7.3	1.6	3.8	5.7	
1957-58	-4.1	-1.8	3.1	3.8	4.5	-1.2	
1958-59	9.8	7.4	5.0	2.8	4.1	7.6	
1959-60	-0.8	7.0	6.3	3.8	4.3	2.2	
1960-61	7.1	10.8	8.6	2.1	4.9	7.1	
1961-62	0.3	6.9	6.5	4.3	4.7	3.1	
1962-63	-1.4	6.2	5.9	3.4	7.1	2.1	
1963-64	2.4	10.7	7.1	3.1	6.6	5.1	
1964-65	8.8	7.4	6.8	2.7	6.6	7.6	
1965-66	-9.9	3.2	1.8	3.0	4.0	-3.7	
1966-67	-1.2	3.7	2.6	1.8	4.6	1.0	
1967-68	14.1	3.3	4.3	2.7	3.9	8.1	
1968-69	0.0	5.1	4.5	4.9	4.5	2.6	
1969-70	6.3	7.8	5.4	4.2	5.5	6.5	
1970-71	6.3	1.6	4.9	4.2	5.5	5.0	
1971-72	-1.7	2.5	2.3	5.2	4.5	1.0	
1972-73	-4.4	3.4	2.2	3.9	3.3	-0.3	
1973-74	6.9	0.5	4.2	2.4	2.6	4.6	
1974-75	-1.2	1.0	6.0	-0.3	4.7	1.2	
1975-76	12.8	6.5	9.1	6.9	3.5	9.0	
1976-77	-5.2	9.3	4.5	7.9	2.8	1.2	
1977-78	9.6	7.4	6.7	4.9	2.7	7.5	
1978-79	2.3	7.3	8.2	7.1	4.3	5.5	
1979-80	-11.9	-3.6	-0.8	1.0	7.3	-5.2	
1980-81	12.8	4.5	5.6	1.9	5.0	7.2	
1981-82	5.2	7.4	6.1	8.1	2.1	5.6	
1982-83	0.6	0.2	5.5	9.5	7.7	2.9	

जारी...

तालिका 1.5 क : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत पर वास्तविक सकल मूल्यवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

वर्ष	वर्तमान मूल्य पर					उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन
	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामूदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004-05 शृंखला						
1983-84	9.5	8.5	5.1	9.8	3.7	7.9
1984-85	1.6	4.4	4.8	7.5	6.9	4.0
1985-86	0.7	4.3	8.0	9.8	5.7	4.2
1986-87	0.6	4.9	6.0	10.5	7.5	4.3
1987-88	-1.1	5.8	5.1	7.3	7.2	3.5
1988-89	15.7	8.2	6.0	9.8	6.0	10.2
1989-90	1.8	8.4	7.4	12.4	7.9	6.1
1990-91	4.7	6.9	5.2	6.2	4.4	5.3
1991-92	-1.4	-0.1	2.3	10.8	2.6	1.4
1992-93	6.0	3.6	5.6	5.4	6.0	5.4
1993-94	3.1	6.1	6.9	11.2	4.5	5.7
1994-95	5.2	9.1	9.9	3.9	2.3	6.4
1995-96	0.0	12.0	13.4	8.1	7.3	7.3
1996-97	8.9	7.2	8.1	6.2	8.1	8.0
1997-98	-1.3	3.3	7.5	11.7	8.3	4.3
1998-99	5.9	4.3	7.7	7.8	9.7	6.7
1999-00	2.8	6.2	11.4	13.0	12.0	8.0
2000-01	0.3	6.5	6.4	3.5	4.6	4.1
2001-02	5.5	2.7	8.6	6.2	4.0	5.4
2002-03	-4.9	7.1	8.3	7.2	3.8	3.9
2003-04	8.2	7.9	11.2	5.3	5.3	8.0
2004-05	1.1	10.0	9.5	7.7	6.8	7.1
2005-06	4.6	10.7	12.0	12.6	7.1	9.5
2006-07	4.6	12.7	11.6	14.0	2.8	9.6
2007-08	5.5	10.3	10.9	12.0	6.9	9.3
2008-09	0.4	4.7	7.5	12.0	12.5	6.7
2009-10	1.5	9.5	10.4	9.7	11.7	8.6
2010-11	8.3	7.6	12.2	10.0	4.2	8.9
2011-12	4.4	8.5	4.3	11.3	4.9	6.7

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

तालिका 1.5 ख : मूल उद्योग के अनुसार आधार मूल्यों पर वास्तविक सकल मूल्यवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

वर्ष	वर्तमान मूल्य पर						उपादान लागत पर सकल मूल्यवर्धन
	कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और कारोबारी सेवाएं	सामूदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2011-12 श्रृंखला							
2012-13	1.4	3.6	9.8	9.7	4.3	5.4	
2013-14	4.8	4.2	6.5	11.2	3.8	6.1	
2014-15	1.2	6.7	9.4	11.0	8.3	7.2	
2015-16	2.1	9.5	10.2	10.7	6.1	8.0	
2016-17	7.3	7.5	7.7	8.6	9.3	8.0	
2017-18 (द्वितीय स.अ.)	5.8	6.5	7.6	4.7	9.9	6.6	
2018-19 (प्रथम स.अ.)	1.0	6.0	7.7	6.8	9.4	6.0	
2019-20 (अ.अ.)	3.9	0.7	3.6	4.6	10.0	3.9	
2020-21 (प्रथम अग्र. अनु.)	0.9	-9.3	-21.4	-0.8	-3.7	-7.2	

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी :

अ.अ. : अन्तिम अनुमान, स.अ. : संशोधित अनुमान, अग्र.अनु. : अग्रिम अनुमान

तालिका 1.6: वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के घटक

(₹ करोड़)									
वर्ष	पीएफसीई	जीएफसीई	जीफसी एफ	सीआईएस	मूल्यवान वस्तुएं	वस्तु एवं सेवा निर्यात	वस्तु एवं सेवा आयात	अंतर	सकल घरेलू उत्पाद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2004-05 शृंखला									
1950-51	9394	608	968	165	उन	736	711	-759	10401
1951-52	10307	638	1045	173	उन	846	1038	-917	11054
1952-53	10284	661	974	40	उन	715	702	-1122	10850
1953-54	11190	698	968	-67	उन	644	652	-970	11810
1954-55	10414	728	1112	36	उन	705	750	-1076	11170
1955-56	10417	780	1384	53	उन	757	839	-1180	11371
1956-57	12286	860	1771	235	उन	767	1174	-1198	13547
1957-58	12462	1005	1803	242	उन	800	1304	-1057	13951
1958-59	14148	1078	1782	2	उन	719	1104	-1074	15551
1959-60	14707	1136	2003	209	उन	779	1010	-1440	16384
1960-61	15891	1240	2290	328	उन	787	1205	-1389	17942
1961-62	16617	1377	2554	276	उन	804	1113	-1506	19010
1962-63	17501	1670	2842	357	उन	837	1211	-1567	20429
1963-64	19430	2146	3374	275	उन	987	1362	-1387	23462
1964-65	22873	2313	3972	363	उन	1002	1529	-1627	27367
1965-66	24144	2665	4420	316	उन	938	1478	-2147	28857
1966-67	28119	2921	4866	514	उन	1330	2142	-2939	32669
1967-68	33509	3265	5395	432	उन	1517	2236	-3621	38261
1968-69	33524	3576	5672	96	उन	1608	1968	-1996	40512
1969-70	36265	4008	6192	554	उन	1628	1767	-2275	44605
1970-71	38474	4479	6488	809	उन	1771	1816	-2568	47638
1971-72	41496	5185	7479	1066	उन	1838	2006	-4059	50999
1972-73	45736	5514	8480	411	उन	2225	2049	-4102	56214
1973-74	55135	6045	9675	1639	उन	2830	3176	-3728	68420
1974-75	66799	7334	12080	2929	उन	3835	4779	-7429	80770
1975-76	68314	8645	13895	2123	उन	4812	5664	-5419	86707
1976-77	71024	9602	15546	1393	उन	6139	5614	-4669	93422
1977-78	81788	10245	17835	1387	उन	6640	6517	-5529	105848
1978-79	88950	11373	19719	3218	उन	7115	7423	-8305	114647
1979-80	96590	13074	22564	3791	उन	8340	10094	-8536	125729
1980-81	118068	15179	26815	188	उन	9029	13596	-6041	149642
1981-82	135676	17785	32650	5753	उन	10256	14809	-11506	175805
1982-83	149773	21022	38905	4451	उन	11563	15736	-13334	196644
1983-84	175357	24288	44005	1787	उन	13139	17675	-11880	229021
1984-85	194037	27927	50449	4820	उन	15846	19484	-16984	256611
1985-86	214154	33257	59640	8314	उन	14951	21754	-19038	289524
1986-87	240209	39322	69476	6532	उन	16543	22359	-25774	323949
1987-88	266649	46160	81204	2019	उन	20281	25259	-22843	368211
1988-89	310497	53280	95617	8543	उन	25913	32010	-24947	436893
1989-90	346807	60997	113993	6014	उन	34609	40212	-20279	501928
1990-91	398529	69525	139663	6355	उन	40635	48698	-19797	586212
1991-92	457735	78458	152466	-903	उन	56254	56249	-13887	673875
1992-93	516118	88846	177929	9839	उन	67312	73000	-12499	774545
1993-94	591308	103066	191456	-1719	उन	86147	85999	7095	891355

जारी...

तालिका 1.6: वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के घटक

(₹ करोड़)									
वर्ष	पीएफसीई	जीएफसीई	जीएफसी एफ	सीआईएस	मूल्यवान वस्तुएं	वस्तु एवं सेवा निर्यात	वस्तु एवं सेवा आयात	अंतर	सकल घरेलू उत्पाद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2004-05 शृंखला									
1994-95	687154	114672	228442	14072	उन	101607	104710	4354	1045590
1995-96	792015	135883	295046	24557	उन	130733	144953	-6556	1226725
1996-97	928629	154089	328046	-14991	उन	144854	161022	39672	1419277
1997-98	1018559	182245	372401	13044	उन	165203	184333	5275	1572394
1998-99	1166300	225716	427069	-3023	उन	195280	224745	16780	1803378
1999-00	1312537	258868	484666	42497	15519	227697	265702	-52952	2023130
2000-01	1406661	273400	495196	15158	14724	278126	297523	-8329	2177413
2001-02	1531672	291189	590240	-1971	14187	290757	311050	-49179	2355845
2002-03	1620293	301573	601120	18200	13957	355556	379981	5608	2536327
2003-04	1771305	324783	697478	20667	24572	417425	436878	22151	2841503
2004-05	1917508	354518	931028	80150	41054	569051	625945	-25154	3242209
2005-06	2152702	401619	1120292	104389	41392	712087	813466	-25647	3693369
2006-07	2476667	443477	1343774	147101	49709	904872	1040535	-30359	4294706
2007-08	2840727	513021	1641673	201534	53592	1018907	1219109	-63255	4987090
2008-09	3249284	615333	1821099	106791	72213	1328765	1614040	50618	5630063
2009-10	3707566	771151	2055772	179171	116312	1298780	1647139	-3786	6477827
2010-11	4360323	890136	2407069	273509	162836	1710193	2050182	30230	7784115
2011-12	5141896	1025895	2861062	170596	246673	2150326	2721947	135220	9009722
2011-12 शृंखला									
2011-12	4910447	968375	2997733	207983	253033	2143931	2715554	-29620	8736329
2012-13	5614484	1062404	3324973	214524	273775	2439707	3108428	122574	9944013
2013-14	6475649	1156509	3515621	144621	161761	2856781	3191811	114389	11233522
2014-15	7247340	1301762	3750392	312698	209407	2863636	3235962	18687	12467959
2015-16	8126408	1436171	3957092	262477	203506	2728647	3044923	102495	13771874
2016-17	9126533	1586658	4338671	138083	167326	2948772	3220591	306216	15391669
2017-18 (द्वितीय स.अ.)	10090759	1838117	4799139	251062	219322	3211521	3751389	439775	17098304
2018-19 (प्रथम स.अ.)	11254014	2104235	5493320	320076	200184	3766294	4468166	301281	18971237
2019-20 (अ.अ.)	12262064	2446579	5472006	338357	224006	3745473	4298950	150314	20339849
2020-21 (प्रथम अग्र.अनु.)	11569766	2724740	4723349	333968	137540	3534555	3505756	-36185	19481975

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
टिप्पणी:

अ.अ. : अर्न्तम अनुमान, स.अ. : संशोधित अनुमान, अग्र.अनु. : अग्रिम अनुमान

1. पीएफसीई : निजी अंतिम खपत व्यय
2. जीएफसीई : सरकारी अंतिम खपत व्यय
3. जीएफसीएफ : सकल निर्धारित पूंजी निर्माण
4. सीआईएस : स्टॉक में परिवर्तन
5. उ. न. उपलब्ध नहीं
6. जीडीपी-सकल घरेलू उत्पाद

तालिका 1.7: सतत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के घटक

(₹ करोड़)

वर्ष (1)	पीएफसीई (2)	जीएफसीई (3)	जीएफसी एफ (4)	सीआईएस (5)	मूल्यवान वस्तुएं (6)	वस्तु एवं सेवा निर्यात (7)	वस्तु एवं सेवा आयात (8)	अंतर (9)	सकल घरेलू उत्पाद (10)
2004-05 शृंखला									
1950-51	244888	17979	40701	4205	उन	20455	23085	-11206	293937
1951-52	260454	18166	39772	3949	उन	22790	32667	-9865	302599
1952-53	270964	18187	37131	1046	उन	20085	23038	-13831	310544
1953-54	287254	18415	38705	-2382	उन	17625	20846	-9127	329643
1954-55	296678	18523	43546	1156	उन	21411	26611	-9201	345503
1955-56	299514	19036	50947	1457	उन	23206	30047	-7429	356684
1956-57	312764	20361	62224	4449	उन	20817	37224	-6808	376582
1957-58	306585	22929	57579	7128	उन	20981	39954	-215	375033
1958-59	334730	23742	56784	-480	उन	18136	32533	2371	402749
1959-60	338538	24168	61613	4479	उन	19117	28957	-5638	413320
1960-61	357795	25473	66760	6128	उन	18891	33792	-5218	436037
1961-62	363895	27415	73110	5204	उन	18856	30495	-5715	452270
1962-63	368636	33078	80082	4508	उन	18747	31687	-7836	465527
1963-64	382349	40647	90736	3680	उन	20322	32762	-11540	493432
1964-65	405190	42464	98565	6218	उन	18999	33869	-7358	530207
1965-66	405548	46580	101821	4695	उन	16365	30125	-28652	516232
1966-67	410819	47380	102257	6621	उन	20593	38747	-32976	515947
1967-68	434061	48658	107340	5590	उन	21614	37219	-23719	556324
1968-69	445463	51211	111372	1435	उन	22292	31874	-24727	575172
1969-70	462008	56050	111724	7245	उन	21860	27719	-18381	612787
1970-71	477697	61370	107541	8631	उन	28759	32685	-6923	644390
1971-72	486992	67386	118995	11455	उन	29062	38578	-20336	654976
1972-73	490254	68031	124912	3242	उन	31456	37849	-28694	651352
1973-74	502285	67936	123058	11795	उन	33017	40906	-24368	672818
1974-75	501907	65398	128951	14863	उन	35724	35687	-30362	680793
1975-76	530409	71715	128683	2170	उन	41600	36143	4652	743085
1976-77	540985	77084	141513	7607	उन	49845	36829	-24763	755443
1977-78	585099	79719	158620	11260	उन	48067	46918	-25597	810249
1978-79	620859	85618	165842	21755	उन	51818	46941	-42416	856535
1979-80	606933	90975	165092	15528	उन	57597	56011	-68448	811668

जारी...

तालिका 1.7: सतत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के घटक

(₹ करोड़)

वर्ष (1)	पीएफसीई (2)	जीएफसीई (3)	जीएफसी एफ (4)	सीआईएस (5)	मूल्यवान वस्तुएं (6)	वस्तु एवं सेवा निर्यात (7)	वस्तु एवं सेवा आयात (8)	अंतर (9)	सकल घरेलू उत्पाद (10)
2004-05 शृंखला									
1980-81	661562	95196	178287	1004	उन	60614	64051	-66273	866340
1981-82	690331	99203	185401	23590	उन	60119	70474	-69795	918374
1982-83	697235	108747	197159	17857	उन	63738	72909	-61533	950295
1983-84	751352	113612	209780	7483	उन	63155	88937	-36884	1019561
1984-85	773009	122059	217283	17374	उन	67764	76192	-62780	1058515
1985-86	805271	134924	229215	27276	उन	63485	86761	-59276	1114133
1986-87	830682	147610	251020	21203	उन	66934	101583	-48516	1167350
1987-88	859153	159705	266072	6009	उन	75452	99889	-52862	1213640
1988-89	912779	168458	284466	24171	उन	81091	109073	-31406	1330486
1989-90	958075	177460	306311	16060	उन	90805	111346	-27749	1409615
1990-91	1000867	183488	347966	15063	उन	100888	115094	-45562	1487615
1991-92	1022458	183180	328594	-1791	उन	110637	115111	-24629	1503337
1992-93	1048825	189503	358162	18331	उन	116050	139432	-5683	1585756
1993-94	1094417	200751	354848	-3816	उन	132041	166297	49147	1661092
1994-95	1147607	203529	388410	21529	उन	149265	203883	65246	1771702
1995-96	1217472	219412	451596	34275	उन	196128	261227	48244	1905900
1996-97	1312114	229594	465355	-22555	उन	208464	254853	111667	2049786
1997-98	1351342	255429	506706	16929	उन	203610	288495	87279	2132799
1998-99	1439195	286572	555913	-5221	उन	231880	348634	104995	2264700
1999-00	1526689	320320	599973	52890	उन	273617	373012	64553	2465029
2000-01	1579201	324727	591610	17320	उन	323288	390132	113697	2559711
2001-02	1673209	332369	682143	-3481	उन	337221	401619	63348	2683190
2002-03	1721238	331753	679170	20049	उन	408324	449800	74525	2785258
2003-04	1823227	340962	750940	21668	उन	447450	512250	132194	3004190
2004-05	1917508	354518	931028	80150	41054	569051	625945	-25154	3242209
2005-06	2083309	386007	1081792	101511	40414	717424	829926	-37288	3543244
2006-07	2259892	400579	1231265	133556	45933	863459	1008198	-54998	3871489
2007-08	2471397	438919	1430764	175411	47263	914628	1110963	-116472	4250947
2008-09	2649610	484459	1480943	85290	59987	1048140	1363302	-28778	4416350
2009-10	2845303	551702	1594475	143052	94524	999030	1334180	-103059	4790847
2010-11	3092373	583544	1769792	206953	125191	1195003	1542428	-148042	5282386
2011-12	3378506	623574	1986645	117111	133454	1381129	1867249	-120120	5633050

जारी...

तालिका 1.7: सतत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के घटक

(₹ करोड़)

वर्ष (1)	पीएफसीई (2)	जीएफसीई (3)	जीएफसी एफ (4)	सीआईएस (5)	मूल्यवान वस्तुएं (6)	वस्तु एवं सेवा निर्यात (7)	वस्तु एवं सेवा आयात (8)	अंतर (9)	सकल घरेलू उत्पाद (10)
2011-12 Series									
2011-12	4910447	968375	2997733	207983	253033	2143931	2715554	-29620	8736329
2012-13	5179091	974263	3145793	201528	259949	2289836	2879079	41635	9213017
2013-14	5557329	979825	3194924	129758	148879	2468269	2644555	-33060	9801370
2014-15	5912657	1054151	3278096	274751	187957	2512145	2667595	-24487	10527674
2015-16	6381419	1132802	3492183	239557	185986	2370282	2511540	78804	11369493
2016-17	6900236	1201598	3787568	122639	151479	2488423	2621593	277844	12308193
2017-18 (द्वितीय स.अ.)	7379819	1343222	4061195	215795	192661	2601777	3078132	458823	13175160
2018-19 (प्रथम स.अ.)	7908057	1478565	4460967	264415	169734	2922543	3342777	119923	13981426
2019-20 (अ.अ.)	8325907	1652367	4334091	269489	192629	2817660	3115388	89196	14565951
2020-21 (प्रथम अग्र.अनु.)	7537315	1747876	3707516	258023	99082	2584918	2476873	-18195	13439662

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी:

अ.अ. : अनंतिम अनुमान, स.अ. : संशोधित अनुमान, अग्र.अनु. : अग्रिम अनुमान

1. पीएफसीई : निजी अंतिम खपत व्यय
2. जीएफसीई : सरकारी अंतिम खपत व्यय
3. जीएफसीएफ : सकल निर्धारित पूंजी निर्माण
4. सीआईएस : स्टॉक में परिवर्तन
5. उ. न. उपलब्ध नहीं
6. जी.डी.पी.: सकल घरेलू उत्पाद

तालिका 1.8 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (वर्तमान कीमतों पर)

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल निधत पूंजी निर्माण				स्टाक में परिवर्तन				सकल पूंजी निर्माण				सकल घरेलू उत्पाद (15+6)
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यांकन मर्दे (12+13+14)	जोड़ (15)	(16)	(17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2004-05 series																	
1950-51	681	93	215	989	264	704	968	26	140	165	290	844	उन	1133	-165	968	10401
1951-52	634	136	309	1079	304	741	1045	30	143	173	334	884	उन	1218	44	1262	11054
1952-53	695	64	195	954	324	650	974	-18	59	40	306	709	उन	1014	-95	920	10850
1953-54	672	90	181	943	381	587	968	-26	-42	-67	355	545	उन	901	29	930	11810
1954-55	774	118	213	1105	453	659	1112	45	-9	36	498	650	उन	1148	-28	1121	11170
1955-56	1041	134	247	1422	619	765	1384	-25	77	53	594	842	उन	1437	24	1461	11371
1956-57	1222	155	318	1696	721	1050	1771	37	198	235	758	1248	उन	2006	49	2056	13547
1957-58	1028	121	336	1485	752	1051	1803	139	103	242	891	1154	उन	2045	-87	1958	13951
1958-59	986	140	325	1450	817	965	1782	83	-81	2	900	884	उन	1784	42	1826	15551
1959-60	1267	185	351	1803	1045	958	2003	12	198	209	1057	1156	उन	2212	-178	2034	16384
1960-61	1226	281	572	2079	1215	1075	2290	63	265	328	1278	1340	उन	2618	-58	2560	17942
1961-62	1237	320	654	2211	1269	1285	2554	29	247	276	1298	1532	उन	2830	-274	2556	19010
1962-63	1519	344	750	2613	1510	1332	2842	97	260	357	1607	1592	उन	3199	-146	3053	20429
1963-64	1589	394	929	2912	1794	1580	3374	87	188	275	1881	1768	उन	3649	-297	3352	23462
1964-65	1897	389	1072	3358	2106	1866	3972	90	272	363	2196	2138	उन	4335	-377	3958	27367
1965-66	2596	405	1085	4086	2348	2072	4420	124	192	316	2472	2264	उन	4736	-51	4685	28857
1966-67	3161	424	941	4526	2360	2506	4866	64	450	514	2424	2956	उन	5380	69	5449	32669
1967-68	3275	410	944	4629	2320	3075	5395	233	199	432	2553	3274	उन	5827	-361	5466	38261
1968-69	3277	439	1165	4881	2431	3241	5672	41	55	96	2472	3296	उन	5768	-471	5297	40512
2004-05 शृंखला																	

(₹ करोड़)

तालिका 1.8 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (वर्तमान कीमतों पर)

(₹ करोड़)

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल निवृत्त पूंजी निर्माण				स्टाक में परिवर्तन				सकल पूंजी निर्माण				सकल घरेलू उत्पाद (15+6)
	घरेलू क्षेत्र (2)	निजी क्षेत्र (3)	सरकारी क्षेत्र (4)	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र (6)	निजी क्षेत्र (7)	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र (8)	सरकारी क्षेत्र (9)	निजी क्षेत्र (10)	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र (11)	निजी क्षेत्र (12)	मूल्यवान मर्के (13)	जोड़ (12+13+14)	भूल-चूक (15)	
1969-70	4375	549	1361	6285	2525	3667	6192	50	504	554	2575	4171	उ०	6746	-220	6526	44605
1970-71	4531	672	1618	6821	2742	3746	6488	302	507	809	3044	4253	उ०	7297	-82	7215	47638
1971-72	5229	769	1689	7687	3245	4234	7479	356	710	1066	3601	4944	उ०	8545	-380	8165	50999
1972-73	5330	806	1816	7952	4185	4295	8480	88	322	411	4273	4617	उ०	8891	-641	8249	56214
1973-74	8020	1083	2363	11466	4631	5044	9675	541	1097	1639	5172	6141	उ०	11314	545	11858	68420
1974-75	8677	1465	3340	13482	4948	7132	12080	938	1992	2929	5886	9124	उ०	15009	-874	14135	80770
1975-76	9790	1083	4192	15066	6401	7494	13895	1447	676	2123	7848	8170	उ०	16018	-1070	14949	86707
1976-77	11206	1181	5195	17582	8051	7495	15546	1121	272	1393	9172	7767	उ०	16939	-666	16273	93422
1977-78	13679	1413	5253	20345	8792	9043	17835	109	1278	1387	8901	10321	उ०	19222	-341	18880	105848
1978-79	16482	1652	5976	24110	9638	10081	19719	1100	2118	3218	10738	12199	उ०	22937	1301	24238	114647
1979-80	16338	2398	6331	25068	11532	11032	22564	1346	2445	3791	12878	13477	उ०	26355	-707	25648	125729
1980-81	18116	2339	6135	26590	13656	13159	26815	71	116	188	13727	13275	उ०	27003	1682	28684	149642
1981-82	19013	2560	9120	30692	17376	15274	32650	2006	3747	5753	19382	19021	उ०	38403	-5100	33303	175805
1982-83	21972	2980	10004	34956	22276	16629	38905	1136	3315	4451	23412	19944	उ०	43356	-5833	37522	196644
1983-84	26955	3254	9030	39239	24225	19780	44005	337	1450	1787	24562	21230	उ०	45792	-4037	41756	229021
1984-85	32796	4040	8950	45786	27823	22626	50449	1676	3144	4820	29499	25770	उ०	55269	-6191	49078	256611
1985-86	36666	5426	11322	53414	32590	27050	59640	1932	6383	8314	34522	33433	उ०	67954	-8306	59648	289524
1986-87	42111	5336	11246	58693	39723	29753	69476	896	5636	6532	40619	35389	उ०	76008	-10960	65048	323949
1987-88	57304	5932	10471	73707	41211	39993	81204	-1515	3534	2019	39696	43527	उ०	83223	-2691	80532	368211
1988-89	67063	8486	11943	87492	47566	48051	95617	-493	9036	8543	47073	57087	उ०	104160	-4364	99796	436893
1989-90	82985	11845	11900	106730	52517	61476	113993	1690	4324	6014	54207	65800	उ०	120007	-998	119009	501928

2004-05 शृंखला

जारी..

तालिका 1.8 : सकल धरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (वर्तमान कीमतों पर)

वर्ष	सकल धरेलू बचत			सकल निधत पूंजी निर्माण			स्टाक में परिवर्तन			सकल पूंजी निर्माण			सकल धरेलू उत्पाद (15+6)				
	धरेलू क्षेत्र	निजी सरकारी क्षेत्र (2+3+4)	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र (9+10)	जोड़ (11)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र (12)	निजी क्षेत्र (13)	मूल्यवान मर्दे (14)	जोड़ (12+13+14)	भूल-चूक					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1990-91	108603	15164	10641	134408	60013	79650	139663	1987	4368	6355	62000	84018	उन	146018	6586	152604	586212
1991-92	105632	20304	17594	143530	70701	81765	152466	-2207	1304	-903	68494	83069	उन	151563	-4656	146907	673875
1992-93	127943	19968	16709	164621	71197	106732	177929	2657	7182	9839	73854	113914	उन	187768	-9331	178437	774545
1993-94	151454	29866	11674	192994	79309	112147	191456	1974	-3693	-1719	81283	108454	उन	189737	8048	197785	891355
1994-95	187142	35260	24266	246668	102134	126308	228442	-604	14676	14072	101530	140984	उन	242514	16047	258561	1045590
1995-96	198585	59153	31527	289265	105704	189342	295046	-613	25170	24557	105091	214512	उन	319603	-9558	310045	1226725
1996-97	224653	62540	31194	318387	108750	219296	328046	1883	-16873	-14991	110633	202423	उन	313055	23069	336125	1419277
1997-98	284127	66080	29583	379790	112814	259587	372401	3553	9491	13044	116367	269078	उन	385445	16647	402092	1572394
1998-99	352114	69191	-3146	418159	128621	298448	427069	2277	-5300	-3023	130898	293148	उन	424046	12475	436521	1803378
1999-00	438851	87234	-9238	516847	138611	346055	484666	15553	26944	42497	154164	372999	उन	542682	-3848	538834	2023130
2000-01	463750	81062	-29266	515545	145973	349223	495196	9326	5831	15158	155299	355054	उन	525078	3222	528299	2177413
2001-02	545288	76906	-36820	585374	160190	430050	590240	9079	-11050	-1971	169269	419000	उन	602456	-31310	571146	2355845
2002-03	564161	99217	-7148	656230	168143	432977	601120	-4740	22940	18200	163403	455917	उन	633277	-5534	627743	2536327
2003-04	657587	129816	36372	823775	190806	506672	697478	-3076	23743	20667	187730	530415	उन	742717	19699	762416	2841503
2004-05	763685	212519	74499	1050703	224108	706920	931028	16472	63678	80150	240580	770598	उन	1052231	11809	1064041	3242209
2005-06	868988	277208	88955	1235151	271342	848950	1120292	22008	82381	104389	293350	931331	उन	1266073	13681	1279754	3693369
2006-07	994396	338584	152929	1485909	339617	1004157	1343774	16939	130162	147101	356556	1134319	उन	1540583	-9151	1531433	4294706
2007-08	1118347	469023	248962	1836332	401326	1240347	1641673	40597	160937	201534	441923	1401284	उन	1896799	3963	1900762	4987090
2008-09	1330873	417467	54280	1802620	480698	1340401	1821099	51032	55759	106791	531730	1396160	उन	2000103	-68723	1931380	5630063

(₹ करोड़)

तालिका 1.8 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण (वर्तमान कीमतों पर)

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल निहत पूंजी निर्माण				स्टाक में परिवर्तन				सकल पूंजी निर्माण				सकल घरेलू उत्पाद (15+6)
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवान मर्दे (12+13+14)	भूल-चूक	जोड़ (15+6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2004-05 शृंखला																	
2009-10	1630799	540955	10585	2182338	543883	1511889	2055772	48905	130266	179171	592788	1642155	116312	2351255	11878	2363132	6477827
2010-11	1800174	620300	201268	2621742	609189	1797881	2407069	47259	226250	273509	656448	2024131	162836	2843415	-1957	2841457	7784115
2011-12	2054737	658428	111295	2824459	639157	2221905	2861062	56678	113918	170596	695835	2335823	246673	3278331	-77698	3200633	9009722
2011-12 शृंखला																	
2011-12	2065566	826805	134466	3026837	641260	2356472	2997733	17098	190885	207983	658358	2547358	253033	3458749	-55741	3403008	8736329
2012-13	2235280	994005	139917	3369202	698031	2626943	3324973	20617	193907	214524	718648	2820849	273775	3813272	33850	3847122	9944013
2013-14	2285301	1207187	115705	3608193	796950	2718671	3515621	-2019	146640	144621	794931	2865311	161761	3822003	-27868	3794135	11233522
2014-15	2439104	1457064	123789	4019957	872482	2877910	3750392	11988	300710	312698	884470	3178620	209407	4272496	-92718	4179779	12467959
2015-16	2474913	1638296	169050	4282259	1026741	2930351	3957092	16955	245522	262477	1043696	3175873	203506	4423075	-417	4422659	13771874
2016-17	2787134	1771984	265996	4825113	1065033	3273638	4338671	36559	101524	138083	1101593	3375162	167526	4644081	273996	4918077	15391669
2017-18	3277259	1978339	282795	5538393	1152890	3646248	4799139	21581	229481	251062	1174471	3875730	219322	5269522	579702	5849224	17098304
2018-19	3446760	1981185	284974	5712920	1341510	4151811	5501695	31702	288373	320076	1373212	4440184	200184	6013580	95002	6108582	18971237

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी :

उ.न.: उपलब्ध नहीं

तालिका 1.9 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण

(चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	सकल घरेलू बचत		सकल निर्यात पूंजी निर्माण				स्टॉक में परिवर्तन				सकल पूंजी निर्माण			भूल-चूक समायोजित जोड़ (15+16)		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवान मदें (12+13+14)	जोड़ (12+13+14)	(16)	(17)
2004-05 श्रृंखला																
1950-51	6.5	0.9	2.1	9.5	2.5	6.8	9.3	0.2	1.3	1.6	2.8	8.1	अ	10.9	-1.6	9.3
1951-52	5.7	1.2	2.8	9.8	2.8	6.7	9.5	0.3	1.3	1.6	3.0	8.0	अ	11.0	0.4	11.4
1952-53	6.4	0.6	1.8	8.8	3.0	6.0	9.0	-0.2	0.5	0.4	2.8	6.5	अ	9.3	-0.9	8.5
1953-54	5.7	0.8	1.5	8.0	3.2	5.0	8.2	-0.2	-0.4	-0.6	3.0	4.6	अ	7.6	0.2	7.9
1954-55	6.9	1.1	1.9	9.9	4.1	5.9	10.0	0.4	-0.1	0.3	4.5	5.8	अ	10.3	-0.2	10.0
1955-56	9.2	1.2	2.2	12.5	5.4	6.7	12.2	-0.2	0.7	0.5	5.2	7.4	अ	12.6	0.2	12.8
1956-57	9.0	1.1	2.4	12.5	5.3	7.8	13.1	0.3	1.5	1.7	5.6	9.2	अ	14.8	0.4	15.2
1957-58	7.4	0.9	2.4	10.6	5.4	7.5	12.9	1.0	0.7	1.7	6.4	8.3	अ	14.7	-0.6	14.0
1958-59	6.3	0.9	2.1	9.3	5.3	6.2	11.5	0.5	-0.5	0.0	5.8	5.7	अ	11.5	0.3	11.7
1959-60	7.7	1.1	2.1	11.0	6.4	5.8	12.2	0.1	1.2	1.3	6.4	7.1	अ	13.5	-1.1	12.4
1960-61	6.8	1.6	3.2	11.6	6.8	6.0	12.8	0.4	1.5	1.8	7.1	7.5	अ	14.6	-0.3	14.3
1961-62	6.5	1.7	3.4	11.6	6.7	6.8	13.4	0.2	1.3	1.5	6.8	8.1	अ	14.9	-1.4	13.4
1962-63	7.4	1.7	3.7	12.8	7.4	6.5	13.9	0.5	1.3	1.7	7.9	7.8	अ	15.7	-0.7	14.9
1963-64	6.8	1.7	4.0	12.4	7.6	6.7	14.4	0.4	0.8	1.2	8.0	7.5	अ	15.6	-1.3	14.3
1964-65	6.9	1.4	3.9	12.3	7.7	6.8	14.5	0.3	1.0	1.3	8.0	7.8	अ	15.8	-1.4	14.5
1965-66	9.0	1.4	3.8	14.2	8.1	7.2	15.3	0.4	0.7	1.1	8.6	7.8	अ	16.4	-0.2	16.2
1966-67	9.7	1.3	2.9	13.9	7.2	7.7	14.9	0.2	1.4	1.6	7.4	9.0	अ	16.5	0.2	16.7
1967-68	8.6	1.1	2.5	12.1	6.1	8.0	14.1	0.6	0.5	1.1	6.7	8.6	अ	15.2	-0.9	14.3
1968-69	8.1	1.1	2.9	12.0	6.0	8.0	14.0	0.1	0.1	0.2	6.1	8.1	अ	14.2	-1.2	13.1
1969-70	9.8	1.2	3.1	14.1	5.7	8.2	13.9	0.1	1.1	1.2	5.8	9.4	अ	15.1	-0.5	14.6

जारी...

तालिका 1.9 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण

(चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल निर्यात पूंजी निर्माण				स्टॉक में परिवर्तन				सकल पूंजी निर्माण			भूल-चूक समायोजित जोड़ (15+16)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवान मदे (12+13+14)	जोड़ (15+16)		
2004-05 श्रृंखला																
1970-71	9.5	1.4	3.4	14.3	5.8	7.9	13.6	0.6	1.1	1.7	6.4	8.9	अ	15.3	-0.2	15.1
1971-72	10.3	1.5	3.3	15.1	6.4	8.3	14.7	0.7	1.4	2.1	7.1	9.7	अ	16.8	-0.7	16.0
1972-73	9.5	1.4	3.2	14.1	7.4	7.6	15.1	0.2	0.6	0.7	7.6	8.2	अ	15.8	-1.1	14.7
1973-74	11.7	1.6	3.5	16.8	6.8	7.4	14.1	0.8	1.6	2.4	7.6	9.0	अ	16.5	0.8	17.3
1974-75	10.7	1.8	4.1	16.7	6.1	8.8	15.0	1.2	2.5	3.6	7.3	11.3	अ	18.6	-1.1	17.5
1975-76	11.3	1.2	4.8	17.4	7.4	8.6	16.0	1.7	0.8	2.4	9.1	9.4	अ	18.5	-1.2	17.2
1976-77	12.0	1.3	5.6	18.8	8.6	8.0	16.6	1.2	0.3	1.5	9.8	8.3	अ	18.1	-0.7	17.4
1977-78	12.9	1.3	5.0	19.2	8.3	8.5	16.8	0.1	1.2	1.3	8.4	9.8	अ	18.2	-0.3	17.8
1978-79	14.4	1.4	5.2	21.0	8.4	8.8	17.2	1.0	1.8	2.8	9.4	10.6	अ	20.0	1.1	21.1
1979-80	13.0	1.9	5.0	19.9	9.2	8.8	17.9	1.1	1.9	3.0	10.2	10.7	अ	21.0	-0.6	20.4
1980-81	12.1	1.6	4.1	17.8	9.1	8.8	17.9	0.0	0.1	0.1	9.2	8.9	अ	18.0	1.1	19.2
1981-82	10.8	1.5	5.2	17.5	9.9	8.7	18.6	1.1	2.1	3.3	11.0	10.8	अ	21.8	-2.9	18.9
1982-83	11.2	1.5	5.1	17.8	11.3	8.5	19.8	0.6	1.7	2.3	11.9	10.1	अ	22.0	-3.0	19.1
1983-84	11.8	1.4	3.9	17.1	10.6	8.6	19.2	0.1	0.6	0.8	10.7	9.3	अ	20.0	-1.8	18.2
1984-85	12.8	1.6	3.5	17.8	10.8	8.8	19.7	0.7	1.2	1.9	11.5	10.0	अ	21.5	-2.4	19.1
1985-86	12.7	1.9	3.9	18.4	11.3	9.3	20.6	0.7	2.2	2.9	11.9	11.5	अ	23.5	-2.9	20.6
1986-87	13.0	1.6	3.5	18.1	12.3	9.2	21.4	0.3	1.7	2.0	12.5	10.9	अ	23.5	-3.4	20.1
1987-88	15.6	1.6	2.8	20.0	11.2	10.9	22.1	-0.4	1.0	0.5	10.8	11.8	अ	22.6	-0.7	21.9
1988-89	15.3	1.9	2.7	20.0	10.9	11.0	21.9	-0.1	2.1	2.0	10.8	13.1	अ	23.8	-1.0	22.8
1989-90	16.5	2.4	2.4	21.3	10.5	12.2	22.7	0.3	0.9	1.2	10.8	13.1	अ	23.9	-0.2	23.7

जारी...

तालिका 1.9 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण

(चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	सकल घरेलू बचत			सकल निर्यात पूंजी निर्माण			स्टॉक में परिवर्तन			सकल पूंजी निर्माण						
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवान मर्दे (12+13+14)	जोड़ (15+16)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2004-05 श्रृंखला																
1990-91	18.5	2.6	1.8	22.9	10.2	13.6	23.8	0.3	0.7	1.1	10.6	14.3	अ	24.9	1.1	26.0
1991-92	15.7	3.0	2.6	21.3	10.5	12.1	22.6	-0.3	0.2	-0.1	10.2	12.3	अ	22.5	-0.7	21.8
1992-93	16.5	2.6	2.2	21.3	9.2	13.8	23.0	0.3	0.9	1.3	9.5	14.7	अ	24.2	-1.2	23.0
1993-94	17.0	3.4	1.3	21.7	8.9	12.6	21.5	0.2	-0.4	-0.2	9.1	12.2	अ	21.3	0.9	22.2
1994-95	17.9	3.4	2.3	23.6	9.8	12.1	21.8	-0.1	1.4	1.3	9.7	13.5	अ	23.2	1.5	24.7
1995-96	16.2	4.8	2.6	23.6	8.6	15.4	24.1	-0.1	2.1	2.0	8.6	17.5	अ	26.1	-0.8	25.3
1996-97	15.8	4.4	2.2	22.4	7.7	15.5	23.1	0.1	-1.2	-1.1	7.8	14.3	अ	22.1	1.6	23.7
1997-98	18.1	4.2	1.9	24.2	7.2	16.5	23.7	0.2	0.6	0.8	7.4	17.1	अ	24.5	1.1	25.6
1998-99	19.5	3.8	-0.2	23.2	7.1	16.5	23.7	0.1	-0.3	-0.2	7.3	16.3	अ	23.5	0.7	24.2
1999-00	21.7	4.3	-0.5	25.5	6.9	17.1	24.0	0.8	1.3	2.1	7.6	18.4	0.8	26.8	-0.2	26.6
2000-01	21.3	3.7	-1.3	23.7	6.7	16.0	22.7	0.4	0.3	0.7	7.1	16.3	0.7	24.1	0.1	24.3
2001-02	23.1	3.3	-1.6	24.8	6.8	18.3	25.1	0.4	-0.5	-0.1	7.2	17.8	0.6	25.6	-1.3	24.2
2002-03	22.2	3.9	-0.3	25.9	6.6	17.1	23.7	-0.2	0.9	0.7	6.4	18.0	0.6	25.0	-0.2	24.8
2003-04	23.1	4.6	1.3	29.0	6.7	17.8	24.5	-0.1	0.8	0.7	6.6	18.7	0.9	26.1	0.7	26.8
2004-05	23.6	6.6	2.3	32.4	6.9	21.8	28.7	0.5	2.0	2.5	7.4	23.8	1.3	32.5	0.4	32.8
2005-06	23.5	7.5	2.4	33.4	7.3	23.0	30.3	0.6	2.2	2.8	7.9	25.2	1.1	34.3	0.4	34.7
2006-07	23.2	7.9	3.6	34.6	7.9	23.4	31.3	0.4	3.0	3.4	8.3	26.4	1.2	35.9	-0.2	35.7
2007-08	22.4	9.4	5.0	36.8	8.0	24.9	32.9	0.8	3.2	4.0	8.9	28.1	1.1	38.0	0.1	38.1
2008-09	23.6	7.4	1.0	32.0	8.5	23.8	32.3	0.9	1.0	1.9	9.4	24.8	1.3	35.5	-1.2	34.3
2009-10	25.2	8.4	0.2	33.7	8.4	23.3	31.7	0.8	2.0	2.8	9.2	25.4	1.8	36.3	0.2	36.5

जारी...

तालिका 1.9 : सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण

(चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल निर्यात पूंजी निर्माण				स्टॉक में परिवर्तन				सकल पूंजी निर्माण			
	घरेलू क्षेत्र	निजी कारपोरेट क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	मूल्यवान मर्दे (12+13+14)	जोड़ (15+16)	समायोजित जोड़ (15+16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2004-05 श्रृंखला																
2010-11	23.1	8.0	2.6	33.7	7.8	23.1	30.9	0.6	2.9	3.5	8.4	26.0	2.1	36.5	0.0	36.5
2011-12	22.8	7.3	1.2	31.3	7.1	24.7	31.8	0.6	1.3	1.9	7.7	25.9	2.7	36.4	-0.9	35.5
2011-12 Series																
2011-12	23.6	9.5	1.5	34.6	7.3	27.0	34.3	0.2	2.2	2.4	7.5	29.2	2.9	39.6	-0.6	39.0
2012-13	22.5	10.0	1.4	33.9	7.0	26.4	33.4	0.2	1.9	2.2	7.2	28.4	2.8	38.3	0.3	38.7
2013-14	20.3	10.7	1.0	32.1	7.1	24.2	31.3	0.0	1.3	1.3	7.1	25.5	1.4	34.0	-0.2	33.8
2014-15	19.6	11.7	1.0	32.2	7.0	23.1	30.1	0.1	2.4	2.5	7.1	25.5	1.7	34.3	-0.7	33.5
2015-16	18.0	11.9	1.2	31.1	7.5	21.3	28.7	0.1	1.8	1.9	7.6	23.1	1.5	32.1	0.0	32.1
2016-17	18.1	11.5	1.7	31.3	6.9	21.3	28.2	0.2	0.7	0.9	7.2	21.9	1.1	30.2	1.8	32.0
2017-18	19.2	11.6	1.7	32.4	6.7	21.3	28.1	0.1	1.3	1.5	6.9	22.7	1.3	30.8	3.4	34.2
2018-19	18.2	10.4	1.5	30.1	7.1	21.9	29.0	0.2	1.5	1.7	7.2	23.4	1.1	31.7	0.5	32.2

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी :

उ.न.: उपलब्ध नहीं

तालिका 1.10 क : वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 शृंखला)
01.08.2019 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आन्ध्र प्रदेश	339996	370196	413164	470934	544827	612349	712939	776140	875429
अरुणाचल प्रदेश	10229	11617	13377	16495	16986	18153	20558	22488	उन
असम	129354	142039	160442	172849	201309	222397	253726	282782	उन
बिहार	228497	261327	292143	315732	340119	386879	431128	486776	562710
छत्तीसगढ़	142273	159431	186050	197314	200653	220457	240763	266537	288041
गोवा	38009	34567	32043	43233	50354	57449	62873	66060	उन
गुजरात	532809	634572	707456	804764	893997	1016683	1166370	1322936	उन
हरियाणा	271152	314353	362196	392950	446059	507462	588274	666075	755790
हिमाचल प्रदेश	60536	69432	80129	87345	96851	108359	119362	133303	143063
जम्मू और कश्मीर	67274	72996	79692	81037	98409	104575	116604	129877	उन
झारखंड	137383	160304	172030	200357	187479	216791	247302	271990	301242
कर्नाटक	554952	635924	746569	825782	950866	1104165	1238412	1409126	1550297
केरल	328021	371384	417265	460614	505910	570591	632727	707542	उन
मध्य प्रदेश	282371	333937	393115	429027	486034	590669	658145	737156	827019
महाराष्ट्र	1126595	1282180	1448720	1553217	1735308	1954913	2110823	2332992	उन
मणिपुर	11501	12188	14440	16275	17493	19132	23557	25322	उन
मेघालय	18028	19653	20415	20697	22516	24641	26452	29544	32833
मिजोरम	6404	7375	8989	12067	13595	15431	16736	17506	उन
नागालैण्ड	10554	12318	14545	16104	17128	19174	21742	24534	उन
उड़ीसा	204226	233312	260977	274923	283979	342236	387639	432455	467554
पंजाब	239227	267116	297908	316745	350011	384197	422458	472506	517521
राजस्थान	395331	446382	494236	551517	610713	682788	748555	845247	916014
सिक्किम	9742	10817	12203	13556	15743	18163	22835	25141	28391
तमिलनाडु	674478	768295	858870	957350	1057084	1171973	1317984	1465361	1659210
तेलंगाना	325139	364030	408282	456280	522994	597812	683729	782370	881873
त्रिपुरा	17419	19631	23329	26643	32476	35668	39505	44835	49601
उत्तर प्रदेश	645132	732995	833825	891798	1009386	1147209	1298980	1491311	1603083
उत्तराखण्ड	101960	117041	131814	143789	158277	175178	200844	221871	उन
पश्चिम बंगाल	473205	539618	617470	651492	725992	794033	890757	995502	1150711
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3404	3793	4288	4915	5359	6048	7041	उन	उन
चण्डीगढ़	16930	19507	22308	23662	25991	28881	33037	37571	उन
दिल्ली	314650	357400	404841	448487	500524	558546	620720	704529	779647
पुडुचेरी	15160	16984	19778	20143	24303	27073	30212	33598	37134
अखिल भारतीय (निवल घरेलू उत्पाद)	7819154	8883108	10037547	11125668	12322177	13800337	15334357	16991613	18221249

स्रोत: राज्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय टिप्पणी:

उ.न.: उपलब्ध नहीं

तालिका 1.10 ख : वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला)
31.07.2020 की स्थिति के अनुसार

(प्रतिशत)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आन्ध्र प्रदेश	8.9	11.6	14.0	15.7	12.4	16.4	8.9	12.8
अरुणाचल प्रदेश	13.6	15.1	23.3	3.0	6.9	13.2	9.4	NA
असम	9.8	13.0	7.7	16.5	10.5	14.1	11.5	NA
बिहार	14.4	11.8	8.1	7.7	13.7	11.4	12.9	15.6
छत्तीसगढ़	12.1	16.7	6.1	1.7	9.9	9.2	10.7	8.1
गोवा	-9.1	-7.3	34.9	16.5	14.1	9.4	5.1	उन
गुजरात	19.1	11.5	13.8	11.1	13.7	14.7	13.4	उन
हरियाणा	15.9	15.2	8.5	13.5	13.8	15.9	13.2	13.5
हिमाचल प्रदेश	14.7	15.4	9.0	10.9	11.9	10.2	11.7	7.3
जम्मू और कश्मीर	8.5	9.2	1.7	21.4	6.3	11.5	11.4	उन
झारखंड	16.7	7.3	16.5	-6.4	15.6	14.1	10.0	10.8
कर्नाटक	14.6	17.4	10.6	15.1	16.1	12.2	13.8	10.0
केरल	13.2	12.4	10.4	9.8	12.8	10.9	11.8	उन
मध्य प्रदेश	18.3	17.7	9.1	13.3	21.5	11.4	12.0	12.2
महाराष्ट्र	13.8	13.0	7.2	11.7	12.7	8.0	10.5	उन
मणिपुर	6.0	18.5	12.7	7.5	9.4	23.1	7.5	उन
मेघालय	9.0	3.9	1.4	8.8	9.4	7.4	11.7	11.1
मिजोरम	15.2	21.9	34.2	12.7	13.5	8.5	4.6	उन
नागालैण्ड	16.7	18.1	10.7	6.4	11.9	13.4	12.8	उन
उड़ीसा	14.2	11.9	5.3	3.3	20.5	13.3	11.6	8.1
पंजाब	11.7	11.5	6.3	10.5	9.8	10.0	11.8	9.5
राजस्थान	12.9	10.7	11.6	10.7	11.8	9.6	12.9	8.4
सिक्किम	11.0	12.8	11.1	16.1	15.4	25.7	10.1	12.9
तमिलनाडु	13.9	11.8	11.5	10.4	10.9	12.5	11.2	13.2
तेलंगाना	12.0	12.2	11.8	14.6	14.3	14.4	14.4	12.7
त्रिपुरा	12.7	18.8	14.2	21.9	9.8	10.8	13.5	10.6
उत्तर प्रदेश	13.6	13.8	7.0	13.2	13.7	13.2	14.8	7.5
उत्तराखण्ड	14.8	12.6	9.1	10.1	10.7	14.7	10.5	उन
पश्चिम बंगाल	14.0	14.4	5.5	11.4	9.4	12.2	11.8	15.6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.4	13.0	14.6	9.0	12.9	16.4	उन	उन
चण्डीगढ़	15.2	14.4	6.1	9.8	11.1	14.4	13.7	उन
दिल्ली	13.6	13.3	10.8	11.6	11.6	11.1	13.5	10.7
पुडुचेरी	12.0	16.4	1.8	20.7	11.4	11.6	11.2	10.5
अखिल भारतीय (निवल घरेलू उत्पाद)	13.6	13.0	10.8	10.8	12.0	11.1	10.8	7.2

स्रोत: राज्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी:

उ.न.: उपलब्ध नहीं

**तालिका 1.11 क : वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (2011-12 श्रृंखला)
31.07.2020 की स्थिति के अनुसार**

(₹)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आन्ध्र प्रदेश	69000	74687	82870	93903	108002	120676	139680	151173	169519
अरुणाचल प्रदेश	73068	81353	91809	110929	112046	117344	130197	139588	उन
असम	41142	44599	49734	52895	60817	66330	75151	82837	उन
बिहार	21750	24487	26948	28671	30404	34045	36850	40982	46664
छत्तीसगढ़	55177	60849	69880	72936	72991	78924	84823	92413	98281
गोवा	259444	234354	215776	289185	334576	378953	411740	430081	उन
गुजरात	87481	102826	113139	127017	139254	156295	175068	195845	उन
हरियाणा	106085	121269	137770	147382	164963	185050	211526	236147	264207
हिमाचल प्रदेश	87721	99730	114095	123299	135512	150290	165025	183108	195255
जम्मू और कश्मीर	53173	56828	61108	61211	73215	76634	84166	92347	उन
झारखंड	41254	47360	50006	57301	52754	60018	67484	73155	79873
कर्नाटक	90263	102319	118829	130024	148108	170133	188765	212477	231246
केरल	97912	110314	123388	135537	148133	166246	183435	204105	उन
मध्य प्रदेश	38497	44773	51849	55678	62080	74324	81642	90165	99763
महाराष्ट्र	99597	112092	125261	132836	146815	163738	175121	191736	उन
मणिपुर	39762	41230	47798	52717	55447	59345	71507	75226	उन
मेघालय	60013	64036	65118	64638	68836	73753	77504	84725	92174
मिजोरम	57654	65013	77584	103049	114055	127107	142438	147602	उन
नागालैण्ड	53010	61225	71510	78367	82466	92315	104681	116882	उन
उड़ीसा	48499	55105	61305	64233	65993	79159	89287	99196	106804
पंजाब	85577	94318	103831	108970	118858	128780	139775	154313	166830
राजस्थान	57192	63658	69480	76429	83426	91946	99366	110606	118159
सिक्किम	158667	174183	194624	214148	245987	280729	349163	380926	425656
तमिलनाडु	93112	105340	116960	129494	142028	156595	175276	193964	218599
तेलंगाना	91121	101007	112162	124104	140840	159395	180494	204488	228216
त्रिपुरा	47155	52574	61815	69857	84267	91596	100444	112849	123630
उत्तर प्रदेश	32002	35812	40124	42267	47118	52744	58821	66512	70419
उत्तराखण्ड	100305	113610	126247	135881	147592	161172	182320	198738	उन
पश्चिम बंगाल	51543	58195	65932	68876	75992	82291	91401	101138	115748
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	88177	96027	106401	119291	126995	140335	159664	उन	उन
चण्डीगढ़	158967	180457	203356	212594	230009	252236	285048	320300	उन
दिल्ली	185001	205568	227900	247209	270261	295558	322000	358430	389143
पुडुचेरी	119649	130548	148147	146921	172727	187357	203583	220461	237279
अखिल भारतीय (प्रति व्यक्ति एनएनआई)	63462	70983	79118	86647	94797	104880	115293	126521	134226

स्रोत: राज्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय टिप्पणी:

उ.न.: उपलब्ध नहीं

तालिका 1.11 ख: : वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (2011-12 श्रृंखला)
01.08.2019 की स्थिति के अनुसार

(प्रतिशत)								
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आन्ध्र प्रदेश	8.2	11.0	13.3	15.0	11.7	15.7	8.2	12.1
अरुणाचल प्रदेश	11.3	12.9	20.8	1.0	4.7	11.0	7.2	उन
असम	8.4	11.5	6.4	15.0	9.1	13.3	10.2	उन
बिहार	12.6	10.1	6.4	6.0	12.0	8.2	11.2	13.9
छत्तीसगढ़	10.3	14.8	4.4	0.1	8.1	7.5	8.9	6.3
गोवा	-9.7	-7.9	34.0	15.7	13.3	8.7	4.5	उन
गुजरात	17.5	10.0	12.3	9.6	12.2	12.0	11.9	उन
हरियाणा	14.3	13.6	7.0	11.9	12.2	14.3	11.6	11.9
हिमाचल प्रदेश	13.7	14.4	8.1	9.9	10.9	9.8	11.0	6.6
जम्मू और कश्मीर	6.9	7.5	0.2	19.6	4.7	9.8	9.7	उन
झारखंड	14.8	5.6	14.6	-7.9	13.8	12.4	8.4	9.2
कर्नाटक	13.4	16.1	9.4	13.9	14.9	11.0	12.6	8.8
केरल	12.7	11.9	9.8	9.3	12.2	10.3	11.3	उन
मध्य प्रदेश	16.3	15.8	7.4	11.5	19.7	9.8	10.4	10.6
महाराष्ट्र	12.5	11.7	6.0	10.5	11.5	7.0	9.5	उन
मणिपुर	3.7	15.9	10.3	5.2	7.0	20.5	5.2	उन
मेघालय	6.7	1.7	-0.7	6.5	7.1	5.1	9.3	8.8
मिजोरम	12.8	19.3	32.8	10.7	11.4	12.1	3.6	उन
नागालैण्ड	15.5	16.8	9.6	5.2	11.9	13.4	11.7	उन
उड़ीसा	13.6	11.3	4.8	2.7	20.0	12.8	11.1	7.7
पंजाब	10.2	10.1	4.9	9.1	8.3	8.5	10.4	8.1
राजस्थान	11.3	9.1	10.0	9.2	10.2	8.1	11.3	6.8
सिक्किम	9.8	11.7	10.0	14.9	14.1	24.4	9.1	11.7
तमिलनाडु	13.1	11.0	10.7	9.7	10.3	11.9	10.7	12.7
तेलंगाना	10.8	11.0	10.6	13.5	13.2	13.2	13.3	11.6
त्रिपुरा	11.5	17.6	13.0	20.6	8.7	9.7	12.4	9.6
उत्तर प्रदेश	11.9	12.0	5.3	11.5	11.9	11.5	13.1	5.9
उत्तराखण्ड	13.3	11.1	7.6	8.6	9.2	13.1	9.0	उन
पश्चिम बंगाल	12.9	13.3	4.5	10.3	8.3	11.1	10.7	14.4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.9	10.8	12.1	6.5	10.5	13.8	उन	उन
चण्डीगढ़	13.5	12.7	4.5	8.2	9.7	13.0	12.4	उन
दिल्ली	11.1	10.9	8.5	9.3	9.4	8.9	11.3	8.6
पुदुचेरी	9.1	13.5	-0.8	17.6	8.5	8.7	8.3	7.6
अखिल भारतीय (प्रति व्यक्ति एनएनआई)	11.9	11.5	9.5	9.4	10.6	9.9	9.7	6.1

स्रोत: राज्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय टिप्पणी:

उ.न.: उपलब्ध नहीं

तालिका 1.12 : कृषि उत्पादन का सूचकांक

(आधार : 2007-08 को समाप्त त्रिवर्षीय = 100)

	भारत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क. खाद्यान्न	50.7	114.3	119.5	119.4	123.3	115.9	115.7	131.1	136.8	134.4	139.6
(क) अनाज	41.7	111.1	119.1	117.3	120.7	114.6	115.5	123.7	127.2	129.2	134.3
चावल	16.9	102.2	112.1	112.0	113.5	112.3	111.1	116.8	120.0	124.0	126.1
गेहूं	18.0	116.5	127.2	125.4	128.5	116.0	123.7	132.1	133.9	138.9	144.3
(ख) मोटे अनाज ^क	6.9	118.9	114.8	109.2	118.0	116.7	104.6	118.8	127.3	116.4	128.7
मक्का	2.9	133.7	133.9	136.9	149.3	148.7	138.8	159.3	176.9	170.5	176.2
(ग) दालें ^क	8.9	129.4	121.6	129.4	135.6	122.0	116.7	165.5	181.7	158.9	164.0
तूर	1.7	105.6	98.0	111.6	117.2	103.6	94.5	179.9	158.3	122.4	141.2
चना	3.5	139.5	130.7	149.9	161.6	124.4	119.7	159.1	193.1	168.6	192.6
ख. गैर-खाद्यान्न	49.3	128.0	129.6	129.0	136.4	132.2	126.1	134.7	142.1	139.5	145.4
(क) तिलहन जोड़ ^क	13.2	116.8	106.5	107.4	119.0	99.7	92.5	111.2	114.7	111.6	122.3
मूंगफली	4.1	112.5	94.8	63.9	132.2	100.8	91.7	101.6	125.9	91.6	137.4
रेपसीड और सरसों	3.6	114.6	92.6	112.5	110.4	88.1	95.3	111.0	118.2	129.7	127.8
(ख) रेशे											
कपास	4.4	147.7	157.6	153.2	160.7	155.8	134.3	145.8	146.9	125.5	158.9
जूट	0.7	98.4	105.6	101.7	109.0	104.4	97.8	102.6	94.3	93.4	92.6
मेस्ता	0.0	65.1	70.6	62.8	64.6	54.1	62.1	56.5	47.1	34.4	52.6
(ग) बागानी फसलें											
चाय	0.3	101.0	101.0	101.0	124.4	123.2	126.9	128.7	136.4	139.0	140.1
काफी	0.6	110.0	110.0	110.0	110.9	119.1	126.7	113.6	115.0	116.3	109.0
रबड़ ^क	1.9	104.1	109.2	110.4	93.6	78.0	68.0	83.6	83.9	78.7	86.1
(ग) अन्य											
गन्ना	9.9	104.3	110.0	103.9	107.3	110.4	106.1	93.2	115.7	123.5	108.3
तम्बाकू	0.4	170.6	160.0	139.8	156.4	182.0	170.8	171.4	202.4	उन	उन
आलू	3.6	170.4	187.4	182.5	167.2	193.2	174.7	195.6	206.5	202.0	195.8
ग. सभी खाद्य वस्तुएं	100.0	121.1	124.5	124.2	129.8	124.0	120.8	132.8	139.4	136.9	142.4

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता और कल्याण विभाग।

क : मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और बाजरा शामिल हैं।

ख : तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर और अन्य दालें शामिल हैं।

ग : मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, नाइजरसीड, अरंडी, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं।

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

^2019-20 अंतिम

* कृषि फसलें चतुर्थ अग्रिम अनुमान एवं बागवानी फसलें तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार

तालिका 1.13 : प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का सूचकांक

(आधार : 2007-08 को समाप्त त्रिवर्षीय = 100)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क. खाद्यान्न	104.4	104.1	102.0	105.6	105.4	103.9	109.0	107.4	105.6	108.6
(क) अनाज	101.8	103.3	101.6	104.0	105.7	102.9	104.5	102.2	100.8	105.0
चावल	97.9	100.5	97.6	100.8	100.7	99.3	100.5	100.0	100.8	100.0
गेहूं	105.7	108.6	109.1	110.8	114.4	110.6	111.9	107.8	106.6	114.3
(ख) मोटे अनाज ^क	101.2	96.4	92.1	94.4	95.0	91.3	95.3	92.9	85.7	92.8
मक्का	108.7	111.6	110.2	115.3	116.8	111.9	122.5	119.2	114.8	123.6
(ग) दालें ^ख	116.4	107.6	103.9	112.8	104.2	109.0	129.7	131.8	127.8	125.6
तूर	120.5	110.6	107.5	107.8	106.4	109.4	147.3	122.5	125.6	125.4
चना	125.5	113.4	116.4	135.6	112.7	114.7	131.5	144.2	130.4	139.0
ख. गैर-खाद्यान्न	113.9	116.0	116.0	119.2	118.5	119.5	116.2	118.2	119.2	121.3
(क) तिलहन जोड़ ^क	101.0	97.5	97.5	104.1	94.3	95.4	97.1	91.1	92.5	100.8
मूंगफली	94.2	84.7	76.0	88.6	76.7	74.0	85.9	78.7	76.1	78.7
रेपसीड और सरसों	104.1	88.9	96.0	100.2	87.5	86.7	91.6	90.1	92.4	102.2
(ख) रेशे										
कपास	123.8	134.1	131.9	131.7	141.2	135.4	119.3	138.6	138.9	147.3
जूट	98.1	102.5	98.4	95.8	95.0	92.3	89.5	86.9	84.3	79.9
मेस्ता	69.4	67.3	60.4	57.4	42.2	38.0	40.4	39.4	27.8	31.4
(ग) बागानी फसलें										
चाय	102.0	102.0	99.9	99.9	99.9	99.9	101.8	105.7	112.2	112.2
काफी	105.1	105.1	107.5	111.2	112.6	115.8	119.5	120.4	121.5	121.5
रबड़ ^ख	115.5	119.3	123.0	126.3	129.1	131.6	132.8	133.2	133.4	133.5
(ग) अन्य										
गन्ना	101.7	104.9	104.1	104.0	105.5	102.6	92.4	98.6	105.4	95.1
तम्बाकू	135.3	128.3	117.3	125.5	128.7	124.1	110.1	113.1	उन	उन
आलू	125.9	127.6	134.6	133.3	140.3	143.1	147.3	144.8	146.9	139.0
ग. सभी खाद्य वस्तुएं	109.1	110.0	108.9	112.3	111.9	111.6	112.6	112.7	112.3	114.9

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता और कल्याण विभाग।

टिप्पणी:

क : मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और बाजरा शामिल है।

ख : तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर और अन्य दालें शामिल हैं।

ग : मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, नाइजरसीड, अरंडी, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं।

उ.न. : उपलब्ध नहीं,

^ख2019-20 अंतिम

* कृषि फसलें चतुर्थ अग्रिम अनुमान एवं बागवानी फसलें तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार

तालिका 1.14 : प्रमुख फसलों की पैदावार का सूचकांक

(आधार : 2007-08 को समाप्त त्रिवर्षीय = 100)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क. खाद्यान्न	109.5	114.9	117.1	116.8	110.0	111.3	120.3	127.4	127.3	128.5
(क) अनाज	109.1	115.3	115.4	116.0	108.5	112.3	118.3	124.5	128.1	128.0
चावल	104.4	111.5	114.8	112.6	111.5	111.9	116.2	120.1	123.0	126.1
गेहूँ	110.2	117.2	115.0	116.0	101.4	111.9	118.0	124.2	130.3	126.2
(ख) मोटे अनाज ^क	117.5	119.1	118.6	125.0	122.9	114.5	124.7	137.1	135.8	138.8
मक्का	122.9	119.9	124.2	129.5	127.4	124.0	130.1	148.4	148.6	142.5
(ग) दालें ^ख	111.2	113.1	124.6	120.2	117.0	107.0	127.6	137.9	124.4	130.6
तूर	87.6	88.6	103.8	108.7	97.4	86.4	122.1	129.2	97.4	112.6
चना	111.2	115.3	128.7	119.2	110.4	104.4	121.0	133.8	129.3	138.6
ख. गैर-खाद्यान्न	112.4	111.7	111.2	114.4	111.6	105.5	115.8	120.2	117.0	119.9
(क) तिलहन जोड़ ^ग	115.7	109.3	110.1	114.3	105.7	97.0	114.5	125.9	120.7	121.3
मूंगफली	119.4	111.9	84.1	149.3	131.3	123.9	118.2	160.1	120.3	174.7
रेपसीड और सरसों	110.2	104.1	117.3	110.2	100.7	109.9	121.1	131.1	140.5	125.0
(ख) रेशे										
कपास	119.4	117.5	116.1	122.0	110.3	99.2	122.3	105.9	90.3	107.9
जूट	100.4	103.0	103.3	113.7	109.9	105.9	114.6	108.5	110.7	115.8
मेस्ता	93.8	105.0	104.0	112.6	128.1	163.5	139.9	119.4	123.7	167.6
(ग) बागानी फसलें										
चाय	99.0	99.0	101.1	124.6	123.4	127.1	126.5	129.1	123.9	124.9
काफी	104.6	104.6	102.3	99.7	105.7	109.4	95.0	95.5	95.8	89.7
रबड़ ^घ	90.2	91.6	89.8	74.1	60.4	51.6	62.9	63.0	59.0	64.5
(ग) अन्य										
गन्ना	102.5	104.8	99.8	103.2	104.6	103.5	100.9	117.3	117.2	113.9
तम्बाकू	126.1	124.6	119.2	124.6	141.4	137.6	155.7	179.0	उन	उन
आलू	135.3	146.8	135.5	125.4	137.7	122.1	132.8	142.6	137.5	140.9
ग. सभी खाद्य वस्तुएं	111.0	113.2	114.0	115.5	110.8	108.3	118.0	123.7	121.9	124.0

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता और कल्याण विभाग।

टिप्पणी:

क : मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और बाजरा शामिल हैं।

ख : तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर और अन्य दालें शामिल हैं।

ग : मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, नाइजरसीड, अरंडी, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं।

उ.न. : उपलब्ध नहीं,

^2019-20 अंतिम

* कृषि फसलें चतुर्थ अग्रिम अनुमान एवं बागवानी फसलें तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार

तालिका 1.15 : प्रमुख फसलों का उत्पादन

(मिलियन टन)

समूह/वस्तु	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
खाद्यान्न ^क	244.5	259.3	257.1	265.0	252.0	251.6	275.1	285.0	285.2	296.7
खरीफ	120.9	131.3	128.1	128.7	128.1	125.1	138.3	140.5	141.5	143.4
रबी	123.6	128.0	129.1	136.4	124.0	126.5	136.8	144.6	143.7	153.3
अनाज ^ख	226.3	242.2	238.8	245.8	234.8	235.2	252.0	259.6	263.1	273.5
खरीफ	113.8	125.2	122.2	122.7	122.3	119.6	128.7	131.2	133.4	135.7
रबी	112.5	117.0	116.6	123.1	112.5	115.7	123.2	128.4	129.7	137.8
मोटे अनाज ^ग	43.4	42.0	40.0	43.3	42.9	38.5	43.8	47.0	43.1	47.5
खरीफ	33.1	32.4	29.8	31.2	30.9	28.2	32.4	34.0	31.4	33.7
रबी	10.3	9.6	10.3	12.1	11.9	10.4	11.3	12.9	11.7	13.8
दालें ^घ	18.2	17.1	18.3	19.3	17.2	16.4	23.1	25.4	22.1	23.2
खरीफ	7.1	6.1	5.9	6.0	5.7	5.5	9.6	9.3	8.1	7.7
रबी	11.1	11.0	12.4	13.3	11.4	10.8	13.6	16.1	14.0	15.4
चावल	96.0	105.3	105.2	106.6	105.5	104.4	109.7	112.8	116.5	118.4
खरीफ	80.7	92.8	92.4	91.5	91.4	91.4	96.3	97.1	102.0	102.0
रबी	15.3	12.5	12.9	15.1	14.1	13.0	13.4	15.6	14.4	16.4
गेहूं	86.9	93.5	93.5	95.8	86.5	92.3	98.5	99.9	103.6	107.6
ज्वार	7.0	6.0	5.3	5.5	5.5	4.2	4.6	4.8	3.5	4.7
खरीफ	3.4	3.3	2.8	2.4	2.3	1.8	2.0	2.3	1.7	1.6
रबी	3.6	2.7	2.4	3.1	3.2	2.4	2.6	2.5	1.7	3.1
बाजरा	10.4	10.3	8.7	9.3	9.2	8.1	9.7	9.2	8.7	10.3
मक्का	21.7	21.8	22.3	24.3	24.2	22.6	25.9	28.8	27.7	28.6
तूर	2.9	2.7	3.0	3.2	2.8	2.6	4.9	4.3	3.3	3.8
चना	8.2	7.7	8.8	9.5	7.3	7.1	9.4	11.4	9.9	11.4
तिलहन ^ङ	32.5	29.8	30.9	32.7	27.5	25.3	31.3	31.5	31.5	33.4
खरीफ	21.9	20.7	20.8	22.6	19.2	16.8	21.5	21.0	20.7	22.3
रबी	10.6	9.1	10.2	10.1	8.3	8.6	9.8	10.5	10.8	11.1
मूंगफली	8.3	7.0	4.7	9.7	7.4	6.7	7.5	9.3	6.7	10.1
खरीफ	6.6	5.1	3.2	8.1	5.9	5.4	6.0	7.6	5.4	8.4
रबी	1.6	1.8	1.5	1.7	1.5	1.4	1.4	1.7	1.3	1.7
रेपसीड और सरसों	8.2	6.6	8.0	7.9	6.3	6.8	7.9	8.4	9.3	9.1
गन्ना	342.4	361.0	341.2	352.1	362.3	348.4	306.1	379.9	405.4	355.7
कपास ^च	33.0	35.2	34.2	35.9	34.8	30.0	32.6	32.8	28.0	35.5
जूट और मेस्ता ^छ	10.6	11.4	10.9	11.7	11.1	10.5	11.0	10.0	9.8	9.9
जूट	10.0	10.7	10.3	11.1	10.6	9.9	10.4	9.6	9.5	9.4
मेस्ता	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5
बागानी फसलें										
चाय	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4
काफी	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
रबड़	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
आलू	42.3	46.6	45.3	41.6	48.0	43.4	48.6	51.3	50.2	48.7

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग।

टिप्पणी:

क : अनाज, मोटे अनाज एवं दालें शामिल हैं।

ख : चावल और गेहूं सम्मिलित हैं। [^]2019-20 अर्न्तित

ग : मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और जौ शामिल हैं।

घ : तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर एवं अन्य दाल शामिल हैं।

ङ : मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, नाइजरसीड, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन सम्मिलित हैं।

च : 170 कि॰ग्रा॰ की गांठें। छ : 180 कि॰ग्रा॰ की गांठें।

* कृषि फसलें चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार एवं बागवानी फसलें तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार

तालिका 1.16 : प्रमुख फसलों के अंतर्गत सकल क्षेत्र

(मिलियन हेक्टेयर)

समूह/वस्तु	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
खाद्यान्न ^क	126.7	124.8	120.8	125.0	124.3	123.2	129.2	127.5	124.8	127.6
खरीफ	72.4	72.1	67.7	69.1	68.8	69.2	73.2	72.0	72.3	70.8
रबी	54.3	52.7	53.1	56.0	55.5	54.0	56.0	55.5	52.5	56.8
अनाज ^ख	100.3	100.3	97.5	99.8	100.7	98.3	99.8	97.7	99.6	99.3
खरीफ	60.1	60.9	57.7	58.7	58.8	57.9	58.8	58.1	57.5	57.4
रबी	40.2	39.4	39.8	41.1	42.0	40.4	40.9	39.6	38.1	41.9
मोटे अनाज ^ग	28.3	26.4	24.8	25.2	25.2	24.4	25.0	24.3	22.1	24.0
खरीफ	22.1	20.8	18.8	19.3	18.9	18.2	19.0	18.7	17.5	18.4
रबी	6.3	5.7	5.9	5.9	6.2	6.2	6.0	5.6	4.6	5.6
दालें ^घ	26.4	24.5	23.3	25.2	23.6	24.9	29.4	29.8	29.2	28.3
खरीफ	12.3	11.2	10.0	10.3	10.0	11.3	14.4	13.9	14.8	13.4
रबी	14.1	13.3	13.3	14.9	13.6	13.6	15.1	15.9	14.3	14.9
चावल	42.9	44.0	42.8	44.1	44.1	43.5	44.0	43.8	44.2	43.8
खरीफ	38.0	40.1	38.9	39.4	39.8	39.7	39.8	39.4	40.0	39.0
रबी	4.8	3.9	3.8	4.7	4.3	3.8	4.1	4.4	4.2	4.8
गेहूं	29.1	29.9	30.0	30.5	31.5	30.4	30.8	29.7	29.3	31.5
ज्वार	7.4	6.2	6.2	5.8	6.2	6.1	5.6	5.0	4.1	4.7
खरीफ	3.1	2.6	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1	1.8	1.7
रबी	4.3	3.6	3.8	3.5	3.9	3.9	3.6	3.0	2.3	3.0
बाजरा	9.6	8.8	7.3	7.8	7.3	7.1	7.5	7.5	7.1	7.5
मक्का	8.6	8.8	8.7	9.1	9.2	8.8	9.6	9.4	9.0	9.7
तूर	4.4	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	5.3	4.4	4.6	4.5
चना	9.2	8.3	8.5	9.9	8.3	8.4	9.6	10.6	9.6	10.2
तिलहन ^ङ	27.2	26.3	26.5	28.1	25.6	26.1	26.2	24.5	24.8	27.0
खरीफ	18.2	18.4	18.3	19.7	18.2	18.9	18.7	17.2	17.7	19.1
रबी	9.0	7.9	8.2	8.4	7.4	7.2	7.5	7.3	7.1	7.9
मूंगफली	5.9	5.3	4.7	5.5	4.8	4.6	5.3	4.9	4.7	4.9
खरीफ	5.0	4.3	3.9	4.6	4.0	3.8	4.6	4.1	4.1	4.1
रबी	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8
रेपसीड और सरसों	6.9	5.9	6.4	6.6	5.8	5.7	6.1	6.0	6.1	6.8
गन्ना	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	4.9	4.4	4.7	5.1	4.6
कपास ^च	11.2	12.2	12.0	12.0	12.8	12.3	10.8	12.6	12.6	13.4
जूट और मेस्ता ^छ	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
जूट	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
मेस्ता	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
बागानी फसलें										
चाय	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
काफी	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
रबड़ ^ज	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
आलू	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग।

टिप्पणी:

क : अनाज, मोटे अनाज एवं दालें शामिल हैं।

ख : चावल और गेहूं सम्मिलित हैं।

ग : मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और जौ शामिल हैं।

घ : तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर एवं अन्य दाल शामिल हैं।

ङ : मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, नाइजरसीड, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन सम्मिलित हैं।

* कृषि फसलें चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार एवं बागवानी फसलें तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार

तालिका 1.17 : प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार

(कि.ग्रा./हेक्टेयर)										
समूह/वस्तु	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
खाद्यान्न ^क	1930	2078	2079	2120	2028	2042	2129	2235	2286	2325
खरीफ	1669	1822	1892	1864	1862	1808	1890	1951	1957	2025
रबी	2278	2430	2431	2435	2232	2342	2441	2603	2740	2699
अनाज ^ख	2256	2415	2449	2462	2331	2393	2525	2657	2769	2756
खरीफ	1893	2057	2116	2089	2081	2065	2188	2259	2397	2364
रबी	2800	2968	2932	2995	2681	2862	3010	3240	3332	3293
मोटे अनाज ^ग	1531	1590	1617	1717	1703	1579	1750	1934	1944	1976
खरीफ	1500	1563	1583	1619	1633	1544	1708	1817	1790	1833
रबी	1641	1689	1725	2034	1915	1686	1885	2323	2532	2443
दालें ^घ	691	699	789	764	728	656	786	853	757	817
खरीफ	578	541	594	580	573	489	667	668	546	576
रबी	790	831	934	891	843	796	902	1014	976	1034
चावल	2239	2393	2462	2416	2391	2400	2494	2576	2638	2705
खरीफ	2121	2312	2374	2319	2295	2305	2417	2469	2553	2614
रबी	3184	3238	3353	3232	3291	3382	3230	3534	3444	3455
गेहूं	2989	3178	3117	3145	2750	3034	3200	3368	3533	3421
ज्वार	949	957	850	957	884	697	812	960	849	1005
खरीफ	1119	1257	1171	1050	1014	850	954	1102	989	961
रबी	827	741	644	896	808	615	730	855	744	1029
बाजरा	1079	1171	1198	1184	1255	1132	1305	1231	1219	1368
मक्का	2540	2478	2566	2676	2632	2563	2689	3065	3070	2945
तूर	655	662	776	813	729	646	913	966	729	842
चना	895	928	1036	960	889	840	974	1078	1041	1116
तिलहन ^ङ	1193	1133	1168	1168	1075	968	1195	1284	1271	1236
खरीफ	1203	1123	1135	1151	1055	884	1153	1219	1168	1165
रबी	1174	1155	1240	1207	1125	1186	1300	1435	1531	1409
मूंगफली	1411	1323	995	1764	1552	1465	1398	1892	1422	2065
खरीफ	1335	1188	811	1735	1478	1399	1321	1833	1304	2026
रबी	1846	1938	1910	1919	1948	1801	1861	2222	2238	2278
रेपसीड और सरसों	1185	1121	1262	1185	1083	1183	1304	1410	1511	1345
गन्ना	70	72	68	71	71	71	69	80	80	78
कपास	499	491	486	510	462	415	512	443	378	451
जूट और मेस्ता	2192	2268	2281	2512	2473	2421	2585	2440	2508	2641
जूट	2329	2389	2396	2639	2549	2457	2660	2517	2569	2686
मेस्ता	1115	1248	1237	1338	1525	1945	1664	1420	1471	1993
बागानी फसलें										
चाय	1712	1967	2037	2170	2170	2170	2165	2210	2121	2138
कफी	746	766	766	727	766	766	761	765	767	718
रबड़	1210	1229	1205	994	811	693	845	845	792	866
आलू	23	22	23	21	22	21	22	24	23	24

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग।

टिप्पणी: ^2019-20 अर्न्तितम

क : अनाज, मोटे अनाज एवं दालें शामिल हैं।

ख : चावल और गेहूं शामिल हैं।

ग : मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, लघु मिलेट और जौ शामिल हैं।

घ : तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर एवं अन्य दाल सम्मिलित हैं।

ङ : मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, नाइजरसीड, कुसुम्भ, सूरजमुखी और सोयाबीन सम्मिलित हैं।

* कृषि फसलें चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार एवं बागवानी फसलें तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार

तालिका 1.18 : 2019-20 में तीन सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन*

		उत्पादन: (मिलियन टन)		
फसल/फसल समूह	राज्य	उत्पादन	अखिल भारत के संदर्भ में उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा	उत्पादन का संघयी प्रतिशत हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. खाद्यान्न				
चावल	पश्चिम बंगाल	15.57	13.15	13.15
	उत्तर प्रदेश	15.52	13.11	26.26
	पंजाब	11.78	9.95	36.21
गेहूँ	उत्तर प्रदेश	32.59	30.29	30.29
	मध्य प्रदेश	19.61	18.22	48.51
	पंजाब	17.57	16.33	64.84
मक्का	कर्नाटक	3.96	13.84	13.84
	मध्य प्रदेश	3.91	13.65	27.49
	तेलंगाना	3.00	10.48	37.97
जोड़ -मोटे अनाज	राजस्थान	7.29	15.35	15.35
	कर्नाटक	6.45	13.59	28.94
	मध्य प्रदेश	4.82	10.16	39.10
चना	कर्नाटक	1.09	28.59	28.59
	महाराष्ट्र	1.05	27.50	56.09
	उत्तर प्रदेश	0.28	7.30	63.39
तूर	राजस्थान	2.66	23.44	23.44
	महाराष्ट्र	2.60	22.89	46.33
	मध्य प्रदेश	2.48	21.87	68.20
जोड़ -दालें	राजस्थान	4.49	19.41	19.41
	महाराष्ट्र	4.03	17.40	36.81
	मध्य प्रदेश	3.80	16.41	53.22
जोड़ -खाद्यान्न	उत्तर प्रदेश	55.03	18.55	18.55
	मध्य प्रदेश	33.03	11.13	29.68
	पंजाब	29.99	10.11	39.79
II. तिलहन				
मूंगफली	गुजरात	4.64	45.99	45.99
	राजस्थान	1.62	16.04	62.03
	तमिल नाडू	0.98	9.75	71.78
रेपसीड और सरसों	राजस्थान	4.22	46.28	46.28
	हरियाणा	1.15	12.61	58.89
	उत्तर प्रदेश	0.96	10.50	69.39
सोयाबीन	मध्य प्रदेश	5.15	45.90	45.90
	महाराष्ट्र	4.60	40.98	86.88
	राजस्थान	0.52	4.68	91.56
सूरजमुखी	कर्नाटक	0.12	54.17	54.17
	उडिसा	0.03	12.11	66.28
	बिहार	0.01	5.81	72.09
कुल-तिलहन	राजस्थान	6.79	20.30	20.30
	गुजरात	6.66	19.94	40.24
	मध्य प्रदेश	6.57	19.66	59.90
गन्ना	उत्तर प्रदेश	178.42	50.16	50.16
	महाराष्ट्र	64.67	18.18	68.34
	कर्नाटक	31.60	8.88	77.22
कपास ^०	गुजरात	8.28	23.32	23.32
	तेलंगाना	6.83	19.25	42.57
	महाराष्ट्र	6.78	19.11	61.68
जूट और मेस्ता ^०	पश्चिम बंगाल	8.06	81.34	81.34
	बिहार	0.86	8.67	90.01
	असम	0.77	7.78	97.79

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग।

टिप्पणी: ख : 170 कि०ग्रा० वजन वाली मिलियन गांठों का उत्पादन।

ख : 180 कि०ग्रा० वजन वाली मिलियन गांठों का उत्पादन।

* : चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार।

तालिका 1.19 : अनाज और दालों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्ध/मात्र*

(000 टन जब तक घोषित न किया जाए)

(21.05.2020 तक)

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन) हजार में	उत्पादन		निवल आयात	स्टॉक में परिवर्तन	निवल उपलब्धता	प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता [#]	
		सकल	निवल				किलोग्राम प्रतिवर्ष	ग्राम प्रतिवर्ष
चावल								
2016	1273986	104410	96475	-10043	786	85646	67.2	184.2
2017	1288522	109700	101363	-12581	2731	86051	66.8	183.0
2018	1302896	112758	104188	-11907	2085	90196	69.2	189.7
2019	1317013	116478	107626	-9875	5424	92326	70.1	192.1
2020	1330831	117939	108976	-8387	2845	97743	73.4	201.2
गेहूँ								
2016	1273986	92290	81123	1693	-10041	92857	72.9	199.7
2017	1288522	98510	86590	5134	5815	85909	66.7	182.7
2018	1302896	99870	87785	-98	7559	80128	61.5	168.5
2019	1317013	103596	91061	-247	5675	85139	64.6	177.1
2020	1330831	107179	94211	-205	7708	86298	64.8	177.7
अन्य अनाज								
2016	1273986	38520	33705	-349	45	33311	26.1	71.6
2017	1288522	43770	38299	-373	18	37908	29.4	80.6
2018	1302896	46970	41099	-1191	39	39869	30.6	83.8
2019	1317013	43059	37677	49	123	37603	28.6	78.2
2020	1330831	47544	41601	104	69	41636	31.3	85.7
अनाज								
2016	1273986	235220	205818	-8699	-9210	206329	162.0	443.7
2017	1288522	251980	220483	-7820	8564	204099	158.4	434.0
2018	1302896	259597	233072	-13196	9683	210193	161.3	442.0
2019	1317013	263133	236364	-10073	11222	215068	163.3	447.4
2020	1330831	272663	244787	-8489	10622	225677	169.6	464.6
दाले								
2016	1273986	16350	14306	5951	241	20016	15.7	43.0
2017	1288522	23130	20239	6811	1314	25736	20.0	54.7
2018	1302896	25416	22239	2021	-155	24415	18.7	51.3
2019	1317013	22076	19316	2928	-473	22717	17.2	47.3
2020	1330831	23012	20135	2556	-577	23268	17.5	47.9
खाद्यान्न								
2016	1273986	251570	220124	-2748	-8969	226345	177.7	486.8
2017	1288522	275110	240721	-1009	9878	229834	178.4	488.7
2018	1302896	285014	255311	-11175	9528	234608	180.1	493.3
2019	1317013	285209	255680	-7145	10749	237786	180.5	494.7
2020	1330831	295674	264923	-5933	10045	248945	187.1	512.5

स्रोत: कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली

नोट: आंकड़े वर्ष 2019-20 के लिए उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमान, अप्रैल, 2019 से मार्च 2020 के लिए निवल आयात और दिनांक 01.04.2020 की स्टॉक स्थिति पर आधारित है।

खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता का आकलन सकल उत्पादन (-) बीज, संभरण एवं बर्बादी, (-) निर्यात (+) आयात, (+/-) स्टॉक में परिवर्तन के आधार पर होता है।

किसी खास वर्ष के लिए जनसंख्या आकलनों द्वारा विभक्त खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता कि.ग्रा./वर्ष के संदर्भ में खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता को दर्शाती है। इस प्रकार से परिकल्पित निवल उपलब्धता को वर्ष के दिनों की संख्या अर्थात् 365 दिनों द्वारा और भी विभक्त किया जाता है, जिसे ग्राम/दिन के संदर्भ में खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता के रूप में लिया जाता है।

तालिका 1.20 : खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता, अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण

(मिलियन टन)

वर्ष	खाद्यान्नों के निवल उत्पादन	निवल आयात	खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता खाद्यान्नों ^ख	अधिप्राप्ति	सार्वजनिक वितरण ^घ	का. 3, का. 4 के प्रतिशत के रूप में	का. 5, का. 2 के प्रतिशत के रूप में	का. 6, का. 4 के प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1951	48.1	4.8	52.4	3.8	8.0	9.2	7.9	15.3
1961	72.0	3.5	75.7	0.5	4.0	4.6	0.7	5.3
1971	94.9	2.0	94.3	8.9	7.8	2.1	9.3	8.3
1981	113.4	0.7	114.3	13.0	13.0	0.6	11.4	11.4
1991	154.3	(-)0.1	158.6	19.6	20.8	...	12.7	13.1
2001	172.2	(-)2.9	156.9	42.6	13.2	(-)1.8	24.7	8.4
2002	186.2	(-)6.7	189.5	40.3	18.2	(-)3.5	21.7	9.6
2003	152.9	(-)5.5	170.6	34.5	23.2	(-)2.8	22.6	13.2
2004	186.5	(-)6.5	183.3	41.1	28.3	(-) 3.5	22.0	15.5
2005	173.6	(-)6.0	170.0	41.5	31.0	(-) 3.5	23.9	18.2
2006	182.5	(-)2.3	181.9	37.0	31.8	(-) 1.3	20.3	17.5
2007	190.1	(-)4.7	183.7	35.8	32.8	(-) 2.6	18.8	17.8
2008	210.2	(-) 9.7	183.5	54.2	34.7	(-) 5.3	25.8	18.9
2009	205.2	(-) 4.1	189.5	60.5	41.3	(-) 2.2	29.5	21.8
2010	190.8	(-) 2.2	189.2	56.1	43.7	(-) 1.2	29.4	23.1
2011	213.9	(-) 2.9	203.1	64.5	47.9	(-) 1.4	30.1	23.6
2012	232.9	(-)16.3	205.4	73.4	44.9	(-)7.9	31.5	21.9
2013	231.9	(-)19.2	220.6	58.9	44.5	(-)8.7	25.4	20.2
2014	231.9	(-)15.8	222.2	59.8	43.5	(-)7.1	25.8	19.6
2015	220.5	(-)0.3	213.8	65.0	53.7*	(-)0.1	29.5	25.1*
2016	220.1	(-)2.7	226.3	60.8	56.6*	(-)1.2	27.6	25.0*
2017	241.7	(-)1.1	229.8	71.4	57.8*	0.8	29.6	25.1*
2018	255.3	(-)11.2	234.6	74.8	56.4*	(-)4.8	29.3	24.1*
2019	255.7	(-)7.1	237.8	78.6	56.6*	(-)3.0	30.7	23.8*
2020	264.9	(-)5.9	248.9	91.42	40.5*#	(-)2.4	34.5	9.1*

स्रोत :

1. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।

2. आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।

टिप्पणी :

क : उपलब्ध निवल मात्रा=निवल उत्पादन+निवल आयात - सरकारी भण्डारों में परिवर्तन।

ख : इसमें वर्ष 1978 से 1990 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई मात्रा शामिल है।

* वित्तीय वर्ष के अनुसार # दिसम्बर 2020 तक

1. खरीद और सार्वजनिक वितरण के आंकड़े कैलण्डर वर्ष से संबंधित हैं।

2. प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता परिकलन हेतु 1981 से 1994 के निवल आयात के आंकड़े केवल भारत सरकार लेखे के उल्थान और निर्यात आंकड़ों पर आधारित हैं, लेकिन 1995 तथा इससे आगे के निवल आयात देश के कुल आयात तथा निर्यात (सरकारी तथा निजी दोनों लेखों) पर आधारित हैं।

3. निवल आयात देश का कुल आयात तथा निर्यात है।

तालिका 1.21 : उपभोग की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	खाद्य तेल ^क (किलोग्राम)	वनस्पति ^ख (किलोग्राम)	चीनी (नवम्बर से अक्टूबर) (कि.ग्रा.) ^ग	कपड़ा ^घ			चाय (ग्राम)	काफ़ी ^च (ग्राम)	बिजली घरेलू (कि.वाट प्रति घण्टे)
				सूती कपड़ा ^क	मानव निर्मित कपड़ा (मीटर)	जोड़ (मीटर)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1960-61	3.2	0.8	4.8	13.8	1.2	15.0	296.0	80.0	3.4
1970-71	3.5	1.0	7.4	13.6	2.0	15.6	401.0	65.0	7.0
1980-81	3.8	1.2	7.3	12.9	4.4	17.3	511.0	79.0	13.5
1990-91	5.5	1.0	12.7	15.1	9.0	24.1	612.0	59.0	38.2
2000-01	8.2	1.3	15.8	14.2	16.5	30.7	631.0	58.0	75.2
2001-02	8.8	1.4	16.0	14.8	17.2	32.0	650.0	67.0	76.8
2002-03	7.2	1.4	16.3	14.4	17.0	31.4	623.0	67.0	79.0
2003-04	9.9	1.2	16.1	13.4	17.6	31.0	662.0	70.0	83.6
2004-05	10.2	1.1	15.5	14.1	19.4	33.5	663.0	72.0	87.8
2005-06	10.6	1.1	16.3	16.4	19.7	36.1	687.0	75.0	90.4
2006-07	11.1	1.2	16.8	18.0	21.6	39.6	687.0	77.0	98.8
2007-08	11.4	1.3	17.8	19.0	22.8	41.9	701.0	80.0	106.0
2008-09	12.7	1.2	18.8	17.9	21.1	39.0	704.0	82.0	112.7
2009-10	13.1	1.1	18.6	19.7	23.4	43.1	709.0	86.0	121.2
2010-11	13.0	1.0	17.0	21.4	22.6	44.0	715.0	90.0	130.9
2011-12	13.8	1.0	18.7	19.8	20.7	40.5	728.0	95.0	142.4
2012-13	15.8	0.7	18.7	19.9	18.6	38.5	779.0	97.0	150.9
2013-14	16.8	0.8	19.5	19.9	16.4	36.2	744.0	100.0	162.0
2014-15	18.3	0.8	20.3	23.6	17.0	40.6	752.0	100.0	174.2
2015-16	17.7	0.8	19.4	24.6	15.9	40.5	758.0	100.0	189.1
2016-17	18.2	0.7	18.9	25.8	15.8	41.6	767.0	100.0	200.2
2017-18	19.5	0.7	19.5	26.8	17.9	44.6	830.0	100.0	211.7
2018-19	18.1	0.62	19.5	28.5(अ)	18.8(अ)	47.2(अ)	840.0	100.0	220.6
2019-20	19.2	0.62	18.8(उन)	उन	उन	उन	850.0	100.0	उन

स्रोत :

1. शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

2. चाय बोर्ड।

3. कॉफी बोर्ड।

4. वस्त्र मंत्रालय

5. केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय।

टिप्पणी:

उन : उपलब्ध नहीं

अ : अनन्तितम

क इसमें मूंगफली का तेल, रेपसीड और सरसों का तेल, तिल का तेल, नाइजर के बीज का तेल, सोयाबीन का तेल और सूरजमुखी के बीजों का तेल शामिल हैं, किन्तु वनस्पति बनाने के काम आने वाला तेल शामिल नहीं हैं।

ख कैलण्डर वर्ष से संबंधित।

ग घरेलू उपभोग के लिए वास्तविक रूप से जारी की गई मात्रा से संबंधित, चीनी मौसम/वर्ष वित्त वर्ष के विपरीत अगले वर्ष के नवंबर से अक्टूबर के दौरान होता।

घ कपड़े संबंधी आंकड़े 1980-81 से पहले कैलण्डर वर्ष-वार हैं; 1984-85 तक मीटर में तथा 1985-86 से वर्ग मीटर में हैं।

ङ ब्लैण्डेड/मिश्रित कपड़े के लिए 1969 के पहले के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं थे। इन्हें 1969 के बाद मानव-निर्मित कृत्रिम रेशे से बने कपड़ों में सम्मिलित किया गया है।

च 1971-72 तक के आंकड़े 'कॉफी' के मौसम से संबंधित हैं और इसके बाद के कैलण्डर वर्षों के आधार पर हैं।

तालिका 1.22 : उर्वरकों का उत्पादन, आयात तथा उपभोग

(हजार टन पोषाहार)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क नाइट्रोजयुक्त उर्वरक											
उत्पादन	12157	12259	12194	12378	12394	13416	13354	13386	13344	13685	80.53
आयात	4493	5240	4801	3920	4766	5068	3385	3588	4701	5191	3864
उपभोग	16558	17300	16821	16750	16946	17372	16735	16958	17628	19100	उन
ख फास्फेटयुक्त उर्वरक											
उत्पादन	4223	4368	3830	3960	4121	4394	4595	4723	4594	4791	27.87
आयात	3802	4427	2797	1588	1832	2888	2130	2047	3167	2413	2122
उपभोग	8050	7914	6653	5633	6098	6979	6705	6854	6968	7662	उन
ग पोटाशयुक्त उर्वरक											
आयात	4069	3335	1559	1926	2537	2053	2325	2895	2629	2280	1803
उपभोग	3514	2576	2062	2099	2532	2402	2508	2779	2779	2607	उन
घ समस्त उर्वरक (ना.फा.पो.)											
उत्पादन	16380	16627	16024	16337	16515	17810	17949	18109	17938	18476	1084
आयात	12364	13002	9157	7434	9135	10009	7840	8530	10497	9884	7789
उपभोग	28122	27790	25534	24482	25576	26753	25948	26591	27375	29369	उन

स्रोत : उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय।

टिप्पणी: * अक्टूबर, 2020 तक

उन : उपलब्ध नहीं

तालिका 1.23 : मुख्य पशुधन उत्पादों और मछली का उत्पादन

वर्ष	दूध (मिलियन टन)	अंडे (संख्या मिलियन में)	मछली (हजार टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1950-51	17.0	1832	752
1960-61	20.0	2881	1160
1970-71	22.0	6172	1756
1980-81	31.6	10060	2442
1990-91	53.9	21101	3836
2000-01	80.6	36632	5656
2006-07	102.6	50653	6869
2007-08	107.9	53583	7127
2008-09	112.2	55562	7620
2009-10	116.4	60267	7914
2010-11	121.8	63024	8400
2011-12	127.9	66450	8700
2012-13	132.4	69731	9040
2013-14	137.7	74752	9572
2014-15	146.3	78484	10164
2015-16	155.5	82929	10795
2016-17	165.4	88137	11420
2017-18	176.3	95217	12610
2018-19	187.7	103318	13420
2019-20 (अ)	198.4	114419	14070

स्रोत: पशु पालन, डेयरी और मत्स्य विभाग।

अ : अनन्तिम

तालिका 1.24 : कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन

(मिलियन टन)

वर्ष	कोयला				लिग्नाइट	जोड़ कोयला और लिग्नाइट (5+6)
	कोकिंग		गैर-कोकिंग	जोड़		
	धात्विक	गैर-धात्विक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1950-51	उन	उन	उन	32.3	उन	उन
1960-61	17.0	उन	38.2	उन	उन	उन
1970-71	17.8	उन	55.1	उन	3.4	उन
1980-81	24.6	8.0	81.3	113.9	5.1	119.0
1981-82	26.9	9.2	88.1	124.2	6.3	130.5
1982-83	30.1	7.5	92.9	130.5	6.9	137.4
1983-84	30.1	6.2	101.9	138.2	7.3	145.5
1984-85	30.6	6.0	110.8	147.4	7.8	155.2
1985-86	29.1	6.6	118.6	154.2	8.1	162.3
1986-87	27.9	11.6	126.2	165.8	9.4	175.2
1987-88	26.3	14.7	138.7	179.7	11.2	190.9
1988-89	25.2	17.6	151.9	194.6	12.4	207.0
1989-90	24.5	19.9	156.5	200.9	12.8	213.7
1990-91	24.1	21.2	166.4	211.7	13.8	225.5
1991-92	26.3	20.0	183.0	229.3	14.6	243.8
1992-93	25.7	19.6	192.9	238.3	16.6	254.9
1993-94	26.0	19.1	201.0	246.0	18.1	264.1
1994-95	24.5	19.7	209.6	253.8	19.3	273.1
1995-96	23.5	16.6	230.0	270.1	22.1	292.3
1996-97	22.6	17.9	245.1	285.7	22.5	308.2
1997-98	24.2	19.3	252.4	295.9	23.1	319.0
1998-99	23.8	15.4	253.1	292.3	23.4	315.7
1999-2000	21.2	12.0	266.7	300.0	22.1	322.1
2000-01	19.3	11.8	278.6	309.6	23.0	332.6
2001-02 ^क	18.0	10.7	299.1	327.8	24.8	352.6
2002-03 ^क	18.4	11.8	311.1	341.3	26.0	367.3
2003-04	18.3	11.1	331.9	361.3	28.0	389.3
2004-05	18.2	12.0	352.4	382.6	30.3	413.0
2005-06	17.0	14.5	375.5	407.0	30.1	437.1
2006-07	17.2	14.9	398.7	430.8	31.3	462.1
2007-08	18.1	16.4	422.6	457.1	34.0	491.0
2008-09	17.3	17.5	458.0	492.8	32.4	525.2
2009-10	17.7	26.7	487.6	532.0	34.0	566.1
2010-11	17.7	31.9	483.2	532.7	37.7	570.4
2011-12	16.2	35.4	488.3	540.0	42.3	582.3
2012-13	14.6	37.0	504.8	556.4	46.5	602.9
2013-14	15.1	41.7	509.0	565.8	44.3	610.0
2014-15	13.8	43.7	551.7	609.2	48.3	657.4
2015-16	14.3	46.5	578.3	639.2	43.8	683.0
2016-17	15.2	46.4	596.2	657.8	45.2	703.1
2017-18	33.9	6.3	635.5	675.4	46.6	722.7
2018-19	35.1	6.0	687.6	728.7	44.3	773.0

स्रोत : कोयला मंत्रालय।

टिप्पणी:

उन : उपलब्ध नहीं।

क : मेघालय कोल सहित।

तालिका 1.25 : बिजली आपूर्ति की प्रगति (जनोपयोगी और गैर-जनोपयोगी)
क. स्थापित संयंत्र क्षमता

(हजार मेगावाट में)

वर्ष	जनोपयोगी				गैर- जनोपयोगी	कुल जोड़ [5+6]
	जल विद्युत	तापीय + न.उ.स्रो	न्यूक्लीयर	जोड़		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1950-51*	0.6	1.1	0	1.7	0.6	2.3
1960-61	1.9	2.7	0	4.6	1.0	5.6
1970-71	6.4	7.9	0.4	14.7	1.6	16.3
1980-81	11.8	17.6	0.9	30.3	3.1	33.4
1981-82	12.2	19.3	0.9	32.4	3.4	35.8
1982-83	13.1	21.4	0.9	35.4	3.9	39.3
1983-84	13.9	24.4	1.1	39.4	4.4	43.8
1984-85	14.5	27.0	1.1	42.6	5.1	47.7
1985-86	15.5	30.0	1.3	46.8	5.5	52.3
1986-87	16.2	31.8	1.3	49.3	5.7	55.0
1987-88	17.3	35.6	1.3	54.2	6.3	60.5
1988-89	17.8	39.7	1.5	59.5	7.5	66.5
1989-90	18.3	43.8	1.5	63.6	8.2	71.8
1990-91	18.8	45.8	1.5	66.1	8.6	74.7
1991-92	19.2	48.1	1.8	69.1	9.3	78.4
1992-93	19.6	50.7	2.0	72.3	10.1	82.4
1993-94	20.4	54.4	2.0	76.8	10.7	87.5
1994-95	20.8	58.1	2.2	81.1	11.2	92.3
1995-96	21.0	60.1	2.2	83.3	11.8	95.1
1996-97	21.7	61.9	2.2	85.8	12.1	97.9
1997-98	21.9	65.0	2.2	89.1	13.2	102.3
1998-99	22.4	68.7	2.2	93.3	14.1	107.4
1999-00	23.9	71.3	2.7	97.9	14.7	112.6
2000-01	25.1	73.6	2.9	101.6	16.2	117.8
2001-02	26.3	76.0	2.7	105.0	17.1	122.1
2002-03	26.8	78.4	2.7	107.9	18.3	126.2
2003-04	29.5	80.5	2.7	112.7	18.7	131.4
2004-05	30.9	84.7	2.8	118.4	19.1	137.5
2005-06	32.3	88.6	3.4	124.3	21.3	145.6
2006-07	34.7	93.7	3.9	132.3	22.3	154.6
2007-08	35.9	103.0	4.1	143.0	25.0	168.0
2008-09	36.9	107.0	4.1	148.0	27.0	175.0
2009-10	36.9	118.0	4.6	159.4	31.5	190.9
2010-11	37.6	131.3	4.8	173.7	34.4	208.1
2011-12	39.0	156.1	4.8	199.9	36.5	236.4
2012-13	39.5	179.1	4.8	223.4	40.7	264.1
2013-14	40.5	203.2	4.8	248.5	42.3	290.8
2014-15	41.3	227.9	5.8	275.0	44.7	319.6
2015-16	42.8	256.6	5.8	305.2	48.3	353.4
2016-17	44.5	275.6	6.8	326.8	51.5	378.4
2017-18	45.3	291.9	6.8	344.0	54.9	398.9
2018-19	45.4	303.9	6.8	356.1	75.2	431.3
2019-20	45.7	317.6	6.8.0	370.1	77.0(अ)	447.1

स्रोत : विद्युत मंत्रालय

टिप्पणी:

अ : अनन्तितम, * : कैलेंडर वर्ष न.उ.स्रो-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पूर्णांकन के कारण दशमलव में अंक मेल नहीं खा सकते हैं।

तालिका 1.25 : बिजली आपूर्ति की प्रगति (जनोपयोगी और गैर-जनोपयोगी)
ख. उत्पादन ऊर्जा

वर्ष	जनोपयोगी				गैर- जनोपयोगी	कुल जोड़ [5+6]
	जल विद्युत	तापीय + न.उ.स्रे	न्यूक्लीयर	जोड़		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1950-51*	2.5	2.6	5.1	1.5	6.6
1960-61	7.8	9.1	16.9	3.2	20.1
1970-71	25.2	28.2	2.4	55.8	5.4	61.2
1975-76	33.3	43.3	2.6	79.2	6.7	85.9
1977-78	38.0	51.1	2.3	91.4	7.6	99.0
1978-79	47.1	52.6	2.8	102.5	7.6	110.1
1979-80	45.5	56.3	2.9	104.7	8.2	112.9
1980-81	56.5	61.3	3.0	120.8	8.4	129.2
1981-82	49.6	69.5	3.0	122.1	9.0	131.1
1982-83	48.4	79.9	2.0	130.3	10.0	140.3
1983-84	50.0	86.7	3.5	140.2	10.8	151.0
1984-85	53.9	98.8	4.1	156.8	12.3	169.1
1985-86	51.0	114.4	5.0	170.4	13.0	183.4
1986-87	53.8	128.9	5.0	187.7	13.6	201.3
1987-88	47.5	149.6	5.0	202.1	16.9	219.0
1988-89	57.9	157.7	5.8	221.4	19.9	241.3
1989-90	62.1	178.7	4.6	245.4	23.0	268.4
1990-91	71.7	186.5	6.1	264.3	25.1	289.4
1991-92	72.8	208.7	5.5	287.0	28.6	315.6
1992-93	69.9	224.8	6.7	301.4	31.3	332.7
1993-94	70.4	248.2	5.4	324.0	32.3	356.3
1994-95	82.7	262.1	5.6	350.4	35.1	385.5
1995-96	72.6	299.3	8.0	380.0	38.2	418.1
1996-97	68.9	317.9	9.1	395.9	40.8	436.7
1997-98	74.6	337.0	10.1	421.7	44.1	465.8
1998-99	82.9	353.7	11.9	448.5	48.4	496.9
1999-00	80.6	386.8	13.3	480.7	51.5	532.2
2000-01	74.5	408.1	16.9	499.5	55.0	554.5
2001-02	73.5	424.4	19.5	517.4	61.7	579.1
2002-03	64.0	449.3	19.4	532.7	63.8	596.5
2003-04	75.2	472.1	17.8	565.1	68.2	633.3
2004-05	84.6	492.8	17.0	594.4	71.4	665.8
2005-06	101.5	506.0	17.3	623.8	73.6	697.4
2006-07	113.5	538.4	18.8	670.7	81.8	752.5
2007-08	120.4	585.3	16.9	723.0	90.5	813.1
2008-09	110.1	616.2	14.9	741.2	99.7	840.9
2009-10	104.1	677.1	18.6	799.8	106.1	906.0
2010-11	114.4	704.3	26.3	844.8	120.9	965.7
2011-12	130.5	759.4	32.3	922.5	134.4	1056.8
2012-13	113.7	817.9	32.9	964.5	144.0	1108.5
2013-14	134.9	857.6	34.2	1026.6	149.0	1175.6
2014-15	129.2	939.7	36.1	1105.1	162.1	1267.1
2015-16	121.4	1008.8	37.4	1167.6	168.4	1336.0
2016-17	122.4	1075.1	37.9	1235.4	172.0	1407.4
2017-18	126.1	1139.0	38.3	1303.5	179.8	1483.2
2018-19	134.9	1199.1	37.8	1371.8	213.1	1584.9
2019-20	155.8	1181.2	46.5	1383.5	215.0(अ)	1598.5

स्रोत : विद्युत मंत्रालय

टिप्पणी:

अ : अनन्तिम

* : कैलेंडर वर्ष

न.उ.स्र. : नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

पूर्णांकन के कारण दशमलव मेल नहीं खा सकते हैं।

तालिका 1.26 : भारतीय रेलों का प्रचालन

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. मार्ग किलोमीटर (हजार)														
विद्युत चालित	0.4	0.8	3.7	5.4	10.0	14.9	20.3	21.6	22.2	23.6	25.4	29.2*	34.3	39.9
कुल	53.6	56.2	59.8	61.2	62.4	63.0	64.6	65.8	66	66.2	66.9	66.9*	67.4	67.6
2. आरम्भिक यातायात (मिलियन टन)														
राजस्व उपार्जक	73.2	119.8	167.9	195.9	318.4	473.5	969.1*	1051.6*	1095.3*	1101.5*	1106.1*	1159.5*	1221.5*	1208.4*
कुल यातायात	93.0	156.2	196.5	220.0	341.4	504.2	975.2*	1058.8*	1101.1*	1108.6*	1110.9*	1162.6*	1225.3*	1212.2*
3. ढोया गया माल (बि. टन कि.मी.)														
राजस्व उपार्जक	37.6	72.3	110.7	147.7	235.8	312.4	667.6	665.8*	681.7*	654.5*	620.2*	692.9*	738.5*	707.7*
कुल यातायात	44.1	87.7	127.4	158.5	242.7	315.5	668.6	666.7*	682.6*	656.0*	621.0*	693.0*	739.0*	708.0*
4. ढोये गये माल से आय (₹ करोड़)	139.3	280.5	600.7	1550.9	8247.0	23045.4	67761.4*	91570.9*	103015.2*	106940.5*	102027.8*	113523.5*	122580.3*	111472.3*
5. औसत भार : समस्त माल यातायात (कि.मी.)	470	561	648	720	711	626	686	630	620	591.0	559.0	596.0	603.0	584.0
6. औसत दर/प्रति टन-किलोमीटर (पैसे)	3.2	3.9	5.4	10.5	35.0	73.8	101.5	137.5	151.2	163.4	164.5	163.8	165.9	157.5
7. आरम्भिक यात्री (मिलियन)	1284	1594	2431	3613	3858	4833	8224.4	8397.1	8224.1	8107	8116	8286	8439	8086
8. यात्री-किलोमीटर (बिलियन)	66.5	77.7	118.1	208.6	295.6	457	1046.5	1158.7	1147.2	1143.0	1150.0	1178.0	1157.0	1051.0
9. यात्री आय (₹ करोड़)	98.2	131.6	295.5	827.5	3144.7	10515.1	28246.4	36532.3	42189.6	44283	46280	48643	51067	50669
10. औसत भार: यात्री यातायात (कि.मी.)	51.8	48.7	48.6	57.7	76.6	94.6	127.2	135.8	139.5	141	141.7	142.1	137.1	129.9
11. प्रति यात्री औसत दर-किलोमीटर (पैसे)	1.5	1.7	2.5	4.0	10.6	22.9	27.0b	31.5b	36.8b	38.7	40.3	41.3	44.1	48.2

स्रोत : रेल मंत्रालय।

टिप्पणी:

उ.न.: उपलब्ध नहीं

* : इसमें कॉकण रेल निगम लिमिटेड का भार शामिल नहीं है।

1. मद सं. 2 से 6 वर्ष 2018-19 के वार्षिक विवरण सं. 13 (नीत आधार पर) पर आधारित है।

2. मद सं. 7 से 11 वर्ष 2018-19 के वार्षिक सांख्यिकीय विवरण पर आधारित है।

तालिका 1.27 : भारतीय रेलवे का राजस्व उपार्जक माल यातायात

क. प्रारम्भिक यातायात

Commodity	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2011-12*	2013-14*	2014-15*	2015-16*	2016-17*	2017-18	2018-19	2019-20
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. कोयला	20.2	30.9	47.9	64.1	135.2	223.7	455.8	508.1	545.8	551.8	532.8	555.2	605.8	586.9
2. इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल जिसमें लौह अयस्क शामिल नहीं है	उन	उन	10.5	16.1	20.2	25.9	38.8	14.5	17.3	18.3	20.3	22.7	23.8	25.8
3. ढलवां लोहा तथा तैयार इस्पात	उन	उन	3.8	6.2	7.5	10.0	11.8	25.7	27.8	28.3	29.6	38.4	35.5	31.8
i) इस्पात संयंत्र	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	9.5	11.1	14.6	15.2	14.0	18.9	22.2
ii) अन्य स्थलों से	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	35.2	39.0	42.9	44.8	52.4	54.4	53.9
iii) कुल	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन
4. लौह अयस्क	उन	उन	2.6	9.8	11.1	13.1	14.6	8.4	6.6	2.5	2.1	10.6	8.2	5.6
i) निर्यात के लिए	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	54.7	66.8	69.4	78.6	83.7	86.6	89.0
ii) इस्पात संयंत्रों के लिए	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	40.3	50.9	40.9	36.2	43.3	45.0	42.7
iii) अन्य घरेलू उपयोग हेतु	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	103.4	124.3	112.8	116.9	137.5	139.8	137.3
iv) कुल	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन
5. सीमेंट	2.5	6.5	11.0	9.6	28.9	42.9	107.7	109.8	109.8	105.3	103.3	112.9	117.3	110.1
6. खाद्यान्न	7.8	12.7	15.1	18.3	25.4	26.7	46.3	55.1	55.5	45.7	44.9	43.8	39.3	37.5
7. उर्वरक	na	1.4	4.7	8.1	18.4	27.1	52.7	44.7	47.4	52.2	48.3	48.5	51.8	51.4
8. पी ओ एल	2.7	4.7	8.9	15.0	25.0	36.3	39.8	41.2	41.1	43.2	42.4	43.1	43.0	44.7
9. कन्टेनर सेवा	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	9.5	10.9	10.5	9.0	10.3	11.1	11.9
i) घरेलू कन्टेनर	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	28.5	32.6	37.9	36.8	37.0	42.8	48.3
ii) एक्विजम कन्टेनर	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	38.0	43.5	48.4	45.8	47.3	53.9	60.1
iii) जोड़	उन	उन	उन	उन	उन	उन	उन	75.7	68.8	73.4	75.3	74.3	84.0	86.9
10. शेष (अन्य माल)	40.0	46.7	48.2	42.1	36.6	51.8	51.8	68.8	73.4	73.4	75.3	74.3	84.0	86.9
11. कुल राजस्व अर्जक मालवहन यातायात	73.2	119.8	167.9	195.9	318.4	473.5	969.1	1051.6	1095.3	1101.5*	1106.1*	1159.5*	1221.5*	1208.4*

स्रोत : रेल मंत्रालय।

टिप्पणी :

उन : उपलब्ध नहीं

पीओएल : पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स

* : इसमें कॉकैंग रेल निगम लिमिटेड का भार शामिल नहीं है।

तालिका 1.27 : भारतीय रेलवे का राजस्व उपार्जक माल यातायात

ख. ढोया गया माल

Commodity	(NTKM in Billion)													
	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2011-12*	2012-13*	2014-15*	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अ)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1. कोयला	11.3	20.5	27.8	36.4	85.9	291.5	303.4	301.5	280.7	250.0	276.7	311.5	293.0	
2. इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल जिसमें लौह अयस्क शामिल नहीं है	उन	2.0	2.7	4.3	7.5	10.3	10.2	11.0	11.7	12.5	14.1	15.1	14.4	
3. ढलवां लोहा तथा तैयार इस्पात														
i) इस्पात संयंत्र	N.A	3.3	6.2	8.6	11.6	26.3	27.2	29.0	30.5	34.2	35.7	34.5	31.4	
ii) अन्य स्थलों से	उन	उन	उन	उन	उन	7.6	6.9	8.4	9.9	9.8	13.3	15.5	13.6	
iii) कुल	उन	उन	उन	उन	उन	33.9	34.1	37.4	40.4	44.0	49.0	49.9	45.0	
4. लौह अयस्क														
i) निर्यात के लिए	उन	उन	5.5	7.3	7.5	2.0	3.1	1.3	0.9	5.0	3.6	2.0	8.4	
ii) इस्पात संयंत्रों के लिए	उन	उन	उन	उन	उन	14.3	15.4	19.2	19.1	20.4	24.0	25.0	23.0	
iii) अन्य घरलू उपयोग हेतु	उन	उन	उन	उन	उन	19.7	19.6	16.2	12.3	14.3	16.2	16.2	18.9	
iv) कुल	उन	उन	उन	उन	उन	36.0	38.1	36.7	32.4	39.7	43.8	43.3	50.3	
5. सीमेंट	उन	2.5	7.0	7.2	18.9	62.0	62.7	59.1	56.0	54.6	63.9	67.8	63.9	
6. खाद्यान्न	4.0	9.6	14.5	24.3	35.6	57.9	71.3	67.0	60.1	57.8	61.7	57.6	52.6	
7. उर्वरक	उन	उन	3.8	8.9	17.3	43.9	39.0	38.8	43.7	39.2	42.0	46.8	47.2	
8. पी ओ एल	उन	2.6	5.3	11.7	15.1	26.1	28.5	27.2	29.3	28.5	29.5	29.3	30.8	
9. कन्टेनर सेवा														
i) घरलू कन्टेनर	उन	उन	उन	उन	उन	13.6	13.8	15.0	12.4	14.1	15.6	15.8	14.5	
ii) एक्ज़म कन्टेनर	उन	उन	उन	उन	उन	31.6	36.2	32.9	33.0	30.1	38.0	42.0	42.2	
iii) जोड़	उन	उन	उन	उन	उन	45.2	50.0	47.9	45.4	44.3	53.7	57.9	56.7	
10. शेष (अन्य माल)	22.3	31.9	37.9	39.1	36.4	60.8	54.4	55.1	54.7	49.9	58.3	59.2	53.6	
11. कुल राजस्व अर्जक मालवहन यातायात	37.6	72.3	110.7	147.7	235.8	667.6	691.7	681.7	654.5*	620.2*	692.9*	738.5*	707.7*	

स्रोत : रेल मंत्रालय।

टिप्पणी :

उन : उपलब्ध नहीं

* : इसमें कॉकण रेल निगम लिमिटेड का भार शामिल नहीं है।

पीओएल : पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेन्ट्स

वार्षिक सांख्यिकीय विवरण-13 (यात्रा के आधार पर) पर आधारित।

तालिका 1.28 : सड़क परिवहन प्रचालन

Commodity	इकाई	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. सड़कों की लम्बाई														
कुल ^a	(हजार कि.मी.)	399.9	524.5	914.9	1485.4	2327.4	3373.5	4865.4	5231.9	5472.1	5603.3	5897.7	6215.8 (अ)	-
सतही	(हजार कि.मी.)	157.0	263.0	398.0	684.0	1090.2	1601.7	2698.6	3171.0	3341.0	3501.9	3729.8	3931.5 (अ)	4080.7 (अ)
2. राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई														
कुल ^a	(हजार कि.मी.)	19.8	23.8	23.8	31.7	33.7	57.7	76.8	79.1	98.0	101.0	114.2	126.3 (अ)	132.5
सतही	(हजार कि.मी.)	उन	21.0	23.3	31.5	33.4	57.7	76.8	79.1	98.0	101.0	114.2	126.3 (अ)	132.5
3. राज्य राजमार्गों की लम्बाई														
कुल ^a	(हजार कि.मी.)	उन	उन	56.8	94.4	127.3	132.1	164.4	169.2	167.1	176.1	174.1	186.9 (अ)	186.5
सतही	(हजार कि.मी.)	उन	उन	51.7	90.3	124.8	129.9	163.0	167.2	165.3	170.2	169.1	185.5 (अ)	185.1
4. पंजीकृत वाहनों की संख्या														
सभी वाहन	(हजार)	306.0	665.0	1865.0	5391.0	21374.0	54991.0	159491.0	176044.0	210023	230031	253311	274364 (अ)	298566 (अ)
माल वाहक वाहन	(हजार)	82.0	168.0	343.0	554.0	1356.0	2948.0	7658.0	8307.0	9344	10516	12256	12784 (अ)	13732 (अ)
बसें*	(हजार)	34.0	57.0	94.0	162.0	331.0	634.0	1677.0	1814.0	1971	1757	1864	1950 (अ)	2038 (अ)
5. सड़क परिवहन से प्राप्त राजस्व														
केंद्रीय	(₹ करोड़)	34.8	111.7	451.8	930.9	4596.0	23861.0	75572.5	90931.2	109941	199659.7	280132.1	181264.7 @	121283.3@
राज्य	(₹ करोड़)	12.6	55.2	231.4	750.4	3259.6	12901.7	55161.1	50602.7	62630.7	70003.3	79962.2	78634.0	72199.1

स्रोत : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

: सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका से संबंधित आंकड़े संकलन के अधीन हैं

उन : उपलब्ध नहीं

टिप्पणी:

a : इसमें 31 मार्च, 1996 से बवाहर राजमार्ग योजना के तहत निर्मित सड़कें शामिल हैं।

* : ओमनी बसें शामिल हैं

अ : अनंतिम वार्षिक रोड स्टेटिस्टिक्स संकलन के अधीन हैं

@ : प्राप्त राजस्व निम्नलिखित सीटीएच के संबंध में है -

1. मोटर बहन एवं एक्ससरीज-अध्याय 87

2. टायर और ट्यूब-4011, 4012 तथा 4013

3. हाई स्पीड डीजल तेल 27090000, 27101930, 27139000, 27102000

4. मोटर स्पिरिट - 27101220

तालिका 1.29 : नागर विमानन में वृद्धि															
	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1999-00	2005-06	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1. विमान बेड़े की कुल संख्या															
(i) एयर इंडिया	13	11	18	24	26	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) इंडियन एयरलाइन्स	88	73	45	56	44	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) एअर इण्डिया लि० पूर्व में नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	94	93	96	101	107	111	121	126	127
(i) एलायन्स एयर	-	-	-	-	12	15	11	11	8	10	11	11	16	20	19
(अ) एयर इण्डिया एक्सप्रेस	-	-	-	-	-	4	21	21	21	17	18	23	23	25	25
(ii) अन्य प्रा. शैड्यूल्ड एअर लाइन्स	-	-	-	-	37	131	229	253	273	279	312	348	424	520	498
2. राजस्व टन-कि.मी. (मिलियन)															
(i) एयर इंडिया	109.4	275.2	980.1	1342.7	1456.5	2364.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) इंडियन एयरलाइन्स	82.4	202.1	400.3	697.6	738.0	1589.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) एअर इण्डिया लि० पूर्व में नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	3704.4	3346.3	3910.0	4196.0	4363.7	4739.0	5395.7	5782.1	5848.1
(iv) एलायन्स एयर	-	-	-	-	131.0	73.0	30.2	26.6	22.7	18.0	20.2	29.4	51.4	62.0	61.3
(v) एयर इण्डिया एक्सप्रेस	-	-	-	-	-	113.0	538.0	507.9	620.5	541.4	672.2	836.2	999.1	1031.4	1192.8
(vi) अन्य निजी शैड्यूल्ड एअर लाइन्स	-	-	-	-	441.9	1789.0	7673.0	7020.8	7280.8	8267.2	9607.2	11404.6	13682.5	15779.6	21973.8
(vii) डेडिकेटेड प्राइवेट फ्लैट	-	-	-	-	-	-	-	-	114.3	113.9	123.9	132.4	130.0	125.2	125.9
(viii) जोड़ (अन्य निजी शैड्यूल्ड एअरलाइन्स, डेडिकेटेड प्राइवेट फ्लैट)	-	-	-	-	-	-	-	-	7395.1	8381.1	9731.1	11537.0	13812.5	15904.8	22099.8
3. ले जाये गए यात्रियों की संख्या (लाख)															
(i) एयर इंडिया	1.3	4.9	14.2	21.6	31.9	43.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) इंडियन एयरलाइन्स	7.9	21.3	54.3	78.7	58.9	78.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जारी...

तालिका 1.29 : नागर विमानन में वृद्धि (जारी.....)															
	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1999-00	2005-06	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
(iii) एयर इंडिया लि. (पूर्व में नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड)	-	-	-	-	-	-	136.1	141.8	154.1	172.6	184.8	196.0	211.7	222.8	224.8
(iv) एलायन्स एयर	-	-	-	-	18.6	10.1	4.7	3.9	3.6	3.1	4.0	6.3	12.8	16.0	16.4
(v) एयर इंडिया एक्सप्रेस	-	-	-	-	-	4.9	23.0	21.6	26.7	25.8	27.8	34.2	38.9	43.4	48.3
(vi) अन्य निजी शेड्यूल एअर लाइन्स	-	-	-	-	54.2	180.7	588.3	548.5	580.0	672.6	821.6	1009.2	1207.8	1380.1	1349.8
4. यात्रियों की व्यवस्था (लाख)															
एएआई एयरपोर्ट	उन	उन	107.4	177.2	390.4	733.4	684.0	683.9	716.5	788.9	931.5	1132.8	1371.3	1587.9	1595.9
संयुक्त उद्यम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट	-	-	-	-	-	-	939.1	910.1	972.7	1112.3	1307.9	1516.8	1716.1	1859.0	1814.5
भारतीय विमान पत्तन पर जोड़	उन	उन	107.4	177.2	390.4	733.4	1623.1	1594.0	1689.2	1901.3	2239.5	2649.6	3087.5	3447.0	3410.5
5. कार्गो की व्यवस्था (हजार टन)															
एएआई एयरपोर्ट	उन	उन	178.7	377.33	797.41	1397.3	703.4	650.4	637.7	681.6	724.5	808.7	921.0	944.9	909.3
संयुक्त उद्यम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट	-	-	-	-	-	-	1576.6	1540.1	1641.4	1845.9	1980.0	2169.6	2436.0	2617.0	2419.3
भारतीय विमान पत्तन पर जोड़	उन	उन	178.7	377.33	797.41	1397.3	2280.0	2190.6	2279.1	2527.6	2704.5	2978.3	3357.0	3561.9	3328.6

स्रोत: नागर विमानन महानिदेशालय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण टिप्पणी:

अ: वर्ष 2018-19 हेतु फ्लॉट आंकड़ा अनन्तित है।

पी: अनन्तित

उ.न.: उपलब्ध नहीं।

तालिका 1.30 : पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का वस्तु शेष

वर्ष	(मिलियन टन)													
	1950-51 ^(क)	1960-61 ^(ख)	1970-71 ^(ग)	1980-81	1990-91	2000-01	2011-12	2012-13	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 ^(घ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I. कच्चा तेल														
1. रिकानेरी उत्पादन	0.3	6.6	18.4	25.8	51.8	103.4	204.1	219.2	223.2	232.9	245.3	251.9	257.2	254.4
2. घरेलू उत्पादन	0.3	0.5	6.8	10.5	32.2	32.4	38.1	37.9	37.4	36.9	36.0	35.6	34.2	32.2
(क) तटीय	0.3	0.5	6.8	5.5	11.8	11.8	18.0	19.4	18.5	17.8	17.6	17.5	17.3	16.2
(ख) अपतटीय	5.0	20.4	20.6	20.1	18.4	18.9	19.0	18.4	18.1	16.8	16.0
3. आयात	उन	6.0	11.7	16.2	20.7	74.1	171.7	184.8	189.4	202.8	213.9	220.4	226.6	226.9
4. निर्यात	उन	उन	उन	उन	उन	उन	-	-	-	-	-	-	-	-
5. निवल आयात (3.4)	उन	उन	उन	उन	उन	उन	171.7	184.8	189.4	202.8	213.9	220.4	226.6	226.9
II. पेट्रोलियम उत्पाद														
1. घरेलू उपभोग ^(घ)	3.3	7.7	17.9	30.9	55.0	100.1	148.1	157.1	165.5	184.7	194.6	206.1	213.2	214.1
जिसमें से														
(क) नेफ्था	0.9	2.3	3.4	11.7	11.2	12.3	11.0	13.3	13.2	12.8	14.1	14.3
(ख) मिट्टी का तेल	0.9	2.0	3.3	4.2	8.4	11.3	8.2	7.5	7.0	6.8	5.4	3.8	3.4	2.4
(ग) हाई स्पीड डीजल तेल	0.2	1.2	3.8	10.3	21.1	37.9	64.8	69.1	69.4	74.6	76.0	81.0	83.5	82.6
(घ) ईंधन तेल	0.9	1.7	4.7	7.5	9.0	12.7	9.3	7.7	6.0	6.6	7.1	6.7	6.5	6.3
2. घरेलू उत्पाद ^(घ)	0.2	5.7	17.1	24.1	48.6	95.6	203.2	217.7	221.1	231.9	243.5	254.4	262.3	262.9
जिसमें से														
(क) नेफ्था	उन	...	1.2	2.1	4.9	9.9	18.8	19.0	17.3	17.9	19.9	20.0	19.7	20.7
(ख) मिट्टी का तेल	उन	0.9	2.9	2.4	5.5	8.7	7.9	8.0	7.5	7.5	6.0	4.4	4.0	3.1
(ग) हाई स्पीड डीजल तेल	उन	1.1	3.8	7.4	17.2	39.1	82.9	91.1	94.4	98.6	102.4	107.9	110.5	111.2
(घ) ईंधन तेल	उन	1.6	4.1	6.1	9.4	11.4	18.4	15.1	11.9	9.7	9.9	9.4	10.0	8.6
3. आयात ^(घ)	3.1	2.5	1.1	7.3	8.7	9.3	15.8	16.4	21.3	29.4	36.3	35.4	33.3	43.8
4. निर्यात	उन	उन	0.3	...	2.7	8.4	60.8	63.4	63.9	60.5	65.5	66.8	61.1	65.7
5. निवल आयात (3 से 4)	उन	उन	0.8	7.3	6.0	0.9	-45.0	-47.6	-42.6	-31.0	-29.2	-31.3	-27.7	-21.9

स्रोत : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

टिप्पणी:

अ : उपलब्ध नहीं

क : इसमें एलएलजी का आयात शामिल नहीं है।

ख : रिकानेरी ईंधन को खपत शामिल नहीं है। इसमें निजी पाटियों द्वारा किया गया आयात सम्मिलित है।

ग : इसमें प्रभावकों (फैकटोर) से पेट्रोलियम उत्पाद का उत्पादन सम्मिलित है।

तालिका 1.31 : औद्योगिक उत्पादन का दो डिजिट स्तर सूचिया (आधार वर्ष 2011-12) 2013-14 से 2019-20 तक

उद्योग समूह (एनआईसी 2008)	उद्योग	भारांश	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	सामान्य सूचकांक	100.00	106.7	111.0	114.7	120.0	125.3	130.1	129.0
	खनन	14.37	94.6	93.3	97.3	102.5	104.9	107.9	109.6
	विनिर्माण	77.63	108.6	112.7	115.9	121.0	126.6	131.5	129.6
	बिजली	7.99	110.3	126.6	133.8	141.6	149.2	156.9	158.4
2 डिजिट एन.आई.सी.									
10	खाद्य उत्पाद का विनिर्माण	5.30	104.6	110.9	104.7	98.9	108.1	121.3	123.7
11	पेय पदार्थ का विनिर्माण	1.04	104.8	108.2	109.7	106.3	105.4	109.2	106.4
12	तम्बाकू उत्पाद का विनिर्माण	0.80	116.4	131.1	136.3	115.9	95.1	94.2	95.4
13	सूती वस्त्र का विनिर्माण	3.29	112.6	116.9	119.4	117.4	117.1	118.7	115.7
14	परिधान का विनिर्माण	1.32	114.8	114.4	131.0	151.7	137.5	154.2	154.6
15	चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण	0.50	113.0	123.0	123.6	122.3	123.9	125.0	122.7
16	काष्ठ और काष्ठ से बनी वस्तुएं कार्क, फर्नीचर, छोड़कर घास-फूस और प्लेटिंग सामानों से बनी चीजों का विनिर्माण	0.19	94.6	95.3	97.5	93.1	92.4	105.1	113.8
17	कागज, कागज उत्पादों का विनिर्माण	0.87	114.2	115.1	116.5	114.0	108.9	104.1	90.8
18	मुद्रण और रिकॉर्डिंग मीडिया का पुनः प्रस्तुतीकरण	0.68	105.8	100.0	103.8	106.0	99.7	97.6	90.7
19	कोक, परिशोधित पेट्रोल उत्पादों का विनिर्माण	11.77	108.0	108.6	113.7	119.1	123.5	126.7	126.7
20	रसायन और रसायनिक उत्पादों का विनिर्माण	7.87	108.8	109.2	113.7	116.5	116.1	119.0	118.5
21	भेषजों, औषधीय रसायनों तथा विस्थापित उत्पादों का विनिर्माण	4.98	114.3	116.9	132.1	172.3	212.1	215.5	215.2
22	रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	2.42	112.4	117.7	118.3	120.5	110.6	108.0	100.0
23	अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	4.09	103.1	108.2	110.4	109.9	113.9	123.6	121.3
24	क्षारीय धातुओं का विनिर्माण	12.80	112.5	123.5	124.3	130.6	138.0	143.3	159.1
25	मशीन और उपकरणों के सिवाय निर्मित धातु वस्तुओं का विनिर्माण	2.65	101.5	105.9	103.4	105.5	107.9	106.2	90.6
26	कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	1.57	115.2	117.6	123.6	126.7	148.5	168.7	151.0
27	बिजली के उपकरणों का विनिर्माण	3.00	117.4	122.0	128.4	122.6	107.4	110.1	105.2
28	मशीनरी और उपकरण एनईसी का विनिर्माण	4.77	103.3	102.6	105.9	114.1	120.5	123.4	107.7
29	मोटर वाहन, ट्रैक्टर और सेमी ट्रैक्टर	4.86	99.1	102.6	101.1	101.7	114.5	122.7	100.2
30	अन्य परिवहन उपकरण का विनिर्माण	1.78	103.5	110.0	112.5	117.5	133.9	145.7	136.6
31	फर्नीचर का विनिर्माण	0.13	125.4	115.6	163.9	176.2	196.6	212.6	197.3
32	अन्य विनिर्माण	0.94	105.2	105.7	119.9	125.6	106.2	92.8	81.2

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

तालिका 1.32 : एम सी डी आर अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रमुख खनिजों का उत्पादन

		(Value in Rs. '000)					
		2017-18		2018-19 (पी)		2019-20 (पी)	
खनिज	यूनिट	Qty	Value	Qty	Value	Qty	Value
बॉक्साइट	tonne	22786106	15784174	23687721	17168410	21823793	15785647
क्रोमाइट	tonne	3480941	32037006	3970688	35836112	3929260	33326587
तांबा अयस्क	tonne	3678002	-	4134745	-	3952418	-
तांबा सांद्रण	tonne	141989	7706611	155435	9395243	124692	8445828
स्वर्ण अयस्क	tonne	549683	-	565665	-	591251	-
स्वर्ण	kilogram	1651	4769813	1664	5241705	1724	6431034
लौह अयस्क	thousand tonnes	201426	347131039	206446	451841360	246081	481074096
सीसा एवं जिंक अयस्क	tonne	12613866	-	13752297	-	14479032	-
सीसा सांद्रण	tonne	306398	11429413	358371	16316814	351271	18072775
जिंक सांद्रण	tonne	1539657	49799273	1457171	56083774	1446823	60231215
मैंगनीज अयस्क	tonne	2599815	19907474	2820227	22702512	2904373	19416386
चांदी	kilogram	557691	21179042	679376	25824746	441818	18047107
टिन सांद्रण	kilogram	16758	11347	21211	13839	15546	9562
फास्फोराइट	tonne	1515645	3668267	1284580	3547584	1400186	4319097
हीरा	carats	39699	374110	38437	581058	28816	398070
फ्लोराइट (गैडिड)	tonne	1314	8646	1079	8483	1315	8769
ग्रेनेट (आसंजक)	tonne	158277	1618903	123404	1568237	555	4745
ग्रेफाइट (आर ओ एक)	tonne	33649	28229	39370	37711	31991	57506
आयोलाइट	kilogram	-	-	86	988	90	579
काइआनाइट	tonne	7818	23277	4889	15228	3497	11743
सिलिमनाइट	tonne	81638	671690	69033	559792	13236	36322
चूना पत्थर	thousand tonnes	340417	80995698	379045	84841055	359332	83120219
चूना का पॉडर	tonne	14765	51445	7534	27786	4600	18730
मैग्नेसाइट	tonne	195055	593650	146581	396564	97684	350253
चिकनी मिट्टी	tonne	1969796	331289	1890309	325121	2109422	351528
सांचा बालू	tonne	7100	1804	14423	3889	12805	3683
नमक (चट्टान)	tonne	47	421	17	46	130	1444
सिलिका मिट्टी	tonne	86662	53164	77739	51897	13900	10235
सेलिनाइट	tonne	469	939	2906	5812	1167	2353
सल्फर	tonne	825173	-	890400	-	900942	-
वर्मीक्यूलाइट	tonne	6054	7075	3161	3808	2774	3363
बोलस्टोनाइट	tonne	153049	126025	184063	173972	124657	119054

स्रोत : एम सी डी आर विवरणी, आइ बी एम

पी: अर्नतिम

तालिका 2.1 : भारतीय रेलवे का वित्तीय कार्य-निष्पादन

Particulars	(₹ करोड़)									
	1980-81	1990-91	2001-02	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 सकल यातायात प्रप्तियां	2624	12096	37837	164334	165292	178725	189907	174357	225613	
i) यात्री कोचिंग	827	3147	11197	44283	46280	48643	51067	50669	61000	
ii) अन्य कोचिंग	116	336	872	4371	4312	4314	4475	4641	6500	
iii) माल	1618	8408	24845	109208	104339	117055	127433	113488	147000	
iv) अन्य आय प्रप्तियां	82	242	944	5929	10368	8688	6996	5863	11013	
(v) उचित लेखा	-19	-37	-21	543	-7	24	-63	-304	100	
2 कार्यचालन व्यय	2537	11154	36293	147836	159030	175834	184780	171319	216713	
(i) साधरण कार्यचालन व्यय	2233	8234	28703	107736	118830	128497	140200	150211	162753	
(ii) मूल्यवृद्धि प्रप्तिये निधि में विनियोग	220	1950	2000	5600	5200	1540	300	400	800	
(iii) पेंशन निधि में विनियोग	84	970	5590	34500	35000	45798	44280	20708 #	53160	
3 निवल यातायात प्रप्तियां (1-2)	87	942	1544	16498	6263	2891	5126.28	3037	8900	
4 निवल विविध प्रप्तियां	40	171	793	2731	-1350	-1225	-1352	-1448	-2400	
5 निवल राजस्व (3+4)	127	1113	2337	19228	4913	1666	3774	1590	6500	
6 लाभांश										
(i) सामान्य राजस्व को देय	325	938	2337	8723	0	0	0	0	0	
(ii) आस्थगित लाभांश का भुगतान				0	0	0	0	0	0	
(iii) अस्थगित लाभांश	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	
(iv) निवल देय लाभांश	325	938	1337	8723	0	0	0	0	0	
7 अधिशेष (+) अथवा घटा (-)	6096	16126	37757	224685	249008	271276	351412	397003	448753	
(i) संचयी पूंजी	0	0	10390	50450	53450	53450	53450	53450	53450	
(ii) संचयी निधि से निवेश	6096	16126	48147	275135	302458	324726	404862	450453	502203	
(iii) जोड़ [(i) + (ii)]	2.1	6.9	4.9	7.0	1.6	0.5	0.9	0.4	1.3	

स्रोत : रेल मंत्रालय

नोट:

*** लाभांश भुगतान बजट मिलान दशाओं के अनुसार किया गया है और अतः 2016-17 से कोई लाभांश भुगतान नहीं है।

* 2017-18 तक, पंक्ति 7 (1) प्रभारित पूंजी को दर्शाती है।

2019-20 में, 49,188 करोड़ रु. के पेंशन व्यय की तुलना में पेंशन निधि का कम विनियोजन हुआ परिणामस्वरूप सरकारी खाते में 28398 करोड़ रु. का घाटा हुआ।

तालिका 2.2: डाक विभाग का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(₹ करोड़)

	1980-81	1990-91	2000-01	2010-11	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 सकल प्राप्तियां	278	840	3298	6962	11636	12940	11511	12833	13196	13558
2 निवल कार्यचालन व्यय	346	1033	4848	13308	17895	18947	23481	25249	27173	28371
3 निवल प्राप्तियां (1-2)	-68	-193	-1550	-6346	-6259	-6007	-11970	-12416	-13977	-14813
4 सामान्य राजस्व को लाभांश, अधिशेष	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 अधिशेष (+)/घाटा (-) (3-4)	-72	-193	-1550	-6346	-6259	-6007	-11970	-12416	-13977	-14813

स्रोत : डाक विभाग, संचार मंत्रालय

तालिका 2.3: केंद्र सरकार की प्रारितियाँ और व्यय

		(₹ करोड़)										
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अ.व.)	2020-21 (ब.अ.)	
1	राजस्व प्रारितियाँ (क+ख)	751437	879232	1014724	1101473	1195025	1374203	1435233	1552916	1682107	2020926	
(क)	कर राजस्व (राश्यों का निवल हिस्सा)	629765	741877	815854	903615	943765	1101372	1242488	1317211	1355886	1635909	
(ख)	कर भिन्न राजस्व	121672	137355	198870	197858	251260	272831	192745	235704	326221	385017	
2	राजस्व व्यय	1145785	1243514	1371772	1466992	1537761	1690584	1878835	2007399	2349618	2630145	
	जिसमें से											
(क)	ब्याज अदायगियाँ	273150	313170	374254	402444	441659	480714	528952	582648	611036	708203	
(ख)	प्रमुख सव्यडियाँ	217941	257079	254632	258258	241833	204025	191183	196496	223213	227794	
(ग)	रक्षा व्यय	103011	111277	124374	136807	145937	165410	186129	195572	207542	209319	
3	राजस्व घाटा (2-1)	394348	364282	357048	365519	342736	316381	443602	454483	667511	609219	
4	पूँजी प्रारितियाँ	552928	531140	544723	562201	595748	600991	706742	762197	1004255	1021304	
	जिसमें से											
(क)	ऋण से वसूलिया	18850	15060	12497	13738	20835	17630	15633	18052	18316	14967	
(ख)	अन्य प्रारितियाँ (मुख्यतः सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों का विनिवेश)	18088	25890	29368	37737	42132	47743	100045	94727	50304	210000	
(ग)	उधार और अन्य देनदारियाँ \$	513590	490190	502858	510725	532791	535618	591064	649418	935635	796337	
5	पूँजी व्यय	158580	166858	187675	196681	253022	284610	263140	307714	336744	412085	
6	ऋणोत्तर प्रारितियाँ [1+4(क)+4(ख)]	788375	920182	1056589	1152948	1257992	1439576	1550911	1665695	1750727	2245893	
7	कुल व्यय [2+5=7(क)+7(ख)]	1304365	1410372	1559447	1663673	1790783	1975194	2141975	2315113	2686362	3042230	
	जिसमें से											
(क)	आयोजना व्यय	412357	413625	453327	462644	4,71,083	5,68,599	उन	उन	उन	उन	
(ख)	आयोजना-भिन्न व्यय	891990	996747	1106120	1201029	13,19,700	14,10,669	उन	उन	उन	उन	
8	राजकोषीय घाटा [7-1-4(क)-4(ख)]	515990	490190	502858	510725	532791	535618	591064	649418	935635	796337	
9	प्रारथमिक घाटा [8-2(क)]	242840	177020	128604	108281	91132	54904	62112	66770	324599	88134	

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और लेखा महालयंत्रक।

टिप्पणी:

ब.अ. अनुमान अ.व.: अनंतिम वास्तविक (संपरीक्षित) सं.अ.: संशोधित आकलन

\$: इसमें बाजार स्थिरकरण योजना की प्रारितियाँ शामिल नहीं की गयी हैं। ये केंद्रीय सरकार के नकद शेष में बनी रहेंगी और व्यय के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी।

तालिका 2.4: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय

		(जीडीपी प्रतिशत के अनुसार)									
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
		(अ.वा.)	(अ.वा.)	(अ.वा.)	(अ.वा.)	(अ.वा.)	(अ.वा.)	(अ.वा.)	(अ.वा.)	(अ.वा.)	(ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	8.6	8.8	9.0	8.8	8.7	9.0	8.4	8.2	8.3	9.0
(क)	कर राजस्व (राश्यों का निवल हिस्सा)	7.2	7.5	7.3	7.2	6.9	7.2	7.3	6.9	6.7	7.3
(ख)	कर भिन्न राजस्व	1.4	1.4	1.8	1.6	1.8	1.8	1.1	1.2	1.6	1.7
2	राजस्व व्यय	13.1	12.5	12.2	11.8	11.2	11.1	11.0	10.6	11.5	11.7
जिसमें से											
(क)	व्याज अदायगियां	3.1	3.1	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.1
(ख)	प्रमुख सख्खियां	2.5	2.6	2.3	2.1	1.8	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0
(ग)	रक्षा व्यय	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
3	राजस्व घाटा (2-1)	4.5	3.7	3.2	2.9	2.5	2.1	2.6	2.4	3.3	2.7
4	पूजी प्राप्तियां	6.3	5.3	4.8	4.5	4.3	3.9	4.1	4.0	4.9	4.5
जिसमें से											
(क)	ऋण से वसूलिया	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
(ख)	अन्य प्राप्तियां (मुख्यात पीएसयू विनिवेश)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.2	0.9
(ग)	(उधार और अन्य देयताएं) \$	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5	3.5	3.4	4.6	3.5
5	पूजी व्यय	1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	1.9	1.5	1.6	1.7	1.8
6	गैर ऋण प्राप्तियां [1+4(क)+4(ख)]	9.0	9.3	9.4	9.2	9.1	9.4	9.1	8.8	8.6	10.0
7	कुल व्यय [2+5=7(क)+7(ख)]	14.9	14.2	13.9	13.3	13.0	12.9	12.5	12.2	13.2	13.5
जिसमें से											
(क)	योजना व्यय	4.7	4.2	4.0	3.7	3.4	3.7	-	-	-	-
(ख)	गैर-योजना व्यय	10.2	10.0	9.8	9.6	9.6	9.2	-	-	-	-
8	राजकीय घाटा [7-1-4(क)-4(ख)]	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5	3.5	3.4	4.6	3.5
9	प्राथमिक घाटा [8-2(क)]	2.8	1.8	1.1	0.9	0.7	0.4	0.4	0.4	1.6	0.4

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और लेखा महानियंत्रक।

टिप्पणी:

ब.अ. अनुमान अ.वा.: अंतिम वास्तविक संआ.: संशोधित आकलन

\$: इसमें बाजार स्थितिकरण योजना की प्राप्तियां शामिल नहीं की गयी हैं। ये केंद्रीय सरकार के नकद शेष में बनी रहेंगी और व्यय के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी।

तालिका 2.5 : केंद्रीय सरकार की बकाया देनदारियां

(₹ crore)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (स.अ.)	2020-21(व. अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. आन्तरिक देयताएं #	4347164	4893303	5484848	6045007	6691709	7207802	7985087	8813554	9751000	10665547
क) आन्तरिक ऋण	3230622	3764566	4240767	4738291	5304835	5741709	6401275	7074941	7922943	8722204
i) बाजार उधारों	2516953	2984309	3441641	3891734	4298784	4649487	5068408	5500141	5986113	6500983
ii) अन्य	713669	780257	799126	846557	1006051	1092222	1332867	1574800	1936830	2221221
ख) अन्य आंतरिक देयताएं	1116542	1128737	1244081	1306716	1386874	1466093	1583812	1738613	1828057	1943343
2. विदेशी ऋण (बकाया)*	170088	177289	184581	197514	210262	228258	250090	269961	299250	319489
3. कुल बकाया देयताएं (1+2)	4517252	5070592	5669429	6242521	6901971	7436060	8235177	9083515	10050250	10985036
4. बंटवारे से पूर्व ऋण के हिस्से के कारण पाकिस्तान द्वारा देय राशि	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5. निवल देयताएं (3-4)	4516952	5070292	5669129	6242221	6901671	7435760	8234877	9083215	10049950	10984736
ज्ञापन मदें										
(क) विदेशी ऋण @	322897	332004	374483	366384	406589	408069	445289	474545	544524	564743
(ख) कुल बकाया देयताएं (समायोजित)	4670061	5225307	5859331	6411391	7098298	7615871	8430376	9288099	10295524	11230290
(ग) आन्तरिक देयताएं (गैर-आरबीआई) ##	3904022	4396810	4984590	5540570	6139580	6651613	7312612	8032148	8855298	9732028
(घ) बकाया देयताएं (गैर-आरबीआई) ##	4226919	4728814	5359073	5906761	6546166	7059682	7757901	8506693	9399822	10296771
(ङ) केंद्रीय सरकार की आकस्मिक देयताएं	190519	233769	249503	294700	343762	366189	380173	n.a.	n.a.	n.a.
(च) कुल आस्तियां	1927143	2080649	2253627	2555131	2872566	3165559	3563364	4073804	4508371	4777973
(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)										
1. आन्तरिक देयताएं #	49.8	49.2	48.8	48.5	48.6	46.9	46.7	46.5	47.7	47.4
क) आन्तरिक ऋण	37.0	37.9	37.8	38.0	38.5	37.4	37.4	37.3	38.8	38.8
i) बाजार उधार	28.8	30.0	30.6	31.2	31.2	30.3	29.6	29.0	29.3	28.9
ii) अन्य	8.2	7.8	7.1	6.8	7.3	7.1	7.8	8.3	9.5	9.9
ख) अन्य आंतरिक देयताएं	12.8	11.4	11.1	10.5	10.1	9.5	9.3	9.2	8.9	8.6
2. विदेशी ऋण (बकाया)*	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4
3. कुल बकाया देयताएं (1+2)	51.7	51.0	50.5	50.1	50.1	48.4	48.2	47.9	49.2	48.8

स्रोत : केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीएए एण्ड ए

टिप्पणी:

उन : उपलब्ध नहीं

* विदेशी ऋण आंकड़े विदेशी स्रोतों से केंद्रीय सरकार द्वारा ली गई उधारों को प्रदर्शित करते हैं और विनिमय की ऐतिहासिक दरों पर आधारित हैं। वर्तमान विनिमय दरों पर विदेशी ऋण आंकड़ें नियंत्रक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग, वित्त मंत्रालय से लिए गए हैं।

आंतरिक ऋण में वर्ष 2009-10 हेतु 2,737 करोड़ रुपये की निवल लेनदारियां शामिल हैं।

@ वर्तमान दरों पर विदेशी ऋण आंकड़े लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग नियंत्रक, वित्त मंत्रालय से लिए गए हैं।

इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियां शामिल हैं।

वर्ष 2014-15 से आगे के आंकड़े वर्ष 2020-21 के बजट दस्तावेज से लिए गए हैं।

ब०अ०: बजट अनुमान

स.अ. संशोधित अनुमान

तालिका 2.6 : राज्य और समेकित सामान्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण

									(₹ crore)
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
								(स.अ.)	(ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
राज्य सरकार									
I. कुल प्राप्तियां (A+B)	1557338	1688047	2008065	2390845	2721784	2941166	3318998	3801097	4212560
क. राजस्व प्राप्तियां (1+2)	1252024	1369187	1591583	1832885	2046401	2321241	2620353	2939693	3327262
1. कर-प्राप्तियां	946081	1030692	1117113	1353336	1520773	1735646	1961739	2043371	2315748
<i>जिनमें से</i>									
राज्य के स्वयं के कर राजस्व	654551	712419	779278	847145	912912	1130460	1214845	1339940	1498263
2. कर-भिन्न प्राप्तियां	305943	338495	474471	479549	525628	585596	658614	896322	1011514
<i>जिनमें से</i>									
ब्याज प्राप्तियां	24118	27215	24135	18216	24560	27966	31491	26856	25182
ख. पूंजी प्राप्तियां	305314	318860	416482	557960	675383	619924	698644	861404	885297
<i>जिनमें से</i>									
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	7265	6896	18916	7180	15835	39637	40981	59869	15634
II. कुल संवितरण (क+ख+ग)	1534255	1706145	2025783	2360229	2708215	2924599	3337713	3897614	4211290
क. राजस्व	1231702	1379750	1637288	1838267	2086892	2340081	2638122	3076395	3327422
ख. पूंजी	272576	302402	358856	431743	503458	546673	653027	774515	836400
ग. ऋण एवं अग्रिम	29977	23992	29638	90219	117866	37846	46564	46704	47468
राजस्व घाटा	-20322	10563	45704	5382	40491	18839	17769	136702	160
सकल राजकोषीय घाटा	195470	247852	327191	420670	534332	410494	462770	652375	626361
सामान्य सरकार									
I कुल प्राप्तियां (क+ख)	2769029	3001372	3189737	3778049	4288432	4528422	5023352	5779396	6524526
क. राजस्व प्राप्तियां (1+2)	1971619	2211475	2387693	2748374	3132201	3376416	3797731	4338225	4828088
1. कर-प्राप्तियां	1687959	1846545	2020728	2297101	2622145	2978134	3278947	3547958	3951657
2. कर-भिन्न प्राप्तियां	283660	364930	366965	451272	510056	398282	518783	790267	876430
<i>जिनमें से</i>									
ब्याज प्राप्तियां	35543	40162	39622	35779	33220	34224	36273	33272	30911
ख. पूंजी प्राप्तियां	797410	789897	802044	1029675	1156231	1152006	1225622	1441171	1696438
<i>जिनमें से</i>									
क. विनिवेश प्राप्तियां	25991	29728	38883	43266	48122	100219	95621	67008	213870
ख. ऋण और अग्रिम की वसूली	12929	9385	22072	16561	20942	42213	44667	62499	18302
II कुल संवितरण (क+ख+ग)	2694934	3000299	3285210	3760611	4265969	4515946	5040747	5875914	6470254
क. राजस्व	2315578	2579086	2798917	3096491	3489073	3838856	4269986	4974471	5437466
ख. पूंजी	328324	377545	426949	539375	616988	588726	707804	815421	927559
ग. ऋण एवं अग्रिम	51031	43668	59345	124745	159907	88364	62957	86022	105229
III राजस्व घाटा	343959	367611	411224	348117	356872	462440	472256	636246	609378
IV सकल राजकोषीय घाटा	684395	749711	836563	952410	1064704	997097	1102729	1408183	1409995

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

ब.अ. - बजट अनुमान

सं.अ. - संशोधित अनुमान

टिप्पणी:

1. ऋणात्मक चिह्न घाटा संकेतकों में अधिशेष को दर्शाता है।

2. मौजूदा बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के राष्ट्रीय लेखाओं (2004-05 नई शृंखला) पर तथा 2012-13 के बाद से आंकड़ें 2011-12 के नए आधार के अनुसार हैं।

3. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर सरकारी लेखाएं शामिल किए गए हैं

4. पूंजीगत संवितरण में सरकारी लेखे शामिल नहीं हैं।

5. डाटा 29 राज्यों के बजट के संबंध में है

तालिका 2.7 : राज्य और समेकित सामान्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (स.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
राज्य सरकार										
I कुल प्राप्तियां (A+B)	15.7	15.7	15.0	16.1	17.4	17.7	17.2	17.5	18.7	18.7
क. राजस्व प्राप्तियां (1+ 2)	12.6	12.6	12.2	12.8	13.3	13.3	13.6	13.8	14.5	14.8
1. कर-प्राप्तियां	9.3	9.5	9.2	9.0	9.8	9.9	10.2	10.3	10.0	10.3
<i>जिनमें से</i>										
राज्य के स्वयं के कर राजस्व	6.4	6.6	6.3	6.3	6.2	5.9	6.6	6.4	6.6	6.7
2. कर-भिन्न प्राप्तियां	3.3	3.1	3.0	3.8	3.5	3.4	3.4	3.5	4.4	4.5
<i>जिनमें से</i>										
ब्याज प्राप्तियां	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
ख. पूंजी प्राप्तियां	3.1	3.1	2.8	3.3	4.1	4.4	3.6	3.7	4.2	3.9
<i>जिनमें से</i>										
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1
II कुल संवितरण (क+ख+ग)	15.5	15.4	15.2	16.2	17.1	17.6	17.1	17.6	19.2	18.7
क. राजस्व	12.3	12.4	12.3	13.1	13.3	13.6	13.7	13.9	15.1	14.8
ख. पूंजी	2.7	2.7	2.7	2.9	3.1	3.3	3.2	3.4	3.8	3.7
ग. ऋण एवं अग्रिम	0.4	0.3	0.2	0.2	0.7	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2
राजस्व घाटा	-0.3	-0.2	0.1	0.4	0.0	0.3	0.1	0.1	0.7	0.0
सकल राजकोषीय घाटा	1.9	2.0	2.2	2.6	3.1	3.5	2.4	2.4	3.2	2.8
सामान्य सरकार										
I कुल प्राप्तियां (क+ख)	28.1	27.8	26.7	25.6	27.4	27.9	26.5	26.5	28.4	29.0
क. राजस्व प्राप्तियां (1 +2)	19.4	19.8	19.7	19.2	20.0	20.4	19.8	20.0	21.3	21.5
1. कर-प्राप्तियां	16.5	17.0	16.4	16.2	16.7	17.1	17.4	17.3	17.4	17.6
2. कर-भिन्न प्राप्तियां	2.9	2.9	3.2	2.9	3.3	3.3	2.3	2.7	3.9	3.9
<i>जिनमें से</i>										
ब्याज प्राप्तियां	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
ख. पूंजी प्राप्तियां	8.7	8.0	7.0	6.4	7.5	7.5	6.7	6.5	7.1	7.5
<i>जिनमें से</i>										
क. विनिवेश प्राप्तियां	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.3	1.0
ख. ऋण और अग्रिम की वसूली	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1
II कुल संवितरण (क+ख+ग)	27.7	27.1	26.7	26.3	27.3	27.7	26.4	26.6	28.9	28.8
क. राजस्व	23.6	23.3	23.0	22.4	22.5	22.7	22.5	22.5	24.5	24.2
ख. पूंजी	3.3	3.3	3.4	3.4	3.9	4.0	3.4	3.7	4.0	4.1
ग. ऋण एवं अग्रिम	0.8	0.5	0.4	0.5	0.9	1.0	0.5	0.3	0.4	0.5
III राजस्व घाटा	4.2	3.5	3.3	3.3	2.5	2.3	2.7	2.5	3.1	2.7
IV सकल राजकोषीय घाटा	7.8	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9	5.8	5.8	6.9	6.3

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

ब.अ. - बजट अनुमान

सं.अ. - संशोधित अनुमान

टिप्पणी:

1. ऋणात्मक चिह्न घाटा संकेतकों में अधिशेष को दर्शाता है।
2. मौजूदा बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के राष्ट्रीय लेखाओं (2004-05 नई शृंखला) पर तथा 2011-12 के बाद से आंकड़ें 2011-12 के नए आधार के अनुसार हैं।
3. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर सरकारी लेखाएं शामिल किए गए हैं।
4. पूंजीगत संवितरण में सरकारी लेखे शामिल नहीं हैं।
5. डाटा 29 राज्यों के बजट के संबंध में है।

तालिका 3.1 पिछले 10 वर्षों के दौरान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

Particulars (1)	(₹ करोड़)									
	2009-10 (2)	2010-11 (3)	2011-12 (4)	2012-13 (5)	2013-14 (6)	2014-15 (9)	2015-16 (7)	2016-17 (8)	2017-18 (9)	2018-19 (10)
प्रचालनत उद्यमों की संख्या	217	220	225	230	234	236	244	257	258	249
नियोजित पूंजी	908007	1153833	1337821	1508177	1710453	1833274	2037318	2138069	2321637	2569668
कुल सकल टर्न ओवर/राजस्व	1244805	1498018	1822049	1945814	2066057	1995176	1834635	1955675	2154774	2543370
कुल निवल आय/राजस्व	1272219	1470569	1804614	1931186	2056336	1965638	1764113	1821971	2031815	2440570
निवल मूल्य	652993	709498	776162	850921	926663	962518	1079953	1066885	1197647	1180287
पीबीडीआईआईटी अवमूल्यन, चूनीकरण और मूल्यहास	211184	216602	250654	255936	289361	270400	275457	299028	345725	391905
(डीआई/हानि)	51168	57118	63591	66109	69817	77500	67764	73739	81704	84934
विशेष मदों	9565	187	154	436	851	554	347	277	6703	2823
पीबीआईआईटी	160017	159298	186910	189390	218693	192346	207346	225012	257318	304150
व्याज	36060	26521	36152	38184	51638	44942	51449	47229	75920	87085
पीबीआईटी	123957	132777	150758	151207	167055	147412	155897	177784	181398	217065
विशेष मदों	-	(1479)	(3957)	(13525)	(14618)	(1335)	7766	(889)	(1920)	4020
पीबीआईटी	(8280)	(2695)	(428)	(1276)	(1550)	(1394)	(9553)	(34)	(894)	162
कर प्रावधान	132222	136951	147230	166008	183223	150141	157684	178707	184212	213207
कर प्रावधान	40018	44871	48985	51025	55178	47230	43653	53183	60422	70359
सतत प्रचालनों से कर परचात निवल लाभ/हानि	92203	92079	98245	114982	128045	102911	114031	125523	123791	142848
असतत प्रचालनों से कर परचात	-	49	1	(1)	250	(45)	208	(25)	40	103
समग्र निवल लाभ/हानि	92203	92129	98246	114981	128295	102866	114239	125498	123751	142951
लाभकारी सीपीएसई से लाभ	108434	113944	125929	143543	149636	130364	144991	152978	155931	174587
हानि उठ रही सीपीएसई से हानि	(16231)	(21816)	(27683)	(28562)	(21341)	(27498)	(30756)	(27480)	(32180)	(31635)
लाभकारी सीपीएसई की संख्या	157	158	161	151	164	159	164	175	183	178
हानि उठ रही सीपीएसई की संख्या	60	62	64	78	70	76	79	81	72	70
न लाभकारी न हानि उठ रही सीपीएसई की संख्या	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1
लाभार्थी	33223	35700	42627	49703	65115	56527	68583	78129	76014	71916

स्रोत : लोक उद्यम विभाग।

तालिका 4.1 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक: निधियों का मौसमी प्रवाह

		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		एच1	एच2	एच1	एच2	एच1	एच2	एच1	एच2	एच1	एच2	एच1	एच2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
कुल जमा में वृद्धि	375101	418903	766357	664010	159886	508507	373806	773916	332689	661031	694911		
आरबीआई से उधार में वृद्धि	-94166	168431	-198100	-12557	18720	233448	-94362	1072	-133210	238145	-164128		
अन्य उधारों में वृद्धि	15126	57980	-4124	21468	-7400	56788	9318	3227	-37225	-31590	-53222		
अन्य मांग और समय देनदारियों में वृद्धि	-4457	51297	-45890	5564	23288	71866	-56323	41101	-11235	71264	-52249		
अवशिष्ट (निवल)	19919	-142805	-12192	-61977	207411	-185447	245214	-33237	136648	-278224	61220		
कुल	311523	553807	506051	616507	401905	685162	477654	786080	287668	660627	486532		
उपयोग													
बैंक ऋण में वृद्धि	149471	563723	245253	346598	141972	641987	356239	790058	-2869	602007	-99280		
निवेश में वृद्धि	150061	-16378	231321	174133	294834	-7344	129533	-66930	311697	54596	691743		
अपने पास रोकड़ शेष में वृद्धि	5075	-991	4512	-590	20466	-21761	12441	2372	12104	280	341		
आरबीआई में शेष में वृद्धि	6916	7452	24964	96367	-55367	72280	-20559	60580	-33265	3744	-106272		
कुल	311523	553807	506051	616507	401905	685162	477654	786080	287668	660627	486532		

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी :

एच 1 - अप्रैल से सितंबर एच 2 - अक्टूबर से मार्च

@ इसमें आरबीआई, एक्विम बैंक नाबार्ड से उधार शामिल नहीं है।

1 कुल जमा के आंकड़े 1 अक्टूबर 2003 से रीसेट्टेड इंडिया बॉर्ड के 226.93 करोड़ रुपए के उम्मीदन को भी दर्शाते हैं। दिनांक 29 दिसम्बर 2005 को 319.59 बिलियन रुपये के भारतीय मिलिटियम जमा के उम्मीदन को भी दर्शाता है।

2. अवशिष्ट (निवल) निधियों के स्रोतों की तुलना में निधियों के उपयोग का शेष है और इसमें आरबीआई, एक्विम बैंक और नाबार्ड से उधार शामिल नहीं है।

3. ये आंकड़े अंतिम रिपोर्टिंग शुरूवार से संबंधित हैं।

4. पूर्णांकित किए जाने के कारण आंकड़े कुल में शामिल नहीं हो सकते।

तालिका 4.2 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक : चुनिंदा मदों में अंतर

(₹ करोड़)

Items	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	01 जनवरी 2021 को बकाया (अ)
	मार्च 22 से मार्च 21	मार्च 21 से मार्च 20	मार्च 20 से मार्च 18	मार्च 18 से मार्च 31	मार्च 31 से मार्च 30	मार्च 30 से मार्च 29	मार्च 29 से मार्च 27	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. मांग जमा	51622	80108	94967	392443	88843	141005	105716	1621564
2. समय जमा* @	903484	747617	699038	1037923	579550	1006717	888005	13105188
3. कुल जमा @	955106	827725	794005	1430366	668393	1147722	993720	14726753
4. आरबीआई से उधार	20026	116589	74265	-210657	252168	-93290	104935	77140
5. रोकड़ शेष और आरबी. आई में शेष	39456	64215	18452	125252	15618	54833	-17137	559783
6. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	207541	278557	134182	405815	287658	61595	359695	4479745
7. बैंक ऋण	733637	542325	713194	591851	783959	1146298	599138	10704649

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी:

(अ) : अनंतिम

* नए लेखाकरण मानकों की तर्ज पर संशोधित और मुद्रा आपूर्ति संबंधी कार्य दल द्वारा सुझाई गई प्राविधि के अनुरूप : विश्लेषण और संकलन की प्राविधि (जून 1998) 1998-99 के बाद से यह संशोधन वाणिज्यिक बैंकों में पेंशन तथा भविष्य निधियों के संबंध में है, जिन्हें अन्य मांग, और समय देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उन बैंकों को शामिल किया गया है, जिन्होंने अब तक ऐसे परिवर्तनों की सूचना दी है।

तालिका 4.3 : अन्य वाणिज्यिक बैंकों की कार्यशील की संख्या - बैंक समूहवार

मार्च की स्थिति के अनुसार सभी शाखाएं

	2016	2017	2018	2019	2019		
	कुल	कुल	कुल	कुल	Total	Rural	कुल में ग्रामीण शाखाओं की प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	89471	91426	90135	87842	87910	28938	32.9
2. विदेशी बैंक	312	281	284	299	308	15	4.9
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	20633	21116	21459	21592	21848	15346	70.2
4. निजी क्षेत्र के बैंक	116	79	90	90	91	13	14.3
5. स्थानीय क्षेत्र के बैंक	24891	27166	28783	32306	34798	7232	20.8
6. लघु वित्तीय बैंक		393	1569	3257	4306	770	17.9
7. भुगतान बैंक		3	151	800	765	37	4.8
कुल	135423	140464	142471	146186	150026	52351	34.9

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, मास्टर ऑफिस फाइल (एमओएफ) प्रणाली टिप्पणी:

1. आंकड़ों में प्रशासनिक कार्यालय से संबंधित आंकड़े शामिल हैं।
2. जनसंख्या का समूहों को निम्नवत परिभाषित किया गया है: ग्रामीण में 10,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं, "अर्धशहरी" में 10,000 तथा इससे अधिक किंतु 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं, शहरी में एक लाख तथा इससे अधिक किंतु दस लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं तथा 'महानगर' में 10 लाख और इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं। जनसंख्या संबंधी सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक (और इसकी पूर्व के सहयोगी बैंक और 1 अप्रैल, 2017 से पहले के भरतीय महिला बैंक) और राष्ट्रीयकृत बैंक, आईडीबीआई बैंक लि. शामिल हैं जिन्हें 21 जनवरी, 2019 से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और अब निजी क्षेत्र के बैंकों के रूप में शामिल हैं। देना बैंक और विजया बैंक का अब 01 अप्रैल, 2019 से बड़ौदा बैंक में विलय किया गया है।
4. बैंकिंग अवसंरचना की केंद्रीय सूचना प्रणाली (पूर्व की मास्टर ऑफिस फाइल प्रणाली) का 2019 का डेटाबेस, सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक।

तालिका 4.4 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम

Sectors	खातों की संख्या (हजार में)											बकाया राशि (करोड़ रुपए)				
	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2019	मार्च 2020	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2019	मार्च 2020	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2019	मार्च 2020	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1. कृषि	51363	52594	54846	57171	56662	902331	946850	961076	1012950	975766						
क. प्रत्यक्ष वित्तपोषण ^१	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na						
ख. अप्रत्यक्ष वित्तपोषण ^२	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na						
2. लघु उद्योग																
3. सूक्ष्म और लघु उद्यम	10592	11123	11026	11234	10850	733164	741958	755317	761080	747899						
4. औद्योगिक संपदा की स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5. लघु सड़क और जल परिवहन कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6. खुदरा व्यापार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7. छोटे-मोटे व्यवसाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8. पेशेवर और स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9. सूक्ष्म ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10. शिक्षा	2435	2384	2293	2136	2028	59306	60010	59563	59125	57523						
11. उपभोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12. अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए राज्य प्रायोजित निगम/संगठन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13. एससी/एसटी खरीद और निविदा की आपूर्ति तथा उत्पादन के विपणन हेतु राज्य प्रायोजित संगठन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14. आवास ऋण	4187	4221	4152	4361	4243	273835	294149	298721	361064	372044						
15. आरआरबी को प्रदत्त निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16. स्व-सहायता समूहों को अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17. सॉफ्टवेयर उद्योगों को अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18. खाद्य और कृषि प्रसंस्करण सेक्टर को अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19. उद्यम पूंजी में निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20. कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	69305	70806	72911	75359	74526	1981256	2043474	2199201	2377186	2360275						
21. एएनबीसीग ^३	-	-	-	-	-	5056594	5329716	5350290	5666226	5942735						
एएनबीसी के प्रति प्रतिशत																
1. कृषि	-	-	-	-	-	17.84	17.77	17.96	17.88	16.42						
ग. प्रत्यक्ष वित्तपोषण ^४	-	-	-	-	-	na	na	na	na	na						
घ. अप्रत्यक्ष वित्तपोषण ^५	-	-	-	-	-	na	na	na	na	na						

जारी...

तालिका 4.4 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम

Sectors	खातों की संख्या (हजार में)											बकाया राशि (करोड़ रुपए)				
	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2019	मार्च 2020	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2019	मार्च 2020	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2019	मार्च 2020	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. सूक्ष्म और लघु उद्यम	-	-	-	-	-	14.50	13.92	14.12	13.43	12.59	-	-	-	-	-	
4. औद्योगिक संपदा की स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. लघु सड़क और जल परिवहन कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. खुदरा व्यापार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. छोटे-मोटे व्यवसाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. पेशेवर और स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. सूक्ष्म ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. शिक्षा	-	-	-	-	-	1.17	1.13	1.11	1.04	0.97	-	-	-	-	-	
11. उपभोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए राज्य प्रायोजित निगम/संगठन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. एससी/एसटी खरीद और निविदा की आपूर्ति तथा उत्पादन के विपणन हेतु राज्य प्रायोजित संगठन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. आवास ऋण	-	-	-	-	-	5.42	5.52	5.58	6.37	6.26	-	-	-	-	-	
15. आरआरबी को प्रदत्त निधियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. स्व-सहायता समूहों को अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. सॉफ्टवेयर उद्योगों को अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. खाद्य और कृषि प्रसंस्करण सेक्टर को अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. उद्यम पूंजी में निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	-	-	-	-	-	39.18	38.34	41.10	41.95	39.72	-	-	-	-	-	

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक
 टिप्पणी: उन : उपलब्ध नहीं (क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में कृषि वित्त का वार्षिक वर्ष 2015-16 से वापस लिया गया है।)

क. विकास वित्तसाधन को छोड़कर वागवानी को अग्रिम शामिल नहीं है।

ख. एएनबीसी का अर्थ है समायोजित निवल बैंक ऋण।

तालिका 4.5 : रिपोर्टिंग बैंक कार्यालयों अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि तथा ऋण राशि का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिपोर्टिंग बैंक कार्यालयों की संख्या		जमा राशि (₹ करोड़)		ऋण (₹ करोड़)		सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशतांक हिस्सा
	मार्च	सितम्बर	मार्च	सितम्बर	मार्च	सितम्बर	
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	69	71	5838	6233	2379	2589	37
आन्ध्र प्रदेश	7110	7161	327947	358890	406130	431997	53
अरुणाचल प्रदेश	163	164	16608	18065	4269	4305	25
असम	2889	2919	166270	168384	70658	74491	45
बिहार	7296	7428	379678	388473	135547	143612	56
चंडीगढ़	401	396	72741	77280	78022	78710	16
छत्तीसगढ़	2756	2803	164662	168663	100131	98934	37
दादरा और नागर हवेली दमन और दीव	110	112	9834	10911	4468	3879	68
गोआ	678	676	74875	81856	19039	19539	60
गुजरात	8353	8438	763175	791087	545252	550107	43
हरियाणा	5039	5083	475763	516311	271492	267153	46
हिमाचल प्रदेश	1615	1632	104488	110869	31294	33470	45
जम्मू और कश्मीर	1744	1760	128004	135082	58716	64441	59
झारखंड	3089	3099	237685	243177	66845	70782	31
कर्नाटक	10484	10557	1075357	1124073	694273	705867	52
केरल	6585	6638	547651	586179	351908	358868	33
लदाख	68	70	4955	5365	1791	2003	53
लक्षद्वीप	13	13	1115	1250	97	97	40
मध्यप्रदेश	7052	7122	398794	426365	273967	285808	52
महाराष्ट्र	13114	13164	2754968	2845182	2826220	2721262	31
मणिपुर	201	206	10253	11281	5927	6180	29
मेघालय	356	358	23460	24672	8369	9032	25
मिजोरम	201	204	11313	12049	4085	4384	39
नागालैंड	173	177	12050	12657	4594	4731	24
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	3643	3637	1217650	1309827	1348639	1298695	11
उड़ीसा	5116	5155	338848	351212	134668	134331	46
पुडुचेरी	262	265	19838	21737	12841	13390	59
पंजाब	6516	6575	412864	437867	234204	239512	40
राजस्थान	7586	7685	427591	455395	334524	343406	59
सिक्किम	163	161	9984	11263	3156	3411	41
तमिलनाडु	11523	11640	900511	954242	965900	984639	46
तेलंगाना	5284	5347	499639	552423	510696	519037	28
त्रिपुरा	564	570	26496	27661	11250	11018	47
उत्तर प्रदेश	17539	17648	1155018	1202622	470818	482014	65
उत्तराखण्ड	2127	2148	149730	159140	54302	55823	51
पश्चिम बंगाल	9022	9070	824494	873042	403092	404510	39
अखिल भारत	148904	150152	13750146	14480784	10449562	10432025	37

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि और ऋण से संबंधित तिमाही आंकड़े आधारित सांख्यिकी रिटर्न (बीएसआर)-7

टिप्पणियां: उन : उपलब्ध नहीं

अ.वा.ब. - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

स.स.ब. - सरकारी क्षेत्र के बैंक

1. रिपोर्टिंग बैंक कार्यालयों की संख्या उन शाखाओं/कार्यालयों की संख्या जिन्होंने बीएसआर-7 से आंकड़ों की रिपोर्ट दी है, दर्शाए गए हैं।

2. आंकड़े एमओएफ प्रणाली में उपलब्ध भौगोलिक सीमाओं के अनुसार हैं।

तालिका 5.1 : शोक मूल्यों के सूचकांक

	प्राथमिक वस्तुएं			विजली			विनिर्मित उत्पाद				समस्त वस्तुएं		
	जोड़	खाद्य वस्तुएं	खाद्य-भित्त वस्तुएं	ईंधन, विद्युत खनिज	जोड़	स्तेहक	जोड़	खाद्य उत्पाद	वस्त्र	रसायन और रासायनिक उत्पाद	दुनियादी धातु, मिश्र धातु, तथा धातु उत्पाद	मशीनरी और मशीन औजार	समस्त वस्तुएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
भारत-आधार वर्ष : (2011-12=100)	22.6	15.3	3.5	4.1	0.8	13.2	64.2	9.1	4.9	6.5	9.6	4.8	100.0
अंतिम माह (2011-12 = 100)													
2012-13	115	114	120	120	122	110	106	109	107	110	103	105	108.6
2013-14	121	123	127	118	115	119	111	116	114	116	105	108	114.3
2014-15	120	129	129	112	112	92	110	113	110	114	100	109	109.9
2015-16	123	133	141	117	116	77	109	117	109	111	89	109	107.7
2016-17	127	138	147	122	115	94	112	127	113	112	96	108	113.2
2017-18	128	137	141	120	138	98	116	128	114	116	110	110	116.3
2018-19	135	145	153	124	138	103	118	128	119	120	111	112	119.9
2019-20	137	151	160	125	157	100	119	137	117	116	106	113	120.4
महीनों का औसत (2011-12 = 100)													
2012-13	111	111	115	113	118	107	105	109	104	108	105	104	106.9
2013-14	122	125	125	118	114	115	109	114	112	113	103	106	112.5
2014-15	125	132	128	115	119	108	111	116	113	116	104	108	113.9
2015-16	125	135	137	118	106	87	109	115	109	113	92	109	109.7
2016-17	129	140	152	122	113	86	111	125	111	111	91	108	111.6
2017-18	131	143	143	120	123	93	114	127	113	113	101	109	114.9
2018-19	134	144	147	123	137	104	118	129	118	119	112	111	119.8
2019-20	143	156	160	129	155	102	118	134	118	118	106	113	121.8
2018-19													
अप्रैल	131	140	140	120	140	99	116	128	115	116	110	110	117.3
मई	131	140	141	120	130	102	117	127	116	117	112	110	118.3
जून	133	142	141	123	123	104	117	129	116	118	113	111	119.1
जुलाई	135	145	143	124	135	104	118	129	118	118	112	111	119.9
अगस्त	135	145	145	124	129	105	118	130	118	119	112	111	120.1

तालिका 5.1 : शोक मूल्यों के सूचकांक

	प्राथमिक वस्तुएं			विजली			विनिर्मित उत्पाद					समस्त वस्तुएं		
	जोड़	खाद्य वस्तुएं	खाद्य- भिन्न वस्तुएं	खाद्य- भिन्न वस्तुएं	ईंधन, विद्युत खनिज	स्नेहक	जोड़	खाद्य उत्पाद	वस्त्र	रसायन और रासायनिक उत्पाद	दुनियादी धातु, मिश्र धातु, तथा धातु उत्पाद		मशीनरी और मशीन औजार	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
भारत-आधार वर्ष : (2011-12=100)	22.6	15.3	3.5	4.1	0.8	13.2	64.2	9.1	4.9	6.5	9.6	4.8	100.0	
सितम्बर	136	145	145	124	130	108	118	130	119	120	114	112	120.9	
अक्टूबर	137	146	147	123	140	111	119	130	119	121	115	112	122.0	
नवम्बर	137	146	149	125	151	109	119	129	119	121	114	112	121.6	
दिसम्बर	134	144	150	124	139	103	118	128	119	120	112	112	119.7	
जनवरी	134	144	152	123	137	99	118	128	119	120	110	112	119.2	
फरवरी	134	144	154	123	144	101	118	129	119	120	111	112	119.5	
मार्च	135	145	153	124	138	103	118	128	119	120	111	112	119.9	
2019-20														
अप्रैल	139	149	154	128	158	103	119	129	119	120	111	113	121.1	
मई	140	151	154	128	153	104	119	130	120	120	110	113	121.6	
जून	141	152	155	129	153	102	119	131	119	119	109	113	121.5	
जुलाई	143	154	158	129	164	101	118	131	119	118	107	113	121.3	
अगस्त	144	156	159	130	158	101	118	133	118	118	105	114	121.5	
सितम्बर	143	155	160	127	155	101	118	134	118	118	104	114	121.3	
अक्टूबर	146	160	161	126	154	102	118	135	117	117	103	113	122.0	
नवम्बर	147	163	163	127	143	101	118	135	117	117	103	113	122.3	
दिसम्बर	149	163	164	134	148	103	118	137	116	116	104	113	123.0	
जनवरी	147	161	165	132	154	105	119	138	116	116	107	113	123.4	
फरवरी	143	155	163	132	157	104	119	137	117	116	107	113	122.2	
मार्च	137	151	160	125	157	100	119	137	117	116	106	113	120.4	
2020-21														
अप्रैल	138	155	162	124	154	90	119	136	117	115	107	113	119.2	
मई	137	153	162	123	151	80	118	136	115	116	103	113	117.5	
जून	141	155	162	125	166	86	119	138	114	116	104	113	119.3	

जारी...

तालिका 5.1 : शोक मूल्यों के सूचकांक

(जारी....)

	प्राथमिक वस्तुएं			विजली			विनिर्मित उत्पाद					समस्त वस्तुएं	
	जोड़	खाद्य वस्तुएं	जोड़	खाद्य- मिश्र वस्तुएं	ईंधन, विद्युत खनिज	स्नेहक	जोड़	खाद्य उत्पाद	वस्त्र	रसायन और रासायनिक उत्पाद	दुनियादी धातु, मिश्र धातु तथा धातु उत्पाद		मशीनरी और मशीन औजार
भारत-आधार वर्ष : (2011-12=100)	22.6	15.3	3.5	4.1	0.8	13.2	64.2	9.1	4.9	6.5	9.6	4.8	100.0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
जुलाई	145	161	161	124	167	91	119	138	113	116	104	113	121.0
अगस्त	147	163	160	126	168	92	119	140	113	116	107	114	122.0
सितम्बर	149	168	159	125	146	92	120	141	114	116	108	114	122.9
अक्टूबर	152	172	158	130	153	91	120	141	115	117	109	114	123.6
नवम्बर (पी)	151	169	159	138	146	91	121	142	116	118	111	114	124.2
दिसम्बर (पी)	147	161	158	138	153	94	123	144	118	119	116	115	124.5

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

टिप्पणी:

पी: अर्निम

तालिका 5.2 : शोक मूल्यों के सूचकांक-चुनिन्दा वस्तुएं और वस्तु समूह

धान	गेहूँ	दालें	चाय	कपास	कच्चा जूट	मूंगफली के दाने	कोयला	खनिज तेल	चीनी गुड और शर्करा	वनस्पति और जाल्फ तेल	सूती धागा	कॉटन कपड़ा	जूट का टट	उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	सीमेंट, चूना एवं प्लास्टर	लोहा, इस्पात एवं लौह मिश्र वस्तुएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
भांश-आधार: (2011-12=100)	1.43	1.03	0.64	0.12	0.66	0.05	0.27	2.14	7.95	1.16	2.64	1.34	0.95	0.32	1.48	1.64	6.55
अंतिम माह (आधार: 2011-12=100)																	
2012-13	119	123	115	141	100	124	121	103	116	112	100	109	106	107	116	105	102
2013-14	133	128	115	113	107	125	99	107	128	109	107	120	112	108	118	108	104
2014-15	132	126	131	103	84	142	115	107	82	98	99	108	114	121	120	112	97
2015-16	135	134	167	121	86	226	129	106	58	110	100	105	112	153	121	109	84
2016-17	148	143	154	133	114	188	138	116	84	133	108	114	114	147	117	109	91
2017-18	153	141	122	120	103	166	114	123	89	115	117	113	118	145	119	113.6	109
2018-19	157	156	135	133	117	203	127	124	95	112	114	117	124	155	123	117	109
2019-20	159	163	151	106	107	210	150	127	87	119	127	112	124	162	123	119	104
सहनों का औसत (आधार: 2011-12=100)																	
2012-13	113	115	120	132	95	110	121	102	111	112	106	105	103	103	114	108	105
2013-14	129	125	115	131	109	121	108	105	122	109	104	117	110	106	117	106	102
2014-15	137	123	122	118	96	133	107	107	109	108	102	115	115	113	119	111	102
2015-16	135	128	164	121	90	182	128	107	74	99	99	107	113	137	121	110	87
2016-17	144	142	193	140	107	208	138	109	73	125	107	110	114	151	119	111	86
2017-18	149	139	141	131	108	160	123	119	83	128	109	113	117	144	117	114	98
2018-19	155	149	127	141	117	182	118	123	97	111	118	117	123	149	121	114	112
2019-20	161	159	148	134	116	201	143	125	92	118	119	115	125	157	123	120	103
2018-19																	
अप्रैल	153	141	121	141	103	166	110	123	90	109	119	113	120	146	118	115	110
मई	154	142	120	137	105	166	108	123	94	104	120	114	121	146	119	114	112
जून	154	143	118	137	117	167	110	123	97	111	121	115	120	146	119	114	113
जुलाई	155	145	121	138	122	170	112	123	98	114	120	117	123	147	119	114	112
अगस्त	156	149	125	142	123	173	120	123	98	114	119	118	122	147	120	113	111
सितम्बर	156	150	123	148	121	182	118	123	102	112	119	118	122	147	121	113	115
अक्टूबर	156	151	126	145	121	183	119	123	108	113	119	117	124	147	122	113	115
नवम्बर	156	152	131	149	123	185	125	123	106	113	116	118	124	148	123	113	114

जारी...

तालिका 5.2 : थोक मूल्यों के सूचकांक-चुनिन्दा वस्तुएं और वस्तु समूह (जारी...)

धान	गेहूँ	दालें	चाय	कपास	कच्चा जूट	मूंगफली के दाने	कोयला	खनिज तेल	चीनी गुड और शर्करा	वनस्पति और जनावर तेल	सूती धागा	काँटन कपड़ा	जूट का टट	उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	सीमेंट, चूना एवं प्लास्टर मिश्र वस्तुएं	लोहा, इस्पात एवं लौह	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
भारत-आधार: (2011-12=100)																	
दिसम्बर	156	153	136	149	119	189	123	123	94	110	114	124	150	124	113	111	
जनवरी	156	155	137	139	116	199	124	124	88	111	115	124	151	123	115	108	
फरवरी	157	157	138	133	113	201	125	124	91	112	116	124	155	123	118	109	
मार्च	157	156	135	133	117	203	127	124	95	112	114	124	155	123	117	109	
2019-20																	
अप्रैल	157	152	138	153	125	197	130	124	95	113	114	125	157	123	120	108	
मई	158	151	142	151	125	200	135	124	97	117	113	126	156	123	123	108	
जून	158	151	145	148	125	197	140	124	94	117	112	126	155	123	122	106	
जुलाई	160	153	145	140	123	191	147	124	91	117	112	126	154	124	120	103	
अगस्त	161	157	145	137	121	191	150	124	91	119	114	125	153	123	119	100	
सितम्बर	162	158	145	136	118	195	150	125	91	120	116	125	153	123	120	100	
अक्टूबर	163	160	146	138	114	199	149	127	93	120	117	125	154	123	118	99	
नवम्बर	162	165	153	134	110	204	141	127	91	120	119	125	157	123	119	99	
दिसम्बर	162	166	154	132	109	203	137	127	91	119	126	123	158	124	118	99	
जनवरी	162	169	154	123	109	207	139	127	94	120	132	124	160	123	118	103	
फरवरी	162	167	153	113	108	212	143	127	92	119	129	125	162	122	119	104	
मार्च	159	163	151	106	107	210	150	127	87	119	127	124	162	123	119	104	
2020-21																	
अप्रैल	163	161	158	111	107	209	156	127	71	118	126	125	165	123	123	105	
मई	163	162	160	148	104	211	158	126	58	117	126	124	168	124	124	100	
जून	166	159	159	161	106	207	159	126	69	119	129	122	165	123	122	101	
जुलाई	166	157	159	203	106	208	157	126	77	121	130	118	166	123	122	100	
अगस्त	165	154	159	245	92	214	154	126	78	120	134	120	167	124	120	103	
सितम्बर	165	150	164	263	95	231	146	126	78	120	137	120	168	123	120	106	
अक्टूबर	164	147	170	222	100	239	145	126	76	119	141	121	172	123	119	106	

जारी...

तालिका 5.2 : शोक मूल्यों के सूचकांक-चुनिन्दा वस्तुएं और वस्तु समूह

धात	गेहूँ	दालें	चाय	कपास	कच्चा जूट	मृगफली के दाने	कोयला	खनिज तेल	चीनी गुड और शर्करा	वनस्पति और जलाने तेल	सूती धागा	कॉटन कपड़ा	जूट का टट	उर्बक और नाइट्रोजन यौगिक	सीमेंट, चूना एवं प्लास्टर	लोहा, इस्पात एवं लौह मिश्र वस्तुएं	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
भारत-आधार: (2011-12=100)	1.43	1.03	0.64	0.12	0.66	0.05	0.27	2.14	7.95	1.16	2.64	1.34	0.95	0.32	1.48	1.64	6.55
नवम्बर (पी)	163	148	173	213	105	253	146	127	77	119	147	113	121	174	123	120	108
दिसम्बर (पी)	162	147	169	174	108	253	149	127	81	119	154	114	122	178	124	120	114

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

टिप्पणी:

पी : अंतिम

क: लोहे एवं अर्ध-धातुएं, इस्पात लॉग, इस्पात फ्लैट, स्टेनलेस और लौहमिश्रित वस्तुओं के लिए आधार 2004-05 है तथा इस्पात निर्माण, शक्ति आयन, मुटु इस्पात-अर्ध तैयार इस्पात, मुटु इस्पात लॉग उत्पाद, मुटु इस्पात भलेट उत्पाद, धातु मिश्रित इस्पात (स्टेनलेस स्टील शेप्स को छोड़ कर) तथा स्टेनलेस इस्पात अर्ध तैयार वस्तुओं के लिए आधार वर्ष 2011-12 है।

तालिका 5.3 : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार	औद्योगिक कामगार (सीपीआई-आई डब्ल्यू)			नई श्रेणियां (सीपीआई-एनएस)			कृषि श्रमिक (सीपीआई-एएल)	ग्रामीण श्रमिक (सीपीआई-एएल)
	(2001=100)			(2010=100 & 2012=100)			(1986-87=100)	(1986-87=100)
विवरण	खाद्य	गैर. खाद्य	सामान्य	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	सामान्य	सामान्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
महीनों का औसत								
2011-12	206	185	195	113.1	110.4	111.9	611	611
2012-13	230	202	215	124.5	121.8	123.3	672	673
2013-14	259	216	236	112.6	111.8	112.2	750	751
2014-15	276	230	251	119.5	118.1	118.9	800	802
2015-16	293	241	265	126.1	123.0	124.7	835	839
2016-17	305	251	276	132.4	127.9	130.3	870	875
2017-18	310	263	284	137.2	132.5	135.0	889	895
2018-19	312	290	300	141.3	137.7	139.6	907	915
2019-20	335	312	323	147.3	145.1	146.3	980	986
निम्नलिखित वर्ष के अंतिम महीने								
2011-12	212	192	201	116.2	114.6	115.5	625	626
2012-13	240	210	224	128.3	126.5	127.5	704	705
2013-14	258	223	239	114.6	113.7	114.2	763	765
2014-15	276	235	254	121.1	119.1	120.2	803	807
2015-16	293	247	268	128.0	123.8	126.0	843	848
2016-17	298	255	275	132.8	128.7	130.9	866	872
2017-18	303	273	287	138.7	134.0	136.5	887	894
2018-19	315	304	309	141.2	139.5	140.4	924	932
2019-20	336	317	326	149.8	147.3	148.6	1007	1013
2018-19								
अप्रैल	305	273	288	139.1	134.8	137.1	888	896
मई	307	274	289	139.8	135.4	137.8	891	899
जून	311	274	291	140.5	136.2	138.5	894	902
जुलाई	314	290	301	141.8	137.5	139.8	902	910
अगस्त	314	290	301	142.5	138	140.4	907	915
सितम्बर	312	292	301	142.1	138.1	140.2	910	917
अक्टूबर	314	292	302	142.2	138.9	140.7	913	920
नवम्बर	314	292	302	142.4	139	140.8	914	921
दिसम्बर	311	292	301	141.9	138	140.1	913	921
जनवरी	311	304	307	141.0	138	139.6	915	923
फरवरी	312	303	307	141.0	138.6	139.9	917	925
मार्च	315	304	309	141.2	139.5	140.4	924	932

तालिका 5.3 : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जारी...)								
आधार	औद्योगिक कामगार (सीपीआई-आई डब्ल्यू)			नई श्रेणियां (सीपीआई-एनएस)			कृषि श्रमिक (सीपीआई-एएल)	ग्रामीण श्रमिक (सीपीआई-एएल)
	(2001=100)			(2010=100 & 2012=100)			(1986-87=100)	(1986-87=100)
विवरण	खाद्य	गैर.खाद्य	सामान्य	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	सामान्य	सामान्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2019-20								
अप्रैल	320	305	312	141.7	140.6	141.2	932	939
मई	323	306	314	142.4	141.5	142.0	940	948
जून	328	306	316	143.6	142.1	142.9	950	957
जुलाई	329	310	319	144.9	143.3	144.2	958	965
अगस्त	330	311	320	145.7	144.2	145.0	965	972
सितम्बर	334	312	322	146.7	144.7	145.8	976	983
अक्टूबर	341	311	325	148.3	146.0	147.2	987	993
नवम्बर	345	313	328	149.9	147.0	148.6	1000	1006
दिसम्बर	349	314	330	152.3	148.3	150.4	1014	1019
जनवरी	344	318	330	151.9	148.2	150.2	1016	1021
फरवरी	338	319	328	150.4	147.7	149.1	1010	1016
मार्च	336	317	326	149.8	147.3	148.6	1007	1013
2020-21								
अप्रैल	341	319	329	151.9	150.9	151.4	1014	1019
मई	342	320	330	151.2	150.6	150.9	1019	1025
जून	346	320	332	152.7	150.8	151.8	1018	1024
जुलाई	350	324	336	154.7	152.9	153.9	1021	1028
अगस्त	352	326	338	155.4	154.0	154.7	1026	1033
सितम्बर	119.7	117.1	118.1	157.5	155.2	156.4	1037	1043
अक्टूबर	123.0	117.2	119.5	159.8	156.7	158.4	1052	1057
नवम्बर	123.6	117.5	119.9	160.7	156.9	158.9	1060	1065
दिसम्बर (पी)	-	-	-	158.5(पी)	156.0(पी)	157.3(पी)	-	-

स्रोत :

1. औद्योगिक कामगारों (आई.डब्ल्यू.) कृषि श्रमिकों (ए.एल.) और ग्रामीण श्रमिकों (आर.एल.) के लिए श्रम व्यूरो के उपभोक्ता कीमत सूचकांक।
2. उपभोक्ता कीमत सूचकांक के लिए एन.एस.ओ.-नई श्रृंखला (सी.पी.आई.-एच.एस.)

नोट :

पी: अनंतिम

1. खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक कामगार (सीपीआई-आईडब्ल्यू) का भारांश आधार वर्ष 2016=100 के क्रमशः 39.17% तथा 60.83% और आधार वर्ष 2001=100 के साथ क्रमशः 46.20% तथा 53.80% है।
2. आधार 2010=100 सहित सीपीआई-नई श्रृंखला (ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त) जनवरी 2011 से आरम्भ की गई थी। सीपीआई-यूएनएमई अब पूरी तरह से समाप्त हो गयी है।
3. वर्ष 2013-14, के सीपीआई-नई श्रृंखला के आंकड़े 2012=100 नए आधार पर आधारित है।

तालिका 5.4 : थोक मूल्यों के सूचकांक-विनिर्मित उत्पादों और कृषि उत्पादों की सापेक्ष कीमतें

वर्ष/माह	थोक मूल्यों का सामान्य सूचकांक	विनिर्मित उत्पादों का मूल्य सूचकांक	कृषि उत्पादों का मूल्य सूचकांक*	कृषि मूल्य सूचकांक के प्रतिशत के रूप में विनिर्मित उत्पादों का मूल्य सूचकांक
भारांश (आधार: 2011-12)	100.00	64.23	19.37	(Col.3/Col.4)*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(आधार : 2011-12 = 100)				
2012-13	106.9	105.3	111.4	94.5
2013-14	112.5	108.5	123.2	88.1
2014-15	113.9	111.2	128.0	86.9
2015-16	109.7	109.2	131.4	83.1
2016-17	111.6	110.7	136.5	81.2
2017-18	114.9	113.8	138.2	82.4
2018-19	119.8	117.9	139.3	84.6
2019-20	121.8	118.3	150.0	78.9
2018-19				
अप्रैल	117.3	116.3	135.7	85.7
मई	118.3	116.9	136.0	85.9
जून	119.1	117.3	137.7	85.2
जुलाई	119.9	117.7	140.3	83.9
अगस्त	120.1	117.8	140.4	83.9
सितम्बर	120.9	118.4	140.1	84.5
अक्तूबर	122.0	118.9	141.1	84.3
नवम्बर	121.6	118.8	141.6	83.9
दिसम्बर	119.7	118.3	139.4	84.8
जनवरी	119.2	118.1	139.8	84.5
फरवरी	119.5	118.2	139.3	84.8
मार्च	119.9	118.3	140.1	84.5
2019-20				
अप्रैल	121.1	118.5	144.3	82.1
मई	121.6	118.6	145.7	81.4
जून	121.5	118.5	147.2	80.5
जुलाई	121.3	118.0	148.9	79.3
अगस्त	121.5	117.8	150.5	78.3
सितम्बर	121.3	117.9	149.3	79.0
अक्तूबर	122.0	117.8	153.0	77.0
नवम्बर	122.3	117.8	155.0	76.0
दिसम्बर	123.0	118.0	156.5	75.4
जनवरी	123.4	118.8	154.5	76.9
फरवरी	122.2	118.8	149.8	79.3
मार्च	120.4	118.6	145.6	81.5
2020-21				
अप्रैल	119.2	118.7	148.0	80.2
मई	117.5	118.2	146.6	80.6
जून	119.3	118.6	149.0	79.6
जुलाई	121.0	118.7	153.3	77.4
अगस्त	122.0	119.4	155.0	77.0
सितम्बर	122.9	120.1	159.1	75.5
अक्तूबर	123.6	120.4	162.6	74.0
नवम्बर (पी)	124.2	121.3	162.3	74.7
दिसम्बर (पी)	124.5	123.0	156.0	78.8

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

टिप्पणी: पी : अर्न्तम

क : उप समूहों (खाद्य वस्तुओं तथा खाद्य-भिन्न वस्तुओं) का संयुक्त सूचकांक

जारी...

तालिका 5.5 : फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य/खरीद मूल्य

Commodities	(फसल वर्ष के आधार पर) (₹/क्विंटल)																			
	2002-03 ^b	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
धान (सामान्य)	550	550	560	570	580 ^b	745 ^b /850~	900 ^b	1000 ^b	1000	1080	1250	1310	1360	1410	1470	1550	1750	1815	1868	
धान (ग्रेड 'ए')	580	580	590	600	610 ^b	775 ^b /880~	930 ^b	1030 ^b	1030	1110	1280	1345	1400	1450	1510	1590	1770	1835	1888	
गेहूँ	630	630	640	700 ^h	850 ^h	1000	1080	1100	1170 ^h	1285	1350	1400	1450	1525	1625	1735	1840	1925	1975	
ज्वार (संकर)	490	505	515	525	540	600	840	840	880	980	1500	1500	1530	1570	1625	1700	2430	2550	2620	
ज्वार (मलडांडी)	555	620	860	860	900	1000	1520	1520	1550	1590	1650	1725	2450	2570	2640	
बाजरा	495	505	515	525	540	600	840	840	880	980	1175	1250	1250	1275	1330	1425	1950	2000	2150	
रागी	490	505	515	525	540	600	915	915	965	1050	1500	1500	1550	1650	1725	1900	2897	3150	3295	
मक्का	490	505	525	540	540	620	840	840	880	980	1175	1310	1310	1325	1365	1425	1700	1760	1850	
जौ	505	525	540	550	565	650	680	750	780	980	980	1100	1150	1225	1325	1410	1440	1525	1600	
चना	1225	1400	1425	1435	1445	1600	1730	1760	2100	2800	3000	3100	3175	3500 ⁱ	4000 ⁱ	4400 ^k	4620	4875	5100	
मसूर	1325	1500	1525	1535	1545	1700	1870	1870	2250	2800	2900	2950	3075	3400 ⁱ	3950 ^k	4250 ^o	4475	4800	5100	
अरहर	1325	1360	1390	1400	1410	1590 ^e	2000	2300	3000 ⁱ	3200 ⁱ	3850	4300	4350	4625 ⁱ	5050 ^m	5450 ⁱ	5675	5800	6000	
मूंग	1335	1370	1410	1520	1520	1740 ^e	2520	2760	3170 ⁱ	3500 ⁱ	4400	4500	4600	4850 ⁱ	5225 ^m	5575 ⁱ	6975	7050	7196	
रुड़द	1335	1370	1410	1520	1520	1740 ^e	2520	2900 ⁱ	3300 ⁱ	3300 ⁱ	4300	4300	4350	4625 ⁱ	5000 ^m	5400 ⁱ	5600	5700	6000	
काँटन (मीडीयम स्टेपल आई)	1695 [#]	1725 [#]	1760 [#]	1760 [#]	1770 ^d	1800 ^d	2500	2500	2500	2800	3600	3700	3750	3800	3860	4020	5150	5255	5515	
काँटन (लांग स्टेपल जे)	1895 ^{##}	1925 ^{##}	1960 ^{##}	1980 ^{##}	1990 ^e	2030 ^e	3000	3000	3000	3300	3900	4000	4050	4100	4160	4320	5450	5550	5825	
मूंगफली	1375	1400	1500	1520	1520	1550	2100	2100	2300	2700	3700	4000	4000	4030	4220 ⁿ	4450 ⁱ	4890	5090	5275	
जूट	850	860	890	910	1000	1055	1250	1375	1575	1675	2200	2300	2400	2700	3200	3500	3700	3950	4425	
रेपसीड/सरसों	1340	1600	1700	1715	1715	1800	1830	1830	1850	2500	3000	3050	3100	3350	3700 ⁿ	4000 ⁿ	4200	4425	4650	
सूरजमुखी	1210	1250	1340	1500	1500	1510	2215	2215	2350	2800	3700	3700	3750	3800	3950 ⁿ	4100 ⁿ	5388	5650	5885	
सोयाबीन (काला)	805	840	900	900	900	910	1350	1350	1400	1650	2200	2500	2500	
सोयाबीन (पीला)	895	930	1000	1010	1020	1050	1390	1390	1440	1690	2240	2560	2560	2600	2775 ⁿ	3050 ⁱ	3399	3710	3880	
कुसुम	1305	1500	1550	1565	1565	1650	1650	1680	1800	2500	2800	3000	3050	3300	3700 ⁿ	4100 ⁿ	4945	5215	5327	

जारी...

तालिका 5.5 : फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य/खरीद मूल्य

Commodities	(फसल वर्ष के आधार पर) (₹/क्विंटल)																			
	2002-03 ^a	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
तौरिया	1305	1565	1665	1680	1680	1735	1735	1735	1780	2425	2970	3020	3020	3290	3560	3900 ^b	4190	4425	4650	
नारियल गिरी (मिलिंग)	3300	3320	3500	3570	3590	3620	3660	4450	4450	4525	5100	5250	5250	5550	5950	6500	7511	9521	9960	
नारियल गिरी बाल्स	3550	3570	3750	3820	3840	3870	3910	4700	4700	4775	5350	5500	5500	5830	6240	6785	7750	9920	10300	
तिल	1455	1485	1500	1550	1560	1580	2750	2850	2900	3400	4200	4500	4600	4700	5000 ^c	5300 ^b	6249	6485	6855	
तिल्ली बीज	1120	1155	1180	1200	1220	1240	2405	2405	2450	2900	3500	3500	3600	3650	3825 ^b	4050 ^b	5877	5940	6695	

स्रोत: कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

टिप्पणी:

क: वर्ष 2002-03 के लिए घोषित विशेष सूखे सहत संबंधी वनटाइम ग्राहस (एस.डी.आर.) सहित।

ख: 10 जनवरी, 2006 से 31 मार्च, 2007 के बीच अधिप्रति पर 40 ₹. प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस देय था।

ग: 40 ₹. प्रति क्विंटल बोनस सहित।

घ: 24.5 एम.एस. और माइक्रोनियर वैल्यू 3.8-4.8 वाला मिडियम स्टेपल यह मूलभूत स्टेपल लंबाई (2.5% स्पैन) के तकनीकी मानदंड सहित कपास के एफ.-414/एच.-777/जे.-34 के क्रिम से संबंधित होता है।

ङ: लॉग स्टेपल (यह 28.0 एम.एस. और माइक्रोनियर वैल्यू 3.6-4.5 वाली मूलभूत स्टेपल लंबाई (2.5% स्पैन) के तकनीकी मानदंड सहित कपास के एच.-4/एच.6 के क्रिम से संबंधित होता है)।

च: 29.5-30.5 की स्टेपल लंबाई (एम.एस.) और 3.5-4.3 माइक्रोनियर वैल्यू।

छ: 50₹. प्रति क्विंटल प्रोत्साहन बोनस सहित

ज: 75₹. प्रति क्विंटल बोनस सहित

झ: 15₹. प्रति क्विंटल बोनस सहित

ञ: 150 ₹. प्रति क्विंटल बोनस सहित

ट: दो महीनों की उपज/पर्यापण अवधि के दौरान अधिप्रति एजेंसियों को गिक्री को गई बू. उड़द और मूंग के 500₹. प्रति क्विंटल की दर पर अतिरिक्त प्रोत्साहन देय था।

* 425 ₹. प्रति क्विंटल बोनस सहित

चीनी की फसल के अनुसार

कपास (एफ.-414/एच.-777/जे.-34)

कपास (एच.-4)

~ 12.06.2008 से

तालिका 6.1 (क) : विदेशी मुद्रा भण्डार

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष के अंत में	Reserves						अंशुको के साथ लेन-देन			
	सोना		आरटीपी	एस.डी.आर.		विदेशी मुद्रा आस्तियां	जोड़	आहरण	पुनः खरीद ^१	बकाया पुनः खरीद की बाध्यताएं
	टन	₹ करोड़	₹ करोड़	एसडीआर मिलियन में	₹ करोड़	₹ करोड़	₹ करोड़ (3+4+6+7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1950-51	220	40	911	951	48
1951-52	220	40	747	787	48
1952-53	220	40	763	803	48
1953-54	220	40	792	832	...	17	30
1954-55	220	40	774	814	...	17	13
1955-56	220	40	785	825	...	7	6
1956-57	220	118	563	681	61	6	61
1957-58	220	118	303	421	35	...	95
1958-59	220	118	261	379	95
1959-60	220	118	245	363	...	24	71
1960-61	220	118	186	304	...	11	61
1961-62	220	118	180	298	119	61	119
1962-63	220	118	177	295	12	...	131
1963-64	220	118	188	306	...	24	107
1964-65	250	134	116	250	48	48	107
1965-66	216	116	182	298	65	36	137
1966-67	216	183	296	479	89	43	313
1967-68	216	183	356	539	68	43	338
1968-69	216	183	394	577	...	59	279
1969-70	217	183	...	123	92	546	821	...	125	154
1970-71	216	183	...	149	112	438	733	...	154	...
1971-72	216	183	...	248	194	480	857
1972-73	216	183	...	247	226	479	888
1973-74	216	183	...	245	230	581	994	62	...	59
1974-75	216	183	...	235	229	610	1022	485	...	557
1975-76	216	183	...	203	211	1492	1886	207	...	804
1976-77	223	188	...	187	192	2863	3243	...	303	492
1977-78	229	193	...	162	170	4500	4863	...	249	210
1978-79	260	220	...	365	381	5220	5821	...	207	...
1979-80	266	225	...	529	545	5164	5934	...	55 ^२	...
1980-81	267	226	...	491	497	4822	5545	274 ^२	5 ^२	268
1981-82	267	226	...	425	444	3355	4025	637 ^२	...	901
1982-83	267	226	...	270	291	4265	4782	1893 ^२	...	2867
1983-84	267	226	...	216	248	5498	5972	1414 ^२	72 ^२	4444

जारी...

तालिका 6.1 (क) : विदेशी मुद्रा भण्डार

(जारी...)

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष के अंत में	Reserves						अंशुको के साथ लेन-देन			
	सोना		आरटीपी	एस.डी.आर.		विदेशी मुद्रा आस्तियां	जोड़	आहरण	पुनः खरीद ^१	बकाया पुनः खरीद की बाध्यताएं
	टन	₹ करोड़	₹ करोड़	एसडीआर मिलियन में	₹ करोड़	₹ करोड़	₹ करोड़ (3+4+6+7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1984-85	291	246	...	147	181	6817	7243	219 ^३	156 ^१	4888
1985-86	325	274	...	115	161	7384	7819	...	253 ^३	5285
1986-87	325	274	...	139	232	7645	8151	...	672 ^३	5548
1987-88	325	274	...	70	125	7287	7686	...	1209 ^३	4732
1988-89	325	274	...	80	161	6605	7040	...	1547 ^३	3696
1989-90	333	281	...	82	184	5787	6252	3334 ^३	1460 ^३	2572
1990-91	333	6828	...	76	200	4388	11416	3205 ^३	1156 ^३	5132
1991-92	351	9039	...	66	233	14578	23850	4231	1127 ^३	8934
1992-93	354	10549	...	13	55	20140	30744	1007	868 ^३	14986
1993-94	367	12794	...	77	339	47287	60420	...	420 ^३	15812
1994-95	396	13752	...	5	23	66005	79780	...	3585 ^३	13545
1995-96	398	15658	...	56	280	58446	74384	...	5749 ^३	8152
1996-97	398	14557	...	1	7	80368	94932	...	3461 ^३	4714
1997-98	396	13394	...	1	4	102507	115905	...	2286 ^३	2624
1998-99	357	12559	...	6	34	125412	138005	...	1652 ^३	1220
1999-2000	358	12973	...	3	16	152924	165913
2000-01	358	12711	...	2	11	184482	197204
2001-02	358	14868	...	8	50	249118	264036
2002-03	358	16785	3190	3	19	341476	361470
2003-04	358	18216	5688	2	10	466215	490129	...	2598.2	...
2004-05	358	19686	6289	3	20	593121	619116	...	414.9	...
2005-06	358	25674	3374	2	12	647327	676387	3024.6	220.5	...
2006-07	358	29573	2044	1	8	836597	868222	1360.3
2007-08	358	40124	1744	11	74	1196023	1237965	301.5
2008-09	358	48793	5000	1	6	1230066	1283865	371.1	2940.1	...
2009-10	558	81188	6231	3297	22596	1149650	1259665	...	2220.8	...
2010-11	558	102572	13158	2882	20401	1224883	1361013	161.3	1594.0	...
2011-12	558	138250	14511	2885	22866	1330511	1506139	...	1392.1	...
2012-13	558	139737	12513	2887	23538	1412631	1588418	48.9	1677.8	...
2013-14	558	129616	11019	2888	26826	1660914	1828375	4713.5	1821.5	...
2014-15	558	119160	8085	2889	24944	1985458	2137647	10573.0	635.7	...
2015-16	558	133429	16290	1066	9960	2219061	2378740	1484
2016-17	558	128828	15047	1066	9379	2244939	2398193	2019
2017-18	560	139742	13520	1059	10017	2597569	2760849	3494

जारी...

तालिका 6.1 (क) : विदेशी मुद्रा भण्डार

(जारी...)

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष के अंत में	Reserves						अंशुको के साथ लेन-देन			
	सोना		आरटीपी	एस.डी.आर.		विदेशी मुद्रा आस्तियां	जोड़	आहरण	पुनः खरीद ¹	बकाया पुनः खरीद की बाध्यताएं
	टन	₹ करोड़	₹ करोड़	एसडीआर मिलियन में	₹ करोड़	₹ करोड़	₹ करोड़ (3+4+6+7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2018-19	613	159585	20657	1049	10076	2665564	2855882	1253	7069	...
2019-20	653	230527	27013	1045	10800	3333815	3602155	1159	5066	

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

नोट: एसडीआर: विशेष आहरण अधिकार,

आरटीपी: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित भाग की स्थिति

..... : शून्य अथवा नगण्य।

टिप्पणी:

क : न्यास निधि के अंतर्गत आहरित 544.53 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं।

ख : विस्तारित निधि सुविधा (ई.एफ.एफ.) के अंतर्गत निकासी।

ग : प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत 1883.6 करोड़ रुपए की निकासी तथा स्टैंड-बय व्यवस्था के अंतर्गत 1450.2 करोड़ रुपए की निकासी निर्धारित पहली ऋण निधि के अंतर्गत की गई।

घ : प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत 2217.2 करोड़ रुपए की निकासी तथा स्टैंड-बय व्यवस्था के अंतर्गत 987.5 करोड़ रुपए की निकासी निर्धारित पहली ऋण निधि के अंतर्गत की गई।

ङ : सभी सामान्य संसाधन खाते के अंतर्गत आईएमएफ द्वारा रुपए की स्वैच्छिक पुनः खरीद की राशि (199 करोड़ ₹) और विक्री की राशि (35.2 करोड़ ₹) शामिल है।

च : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा रुपए की विक्री।

छ : इसके अतिरिक्त मई 1979 में एस.डी.आर. 59.9 मिलियन, जुलाई, 1980 में 7.3 मिलियन एस.डी.आर. और मार्च, 1982 में 34.5 मिलियन एस.डी.आर. को रुपए के स्वैच्छिक पुनः खरीद के लिए प्रयोग में लाया गया।

ज : अनिवार्य वित्तपोषण स्कीम (सीएफएफ) के अंतर्गत निकासी की खरीद के लिए 66.50 मिलियन एस.डी.आर. का प्रयोग किया गया।

झ : सीएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए विदेशी मुद्रा में 33.25 मिलियन और 117.85 करोड़ रुपए एस.डी.आर. का प्रयोग किया गया।

ञ : सीएफएफ और ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए क्रमशः 66.5 मिलियन एस.डी.आर. और 131.25 मिलियन एसडीआर का प्रयोग किया गया।

ट : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 431.25 मिलियन का प्रयोग किया गया।

ठ : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 704.17 मिलियन का प्रयोग किया गया।

ड : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 804.18 मिलियन का प्रयोग किया गया।

ढ : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 681.25 मिलियन का प्रयोग किया गया।

ण : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 468.75 मिलियन का प्रयोग किया गया।

त : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 337.49 मिलियन का प्रयोग किया गया।

थ : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 237.49 मिलियन का प्रयोग किया गया।

द : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 95.84 मिलियन का प्रयोग किया गया।

ध : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 812.77 मिलियन का प्रयोग किया गया।

न : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 1130.48 मिलियन का प्रयोग किया गया।

प : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 678.38 मिलियन का प्रयोग किया गया।

फ : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 449.29 मिलियन का प्रयोग किया गया।

ब : ईएफएफ के अंतर्गत निकासी की पुनःखरीद के लिए एसडीआर 212.46 मिलियन का प्रयोग किया गया।

1. जून 1966 में रुपए के अवमूल्यन के कारण वर्ष 1965-66 के बाद के आंकड़ों की पहले के वर्षों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती है।
2. इसके साथ ही जुलाई 1991 के बाद के आंकड़ों की पहले के वर्षों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991 को रुपये का अधोमुखी समायोजन किया गया।
3. आहरणों, पुनःखरीद और बकाया पुनःखरीद दायित्वों को लागू विनिमय दरों पर परिकल्पित किया जाता है।
4. प्रारक्षित निधियां जहां अवधि के अन्त से सम्बन्धित हैं, वहीं पुनःखरीद सम्बन्धित अवधियों के लिए हैं।
5. मई, 1966 तक सोने का मूल्य 53.58 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा सितम्बर, 1990 तक 84.39 रुपए प्रति 10 ग्राम माना गया है और 17 अक्टूबर, 1990 से अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के सन्निकट माना गया है।
6. विदेशी मुद्रा में (क) भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी आस्तियां और (ख) 1955-56 तक विदेश में सरकारी जमा राशि शामिल हैं।
7. विदेशी मुद्रा आस्तियों में आई आई एफ सी यू. के द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा मूल्यांकित ब्रांड में किया गया निवेश, भारत सरकार द्वारा आर.बी.आई को हस्तांतरित किए गए एस.डी.आर. तथा एस.ए.ए.आर.सी. (सार्क) एस.डब्ल्यू.ए.पी. व्यवस्था की तहत प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है।
8. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

जारी...

तालिका 6.1 (ख) : विदेशी मुद्रा भण्डार

(यूएस मिलियन \$)

वित्त वर्ष की समाप्ति	आरक्षित भंडार					आईएमएफ के साथ लेन-देन			
	सोना	आरटीपी	एस.डी.आर.	विदेशी मुद्रा आस्तियां	कुल जोड़ (2+3+4+5)	निकासी	पुनः खरीद	बकाया पुनः खरीद बाध्यताएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1950-51	247	1914	2161	100	
1951-52	247	1568	1815	100	
1952-53	247	1603	1850	100	
1953-54	247	1664	1911	...	36	64	
1954-55	247	1626	1873	...	36	28	
1955-56	247	1648	1895	...	15	13	
1956-57	247	1184	1431	126	12	128	
1957-58	247	637	884	72	...	200	
1958-59	247	548	795	200	
1959-60	247	515	762	...	50	150	
1960-61	247	390	637	...	23	128	
1961-62	247	377	624	249	127	250	
1962-63	247	372	619	25	...	275	
1963-64	247	395	642	...	50	225	
1964-65	281	243	524	99	100	225	
1965-66	243	383	626	137	75	288	
1966-67	243	395	638	126	57	418	
1967-68	243	475	718	89	58	450	
1968-69	243	526	769	...	78	372	
1969-70	243	...	123	728	1094	...	167	205	
1970-71	243	...	148	584	975	...	205	...	
1971-72	264	...	269	661	1194	
1972-73	293	...	297	629	1219	
1973-74	293	...	296	736	1325	79	...	75	
1974-75	304	...	293	782	1379	608	...	715	
1975-76	281	...	234	1657	2172	239	...	896	
1976-77	290	...	217	3240	3747	...	336	559	
1977-78	319	...	200	5305	5824	...	333	249	
1978-79	377	...	470	6421	7268	...	256	...	
1979-80	375	...	662	6324	7361	...	145	...	
1980-81	370	...	603	5850	6823	342	16	327	
1981-82	335	...	473	3582	4390	692	40	964	
1982-83	324	...	291	4281	4896	1968	...	2876	
1983-84	320	...	230	5099	5649	1376	70	4150	
1984-85	325	...	145	5482	5952	201	134	3932	
1985-86	417	...	131	5972	6520	...	209	4290	
1986-87	471	...	179	5924	6574	...	521	4291	
1987-88	508	...	97	5618	6223	...	930	3653	
1988-89	473	...	103	4226	4802	...	1070	2365	
1989-90	487	...	107	3368	3962	...	873	1493	
1990-91	3496	...	102	2236	5834	1858	644	2623	
1991-92	3499	...	90	5631	9220	1240	460	3451	
1992-93	3380	...	18	6434	9832	1623	335	4799	
1993-94	4078	...	108	15068	19254	325	134	5040	

जारी...

तालिका 6.1 (ख) : विदेशी मुद्रा भण्डार

(जारी...)

(यूएस मिलियन \$)

वित्त वर्ष की समाप्ति	आरक्षित भंडार					आईएमएफ के साथ लेन-देन		
	सोना	आरटीपी	एस.डी.आर.	विदेशी मुद्रा आस्तियां	कुल जोड़ (2+3+4+5)	निकासी	पुनः खरीद	बकाया पुनः खरीद बाध्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1994-95	4370	...	7	20809	25186	...	1146	4300
1995-96	4561	...	82	17044	21687	...	1710	2374
1996-97	4054	...	2	22367	26423	...	977	1313
1997-98	3391	...	1	25975	29367	...	615	664
1998-99	2960	...	8	29522	32490	...	102	287
1999-2000	2974	...	4	35058	38036
2000-01	2725	...	2	39554	42281
2001-02	3047	...	10	51049	54106
2002-03	3534	672	4	71890	76100
2003-04	4198	1311	2	107448	112959	...	561	...
2004-05	4500	1438	5	135571	141514	...	93	...
2005-06	5755	756	3	145108	151622	670	51	...
2006-07	6784	469	2	191924	199179	303
2007-08	10039	436	18	299230	309723	74
2008-09	9577	981	1	241426	251985	86	612	...
2009-10	17986	1380	5006	254685	279057	...	461	...
2010-11	22972	2947	4569	274330	304818	36	353	...
2011-12	27023	2836	4469	260069	294397	...	275	...
2012-13	25692	2301	4328	259726	292046	9	310	...
2013-14	21567	1834	4464	276359	304223	767	298	...
2014-15	19038	1292	3985	317324	341638	1705	105	...
2015-16	20115	2456	1502	336104	360176	229
2016-17	19869	2321	1446	346319	369955	299
2017-18	21484	2079	1540	399442	424545	544
2018-19	23071	2986	1457	385357	412871	177	1006	...
2019-20	30578	3583	1433	442213	477807	162	733	...

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

नोट:

एसडीआर: विशेष आहरण अधिकार। आरटीपी: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित भाग की स्थिति : शून्य या नगण्य।

टिप्पणियां :

1. जून 1966 में रुपये का अवमूल्यन होने के कारण 1965-66 के बाद के आकड़ों की पूर्ववर्ती वर्षों के आँकड़ों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है।
2. 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991 से प्रभावी किए गए रुपये के अवमूल्यन के कारण जुलाई 1991 और ससे आगे की अवधि के आँकड़ों की भी पूर्ववर्ती वर्षों से तुलना नहीं की जा सकती है।
3. निकासी पुनः खरीद, बकाया पुनः खरीद बाध्यताओं को विदेशी मुद्रा की प्रचलित दरों पर परिकलित किया गया है।
4. जहाँ आरक्षित भण्डार समाप्त अवधि के लिए हैं वहीं पुनः खरीदें संगत अवधियों के लिए हैं।
5. सोने का मूल्य मई 1966 तक 53.58 रुपये प्रति 10 ग्राम और 17 अक्टूबर 1990 से अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के सन्निकट माना गया है।
6. विदेशी मुद्रा में (क) भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी अस्तियाँ और (ख) 1955-56 तक विदेश में सरकारी जमा राशि शामिल है।
7. विदेशी मुद्रा अस्तियों में आई.आई.एफ.सी.यू. के द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा मूल्यांकित ब्रांड में किया गया। निवेश भारत सरकार द्वारा आर.वी.आई. को हस्तांतरित किए गए, एस.डी.आर. तथा एस.ए.ए. आर सी (सार्क) एस डब्ल्यू.ए.पी. व्यवस्था की तहत प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है।
8. पूर्णकन के कारण संभवतः आँकड़े जोड़ से मेल न खाएँ।

तालिका 6.2 : अंशु कोष के भुगतान शेष मैनुअल 5 के अनुसार भुगतान शेष

मद	2000-01		2014-15		2015-16		2016-17	
	₹ करोड़	यू एस \$ मिलियन	₹ करोड़	यू एस \$ मिलियन	₹ करोड़	यू एस \$ मिलियन	₹ करोड़	यू एस \$ मिलियन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 आयात (लागत बीमा भाड़ा)	264589	57912	2820072	461484	2592820	396444	2633395	392580
2 निर्यात (जहाज तक निःशुल्क)	207852	45452	1934210	316545	1743289	266365	1878943	280138
3 व्यापार संतुलन (2-1)	-56737	-12460	-885862	-144940	-849531	-130079	-754452	-112442
4 अदृश्य								
(क) प्राप्तियां	147778	32267	1478048	241645	1538693	235044	1623552	242051
(ख) अदायगियां	102639	22473	755499	123564	832924	127116	966016	144025
(जिनमें से: उधारों एवं ऋणों पर ब्याज एवं शोधन भुगतान)	21948	4801	77376	12650	88044	13443	89552	13351
(ग) निवल	45139	9794	722549	118081	705769	107928	657536	98026
5 चालू खाता शेष	-11598	-2666	-163313	-26859	-143762	-22151	-96916	-14417
6 पूंजीगत खाता								
I) विदेशी निवेश (निवल)	26744	5862	449072	73456	208579	31891	289394	43224
i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)								
(क) अंतर्वाह एफडीआई	18404	4031	215893	35283	294258	44907	283292	42215
(ख) बहिर्वाह एफडीआई	-3480	-759	-24675	-4031	-58476	-8886	-44379	-6603
(ग) निवल	14924	3272	191219	31251	235782	36021	238913	35612
ii) पोर्टफोलियो निवेश (निवल)	11820	2590	257853	42205	-27203	-4130	50482	7612
II) ऋण (निवल)	24459	5264	19733	3184	-29767	-4634	16038	2379
i) विदेशी सहायता								
(क) अंतर्वाह	13521	2941	35408	5780	40244	6123	43561	6495
(ख) बहिर्वाह	11519	2531	24787	4054	30229	4619	30056	4482
(ग) निवल	2002	410	10622	1725	10015	1505	13505	2013
ii) वाणिज्यिक उधार*								
(क) अंतर्वाह	95750	20865	718760	117575	748159	114200	764967	114037
(ख) बहिर्वाह	73293	16011	709649	116116	787941	120339	762434	113672
(ग) निवल	22457	4854	9112	1459	-39781	-6139	2533	366
III) बैंकिंग								
(क) प्राप्तियां	44448	9744	550976	90094	579805	88884	561610	83669
(ख) अदायगियां	53592	11705	478893	78476	514547	78254	672787	100285
(ग) निवल	-9144	-1961	72083	11618	65257	10630	-111177	-16616
IV) रुपए में ऋण शोधन (निवल)	-2760	-617	-489	-81	-476	-73	-665	-99
V) अन्य पूंजी								
(क) प्राप्तियां	12948	2856	176562	28914	160653	24419	240945	35925
(ख) अदायगियां	11637	2564	169411	27806	137909	21103	190199	28366
(ग) निवल	1311	292	7151	1109	22744	3315	50747	7559
VI) भूल-चूक (निवल)	-1369	-305	-6312	-1021	-6746	-1073	-3187	-480
7 कुल पूंजी (6 का I से VI)	39241	8535	541238	88265	259592	40055	241150	35967
8 समग्र शेष (5+7)	27643	5868	377925	61406	115830	17905	144234	21550
9 मुद्रा संचलन								
(क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेन-देन								
i) खरीद								
ii) पुनःखरीद	115	26						
iii) निवल	-115	-26						
(ख) आरक्षित भंडार में वृद्धि (-)/ कमी (+)	-27258	-5842	-377925	-61406	-115830	-17905	-144234	-21550
10 योग (आरक्षित भंडार में घट-बढ़ (9क (iii) + 9ख) [(-) वृद्धि (+) कमी]	-27643	-5868	-377925	-61406	-115830	-17905	-144234	-21550

जारी...

तालिका 6.2 : अंशु कोष के भुगतान शेष मैनुअल 5 के अनुसार भुगतान शेष

मद	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21 (अप्रैल-सितम्बर)	
	₹ करोड़	यू एस \$ मिलियन	₹ करोड़	यू एस \$ मिलियन	₹ करोड़	यू एस \$ मिलियन	₹ करोड़	यू एस \$ मिलियन
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 आयात (लागत बीमा भाड़ा)	3023163	469006	3619072	517519	3385822	477937	1151148	153495
2 निर्यात (जहाज तक निःशुल्क)	1991436	308970	2358211	337237	2270919	320431	959478	127943
3 व्यापार संतुलन (2-1)	-1031727	-160036	-1260861	-180283	-1114902	-157506	-191670	-25552
4 अदृश्य								
(क) प्राप्तियां	1826720	283406	2144996	306483	2281179	321712	1092560	145478
(ख) अदायगियां	1109119	172087	1284363	183457	1338706	188862	639785	85208
(जिनमें से: उधारों एवं ऋणों पर ब्याज एवं शोधन भुगतान)	93531	14510	120924	17286	132007	18629	57203	7613
(ग) निवल	717601	111319	860633	123026	942474	132850	452776	60270
5 चालू खाता शेष	-314126	-48717	-400227	-57256	-172429	-24656	261106	34718
6 पूंजीगत खाता								
I) विदेशी निवेश (निवल)	337684	52401	212179	30094	312215	44417	233700	31422
i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)								
(क) अंतर्वाह एफडीआई	253977	39431	301932	43302	396955	56006	217460	29192
(ख) बहिर्वाह एफडीआई	-58925	-9144	-87896	-12590	-92135	-12993	-40679	-5410
(ग) निवल	195052	30286	214036	30712	304820	43013	176781	23783
ii) पोर्टफोलियो निवेश	142632	22115	-1857	-618	7395	1403	56919	7639
II) ऋण (निवल)	107422	16660	113441	15850	182248	25686	-12378	-1715
i) विदेशी सहायता								
(क) अंतर्वाह	49750	7718	60429	8606	66039	9330	67319	8935
(ख) बहिर्वाह	30773	4774	36287	5192	39536	5579	22376	2975
(ग) निवल	18977	2944	24143	3413	26503	3751	44943	5960
ii) वाणिज्यिक उधार ^क								
(क) अंतर्वाह	898500	139393	598713	85494	602921	84908	224688	29948
(ख) बहिर्वाह	810055	125676	509415	73057	447176	62973	282009	37623
(ग) निवल	88445	13717	89299	12437	155745	21935	-57321	-7675
III) बैंकिंग								
(क) प्राप्तियां	616727	95673	646662	92798	601082	84716	274432	36540
(ख) अदायगियां	512300	79483	597020	85365	639907	90031	340639	45486
(ग) निवल	104427	16190	49642	7433	-38825	-5315	-66207	-8946
IV) रुपए में ऋण शोधन (निवल)	-482	-75	-213	-31	-483	-69	-434	-57
V) अन्य पूंजी								
(क) प्राप्तियां	266106	41282	237182	33809	446158	62549	249802	33244
(ख) अदायगियां	226037	35069	228828	32751	312730	44087	281797	37475
(ग) निवल	40069	6213	8354	1057	133428	18462	-31995	-4231
VI) भूल-चूक (निवल)	5823	902	-3380	-486	7051	974	1604	224
7 कुल पूंजी (6 का I से VI)	594942	92292	380023	53917	595634	84154	124289	16697
8 समग्र शेष (5+7)	280816	43574	-20204	-3339	423206	59498	385396	51415
9 मुद्रा संचलन								
(क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेन-देन								
i) खरीद								
ii) पुनः खरीद								
iii) निवल								
(ख) प्रारक्षित भंडार में वृद्धि (-)/कमी(+)	-280816	-43574	20204	3339	-423206	-59498	-385396	-51415
10 योग (प्रारक्षित भंडार में घट-बढ़ (9क iii) + 9ख) [(-) वृद्धि (+) कमी]	-280816	-43574	20204	3339	-423206	-59498	-385396	-51415

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पी: प्रारंभिक, पीआर, आंशिक रूप से संशोधित

क: वाणिज्यिक ऋण में अल्पावधि ऋण शामिल है।

1. प्राप्त अनुदानों को मद 4(क) के अधीन शामिल किया गया है।
2. वर्ष के दौरान एनआरआई जमा से प्राप्त प्राक्कलित ब्याज को अदृश्य भुगतानों के तहत अनुमानित बहिर्वाह माना गया है तथा बैंकिंग पूंजी के तहत एनआरआई जमा में पुनर्निवेश के तौर पर शामिल किया गया है।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार से क्रय आईएमएफ का शेष भुगतान संतुलन मैनुअल, (पांचवां संस्करण), स्वर्ण क्रय से बीओपी सांख्यिकी से छोड़ दिया गया है। पूर्वोक्त वर्षों के लिए आंकड़े, अतः "अल्प पूंजी आय और विदेशी विनिमय रिज़र्व में उपर्युक्त समायोजन करते हुए संशोधित किया गया है। उसी प्रकार मद एसडीआर आवंटन तालिका से हटा दिया गया।
4. वर्ष 1996-97 से निजी अंतरण अदायगियों में अनिवासी बाह्य (रूपया) खाता एनआईई (आर) ए और अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रूपया जमाराशि एनआर (एनआर) आरडी योजनाओं के तहत मूलधन और ब्याज दोनों की रूपये में आदयगी शामिल है। यह आंकड़ों की रिपोर्टिंग में सुधार को दर्शाता है।
5. पूर्णांकन के कारण तालिका संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएँ

तालिका 6.3 (क) : अं. मु. के भुगतान शेष-मैनुअल 6 के अनुसार भुगतान शेष

मद	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21 April-Sep (P)		
	ऋडिट (2)	डेबिट (3)	निवल (4)	ऋडिट (5)	डेबिट (6)	निवल (7)	ऋडिट (8)	डेबिट (9)	निवल (10)	ऋडिट (11)	डेबिट (12)	निवल (13)
1												
चालू खाता (1.क + 1ख + 1ग)	3818016	4131780	-313765	4503141	4902839	-399698	4552063	4723740	-171676	2052020	1790558	261462
वस्तुएं तथा सेवाएं (1ए+1एबी)	3248907	3780666	-531759	3814488	4501566	-687078	3782579	4295100	-512521	1685821	1564452	121369
1. ए	1991436	3023163	-1031727	2358211	3619072	-1260861	2270919	3385822	-1114902	959478	1151148	-191670
1. एबी	1257472	757503	499968	1456277	882494	573783	1511659	909278	602381	726343	413305	313038
1. एबी.1.	949	282	668	1841	293	1548	1654	483	1171	1093	131	962
अन्यों के स्वामित्वाधीन भौतिक आदानों पर विनिर्माण सेवाएं												
1. एबी.2.	1363	3528	-2165	1325.207	8440.6	-7115.39	1375	8368	-6993	504	2494	-1990
रखरखाव तथा मरम्मत सेवाएं एनआईई												
1. एबी.3.	112418	113488	-1071	136100	143689	-7589	148761	172134	-23373	77171	67389	9782
परिवहन												
1. एबी.4.	182768	125778	56990	199142	151485	47658	212684	155741	56943	29048	41277	-12229
यात्रा												
1. एबी.5.	14541	10081	4460	23638	17658	5980	21982	19456	2527	9386	8929	457
विनिर्माण												
1. एबी.6.	16154	10957	5197	18634	12543	6091	17238	12335	4903	8673	6866	1807
बीमा तथा पेंशन सेवाएं												
1. एबी.7.	33271	35691	-2420	34019	24428	9591	33519	20803	12716	15121	16289	-1167
वित्तीय सेवाएं												
1. एबी.8.	4720	44339	-39618	4823	56132	-51309	6600	54575	-47975	5356	24849	-19493
बौद्धिक सम्पदा के उपयोग हेतु प्रभार												
1. एबी.9.	514603	41887	472717	604090	51761	552329	681463	72457	609006	369361	41687	327674
दूरसंचार कम्प्यूटर तथा सूचना सेवाएं												
1. एबी.10.	240722	236096	4626	273644	282815	-9170	324150	332437	-8287	172068	179441	-7374
अन्य कारोबारी सेवाएं												
1. एबी.11.	10430	14862	-4432	12943	17993	-5050	15653	22215	-6562	7736	8710	-975
व्यक्तिगत, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन सेवाएं												
1. एबी.12.	4280	5119	-839	4260	7795	-3535	4677	7841	-3164	2197	3918	-1721
सरकारी वस्तुएं तथा सेवाएं एनआईई												
1. एबी.13.	121252	115396	5856	141818	107462	34356	41902	30432	11470	28628	11325	17303
अन्य एन आई ई												
1. बी.	121579	306391	-184813	152769	355093	-202324	178528	371642	-193114	76053	202042	-125989
प्राथमिक आय												
1सी.	447530	44723	402807	535884	46180	489704	590956	56998	533959	290146	24063	266083
द्वितीय आय												
2	2515	2700	-186	2370	3540	-1170	3032	10664	-7632	1503	8073	-6570
पूँजीगत खाता (2.1+2.2)												
2.1	946	674	273	595	1098	-503	339	7449	-7110	96	6742	-6646
अनुयादक अनार्थिक आस्तियों का सकल अर्जन (डीआर)/निपटान (सीआर)												
2.2	1568	2027	-458	1775	2442	-667	2693	3215	-522	1407	1331	76
पूँजी अंतरण												
3	4146357	3838230	308128	3910577	3506329	404248	4327950	4155693	172257	2103790	2360286	-256496
वित्तीय खाता (3.1 से 3.5 तक)												
3.1	415421	220369	195052	453100	239063	214036	551647	246827	304820	317885	141104	176781
प्रत्यक्ष निवेश (3.1ए+3.1बी)												

जारी...

तालिका 6.3 (क) : अं. मु. के भुगतान शेष-मैनुअल 6 के अनुसार भुगतान शेष

(₹ करोड़)

मद	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21 April-Sep (P)		
	ऋंइट (2)	डेबिट (3)	निवल (4)	ऋंइट (5)	डेबिट (6)	निवल (7)	ऋंइट (8)	डेबिट (9)	निवल (10)	ऋंइट (11)	डेबिट (12)	निवल (13)
3.1.ए	392944	138968	253977	433069	131136	301932	527347	130392	396955	309546	92087	217460
3.1.बी	22477	81402	-58925	20031	107927	-87896	24300	116435	-92135	8339	49017	-40679
3.2	1902228	1759597	142632	1784008	1798633	-14625	2063100	2055705	7395	971148	914230	56919
3.2.ए	1892201	1749253	142948	1761779	1774552	-12773	2015956	2014755	1200	963474	897606	65868
3.2.बी	10027	10344	-317	22229	24080	-1852	47144	40949	6194	7674	16623	-8949
3.3	127419	145913	-18494	151279	143451	7828	233941	204769	29172	157171	177545	-20373
3.4	1701289	1431535	269754	1402173	1225369	176804	1479262	1225186	254076	657585	742012	-84427
3.4.1	0	0	0	12768	0	12768	0	0	0	0	0	0
3.4.2	386460	324073	62387	420873	346672	74201	395121	338615	56507	157624	126197	31427
3.4.3	530621	470765	59856	583086	509388	73698	600239	505619	94620	275969	370978	-95010
3.4.4	762	11597	-10835	1286	9313	-8027	2326	6753	-4426	885	821	65
3.4.5	647895	558289	89606	301846	286662	15184	274682	282385	-7704	132846	147848	-15002
3.4.6	135550	66810	68739	82314	73334	8980	206894	91815	115079	90261	96167	-5906
3.4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	0	280816	-280816	120018	99814	20204	0	423206	-423206	0	385396	-385396
4	4146357	3838230	308128	3910577	3506329	404248	4327950	4155693	172257	2103790	2360286	-256496
5	12249	6426	5823	4083	7463	-3380	13260	6210	7051	4740	3137	1604

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी:

प्र : प्रारंभिक अं.सं. : अंशतः संशोधित

नोट : पूर्णांकित के किये जाने के कारण संभव है कि जोड़ मेल न खाए।

तालिका 6.3 (ख) : भुगतान शेष-मैनुअल 6 के अनुसार भुगतान शेष

(मिलियन अमरीकी डॉलर \$)

मद	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21 अप्रैल-सितम्बर (पी)		
	ऋडिट (2)	डेडिट (3)	निवल (4)	ऋडिट (5)	डेडिट (6)	निवल (7)	ऋडिट (8)	डेडिट (9)	निवल (10)	ऋडिट (11)	डेडिट (12)	निवल (13)
1	592354	641015	-48661	643710	700891	-57180	642138	666688	-24550	273418	238653	34765
1.ए	504059	586533	-82474	545237	643579	-98342	533622	606206	-72584	224654	208532	16122
1.ए	308970	469006	-160036	337237	517519	-180283	320431	477937	-157506	127943	153495	-25552
1.ए.बी.1	195089	117527	77562	208000	126060	81941	213191	128269	84922	96711	55037	41674
1.ए.बी.2	147	44	104	260	42	219	232	68	164	145	17	128
1.ए.बी.3	211	547	-336	189	1201	-1012	194	1182	-988	67	333	-266
1.ए.बी.4	17441	17608	-166	19464	20529	-1065	20988	24285	-3297	10277	8975	1302
1.ए.बी.5	28355	19516	8839	28441	21704	6737	29998	22011	7987	3868	5494	-1626
1.ए.बी.6	2256	1565	691	3388	2527	861	3096	2746	351	1249	1188	61
1.ए.बी.7	2506	1700	806	2661	1790	871	2431	1738	692	1155	915	239
1.ए.बी.8	5164	5537	-373	4858	3486	1372	4734	2919	1814	2013	2169	-156
1.ए.बी.9	732	6877	-6145	692	8028	-7335	934	7705	-6771	712	3304	-2592
1.ए.बी.10	79840	6499	73341	86344	7409	78935	96110	10212	85899	49188	5559	43629
1.ए.बी.11	37346	36630	715	39112	40413	-1301	45716	46881	-1165	22907	23893	-987
1.ए.बी.12	1618	2307	-688	1853	2571	-719	2207	3131	-924	1030	1164	-134
1.ए.बी.13	664	794	-130	610	1114	-504	659	1107	-448	292	520	-228
1.बी.	18807	17904	903	20128	15246	4882	5892	4284	1608	3808	1506	2302
1.सी.	18862	47542	-28681	21839	50700	-28861	25166	52446	-27281	10123	26910	-16787
2	69433	6940	62494	76634	6611	70022	83351	8036	75314	38642	3211	35431
2.1	390	419	-29	340	504	-163	426	1518	-1092	200	1068	-868
2.2	147	105	42	88	156	-68	48	1066	-1018	13	891	-878
3	243	314	-71	253	348	-95	379	453	-74	187	177	10
3.1	643243	595455	47788	559653	501823	57830	609616	584949	24668	280273	314394	-34122
3.1.ए	64461	34175	30286	64846	34134	30712	77794	34780	43013	42496	18713	23783
3.1.ए	60974	21544	39431	62001	18699	43302	74390	18384	56006	41377	12185	29192

जारी...

तालिका 6.3 (ख) : भुगतान शेष-मैनुअल 6 के अनुसार भुगतान शेष

(पारो.....)

(मिलियन अमेरिकी डॉलर \$)

मद	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21 अप्रैल-सितम्बर (पी)		
	ऋणित	डेबिट	निवल	ऋणित	डेबिट	निवल	ऋणित	डेबिट	निवल	ऋणित	डेबिट	निवल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.1.बी भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	3487	12632	-9144	2845	15435	-12590	3403	16396	-12993	1118	6528	-5410
3.2 पोर्टफोलियो निवेश	295084	272969	22115	255110	257548	-2438	290741	289337	1403	129308	121668	7639
3.2.ए 3.2.ए. भारत में पोर्टफोलियो निवेश	295529	271364	22165	251894	254118	-2225	284128	283576	552	128289	119456	8833
3.2.बी भारत द्वारा पोर्टफोलियो निवेश	1556	1605	-50	3216	3429	-213	6612	5761	851	1019	2213	-1194
3.3 वित्तीय व्युत्पन्न (प्रारक्षित के अलावा) तथा कर्मचारी स्टॉक विकल्प?	19766	22636	-2870	21538	20506	1032	32899	28800	4099	20905	23642	-2738
3.4 अन्य निवेश	263932	222100	41832	200657	175473	25184	208183	172533	35650	87565	98956	-11391
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/बीडीआर)	0	0	0	1820	0	1820	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा तथा निक्षेप	59961	50286	9675	60259	49565	10693	55603	47639	7964	20977	16797	4180
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीवी तथा बैंकिंग पूंजी)	82309	73033	9276	83307	72738	10569	84592	71160	13432	36767	49595	-12828
3.4.4 बीमा, पेंशन तथा मानवीकृत न गारंटी स्कीमों	118	1801	-1683	187	1349	-1162	328	952	-625	118	109	9
3.4.5 व्यापार ऋण तथा अग्रिम	100514	86614	13900	43332	41311	2021	38759	39785	-1026	17679	19692	-2013
3.4.6 अन्य खाते व प्राप्य तथा भुगतान योग्य-आय	21029	10365	10664	11752	10509	1243	28901	12997	15904	12023	12763	-739
3.4.7 विशेष आरक्षण प्राधिकार				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 प्रारक्षित अस्तित्वा	0	43574	-43574	17502	14162	3339	0	59498	-59498	0	51415	-51415
4 कुल आस्तियां/देनदारियां	643243	595455	47788	596553	501823	57830	609616	584949	24668	280273	314394	-34122
5 भूल-चूक निवल	1900	998	902	582	1068	-486	1856	882	974	637	413	224

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

प्रा : प्रारंभिक अं.सं. : अंशतः संशोधित

नोट : पूर्णांकित के क्रिये जाने के कारण संभव है कि जोड़ मेंल न खाएं।

तालिका 6.4 : विश्व की चुनिन्दा मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर

वर्ष/माह	अमरीकी डालर	पौंड स्टीरिंग	यूरो [€]	येन	कनाडियन डालर	टर्किश लीरा	इंडोनेशियाई रुपया	ब्राजीलियन रियाल	मैक्सिकन पीसो	कोरियन वोन	पाकिस्तानी रुपया	थाइलैंड बाट	एस.डी.आर.	(विदेशी मुद्रा की प्रति ईकाई रुपया)	
														(12)	(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1992-93															
आधिकारिक दर															
अप्रैल	25.890	45.461	0.194	21.800	0.004	0.013	0.012	0.009	0.033	1.049	1.021	1.021	35.485		
मई	25.890	46.838	0.198	21.586	0.004	0.013	0.010	0.009	0.033	1.056	1.014	1.014	35.931		
जून	25.890	47.788	0.204	21.651	0.004	0.013	0.008	0.009	0.033	1.085	1.020	1.020	36.551		
जुलाई	25.890	49.721	0.206	21.764	0.004	0.013	0.007	0.009	0.033	1.119	1.025	1.025	37.385		
अगस्त	25.890	50.384	0.205	21.734	0.004	0.013	0.006	0.009	0.033	1.035	1.027	1.027	37.709		
सितम्बर	25.890	47.567	0.211	21.161	0.004	0.013	0.005	0.009	0.034	1.035	1.028	1.028	37.695		
अक्टूबर	25.890	42.862	0.214	20.805	0.003	0.013	0.004	0.009	0.033	1.054	1.026	1.026	37.162		
नवम्बर	25.890	39.535	0.209	20.413	0.003	0.013	0.003	0.008	0.033	1.021	1.019	1.019	35.910		
दिसम्बर	26.154	40.578	0.211	20.574	0.003	0.013	0.002	0.008	0.033	1.028	1.026	1.026	36.329		
जनवरी	26.199	40.141	0.210	20.500	0.003	0.013	0.002	8.435b	0.033	1.025	1.028	1.028	36.082		
फरवरी	26.199	37.704	0.217	20.788	0.003	0.013	0.002	8.460	0.033	1.010	1.029	1.029	35.939		
बाजार भाव ^१															
March 1993	31.526	45.952	0.270	25.279	0.003	0.015	0.001	10.151	0.040	1.198	1.242	1.242	43.521		
1993-94	31.366	47.206	0.291	23.956	0.002	0.015	0.122	10.009	0.039	1.083	1.240	1.240	43.886		
2000-01	45.684	67.552	0.414	30.383	0.007d	0.005	24.153	4.788	0.039	0.820	1.100	1.100	59.546		
2001-02	47.692	68.319	0.382	30.473	0.004d	0.005	19.549	5.183	0.037	0.772	1.069	1.069	60.215		
2002-03	48.395	74.819	0.397	31.253	0.003d	0.005	15.489	4.806	0.040	0.819	1.132	1.132	64.126		
2003-04	45.952	77.739	0.407	33.991	0.003d	0.005	15.713	4.248	0.039	0.798	1.132	1.132	65.690		
2004-05	44.932	82.864	0.418	35.205	8.269e	0.005	15.707	3.964	0.041	0.763	1.121	1.121	66.928		
2005-06	44.273	79.047	0.391	37.137	32.843	0.045	19.170	4.122	0.044	0.741	1.096	1.096	64.490		
2006-07	45.250	85.643	0.387	39.765	31.156	0.005	21.044	4.113	0.048	0.748	1.236	1.236	67.254		
2007-08	40.261	80.841	0.353	39.042	32.155	0.004	21.762	3.703	0.043	0.658	1.194	1.194	62.651		
2008-09	45.993	78.316	0.462	40.875	32.678	0.004	23.569	3.853	0.038	0.613	1.346	1.346	71.277		
2009-10	47.443	75.781	0.511	43.567	31.266	0.005	25.455	3.616	0.039	0.572	1.409	1.409	73.733		
2010-11	45.563	70.881	0.533	44.840	29.888	0.005	26.385	3.663	0.040	0.534	1.464	1.464	69.723		
2011-12	47.923	76.391	0.607	48.222	27.682	0.005	28.222	3.788	0.043	0.547	1.564	1.564	75.313		
2012-13	54.410	85.971	0.658	54.347	30.291	0.006	27.092	4.171	0.049	0.572	1.768	1.768	83.026		
2013-14	60.502	96.306	0.604	57.437	30.100	0.006	26.907	4.679	0.056	0.587	1.924	1.924	92.260		
2014-15	61.144	98.573	0.558	53.780	27.223	0.005	24.840	4.457	0.058	0.609	1.882	1.882	90.796		

जारी...

तालिका 6.4 : विश्व की चुनिन्दा मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर

(जारी...)

(विदेशी मुद्रा की प्रति ईकाई रुपये)

वर्ष/माह	अमरीकी डालर	पौंड स्टीरिंग	यूरो ^क	येन	कनाडियन डालर	टर्किश लीरा	इंडोनेशियाई रुपया	ब्राजीलियन रियाल	मैक्सिकन पीसो	कोरियन वोन	पाकिस्तानी रुपया	थाईलैंड बाट	एस.डी.आर.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2015-16	65.468	98.726	72.289	0.546	49.945	23.060	0.005	18.378	3.944	0.057	0.632	1.872	91.345
2016-17	67.072	87.690	73.609	0.620	51.113	21.067	0.005	20.382	3.489	0.058	0.641	1.908	92.616
2017-18	64.455	85.513	75.438	0.582	50.261	17.558	0.004	20.037	3.483	0.058	0.604	1.953	90.899
2018-19	69.923	91.786	80.958	0.630	53.300	13.547	0.005	18.490	3.617	0.063	0.548	2.164	98.036
2019-20	70.897	90.159	78.800	0.652	53.285	12.105	0.005	17.264	3.652	0.060	0.462	2.291	97.627
2020-21													
	बाजार भाव^ग												
अप्रैल	76.236	94.633	82.749	70.788	54.251	11.124	0.005	14.341	3.157	0.062	0.465	2.337	103.866
मई	75.660	93.022	82.475	70.575	54.184	10.932	0.005	13.443	3.226	0.062	0.473	2.359	103.166
जून	75.727	94.881	85.251	70.380	55.912	11.110	0.005	14.588	3.394	0.063	0.459	2.431	104.450
जुलाई	74.993	94.929	85.929	70.243	55.602	10.912	0.005	14.197	3.350	0.063	0.450	2.388	104.437
अगस्त	74.672	98.077	88.336	70.440	56.472	10.261	0.005	13.679	3.367	0.063	0.446	2.393	105.428
सितम्बर	73.482	95.309	86.664	69.598	55.510	9.731	0.005	13.607	3.395	0.062	0.444	2.343	103.782
अक्टूबर	73.458	95.406	86.515	69.793	55.588	9.239	0.005	13.053	3.455	0.064	0.453	2.352	103.913
नवम्बर	74.220	97.895	87.720	71.101	56.761	9.324	0.005	13.660	3.640	0.067	0.467	2.438	105.543

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी:

क : यूरो मुद्रा 1 जनवरी, 1999 को अस्तित्व में आई।

ख : पीसो को जनवरी, 1993 में पुनर्मूल्यांकित किया गया। 1000 पुराने पीसो = 1 नया पीसो।

ग : फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडआई) द्वारा घोषित सूचक दरें।

घ : 100 टर्किश लीरा

ङ : टर्किश लीरा को 1.1.2005 से नए लीरा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

1. वार्षिक/मासिक औसत। मार्च, 1992 से फरवरी, 1993 के दौरान दोहरी विनिमय दर पद्धति चालू थी जिसमें अमरीकी डालर के लिए सरकारी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई थी तथा बाजार दर का निर्धारण अंतर-बैंक बाजार द्वारा किया गया था।

2. डेयश मार्क, फ्रांसीसी फ्रांक और इटाली लीरा के संबंध में 2001-2002 के आंकड़े केवल 11 महीनों के हैं क्योंकि 1 मार्च, 2002 से जर्मनी, फ्रांस और इटली ने यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है।

3. अमरीकी डॉलर, पाउंड स्टीरिंग, यूरो और जापानी येन के संबंध में मई 2012 से बाद के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दरें हैं।

4. एक बी आई एल ने सदस्य दरों का विस्तार 10 जुलाई 2018 से प्रारम्भ किया।

तालिका 6.5 : रुपये की सांकेतिक और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर की प्रवृत्तियाँ

(व्यापार आधारित भारांश)				
वर्ष/माह (औसत)	नगण्य प्रभावी विनिमय दर (एन.ई.ई.आर.) 6 मुद्राओं का सूचकांक	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आर.ई.ई.आर.) 6 मुद्राओं का सूचकांक	नगण्य प्रभावी विनिमय दर (एन.ई.ई.आर.) 36 मुद्राओं का सूचकांक	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आर.ई.ई.आर.) 36 मुद्राओं का सूचकांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आधार वर्ष: 1993-94=100				
1994-95	96.86	105.71	99.21	104.59
1995-96	88.45	101.14	91.65	98.42
1996-97	86.73	100.97	89.08	96.64
1997-98	87.80	104.24	92.17	100.95
1998-99	77.37	95.99	88.76	92.84
1999-00	77.03	97.52	90.90	95.75
2000-01	77.30	102.65	92.11	100.04
2001-02	75.89	102.49	91.52	100.87
2002-03	71.09	97.43	89.22	98.19
2003-04	69.75	98.85	87.15	99.50
2004-05	69.26	101.35	87.28	100.05
Base Year: 2004-05=100				
2005-06	103.04	104.45	102.24	102.38
2006-07	98.09	103.82	97.63	100.76
2007-08	104.62	113.44	104.75	109.20
2008-09	90.42	103.94	93.34	99.65
2009-10	87.07	110.73	90.94	103.88
2010-11	91.83	124.50	93.54	112.68
2011-12	84.44	121.17	87.38	110.27
2012-13	75.59	117.15	78.32	105.57
2013-14	67.76	112.80	72.32	103.27
2014-15	68.60	119.92	74.07	108.96
2015-16	67.52	122.71	74.75	112.08
2016-17	66.86	125.17	74.65	114.51
2017-18	67.91	129.19	76.94	119.71
2018-19	63.07	121.70	72.64	114.01
2019-20 (पी)	63.59	125.76	73.28	116.75
अप्रैल	59.75	122.09	70.37	113.98
मई	60.24	123.62	70.64	115.10
जून	59.58	121.81	69.59	114.03
जुलाई	59.63	123.15	69.99	115.20
अगस्त	59.05	122.50	69.81	115.37
सितम्बर	59.76	125.83	70.81	118.27
अक्टूबर	59.58	126.64	70.67	119.25
नवम्बर	58.53	125.27	69.36	117.57
दिसम्बर	58.33	125.17	69.11	117.14

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी:

अ : अर्न्तम

- 1994-95 से 2004-05 की अवधि के आंकड़े थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित हैं।
- 2005-06 से 2020-21 की अवधि के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित हैं।

तालिका 7.1 (क) : निर्यात, आयात तथा व्यापार शेष

वर्ष	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) (₹ करोड़)	आयात (₹ करोड़)	व्यापार संतुलन (₹ करोड़)	परिवर्तन दर	
				निर्यात	आयात
				(प्रतिशत)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1949-50	485	617	-132	--	--
1950-51	606	608	-2	24.9	-1.5
1951-52	716	890	-174	18.2	46.4
1952-53	578	702	-124	-19.3	-21.1
1953-54	531	610	-79	-8.1	-13.1
1954-55	593	700	-107	11.7	14.8
1955-56	609	774	-165	2.7	10.6
1956-57	605	841	-236	-0.7	8.7
1957-58	561	1035	-474	-7.3	23.1
1958-59	581	906	-325	3.6	-12.5
1959-60	640	961	-321	10.2	6.1
1960-61	642	1122	-480	0.3	16.8
1961-62	660	1090	-430	2.8	-2.9
1962-63	685	1131	-446	3.8	3.8
1963-64	793	1223	-430	15.8	8.1
1964-65	816	1349	-533	2.9	10.3
1965-66	810	1409	-599	-0.7	4.4
1966-67	1157	2078	-921	42.8	47.5
1967-68	1199	2008	-809	3.6	-3.4
1968-69	1358	1909	-551	13.3	-4.9
1969-70	1413	1582	-169	4.1	-17.1
1970-71	1535	1634	-99	8.6	3.3
1971-72	1608	1825	-217	4.8	11.7
1972-73	1971	1867	104	22.6	2.3
1973-74	2523	2955	-432	28.0	58.3
1974-75	3329	4519	-1190	31.9	52.9
1975-76	4036	5265	-1229	21.2	16.5
1976-77	5142	5074	68	27.4	-3.6
1977-78	5408	6020	-612	5.2	18.6
1978-79	5726	6811	-1085	5.9	13.1
1979-80	6418	9143	-2725	12.1	34.2
1980-81	6711	12549	-5838	4.6	37.3
1981-82	7806	13608	-5802	16.3	8.4
1982-83	8803	14293	-5490	12.8	5.0
1983-84	9771	15831	-6060	11.0	10.8
1984-85	11744	17134	-5390	20.2	8.2
1985-86	10895	19658	-8763	-7.2	14.7
1986-87	12452	20096	-7644	14.3	2.2
1987-88	15674	22244	-6570	25.9	10.7
1988-89	20232	28235	-8003	29.1	26.9
1989-90	27658	35328	-7670	36.7	25.1

तालिका 7.1 (क) : निर्यात, आयात तथा व्यापार शेष (जारी...)					
वर्ष	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) (₹ करोड़)	आयात (₹ करोड़)	व्यापार संतुलन (₹ करोड़)	परिवर्तन दर	
				निर्यात	आयात
				(प्रतिशत)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1990-91	32553	43198	-10645	17.7	22.3
1991-92	44041	47851	-3810	35.3	10.8
1992-93	53688	63375	-9687	21.9	32.4
1993-94	69751	73101	-3350	29.9	15.3
1994-95	82674	89971	-7297	18.5	23.1
1995-96	106353	122678	-16325	28.6	36.4
1996-97	118817	138920	-20103	11.7	13.2
1997-98	130100	154176	-24076	9.5	11.0
1998-99	139752	178332	-38580	7.4	15.7
1999-00	159095	215529	-56434	13.8	20.9
2000-01	201356	228307	-26950	26.6	5.9
2001-02	209018	245200	-36182	3.8	7.4
2002-03	255137	297206	-42069	22.1	21.2
2003-04	293367	359108	-65741	15.0	20.8
2004-05	375340	501065	-125725	27.9	39.5
2005-06	456418	660409	-203991	21.6	31.8
2006-07	571779	840506	-268727	25.3	27.3
2007-08	655864	1012312	-356448	14.7	20.4
2008-09	840755	1374436	-533681	28.2	35.8
2009-10	845534	1363736	-518202	0.6	-0.8
2010-11	1136964	1683467	-546503	34.5	23.4
2011-12	1465959	2345463	-879504	28.9	39.3
2012-13	1634319	2669162	-1034843	11.5	13.8
2013-14	1905011	2715434	-810423	16.6	1.7
2014-15	1896348	2737087	-840738	-0.5	0.8
2015-16	1716384	2490306	-773921	-9.5	-9.0
2016-17	1849434	2577675	-728242	7.8	3.5
2017-18	1956515	3001033	-1044519	5.8	16.4
2018-19	2307726	3594675	-1286948	18.0	19.8
2019-20	2219854	3360954	-1141100	-3.8	-6.5
2019-20 (अप्रैल-नवंबर)	1484387	2280659	-796273	-1.4	-6.4
2020-21 (अप्रैल-नवंबर)(अ)	1299355	1633266	-333911	-12.5	-28.4

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता। (डीजीसीआई एण्ड एस)

अ: अंतिम

टिप्पणी:

1. वर्ष 1956-57, 1957-58, 1958-59 और 1959-60 से संबंधित आंकड़े पूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की आकलन समिति (1971-72) की चौदहवीं रिपोर्ट के अनुसार हैं।

तालिका 7.1 (ख) : निर्यात, आयात तथा व्यापार शेष

वर्ष	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) (मिलियन अमरीकी डालर)	आयात (मिलियन अमरीकी डालर)	व्यापार संतुलन (मिलियन अमरीकी डालर)	परिवर्तन दर	
				निर्यात	आयात
				(प्रतिशत)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1949-50	1016	1292	-276	--	--
1950-51	1269	1273	-4	24.9	-1.5
1951-52	1490	1852	-362	17.4	45.5
1952-53	1212	1472	-260	-18.7	-20.5
1953-54	1114	1279	-165	-8.1	-13.1
1954-55	1233	1456	-223	10.7	13.8
1955-56	1275	1620	-345	3.4	11.3
1956-57	1259	1750	-491	-1.3	8.0
1957-58	1171	2160	-989	-7.0	23.4
1958-59	1219	1901	-682	4.1	-12.0
1959-60	1343	2016	-673	10.2	6.0
1960-61	1346	2353	-1007	0.2	16.7
1961-62	1381	2281	-900	2.6	-3.1
1962-63	1437	2372	-935	4.1	4.0
1963-64	1659	2558	-899	15.4	7.8
1964-65	1701	2813	-1112	2.5	10.0
1965-66	1693	2944	-1251	-0.5	4.7
1966-67	1628	2923	-1295	-3.8	-0.7
1967-68	1586	2656	-1070	-2.6	-9.1
1968-69	1788	2513	-725	12.7	-5.4
1969-70	1866	2089	-223	4.4	-16.9
1970-71	2031	2162	-131	8.8	3.5
1971-72	2153	2443	-290	6.0	13.0
1972-73	2550	2415	135	18.4	-1.1
1973-74	3209	3759	-550	25.8	55.7
1974-75	4174	5666	-1492	30.1	50.7
1975-76	4665	6084	-1419	11.8	7.4
1976-77	5753	5677	76	23.3	-6.7
1977-78	6316	7031	-715	9.8	23.9
1978-79	6978	8300	-1322	10.5	18.0
1979-80	7947	11321	-3374	13.9	36.4
1980-81	8486	15869	-7383	6.8	40.2
1981-82	8704	15174	-6470	2.6	-4.4
1982-83	9107	14787	-5680	4.6	-2.6
1983-84	9449	15311	-5862	3.8	3.5
1984-85	9878	14412	-4534	4.5	-5.9
1985-86	8904	16067	-7163	-9.9	11.5
1986-87	9745	15727	-5982	9.4	-2.1
1987-88	12089	17156	-5067	24.1	9.1
1988-89	13970	19497	-5527	15.6	13.6
1989-90	16612	21219	-4607	18.9	8.8

तालिका 7.1 (ख) : निर्यात, आयात तथा व्यापार शेष (जारी...)					
वर्ष	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) (मिलियन अमरीकी डालर)	आयात (मिलियन अमरीकी डालर)	व्यापार संतुलन (मिलियन अमरीकी डालर)	परिवर्तन दर	
				निर्यात	आयात
(1)	(2)	(3)	(4)	(प्रतिशत)	
1990-91	18143	24075	-5932	9.2	13.5
1991-92	17865	19411	-1546	-1.5	-19.4
1992-93	18537	21882	-3345	3.8	12.7
1993-94	22238	23306	-1068	20.0	6.5
1994-95	26330	28654	-2324	18.4	22.9
1995-96	31797	36678	-4881	20.8	28.0
1996-97	33470	39133	-5663	5.3	6.7
1997-98	35006	41484	-6478	4.6	6.0
1998-99	33218	42389	-9171	-5.1	2.2
1999-2000	36715	49738	-13023	10.5	17.3
2000-01	44076	49975	-5899	20.0	0.5
2001-02	43827	51413	-7587	-0.6	2.9
2002-03	52719	61412	-8693	20.3	19.4
2003-04	63843	78149	-14307	21.1	27.3
2004-05	83536	111517	-27981	30.8	42.7
2005-06	103091	149166	-46075	23.4	33.8
2006-07	126414	185735	-59321	22.6	24.5
2007-08	163132	251654	-88522	29.0	35.5
2008-09	185295	303696	-118401	13.6	20.7
2009-10	178751	288373	-109621	-3.5	-5.0
2010-11	249816	369769	-119954	39.8	28.2
2011-12	305964	489319	-183356	22.5	32.3
2012-13	300401	490737	-190336	-1.8	0.3
2013-14	314405	450200	-135794	4.7	-8.3
2014-15	310338	448033	-137695	-1.3	-0.5
2015-16	262291	381008	-118717	-15.5	-15.0
2016-17	275852	384357	-108505	5.2	0.9
2017-18	303526	465581	-162055	10.0	21.1
2018-19	330078	514078	-184000	8.7	10.4
2019-20	313361	474709	-161348	-5.1	-7.7
2019-20 (अप्रैल-नवंबर)	211167	324590	-113423	-2.3	-7.3
2020-21 (अप्रैल-नवंबर)(अ)	174116	218874	-44758	-17.5	-32.6

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता।

टिप्पणी : अ: अनंतिम उ.न.: उपलब्ध नहीं

1. वर्ष 1956-57, 1957-58, 1958-59 और 1959-60 से संबंधित आंकड़े पूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की आकलन समिति (1971-72) की चौदहवीं रिपोर्ट के अनुसार हैं।

तालिका 7.2 (क) : मुख्य आयात

मात्रा: हजार टन									
मूल्य: करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर									
(1)	1960-61			1970-71			1980-81		
	मात्रा (₹ करोड़)	\$ मिलियन		मात्रा (₹ करोड़)	\$ मिलियन		मात्रा (₹ करोड़)	\$ मिलियन	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I. खाद्य पदार्थ और खाद्य के लिए मुख्यतः जीवित पशु (कच्चे काजू के अलावा)	...	214	449	...	242	321	...	380	481
<i>जिसमें से:</i>									
I.1 अनाज और अनाज के उत्पाद	3747.7	181	380	3343.2	213	282	400.8	100	127
II. कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण	...	527	1105	...	889	1176	...	9760	12341
II.1 काजू (असंसाधित)	na	169.4	29	39	25	9	11
II.2 कच्चा रबर (कृत्रिम एवं पुनर्प्राप्त सहित)	36.2	11	23	7.8	4	5	26.2	32	40
II.3 रेशे	...	101	212	...	127	168	...	164	208
<i>जिसमें से :</i>									
II.3.1 कृत्रिम और पुनरुत्पादित रेशे (हस्त निर्मित रेशे)	0.2	15.8	9	12	68.8	97	122
II.3.2 अपरिष्कृत ऊन	1.9	1	2	19	15	20	18.8	43	55
II.3.3 अपरिष्कृत कपास	237.1	82	172	139.1	99	131	na
II.3.4 अपरिष्कृत जूट	100.4	8	17	0.7	...	0	8	1	1
II.4 पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक	800	69	145	12767	136	180	23537	5264	6656
II.5 पशु और वनस्पति तेल और वसा	...	5	10	...	39	51	...	709	896
<i>जिसमें से :</i>									
II.5.1 खाद्य तेल	31.1	4	8	84.7	23	31	1633.3	677	857
II.6 उर्वरक और रासायनिक उत्पाद	...	88	185	...	217	286	...	1490	1884
<i>जिसमें से :</i>									
II.6.1 उर्वरक और उर्वरक सामग्री	307	13	27	2392.7	86	113	5560.2	818	1034
II.6.2 रासायनिक तत्व और यौगिक	...	39	82	...	68	90	...	358	453
II.6.3 रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री	...	1	2	...	9	12	...	21	26
II.6.4 चिकित्सीय और भेषजीय उत्पाद	...	10	21	...	24	32	...	85	107
II.6.5 प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस एवं कृत्रिम राल	...	9	19	...	8	11	...	121	154
II.7 लुगदी और रद्दी कागज	80.3	7	15	71.7	12	16	36.9	18	23
II.8 कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण	55.6	12	25	159	25	33	371.4	187	236
II.9 अधात्विक खनिज विनिर्माण	...	6	13	...	33	44	...	555	702
<i>जिसमें से</i>									
II.9.1 मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न, गढ़े अथवा अनगढ़े	...	1	2	...	25	33	...	417	527
II.10 लौह और इस्पात	1325.2	123	258	683.4	147	194	2031.1	852	1078
II.11 अलौह धातु	...	47	99	...	119	158	...	477	604
III. पूंजीगत वस्तुएँ	...	356	747	...	404	534	...	1910	2416
III.1 गैर-विद्युतीय मशीनरी, मशीन औजार समेत	...	23	48	...	9	12	...	90	113
III.2 गैर-विद्युतीय मशीनरी, मशीन औजार समेत उपस्कर और उपकरण ^{iv}	...	203	426	...	258	341	...	1089	1377
III.3 विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण ^v	...	57	120	...	70	93	...	260	328
III.4 परिवहन उपकरण	...	72	151	...	67	88	...	472	597
कुल आयात	...	1122	2353	...	1634	2162	...	12549	15869

जारी...

तालिका 7.2 (क) : मुख्य आयात

मात्र: हजार टन									
मूल्य: करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर									
(1)	1990-91			2000-01			2010-11		
	मात्रा (₹ करोड़)	\$ मिलियन		मात्रा (₹ करोड़)	\$ मिलियन		मात्रा (₹ करोड़)	\$ मिलियन	
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I. खाद्य पदार्थ और खाद्य के लिए मुख्यतः जीवित पशु (कच्चे काजू के अलावा)
<i>जिसमें से:</i>									
I.1 अनाज और अनाज के उत्पाद	308.3	182	102	69.9	90	20	251.5	545	119
II. कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण
II.1 काजूगिरी (असंसाधित)	82.6	134	75	249.7	962	211	501.0	2650	578
II.2 कच्चा रबर (कृत्रिम एवं पुनर्प्राप्त सहित)	105.1	226	126	119.1	695	152	587.7	8074	1771
II.3 रेशे
<i>जिसमें से :</i>									
II.3.1 कृत्रिम और पुनरुत्पादित रेशे (हस्त निर्मित रेशे)	21.2	56	31	42.6	275	60	81.5	957	210
II.3.2 अपरिष्कृत ऊन	29.4	182	102	53.7	458	100	94.4	1435	315
II.3.3 अपरिष्कृत कपास	0.2	1	0	212.3	1185	259	56.5	624	137
II.3.4 अपरिष्कृत जूट	32.1	20	11	67.3	84	18	83.1	302	67
II.4 पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक	29359	10816	6028	...	71497	15650	...	482282	105964
II.5 पशु और वनस्पति तेल और वसा
<i>जिसमें से :</i>									
II.5.1 खाद्य तेल	525.8	326	182	4267.9	6093	1334	6677.6	29860	6551
II.6 उर्वरक और रासायनिक उत्पाद
<i>जिसमें से :</i>									
II.6.1 उर्वरक और उर्वरक सामग्री	7560.3	1766	984	7423.4	3034	664	20658.9	31533	6885
II.6.2 रासायनिक तत्व और यौगिक	...	2289	1276	...	1542	338	...	13278	2914
II.6.3 रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री	...	168	94	...	874	191	...	5368	1178
II.6.4 चिकित्सीय और भेषजीय उत्पाद	...	468	261	...	1723	377	...	11114	2436
II.6.5 प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस एवं कृत्रिम राल	...	1095	610	...	2551	558	...	31304	6874
II.7 लुगदी और रद्दी कागज	678.2	458	255	1050.9	1290	282	2634.5	5208	1145
II.8 कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण	286.4	456	254	585.6	2005	439	2145.0	9614	2111
II.9 अधात्विक खनिज विनिर्माण	797	174
<i>जिसमें से</i>									
II.9.1 मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न, गढ़े अथवा अनगढ़े	...	3738	2083	...	22101	4838	...	157596	34620
II.10 लौह और इस्पात	1920.5	2113	1178	1613.6	3569	781	9843.9	47275	10376
II.11 अलौह धातुएं	...	1102	614	...	2462	539	...	212153	46677
III. पूंजीगत वस्तुएं	...	10466	5833	...	25281	5534	...	231712	50907
III.1 धातुओं का विनिर्माण	...	302	168	...	1786	391	...	15167	3332
III.2 गैर-विद्युतीय मशीनरी, मशीन औजार समेत उपस्कर और उपकरण ^{iv}	...	4240	2363	...	16915	3703	...	118928	26111
III.3 विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण ^{iv}	...	1702	949	...	2227	487	...	17510	3845
III.4 परिवहन उपकरण	...	1670	931	...	4353	953	...	52112	11467
कुल आयात	...	43198	24075	...	228307	51413	...	1683467	369769

तालिका 7.2 (क) : मुख्य आयात

(जारी...)

मात्र: हजार टन

(1)	मूल्य: करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर								
	2018-19			2019-20			2019-20 (पी)		
	मात्रा (₹ करोड़)	\$ मिलियन		मात्रा (₹करोड़)	\$ मिलियन	मात्रा (₹करोड़)	\$ मिलियन		
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	
I. खाद्य पदार्थ और खाद्य के लिए मुख्यतः जीवित पशु (कच्चे काजू के अलावा)
<i>जिसमें से:</i>									
I.1 अनाज और अनाज के उत्पाद	345	1480	212	777	2312	324	150	756	101
II. कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण
II.1 काजूगिरी (असंसाधित)	840	11162	1608	941	9026	1278	546	4799	639
II.2 कच्चा रबर (कृत्रिम एवं पुनर्प्राप्त सहित)	1082	14027	2002	891	11014	1556	355	4141	552
II.3 रेशे
<i>जिसमें से :</i>									
II.3.1 कृत्रिम और पुनरुत्पादित रेशे (हस्त निर्मित रेशे)	...	3275	467	...	3478	491	...	1014	135
II.3.2 अपरिष्कृत ऊन	77	2160	310	69	1593	225	29	449	60
II.3.3 अपरिष्कृत कपास	299	4383	633	744	9371	1328	110	1373	183
II.3.4 अपरिष्कृत जूट	57	236	34	77	350	49	17	98	13
II.4 पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक	...	986275	140921	...	925168	130550	...	239952	31984
II.5 पशु और वनस्पति तेल और वसा									
<i>जिसमें से :</i>									
II.5.1 खाद्य तेल	15019	69024	9890	14722	68558	9673	6821	35739	4764
II.6 उर्वरक और रासायनिक उत्पाद									
<i>जिसमें से :</i>									
II.6.1 उर्वरक और उर्वरक सामग्री	27040	52095	7467	29962	52817	7468	16482	29320	3914
II.6.2 रासायनिक तत्व और यौगिक	...	220476	31535	...	199974	28260	...	92349	12303
II.6.3 रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री	...	22538	3222	...	20565	2906	...	7794	1038
II.6.4 चिकित्सीय और भेषजीय उत्पाद	...	44429	6359	...	45727	6460	...	26184	3489
II.6.5 प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस एवं कृत्रिम राल	...	109633	15682	...	103589	14634	...	38103	5079
II.7 लुगदी और रद्दी कागज	...	9186	1312	...	8091	1143	...	2706	360
II.8 कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण	...	24886	3559	...	23472	3318	...	8317	1106
II.9 अधात्विक खनिज विनिर्माण									
<i>जिसमें से</i>									
II.9.1 मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न, गढ़े अथवा अनगढ़े	...	188881	27076	...	159066	22459	...	38776	5208
II.10 लौह और इस्पात	15929	87989	12582	14288	75855	10734	4634	25039	3332
II.11 अलौह धातुएं	...	358759	51391	...	311406	44096	...	87819	11726
III. पूंजीगत वस्तुएं*	...	497258	71069	...	485797	68543	...	138657	18473
III.1 धातुओं का विनिर्माण	...	42460	6065	...	39394	5566	...	13548	1806
III.2 गैर-विद्युतीय मशीनरी, मशीन औजार समेत उपस्कर और उपकरण ^ब	...	137629	19670	...	133450	18859	...	47361	6313
III.3 विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण ^ब	...	126931	18182	...	133473	18833	...	41139	5482
III.4 परिवहन उपकरण	...	173621	24776	...	179480	25285	...	36609	4873
कुल आयात	...	3594675	514078	...	3360954	474709	...	1120946	149515

स्रोत : डी.जी.सी.आई.एंड.एस., कोलकाता।

टिप्पणी: उ.न. : उपलब्ध नहीं। अ: अनंतिम

क वर्ष 1987-88 से, पूंजीगत वस्तुओं में परियोजना वस्तुएं भी शामिल हैं।

ख वर्ष 1991-92 से मद संख्या 111.2 और मद सं. 111.3 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं शामिल नहीं हैं।

*: II.6.2 रासायनिक तत्व और यौगिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायनो, रासायनिक एवं उत्पाद सहित

** : धातु के विनिर्माण से संबंधी मदों (कुछ आईटीसीएस को छोड़कर) पहले ही तालिका 4क के अन्य समूहों के साथ विचार किया जा चुका है।

तालिका 7.2 (ख) : मुख्य आयातों का हिस्सा और प्रतिशत परिवर्तन

वस्तु समूह	(प्रतिशत हिस्सा)			(प्रतिशत परिवर्तन) ^१		
	2018-19	2019-20	2020-21 (P)	2018-19	2019-20	2020-21 (P)
	(अप्रैल-मार्च)	(अप्रैल-सितम्बर)	(अप्रैल-मार्च)	(अप्रैल-सितम्बर)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. खाद्य पदार्थ और सम्बन्धित उत्पाद^२	3.2	3.5	5.2	-19.3	0.5	-5.9
जिसमें शामिल है :						
1. अनाज ^३	0.0	0.1	0.1	-60.5	53.2	-33.0
2. दालें	0.2	0.3	0.4	-60.8	26.2	-1.8
3. काजू	0.3	0.3	0.4	13.3	-20.5	-24.5
4. खाद्य तेल	1.9	2.0	3.2	-15.0	-2.2	0.5
II. ईंधन	32.5	32.2	25.9	27.0	-8.4	-50.0
5. कोयला ^४	5.1	4.7	4.5	14.3	-14.2	-45.2
6. पेट्रोल, तेल और स्नेहक (पी. ओ.एल.)	27.4	27.5	21.4	29.7	-7.4	-50.9
III. उर्वरक^५	1.5	1.6	2.6	38.9	0.0	-3.7
IV. गत्ता विनिर्माण और अखबारी कागज	0.9	0.8	0.9	11.2	-11.4	-40.4
V. पूंजीगत वस्तुएं^६	13.8	13.7	11.6	12.5	-8.5	-44.7
जिसमें शामिल है :						
7. बिजली और मशीनी औजारों को छोड़कर मशीनरी	3.8	4.0	4.2	14.5	-4.1	-36.7
8. बिजली संबंधी मशीनरी	3.5	4.0	3.7	15.6	3.6	-43.5
9. परिवहन उपस्कर	4.8	5.3	3.3	9.0	2.1	-55.1
10. परियोजना वस्तुएं	0.5	0.4	0.5	14.3	-14.7	-22.4
VI. अन्य	36.6	25.0	25.1	3.4	-37.1	-41.9
जिसमें शामिल है :						
11. रसायन ^७	6.8	6.6	8.9	15.2	-10.3	-21.6
12. मोती, बहुमूल्य और अल्प मूल्य रत्न	5.3	4.7	3.5	-21.0	-17.1	-54.4
13. लौह और इस्पात ^८	2.5	2.3	2.2	20.6	-14.7	-48.0
14. अलौह धातुएं ^९	2.9	2.8	2.8	15.0	-10.8	-39.0
15. सोना और चांदी	7.1	6.5	5.0	-0.6	-15.6	-57.8
16. व्यावसायिक उपकरण, प्रकाशीय वस्तुएं आदि	1.0	1.1	1.3	9.1	-3.1	-22.4
17. इलैक्ट्रॉनिक सामान	11.2	1.1	1.3	8.5	-91.2	-22.4
कुल आयात	100.0	100.0	100.0	10.4	-7.7	-39.7

स्रोत : डी.जी.सी.आई.एंड.एस., कोलकाता।

टिप्पणी:

पी: अनंतिम

क अमरीकी डालर मूल्य में।

ख चाय, चीनी, दूध और क्रीम, मसाले, फल और गिरियां, चावल, गेहूं सहित।

ग अनाज से तैयार खाद्य वस्तुएं।

घ कोक और ब्रिकेट शामिल हैं।

ङ कच्चे उर्वरक; विनिर्मित उर्वरक शामिल हैं।

च धातुओं के विनिर्माण शामिल हैं।

छ कार्बनिक रसायन; अकार्बनिक रसायन, रासायनिक सामग्री और उत्पाद, रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री सहित।

ज प्राथमिक इस्पात, ढलवां लोहा आधारित वस्तुओं सहित।

झ सोना और चांदी शामिल नहीं है।

तालिका 7.3 (क) : मुख्य निर्यात (जारी...)

मात्रा: हजार टन

मूल्य : ₹ करोड़ और अमरीकी \$ मिलियन

(1)	1960-61			1970-71			1980-81		
	मात्रा (₹ करोड़)	(₹ मिलियन)	(\$ मिलियन)	मात्रा (₹ करोड़)	(₹ मिलियन)	(\$ मिलियन)	मात्रा (₹ करोड़)	(₹ मिलियन)	(\$ मिलियन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. कृषि और संबद्ध उत्पाद	...	284	596	...	487	644	...	2057	2601
जिसमें शामिल है :									
I.1 काफी	19.7	7	15	32.2	25	33	87.3	214	271
I.2 चाय और मेट	199.2	124	260	199.1	148	196	229.2	426	538
I.3 तेल की खली	433.8	14	29	878.5	55	73	886	125	158
I.4 तम्बाकू	47.5	16	34	49.8	33	43	91.3	141	178
I.5 काजू गिरी	43.6	19	40	60.6	57	76	32.3	140	177
I.6 मसाले	47.2	17	36	46.9	39	51	84.2	11	14
I.7 चीनी और शीरा	99.6	30	60	473	29	39	97	40	50
I.8 अपरिष्कृत कपास	32.6	12	25	32.1	14	19	131.6	165	209
I.9 चावल	32.8	5	7	726.7	224	283
I.10 मछली तथा मछली से बने खाद्य पदार्थ	19.9	5	10	32.6	31	40	69.4	217	274
I.11 मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ	...	1	2	...	3	4	...	56	70
I.12 फल, सब्जियां और दालें (काजू गिरी, संसाधित फलों व जूस के अतिरिक्त)	...	6	13	...	12	16	...	80	101
I.13 विविध संसाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें संसाधित फल एवं जूस शामिल है)	...	1	2	...	4	6	...	36	45
II. अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त)	...	52	109	...	164	217	...	414	523
जिसमें शामिल है :									
II.1 अभ्रक	28.4	26.7	16	21	16.7	18	22
II.2 लौह अयस्क (मिलियन टन)	3.2	17	36	21.2	117	155	22.4	303	384
III. विनिर्मित वस्तुएं	...	291	610	...	772	1021	...	3747	4738
जिसमें शामिल है :									
III.1 कपड़ा और उससे बनी वस्तुएं हाथ से बने गलीचों के अतिरिक्त)	...	73	153	...	145	192	...	933	1179
जिसमें से:									
III.1.1 सूती धागे, वस्त्र और उनसे तैयार वस्तुएं आदि	...	65	136	...	142	188	...	408	516
III.1.2 सभी प्रकार के कपड़े के सिले सिलाए वस्त्र	...	1	2	...	29	39	...	550	696
III.2 नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान	...	6	13	...	13	17	...	17	22
III.3 बटे हुए धागे सहित जूट से निर्मित सामान	790.0	135	283	560.0	190	252	660.0	330	417
III.4 चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान जिसमें चमड़ा फुटवियर, चमड़े के यात्र सामान और चमड़ा परिधान शामिल हैं	...	28	59	...	80	106	...	390	493
III.5 हस्तशिल्प (हाथ के बुने गलीचे सहित) [†]	...	11	23	...	73	96	...	952	1204
जिसमें शामिल है :									
III.5.1 रत्न और आभूषण	...	1	2	...	45	59	...	618	782
III.6 रसायन और संबद्ध उत्पाद ^{††}	...	7	15	...	29	39	...	225	284
III.7 मशीनरी, परिवहन एवं लोहा और इस्पात सहित कुल निर्यात	...	22	46	...	198	261	...	827	1045
IV. खनिज ईंधन और स्नेहक (कोयले सहित) ^{††}	...	7	15	...	13	17	...	28	35
कुल निर्यात	...	642	1346	...	1535	2031	...	6711	8486

जारी...

तालिका 7.3 (क) : मुख्य निर्यात (जारी...)

जारी...

मात्रा: हजार टन

मूल्य : ₹ करोड़ और अमरीकी \$ मिलियन

(1)	1990-91			2000-01			2010-11			
	मात्रा (₹करोड़)	\$ मिलियन		मात्रा (₹करोड़)	\$ मिलियन		मात्रा (₹करोड़)	\$ मिलियन		
	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
I. कृषि और संबद्ध उत्पाद	...	6317	3521	...	28582	6256	...	111393	24448	
<i>जिसमें शामिल है :</i>										
I. 1	काफी	86.5	252	141	184.9	1185	259	232.6	3010	662
I. 2	चाय और मेट	199.1	1070	596	202.4	1976	433	238.3	3354	736
I. 3	तेल की खली	2447.8	609	339	2417.8	2045	448	6936.9	11070	2438
I. 4	तम्बाकू	87.1	263	147	108.3	871	191	215.9	3985	875
I. 5	काजू गिरी	55.5	447	249	83.8	1883	412	12156.5	2853	627
I. 6	मसाले	103.3	239	133	244.9	1619	354	762.7	8043	1768
I. 7	चीनी और शीरा	191.0	38	21	769.0	511	112	2086.3	5633	1246
I. 8	अपरिष्कृत कपास	374.4	846	471	30.2	224	49	1885.8	13160	2910
I. 9	चावल	505.0	462	257	1534.4	2943	644	2471.4	11586	2545
I. 10	मछली तथा मछली से बने खाद्य पदार्थ	158.9	960	535	502.6	6367	1394	825.3	11917	2623
I. 11	मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ	...	140	78	...	1470	322	...	8960	1971
I. 12	फल, सब्जियाँ और दालें (काजू गिरी, संसाधित फलों व जूस के अतिरिक्त)	...	216	120	...	1609	352	...	6350	1397
I. 13	विविध संसाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें संसाधित फल एवं जूस शामिल है)	...	213	119	...	1094	239	...	3669	806
II.	अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त)	...	1497	834	...	4139	906	...	39098	8581
<i>जिसमें शामिल है :</i>										
II.1	अन्नक	42.0	35	19	63.2	64	14	125.8	189	42
II.2	लौह अयस्क (मिलियन टन)	32.5	1049	585	20161.4	1634	358	46.9	21416	4715
III.	विनिर्मित वस्तुएं	...	23736	13229	...	160723	35181	...	789433	173263
<i>जिसमें शामिल है :</i>										
III. 1	कपड़ा और उससे बनी वस्तुएं (ढाँचा से बने गलीचों के अतिरिक्त)	...	6832	3807
<i>जिसमें से:</i>										
III.1.1	सूती धागे, वस्त्र और उनसे तैयार वस्तुएं आदि	...	2100	1170	...	16030	3509	...	13160	2910
III.1.2	सभी प्रकार के कपड़े के सिले सिलाए वस्त्र	...	4012	2236	...	25478	5577	...	52861	11614
III. 2	नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान	...	48	27	...	221	48	...	726	159
III. 3	बटे हुए धागे सहित जूट से निर्मित सामान	220.0	298	166	...	932	204	...	2092	459
III. 4	चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान जिसमें चमड़ा फुटवियर, चमड़े के यात्र सामान और चमड़ा परिधन शामिल हैं	...	2600	1449	...	8914	1951	...	17818	3909
III. 5	हस्तशिल्प (हाथ के बुने गलीचे सहित) ¹⁾	...	6167	3437	...	5097	1116	...	5877	1293
<i>जिसमें शामिल है :</i>										
III. 5.1	रत्न और आभूषण	...	5247	2924	...	33734	7384	...	184420	40509
III. 6	रसायन और संबद्ध उत्पाद ²⁾	...	2111	1176	...	22851	5002	...	131544	28905
III. 7	मशीनरी, परिवहन एवं लोहा और इस्पात सहित कुल निर्यात	...	3872	2158	...	31870	6976	...	226805	49815
IV.	खनिज ईंधन और स्नेहक (कोयले सहित) ³⁾	...	948	528	...	8822	1931	...	192639	42280
कुल निर्यात										
		...	32553	18143	...	201356	44076	...	1136964	251136

जारी...

तालिका 7.3(क) : मुख्य निर्यात (जारी...)

मात्रा: हजार टन
मूल्य : ₹ करोड़ और अमरीकी \$ मिलियन

(1)	2018-19			2019-20			2020-21 (पी)			
	मात्रा (20)	₹ करोड़ (21)	\$ मिलियन (22)	मात्रा (23)	₹ करोड़ (24)	\$ मिलियन (25)	मात्रा (26)	₹ करोड़ (27)	\$ मिलियन (28)	
I.	कृषि और संबद्ध उत्पाद	...	271354	38829	248385	35012	134748	17964		
	जिसमें शामिल है :									
I.1	काँफी	282.8	5722	822	257.0	5237	739	131.6	2762	368
I.2	चाय और मेट	270.3	5828	831	254.8	5851	827	104.8	2671	357
I.3	तेल की खली	4493.3	10557	1509	2655.8	5861	828	1489.0	3447	460
I.4	तम्बाकू	189.6	3985	570	181.8	3761	530	90.5	1981	264
I.5	काजू गिरी	83.5	4606	658	88.9	4041	570	23.0	1274	170
I.6	मसाले	1133.9	23218	3322	1193.4	25642	3621	768.8	14313	1908
I.7	चीनी और शीरा	4835.6	10110	1444	6392.2	14499	2039	4115.3	10514	1399
I.8	अपरिष्कृत कपास	1143.1	14628	2104	657.8	7540	1057	357.4	3476	465
I.9	चावल	12062.6	53975	7751	9511.0	45427	6403	7466.1	30609	4077
I.10	मछली तथा मछली से बने खाद्य पदार्थ	1672.4	47665	6803	1329.0	47618	6722	488.4	20314	2710
I.11	मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ	...	25987	3716	23347	3297	10360	1385		
I.12	फल, सब्जियाँ और दालें (काजू गिरी, संसाधित फलों व जूस के अतिरिक्त)	...	13018.77	1866.649	11625.52	1635.605	6160.327	818.3326		
I.13	विविध संसाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें संसाधित फल एवं जूस शामिल है)	...	6536.662	933.6067	6802.996	958.543	4014.972	535.4819		
II.	अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त)	...	41451	5928	48308	6816	29233	3896		
	जिसमें शामिल है :									
II.1	अभ्रक	151.4	498	71	115.663	372	53	66.3	224	30
II.2	लौह अयस्क (मिलियन टन)	16148.9	9260	1317	36.6237	18607	2625	29.3	16018	2132
III.	विनिर्मित वस्तुएं	...	1621763	231951	1582387	223343	660890	88205		
	जिसमें शामिल है :									
III.1	कपड़ा और उससे बनी वस्तुएं (हाथ से बने गलीचों के अतिरिक्त)	...	192750	27593	10723.63	1515.194	3803.337	507.8598		
	जिसमें से:									
III.1.1	सूती धागे, वस्त्र और उनसे तैयार वस्तुएं आदि	...	68786	9843	61857	8728	26834	3586		
III.1.2	सभी प्रकार के कपड़े के सिले सिलाए वस्त्र	...	112701.3	16138.29	109690.6	15488.07	35768.26	4783.605		
III.2	नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान	...	2288	327	2416	340	1538	205		
III.3	बटे हुए धागे सहित जूट से निर्मित सामान	...	2274	325	2428	343	1021	137		
III.4	चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान जिसमें चमड़ा फुटवियर, चमड़े के यात्रा सामान और चमड़ा परिधान शामिल हैं	...	35934.05	5140.847	32971.08	4658.477	10618.78	1420.999		
III.5	हस्तशिल्प (हाथ के बुने गलीचे सहित) ^१ जिसमें शामिल है :	...	23115	3304	22319	3151	9086	1216		
III.5.1	रत्न और आभूषण	...	281408	40251	254114	35898	64895	8690		
III.6	रसायन और संब) उत्पाद ^२	...	220208	31479	221831	31314	105723	14093		
III.7	मशीनरी, परिवहन एवं लोहा और इस्पात सहित धात्विक निर्मित सामान ^३	...	567108.7	81191.14	540960.1	76356.6	245310.4	32726.13		
IV.	खनिज ईंधन और स्नेहक (कोयले सहित)^४	...	335228	47885	302097	42671	94153	12580		
	कुल निर्यात	...	2307726	330078	2219854	313361	939924	125434		

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कोलकाता : उपलब्ध नहीं

पी: अनंतिम

क. रसायन और संबंधित उत्पाद आकड़े, (आधारभूत रसायनों) और प्लास्टिक लिनोनियम उत्पादों से संबंधित है।

ख. इसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल है।

ग. रत्न और आभूषण हस्तशिल्पों में शामिल नहीं है और 1997-98 से वैयक्तिक मद के रूप में सूचित किए जाते हैं।

घ. 1990-1991 और 2000-01 के दौरान कच्चे तेल का निर्यात 0 शून्य रहा।

तालिका 7.3 (ख) : मुख्य निर्यातों का हिस्सा और प्रतिशत परिवर्तन

वस्तु समूह	(प्रतिशत हिस्सा)			(प्रतिशत परिवर्तन) ^क		
	2018-19	2019-20	2020-21 (P)	2018-19	2019-20	2020-21 (P)
	(अप्रैल-मार्च)	(अप्रैल-मार्च)	(अप्रैल-सितम्बर)	(अप्रैल-मार्च)	(अप्रैल-मार्च)	(अप्रैल-सितम्बर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. कृषि और सम्बन्धित वस्तुएं,	11.8	11.2	14.3	0.5	-10.9	5.9
<i>जिसमें शामिल है :</i>						
1 चाय	0.3	0.3	0.3	-0.8	-0.5	-24.5
2 काफी	0.2	0.2	0.3	-17.8	-11.3	-6.8
3 अनाज	2.5	2.1	3.5	0.1	-22.3	27.4
4 अनिर्मित तम्बाकू	0.2	0.2	0.2	-4.1	-7.5	-4.0
5 मसाले	1.0	1.2	1.5	6.2	8.3	-2.9
6 काजू	0.2	0.2	0.1	-40.9	-15.5	-66.6
7 आयल मील्स	0.5	0.3	0.4	27.5	-82.2	6.5
8 फूल, सब्जियां और दालें	0.6	0.5	0.7	3.0	-14.1	1.4
9 सामुद्रिक उत्पाद	2.1	2.1	2.2	-8.6	-1.2	-23.8
10 अपरिष्कृत कपास	0.6	0.3	0.4	10.0	-99.0	51.3
II. अयस्क और खनिज	1.8	2.2	3.1	4.8	13.0	9.5
<i>जिसमें शामिल है :</i>						
11 लौह अयस्क	0.4	0.8	1.7	-11.7	99.3	37.3
12 संसाधित खनिज	0.4	0.3	0.3	17.9	-19.7	-29.8
13 अन्य अयस्क और खनिज	0.7	0.7	0.8	2.6	-1.0	-3.0
III. विनिर्मित वस्तुएं,	70.3	71.3	70.3	6.8	-3.9	-29.1
<i>जिसमें शामिल है :</i>						
14 चमड़ा और उससे बने उत्पाद	0.9	0.9	0.7	-4.8	-12.2	-69.5
15 चमड़े के जूते	0.7	0.7	0.5	0.2	-5.1	-65.0
16 रत्न व आभूषण	12.2	11.5	6.9	-3.2	-10.8	-121.7
17 दवाइयां, फार्मास्युटिकल और उत्तम रसायन	1.2	1.2	1.7	9.5	-0.6	8.1
18 रंगाई/मध्यवर्ती और कोलतार रसायन	0.9	0.9	0.8	14.4	2.5	-39.4
19 धातुओं के उत्पाद	5.0	4.9	5.6	-7.4	-6.5	-6.7
20 मशीनरी और उपकरण	8.3	8.6	8.4	15.6	-1.8	-25.7
21 परिवहन उपस्कर	7.4	6.8	6.1	12.2	-11.8	-52.0
22 प्राथमिक एवं अर्धनिर्मित लौह और इस्पात	3.0	3.0	5.0	-15.4	-4.8	25.4
23 इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं	2.4	3.5	3.0	28.7	35.2	-34.3
24 सूती धागे, वस्त्र एवं उससे निर्मित वस्तुएं इत्यादि	3.0	2.8	2.9	9.5	-11.3	-20.0
25 सिले-सिलाए वस्त्र	4.9	4.9	3.8	-3.5	-4.0	-64.6
26 हस्तशिल्प	0.6	0.6	0.5	0.8	-2.2	-42.6
IV. कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद (कोयला सहित)	14.5	13.6	10.0	19.7	-12.2	-75.5
V. अन्य और अवर्गीकृत मदें	1.7	1.8	2.2	14.9	0.6	0.4
कुल निर्यात	100.0	100.0	100.0	8.0	-5.3	-26.9

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता।

टिप्पणी:

अ: अनन्तिम

क अमरीकी डालर के संबंध में

तालिका 7.4(क) : आयातों की दिशा: क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात

क्षेत्र देश	2018-19		2019-20		(4) की तुलना में (2) (प्रतिशत)		Share in 2018-19		2019-20		2020-21 (P)		Change (10) over (8)	Share in 2020-21 (प्रतिशत)
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-नवम्बर)		(प्रतिशत)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(₹ करोड़)			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1) यूरोप	79,357	5,54,301	71,489	5,05,609	-9.9	15.1	49,958	3,50,769	32,657	2,43,683	-34.6	14.9		
1.1 यूरोपीय संघ के देश	58,431	4,08,307	51,754	3,66,284	-11.4	10.9	35,165	2,47,020	25,567	1,90,934	-27.3	11.7		
1. जर्मनी	15,167	1,06,170	13,691	96,928	-9.7	2.9	9,048	63,563	8,186	61,191	-9.5	3.7		
2. बेल्जियम	10,469	73,002	8,879	62,831	-15.2	1.9	5,984	42,033	3,867	28,781	-35.4	1.8		
3. यूनाइटेड किंगडम	7,562	52,744	6,713	47,496	-11.2	1.4	4,525	31,785	2,617	19,527	-42.2	1.2		
4. फ्रांस	6,666	46,598	6,169	43,661	-7.5	1.3	4,490	31,568	2,352	17,602	-47.6	1.1		
5. इटली	5,292	37,003	4,491	31,778	-15.1	0.9	3,093	21,728	2,229	16,655	-28.0	1.0		
6. नीदरलैंड	4,063	28,504	3,391	23,995	-16.5	0.7	2,368	16,630	1,880	14,041	-20.6	0.9		
7. स्पेन	1,681	11,728	1,613	11,417	-4.0	0.3	1,152	8,100	821	6,139	-28.7	0.4		
8. स्वीडन	1,327	9,279	1,114	7,886	-16.0	0.2	778	5,466	589	4,402	-24.2	0.3		
9. पोलैंड	793	5,540	850	5,999	7.1	0.2	600	4,197	391	2,915	-34.9	0.2		
10. डेनमार्क	537	3,753	632	4,484	17.7	0.1	429	3,016	360	2,691	-16.1	0.2		
11. आस्ट्रिया	716	5,004	630	4,459	-12.1	0.1	432	3,033	357	2,665	-17.3	0.2		
12. फिनलैंड	1,124	7,795	626	4,426	-44.3	0.1	431	3,029	443	3,303	2.8	0.2		
13. आयरलैंड	423	2,955	604	4,266	43.0	0.1	419	2,938	258	1,924	-38.5	0.1		
14. चेक गणराज्य	259	1,808	299	2,127	15.7	0.1	178	1,252	225	1,678	26.4	0.1		
15. लात्विया	158	1,111	266	1,887	67.6	0.1	110	771	32	241	-70.7	0.0		
16. रोमानिया	315	2,197	261	1,848	-17.1	0.1	199	1,401	103	771	-48.1	0.0		
17. लिथुआनिया	212	1,480	262	1,843	23.6	0.1	181	1,260	199	1,491	10.3	0.1		
18. स्लोवाकिया	249	1,744	248	1,764	-0.1	0.1	162	1,140	160	1,201	-0.9	0.1		
19. हंगरी	241	1,684	188	1,330	-22.2	0.0	115	809	132	986	14.5	0.1		
20. बल्गारिया	126	876	144	1,019	14.6	0.0	101	708	86	638	-15.0	0.0		
21. पुर्तगाल	133	926	142	1,003	6.8	0.0	97	684	68	505	-30.6	0.0		
22. ग्रीस	144	1,004	124	876	-14.1	0.0	84	587	87	654	4.4	0.0		
23. माल्टा	44	308	122	871	178.6	0.0	9	61	10	72	10.2	0.0		

जारी...

तालिका 7.4(क) : आयातों की दिशा: क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)

क्षेत्र देश	2018-19		2019-20		(4) की तुलना में (2) (प्रतिशत)		Share in 2018-19		2019-20		2020-21 (P)		Change Share
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-मार्च)		(प्रतिशत)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
24. साइप्रस	394	2,737	74	530	-81.1	0.0	32	226	15	115	-51.8	0.0	
25. क्रोएशिया	39	268	57	403	46.9	0.0	44	306	15	112	-65.7	0.0	
26. स्लोवाक गणराज्य	57	402	55	388	-4.5	0.0	40	279	21	154	-48.0	0.0	
27. लक्जमबर्ग	132	931	54	385	-58.8	0.0	31	220	20	148	-36.9	0.0	
28. स्वीनिया	108	755	54	383	-50.0	0.0	32	227	44	332	36.9	0.0	
1.2 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)	18,466	1,28,826	17,542	1,23,797	-5.0	3.7	13,222	92,721	6,183	45,959	-53.2	2.8	
1. स्विट्जरलैंड	18,088	1,26,172	16,900	1,19,239	-6.6	3.6	12,808	89,797	5,837	43,383	-54.4	2.7	
2. नावें	366	2,569	631	4,481	72.1	0.1	404	2,856	342	2,546	-15.5	0.2	
3. आइसलैंड	9	61	10	74	20.1	0.0	9	66	4	29	-59.1	0.0	
4. लेटनश्टीन	4	25	0	3	-88.3	0.0	0	3	0	2	-32.4	0.0	
1.3 अन्य यूरोपीय देश	2,459	17,168	2,194	15,529	-10.8	0.5	1,571	11,028	908	6,790	-42.2	0.4	
1. तुर्की	2,388	16,670	2,117	14,985	-11.4	0.4	1,498	10,516	898	6,716	-40.1	0.4	
2. अल्बानिया	23	160	48	335	110.0	0.0	47	333	1	6	-98.3	0.0	
3. मकदूनिया	24	169	15	102	-39.7	0.0	14	102	3	25	-77.6	0.0	
4. सर्बिया	21	151	12	81	-46.3	0.0	10	67	4	32	-55.2	0.0	
5. बोसनिया हर्जोगोविना	2	17	3	24	35.9	0.0	1	9	1	9	-10.6	0.0	
6. मोटेनगो	0	1	0	1	23.1	0.0	0	1	0	3	325.0	0.0	
2. अफ्रीका	41,128	2,87,344	37,703	2,67,052	-8.3	7.9	26,106	1,83,405	15,078	1,12,483	-42.2	6.9	
2.1 दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ (एसएससीयू)	7,555	52,774	7,749	55,044	2.6	1.6	4,902	34,442	3,506	26,088	-28.5	1.6	
1. दक्षिणी अफ्रीका	6,517	45,522	6,970	49,507	6.9	1.5	4,438	31,178	3,275	24,375	-26.2	1.5	
2. बोत्सवाना	974	6,810	744	5,284	-23.7	0.2	446	3,134	212	1,566	-52.6	0.1	
3) नामिबिया	54	375	29	202	-46.7	0.0	13	93	17	123	23.9	0.0	
4) स्वाज़ीलैंड	10	67	7	50	-26.8	0.0	5	36	3	23	-38.9	0.0	
5) लेसोथो	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	1	75.0	0.0	
2.2 अन्य दक्षिण अफ्रीका देश	5,643	39,446	5,341	37,826	-5.4	1.1	3,781	26,567	1,661	12,398	-56.1	0.8	

जारी...

तालिका 7.4(क) : आयातों की दिशा: क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात

क्षेत्र देश	2018-19		2019-20		(4) की तुलना में (2)		Share		2019-20		2020-21 (P)		Change	Share
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-नवम्बर)		(प्रतिशत)		in 2018-19		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)			
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(3)	(4)	(₹ करोड़)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1. अंगोला	4,027	28,147	3,649	25,832	-9.4	0.8	2,676	18,800	1,136	8,476	-57.6	0.5		
2. जांबिया	511	3,567	843	5,986	65.2	0.2	533	3,748	92	693	-82.7	0.0		
3. मोजाम्बिक	1,097	7,677	835	5,911	-23.9	0.2	562	3,950	432	3,219	-23.2	0.2		
4. जिंबाब्वे	8	55	14	97	74.5	0.0	10	70	1	11	-85.1	0.0		
2.3 पश्चिमी अफ्रीका	20,084	1,40,310	17,238	1,21,964	-14.2	3.6	12,346	86,706	6,654	49,684	-46.1	3.0		
1) नाइजीरिया	10,885	76,316	10,214	72,428	-6.2	2.2	7,210	50,733	3,281	24,527	-54.5	1.5		
2) घाना	3,763	26,206	1,774	12,500	-52.9	0.4	1,310	9,175	829	6,182	-36.7	0.4		
3) इक्वेटोरियल	634	4,426	973	6,858	53.4	0.2	665	4,646	148	1,104	-77.7	0.1		
4) केमरून	343	2,356	676	4,794	97.1	0.1	379	2,673	65	486	-82.8	0.0		
5) कौंगो जनवादी गणराज्य	406	2,863	588	4,096	44.8	0.1	586	4,085	240	1,783	-59.1	0.1		
6) बुरुकिना फासो	881	6,149	543	3,839	-38.4	0.1	323	2,259	151	1,127	-53.2	0.1		
7) सेनेगल	659	4,525	469	3,316	-28.8	0.1	340	2,384	270	2,015	-20.6	0.1		
8) कोट डी आईवरी	603	4,196	455	3,193	-24.6	0.1	396	2,771	196	1,464	-50.6	0.1		
9) गिनी	414	2,870	416	2,955	0.5	0.1	220	1,542	609	4,530	176.9	0.3		
10) टोगो	304	2,126	384	2,704	26.2	0.1	301	2,109	166	1,246	-44.9	0.1		
11) बर्निन	376	2,604	359	2,534	-4.5	0.1	296	2,073	286	2,150	-3.1	0.1		
12) गेबॉन	456	3,193	138	978	-69.6	0.0	107	755	247	1,839	130.0	0.1		
13) गिनी बिसाऊ	124	889	125	886	0.6	0.0	116	824	103	761	-11.1	0.0		
14) गाम्बिया	45	316	41	289	-9.1	0.0	37	261	33	248	-10.1	0.0		
15) माली	18	127	38	268	107.9	0.0	32	225	13	95	-60.4	0.0		
16) सिएरा लियोन	12	82	24	173	108.8	0.0	12	84	5	41	-54.5	0.0		
17) मोरिटानिया	16	111	11	76	-33.0	0.0	8	55	3	21	-63.8	0.0		
18) लाइबेरिया	141	931	8	55	-94.5	0.0	5	36	4	29	-25.0	0.0		
19) कंपो वड द्वीप	3	20	2	14	-29.9	0.0	2	11	1	8	-34.6	0.0		
20) नाईजर	1	4	1	6	38.5	0.0	1	4	4	27	596.1	0.0		

जारी...

तालिका 7.4(क) : आयातों की दिशा: क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)

क्षेत्र देश	2018-19		2019-20		(4) की तुलना में (2) (प्रतिशत)		Share in 2018-19		2019-20		2020-21 (P)		Change Share
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-मार्च)		(प्रतिशत)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
21) सेंट हेलेना	0	1	0	0	-85.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22) साओ टोम	0	0	0	0	-100.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4 मध्य अफ्रीका													
1) चाड	554	3,902	378	2,672	-31.9	0.1	285	2,013	88	653	-69.2	0.0	
2) युगांडा	476	3,355	271	1,914	-43.1	0.1	202	1,422	49	362	-75.6	0.0	
3) कांगो लोअंग	23	162	35	245	50.0	0.0	25	173	25	187	1.7	0.0	
4) मलावी	19	133	32	228	69.0	0.0	23	160	7	52	-69.7	0.0	
5) स्वाडा	23	161	32	225	39.3	0.0	31	220	3	23	-89.9	0.0	
6) बुरुंडी	7	47	4	29	-38.6	0.0	3	18	4	27	39.7	0.0	
7) मध्य अफ्रीकी गणराज्य	5	31	4	27	-15.8	0.0	2	16	0	0	-98.7	0.0	
2.5 पूर्वी अफ्रीका													
1) तंजानिया गणराज्य	2	14	1	4	-72.3	0.0	0	3	0	1	-67.3	0.0	
2) मेंडागास्कर	1,563	10,892	1,446	10,278	-7.5	0.3	822	5,781	598	4,461	-27.2	0.3	
3) इथियोपिया	903	6,281	1,023	7,288	13.3	0.2	547	3,857	408	3,042	-25.4	0.2	
4) केन्या	297	2,074	126	897	-57.5	0.0	52	364	47	350	-9.8	0.0	
5) मारिशस	55	378	99	694	79.1	0.0	84	591	18	139	-78.1	0.0	
6) कोमोरोस	137	961	90	633	-34.6	0.0	67	466	65	488	-1.6	0.0	
7) जिबूती	79	547	30	216	-61.3	0.0	18	124	24	176	34.2	0.0	
8) रियूनियन	35	247	20	143	-42.4	0.0	9	61	9	64	0.1	0.0	
9) सोमालिया	16	110	20	138	23.5	0.0	15	102	10	76	-30.0	0.0	
10) सेशल्स	18	127	19	131	2.0	0.0	14	95	10	78	-23.3	0.0	
2.6 उत्तरी अफ्रीका													
1) मिस्र आब गणराज्य	18	130	15	105	-17.9	0.0	14	97	4	31	-70.5	0.0	
2) अल्जीरिया	5	37	5	33	-10.6	0.0	4	25	2	18	-32.8	0.0	
3) मॉरक्को	5,728	40,020	5,552	39,269	-3.1	1.2	3,969	27,897	2,571	19,200	-35.2	1.2	
4) सूडान	1,678	11,698	2,031	14,391	21.1	0.4	1,418	9,986	1,199	8,948	-15.5	0.5	
	1,697	11,900	1,997	14,122	17.7	0.4	1,376	9,661	186	1,393	-86.5	0.1	
	1,327	9,267	953	6,725	-28.2	0.2	720	5,060	994	7,428	38.0	0.5	
	743	5,195	397	2,800	-46.6	0.1	336	2,364	102	761	-69.8	0.0	

जारी...

तालिका 7.4(क) : आयातों की दिशा: क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात

क्षेत्र देश	2018-19		2019-20		(4) की तुलना में (2) (प्रतिशत)		Share in 2018-19		2019-20		2020-21 (P)		Change (10) over (8) (प्रतिशत)	Share (जारी...)
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-नवम्बर)		(प्रतिशत)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
5) द्यूनिशिया	138	959	131	929	-4.9	0.0	83	583	85	637	2.6	0.0		
6) लीबिया	146	1,001	43	302	-70.5	0.0	35	244	4	33	-87.3	0.0		
3) अमरीका	65,190	4,55,839	61,073	4,32,275	-6.3	12.9	41,543	2,91,718	27,325	2,04,135	-34.2	12.5		
3.1 उत्तरी अमरीका	44,643	3,12,213	43,998	3,11,234	-1.4	9.3	30,930	2,17,186	19,800	1,48,009	-36.0	9.0		
1) संयुक्त अमरीका	35,550	2,48,559	35,821	2,53,369	0.8	7.5	25,127	1,76,457	16,305	1,21,848	-35.1	7.4		
2) मैक्सिको	5,577	38,999	4,297	30,441	-23.0	0.9	2,957	20,742	1,586	11,887	-46.4	0.7		
3) कनाडा	3,515	24,656	3,880	27,423	10.4	0.8	2,846	19,987	1,909	14,274	-32.9	0.9		
3.2 लैटिन अमरीका	20,547	1,43,626	17,075	1,21,040	-16.9	3.6	10,613	74,533	7,525	56,125	-29.1	3.4		
1) वेनेजुएला	7,259	50,809	6,057	42,955	-16.6	1.3	3,580	25,140	653	4,848	-81.8	0.3		
2) ब्राजील	4,406	30,840	3,075	21,822	-30.2	0.6	1,952	13,723	1,800	13,448	-7.8	0.8		
3) अर्जेंटीना	1,955	13,615	2,327	16,510	19.0	0.5	1,536	10,801	1,661	12,406	8.2	0.8		
4) पेरू	2,405	16,693	1,575	11,141	-34.5	0.3	997	7,005	853	6,334	-14.5	0.4		
5) चिली	1,238	8,642	1,176	8,313	-5.0	0.2	816	5,724	555	4,135	-32.0	0.3		
6) बोलिविया	852	5,989	846	5,996	-0.7	0.2	406	2,844	529	3,928	30.1	0.2		
7) कोलंबिया	1,055	7,394	811	5,768	-23.1	0.2	482	3,398	750	5,616	55.5	0.3		
8) इक्वेडोर	219	1,540	362	2,556	64.9	0.1	273	1,904	226	1,693	-17.2	0.1		
9) डोमिनिक गणराज्य	567	4,000	361	2,549	-36.3	0.1	252	1,770	15	115	-93.9	0.0		
10) त्रिनिदाद	195	1,350	84	600	-56.8	0.0	34	236	157	1,168	357.8	0.1		
11) पनामा गणराज्य	39	266	76	535	95.0	0.0	39	274	23	176	-40.7	0.0		
12) उरुग्वे	43	301	57	407	33.2	0.0	35	244	93	696	167.4	0.0		
13) सूरीनाम	89	623	55	388	-38.4	0.0	44	305	16	118	-63.7	0.0		
14) कोस्टा रिका	51	350	49	343	-3.7	0.0	39	276	28	208	-29.5	0.0		
15) परग्वे	21	146	25	179	20.6	0.0	18	129	10	74	-46.2	0.0		
16) ग्वेटेमाला	16	113	23	162	41.1	0.0	15	103	13	98	-11.9	0.0		
17) नीदरलैंड एंटील	10	68	23	161	136.1	0.0	21	145	3	19	-87.4	0.0		

जारी...

तालिका 7.4(क) : आयातों की दिशा: क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)													
क्षेत्र देश	2018-19		2019-20		(4) की तुलना में (2)		Share in 2018-19		2019-20		2020-21 (P)		Change Share
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-नवम्बर)		(प्रतिशत)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	(प्रतिशत)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	(₹ करोड़)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
18) हॉलैंड	18	128	19	136	5.9	0.0	16	111	6	42	-64.4	0.0	
19) ब्रह्मास	39	275	15	103	-62.5	0.0	13	92	35	256	162.4	0.0	
20) हैटी	14	97	14	99	1.4	0.0	10	70	7	54	-26.7	0.0	
21) ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स	17	117	9	61	-49.1	0.0	5	38	7	50	21.2	0.0	
22) वर्जिन द्वीप यूएस	1	5	8	54	886.8	0.0	7	49	0	1	-98.8	0.0	
23) गुयाना	6	45	7	49	8.3	0.0	5	32	8	59	69.0	0.0	
24) निकरगुआ	4	25	4	25	0.0	0.0	3	21	4	27	18.7	0.0	
25) व्यूबा	4	27	4	25	-7.1	0.0	2	16	68	503	2,985.9	0.0	
26) अल सल्वाडोर	4	29	3	23	-23.8	0.0	2	15	3	19	15.1	0.0	
27) जमैका	5	35	3	21	-40.9	0.0	2	15	1	8	-48.6	0.0	
28) फ्रेंच गियाना	2	13	3	20	59.3	0.0	3	20	1	8	-64.2	0.0	
29) बर्बाडोस	2	12	1	10	-14.9	0.0	1	8	0	2	-72.8	0.0	
30) क्यमैन द्वीप	0	2	1	10	526.1	0.0	1	5	0	3	-46.2	0.0	
31) बेलिज	1	5	1	7	47.7	0.0	1	5	0	3	-37.8	0.0	
32) सेंट लूसिया	1	4	1	4	7.0	0.0	1	4	0	1	-71.9	0.0	
33) ग्रनाडा	0	3	0	3	0.0	0.0	0	2	0	1	-48.6	0.0	
34) मार्टिनिक्	1	6	0	2	-64.2	0.0	0	2	1	4	117.4	0.0	
35) डोमिनिका	0	2	0	2	-19.4	0.0	0	1	0	1	6.3	0.0	
36) एन्टिगुआ	0	1	0	1	33.3	0.0	0	1	0	1	-61.1	0.0	
37) गुआडेलूप	0	3	0	1	-45.9	0.0	0	1	1	4	189.5	0.0	
38) फाकलैंड द्वीप समूह	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	-100.0	0.0	
39) तुर्क सी द्वीप समूह	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	
40) बर्मूडा	8	53	0	0	-100.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	
41) मॉन्टेसेराट	0	0	0	0	-100.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	
42) सेंट विंसेंट	0	0	0	0	-100.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	

जारी...

तालिका 7.4(क) : आयातों की दिशा: क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)													
क्षेत्र देश	2018-19		2019-20		(4) की तुलना में (2)		Share in 2018-19		2019-20		2020-21 (P)		Change Share (10) over in 2020-21 (8) (प्रतिशत)
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-नवम्बर)		(प्रतिशत)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
43) सेंट किट्स एन.ए.	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0
4. एशिया	3,18,762	22,29,899	2,92,298	20,69,873	-8.3	61.6	1,99,387	14,01,423	1,38,365	10,32,202	-30.6	63.2	
4.1 पूर्वी एशिया (ऑस्ट्रिया)	13,914	97,108	10,403	73,574	-25.2	2.2	7,574	53,206	4,810	35,922	-36.5	2.2	
1) आस्ट्रेलिया	13,131	91,638	9,782	69,183	-25.5	2.1	7,128	50,071	4,459	33,306	-37.4	2.0	
2) न्यूजीलैंड	631	4,403	522	3,694	-17.3	0.1	376	2,644	277	2,069	-26.3	0.1	
3) पपुआ न्यू गिनी	89	626	56	394	-37.4	0.0	37	259	59	441	60.6	0.0	
4) सोलोमन आईलैंड	59	413	39	275	-33.7	0.0	30	209	13	99	-55.4	0.0	
5) समोआ	3	19	3	21	9.1	0.0	3	18	0	3	-86.3	0.0	
6) फिजी आईलैंड	1	5	1	4	-19.7	0.0	0.0	3	1	5	50.0	0.0	
7) वेतुआटु गणराज्य	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	2	0	0	-92.3	0.0	
8) नौरु गणराज्य	0	0	0	0	-56.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9) टोंगा	0	0	0	0	-100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10) टूवालु	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11) किरिबाती गणराज्य	0	2	0	0	-100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12) टिमोर-लेसाइट	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4.2 आसिया	59,326	4,15,020	55,375	3,92,003	-6.7	11.7	37,376	2,62,546	26,418	1,97,060	-29.3	12.1	
1) इंडोनेशिया	15,854	1,11,180	15,067	1,06,764	-5.0	3.2	9,554	67,187	7,268	54,308	-23.9	3.3	
2) सिंगापुर	16,282	1,13,919	14,747	1,04,394	-9.4	3.1	9,720	68,240	7,070	52,684	-27.3	3.2	
3) मलेशिया	10,819	75,492	9,782	69,167	-9.6	2.1	6,868	48,236	4,416	32,881	-35.7	2.0	
4) विद्युतनाम संगठन	7,192	50,286	7,283	51,491	1.3	1.5	5,430	38,139	3,642	27,156	-32.9	1.7	
5) थाईलैंड	7,442	51,980	6,788	48,048	-8.8	1.4	4,745	33,317	3,171	23,663	-33.2	1.4	
6) ब्रुनेई	591	4,122	586	4,170	-0.8	0.1	303	2,112	162	1,208	-46.4	0.1	
7) वियतनाम	521	3,674	547	3,911	4.9	0.1	354	2,503	332	2,494	-6.1	0.2	
8) फिलीपीन्स	581	4,063	524	3,706	-9.9	0.1	367	2,577	332	2,482	-9.5	0.2	
9) कंबोडिया	43	298	47	331	9.5	0.0	31	220	24	180	-22.9	0.0	
10) लाओ पी डी आर पी	1	7	3	22	197.1	0.0	2	15	1	4	-76.7	0.0	

जारी...

तालिका 7.4(क) : आयातों की दिशा: क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी....)

क्षेत्र देश	2018-19		2019-20		(4) की तुलना में (2) (प्रतिशत)		Share in 2018-19		2019-20		2020-21 (P)		Change Share (10) over (8) (प्रतिशत)
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-मार्च)		(6)	(7)	(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		
	(2)	(3)	(4)	(5)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4.3 पश्चिम एशियाई-जीसीसी	79,718	5,58,058	80,474	5,70,483	0.9	17.0	52,517	3,69,252	31,624	2,35,777	-39.8	14.4	
1) संयुक्त अरब अमीरात	29,787	2,08,564	30,266	2,14,513	1.6	6.4	19,508	1,37,180	13,094	97,517	-32.9	6.0	
2) सऊदी अरब	28,479	1,99,395	26,857	1,90,245	-5.7	5.7	18,193	1,27,887	9,204	68,714	-49.4	4.2	
3) कतर	10,722	75,167	9,686	68,717	-9.7	2.0	6,049	42,513	4,559	34,031	-24.6	2.1	
4) कुवैत	7,431	51,949	9,574	67,932	28.8	2.0	6,026	42,376	2,946	21,948	-51.1	1.3	
5) ओमान	2,759	19,208	3,669	26,086	33.0	0.8	2,474	17,414	1,487	11,080	-39.9	0.7	
6) बहरीन द्वीपसमूह	540	3,775	422	2,990	-21.9	0.1	267	1,884	335	2,486	25.2	0.2	
4.4 अन्य पश्चिम एशियाई	39,016	2,72,491	27,864	1,97,445	-28.6	5.9	18,459	1,29,729	9,683	72,304	-47.5	4.4	
1. इराक	22,372	1,56,601	23,740	1,68,354	6.1	5.0	15,386	1,08,203	7,582	56,645	-50.7	3.5	
2. इजराइल	1,932	13,470	1,593	11,297	-17.5	0.3	1,025	7,209	1,171	8,722	14.3	0.5	
3. ईरान	13,526	94,113	1,397	9,762	-89.7	0.3	1,292	9,007	188	1,396	-85.5	0.1	
4. जोर्डन	1,116	7,822	1,065	7,543	-4.6	0.2	707	4,965	714	5,326	1.0	0.3	
5. लेबानन	44	305	31	219	-29.6	0.0	21	145	16	121	-21.1	0.0	
6. यमन गणराज्य	12	81	23	161	93.1	0.0	18	127	3	22	-83.7	0.0	
7. सीरिया	14	99	15	109	8.3	0.0	10	73	10	72	-7.4	0.0	
4.5 उत्तर पूर्वी एशिया	1,22,426	8,56,657	1,14,347	8,09,165	-6.6	24.1	80,976	5,69,193	63,942	4,77,089	-21.0	29.2	
1. चीन जनवादी गणराज्य	70,320	4,92,079	65,261	4,61,525	-7.2	13.7	46,902	3,29,710	38,819	2,89,657	-17.2	17.7	
2. हांगकांग	17,987	1,25,972	16,935	1,19,999	-5.8	3.6	11,719	82,417	9,488	70,691	-19.0	4.3	
3. कारिया गणराज्य	16,759	1,17,255	15,660	1,10,883	-6.6	3.3	10,903	76,599	7,127	53,232	-34.6	3.3	
4. जापान	12,773	89,278	12,435	88,034	-2.6	2.6	8,639	60,703	6,144	45,894	-28.9	2.8	
5. ताईवान	4,577	32,001	4,046	28,654	-11.6	0.9	2,806	19,714	2,349	17,508	-16.3	1.1	
6. मकाऊ	6	44	5	36	-19.1	0.0	4	26	13	96	258.1	0.0	
7. कारिया डी पी आर पी	3	21	3	25	15.3	0.0	3	18	1	8	-60.3	0.0	
8. मंगोलिया	1	7	1	9	28.7	0.0	1	6	0	3	-46.8	0.0	
4.6 दक्षिणी एशिया	4,363	30,565	3,836	27,203	-12.1	0.8	2,485	17,497	1,889	14,050	-24.0	0.9	
1. बंगलादेश	1,045	7,339	1,265	8,975	21.1	0.3	803	5,654	578	4,294	-27.9	0.3	

जारी...

तालिका 7.4(क) : आयातों की दिशा: क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात

क्षेत्र देश	2018-19		2019-20		(4) की तुलना में (2)		Share in 2018-19		2019-20		2020-21 (P)		Change Share
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-नवम्बर)		(प्रतिशत)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2. श्रीलंका	1,489	10,376	904	6,407	-39.3	0.2	579	4,079	362	2,700	-37.5	0.2	
3. नेपाल	508	3,558	712	5,045	40.0	0.1	474	3,334	386	2,873	-18.6	0.2	
4. अफगानिस्तान	435	3,078	530	3,766	21.7	0.1	312	2,201	282	2,087	-9.6	0.1	
5. थूटान	371	2,590	406	2,871	9.4	0.1	300	2,109	270	2,016	-9.8	0.1	
6. पाकिस्तान	495	3,476	14	98	-97.2	0.0	13	92	2	13	-86.7	0.0	
7. मालदीव	20	147	6	42	-70.6	0.0	4	27	9	67	130.6	0.0	
5) सीआईएस और बाल्टिक	9,443	65,903	11,917	84,530	26.2	2.5	7,404	51,994	5,399	40,389	-27.1	2.5	
5.1 सी ए आर देश	863	6,030	2,328	16,547	169.8	0.5	1,253	8,823	512	3,862	-59.1	0.2	
1. कजाखस्तान	709	4,953	2,256	16,037	218.3	0.5	1,187	8,364	503	3,787	-57.7	0.2	
2. उज़्बेकिस्तान	127	885	67	471	-47.3	0.0	60	425	9	65	-85.6	0.0	
3. तुर्कमेनिस्तान	21	143	4	28	-80.7	0.0	4	25	0	2	-93.3	0.0	
4. किरगीजस्तान	3	18	1	9	-48.6	0.0	1	7	1	5	-37.4	0.0	
5. ताजिकिस्तान	4	30	0	2	-93.2	0.0	0	2	0	3	24.1	0.0	
5.2 अन्य सीआईएस देश	8,580	59,873	9,588	67,983	11.8	2.0	6,151	43,170	4,886	36,528	-20.6	2.2	
1. रूस	5,840	40,817	7,093	50,291	21.4	1.5	4,453	31,228	3,206	23,975	-28.0	1.5	
2. यूक्रेन	2,341	16,280	2,061	14,619	-12.0	0.4	1,295	9,096	1,300	9,727	0.4	0.6	
3. अजरबैजान	148	1,029	274	1,943	85.2	0.1	273	1,939	57	429	-79.1	0.0	
4. बेलारूस	227	1,582	147	1,037	-35.1	0.0	119	831	183	1,366	53.3	0.1	
5. जॉर्जिया	22	156	11	81	-48.6	0.0	9	66	78	574	734.4	0.0	
6. आर्मेनिया	1	6	2	11	71.4	0.0	1	9	62	455	4,814.3	0.0	
7. माल्डोवा	0	3	0	2	-35.9	0.0	0	2	0	1	-45.5	0.0	
6) अविनिर्दिष्ट क्षेत्र	199	1,388	230	1,615	15.5	0.0	193	1,350	50	373	-74.2	0.0	
1. अविनिर्दिष्ट	63	440	98	688	55.2	0.0	79	550	25	186	-68.3	0.0	
2. मोनेको	0	2	62	427	22,677.8	0.0	61	427			-100.0	0.0	
3. फ़ूर्ते रिको	39	272	52	371	34.3	0.0	38	271	19	140	-51.5	0.0	
4. साउथ सुडान	90	626	7	51	-91.9	0.0	6	44	1	10	-79.2	0.0	
5. मार्शल द्वीप समूह	1	4	4	26	607.8	0.0	3	21	1	8	-63.7	0.0	

जारी...

तालिका 7.4(क) : आयातों की दिशा: क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात

क्षेत्र देश	2018-19		2019-20		(4) की तुलना में (2)		Share in 2018-19		2019-20		2020-21 (P)		Change in 2020-21 (8)	Share (प्रतिशत)
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-मार्च)		(प्रतिशत)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)		(मिलियन अमरीकी डालर)			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
6. अमेरी समोआ	0	0	3	22	0.0	0.0	2	13	1	7	-48.0	0.0		
7. गिब्राल्टर	0	0	1	7	3,266.7	0.0	1	7	0	1	-83.2	0.0		
8. स्टेट आफ प्लेसट	1	8	1	5	-37.8	0.0	1	5	0	0	-97.0	0.0		
9. नारफाल्क द्वीप	0	1	0	3	221.4	0.0	0	2	0	1	-63.6	0.0		
10. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के छोटे दूरस्थ द्वीप समूह	0	1	0	3	400.0	0.0	0	3	0	2	-35.0	0.0		
11. मायोत	0	1	0	3	89.5	0.0	0	1	0	1	-36.8	0.0		
12. अरूबा	1	4	0	2	-45.5	0.0	0	1	0	3	94.7	0.0		
13. नया केलीडोनिया	0	2	0	2	9.5	0.0	0	1	1	8	586.7	0.0		
14. वैंटकन शहर	0	1	0	1	100.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0		
15. सेम मरीनो	0	2	0	1	-28.6	0.0	0	1	0	0	-50.0	0.0		
16. जर्सी	0	0	0	1	180.0	0.0	0	1	0	0	-100.0	0.0		
17. अंगुला	0	1	0	1	-47.4	0.0	0	0	0	1	233.3	0.0		
18. टोकलाउ द्वीप	0	0	0	1	300.0	0.0	0	0	0	0	-75.0	0.0		
19. अंटार्कटिका	0	0	0	1	166.7	0.0	0	0	0	2	371.4	0.0		
20. फ्रेंच पॉलीनेशिया	0	0	0	0	400.0	0.0	0	0	0	0	-100.0	0.0		
21. एंडोरा	0	0	0	0	-25.0	0.0	0	0	0	0	-66.7	0.0		
22. फिटकेइस द्वीप	0	0	0	0	-33.3	0.0	0	0	0	0	-50.0	0.0		
23. क्रिसमस द्वीप	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0		
24. पलाऊ	3	22	0	0	-100.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0		
25. गुआम	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0		
26. उत्तर मेरिाजा द्वीप	0	0	0	0	-100.0	0.0	0	0	0	2	0.0	0.0		
27. एरीट्रीआ	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0		
28. फरो द्वीप समूह	0	0	0	0	-100.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0		
29. गर्नज़े	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0		
30. ग्रीनलैंड	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0		
31. कोकोज द्वीप समूह	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0		

जारी...

क्षेत्र देश	तालिका 7.4(क) : आयातों की दिशा: क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात																
	2018-19		2019-20		(4) की तुलना में (2)		Share in 2018-19		2019-20		2020-21 (P)		Change		Share		
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(प्रतिशत)	(₹ करोड़)	(प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(₹ करोड़)	(10) over (8)	(11)	(12)	(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
32. युक्त द्वीप	0	0	0	0	-100.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
33. बालिस एवं फुटना द्वीप	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
34. निऊ द्वीप	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
कुल आयात	5,14,078	35,94,675	4,74,709	33,60,954	-7.7	100.0	3,24,590	22,80,659	2,18,874	16,33,266	-32.6	100.0					

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय, कोलकाता।

अ: अनन्तिम

तालिका 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)														
क्षेत्र/देश	2018-19		2019-20		2019-20		Share		2019-20		2020-21 (P)		Change (10) over (8)	Share (12) (13)
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-नवम्बर)		in 2018-19		(अप्रैल-नवम्बर)		(10) over (8)			
	(मिलियन अमरीकी डालर	(रु करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर	(रु करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर	(रु करोड़)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर	(रु करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर	(रु करोड़)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1) यूरोप	64,375	4,49,836	60,559	4,28,940	-5.9	19.3	40,588	2,85,252	32,034	2,38,957	-21.1	18.4		
1.1 यूरोपीय संघ के देश	57,204	3,99,765	53,768	3,80,816	-6.0	17.2	35,923	2,52,444	28,472	2,12,401	-20.7	16.4		
1) यू.के.	9,330	65,251	8,767	62,088	-6.0	2.8	5,719	40,183	4,585	34,152	-19.8	2.6		
2) नीदरलैंड	8,814	61,575	8,369	59,213	-5.1	2.7	5,721	40,158	3,816	28,462	-33.3	2.2		
3) जर्मनी	8,904	62,214	8,291	58,725	-6.9	2.6	5,519	38,783	4,875	36,368	-11.7	2.8		
4) बेल्जियम	6,730	47,008	5,810	41,165	-13.7	1.9	3,946	27,767	2,835	21,158	-28.2	1.6		
5) फ्रांस	5,235	36,594	5,101	36,132	-2.6	1.6	3,467	24,383	2,599	19,379	-25.0	1.5		
6) इटली	5,594	39,092	4,971	35,264	-11.1	1.6	3,221	22,657	2,608	19,454	-19.0	1.5		
7) स्पेन	4,183	29,219	3,946	27,957	-5.7	1.3	2,630	18,487	1,883	14,063	-28.4	1.1		
8) पोलैंड	1,573	11,004	1,548	10,967	-1.6	0.5	1,003	7,047	929	6,925	-7.4	0.5		
9) स्वीडन	792	5,535	748	5,301	-5.5	0.2	493	3,466	435	3,242	-11.9	0.2		
10) पुर्तगाल	743	5,195	745	5,284	0.2	0.2	485	3,411	579	4,337	19.5	0.3		
11) डेनमार्क	747	5,227	734	5,199	-1.7	0.2	477	3,350	437	3,254	-8.4	0.3		
12) आयरलैंड	531	3,717	534	3,786	0.6	0.2	368	2,594	362	2,699	-1.7	0.2		
13) चेक गणराज्य	429	3,003	496	3,520	15.7	0.2	304	2,140	285	2,126	-6.5	0.2		
14) आस्ट्रिया	483	3,374	456	3,229	-5.7	0.1	291	2,047	271	2,026	-6.9	0.2		
15) ग्रीस	503	3,503	446	3,162	-11.5	0.1	278	1,959	306	2,291	9.9	0.2		
16) साइप्रस	71	495	443	3,089	527.4	0.1	416	2,895	59	440	-85.8	0.0		
17) हंगरी	458	3,205	424	3,004	-7.5	0.1	289	2,034	308	2,297	6.3	0.2		
18) रोमानिया	430	3,008	367	2,597	-14.7	0.1	251	1,763	204	1,519	-18.8	0.1		
19) स्लोवेनिया	317	2,216	334	2,370	5.5	0.1	217	1,525	207	1,547	-4.6	0.1		
20) फिनलैंड	256	1,792	269	1,903	4.8	0.1	178	1,248	171	1,277	-3.7	0.1		
21) माल्टा	230	1,606	208	1,474	-9.3	0.1	148	1,042	252	1,897	69.9	0.1		
22) बुल्गारिया	212	1,479	159	1,124	-25.2	0.1	110	773	100	748	-9.0	0.1		
23) क्रोशिया	154	1,074	148	1,049	-3.9	0.0	85	595	79	592	-6.5	0.0		
24) स्लोवाक गणराज्य	146	1,020	138	981	-5.2	0.0	89	628	96	715	7.5	0.1		

जारी...

क्षेत्र/देश	तालिका 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)														
	2018-19 (अप्रैल-मार्च)			2019-20 (4) की तुलना में (2)			Share in 2018-19			2019-20 (अप्रैल-नवम्बर)			2020-21 (P) Share		
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(10) over (8)	Change	
25) लात्विया	116	810	119	844	3.2	0.0	82	577	66	491	-19.7	0.0			
26) लिथुआनिया	127	891	111	786	-13.0	0.0	75	527	85	630	13.1	0.0			
27) एस्टोनिया	64	450	65	463	1.7	0.0	46	325	34	253	-26.7	0.0			
28) लक्जम्बर्ग	30	209	20	144	-32.4	0.0	12	81	8	58	-32.1	0.0			
1.2 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)	1,534	10,720	1,636	11,582	6.7	0.5	1,133	7,958	1,098	8,180	-3.0	0.6			
1) स्विट्जरलैंड	1,187	8,292	1,200	8,505	1.1	0.4	819	5,757	897	6,680	9.6	0.5			
2) नावें	313	2,187	422	2,974	34.7	0.1	306	2,145	192	1,430	-37.5	0.1			
3) आइसलैंड	31	218	10	71	-67.4	0.0	5	35	6	46	25.5	0.0			
4) लीख्टेनश्टाइन	3	24	4	31	28.2	0.0	3	21	3	24	5.6	0.0			
1.3 अन्य यूरोपीयन देश	5,637	39,351	5,155	36,542	-8.6	1.6	3,532	24,850	2,464	18,377	-30.2	1.4			
1) तुर्की	5,452	38,059	4,969	35,225	-8.9	1.6	3,413	24,013	2,338	17,436	-31.5	1.3			
2) सर्बिया	72	507	84	594	15.7	0.0	54	377	61	458	14.3	0.0			
3) अल्बानिया	37	258	44	313	19.0	0.0	28	199	30	226	6.8	0.0			
4) मकदूनिया	20	137	23	160	15.7	0.0	15	103	13	94	-14.5	0.0			
5) मांटीनेग्रो	39	271	20	142	-48.7	0.0	12	85	13	96	5.8	0.0			
6) बोस्निया-हर्जोविना	17	119	15	108	-10.3	0.0	10	73	9	68	-13.0	0.0			
7) सर्बिया और मांटीनेग्रो संघ				0	0.0	0.0		0			0.0	0.0			
2) अफ्रीका	28,541	1,99,539	28,991	2,05,412	1.6	9.3	19,454	1,36,759	16,498	1,23,018	-15.2	9.5			
2.1 दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ (एसएसटीयू)	4,378	30,513	4,412	31,270	0.8	1.4	2,988	21,007	2,343	17,470	-21.6	1.3			
1) दक्षिणी अफ्रीका	4,067	28,334	4,108	29,114	1.0	1.3	2,781	19,551	2,168	16,167	-22.0	1.2			
2) बोत्सवाना	178	1,254	179	1,265	0.2	0.1	115	806	95	709	-17.1	0.1			
3) नामिबिया	82	578	66	471	-19.7	0.0	54	386	36	269	-33.5	0.0			
4) लेसोथो	30	213	41	288	33.9	0.0	27	190	25	188	-7.6	0.0			
5) स्वाजीलैंड	19	133	19	132	-3.3	0.0	10	74	18	137	75.1	0.0			

तालिका 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)														
क्षेत्र/देश	2018-19		2019-20		2019-20		Share		2019-20		2020-21 (P)		Change (10) over (8) (प्रतिशत)	Share in 2020-21
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-नवम्बर)		(अप्रैल-नवम्बर)		(अप्रैल-नवम्बर)		(अप्रैल-नवम्बर)			
	(मिलियन अमरीकी डालर	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
			(मिलियन अमरीकी डालर	(रु करोड़)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर	(रु करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर	(रु करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर	(रु करोड़)		
2.2 अन्य दक्षिण अफ्रीका देश														
1) मोजांबिक	1,856	13,019	2,868	20,322	54.5	0.9	1,933	13,601	1,215	9,060	-37.2	0.7		
2) अंगोला	1,073	7,538	2,174	15,411	102.6	0.7	1,445	10,165	790	5,888	-45.3	0.5		
3) जाम्बिया	282	1,974	285	2,019	1.0	0.1	199	1,401	153	1,143	-23.2	0.1		
4) जिम्बाब्वे	319	2,238	248	1,754	-22.4	0.1	169	1,186	168	1,254	-0.2	0.1		
	182	1,269	161	1,138	-11.3	0.1	121	848	103	776	-14.5	0.1		
2.3 पश्चिमी अफ्रीका	182	53,876	8,177	57,973	6.2	2.6	5,439	38,252	5,372	40,023	-1.2	3.1		
1) नाइजीरिया	3,005	21,040	3,610	25,601	20.1	1.2	2,414	16,991	1,778	13,239	-26.4	1.0		
2) टोगो	694	4,871	1,041	7,395	49.9	0.3	664	4,674	821	6,098	23.7	0.5		
3) घाना	717	5,007	617	4,375	-13.9	0.2	410	2,883	514	3,834	25.4	0.3		
4) सेनेगल	639	4,461	477	3,388	-25.4	0.2	293	2,063	381	2,839	29.9	0.2		
5) कोट डी आई वोर	449	3,148	415	2,941	-7.6	0.1	277	1,948	340	2,531	22.6	0.2		
6) गिनी	405	2,828	355	2,516	-12.4	0.1	224	1,570	306	2,283	36.6	0.2		
7) बेनिन	427	2,987	327	2,297	-23.5	0.1	272	1,906	327	2,434	20.0	0.2		
8) कैमरून	178	1,249	228	1,621	28.2	0.1	130	917	160	1,190	22.4	0.1		
9) लाइबेरिया	179	1,249	220	1,549	22.8	0.1	168	1,179	135	1,007	-19.8	0.1		
10) बुर्किना फासो	181	1,272	154	1,091	-15.2	0.0	101	710	134	999	32.8	0.1		
11) माली	131	915	146	1,038	11.8	0.0	91	643	105	784	15.0	0.1		
12) गाम्बिया	157	1,097	132	937	-15.5	0.0	87	613	71	531	-18.4	0.0		
13) सिएरा लियोन	112	783	115	816	2.8	0.0	80	564	84	628	4.8	0.0		
14) कांगो जनवादी गणराज्य	133	933	113	801	-15.0	0.0	71	499	67	496	-6.2	0.0		
15) मारिटेनिया	116	805	84	596	-27.5	0.0	53	372	49	366	-7.1	0.0		
16) नाइजर	95	665	74	519	-22.4	0.0	56	391	45	336	-19.1	0.0		
17) गेबोन	55	386	46	322	-17.4	0.0	32	222	36	271	14.6	0.0		
18) एक्वेटोरियल गिनी	12	84	11	78	-8.2	0.0	6	44	8	62	34.0	0.0		
19) गिनी बिसाऊ	11	76	9	64	-16.4	0.0	6	45	9	68	45.3	0.0		

जारी...

क्षेत्र/देश	तालिका 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)														
	2018-19			2019-20			2019-20			2020-21 (P)			Change (10) over (8)	Share (12)	Share (13)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
	(मिलियन अमरीकी डालर	(रु करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर	(रु करोड़)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर	(रु करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर	(रु करोड़)	(10) over (8)	(प्रतिशत)			
	(अप्रैल-मार्च)														
	(4) की तुलना में (2)														
	in 2018-19														
(1)															
20) केप वर्ड आइलैण्ड	2	11	2	15	35.6	0.0	2	11	3	20	75.0	0.0			
21) साओ टोम	1	8	2	11	27.1	0.0	1	8	1	6	-25.4	0.0			
22) सेंट हेलेना	0	0	0	2	1,550.0	0.0	0	2			-100.0	0.0			
2.4 मध्य अफ्रीका	1,342	9,413	1,456	10,319	8.5	0.5	967	6,803	966	7,213	-0.1	0.6			
1) यूगांडा	580	4,058	622	4,406	7.1	0.2	412	2,896	448	3,343	8.8	0.3			
2) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	303	2,123	353	2,501	16.4	0.1	223	1,569	241	1,799	8.0	0.1			
3) मलावी	202	1,418	185	1,307	-8.2	0.1	130	914	100	747	-23.4	0.1			
4) रवांडा	145	1,019	124	878	-14.4	0.0	86	603	85	635	-0.9	0.0			
5) चाड	37	263	59	417	56.7	0.0	31	218	33	245	6.0	0.0			
6) बुरुंडी	48	341	58	414	20.9	0.0	36	256	45	333	22.7	0.0			
7) मध्य अफ्रीकी गणराज्य	27	191	56	395	107.6	0.0	49	347	15	110	-69.9	0.0			
2.5 पूर्वी अफ्रीका	7,378	51,576	6,636	46,992	-10.1	2.1	4,485	31,512	3,679	27,438	-18.0	2.1			
1) केन्या	2,072	14,441	2,109	14,937	1.8	0.7	1,312	9,212	1,209	9,018	-7.8	0.7			
2) तन्जानिया गणराज्य	1,704	11,925	1,740	12,327	2.1	0.6	1,219	8,576	891	6,642	-26.9	0.5			
3) इथियोपिया	766	5,364	798	5,655	4.2	0.3	557	3,916	437	3,264	-21.5	0.3			
4) मॉरीशस	1,161	8,091	662	4,664	-43.0	0.2	518	3,623	251	1,870	-51.5	0.1			
5) सोमालिया	537	3,772	584	4,143	8.7	0.2	383	2,695	349	2,602	-9.0	0.2			
6) जिबूती	791	5,549	316	2,234	-60.0	0.1	216	1,517	226	1,688	4.7	0.1			
7) सैडानास्कुर	196	1,384	302	2,134	53.6	0.1	211	1,481	232	1,731	10.1	0.1			
8) सेशेल्स	84	586	67	480	-21.1	0.0	31	216	44	329	43.8	0.0			
9) रियूनियन	47	329	40	285	-15.0	0.0	28	196	28	207	-0.5	0.0			
10) कोमोरोस	19	135	19	134	-2.1	0.0	11	79	12	87	3.8	0.0			
2.6 उत्तरी अफ्रीका	5,889	41,143	5,441	38,537	-7.6	1.7	3,641	25,585	2,924	21,814	-19.7	1.7			
1) मिस्र आब गणराज्य	2,887	20,154	2,504	17,724	-13.2	0.8	1,747	12,275	1,370	10,227	-21.6	0.8			
2) सूडान	921	6,435	1,097	7,791	19.1	0.4	626	4,398	647	4,825	3.4	0.4			
3) मोरक्को	680	4,752	799	5,662	17.6	0.3	547	3,850	309	2,304	-43.5	0.2			

जारी...

तालिका 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)															
क्षेत्र/देश	2018-19 (अप्रैल-मार्च)			2019-20 (4) की तुलना में (2)			Share in 2018-19			2020-21 (P) (अप्रैल-नवम्बर)			Change (10) over (8) (प्रतिशत)	Share in 2020-21 (8)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)
	(मिलियन अमरीकी डालर (₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर (₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर (₹ करोड़)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर (₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर (₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर (₹ करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर (₹ करोड़)	(10) over (8) (प्रतिशत)			(13)
4) अल्जीरिया	940	6,575	611	4,317	-35.0	0.2	437	3,060	352	2,625	-19.4	0.2			
5) तुनिसिया	304	2,127	245	1,736	-19.5	0.1	168	1,180	151	1,130	-9.7	0.1			
6) लीबिया	157	1,100	184	1,307	17.6	0.1	117	821	94	703	-19.4	0.1			
3) अमरिका	68,861	4,81,472	69,643	4,93,486	1.1	22.2	46,473	3,26,747	41,040	3,05,952	-11.7	23.6			
3.1 उत्तरी अमरिका	59,121	4,13,351	59,584	4,22,174	0.8	19.0	39,924	2,80,682	35,054	2,61,359	-12.2	20.1			
1) सं.र. अमरिका	52,428	3,66,628	53,109	3,76,306	1.3	16.9	35,588	2,50,207	31,343	2,33,694	-11.9	18.0			
2) मैक्सिको	3,842	26,786	3,624	25,653	-5.7	1.2	2,478	17,411	1,913	14,247	-22.8	1.1			
3) कनाडा	2,851	19,936	2,852	20,215	0.0	0.9	1,858	13,064	1,798	13,418	-3.2	1.0			
3.2 लैटिन अमरिका	9,741	68,121	10,059	71,312	3.3	3.2	6,550	46,066	5,986	44,594	-8.6	3.4			
1) ब्राजील	3,801	26,617	3,967	28,119	4.4	1.3	2,660	18,718	2,399	17,878	-9.8	1.4			
2) कोलंबिया	1,117	7,811	1,043	7,398	-6.6	0.3	676	4,749	466	3,470	-31.0	0.3			
3) चिली	990	6,912	793	5,612	-19.8	0.3	561	3,942	454	3,388	-19.0	0.3			
4) अर्जेंटीना	563	3,910	763	5,429	35.6	0.2	397	2,792	412	3,073	3.8	0.2			
5) पेरू	721	5,041	764	5,409	6.0	0.2	521	3,662	447	3,328	-14.2	0.3			
6) वेनेजुएला	165	1,154	340	2,439	106.2	0.1	131	934	529	3,924	303.0	0.3			
7) गॉटेमाला	305	2,137	291	2,068	-4.6	0.1	187	1,320	192	1,431	2.5	0.1			
8) एक्वेडोर	298	2,079	253	1,791	-15.1	0.1	166	1,166	116	869	-29.8	0.1			
9) पनामा गणराज्य	227	1,593	239	1,690	5.0	0.1	162	1,142	83	617	-49.0	0.0			
10) डोमिनिक गणराज्य	216	1,507	213	1,510	-1.2	0.1	147	1,036	123	919	-16.4	0.1			
11) हॉन्डुरस	167	1,169	185	1,314	11.2	0.1	124	871	80	597	-35.3	0.0			
12) उरूग्वे	181	1,268	148	1,041	-18.4	0.0	114	799	64	474	-44.2	0.0			
13) पाराग्वे	161	1,119	127	899	-21.0	0.0	83	585	104	777	24.9	0.1			
14) कोस्टा रिका	136	953	127	898	-7.0	0.0	87	614	70	523	-19.7	0.0			
15) बोलिविया	105	735	113	804	8.4	0.0	77	540	48	358	-37.5	0.0			
16) त्रिनिदाद	84	585	85	602	1.6	0.0	60	420	44	330	-26.1	0.0			

क्षेत्र/देश	तालिका 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात (जारी...)														
	2018-19			2019-20			Share			2019-20			2020-21 (P)		
	(अप्रैल-मार्च)			(अप्रैल-नवम्बर)			in 2018-19			(अप्रैल-नवम्बर)			in 2020-21		
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(10) over (8)	Share	
17) वर्जिन आइलैंड ग्रुपस	43	300	81	564	91.5	0.0	79	545	76	568	-3.4	0.0			
18) अल सलवाडोर	79	549	79	563	0.9	0.0	51	359	46	345	-9.5	0.0			
19) हेटी	79	555	66	465	-17.4	0.0	45	316	61	456	35.8	0.0			
20) निकारागुआ	54	374	66	465	21.6	0.0	45	320	51	378	11.4	0.0			
21) बहामास	6	43	60	431	898.0	0.0	5	36	3	20	-46.3	0.0			
22) जमैका	55	388	57	402	2.4	0.0	38	267	37	277	-2.4	0.0			
23) क्यूबा	35	244	48	337	35.7	0.0	39	275	15	114	-60.7	0.0			
24) सूरीनाम	23	157	31	221	37.8	0.0	16	111	10	74	-36.3	0.0			
25) नीदरलैंड एंटील	31	214	30	212	-1.9	0.0	21	147	12	86	-45.0	0.0			
26) गियाना	30	207	25	179	-15.0	0.0	17	118	16	120	-4.5	0.0			
27) बेलिज	17	119	14	101	-16.0	0.0	10	70	5	40	-46.0	0.0			
28) बारबाडोस	12	87	13	90	2.7	0.0	8	54	7	52	-8.5	0.0			
29) गुआडलूप	3	24	8	57	128.1	0.0	3	21	2	13	-41.7	0.0			
30) कौमन आइलैंड	4	30	7	47	50.6	0.0	4	25	2	15	-44.2	0.0			
31) मार्टिनिक	4	25	4	27	6.4	0.0	3	19	2	19	-7.1	0.0			
32) सेंट लूसिया	4	28	3	23	-19.2	0.0	2	16	2	13	-22.1	0.0			
33) ग्रैनाडा	4	26	3	20	-26.0	0.0	2	12	1	8	-37.7	0.0			
34) सेंट क्विट एनए	2	17	3	18	8.0	0.0	2	14	0	4	-75.9	0.0			
35) बरमूडा	3	22	2	18	-21.3	0.0	2	11	2	13	16.2	0.0			
36) एट्युआ	3	19	2	16	-19.2	0.0	2	11	1	5	-57.1	0.0			
37) डॉमिनिका	1	9	2	15	66.9	0.0	2	13	1	7	-47.8	0.0			
38) फ्रेंच गियाना	2	13	1	7	-48.4	0.0	1	5	1	8	43.6	0.0			
39) सेंट विन्सेंट	1	5	1	5	-5.5	0.0	1	4	0	2	-46.2	0.0			
40) तुर्क सी द्वीप समूह	0	2	1	5	146.2	0.0	0	3	0	0	-89.8	0.0			
41) वर्जिन आइलैंड आईएस	11	73	0	4	-95.4	0.0	0	2	0	1	-62.1	0.0			
42) फाकलैंड आइलैंड	0	0	0	1	0.0	0.0	0	1	0	1	-100.0	0.0			

जारी...

तालिका 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात

क्षेत्र/देश	2018-19		2019-20		2019-20		Share		2019-20		2020-21 (P)		Change		Share
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-नवम्बर)		in 2018-19		(अप्रैल-नवम्बर)		(अप्रैल-नवम्बर)		(10) over (8)		
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
43) मांटेसेट	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
4) एशिया	1,61,216	11,27,309	1,46,629	10,38,613	-9.0	46.8	99,343	6,98,280	81,338	6,07,499	-18.1	46.7			
4.1 पूर्वी एशिया (ओसियाना)	4,027	28,102	3,360	23,792	-16.6	1.1	2,238	15,730	2,849	21,259	27.3	1.6			
1) ऑस्ट्रेलिया	3,522	24,574	2,853	20,205	-19.0	0.9	1,891	13,294	2,468	18,413	30.5	1.4			
2) न्यूजीलैंड	380	2,661	379	2,682	-0.4	0.1	255	1,796	300	2,237	17.4	0.2			
3) पापुआ न्यू गिनी	50	347	56	396	12.7	0.0	39	270	36	266	-7.5	0.0			
4) फिजी आइलैंड	61	424	56	394	-8.4	0.0	41	287	29	220	-27.9	0.0			
5) टिमोर लिस्ती	5	37	6	45	20.3	0.0	4	27	12	86	203.7	0.0			
6) समोआ	3	18	4	30	64.1	0.0	4	28	2	13	-57.6	0.0			
7) वतुआटु गणराज्य	2	14	2	17	22.8	0.0	2	11	1	10	-11.8	0.0			
8) सोलोमन आइलैंड	3	18	2	14	-20.6	0.0	2	11	1	8	-29.9	0.0			
9) टोंगा	0	2	1	5	88.6	0.0	0	2	0	2	-6.3	0.0			
10) किरिबाती गणराज्य	0	3	0	3	5.4	0.0	0	2	0	4	45.5	0.0			
11) नौरू गणराज्य	1	4	0	1	-73.6	0.0	0	1	0	1	-50.0	0.0			
12) टुवालू	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0			
4.2 आसियान	37,477	2,62,142	31,547	2,23,383	-15.8	10.1	21,543	1,51,387	19,082	1,42,691	-11.4	11.0			
1) सिंगापुर	11,572	80,943	8,923	63,027	-22.9	2.8	6,480	45,417	5,510	41,259	-15.0	3.2			
2) मलेशिया	6,436	45,104	6,365	45,107	-1.1	2.0	4,224	29,716	3,970	29,709	-6.0	2.3			
3) वियतनाम समाजवादी गणराज्य	6,507	45,410	5,060	35,852	-22.2	1.6	3,583	25,224	2,988	22,345	-16.6	1.7			
4) थाइलैंड	4,441	31,106	4,299	30,451	-3.2	1.4	2,907	20,436	2,329	17,359	-19.9	1.3			
5) इंडोनेशिया	5,278	36,891	4,130	29,302	-21.8	1.3	2,520	17,724	2,671	19,981	6.0	1.5			
6) फिलीपीन्स	1,744	12,189	1,526	10,815	-12.5	0.5	1,008	7,088	926	6,906	-8.2	0.5			
7) म्यांमार	1,206	8,459	974	6,910	-19.2	0.3	639	4,500	538	4,019	-15.8	0.3			
8) कंबोडिया	196	1,371	188	1,332	-4.0	0.1	131	922	92	687	-29.7	0.1			
9) ब्रुनई	56	393	58	409	2.5	0.0	34	240	37	276	8.5	0.0			
10) लाओ जनतांत्रिक गणराज्य	39	275	25	177	-36.3	0.0	17	118	20	150	18.8	0.0			

जारी...

क्षेत्र/देश	तालिका 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात													
	2018-19			2019-20			2019-20			2020-21 (P)			Change (10) over (8)	Share
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	(मिलियन अमरीकी डालर	(मिलियन अमरीकी डालर	(मिलियन अमरीकी डालर	(4) की तुलना में (2)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर	(मिलियन अमरीकी डालर	(मिलियन अमरीकी डालर	(10) over (8)	(प्रतिशत)	(10) over (8)	Share	
	(रु करोड़)	(रु करोड़)	(रु करोड़)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(रु करोड़)	(रु करोड़)	(रु करोड़)	(रु करोड़)	(रु करोड़)	(रु करोड़)	(प्रतिशत)	
	(अप्रैल-मार्च)	(अप्रैल-मार्च)	(अप्रैल-मार्च)				(अप्रैल-नवम्बर)	(अप्रैल-नवम्बर)	(अप्रैल-नवम्बर)					
	in 2018-19	in 2018-19	in 2018-19				in 2018-19	in 2018-19	in 2018-19					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4.3 पश्चिमी एशियाई- जीसीसी	41,622	2,90,515	40,466	2,86,664	-2.8	12.9	26,920	1,89,216	16,371	1,22,140	-39.2	9.4		
1) संयुक्त अरब अमीरात	30,127	2,10,213	28,854	2,04,239	-4.2	9.2	19,709	1,38,499	9,686	72,251	-50.9	5.6		
2) सऊदी अरब	5,562	38,854	6,237	44,267	12.1	2.0	3,833	26,951	3,596	26,837	-6.2	2.1		
3) ओमान	2,246	15,669	2,262	16,081	0.7	0.7	1,318	9,273	1,425	10,640	8.1	0.8		
4) कुवैत	1,334	9,319	1,287	9,112	-3.6	0.4	880	6,184	614	4,578	-30.2	0.4		
5) कतर	1,611	11,244	1,268	8,995	-21.3	0.4	786	5,525	761	5,677	-3.1	0.4		
6) बहरीन आइलेण्ड	742	5,215	559	3,970	-24.7	0.2	395	2,785	289	2,157	-26.8	0.2		
4.4 अन्य पश्चिमी एशिया	10,761	75,112	10,660	75,411	-0.9	3.4	7,412	52,036	4,919	36,755	-33.6	2.8		
1) ईरान	3,511	24,461	3,374	23,855	-3.9	1.1	2,238	15,658	1,290	9,671	-42.3	0.7		
2) इजराइल	3,718	25,959	3,363	23,807	-9.5	1.1	2,414	16,991	1,604	11,960	-33.5	0.9		
3) इराक	1,789	12,507	1,878	13,287	5.0	0.6	1,327	9,333	967	7,218	-27.2	0.6		
4) जोर्डन	579	4,058	961	6,771	66.0	0.3	724	5,073	369	2,764	-49.0	0.2		
5) यमन गणराज्य	741	5,169	721	5,120	-2.7	0.2	440	3,091	496	3,709	12.6	0.3		
6) लेबनान	269	1,878	204	1,442	-24.1	0.1	152	1,065	109	813	-28.1	0.1		
7) सीरिया	155	1,081	159	1,130	3.1	0.1	117	826	83	621	-29.1	0.0		
4.5 उत्तर पूर्वी एशिया	41,981	2,94,180	38,654	2,73,892	-7.9	12.3	26,629	1,87,271	26,460	1,97,784	-0.6	15.2		
1) चीन जनवादी गणराज्य	16,753	1,17,293	16,614	1,17,684	-0.8	5.3	11,456	80,574	13,645	1,02,125	19.1	7.8		
2) हांगकांग	13,002	91,117	10,967	77,752	-15.7	3.5	7,842	55,153	6,374	47,530	-18.7	3.7		
3) कोरिया आरपी	4,705	32,881	4,846	34,341	3.0	1.5	3,089	21,718	2,891	21,593	-6.4	1.7		
4) जापान	4,862	34,012	4,521	32,005	-7.0	1.4	3,101	21,790	2,540	18,975	-18.1	1.5		
5) ताईवान	2,608	18,520	1,675	11,885	-35.8	0.5	1,123	7,915	990	7,407	-11.8	0.6		
6) मंगोलिया	23	158	16	115	-28.7	0.0	11	76	9	68	-15.6	0.0		
7) कोरिया डीपीआरपी	27	191	9	64	-66.8	0.0	6	41	3	19	-55.2	0.0		
8) मकाऊ	1	7	6	45	492.5	0.0	1	4	9	66	1,339.3	0.0		
4.6 दक्षिण एशिया	25,349	1,77,258	21,942	1,55,471	-13.4	7.0	14,601	1,02,640	11,657	86,870	-20.2	6.7		
1) बांग्लादेश पीआर	9,210	64,393	8,201	58,177	-11.0	2.6	5,267	37,051	4,976	37,071	-5.5	2.9		

जारी...

तालिका 7.4 (ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयत

क्षेत्र/देश	2018-19		2019-20		2019-20		2020-21 (P)		Change (10) over (8)	Share in 2020-21 (प्रतिशत)		
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-नवम्बर)		(अप्रैल-नवम्बर)		(अप्रैल-नवम्बर)					
	(मिलियन अमरीकी डालर	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)	(11)
(1)												
2) नेपाल	7,766	54,301	7,160	50,713	-7.8	2.3	4,794	33,691	3,411	25,403	-28.9	2.0
3) श्रीलंका डीएसआर	4,710	32,996	3,801	26,935	-19.3	1.2	2,615	18,403	2,097	15,626	-19.8	1.2
4) अफगानिस्तान टीआईएस	715	4,992	998	7,085	39.4	0.3	593	4,181	499	3,724	-15.8	0.3
5) पाकिस्तान आईआर	2,067	14,427	817	5,718	-60.5	0.3	698	4,869	170	1,266	-75.7	0.1
6) भूटान	657	4,591	739	5,235	12.4	0.2	488	3,426	387	2,893	-20.7	0.2
7) मालदीव	223	1,557	227	1,608	1.6	0.1	145	1,020	119	888	-18.1	0.1
5 सीआईएस एवं बाल्टिक	3,467	24,282	4,192	29,717	20.9	1.3	2,859	20,130	2,460	18,346	-14.0	1.4
5.1 सीएआर देश	442	3,107	469	3,324	6.1	0.1	319	2,241	427	3,174	33.8	0.2
1) कजाखस्तान	143	1,004	203	1,436	41.5	0.1	136	959	144	1,073	5.5	0.1
2) उज्बेकिस्तान	201	1,417	180	1,276	-10.5	0.1	127	890	199	1,478	56.9	0.1
3) तुर्कमेनिस्तान	46	320	34	240	-25.7	0.0	23	160	29	216	27.4	0.0
4) किरगीजस्तान	30	210	29	206	-3.0	0.0	19	131	24	181	30.2	0.0
5) ताजिकिस्तान	22	156	24	167	5.5	0.0	14	100	30	226	113.5	0.0
5.2 अन्य सीआईएस देश	3,025	21,175	3,723	26,393	23.1	1.2	2,541	17,889	2,033	15,172	-20.0	1.2
1) रूस	2,390	16,728	3,018	21,400	26.3	1.0	2,076	14,623	1,601	11,942	-22.9	0.9
2) यूक्रेन	391	2,736	464	3,286	18.7	0.1	303	2,130	264	1,973	-12.9	0.2
3) जार्जिया	110	774	83	588	-25.0	0.0	50	351	66	495	32.8	0.0
4) बेलारूस	56	390	56	395	0.1	0.0	38	269	41	303	6.3	0.0
5) अज़र्बाइजान	43	306	53	376	22.4	0.0	38	267	30	227	-20.0	0.0
6) आर्मेनिया	26	181	40	286	56.1	0.0	29	203	24	182	-15.6	0.0
7) मालडोवा	9	60	9	62	0.9	0.0	7	46	7	50	2.9	0.0
6) अविनिर्दिष्ट क्षेत्र	3,617	25,289	3,347	23,686	-7.5	1.1	2,449	17,218	745	5,582	-69.6	0.4
1) अविनिर्दिष्ट क्षेत्र	2,846	19,904	2,483	17,568	-12.7	0.8	1,735	12,196	400	2,990	-76.9	0.2
2) जिब्राल्टर	575	4,018	629	4,441	9.4	0.2	577	4,053	203	1,535	-64.8	0.1
3) फ्यूटो रिको	138	971	134	965	-2.9	0.0	68	477	100	743	47.6	0.1
4) मार्शल द्वीप समूह	0	2	33	231	10,065.6	0.0	26	185	0	2	-99.2	0.0
5) साउथ सुडान	11	74	20	143	90.4	0.0	11	79	15	114	36.5	0.0

जारी...

तालिका 7.4(ख) : निर्यातों की दिशा : क्षेत्रों और देशों द्वारा आयात

क्षेत्र/देश	2018-19 (अप्रैल-मार्च)		2019-20 (अप्रैल-मार्च)		2019-20 (अप्रैल-नवम्बर)		2020-21 (P)		Change (10) over (8)	Share (12) (प्रतिशत)	Share (13)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)
	(मिलियन अमरीकी डालर)	(रु करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(रु करोड़)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(रु करोड़)	(मिलियन अमरीकी डालर)	(रु करोड़)	(10) over (8)	(12) (प्रतिशत)
31) अंटार्कटिका	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	-100.0	0.0
32) पनामा नहर क्षेत्र	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	-100.0	0.0
33) क्रिसमस द्वीप	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
34) सहरवी अरब लोकतांत्रिक	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
35) स्वालबार्ड और जान मार्येन	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
36) टोकलाउ द्वीप	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
37) गर्न्धी	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
38) जर्सी	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
39) हर्ड एवं मैकडोनाल्ड द्वीप	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
40) अंतर्राष्ट्रीय जल में स्थापना	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
41) सेंट पीयरी एवं मिकीलोन	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
42) कुराकाओ	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
43) कोकोज़ द्वीप	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
कुल निर्यात	3,30,078	23,07,726	3,13,361	22,19,854	-5.1	100.0	2,11,167	14,84,387	1,74,116	12,99,355	-17.5	100.0

स्रोत: वाणिज्य विभाग और सांख्यिकीय महानिदेशालय, कोलकाता।

अ: अमूर्त

तालिका 7.5 : वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा

			(मिलियन अमरीकी डालर)					
क्र.स.	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/समूह	1980			1985		
			विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01		मांस और मांस से निर्मित खाद्य वस्तुएं	17832	67	0.4	15755	61	0.4
03		मछली, क्रस्टेशिया (पर्पटीय) और मोलस्क एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	12258	242	2.0	14335	337	2.4
04		अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	41989	201	0.5	32643	211	0.6
	042	चावल	4355	160	3.7	2916	162	5.6
05		सब्जियां और फल	24018	259	1.1	23606	332	1.4
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	16183	46	0.3	10113	0	0.0
07		कॉफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	22121	879	4.0	20779	971	4.7
	071	काफी और कॉफी के अनुकल्प	12979	271	2.1	11676	226	1.9
	074	चाय और मेट	1631	452	27.7	1973	517	26.2
	075	मसाले	1072	156	14.5	1188	229	19.3
08		पशुओं के चारे की सामग्री	10322	164	1.6	8515	127	1.5
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	3423	151	4.4	7822	140	1.8
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	3423	151	4.4	3798	113	3.0
	122	विनिर्मित तम्बाकू	4024	27	0.7
22		तिलहन और तेलिया फल	9487	30	0.3	7896	20	0.3
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	30239	465	1.5	23137	557	2.4
	281	लोह अयस्क और उसके सांद्रक	6515	411	6.3	6154	478	7.8
51		कार्बनिक रसायन	31841	17	0.1	36923	25	0.1
52		अकार्बनिक रसायन	15491	26	0.2	16318	22	0.1
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	7986	65	0.8	8024	62	0.8
54	541	औषधीय और भेषजीय उत्पाद	13918	109	0.8	15920	130	0.8
55		सुगन्धित तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, साबुन और सफाई के काम आने वाले उत्पाद आदि	7647	86	1.1	8136	56	0.7
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज एस्टर और ईथर	27223	3	0.0	28456	5	0.0
59		रासायनिक सामग्री और उत्पाद एन.ई.एस.	15960	8	0.0	16613	28	0.2
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रसाधित लोम चर्म	5967	405	6.8	6444	534	8.3
	611	चमड़ा	3415	342	10.0	4185	331	7.9
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	975	62	6.3	1233	202	16.4
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	1577	1	0.1	1026	0	0.0
65		वस्त्र धागा, फैब्रिक और उससे बनी वस्तुएं	48884	1145	2.3	48218	1037	2.1
	652	बुने सूती कपड़े	6632	351	5.3	6804	327	4.8
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	9325	44	0.5	9735	20	0.2
	654	कपास या कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को छोड़कर बुने हुए कपड़े	3188	204	6.4	3462	167	4.8
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	18563	579	3.1	12073	1165	9.6
67		लोहा और इस्पात	68231	87	0.1	61891	46	0.1
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं एन.ई.एस.	36840	221	0.6	32884	125	0.4
71		विद्युत (पावर) उत्पादन करने वाली मशीनरी और उपस्कर	35722	88	0.2	38433	59	0.2
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	58495	65	0.1	54707	97	0.2
73		धातु-कर्मकारी मशीनरी	15671	32	0.2	12696	55	0.4
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनके मशीनी पुर्जे	59443	67	0.1	53954	60	0.1
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर	24750	2	0.0	53604	30	0.1
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और प्रतिरूपण उपकरण और उपस्कर	26799	11	0.0	47318	4	0.0
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	60947	114	0.2	75739	121	0.2
78		सड़क वाहन (एयर कुशन वाहनों सहित)	127347	208	0.2	157446	126	0.1
79		अन्य परिवहन उपस्कर	41291	32	0.1	50709	27	0.1
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	32365	590	1.8	38718	887	2.3
		कुल निर्यात	1997686	8486	0.4	1930849	8904	0.5

तालिका 7.5 : वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा

(जारी...)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.स.	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/समूह	1990			2000		
			विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01		मांस और मांस से निर्मित खाद्य वस्तुएं	34118	77	0.2	44690	324	0.7
03		मछली, क्रस्टेशिया (पर्पटीय) और मोलस्क एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	32847	521	1.6	50875	1391	2.7
04		अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	45314	285	0.6	53575	783	1.5
	042	चावल	3995	254	6.4	6411	654	10.2
05		सब्जियां और फल	50225	400	0.8	68355	856	1.3
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	14236	21	0.1	13866	118	0.9
07		कॉफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	21131	842	4.0	27953	956	3.4
	071	काफी और कॉफी के अनुकल्प	8659	148	1.7	11559	264	2.3
	074	चाय और मेट	2650	585	22.1	3087	431	14.0
	075	मसाले	1415	109	7.7	2541	261	10.3
08		पशुओं के चारे की सामग्री	15603	336	2.2	20295	469	2.3
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	17860	145	0.8	21628	147	0.7
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	5187	107	2.1	5525	147	2.7
	122	विनिर्मित तम्बाकू	12674	39	0.3	16103	0	0.0
22		तिलहन और तेलिया फल	10477	83	0.8	14388	244	1.7
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	35734	753	2.1	49515	510	1.0
	281	लौह अयस्क और उसके सांद्रक	7653	578	7.6	9229	363	3.9
51		कार्बनिक रसायन	70721	232	0.3	134109	1491	1.1
52		अकार्बनिक रसायन	26079	59	0.2	33117	99	0.3
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	19952	233	1.2	34105	481	1.4
54	541	औषधीय और भेषजीय उत्पाद	37753	453	1.2	107482	1255	1.2
55		सुगन्धित तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, साबुन और सफाई के काम आने वाले उत्पाद आदि	21027	240	1.1	44279	216	0.5
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टर और ईथर	65712	29	0.0	123353	174	0.1
59		रासायनिक सामग्री और उत्पाद एन.ई.एस.	33418	76	0.2	63411	437	0.7
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रसाधित लोम चर्म	13226	832	6.3	24440	808	3.3
	611	चमड़ा	9295	447	4.8	16551	388	2.3
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	2868	385	13.4	6831	421	6.2
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	1063	0	0.0	1058	0	0.0
65		वस्त्र धागा, फैब्रिक और उससे बनी वस्तुएं	105147	2180	2.1	167528	6000	3.6
	652	बुने सूती कपड़े	15559	571	3.7	22387	1103	4.9
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	22021	156	0.7	32151	506	1.6
	654	कपास या कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को छोड़कर बुने हुए कपड़े	8466	195	2.3	9432	370	3.9
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	27577	2710	9.8	54105	6477	12.0
67		लोहा और इस्पात	106342	283	0.3	146147	1481	1.0
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं एन.ई.एस.	66088	341	0.5	125259	1167	0.9
71		विद्युत (पावर) उत्पादन करने वाली मशीनरी और उपस्कर	81675	126	0.2	158329	218	0.1
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	118617	236	0.2	167582	346	0.2
73		धातु-कर्मकारी मशीनरी	31051	58	0.2	41413	117	0.3
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनके मशीनी पुर्जे	130836	132	0.1	225981	78	0.0
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर	126743	112	0.1	378980	0	0.0
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और प्रतिरूपण उपकरण और उपस्कर	100965	31	0.0	299356	0	0.0
77		विजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	185364	241	0.1	640575	92	0.0
78		सड़क वाहन (एयर कुशन वाहनों सहित)	312550	344	0.1	549596	370	0.1
79		अन्य परिवहन उपस्कर	96250	15	0.0	157654	53	0.0
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	94577	2211	2.3	201379	7093	3.5
		कुल निर्यात	3303563	18143	0.5	6254511	41543	0.7

तालिका 7.5 : वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा

(जारी...)

क्र.स.	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/समूह	2005			2010		
			विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
01		मांस और मांस से निर्मित खाद्य वस्तुएं	73937	620	0.8	112000	1821	1.6
03		मछली, क्रस्टेशिया (पर्पटीय) और मोलस्क एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	71559	1590	2.2	101800	2403	2.4
04		अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	72416	1753	2.4	94300	3136	3.3
	042	चावल	9841	1411	14.3	20300	2296	11.3
05		सब्जियां और फल	114274	1586	1.4	180700	2338	1.3
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	24042	196	0.8	45500	1096	2.4
07		काँफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	44914	1042	2.3	80700	2233	2.8
	071	काफी और काँफी के अनुकल्प	15729	363	2.3	29600	558	1.9
	074	चाय और मेट	4159	393	9.4	7200	720	10.0
	075	मसाले	2995	281	9.4	6000	927	15.4
08		पशुओं के चारे की सामग्री	30390	1127	3.7	57600	2067	3.6
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	24759	232	0.9	35100	879	2.5
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	6875	0	0.0	10800	713	6.6
	122	विनिर्मित तम्बाकू	17884	0	0.0	24300	165	0.7
22		तिलहन और तेलिया फल	22888	319	1.4	56400	911	1.6
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	124604	4899	3.9	299000	8475	2.8
	281	लोह अयस्क और उसके सांद्रक	27673	3816	13.8	105200	6147	5.8
51		कार्बनिक रसायन	217584	4536	2.1	335000	7735	2.3
52		अकार्बनिक रसायन	55240	0	0.0	92200	972	1.1
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	50885	846	1.7	66300	1604	2.4
54	541	औषधीय और भेषजीय उत्पाद	67107	564	0.8	134700	1357	1.0
55		सुगन्धित तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधान, साबुन और सफाई	82162	511	0.6	122900	1159	0.9
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टर और ईथर	72911	0	0.0	108400	910	0.8
59		रासायनिक सामग्री और उत्पाद एन.ई.एस.	106894	1153	1.1	174100	2136	1.2
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रसाधित लोम चर्म	25347	773	3.1	28200	915	3.2
	611	चमड़ा	20500	638	3.1	23500	785	3.3
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	3125	0	0.0	3100	130	4.2
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	1722	0.0	0.0	1600	0.0	0.0
65		वस्त्र धागा, फ़ैब्रिक और उससे बनी वस्तुएं	213619	8462	4.0	259700	12833	4.9
	652	बुने सूती कपड़े	28814	861	3.0	28600	1050	3.7
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	32121	981	3.1	36200	1987	5.5
	654	कपास या कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को छोड़कर बुने हुए कपड़े	11076	495	4.5	9900	518	5.2
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	91907	11929	13.0	129500	22589	17.4
67		लोहा और इस्पात	312975	4959	1.6	416400	10612	2.5
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं एन.ई.एस.	215402	2774	1.3	301800	4169	1.4
71		विद्युत (पावर) उत्पादन करने वाली मशीनरी और उपस्कर	252199	926	0.4	330700	2335	0.7
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	264538	1125	0.4	364800	2230	0.6
73		धातु-कर्मकारी मशीनरी	63925	268	0.4	69400	381	0.5
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनके मशीनी पुर्जे	375374	1825	0.5	527900	3886	0.7
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर	488065	470	0.1	572700	619	0.1
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और प्रतिकृपण उपकरण और उपस्कर	492806	0	0.0	626200	2408	0.4
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	852088	2126	0.2	1240100	5522	0.4
78		सड़क वाहन (एयर कुशन वाहनों सहित)	896733	3088	0.3	1063500	8746	0.8
79		अन्य परिवहन उपस्कर	214311	1023	0.5	333500	5804	1.7
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	286840	9212	3.2	372000	11229	3.0
		कुल निर्यात	10355384	99618	1.0	15102605	226334	1.5

जारी...

तालिका 7.5 : वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा

(जारी...)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.स.	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/समूह	2015			2016		
			विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
01		मांस और मांस से निर्मित खाद्य वस्तुएं	151600	5079	3.4	132000	4347	3.3
03		मछली, क्रस्टेशिया (परपंटीय) और मोलस्क एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	138400	5500	4.0	124200	4778	3.8
04		अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	130900	10598	8.1	119700	7380	6.2
	042	चावल	26400	7906	29.9	23200	6380	27.5
05		सब्जियां और फल	233900	3305	1.4	229800	3176	1.4
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	49000	1386	2.8	42700	1529	3.6
07		काफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	106000	3238	3.1	102500	3407	3.3
	071	काफी और काफी के अनुकल्प	39200	843	2.2	37400	813	2.2
	074	चाय और मेट	9100	694	7.6	8400	713	8.5
	075	मसाले	9700	1575	16.2	10300	1701	16.5
08		पशुओं के चारे की सामग्री	84800	2043	2.4	73900	1066	1.4
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	45200	957	2.1	40100	935	2.3
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	12000	688	5.7	11100	639	5.8
	122	विनिर्मित तम्बाकू	33200	269	0.8	29000	296	1.0
22		तिलहन और तेलिया फल	85100	1837	2.2	72800	1408	1.9
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	318300	2217	0.7	233700	1543	0.7
	281	लोह अयस्क और उसके सांद्रक	116900	874	0.7	68900	211	0.3
51		कार्बनिक रसायन	395200	10967	2.8	335600	10124	3.0
52		अकार्बनिक रसायन	101400	908	0.9	90300	813	0.9
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	77300	2886	3.7	68600	2452	3.6
54	541	औषधीय और भेषजीय उत्पाद	189500	2243	1.2	186300	2339	1.3
55		सुगन्धित तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, साबुन और सफाई के काम आने वाले उत्पाद आदि	161100	1905	1.2	149500	1833	1.2
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टर और ईथर	135200	1272	0.9	123400	1223	1.0
59		रासायनिक सामग्री और उत्पाद एन.ई.एस.	223600	3355	1.5	199100	3156	1.6
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रसाधित लोम चर्म	34400	1603	4.7	29700	1312	4.4
	611	चमड़ा	27400	1361	5.0	23000	1095	4.8
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	4600	243	5.3	4700	216	4.6
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	2400	0	0.0	2000	1	0.0
65		वस्त्र धागा, फैब्रिक और उससे बनी वस्तुएं	320200	18266	5.7	297400	17263	5.8
	652	बुने सूती कपड़े	32300	1861	5.8	29700	1771	6.0
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	47700	2152	4.5	45100	2091	4.6
	654	कपास या कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को छोड़कर बुने हुए कपड़े	10800	322	3.0	9700	301	3.1
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	161900	24402	15.1	139800	22395	16.0
67		लोहा और इस्पात	467100	11540	2.5	376400	8289	2.2
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं एन.ई.एस.	402000	7953	2.0	371800	7113	1.9
71		विद्युत (पावर) उत्पादन करने वाली मशीनरी और उपस्कर	410900	3991	1.0	372600	3637	1.0
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	428400	4233	1.0	378100	4101	1.1
73		धातु-कर्मकारी मशीनरी	90500	512	0.6	78700	527	0.7
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनके मशीनी पुर्जे	695100	6137	0.9	633300	6179	1.0
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर	604100	528	0.1	534300	590	0.1
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और प्रतिरूपण उपकरण और उपस्कर	785600	2036	0.3	775500	1315	0.2
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	1500800	6218	0.4	1449900	5975	0.4
78		सड़क वाहन (एयर कुशन वाहनों सहित)	1374300	13519	1.0	1300400	13079	1.0
79		अन्य परिवहन उपस्कर	378500	11405	3.0	372600	7923	2.1
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	496100	17650	3.6	470200	18168	3.9
		कुल निर्यात	18671016.9	317544.6	1.7	16205368.1	264381.0	1.6

जारी...

तालिका 7.5 : वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा

क्र. स.	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/समूह	2017			2018		
			विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
			(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
01		मांस और मांस से निर्मित खाद्य वस्तुएं	143500	4310	3.0	149269	3739	2.5
03		मछली, क्रस्टेशिया (पर्पटीय) और मोलस्क एवं उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	145800	7041	4.8	155536	6811	4.4
04		अनाज और उससे निर्मित खाद्य वस्तुएं	124600	7883	6.3	135073	8284	6.1
	042	चावल	24500	7076	28.9	26172	7346	28.1
05		सब्जियां और फल	258400	3873	1.5	266630	3705	1.4
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	50900	1275	2.5	44408	1279	2.9
07		कॉफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	107600	3863	3.6	109280	3697	3.4
	071	काफी और कॉफी के अनुकल्प	39300	968	2.5	38468	842	2.2
	074	चाय और मेट	9400	819	8.7	9946	819	8.2
	075	मसाले	11300	1915	16.9	11416	1842	16.1
08		पशुओं के चारे की सामग्री	73200	1455	2.0	82466	1677	2.0
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	41000	930	2.3	45677	984	2.2
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	11100	613	5.5	10770	589	5.5
	122	विनिर्मित तम्बाकू	29900	317	1.1	34907	395	1.1
22		तिलहन और तेलिया फल	81700	1375	1.7	82863	1181	1.4
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	285900	2890	1.0	307022	2507	0.8
	281	लोह अयस्क और उसके सांद्रक	92900	1651	1.8	92390	1253	1.4
51		कार्बनिक रसायन	360000	12320	3.4	418133	16462	3.9
52		अकार्बनिक रसायन	93200	1134	1.2	108993	1342	1.2
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	76600	2768	3.6	80260	3221	4.0
54	541	औषधीय और भेषजीय उत्पाद	196900	2229	1.1	224980	2440	1.1
55		सुगन्धित तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, साबुन और सफाई के काम आने वाले उत्पाद आदि	172800	2266	1.3	191657	2399	1.3
		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टर और ईथर	133100	1366	1.0	143708	1671	1.2
		रासायनिक सामग्री और उत्पाद एन.ई.एस.						
59		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं एवं प्रसाधित लोम चर्म	218200	3762	1.7	243701	4581	1.9
61		चमड़ा	31000	1095	3.5	29341	1010	3.4
	611	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	24700	882	3.6	22645	781	3.4
	612	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	4900	214	4.4	5183	228	4.4
	613	वस्त्र धागा, फैब्रिक और उससे बनी वस्तुएं	1400	0.3	0.0	1513	0.7	0.0
65		बुने सूती कपड़े	300500	17078	5.7	316567	18115	5.7
	652	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	27600	1662	6.0	27843	1839	6.6
	653	कपास या कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों को छोड़कर बुने हुए कपड़े	43700	1794	4.1	45080	1593	3.5
	654	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	9000	260	2.9	9977	246	2.5
66	667	लोहा और इस्पात	144400	24566	17.0	146153	26308	18.0
67		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं एन.ई.एस.	339400	8245	2.4	462847	12147	2.6
69		विद्युत (पावर) उत्पादन करने वाली मशीनरी और उपस्कर	358100	6546	1.8	422909	7551	1.8
71		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	375200	4205	1.1	444738	8308	1.9
72		धातु-कर्मकारी मशीनरी	371900	3866	1.0	495956	5276	1.1
73		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर	73600	561	0.8	82330	575	0.7
74		और उनके मशीनी पुर्जे	622900	6115	1.0	731239	7890	1.1
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर	498700	538	0.1	770033	997	0.1
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और प्रतिक्रमण उपकरण और उपस्कर	753200	1475	0.2	696518	2144	0.3
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	1455400	6077	0.4	1830819	8387	0.5
78		सड़क वाहन (एयर कुशन वाहनों सहित)	1324200	14098	1.1	1513226	17354	1.1
79		अन्य परिवहन उपस्कर	358400	6422	1.8	361764	6083	1.7
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	455100	17932	3.9	498512	16552	3.3
		कुल निर्यात	15628916.42	260327	1.7	19132268.75	322492	1.7

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र की "इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स इयर बुक" के विभिन्न अंक और वर्ष 2015 तथा 2016 के लिए डाटा को तारीख 15 नवंबर 2019 को <http://comtrade.un.org/> से प्राप्त किया

तालिका 7.6 : विदेश व्यापार के सूचकांक

(आधार : 1999-2000=100)

वर्ष	इकाई मूल्य सूचकांक		परिमाण सूचकांक			व्यापार स्थिति	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	सकल	निवल	आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2013-14	112	108	139	94	68	103	144
2014-15	109	100	155	104	67	109	169
2015-16	104	85	186	111	60	123	228
2016-17	108	88	224	112	50	123	274
2017-18	110	92	200	123	62	120	240
2018-19	124	109	125	126	101	114	142
2019-20	125	103	145	125	86	121	176

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस, कोलकाता।

टिप्पणी :

- व्यापार की निवल स्थिति (एनटीटी) अर्थात् समग्र निर्यात इकाई मूल्य सूचकांक और समान आयात सूचकांक का अनुपात।
- व्यापार की सकल स्थिति अर्थात् समग्र आयात परिमाण सूचकांक और समान निर्यात सूचकांक का अनुपात।
- व्यापार की आय-स्थिति = एनटीटी x क्यूआईई/100
- क्यूआईई = निर्यातक का मात्रात्मक सूचकांक

तालिका 8.1 (क) : समग्र विदेशी सहायता

(₹ करोड़)

वर्ष	ऋण	अनुदान	जोड़ (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
क. प्राधिकृत सहायता			
1985-86	5337.0	313.4	5650.4
1986-87	5730.0	429.5	6159.5
1987-88	8203.1	1062.2	9265.3
1988-89	12855.6	214.2	13069.8
1989-90	10105.8	720.2	10826.0
1990-91	7601.3	522.1	8123.4
1991-92	11805.8	901.8	12707.6
1992-93	13082.1	1011.7	14093.8
1993-94	11618.8	2415.1	14033.9
1994-95	12384.3	1075.8	13460.1
1995-96	10833.2	1330.0	12163.2
1996-97	14208.8	2932.6	17141.4
1997-98	14865.0	2101.0	16966.0
1998-99	8320.8	209.8	8530.6
1999-2000	17703.7	2615.3	20319.0
2000-01	16455.2	1963.5	18418.7
2001-02	21630.0	3465.0	25095.0
2002-03	19875.7	1296.1	21171.8
2003-04	14754.4	2350.7	17105.1
2004-05	22746.1	3071.1	25817.2
2005-06	17309.1	1628.8	18937.9
2006-07	28271.0	3518.9	31789.9
2007-08	28988.4	4294.4	33282.8
2008-09	28283.4	1242.5	29525.9
2009-10	48968.8	957.6	49926.4
2010-11	35895.1	1536.5	37431.6
2011-12	59035.3	1095.5	60130.8
2012-13	66891.6	1889.0	68780.6
2013-14	54372.6	140.2	54512.8
2014-15	48135.5	119.7	48255.2
2015-16	64208.0	3655.2	67863.2
2016-17	62650.4	249.5	62899.9
2017-18	61212.6	2531.4	63744.0
2018-19	96062.3	1587.6	97649.9
2019-20	75276.8	69.3	75346.1
2020-21	71006.0	31.0	71037.0
ख. उपयोग			
1985-86	2493.1	442.9	2936.0
1986-87	3175.7	429.3	3605.0

तालिका 8.1 (क) : समग्र विदेशी सहायता

(₹ करोड़)

वर्ष	ऋण	अनुदान	जोड़ (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
1987-88	4574.4	477.5	5051.9
1988-89	4738.6	565.8	5304.4
1989-90	5137.8	664.7	5802.5
1990-91	6170.0	534.3	6704.3
1991-92	10695.9	919.1	11615.0
1992-93	10102.2	879.6	10981.8
1993-94	10895.4	885.6	11781.0
1994-95	9964.5	916.0	10880.5
1995-96	9958.6	1063.6	11022.2
1996-97	10892.9	1085.6	11978.5
1997-98	10823.4	921.3	11744.7
1998-99	12343.4	895.5	13238.9
1999-2000	13330.7	1073.9	14404.6
2000-01	13527.2	727.2	14254.4
2001-02	16111.7	1447.6	17559.3
2002-03	13898.3	1835.8	15734.1
2003-04	15271.0	2073.4	17344.4
2004-05	14660.9	2490.7	17151.6
2005-06	16097.8	2790.6	18888.4
2006-07	16890.6	2528.4	19419.0
2007-08	17177.7	2673.7	19851.4
2008-09	24089.9	2803.8	26893.7
2009-10	27617.8	3121.2	30739.0
2010-11	35116.1	2789.5	37905.6
2011-12	29349.4	2926.2	32275.6
2012-13	25494.1	2373.6	27867.7
2013-14	31772.4	3415.8	35187.5
2014-15	35257.3	1491.7	36749.0
2015-16	40369.4	2197.0	42566.4
2016-17	47665.0	990.5	48655.5
2017-18	49969.1	1424.1	51393.2
2018-19	60541.2	833.4	61374.6
2019-20	67507.4	780.6	68288.0
2020-21	69728.9	408.0	70136.9

स्रोत : सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

टिप्पणी :

अनंतिम 2018-19

1. आंकड़ों का प्रमाणन अलग-अलग प्रदाता मुद्राओं के साथ रुपए के औसत विनिमय दर के अनुप्रयोग द्वारा किया गया है।
2. उपयोग संबंधी आंकड़े लेन-देन की तारीख पर लागू अद्यतन दरों पर आधारित हैं।
3. प्रमाणन और उपयोगिता संबंधी आंकड़ों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों लेखे संबंधी और अनुदान शामिल हैं।
4. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े मेल न खाएं।
5. चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए डाटा (03.11.2020 तक)

तालिका 8.1 (ख) : समग्र विदेशी सहायता

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	ऋण	अनुदान	जोड़ (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Authorization			
1985-86	4362.1	256.2	4618.3
1986-87	4484.2	336.1	4820.3
1987-88	6326.7	819.2	7145.9
1988-89	8877.0	147.9	9024.9
1989-90	6069.9	432.6	6502.5
1990-91	4236.4	291.0	4527.4
1991-92	4766.0	364.1	5130.1
1992-93	4275.7	330.7	4606.4
1993-94	3717.5	772.7	4490.2
1994-95	3958.2	343.8	4302.0
1995-96	3249.8	399.0	3648.8
1996-97	4000.4	825.6	4826.0
1997-98	4006.8	566.3	4573.1
1998-99	1979.2	49.9	2029.1
1999-2000	4091.4	604.4	4695.8
2000-01	3609.4	430.7	4040.1
2001-02	4438.7	711.1	5149.8
2002-03	4183.5	244.4	4427.9
2003-04	3300.8	525.9	3826.7
2004-05	5212.2	703.7	5915.9
2005-06	3912.2	368.1	4280.4
2006-07	6209.8	773.0	6982.8
2007-08	7182.2	1064.0	8246.1
2008-09	6183.2	271.6	6454.9
2009-10	10318.0	201.8	10519.8
2010-11	7881.0	337.4	8218.3
2011-12	12343.4	229.1	12572.5
2012-13	12301.0	347.4	12648.3
2013-14	9003.7	23.2	9027.0
2014-15	7881.8	19.6	7901.4
2015-16	9818.2	558.9	10377.1
2016-17	9324.9	37.1	9362.0
2017-18	9501.0	392.9	9893.9
2018-19	13768.4	227.5	13995.9
2019-20	10632.1	9.8	10641.9
2020-21	9491.82	4.14	9495.96
ख. उपयोग			
1985-86	2037.7	362.0	2399.7
1986-87	2485.3	336.0	2821.3

तालिका 8.1 (ख) : समग्र विदेशी सहायता

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	ऋण	अनुदान	जोड़ (2+3)
(1)	(2)	(3)	(4)
1987-88	3528.0	368.2	3896.2
1988-89	3272.1	390.7	3662.8
1989-90	3086.0	399.2	3485.2
1990-91	3438.7	297.8	3736.5
1991-92	4317.9	371.0	4688.9
1992-93	3301.8	287.5	3589.3
1993-94	3486.0	283.4	3769.4
1994-95	3184.8	292.7	3477.5
1995-96	2987.4	319.1	3306.4
1996-97	3066.8	305.6	3372.4
1997-98	2917.4	248.3	3165.7
1998-99	2936.0	213.0	3149.0
1999-00	3080.8	248.2	3329.0
2000-01	2967.2	159.5	3126.7
2001-02	3306.3	297.1	3603.4
2002-03	2946.6	386.6	3333.2
2003-04	3416.3	463.8	3880.1
2004-05	3359.5	570.7	3930.2
2005-06	3607.0	625.3	4232.3
2006-07	3918.0	586.5	4265.5
2007-08	4280.5	666.3	4946.8
2008-09	4769.3	555.1	5324.4
2009-10	6130.5	692.8	6823.3
2010-11	7866.5	624.9	8491.4
2011-12	6060.2	590.1	6650.3
2012-13	4715.1	439.0	5154.1
2013-14	5282.9	567.8	5850.7
2014-15	5634.2	238.4	5872.6
2015-16	6068.0	330.2	6398.3
2016-17	7341.5	152.6	7494.1
2017-18	7752.8	220.8	7973.6
2018-19	8637.4	116.2	8753.6
2019-20	9526.1	108.6	9634.7
2021-22	9171.2	32.6	9203.8

स्रोत : सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

टिप्पणी :

1. इस तालिका के आंकड़ों को संबंधित रुपए-यूएस डॉलर दर पर आधारित पूर्ववर्ती तालिका 8.1(क) से परिवर्तित किया गया है।
2. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े मेल न खाएं।
3. 31.11.2020 तक वर्तमान वित्त वर्ष (2020-2021) के आंकड़े।

तालिका 8.2 (क): स्रोत के द्वारा विदेशी सहायता का प्राधिकरण

(₹ करोड़)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. सहायता संघ के सदस्य									
(क) ऋण	11189.6	35842.5	37464.7	52429.6	41070.1	44238.7	53871.9	51464.7	30205.3
(ख) अनुदान	1912.3	93.3	98.0	3.1	215.9	475.5	52.6	69.3	8.6
जोड़	13101.9	35935.9	37562.7	52432.7	41286.0	44714.2	53924.4	51533.9	30213.9
देश-वार वितरण									
(i) आस्ट्रिया									
ऋण
(ii) बेल्जियम									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(iii) कनाडा									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	20.5
जोड़	20.5
(iv) डेनमार्क									
अनुदान	15.6
(v) फ्रांस									
(क) ऋण	1805.0	957.3	1846.2	1982.2	606.0	1711.1
(ख) अनुदान	9.3	1645.2	45.2
(vi) जर्मनी									
(क) ऋण	187.7	1215.7	5659.1	1783.4	10487.7	1145.4	970.9	4584.6	432.1
(ख) अनुदान	5.7	...	21.3	54.3	52.6	69.3	8.6
जोड़	193.4	1215.7	5680.4	1783.4	10487.7	1199.6	1023.5	4653.9	440.6
(vii) इटली									
ऋण	42.6
(viii) जापान									
(क) ऋण	784.1	18818.6	6756.1	17337.0	10178.7	23163.0	30373.4	24398.8	3508.3
(ख) अनुदान	2.2	90.3	204.4
जोड़	786.3	18909.0	6756.1	17337.0	10178.7	23367.4	30373.4	24398.8	3508.3
(ix) नीदरलैंड									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	6.7
जोड़	6.7
(x) स्वीडन									
अनुदान
(xi) यूनाइटेड किंगडम									
अनुदान	474.7
(xii) संयुक्त राज्य अमेरिका									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	0.8
जोड़	0.8

जारी...

तालिका 8.2 (क): स्रोत के द्वारा विदेशी सहायता का प्राधिकरण

(₹ करोड़)									
सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(xiii) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी)									
(क) ऋण	6816.8	2361.2	14657.3	17667.0	13819.6	15764.8	20545.4	20111.7	20392.8
(ख) अनुदान	391.7	3.0	76.7	3.1	215.9	171.6
जोड़	7208.5	2364.2	14733.9	17670.1	14035.5	15936.5	20545.4	20111.7	20392.8
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच (आई.डी.ए.)									
(क) ऋण	3358.4	11801.8	10392.3	13837.1	5626.9	2319.4	...	1763.5	4161.0
(ख) अनुदान	985.1
जोड़	4343.5	11801.8	10392.3	13837.1	5626.9	2319.4	...	1763.5	...
II. रूसी परिसंच और पूर्वी यूरोप के देश									0.00
ऋण
देश-वार वितरण									
(i) रूसी परिसंच									
ऋण
III. अन्य									
(क) ऋण	5265.6	18530.1	10670.7	11778.4	21580.3	16973.8	29765.0	23812.2	40800.6
(ख) अनुदान	51.2	46.8	21.7	3652.1	33.6	2055.9	1535.0	0.0	22.4
जोड़	5316.8	18576.9	10692.4	15430.5	21613.9	19029.7	31300.0	23812.2	40823.1
(i) स्विटजर लैंड									
अनुदान
(ii) यूरोपीयन आर्थिक समुदाय									
अनुदान
(iii) ओपीईसी फण्ड									
ऋण
(iv) विकास हेतु सऊदी अरब फण्ड									
ऋण
(v) अरेबिक आर्थिक विकास हेतु कुवैत फण्ड									
अनुदान
(vi) आईएफएडी कृषि विकास निधि अंतर्राष्ट्रीय									
(क) ऋण	...	400.1	383.2	475.7	...	973.2
(ख) अनुदान	6.4
जोड़	...	400.1	383.2	475.7	...	979.6
(vii) आईएमएफ ट्रस्ट फण्ड									
ऋण
(viii) International Sugar Org.									
ऋण
(ix) एशियाई विकास बैंक									
(क) ऋण	5265.6	18130.0	10287.6	9858.7	17387.8	11561.6	22020.5	15774.6	20549.9
(ख) अनुदान	11.0	13.1	33.6	...	1081.4	...	22.4
जोड़	5265.6	18130.0	10298.6	9871.8	17421.4	11561.6	23102.0	15774.6	20572.4

तालिका 8.2 (क): स्रोत के द्वारा विदेशी सहायता का प्राधिकरण

(₹ करोड़)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(x) यूरोपीय निवेश बैंक									
(क) ऋण	1444.0	1841.0	3541.7	...
(ख) अनुदान	0.0	...
जोड़	1444.0	1841.0	3541.7	...
(xi) स्पेन									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xii) नार्वे									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xiii) आस्ट्रेलिया									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xiv) अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ^क									
(क) ऋण	2351.5	4439.1	7744.5	4495.9	20250.7
(ख) अनुदान	51.2	46.8	10.7	3639.0	...	2049.5	453.6
कुल जोड़	18418.7	54512.8	48255.1	67863.2	62899.9	63744.0	85224.4	75346.1	71037.0
(क) ऋण	16455.2	54372.6	48135.5	64208.0	62650.4	61212.6	83636.9	75276.8	71006.0
(ख) अनुदान	1963.5	140.2	119.7	3655.2	249.5	2531.4	1587.6	69.3	31.0

स्रोत : सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

.....: शून्य या नगण्य

क: अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में यूनिसेफ, यूएनडीपी, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपीए, यूनेस्को, यूपीयू, डब्ल्यूएफपी, वैश्विक निधि, आईडीएफ (डब्ल्यूबी), यूएन-एफएओ, एनडीवी, एआईआईवी और फोर्ड फाउंडेशन शामिल हैं।

टिप्पणी :

1. विदेशी सहायता प्राधिकरण के आंकड़ों में सरकारी और गैर-सरकारी लेखों के सम्बन्ध में हस्ताक्षर किए गए समझौते शामिल हैं।
2. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े मेल न खाएं।

तालिका 8.2(ख) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. सहायता संघ के सदस्य									
(क) ऋण	2454.4	5935.3	6134.5	8017.1	6112.9	6866.4	7721.3	7268.9	4037.8
(ख) अनुदान	419.5	15.5	16.0	0.5	32.1	73.8	7.5	9.8	1.1
जोड़	2873.9	5950.7	6150.6	8017.6	6145.0	6940.2	7728.9	7278.7	4039.0
देश-वार वितरण									
(i) आस्ट्रेलिया									
ऋण
(ii) बेल्जियम									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(iii) कनाडा									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	4.5
जोड़	4.5
(iv) डेनमार्क									
अनुदान	3.4
(v) फ्रांस									
(क) ऋण	276.0	142.5	286.6	284.1	85.6	228.8
(ख) अनुदान	2.1	272.4	7.0
(vi) जर्मनी									
(क) ऋण	41.2	201.3	926.6	272.7	1561.0	177.8	139.2	647.5	57.8
(ख) अनुदान	1.3	...	3.5	8.4	7.5	9.8	1.1
जोड़	42.4	201.3	930.1	272.7	1561.0	186.2	146.7	657.3	58.9
(vii) इटली									
ऋण	9.4
(viii) जापान									
(क) ऋण	172.0	3116.2	1106.3	2651.0	1515.0	3595.2	4353.4	3446.1	469.0
(ख) अनुदान	0.5	15.0	31.7
जोड़	172.5	3131.2	1106.3	2651.0	1515.0	3626.9	4353.4	3446.1	469.0
(ix) नीदरलैंड									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	1.5
जोड़	1.5
(x) स्वीडन									
अनुदान
(xi) यूनाइटेड किंगडम									
अनुदान	104.1
(xii) संयुक्त राज्य अमेरिका									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	0.2
जोड़	0.2

जारी...

तालिका 8.2(ख) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(xiii) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक									
(क) ऋण	1495.3	391.0	2400.0	2701.5	2056.9	2446.9	2944.7	2840.6	2726.0
(ख) अनुदान	85.9	0.5	12.6	0.5	32.1	26.6
जोड़	1581.2	391.5	2412.6	2702.0	2089.0	2473.5	2944.7	2840.6	2726.0
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच									
(क) ऋण	736.7	1954.3	1701.7	2115.9	837.5	360.0	...	249.1	556.3
(ख) अनुदान	216.1
जोड़	952.8	1954.3	1701.7	2115.9	837.5	360.0	...	249.1	556.3
II. रूसी परिसंघ और पूर्वी यूरोप के देश									
ऋण
ऋण देश-वार वितरण									
(i) रूसी परिसंघ									
ऋण
III. अन्य									
(क) ऋण	1155.0	3068.5	1747.2	1801.1	3212.0	2634.6	4266.2	3363.2	5454.0
(ख) अनुदान	11.2	7.8	3.6	558.4	5.0	319.1	220.0	...	3.0
जोड़	1166.2	3076.2	1750.8	2359.5	3217.0	2953.7	4486.2	3363.2	5457.0
(i) स्विटजर लैंड									
अनुदान
(ii) यूरोपीयन आर्थिक समुदाय									
अनुदान	...	102.96
(iii) ओपीईसी फण्ड									
ऋण
(iv) विकास हेतु सऊदी अरब फण्ड									
ऋण
(v) अरेबिक आर्थिक विकास हेतु कुवैत फण्ड									
अनुदान
(vi) आईएफएडी कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय									
(क) ऋण	...	66.3	62.7	72.7	...	151.1
(ख) अनुदान	1.0
जोड़	...	66.3	62.7	72.7	...	152.0
(vii) आईएमएफ ट्रस्ट फण्ड									
ऋण
(viii) अंतर्राष्ट्रीय सुगर संघ									
ऋण
(ix) एशियाई विकास बैंक									
(क) ऋण	1155.0	3002.2	1684.5	1507.5	2588.0	1794.5	3156.2	2228.0	2747.0
(ख) अनुदान	1.8	2.0	5.0	...	155.0	...	3.0
जोड़	1155.0	3002.2	1686.3	1509.5	2593.0	1794.5	3311.2	2228.0	2750.0
(x) यूरोपीय निवेश बैंक									
(क) ऋण	220.8	274.0	500.2	...

जारी...

तालिका 8.2(ख) : स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का प्राधिकरण

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(ख) अनुदान
जोड़	220.8	500.2	...
(xi) स्पेन									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xii) नार्वे									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xiii) आस्ट्रेलिया									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(xiv) अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ^क									
(क) ऋण	350.0	689.0	1110.0	635.0	2707.0
(ख) अनुदान	11.2	7.8	1.8	556.4	...	318.1	65.0
कुल जोड़	4040.1	9026.9	7901.4	10377.1	9362.0	9893.9	12215.1	10641.9	9496.0
(क) ऋण	3609.4	9003.7	7881.8	9818.2	9324.9	9501.0	11987.5	10632.1	9491.8
(ख) अनुदान	430.7	23.2	19.6	558.9	37.1	392.9	227.5	9.8	4.1

स्रोत: सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय.....शून्य या नगण्य

क अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में यूनिसेफ, यूएनडीपी, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपीए, यूनेस्को, यूपीयू, डब्ल्यूएफपी, वैश्विक निधि, आईडीएफ (डब्ल्यूबी), यूएनएफएओ, एनडीबी, एआईआईबी और फोर्ट फाइंडेशन शामिल हैं।

टिप्पणी:

1. इस तालिका के आंकड़ों को संबंधित रुपए-यूएस डॉलर दर पर आधारित पूर्ववर्ती तालिका 8.2(क) से परिवर्तित किया गया है।
2. पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़े मेल न खाएं।

तालिका 8.3(क): स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग

(₹ करोड़)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. सहायता संघ के सदस्य									
(क) ऋण	11168.6	25164.7	26630.2	31364.6	35578.5	36439.0	42677.6	48754.6	34578.4
(ख) अनुदान	634.0	1043.4	749.6	405.1	135.8	99.1	130.1	87.1	32.8
जोड़	11802.6	26208.1	27379.8	31769.7	35714.3	36538.2	42807.7	48841.7	34611.2
देश-वार वितरण									
(i) आस्ट्रिया									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(ii) बेल्जियम									
ऋण
(iii) कनाडा									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	2.9
जोड़	2.9
(iv) डेनमार्क									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	49.5
जोड़	49.5
(v) फ्रांस									
(क) ऋण	65.2	921.7	225.8	329.4	790.4	1045.2	977.7	1396.9	2095.3
(ख) अनुदान	-0.2	0.0	6.5	0.5	0.4
जोड़	65.2	921.7	225.8	329.4	790.3	1045.2	984.2	1397.3	2095.7
(vi) जर्मनी									
(क) ऋण	318.9	3122.0	1861.1	2111.3	2622.4	2080.8	4881.2	2056.2	530.2
(ख) अनुदान	67.8	65.6	56.0	80.1	34.7	21.2	5.8	15.8	5.2
जोड़	386.7	3187.6	1917.1	2191.4	2657.1	2102.0	4886.9	2072.0	535.4
(vii) इटली									
ऋण
(viii) जापान									
(क) ऋण	2714.0	8750.5	8825.9	10341.5	12506.1	14439.3	16769.9	16372.0	3055.7
(ख) अनुदान	15.8	4.4	...	29.1	36.0	...	46.8
जोड़	2729.8	8754.9	8825.9	10370.5	12542.1	14439.3	16816.6	16372.0	3055.7
(ix) नीदरलैंड									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	70.3
जोड़	70.3
(x) स्वीडन									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़

जारी...

तालिका 8.3(क): स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग

(₹ करोड़)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(xi) यूनाइटेड किंगडम									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	307.3	855.0	601.8	224.3
जोड़	307.3	855.0	601.8	224.3
(xii) संयुक्त राज्य अमेरिका									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	81.1	43.4	...	4.7
जोड़	81.1	43.4	...	4.7
(xiii) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक									
(क) ऋण	3222.4	5631.6	7703.5	9137.3	8794.1	8135.0	10595.3	19025.7	21860.2
(ख) अनुदान	24.5	73.8	85.9	67.0	65.5	78.0	71.1	70.8	27.2
जोड़	3246.9	5705.3	7789.4	9204.3	8859.6	8212.9	10666.4	19096.6	21887.3
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच									
(क) ऋण	4848.1	6738.9	8013.9	9441.4	9247.4	8437.2	6004.6	7152.3	6211.1
(ख) अनुदान	14.8	1.2	6.0
जोड़	4862.9	6740.1	8019.8	9441.4	9247.4	8437.2	6004.6	7152.3	6211.1
(xv) आईएमएफ ट्रस्ट फण्ड
II. रूसी परिसंघ और पूर्वी यूरोप के देश									
ऋण	130.1	8.2	16.9	3.7	1618.1
ऋण देश-वार वितरण									
(i) रूसी परिसंघ									
ऋण	130.1	8.2	16.9	3.7	1618.1	2301.6	3448.9	2751.5	826.1
(ii) रिप. चेक एवं स्लोवाक									
ऋण
III. अन्य									
(क) ऋण	2228.5	6599.5	8610.3	9004.8	12086.6	13530.1	17756.8	18752.8	35150.5
(ख) अनुदान	93.2	2371.8	742.1	1792.0	854.7	1325.0	686.0	693.6	375.2
जोड़	2321.7	8971.3	9352.3	10796.8	12941.2	14855.1	18442.8	19446.3	35525.7
देश वार वितरण									
(i) अबू धाबी फण्ड									
ऋण
(ii) स्विट्जरलैंड									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(iii) अन्य अन्तराष्ट्रीय संस्थाएँ									
ऋण	511.3	2417.4	3298.4	17604.3
अनुदान	50.0	1746.0	739.7	1504.4	776.2	1130.3	669.9	674.5	373.3
जोड़	50.0	1746.0	739.7	1504.4	776.2	1641.6	3087.3	3972.9	17977.6

जारी...

तालिका 8.3(क): स्रोत के अनुसार विदेशी सहायता का उपयोग

(₹ करोड़)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(iv) यूरोपियन आर्थिक समुदाय									
अनुदान	36.3	622.4	...	287.6	70.4	189.3
(v) तेल उत्पादक एवं निर्यातक देश									
ऋण	41.5	7.9	54.5	26.3	18.7
(vi) विकास के लिए सऊदी अरब फंड									
ऋण
(vii) नार्वे									
(a) ऋण
(b) अनुदान	6.9
जोड़	6.9
(viii) स्पेन									
ऋण
(ix) अरब आर्थिक विकास के लिए									
कुवैत कोष									
(a) ऋण
(b) अनुदान
जोड़
(x) आईएफईडी (कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष)									
(a) ऋण	40.1	210.3	191.7	220.1	196.2	276.7	282.4	446.9	135.8
(b) अनुदान	...	3.5	1.0	7.1	...
जोड़	40.1	213.8	191.7	220.1	197.2	276.7	282.4	453.9	135.8
(xi) एडीबी									
(a) ऋण	2146.9	6381.2	8364.0	8758.4	11141.0	11980.7	14258.5	13817.5	17410.4
(b) अनुदान	2.4	...	7.0	5.4	16.1	12.0	1.9
जोड़	2146.9	6381.2	8366.4	8758.4	11148.0	11986.0	14274.6	13829.5	17412.3
(xii) यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक									
(a) ऋण	730.7	761.4	798.6	1190.0	...
(b) अनुदान
जोड़	730.7	761.4	798.6	1190.0	...
(xiii) आस्ट्रेलिया									
ऋण
कुल जोड़	14254.4	35187.6	36749.0	42566.5	48655.5	51393.2	61250.4	68288.0	70136.9
(a) ऋण	13527.2	31772.4	35257.3	40369.4	47665.1	49969.1	60434.4	67507.4	69728.9
(b) अनुदान	727.2	3415.2	1491.7	2197.1	990.5	1424.1	816.0	780.6	408.0

स्रोत : सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

... शून्य अथवा नगण्य

क : अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में यूनीसेफ, यू.एन.डी.पी., आई.एल.ओ., डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन.एफ.पी.ए. यूनेस्को, यूपीयू, डब्ल्यूएफपी, वैश्विक निधि, आई.डी.एफ. (डब्ल्यू.बी.), यूएन-एफएओ एन डी बी, ए आई आई बी और फोर्ड फाउन्डेशन शामिल हैं।

टिप्पणी :

1. उपयोग संबंधी आंकड़ों में आपूर्तिकर्ताओं के ऋण और वाणिज्यिक उधार शामिल नहीं हैं।
2. सहायता का उपयोग सरकारी और गैर-सरकारी लेखों में है।
3. पूर्णांकन होने के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

तालिका 8.3(ख) : स्रोत द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. सहायता संघ के सदस्य									
(क) ऋण	2449.8	4184.2	4255.6	4714.5	5479.9	5650.9	6091.0	6876.7	4632.8
(ख) अनुदान	139.1	173.5	119.8	60.9	21.0	15.3	18.7	12.2	4.4
जोड़	2588.9	4357.7	4375.4	4775.4	5500.9	5666.2	6109.6	6888.9	4637.2
देश-वार वितरण									
(i) आस्ट्रिया									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(ii) बेल्जियम									
ऋण
(iii) कनाडा									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	0.6
जोड़	0.6
(iv) डेनमार्क									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	10.9
जोड़	10.9
(v) फ्रांस									
(क) ऋण	14.3	153.3	36.1	49.5	121.7	162.3	139.2	198.9	281.7
(ख) अनुदान	0.9	0.1	0.1
जोड़	14.3	153.3	36.1	49.5	121.7	162.3	140.1	199.0	281.8
(vi) जर्मनी									
(क) ऋण	70.0	519.1	297.4	317.4	403.9	323.8	683.3	282.7	71.1
(ख) अनुदान	14.9	10.9	8.9	12.0	5.3	3.3	0.8	2.2	0.7
जोड़	84.9	530.0	306.4	329.4	409.3	327.0	684.2	285.0	71.8
(vii) इटली									
ऋण
(viii) जापान									
(क) ऋण	595.3	1455.0	1410.4	1554.5	1926.2	2237.3	2389.3	2296.0	432.0
(ख) अनुदान	3.5	0.7	...	4.4	5.6	...	6.6
जोड़	598.8	1455.7	1410.4	1558.8	1931.8	2237.3	2395.9	2296.0	432.0
(ix) नीदरलैंड									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	15.4
जोड़	15.4
(x) स्वीडन									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़

जारी...

तालिका 8.3(ख) : स्रोत द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(xi) यूनाइटेड किंगडम									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	67.4	142.2	96.2	33.7
जोड़	67.4	142.2	96.2	33.7
(xii) संयुक्त राज्य अमेरिका									
(क) ऋण
(ख) अनुदान	17.8	7.2	...	0.7
जोड़	17.8	7.2	...	0.7
(xiii) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक									
(क) ऋण	706.8	936.4	1231.1	1373.5	1354.5	1260.2	1522.9	2704.7	2903.3
(ख) अनुदान	5.4	12.3	13.7	10.1	10.1	12.1	10.3	9.9	3.6
जोड़	712.2	948.6	1244.8	1383.5	1364.6	1272.3	1533.3	2714.6	2906.9
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच									
(क) ऋण	1063.4	1120.5	1280.6	1419.2	1424.3	1310.6	866.4	1007.6	833.8
(ख) अनुदान	3.2	0.2	1.0	0.0	0.0
जोड़	1066.6	1120.7	1281.6	1419.2	1424.3	1310.6	866.4	1007.6	833.8
(xv) आईएमएफ ट्रस्ट फण्ड
II. रूसी परिसंघ और पूर्वी यूरोप के देश									
ऋण	28.5	1.4	2.7	0.6	249.2	356.7	489.8	386.7	110.9
ऋण देश-वार वितरण									
(i) रूसी परिसंघ									
ऋण	28.5	1.4	2.7	0.6	249.2	356.7	489.8	386.7	110.9
(ii) रिप. चेक एवं स्लोवाक									
ऋण
III. अन्य									
(a) ऋण	488.8	1097.3	1376.0	1353.5	1861.6	2101.9	2528.3	2649.5	4538.4
(b) अनुदान	20.5	394.4	118.6	269.4	131.6	205.5	97.3	96.3	28.2
जोड़	509.3	1491.7	1494.5	1622.9	1993.3	2307.4	2625.6	2745.8	4566.7
देश-वार वितरण									
(i) अबू धाबी फंड									
ऋण
(ii) स्विजरलैंड									
(a) ऋण
(b) अनुदान
जोड़
(iii) अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें ^a									
(a) ऋण	78.9	346.7	464.2	2275.6
(b) अनुदान	11.0	290.3	118.2	226.1	119.6	175.1	95.0	93.6	28.0
जोड़	254.0	441.7	557.8	2303.6
(iv) यूरोपियन आर्थिक समुदाय									
अनुदान	8.0	103.5	...	43.2	10.9	29.6

जारी...

तालिका 8.3(ख) : स्रोत द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	2000-01	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(v) तेल उत्पादन एवं निर्यातक देश									
ऋण	9.1	1.3	8.7	4.0	2.9
(vi) सऊदी अरब फंड फार डेवलपमेंट									
ऋण
(vii) नार्वे									
(a) ऋण
(ख) अनुदान	1.5
जोड़	1.5
(viii) स्पेन									
ऋण
(ix) अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत कोष									
(क) ऋण
(ख) अनुदान
जोड़
(x) आईएफएईडी (कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष)									
(क) ऋण	8.8	35.0	30.6	33.1	30.2	43.0	40.9	63.4	18.1
(ख) अनुदान	...	0.6	0.2	1.0	...
जोड़	8.8	35.6	30.6	33.1	30.4	43.0	40.9	64.4	18.1
(xi) एडीबी									
(क) ऋण	470.9	1061.0	1336.6	1316.5	1716.0	1859.8	2027.4	1955.8	2244.8
(ख) अनुदान	0.4	...	1.1	0.8	2.3	1.7	0.3
जोड़	470.9	1061.0	1337.0	1316.5	1717.1	1860.6	2029.7	1957.5	2245.0
(xii) यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक									
(क) ऋण	112.6	120.2	113.3	166.1	...
(ख) अनुदान
जोड़	112.6	120.2	113.3	166.1	...
(xiii) आस्ट्रेलिया									
ऋण
कुल जोड़	3126.7	5850.7	5872.6	6398.3	7494.2	7973.6	8735.2	9634.7	9203.8
(क) ऋण	2967.1	5282.9	5634.2	6068.0	7341.5	7752.8	8619.3	9526.1	9171.2
(ख) अनुदान	159.6	567.9	238.4	330.2	152.6	220.8	115.9	108.6	32.6

स्रोत : सहायता लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

... शून्य अथवा नगण्य

क : अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में यूनीसेफ, यू.एन.डी.पी., आई.एल.ओ., डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन.एफ.पी.ए. यूनेस्को, यूपीयू, डब्ल्यूएफपी, वैश्विक निधि, आई.डी.एफ. (डब्ल्यू.बी.), यूएन-एफएओ, एन डी बी, ए आई आई बी और फोर्ड फाउन्डेशन शामिल हैं।

टिप्पणी :

1. इस तालिका में दिए गए आंकड़ों को संबंधित रुपये-अमरीकी डालर दरों पर आधारित पूर्ववर्ती तालिका 8.3 (क) से परिवर्तित किया गया है।
2. पूर्णांकन होने के कारण संभवतः आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

तालिका 8.4(क) : भारत का बाकाया विदेशी ऋण

क्रम सं०	(विदेशी ऋण के संघटक)	मार्च के अंत														सितम्बर के अंत 2020 (पी)
		(करोड़ रुपये में)														
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (क.आर.)	2020 (पी)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
I.	बहुपक्षीय	201425.0	193436.0	216672.0	257089.0	279310.0	321560.0	328148.0	359490.0	354133.9	371783.0	396131.4	449096.0	492555.7		
	क. सरकारी उधार	181997.0	170722.0	190326.0	222579.0	235670.0	268491.0	269431.0	294122.0	288245.7	304595.2	320335.9	362042.2	404507.3		
	(i) रियायती	127771.0	116046.0	120653.0	138691.0	143130.0	163589.0	154581.0	166506.0	156726.4	164002.0	160420.7	166299.9	166333.8		
	(क) आई. डी. ए.	126127.0	114552.0	119068.0	136816.0	141119.0	161165.0	152171.0	163772.0	154050.3	160969.6	157188.1	162505.9	162481.9		
	(ख) अन्य	1644.0	1494.0	1585.0	1875.0	2011.0	2424.0	2410.0	2734.0	2676.0	3032.5	3232.6	3794.0	3851.9		
	(ii) नैर रियायती	54226.0	54676.0	69673.0	83888.0	92540.0	104902.0	114850.0	127616.0	131519.4	140593.2	159915.2	195742.3	238173.5		
	(क) आई. बी. आर. डी.	29948.0	28874.0	39218.0	45328.0	48239.0	53433.0	57107.0	61553.0	60666.9	61662.8	67248.5	82796.3	97783.9		
	(ख) अन्य	24278.0	25802.0	30455.0	38560.0	44301.0	51469.0	57743.0	66063.0	70852.5	78930.3	92660.7	112945.9	140389.5		
	ख. नैर-सरकारी उधार	19428.0	22714.0	26346.0	34510.0	43640.0	53069.0	58717.0	65368.0	65888.2	67187.8	75795.4	87053.9	88048.5		
	(i) रियायती	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	(ii) नैर रियायती	19428.0	22714.0	26346.0	34510.0	43640.0	53069.0	58717.0	65368.0	65888.2	67187.8	75795.4	87053.9	88048.5		
	क. सरकारी क्षेत्र	14298.0	14919.0	15802.0	19407.0	23414.0	28105.0	31385.0	35409.0	32123.1	33715.4	39027.8	41041.7	41855.1		
	(क) आई. बी. आर. डी.	7105.0	8544.0	9193.0	11092.0	12749.0	14412.0	15674.0	17005.0	16624.8	16935.4	18652.5	21544.1	20366.8		
	(ख) अन्य	7193.0	6375.0	6609.0	8315.0	10664.0	13693.0	15711.0	18404.0	15498.3	16780.0	20375.3	19497.6	21488.4		
	ख. वित्तीय संस्थाएं	3721.0	5385.0	7511.0	10290.0	14370.0	18881.0	21859.0	25190.0	29883.2	30230.6	35155.3	42232.7	42618.7		
	(क) आई. बी. आर. डी.	744.0	1343.0	1899.0	2707.0	2973.0	3820.0	3709.0	5984.0	7275.9	7418.4	8449.4	8609.2	8542.1		
	(ख) अन्य	2977.0	4042.0	5612.0	7583.0	11397.0	15061.0	18150.0	19206.0	22607.3	22812.2	26705.9	33623.6	34076.7		
	ग. निजी क्षेत्र	1409.0	2410.0	3033.0	4813.0	5856.0	6083.0	5473.0	4769.0	3881.9	3241.8	1612.4	3779.4	3574.6		
	(क) आई. बी. आर. डी.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	(ख) अन्य	1409.0	2410.0	3033.0	4813.0	5856.0	6083.0	5473.0	4769.0	3881.9	3241.8	1612.4	3779.4	3574.6		
II.	द्विपक्षीय	104997.0	101976.0	114904.0	137086.0	136329.0	148813.0	136060.0	149483.0	150779.8	164846.8	176659.6	203522.6	208681.2		
	क. सरकारी उधार	74662.0	71584.0	80406.0	91641.0	88007.0	96918.0	88452.0	102925.0	109742.1	128944.7	141410.0	167440.6	169621.2		
	(i) रियायती	74662.0	71584.0	80406.0	91641.0	88007.0	96918.0	88452.0	102925.0	109742.1	128944.7	141410.0	167440.6	169621.2		
	(ii) नैर रियायती	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ख. नैर-सरकारी उधार	30335.0	30392.0	34498.0	45445.0	48322.0	51895.0	47608.0	46558.0	41037.7	35902.1	35250.3	36082.0	39060.0		
	(i) रियायती	3262.0	3169.0	4101.0	7648.0	8435.0	10318.0	10080.0	11892.0	11988.3	12972.6	17388.9	24799.4	25368.9		

जारी...

तालिका 8.4(क) : भारत का बाकाया विदेशी ऋण

क्रम सं०	(विदेशी ऋण के संघटक)	मार्च के अंत													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (क.अ.)	2020 (पी)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	क. सरकारी क्षेत्र	1156.0	1121.0	1621.0	4963.0	5916.0	7763.0	7546.0	9052.0	6758.1	7599.7	12181.9	18774.5	19712.7	
	ख. वित्तीय संस्थाएं	2106.0	2048.0	2480.0	2685.0	2519.0	2555.0	2534.0	2840.0	5230.1	5372.9	5207.0	6024.9	5656.1	
	ग) निजी क्षेत्र	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	(ii) गैर-रियायती	27073.0	27223.0	30397.0	37797.0	39887.0	41577.0	37528.0	34666.0	29049.4	22929.5	17861.4	11282.6	13691.1	
	क) सरकारी क्षेत्र	15076.0	13845.0	13789.0	14200.0	13010.0	13374.0	11561.0	10848.0	9472.2	8531.4	7048.3	913.7	814.1	
	ख) वित्तीय संस्थाएं	4311.0	3436.0	3754.0	3886.0	4206.0	4361.0	3323.0	3119.0	3167.1	2529.6	2296.0	1939.3	4503.4	
	ग) निजी क्षेत्र	7686.0	9942.0	12854.0	19711.0	22671.0	23842.0	22644.0	20699.0	16410.0	11868.5	8517.1	8429.6	8373.6	
	III. आई एम एफ ^ए	5188.0	27264.0	28163.0	31528.0	32439.0	36910.0	34350.0	37177.0	35129.1	37716.5	38202.1	40931.1	41324.6	
	IV. निर्यात ऋण	73772.0	76011.0	83112.0	97117.0	96556.0	93275.0	78915.0	70612.0	62323.9	61659.7	54899.0	54114.4	51596.8	
	क) क्रोता ऋण	64046.0	66849.0	73273.0	85896.0	84667.0	80069.0	66006.0	55574.0	46688.4	43683.1	35692.2	32408.2	30807.2	
	ख) आपूर्तिकर्ता ऋण	3234.0	2937.0	2847.0	3252.0	4236.0	4779.0	5217.0	6088.0	6092.7	6764.1	6910.2	7146.1	6039.9	
	ग) द्विपक्षीय ऋण का निर्यात ऋण संघटक	6492.0	6225.0	6992.0	7969.0	7653.0	8427.0	7692.0	8950.0	9542.8	11212.6	12296.5	14560.1	14749.7	
	V. वाणिज्यिक उधार	318209.0	319221.0	448448.0	614623.0	762128.0	897744.0	1128501.0	1199043.0	1117546.7	1312755.9	1428897.4	1657624.3	1529529.1	
	क) वाणिज्यिक बैंक ऋण ^ए	219925.0	202350.0	261678.0	373194.0	454450.0	582644.0	635246.0	647567.0	568986.6	550820.2	659541.2	826888.1	772425.5	
	ख) प्रतिभूतिकृत उधार ^ए	91286.0	113177.0	183504.0	238849.0	306070.0	313416.0	490895.0	549076.0	546260.9	759701.3	767282.7	828616.1	755007.8	
	ग) सहित ऋण/ प्रतिभूतिकृत उधार आदि	6998.0	3694.0	3266.0	2580.0	1608.0	1684.0	2360.0	2400.0	2299.2	2234.4	2073.6	2120.1	2095.8	
	बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारंटी-आई एफ सी (डब्ल्यू)														
	VI. जमा एन.आर.आई. ^ए जमा (1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली)	210118.0	217062.0	230812.0	299840.0	385202.0	624101.0	720997.0	841955.0	757750.8	820737.2	902152.0	977309.2	1012256.6	
	VII. रुपया ऋण ^ए	7760.0	7480.0	7147.0	6922.0	6839.0	8826.0	9426.0	8479.0	7962.0	7886.3	8007.2	7704.4	7294.2	
	(क) रक्षा	6935.0	6709.0	6416.0	6220.0	6164.0	8179.0	8807.0	7887.0	7398.1	7350.0	7498.2	7223.4	6840.8	
	(ख) असैनिक	825.0	771.0	731.0	702.0	675.0	647.0	619.0	592.0	564.0	536.3	508.7	481.0	453.4	
	VIII. कुल दीर्घकालिक ऋण (I से VII)	921469.0	942450.0	1129258.0	1444205.0	1698803.0	2131229.0	2436397.0	2666239.0	2485626.2	2777385.4	3004948.3	3390302.0	3343238.2	

(करोड़ रूपय में)

तालिका 8.4(क) : भारत का बाकाया विदेशी ऋण

क्रम सं०	(विदेशी ऋण के संघटक)	मार्च के अंत											सितम्बर के अंत 2020 (पी)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020 (क.अर)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
IX.	अल्पावधि ऋण	220656.0	236188.0	290149.0	399962.0	525931.0	550985.0	535145.0	553044.0	571386.9	664575.1	749924.0	805708.3	758938.5
	(क) व्यापार से सम्बद्ध जमा राशियाँ	2033345.0	214267.0	261006.0	333202.0	472026.0	491271.0	510938.0	530806.0	560781.3	652969.1	708379.2	764291.2	733335.0
	1) 6 महीने से अधिक	118936.0	126391.0	157806.0	200454.0	321010.0	330500.0	334267.0	339674.0	364104.2	431225.1	362982.4	389010.4	377104.8
	2) 6 महीने तक	84409.0	87876.0	103200.0	132748.0	151016.0	160771.0	176671.0	191132.0	196677.2	221744.0	345396.8	375280.8	356230.2
	(ख) सरकारी राजकोषीय ऋणों और अन्य लिखतों में एफ.आई.आई. निवेश	10522.0	15153.0	24214.0	48066.0	29671.0	33686.0	7307.0	132.0	260.0	580.0	12003.0	12990.0	12540.0
	(ग) विदेशी केंद्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राजकोषीय ऋणों में निवेश	534.0	467.0	225.0	326.0	447.0	572.0	714.0	714.0	1577.1	1791.5	1820.4	1822.1	1776.6
	(घ) निम्नलिखित की विदेशी ऋण देनदारियाँ	6255.0	6301.0	4704.0	18368.0	23787.0	25456.0	16186.0	21392.0	8768.4	9234.5	27721.4	26605.0	11286.9
	1) केंद्रीय बैंक	3892.0	3139.0	693.0	871.0	985.0	892.0	939.0	1197.0	1574.5	1781.9	1528.7	1357.1	1666.4
	2) वाणिज्यिक बैंक	2363.0	3162.0	4011.0	17497.0	22802.0	24564.0	15247.0	20195.0	7193.9	7452.5	26192.6	25247.8	9620.5
X.	कुल जोड़ (VIII+IX)	1142125.0	1178638.0	1419407.0	1844167.0	2224734.0	2682214.0	2971542.0	3219283.0	3057013.0	3441960.5	3754872.3	4196010.2	4102176.7

स्रोत : वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), रक्षा मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड।

टिप्पणी :

अ.सं. : अंशतः संशोधित

त्व. : त्वरित अनुमान आई.एफ.सी. (डब्ल्यू)

: अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन डी.सी.।

एफ.आई.आई. : विदेशी संस्थागत निवेशक

क : मार्च 2004 से आगे आवंटित एसडीआर से सम्बन्धित

ख : इसमें 1996 से वित्तीय लीज शामिल है।

ग : इसमें इंडिया डेवलपमेंट बैंड (आई.डी.बी.), रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.आई.बी.), इण्डिया मिलोनियम डिपॉजिट्स (आईएमडी) तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बैंड (एफ सी सी बी) और 100 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेश ऋण निधियों द्वारा निवल निवेश भी शामिल है। मार्च अंत 1998 से इक्विटी में रूपांतरण को घटा कर एफ सी सी बी ऋण को समाविष्ट किया गया है।

घ : इन आंकड़ों में उपाजित ब्याज शामिल है।

ङ : रुस से लिया गया एवं निर्यातों के माध्यम से भुगतान किया जाने वाला रुपया मूल्यवर्ति ऋण।

एन.आर.ओ. जमा राशियों को जून 2005 को समाप्त तिमाही से एन.आर.आई. जमा राशियों के तहत शामिल किया गया है। 180 दिन तक के आपूर्तिकर्ता ऋण और अल्पावधि लिखतों में एफ.आई.आई. निवेशों को मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से अल्पावधि ऋण के तहत शामिल किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों के बोझो शेयर/नोसो ओवरड्राफ्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी केंद्रीय बैंकों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राजकोषीय ऋणों/प्रतिभूतियों में निवेश को मार्च, 2007 में समाप्त तिमाही से विदेशी ऋण में शामिल किया गया है।

तालिका 8.4(ख) : भारत का बकाया विदेशी ऋण

(अमरीकी मिलियन डालर)

क्र. स.	मार्च के अंत	मार्च के अंत												सितम्बर के अंत 2020 (पी.आर.)
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (पी.आर.)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
I.	बहुपक्षीय	39538.0	42857.0	48475.0	50452.0	51590.0	53418.0	52391.0	54000.0	54501.8	57248.9	57454.4	59955.6	66909.5
	क. सरकारी उधार	35724.0	37825.0	42579.0	43686.0	43529.0	44598.0	43015.0	44171.0	44355.6	46907.3	46470.6	48353.9	54957.8
	(i) रियायती	25080.0	25711.0	26992.0	27221.0	26443.0	27173.0	24679.0	25006.0	24117.2	25256.1	23272.0	22210.8	22598.7
	(क) आई. डी. ए.	24757.0	25380.0	26637.0	26853.0	26071.0	26770.0	24294.0	24595.0	23705.4	24789.2	22803.0	21704.1	22075.4
	(ख) अन्य	323.0	331.0	355.0	368.0	372.0	403.0	385.0	411.0	411.8	467.0	468.9	506.7	523.3
	(ii) नै रियायती	10644.0	12114.0	15587.0	16465.0	17096.0	17425.0	18336.0	19165.0	20238.4	21651.2	23198.6	26143.1	32359.1
	(क) आई. बी. आर. डी.	5878.0	6397.0	8774.0	8897.0	8912.0	8876.0	9117.0	9244.0	9335.5	9496.0	9755.6	11058.2	13285.3
	(ख) अन्य	4766.0	5717.0	6813.0	7568.0	8184.0	8549.0	9219.0	9921.0	10902.9	12155.2	13443.0	15084.9	19073.8
	ख. नै-सरकारी उधार	3814.0	5032.0	5896.0	6766.0	8051.0	8820.0	9376.0	9829.0	10146.2	10341.5	10984.5	11601.7	11951.7
	(i) रियायती	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(ii) नै रियायती	3814.0	5032.0	5896.0	6766.0	8051.0	8820.0	9376.0	9829.0	10146.2	10341.5	10984.5	11601.7	11951.7
	क. सरकारी क्षेत्र	2807.0	3305.0	3536.0	3808.0	4324.0	4669.0	5010.0	5319.0	4944.0	5191.5	5660.6	5479.7	5685.1
	(i) आई. बी. आर. डी.	1395.0	1893.0	2057.0	2177.0	2355.0	2394.0	2502.0	2554.0	2558.2	2608.0	2705.9	2877.4	2767.1
	(ii) अन्य	1412.0	1412.0	1479.0	1631.0	1969.0	2275.0	2508.0	2765.0	2385.7	2582.9	2954.7	2602.3	2918.0
	ख. वित्तीय संस्थाएं	730.0	1193.0	1681.0	2017.0	2650.0	3139.0	3492.0	3791.0	4603.5	4651.6	5090.9	5620.7	5782.2
	(i) आई. बी. आर. डी.	146.0	298.0	425.0	531.0	549.0	635.0	592.0	899.0	1119.6	1142.4	1225.7	1149.8	1160.6
	(ii) अन्य	584.0	895.0	1256.0	1486.0	2101.0	2504.0	2900.0	2892.0	3483.9	3509.2	3865.2	4470.8	4621.7
	ग. निजी क्षेत्र	277.0	534.0	679.0	941.0	1077.0	1012.0	874.0	719.0	598.7	498.4	233.1	501.3	484.4
	(i) आई. बी. आर. डी.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(ii) अन्य	277.0	534.0	679.0	941.0	1077.0	1012.0	874.0	719.0	599.0	498.4	233.1	501.3	484.4
II.	द्विपक्षीय	20610.0	22593.0	25712.0	26884.0	25158.0	24727.0	21726.0	22464.0	23209.8	25382.1	25621.8	27172.5	28347.3
	क. सरकारी उधार	14655.0	15860.0	17988.0	17987.0	16259.0	16099.0	14121.0	15457.0	16887.2	19857.3	20514.1	22363.2	23045.3
	(i) रियायती	14655.0	15860.0	17988.0	17987.0	16259.0	16099.0	14121.0	15457.0	16887.2	19857.3	20514.1	22363.2	23045.3
	(ii) नै रियायती	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

जारी...

तालिका 8.4(ख) : भारत का बकाया विदेशी ऋण

(अमरीकी मिलियन डालर)

क्र. स.	मार्च के अंत	मार्च के अंत											सितम्बर के अंत 2020 (पी.आर.)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020 (पी.आर.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
ख. गैर-सरकारी उधार	5955.0	6733.0	7724.0	8897.0	8899.0	8628.0	7605.0	7007.0	6322.5	5524.8	5107.7	4809.4	5301.9	
(i) रियायती	641.0	702.0	918.0	1501.0	1558.0	1714.0	1610.0	1786.0	1844.8	1997.8	2522.6	3312.2	3446.7	
क. सरकारी क्षेत्र	227.0	248.0	363.0	974.0	1093.0	1290.0	1205.0	1359.0	1039.9	1170.3	1767.2	2507.5	2678.2	
ख. वित्तीय संस्थाएं	414.0	454.0	555.0	527.0	465.0	424.0	405.0	427.0	804.8	827.4	755.4	804.7	768.5	
ग) निजी क्षेत्र	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
(ii) गैर-रियायती	5314.0	6031.0	6806.0	7396.0	7341.0	6914.0	5995.0	5221.0	4477.7	3527.0	2585.1	1497.2	1855.2	
क) सरकारी क्षेत्र	2959.0	3072.0	3087.0	2781.0	2397.0	2223.0	1846.0	1646.0	1459.1	1312.9	1021.1	121.2	110.3	
ख) वित्तीय संस्थाएं	846.0	761.0	840.0	762.0	776.0	724.0	531.0	455.0	487.8	389.4	332.7	257.8	610.2	
ग) निजी क्षेत्र	1509.0	2198.0	2879.0	3853.0	4168.0	3967.0	3618.0	3120.0	2530.9	1824.7	1231.3	1118.2	1134.7	
III. आई एम एफ ^ए	1018.0	6041.0	6308.0	6163.0	5964.0	6149.0	5488.0	5605.0	5410.1	5783.8	5522.8	5429.5	5599.7	
IV. निर्यात ऋण	14481.0	16841.0	18647.0	18990.0	17760.0	15518.0	12608.0	10640.0	9608.8	9482.6	7942.8	7191.5	6996.9	
क) क्रेता ऋण	12572.0	14811.0	16437.0	16790.0	15567.0	13323.0	10547.0	8378.0	7200.7	6715.9	5160.0	4299.0	4174.5	
ख) आपूर्तिकर्ता ऋण	635.0	651.0	646.0	636.0	779.0	795.0	833.0	918.0	939.7	1039.9	999.0	947.9	818.4	
ग) द्विपक्षीय ऋण का निर्यात ऋण संघटक	1274.0	1379.0	1564.0	1564.0	1414.0	1400.0	1228.0	1344.0	1468.5	1726.7	1783.8	1944.6	2003.9	
V. वाणिज्यिक उधार	62461.0	70726.0	100476.0	120136.0	140125.0	149375.0	180295.0	180761.0	172358.2	201825.5	206573.7	219989.1	207267.8	
क) वाणिज्यिक बैंक ऋण ^ए	43169.0	44832.0	58643.0	72946.0	83555.0	96946.0	101492.0	97624.0	87754.3	84684.1	95349.0	109687.2	104667.8	
ख) प्रतिभूतिकृत उधार ^ए	17918.0	25075.0	41100.0	46686.0	56274.0	52149.0	78426.0	82775.0	84249.3	116797.9	110925.0	110020.6	102316.0	
ग) ऋण/प्रतिभूतिकृत उधार आदि सहित बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारंटी+आई एफ सी (डब्ल्यू)	1374.0	819.0	733.0	504.0	296.0	280.0	377.0	362.0	354.6	343.5	299.8	281.2	284.0	
VI. जमा एन.आर.आई. ^ए (1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली)	41554.0	47890.0	51682.0	58608.0	70822.0	103845.0	115163.0	126929.0	116867.2	126181.6	130422.9	130580.5	137292.9	
VII. स्वयं ऋण ^ए	1523.0	1658.0	1601.0	1354.0	1258.0	1468.0	1506.0	1278.0	1227.8	1212.6	1157.8	1022.4	988.6	

जारी...

तालिका 8.4(ख) : भारत का बकाया विदेशी ऋण

क्र. सं.	मार्च के अंत	मार्च के अंत										सितम्बर के अंत 2020 (पी.आर.)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
(क) रक्षा	1361.0	1487.0	1437.0	1216.0	1133.0	1361.0	1407.0	1189.0	1141.0	1130.0	1084.0	958.2	927.0
(ख) असेनिक	162.0	171.0	164.0	138.0	125.0	107.0	99.0	89.0	86.8	82.6	73.8	64.3	61.6
VIII. कुल दीर्घकालिक ऋण (1 से VII)	181185.0	208606.0	252901.0	282587.0	312677.0	354500.0	389177.0	401677.0	383183.7	427117.1	434696.9	451341.3	453402.7
IX. अल्पवधि ऋण	43313.0	52329.0	64990.0	78179.0	96697.0	91678.0	85498.0	83375.0	88124.5	102173.0	108415.5	106877.8	102840.3
(क) व्यापार से सम्बद्ध जमा राशियाँ	39915.0	47473.0	58463.0	65130.0	86787.0	81743.0	81631.0	80022.0	86488.8	100388.7	102409.4	101383.8	99370.8
1) 6 महीने से अधिक	23346.0	28003.0	35347.0	39182.0	59021.0	54992.0	53405.0	51208.0	56155.5	66297.3	52475.9	51602.5	51099.7
2) 6 महीने तक	16569.0	19470.0	23116.0	25948.0	27766.0	26751.0	28226.0	28814.0	30333.3	34091.3	49933.5	49781.3	48271.1
(ख) सरकारी राजकोषीय ऋणों और अन्य लिखतों में एफ.आई.आई. निवेश	2065.0	3357.0	5424.0	9395.0	5455.0	5605.0	1167.0	20.0	40.1	89.2	1735.3	1723.1	1699.2
(ग) विदेशी केंद्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राजकोषीय ऋणों में निवेश	105.0	103.0	50.0	64.0	82.0	95.0	114.0	108.0	243.2	275.4	263.2	241.7	240.7
(घ) निम्नलिखित की विदेशी ऋण देनदारियाँ	1228.0	1396.0	1053.0	3590.0	4373.0	4235.0	2586.0	3225.0	1352.3	1419.7	4007.6	3529.2	1529.4
(1) केंद्रीय बैंक	764.0	695.0	155.0	170.0	181.0	148.0	150.0	180.0	242.8	274.0	221.0	180.0	225.8
(2) वाणिज्यिक बैंक	464.0	701.0	898.0	3420.0	4192.0	4087.0	2436.0	3045.0	1109.5	1145.8	3786.6	3349.1	1303.6
X. कुल जोड़ (VIII+IX)	224498.0	260935.0	317891.0	360766.0	409374.0	446178.0	474675.0	485052.0	471308.2	529290.1	543112.3	558219.1	556242.9
ज्ञापन में :													
रियायती ऋण ^१	41899.0	43931.0	47499.0	48063.0	45518.0	46454.0	41916.0	43526.0	44077.0	48323.8	47466.5	48908.6	50079.3
कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण (प्रतिशत)	18.7	16.8	14.9	13.3	11.1	10.4	8.8	9.0	9.4	9.1	8.7	8.8	9.0
अल्पवधि ऋण	43313.0	52329.0	64990.0	78179.0	96697.0	91678.0	85498.0	83375.0	88124.5	102173.0	108415.5	106877.8	102840.3

जारी...

तालिका 8.4(ख) : भारत का बकाया विदेशी ऋण

(अमरीकी मिलियन डालर)

क्र. सं.	मार्च के अंत	मार्च के अंत										सितम्बर के अंत 2020 (पी.आर.)	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋण (प्रतिशत)	19.3	20.1	20.4	21.7	23.6	20.6	18.0	17.2	18.7	20.0	19.1	18.5

स्रोत : वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), रक्षा मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड।

टिप्पणी :

अं.सं. : अंशतः संशोधित त्व. : त्वरित अनुमान

आई.एफ.सी. (डब्ल्यू) : अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन डी.सी.)

एफ.आई.आई. : विदेशी संस्थागत निवेशक

क : मार्च 2004 से आगे आर्वाइट एसडीआर से संबंधित

ख : इसमें 1996 से वित्तीय लीज शामिल है।

ग : इसमें इंडिया डेवलपमेंट बैंड (आई.डी.बी.), रिसर्वेट इंडिया बैंड (आर.आई.बी.), इण्डिया मिलेनियम डिपॉजिट्स (आईएमडी) तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बैंड (एफ सी सी बी) और 100 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेश ऋण निधियों द्वारा निवल निवेश भी शामिल है। मार्च अंत 1998 से इक्विटी में रूपांतरण को घटा कर एफ सी सी बी ऋण को समायोजित किया गया है।

घ : इन आंकड़ों में उपाजित व्याज शामिल है।

ड : रूस से लिया गया एवं निर्यातों के माध्यम से भुगतान किया जाने वाला रुपया मूल्यवर्गित ऋण।

च. : एन.आर.ओ. जमाराशियों को जून 2005 को समाप्त तिमाही से एन.आर.आई. जमाराशियों के तहत शामिल किया गया है। 180 दिन तक के आपूर्तिकर्ता ऋण और अल्पावधि लिखतों में एफ.आई.आई. निवेशों को मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से अल्पावधि ऋण के तहत शामिल किया गया है। वाणिज्यिक बैंक के बोस्ट्रो शेप/नोस्ट्रो ओवर ड्राफ्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी बैंकों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राजकोषीय ऋण/प्रतिभूतियों में निवेश को मार्च, 2007 में समाप्त तिमाही से विदेशी ऋण में शामिल किया गया है।

राज्य	तालिका 9.1 : प्रमुख राज्यों के लिए मानव विकास के चुनिन्दा संकेतक																	
	जन्म के समय आयु संभावित प्रत्याशा (वर्षों में)				विशुद्ध मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)				जन्म दर (प्रति 1000)				मृत्यु दर (प्रति 1000)					
	2010-14		2014-18		2008		2018		2008		2018		2008		2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
आंध्र प्रदेश	65.5	70.4	67.9	68.3	71.2	69.7	51	54	52	30	29	29	18.4	16.0	7.5	6.7	1.8	1.6
असम	61.9	65.1	63.3	65.4	67.3	66.2	62	65	64	40	44	41	23.9	21.1	8.6	6.4	2.6	2.2
बिहार	67.3	68.0	67.7	69.2	68.6	68.9	53	58	56	30	35	32	28.9	26.2	7.3	5.8	3.9	3.2
गुजरात	66.0	70.5	68.2	67.6	72.0	69.7	49	51	50	29	27	28	22.6	19.7	6.9	5.9	2.5	2.1
हरियाणा	65.8	70.9	68.2	67.6	72.3	69.7	51	57	54	31	29	30	23.0	20.3	6.9	5.9	2.5	2.2
हिमाचल प्रदेश	69.0	73.1	71.0	69.8	75.6	72.6	43	45	44	19	20	19	17.7	15.7	7.4	6.9	1.9	1.6
जम्मू और कश्मीर	70.6	74.0	72.0	72.1	76.7	74.1	48	51	49	22	23	22	18.8	15.4	5.8	4.9	2.2	1.6
कर्नाटक	66.4	70.8	68.5	67.7	70.8	69.2	44	46	45	21	25	23	19.8	17.2	7.4	6.3	2.0	1.7
केरल	71.8	77.8	74.8	72.5	77.8	75.2	10	13	12	9	5	7	14.6	13.9	6.6	6.9	1.7	1.7
मध्य प्रदेश	62.3	65.5	63.8	64.2	67.9	66.0	68	72	70	51	46	48	28.0	24.6	8.6	6.7	3.3	2.7
महाराष्ट्र	69.4	73.4	71.3	71.2	73.9	72.5	33	33	33	19	19	19	17.9	15.6	6.6	5.5	2.0	1.7
उड़ीसा	63.8	65.9	64.8	67.1	69.9	68.4	68	70	69	40	39	40	21.4	18.2	9.0	7.3	2.4	1.9
पंजाब	69.1	73.4	71.1	71.0	74.0	72.4	39	43	41	21	20	20	17.3	14.2	7.2	6.6	1.9	1.6
राजस्थान	65.4	70.0	67.5	66.3	70.9	68.5	60	65	63	37	38	37	27.5	24.0	6.8	5.9	3.3	2.5
तमिलनाडु	68.2	72.3	70.2	69.9	73.7	71.7	30	33	31	16	14	15	16.0	14.7	7.4	6.5	1.7	1.6
उत्तर प्रदेश	62.5	65.2	63.8	64.3	65.6	65.0	64	70	67	43	44	43	29.1	25.6	8.4	6.6	3.8	2.9
पश्चिम बंगाल	68.5	71.6	69.9	70.4	72.2	71.2	34	37	35	21	22	21	17.5	15.0	6.2	5.6	1.9	1.5
अखिल भारत	65.8	69.3	67.5	67.8	70.4	69.0	52	55	53	32	33	32	22.8	20.0	7.4	6.2	2.6	2.2

स्रोत : भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश में वर्ष 2008 के लिए तेलंगाना शामिल है और जम्मू और कश्मीर में वर्ष 2018 के लिए लद्दाख शामिल है।

तालिका 9.2 : कुल नामांकन अनुपात (प्रतिशत)

राज्य/संघराज्य क्षेत्र	2018-19 ¹									2018-19 ²		
	प्राथमिक विद्यालय (I-VIII)			माध्यमिक विद्यालय (IX-X)			उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (XI-XII)			उच्च शिक्षा (18-23 वर्ष के समूह)		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आन्ध्र प्रदेश	94.8	90.9	92.9	80.0	79.4	79.7	45.4	48.5	46.8	35.8	29.0	32.4
अरुणाचल प्रदेश	99.9	102.7	101.6	67.9	70.3	69.1	38.0	39.0	38.5	29.9	29.5	29.7
असम	101.9	107.2	104.5	67.1	78.7	72.8	31.0	30.9	30.9	19.1	18.3	18.7
बिहार	85.3	90.0	87.6	54.8	60.8	57.7	26.4	26.3	26.4	15.1	12.0	13.6
छत्तीसगढ़	96.4	96.1	96.3	81.7	91.7	86.6	48.6	55.7	52.1	18.1	19.2	18.6
गुजरात	93.9	95.0	94.4	81.8	69.5	76.1	42.0	40.3	41.2	22.0	18.7	20.4
हरियाणा	102.0	101.2	101.7	95.6	91.7	93.9	56.1	55.9	56.1	26.5	32.4	29.2
हिमाचल प्रदेश	102.8	104.4	103.6	105.7	106.2	105.9	79.5	84.4	81.8	34.7	44.9	39.6
जम्मू और कश्मीर	76.3	79.7	77.9	58.2	58.1	58.1	42.4	42.0	42.3	29.6	32.2	30.9
झारखंड	96.1	96.6	96.4	59.0	62.8	60.9	38.4	39.3	38.9	19.5	18.7	19.1
कर्नाटक	105.5	103.5	104.5	84.5	82.8	83.7	40.3	48.7	44.4	28.2	29.4	28.8
केरल	98.0	97.7	97.8	98.5	97.5	98.0	75.9	84.9	80.3	30.8	43.2	37.0
मध्य प्रदेश	92.9	91.1	92.1	80.0	74.6	77.4	44.7	42.7	43.7	21.8	21.2	21.5
महाराष्ट्र	102.8	102.2	102.5	92.5	89.6	91.1	70.6	67.1	68.9	33.5	30.3	32.0
मणिपुर	111.1	113.7	112.1	68.9	71.7	69.7	56.6	53.0	54.8	33.6	33.8	33.7
मेघालय	131.2	138.9	135.0	72.3	87.0	79.5	37.6	45.8	41.6	23.8	27.7	25.8
मिजोरम	120.2	119.4	120.5	90.5	92.7	93.6	48.8	55.1	51.9	26.5	24.8	25.7
नगालैण्ड	80.1	83.4	82.1	55.2	61.7	58.3	32.8	35.8	33.9	17.8	19.7	18.7
उड़ीसा	94.8	93.0	93.9	81.0	80.4	80.7	62.2	69.6	65.9	24.2	20.0	22.1
पंजाब	104.4	104.8	104.6	93.0	93.4	93.2	67.6	68.8	68.1	25.5	34.3	29.5
राजस्थान	99.2	96.8	98.1	86.2	76.5	81.6	61.3	51.2	56.5	23.1	23.0	23.0
सिक्किम	97.1	92.6	93.8	96.0	106.4	101.2	51.8	64.7	58.2	54.0	53.9	53.9
तमिलनाडु	98.5	98.0	98.3	90.0	91.0	90.5	65.0	80.1	72.3	49.8	48.3	49.0
तेलंगाना	102.6	102.3	102.4	83.7	85.9	84.8	52.6	60.7	56.5	35.8	36.5	36.2
त्रिपुरा	103.9	106.5	105.4	86.7	94.0	90.2	38.2	39.1	38.6	21.1	17.4	19.2
उत्तर प्रदेश	89.7	93.7	91.6	67.3	63.2	65.4	47.0	45.1	46.1	24.2	27.5	25.8
उत्तराखंड	105.6	107.2	106.4	88.0	90.0	88.9	63.5	69.5	66.2	39.2	39.1	39.1
पश्चिम बंगाल	97.8	100.8	99.3	72.4	91.1	81.5	47.2	56.6	51.7	20.0	18.7	19.3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	79.2	84.1	81.5	66.3	73.8	74.2	48.6	58.2	56.4	20.3	26.1	23.2
चण्डीगढ़	90.3	98.5	93.9	86.6	101.7	93.0	81.5	90.3	83.4	41.6	63.9	50.6
दादरा और नागर हवेली	92.6	96.1	92.8	90.7	90.1	90.4	46.8	62.4	53.5	7.4	12.6	9.3
दमन और दीव	87.5	85.8	89.3	66.1	75.3	79.0	25.6	46.6	33.2	4.2	9.8	5.5
दिल्ली	118.4	122.2	120.2	107.7	113.7	110.4	66.9	73.9	70.1	43.2	50.0	46.3
गोआ	96.6	99.4	97.9	90.6	91.3	92.6	67.1	77.4	72.0	26.4	35.0	30.1
लक्षद्वीप	73.5	73.4	73.5	107.9	104.3	70.7	108.7	55.9	73.5	3.4	11.6	7.4
पुडुचेरी	84.6	87.4	85.9	81.4	85.1	83.2	62.1	78.4	69.8	41.7	51.6	46.4
अखिल भारत	95.5	96.7	96.1	76.9	76.9	76.9	49.5	50.8	50.1	26.3	26.4	26.3

स्रोत: 1 यूडीआईएसई-2017-18 (अन्तिम) 2 एआईएसएई-2018-19

तालिका 9.3 : भारत में मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या

राज्य/संघ क्षेत्र	2018-19 ¹					2018-19 ²					(संख्या में)
	इंटरमीडिएट/माध्यमिक स्कूल	उच्च/माध्यमिक स्कूल	उच्च/प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान	महाविद्यालयों	तकनीकी शिक्षा (पोलिटेक्निक)	पीजीडीएम	नर्सिंग	अध्यापक प्रशिक्षण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
आन्ध्र प्रदेश	2182	12513	9427	39499	41	2678	154	7	253	406	1
अरुणाचल प्रदेश	161	302	1299	2031	10	37	6	0	0	5	0
असम	2229	7568	12008	44519	22	544	23	1	25	27	1
बिहार	4931	3666	37894	42733	33	840	54	4	59	31	1
छत्तीसगढ़	4391	2702	16370	32811	28	760	1	3	40	26	1
गुजरात	7388	4846	30065	12282	72	2232	10	9	142	141	8
हरियाणा	4973	3176	5500	9885	48	1038	145	11	21	35	8
हिमाचल प्रदेश	2463	1726	2771	11252	26	336	35	0	26	18	0
जम्मू और कश्मीर	1266	3200	10136	15106	15	293	53	0	25	23	1
झारखंड	1575	3351	16529	24453	25	313	38	6	26	5	0
कर्नाटक	5489	15388	31802	25554	65	3670	302	23	524	415	9
केरल	2962	1927	4680	7132	23	1348	73	5	161	197	1
मध्य प्रदेश	9205	8262	49622	86975	65	2191	64	21	121	129	3
महाराष्ट्र	10042	17404	29922	52574	62	4340	669	61	557	959	13
मणिपुर	246	914	1084	2600	6	92	2	0	6	11	1
मेघालय	350	1418	3553	9348	10	63	3	0	7	8	1
मिजोरम	186	683	1540	1504	3	32	2	0	4	9	0
नागालैण्ड	185	577	800	1190	5	67	5	0	3	8	0
उड़ीसा	2398	9488	21837	34994	28	1062	128	8	168	65	2
पंजाब	5159	4484	5122	13872	32	1063	182	2	154	57	2
राजस्थान	20067	10587	36463	38766	83	3156	189	9	55	210	4
सिक्किम	108	146	314	722	7	19	2	0	1	4	0
तमिलनाडु	7943	5828	9411	35970	59	2466	496	9	111	292	8
तेलंगाना	2399	11847	7356	20753	24	1988	152	11	153	184	2
त्रिपुरा	453	669	1245	2578	4	52	0	0	4	4	1
उत्तर प्रदेश	19162	12083	80624	161366	79	7078	358	69	264	216	6

जारी...

तालिका 9.3 : भारत में मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या

राज्य/संघ क्षेत्र	2018-19 ¹					2018-19 ²					(संख्या में)
	इंटरमीडिएट/माध्यमिक स्कूल	उच्च/माध्यमिक स्कूल	उच्च/प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूल	विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान	महाविद्यालयों	तकनीकी शिक्षा (पोलिटेक्निक)	पीजीडीएम	नर्सिंग	अध्यापक प्रशिक्षण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
उत्तराखण्ड	2450	1341	5430	14338	36	438	111	3	31	13	2
पश्चिम बंगाल	7372	3338	9249	77869	45	1371	146	14	74	210	12
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66	50	81	217	0	8	0	0	0	0	0
चण्डीगढ़	96	72	41	20	3	25	3	1	0	3	0
दादरा और नागर हवेली	24	23	131	168	0	8	0	0	1	0	0
दमन और दीव	24	24	42	50	0	10	0	0	0	2	0
दिल्ली	1769	367	872	2695	27	180	17	13	22	41	12
गोआ	114	404	61	907	3	57	8	1	0	1	0
लक्षद्वीप	13	2	15	15	0	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	179	197	83	280	4	76	9	0	1	4	0
अखिल भारत	130020	150573	443379	827028	993	39931	3440	291	3039	3759	100

स्रोत : विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं ए.आई.एस.एच.ई. 2018-19

टिप्पणी: एन.ए.: अनुपलब्ध

तालिका 9.4 : राज्य-वार साक्षरता दर (1951-2011)

(प्रतिशत में)

राज्य/संरा० क्षेत्र	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आन्ध्र प्रदेश	उन	21.2	24.6	35.7	44.1	60.5	67.0
अरुणाचल प्रदेश	उन	7.1	11.3	25.6	41.6	54.3	65.4
असम	18.5	33.0	33.9	उन	52.9	63.3	72.2
बिहार	13.5	22.0	23.2	32.3	37.5	47.0	61.8
छत्तीसगढ़	9.4	18.1	24.1	32.6	42.9	64.7	70.3
गुजरात	21.8	31.5	37.0	44.9	61.3	69.1	78.0
हरियाणा	उन	उन	25.7	37.1	55.9	67.9	75.6
हिमाचल प्रदेश	उन	उन	उन	उन	63.9	76.5	82.8
जम्मू और कश्मीर	उन	13.0	21.7	30.6	उन	55.5	67.2
झारखंड	12.9	21.1	23.9	35.0	41.4	53.6	66.4
कर्नाटक	उन	29.8	36.8	46.2	56.0	66.6	75.4
केरल	47.2	55.1	69.8	78.9	89.8	90.9	94.0
मध्य प्रदेश	13.2	21.4	27.3	38.6	44.7	63.7	69.3
महाराष्ट्र	27.9	35.1	45.8	57.2	64.9	76.9	82.3
मणिपुर ^क	12.6	36.0	38.5	49.7	59.9	70.5	76.9
मेघालय	उन	26.9	29.5	42.1	49.1	62.6	74.4
मिजोरम	31.1	44.0	53.8	59.9	82.3	88.8	91.3
नगालैण्ड	10.5	22.0	33.8	50.3	61.7	66.6	79.6
उड़ीसा	15.8	21.7	26.2	33.6	49.1	63.1	72.9
पंजाब	उन	उन	34.1	43.4	58.5	69.7	75.8
राजस्थान	8.5	18.1	22.6	30.1	38.6	60.4	66.1
सिक्किम	उन	उन	17.7	34.1	56.9	68.8	81.4
तमिलनाडु	उन	36.4	45.4	54.4	62.7	73.5	80.1
त्रिपुरा	उन	20.2	31.0	50.1	60.4	73.2	87.2
उत्तर प्रदेश	12.0	20.9	24.0	32.7	40.7	56.3	67.7
उत्तराखंड	18.9	18.1	33.3	46.1	57.8	71.6	78.8
पश्चिम बंगाल	24.6	34.5	38.9	48.7	57.7	68.6	76.3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.3	40.1	51.2	63.2	73.0	81.3	86.6
चण्डीगढ़	उन	उन	70.4	74.8	77.8	81.9	86.0
दादरा और नागर हवेली	उन	उन	18.1	32.9	40.7	57.6	76.2
दमन और दीव	उन	उन	उन	उन	71.2	78.2	87.1
दिल्ली	उन	62.0	65.1	71.9	75.3	81.7	86.2
गोआ	23.5	35.4	52.0	65.7	75.5	82.0	88.7
लक्षद्वीप	15.2	27.2	51.8	68.4	81.8	86.7	91.8
पुडुचेरी	उन	43.7	53.4	65.1	74.7	81.2	85.8
अखिल भारत ^क	18.3	28.3	34.5	43.6	52.2	64.8	73.0

स्रोत : भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

टिप्पणी :

क अखिल भारत और मणिपुर के आंकड़ों में मणिपुर के तीन उप-मंडल अर्थात् मणिपुर के सेनापति जिले के माओ मराम, पाओमाता और पुरुष शामिल नहीं हैं क्योंकि इन तीन उप-मंडलों में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से 2001 के जनगणना के परिणाम निरस्त कर दिए गए थे।

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

- 1951, 1961 तथा 1971 की जनगणना के लिए साक्षरता दरें पांच वर्ष तथा इससे अधिक उम्र की जनसंख्या से संबंधित हैं। 1981 के बाद के वर्षों की जनगणना के लिए साक्षरता दरें सात वर्ष तथा इससे अधिक की जनसंख्या से संबंधित हैं। पश्चिम बंगाल के मामले में 1951 की जनगणना के लिए साक्षरता दर 0-4 आयु वर्ग सहित कुल जनसंख्या से संबंधित है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा मणिपुर संबंधी 1951 की साक्षरता दर नमूना जनसंख्या पर आधारित है।

तालिका 9.5 : भारत में परिवारों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता

(प्रतिशत में)

राज्य/संरा ^०	(नल/हैण्डपम्प/सुविधायुक्त परिवार)								
	1991			2001			2011		
	जोड़	ग्रामीण	शहरी	जोड़	ग्रामिण	शहरी	जोड़	ग्रामिण	शहरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आन्ध्र प्रदेश	55.1	49.0	73.8	80.1	76.9	90.2	90.5	88.6	94.5
अरुणाचल प्रदेश	70.0	66.9	88.2	77.5	73.7	90.7	78.6	74.3	91.3
असम	45.9	43.3	64.1	58.8	56.8	70.4	69.9	68.3	78.2
बिहार	58.8	56.5	73.4	86.6	86.1	91.2	94.0	93.9	94.7
छत्तीसगढ़	क	क	क	70.5	66.2	88.8	86.3	84.1	93.9
गुजरात	69.8	60.0	87.2	84.1	76.9	95.4	90.3	84.9	97.0
हरियाणा	74.3	67.1	93.2	86.1	81.1	97.3	93.8	92.0	96.7
हिमाचल प्रदेश	77.3	75.5	91.9	88.6	87.5	97.0	93.7	93.2	97.8
जम्मू और कश्मीर	उन	उन	उन	65.2	54.9	95.7	76.8	70.1	96.1
झारखंड	क	क	क	42.6	35.5	68.2	60.1	54.3	78.4
कर्नाटक	71.7	67.3	81.4	84.6	80.5	92.1	87.5	84.4	92.3
केरल	18.9	12.2	38.7	23.4	16.9	42.8	33.5	28.3	39.4
मध्य प्रदेश	53.4	45.6	79.4	68.4	61.5	88.6	78.0	73.1	92.1
महाराष्ट्र	68.5	54.0	90.5	79.8	68.4	95.4	83.4	73.2	95.7
मणिपुर	38.7	33.7	52.1	37.0	29.3	59.4	45.4	38.1	60.8
मेघालय	36.2	26.8	75.4	39.0	29.5	73.5	44.7	35.1	79.5
मिजोरम	16.2	12.9	19.9	36.0	23.8	47.8	60.4	43.4	75.8
नगालैण्ड	53.4	55.6	45.5	46.5	47.5	42.3	53.8	54.6	51.8
उड़ीसा	39.1	35.3	62.8	64.2	62.9	72.3	75.3	74.4	79.8
पंजाब	92.7	92.1	94.2	97.6	96.9	98.9	97.6	96.7	98.9
राजस्थान	59.0	50.6	86.5	68.2	60.4	93.5	78.1	72.8	94.3
सिक्किम	73.1	70.8	92.8	70.7	67.0	97.1	85.3	82.7	92.2
तमिलनाडु	67.4	64.3	74.2	85.6	85.3	85.9	92.5	92.2	92.9
त्रिपुरा	37.2	30.6	71.1	52.5	45.0	85.8	67.5	58.1	91.9
उत्तर प्रदेश	62.2	56.6	85.8	87.8	85.5	97.2	95.1	94.3	97.9
उत्तराखंड	क	क	क	86.7	83.0	97.8	92.2	89.5	98.7
पश्चिम बंगाल	82.0	80.3	86.2	88.5	87.0	92.3	92.2	91.4	93.9
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	67.9	59.4	90.9	76.7	66.8	97.8	85.5	78.2	98.1
चण्डीगढ़	97.7	98.1	97.7	99.8	99.9	99.8	99.3	98.7	99.4
दादरा और नागर हवेली	45.6	41.2	91.0	77.0	70.5	96.1	91.6	84.3	98.4
दमन और दीव	71.4	56.9	86.8	96.3	94.9	98.9	98.7	97.8	99.0
दिल्ली	95.8	91.0	96.2	97.2	90.1	97.7	95.0	87.9	95.2
गोआ	43.4	30.5	61.7	70.1	58.3	82.1	85.7	78.4	90.4
लक्षद्वीप	11.9	3.4	18.8	4.6	4.6	4.6	22.8	31.2	20.2
पुडुचेरी	88.8	92.9	86.1	95.9	96.6	95.5	97.8	99.6	97.0
अखिल भारत	62.3	55.5	81.4	77.9	73.2	90.0	85.5	82.7	91.4

स्रोत : भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

टिप्पणी:

क : 2001 में गठित। 1991 के लिए उत्तराखंड, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ को क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया है।

उ.न. : उपलब्ध नहीं क्योंकि 1991 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में कोई जनगणना नहीं हुई।

तालिका 9.6 : भारत की जनसंख्या (1951-2011)

(हजार में)

राज्य/संघ क्षेत्र	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आन्ध्र प्रदेश	31115	35983	43503	53551	66508	76210	84581
अरुणाचल प्रदेश ^क	उ.न.	337	468	632	865	1098	1384
असम ^ख	8029	10837	14625	18041	22414	26656	31206
बिहार	29085	34841	42126	52303	64531	82999	104099
छत्तीसगढ़	7457	9154	11637	14010	17615	20834	25545
गुजरात	16263	20633	26697	34086	41310	50671	60440
हरियाणा	5674	7591	10036	12922	16464	21145	25351
हिमाचल प्रदेश	2386	2812	3460	4281	5171	6078	6865
जम्मू और कश्मीर ^ग	3254	3561	4617	5987	7837	10144	12541
झारखंड	9697	11606	14227	17612	21844	26946	32988
कर्नाटक	19402	23587	29299	37136	44977	52851	61095
केरल	13549	16904	21347	25454	29099	31841	33406
मध्य प्रदेश	18615	23218	30017	38169	48566	60348	72627
महाराष्ट्र	32003	39554	50412	62783	78937	96879	112374
मणिपुर ^घ	578	780	1073	1421	1837	2294	2856
मेघालय	606	769	1012	1336	1775	2319	2967
मिजोरम	196	266	332	494	690	889	1097
नगालैण्ड	213	369	516	775	1210	1990	1979
उड़ीसा	14646	17549	21945	26370	31660	36805	41974
पंजाब	9161	11135	13551	16789	20282	24359	27743
राजस्थान	15971	20156	25766	34262	44006	56507	68548
सिक्किम	138	162	210	316	406	541	611
तमिलनाडु	30119	33687	41199	48408	55859	62406	72147
त्रिपुरा	639	1142	1556	2053	2757	3199	3674
उत्तर प्रदेश	60274	70144	83849	105137	132062	166198	199812
उत्तराखंड	2946	3611	4493	5726	7051	8489	10086
पश्चिम बंगाल	26300	34926	44312	54581	68078	80176	91276
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31	64	115	189	281	356	381
चण्डीगढ़	24	120	257	452	642	901	1055
दादरा और नागर हवेली	42	58	74	104	138	220	344
दमन और दीव	49	37	63	79	102	158	243
दिल्ली	1744	2659	4066	6220	9421	13851	16788
गोआ	547	590	795	1008	1170	1348	1459
लक्षद्वीप	21	24	32	40	52	61	64
पुडुचेरी	317	369	472	604	808	974	1248
भारत^घ	361088	439235	548160	683329	846421	1028737	1210855

स्रोत : भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

टिप्पणी:

क वर्ष 1961 में पहली बार जनगणना की गई।

ख वर्ष 1981 की जनगणना असम में नहीं की जा सकी। वर्ष 1981 की कुल जनसंख्या का हिसाब आन्तर-गणन द्वारा निकाला गया है।

ग वर्ष 1991 की जनगणना जम्मू एवं कश्मीर में नहीं की जा सकी। वर्ष 1991 की जनसंख्या का हिसाब आन्तर-गणन द्वारा निकाला गया।

घ भारत और मणिपुर के आंकड़ों में मणिपुर के सेनापति जिले के तीन उपमंडलों अर्थात् माओ मारम, पाओ माता और पुरूल की अनुमानित जनसंख्या शामिल की गई है क्योंकि इन तीन उपमंडलों के 2001 के जनगणना परिणाम तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से रद्द किए गए थे।

उ.न.: उपलब्ध नहीं

तालिका 9.7 : वर्ष 2001 और 2011 में विभिन्न आयु वर्ग तथा बालक बालिका अनुपात के अन्तर्गत जनसंख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु वर्ग (2001)						आयु वर्ग (2011)						बाल लिंग अनुपात (0-6 years)	
	0-14 (2)	15-34 (3)	35-59 (4)	60 से ऊपर (5)	आयु का पता नहीं (6)	0-14 (7)	15-34 (8)	35-59 (9)	60 से अधिक (10)	आयु का पता नहीं (11)	2001 (12)	2011 (13)		
आन्ध्र प्रदेश	24398125	26904637	18985717	5788078	133450	21790792	30609248	23131065	8278241	771431	961	939		
अरुणाचल प्रदेश	442825	366838	237279	49916	1110	493361	512549	312669	63639	1509	964	972		
असम	9970342	9220063	5875783	1560366	28974	10248899	11123193	7736116	2078544	18824	965	962		
बिहार	34874151	24971476	17473783	5501274	177825	41721188	32264872	22002745	7707145	403502	942	935		
छत्तीसगढ़	7692654	6782442	4826242	1504383	28082	8183836	8861697	6472641	2003909	23115	975	969		
गुजरात	16624168	18233455	12267094	3499063	47237	17445613	21695832	16272844	4786559	238844	883	890		
हरियाणा	7579980	7458045	4441951	1584089	80499	7529954	9370426	6225793	2193755	31534	819	834		
हिमाचल प्रदेश	1884390	2159835	1471395	547564	14716	1775385	2419844	1956201	703009	10163	896	909		
जम्मू और कश्मीर	3617025	3523571	2282065	675324	45715	4240710	4411400	2951417	922656	15119	941	862		
झारखंड	10708694	8563383	6061782	1578662	33308	11891118	10992825	7630779	2356678	116734	965	948		
कर्नाटक	16845601	18667321	13223774	4062022	51844	16024874	22349821	16883719	5791032	45851	946	948		
केरल	8296545	11271154	8911546	3335675	26454	7830974	10335954	11011254	4193393	34486	960	964		
मध्य प्रदेश	23252416	19871596	12783564	4280924	159523	24302242	25176834	17351555	5713316	82862	932	918		
महाराष्ट्र	31100375	34038392	23167117	8454660	118083	29917215	40661653	30280834	11106935	407696	913	894		
मणिपुर	706705	813358	496722	145470	4533	861688	1060221	726088	200020	7777	957	930		
मेघालय	980877	776836	452223	105726	3160	1177942	1052138	592123	138902	5784	973	970		
मिजोरम	313736	331766	193272	49023	776	356002	412771	259172	68628	633	964	970		
नागालैण्ड	728409	762383	404177	90323	4744	679032	760810	434463	102726	1471	964	943		
उड़ीसा	12207872	12591532	8904094	3039100	62062	12076422	14385953	11408224	3984448	119171	953	941		
पंजाब	7617876	8609860	5845668	2191693	93902	7084950	10174719	7576330	2865817	41522	798	846		
राजस्थान	22543231	18257954	11608147	3810272	287584	23725426	23811691	15629580	5112138	269602	909	888		
सिक्किम	188907	205320	115646	29040	1938	165937	251098	151614	40752	1176	963	957		
तमिलनाडु	16710874	22392020	17366443	5507400	428942	17007503	25144641	22418323	7509758	66805	942	943		
त्रिपुरा	1075552	1135652	750645	232549	4805	1017991	1362144	1002622	289544	1616	966	957		
उत्तर प्रदेश	67923332	51963534	33924676	11649468	736911	71308266	68153539	43288570	15439904	1622062	916	902		
उत्तराखण्ड	3086976	2845406	1884841	654356	17770	3129008	3602662	2437205	900809	16608	908	890		
पश्चिम बंगाल	26645405	27999332	19719644	5700099	111717	24737475	32655852	26027955	7742382	112451	960	956		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	104044	142088	90375	17366	2279	92675	147586	114528	25424	368	957	968		
चण्डीगढ़	261188	364690	228545	44912	1300	266512	426702	294812	67078	346	845	880		
दादरा और नागर हवेली	77758	90151	43663	8814	104	107813	147931	73701	13892	372	979	926		
दमन और दीव	43194	75924	30973	8042	71	54985	122110	54435	11361	356	926	904		
दिल्ली	4492939	5368740	3248002	719650	21176	4565319	6534460	4524015	1147445	16702	868	871		

जारी...

तालिका 9.7 : वर्ष 2001 और 2011 में विभिन्न आयु वर्ग तथा बालक बालिका अनुपात के अन्तर्गत जनसंख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु वर्ग (2011)													बाल लिंग अनुपात (0-6 years)		
	0-14			15-34			35-59			60 से ऊपर			आयु का पता नहीं			2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
गोआ	331226	523205	373952	112273	7012	318160	503105	471691	163495	2094	938	942				
लक्षद्वीप	20734	21382	14752	3729	53	16457	22857	19774	5270	115	959	911				
पुडुचेरी	262686	373118	256712	81016	813	298392	440449	387575	120436	1101	967	967				
अखिल भारत	363610812	347676459	237962264	76622321	2738472	372444116	421959587	308112432	103849040	4489802	927	918				

स्रोत : भारत के महा पंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

तालिका 9.8 : सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा एवं

सामाजिक आर्थिक संकेतक/मदें	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
जनसंख्या संबद्ध*								
जनसंख्या 2001 (*000 में)	76210	26656	82999	20834	50671	21145	6078	10144
जनसंख्या 2011 (000 में)	84581	31206	104099	25545	60439	25351	6865	12541
जनसंख्या की दशाब्दिक विकास दर का प्रतिशत (1991-2001)	14.6	18.9	28.6	18.3	22.7	28.4	17.5	29.4
जनसंख्या की दशाब्दिक विकास दर का प्रतिशत (2001-2011)	11.0	17.1	25.4	22.6	19.3	19.9	12.9	23.6
लिंग अनुपात 2001 (1000 पुरुषों के प्रति महिलाएं)	978	935	919	989	920	861	968	892
लिंग अनुपात 2011 (1000 पुरुषों के प्रति महिलाएं)	993	958	918	991	919	879	972	889
जन्म के समय लिंग अनुपात 2015-17 (1000 पुरुषों के प्रति महिलाएं)	920	925	895	958	866	843	930	927
सूचकांक मान एवं रैंक**								
स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2016-17	56.1 (11)	56.1 (10)	37.3 (19)	54.9 (12)	63.0 (4)	69.5 (3)	62.8 (5)	47.1 (16)
स्वास्थ्य सूचकांक 2017-18	65.13 (2)	48.85 (15)	32.11 (20)	53.36 (13)	63.52 (4)	53.51 (12)	62.41 (6)	62.37 (7)
समेकित जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18	74(2)	NR	38(16)	45(13)	75(1)	58(7)	NR	NR
जीएमडीपी वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय #								
जीएसडीपी 2018-19 (%)	4.4	6.4	9.3	7.1	9.2	7.5	7.1	6.1
जीएसडीपी 2017-18 (%)	10.1	8.8	6.5	4.8	10.7	8.2	6.8	6.1
प्रति व्यक्ति आय 2018-19 (%)	8.2	10.2	11.2	8.9	11.9	11.6	11.0	9.7
प्रति व्यक्ति आय 2017-18 (%)	15.7	13.3	8.2	7.5	12.0	14.3	9.8	9.8
निर्धन व्यक्तियों का अनुपात***								
2011-12 (ग्रामीण)	10.9	33.9	34.1	44.6	21.5	11.6	8.5	11.5
2011-12 (शहरी)	5.8	20.5	31.2	24.8	10.1	10.3	4.3	7.2
2011-12 (कुल)	9.20	31.9	33.7	39.9	16.6	11.2	8.1	10.4
2009-10 ग्रामीण	22.8	39.9	55.3	56.1	26.7	18.6	9.1	8.1
2009-10 शहरी	17.7	26.1	39.4	23.8	17.9	23.0	12.6	12.8
2009-10 कुल	21.1	37.9	53.5	48.7	23.0	20.1	9.5	9.4
ग्रामीण-शहरी विभिन्नता##								
ग्रामीण औसत एमपीसीई 2009-10 है रुपये में	1234	1003	780	784	1110	1510	1536	1344
खाद्य व्यय में ग्रामीण हिस्सा 2009-10 (%)	58.0	64.4	64.7	58.2	57.7	54.0	51.6	57.8
शहरी औसत एमपीसीई एमएमआरपी 2011-12 (रुपए में)	2238	1755	1238	1647	1909	23210	2654	1759
खाद्य व्यय का शहरी हिस्सा 2009-10 (%)	44.8	52.9	52.9	43.7	46.2	43.1	41.5	51.3
ग्रामीण औसत एमपीसीई 2009-10 है 'एमएमआरपी' (रुपये में)	1754	1219	1127	1027	1536	2176	2034	1743
खाद्य व्यय में ग्रामीण हिस्सा 2011-12 (%)	51.4	61.3	59.3	52.7	54.9	52.1	47.3	55.3
शहरी औसत एमपीसीई एमएमआरपी 2011-12 (रुपए में)	2685	2189	1507	1868	2581	3817	3259	2485
खाद्य व्यय का शहरी हिस्सा 2011-12 (%)	42.3	47.7	50.5	42.2	45.2	39.2	42.4	47.8
डब्ल्यूपीआर 2018-19 (15 वर्ष और ऊपर) @								
ग्रामीण (%)	59.2	43.9	36.6	63.8	52.1	41.0	65.6	56.0
शहरी (%)	46.0	39.1	35.1	50.3	46.5	43.8	49.0	42.3
कुल (%)	54.8	43.7	36.4	61.2	49.7	41.9	63.9	52.9

सामाजिक आर्थिक संकेतक/मर्दें												
झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	ओडिशा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	समस्त भारत
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
26946	52851	31841	60348	96879	36805	24359	56507	62406	166198	8489	80176	1028737
32988	61095	33406	72627	112374	41974	27743	68548	72147	199812	10086	91276	1210855
23.4	17.5	9.4	24.3	22.7	16.3	20.1	28.4	11.7	25.9	20.4	17.8	21.5
22.4	15.6	4.9	20.3	16.0	14.0	13.9	21.3	15.6	20.2	18.8	13.8	17.7
941	965	1058	919	922	972	876	921	987	898	962	934	933
948	973	1084	931	929	979	895	928	996	912	963	950	943
923	924	957	925	880	933	890	871	908	880	840	841	899
30.6 (20)	52.9 (13)	82.2 (1)	47.2 (15)	62.5 (6)	60.2 (7)	59.1 (9)	59.4 (8)	73.4 (2)	46.5 (17)	48.1 (14)	NA	
51.33 (14)	61.14 (8)	76.55 (1)	40.09 (18)	63.99 (3)	39.43 (19)	65.21 (5)	43.10 (16)	63.38 (9)	33.69 (21)	45.22 (17)	58.25 (11)	
34(17)	59(5)	45(12)	70(3)	56(8)	39(14)	52(9)	47(11)	58(6)	39(15)	NR	NA	
6.8	7.8	7.5	5.8	6.0	5.9	6.0	7.0	8.0	5.3	6.9	6.4	7.0
9.0	10.8	7.3	4.9	6.5	7.0	6.4	6.0	8.6	7.2	7.8	6.4	6.1
8.4	12.6	11.3	10.4	9.5	11.1	10.4	11.3	10.7	13.1	9.0	10.7	9.9
12.4	11.0	10.3	9.8	7.0	12.8	8.5	8.1	11.9	11.5	13.1	11.1	9.7
40.8	24.5	9.1	35.7	24.2	35.7	7.7	16.1	15.8	30.4	11.6	22.5	25.7
24.8	15.3	4.9	21.0	9.1	17.3	9.2	10.7	6.5	26.1	10.5	14.7	13.7
36.9	20.9	7.1	31.7	17.4	32.6	8.3	14.7	11.3	29.4	11.3	19.9	21.9
41.6	26.1	12.0	42.0	29.5	39.2	14.6	26.4	21.2	39.4	14.9	28.8	33.8
31.1	19.6	12.1	22.9	18.3	25.9	18.1	19.9	12.8	31.7	25.2	22.0	20.9
39.1	23.6	12.0	36.7	24.5	37.0	15.9	24.8	17.1	37.7	18.0	26.7	29.8
825	1020	1835	903	1153	818	1649	1179	1160	899	1747	952	1054
60.9	56.5	45.9	55.8	54.0	61.9	48.2	54.8	54.7	57.9	45.1	63.4	57.0
1584	2053	2413	1666	2437	1548	2109	1663	1948	1574	1745	1965	1984
51.5	42.3	40.2	41.7	41.0	48.4	44.3	48.0	45.0	46.3	48.5	46.2	44.4
1006	1561	2669	1152	1619	1003	2345	1598	1693	1156	1726	1291	1430
58.4	51.4	43.0	52.9	52.4	57.2	44.1	50.5	51.5	53.0	49.6	58.2	52.9
2018	3026	3408	2058	3189	1941	2794	2442	2622	2051	2339	2591	2630
46.5	40.1	37.0	42.2	41.6	45.4	41.0	44.8	42.7	44.0	46.3	44.2	42.6
47.6	51.1	45.5	55.9	54.7	48.9	42.7	53.2	55.6	42.0	42.1	50.4	48.9
36.1	46.5	44.1	42.7	44.9	41.0	46.5	41.1	46.8	36.9	39.5	48.2	43.9
44.9	49.3	44.9	52.3	50.6	47.6	44.2	50.0	51.4	40.8	41.4	49.7	47.3

तालिका 9.8 : सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा एवं

सामाजिक आर्थिक संकेतक/मदें	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
बेरोजगार दरें (यूपीएसएस) 2018-19 (15 वर्ष और आगे) @								
ग्रामीण (%)	4.5	6.3	9.8	1.8	3.2	9.6	4.8	4.0
शहरी (%)	7.3	10.7	10.4	5.4	14.4	8.7	8.8	10.1
कुल (%)	5.3	6.7	9.8	2.4	3.2	9.3	5.1	5.1
स्वास्थ्य से संबंधित*								
मातृत्व मृत्यु दर अनुपात (2016-18)	65	215	149	159	75	91	NA	NA
मातृत्व मृत्यु दर अनुपात (2015-17)	74	229	165	141	87	98	NA	72
पांच वर्ष तक की आयु के बालकों की मृत्यु दर (2019)	34	44	34	46	32	36	22	23
पांच वर्ष तक की आयु की बालिकाओं की मृत्यु दर (2018)	32	51	39	45	29	36	25	23
पांच वर्ष तक की आयु के शिशुओं की कुल मृत्यु दर (2017)	33	47	37	45	31	36	23	23
पांच वर्ष तक की आयु के बालकों की मृत्यु दर (2017)	35	45	39	49	33	32	24	25
पांच वर्ष तक की आयु की बालिकाओं की मृत्यु दर (2017)	34	51	43	44	33	38	27	24
पांच वर्ष तक की आयु के शिशुओं की कुल मृत्यु दर (2017)	35	48	41	47	33	35	25	24
शिक्षा से संबंधित								
प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर 2016-17	1.90	5.60	9.53	3.25	0.98	NR	0.84	14.15
अपर प्राइमरी छोड़ने की दर 2016-17	0.89	2.51	13.20	6.18	6.51	NR	0.88	10.18
माध्यमिक विद्यालय छोड़ने की दर 2016-17	NA	27.60	39.73	24.23	24.08	12.16	7.03	24.35
प्राइमरी से उपर प्राइमरी परिवर्तन दर 2016-17	97.2	93.3	76.1	94.3	97.7	99.5	98.6	87.3
आरंभिक से माध्यमिक परिवर्तन दर 2016-17	97.8	94.5	73.7	86.8	84.3	97.8	97.7	86.1
माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक परिवर्तन दर 2016-17	उन	54.4	25.7	59.4	60.0	76.4	84.0	71.9

स्रोत:

* भारत के महा पंजीयक का कार्यालय (आरजीआई) तेलंगाना को छोड़कर आंध्र प्रदेश के जन्म के समय लिंगानुपात।

** : नीति आयोग, निक्षिप्त पद में दिए गए आंकड़े रैंक है

*** : नीति आयोग (योजना आयोग)

\$ भारत में विद्यालयी शिक्षा यू-डीआईएसई (2016-17) (अनंतिम)

स्थिर कीमतों पर सीएसओ, जीएसडीपी तथा प्रति व्यक्ति आय वर्तमान कीमतों पर आधारित है (आधार वर्ष 2011-12)

एनएसएसओ, मासिक प्रतिशोध व्यय समिनश्र रीकाल अवधि पर आधारित है।

@ पिरियोडिक लेबर फॉस सर्वे, 2017-18 (एनएसओ) डब्ल्यूयूपीआर (कामगार भागीदारी दर) और रोजगार दर यूपीएसएस आधार पर है।

टिप्पणी:

उ.न. : उपलब्ध नहीं

एमआर:नकारात्मक मान और मिलान संबंधी मामलों के कारण सूचित नहीं

परिवर्तन दर: नियत वर्ष में स्कूली शिक्षा के अगले स्तर के प्रथम ग्रेड में भर्ती किए गए प्रवेशकर्ताओं की संख्या को पिछले वर्ष में स्कूली शिक्षा के वर्तमान स्तर के अंतिम ग्रेड में नामांकित छात्रों की संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

सामाजिक आर्थिक संकेतक/मर्दें												
झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	ओडिशा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	समस्त भारत
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
4.3	2.7	8.4	2.3	4.2	6	7.7	4.6	6.4	4.3	7.1	3.3	5
8.7	5.1	9.7	7.3	6.3	12.7	7	9.5	6.7	10.3	13.4	4.9	7.6
5.2	3.6	9.0	3.5	5.0	7	7.4	5.7	6.6	5.7	8.9	3.8	5.8
71	92	43	173	46	150	129	164	60	197	99	98	113
76	97	42	188	55	168	122	186	63	216	89	94	122
30	26	11	58	21	44	23	40	18	46	34	26	36
39	30	9	53	23	43	22	41	17	48	32	26	37
34	28	10	56	22	44	23	40	17	47	33	26	36
30	28	12	56	21	46	23	41	19	43	38	25	36
38	28	11	54	22	48	25	45	19	48	32	27	39
34	28	12	55	21	47	24	43	19	46	35	26	37
15.71	1.39	0.08	4.51	0.70	4.24	2.83	6.99	0.46	11.15	5.58	8.05	6.35
19.61	3.76	NR	7.65	1.24	5.05	2.89	4.34	1.34	3.87	3.06	8.95	5.67
36.64	उच्च	12.77	23.76	11.28	28.87	8.60	15.19	10.03	12.71	9.09	26.93	19.89
76.3	96.8	100.0	89.6	99.2	90.6	95.7	91.6	98.6	77.9	93.0	91.0	88.6
69.4	93.1	100.0	84.1	98.5	91.3	94.3	93.7	96.8	94.2	93.5	91.0	90.3
46.9	उच्च	75.9	60.3	83.5	45.7	85.7	72.3	83.3	75.3	78.0	71.4	66.4



आर्थिक कार्य विभाग
DEPARTMENT OF
ECONOMIC AFFAIRS

